दसम माला, खंड 20, अंक 27

19 अप्रैल, 1993
29 चैत्र, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 20, छठा सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 27, सोमवार, 19 अप्रैल, 1993/29 चैत्र, 1915 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 641, 643, 646 और 647	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—1106
**तारांकित प्रश्न संख्या : 501 से 520 (2-4-1993), 521 से 540 (6-4-1993), 541 से 560 (7-4-1993), 561 से 580 (8-4-1993), 581 से 600 (12-4-1993), 601 से 620 (15-4-1993), 621 से 640 (16-4-1993), 642, 644, 645, 648 से 660 (19-4-1993)	21—184
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4871 से 4931, 4933 से 4961, 4963 से 4970, 4972 और 4974 से 5002 (2-4-1993), 5003 से 5139 (6-4-1993), 5140 से 5146, 5148 से 5163, 5165 से 5227, 5229 से 5257 (7-4-1993), 5258 से 5295, 5297 से 5390, 5392 से 5453 (8-4-1993), 5454 से 5474, 5476 से 5532, 5534 से 5566, 5568 से 5600 (12-4-1993), 5601 से 5672 (15-4-1993) और 5673 से 5788 (16-4-1993), 5789 से 5882, 5884 से 5940 (19-4-93)	185—1104

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

**लोक सभा की 2-4-1993, 6-4-1993, 7-4-1993, 8-4-1993, 12-4-1993, 15-4-1993 और 16-4-1993 की बैठकों को निरस्त किए जाने के कारण इन दिनों के लिए सूचीबद्ध तारांकित और अतारांकित प्रश्न 19-4-1993 को सभा पटल पर रखे गए।

विषय	पृष्ठ
मुंबई में हुए बम विस्फोट के बारे में	1107 - 1134
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1134 – 1136
विधेयक—पुरःस्थापित	
व्यापार चिह्न विधेयक	1137
हस्त-सफाईकर्ताओं का नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक	1137—113[illegible]
मंत्री द्वारा वक्तव्य	1138—1139
पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार की बर्खास्तगी	
श्री दिनेश सिंह	1138
नियम 377 के अधीन मामले	1139—1142
(एक) गोपालपुर से रायपुर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
डा० कृपासिन्धु भोई	1139
(दो) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के कृष्णा खंड पर शीघ्र कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण	1140
(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के सर्वांगीण विकास के लिए उस क्षेत्र में यातायात सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी फ्रिडा तोपनो	1140
(चार) मुंबई में हुए बम विस्फोटों के शिकार हुए लोगों के निर्दोष और असहाय आश्रितों को शीघ्र राहत सुनिश्चित करने की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नाईक	1141
(पांच) प्रसिद्ध गणितज्ञ डा० वशिष्ठ नारायण सिंह का सरकारी खर्च पर इलाज कराए जाने की आवश्यकता	
श्री संजय लाल	1141
(छः) "नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी" के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	1142

(सात) 25 फरवरी, 1993 को सार्वजनिक यातायात उपलब्ध न होने के कारण जो सरकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच सके, उन्हें विशेष आकस्मिक छुट्टी दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे 1142

सदस्य की गिरफ्तारी 1143

लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र 1144

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 1144—1184

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अजित पांजा 1144

प्रो० रीता वर्मा 1146

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 1147

श्री बसुदेव आचार्य 1150

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 1154

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 1155

श्री राम टहल चौधरी 1159

श्री रमेश चेन्नितला 1162

श्री तेज नारायण सिंह 1163

श्री वीरेन्द्र सिंह 1165

डा० कृपासिन्धु भोई 1168

श्री अन्ना जोशी 1171

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अजित पांजा 1183

श्री बसुदेव आचार्य 1184

श्री श्रीकान्त जेना 1184

लोक सभा

सोमवार, 19 अप्रैल, 1993/29 चैत्र, 1915 (शक)

लोक सभा 11 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, त्रिपुरा में कांग्रेस (आई) के हार जाने के बाद, श्री सन्तोष मोहन देव को इस्तीफा देना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह (बागपत) : समितियों के गठन के समय आपने हमारे दल के साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है उसके विरोध में हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं।

11.02 म० प०

(तत्पश्चात् श्री अजित सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य विरोध में सभा-भवन से बाहर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप अभी नहीं, हमें प्रश्नकाल के बाद मौका दें, आपको बधाई देने के लिए, यह आपका व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आई० पी० यू० सम्मेलन जिस कामयाबी से सम्पन्न हुआ है उसके लिए बधाई देने के लिए हमें प्रश्नकाल के बाद मौका दें।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

*641. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान चार महानगरों और बंगलौर में प्रतिवर्ष कितने विदेशी पर्यटक आए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

[अनुवाद]

नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) चार महानगरों और बंगलौर में पिछले दो वर्षों के दौरान आए विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं०	स्थान	पर्यटकों की संख्या	
		1991-92	1992-93
1.	बम्बई	843,730	909,402
2.	दिल्ली	737,437	794,836
3.	मद्रास	332,362	358,232
4.	कलकत्ता	169,354	182,536
5.	बंगलौर	151,374	153,166

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का अनुमान इस प्रकार है :

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (रुपए करोड़ों में)
1991-92	3319
1992-93	3982

विदेशी मुद्रा आय के अनुमान के आंकड़े नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार : हिन्दुस्तान एक महान देश है यहां पर बहुत सारी अच्छी जगह ऐसी हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वातावरण के हिसाब से उपयुक्त हैं और ऐसी

जगहों का विकास करने के हेतु ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भारत में आयें इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? इसके साथ ही सरकार विशेष सांसदों को विशेष योजना के तहत विदेश भेजने का क्या इरादा रखती है जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हिन्दुस्तान में आने को प्रवृत्त हों ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, सभी पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का पर्यटन मंत्रालय का प्रयास है । एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत हमने भारत के उन स्थानों का चयन करने का प्रयत्न किया है जिन्हें पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है । मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बंगलौर को भी राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है । हम किसी एक ही शहर का चुनाव नहीं करते । हम अलग-अलग राज्यों को जैसे कि महाराष्ट्र दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के लिए अलग-अलग राशि का आबंटन करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार : अभी हाल में अमरीका और कुछ देशों ने भारत में अपने नागरिकों को न आने की सलाह दी थी वे कौन-कौन से देश हैं और क्या वह अभी भी कायम है या उसको हटा दिया गया है ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, यह सत्य है कि यह परामर्श संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान द्वारा दिया गया था । इस संबंध में मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हमने कुछ कदम उठाए थे तथा मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस परामर्श को अब वापस ले लिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद में बौद्धों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जो श्रावस्ती के नाम से प्रसिद्ध है वहां प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में जापानी तीर्थ यात्री आते हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल बंगलौर के सम्बन्ध में है ।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : क्या उस स्थान के विकास के लिए वहां हवाई पट्टी खोलने के लिए कोई व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि बंगलौर में टूरिज्म के विकास के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने बताया, वैसे में हिल्ली ऐरियाज के बारे में जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर हिल्ली ऐरियाज हैं । कश्मीर में टूरिस्ट्स कम जाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, वर्ष 1991-92, 1992-93 की जो फिगर्स दी गयी हैं, उससे पता चलता है कि हमारे देश में जो पर्यटक आते हैं, उनमें मुम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो या दिल्ली हो, लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसा कहा जाता था कि दिसम्बर में अयोध्या काण्ड के कारण यहां पर विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं परन्तु ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, उसमें कोई ऐसे विशेष देश हैं, जिसमें ज्यादा लोग आए हैं या कम आए हैं? जहां से कम आये होंगे, वहां से टूरिस्ट्स बढ़ाने की दृष्टि से सरकार क्या कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, अंत में आपका जो आदेश है जब कभी भी हमारे शहर का उल्लेख होगा, सरकार को सदन में मुम्बई के नाम से करना चाहिए, ऐसा आदेश दिया है लेकिन यह होते हुए भी यहां पर मुम्बई का उल्लेख हुआ है। यदि आप चाहें तो दुबारा निर्देश दें कि बम्बई के स्थान पर मुम्बई का नाम हो···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले आदेश दिया हो, इसका मुझे ध्यान नहीं है···

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, आपके पहले लोक सभा के स्पीकर श्री रवि राय ने यह आदेश दिया था कि जहां भी इस शहर का उल्लेख इस सदन में हो, वह मुम्बई के नाम से होना चाहिए। तो क्या सरकार इसका पालन करेगी या नहीं करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं···

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : अयोध्या की घटना के बाद कमी हुई है। नवम्बर तक 15 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अयोध्या की घटना के पश्चात् तथा कुछ हद तक इंडियन एयरलाइन्स की हड़ताल के कारण इसमें कमी आई है।

यह सत्य है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत कमी आई है। (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : यह आदेश अध्यक्षपीठ द्वारा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, यह हमारी भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख करना चाहिए। अध्यक्ष जी ऐसा कैसे चलेगा? यहां पर साफ निर्देश दिया है कि सदन में शहर का उल्लेख मुम्बई करके किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : हम ऐसा करेंगे।

श्री एस० बी० सिदनाल : पिछले कुछ समय में हमने कई क्षेत्रों में निजीकरण किया है तथा पर्यटन पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी कमी आई है। इसलिए, क्या पर्यटन के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है?

आजकल यह बहुत ही लाभकारी उद्योग है।

श्रीमती सुखबंस कौर : यह सही है कि पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। हम कदम उठा रहे हैं। पर्यटन में सुधार के लिए लिए हमने एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : आप निजी क्षेत्र में भी ऐसा कीजिए।

श्रीमती सुखबंस कौर : यह पहले ही किया जा रहा है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : हमारे देश में पर्यटन में सुधार लाने की काफी संभावनायें हैं, विशेषकर कर्नाटक में यात्री निवास तथा अन्य क्षेत्रों में। क्या सरकार के पास इन क्षेत्रों को मिला कर विदेशी तथा देशीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं में और सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है।

श्रीमती सुखबंस कौर : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, देश में पर्यटन में सुधार लाने के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, हमने वर्ष 1991-92 में 185 लाख लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी थी तथा वर्ष 1992-93 में इसके लिए हमने 176 लाख रुपए मंजूर किए हैं। पर्यटन में सुधार लाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है। समस्त विश्व के पर्यटक किसी न किसी रूप में यहां आते हैं तो यहां के पर्यटक स्थलों की ऐतिहासिकता और प्राचीनता की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और स्थलों के विकास करने के लिए सरकार ने कोई विस्तृत योजना बनायी है और उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की है?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : हम दिल्ली के लिए राशि आबंटित की है तथा मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली पर्यटन अच्छा कार्य कर रहा है। वर्ष 1990-91 में हमने इसके लिए 20 लाख रुपए आबंटित किए थे तथा 1992-93 में हमने इसमें पर्याप्त वृद्धि करके 58 लाख रुपए कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*643. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस हेतु देश में कुछ और जिलों को चुना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में स्वयं उद्योगों की स्थापना नहीं करता। परन्तु यह मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, उन्नयन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं भी शामिल हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत सिगल हलरों के आधुनिकीकरण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन, मांस, पाल्ट्री और अण्डा प्रसंस्करण यूनिटों, टूना तथा दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन में उन प्रस्तावों पर उचित ध्यान दिया जाता है जिनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/संवर्धन निहित है।

यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए इस मंत्रालय ने किन्हीं विशिष्ट जिलों का चयन नहीं किया है परन्तु सर्वेक्षण, अध्ययन, संभाव्यता रिपोर्ट आदि तैयार करने और उचित स्थानों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों/संगठनों, शैक्षणिक निकायों, उद्योगों के मान्य संगठनों आदि को सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मान्यवर अध्यक्ष जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को देश के बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने की बात चल रही है और इसके निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। पर यह उद्योग सीधा देहात से जुड़ा हुआ है। मैंने प्रश्न दूसरी प्रकार से किया था पर उसका उत्तर यह दिया गया कि किसी भी राज्य में उद्योग की स्थापना विभाग नहीं करता। मेरा प्रश्न मूल रूप में यह नहीं था। मैंने अखबार में भी पढ़ा था और जानकारी मिली थी कि नई योजना बन रही है कांट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्राप्त हों कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की। मैं मुख्य रूप से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह तो मान लिया कि आप किसी भी जनपद में उद्योग स्थापित नहीं करते हैं। स्पेसेफिक रूप से आप बताएं कि उत्तर प्रदेश के लिए कांट्रैक्ट फार्मिंग के लिए या उस उद्योग को बढ़ाने के लिए आपने ट्रांसपोर्ट या कोल्ड स्टोरेज या उससे जुड़ी हुई कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं या कितना धन उपलब्ध कराया जिससे इसको प्रोत्साहन मिल सके? उत्तर प्रदेश में आलू है या इससे जुड़ी हुई बहुत-सी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम निर्यात करके काफी पैसा अर्जित कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश में कितना धन आपके द्वारा व्यय किया गया है?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : वास्तव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वतः कुछ उद्योगों की स्थापना होगी तथा इससे ग्रामीण लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिसम्बर, 1992 तक दाखिल 1890 उद्यमों संबंधी स्मरणपत्रों में से, 1165 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तथा इसी प्रकार 23659 करोड़ के कुल निवेश में से 16901 करोड़ रुपए का निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित होंगे। यद्यपि हम स्वयं ये उद्योग स्थापित नहीं करते हैं, परन्तु हम इसके लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को सहायता प्रदान करते हैं, विशेषकर वित्तीय सहायता।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैंने सवाल पूछा था कि यू० पी० को क्या दिया ? या तो आप कहें कि जैसे पेप्सी के साथ किया ?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र अथवा किसी निजी संस्था से प्राप्त प्रस्ताव पर पूरा ध्यान दिया जाता है तथा कोई भी इकाई चाहे वह सहकारी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक, संयुक्त अथवा निजी क्षेत्र में, सर्वसंभव सहायता उसे दी जाती है ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । दूसरी बात यह है कि इसके माध्यम से कितने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नौजवानों को रोजगार मिला, कितने क्षेत्रों में धन लगा इसको छोड़ दीजिए, इसका जवाब आप बाद में देते रहें । उत्तर प्रदेश के अन्दर खुरजी नाम की जाति होती है उसका मुख्य व्यवसाय चावल उद्योग से जुड़ा होता है । इसके अलावा हलर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बहुत दोषपूर्ण है । आपने उत्तर में भी लिखा है कि हम ऐसी सुविधा देते हैं लेकिन स्थिति यह है कि इन सब कारणों से उनका परम्परागत उद्योग बंद होता जा रहा है । वे लोग जो कुछ पैदा करते हैं, उसके निर्यात की काफी संभावनाएं हैं । अत: मैं आपसे फिर जानना चाहता हूं कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और उत्तर प्रदेश में इन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से कितने नौजवानों को आपने रोजगार अभी तक दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कितना धन सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया है, मंत्री जी कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी देने का कष्ट करें ।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : महोदय, यू० पी० के संदर्भ में मैंने पिछले दो साल के आंकड़े दे दिए हैं और उत्पादों के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान करीब 9.90 लाख रुपए की सहायता दी गई । वर्ष 1993-94 के दौरान फल तथा सब्जी उत्पादों के लिए 59 लाख रुपए तथा मीट उत्पादों के लिए 1.8 लाख रुपए दिए गए । इस प्रकार 1992-93 के दौरान कुल 60.80 लाख रुपए की सहायता दी गई । यू० पी० को मंत्रालय द्वारा यह सहायता दी गई ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल यहां पूछे थे, मुझे उनका उत्तर नहीं मिला । मेरे किसी प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया, मेरा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में स्पेसिफिक सवाल था ।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : यू० पी० सम्बन्धित आंकड़े मेरे पास पास नहीं हैं । मैं सारे देश से सम्बन्धित आंकड़े दे सकता हूं । अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं सूचना उपलब्ध करवा सकता हूं ।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भूसा निकालने वाली सिंगल मशीनों द्वारा चावलों की बड़ी मात्रा कार्य करने के समक्ष रखते हुए क्या सरकार असम में ऐसी सिंगल मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए राशि उपलब्ध करायेगी तथा क्या आधुनिकीकरण की कोई ऐसी योजना का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

श्री तरुण गोगोई : हां, महोदय, सिंगल मशीनों के आधुनिकीकरण की योजना है। वास्तव में हमने प्रत्येक मशीन के आधुनिकीकरण के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया है। पिछले दो वर्षों के दौरान हमने 1227 मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी है, जिनमें से 850 ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

[हिन्दी]

श्री बाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योगों के उन्नयन और स्थापना के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है, उसके नोर्म्स क्या हैं। यदि सहायता देने के लिए कोई नोर्म्स हैं तो वे स्पष्ट करें। इसके साथ ही, क्या यह सही है कि महाराष्ट्र की तरह राजस्थान के झालावाड़ जिले में भी बढ़िया किस्म के संतरे पैदा होते हैं और उस उद्योग को आपका मंत्रालय सहायता करे इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आपके पास भिजवाए जा चुके हैं लेकिन आपका विभाग किसी भी पिछड़े जिलों की प्रगति के लिए, उन्नयन के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं कर पा रहा है बल्कि उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मेरी मांग है कि कृपया सरकार का ध्यान तत्काल हमारे यहां झालावाड़ जिले में पैदा होने वाले बढ़िया किस्म के संतरों की ओर जाना चाहिए, सरकार उन संतरों को विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित करे, इसके लिए क्या आप वहां पर उत्पादकों को अनुदान या सहायता प्रदान करने पर विचार करेंगे। यह प्रश्न झालावाड़ के सम्बन्ध में पार्टिकूलरली मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : महोदय, हमने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जिनमें नियम भिन्न-भिन्न हैं जिनके अन्तर्गत हम सहकारी तथा स्वयंसेवी एजेंसियों के 50 प्रतिशत तक अनुदान देते हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों में 60 प्रतिशत तथा उत्तरी-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों अथवा आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों में हम 75 प्रतिशत तक अनुदान देते हैं। इसी प्रकार कुछ योजनाओं में हम इक्विटी भी देते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक है अनुदान, दूसरी है ईक्विटी। हम राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों तथा संयुक्त उद्यमों को 50 प्रतिशत ईक्विटी देते हैं। यहां तक निजी व्यक्तिगत उद्यमों को भी 15 प्रतिशत ईक्विटी देते हैं।

[हिन्दी]

श्री बाऊ दयाल जोशी : राज्य सरकार की तरफ से आपके मंत्रालय में प्रस्ताव आए हुए हैं, वे प्रस्ताव आपके मंत्रालय में मौजूद हैं। आप उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आप उन प्रस्तावों को दिखवा लीजिए।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अथवा नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि देश में फल और सब्जियों की प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिकीकरण, स्थापना तथा सुधार हेतु सहायता देने के लिए योजनायें बनाई गई हैं। अगर इस योजना उचित कार्यान्वयन हो तो यह पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। हमारे देश में उद्योगों के सबंध में क्षेत्रीय असन्तुलन व्याप्त है, इसमें कोई शंका नहीं। अगर हम उत्तर अथवा दक्षिण क्षेत्रों की बात करें तो वहां सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए प्रति इकाई लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर जाते हैं वहां कुछ ही उद्योग ऐसे हैं जिनमें अधिक पूंजी लगी है और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में वे इस संबंध में उपेक्षित अनुभव करते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देना चाहती हूं। हाल ही में हमने एक बैठक की थी जिसमें प्रो० कामसन—मेरे विचार से वह अभी यहां नहीं हैं—ने एक घटना का उल्लेख किया था, उन्होंने हमें यह बताया कि हर कोई जानता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूमिंग प्रणाली पर्यावरण का विनाश कर रही है और लोगों को फलों के वृक्ष लगाने तथा बाग लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन जब लोगों ने पांच वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद फल लगाए तो उनका कोई खरीददार नहीं था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वी क्षेत्र की जनता की क्रय शक्ति देश के अन्य भागों की जनता से कम है। अतः जिन किसानों ने बड़ी मेहनत कर यह उत्पादन किया अब वह यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इन उत्पादों के साथ क्या किया जाए। उन्होंने फलों का उत्पादन कर फिर से झूमिंग को अपना लिया था। यह देश के लिए बहुत हानिकारक था।

यदि माननीय मंत्री इसे उचित समझते हैं तो वह अधिक राशि दें और गरीब किसानों को इस दुर्दशा से बचाएं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वह इस तथ्य पर विचार करेंगे और उन क्षेत्रों में अधिक धन देने पर विचार करेंगे जहां पिछड़े तथा गरीब किसानों को ऐसी योजनाओं से लाभ मिल सकेगा।

श्री तरुण गगोई : महोदय, यह सत्य है कि पूर्वोत्तर राज्य में उपलब्ध साधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके द्वारा हम पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य सरकारों के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र अथवा सहकारिताओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों को 75 प्रतिशत तक इक्विटी अथवा अनुदान देंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सत्य है कि सिक्किम ने अभी तक कोई सहायता नहीं ली है। असम, नागालैंड और मिजोरम ने सहायता ली है। त्रिपुरा में भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा बजट में टैक्स हॉलीडे का भी प्रावधान है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।

श्री पीटर जी० मारबनिआंग : महोदय, मैं इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अति महत्वपूर्ण मंत्रालय मानता हूं। तथापि यह आश्चर्य की बात है कि यह मंत्रालय—यह यहां बताया गया है—किसी राज्य में उद्योग स्थापित नहीं करता है।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस मंत्रालय को उन क्षेत्रों विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पूर्वोत्तर भारत में मेघालय सरकार से ऐसी योजनाएं प्राप्त हुई हैं?

श्री तरुण गगोई : जहां तक मुझे याद है मुझे मेघालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे नागालैंड, मिजोरम और असम से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वास्तव में मैं पूर्वोत्तर राज्यों, अन्य पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं और इनकी निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रहा था।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरे विचार से यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें काफी संभावनाएं हैं। लेकिन माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण तथा फलों, सब्जियों मांस आदि के प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का प्रचलन बढ़ रहा है। क्या माननीय मंत्री और सरकार इस उद्योग की, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमताओं को देखते हुए राज्य सरकारों का आवाहन करेगी और एक विस्तृत राष्ट्रीय नीति बनाएगी ताकि इस उद्योग में बड़े पैमाने हर लघु और मध्यम उद्यमी आ सकें। सरकार को इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि इस उद्योग के विकास में सरकार सहायता करेगी।

श्री तरुण गगोई : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हम प्रारंभिक चरण में हैं। हम केवल 1 प्रतिशत फलों का ही प्रसंस्करण करते हैं जबकि थाइलैंड में 30 प्रतिशत, मलेशिया में 80% तथा अन्य अनेक देशों में 80% फलों का प्रसंस्करण किया जाता है। इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। यह सच है कि हमने अभी इसे प्रारम्भ किया है और यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगले माह मैं राज्य सरकारों की एक बैठक बुला रहा हूं क्योंकि राज्य सरकारों को इसमें शामिल करना आवश्यक है। उन्हें ही इसे क्रियान्वित करना है और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के बाद ही हम राष्ट्रीय नीति बनाएंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की योजना सरकार ने बनाई थी। लेकिन उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विदेशी कम्पनियों का आधिपत्य जमता जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत और ग्रामीण उद्योगों का पराभव हो रहा है। लोग बेकार होते जा रहे हैं, देश में दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है कि इन उद्योगों पर से बहुराष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियों का आधिपत्य समाप्त हो?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ अनेक भारतीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में आ गई हैं। यदि आप उद्यमों से संबंधित स्मरण पत्र देखें तो आप पाएंगे कि अनेक भारतीय कंपनियों ने इसमें निवेश करने का निर्णय लिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अतिरिक्त हम राष्ट्रीय कंपनियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अधिक प्रतियोगिता हो सके।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह उत्तर नहीं है । हम लोग गांव के हैं इसलिए हमें भुलाने का काम न करें ·· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री तरुण गगोई : महोदय, अनुवाद नहीं आ रहा है ।

श्री पी० सी० थामस : आप जानते हैं कि अनन्नास एक बहुत मीठा फल है । केरल में अनेक भागों में अनन्सास उगाया जाता है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अनन्नास उगाया जाता है । अनन्नास का उत्पादन बहुत बढ़ रहा है । केन्द्र सरकार ने अनन्नास के प्रसंस्करण के लिए कुछ कारखाने लगाने हेतु कुछ वित्तीय सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एक समझौता किया था । जबकि यह समझौता हुए एक वर्ष बीत गया है फिर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है । यह आशा करते हुए कि प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे, किसान नई प्रौद्योगिकी अर्थात् कम भूमि अधिक अनन्नास, अपनाते हुए इसका उत्पादन कर रहे हैं । लेकिन प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं ।

क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ केन्द्र सरकार ने एक वर्ष पहले जो समझौता किया था उसे लागू किया जाए और केरल को अथवा किसानों को सीधे ही धन दिया जाए ताकि वे सोसायटियां बना सकें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मुवतुपुजा अथवा केरल में अन्य किसी स्थान पर कुछ उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि अनन्नास उत्पादकों और विशेष रूप से किसानों को कोई रास्ता मिल जाए ।

श्री तरुण गगोई : महोदय, राज्य सरकार अथवा सहकारिताओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों से मिलने वाले किसी भी प्रस्ताव को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है । जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है हम उस पर विचार करते हैं । माननीय सदस्य ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्ताव की बात उठाई है, मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री श्रीकान्त जेना : फल प्रसंस्करण ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग है जिसके माध्यम से हम अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या आप चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर रहे हैं ताकि किसान और अन्य उद्यमी फलों का उत्पादन कर सकें ?

श्री तरुण गगोई : मेरा चीनी उद्योग से कोई संबंध नहीं है । खाद्य मंत्री का चीनी उद्योग से संबंध है ।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा विमान सेवा

*646. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया**† :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा कोई निजी विमान सेवा आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके लिए कितने विमान पट्टे पर लिए गये हैं, तथा उनके रख-रखाव के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यह सेवा कब से आरंभ कर दी जायेगी ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) मैसर्स एम०जी० एक्सप्रेस लिमिटेड और मैसर्स जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड ने अनिवासी भारतीयों के सहयोग से हवाई टैक्सी सेवाओं के प्रचालन के लिए अपने आवेदन-पत्र दिये हैं ।

मैसर्स एम० जी० एक्सप्रेस लिमिटेट का दो बी-737-200 विमानों को पट्टे पर लेने का विचार है । जबकि इनका नेमी रख-रखाव कम्पनी द्वारा ही किया जाएगा, तथापि, इन विमानों की प्रमुख जांच, ओवरहाल एवं अनुरक्षण लुफ्थांसा द्वारा किया जाएगा ।

मैसर्स जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड का चार बी-737-300 विमानों को पट्टे पर लेने का इरादा है । इन विमानों का रख-रखाव स्वयं कम्पनी द्वारा और मैसर्स एयरवर्क इंडिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा किया जाएगा ।

(ग) कम्पनियों द्वारा अपनी सेवा को शुरू किये जाने के बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है ।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ वर्ष पहले सरकार ने निजी विमान कंपनियों को एयर टैक्सी चलाने की छूट दी थी ? यदि हां तो उस छूट का ब्योरा क्या है और उड्डयन मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को पंजीकृत किया था ? मेरे प्रश्न का "ख" भाग यह है कि ये जो निजी विमान कम्पनियां अपनी सेवाएं आरम्भ करने वाली हैं, इनका आरम्भ करने का अनुमानित समय क्या है और इनके पट्टे का समय कितना निर्धारित किया गया है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय अध्यक्ष जी, यह एयर टैक्सी का सिलसिला 1986 से शुरू हुआ था और उस वक्त इसका अर्थ था टूरिज्म को बढ़ावा देना और जो हमारे पास जहाज थे, उनको और बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आया कर सकें तथा जो बाहर से टूरिस्ट आयें, वे हिन्दुस्तान की विभिन्न जगहों में पहुंच जायें । इसके साथ ही साथ यह सिलसिला आगे बढ़ता गया और 1989-90 में लिबरलाइजेशन की पालिसी बढ़ती गई । जिसके कारण तकरीबन कुल मिला कर अभी ऐसी 24 के करीब कम्पनियां हैं जिनको एन० ओ० सी० इशू किये जा रहे हैं और 12 अभी विमान चला रही हैं । जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है दो और एन० आर० आईज० कम्पनियां अभी कुछ दिनों के अन्दर जहाज चलायेंगी । अभी जहाज चलाने के 12 लोगों को जो सर्टिफिकेट दिये गये हैं उनमें से 12 एन० आर० आइज हैं और दो इंडियन कम्पनियां हैं ।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, निजी विमान कम्पनियों को सरकार क्या-क्या प्रोत्साहन दे रही है ताकि निजी विमान कंपनियां इस क्षेत्र में आयें और देश को अधिक लाभ मिल सके।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा जितने भी अभी जहाज चलाने के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनमें से 12 आलरेडी एग्जिस्टिंग हैं और वे एन० आर० आई० हैं। जहां तक फारेन इक्विटी का सम्बन्ध है, अभी किसी भी फारेन इक्विटी वाले को जहाज चलाने की परमिशन नहीं दी गई है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की निरन्तर बढ़ती संख्या को देखते हुए आप एयर इंडिया की सर्विस में कुछ सुधार करने का प्रयत्न करें। जिन विमान कंपनियों ने आपसे आवेदन करके अनुमति प्राप्त की है, उनकी सेवायें कब से प्रारम्भ हो जायेंगी? जिन 12 सेवाओं के बारे में बताया है, क्या वे अन्तर्देशीय सेवाओं के लिए हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए प्रयुक्त हो रही हैं? सामान्यतः उनके लिए क्या प्रावधान है?

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य से अभी तो एयर इण्डिया की स्ट्राइक चल रही है तो इस वक्त तो इम्प्रूव करने का सवाल पैदा नहीं होता है लेकिन जब हमारी स्ट्राइक खत्म होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी सर्विसेज में भी परिवर्तन लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इण्डियन एयरलाइंस की स्ट्राइक के बाद से आज मुझे बहुत खुशी है कि उसकी सर्विसेज में और आन टाइम परफोरमेंस में बहुत फायदा हुआ है और आज मेरे ख्याल से आन टाइम परफोरमेंस 85 के करीब है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सौ प्रतिशत के करीब पहुंच जायेंगे।

जहां तक लोकल सर्विसेज का सम्बन्ध है, उसमें भी केवल 2-3 महीनों में कुछ स्टेप्स लिये हैं, मीटिंग्स हमारी हुई हैं। डोमेस्टिक सर्विसेज में जो हमारे जहाज हैं, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हम उठा रहे हैं, चाहे वह खाने पीने के सम्बन्ध में हों या आन टाइम परफोरमेंस के संबंध में हों या जो कर्टसी पैसेंजर्स को दी जाती है, उस बारे में आने वाले कुछ महीनों में ही हमें लगता है कि बहुत परिवर्तन होगा।

जहां तक प्राइवेट एयरलाइंस का संबंध है, मैं इससे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि 12 कंपनियां पहले ही जहाज चला रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में 2-4 कंपनियां अपने जहाज और उड़ाएंगी।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : यह केवल अन्तर्देशीय सेवाएं देंगी या अन्तरदेशीय सेवाएं भी देंगी? क्या नियमों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : नहीं सर। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय लेविल पर सवाल है, वहां कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट होता है। वहां किसी एन० आर० आई० को या किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस को जहाज चलाने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री रवि राय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं इसलिए कि मंत्री महोदय ने बहुत कम दिन से इस मंत्रालय को संभाला है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार हमारे ट्रंक रूट्स में भी एन० आर० आई० और निजी एयर टैक्सी चलाने के लिए इजाजत दे रही

है, इससे क्या यह नहीं मानते हैं कि हमारे जो दो कारपोरेशंस हैं, उनको बहुत हानि पहुंचेगी ? इसके साथ मेरी जानकारी में है कि सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है कि सारे जो ईस्ट वेस्ट जैसे हैं और दूसरी एयर टैक्सीज हैं, उनको सारा रे दिया जाय ताकि यह कारपोरेशन भी न रहे एयर कारपोरेशन एक्ट को एमेण्ड न करके सरकार इस तरह से क्यों कर रही है ? मैं सरकार से गारण्टी लेना चाहता हूं कि ट्रंक रूट्स से एन० आर० आई० और निजी एयर टैक्सी को न देने का आश्वासन वह हाऊस को देंगे क्या ?

श्री गुलाम नबी आजाद : सर, मुझे बहुत अफसोस है, मैं माननीय सदस्य का बहुत आदर करता हूं, कि यह एक्सटेंसिव लिबरलाइजेशन जनता दल की सरकार ने किया।···

श्री रवि राय : मैं कह दूं कि वह भी गलती थी इसलिए आप उस गलती को बकाया रखेंगे ? यह कोई आन्सर हुआ ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। जब हमने 1986 में यह शुरू किया था तो उस वक्त हमारा मकसद सिर्फ यह था कि यह ट्रंक रूट्स पर नहीं चलें, सिर्फ छोटी-छोटी जगहों पर चलें और एयरक्राफ्ट का साइज भी हमने छोटा रखा था ताकि स्टेट कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिया जाए और ट्रंक रूट्स पर यह न चलें। लेकिन अप्रैल, 1990 में उस वक्त के सिविल एविएशन मंत्री ने एक स्टेटमेन्ट यहां पढ़ा और उस स्टेटमेण्ट के द्वारा जो तमाम रैस्ट्रिक-शंस हमने 1986 में लगाई थीं, वह तमाम रैस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटा दीं और आज जो सिस्टम चल रहा है, उन्हीं गाइडलाइंस के द्वारा वह सिस्टम अभी तक इस वक्त भी लागू है···

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मौलिक सवाल दूसरा है। चाहे एक मंत्री ने बयान दिया हो, चाहे दूसरे मंत्री ने लेकिन एयर कारपोरेशन एक्ट का वायलेशन है कि नहीं और क्या किसी मंत्री को यह अधिकार है कि पार्लियामेन्ट में आये बिना इस तरह से एयर कारपोरेशन एक्ट का वायलेशन करे ? बुनियादी सवाल तो यह है।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ मेरा यह कहना है कि मान लीजिए पूर्व सरकार के दरम्यान यह हुआ था तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब आप मानते हैं कि यह ठीक नहीं हुआ था तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं चन्द्रशेखर जी के प्रश्न का जवाब देता हूं। मैं इनसे सहमत हूं कि पार्लियामेंट में आए बगैर यह नहीं चल सकता था। केवल स्टेटमेंट से कानून नहीं बदला जा सकता था। पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए था और कानून को बदलना चाहिए था और उसके बाद यह चलना चाहिए था। हमारी सरकार जब आई, तो मेरे साथी, माधवराव सिंधिया जी ने आते ही इस पार्लियामेंट में एयर-कारपोरेशन का बिल रखा।··· (व्यवधान)···

श्री वसुदेव आचार्य : पास नहीं हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद : पास नहीं हो पाया। हम यहां इस सदन में आए, ताकि हम पार्लियामेंट की अनुमति ले लें और उसको रैगुलराइज करें। इस दफा भी, माननीय स्पीकर साहब, हमने लिखकर दिया है कि इस सैशन में एयर कारपोरेशन का बिल पास करना चाहिए, ताकि जो स्टेटमेंट मंत्री जी ने उस वक्त दिया था, उसको हम रैगुलराइज कर सकें।···(व्यवधान)···

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, ये मान रहे हैं कि यह गैर कानूनी था। आजाद जी मान रहे हैं, आपके समक्ष कि यह गैर कानूनी था और गैर कानूनी में तरमीम न करके लाए हैं, यह इन्होंने स्वीकार किया है कि यह गैर कानूनी था। पुरानी सरकार का गैर कानूनी था और प्रेजेंट सरकार इसको चला रही है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है। यह अधिनियम का खुला उल्लंघन है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह आप पर निर्भर करता है क्योंकि कोई अध्यादेश और अधिनियम नहीं है। आपको इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : वह अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। ऐसे मामले में जिसमें सरकार ने स्वयं माना है कि उन्होंने संसद के अधिनियम का उल्लंघन किया है क्या मन्त्री महोदय की इस टिप्पणी की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्या अध्यक्ष महोदय अथवा सभा को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस अपव्यय में एक मन्त्री अथवा अधिक मन्त्री शामिल हैं। यदि सरकार स्वीकार करती है कि उन्होंने अधिनियम विशेष के विरुद्ध कार्य किया है तो संसद का क्या दायित्व है? मैं इस मुद्दे पर आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, प्रश्नकाल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। दूसरे, आप मुझे बताएं कि संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष, सरकार को निदेश दे सकता है। तीसरे, यदि सभा किसी विषय के बारे में चिन्तित है तो आधे घण्टे की चर्चा की सूचना दी जा सकती है और इस पर आप चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह संसद द्वारा पारित अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने इसे स्वीकार किया है। (व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस : जब सरकार ने एयर लायन्स के लिए नीति अपनाने का निर्णय लिया, तो उसका एक उद्देश्य अपने ही देश में स्वस्थ प्रतियोगिता स्थापित करना था। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि कुछ प्राइवेट एयरलाइन्स जिन्होंने भारतीय आकाश में उड़ानें भरी हैं, उन्होंने एक बहुत स्वस्थ प्रतियोगिता दी है। लेकिन एक समस्या यह है कि ये प्राइवेट एयरलाइन्स केवल आर्थिक रूप से लाभजन्य क्षेत्रों में ही काम कर रही हैं जिससे कड़ी प्रतियोगिता उत्पन्न हो जायेगी। सरकार से मेरा प्रश्न है कि इन एयरलाइनों को लाभजन्य क्षेत्रों में उड़ान भरने की अनुमति देने के बाद क्या सरकार उन्हें निर्देश देगी कि वे अपनी उड़ानें ऐसे एयरपोर्ट पर भी भरें,

जहां ज्यादा लाभ नहीं है। इन्हें केवल लाभजन्य क्षेत्रों में ही उड़ानें नहीं भरनी चाहिए बल्कि उन्हें कम लाभजन्य क्षेत्रों में भी उड़ानें भरने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : ऐसा पहले से ही किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने गैर-कानूनी कार्य किया है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है तथा संसद की अवमानना करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। ऐसा हम करेंगे। लेकिन और भी गैर-कानूनी बात है। एयर टैक्सियों के रूप में अनुमति प्रदान की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एयरलाइन्स समयसारिणी छाप रहे हैं तथा एयर टैक्सियों के रूप में नहीं चल रहे। उनकी निर्धारित उड़ानें हैं। आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं। यह आपके दिशानिर्देश के विपरीत है।

मैं एयर कारपोरेशन एक्ट के बारे में फिर से कहना नहीं चाहता हूं। हम इसे बाद में देखेंगे। आपने अपने उत्तर में बताया है कि विदेशियों को देश में यात्रा करने के लिए भारतीय आकाश का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है।

आपके विचार में क्या ऐसी अनुमति विचाराधीन है तथा क्या आप किसी अन्य देश का उदाहरण देंगे जो कि अपने देश में विदेशियों को अपने देश में यात्रा करने के लिए अपने आकाश का इस्तेमाल करने की अनुमति देता हो?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि मेरे अनुदेशों पर नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने हाल ही में, सभी प्राइवेट एयरलाइनों को अपनी सेवाओं की किसी सूची को न छापने के लिए लिख दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे इसे समाचारपत्रों में छाप रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक प्रश्न के दूसरे हिस्से का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी विदेशी एयरलाइन्स को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है तथा कोई परमिट या कोई 'एन० ओ० सी०' (कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र) जारी नहीं किया गया है। जहां तक एन० ओ० सी० जारी करने का संबंध है, यह केवल अप्रवासी भारतीयों को, बिना किसी विदेशी ईक्विटी के अनुमति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक !

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने प्रश्न के अन्तिम हिस्से का उत्तर नहीं दिया है, क्या कोई ऐसा देश है जिसने विदेशियों को अपने आकाश इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं केवल अपने देश के बारे में कह सकता हूं लेकिन अन्य देशों के बारे में नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं जैसे सब सदस्यों ने अपनी अभिव्यक्ति की कि ट्रंक रूट्स पर प्राइवेट कम्पनी की एयर-बसिस और एयर-क्राफ्ट पैसेंजर्स को लेकर चलते हैं। जब इण्डियन एयरलाइंस की आज से ढाई महीने पहले हड़ताल

थी, तब क्या मन्त्री जी यह जानते हैं कि ईस्ट-वेस्ट कम्पनी ने पैसेंजर्स किराए में बढ़ोतरी की। हां, अगर की तो उसकी परमीशन किसने दी, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं और दी तो क्यों दी ? उसके मालिक कौन हैं, ईस्ट-वेस्ट कम्पनी के आवेदनकर्त्ता कौन हैं यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

श्री शंकर सिंह वाघेला : कम्पनी का महानिदेशक तथा मालिक कौन है ?

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : मान्यवर, जहां तक बढ़ोतरी का सवाल है फिर मेरे साथी हमारे साथ नाराज हो जाएंगे । जब हमने 1986 में गाइडलाइन्स बनाई थी उस वक्त हमने कहा था कि जो भी हमारे एयरलाइन्स किराए पर होंगे वही उनके भी किराए होंगे, लेकिन उस वक्त सदन में जो स्टेटमेंट दी गई थी उस वक्त भी यह रेस्ट्रीक्शन हटा दी गई थी ।···(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : एक निजी कम्पनी को देश को लूटने का अधिकार नहीं दिया जाता । (व्यवधान) अहमदाबाद, बम्बई का किराया हजार रुपए था उन्होंने 1400 कर दिया । यह फैक्ट है ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह ठीक या गलत । आप बताइये ।(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं है । मैं मालूम करके आपको बता दूंगा, अगर कोई ऐसा केस आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा । (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मान्यवर, तीन महीने तक उन्होंने किराया बढ़ाया । (व्यवधान) हमारे पास इनफोरमेशन है कि उनके मालिक देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं ।

गुजरात में विद्युत परियोजनाएं

*647. **श्री काशीराम राणा**† :
श्री महेश कनोडिया :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन और कलपुर्जों की अनुपलब्धता के कारण गुजरात में कुछ विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किये जायेंगे ?

[अनुवाद]

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) निधियों एवं मशीनरी की अनुपलब्धता के कारण गुजरात की कुछेक विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ

है। जिन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है इनमें कच्छ लिग्नाइट विस्तार-3 (70 मे०वा०), कादाना चरण-2 जल विद्युत परियोजना (2 × 60 = 120 मेगावाट) और सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना (6 × 200 + 5 × 50 = 1450 मे०वा०) शामिल हैं।

राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की सघन मानीटरिंग की जा रही है और बाधाओं को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर में कहा है कि गुजरात में तीन विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। गुजरात आज करीब हजार से ग्यारह सौ मेगावाट की विद्युत की भारी कमी महसूस कर रहा है। इसकी वजह से आज गुजरात के उद्योग बन्द होने जा रहे हैं। इन उद्योगों को सब्सिडी मिली है लेकिन विद्युत कनैक्शन न मिलने की वजह से वह उद्योग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं सरकार की ओर से भी गुजरात के पावर स्टेशनों के लिए न तो कोई लिंकेज मिल रहा है, न जरूरी गैस का एलोकेशन हो रहा है।

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो तीन विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है तो उसके लिए कौन से कदम सरकार उठाने जा रही है और कितना विलम्ब हुआ है और वे परियोजनाएं कब पूरा होने जा रही हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रथम मुद्दे के बारे में गुजरात में 31-3-1993 तक विद्युत का उत्पादन 24,539 मिलियन यूनिट हुआ जबकि इसका लक्ष्य 24,100 मिलियन यूनिट था जो कि 439 मिलियन यूनिट अधिक है। इस समय केवल 3 प्रतिशत ऊर्जा की कमी है तथा अधिकतम खपत के दौरान यह कमी 19.2 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

इस समय औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कृषि संबंधी उपभोक्ताओं के लिए इसकी पूर्ति प्रतिदिन 20 घंटे तक की गई है। जहां तक इन परियोजनाओं में देरी का सम्बन्ध है सभी तीन परियोजनाएं राज्य क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। इन तीनों परियोजनाओं में देरी या तो धन की कमी या मशीनरी उपलब्ध न होने के कारण हुई है। कच्छ लिग्नाइट परियोजना को यद्यपि 1988 में मंजूरी दी गई थी, गुजरात सरकार द्वारा दिसम्बर, 1992 तक इस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया। मुख्य प्लांट उपकरण के लिए आर्डर अभी जाने हैं। इस परियोजना को चालू करने की कोई तारीख देनी अभी संभव नहीं है।

कादना चरण-II में, 120 मेगावाट के उत्पादन के लिए, 113 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए 1989-90 तथा 1990-91 में दो जेनरेटर पहले ही लगाये जा चुके हैं। इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए जिसमें 60-60 मेगावाट के दो जैनरेटर लगाये जाएंगे, के लिए भारत में या विदेशों से कुछ संसाधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

सरदार सरोवर परियोजना, तीसरी ऐसी परियोजना है, जिसमें हमने विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के 300 मिलियन डालर का 40 प्रतिशत तथा ओ०ई०सी०एफ० के 24,646 मिलियन डालर

का 11 प्रतिशत पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक से ऋण न लेने का निर्णय लिया है तथा इसे रद्द कर दिया है। ओ० ई० सी० एफ० ने भी अपना ऋण रद्द कर दिया है। देरी का एक कारण कुछ राज्यों को देरी से किए गए भुगतान हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात सरकार के अलावा तीन अन्य सरकारों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त क्षेत्र की परियोजना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान द्वारा 640 करोड़ रुपये दिये जाने थे जबकि अभी तक सरदार सरोवर निगम को केवल 338 करोड़ रुपये दिये गये हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मैंने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गुजरात की विद्युत परियोजनाओं के लिए, पर्याप्त गैस की आपूर्ति के लिए, गुजरात सरकार की मांग पर विचार करेगी तथा भारत सरकार द्वारा इन दो परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी लगाने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : ये तीन परियोजनाएं गैस पर आधारित परियोजनाएं नहीं हैं। इनमें से एक लिग्नाइट पर आधारित परियोजना है तथा अन्य दो पन-बिजली परियोजनाएं हैं। गैस से संबंधित प्रश्न के बारे में, यह प्रश्न पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए न कि विद्युत मंत्रालय से, क्योंकि हमारे पास गुजरात को गैस की आपूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये विद्युत परियोजनायें गुजरात में कब से पैण्डिंग पड़ी हैं। इसके चालू होने में कितना समय लगेगा और हर वर्ष धन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इसके कल-पुर्जे नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में दे चुका हूं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने ध्यान दिया था अथवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : आप फिर से दोहराएं।

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : यदि मैं इसे दोहराता हूं तो इससे समय बेकार होगा। यदि अध्यक्ष महोदय चाहते हैं तो मैं इसे दोहराऊंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : लास्ट क्वश्चन का जवाब नहीं मिला है···

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : अन्तिम प्रश्न क्या है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिखित में भेज सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री दिलीपभाई संघाणी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में जहां गैस निकलता है, ये तीन परियोजनाएं गैस पर आधारित नहीं हैं। फिर भी पीपावाव गैस आधारित परियोजना है। इस परियोजना के संबंध में गुजरात के मुख्य मन्त्री जी को केन्द्रीय सरकार पर जो जोर देना चाहिये था, वह नहीं दिया है फिर भी हम सब एम० पीज ने सरकार से मिलकर बात की है कि सरकार को इसकी मंजूरी देने में क्या एतराज है और गुजरात सरकार ने गैस आधारित परियोजनायें यहां भेजी है, वे कब से लम्बित हैं तथा उन पर कब मंजूरी देने वाली हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी मिनिस्ट्री का सवाल है। यह उन्होंने पहले कह दिया है। क्या आप उत्तर देना चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे गुजरात में विद्युत की इतनी तकलीफ है कि हमारे किसान खेती नहीं कर सकते हैं, हमारे उद्योग सफर कर रहे हैं और सरकार बोलती है कि हमारे पास फण्ड नहीं है, इसलिए हम योजना शुरू नहीं कर सकते हैं। फण्ड कलेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ? क्या गुजरात के लोगों से फण्ड मांगे हैं ? लोग करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो सारी योजनाओं के लिए गुजरात के किसानों, उद्योगपतियों से पैसा ले सकते हैं। क्या आपने उद्योगपतियों से, किसानों के नेताओं के साथ या सरकार के साथ कोई मीटिंग की है, यदि हां तो क्या कदम उठाना चाहते हैं ? क्या गुजरात में जल्दी से जल्दी परियोजना शुरू करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय गुजरात में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कृषि संबंधी उपभोक्ता प्रतिदिन 20 घंटे बिजली प्राप्त कर रहे हैं। यह अखिल भारतीय औसत से बहुत अधिक है। विद्युत आपूर्ति में वृद्धि के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात के लिए तीन केन्द्रीय परियोजनाएं 222 मेगावाट की कवास स्टेज II, गुनहार 648 मेगावाट तथा काकरपारा स्टेज II 220 मेगावाट की, परमाणु विद्युत केन्द्र शुरू की गई हैं।

इन प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के सम्बन्ध में, मेरा यह निवेदन है कि कि गुजरात सरकार को या तो कुछ प्राइवेट पार्टियों के साथ या अप्रवासी भारतीयों के साथ अथवा अन्य निवेशकर्ताओं के साथ बातचीत करके विद्युत मंत्रालय को विस्तृत प्रस्ताव भेजने हैं। हम उन प्रस्तावों पर विचार करके अवश्य ही आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

श्री हरिभाई पटेल : महोदय, मन्त्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया है कि काम्बला की 'टाईडल-वेव' विद्युत परियोजना कार्य करेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह गैर-परम्परागत ऊर्जा से संबंधित है।

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : जी हां, महोदय, यह गैर-परम्परा ऊर्जा से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 3 परियोजनाओं के लिए कहा कि क्रियान्वित नहीं हो पायी हैं। पीपराव, उतरान, जिला सूरत ए० ई० सी०/ हजारी काकरापार (इ० टी० सी०) क्रियान्वित नहीं हो पायी हैं। ये क्यों नहीं हो पायी हैं? सरदार सरोवर प्रॉजेक्ट को जापान और विश्व बैंक से लोन मिलने वाला था लेकिन वह बंद कर दिया गया। क्या प्राइवेट इंटरप्राईसेज से या एन० आर० आईज से—जैसा कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको इनवाइट करके पैसा लिया जायेगा और ये प्रॉजेक्ट्स पूरे किये जायेंगे? आपने तो 3 योजनाओं के नाम लिये हैं, लेकिन ऐसी 10 परियोजनायें हैं जिनके नाम नहीं दिए हैं। वे कौन-कौन-सी हैं और आठवीं योजना में कब तक पूरा कर रहे हैं या सरदार सरोवर प्रॉजेक्ट को प्राइवेटाइजेशन करके पूरा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह काम गुजरात सरकार का है कि वह इन परियोजनाओं के लिए वित्त संबंधी संभावनाओं का पता लगाए तथा प्रस्ताव प्राप्त करे। केवल तभी, भारत सरकार इस पर कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि तीन परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं और इन तीन परियोजनाओं में विलंब के कारण कितना घाटा हुआ है और इस घाटे को आप मुनाफे में कैसे बदलने वाले हैं यह मैं जानना चाहता हूं। अभी आपने बताया कि 20 घंटे बिजली मिलती है, यह बात गलत है। 20 घंटे बिजली नहीं मिलती है। 20 घंटे बिजली मिल जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा, राम-राज्य आ जाएगा अगर 20 घंटे बिजली मिल जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 20 घंटे बिजली आप दे दें तो देश में राम राज्य आ जाएगा।...(व्यवधान)...

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

फार्मास्यूटिकलों और रसायनों का निर्यात

*501. श्री जी० एम० सी० बालयोगी :
　　श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत से निर्यात किए जाने वाले फार्मास्यूटिकलों और रसायनों पर से शुल्क मुक्त लाभ समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अमरीका की इस कार्यवाही से भारत वरीयता संबंधी सामान्यीकृत व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त शुल्क मुक्त आयात संबंधी विशेषाधिकारों से वंचित हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे हमारे निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) 29 अप्रैल, 1992 को अमरीका सरकार ने भारत से भेषजीय एवं रासायनिक पदार्थों के निर्यातों को जी एस पी के तहत मिलने वाला शुल्क मुक्त व्यवहार समाप्त कर दिया है । इस कार्यवाही का कारण भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण की कमी होना बताया गया है । इस कार्यवाही के फलस्वरूप भारत से अमरीका को इन उत्पादों के निर्यातों को सामान्य परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) टैरिफ प्राप्त होगा । निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि इन उत्पादों का हमारे निर्यात पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

चैक तथा स्लोवाक गणराज्यों के साथ व्यापार

***502. श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चैक तथा स्लोवाक गणराज्यों के साथ व्यापार बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने किन-किन क्षेत्रों का चयन किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां । दिनांक 1-1-1993 से चैकोस्लोवाकिया के दो गणराज्यों में विभक्त हो जाने के बाद सरकार उत्तराधिकारी राज्यों के साथ बातचीत करके इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है । इस उद्देश्य से एक भारतीय व्यापार एवं आर्थिक प्रतिनिधि मंडल ने मार्च, 1993 में चैक एवं स्लोवाक गणराज्यों का दौरा किया तथा दुर्लभ मुद्रा में व्यापार के लिए नए करार किए और साथ ही चैक/स्लोवाक गणराज्यों के पक्ष में रुपया-शेष के परिसमापन संबंधी संलेखों पर हस्ताक्षर किए । नई बैंकिंग व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर करने पर तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया । चैक वाणिज्य मंत्री श्री व्लादीमीर ड्लोही के नेतृत्व में एक चैक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया और 15 मार्च को नए व्यापार एवं भुगतान करार पर हस्ताक्षर किए जिनमें दुर्लभ मुद्रा में व्यापार, प्रति व्यापार तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के संवर्धन की व्यवस्था है । आर्थिक सहयोग की इस व्यवस्था में संयुक्त उद्यम, प्रशिक्षण तथा उद्यमों के बीच सीधे संपर्क की बात शामिल है । चैक/स्लोवाक पक्षों की ओर जो रुपया शेष है उसके परिसमापन संबंधी संलेख पर भी हस्ताक्षर किए गए तथा इसके अनुसार मौजूदा रुपया शेष के परिसमापन के लिए दिनांक 31-12-92 से पहले की पुरानी संविदाओं के आधार पर जिन रुपया निधियों के अर्जन की आशा है, उसके बारे में भारत से 7000 मिलियन रुपए मूल्य के निर्यात की संकल्पना है । स्लोवाक गणराज्य के साथ संलेख पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है ।

(ग) इन देशों के साथ सहयोग के लिए जो क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं उनमें शामिल हैं— संयुक्त उद्यम, संयुक्त व्यापार संगठनों सहित संयुक्त उत्पादन । भारतीय विशेषज्ञता का भागीदारी

द्वारा लाभ जो विशेषकर प्रबन्धन एवं विदेश व्यापार, प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में होगा। इन उपायों से चैक और स्लोवाक गणराज्यों के साथ व्यापार में वृद्धि होने की आशा है।

विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन न किया जाना

*503. **श्री जी० देवराय नायक :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत विदेशी बैंक बचत बैंक खाता धारकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ विदेशी बैंक बचत बैंक खाता धारकों को खाते में कम से कम 10,000 रुपये की राशि रखने अथवा राशि कम होने पर हर्जाना देने को कह रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों को केवल बचत बैंक खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर और उस पर दिये जाने वाले ब्याज की गणना के बारे में निर्देश/अनुदेश जारी किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि विदेशी बैंक इन निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विदेशी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को तकनीकी रूप से बेहतर सेवा प्रदान किए जाने के कारण उन्होंने बचत बैंक खातों में उच्च न्यूनतम बकाया राशि की शर्त रखी है और यदि निर्धारित न्यूनतम बकाया को नहीं बनाए रखा जाता है तो वे उस पर सेवा प्रभार लगाते हैं। भारतीय बैंक संघ ने कहा है कि बचत बैंक खातों में न्यूनतम बकाया राशि के बारे में बैंक अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जीवन बीमा निगम की आवासीय योजनाएं

*504. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र में शुरू की गई आवासीय योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने बोरिवली, बम्बई (महाराष्ट्र) में एक आवास-योजना आरम्भ की है जिसमें पालिसी धारकों के लिए 1538 फ्लैट होंगे। इन फ्लैटों का निर्माण

1971 में आरम्भ किया गया था और 1975 में पूर्ण हुआ था। जीवन बीमा निगम की महाराष्ट्र में पालिसी धारकों के लिए कोई अन्य आवास-योजना नहीं है।

बैंक ऋणों का वसूल न किया जाना

*505. श्री नीतीश कुमार :

श्री संजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की बहुत बड़ी धनराशि को वसूल न किये जा सकने के कारण बट्टे खाते डाल दिया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बैंकों को धन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम धनराशि के ऋण दिये गये हैं;

(घ) क्या बैंकों ने सरकार से कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली न होने के कारण एक बड़ी ऋण राशि को बट्टे-खाते डाला गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूंजी निधियों को अपनी-अपनी जोखिम वाली आस्तियों की तुलना में बनाए रखने से संबंधित अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी अपेक्षित होगी। 1992-93 में, सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 700 करोड़ रुपये की राशि का योगदान किया है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1993-94 के बजट में भी 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

*506. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास वर्ष 1991-92 के दौरान जमा राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बैंक के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु जर्मनी की वित्तीय संस्थाओं से बातचीत चल रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान इस बैंक को कितनी ब्याज रहित धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) अपने संवितरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिडबी ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बाहरी एजेंसियों से ऋण श्रृंखला, आई० डी० बी० आई० से ऋण और अन्य बाजार उधारों जैसे विभिन्न स्रोतों से 1168.8 करोड़ रुपए जुटाए थे। निधियों की बकाया आवश्यकताओं को आंतरिक रूप से जुटाई गई निधियों से पूरा किया गया, जो अधिकांशतः पिछले ऋणों की वापसी अदायगियां थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान सिडबी को 19.9 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया था।

गुजरात को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता

*507. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर दी गई कुल सहायता का कितना प्रतिशत गुजरात को उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या इस सहायता से रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), पुनर्वित्त की विभिन्न योजनाओं के तहत तथा अपनी विभिन्न बिल वित्त एवं प्रत्यक्ष वित्त पोषण योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य को सिडबी द्वारा स्वीकृत कुल सहायता तथा उसी अवधि के दौरान अखिल भारत स्तर पर सिडबी द्वारा स्वीकृत कुल सहायता में से गुजरात को प्राप्त हिस्से की प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है :

	स्वीकृतियां	अखिल भारत योग की तुलना में प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए में)
1990-91	310.00	13%
1991-92	418.27	14%

(ग) गत दो वर्षों (31-3-1962 को समाप्त) के दौरान सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल सहायता से 12,400 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश किए जाने का अनुमान है और इससे 31 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गुजरात में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता से कुल 1400 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और इससे 3.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

*508. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का और अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति (1992-97) के तहत सभी उपभोक्ता वस्तुओं का तब तक मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, जब तक कि उन्हें आयातों की नकारात्मक सूची में विशेष रूप से सूचीबद्ध न किया गया हो।

उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

चांदी का आयात और तस्करी

*509. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी के आयात के संबंध में नई नीति की घोषणा के बाद चांदी के मूल्य में भारी गिरावट आई है;

(ख) क्या इससे चांदी की तस्करी के मामलों में भी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो चांदी के मूल्य में और तस्करी में अलग-अलग कितने प्रतिशत कमी आई है, जनवरी, 1993 के बाद चांदी की तस्करी के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार चांदी की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) फरवरी और मार्च, 1993 के विभिन्न दिनों को घरेलू बाजार में चांदी का मूल्य नीचे दिए गए अनुसार रहा है—

तारीख	चांदी का प्रति किलोग्राम मूल्य
5-2-1993	6,800
10-2-1993	5,900
28-2-1993	5,490
15-3-1993	5,500
21-3-1993	5,525

इन आंकड़ों से पता चलता है कि 9-2-1993 से चांदी के आयात के संबंध में नई नीति की घोषणा किए जाने के पश्चात् चांदी के मूल्य में कमी आई है । यह कमी लगभग 14.21 प्रतिशत के बराबर है ।

चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, अतः ऐसी तस्करी में हुई कमी और कमी की प्रतिशतता का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है ।

(घ) तस्करी-रोधी एजेन्सियां चांदी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी के प्रति सतर्क हैं । धातु-खोजी यंत्रों और एक्स-रे असबाब मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है । तस्करी का पता लगाने तथा इसकी रोकथाम में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है ।

काला धन

*510. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन को बाहर निकालने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(घ) इस धनराशि का उपयोग किस हेतु करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981 में स्पेशल बियरर बांड स्कीम विशेष रूप से काले धन को जुटाने और इसे उत्पादनकारी प्रयोजनों में लगाने के लिए आरम्भ की गई थी। 1991 में राष्ट्रीय आवास बैंक स्कीम को अधिसूचित किया गया जिसका उद्देश्य मलिन बस्तियों की सफाई और कम लागत वाले आवास जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काले धन को जुटाकर इसका उपयोग किया जाना था।

(ग) बियरर बांड स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त राशि 964.26 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय आवास बैंक स्कीम के अन्तर्गत 31-01-1992 तक जमा कराई गई कुल राशि 153.8 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत कोई विदेशी मुद्रा संग्रहीत नहीं की गई।

(घ) स्पेशल बियरर बांड और राष्ट्रीय आवास बैंक के अन्तर्गत प्राप्त राशियों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए इनका उपयोग किया जाना था।

[अनुवाद]

अमरीकी के व्यवसायियों से निवेश प्रस्ताव

*511. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान अमरीकी के व्यवसायियों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक उद्योग-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) अमरीकी तथा भारत में निवेश करने के इच्छुक अन्य विदेशी निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारत में संयुक्त उद्यमों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के लिए अमरीकी कंपनियों से प्राप्त 168 प्रस्तावों को वर्ष 1992 के दौरान एवं फरवरी, 1993 तक स्वीकृत किया गया है। इन प्रस्तावों में कुल 270908.00 लाख रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना की गई है। इन प्रस्तावों में वित्तीय उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिकी रसायनों, औद्योगिक मशीनरी एवं अन्य इंजीनियरी का सामान, विद्युत रिफाइनरी तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों, खाद्य संसाधन उद्योगों, टैक्सटाइल सॉफ्टवेअर, सिरेमिकी, परामर्शदात्री सेवाएं, रेस्तरां आदि जैसे क्षेत्रों में बहुत से उत्पाद शामिल हैं।

(ग) सदन में सभा पटल पर 24 जुलाई, 1991 को रखा गया औद्योगिक नीति संबंधी विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न उपायों के बारे में स्पष्ट करता है।

जब भी अलग-अलग उद्यमियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं/कठिनाइयों, यदि कोई हों, को सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सरकार इन्हें दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करती है।

पारादीप पत्तन

*512. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन के विकास हेतु 1991-92, 1992-93 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस पत्तन में क्या विशेष विकास कार्य हुए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पारादीप पत्तन के विकास के लिए सम्बन्धित वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि इस प्रकार है—

1991-92	39.80 करोड़ रु०
1992-93	67.00 करोड़ रु०
1993-94	75.00 करोड़ रु० (अन्तरिम)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किए गए हैं—

(1) एक बहुउद्देशीय बर्थ पूरी कर ली गई है।

(2) साउथ क्वे का विस्तार पूरा कर लिया गया है।

(3) एक्सचेंज यार्ड में दो अतिरिक्त लाइनों से सम्बन्धित कार्य पूरा कर लिया गया है।

(4) नार्थ क्वे के सामानान्तर रेलवे लाइन (लम्बाई 1000 मीटर) का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(5) दूसरी बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ का निर्माण प्रगति पर है और दिसम्बर, 1995 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(6) एकीकृत मत्स्य बंदरगाह पर कार्य प्रगति पर है और 1994 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों पर यातायात

*513. श्री सूरजभानु सोलंकी :
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान कुछ प्रमुख पत्तनों पर यातायात में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में यातायात संचालन के लिए पत्तन-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा वास्तव में संचालित यातायात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आठवीं योजना के लिए गठित कार्य दल ने 1989 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1994-95 तक महापत्तनों पर यातायात के निम्नलिखित लक्ष्य होंगे—

पत्तन	मिलियन (टन)
कलकत्ता	5.77
हल्दिया डाक	14.46
पारादीप	21.56
विशाखापत्तनम	24.81
मद्रास	32.22
तूतीकोरिन	8.31
कोचीन	12.11
न्यू मंगलौर	14.69
मुरगांव	17.58
बम्बई	26.27
कांडला	24.65
जवाहर लाल नेहरू	9.95

विवरण

(मिलियनटन)

क्र० सं०	पत्तन	1985-86		1986-87	
		लक्ष्य	वास्तव में हैंडल किया गया	लक्ष्य	वास्तव में हैंडल किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	कलकत्ता	12.57	12.13	12 65	12.00
2.	पारादीप	3.79	3.33	4.55	4.85
3.	विशाखापत्तनम	15.65	15.91	15.60	15.04
4.	मद्रास	14.94	18.15	19.45	19.77
5.	टूटीकोरिन	6.65	4.23	4.85	4.15
6.	कोचीन	7.35	5.10	6.50	6.80
7.	न्यू मंगलूर	5.19	3.69	3.35	5.43
8.	मोरमुगांव	15.81	16.10	15.95	14.92
9.	जवाहर लाल नेहरू	—	—	—	—
10.	बंबई	25.94	24.92	23.25	25.06
11.	कांडला	18.26	16.40	15.60	16.19
	कुल :	126.15	120.04	121.75	124.21

(मिलियनटन)

क्र० सं०	पत्तन	1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	वास्तव में हैंडल किया गया	लक्ष्य	वास्तव में हैंडल किया गया	लक्ष्य	वास्तव में हैंडल किया गया
1	2	7	8	9	10	11	12
1.	कलकत्ता	13.37	13.07	12.78	14.22	15.12	14.45
2.	पारादीप	5.11	5.19	5.00	6.03	6.40	6.18
3.	विशाखापत्तनम	15.45	15.37	15.10	20.37	18.70	21.12
4.	मद्रास	17.18	22.90	17.27	23.86	23.94	23.94
5.	टूटीकोरिन	4.19	4.26	4.30	5.14	4.23	5.32
6.	कोचीन	6.10	6.82	6.97	7.83	7.92	7.12
7.	न्यू मंगलूर	6.37	6.11	6.03	7.08	7.04	7.66
8.	मोरमुगांव	14.87	13.33	15.39	15.39	15.69	14.17
9.	जवाहर लाल नेहरू	—	—	—	—	2.71	0.70
10.	बंबई	24.43	28.65	27.87	28.70	25.89	28.55
11.	कांडला	16.01	18.08	17.44	17.81	18.36	18.93
	कुल	123.08	133.78	128.15	146.43	146.00	148.14

[अनुवाद]

फिल्म यूनिटों को विदेशी मुद्रा

*514 डा० रमेश चन्द्र तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से बाहर जाने वाली फिल्म यूनिटों को स्वीकृत की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन यूनिटों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया; और

(ग) फिल्म यूनिटों को विदेशी मुद्रा की निकासी से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1990, 1990 और 1992) के दौरान, विदेशों में लोकेशनों पर फिल्मों की शूटिंग के लिए भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए लगभग 5,23,190 अमेरिकी डालर की कुल राशि जारी किए जाने के लिए मंजूर की गई थी। लेकिन, उनके द्वारा उपयोग में लाई गई विदेशी मुद्रा की राशि के आंकड़े सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ऐसा करना आवश्यक नहीं है चूंकि यह विदेशी मुद्रा इस आधार पर जारी की जाती है कि फिल्मी निर्माता विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तन के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्यावर्तन की राशि, उस निर्माता को जारी की गई राशि से दुगुनी जमा वह समकक्ष राशि होगी जो फिल्मी दल की आने जाने की यात्रा के लिए उसके द्वारा खर्च की जाएगी, इससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेशों में फिल्मों की शूटिंग पर विदेशी मुद्रा की कोई निकासी नहीं हो रही है।

रबड़ का उत्पादन

*515. श्री पाइल जॉन अंजलोस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से केरल में, रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 1993-94 के दौरान कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विश्व बैंक ने देश में रबड़ बागानों के भावी विकास के लिए 92 मिलियन अमरीकी डालर [विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) 66.4 मिलियन] के बराबर अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई डी ए) ऋण की सहायता की पेशकश की है। इस बारे में विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच किसी अन्तिम करार पर हस्ताक्षर होने तक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई हैं—

(1) केरल तथा तमिलनाडु के परम्परागत रबड़ उपजकर्ता क्षेत्रों में 40,000 हेक्टेयर भूक्षेत्र में पुराने और कम पैदावार रबड़ इलाकों में पुनर्रोपण।

(2) केरल तथा तमिलनाडु में 23,000 हेक्टेयर, त्रिपुरा में 5,000 हेक्टेयर और 2,000 हेक्टेयर अन्य चुनिन्दा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में—कुल मिलाकर 30,000 हेक्टेयर भूक्षेत्र में नया रोपण।

(3) परम्परागत क्षेत्रों में लघु जोतों के 60,000 हेक्टेयर परिपक्व क्षेत्र में पैदावार में वृद्धि करना। यह कार्य कृषि-प्रबंधन और दोहन के उन्नत तरीके (उर्वरक का भेदमूलक प्रयोग, पौध संरक्षण, वैज्ञानिक ढंग से टैपिंग, अधिक वर्षा से बचाव, अपेक्षतया पुराने वृक्षों पर पैदावार का रासायनिक उत्तेजन) अपनाकर किया जाएगा।

(4) विस्तारित और उन्नत प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना।

(5) रबड़ बोर्ड को उसके अनुसंधान, प्रसार, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता और परियोजना समन्वय कार्यों के लिए संस्थागत सहायता।

(6) इस कार्य में सहभागी जनता में शामिल महिलाओं तथा आदिवासी लोगों का विकास—विशेष रूप से त्रिपुरा में।

ऋण और वित्तीय घाटे की अधिकतम सीमा

*516. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा ऋण और वित्तीय घाटे की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में कमी हुई है जिससे कुछ उद्योगों में मंदी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रभावित उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ इन शर्तों पर पुनः विचार-विमर्श करने का है ?

वित्तीय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक मंदी, वर्ष 1991 के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, जो कि जुलाई, 1991 में पेश किए गए बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने और धन आपूर्ति की संवृद्धि को सीमित करने के बारे में शुरू की गई नीतियों से बहुत पहले हो गई थी। तब से लेकर उद्योग के विकास निष्पादन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। औद्योगिक विकास में, जो वर्ष 1991-92 के दौरान थोड़ा-सा नकारात्मक रहा था, वर्ष 1992-93 के दौरान 4 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, जिसके द्वारा राजकोषीय घाटे में काफी कमी होगी और धन आपूर्ति में समृद्धि दिखाई देगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अफीम की फसल को नुकसान

*517. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से अफीम की लाखों रुपये मूल्य की फसल को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश और राजस्थान के पोस्त के काश्तकारों से काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने शीत लहर और ओलावृष्टि के कारण अपनी पोस्त की फसल को क्षति पहुंचने के बारे में सूचित किया है। नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में पोस्त की फसल को हुई क्षति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए विशेष जांच दल भेजे गए हैं। तथापि, क्षति की मात्रा के बारे में अन्दाजा लांसिंग और तुलाई संबंधी संकार्यों के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

***518. श्री ललित उरांव :**
श्री रमेश चेन्नीतला :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रखरखाव/विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ख) राज्य सरकारों ने राज्य-वार उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया और कितनी धनराशि लौटाई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई वास्तविक धनराशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न (विवरण I और II) है।

विवरण-I

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1989-90		1990-91		1991-92	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1225.67	1308.33	1328.28	1350.56	1279.42	1345.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.50	38.09	50.88	36.27	84.36	94.32
3.	आसाम	588.88	683.70	959.38	986.64	1018.09	1080.10
4.	बिहार	981.90	974.75	1148.83	1147.50	1012.30	1083.73
5.	चंडीगढ़	13.00	12.93	11.55	11.56	16.00	11.87
6.	दिल्ली	97.53	190.22	125.16	127.76	163.00	211.73
7.	गोवा	265.71	237.20	215.87	218.87	191.97	190.04
8.	गुजरात	824.67	1107.81	1043.02	1335.37	918.89	1004.16
9.	हरियाणा	297.90	289.67	252.67	254.72	362.29	401.66
10.	हिमाचल प्रदेश	742.76	733.36	595.88	606.96	518.77	525.90
11.	जम्मू और कश्मीर	275.66	225.04	141.65	86.44	45.00	5.70
12.	कर्नाटक	671.77	847.94	742.83	883.32	990.02	1187.40
13.	केरल	479.21	436.90	434.50	493.42	586.54	620.35

14.	मध्य प्रदेश	1009.51	1097.90	1046.09	1174.41	1195.69	1618.89
15.	महाराष्ट्र	1308.91	1398.87	1489.15	1848.56	1620.90	1629.47
16.	मणिपुर	82.50	94.04	54.82	78.28	51.67	73.60
17.	मेघालय	171.30	181.48	181.19	181.19	205.19	210.52
18.	नागालैंड	3.53	3.26	2.00	2.00	3.50	0.29
19.	उड़ीसा	613.34	607.62	654.73	654.72	859.98	870.31
20.	पांडिचेरी	6.52	3.62	6.52	7.87	6.83	5.28
21.	पंजाब	434.36	652.90	474.54	515.38	579.98	572.17
22.	राजस्थान	889.43	906.01	962.68	1064 87	1054.61	1212.62
23.	तमिलनाडु	844.95	871.00	940.80	967.90	979.91	996.89
24.	उत्तर प्रदेश	1220.46	1265.66	1108.51	1142 80	1312.05	1366.62
25.	पश्चिम बंगाल	916.03	1082.50	1060.47	1366.73	1284.35	1377.39
	कुल :	13995.00	15240.82	15032.00	16544.10	16341.31	17702.57

विवरण-II

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1989-90 आवंटन	1989-90 व्यय	1990-91 आवंटन	1990-91 व्यय	1991-92 आवंटन	1991-92 व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2000.00	2168.82	2200.00	2219.59	2455.00	2472.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	25.00	24 49	48.00	48.00
3.	असम	1100.00	1088.48	1150.00	1101.85	1225.00	1411.32
4.	बिहार	700.00	699.10	800.00	1085.35	1142.00	1299.81
5.	चण्डीगढ़	30.00	29.89	50 00	49.99	28.00	24.89
6.	दिल्ली	375.00	376.25	350.00	349.58	550.00	688.69
7.	गोवा	950.00	911.32	700.00	700.00	930.00	930.00
8.	गुजरात	3200.00	3150.32	3250.00	3300.03	4770.00	5826.75
9.	हरियाणा	477.00	494.93	1250.00	1251.61	1060.00	1066.75
10.	हिमाचल प्रदेश	1145.00	1088.61	1125.00	1126.87	1140.00	1140.80
11.	जम्मू एवं कश्मीर	395.00	390.80	300.00	298.60	50.00	23.74
12.	कर्नाटक	1800.00	1816.72	1800.00	1920.43	1775.00	2200.41
13.	केरल	1500.00	1481.41	1300.00	980.81	1120.00	1645.05

14.	मध्य प्रदेश	1850.00	1800.01	1850.00	1918.34	1850.00	2012.36
15.	महाराष्ट्र	2006.00	2013.28	2750.00	2751.09	3358.00	3386.23
16.	मणिपुर	300.00	311.45	300.00	291.91	250.00	228.82
17.	मेघालय	400.00	425.75	300.00	300.00	450.00	449.96
18.	नागालैंड	100.09	81.91	50.00	12.16	48.00	14.09
19.	उड़ीसा	1195.00	1293.51	1050.00	1050.03	1384.00	1421.98
20.	पांडिचेरी	50.00	50.10	150.00	150.07	120.00	120.07
21.	पंजाब	2545.00	2667.03	2900.00	2914.40	2350.00	2897.37
22.	राजस्थान	1817.00	1761.21	1700.00	1712.17	1800.00	2150.53
23.	तमिलनाडु	2000.00	1948.38	1375.00	1385.75	1422.00	1426.00
24.	उत्तर प्रदेश	5550.00	5560.12	6500.00	6516.36	6025.00	6099.82
25.	पश्चिम बंगाल	928.00	891.43	500.00	527.76	1634.00	1913.45
	योग	32558.00	32520.84	33725.00	33939.24	37484.00	40899.69

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

*519. श्रीमती बसव प्रभा अर्स : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास, रेशम, काफी, चाय, रेशम-उत्पादन, तम्बाकू जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विदेशों के साथ करार संबंधी व्यवस्था करने हेतु कोई एक एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्यातोन्मुखी कृषि उत्पादों के लिए एक एजेंसी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) कृषि मदों का संवर्धन करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को संतोषजनक माना गया है। अनेक उत्पादों के लिए एक-एक ही अभिकरण का विचार व्यवहार्य नहीं है, अतः इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

व्यापारिक जहाजी बेड़ा

*520. डा० सुधीर राय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा के बोझ को कम करने के लिए देश के व्यापारिक जहाजी बेड़े में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन उद्योग की सहायता के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है—

(i) क्रूड टैंकरों और ओ० एस० वी० एस० को छोड़कर निजी जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

(ii) भारत में अथवा विदेश में किसी कंपनी को आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिए जहाजों की बिक्री।

(iii) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद, और

(iv) प्रतिस्थापना टन भार के लिए खरीद।

2. नौवहन कम्पनियों को अपने जहाजों की बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रखने और नई खरीद के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

3. विदेशी नौवहन कम्पनियों को भारतीय जहाज टाइम चार्टर आउट करने की स्वतंत्रता।

4. बेयरबोट चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति द्वारा वेसल्स की खरीद।

5. जहाजों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक एलोकेशन स्कीम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, अब और भारतीय रिजर्व बैंक किसी मूल्य सीमा के बगैर आयातित पूंजीगत माल के लिए जहाज मरम्मत/ड्राई डाकिंग तथा हिस्से पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करता है।

6. उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के भाड़ा प्रभारों का भुगतान, अब अन्य जिन्सों की तरह परिवर्तनीय मुद्रा में करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

चीनी विकास निधि

*521. श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे :
डा० विश्वनाथम् कनिथी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी विकास निधि के लिए अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई, गन्ना विकास तथा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्वास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई;

(ग) क्या इस निधि में से एक बड़ी राशि किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31 मार्च, 1993 को स्थिति के अनुसार चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन चीनी उपक्रमों से एकत्रित की गई चीनी उपकर की राशि में से कुल 1141.00 करोड़ रुपये की राशि चीनी विकास निधि में जमा करवा दी गई है।

(ख) विवरण-1 और 2 में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं सहित गन्ने के विकास के लिए तथा प्लांट और मशीनों का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने के लिए किए गए ऋणों और वितरित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्योरा दिया गया है।

(ग) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अनुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए धनराशि का इस्तेमाल किया जाता है—

(1) किसी भी चीनी फैक्ट्री अथवा उसके किसी यूनिट का पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण करने अथवा जिस क्षेत्र में कोई भी चीनी फैक्ट्री स्थित है उसमें गन्ने का विकास करने के लिए कोई भी योजना शुरू करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए;

(2) चीनी उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से किसी भी अनुसंधान परियोजना हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए;

(3) चीनी के मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से चीनी का बफर स्टाक बनाने और उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजन हेतु खर्च को पूरा करने के लिए;

(4) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु किसी अन्य खर्च को पूरा करने के लिए।

इस निधि का केवल अधिनियम में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार इस्तेमाल किया गया है—

	(31-12-1992 को स्थिति के अनुसार) (करोड़ रुपये में)
गन्ना विकास के लिए मंजूर किए गये ऋणों की राशि	362.35
आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए मंजूर किए गए ऋणों की राशि	351.09
चीनी उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से अनुसंधान करने के लिए सहायता अनुदान	30.10
चीनी के बफर स्टाक के लिए राजसहायता	72.96
जोड़	816.50

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान चीनी प्रतिष्ठानों को गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए और वितरित किए गए ऋणों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1989-90		1990-91		1991-92		जोड़	
	मंजूर	वितरित	मंजूर	वितरित	मंजूर	वितरित	मंजूर	वितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	536.99	759.87	—	418.980	134.48	87.94	601.47	1266.790
गोआ	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	—	20.79	—	26.990	—	—	—	47.780
बिहार	198.64	105.20	102.12	33.340	—	—	300.76	138 540
गुजरात	130.48	82.49	—	25.090	46.16	—	176.64	107.580
हरियाणा	334.62	526.49	—	104.510	—	85.89	334.62	716.890
कर्नाटक	1273.14	314.61	—	—	239.45	65.96	1512.59	380.570
मध्य प्रदेश	362.77	94.22	—	90.740	—	—	362.77	184.960
महाराष्ट्र	2365.80	1447.94	615.68	1011.065	361.85	330.37	3343.33	2789.375
उत्तर प्रदेश	1886.86	1503.32	1936.87	1794.340	708.81	191.63	4532.54	3489.290
तमिलनाडु	612.62	1212.83	—	650.410	687.17	184.51	1299.79	2047.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	692.09	399.57	—	424.270	229.82	93.24	921.90	917.080
पांडिचेरी	85.54	—	—	40.130	—	—	85.54	40.130
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	287.55	—	287.55	—
राजस्थान	—	—	—	—	404.57	—	404.57	—
जोड़	8479.54	6467.33	2654.67	4619.865	3099.86	1039.54	14234.07	12126.735

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान चीनी प्रतिष्ठानों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए और वितरित किए गए ऋणों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1989-90		1990-91		1991-92		जोड़	
	मंजूर	वितरित	मंजूर	वितरित	मंजूर	वितरित	मंजूर	वितरित
आन्ध्र प्रदेश	—	—	215.00	215.00	2190.00	500.00	2405.00	715.00
बिहार	310.00	404.00	—	—	400.00	200.00	710.00	604.00
महाराष्ट्र	1772.50	461.00	1764.00	2097.77	3190.77	1404.50	6727.27	3962.50
उत्तर प्रदेश	3740.87	4372.87	1816.00	1716.00	6659.69	1354.00	12216.56	7442.87
पंजाब	401.00	401.00	100.00	100.00	—	—	501.00	501.00
तमिलनाडु	—	150.00	370.00	370.00	—	—	370.00	520.00
कर्नाटक	—	—	57.50	—	386.58	—	444.08	—
मध्य प्रदेश	—	—	435.00	220.00	—	90.375	435.00	310.375
गुजरात	—	—	684.00	320.00	530.40	364.00	1214.40	684.00
जोड़	6224.37	5788.87	5441.50	5038.00	13357.44	3912.875	25023.31	14739.745

हिमालय की पारिस्थितिकी का संरक्षण

*522. श्री अमर रायप्रधान :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1993 के राष्ट्रीय सहारा में "करोड़ों खर्च के बावजूद हिमालय के पर्यावरण संरक्षण में सरकार विफल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय पर्यावरण विकास और जैव-विविधता संरक्षण बोर्ड की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और उद्देश्य क्या है; और

(ङ) इनकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समाचार में अन्य बातों के अलावा, हिमालयी क्षेत्र की समस्याओं और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण में असफल रही है। सरकारी प्रयासों के कारण भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भू-उपग्रह प्रतिबिम्बिकीय का प्रयोग करके 1987 और 1989 में क्रमश: 1981-83 और 1985-87 के संबंध में किए गए मूल्यांकन के दौरान हिमालय क्षेत्र के वन आवरण के 1,87,000 वर्ग कि०मी० से बढ़कर 1,94,161 वर्ग कि०मी० होने की रिपोर्ट दी गई।

हिमालय में पर्यावरण के परीक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं : (1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है ताकि वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल को रोका जा सके, (2) राज्य सरकार से पर्वतीय क्षेत्र में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा गया है, (3) वनों की सुरक्षा में भोगाधिकार के आधार पर ग्राम समुदाय को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, (4) पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश) को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्य-क्रम के तहत आने वाले पहाड़ी जिलों को 90 प्रतिशत अनुदान और वर्गीकृत राज्यों को 10 प्रतिशत

की विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ये पहाड़ी जिले हैं : असम के दो जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का मुख्य भाग। पहाड़ी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए अपने संसाधनों का पूर्ति के लिए इन 3 राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

भारत सरकार ने एक वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड का गठन किया है जो अवक्रमित वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्रों के आस-पास की भूमियों, राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों तथा देश के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड मुख्य रूप से परती भूमि के विकास और गैर वन क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरदायी है जिसका उद्देश्य भूमि अवक्रमण को रोकना और बायो-मास की उपलब्धता, विशेष रूप से ईंधन और वनों में वृद्धि करना है। गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, ने एक कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना को हिमालय क्षेत्र की सभी सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है ताकि वे अपनी विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन करते समय अभि-निर्धारित प्राथमिकता के क्षेत्रों को ध्यान में रख सकें। कार्य योजना का उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से ठोस आर्थिक विकास के तंत्र को सुदृढ़ बनाना है।

भारत सरकार ने योजना आयोग में योजना आयोग के सदस्य डा० एस० जेड० कासिम की अध्यक्षता में एक विशेष दल बनाया है, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय और पर्यावरण कारकों, संसाधन उपलब्धता और सामाजिक आर्थिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समन्वित विकास हेतु हिमालय के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगा।

वन स्थिति (स्टेट ऑफ फारेस्ट), रिपोर्ट, 1991 के अनुसार जम्मू और कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र की प्रतिशतता क्रमशः 9.0 प्रतिशत, 92.4 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत है, जबकि समाचार में यह प्रतिशतता 82 प्रतिशत, 86.2 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत बताई गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय वन नीति में यह परि-कल्पना की गई है कि राष्ट्रीय लक्ष्य कुल भूमि क्षेत्र के कम-से-कम 33 प्रतिशत को वन अथवा वृक्षाच्छादन के अन्तर्गत लाना है, न कि 66 प्रतिशत क्षेत्र को जैसा कि बताया गया है।

वर्ष 1992-93 में परती भूमि विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1992-95 से 300.55 लाख रुपये के परिव्यय से हमीरपुर जिले में एक परियोजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार को कहा गया है कि वह चम्बा, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के लिए स्कीमें तैयार करे।

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के तहत हिमालय के पुनरुद्धार के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की गई थीं, जिनके लिए वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 के दौरान क्रमशः 2933 लाख रुपये और 3000.67 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

[हिन्दी]

कृषि-आधारित उद्योग

*523. **श्री तेजसिंह राव भोंसले :**
कुमारी विमला वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) सरकार कोई भी कृषि आधारित एकक सीधे स्थापित नहीं करती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को गति देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने अनेक विकासात्मक योजना स्कीमों का निरूपण किया है, जिनसे आठवीं योजनावधि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रोजगार जुटाने की काफी संभावनाएं हैं। इन स्कीमों संबंधी विवरण संलग्न कर दिया गया है।

यद्यपि रोजगार जुटाने के लिए कोई धनराशि नियत नहीं की गई है फिर भी आठवीं योजनावधि के दौरान योजना स्कीमों के लिए 146.00 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काफी रोजगार जुटा लिए जाएंगे।

विवरण

योजना स्कीमों का सार

(क) अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र

1. कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई० आई० टी०, खड़गपुर।
2. धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर।
3. क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र।
4. अनुसंधान एवं विकास स्कीमें।
5. चावल मिलिंग मशीनरी एवं अन्य उपकरण प्रशिक्षण केन्द्र।
6. चावल मिलों का आधुनिकीकरण।
7. खाद्य इंजीनियरी केन्द्रों की स्थापना।

(ख) फल व सब्जी प्रसंस्करण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की योजना।
2. फल एवं वेजीटेबल पल्प एककों की स्थापना के लिए सहायता संबंधी योजना।
3. प्रसंस्करणकर्त्ताओं एवं उत्पादकों के बीच सम्पर्क सूत्र को सुदृढ़ बनाने की स्कीम प्रशिक्षण केन्द्र।
4. मशरूम की खेती और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता संबंधी स्कीम।
5. हॉपों के विकास एवं प्रसंस्करण के लिए सहायता।

6. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के विज्ञापन तथा विपणन सहायता प्रदान करना।

7. फल एवं वेजिटेबल पल्प में अनुसंधान एवं विकास।

(ग) मांस तथा कुक्कुट प्रसंस्करण

1. राष्ट्रीय पशुधन उत्पाद विकास परिषद् की स्थापना।

2. सूअर के मांस (पोर्क) के प्रसंस्करण का विकास।

3. भेड़, बकरी तथा खरगोश के मांस के प्रसंस्करण का विकास।

4. कुक्कुट एवं अण्डों के प्रसंस्करण का विकास।

5. भैंस के मांस के प्रसंस्करण का विकास।

6. निर्यात हेतु मांस के भण्डारण एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे का विकास।

7. विपणन सुविधाओं का विकास।

8. मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास।

9. मांस प्रसंस्करण तथा विशेष पैकिंग के लिए अनुसंधान एवं विकास।

(घ) मात्स्यिकी तथा मत्स्य प्रसंस्करण

1. गहरे समुद्र में मत्स्यन एवं प्रसंस्करण में सहभागिता के लिए सहायता।

2. गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए उपयोगी नौकाओं के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए सहायता अनुदान।

3. विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता।

4. तटरक्षकों के लिए संचार सुविधाओं की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान करते हुए एम० जेड० आई० अधिनियम की प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना।

5. कोल्ड चेन की स्थापना के लिए सहायता।

6. ट्यूना तथा अन्य मत्स्य प्रसंस्करण की स्कीम।

7. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की सहायता।

8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण।

(ङ) उपभोक्ता उद्योग

1. सोयाबीन उत्पादों तथा भारतीय पारंपरिक खाद्यों तथा पैकेजिंग के लिए अनुसंधान एवं विकास योजनाएं।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश।

(क) एम० एफ० आई० एल०

(ख) एन० ई० आर० ए० एम० सी०

(च) सचिवालयीन आर्थिक सेवाएं

1. शीर्ष एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्कीम।

2. फल व वेजीटेबल पल्प की सूचना, प्रशिक्षण, शिक्षण एवं गुणवत्ता प्रणाली के विकास के लिए फल एवं वेजीटेबल पल्प निदेशालय के सुदृढ़ीकरण की स्कीम।

3. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता की स्कीम।

4. खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अध्ययनों के प्रोत्साहन की स्कीम।

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निष्पादन पुरस्कारों की स्कीम।

दालों की खपत

*524. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रति व्यक्ति दाल की अनुमानित खपत कितनी है;

(ख) क्या यह खपत विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लोगों को अपेक्षित मात्रा में दालें उपलब्ध कराने के लिए दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) भारत में दालों की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता 1991 तथा 1992 में क्रमश: 40 ग्राम और 33 ग्राम होने का अनन्तिम अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दालों के सेवन के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। भारतीय लोगों के लिए दालों सहित आहार के सेवन की सिफारिशें 1984 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के एक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई थी। दालों के लिए 40 ग्राम प्रति खपत यूनिट प्रतिदिन की सिफारिश है।

(घ) सरकार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दालें, कार्यान्वित कर रही है।

बागवानी उत्पादों के लिए राज-सहायता

*525. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागवानी तथा पुष्प-उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु इन उत्पादों के विमान भाड़े में रियायत देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रियायत देने का विचार है; और

(ग) यह प्रस्ताव किस तारीख से लागू होगा?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अल्फांसो आम

*526. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर :
श्री सुधीर सावन्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्फांसो आमों की इस समय क्षेत्रवार कितनी पैदावार हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने अल्फांसो आमों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से इन आमों के बागान लगाने की कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) आम उत्पादकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनमें सुधार करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अल्फांसो आम का राज्यवार उत्पादन उपलब्ध नहीं है। वैसे, यह किस्म अधिकांशतया महाराष्ट्र में उगाई जाती है। 1991-92 में महाराष्ट्र में इस किस्म का उत्पादन 1.93 लाख मीटरी टन था।

(ख) और (ग) निर्यात बढ़ाने के लिए अल्फांसो आम के उद्यान स्थापित करने के वास्ते कोई विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना नहीं है। लेकिन, भारत सरकार अल्फांसो की कलमों के बहुलीकरण हेतु कोंकण विद्यापीठ को सहायता अनुदान दे रही है। अल्फांसो उगाने वाले मुख्य राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अल्फांसो सहित आम की मुख्य किस्मों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नये उद्यान लगाने तथा प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(घ) फलों और सब्जियों की 3665 कृषि उत्पाद मण्डियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 31 मार्च, 1992 तक 9128.82 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड फलों और सब्जियों के लिए एक समेकित विधि से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1988-89 से एक योजना चला रहा है। आठवीं योजना के लिए इस योजना के अन्तर्गत 4700 लाख रुपए का एक परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अल्फांसो सहित आम की विभिन्न किस्मों के लिए फसल प्राप्ति के बाद का बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने तथा विपणन के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

*527. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93 के दौरान महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे की भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बान्द्रा (मुम्बई) में मार्शल यार्ड में तथा कुर्ला में रेलवे की अप्रयुक्त भूमि को इस योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, बहरहाल, रेलवे भूमि पर वायु-क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करने का प्रस्ताव है, जो वैचारिक स्तर पर है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फसलों को क्षति

*528. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के दक्षिणी भाग में विशेषकर आंध्र प्रदेश में फसलों को कितनी क्षति पहुंची;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने क्षतिपूर्ति के लिए किसी सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान देश के दक्षिणी भाग अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य तथा संघ शासित प्रदेश पाण्डिचेरी चक्रवर्ती तूफानों और बाढ़ की चपेट में आये। इन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा सूचित फसलों की क्षति की मात्रा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है० में)
आन्ध्र प्रदेश	2.12
कर्नाटक	3.13
केरल	1.58
तमिलनाडु	2.53
पाण्डिचेरी	0.005

2. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों और संघ शासित प्रदेश पाण्डिचेरी ने तूफान/बाढ़ आने पर राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए क्रमश: 332.24 करोड़ रु०, 939.57 करोड़

रु०, 530.04 करोड़ रुपए तथा 4.33 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। राहत खर्च के लिए धन सुलभ करने की वर्तमान योजना के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार किया गया था। वर्ष 1992-93 के लिए आपदा राहत कोष में केन्द्रीय हिस्से के अलावा भारत सरकार ने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के लिए वर्ष 1993-94 के लिए आपदा राहत कोष में केन्द्रीय हिस्से की 2-2 अग्रिम किस्तों की क्रमश: 10.125 करोड़ रुपए, 11.625 करोड़ रुपए तथा 14.625 करोड़ रुपए की धनराशियां निर्मुक्त की थीं। तमिलनाडु और केरल सरकारों को 50-50 करोड़ रुपए तथा कर्नाटक सरकार को 30 करोड़ रुपए अर्थोपाय पेशगियों के रूप में निर्मुक्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त, पहली अप्रैल, 1993 को केरल को 11.625 करोड़ रु० तथा तमिलनाडु को 14.625 करोड़ रुपये की आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की 2 और किस्तों की धनराशियां निर्मुक्त की गई हैं।

3. वर्ष 1992-93 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित इलाकों में राहत उपाय करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई ज्ञापन नहीं मिला। आपदा राहत कोष में 49.21 करोड़ रु० का सारा केन्द्रीय हिस्सा 1992.93 में निर्मुक्त किया जा चुका है।

4. भारत सरकार द्वारा पांडिचेरी सरकार को तूफान/बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए 75.00 लाख रुपये की एक रकम दी गई है।

"साइबेरियाई सारस"

*529. श्री जी० देवराय नायक :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1993 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "क्रेन इम्पोर्ट प्रूव्स ऐन एक्सरसाइज इन वेन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय की लापरवाही के कारण साइबेरियाई सारस लुप्त होते जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट को देखा है।

(ख) सर्दियों के मौसम में भरतपुर आने वाले साइबेरियाई सारसों के पश्चिमी झुण्ड की तेजी से कम हो रही संख्या में साइबेरियाई सारसों के पाले गए बच्चों को छोड़ने का एक परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण इस वर्ष संयुक्त राज्य अमरीका की इन्टरनेशनल क्रेन फाउण्डेशन तथा रूस और जापान के पक्षी विज्ञानियों के सहयोग से केवलदेव घाना, राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में किया गया था। इस परीक्षण के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, इन पक्षियों के भारत से

साइबेरिया तक के प्रवास मार्ग निश्चित करना, साइबेरिया में इन पक्षियों के सही प्रजनन स्थल का पता लगाना तथा इनकी घटती हुई संख्या को बढ़ाना था। साइबेरियाई सारस के दो बच्चे रूस से लाए गए। इन बच्चों को भारत में लाने से पूर्व, रूस में इनकी स्वास्थ्य संबंधी पूरी जांच की गई। 12-2-1993 को यहां पहुंचने पर इन्हें सीधे भरतपुर ले जाया गया, जहां उनके रहने की पृथक व्यवस्था की गई थी। इन दोनों पक्षियों के स्वास्थ्य पर दो सप्ताह तक निगरानी रखने और उपयुक्त चिकित्सा जांच करने के बाद तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों एवं पशु चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर इन्हें 26 और 28 फरवरी, 1993 को अभयारण्य में छोड़ा गया था। इस प्रकार आयातित पक्षियों को जंगल में छोड़ने से पूर्व एहतियात में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। जंगली झुंड 3-3-1993 को उड़ गए। ये पालतू पक्षी झुण्ड के साथ नहीं गए। निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस परीक्षण को अगले 3-4 वर्षों तक करना होगा।

(ग) और (घ) साइबेरिया में तथा उनके प्रवासन मार्ग में आने वाले देशों में उनके प्रजनन-स्थलों में बाधा पड़ने के कारण साइबेरियाई सारसों के पश्चिमी झुंड में तेजी से कमी आई है, न कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारियों की किसी प्रकार की लापरवाही के कारण। इन पक्षियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सारसों के पाले गए बच्चों को जंगल में छोड़ने संबंधी परीक्षण कार्य को साइबेरिया तथा भारत में जारी रखने का प्रस्ताव है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

*530. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) समिति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखने में कहां तक सफल हुई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री (श्री ए० के० एंटनी) : (क) और (ख) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की पुनरीक्षा तथा परिवीक्षा करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में 12-7-1991 को मूल्यों संबंधी एक मन्त्रिमण्डल समिति पुनर्गठित की है। यह समिति समय-समय पर बैठकें करती है और मूल्यों में वृद्धि को उचित सीमाओं के भीतर नियंत्रित रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाती है। इस समिति में कृषि, पैट्रोलियम, रेल, वाणिज्य, खाद्य, कपड़ा, उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री शामिल हैं। बैठक के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण तथा उनकी एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई से संबंधित आधार-ढांचे संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है और प्रणाली में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। समिति की बैठकों में किये गये निर्णयों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सभी संबंधित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा लागू किया जाता है। इसके साथ ही मूल्यों की परिवीक्षा के बारे में सचिवों की एक विशेष कार्यवाही समिति भी मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में महीने में कम से कम दो बार बैठकें करती है और मूल्य स्थिति की समीक्षा करती है।

(ग) इस समय आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा उनकी उपलभ्यता संतोषजनक है। थोक मूल्य सूचकांक के रूप मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जो सितम्बर, 1991 के महीने के दौरान 16.3 प्रतिशत थी, मार्च, 1992 में गिरकर 13.6% तथा फरवरी, 1993 में और गिरकर 7.1% तथा 13-3-1993 को 6.8% हो गई है। औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के रूप में मुद्रास्फीति की दर सितम्बर, 1991 के 15.7% से गिरकर मार्च, 1992 में 13.9% हो गई तथा जनवरी, 1993 (नवीनतम उपलब्ध) में और गिरकर 5.7% हो गई है।

[हिन्दी]

"पौधों की लुप्त होती जा रही प्रजातियां"

*531. श्री राजेश कुमार :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के वनों में पाए जाने वाले पौधों/जड़ी-बूटियों की कुछ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र के पौधों की प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ संकटापन्न प्रजातियां हैं :—एसर केशियम, कैटामिक्सिस बच्चारायड्स, बरबेरिस लेम्बरटी, सिम्बिडियम हुकेरिएनम, साइप्रिपेडियम एलिगन्ज, साइप्रिपेडियम हीमालइकम, डिडीशिया कुनिनघमी, पिक्रोरहीजा कुरोआ, सोसूरिया आबवेलेटा, एरिमोस्टेचिस सुपर्बा, सोसूरियां लप्पा, जेंटियाना कुर्रू, नरडोसटेचिस ग्रेंडिफ्लोरा, पोडोफीलम हेक्सेंड्रम और डियोस्कोरिया डेल्टोडिया।

(ग) और (घ) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सर्वेक्षण किए हैं। इनमें मसूरी, गोरी घाटी, फूलों की घाटी, बद्रीनाथ, नन्दा देवी, चकराता, भागीरथी घाटी, नीलांग घाटी और उत्तर काशी शामिल हैं।

(ङ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में संरक्षित क्षेत्रों के एक नेटवर्क की स्थापना;

(2) नन्दादेवी जीवमण्डल रिजर्व की स्थापना;

(3) प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अनु-

पालन में विनियमों के जरिए संकटापन्न प्रजातियों के वाणिज्यिक प्रयोग और निर्यात पर प्रतिबन्ध;

(4) ऊतक संवर्धन, बीज बैंकों आदि के जरिए पादपों की कुछ संकटापन्न प्रजातियों के प्रसार के लिए प्रोटोकोल विकसित करना;

(5) खतरे में पड़ी और संकटापन्न प्रजातियों का सर्वेक्षण और उनके सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रहण और उनके पुनर्वास हेतु प्रयास; तथा

(6) दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय पादपों की "रेड डाटा पुस्तक" में शामिल करना, ताकि उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

सिंगापुर के साथ समझौता

*532. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर के बीच मानव संसाधन के विकास हेतु समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समझौते पर 5 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मन्त्री जी ने तथा सिंगापुर सरकार की ओर से उनके सूचना एवं कला मन्त्री श्री बी० जी० (रेस०) जार्ज येओ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते में भारत और सिंगापुर सरकार ने के बीच कला, विरासत और अभिलेख के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है।

सूरजमुखी का उत्पादन

*533. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री अरविंद तुलशीराम काम्बले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूरजमुखी के बीज का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विशेषकर कर्नाटक में सूरजमुखी के बीज के उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सूरजमुखी सहित तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश के 324 जिलों को शामिल करते हुए 21 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कर्नाटक में सूरजमुखी के उत्पादन के लिए विशेष अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीजों के उत्पादन और वितरण पादप रक्षण रसायनों तथा उपस्करों के वितरण, उन्नत कृषि औजारों के वितरण, जिप्सम और पाइराइट्स के वितरण, राइजोबियल कल्चर के वितरण आदि जैसे मुख्य आदानों पर सहायता दी जाती है। राज्य के कृषि विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से सामान्य तथा फ्रंटलाइन प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है।

मेघालय और असम में विज्ञान शिक्षा योजना

*534. **श्री पीटर जी० मरबनियांग :**
श्री प्रबीन डेका :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेघालय और असम में 'विज्ञान शिक्षा में सुधार' योजना के अन्तर्गत कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इस योजना के अधीन, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता, उनसे योजना के मानकों के अनुसार, इस संबंध में तैयार की गई उपयुक्त परियोजनाओं के प्राप्त होने पर प्रदान की जाती है।

इस योजना के अधीन, मेघालय और असम की राज्य सरकारों को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: 35,20,000 रु० और 2,87,93,000 रु० निम्नलिखित मदों के लिए संस्वीकृत किए गए थे :

क्रम सं०	मद	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	
		मेघालय	असम
1	2	3	4
1.	अपर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटों का प्रावधान	200	858
2.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नई विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना	32	295

1	2	3	4
3.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपूर्ण विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन	8	11
4.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालयों के उन्नयन हेतु विज्ञान से संबंधित विषयों की पुस्तकों की खरीद	40	306
5.	विज्ञान और गणित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन :		
	(क) अपर प्राथमिक स्तर	—	27
	(ख) माध्यमिक स्तर	—	16
	(ग) सीनियर माध्यमिक स्तर	—	2

उपर्युक्त 200 अपर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटों के प्रावधान हेतु 80 000 रु० की अतिरिक्त धनराशि, मेघालय राज्य सरकार को वर्ष 1992-93 के दौरान संस्वीकृत की गई थी।

दोनों राज्य सरकारों में से किसी से भी धनराशि प्रदान करने के लिए योजना के मानदंडों और अपेक्षित कार्याविधि के अनुरूप, अभी तक कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यापकों के लिए वेतन आयोग

*535. श्री सुधीर गिरि : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन करने के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि प्रयोजन हेतु पिछला वेतन आयोग किस तारीख को गठित किया गया था;

(ङ) क्या इस बीच पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों को सभी राज्यों ने ज्यों का त्यों मान लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों की परिलब्धियों तथा सेवा-शर्तों के मौजूदा ढांचे की जांच करने और शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने एवं उन्हें उसमें बनाए रखने से संबंधित आवश्यक सिफारिशें करने तथा उनको व्यवसाय की प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रो० आर०सी० मेहरोत्रा, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 24 दिसम्बर, 1983 को एक सीमित गठित की थी। इस समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मई, 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विश्वविद्यालय आयोग ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया, उन पर कतिपय टिप्पणियां कीं और रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया।

सरकार ने समिति की विभिन्न सिफारिशों तथा वि० अ० आ० की टिप्पणियों की जांच की और 1-1-1986 से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की एक योजना के कार्यान्वयन का निर्णय किया। सरकार द्वारा 17 जून, 1987 को इस योजना की घोषणा की गई थी।

यह योजना सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित अन्य संस्थाओं में कार्यान्वित की गई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है। यह वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत कतिपय शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है।

नशीली औषधियों की जांच करने की सुविधाएं

*536. **श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों, विशेष रूप से ऐथलीटों द्वारा प्रतिबंधित नशीली औषधियों के सेवन की जांच करने की सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं किन-किन स्थानों पर उपलब्ध हैं और क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और जांच केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देश में केवल एक ही मादक औषधि जांच की प्रयोगशाला है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में वर्ष 1990 में स्थापित की गई थी। इस प्रयोगशाला में स्टीमूलेन्ट्स, नारकोटिक्स, बेटाब्लाकरस, डयूरेटिक्स तथा एनाबोलिक स्टीरोइड्स श्रेणी से संबंधित प्रतिबंधित मादक औषधियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और एथलीटों की जांच की जाती है। प्रयोगशाला में निम्नलिखित प्रमुख उपस्कर लगाए गए हैं :

(i) जी० सी०-एम० एस० डी० (गैस क्रोमोटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटरी डिटेक्टर)

(ii) एच० पी० एल० सी० (हाई प्रेशर लीक्वीड क्रोमोटोग्राफी)

(iii) जी० सी० एन० पी० डी० (गैस क्रोमेटोग्राफी नाइट्रोजन फोसफोरस डिटेक्टर)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य पालन का विकास

*537. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हुई प्रगति के राज्यवार मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इसी अवधि में राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता राशि दी गई है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यवार मत्स्य पालन के विकास हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता-राशि दी गई/दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आठवीं योजना-अवधि के दौरान देश में विशेष रूप से गोवा में इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों तथा खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों के माध्यम से 1.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वैज्ञानिक मत्स्य/झींगा पालन के अन्तर्गत लाया गया है। मछली पालन विकास की प्रगति में सहायक होने वाले कुछ मुख्य कारक हैं—प्राकृतिक संसाधनों की सापेक्ष उपलब्धता, मत्स्य बीज सप्लाई, मछली की मांग जो प्रत्येक राज्य में अलग होती है और इसके अलावा प्रौद्योगिकी अंतरण तथा निर्यात की मांग।

(ग) सूचना संलग्न विवरण मे दी गई है।

(घ) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान देश में मछली पालन विकास के लिये 92.7 करोड़ रुपये की एक धनराशि नियत की गई है।

(ङ) मछली पालन के विकास की योजनाओं के अन्तर्गत गोवा सहित देश में 375 मछली पालक विकास एजेन्सियों तथा 34 खारा पानी मछली पालक विकास एजेन्सियां मंजूर की गई हैं। नये तालाबों के निर्माण, तालाबों और टैंकों के नवीकरण/बहाली, प्रथम वर्ष के आदानों, चलते पानी में मछली पालन, समेकित मछली पालन, ताजे पानी की झींगा तथा फिन मछली के लिये हैचरियों की स्थापना के लिये राजसहायता दी जाती है। देश में झींगा पालन के विकास के लिये झींगा फार्मों के विकास, झींगा बीज हैचरियों के निर्माण आदि के वास्ते भी राजसहायता दी जाती है। ये दोनों योजनाएं गोवा के लिये भी स्वीकृत की गई हैं।

विवरण

राज्य	धनराशि
आंध्र प्रदेश	180.01
अरुणाचल प्रदेश	10.00
आसाम	33.00
बिहार	106.00
गोआ	55.65
गुजरात	68.46
हरियाणा	80.85
हिमाचल प्रदेश	4.00
जम्मू और कश्मीर	6.00
कर्नाटक	43.53
केरल	109.14
महाराष्ट्र	25.90
मणिपुर	17.19
मध्य प्रदेश	167.31
मिजोरम	7.00
मेघालय	2.00
नागालैंड	6.00
उड़ीसा	328.25
पंजाब	69.00
राजस्थान	27.00
सिक्किम	3.00
तमिलनाडु	147.06
त्रिपुरा	24.00
उत्तर प्रदेश	414.00
पश्चिम बंगाल	559.45
पांडिचेरी	6.00

मत्स्य पालन पर नदी-प्रदूषण का प्रभाव

*538. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण से नदी-नालों में मत्स्य पालन का विशाल नेटवर्क प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने, तथा नदियों में मत्स्य पालन की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां। स्रवण क्षेत्रों में गाद भर जाने के अलावा, नगरपालिका, कृषि और औद्योगिक निःस्रवण से होने वाली प्रदूषण से नदी मात्स्यिकी पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) विभिन्न नदी तंत्रों में प्रदूषण को कम करने हेतु सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय में गंगा परियोजना निदेशालय और विभिन्न अन्य एजेंसियों का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

*539. श्री महेश कनोडिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत को कृषि के क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों के समकक्ष लाने के लिए विकसित देशों से तकनीकी जानकारी आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) भारत में कुल कृषि उत्पादन केवल चीन की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण चीन में अधिक उत्पादन का होना है, जो वहां सिंचाई के तहत अधिक क्षेत्र होने, उर्वरकों की अधिक खपत होने और बेहतर किस्मों के बीजों के कारण है।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत में मौजूदा तकनीकी जानकारी सामान्यतः पर्याप्त है। फिर भी, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों और सब्जियों के पक कर तैयार होने के बाद उनके रख-रखाव और परिसंस्करण करने के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आयात करने को आवश्यक समझा गया है। सरकार ने तकनीकी जानकारी के आयात को बढ़ावा देने के लिए कई नीति संबंधी पहल शुरू की है। इन पहलों में नवीनतम पहल है— 31-3-1993 को घोषित-निर्यात नीति में व्यापक संशोधन।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

*540. श्री सैय्यद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के लिए गैर-योजनागत अनुदान गत तीन वर्षों में निरन्तर कम होता जा रहा है;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों को अलग-अलग गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितना गैर-योजनागत अनुदान दिया गया और 1993-94 के लिए कितना अनुदान दिए जाने का अनुमान है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितना योजनागत अनुदान दिया गया और 1993-94 में कितना अनुदान देने का विचार है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों को वर्षवार कितना धन आवंटित किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग के गैर योजनागत अनुदानों में वर्षों से नियमित रूप से वृद्धि हुई है। (विवरण-I संलग्न है)।

(ख) एक विवरण II संलग्न।

(ग) एक विवरण III संलग्न है।

(घ) एक विवरण IV संलग्न है।

विवरण-I

(रु० लाखों में)

	वर्ष	गैर-योजनागत
1.	1990	24,429.00
2.	1991-92	26,012.00
3.	1992-93	30,809.00

विवरण-II

(रु० लाखों में)

	वर्ष	गैर-योजनागत		
		केन्द्रीय विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
1.	1990-91	16011.82	3030.65	681.45
2.	1991-92	16673.79	344.93	564.92
3.	1992-93	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संकलित की जा रही है।		
4.	1993-94*			

*प्रक्षिप्त कुल आवंटन 28,882 00 रु० है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय-वार आवंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण-III

(रु० लाखों में)

	वर्ष	योजनागत
1.	1990-91	12100·00
2.	1991-92	15202.00
3.	1992-93	13714.00
4.	1993-94	15450.00

विवरण-IV

(रु० लाखों में)

वर्ष	केन्द्रीय विश्वविद्यालय		सम विश्वविद्यालय		राज्य विश्वविद्यालय	
	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत
1990-91	16011.82	2543.79	3030.65	759.36	681.45	5066.79
1991-92	16673.79	5173.03	3441.93	859.21	564.92	6707.72
1992-93	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संकलित की जा रही है ।					

[हिन्दी]

प्लांट ग्रोथ हार्मोन

*541. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक "प्लांट ग्रोथ हार्मोन" का वर्ष में कितनी मात्रा में उत्पादन होता है और इन हार्मोनों की वार्षिक अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) वर्ष में प्रत्येक हार्मोन कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया जाता है;

(ग) देश को प्लांट ग्रोथ हार्मोनों के उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहने वाले प्लांट ग्रोथ हार्मोनों के पांच समूह तथा अर्थात्, अक्सिंस, जिबरेलिन्स, साइटोकीनिन्स, एब्सीसिक एसिड तथा एथिलीन हैं । जिन प्लांट ग्रोथ हार्मोनों का प्रयोग देश में किया जाता है, वे हैं : (i) नैफ्थलीन एसीटिक एसिड (एन ए ए); (ii) साइकोसिल; (iii) जिबरलिक एसिड तथा (iv) एथाफॉन । देश में एन ए ए तथा साइकोसिल की संस्थापित

क्षमता क्रमशः 20 तथा 180 मेट्रिक टन है। इनमें से कुछ के उत्पादन तथा अनुमानित मांग संबंधी सूचना इस प्रकार है :

मद	इकाई	उत्पादन 1992	अनुमानित मांग 1995
ट्रायकाटेनॉल तथा एन्जाइम आधारित हार्मोन	के० एल०	800	1550
ऑक्सिंस	कि० ग्रा०	3	6
साइटोकीनिन्स	कि० ग्रा०	—	6
जिबरलिन्स	मे० टन	—	1

(ख) ट्रायकाटेनॉल आधारित उत्पादों का देश में उत्पादन किया जाता है। अन्य मदों अर्थात् ऑक्सिंस, साइटोकीनिन्स तथा जिबरलिन्स का अधिकांशतः आयात किया जाता है। देश में जिबरलिक एसिड तथा एथाफॉन का वार्षिक आयात क्रमशः लगभग 10 तथा 12 टन है।

(ग) तथा (घ) प्लांट ग्रोथ हार्मोनों के सभी उत्पादों में से ट्रायकाटेनॉल आधारित उत्पादों का देश में अधिकतम सीमा तक उत्पादन तथा खपत हो रही है। नए होने के कारण ये उत्पाद भारतीय किसानों द्वारा धीरे-धीरे अपनाए जा रहे हैं। उद्योग द्वारा इस उत्पादन के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। भारतीय उत्पादक जैसे गोदरेज, नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड, सदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर, रैलिस इत्यादि ट्रायकाटेनॉल आधारित प्लांट ग्रोथ हार्मोनों की वर्तमान मांग को पूरा कर रहे हैं तथा ये एकक देश की सम्पूर्ण भावी मांग को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एन सी एल ने एथाफॉन के उत्पादन की प्रक्रिया विकसित की है और हैदराबाद की एक कम्पनी को इसका लाइसेंस दिया गया है जो शीघ्र ही उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे ने जिबरलिक एसिड के लिए भी एक प्रक्रिया विकसित की है।

नई शहरी विकास नीति

*542. श्री देवी बक्स सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नई शहरी विकास नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) शहरी विकास नीति तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया गया है तथा इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं।

लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं

*543. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान केवल लघु क्षेत्र द्वारा निर्माण किए जाने के लिए कौन-कौन-सी वस्तुएं आरक्षित की गईं;

(ख) क्या इनमें से कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति बड़े उद्योगों को दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1992-93 के दौरान लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए किसी नई मद को आरक्षित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिए मदों का आरक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित की जाने वाली मदों की सिफारिश करती है।

[अनुवाद]

फार्मास्युटिकल उद्योग

*544. **श्री आर्थर फर्नान्डीज :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल उद्योग में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान सन्तोषजनक नहीं रही;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन उपक्रमों में से प्रत्येक को कितना घाटा हुआ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन भेषज उद्योग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम हैं। ये उपक्रम हैं इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० (आई० डी० पी० एल०) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०), बंगाल इम्युनिटी लि० (बी० आई० एल०), बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (बी० सी० पी० एल०) और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० (एस० एस० पी० एल०) आई० डी० पी० एल, बी० आई० एल०, बी० सी० पी० एल० और एस० एस० पी० एल० को पिछले कुछ वर्षों से घाटा हो रहा है। इन कम्पनियों को 1989-90 और 1990-91 में हुआ घटा इस प्रकार था—

(रुपए करोड़ में)

उपक्रम का नाम	निवल घाटा	
	1989-90	1990-91
आई० डी० पी० एल०	42.74	88.28
बी० आई० एल०	5.77	5.08
बी० सी० पी० एल०	8.41	9.48
एस० एस० पी० एल०	3.66	4.87

(ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुपालन में इन कम्पनियों ने निर्धारित तरीके से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ०) को लिखा था। इन एककों के पुनरारम्भ की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। पुनरारम्भ योजना में पूंजी पुनर्संरचना, उच्चतर उत्पादन और बिक्री लक्ष्य, लागत में कमी, अधिक जनशक्ति में कमी, कुछ क्षेत्रों में अलाभकारी गतिविधियों को बन्द करना और विस्तार। आधुनिकीकरण और जोरदार विपणन नीतियां अपनाना शामिल है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिए सरकार ने 1992-93 में धनराशियां उपलब्ध कराई हैं।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

*545. **श्री लाल बाबू राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से राज्यवार कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ख) ग्रामीण लोगों को और रोजगार देने के लिए आयोग ने क्या प्रयास किए है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों में लगभग 51.58 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए थे। ग्रामीण लोगों को और

अधिक रोजगार दिलाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना,

(2) तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना,

(3) तकनोलोजी का अन्तरण करना,

(4) विभागीय भवनों द्वारा विपणन में सहायता करना और साथ ही भवनों/भंडारों/ग्राम शिल्प/चर्म शिल्प/सचल बिक्री वाहनों आदि की स्थापना में सहायता करना,

(5) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभागीय बहु-कार्य प्रशिक्षण केन्द्रों और विद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण में सहायता देना,

(6) डी० आर० डी० ए० तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर चुने हुए जिलों में विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करना,

(7) हस्तनिर्मित कागज और ग्रामीण चर्म उद्योग के क्षेत्र में यू० एन० डी० पी० से सहायता प्राप्त दो परियोजनाओं को कार्यान्वित करना।

औद्योगिक अपशिष्टों से भवन निर्माण सामग्री तैयार करना

*546. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक अपशिष्टों से भवन निर्माण सामग्री तैयार करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय आवास नीति में औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्टों से बनी भवन निर्माण सामग्रियों और घटकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। उसके अनुसार केन्द्र सरकार ने उद्यमियों को उत्पाद-शुल्क छूट उड़न-राख, फासफोजिपसम, लाल पंक आदि जैसे औद्योगिक अपशिष्टों, भवन निर्माण सामग्रियों और घटकों के उत्पादन तथा उपयोग हेतु उपकरणों को सीमा शुल्क की रिआयती दरों पर आयात करने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं। केन्द्रीय बजट में घोषित रिआयतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

किफायती भवन-निर्माण सामग्री के उत्पादन और प्रयोग हेतु वित्तीय रियायतें

1992-93

किफायती भवन निर्माण साज-सामान और तकनीकों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा मंजूर एक मुश्त वित्तीय प्रोत्साहन इस प्रकार है :

(I) विभिन्न केन्द्रों पर बनाए जा रहे किफायती साज-सामान के उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क में छूट।

(II) उड़न राख व फास्फो-जिप्सम का 25% या अधिक मात्रा में कच्चे माल के रूप में भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन में प्रयोग पर उत्पाद-शुल्क में छूट।

(III) लाल-पंक से बनी ईंटों और टाइलों के उत्पादन में उत्पाद-शुल्क में छूट। (वर्तमान बजट में घोषित)

(IV) उड़नराख, फासफो-जिप्सम से बनी भवन निर्माण सामग्रियों जैसे ईंटों, गारे, हल्की कंक्रीट, रोड़ी आदि के उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरणों, मशीनरी और पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क में कमी।

(वर्तमान बजट में घोषित)

(V) आवास के लिए अपेक्षित प्रीफेब घटकों पर उत्पाद शुल्क 15% से घटाकर 5% करना।

(VI) खिड़की, दरवाजों, आदि के निर्माण में लकड़ी के बदले अल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उत्पाद-शुल्क में छूट। (वर्तमान बजट में घोषित)···

विभिन्न प्रकार के औद्योगिक व कृषि अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करके, ऐसे सभी सामानों (केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 68.04 को छोड़कर अध्याय 68 में उल्लिखित सामान) पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट दे दी गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रयुक्त सामग्री में किसी एक या अधिक सामग्री का 25% अधिक उपयोग हुआ हो :

(i) लाल पंक,

(ii) चीका-मिट्टी,

(iii) घमनभट्टी गारा

निम्नलिखित सामग्री पर अनुसूची में 10% मूल्यानुसार से अधिक उत्पाद शुल्क में छूट दे दी गई है :

(i) सीमेंट पटलित दानेदार बोर्ड

(ii) पटसन रेशा बोर्ड

(iii) चावलभूसी बोर्ड

(iv) ग्लास फाइबरयुक्त मजबूत जिप्सम बोर्ड

(v) बांस रेशा बोर्ड

(vi) खोई बोर्ड।

[अनुवाद]

विकास दर

*547. श्री पी० जी० नारायणन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान विकास दर सन्तोषजनक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) जबकि राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) में वृद्धि 1.2% थी, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1992-93 के दौरान इसमें 4.2 प्रतिशत तक सुधार होने की प्रत्याशा है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों, निवेश प्रोत्साहनों तथा कार्यक्रमों से आने वाले वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों में विकास की संभावनाओं में सुधार होगा।

पेयजल के अभाव वाले गांव

*548. **कुमारी विमला वर्मा :**
श्री धर्मभिक्षम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गांवों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है जिनमें स्वच्छ पेयजल का अभाव है;

(ख) इन गांवों में पेयजल की सप्लाई हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) पेयजल परियोजनाओं के लिए राज्यवार, कुल कितनी धनराशि आबंटित/निर्धारित की गई है; और

(घ) नलों द्वारा जल सप्लाई परियोजना के लिए, राज्यवार, कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1980/85 के सर्वेक्षण में पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में से "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :

राज्य	"बिना जलस्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	वह माह जब तक की सूचना दी गई है
1	2	3
असम	12	2/93

1	2	3
गुजरात	14	2/93
हिमाचल प्रदेश	18	2/93
जम्मू और काश्मीर	268	1/93
मध्य प्रदेश	4	12/92
महाराष्ट्र	29	2/93
मेघालय	582	2/93
उड़ीसा	221	1/93
पंजाब	102	12/92
राजस्थान	75	2/93
त्रिपुरा	8	12/93
उत्तर प्रदेश	166	1/93
योग	1499	

(ख) उपरोक्त गांवों में अधिकांश गांवों को 31-3-93 तक पेयजल की सप्लाई किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और शेष गांवों को 1993-94 में पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य निम्न प्रकार है :

(1) 21.60 प्रतिशत कवर न की गई ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना।

(2) शेष बचे 2968 "बिना पेयजल स्रोत वाले" कठिन समस्याग्रस्त गांवों में मार्च, 1993 तक पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने को उच्च प्राथमिकता देना।

(3) 1992 के सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य गरीब/कमजोर वर्गों की कवरेज को उच्च प्राथमिकता देते हुए कवर न की गई सभी बस्तियों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना।

(4) प्रति-दिनप्रति व्यक्ति 40 लीटर से कम पेयजल की सुविधा वाले आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों के लिए पेयजल की पूरी सुविधाएं सुनिश्चित करना।

(5) 1995 तक गिनीकृमि का पूर्ण उन्मूलन।

(6) सस्ते प्रौद्योगिकी विकल्पों, विशेष रूप से वैकल्पिक स्रोतों के जरिए पेयजल में रासायनिक संदूषण को रोकने के उपाय करना।

(7) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी जिलों में जल गुणवत्ता की निगरानी करना।

(8) ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन और संचलन एवं रख-रखाव में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ग) राज्यवार आबंटन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम सहित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत राज्यों को सहायता के लिए आबंटित कुल राशि 1992-93 में 460 करोड़ रुपये तथा 1993-94 में 740 करोड़ रुपये है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी 3 वर्षों के दौरान शेष 3900 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे। 1992-93 में रिलीज की गई राज्यवार राशि अनुबंध-1 में दर्शाई गई है। ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं केन्द्रीय निधियों का उपयोग करके तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में किए गए प्रावधान के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 4954.52 करोड़ रुपये है। 1992-93 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार प्रावधान संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। 1993-94 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की आवंटित राशि 848.15 करोड़ रुपये है। शेष परिव्यय को आठवीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी 3 वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा।

(घ) नलों द्वारा जल सप्लाई की परियोजना के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है। पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनाओं के लिए निधियों के इस्तेमाल पर राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित योजनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन/त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31.204	40.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.77	9.05
3.	असम	14.915	38.46
4.	बिहार	20.613	52.50
5.	गोआ	1.119	4.00
6.	गुजरात	18.342	54.11

1	2	3	4
7.	हरियाणा	8.639	23·60
8.	हिमाचल प्रदेश	11.49	40.70
9.	जम्मू व कश्मीर	30.096	26.00
10.	कर्नाटक	23.846	42.56
11.	केरल	12.607	39.11
12.	मध्य प्रदेश	31.544	39.85
13.	महाराष्ट्र	25.587	95.58
14.	मणिपुर	3.194	8.00
15.	मेघालय	5.23	12.00
16·	मिजोरम	1·488	4.80
17.	नागालैंड	2.456	3.98
18.	उड़ीसा	20.211	31.85
19.	पंजाब	22·867	24.50
20.	राजस्थान	49.07	53·57
21.	सिक्किम	3.929	3.82
22.	तमिलनाडु	22.397	49.19
23.	त्रिपुरा	4.152	3.55
24.	उत्तर प्रदेश	55.701	72·32
25.	पश्चिम बंगाल	20.03	21.00
26·	अंडमान व निको० द्वीप समूह	0.005	3.50
27.	चंडीगढ़	0.000	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.001	0.35
29.	दिल्ली	0.103	4.00
30.	लक्षद्वीप	0.180	0.86
31.	पांडिचेरी	0.148	0.54
32.	दमन व दीव	0 472	0.50
	योग :	446.406	804.83

[अनुवाद]

मेघालय में प्रति व्यक्ति योजना निवेश

*549. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मेघालय के लिए (पर्वतीय उप-योजना के अंतर्गत) प्रति व्यक्ति योजना निवेश कितना निर्धारित किया गया है;

(ख) धनराशि के निर्धारण के लिए अपनाये गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार का विचार धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मेघालय के लिए कोई पर्वतीय उप-योजना नहीं है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता की सड़कों का विकास करना

*550. **श्री चित्त बसु** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से कलकत्ता की सड़कों के विकास के लिए एकमुश्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) कलकत्ता महानगर जिले के मैट्रो कोर क्षेत्र में यातायात में सुधार के लिए जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जे आई सी ए) द्वारा एक साध्यता अध्ययन कराया गया था। अध्ययन में 174.23 करोड़ रुपये की लागत से पांच फ्लाई ओवरों के निर्माण, चार स्थानों पर भूतल ग्रेड सुधार और एक चौक के निर्माण की सिफारिश की गई। योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ) जापान से वित्तीय सहायता मांगी है। ओ ई सी एफ ने मार्च, 1993 में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), शहरी विकास मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार से विचार-विमर्श किया था। ओ ई सी एफ ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

जल आपूर्ति और सफाई के लिए सहायता

*551. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** :
श्री प्रबीन डेका :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और असम को जल आपूर्ति तथा सफाई योजना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कार्य आरम्भ हो गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अत्यन्त छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

*552. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अत्यन्त छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रोत्साहनों को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एकमुश्त प्रोत्साहनों को अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न लघु उद्योग संगठनों तथा राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) अत्यन्त छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए पैकेज के ब्यौरों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके और विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रख कर अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

"रिस्पांड प्रोजेक्ट"

*553. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा "रिस्पांड प्रोजेक्ट" के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/विश्वविद्यालयों में अब तक आरम्भ किये गये क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा के विश्वविद्यालयों/कालेजों/प्रयोगशालाओं में क्या क्रियाकलाप आरम्भ किये गये हैं अथवा आरम्भ करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम (रिस्पांड) के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश में विविध विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । 1975-76 से लगभग 250 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, जिसमें 1992-93 तक लगभग 9 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान अंतर्निहित है ।

चूंकि अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं की प्रकृति अत्यन्त विशिष्ट है, अतः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग के केन्द्रों के विशेषज्ञों तथा शैक्षिक संस्थानों के भी संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विवेकपूर्ण समीक्षा के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के मानदंड परियोजना की तकनीकी प्रकृति, बजट संबंधी तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं, समयानुसूची इत्यादि पर आधारित हैं। प्रायोजित अनुसंधान (रिस्पांड) के अंतर्गत जिन विविध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हैं, वे निम्न क्षेत्रों से संबंधित हैं :

(i) अंतरिक्ष विज्ञान : खगोल भौतिकी प्लाज्मा, कॉस्मिक विकास, धूमकेतु धूलि और प्लाज्मा प्रक्रियाएं, सौर विकिरण और पृथ्वी के चुंबक मंडल के साथ इसकी अन्योन्य-क्रिया, प्रसर-एफ और प्लाज्मा अनियमितताओं के जनन सहित आयन मंडलीय परिघटनाएं, विकिरणी, गतिकीय, रसायनिक और वैद्युत-गतिकीय विशिष्टताओं के बीच अन्योन्य क्रियाशील परिघटनाओं की यांत्रिकी वाली मध्य वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन शुरू किए गए। मौसम विज्ञानीय परिघटना, विशेष रूप में उपग्रह पर्यवेक्षणों का उपयोग करते हुए, वायु मंडलीय प्रदूषण सहित पृथ्वी के निकट के पर्यावरण का अध्ययन किया गया।

(ii) अंतरिक्ष उपयोग : सुदूर संवेदन के विज्ञान तथा उपग्रह प्रतिबिम्बिकियों का अर्थ-निर्वचन, कृषि, जल विज्ञान, हिम आवरण, भू-आकृति विज्ञान, भू-विज्ञान, वानिकी इत्यादि से संबंधित प्राचलों के साथ-साथ काफी संख्या में प्राचलों के अध्ययन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के उपयोग का विस्तार से अध्ययन किया गया। संचरण परीक्षणों सहित उपग्रह संचार और उप-प्रणालियों तथा उपस्करों के विकास का आयोजन किया गया।

(iii) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी : विशेष द्रव्यों और रसायनों तथा प्रणोदकों, द्रव प्रणोदकों सहित नोदन प्रणालियों, प्रमोचक राकेट के डिजाइन की विश्वसनीयता, प्रमोचक कम्पलेक्स और प्रमोचन पैडों के डिजाइन, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क, मार्गदर्शन और नियंत्रण सॉफ्टवेयर इत्यादि के अध्ययनों सहित प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध अध्ययन किए गए।

अभी तक मद्रास, बम्बई, खड़गपुर, कानपुर और दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर के साथ-साथ देश के विविध राज्यों से लगभग 80 विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने रिस्पांड कार्यक्रम में भाग लिया है।

(ख) रिस्पांड कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में निम्न क्रियाकलाप आरम्भ किए गए हैं :

(i) ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में सुदूर संवेदन उपयोग के माध्यम से प्रकाश-प्लवक प्राथमिक उत्पादकता के आकलन पर अध्ययन;

(ii) उड़ीसा में चिलका क्षेत्र में जैव-विज्ञानीय अवसादन की आनुवंशिकी की मात्रा और भविष्य-ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में आई आर एस-1 ए से एक प्रयास; तथा

(iii) उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा में उत्तरी उड़ीसा के कैम्ब्रियन-पूर्व चट्टानों के क्षेत्रीय भू-विज्ञानीय अध्ययन में सुदूर संवेदन तकनीकों के उपयोग। उड़ीसा में विश्व-

विद्यालयों/कालेजों/प्रयोगशालाओं से जब कभी भी नए अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो इनके मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे ।

शहरी पेयजल तथा सफाई के सम्बन्ध में सम्मेलन

***554. श्री बी० देवराजन :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में शहरी पेयजल आपूर्ति और सफाई के संबंध में हाल ही में एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों अथवा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु क्या ठोस उपाय करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 मार्च, 1993 तक हुआ था। सम्मेलन का उद्देश्य शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्र में नई दिशा देना तथा बढ़ती हुई मांग व योजनागत निधियों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए संस्थागत स्रोतों से निधियां जुटाने में इस क्षेत्र को समर्थ बनाने की दृष्टि से उपायों की शिनाख्त करना था। इस क्षेत्र से सम्बद्ध मसलों पर विचार-विमर्श के लिए इस सम्मेलन में राज्य सरकारों से संबंधित मंत्रियों, सचिवों, मुख्य इंजीनियरों, प्रबंध निदेशकों और विषय विशेषज्ञों आदि ने भाग लिया था।

चार कार्य दलों की प्रतिपादन के आधार पर मान्य सिफारिशों का सार इस प्रकार है—

1. वित्तीय प्रसंग और लागत वसूली

पूर्ण लागत वसूली सिद्धान्त का अंगीकरण और जल आपूर्ति को इस शर्त के साथ उपयोगिता सेवा के रूप में मान्यता कि राज्यानुदान का गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तथा ऊंची पूंजी लागत वाले स्थानों पर मुहैय्या करने के बेहतर लक्ष्य के साथ स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा।

लागत कटौती हेतु धन सम्बन्धित संस्थाओं को शुल्क निर्धारण, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता खातों के अलग रखने और वाणिज्यिक लेखा पद्धति अपनाने, यथोचित सरकारी मदद से ऋणदाता एजेंसियों को वार्षिक आधार पर लम्बी अवधि में कर्ज चुकौती के निर्धारण और आरम्भिक अदायगी के स्थगन के प्रसंग में पूर्ण स्वायत्तता दी जायेगी।

बीस हजार से कम आबादी वाले कस्बों के लिए शुरू त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को पृथक रखा जाएगा और इस हेतु धनराशि बढ़ायी जाएगी।

2. संस्थागत स्वायत्तता, मानव संसाधन विकास, तकनीकी प्रसंग आदि

जल संसाधनों की एकीकृत योजना और उपयोगिता के लिए राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में संस्थागत प्रबन्ध; शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए पेय जल आपूर्ति और

स्वच्छता हेतु राज्य स्तर एक अलग विभाग; क्षेत्रगत संस्थाओं को धन प्रबंधन और परिचालन में अधिक स्वायत्तता; योजना स्तर से ही स्थानीय निकायों का सहयोग और सामुदायिक भागीदारी; बेहतर नतीजों हेतु योजना धन के उपयोग की छूट का प्रोत्साहन; निजीकरण की ओ० एंड एम० तथा नवीन उद्यमों से शुरुआत कर शनैः-शनैः अन्य क्षेत्रों में विस्तार की सुविधा; मानव संसाधन विकास के प्रसंग में समान नीति और दिशा-निर्देश, श्रमशक्ति की आवश्यकता, सुलभता और प्रशिक्षण जरूरतों का राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक; पर्याप्त सुविधा सम्पन्न राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संस्थानों की पहचान; राज्य स्थानीय निकाय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम; ओ० एंड एम० स्टाफ की प्रयोक्ता सुग्राहीता में बढ़ोतरी हेतु शोध तथा विकास; अधिक जन-प्रचार, गैर सरकारी संगठनों और उपभोक्ता की भागीदारी को बढ़ावा; निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण; स्रोत क्षमता और वहनीयता के सन्दर्भ में परियोजनाओं का डिजाइन निर्धारण; निविदा/बोली दस्तावेजों का मानकीकरण; सामग्रियों की गुणवत्ता के नियमन हेतु अन्य पक्ष से जांच; वैकल्पिक स्वच्छता प्रौद्योगिकी अपनाना; फालतू जल की नियमित आपूर्ति का प्रबन्ध; विद्यमान प्रणालियों के बदलाव के बिना अन्य प्रणालियां अपनाना; उपयुक्त मापदण्डों का विकास; जल संसाधन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दीर्घकालीन नदी-बेसिन मास्टर प्लान; राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अन्तः क्षेत्रीय समितियां; भूगर्भीय जल की निकासी के नियमन व विनियमन हेतु समुचित कानून और उनका प्रभावी प्रवर्त्तन; पेयजल की गुणता पर निगरानी हेतु नगर स्तरीय अवस्थापनाएं; ज्ञात जल स्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर स्तरीय उपभोक्ता मंचों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को सक्रिय बनाना; दूषित जल का शोधन बाद पुनः उपयोग; बरसाती पानी से फसल उगाई; पुनः प्रयोग व पुनरावर्त्तन प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहन; तथा पर्वतीय व रेगिस्तानी इलाकों की विशिष्ट समस्याओं पर विशेषतया पर्यावरण संरक्षा की दृष्टि से खास ध्यान देना जरूरी होगा।

[हिन्दी]

खादी वस्तुओं का निर्यात

*555. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग द्वारा निर्यात की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में इन वस्तुओं के निर्यात में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) के० वी० आई० सी० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में निर्मित निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है—

(1) खजूर के पत्तों से बनी फैंसी वस्तुएं,

(2) फाइबर से बनी फैंसी वस्तुएं;

(3) हस्तनिर्मित कागज;

(4) खादी रेशम;

(5) फाइबर निकालने की मशीनें;

(6) तेल निकालने की मशीनें;

(7) साबुन आधारित, वस्तुएं;

(8) पोटरी मदें; और

(9) तंदूर ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के० वी० आई० सी० ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) के० वी० आई० सी० ने यू० एस० ए० और कनाडा में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार विशेषज्ञ द्वारा हस्तनिर्मित कागज के बारे में बाजार सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि हस्तनिर्मित कागज के मार्गों और सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके ।

(2) कनाडा, यू० के०, जापान, यू० एस० ए० में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए के० वी० आई० सी० के अधिकारियों ने इन देशों का दौरा किया ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

*556. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रुख के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात संवर्धन के लिए उठाये गये कदमों/किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में निजी क्षेत्र और बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) क्या हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी के आयात हेतु दूसर देशों से कुछ प्रस्ताव मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सरकार की आर्थिक नीति में प्रौद्योगिकी का उदार आयात शामिल है जिससे स्वदेशी और निर्यात दोनों बाजारों के लिए हमारे उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके । स्वदेशी

सहयोग और विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन सहित द्रुतगामी प्रक्रियायें अपनायी जा रही हैं। इन प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के द्रुतगामी और प्रभावकारी अवशोषण, अनुकूलन और सुधार के लिए सरकार द्वारा उद्योग के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास कार्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम भी बताए गए हैं। साथ ही, सरकार ने वर्ष 1993-94 के वित्तीय विधेयक में स्वदेशी और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्द्धी उत्पादन के लिए आयातित प्रौद्योगिकी की उन्नति और स्वदेशी प्रौद्योगिकी उद्‌भूत करने के लिए उद्योग द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अनुबंधित अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए उदारकर प्रोत्साहनों का प्रावधान रखा है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की अनेक औद्योगिक कंपनियां दूसरे देशों, विशेषकर विकासशील देशों को प्रौद्योगिकियों का निर्यात कर रही है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकियों के आयात में संबंध में विदेश द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) से अनेक जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इनकी सूची संलग्नक में दी गई है।

इन प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) रक्त थैलियां—रक्त और रक्त प्लाज्मा रखने के लिए

(ii) सेंटक्रोमन—गर्भनिरोधक गोली

(iii) स्पाइरूलिना हाई प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट एल्गा—स्वास्थ्यवर्धक खाद्य और मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अधिक कालेस्ट्राल का उपचार करके शिशुओं में अंधता को रोकने के लिए

(iv) गुगुलीपिड—कालेस्ट्राल रोधी और लिपिडेमिक औषधि

(v) संकट सूक्ष्म परिपथ (हाइब्रिड-माइक्रो-सरकिट)—अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इलेक्ट्रानिक घटक

अन्य प्रौद्योगिकियों की सूची संलग्नक में दी गई है।

प्रौद्योगिकी के लाइसेंस देने के अनुबंध निष्पादित करने के लिए इन सभी मामलों पर सक्रियतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

नैनीताल अनुसंधान विकास निगम द्वारा 1986-92 की अवधि के दौरान प्राप्त जानकारियां

क्रमांक	देश	प्रौद्योगिकी का नाम
1	2	3
1.	बंगलादेश	नाशकमार सूत्रीकरण एकक
		अदरक संसाधन एकक
		लहसुन पाउडर
		पुदीना तेल से पुदीने का सत (मेन्थाल)
		स्पाइरूलाइना अल्गा

1	2	3
2.	इंडोनेशिया	रबड़कृत नारियल जटा गद्दे लघु सीमेंट संयंत्र रक्त थैलियां चावल भूसी कण बोर्ड फल संसाधन एकक
3.	मलेशिया	इंजिन तेल का पुनः शोधन संकर सूक्ष्म परिपथ (हाइब्रिड माइक्रो सरकिट)
4.	मेडगास्कर	लघु सीमेंट संयंत्र
5.	केन्या	चाय अवशिष्ट से काफीन निकोटीन सल्फेस
6.	सऊदी अरब	चर्म रसायन
7.	जिम्बाब्वे	पुदीने का सत (मेन्थाल)
8.	मिस्र	ग्रेफाइट एल्युमिनियम रक्त थैलियां औषधियां विटामिन बी 6
9.	श्रीलंका	नारियल पानी बोतलबंदी चावल भूसी कण बोर्ड
10.	नेपाल	चावल भूसी कण बोर्ड
11.	थाइलैंड	चावल भूसी कण बोर्ड
12.	वियतनाम	चावल भूसी कण बोर्ड
13.	दक्षिण कोरिया	सेंटक्रोमन गर्भनिरोधक
14.	चीन	चावल भूसी कण बोर्ड सेंटक्रोमन गर्भनिरोधक रक्त थैलियां
15.	फ्रांस	गुगुलीपिड औषधि
16.	हालैंड	स्पाइरुलाइना अल्गा सैंटक्रोमन गर्भनिरोधक तथा विभिन्न विपुल औषधि
17.	स्वीटजरलैंड	कृत्रिम हृदय वाल्व
18.	ब्राजील	ए जेड टी (एड्स रोधी औषधि) तथा ओमेप्राजोले (अलसर रोधी औषधि)
19.	ईरान	चाय अवशिष्ट से काफीन

संपीड़ित प्राकृतिक गैस चालित वाहन

*557. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस चालित वाहन बहुत कम मात्रा में कार्बन मोनो आक्साइड छोड़ते हैं और प्रदूषण नियन्त्रण में रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने और इस संबंध में उद्यमियों को लाइसेंस जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां, संपीड़ित प्राकृतिक गैस चालित वाहन कम मात्रा में कार्बन मोनो आक्साइड छोड़ते हैं और इससे प्रदूषण नियन्त्रण में सहायता मिलती है।

(ख) और (ग) नई औद्योगिक नीति के अधीन मोटरकारों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों के निर्माण को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। सरकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस सहित अपरम्परागत ईंधन पर आधारित मोटरकारों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को बढ़ावा देती है। किन्तु सरकार को संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर आधारित कारों के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

बी० एच० ई० एल०, भोपाल की उत्पादन क्षमता

*558. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बी० एच० ई० एल० का वर्ष 1992-93 का उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था;

(ग) 1992-93 के दौरान किन-किन देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(घ) क्या इस एकक की उत्पादन क्षमता इसकी निर्यात करने की सम्भावना की तुलना में में कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इस एकक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) बी० एच० ई० एल० के भोपाल संयंत्र का वर्ष 1992-93 के लिए उत्पादन लक्ष्य 740 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

(ग) बी० एच० ई० एल० की भोपाल इकाई ने वर्ष 1992-93 के दौरान लीबिया को कलपुर्जों तथा मलेशिया को हाइड्रो टर्बाइनों और ट्रांसफार्मरों का निर्यात किया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

औद्योगिक कार्यनिष्पादन

*559. श्री अन्ना जोशी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के प्राक्कलन के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक कार्य निष्पादन अनियमित रहा है;

(ख) यदि हां, तो माहवार औद्योगिक कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन अनियमित है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन सकारात्मक रुख में रहा है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए आधार 1980-81 सहित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अद्यतन त्वरित अनुमानों के अनुसार, दिसम्बर, 1992 मास का सामान्य सूचकांक 225.0 पर है जो 1991 के तत्संबंधी मास में 1.2 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले में 1.4 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 1992-93 की अप्रैल-दिसम्बर अवधि का औसत सूचकांक 208.9 पर है जो 1991-92 की तत्संबंधी अवधि के दौरान 0.6 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले में 3.6 प्रतिशत अधिक है।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार 1980-81=100)

मास	सामान्य सूचकांक			वृद्धि दर	
	1990-91	1991-92	1992-93	1991-92/ 1990-91	1992-93/ 1991-92
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	197.0	194.9	208.6	—1.1	7.0
मई	201.4	195.9	205.1	—2.7	4.7
जून	203.2	196.8	203.4	—3.1	3.4
जुलाई	201.6	203.8	200.8	1.1	—1.5

1	2	3	4	5	6
अगस्त	200.7	196.9	203.0	—1.9	3.1
सितम्बर	197.8	200.8	213.4	1.5	6.3
अक्तूबर	196.2	200.2	207.9	2.0	3 8
नवम्बर	204.2	203.9	213.0	—0.1	4.5
दिसम्बर*	224.6	221.9	225.0	—1.2	1.4
औसत (अप्रैल-दिसम्बर)	203.0	201.7	208.9	—0.6	3.6

*का अर्थ है कि 1992-93 के सूचकांक त्वरित अनुमान है।

विवरण-II

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
विभिन्न क्षेत्रों/उद्योग समूहों में वृद्धि दरें

(आधार 1980-81 = 100)

रा० औ० वर्गी० कोड	उद्योग समूह	भार (%)	अप्रैल-दिसम्बर (%) 1992-93/1991-92
1	2	3	4
20-21	खाद्य उत्पाद	5.33	3.4
22	पेय पदार्थ, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	1.57	—12.0
23	सूती वस्त्र	12.31	2.1
25	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	2.00	—15.4
26	वस्त्र उत्पाद (पहनने के परिधानों सहित) जूतों के अतिरिक्त	0.82	—17.6
27	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर तथा जुड़नार	0.45	—1.4
28	कागज तथा कागज उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन तथा सम्बद्ध उद्योग	3.24	3.4
29	चमड़े और चमड़े तथा रोयेदार चमड़े का उत्पाद (मरम्मत को छोड़कर)	0.49	6.0

1	2	3	4
30	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद	4.00	1.6
31	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर)	12.51	7.0
32	अधात्त्विक खनिज उत्पाद	3.00	1.1
33	मूल धातु तथा मिश्रधातु उद्योग	9.80	—2.4
34	धातु उत्पाद और पुर्जे, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर को छोड़कर	2.29	—5.8
35	मशीनरी, मशीन औजार तथा पुर्जे, विद्युत मशीनरी को छोड़कर	6.24	0.9
36	विद्युत मशीनरी, उपकरण, साधित्र तथा सप्लाई और पुर्जे	5.78	12.7
37	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	6.39	2.9
38	अन्य विनिर्माणकारी उद्योग	0.91	—1.3
2-3	विनिर्माणकारी	77.11	3.7
1	खनन तथा उत्खनन	11.46	2.1
4	विद्युत	11.43	4.6
	सामान्य सूचकांक	100.00	3.6

विशेष ध्यान दीजिए : दिसम्बर, 1992 के सूचकांक के त्वरित अनुमानों पर आधारित।

कैगा, कर्नाटक में परमाणु विद्युत संयंत्र

***560. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कैगा में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1993 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) कर्नाटक में 2 × 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली कैगा-1 तथा 2 परियोजना के बारे में मुख्य संयंत्र में संबंधित सिविल-

और संयंत्र संबंधी उपस्कर और संघटकों की प्राप्ति और स्थापना संबंधी कार्य प्रगति पर है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये दोनों यूनिट वर्ष 1996 में क्रांतिकता प्राप्त करेंगे।

(ख) कैगा 1 तथा 2 हेतु वर्ष 1993-94 के लिए बजट अनुमान 270 करोड़ रुपए है।

(ग) फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना पर लगभग 604 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है, जिसमें लिए गए ऋण पर लगा ब्याज भी शामिल है।

(घ) और (ङ) परियोजना के स्थापित किए जाने के कारण केवल 85 परिवार ही विस्थापित हुए हैं और इसके अतिरिक्त उन परिवारों की संख्या 48 है जो विस्थापित नहीं हुए किन्तु भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए हैं। परियोजना प्राधिकारियों ने भूमि के अधिग्रहण और पुनर्स्थापना अनुदान के संबंध में मुआवजे की राशि परियोजना के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों में वितरित किए जाने के लिए जमा करा दी है। परियोजना के कारण प्रभावित व्यक्तियों का उस पुनर्स्थापना स्थल की ओर जाने का काम, जिसे परियोजना प्राधिकारियों ने सभी आधारभूत सुविधाओं सहित विकसित किया है, अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की आशा है। प्रभावित परिवारों में से 133 व्यक्तियों को इस परियोजना में रोजगार दिया गया है।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से ऋण

*561. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में एड्स की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ उदार शर्तों पर 840 लाख पौंड के ऋण के लिए किए गए करार के अन्तर्गत देश में 1992-97 के दौरान राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियन्त्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन प्राप्त हो रहा है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अधीन तैयार की गई कार्यनीतियां इस प्रकार हैं :

(i) अत्यधिक खतरे के आचरण से बचने के लिए जागरूकता पैदा करना;

(ii) रक्त निरापदता और रक्त के यौक्तिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना;

(iii) यौन संचारित रोगों का नियंत्रण; और

(iv) एड्स के रोगियों का बेहतर नैदानिक उपचार।

[हिन्दी]

ताप्ती गैस फील्ड का विकास

*562. श्री छीतू भाई गामीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार में ताप्ती गैस फील्ड के विकास के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 1991 में ताप्ती गैस क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार ने 12 मध्यम आकार के तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास के लिए अगस्त, 1992 में भारतीय तथा विदेशी तेल कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किया था। "मध्य" तथा "दक्षिण ताप्ती" ऐसे विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में से एक हैं। प्रस्तावों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 1993 थी। मध्य तथा दक्षिणी ताप्ती गैस क्षेत्र के विकास के लिए 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

तपेदिक की नई किस्में

*563. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक की नई किस्में, जिनके रोगियों पर परम्परागत औषधियों का असर नहीं हो रहा है और जिनके लिए उपचार के नये तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है, बहुत तेजी से फैल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तपेदिक की इन किस्मों का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत में परम्परागत औषधियों के असर न होने वाली तपेदिक की नई बीमारियां अभी तक नहीं उभरी हैं। बहरहाल, औषधों के असर न होने की स्थिति में शीघ्र उपचार के लिए रोगियों को रिफैम्पिसीन और पाइराजिनामाइड जैसी तपेदिक रोधी औषधियां दी जाती हैं।

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाएं

*564. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनके पुनर्वास की समस्या के कारण कुछ निर्माणाधीन कोयला परियोजनाओं का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । कुछ बड़ी चालू परियोजनाओं में ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई थी, उनका पुनर्वास किए जाने से सम्बद्ध समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ है । ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) ब्लाक-II ओपनकास्ट (भारत कोकिंग कोल लि०)

(2) सोनपुर बाजारी "क" ओपनकास्ट (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

(3) कोटाडीह ओपनकास्ट (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

(4) जामबाद ओपनकास्ट (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

(5) झारिया ओपनकास्ट (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०)

(6) रामागुंडम ओपनकास्ट-III (सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०)

(ग) सोनपुर बाजारी "क" ओपनकास्ट परियोजना (पश्चिम बंगाल) में भू-वंचित व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया था और इस संबंध में कोल इंडिया लि० को कार्यान्वयन करने हेतु दिशानिर्देश मई, 1990 में परिचालित कर दिए गए थे । इस पुनर्वास पैकेज को बाद में अक्तूबर, 1990 में विस्तार कर दिया गया, और इसके अन्तर्गत सभी परियोजनाओं को, जहां कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्याएं हैं, ला दिया गया ।

[अनुवाद]

झारखंड स्वायत्त क्षेत्र

*565. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडो लैंड स्वायत्त परिषद की भांति झारखंड स्वायत्त क्षेत्र बनाने के संबंध में हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

डेंगू महामारी

*566. श्री को० देवराय नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस में "डेंगू एपिडेमिक थ्रेटन्स 85 नेशंस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में डेंगू महामारी का कोई खतरा है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीमारी को रोकथाम हेतु एहतिहाती कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि अलग-अलग क्षेत्रों में इस रोग के थोड़ा-थोड़ा फैलने की सूचना मिली है, फिर भी डेंगू महामारी द्वारा जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए सन्निकट खतरा होने का कोई संकेत नहीं मिला है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कम राख वाले कोयले का दोहन

*567. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने दामोदर नदी की तलहटी के कोयला भण्डारों से लगभग 7 करोड़ टन कम राख वाले कोयले का दोहन करने की परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोयला भण्डारों का दोहन कितनी अवधि तक किया जा सकेगा;

(घ) क्या नदी के बहाव को प्रस्तावित दिशा में मोड़ने के कारण वहां से हटाए जाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ङ) प्रस्तावित दामोदर नदी अपवर्तन परियोजना से कारगली सीमा वाले लगभग 80 मिलियन टन कोककर कोयला प्राप्त होने की संभावना है, जिसका बाद में ओपनकास्ट खनन द्वारा उत्खनन किए जाने का प्रस्ताव है। आरम्भिक क्रियाकलापों पर कार्य शुरू किए जाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए की राशि के मूल्य की अग्रिम कार्रवाई की स्वीकृति दी थी। किन्तु, कोयला कम्पनी परियोजना के लिए अपेक्षित संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण, भू-वंचित परिवारों के पुनर्वास, वन संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने, आदि जैसे अग्रिम कार्रवाई क्रियाकलापों को पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधि प्राप्त करने हेतु यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने इंगित किया है कि इस परियोजना से 800 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है तथा इसके लिए उन्होंने एक पुनर्वास योजना तैयार की है। अक्तूबर, 1991 के अनुमानों के अनुसार नदी अपवर्तन परियोजना की लागत 373.12 करोड़ रुपए रखी गई है। किन्तु, निवेश निर्णय लिए जाने संबंधी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण तथा वनीय अनुमोदन, आदि जैसे मुद्दों पर निर्भर करती है।

इस्पात संयंत्रों को अपेक्षित कोककर कोयले को जारी किए जाने के लिए नयी अपवर्तन परियोजना की योजना बनायी गई है तथा वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह परियोजना एक व्यवहार्य प्रस्ताव के रूप में है। इस ओपनकास्ट खान की 2.70 मिलियन टन प्रति वर्ष की निर्धारित क्षमता को देखते हुए इसकी समयावधि लगभग 30 वर्ष की होगी।

[हिन्दी]

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

*568. **प्रो० राम कापसे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए राजभाषा विभाग में कोई प्रकोष्ठ है;

(ख) यदि हां, तो 1992 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) कुल 905।

(ग) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित नियमों के उल्लंघनों के बारे में प्राप्त शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

दंगा पीड़ित बच्चे

*569. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान से दंगा पीड़ित बच्चों को सहायता देने हेतु उनका पता लगाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक इस प्रकार की समितियां बना ली हैं;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों ने वित्तीय सहायता का उपयोग किया है;

(घ) इन राज्यों को अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(ङ) इन राज्यों में दंगा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अब तक भेजी गई सूचना के अनुसार, 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी, ने राज्य और जिला स्तर की समितियां गठित कर दी हैं।

(ग) से (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93 के लिए अब तक जारी की गई राशि	इसके अन्तर्गत आए बच्चों की संख्या	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,475 रु०	9	एक तिमाही के लिए जारी (जुलाई-सितम्बर, 1992)
2.	गुजरात	(i) 61,200 रु०	24	दो तिमाहियों के लिए जारी (जुलाई-सितम्बर, और अक्तूबर-दिसम्बर, 1992)
		(ii) 14,625 रु०	13	एक तिमाही के लिए जारी (जुलाई से सितम्बर, 1992)
		(iii) 7,500 रु०	8	(फरवरी-मार्च, 1993) के लिए जारी।
3.	कर्नाटक	(i) 40,500 रु०	18	तीन तिमाहियों के जारी (जुलाई, 1992-मार्च, 1993)
		(ii) 10,125 रु०	3	-तदैव-
4.	उत्तर प्रदेश	15,750 रु०	14	एक तिमाही के लिए जारी (जुलाई-सितम्बर, 1992)
5.	दिल्ली	20,400 रु०	16	एक तिमाही के लिए जारी (जून-मार्च, 1993)
6.	बिहार	67,500 रु०	30	दो तिमाहियों के लिए जारी (अक्तूबर, 1992-मार्च, 1993)

मेघालय में धातु और खनिज

*570. श्री पीटर जी० मरबनियांग : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने मेघालय में गत तीन वर्षों के दौरान धातु और खनिजों के भण्डारों का पता लगाने के लिए किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) प्रत्येक धातु/खनिज के भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार ने उनके समुचित दोहन के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने मेघालय के निम्नलिखित क्षेत्रों में धातुओं/खनिजों के लिए अन्वेषण किया है—

1. प्लेटिनॉयड के लिए पूर्व खासी और जयन्तिया हिल्स जिले की सुंग घाटी।

2. चूना-पत्थर के लिए जयन्तिया हिल्स जिले की लितांग घाटी।

3. आधार धातुओं के लिए टारसद-बारापानी शीयर जोन के विस्तार।

4. आधार-धातुओं के लिए पूर्व खासी हिल्स जिले के उमपायरथा क्षेत्र के आस-पास।

5. मोलिब्डेनम के लिए पश्चिम खासी हिल्स जिले के सोना पहाड़ क्षेत्र।

(ख) सुंग घाटी और टारसद-बारापानी शीयर जोन के अन्वेषणों से उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले हैं। दूसरे क्षेत्रों में कार्य चल रहा है और इस कार्य के पूरा होने के बाद, परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(ग) इन धातुओं/खनिजों का विदोहन इन निक्षेपों की तकनीकी-आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है।

गुजरात में बिजली घरों को कोयला

*571. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न बिजली घरों की कोयले की मांग कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बिजली घरों को वास्तविक रूप से प्रतिवर्ष कुल कितना कोयला सप्लाई किया गया;

(ग) क्या इन बिजली घरों को अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बिजली घरों को अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आवश्यकताओं के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) द्वारा किए गए मूल्यांकन को तथा वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 की अवधि के दौरान किए गए वास्तविक प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है :

(000 टन में)
(अनन्तिम आंकड़े)

वर्ष	सी० ई० ए० द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार आवश्यकता	वास्तविक प्रेषण	मीट्रिक टन में प्रतिशतता
1990-91	9544	8401	88%
1991-92	9606	9274	97%
अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993	9963	9729	98%

गुजरात विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत गृहों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में कोयले पर आधारित विद्युत के उत्पादन से वृद्धि हुई है तथा गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने संयंत्र लोड फैक्टर में काफी सुधार कर लिया है।

(ङ) देश में, गुजरात विद्युत बोर्ड गृहों सहित, सभी विद्युत गृहों को कोयले के संचालन में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत गृहों की कोयले की आपूर्ति पर गहन निगरानी रखी जाती है तथा आवश्यकता के अनुसार कोयले की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

आरक्षण नीति

*572. श्री बिलास मुत्तेमवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संगठनों द्वारा यह मांग की गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार में आरक्षण संबंधी वर्तमान प्रशासनिक निर्णय के स्थान पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कुछ विभिन्न संगठनों से प्राप्त मांगों के अनुसार, सेवाओं आदि में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले विद्यमान नियमों/विनियमों को सांविधिक समर्थन प्रदान करने हेतु संसद में एक विधान प्रस्तुत करने का मामला भारत सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता

*573. डा० सी० सिलवेरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच हुए समझौते के उन खण्डों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) उन खण्डों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) इन खण्डों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन खण्डों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 30 जून, 1986 को समझौते के खण्डों पर हुए हस्ताक्षर के ब्योरों तथा उनकी कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जैसा कि विवरण से देखा जाएगा, कि केन्द्र सरकार ने समझौते के विभिन्न खण्डों, जिनसे वह संबंधित है, के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है।

विवरण

मिजोरम समझौते के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई का विवरण

समझौते के ज्ञापन की विषय वस्तु	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2
प्रस्तावना	
1. भारत सरकार मिजोरम में विक्षुब्ध स्थिति को समाप्त करने तथा शांति और साहार्दता की बहाली करने के लिए सदैव गंभीर प्रयास करती रही है।	प्रयासों के परिणाम हैं।
2. इसके लिए, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पहल की गई थी। मिजो नेशनल फ्रंट (एम० एन० एफ०) के लिए श्री लालडेंगा द्वारा दो शर्तों, नामतः, एम० एन० एफ० द्वारा हिंसा को रोकने तथा भारत के संविधान के ढांचे के भीतर वार्ता करने, को स्वीकार किए जाने के बाद श्री लालडेंगा के साथ बातचीत के कई दौर हुए। बातचीत के दौरान जिन कई मुद्दों पर समझौता हुआ, उनको निम्नलिखित पैरों में शामिल किया गया है।	समझौता हुआ।
सामान्य स्थिति की बहाली	
3.1. मिजोरम में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली करने के लिए एम० एन० एफ० पार्टी ने स्वीकार्य समय-सीमा अवधि के अन्दर, सभी भूमिगत गतिविधियों को समाप्त करने, एम० एन० एफ० के सभी भूमिगत कार्यकर्ताओं को शस्त्रों, गोला-बारूद और हथियारों सहित बाहर	समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के परिणामस्वरूप, 534 एम० एन० एफ० कार्मिक तथा उनके परिवारों के 154 सदस्य बाहर आए हैं और सामान्य जीवन धारा में शामिल हो गए। एक समय-सीमाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने अपने शस्त्र

1	2
लाने, ताकि वे सामान्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें, हिंसा को त्यागने और सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए सामान्य रूप से मदद करने के लिए स्वयं सभी आवश्यक उपाय करने का आश्वासन दिया। सभी भूमिगत कार्मिकों को बाहर लाने तथा शस्त्र, गोला-बारूद और उपकरणों को जमा कराने के तरीके तैयार किए जाएंगे। उपरोक्त का कार्यान्वयन, केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण में होगा।	और गोला-बारूद जमा करवा दिए हैं।
3.2. एम० एन० एफ० पार्टी अपने संगठन में संशोधन करने के लिए तुरन्त उपाय करेगी ताकि उनको कानून के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जा सके।	एम० एन० एफ ने अपने संविधान को पहले ही संशोधित कर लिया है ताकि उसे कानून के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जा सके।
3.3. केन्द्र सरकार बाहर आने वाले भूमिगत एम० एन० एफ० कार्मिकों का पुनर्वास करने के लिए, इस संबंध में मिजोरम सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर विचार करने के बाद उपाय करेगी।	भारत सरकार ने बाहर आए एम० एन० एफ० कार्मिकों का पुनर्वास करने के लिए मिजोरम सरकार को 1.91 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मिजोरम सरकार द्वारा पुनर्वास के उचित उपाय किए हैं।
3.4. एम० एन० एफ० ने यह आश्वासन दिया है कि वह त्रिपुरा/ट्राईबल नेशनल वालंटियर्स (टी० एन० वी०) पीपुल्स लिबेशन आर्मी आफ मनीपुर (पी० एल० ए०) और से किसी अन्य समूह को, प्रशिक्षण, शस्त्रों की आपूर्ति करके अथवा संरक्षण प्रदान करके अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायता नहीं देगी।	उपलब्ध सूचना के अनुसार टी० एन० वी० पी० एल० ए० अथवा ऐसे किसी अन्य समूह को प्रशिक्षण, शास्त्रों की आपूर्ति करके अथवा संरक्षण प्रदान करके अथवा किसी अन्य ढंग से एम० एन० एफ० कोई सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।
कानूनी, प्रशासनिक तथा अन्य कदम	
4.1. मिजोरम के लोगों के सभी वर्गों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की संतुष्टि	मिजो नेशनल फ्रंट के कार्यकर्ताओं के अपने हथियार एवं गोली

के लिए सरकार, समझौते के इस ज्ञापन में निहित अन्य अनुबन्धों को ध्यान में रखते हुए नये शासित क्षेत्र, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए उपाय शुरू करेगी।

4.2. उपर्युक्त को प्रभावशील बनाने के लिए उपर्युक्त के अनुसार राज्य का दर्जा दिए जाने हेतु संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पारित करने तथा अन्य कानून बनाने सहित आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से लागू होंगे—

4.3. उपर्युक्त संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान होंगे—

(I) मिजोरम के क्षेत्र में वह समस्त क्षेत्र शामिल होगा जो उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के खण्ड 6 में विनिर्दिष्ट हैं।

(II) संविधान में कुछ भी समाहित होते हुए भी, निम्नलिखित के बारे में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की विधान सभा एक संकल्प के द्वारा ऐसा

बारूद सहित बाहर आ जाने के बाद और एम० एन० एफ० द्वारा अपने संविधान में ऐसे संशोधन के बाद जिससे कि कानून के प्रावधानों की पुष्टि हो सके, भारत सरकार ने मिजोरम को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए विधायी उपाय किए। इस बारे में "संविधान (53वां संशोधन) अधिनियम, 1986" तथा "मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अधिनियमित किए गए हैं। 28 फरवरी, 1987 से मिजोरम राज्य अस्तित्व में आ गया है। राज्य विधान सभा में 40 सदस्य होते हैं। समझौता-ज्ञापन में अनुबद्ध मदों के लिए भी विधायनों में प्रावधान किए जाते हैं।

1	2
निर्णय नहीं लेती; बशर्ते कि इस धारा की कोई बात, निर्धारित तिथि से ठीक पहले मिजोरम में लागू किसी केन्द्रीय अधिनियम पर लागू नहीं होगी— (क) मिजो लोगों की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथाओं के बारे में, (ख) मिजो लोगों के पारम्परिक कानून अथवा प्रक्रियाएं (ग) मिजो-पारम्परिक कानून के अनुसार निर्णयों वाले सिविल और आपराधिक न्याय प्रशासन के बारे में, (घ) भूमि स्वामित्व तथा हस्तांतरण के बारे में, (III) मिजोरम की विधान सभा के संबंध में अनुच्छेद 170 धारा (I) उसी प्रकार प्रभावी होगी मानो कि "साठ" शब्द के स्थान पर "चालीस" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया हो ।	
5. जैसे ही राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्तुत विधेयक कानून का रूप ले लेगा और जब राष्ट्रपति संतुष्ट होंगे कि सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के अनुकूल स्थितियां मौजूद हैं, विधान सभा के चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।	राज्य विधान सभा के चुनाव 16-2-1987 को कराए गए थे ।
6. (क) एक संघ शासित क्षेत्र से एक राज्य में परिवर्तित हो जाने से स्तर के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा नई सरकार को	भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन में उल्लिखित राजस्व अन्तर को पूरा किया है और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामलों को

संसाधन भी हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, इनमें वे संसाधन भी शामिल होंगे जो उस वर्ष के राजस्व के अन्तर को पूरा करेंगे।	भांति ही केन्द्र सरकार मिजोरम की "योजना सहायता" दे रही है।
(ख) संसाधनों में किसी अविशिष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए "योजना" के लिए केन्द्रीय सहायता निश्चित की जाएगी जिससे कि अनुमोदित योजनागत परिव्यय को जारी रखा जा सके तथा सहायता का प्रकार वैसा ही होगा जैसा कि विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में होता है।	
7. पड़ौसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंधों के दृष्टिगत स्थानीय रूप से उत्पन्न की जाने वाली कृषि-संबंधी सामग्री के सीमा व्यापार की अनुमति, केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना के अन्तर्गत दी जाएगी।	म्यानमार एवं बंगलादेश की सरकारों को भारत के साथ सीमा-व्यापार के लिए सहमत करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं।
8. मिजोरम में इस समय लागू "इनर लाइन रेगूलेशन" में राज्य सरकार से परामर्श किए बिना न तो संशोधन किया जाएगा और न ही उसे निरस्त किया जाएगा।	किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है और प्रावधान का सम्मान किया जा रहा है।
अन्य मामले	
9. मिजोरम के अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को, जैसा कि संविधान में विचार किया गया है, संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जाएगी।	संविधान की छठवीं अनुसूची के अधीन लाखेर, पावी और चकमाओं के लिए स्वायत्त जिला परिषदें, मिजोरम के एक राज्य बन जाने के बाद भी कार्य करती रही हैं। इन परिषदों को और अधिक शक्तियां दिए जाने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया गया है।
10. मिजोरम सरकार द्वारा "ज्ञापन" के पैरा 4.8(11) की धाराओं (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबधित मौजूदा रीतियों, प्रथाओं, कानूनों	मिजोरम सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

1	2
अथवा अन्य प्रयोगों की समीक्षा करने तथा उन्हें कोडीकृत करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक मिजो व्यक्ति ऐसे मामलों से संबंधित और सामान्यतः लागू होने वाले मामलों में संसद के अधिनियमों से शासित होने को प्राथमिकता प्रदान करे।	
11. एक प्रशासकीय इकाई गठित करने के लिए अन्य राज्यों के मिजो आबादी वाले क्षेत्रों का एकीकरण करने का प्रश्न मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा उठाया गया था। भारत सरकार की तरफ से उन्हें यह बताया गया था कि इस संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रक्रिया निर्धारित है लेकिन सरकार इस संबंध में कोई वचन नही दे सकती है।	इस संबंध में कोई कार्रवाई करना उपेक्षित नहीं है।
12. सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जैसे ही मिजोरम राज्य बन जाएगा।	मिजोरम सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।
(I) संविधान के भाग XVII के उपबन्ध लागू होंगे और राज्य के सभी या किसी एक सरकारी प्रयोजन लिए, राज्य में बोली जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अपनाने के लिए राज्य स्वतंत्र होगा।	
(II) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में एक प्रथक विश्वविद्यालय स्थापित करना राज्य पर निर्भर करता है।	समझौता ज्ञापन में यह कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक प्रथक विश्वविद्यालय की स्थापना करना राज्य पर निर्भर करता है। अतः समझौता ज्ञापन में केन्द्र सरकार की तरफ से इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दिया गया

	था कि एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मिजोरम के मुख्य मंत्री ने सूचित किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के साथ मामला उठाया गया है।
(III) 31 अगस्त, 1995 को नई दिल्ली में हुए मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, मिजोरम यदि चाहे तो अपना एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकारी है।	उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन का कार्य लम्बित रहने की स्थिति में 5-7-90 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक दो सदस्यीय पीठ ने कार्य करना शुरू कर दिया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में एक पृथक उच्च न्यायालय के गठन का मामला, इन राज्यों में, प्रत्येक में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करने और पीठ द्वारा कुछ समय तक कार्य करने के बाद उठाया जाएगा।
13. (क) यह नोट किया गया कि संघ शासित क्षेत्र मिजोरम में 1966 के दंगों में और उसके बाद मारे गए व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/आश्रितों को अनुग्रहपूर्वक राशि की अदायगी करने की एक योजना पहले से ही लागू है। उन पात्र व्यक्तियों को जल्दी भुगतान करने के प्रबन्ध किए जाएंगे जिन्होंने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया है लेकिन जिन्हें अभी तक इस प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।	मई, 1988 में 2.20 करोड़ रुपये की राशि दी गई। इस धारा को कार्यान्वित कर दिया गया है।
(ख) यह नोट किया गया कि अधिकारियों के एक संयुक्त दल द्वारा किए गए सत्यापन के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने, फसल को हुई हानि, मिजोरम में कार्यवाही के दौरान नष्ट/क्षतिग्रस्त भवनों के संबंध में प्रतिपूर्ति की अदायगी और सुरक्षा बलों द्वारा अधिकृत	भारत सरकार ने उन सभी दावों का भुगतान कर दिया जिन्हें उपरोक्त संयुक्त दल ने चुना और सत्यापित किया था।

1	2
भवनों और भूमि के किराए का भुगतान करने के लिए पहले ही प्रबन्ध कर लिए हैं। तथापि ऐसे कुछ दावे हो सकते हैं जिनका उपरोक्त दल द्वारा चयन और सत्यापन किया गया हो लेकिन उनका अभी निपटान नहीं किया गया है। इन लम्बित पड़े दावों को जल्दी ही निपटाया जाएगा। लम्बित पड़े दावों की अदायगी या सुरक्षा बलों द्वारा अधिकृत भूमि/भवनों के किराया प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था भी की जाएगी।	

कोयले के स्रोत

*574. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा और देश के अन्य भागों में कोयले के स्रोतों का पता लगाने और उनका आंकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) देश में विशेष रूप से उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने संबंधित स्रोतों का आंकलन किया गया;

(घ) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड का आठवी योजना अवधि में उड़ीसा में कोयले की खोज के लिए ड्रिल मशीनें लगाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा (1200 मी० की गहराई तक) किए गए राज्यवार कोयले के अनुमानित भंडारों के मूल्यांकन को नीचे दर्शाया गया है—

राज्य	(कोयले के भंडार मि० टन में)
आन्ध्र प्रदेश	10837.75
अरुणाचल प्रदेश	90.23
असम	295.18
बिहार	64371.75
मध्य प्रदेश	39022.56
महाराष्ट्र	6276.53
मेघालय	459.43
नागालैंड	19.94
उड़ीसा	46218.44
उत्तर प्रदेश	1062.21
पश्चिम बंगाल	25123.11
जोड़	193777.13

(ग) देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान मूल्यांकित कुल वृद्धात्मक संसाधन लगभग 7732.89 मि० टन है जिसमें से उड़ीसा कोयला क्षेत्र में लगभग 1956.90 मि० टन विद्यमान है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, भारतीय भू-सर्वेक्षण और केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० की प्रत्येक की 6 ड्रिलें क्षेत्रीय अन्वेषण तथा विस्तृत रूप में अन्वेषण कार्य किए जाने के लिए नियोजित हैं, जोकि क्रमशः उड़ीसा के तलचर तथा ईब नदी कोयला क्षेत्रों में नियोजित हैं। इसके अलावा खनिज अन्वेषण निगम की 5 ड्रिलें और उड़ीसा राज्य सरकार की 10 ड्रिलें तलचर कोयला क्षेत्र में वृद्धात्मक ड्रिलिंग करने और क्रमशः तलचर तथा ईब नदी कोयला क्षेत्रों में विस्तृत रूप में अन्वेषण कार्य किए जाने में कार्यरत हैं। भविष्य में ड्रिलों को नियोजित किए जाने का कार्यक्रम गर्भित ब्लाकों तथा प्रक्षिप्त मांग पर निर्भर करता है।

जन्म दर

*575. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत जन्म-दर कम करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) अब तक इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 के दौरान परिवार नियोजन युक्तियों के संबंध में राज्यवार प्रत्याशित और वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी		आई०यू०डी० निवेशन	
		उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर (1992-93)	वास्तविक उपलब्धियां† (अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 तक)	उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर (1992-93)	वास्तविक उपलब्धियां † (अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 तक)
1	2	3	4	5	6
I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	आन्ध्र प्रदेश	600000	448143	480000	258133
2.	असम	254000	22242०	50000	20412०
3:	बिहार	500000	202869०	400000	101459०
4.	गुजरात	285000	206464	430000	283335
5.	हरियाणा	104000	86349	183000	115098
6.	कर्नाटक	360000	299840	290000	213064
7.	केरल	140000	128697	125000	86107
8.	मध्य प्रदेश	400000	285367	390000	231796
9.	महाराष्ट्र	526000	483652	485000	396126
10.	उड़ीसा	175000	114232	187000	125830
11.	पंजाब	100000	76013०	500000	284104०

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	225000	170967	250000	150405
13.	तमिलनाडु	350000	327808	450000	341856
14.	उत्तर प्रदेश	650000	320745	1600000	900635
15.	पश्चिम बंगाल	400000	2023320	325000	1144550
16.	हिमाचल प्रदेश	35000	35097	58000	44402
17.	जम्मू और कश्मीर	39000	3537000	17000	6026000
18.	मणिपुर	7000	1111000	8400	2686000
19.	मेघालय	1000	43400	1500	118000
20.	नागालैंड	2000	68100	3000	56500
21.	सिक्किम	1100	77100	1400	100200
22.	त्रिपुरा	11200	50540	2300	14470
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1880	1636	1900	1364
24.	अरुणाचल प्रदेश	2400	9510	3000	18040
25.	चंडीगढ़	2800	23510	8000	50100
26.	दादरा और नगर हवेली	700	49600	200	19600

27.	दिल्ली	41250	33660	90000	69560
28.	गोवा	3980	4007	3000	2942
29.	दमण और दीव	330	309	200	185
30.	लक्षद्वीप	90	33°	200	70°
31.	मिजोरम	1310	3601°	2700	1642°
32.	पांडिचेरी	4600	7370	4000	3600
II.	अन्य एजेंसियां				
33.	रक्षा मंत्रालय	20400	16783	17325	12281
34.	रेल मंत्रालय	30600	21765°	17325	10565°
35.	वाणिज्यिक जिले	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अखिल भारत	5275640	3515367	6384450	3789342

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य एजेंसी	पारम्परिक गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता: उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर (1992-93)	पारम्परिक गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता: वास्तविक उपलब्धि+ (अप्रैल, 1992 फरवरी, 1993)	मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता: उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर (1992-93)	मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता: वास्तविक उपलब्धि+ (अप्रैल, 1992 (फरवरी, 1993
1	2	7	8	9	10
I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	आन्ध्र प्रदेश	1085000	839861	279000	172589
2.	असम	60000	361910	21000	112230
3.	बिहार	400000	918950	91000	277920
4.	गुजरात	720000	722421	153000	76381
5.	हरियाणा	500000	477537	37000	31044
6.	कर्नाटक	280000	263030	112000	78795
7.	केरल	300000	260011	49000	32426
8.	मध्य प्रदेश	1300000	1050242	349000	184602
9.	महाराष्ट्र	1176000	1080210	453000	2432520
10.	उड़ीसा	350000	266045	79000	38900

11.	पंजाब	500000	4852550	70000	578610
12.	राजस्थान	450000	346306	98000	37641
13.	तमिलनाडु	250000	195355	139000	89327
14.	उत्तर प्रदेश	1765000	1551079	342000	140602
15.	पश्चिम बंगाल	450000	3169940	244000	1203820
16.	हिमाचल प्रदेश	70000	75805	20000	13827
17.	जम्मू और कश्मीर	17000	14473000	6000	3823000
18.	मणिपुर	8000	2100000	6000	452000
19.	मेघालय	3000	145900	1000	98500
20.	नागालैंड	1500	100	1000	7500
21.	सिक्किम	400	33200	1000	215000
22.	त्रिपुरा	2200	24030	3000	26740
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1800	2236	1000	388
24.	अरुणाचल प्रदेश	900	8760	2000	9620
25.	चंडीगढ़	8000	102880	410	3520
26.	दादरा और नगर हवेली	700	11600	140	14900
27.	दिल्ली	344250	3924310	9000	78010

1	2	7	8	9	10
28.	गोवा	10000	14096	3000	2393
29.	दमण और दीव	800	990	140	202
30.	लक्षद्वीप	1700	159०	490	42०
31.	मिजोरम	2921	1367०	1000	624०
32.	पांडिचेरी	7900	9462	1000	814
II. अन्य एजेंसियां					
33.	रक्षा मंत्रालय	53800	45087	4000	2461
34.	रेल मंत्रालय	350700	312127०	5000	4595०
35.	वाणिज्यिक जिले	6000000	3592667	2000000	634154
	अखिल भारत	16471571	12433907	4581180	2021740

† : उपलब्धियों के आंकड़े अनन्तिम

० : आंकड़े जनवरी, 1993 तक

०० : आंकड़े दिसम्बर, 1992 तक

००० : आंकड़े नवम्बर, 1992 तक

विवरण-II

वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्ध करायी गई धनराशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6443.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.63
3.	असम	2009.74
4.	बिहार	5529.36
5.	गोवा	118.36
6.	गुजरात	5337.51
7.	हरियाणा	1762.96
8.	हिमाचल प्रदेश	1032.63
9.	जम्मू और कश्मीर	959.13
10.	कर्नाटक	3083.39
11.	केरल	3629.10
12.	मध्य प्रदेश	5844.07
13.	महाराष्ट्र	8261.10
14.	मणिपुर	441.22
15.	मेघालय	242.57
16.	मिजोरम	143.03
17.	नागालैण्ड	263.34
18.	उड़ीसा	3226.72
19.	पंजाब	1885.94
20.	राजस्थान	5014.50
21.	सिक्किम	127.77
22.	तमिलनाडु	5090.47
23.	त्रिपुरा	274.51
24.	उत्तर प्रदेश	16289.41
25.	पश्चिम बंगाल	4455.11

1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	71.92
27.	चण्डीगढ़	101.81
28.	दादरा और नगर हवेली	20.30
29.	दमन और द्वीप	17.10
30.	दिल्ली	675.08
31.	लक्षद्वीप	7.79
32.	पाण्डिचेरी	63.00
	योग :	82448.62

आयुर्वेदिक औषधियां

*576. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन औषधियों में स्वर्ण मुख्य अवयव के रूप में प्रयुक्त होता है, उनका आयुर्वेदिक औषधियों में विशेष स्थान है;

(ख) क्या ऐसी औषधियों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इन औषधियों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) आयुर्वेदिक औषधियां मुख्यतः जड़ी-बूटियां/जड़ी-बूटी खनिज आधारित हैं। कुछ जड़ी-बूटी खनिज वाली औषधों में सोना होता है। ऐसी औषधों की कोई कमी सूचित नहीं की गई है।

शिकायत आयोग

*577. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित विभिन्न एजेन्सियों के कार्यों के विरुद्ध बढ़ती हुई शिकायतों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में एक शिकायत आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ग) इस आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा; और

(घ) यह आयोग कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं से संबंधित विभिन्न एजेन्सियों के कार्यकरण की शिकायतों का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक शिकायत आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के सचिवालय में सचिव (ए० आर०) और मुख्य-सचिव, दिल्ली की सीधी देख-रेख के अधीन वर्ष 1985 से एक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार विरोधी कक्ष कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अन्य विभागों में शिकायतों की सुनवाई करने के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारियों/नोडल अधिकारियो के रूप में नामांकित किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस

*578. श्रीमती सरोज दुबे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन शहरों में इस समय रसोई गैस की सप्लाई पाइप लाइन से की जा रही है;

(ख) क्या देश के अन्य शहरों में भी पाइप लाइन से रसोई गैस की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल, किसी भी शहर में पाइपलाइनों के जरिए एल० पी० जी० की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एंटी रेबीज इन्जेक्शन

*579. श्री अर्जुन सिंह यादव :
　　　श्री काशीराम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नया एंटी रेबीज इन्जेक्शन विकसित किया है;

(ख) क्या इस इंजेक्शन का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन इंजेक्शनों का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) भारतीय पाश्चूर संस्थान कुन्नूर में वीरो सेल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक टिश्यू कल्चर रेबीज वैक्सीन विकसित की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत के औषध नियंत्रक से नई वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) संस्थान का अस्थायी उत्पादन लक्ष्य लगभग एक मिलियन खुराक प्रति वर्ष है।

रोग प्रतिरक्षण

*580. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग रोगों के प्रतिरक्षण पर सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 7474.47 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खर्च के अलग-अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते।

वर्ष 1991-92 में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी पर अनुमानित प्रत्यक्ष खर्च लगभग 10 रुपए था।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

*581. **श्री के० एच० मुनियप्पा** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए चार हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ मिलेंगे और कितने रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकेंगे;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रसंस्करणकर्त्ताओं तथा उत्पादकों के मध्य तकनीकी संपर्क विकसित करने की कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) जी हां। इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन हो जाने पर 50,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने

की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर में प्रसंस्करणकर्ताओं और उत्पादकों के बीच पिछड़े संपर्कों को मजबूत करने के लिए स्कीम भी शामिल हैं।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों के साथ समझौता

*582. श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानचालकों तथा इंडियन एयरलाइन्स के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मांगें मान ली गई हैं;

(घ) क्या समझौते से पहले बोर्ड ने इस मामले पर चर्चा की थी;

(ङ) विमानचालकों की मांगों को स्वीकार करने में प्रबन्ध मंडल द्वारा कितनी अतिरिक्त धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(च) यह अतिरिक्त धनराशि जुटाने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भोजन भत्ते में वृद्धि करने के बारे में दिनांक 21-2-1993 को इंडियन एयरलाइन्स और भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 2-3-1993 को भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ हस्ताक्षरित दूसरे समझौता ज्ञापन के द्वारा भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के दिनांक 24-11-1992 के उनके हड़ताल के नोटिस उठाए गए चार मामलों में से तीन का निपटान कर दिया गया है और कमांडरों के मूल वेतन से संबंधित चौथा मामला अधिनिर्णय के लिए भेजा जा सकता है। यह सहमति हुई थी कि भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ बेड़े के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धक वर्ग के साथ सभी संभव सहयोग देगा।

(घ) जी, नहीं। दिनांक 21-2-1993 के समझौते को बाद में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ङ) और (च) भोजन भत्ते में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार 1-1-1991 से 1.36 करोड़ रुपये प्रति वर्ष और 1-1-1993 से 2.72 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आएगा। इंडियन एयरलाइन्स का इसे उत्पादन में वृद्धि और लागत पर नियंत्रण रख कर पूरा करने का इरादा है।

राज्य बिजली बोर्डों की अर्थक्षमता

*583. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री जी० देवराय नायक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने हाल ही राज्य बिजली बोर्डों की अर्थक्षमता में सुधार लाने संबंधी कदमों पर चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या बिजली की चोरी, वितरण और पारेषण में होने वाली क्षति को रोकने तथा बकाया धनराशि की वसूली के लिए भारतीय विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1986 में पुनः संशोधन करने की सिफारिश की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) जी, हां। पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा यू० एस० एड० के सहयोग से मीटर रीडिंग, बिल बनाने एवं राशि एकत्र करने के संबंध में 5 एवं 6 फरवरी, 1993 को एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य मीटर रीडिंग, बिल बनाने एवं राशि एकत्र करने के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों के सामने आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना था इसलिए ऐसी स्थिति में, समाधान के रूप में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की जा सकी।

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियन्त्रण

***584. श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने ताप विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं;

(ख) इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी फ्लाई ऐश निकलती है;

(ग) ऐसे कितने संयन्त्र हैं जिनमें प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन ताप विद्युत संयन्त्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इस समय प्रचालनाधीन ताप विद्युत केन्द्रों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/प्रणाली	ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या*
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	असम	4

1	2	3
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	11
5.	हरियाणा	2
6.	जम्मू व कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	1
8.	मध्य प्रदेश	6
9.	महाराष्ट्र	9
10.	उड़ीसा	1
11.	पंजाब	2
12.	राजस्थान	2
13.	तमिलनाडु	6
14.	उत्तर प्रदेश	11
15.	पश्चिम बंगाल	11
16.	दिल्ली	4
17.	दामोदर घाटी निगम	4

*इसमें गैस एवं तेल आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अनुसार, इन विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 40 मिलियन टन उड़न राख का निस्सरण होता है।

(ग) सभी ताप विद्युत केन्द्रों में किसी न किसी प्रकार के प्रदूषण नियन्त्रण उपस्कर विद्यमान हैं।

(घ) से (च) भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, 16 मई, 1981 से पहले स्थापित सभी ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा, वायु प्रदूषण नियन्त्रण को निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रखने के नियमों का अनुपालन करने के लिए उपकरण 31 दिसम्बर, 1993 तक स्थापित कर दिये जाएंगे।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का निजीकरण

*585. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1993 के इकोनामिक टाइम्स में प्राइवेटाइजेशन आफ इन्डियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया पुट आफ शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

समाचार-पत्र की रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि वायु निगम (उपक्रमों का हस्तांतरण और निरसन) विधेयक, 1992 के पारित होने से एयर इंडिया और इन्डियन एयरलाइन्स का निजीकरण होगा ।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के "निजीकरण" का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसका आशय केवल यही है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दोनों एयरलाइनों को दो कंपनियों में परिवर्तित करके इनकी पुन: संरचना कर दी जाएगी । कंपनियों के पास फिर भी सरकार की अधिकांश शेयरधारिता रहेगी । इस मामले में नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

पत्रों की छंटाई करने वाली मशीनें

*586. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ शहरों में पत्रों की छंटाई करने वाली मशीनें लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मशीन की लागत तथा क्षमता कितनी-कितनी है;

(घ) क्या ऐसी मशीनों का उत्पादन देश में ही किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो इनका उत्पादन कहां-कहां पर किया जायेगा;

(च) क्या सरकार का विचार इन मशीनों का आयात करने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ज) इन मशीनों की स्थापना पर कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) बम्बई में एक आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें छंटाई मशीनें, मैनुअल कोडिंग डेस्क और सहायक मशीनें शामिल हैं । मद्रास और दिल्ली में भी यथासमय ऐसी प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव है । बम्बई में स्थापित प्रणाली की लागत लगभग 10 करोड़ रु० है । ऐसी संभावना है कि इस प्रणाली से आठ घंटे की एक शिफ्ट में 2.4 लाख पत्रों की छंटाई हो सकेगी ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) बम्बई में स्थापित प्रणाली ग्लोबल टेंडर प्राप्त करने के बाद मैसर्स अल्काटेल बैल टेलीफोन कम्पनी, बेल्जियम से आयात की गई है। अन्य स्थानों की प्रणालियों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बम्बई में स्थापित प्रणाली की स्थापना की कुल लागत अनुमानतः लगभग 22 करोड़ रु० है। इसमें सीमा शुल्क, भवन और अन्य प्रभार शामिल हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी से भूमि कटाव

*587. श्री प्रबीन डेका : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होने वाले भूमि कटाव को रोकने के बारे में भेजी गई योजना केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान बाढ़ प्रबन्ध हेतु 55.9 करोड़ रुपए की लागत की सभी 19 स्कीमें अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई हैं। इनमें से 16.9 करोड़ रुपए की लागत की 10 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं, और 4.68 करोड़ रुपए की लागत की एक स्कीम राज्य सरकार द्वारा वापिस ले ली गई है। हाल में मार्च, 1993 में प्राप्त 7.74 करोड़ रुपए की लागत की 3 स्कीमों की जांच पूरी नहीं हुई है। 26.7 करोड़ रुपए की लागत की 5 स्कीमों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

*588. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :
श्री एन० जे० राठवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसे कुल कितने पुराने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिन्हें बदलने और उनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है;

(ख) इन राज्यों में जून, 1991 से अब तक कुल कितने इलेक्ट्रोनिक और क्रासबार एक्सचेंज स्थापित किए गये हैं;

(ग) इस समय कुल कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(घ) क्या ये टेलीफोन सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जिन एक्सचेंजों का पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण किया जाना है। वे इस प्रकार हैं—

गुजरात—355 मध्य प्रदेश—211

(ख) पुनर्स्थापन सहित इलेक्ट्रानिक और क्रासबार एक्सचेंज चालू किए गए :

गुजरात—592 मध्य प्रदेश—1187

(ग) जिन ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है, उनकी संख्या इस प्रकार है—

गुजरात—5876 मध्य प्रदेश—11960

(घ) से (च) सामान्यतः टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और दोषयुक्त सार्वजनिक टेलीफोनों को व्यवहार्य समय के भीतर ठीक कर दिया है। तथापि, कभी-कभी खुली तार लाइनों के जरिए प्रदान किये गये पी० सी० ओ० में काफी समय तक व्यवधान, प्राकृतिक आपदाओं तथा चोरी आदि के कारण सेवाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे सार्वजनिक टेलीफोनों के निष्पादन में सुधार लाने हेतु दूरसंचार नेटवर्क में विश्वसनीय मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणालियां (एम० ए० आर० आर०) चालू की जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में तिल्लर बांध

*589. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में अगार-मालवा में तिल्लर बांध का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) इस बांध के निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस समय कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है और कितने क्षेत्र की जाएगी;

(घ) इस बांध का निर्माण कार्य पूरा होने तक कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) इस बांध का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना पर मार्च, 1992 तक 30.76 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और वर्ष 1992-93 के दौरान इस पर 1.50 करोड़ रुपए के व्यय होने की आशा है।

(ग) वर्ष 1991-92 के अन्त तक लगभग 5000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और वर्ष 1992-93 के दौरान 9900 हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता के सृजित होने की आशा है।

(घ) परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 36.46 करोड़ रुपए है।

(ङ) परियोजना को नौवीं योजना में आगे ले जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

दिल्ली में विद्युत की मांग

*590. श्री मदन लाल खुराना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान दिल्ली में विद्युत की मांग और उसके उत्पादन के बीच अनुमानित अन्तर कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान दिल्ली में 10770 मिलियन यूनिट उर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता की तुलना में इसकी उपलब्धता 10685 मि० यू० होने की संभावना है। इसमें से डेसू द्वारा 2329 मि० यू० उत्पादन किए जाने का अनुमान है। शेष आवश्यकता को बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र तथा उत्तरी ग्रिड से सप्लाई के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं—

विवरण	1990-91	1991-92	1992-93
1. आवश्यकता (मि० यू०)	8546	9347	10158
2. उपलब्धता (मि० यू०)	8484	9255	10098
3. कमी (मि० यू०)	62	92	60
4. डेसू का स्वयं का विद्युत उत्पादन (मि० यू०)	2093	2441	2461

आंशिक कमी को भार प्रबंध एवं उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबंधों के माध्यम से समायोजित किया जाता है। विद्यमान गैस टर्बाइनों ने 3 × 34.07 मे० वा० अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार गुणक में सुधार किए जाने तथा बवाना प्रस्तावित 600/900 मे० वा० गैस टर्बाइन केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने के माध्यम से दिल्ली में विद्युत उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का समेकित विकास

*591. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समेकित विकास के संबंध में व्यापक अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार फलों व सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने हेतु स्वदेशी अथवा विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर कुछ सेक्टरीय अध्ययन किये गए हैं फिर भी योजना स्कीमों के अन्तर्गत मंत्रालय आगे विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों में अध्ययन करने के लिए राज्य सरकारों और दूसरे संस्थानों और संगठनों को सहायता दे रहा है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं। आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई स्कीमों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर

1. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई० आई० टी०, खड़कपुर।
2. धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजाबुर।
3. प्रादेशिक प्रसार सेवा केन्द्र।
4. अनुसंधान और विकास स्कीमें।
5. चावल मिलिंग मशीनरी और अनुषंगी उपकरण परीक्षण।
6. चावल मिलों का आधुनिकीकरण।
7. खाद्य इंजीनियरी केन्द्र स्थापित करना।

(ख) फल और सब्जी प्रसंस्करण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की स्कीम।
2. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना।
3. प्रसंस्करण कर्त्ताओं और उत्पादकों के बीच पिछड़े संपर्कों को सुदृढ़ करने की स्कीम/जांच केन्द्र।
4. खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सहायता स्कीम।
5. हाप्स के विकास और प्रसंस्करण के लिए सहायता।
6. प्रसंस्कृत खाद्यों पर और विपणन सहायता की व्यवस्था के लिए व्यापक विज्ञापन।
7. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास।

(ग) मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण

1. राष्ट्रीय पशुधन उत्पाद विकास परिषद की स्थापना।
2. सुअर मांस प्रसंस्करण का विकास।
3. भेड़, बकरी और खरगोश मांस के प्रसंस्करण का विकास।
4. पाल्ट्री और अण्डा प्रसंस्करण का विकास।
5. भैंस मांस प्रसंस्करण का विकास।
6. निर्यात के लिए मांस के भंडारण और ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।
7. विपणन सुविधा का विकास।
8. मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास।
9. प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान और विकास तथा विशेष पैकिंग।

(घ) मात्स्यिकी और मछली प्रसंस्करण

1. गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण में भागीदारी के लिए सहायता।
2. गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था के लिए सहायता अनुदान।
3. विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सहायता।
4. तटरक्षक बल के लिए संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करके भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए योजना।
5. कोल्ड चेन की स्थापना के लिए स्कीम।
6. टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण के लिए स्कीम।
7. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की सहायता।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण।

(ङ) उपभोक्ता उद्योग

1. सोया उत्पादों और भारतीय पारंपरिक खाद्यों और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास स्कीम।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश।

   (क) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड।

   (ख) नेरामक।

(च) सचिवालय आर्थिक सेवाएं

1. नोडल एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए स्कीम।

2. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के विकास के लिए सूचना, प्रशिक्षण, शिक्षा और क्वालिटी पद्धति के लिए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय को मजबूत बनाने की स्कीम।

3. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की स्कीम।

4. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम।

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निष्पादन पुरस्कारों के लिए स्कीम।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

*592. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु के तट से बड़े पैमाने पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कोई पहल की गई है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु की दो कंपनियों को दो विदेशी मात्स्यिकी कंपनियों के साथ सहयोग से गहन समुद्री मात्स्यिकी में परीक्षण मात्स्यिकी/संयुक्त उद्यम के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा तमिलनाडु तट सहित समूचे भारतीय तट पर गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए अनेक कम्पनियों के प्रचालन बेस मद्रास में हैं।

फिल्म उद्योग

*593. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय फिल्म परिसंघ से फिल्म उद्योग को कच्ची सामग्री प्राप्त करने में हो रही विभिन्न कठिनाइयों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे के लिए अभिवेदन का उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) शिकायत के उपशमन के उद्देश्य से इस मामले पर 6-7-92 को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी जिसमें तत्कालीन सूचना

और प्रसारण मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय फिल्म फैडरेशन के अध्यक्ष सहित प्रमुख फिल्म उद्योग संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। चर्चा के दौरान फिल्म उद्योग को यह स्पष्ट किया गया कि सरकार जिस संसाधन प्रतिबंध का सामना कर रही है, उसे देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजना को मितव्ययितापूर्वक व्यवहार्य बनाया जाना होगा। निजी क्षेत्र में रंगीन, निगेटिव और पाजिटिव अपरिष्कृत फिल्म के विनिर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। उदारीकृत और औद्योगिक माहौल और रुपए की परिवर्तनीयता के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा। अनिवासी भारतीयों की सहभागिता की संभावना का भी पता लगाया जा सकता है। ऐसा किए जाने तक देशी विनिर्माण संभव है, कच्चे माल के स्टाक के आयात को फिल्म उद्योग को जीवन्त रखने हेतु जारी रखा जाना होगा। तथापि, 1993-94 के बजट प्रस्तावों में सरकार ने सीमा-शुल्कों की कटौती के रूप में इस क्षेत्र को और अधिक राहत देने की घोषणा की है।

विवरण

योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत भारतीय फिल्म फैडरेशन के दिनांक 29-6-92 के अभिवेदन का उद्धरण

अपरिष्कृत फिल्म के लिए एक विनिर्माण इकाई की स्थापना करना

वर्षों से भारत विश्व में फीचर फिल्मों का सर्वाधिक निर्माता रहा है, लेकिन अभी तक देश में न तो पाजिटिव और न ही निगेटिव अपरिष्कृत फिल्म के न्यूनांश का विनिर्माण किया जा रहा है और समस्त अपरिष्कृत फिल्में विदेशों से आयात की जाती हैं। भारत जैसे देश में जहां नाभिकीय ऊर्जा तक का उत्पादन हो रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक किसी ने भी अपरिष्कृत फिल्म विनिर्माण की बात नहीं सोची है जो कि अत्यंत बुनियादी आवश्यकता है और फिल्म उद्योग का कच्चा माल इस उद्योग की जान है। स्पष्ट रूप से यह विलासिता की वस्तु नहीं है। फिर भी आनुक्रमिक सरकारों ने इतने अधिक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगा दिए जैसे कि किसी विलासिता की वस्तु पर लगाए जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि विश्व में भारत में अपरिष्कृत फिल्म सर्वाधिक महंगी है। जबकि समस्त औचित्य में यह ध्यान में रखते हुए कि भारत सर्वाधिक फिल्मों का निर्माता है और शत्-प्रतिशत वस्तु आयात की जाती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्व में अपरिष्कृत फिल्म भारत में अत्यंत सस्ती हों। 1960 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्युफैक्चरिंग कं० लिमिटेड की स्थापना देशी तौर पर अपरिष्कृत फिल्म विनिर्माण के ध्येय से की गई थी परन्तु इन 32 वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म जम्बो रोलों को काटने और वेधन का ही कार्य करता रहा है जो कि एकाधिकार के तौर पर आयात की जाती है। इसका श्रेय हिन्दुस्तान फोटो फिल्म को जाता है कि एकाधिकार कुशलता और स्वेच्छाचारी तथा अत्यधिक सीमा एवं उत्पाद शुल्कों सहित पाजिटिव रंगीन फिल्म की बिक्री मूल्य में बार-बार वृद्धि से भारत में 1000 टिन की लागत 3000 रुपये है जबकि पाकिस्तान में इसकी लागत सिर्फ 500 रुपये है। इसी प्रकार से, सरकार की सीमा एवं उत्पाद शुल्कों की अधिकता से भारत में 1000 टिन रंगीन निगेटिव की लागत 12,000 रुपए है जो कि पाकिस्तान में 7,300 रुपए में उपलब्ध है। पाजिटिव रंगीन फिल्म की अनुमानित वार्षिक खपत लगभग 5 लाख टिन है और

इसकी निगेटिव रंगीन फिल्म की लगभग 50,000 टिन की है । इसी से ही फिल्म उद्योग की रंगीन फिल्म, बुनियादी कच्चे माल पर लगाए गए अनेक सीमा एवं उत्पाद शुल्कों का अशक्त प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है । इन परिस्थितियों से जूझने का एक ही तरीका है, और वह यह कि पाजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की रंगीन फिल्म के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा संयुक्त क्षेत्र में विनिर्माण इकाई की तत्काल स्थापना के लिए योजना आयोग निधियों का आबंटन करें और इसके लिए एक फैक्टरी स्थापित किए जाने तक अपरिष्कृत फिल्म पर सभी प्रकार के सीमा और उत्पाद शुल्कों को समाप्त किया जाए और इस कारण होने वाली लगभग 100 करोड़ रुपए की राजस्व हानि वित्त मंत्रालय द्वारा वसूली गई सीमा और उत्पाद शुल्कों की कुल प्रमात्रा तथा इसी प्रकार से 7,98,000 रुपए की आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय के समक्ष नाम मात्र की ही है । अतः अपरिष्कृत फिल्म के विनिर्माण के लिए एक फैक्टरी स्थापित करना सहज कार्य होगा, क्योंकि हमारी सर्वाधिक जांच-पड़ताल से पता लगता है कि अन्य देशों को अपरिष्कृत फिल्म के निर्यात की अधिक संभाव्यता से ऐसे संयंत्र में केवल लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होती है ।

अपरिष्कृत फिल्म के बारे में हमने ऊपर जो कुछ बताया है वह उपस्कर फैक्टरी की स्थापना एवं ऐसे उपस्करों पर उत्पाद और सीमा शुल्कों को समाप्त करने दोनों के बारे में, इस प्रयोजनार्थ फैक्टरी की स्थापना किए जाने तक अनेक चलचित्र उपस्करों के विनिर्माण पर भी समान रूप से लागू होता है ।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों के निकट बूचड़खाने

*594. श्री यशवन्तराव पाटिल :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के कोई अन्तर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश हैं कि किसी भी हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र में बूचड़खाना नहीं होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की यह सिफारिश है कि विमान क्षेत्र के आस-पास कूड़ा-कचरा निपटान ढेर अथवा पक्षियों को आकर्षित करने वाली वस्तुओं को तब तक दूर रखा जाना चाहिए या उनके अभाव से बचा जाना चाहिए जब तक कि इनसे पक्षियों के टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो ।

(ख) और (ग) वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों और लागू नागरिक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिससे भारत में पक्षियों के खतरों की समस्याओं को दूर किया जा सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

595. **श्री पी० ओ० नारायणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को ग्रामीण दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं पहले से ही उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जा रही हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण दूरसंचार क्षेत्र में निजी सहभागिता का प्रस्ताव विचारार्थ है।

मैसूर में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर

*596. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर में 1993-94 के दौरान एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) मैसूर, कर्नाटक में एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की परिकल्पना है। सरकार द्वारा परियोजना को औपचारिक स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग 4 वर्ष है।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

*597. **श्री जे० चोक्का राव** :
श्री धर्मभिक्षम :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) कितनी परियोजनाओं को उपयुक्त पाया गया है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ङ) कितनी परियोजनायें अस्वीकृत की गई हैं ?

जल संसाधन मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या जिन्हें निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है, क्रमशः 15 तथा 12 है। इसमें से, जुराला, वम्सधारा चरण-2 तथा येलेरू नामक तीन बृहद तथा बुगावंका नामक एक मध्यम परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय आदि से स्वीकृति प्राप्त करने जैसी कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अध्याधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा उन्हें स्वीकार्य पाया गया था। तेलुगु गंगा नामक एक बृहद परियोजना जिसकी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से जांच की गई है, अन्तरराज्यीय पहलुओं के हल न होने के कारण परामर्शदात्री समिति द्वारा उस पर विचार करना आस्थगित रखा गया। के० सी० कैनाल का आधुनिकीकरण नामक एक बृहद परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु हाल में प्राप्त हुई है। शेष 10 बृहद तथा 11 मध्यम परियोजनाएं केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालना न करने के कारण राज्य सरकार को लौटा दी गई जिसके लिए राज्य सरकार को आशोचित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

मैट्रो चैनल से प्राप्त आय

*598. श्री बलराम पासी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रो चैनल आरम्भ होने से अब तक केन्द्रीय सरकार को निर्माताओं से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार मैट्रो चैनल की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इसका प्रसारण समय बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन ने दिनांक 26-1-1993 से दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के अपने मौजूदा द्वितीय चैनलों पर शुरू किये गये मैट्रो आवर पर दिनांक 31-3-1993 तक टेलीकास्ट किये गए कार्यक्रमों के संबंध में 58.32 लाख रुपये की राशि प्राप्त की है।

(ख) और (ग) मैट्रो नेटवर्क को दिनांक 1-4-1993 से रात्रि 9.00 बजे से 10.00 बजे तक उपग्रह के माध्यम से भी अपलिंक किया जा रहा है।

गंगटोक में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

*599. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगटोक में 1 किलोवाट क्षमता के दूरदर्शन ट्रांसमीटर ने काम करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गंगटोक में कार्यक्रम निर्माण सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) गंगटोक में ट्रांसमीटर भवन तथा टी० वी० टावर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ट्रांसमीटर तथा उपकरण स्थापित करने के लिए पूरदर्शन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गंगटोक में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि० वा०) के 1993 में चालू करने के लिए तैयार किए जाने की परिकल्पना है।

(घ) से (च) व्यावसायिक ग्रेड रंगीन उपकरण से सुसज्जित सम्बद्ध तकनीकी सुविधाओं के साथ लगभग 50 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक उपकरण सहित गंगटोक में एक कार्यक्रम जनरेशन सुविधा केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना है और बाह्य कवरेज के लिए केन्द्र में एक छोटी ई० एन० जी० (इलैक्ट्रानिक न्यूज गैदरिंग) गाड़ी भी प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

*600. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए शहर-वार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यथाशीघ्र टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) और अधिक टेलीफोन केन्द्रों को इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों में बदलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) 28-2-1993 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली	346145
बम्बई	205253
कलकत्ता	62007
मद्रास	109517

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार विभाग का एक उद्देश्य बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची को दो वर्ष तक सीमित रखना और अन्य श्रेणियों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर कनेक्शन प्रदान करना है। तदनुसार, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिकाधिक टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने की परिकल्पना की गई है :—

—सभी मियाद समाप्त एवं घिसे-पिटे इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

—सभी एक्सचेंजों में एन एस डी सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम के भाग के रूप में छोटे आकार के सभी स्ट्रोजर टाइप एम ए एक्स-III और लाइन फाइंडर टाइप एम ए एक्स-II एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

—ऐसी सभी संचारण प्रणालियों, जिनकी मियाद समाप्त हो गई है और जो सेवा के योग्य नहीं है, उनको डिजिटल प्रणालियों से बदलना।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस

*601. श्री बी० एम० सी० बालयोगी :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्राकृतिक गैस की पूर्ति हेतु गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) समय-समय पर आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए 1.9 एम एम एस सी एम डी गैस आबंटित की गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस

*602. श्री बी० देवराजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन-सी एजेंसियां तेल और गैस का उत्पादन कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तट पर और तट दूर दोनों क्षेत्रों में कितने कुएं खोदे गए; और

(ग) इस समय इन कुंओं की संख्या कितनी है तथा उनसे कितनी मात्रा में तेल और गैस प्राप्त हो रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड देश में तेल और गैस का उत्पादन करने वाली एजेंसियां हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती क्षेत्र में 1150 कूपों का तथा अपतटीय क्षेत्र में 325 कूपों का वेधन किया गया है जिसमें 529 तेल उत्पादक तथा 36 गैस उत्पादक हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान कच्चे तेल और गैस का कुल उत्पादन क्रमश: 30.346 मि० मी० टन और 18.645 बी सी था।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में कुष्ठरोग अस्पताल

*603. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में किन-किन स्थानों पर कुष्ठरोग अस्पताल खोले गए हैं;

(ख) क्या इन अस्पतालों को विदेशी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान प्रदान की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि रोगी का घर पर उपचार करने पर बल दिया जाता है। तथापि, पश्चिम बंगाल में गौरीपुर में एक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान खोला गया है जिसमें कुष्ठ रोगियों के लिए 75 पलंगों वाला अस्पताल भी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

*604. **श्री दिलीप भाई संघानी :**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में राज्यवार कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए;

(ख) 1993-94 में राज्यवार कितने रसोई गैस कनेक्शन दिये जायेंगे; और

(ग) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए एल० पी० जी० के नामांकन लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार देश के सभी क्षेत्रों में अनुमोदित विपणन योजनाओं के अंतर्गत जिसमें वे स्थान शामिल हैं जहां 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या हो तथा व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संभावना हो, उत्पाद की समग्र उपलब्धता होने पर चरणबद्ध रूप से एल० पी० जी० की सुविधा दी जाती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	दिये गये कनेक्शनों की संख्या		
		1990-91	1991-12	1992-93 (दिसम्बर, 1992 (तक) (अस्थायी)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52736	79930	38464
2.	अरुणाचल प्रदेश	871	2009	452
3.	असम	10275	13134	4078
4.	बिहार	22843	36583	16140
5.	गोआ	2270	4962	2064
6.	गुजरात	39466	56252	27767
7.	हरियाणा	18046	34434	16071
8.	हिमाचल प्रदेश	8778	16920	16291
9.	जम्मू और कश्मीर	7685	17849	17729
10.	कर्नाटक	37956	70006	33479
11.	केरल	31087	58281	26982
12.	मध्य प्रदेश	27393	47739	21130
13.	महाराष्ट्र	65207	102714	57011
14.	मणिपुर	297	260	694
15.	मेघालय	961	2104	1220
16.	मिजोरम	214	987	733
17.	नागालैंड	854	2156	438

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	18419	25922	8096
19.	पंजाब	24138	41346	30242
20	राजस्थान	29762	52162	26636
21.	सिक्किम	1393	2757	656
22.	त्रिपुरा	753	755	583
23.	उत्तर प्रदेश	76563	141277	67816
24.	पश्चिम बंगाल	52847	64485	26280
25.	तमिलनाडु	46446	59399	40782
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	267	874	414
2.	चंडीगढ़	3222	5136	2972
3.	दादर और नगर हवेली	200	420	120
4.	दिल्ली	34067	61685	42058
5.	दमन और दीव	400	400	250
6.	लक्षद्वीप	41	276	75
7.	पांडिचेरी	345	443	330

तांबे का उत्पादन

*605. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में तांबे का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के ताम्र अयस्क में तांबे की मात्रा कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या तांबे की पूर्वी क्षेत्र की खानों में से कुछ को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा और कारण क्या हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच० सी० एल०) देश में प्राथमिक तांबा धातु के खनन और उत्पादन में लगा एक मात्र केन्द्र सरकारी क्षेत्र उपक्रम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कापर लि० का शुद्ध तांबे (कैथोड) का उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (टन में)
1990-91	40,598
1991-92	45,495
1992-93	45,275

(ख) जी हां।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की पूर्वी क्षेत्र की खानों सहित किसी तांबा खान को बन्द करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तकनीकी आंकड़े एकत्र करना

*606. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तकनीकी आंकड़े एकत्र करने पर कोई व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तकनीकी आंकड़ों को बेच दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ङ) इन आंकड़ों को बेचने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भू-वैज्ञानिक और भूभौतिकी सर्वेक्षणों पर कुल 460.31 करोड़ रुपए की राशि का तथा तकनीकी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अन्वेषण वेधन पर 2926.87 करोड़ रुपए की राशि व्यय किया है।

(ग) से (ङ) निजी कम्पनियों द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित तेल और गैस क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए और बोली के चौथे तथा पांचवें दौरों के अन्तर्गत प्रदत्त ब्लाकों के मामले में डाटा पैकेजों तथा "इनफार्मेशन डाकटों" की बिक्री से 64,38,268 रुपए तथा 35,72,500 अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त हुई है।

कोयला उपकर

*607. श्री स्वामी सुरेशानन्द : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उपकर के मामले में कोयला कम्पनियों और कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसको हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी, हां । इस संबंध में ब्यौरा तथा विवरण एकत्रित किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

रक्त बैंक

*608. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में, लाइसेंस-प्राप्त और बिना लाइसेंस के कार्यरत रक्त बैंकों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में एड्स के मरीजों का पता लगाने के लिए अधिक संख्या में क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु अब तक किन स्थानों का चयन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 180 जोनल रक्त जांच केन्द्र (62 निगरानी केन्द्रों सहित) हैं जिनमें देश भर में सम्पर्क बनाए गए हैं । कोई और जोनल रक्त जांच केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों की संख्या		गैर लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों की संख्या		रक्त बैंकों की कुल सं०
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	शून्य	शून्य	शून्य	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	11 (आपाती रक्ताधान केन्द्र)	शून्य	11
3.	आंध्र प्रदेश	6	48	39	शून्य	93
4.	असम	शून्य	शून्य	6	शून्य	6
5.	बिहार	15	20	6	शून्य	41
6.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	शून्य	शून्य	शून्य	1
7.	दिल्ली प्रशासन	12	12	2	शून्य	26
8.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
9.	गुजरात	45	43	9	9 (6 धर्मार्थ और 3 प्राइवेट)	106
10.	गोवा	3	3	शून्य	शून्य	6

11.	हरियाणा	10	शून्य	2	1 (रेडक्रास)	13
12.	हिमाचल प्रदेश	3	शून्य	8	शून्य	11
13.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	3	शून्य	3
14.	केरल	7	28	30	11 (प्राइवेट अस्पतालों में आपाती रक्ताधान केन्द्र)	76
15.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
16.	कर्नाटक	4	46	29	शून्य	79
17.	महाराष्ट्र	45	123	1	शून्य	169
18.	मध्य प्रदेश	शून्य	18	32	शून्य	50
19.	मणिपुर	2	शून्य	शून्य	शून्य	2
20.	मेघालय	1	शून्य	2	शून्य	3
21.	मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	1
22.	उड़ीसा	8	13 (3 प्राइवेट और 10 रेडक्रास)	शून्य	29 (रेडक्रास)	50
23.	पंजाब	शून्य	19	28	शून्य	47
24.	पांडिचेरी	2	शून्य	1	शून्य	3

1	2	3	4	5	6	7
25.	राजस्थान	शून्य	शून्य	35	2 (धर्मार्थ)	37
26.	सिक्किम	1	शून्य	1	शून्य	2
27.	तमिलनाडु	25	61	62	शून्य	148
28.	त्रिपुरा	2	शून्य	5	शून्य	27
29.	उत्तर प्रदेश	शून्य	27	लागू नहीं होता	शून्य	27
30.	पश्चिम बंगाल	50	27	14	शून्य	91
	कुल	244	488	326	52	1110

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों की मृत्यु

*609. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में जून, 1992 में विचारणाधीन कैदियों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जेल, तिहाड़, में जून, 1992 में छः विचारणाधीन कैदियों की मौत हुई। इन सभी मामलों की मैजिस्टेट द्वारा जांच कराई गई। चार मामलों में किसी प्रकार की गलत कार्रवाई होने का पता नहीं चला। दो कैदियों, नामतः बाबू हमीसी और राम बहादुर की मौत के संबंध में मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जेल प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उन्हें समय पर चिकित्सा राहत न पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस चूक के लिए मैजिस्ट्रेट ने दो डाक्टरों, दो सहायक अधीक्षकों और चार वार्डरों पर अभियोग लगाया। इन आठ अधिकारियों में से, दो जेल के डाक्टर, दो सहायक अधीक्षक तथा एक वार्डर को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया। सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियम 1965 के अधीन इन सात आरोपित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है। एक सहायक अधीक्षक की मृत्यु हो गई तथा उसके खिलाफ कार्यवाही ही बन्द कर दी गई।

[हिन्दी]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित लाभ

*610. श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित लाभ में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर में अनवरत विविधता के कारण हुई क्षति, बढ़ा हुआ परिचालन व्यय, शुष्क कूपों के प्रति बढ़ा हुआ परिव्यय और उत्पादक सम्पदा का निःशेषण बढ़े हुए ब्याज शुल्क और बढ़े हुए निगम कर इन कारणों में सम्मिलित हैं।

(ग) सरकार ने 1-1-1992 से प्राकृतिक गैस और 15-9-1992 से कच्चे तेल की लागू कीमतों को बढ़ा दिया है जिससे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की लाभप्रदता में सुधार की सम्भावना है।

[अनुवाद]

वैकल्पिक ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस

*611. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए गैस भरने वाले केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और आई० बी० पी० कंपनी लि० ने सड़क परिवहन क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी० एन० जी०) के प्रयोग के लिए एक प्रायोगिक पायलट परियोजना बनाई है।

(ख) से (घ) सी० एन० जी० वितरण सुविधाएं दिल्ली, बम्बई तथा बड़ोदा में कुल दस स्थानों पर उपलब्ध कराई गई हैं। आई० बी० पी० कम्पनी लि० प्रायोगिक पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में असम तथा त्रिपुरा में दोनों एक-2 स्थान पर सी० एन० जी० के वितरण की सुविधाएं स्थापित करने की कार्रवाई कर रही है। और अधिक सी० एन० जी० वितरण केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न वर्तमान प्रयोग के परिणामों पर निर्भर करेगा।

प्रतिबंधित औषधियां

*612. श्री पीयूष तीरकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेची जा रही कई औषधियां विकसित पश्चिमी देशों में प्रतिबन्धित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उन औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कुछ औषधें जिन पर कुछ देशों में प्रतिबन्ध होने की सूचना है, उनको भारत में विपणन की अनुमति है।

(ख) से (ङ) विशेषज्ञों द्वारा किए गए लाभ जोखिम के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि सन्तुलन पर वर्तमान में इन औषधों को प्रयोग की अनुमति देना लाभदायक है।

आयातित रसोई गैस को उठाने रखने की सुविधाएं

*613. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पत्तनों पर अधिकतम कितनी मात्रा में आयातित रसोई गैस को उठाने रखने की समुचित सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उठाने-रखने की सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रसोई गैस को उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) विजाग और बम्बई में एल० पी० जी० के आयात की वर्तमान सुविधाओं को वर्तमान के 450 टी० एम० टी० पी० ए० से बढ़ाकर 600 टी० एम० टी० पी० ए० करने की योजना है। कांडला में आई० ओ० सी० और मंगलौर में एच० पी० सी० एल० द्वारा, दोनों में 600 टी०एम० टी० पी० ए० एल० पी० जी० का प्रबन्ध करने की क्षमता के साथ नयी अतिरिक्त आयात सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड

614. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के निजीकरण के बारे में सलाह देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सिफारिशों पर विचार किया गया है और इन्हें कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी हां, इस्को में निजी भागीदारी हेतु स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं और सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

आंध्र प्रदेश की कोयला परियोजनाएं

*615. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कोयला परियोजनाओं से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) वर्तमान में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की नई कोयला खनन परियोजनाओं के सात निवेश प्रस्ताव मूल्यांकन तथा समीक्षा के विभिन्न चरणों में हैं । वे परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

परियोजना	प्रस्तावित क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)
मेडापल्ली ओपनकास्ट	1.25
पदमावती खानी भूमिगत	1.20
गौतमखानी ओपनकास्ट	2.00
रविन्द्र खानी (नई तकनीक)	1.00
रामागुंडम शाफ्ट ब्लाक	1.80
मानुगुरू ओपनकास्ट-4	1.25
खैरागुरा ओपनकास्ट	0.72

उपर्युक्त प्रस्तावों में से 6 के सम्बन्ध मे अग्रिम कार्रवाई योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है ताकि कोयला कम्पनी अनिवार्य आरम्भिक क्रियाकलाप जैसे भूमि अधिग्रहण, भू-वंचितों का पुनर्वास तथा पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, गम्य सड़कों का विकास तथा विद्युत आपूर्ति, आदि के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर सकें । इसके अलावा मानुगुरू शाफ्ट ब्लाक-I, खैरागुरा भूमिगत तथा कोयलागुडम ओपनकास्ट के लिए इसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है ।

कोयला परियोजनाओं पर निवेश अनुमोदन भूमि की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में निधियों तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण तथा वनीय अनुमोदन, आदि जैसे मुद्दों पर निर्भर करता है। मेडापल्ली ओपनकास्ट, पदमावती खानी भूमिगत, गौतमखानी ओपनकास्ट तथा रामागुंडम शाफ्ट ब्लाक-I का पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा तदनुसार उनके मूल्यांकन तथा समीक्षा की कार्रवाई अग्रिम चरण में है ।

दिल्ली में अपराध

*616. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :
श्री अन्ना जोशी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान व्यापारियों के अपहरण, बैंक लूटने और चेन (जंजीर) छीनने की कितनी घटनायें हुई;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि के दौरान इस प्रकार की कितनी घटनाएं घटीं;

(ग) इनमें से कितने मामले निपटा दिए गए हैं, और कितने लम्बित पड़े हैं;

(घ) इन मामलों के सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ङ) दिल्ली में अपराध की घटनाओं के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(च) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) :

(क) से (घ) 1-9-1992 से 15-3-1993 तक पिछले 6 महीनों के दौरान और पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान अर्थात 1-9-1991 से 15-3-1992 तक की अवधि के दौरान व्यापारियों के अपहरण, बैंकों को लूटने और जंजीर छीनने की घटनाओं की संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या इस निम्न प्रकार से है :

1-9-1992 से 15-3-1993

मामले सूचित किए गए	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	बरी किए	विचारण के लिए लम्बित	जांच के लिए लंबित	पता न लगा	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
व्यापारियों का अपहरण										
5	1	4	3	—	—	—	—	4	—	12
जंजीर छीनना										
102	1	101	66	37	1	—	36	41	23	110
बैंक लूटना										
शून्य										

1-9-1991 से 15-3-1992

मामले सूचित किए गए	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	बरी किए	विचारण के लिए लम्बित	जांच के लिए लंबित	पता न लगा	गिरफ्तार किए गए
व्यापारियों का अपहरण										
3	1	2	1	1	—	—	1	1	—	7
जंजीर छीनना										
77	2	75	46	41	4	—	37	5	29	81

बैंक लूटना

शून्य

(ङ) अपराधों में वृद्धि, त्वरित शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी और रहन-सहन की बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश के कारणों से सम्बन्धित हैं।

(च) दिल्ली में अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, गश्त में बढ़ोतरी करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारना, सतर्कता में वृद्धि, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों को चलाने में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, जांच पड़ताल के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना और संचार तंत्र का आधुनिकीकरण करना, इत्यादि सम्मिलित हैं।

खनन उद्योग का गैर-सरकारीकरण

*617. **श्री विजय नवल पाटिल :**
श्री आर्क्स फर्नान्डीज :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) किन-किन खानों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जाने हेतु चुना गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं। देश में खनिजों के विकास में प्राइवेट और साथ ही सरकारी क्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज

*618. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1993 को आयुर्वेद, यूनानी तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर प्रत्येक राज्य में ऐसे कालेजों का ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे कालेजों की राज्यवार प्रवेश क्षमता कितनी है; और

(घ) इन कालेजों से चिकित्सा स्नातक बन कर निकलने वाले छात्रों का राज्य-वार कुल औसत कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1993 को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के कालेजों की कुल संख्या 156 है। राज्यवार ब्योरा तथा उनकी प्रवेश क्षमता के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। औसतन 80-90 प्रतिशत छात्र आयुर्वेद, यूनानी या सिद्ध में स्नातक डिग्री पास करते हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अलग-अलग कालेजों को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता दी जाती है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा पद्धति के कालेजों और उनकी प्रवेश क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	भा० चि० प० कालेज			प्रवेश क्षमता
		आयु०	यूनानी	सिद्ध	
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	2	—	232
2.	असम	1	—	—	सूचना उपलब्ध नहीं है।
3.	बिहार	13	4	—	361 (4 कालेजों की सूचना उपलब्ध नहीं है)
4.	दिल्ली	1	2	—	122
5.	गुजरात	9	—	—	274
6.	हरियाणा	4	—	—	194
7.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	20
8.	कर्नाटक	13	1	—	349 (5 कालेजों की सूचना उपलब्ध नहीं है)
9.	केरल	4	—	—	140
10.	मध्य प्रदेश	7	1	—	144 (3 कालेजों की सूचना उपलब्ध नहीं है)
11.	महाराष्ट्र	43	7	—	1257 (25 कालेजों की सूचना उपलब्ध नहीं है)
12.	उड़ीसा	4	—	—	120
13.	पंजाब	5	—	—	230
14.	राजस्थान	6	3	—	350 (2 कालेजों की सूचना उपलब्ध नहीं है)
15.	तमिलनाडु	2	1	2	177 (1 कालेज की सूचना उपलब्ध नहीं है)
16.	उत्तर प्रदेश	10	5	—	586 (3 कालेजों की सूचना उपलब्ध नहीं है)
17.	पश्चिम बंगाल	1	—	—	60

उष्णकटिबंधीय रोग अनुसंधान केन्द्र

*519. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में उष्णकटिबंधीय रोग अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में गहरी रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में फाउन्ड्री कोक की कमी

*620. **श्री काशीराम राणा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में फाउन्ड्री कोक की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात को फाउन्ड्री कोक की नियमित आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) ने यह सूचित किया है कि उन्हें गुजरात में फाउन्ड्री कोक की किसी तरह की कमी होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है । को० इं० लि० के अलावा फाउन्ड्री कोक का उत्पादन निजी क्षेत्रों में भी किया जाता है । कोक का आयात किए जाने की भी अनुमति दी गई है । हार्ड कोक की आपूर्ति की व्यवस्था राज्य के निदेशक उद्योग द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर को० इं० लि० द्वारा गुजरात के उपभोक्ताओं को अधिकांशतः रेल द्वारा की जाती है । भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) से संयोजित उपभोक्ताओं को कोयले की कम प्राप्ति होने पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (से० को० लि०) से सड़क द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है । वर्ष 1992-93 के दौरान भा० को० को० लि० से गुजरात के उपभोक्ताओं को विभिन्न गुणवत्ता वाले हार्ड कोक की आपूर्ति की मात्रा 36420 टन (अनंतिम) की गई ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता

*621. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा महाराष्ट्र में गृह निर्माण और मरम्मत के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवासीय वित्तीय संस्थाओं और राज्य-स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्तीय समितियों को संस्था-वार कितनी राशि की पुनर्वित्त सहायता दी गई है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी पुनर्वित्त सहायता राशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त सोसायटियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के बदल पुनर्वित्त प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर में अंशदान की योजना तैयार की है जिसके अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक, कृषि ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी एस आर एच डी में पूरी तरह से अंशदान करता है जिसमें संबंधित राज्य सरकार की गारंटी के बदले योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास के लिए उनके ऋण शामिल हैं। मार्च, 1993 के अंत तक राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत इन पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं के माध्यम से संचयी संवितरण के साथ-साथ अपने पात्र आवास ऋणों के मामले में कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों को दिया गया अंशदान, 1515.08 करोड़ रुपये थी। तथापि इस आंकड़े का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं के माध्यम से संवितरित और अपने पात्र आवास ऋण के संबंध में राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों को दिया गया अंशदान निम्नानुसार है :

जुलाई-जून	राशि (करोड़ रु० में)
1990-91	435.84
1991-92	675.45
1992-93 (मार्च, 1993 तक)	317.13

वर्तमान सूचना प्रणाली से इस आंकड़े का राज्यवार विवरण प्राप्त नहीं होता है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवास वित्त निगम लि० को संवितरित पुनर्वित्त से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :

जुलाई-जून	नये आवास एककों का अधिग्रहण/निर्माण (करोड़ रु०)
1990-91	10.39
1991-92	18.39
1992-93 (मार्च, 1993 तक)	5.93

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त का संवितरण प्राथमिक स्तर की ऋणदायी संस्थाओं से प्राप्त दावों पर निर्भर है और यह राज्यवार आबंटन पर आधारित नहीं है।

[अनुवाद]

आमों का निर्यात

*622. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में आमों के निर्यात में भारत का हिस्सा उसके कुल उत्पादन के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां । हालांकि भारत कुल विश्व उत्पादन का 60% से अधिक उत्पादन करता है लेकिन विश्व व्यापार में उसका हिस्सा लगभग 2% है ।

(ख) आमों के निर्यात कम रहने का मुख्य कारण है : अल्फान्सो किस्म पर बहुत अधिक निर्भर रहना, भाड़े की ऊंची दरें, बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, आदि ।

(ग) निर्यात के अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकार द्वारा किए गए सामान्य उपायों के अतिरिक्त आम सहित बागवानी-उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक विशिष्ट उपाय भी किए गए हैं । इनमें शामिल हैं : वर्ष 1993-94 के बजट में फसल पश्चात रख-रखाव के उपकरणों पर सीमा शुल्क कम करना और साथ ही साथ कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की अनेक योजनाएं जिनका उद्देश्य फसल पश्चात रख-रखाव में सुधार लाना, बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं तथा सेवाओं का विकास करना, जानकारी का प्रचार-प्रसार, बाजार-विकास, पैकेजिंग में सुधार आदि तथा समुद्र द्वारा परिवहन बढ़ाना ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपास बनाना

*623. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास बनाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार कितने बाईपासों का निर्माण किया गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास बाईपासों के निर्माण संबंधी राज्य-वार कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) इन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 20,000 अथवा इससे अधिक की आबादी वाले कस्बों में पड़ने वाले मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को शहरी सड़क संपर्क (अर्बन रोड लिंक्स) के रूप में जाना जाता है । जहां ऐसे शहरी सड़क संपर्क सीधे यातायात के लिए उपयुक्त नहीं होते उन मामलों में सरकार की सामान्य नीति, निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन बाईपासों की व्यवस्था करने की है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए बाइपासों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

1. गोवा	2
2. हरियाणा	1
3. केरल	1
4. उड़ीसा	1
5. राजस्थान	1
6. तमिलनाडु	2
7. सिक्किम	1
	9

(ग) बाईपासों के लिए राज्यों द्वारा इस मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	1
आसाम	4
केरल	1
मध्य प्रदेश	1
मणिपुर	1
मेघालय	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	1

(घ) इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

बंदरगाहों का विकास

*624. श्री अनंतराव देशमुख :
डा० (श्रीमती) के० एम० सौन्द्रम :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों के विकास तथा आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई व्यापक योजना का बंदरगाह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है; और

(ग) इन बंदरगाहों के विकास/आधुनिकीकरण हेतु ली जाने वाली/ली जा रही विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण से संबंधित योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना (1992-97) में 2984.00 करोड़ रुपए से परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। पत्तन-वार परिव्यय के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं।

क्रम सं०	पत्तन का नाम	परिव्यय (1992-97) (करोड़ रुपए)
1.	(क) कलकत्ता	155.00
	(ख) हल्दिया	190.00
	(ग) नदी संबंधी स्कीमें	76.00
2.	बम्बई	413.00
3.	ज० ने० प० न्यास	215.00
4.	मद्रास	570.00
5.	कोचीन	117.00
6.	विशाखापत्तनम	250.00
7.	कांडला	226.00
8.	मुरगांव	123.00
9.	पारादीप	486.00
10.	न्यू मंगलौर	98.00
11.	टूटीकोरिन	65.00
	कुल :	2984.00

(ग) विभिन्न पत्तनों के लिए प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तावित/प्राप्त की जा रही सहायता के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

क्रम सं०	पत्तन का नाम	आठवीं योजना में प्रस्तावित विदेशी सहायता (करोड़ रुपए)
1.	(क) कलकत्ता	3 00
	(ख) हल्दिया	26.00
	(ग) नदी संबंधी स्कीमें	63.00
2.	बम्बई	118.00
3.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	95.00
4.	मद्रास	423 00
5.	कोचीन	14.00
6.	पारादीप	366.00

कृषि और ग्रामीण ऋण-राहत योजना के अन्तर्गत राज्यों को भुगतान

***625. श्री एम० जे० राठवा :**
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या "नाबार्ड" द्वारा राज्य सरकारों को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के पचास प्रतिशत भाग के रूप में सहकारी ऋण का पूरा भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इस राशि के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को यह राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणकर्ताओं के ऐसे चयनित वर्ग को ऋण-राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए० आर० डी० आर०) योजना, 1990 तैयार की थी। जो योजना के तहत निर्धारित पात्रता संबंधी मानदण्डों का अनुपालन करते हों। राज्य सरकारों ने भी सरकारी समितियों के ऋणकर्ताओं के लिए केन्द्रीय योजना के समरूप स्वयं अपनी योजनाएं तैयार की थीं। जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई ऋण राहत की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार ने पूर्ण रूप से की थीं, राज्य योजना के अन्तर्गत, ऋण राहत के भार के केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात पर बांटा गया था। राज्य सहकारी समितियों और राज्य भूमि विकास बैंकों को, उनके द्वारा दी गई ऋण राहत का 50 प्रतिशत तक ऋण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संवितरित किया जा रहा है। मार्च, 1993 के अंत तक की स्थिति के

अनुसार नाबार्ड द्वारा अनुदान और ऋण तहत राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को दी गई राशियों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों से उनके द्वारा दी गई राहत का शत-प्रतिशत सत्यापन करने और अपात्र हिताधिकारियों से संबंधित हिस्से को छोड़कर पुनरीक्षित दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा हैं। बैंकों से दावे के अंतिम विवरण प्राप्त होने के बाद ही आगे की राशि जारी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

विवरण

मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड द्वारा जारी बैंक ऋणों की राज्यवार स्थिति

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक		राज्य भूमि विकास बैंक	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5
गुजरात	127.74	127.74	20.82	'20.82
कर्नाटक	40.05	40.05	16.68	16.68
मध्य प्रदेश	95.16	95.16	16.68	16.65
उड़ीसा	45.31	63.15	15.71	15.71
पश्चिम बंगाल	47.66	47.66	10.84	10 84
अंडमान व निकोबार	—	0.07	—	—
पंजाब	50.00	50.00	3.43	3.43
हरियाणा	41.00	41.00	14.70	14.70
हिमाचल प्रदेश	8.45	12.04	0.89	1.10
असम	7.87	7.87	0.64	0.64
मेघालय	3.09	3.09	—	—
त्रिपुरा	2.43	2.43	0.39	0.39
मणिपुर	1.15	1.15	—	—
मिजोरम	—	—	—	—
नागालैंड	1.02	1.02	—	—

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.50	—	—
आंध्र प्रदेश	99.51	99.51	50.33	50.33
राजस्थान	123.89	123.89	13.89	13.89
उत्तर प्रदेश	229.26	229.26	42.70	42.70
तमिलनाडु	102.86	87.86	31.35	31.35
पांडिचेरी	—	1.52	—	0.07
बिहार	93.37	93 37	44.06	44.00
महाराष्ट्र	159.92	159.92	47.43	47.43
गोआ	0.51	0.64	—	—
जम्मू व कश्मीर	12.36	12.36	0.44	0.44
केरल	29.42	29.42	5.00	5.00
नई दिल्ली	—	0.10	—	—
चंडीगढ़	—	0.08	—	—
योग	1322.53	1330.87	335.85	336.18

राज-सहायता में कटौती

*626. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बजट घाटे को पूरा करने के लिए विभिन्न मदों पर दी जा रही राज-सहायता में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्योरा क्या है जिन पर गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज सहायता में कटौती की गई और निर्धारित लक्ष्य के आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) उन मदों का ब्योरा क्या है जिन पर अभी भी राज सहायता दी जा रही है तथा यह राज सहायता किस दर पर दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय समेकन-कार्य में सरकारी उधार में उत्तरोत्तर कमी करना शामिल है। इसके लिए राजस्व की बढ़ोतरी करने और आर्थिक सहायता सहित व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह आठवीं योजना की राजकोषीय नीति का भी एक हिस्सा है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष तथा साथ ही पिछले तीन वर्षों के बजट में स्पष्टतया प्रदान की गई आर्थिक सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बजट में स्पष्टतया प्रदान की गई आर्थिक सहायता

(करोड़ रुपए)

	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94
	ब० अ०	वास्तविक	ब० अ०	वास्तविक	ब० अ०	सं० अ०	ब० अ०
खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	2200	2450	1800	2850	2500	2800	3000
उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	4000	4389	4500	4800	5000	5800	3500
छोटे और सीमांतिक किसानों को उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	0	0	0	405	0	0	0
निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	2316	2742	2316	1754	480	880	500
किसानों को ऋण राहत	1000	1502	1500	1425	1500	1500	500
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	391	379	316	316	325	113	113
रेलवे को आर्थिक सहायता	279	283	314	313	339	341	359
उर्वरक संवर्धन के लिए सहायता	0	0	0	0	0	340	0
अन्य आर्थिक सहायताएं	438	413	441	407	343	334	404
जोड़	10624	12158	11187	12270	10487	12108	8376

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा निर्यात

*627. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एक तकनीकी तथा वाणिज्य विशेषज्ञ दल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों में इस यात्रा के परिणाम उत्साहवर्धक रहे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम से किसी भी दल ने पश्चिम यूरोप के किसी भी देश का दौरा नहीं किया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूती धागे और वस्त्रों का निर्यात

*628. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष सूती धागे का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान सूती वस्त्रों और सूत मिश्रित वस्त्रों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) सूती वस्त्रों की तुलना में सूती धागे का वर्ष-वार कितना निर्यात किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पहली जनवरी को देश में सूती धागे के स्टैंडर्ड काउन्ट का औसत मूल्य कितना था; और

(ङ) हथकरघा बुनकरों के लिए सूत का मूल्य और आपूर्ति विनियमित करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण-I संलग्न है।

(घ) एक विवरण-II संलग्न है।

(ङ) सरकार का सूती यार्न पर कोई कीमत नियंत्रण नहीं है। हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर हैंक यार्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) हथकरघा क्षेत्र को हैंक यार्न की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बुनकर सरकारी कताई मिलों की स्थापना करने के लिए ऋण सहायता।

(2) हथकरघा बुनकरों को सप्लाई करने के लिए सहकारी तथा राज्य क्षेत्र की मिलों में निर्मित यार्न की कीमतों को विनियमित करने के लिए राज्य स्तरीय यार्न कीमत निर्धारण समितियों का गठन।

(3) हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमतों पर तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के अभियानों के माध्यम से यार्न की सप्लाई करने की योजना, तथा

(4) प्लेन रील हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क में छूट।

विवरण-I

(क) से (ग) वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान निर्यात किए गए सूती वस्त्रों (जिसमें अधिकांशत: सूत से बने मिश्रित वस्त्र शामिल हैं) की मात्रा तथा मूल्य के मद-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(मात्रा मिल० किग्रा०)
(मूल्य करोड़ रु० में)

	1990		1991		1992	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
यार्न/सिलाई धागा	83	479	121	863	122	1113
मिल निर्मित/विद्युत चालित फ़ैब्रिक्स	122	997	139	141	144	1779
मिल निर्मित/विद्युत चालित मेड-अप्स	37	423	41	573	46	850
हथकरघा फ़ैब्रिक्स	9	120	9	163	12	256
हथकरघा मेड-अप्स	39	269	48	419	60	685

स्रोत : सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

विवरण-II

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह के दौरान मानक काउंटों के सूती यार्न की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं :

(कीमत रु०/किग्रा० में)

काउंट	जनवरी, 91	जनवरी, 92	जनवरी, 93
1	2	3	4
हैंक यार्न (कोयम्बटूर मार्किट)			
6 काउंट	27.64	41.00	—

1	2	3	4
10 काउंट	30.31	42.00	36.17
20 ,,	38.37	58.00	53.30
30 ,,	49.81	63.00	59.47
40 ,,	53.44	69.00	—
60 ,, (कार्डिड)	67.97	86.00	88.17
60 ;, 162 काउंट (काम्बड)	95.26	110.00	115.91
80 ,, (काम्बड)	113.66	133.00	136.49
भारित औसत	46.43	62.84	61.31
कोन यार्न (बम्बई मार्किट)			
6 काउंट	27.25	38.00	34.00
10 ,,	28.67	39.33	38.67
20 ,,	37.00	50.00	52.20
24 ,,	40.25	51.00	54.79
34 ,, 37 काउंट	50.60	64.40	65.67
40 ,, 42 काउंट	58.71	73.49	71.15
60 ,, (कार्डिड)	68.58	87.89	86.28
60 ,, 162 काउंट	92.20	108.60	121.97
80 ,, (काम्बड)	107.18	120.78	143.83
भारित औसत	54.27	67.92	71.50

स्रोत : वस्त्र आयुक्त

बुनकरों को प्रोत्साहन

*629. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1993 में नई दिल्ली में हुए हथकरघा मंत्रियों के सम्मेलन में बुनकरों के लिए कौन-कौन-सी एकमुश्त राहतों और प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी; और

(ख) उन्हें लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार ने मार्च, 1993 में नई दिल्ली में हथकरघा मंत्रियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप बुनकरों के लिए निम्नलिखित राहत और सुविधाओं की घोषणा की है :

1. स्वास्थ्य पैकेज योजना : इस योजना के अन्तर्गत बुनकरों को बुनाई से उत्पन्न होने वाली विशेष बीमारियों जैसे—अस्थमा, टी० बी०, प्रदाहात्मक प्रणाली आदि के उपचार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में परिवार कल्याण के लिए स्थायी उपायों और प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख हेतु अवस्थापन के लिए अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान शामिल है।

2. दंगा प्रभावित हथकरघा बुनकरों को राहत देने की योजना : इस योजना में दंगा प्रभावित हथकरघा बुनकरों को एकमुश्त राहत देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बुनकर को वर्ष 1992-93 के दौरान उत्पादन आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना के आधार पर एक करघा, एक कार्यशाला और मार्जिन मनी दी जाएगी।

3. उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए हथकरघा (उत्पादन के लिए आरक्षित मद) अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें।

(ख)(1) उपरोक्त एक और दो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक निम्नलिखित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है :

स्वास्थ्य पैकेज योजना	दंगा प्रभावित योजना
1. असम	1. राजस्थान
2. बिहार	2. उत्तर प्रदेश
3. केरल	
4. मध्य प्रदेश	
5. उड़ीसा	
6. तमिलनाडु	
7. उत्तर प्रदेश	

(2) संबंधित राज्यों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निदेश दिए गए हैं कि हथकरघा आरक्षण आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

[अनुवाद]

जापान के निर्यात-आयात बैंक से ऋण

*630. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जापान के निर्यात-आयात बैंक के साथ कोई ऋण संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जापान के निर्यात-आयात बैंक द्वारा कुल कितना ऋण प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यह धनराशि किन-किन परियोजनाओं पर व्यय की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 15 बिलियन जापानी येन के लिए ऋण करार पर 11 मार्च, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर रियायती ब्याज दर लगेगी और इसकी कुल परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है।

(घ) इस ऋण का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, सीमेंट, कम्प्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी, ऊर्जा के कारगर उपयोग के संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण अथवा पर्यावरणीय अवक्रमण की रोकथाम आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा सकेगा।

कपड़े का उत्पादन

*631. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कपड़े का कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है;

(घ) क्या कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार का कुछ और कपड़ा मिलों की स्थापना करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वस्त्र उद्योगों के समस्त तीन क्षेत्रों के लिए कपड़े के उत्पादन के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के लिए खादी, रेशम तथा ऊन को छोड़ करके कपड़े का कुल उत्पादन निम्नोक्त अनुसार था :

(मि० वर्ग मीटर)

वर्ष	कुल उत्पादन
1990-91	22928
1991-92	22588
1992-93 (अनुमानित)	23140

(ख) और (ग) जी नहीं। कपड़े के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(घ) से (च) उदार औद्योगिक नीति के अनुसार स्थान तथा पर्यावरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जिसका अनुपालन करना जरूरी होता है, छोड़ कर उद्यमियों द्वारा नई मिलों की स्थापना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सरकार का कपड़े का उत्पादन करने के लिए किसी भी वस्त्र मिल की स्थापना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात ऋण सुविधाएं

*632. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक द्वारा निर्यातकों को निर्यात ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निर्यातकों को निर्यात ऋण सुविधाएं देने और ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया के बारे में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक उक्त दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र निपटान हेतु मामलों पर निगरानी रख रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लदान-पूर्व और लदानोत्तर ऋण वाणिज्यिक ब्याज दर की तुलना में ब्याज रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि निर्यात ऋण को अभिभावी प्राथमिकता दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संगठनात्मक व्यवस्थाओं और शक्तियां प्रदान करने पर पुन: विचार करने की भी सलाह दी है ताकि यह सुनिश्चित हो कि निर्यात क्षेत्र को अविलम्ब पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा विलम्ब के अलग-अलग मामलों में निरन्तरता के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निगरानी रखना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण की मंजूरी/नामंजूरी में विलम्ब के संबंध में प्राप्त हुई किन्हीं शिकायतों को सम्बद्ध बैंकों के साथ उपयुक्त रूप से उठाया जाता है और उनके द्वारा उपचारात्मक कारंवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सूत भण्डार

*633. श्री खेलनराम जांगड़े :
　　श्री राम लखन सिंह यादव

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूती धागे की कमी वाले क्षेत्रों में सूत भंडार खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इस प्रकार के भंडार खोले जाएंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक योजना पहले से ही कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत उन राज्य स्तर के निगमों/सहकारिता अभिकरणों और निकायों को सूत की आपूर्ति की जाती है जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित अपने सूत विक्रय केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति करते हों।

अखबारी कागज का आयात

*634. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना अखबारी कागज आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान एस० टी० सी० द्वारा सरणीयन अभिकरण के रूप में अखबारी कागज के आयात और उस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (हजार मी० टन)	सी० आई० एफ० मूल्य (करोड़ रु०)
1990-91	226	276.02
1991-92	221	348.53
1993-93(अन०)	08	11.88 (एस० टी० सी० द्वारा सरणीयन अभिकरण के रूप में आयातित वर्ष 1991-92 की संविदा वाली मात्रा की शेष बची आवक)

अप्रैल, 1992 से अखबारी कागज के आयात का सरणीयन समाप्त कर दिया गया है और आयात-निर्यात नीति, 1992-97 के अनुसार, अखबारी कागज के आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारत के समाचार-पत्र पंजीयक द्वारा जारी हकदारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जा सकता है। समाचार-पत्रों द्वारा अखबारी कागज का आयात स्वयं सीधे ही अथवा न्यूजप्रिन्ट हैण्डलिंग एजेन्टों की मार्फत किया जा सकता है।

वर्ष 1992-93 के लिए वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के कार्यालय के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान 217.50 करोड़ रु० मूल्य के 1,52,650 मी० टन अखबारी कागज (अद्यतन अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध) का आयात किया गया।

कपास का उत्पादन और निर्यात

*635. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के उत्पादन और निर्यात के लिए आठवीं योजना के दौरान कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस अवधि में अनुमानित घरेलू मांग कितनी होगी; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान अब तक कपास के उत्पादन और निर्यात में वर्ष-वार कितनी उपलब्धि रही ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) आयात का उत्पादन संबंधी मामला कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पास है। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान कपास के उत्पादन का लक्ष्य 170 कि० ग्रा० वजन वाली एक गांठ की 120 लाख गांठ निर्धारित किया गया है। तथापि, आगामी वर्षों अर्थात् 1993-94 के पश्चात् की उत्पादन का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आठवीं योजना अवधि के कपास के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान वस्त्र उद्योग की अनुमानित घरेलू मांग निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	कपास खपत (लाख गांठें)
1992-93	105
1993-94	110
1994-95	113

इसके अतिरिक्त गैर-मिल खपत की मांग 6-9 लाख गांठों के बीच है।

(ग) उत्पादन और निर्यात के लिए रिलीज किए गए कपास के आंकड़े (लाख गांठें—प्रति गांठ 170 कि० ग्रा०)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात के लिए जारी मात्रा
1991-92	119	1.34
1992-93	122/124	14.955

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

*636. श्री रामपूजन पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं के थोक मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है और मुद्रास्फीति की दर में अब तक कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति को रोकने तथा इसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मूल्य वृद्धि पर इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) मुद्रास्फीति की दर जो 27-2-1993 को केन्द्रीय सरकार का बजट प्रस्तुत किए जाने के समय 7.3 प्रतिशत थी वह 27 मार्च, 1993 को कम होकर 6.7 प्रतिशत हो गई है। बजट के बाद की अवधि के दौरान चाय को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं के थोक मूल्यों में सामान्य गिरावट आई है जैसाकि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है।

थोक मूल्य सूचकांक
(1981-82=100)

	बजट के समय (27-2-1993)	बजट के एक महीने के पश्चात (27-3-1993)	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4
1. खाद्य वस्तुएं	270.9	269.0	—0.7
खाद्यान्न	238.0	235.6	—1.0
चावल	244.7	243.3	—0.6
गेहूं	230.7	231.5	0.3
दालें	263.5	251.5	—4.6
फल व सब्जियां	266.1	265.6	—0.2

1	2	3	4
दूध	274.3	274.3	0.0
अंडे, मछली तथा मांस	283.9	275.4	—3.0
मसाले व गरम मसाले	290.7	445.4	—9.2
चाय	334.7	417.9	24.9
काफी	313.9	310.6	—1.1
2. खाद्य-भिन्न वस्तुएं	226.4	224.8	—0.7
3. ईंधन, विद्युत, बिजली तथा लुब्रीकेंट्स	245.0	245.0	0.0
4. विनिर्मित उत्पाद	230.1	230.3	0.09
खाद्य उत्पाद	226.2	226.3	0.04
खाद्य-भिन्न उत्पाद	230.9	231.2	0.13
सभी वस्तुएं	232.9	232.5	—0.2

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) सरकार मूल्य स्थिति के बारे में पूर्णतया सतर्क है । इसने मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें राजकोषीय घाटे पर सख्त नियन्त्रण रखना और समय पर आयातों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना शामिल है ।

रेशम उत्पादन

*637. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रेशमी धागे का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीनी रेशमी धागे का कितना आयात किया गया;

(ग) क्या चीनी रेशमी धागे के आयात से देश के रेशम उत्पादकों को रेशम का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) विगत तीन वर्ष की अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन निम्नोक्त अनुसार था :

वर्ष	उत्पादन मी० टन में
1990-91	12665
1991-92	11863
1992-93	14465 (प्रत्याशित)

(ख) से (घ) उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड/काप्टैक्स मद्रास द्वारा देशी बाजार में असामान्य रूप से उच्च कीमतों को स्थिर करने तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं को निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए चीन से कुल 49.26 मी० टन अपरिष्कृत रेशम का आयात किया गया। इसके अतिरिक्त निर्यातक अग्रिम लाइसेंस के उपबन्धों के अन्तर्गत रेशम का आयात कर सकते हैं।

49.26 मी० टन का उपरोक्त आयात केवल एक बार ही किया गया तथा ऐसा विशेष रूप से स्थानीय बाजारों में अपरिष्कृत रेशम की कीमतों को स्थिर करने के लिए किया गया था।

अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने से देशी उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी निवेश

*638. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी उद्योगपतियों द्वारा भारत में अब तक पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) देश के सकल घरेलू उत्पादन पर किए गए पूंजी निवेश की तुलना में यह कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत विदेशी निवेश की कुल राशि इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपए)
1990	128.32
1991	534.11
1992	3887.54

(ख) समरूपी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, ऐसा निवेश 1 प्रतिशत से कम निकाला गया जो क्रमश: 0.02, 0.09 और 0.56 है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*639. श्री स्वामी सुरेशानन्द :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वर्तमान दर मूल वेतन का 56 प्रतिशत से 83 प्रतिशत के बीच है;

(ख) यदि हां, तो क्या महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसे वेतन मान लेने का मांग काफी समय से लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय 3500 रुपए प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन के 83% की दर पर, 3500 रुपए प्रतिमाह से 6000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले वेतन के 62% की दर पर तथा 6000 रुपए प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन पाने वाले वेतन के 54% की दर पर महंगाई भत्ता ले रहे हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर, महंगाई भत्ते के एक भाग को कुछ प्रयोजनों के लिए "वेतन" माने जाने के मुद्दे की सरकार जांच कर रही है।

(ङ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त वर्ष व दो बार अर्थात् पहली जनवरी और पहली जुलाई को स्वीकार्य होती है जो क्रमशः मार्च और सितम्बर के वेतन के साथ भुगतान-योग्य होती है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1-1-1993 से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त रिलीज किए जाने का मुद्दा विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गोल्ड मैनेजमेंट कारपोरेशन

*640. **प्रो० राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोल्ड मैनेजमेंट कारपोरेशन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

*642. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की कई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं बहुत समय से केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और 28 फरवरी, 1993 को इनकी स्थिति क्या थी; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी और 1993-94 और 1994-95 के दौरान इनके लिए कितनी धनराशि दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

28-2-1993 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र की 14 बृहद तथा 22 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र में हैं । इनका ब्योरा निम्नवत् है :

	बृहद	मध्यम	योजना आयोग के कार्यदल की सिफारिश के अनुसार वर्ष 1993-94 के लिए परिव्यय (करोड़ रुपए में)	
			बृहद	मध्यम
1	2	3	4	5
1. परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार की गई तथा निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को संस्तुत की गई परियोजनाएं	1	—	18.00	—
2. कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं	10	12	108.70	36.30
3. तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता हेतु मूल्यांकित की गयी वे परियोजनाएं	1	—	9.00	—

1	2	3	4	5
जिन पर पर्यावरण एवं वन दृष्टि से स्वीकृति न मिलने के कारण परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार आस्थगित किया गया ।				
4. परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकारों को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दों को हल करना तथा पर्यावर्णीय/वन स्वीकृति आदि प्राप्त करना अपेक्षित है ।	2	10	—	—
कुल	14	22	135.70	36.:0

परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय से बृहद परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति और मध्यम परियोजनाओं के सम्बन्ध में वन स्वीकृति प्राप्त करती है । राज्य सरकारों को कल्याण मंत्रालय से भी स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है, यदि इस परियोजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन शामिल है ।

वर्ष 1994-95 के लिए परिव्ययों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विद्युत क्षेत्र में भारत-कनाडा संयुक्त उद्यम

*644. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच विद्युत क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और वे कहां पर स्थापित की जाएंगी; और

(ग) उन पर निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जाएगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

*645. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा को पर्यटन के विकास के लिए वर्ष-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता दिये जाने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में आरम्भ किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उड़ीसा में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की गई हैं :

1991-92	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)	1992-93	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4
1. तलसरी में पर्यटन परिसर	15.00	1. पुरी में यात्री निवास	44 85
2. कोरापुट में पर्यटक परिसर	3.52	2. साखी गोपाल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	13.53
3. कालाहाण्डी में आगन्तुक केन्द्र	3.52	3. महेन्द्र गिरि के लिए ट्रैकिंग उपकरण	1.99
4. दयोलाझारी में पर्यटक परिसर	7.80	4. कटक में बाली यात्रा	12.00
5. हरिशंकर में पर्यटक परिसर	15.00	जोड़	72.37
6. अत्री में पर्यटक परिसर	8.81		
7. पाताल गंगा पर्यटक बंगला	6.86		
8. कंसोला में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.41		
9. चारछाक में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.78		
10. बारगढ़ में मार्गस्थ सुविधाएं	6.41		
11. गिरिसोला में मार्गस्थ सुविधाएं	8.17		
12. भुवनेश्वर में पर्यटक केन्द्र	17.42		

चालू वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्र०सं० परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1. गोपालपुर में पर्यटक परिसर	45.00
2. पारादीप में पर्यटक परिसर	45.00
3. तम्बुओं की खरीद	20.00
4. ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद	5.00

1	2	3	4
13. चांदीपुर में यात्री निवास	44.85	5. मेले और उत्सव तथा प्रचार सहायता	20.00
14. जल-क्रीडा उपकरण	8.00		———
15. हवाई खेल उपकरण	17.15	जोड़	135.00
16. कोणार्क समुद्र तट के लिए तम्बू	15.00		———
17. मेले और उत्सव	5.10		
18. दो वातानुकूलित कोच	16.00		
जोड़	214.60		

(ख) यह मुख्यतया उड़ीसा राज्य में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए है और प्रचार, मेलों तथा उत्सवों तथा बाली यात्रा के लिए धन भी मुहैया कराया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्र

*648. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने विद्युत संयंत्रों को सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू किया जाना था और वास्तव में कितने सयंत्र चालू किए गए; और

(ख) शेष संयंत्रों को चालू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान 22245.25 मेगावाट विद्युत उत्पाद क्षमता के 149 विद्युत संयंत्रों को चालू किए जाने की आयोजना थी। इस योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में 21401.64 मेगावाट की क्षमता के 114 संयंत्र चालू किए गये थे। परियोजनाओं को चालू न किए जाने से संबंधित अनेक कारणों में पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध न होना, विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने और ठेके देने में विलम्ब होना, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में कठिनाइयां आना, उपस्कर सप्लाई करने के कार्यक्रम की अनुपालना न किया जाना और सिविल एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों की प्रगति की गति धीमी होना शामिल है।

कृष्णा-कावेरी नदी जल का बंटवारा

*649. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बछावत पंचाट की सिफारिशें लागू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचाट की सिफारिशों के अनुसार कर्नाटक को कृष्णा और कावेरी के जल में अपना हिस्सा मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) भारत सरकार ने श्री आर० एस० बचावत की अध्यक्षता में 10 अप्रैल, 1969 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया था और अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा के जल विवाद के अधिनिर्णय और मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सरकारों के पत्रों से नदी घाटी के संबंध में उत्पन्न जल विवाद इस अधिकरण को निर्णय हेतु सौंपा। अधिकरण ने इसे सौंपे गए मामले की जांच की और तथ्यों की छानबीन करके 27 मई, 1976 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की और सौंपे गए मामले पर अपना निर्णय दिया। विभिन्न निर्णयों में अधिकरण ने यह भी निर्णय दिया कि कृष्णा नदी का 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह विजयवाड़ा तक 2060 हजार मिलियन घनफुट है और यह पक्षकार राज्यों के बीच विवरण हेतु उपलब्ध है। अधिकरण ने कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के अध्यधीन 560 हजार मिलियन घनफुट महाराष्ट्र को 700 हजार मिलियन घन फुट कर्नाटक को और 800 हजार मिलियन घन फुट आन्ध्र प्रदेश सरकारों को उनके लाभकारी प्रयोग के लिए आबंटित किया। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार भारत सरकार ने अधिकरण का निर्णय 31 मई, 1976 को राजपत्र में प्रकाशित किया जिससे यह पक्षकार राज्यों पर अन्तिम और बाध्यकारी हो गया। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय को लागू करना आवश्यक है।

भारत सरकार ने 2 जून, 1990 को श्री चित्ततोष मुखर्जी की अध्यक्षता में कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया और उसे अन्तर्राज्यीय कावेरी नदी और तमिलनाडु सरकार के पत्र से उत्पन्न उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवाद के अधिनिर्णय के लिए यह मामला सौंपा। तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दायर की गई सिविल विविध याचिकाओं का निपटान करते समय, जिनमें अन्तरिम राहत के लिए निवेदन किया गया था, अधिकरण में 25 जून, 1991 को आदेश दिया। जिसमें कर्नाटक राज्य को अपने जलाशयों से जल निर्मुक्त करने का निदेश दिया गया था ताकि तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में नियमित रूप से वर्ष में 205 हजार मिलियन घन फुट जल सुनिश्चित किया जा सके और कावेरी जल सिंचाई के उनके अपने क्षेत्र को विद्यमान 11.2 लाख एकड़ से अधिक न बढ़ाया जा सके। इसने तमिलनाडु राज्य को भी यह निदेश दिया कि वह नियमित ढंग से पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को 6 हजार मिलियन घन फुट जल की निर्मुक्ति सुनिश्चित करे। भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार यह निर्णय 10-12-1991 को राजपत्र में प्रकाशित किया। इस प्रकार यह पक्षकार राज्यों के लिए अन्तिम और बाध्यकारी हो गया। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस निर्णय को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना आवश्यक है।

गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

***650. श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नये आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) सरकार का गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) आकाशवाणी :

आहवा में नए रेडियो स्टेशन और जूनागढ़ में एक रिले केन्द्र के अतिरिक्त, अहमदाबाद में 1 कि० वा० मीडियम वेव (विविध भारती) ट्रांसमीटर की 2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापना और बड़ोदरा में 2 × 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं।

आहवा में नये रेडियो स्टेशन के चालू हो जाने पर समग्र गुजरात राज्य कवर हो जाएगा।

दूरदर्शन

राजकोट में एक स्टूडियो केन्द्र, भुज में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और खम्बात, मोरवी, धारंगधरा, महुआ, नखतराणा, रापड़, मंगरोल और इंदर में एक-एक अर्थात कुल 8 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए बड़ोदरा और सूरत में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की भी परिकल्पना है। आठवीं योजना अवधि की शेष अवधि अर्थात 1993-97 के दौरान टी० वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर लगभग 93.8 प्रतिशत जनसंख्या (सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) टी० वी० कवरेज के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है।

पासपोर्ट शुल्क

*651. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस शुल्क में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कई देशों के लिए एक ही पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (घ) सरकार का विचार पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि करने का है, ताकि इससे पासपोर्ट छापने और तैयार करने की लागत की भरपाई हो सके। इस समय नये पासपोर्ट के लिए शुल्क के रूप में जो 50 रुपये लिये जाते हैं उससे खाली पासपोर्ट पुस्तिका की लागत भी नहीं निकालती जिनकी आपूर्ति भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक द्वारा की जाती है और पासपोर्ट पुस्तिका के उत्पादन तथा पासपोर्ट तैयार करने की वास्तविक लागत से तो यह बहुत ही कम है।

शुल्क में कितनी वृद्धि की जाए इसका फैसला इसके आधार पर किया जाएगा कि पासपोर्ट पुस्तिका के उत्पादन और उसकी तैयारी के संदर्भ में कितना खर्च होता है और जनता को दी जाने वाली पासपोर्ट संबंधी सेवाएं तैयार करने के समूचे तंत्र में सुधार करने पर और कितनी अतिरिक्त लागत आती है।

सरकार ने जम्बो पासपोर्ट चलाने का भी फैसला किया है जिसमें भारतीय उद्योगपतियों और व्यक्तियों सहित जल्दी-जल्दी यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक पृष्ठ होंगे।

[हिन्दी]

हाजीपुर-बजीतपुर बांध परियोजना

*652. श्री ललित उरांव : क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की हाजीपुर-बजीतपुर बांध परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या नदी द्वारा भूमि कटाव के कारण परियोजना पर चल रहा कार्य प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रभावित भाग का पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हाजीपुर-बजीतपुर तटबंध 93 किलोमीटर लम्बा है। इसकी अनुमानित लागत 2432.40 लाख रुपए है। पूरा होने पर, यह 80,330 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान करेगा। मार्च, 1993 तक इस परियोजना पर 515 लाख रुपए की राशि, जो कि लगभग 25 प्रतिशत है, व्यय की गयी है।

(ग) और (घ) तटबंध का कुछ भाग, जो लम्बाई में लगभग 200 मीटर है, नदी द्वारा मृदा कटाव होने के कारण प्रभावित हुआ था। विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद इसे पुनः बनाने का प्रस्ताव है।

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने का समय, राज्य सरकार द्वारा नियत की गयी इसकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन क्षेत्र

*653. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मात्स्यिकी और गहरे समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के संबंध में बहुराष्ट्रीय/विदेशी कंपनियों से प्राप्त आवेदनों पर तुरंत कार्य करने संबंधी प्रक्रिया आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय उद्यमियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले विशेष रूप से मेक्सीकन जलपोतों से संबद्ध कितने रुग्ण एककों के पुनर्वास की स्वीकृति दी गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां । विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन करके सरकार ने बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों/अनिवासी भारतीयों से प्राप्त विदेशी पूंजीनिवेश वाले प्रस्तावों की जगह के लिए एक तुरंत कारंवाई की प्रक्रिया अपनाई है । यह भारतीय कम्पनियों से प्राप्त उन आवेदन पत्रों पर भी लागू होती है जिन्होंने विदेशी पूंजीनिवेश वाली विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम किया है । यह बोर्ड मात्स्यिकी और गहन समुद्री मात्स्यिकी सहित विदेशी पूंजीनिवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्तावों पर विचार करता है ।

(ख) सरकार की तुरंत कारंवाई की प्रक्रिया भारतीय कम्पनियों से प्राप्त उन प्रस्तावों पर भी लागू होती है जिनमें कोई विदेशी पूंजीनिवेश निहित नहीं है क्योंकि इन मामलों में सचिवों की अधिकार प्राप्त एक अन्तर-मंत्रालयी समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) अप्रैल, 1991 में गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के पुनर्वास की स्कीम की घोषणा के बाद 42 कम्पनियों के प्रस्तावों को पुनर्वास के लिये अभी तक स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मैक्सिको के जलयानों के स्वामित्व वाली 6 कम्पनियां भी शामिल हैं।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

*654. कुमारी विमला वर्मा :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक वर्षवार और राज्यवार अलग-अलग कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितना प्राप्त किया गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से स्वदेशी और आयातित उपकरण इस्तेमाल किये जा रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। सरकार ने 31 मार्च, 1995 तक सभी पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) जनवरी, 1991 में नीति की शुरूआत के बाद सर्किलवार लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा स्वदेशी निर्मित उपस्करों, यथा बहु-अभिगम्य ग्रामीण रेडियो (एम० ए० आर० आर०) और एकल चैनल वी० एच० एफ० प्रणालियों का प्रयोग करके (i) खुली तार माध्यम, (ii) रेडियो माध्यम द्वारा प्रदान की जाती है।

(घ) विभाग की कोई विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

विवरण

पंचायत ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करना

(सर्किलवार लक्ष्य)

क्रम सं०	सर्किल	पचायत गांवों की कुल संख्या	1991-92 के लिए लक्ष्य	1991-92 की उपलब्धि	1992-93 के लिए लक्ष्य	1992-93 के दौरान उपलब्धि	1993-94 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	19533	840	1903	3050	1961	4500
2.	असम	2485	180	342	0550	555	800
3.	बिहार	11678	600	1005	2000	1265	3000
4.	गुजरात	13157	720	1576	3000	1755	4500
5.	हरियाणा	5792	720	1251	1200	981	1000
6.	हिमाचल प्रदेश	2597	30	111	0200	205	400
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1461	60	125	0125	126	150
8.	कर्नाटक	8335	270	1068	1500	1207	2300
9.	केरल	982	12	21	0000	000	000
10.	मध्य प्रदेश	23523	1043	4005	5000	3668	7500

11.	महाराष्ट्र	24937	1200	2172	5000	2881	7500
12.	उत्तर पूर्व	4084	180	300	0417	519	600
13.	उड़ीसा	4411	480	1064	1000	1230	800
14.	पंजाब	11030	700	901	2000	2126	3000
15.	राजस्थान	7353	660	1287	1800	1811	1800
16.	तमिलनाडु	13288	870	1160	2000	2157	3000
17.	उत्तर प्रदेश	73741	3000	2725	6858	7037	12000
18.	प० बंगाल	3486	360	600	800	579	1100
19.	दिल्ली एम०टी०एन०एल०	191	75	136	09	09	000
	कुल योग	2,32,054	12000	21752	36509	30072	54750

पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग

*655. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा परस्पर हित के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों में विविधता लाने के लिये कोई संयुक्त प्रयास किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंध 1974 में पुन: स्थापित किए गए थे। उसके बाद से अनेक उच्च स्तरीय यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों में गति आई है। हाल के वर्षों में इन यात्राओं में अप्रैल, 1990 में भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण की पुर्तगाल यात्रा, जनवरी-फरवरी, 1992 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति डा० मारियो सोरेस की भारत की राजकीय यात्रा और जून, 1992 में प्रधानमंत्री की पुर्तगाल की मार्गस्थ यात्रा शामिल है। मार्च, 1992 में पुर्तगाल के विदेश मंत्री यूरोपियन समुदाय ट्रोयका के सदस्य के रूप में भारत आए थे। मंत्री स्तर की अन्य यात्राओं में फरवरी, 1991 में पुर्तगाल के विदेश कार्य मंत्री डा० दुराओ बारोसो की भारत-यात्रा और जुलाई, 1991 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्री एदुआर्दु फलेरो की पुर्तगाल यात्रा शामिल है।

विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और उसे विविधता प्रदान करने की दिशा में पहल की गई है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय करार सम्पन्न किए गए हैं। एक भारत पुर्तगाल संयुक्त आयोग की स्थापना की गई है। फरवरी, 1991 में गोआनी स्वर्ण-भूषण भारत लाने के लिए एक करार सम्पन्न हुआ था जिस पर जुलाई, 1991 में अमल किया गया। 1991 में दिल्ली में पुर्तगाली सांस्कृतिक केन्द्र खोला गया। 1992 में सरकार ने पुर्तगाल को गोवा में एक प्रधान कोंसलावास खोलने की अनुमति दी।

आर्थिक क्षेत्र में पुर्तगाली विशेष व्यापार संस्था एवं भारतीय वाणिज्य तथा औद्योगिक मंडल संघ तथा बम्बई वाणिज्य मंडल एवं पुर्तगाली औद्योगिक एसोसिएशन के बीच करार सम्पन्न किए गए हैं। भारत पुर्तगाल संयुक्त व्यवसाय परिषद की प्रथम बैठक मई, 1993 में लिस्बन में होगी। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और संयुक्त उद्यमों, विशेषकर मछली पालन, कपड़ा उद्योग और कृषि उद्योग के क्षेत्रों में, जिनकी अच्छी संभावनाएं हैं, के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कन्हार सिंचाई परियोजना

*656. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हुए समझौते में उत्तर प्रदेश की कन्हार सिंचाई परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की मात्र 390 एकड़ भूमि के डूब की व्यवस्था है;

(ख) क्या इस डूब क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की है कि मध्य प्रदेश की अधिक भूमि डूब क्षेत्र में न आये ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर, 1992 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जलमग्न क्षेत्र को संशोधित किया है जो कि 258 हैक्टेयर (637 एकड़) है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की जलमग्नता के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त करनी है।

गोवा में पर्यटक ग्राम

*657. **श्री राम कापसे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के सहयोग से उत्तरी गोवा में पर्यटक ग्राम स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में जापान सरकार द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किया गया गया ब्योरा प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जापान सरकार ने उत्तरी गोआ में अवकाश ग्राम (होली डे विलेज) स्थापित करने के अपने निर्णय की सूचना अभी नहीं दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन केबल

*658. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यकतानुसार टेलीफोन केबलों की सप्लाई हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीफोन केबलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

कुटीर ज्योति योजना

*659. **श्री श्रीकान्त जेना** :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत बिजली का एक प्वाइंट देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में वर्ष 1992-93 के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बिजली के एक प्वाइंट के कितने कनेक्शन जारी किये गये/जारी करने का विचार है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) कुटीर ज्योति स्कीम के अन्तर्गत सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन के संबंध में 1992-93 के लिए लक्ष्यों और वर्ष 1993-94 में मुहैया कराये जाने हेतु लक्षित सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। चूंकि कार्यक्रम को पुन: क्रियान्वयन के लिए लगभग दो वर्ष के अंतराल के बाद 1992-93 की अंतिम तिमाही में हाथ मे लिया गया था और निधियों का प्रावधान संशोधित अनुमानों में ही किया गया था, इसलिए केवल 10 राज्यों से स्कीम के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जिसका ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अधीन राज्यवार वास्तविक लक्ष्य तथा मुहैया कराए गए कनेक्शन

क्र० सं०	राज्य	1992-93 के लिए सिंगल प्वाइंट कनेक्शन की लक्षित संख्या	1992-93 के दौरान मुहैया कराए गए कनेक्शनों की संख्या	1993-94 के लिए सिंगल प्वाइंट कनेक्शनों की लक्षित संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11490	11360	15240
2.	अरुणाचल प्रदेश	1160	उपलब्ध नहीं	1540
3.	असम	3240		4300
4.	बिहार	32900		43640
5.	गोवा	80		100
6.	गुजरात	4780	4780	6340
7.	हरियाणा	1130	998	1500
8.	हिमाचल प्रदेश	410	305	540
9.	जम्मू एवं कश्मीर	590		780
10.	कर्नाटक	7340	7340	9740
11.	केरल	3900	3900	5180

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	16930	15820	22460
13.	महाराष्ट्र	12320	उपलब्ध नहीं	16340
14.	मणिपुर	110		140
15.	मेघालय	570		760
16.	मिजोरम	180	180	240
17.	नागालैंड	200	उपलब्ध नहीं	260
18.	उड़ीसा	10920		14480
19.	पंजाब	970		1280
20.	राजस्थान	9380		12440
21.	सिक्किम	100		120
22.	तमिलनाडु	10310	10310	13680
23.	त्रिपुरा	540	उपलब्ध नहीं	720
24.	उत्तर प्रदेश	41580		55140
25.	पं० बंगाल	17370	5166	23040
	जोड़ :	188500	60159*	250000

*टिप्पणी : कालम-4 में दी गई सूचना अनंतिम है। चूंकि कार्यक्रम 1992-93 की अंतिम तिमाही में ही पुनः लागू किया गया है, इसलिए केवल 10 राज्यों से प्रगति संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

खुम्बी का प्रसंस्करण

***660. श्री राम टहल चौधरी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों द्वारा खुम्बी का प्रसंस्करण करने के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु सहायता देने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 1990-91 से एक योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत जन-जातीय क्षेत्रों में खुम्बी प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित सहायता दी गई है—

क्रम सं०	सहायता प्राप्त करने वाले का नाम	राज्य	वर्ष	दी गई सहायता धनराशि
1.	मै० लाहौल पोटेटो ग्रोवर्स को-आपरेटिव मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग सोसायटी लि०, लाहौल	हिमाचल प्रदेश	90-91	19,00,000 रु०
2.	बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जिला नादिया खुम्बी की खेती की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कल्याणी/कूच बिहार (जनजातीय क्षेत्र)	पश्चिम बंगाल	91-92	20,00,000 रु०
3.	बिहार सरकार, रांची के आदिवासी क्षेत्रों में खुम्बी की खेती के लिए	बिहार	91-92	4,65,000 रु०
4.	मै० गिरिजन को-आपरेटिव कारपोरेशन, विशाखापत्तनम। पूर्वी आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए	आन्ध्र प्रदेश	92-93	17,21,000 रु०
5.	उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लि०, भुवनेश्वर। (को-प्रोमोटर्स: मै० न्यू इंडिया कल्चरल स्पान एण्ड मशरूम्स, बेरहामपुर)	उड़ीसा	92-93	6,00,000 रु०
6.	बागवानी निदेशालय, नागालैंड कोहिमा	नागालैंड	92-93	6,00,000 रु०
7.	मै० मिजोरम फूड्स एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, आइजल	मिजोरम	92-93	29,80,000 रु०

[अनुवाद]

भर्ती करने वाले पंजीकृत एजेंट

4871. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने पंजीकृत भर्ती करने वाले एजेंट थे;

(ख) 1991-92 के दौरान आप्रवासियों की संख्या कितनी थी;

(ग) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार और 1991-92 के दौरान भर्ती करने वाले एजेंटों ने कुल कितना धन जमा कराया; और

(घ) 1992-93 के दौरान कितने धन का उपभोग किया गया और जमा राशि के बदले कितना ऋण दिया गया ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार उत्प्रवास संरक्षी के पास पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या 1732 थी। भर्ती एजेंटों का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए अनुमति प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1,95,898 और 4,16,784 थी।

(ग) और (घ) भर्ती एजेंट सरकार के पास कोई नकद राशि नहीं जमा कराते हैं। वे केवल 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी देते हैं, जो कि विदेश भेजे जाने वाले कर्मकारों की संख्या पर निर्भर करती है, जैसा कि उत्प्रवास नियम, 1983 के अंतर्गत अपेक्षित है ।

विवरण

1-4-1992 की स्थिति के अनुसार श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों की राज्य-वार संख्या

क्र० सं०	राज्य	भर्ती एजेंटों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	983
2.	दिल्ली	401
3.	तमिलनाडु	69
4.	पंजाब	65
5.	केरल	45
6.	आन्ध्र प्रदेश	39
7.	चण्डीगढ़	35

1	2	3
8.	उत्तर प्रदेश	28
9.	राजस्थान	17
10.	हरियाणा	11
11.	कर्नाटक	9
12.	पश्चिम बंगाल	7
13.	गुजरात	7
14.	गोवा	6
15.	उड़ीसा	5
16.	बिहार	2
17.	जम्मू और कश्मीर	2
18.	मध्य प्रदेश	1
	योग :	1732

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों का जब्त किया जाना

4872. **श्री राजवीर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान नशीले पदार्थ ले जाने के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और सजा दी गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन व्यक्तियों से नशीले पदार्थों की कितनी मात्रा जब्त की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थों का लेन-देन करने के लिए गिरफ्तार किए गए तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है—

	1991-92	1992-93 (फरवरी तक)
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	5901 (जिसमें 86 विदेशी भी शामिल हैं)	12462 (जिसमें 90 विदेशी भी शामिल हैं)
दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	829	728

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

4873. श्री बापू हरि चौरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण ये उद्योग रुग्ण हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की आवास योजनाएं

4874. श्री एन० जे० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम की आवास योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इससे कुल कितना लाभ अर्जित हुआ; और

(ख) 1991-92 के दौरान अलग-अलग व्यक्तियों और विभिन्न संस्थाओं को निगम द्वारा कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जून, 1989 में स्थापित जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० जो जीवन बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी है, अपने प्रचालन के केन्द्रों में आवास-वित्त पोर्टफोलियो का प्रबंध कर रही है । हालांकि आवास-योजनाओं से जीवन बीमा निगम को होने वाले लाभ का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका समग्र प्रचालनों के साथ विलय कर दिया जाता है, तथापि वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए जीवन-बीमा निगम आवास-वित्त निगम द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 3.31 करोड़ रुपए और 6.72 करोड़ रुपए रहा ।

(ख) जीवन बीमा निगम और जीवन बीमा निगम आवास-वित्त लि० द्वारा व्यक्तियों और विभिन्न अन्य संस्थानों को दिया गया ऋण क्रमशः 1135.76 करोड़ रुपए और 451.23 करोड़ रुपए था जिसकी कुल राशि 1586.99 करोड़ रुपए है ।

[हिन्दी]

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अर्जित लाभ

4875. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक ऑफ इंडिया ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए समस्त कारोबार में कुल कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान किये जाने वाले कारोबार के संबंध में लाभ के लिए कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) गत वर्ष के लक्ष्य की तुलना में इस लक्ष्य में कितनी वृद्धि की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए सभी लेन-देनों में बैंक द्वारा अर्जित सकल लाभ निम्नानुसार है—

(धनराशि करोड़ रुपए में)

1989-90	104.02
1990-91	134.63
1991-92	263.32

(ख) 31-3-1993 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय प्रचालनों के लिए 123 करोड़ रुपए के सकल लाभ का अनुमान लगाया गया है।

(ग) 31-3-1993 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया का लाभ पिछले वर्ष के मुकाबले में कम होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

पेंशन में एक बार वृद्धि

4876. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सेवा अधिकारियों के लिए पेंशन में एक बार वृद्धि (ओ०टी०आई०) करने की योजना की घोषणा की है, यदि हां, तो उक्त योजना को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की गई है;

(ख) कुल कितने लोग पेंशन में एक बार वृद्धि (ओ० टी० आई०) करने की योजना के अंतर्गत अर्हक हो गए हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1992 और 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार कितने लोगों ने आवेदन किया, कितनों को भुगतान कर दिया गया और कितनों के आवेदन को डी डी पी ओ, बैंकों और कोषपाल द्वारा रद्द कर दिया गया;

(घ) आवेदनों के बकाया रहने का क्या कारण हैं और सभी आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पेंशन में एक बार वृद्धि करने की योजना के अंतर्गत अर्हक सभी व्यक्तियों को लाभ मिले ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने, 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेना कर्मियों की पेंशन में एक बार की वृद्धि किए जाने के बारे में 16 मार्च, 1992 को आदेश जारी किए थे। स्वीकृत योजना के अनुसार एक बार की वृद्धि का भुगतान 1 जनवरी, 1992 से

अनुज्ञेय है और पेंशन में एक बार की वृद्धि का भुगतान पाने के लिए पात्र पेंशनरों की कुल अनुमानित संख्या 6.03 लाख है ।

2. इस संबंध में दिनांक 31-12-92 और 28-2-93 की स्थिति के अनुसार आवेदनकर्ताओं, भुगतान-प्राप्तकर्ताओं और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों का ब्योरा इस प्रकार है—

	आवेदनकर्ताओं की संख्या		भुगतान-प्राप्तकर्ताओं की संख्या		अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	
	31-12-92 और 28-2-93 की स्थिति के अनुसार		31-12-92 और 28-2-93 की स्थिति के अनुसार		31-12-92 और 28-2-93 की स्थिति के अनुसार	
रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय	2,17,707	2,20,757	1,84,692	1,88,120	33,015	32,637
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	61,186	1,02,586	37,280	83,253	5,010	8,446
राजकोष	77,580	1,03,499	59,545	85,938	3,866	6,152
योग :	3,56,473	4,26,842	2,81,517	3,57,311	41,891	47,235

3. पेंशन ढांचे में निहित पेचीदगियों के अलावा, कुछ मामले में अब तक भुगतान न किए जाने का मुख्य कारण यह रहा है कि राजकोषों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की योजना-विवरण और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी । इसलिए देशभर में स्थित विभिन्न केन्द्रों में संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ा ।

4. सरकार ने, सभी पात्र पेंशनरों को पेंशन में एक बार की वृद्धि का लाभ जल्द-से-जल्द दिलाने के लिए निम्नलिखित कारवाई की है—

(1) रक्षा मंत्रालय ने 16 मार्च, 1992 को जारी किए गए सरकारी आदेशों के तुरन्त बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों, दूरदर्शन, रेडियो और जिला सैनिक बोर्डों आदि के जरिए व्यापक प्रचार किया है । शेष पात्र पेंशनरों को पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए दोबारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है ।

(2) राजकोषों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संबंधित स्टाफ की योजना-विवरण की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था ।

(2) मुख्य नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन पुनरीक्षण) के सहयोग के अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा पेंशन में एक बार की वृद्धि की भुगतान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी करने के बाद यह पता चला है कि भुगतान धीमी गति से किया जा रहा है ।

(4) मुख्य नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन पुनरीक्षण) और पेंशन में एक बार की वृद्धि के भुगतान पर नजर रखने वाले अन्य अधिकारी संबंधित एजेंसियों द्वारा त्वरित गति से भुगतान किए जाने के लिये राजकोषों के निदेशकों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों के साथ संपर्क कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण

4877. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्र और राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने कितने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रयोजन से मध्य प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम से 17.85 करोड़ रु० की लागत के 6 प्रस्ताव परियोजित किए हैं। तथापि, इस कार्य के लिए निधियों की उपलब्धता और विभिन्न मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए उक्त स्कीम के तहत कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की कार्यवाही चल रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की सहायता

4878. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त योजनावधि के लिए शामिल किए गये प्रत्येक राज्य के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) विशेष कृषि परियोजना (एस० पी० ए०), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) का एक ऐसा कार्यक्रम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पम्प सेटों को बिजली प्रदान करने के लिए पारेषण लाइनें बिछाने और अन्य आधारभूत सहायता हेतु वित्तपोषण करने के संबंध में है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, वाणिज्यिक बैंकों तथा नाबार्ड द्वारा राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर किया जाता है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार आवंटन, प्रतिवर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों के परामर्श से किया जाता है। 1992-93 के लिए अब तक किए गए आवंटनों के मुकाबले में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए नाबार्ड द्वारा किये गये आवंटनों तथा संवितरित की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। नाबार्ड ने 125 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन किया है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

(लाख रुपए)

राज्य	आबंटन		संवितरण
	1992-93	1993-94	1992-93
हरियाणा	190	200	157
पंजाब	185	100	22
राजस्थान	353	400	10
उड़ीसा	210	400	15
पश्चिम बंगाल	425	150	26
मध्य प्रदेश	962	800	211
उत्तर प्रदेश	100	500	14
गुजरात	1000	1200	450
महाराष्ट्र	3500	3000	1098
आंध्र प्रदेश	2950*	3000	1304
केरल	325	350	162
तमिलनाडु	1600	1800	862
कर्नाटक	700	600	—
योग	12500	12500	4331

*आंध्र प्रदेश में 822 लाख रुपए का एक अतिरिक्त आबंटन।

टिप्पणी : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी)/राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी) द्वारा योजना के प्रस्तुत न करने तथा एस ई बी द्वारा चूकों के कारण शेष राज्यों में कोई आबंटन नहीं किया गया है।

जाली करेंसी नोट

4879. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक माह, बैंकों द्वारा जाली पाई गई करेंसी नोटों की कितनी नकद धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कराई गई;

(ख) तत्संबंधी, बैंक-वार तथा शाखा-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 340 अदद (10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के विभिन्न मूल्य वर्ग के) जाली नोट, जिनका कुल मूल्य 25180 रुपये है, विभिन्न बैंकों द्वारा मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली में जमा कराई गई नकद राशि में पाये गये हैं। बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जाली नोटों के प्राप्त होते/पता चलते ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें अन्वेषण के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

विवरण

क्रम सं०	बैंक और शाखा का नाम	मार्च 92		अप्रैल 92		मई 92		जून 92		जुलाई 92		अगस्त 92	
1	2	3		4		5		6		7		8	
उत्तर (ख)	रुपए	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
1.	इलाहाबाद बैंक, संसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हेमिल्टन हाउस, नई दिल्ली	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3.	ए. एस० जेड० ग्रेंडलेज बैंक, संसद मार्ग	1	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1
4.	आंध्र बैंक, करोल बाग	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बैंक आफ अमेरिका, बाराखम्बा रोड	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
6.	बैंक आफ बड़ौदा, संसद मार्ग	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7.	बैंक आफ मदुरा, कनाट प्लेस	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—

1	2	3		4		5		6		7		8	
8	बैंक आफ महाराष्ट्र, कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	बैंक आफ राजस्थान, जनपद	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
10.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, प्रैस ऐरिया	—	—	—	—	1(50)	—	—	—	—	—	—	—
11.	वही—कटरा आहलू-वालिया, अमृतसर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, रोहतक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	कारपोरेशन बैंक, कनाट प्लेस	—	1	—	1	2	2	—	—	2	2	—	2
14.	कारपोरेशन बैंक, करोल बाग	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15.	सिटी बैंक, एन० ए०, संसद मार्ग	—	1	—	—	—	2	—	7	—	—	—	—
16.	कनाट सर्कस	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
17.	केनरा बैंक, डी० डी० यू० मार्ग	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
18.	फरीदाबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

19.	कैथोलिक सीरियन बैंक, कनाट सर्कस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	ड्यूश बैंक, टालस्टाय मार्ग	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21.	फेडरल बैंक, कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
22.	इंडियन बैंक, कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
23.	जे० एण्ड० के० बैंक लि०; श्रीनगर	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
24.	अनंतनाग	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
25.	लक्ष्मी विलास बैंक लि० करोल बाग	—	—	—	—	—	—	—	—	1(50)	—	—	—
26.	न्यू बैंक आफ इंडिया, करोल बाग	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	राजेन्द्र नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	फरीदाबाद												
29.	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स, झंडेवालान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	पंजाब एंड सिंध बैंक, आफिस अली रोड	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3		4		5		6		7		8	
31.	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	फगवाड़ा	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	खारी बावली	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
34.	रोहतक	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
35.	अंडर हिल रोड	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
36.	गुड़ मंडी पटियाला	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
37.	मंसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
38.	भीकाजी कामा प्लेस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	शालीमार रोड, जम्मूतवी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	नागरोटा बंगुआ (हि० प्र०)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	हिसार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	राजपुरा पटियाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.	स्टेट बैंक आफ इंडिया, रोहतक	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—

45.	रामपुर	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
46.	हिसार	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
47.	बिलासपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
48.	कुल्लू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	सुन्दरनगर (हि० प्र०)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
50.	निर्माण भवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
51.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोधी रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	श्रीनगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला माल रोड पटियाला	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54.	भटिंडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
55.	रोपड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56.	यमुनानगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रवनकोर करोल बाग	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
58.	डी०डी०यू० मार्ग	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
59.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक संसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

1	2	3		4		5		6		7		8	
60.	सांगली बैंक लि०, करोल बाग	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
61.	सिंडिकेट बैंक, आसफअली रोड	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9	1	4
62.	जी० बी० रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
63.	आर० के० पुरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
64.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि०, एस० पी० मुखर्जी मार्ग	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
65.	यूको बैंक शिमला	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66.	पिंजौर (अम्बाला)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67.	दि माल शिमला												
68.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आसफअली रोड	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
69.	चांदनी चौक	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
70.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०, करोल बाग	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
71.	विजया बैंक, रामनगर	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	1	—
72.	चांदनी चौक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

73.	वैश्य बैंक, करोल बाग	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74.	कनाट प्लेस	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75.	चांदनी चौक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76.	साउथ इंडियन बैंक, चांदनी चौक	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
77.	कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		सितम्बर 92		अक्तूबर 92		नवम्बर 92		दिसम्बर 92		जनवरी 93		फरवरी 93	
1	2	9		10		11		12		13		14	
	रुपये	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
1.	इलाहाबाद बैंक, संसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हेमिल्टन हाउस, नई दिल्ली	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	ए० एन० जेड० ग्रेंड-लेज बैंक, संसद मार्ग	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—
4.	आंध्र बैंक, करोलबाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बैंक आफ अमेरिका, बाराखम्भा रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	बैंक आफ बड़ोदा, संसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
7.	बैंक आफ मदुरा, कनाट प्लेट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	बैंक आफ महाराष्ट्र, कर्नाट प्लेस	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

9.	बैंक आफ राजस्थान, जनपथ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, प्रेस ऐरिया	—	1	—	—	—	1	—	2	—	6	—	1
11.	वही—कटरा आहलूवालिया, अमृतसर	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, रोहतक	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
13.	कारपोरेशन बैंक कनाट प्लेस	2	—	1	1	4	—	2	1	4	—	2	—
14.	कारपोरेशन बैंक, करोल बाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	सिटी बैंक, एन० ए०, संसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	कनाट सर्कस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	केनरा बैंक डी० डी० यू० मार्ग	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
18.	फरीदाबाद	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19.	कैथोलिक सीरियन बैंक, कनाट सर्कस	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	ड्यूश बैंक, टालस्टाय मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	9		10		11		12		13		14	
21.	फेडरल बैंक, कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	इंडियन बैंक, कनाट सर्कस	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
23.	जे० एण्ड के० बैंक लि०, श्रीनगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	अनंतनाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	लक्ष्मी विलास बैंक लि०, करोल बाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	न्यू बैंक आफ इंडिया, करोल बाग	2	1	2	1	2	—	1	1	3	—	—	—
27.	राजेन्द्र नगर	1	2	—	1	—	1	—	—	1	1	3	—
28.	फरीदाबाद												
29.	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स, झंडेवालान	—	—	6	—	2	—	3	--	—	3	—	—
30.	पंजाब एंड सिंध बैंक, आफिस अली रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
31.	पंजाब नेशनल बैंक राजेन्द्र नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

32.	कलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	खारी बावली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	रोहतक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	मंडर हिल रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	गुड़ मंडी पटियाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	संसद मार्ग	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	भीकाजी कामा प्लेस	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	शालीमार रोड, जम्मूतवी	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
40.	नागरोट बगुआ (हि० प्र०)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
41.	इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
42.	हिसार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
43.	राजपुरा पटियाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
44.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, रोहतक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.	रामपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
46.	हिसार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	बिसालपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	9		10		11		12		13		14	
48.	कुल्लू	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	सुन्दरनगर (हि० प्र०)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	निर्माण भवन	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
51.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोधी रोड	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	श्रीनगर	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, माल रोड, पटियाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54.	भटिंडा	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
55.	रोपड़	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
56.	यमुनानगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
57.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, करोल बाग	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
58.	डी० डी० यू० मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक संसद मार्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.	सांगली बैंक लि०, करोल बाग	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

61.	सिंडिकेट बैंक आसफअली रोड	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62.	जी० बी० रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63.	आर० के० पुरम	4	8	4	3	2	—	1	2	5	—	—	—
64.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि०, एस० पी० मुखर्जी मार्ग	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
65.	यूको बैंक, शिमला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66.	पिंजौर (अम्बाला)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67.	दि माल शिमला												
68.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आसफअली रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69.	चांदनी चौक	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
70.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०, करोल बाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71.	विजया बैंक, रामनगर	2	—	2	—	4	—	1	—	1	5	—	—
72.	चांदनी चौक	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
73.	वैश्य बैंक, करोल बाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	9		10		11		12		13		14	
74.	कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75.	चांदनी चौक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
76.	साउथ इंडियन बैंक, चांदनी चौक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77.	कनाट प्लेस	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

गायब हुआ डॉनियर विमान

4880. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तटरक्षक का डॉनियर विमान 2 जनवरी, 1993 से गायब है;

(ख) क्या अब तक विमान का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो किन कारणों से विमान का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है; और

(ङ) सरकार विमान का पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। 2 जनवरी, 1993 को उड़ीसा तट के निकट समुद्र में तटरक्षक का एक डॉनियर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

(ख) से (ङ) दुर्घटनाग्रस्त विमान का कुछ मलबा बरामद हुआ है। किन्तु विमान के विंग तथा फ्यूजलेज जैसे बड़े हिस्से-पुर्जे बरामद नहीं हो सके, क्योंकि इनके समुद्र की सतह में दूर-दूर बिखरे होने की सम्भावना है। विमान और हिस्से-पुर्जे बाहर निकालने के प्रयास छोड़ दिये गए हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

4881. श्री मदन लाल खुराना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कितने कैडेट अपना प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही उसे छोड़कर चले गए;

(ख) क्या अकादमी में शिक्षा के स्तर में कथित गिरावट आयी है;

(ग) क्या सरकार ने कैडेटों द्वारा अपना प्रशिक्षण छोड़ने तथा अकादमी में शिक्षा के स्तर में कथित गिरावट का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 1800 कैडेटों में से जो कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी छोड़ कर चले गए उनकी संख्या इस प्रकार है :

1990	1991	1992
25	51	28

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अकादमी में शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी छोड़कर जाने का कारण बेहतर जीविका (कैरियर) की सम्भावना, अकादमी के वातावरण में ताल-मेल बिठाने में असमर्थता, स्वास्थ्य संबंधी अथवा अन्य व्यक्तिगत समस्याएं हैं।

(ङ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेटों के कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

4882. श्री वी० देवराजन:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों को राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृति मिली है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) क्या सभी पात्र शहरी निर्धनों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए कोई समय-सीमा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम को 1-4-1992 से शहरी माइक्रो की उद्यमों की योजना में (एस० यू० एम० ई०) जिसका प्रशासनिक नियंत्रण शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, विलय कर दिया गया है। वर्ष 1992-93 (जून, 1992 की स्थिति के अनुसार) एस० यू० एम० ई० के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, लक्ष्य, स्वीकृति आवेदनों की संख्या और स्वीकृत तथा संवितरित ऋण की रकम की संचयी राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) शहरी माइक्रो उद्यमों की योजना, वित्तीय वर्ष 1990-91 से, वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर निरंतर योजना के रूप मे सरकारी बैंकों की चुनिंदा शाखाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय योजना के लिए "केन्द्रीय" (नोडल) एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं तथा सबसिडी को भी संवितरित करते हैं। योजना के तहत प्रत्येक हिताधिकारी को परि-योजना के 25% की दर से सबसिडी प्रदान की जाती है। जिसकी अधिकतम राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के मामले में 5000 रुपए और अन्यों के मामले में 4000 रुपए है।

योजना के अंतर्गत सभी पात्र शहरी गरीब हिताधिकारियों को शामिल करना, बैंकों, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा योजना के क्रियान्वयन की प्रगति तथा योजना के तहत निधियों की उप-लब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

एस० यू० एम० ई० 1992-93—वित्त वर्ष 1992-93 के लिए संचयी स्थिति—जून, 1992 की स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	मंजूर आवेदनों की संख्या	मंजूर ऋण राशि	संवितरित ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8300	2189	106.79	92.46
2.	असम	1110	77	5.32	3.47
3.	बिहार	7370	291	13.57	10.15
4.	गुजरात	4060	1601	64.20	51.55
5.	हरियाणा	1140	856	63.51	34.99
6.	हिमाचल प्रदेश	610	97	7.13	3.68
7.	जम्मू एवं कश्मीर	860	95	10.50	3.92
8.	कर्नाटक	7080	595	27.20	24.21
9.	केरल	3150	635	35.34	31.95
10.	मध्य प्रदेश	7530	170	13.81	11.67
11.	महाराष्ट्र*	7480	2473	145.44	135.94
12.	मणिपुर	370	37	5.30	1.54
13.	मेघालय	310	21	2.64	0.14
14.	उड़ीसा**	2130	459	31.99	19.83
15.	पंजाब	2180	1222	97.35	78.24
16.	राजस्थान	4330	480	28.62	13.50
17.	तमिलनाडु*	8670	8361	401.20	377.55
18.	त्रिपुरा	180	—	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	18480	3524	273.61	251.24
20.	नागालैंड**	370	—	—	—

1	2	3	4	5	6
21.	पश्चिम बंगाल	6610	718	32.59	18.61
22.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	60	—	—	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	300	—	—	—
24.	चंडीगढ़	170	82	6.87	4.03
25.	गोवा	120	—	—	—
26.	दादर एवं नगर हवेली	60	1	0.04	0.04
27.	मिजोरम	180	—	—	—
28.	पांडिचेरी	120	55	1.24	1.24
29.	दिल्ली	1760	55	2.63	1.11
30.	सिक्किम	240	—	—	—

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

आंकड़े : अनन्तिम

* बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के लिए प्रत्येक के लिए अलग से 1760 के अतिरिक्त लक्ष्य सहित।

चाय की खेती

4883. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्ष 1990 से 1992 तक प्रत्येक वर्ष कितने अतिरिक्त क्षेत्र को चाय की खेती के अन्तर्गत लाया गया और चाय का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1990 से 1992 तक असम में चाय उद्योग में वर्ष-वार कितने श्रमिक कार्यरत थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1990 से 1992 के दौरान असम में चाय की खेती और चाय के उत्पादन के अन्तर्गत लाए गए अतिरिक्त क्षेत्र के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मिलियन किग्रा०)*
1990	1595.08	388.18
1991	1589.47	387.87 (अनुमानित)
1992	उपलब्ध नहीं	387.81 (अनुमानित)

(ख) वर्ष 1990 के दौरान असम में चाय के बागानों में कामगारों की अनुमानित दैनिक संख्या औसतन 5,41,661 थी। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मत्स्य उद्योग का विकास

4884. श्री सुधीर सावंत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा अन्य छोटे पैमाने की नौकाओं के लिए बन्दरगाह पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी (मेरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) निर्यात को बढ़ावा देने तथा बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में मछुआरों को सहायता प्रदान करने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी मात्रा में तथा किन किस्मों की मछलियों का निर्यात किया गया; और

(घ) इन जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एम्पीडा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली तथा अन्य छोटी नौकाओं के लिए बंदरगाह पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है :

1. एम्पीडा देश में विभिन्न मछली पकड़ने के बंदरगाहों में उपलब्ध अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का सर्वेक्षण करता है।

2. एम्पीडा विभिन्न मछली पकड़ने के बंदरगाहों में मछली पकड़ने वाले पोतों के आपरेटरों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाता है तथा उन्हें हल करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ बातचीत करता है।

3. एम्पीडा कुछेक मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास के लिए परामर्शदात्री समितियों में भी सेवाएं प्रदान करता है।

4. अध्यक्ष, एम्पीडा की अध्यक्षता वाली समिति ने मछली पकड़ने के कोचीन बंदरगाह के चरण-II के लिए उचित स्थल का पता लगाया।

(ख) पंजीकृत मछली-पकड़ जलयानों के मालिक मछुआरों को विविधीकृत संसाधनों की दृष्टि से कई दिन तक समुद्र में रहकर मछली पकड़ने के काम में सहायता देने के लिए, एम्पीडा ने एक योजना चलाई हुई है। इस योजना के द्वारा एम्पीडा जलयानों के परिष्करण की लागत का 30% तक आर्थिक सहायता के रूप में देता है जिसकी सीमा 1.5 लाख रु० है। इस योजना के अंतर्गत लाभ महाराष्ट्र राज्य के यंत्रीकृत मछली-पकड़ जलयानों के मालिकों को भी मिलता है। यद्यपि इस योजना के लिए विज्ञापन दिया गया था किन्तु एम्पीडा के बंबई स्थित कार्यालय को केवल एक आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए समुद्री-उत्पाद की मात्रा और किस्में निम्नानुसार हैं :

मात्रा : मी० टन
मूल्य : करोड़ रु० में

मद		1991-92	1990-91	1989-90
प्रशीतित श्रिम्प	क्यू :	76080	62395	57819
	वी :	975.43	663.33	463.31
प्रशीतित लोबे-स्टरटेल्स	क्यू :	1628	1600	2067
	वी :	5531	34.30	33.62
प्रशीतित कटलफिश/फिलैट्स	क्यू :	12437	11596	14108
	वी :	60.91	45.29	47.23
प्रशीतित स्क्विड	क्यू :	25529	16667	11944
	वी :	1109.38	44.99	28.48
समुद्री/प्रशीतित	क्यू :	49119	42340	21277
	वी :	142.66	90.82	·48.29
अन्य	क्यू :	7027	4821	3628
	वी :	32.20	14.64	14.06
जोड़ :	क्यू :	171820	139419	110843
	वी :	1375.89	893.37	634.99

राज्यवार निर्यात के ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं :

(i) कैपचर-फिशरी का विकास करके निर्यात उत्पादन में वृद्धि करना।

(ii) कल्चर फिशरी द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना;

(क) श्रिम्प फार्मों से प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि करके;

(ख) कल्चर द्वारा श्रिम्प के उत्पादन के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को लाकर; और

(ग) अन्य निर्यात-योग्य मदों के उत्पादन में विकास करके।

(iii) नई प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्द्धन की शुरूआत।

(iv) प्रसंस्करण-सुविधाओं का आधुनिकीकरण गुणवत्ता उन्नयन और अपव्यय में कमी; और

(v) त्वरित बाजार संवर्धन अभ्युपाय।

सरकार ने किसी विशेष जिले/राज्य के कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

[हिन्दी]

पुराने वाहनों की खरीद

4885. **श्री एम० के० बालियान** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भावी खरीददारों द्वारा पुराने वाहनों की खरीद के लिए कोई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत पुराने मोटर वाहन के भावी खरीददार खरीदे जाने वाले वाहनों की पंजीकरण संख्या, इंजन संख्या, चैसी संख्या, मेक/टाइप नोट कर सकते हैं और पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी० सी० आर०) को दूरभाष सं० 100 पर टेलीफोन कर सकते हैं। दिल्ली में चुराए गए वाहनों की कम्प्यूटर में उपलब्ध तारीख की जांच करने के बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष टेलीफोन पर भावी खरीददार को सूचना देगा कि यह वाहन दिल्ली से चुराया गया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, भावी खरीददार उपर्युक्त विवरण का उल्लेख करते हुए पत्र भेजकर अपराध रिकार्ड कार्यालय से भी यह सूचना प्राप्त कर सकता है और एक सप्ताह के अन्दर अपराध रिकार्ड कार्यालय से उत्तर प्राप्त कर सकता है। यह स्कीम दिल्ली पुलिस के स्थापना (रेजिंग) दिवस अर्थात् 16-2-1993 से पहले ही लागू कर दी गई है।

[अनुवाद]

विभाजन के समय का ऋण

4886. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन की व्यवस्थाओं के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा भारत को 1952 से पचास किश्तों में 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इनमें से कितनी किश्तें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि कोई किश्त प्राप्त नहीं हुई है, तो इसकी वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यह मसला इस समय किस स्थिति में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) हालांकि किसी निश्चित राशि पर सहमति नहीं हो सकी थी, फिर भी भारत के पाकिस्तान विभाजन ऋण को 300 करोड़ रुपए माना गया है। दिसम्बर, 1947 में सम्पन्न एक करार के तहत पाकिस्तान द्वारा इस ऋण की वापसी-अदायगी भारतीय रुपयों में 15 अगस्त, 1952 से शुरू करके 2.718 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ 50 बराबर वार्षिक किश्तों में की जानी थी। तथापि, पाकिस्तान द्वारा मूलधन अथवा ब्याज की वापसी-अदायगी के लिए कोई किश्त अदा नहीं की गई है। इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

टी० वी० सेटों के अवैध निर्माण का प्रभाव

4887. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सेटों के अवैध निर्माण के कारण प्रतिवर्ष उत्पाद शुल्क में भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे उपचारात्मक कदमों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) टेलीविजन सेटों का अवैध रूप से निर्माण किए जाने के कारण सरकार को उत्पाद शुल्क की कितनी हानि हुई है, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा निर्माण कार्य एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

मंगोलिया के साथ समझौता

4888. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में उसके साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

4889. **श्री राजेश कुमार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु रूस से सहायता लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम कानूनों को उदार बनाना

4890. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र को अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालन की स्वतन्त्रता देने हेतु श्रम कानूनों को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसे लागू किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) लघु उद्योग क्षेत्र को कुछ राहत देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) सभी राज्य सरकारों को अधिसूचित किया गया है कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स पांच वर्ष के लिए वैध होंगे बशर्ते कि कारखाना के मालिक द्वारा प्रति वर्ष लाइसेन्स फीस चाहे वह पूरी तरह अथवा एक मुश्त अदा की गयी हो।

(ii) श्रम राज्य मंत्री ने सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को निम्नलिखित सुझावों के साथ एक पत्र भेजा है :

(क) विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत निरीक्षणों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। उन इकाइयों के मामले में जो खतरनाक तथा जोखिमकारी वस्तुओं के उत्पादन में कार्यरत नहीं है उनमें कुछ चुनिन्दा इकाइयों का यदा-कदा केवल एक वार्षिक निरीक्षण किया जाये।

(ख) लघु उद्योग इकाइयों को विभिन्न श्रम कानूनों का पालन करना चाहिए तथा निर्धारित विवरणियां भी नियमित रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उल्लंघनों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो केवल उस अवस्था में ही निरीक्षकों द्वारा इकाइयों के निरीक्षण किए जायेंगे। लघु उद्योग क्षेत्र के संबंधित संगठनों/एसोसिएसनों की सदस्य इकाइयों द्वारा श्रम कानूनों के आवश्यक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी धारण करनी चाहिए।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र इकाइयों द्वारा निर्मित स्वविनियमन की पद्धति के कार्यकरण का निरीक्षण तथा मानिटर करने के उद्देश्य से राज्यस्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। इसकी बैठकें आवधिक रूप से होनी चाहिए तथा लघु उद्योग क्षेत्र की शिकायतों की भी जांच करनी चाहिए और उपचारात्मक उपाय सुझाने चाहिए।

[हिन्दी]

झांसी में पुल का निर्माण

4891. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अराच घाट नदी पर पुल का निर्माण कार्य बहुत पहले से अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इसे कब तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संवैधानिक दृष्टि से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों तथा इन पर बने पुलों के लिए जिम्मेदार है। चूंकि, उत्तर प्रदेश की प्रश्नगत पुल परियोजना निर्माण के बाद राज्य सड़क नेटवर्क पर आएगी, अत: इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। इसके बावजूद भी, इस पुल परियोजना के वित्त पोषण के लिए, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर-राज्य अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई मांग नहीं की गई है।

चाय का निर्यात

4892. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में सरकार ने कुल कितनी चाय का निर्यात किया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान, 1157.14 करोड़ रु० मूल्य की 210.39 मिलियन कि॰ग्रा॰ चाय का निर्यात होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण ब्यूरो का कार्य-निष्पादन

4893. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण ब्यूरो (बी० आई० एफ० आर०) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्स्थापन प्रक्रिया संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण ब्यूरो के सम्पूर्ण कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास

संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्निर्माण योजनाओं को अन्तिम रूप देने में अंतर्ग्रस्त लम्बी प्रक्रिया के प्रति भारत सरकार को अपने विचारों से अवगत कराया है।

पुनर्निर्माण प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करने और उसकी सहायता से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने पहले ही रुग्ण औद्योगिक अपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1992 पेश कर दिया है।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी एककों में सुधार

4894. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री महेश कनोडिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों (ई० ओ० यू० एस०) के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने एककों को मंजूरी दी गई और 1992-93 के दौरान उनमें से कितने एककों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना में कोई परिवर्तन/सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख), (घ) और (ङ) 100% निर्यातोन्मुख एककों तथा संबंधित प्रशासनिक/संचालन संबंधी मामलों के संबंधित नीति और क्रियाविधियों की निरंतर समीक्षा की जाती है। समीक्षा करते वक्त समय-समय पर प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में दिए गए कुछ परिवर्तनों में तेजी से अनुमोदन देने की क्रियाविधि नीति संबंधी ढांचे का सरलीकरण, शुल्क की घटी हुई दरों सहित डी० टी० ए० की पहुंच, तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास आयुक्तों की शक्तियों का प्रत्यायोजन शामिल है।

(ग) 1992 के दौरान निर्यात-अभिमुख एककों की स्थापना करने से संबंधित 655 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी। अनुमोदन-पत्र, उत्पादन के शुरू होने से 3 वर्षों की संक्रमण अवधि की अनुमति देता है।

शेयर बाजार में मंदी

4895. श्री मुमताज अंसारी :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद शेयर बाजार में मंदी आ गयी है जैसाकि 10 मार्च, 1993 के नवभारत टाइम्स में छपा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1993 में शेयर बाजार के रुख का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शेयर बाजार में स्थायित्व लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) 1993-94 का बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद शेयर बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है। मार्च, 1993 के दौरान शेयर मूल्यों के सूचकांक को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए सामान्य क्रियाविधि में शेयर मूल्यों के स्तर को विनियमित करने हेतु शेयर बाजार में सरकार का सीधे हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है।

विवरण

मार्च, 1993 के महीने (29 तारीख तक) में कारोबार के दिनों के लिए शेयर मूल्यों हेतु बम्बई स्टाक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक

मार्च, 1993	बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक (1978-79=100)
1	2
1.	2571.2
2.	2543.8
3.	2565.3
4.	2532.7
8.	2571.7
9.	2337.0
10.	2287.2
11.	2330.2
15.	2421.3
16.	2459.9
17.	2400.2

1	2
18.	2393.6
19.	2376.8
20.	2402.2
23.	2378.6
26.	2341.4
29.	2276.9

[अनुवाद]

सोना, चांदी तथा विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

4896. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान जब्त किए गए सोने, चांदी तथा विदेशी मुद्रा का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) उनका अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं की तस्करी किन-किन देशों से की गयी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विगत दो कैलेन्डर वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत पकड़े गए सोने, चांदी का मूल्य और मात्रा तथा विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन वस्तुओं की तस्करी मुख्यतः दुबई, हांगकांग और सिंगापुर से सक्रिय गिरोहों द्वारा की जाती है।

	1991		1992*	
	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	5.02	190.02	2.89	126.10
चांदी	197.08	138.20	161.06	118·17
विदेशी मुद्रा		13.24		13.58

(*आंकड़े अनन्तिम हैं)

'सेबी' द्वारा पब्लिक/राइट इश्यू की जांच

4897. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) 1 मार्च, 1992 से अब तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कितनी कम्पनियों के पब्लिक/राइट इश्यू की जांच की और ये इश्यू कितनी धनराशि के थे;

(ख) जिन इश्युओं के प्रीमियम को स्वीकृति दे दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में स्वीकृत प्रीमियम राशि उचित थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1992 से 15 मार्च, 1993 तक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने 1175 पेशकश दस्तावेजों को स्वीकृति दी जिनमें कुल 26615.92 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की बात कही गई है। इनमें से 634 दस्तावेज सार्वजनिक इश्यू के लिए थे और जिनकी कुल राशि 11092.71 करोड़ रुपए थी। शेष 541 दस्तावेज राइट इश्यू के लिए थे और जिनकी राशि 15523.21 करोड़ रुपए थी। 'सेबी' के पास प्रीमियम इश्यू के लिए अलग से आंकड़े सुलभ नहीं है।

(ग) मुक्त मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्गमकर्ता को प्रीमियम सहित निर्गम कीमतों को निश्चित करने की स्वतन्त्रता है। तथापि, "सेबी" यह अपेक्षा करता है कि प्रीमियम औचित्य पेशकश दस्तावेज में प्रकट किया जाए ताकि निवेशक स्वयं मूल्यांकन कर सके।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई राशि

4898. **श्री छेदी पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी राशि जुटाई गई और कितनी राशि वितरित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि में बिहार में ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई राशि से अत्यन्त कम राशि का वितरण किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशियों और बकाया अग्रिमों की राज्य-वार राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशियों और बकाया अग्रिमों की राशि निम्नलिखित थी :

(लाख रुपए)

वर्ष	मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार जमा राशियां	मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार बकाया अग्रिम	ऋण जमा अनुपात
1989-90	59334	39043	66
1990-91	69039	38053	55
1991-92	77869	43276	56

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों का लगभग 28 प्रतिशत आरक्षित आवश्यकताओं के लिए पहले से ही अधिकृत किया हुआ है और इन बैंकों को अपने दिन-प्रतिदिन के परिचालनों के लिए आवश्यक नकदी शेष भी रखनी होती है। आवर्ती हानियों के कारण, सामान्यतया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय नाजुक हो गई है। बिहार में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 17 ने अपनी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों को पूर्णतया समाप्त कर दिया है। सामान्यतया वसूली कार्य निष्पादन 1990-91 में केवल 33 प्रतिशत और 1991-92 के दौरान 9 प्रतिशत (अनन्तिम) होने से पर्याप्त निधियों को कुछ अवसरों के लिए रखना आवश्यक है जो न केवल तरल हो बल्कि सुरक्षित भी हो, ताकि उसे जमाकर्ताओं की मांग को पूरा करने के साथ-साथ अन्य उधारकर्ताओं की देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। मार्च, 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार राज्य में 1035 लाख रुपए की प्रदत्त शेयर पूंजी की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संचित हानियां 7336 लाख रुपए थीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां जुटाने और बकाया अग्रिमों की राज्यवार धनराशि

(लाख रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च, 1990		मार्च, 1991		मार्च, 1992	
	जमा राशियां	बकाया अग्रिम	जमा राशियां	बकाया अग्रिम	जमा राशियां	बकाया अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	15303.85	11314.34	16812.37	13020.74	20678.53	13728.05
हिमाचल प्रदेश	5534.10	2079.50	6160.71	2072.59	7600.05	2437.73
जम्मू और कश्मीर	6151.64	2554.26	6419.30	2990.56	7667.45	3189.77
पंजाब	5807.41	4025.73	7860.98	5412.98	9668.71	6412.24
राजस्थान	23761.24	19611.84	29707.88	15222.59	36494.32	17546.51
असम	9505.31	9147.53	11663.99	8769.05	13504.56	10320.60
मणिपुर	169.41	212.08	214.09	253.77	270.18	298.79
मेघालय	1133.59	553.13	1436.16	556.03	1879.41	607.41
नागालैंड	86.03	77.31	66.96	50.50	69.17	58.55
त्रिपुरा	4529.00	6679.10	4768.75	6099.97	5850.23	6412.75
अरुणाचल प्रदेश	240.55	76.91	329.23	83.86	421.75	107.15
मिजोरम	553.04	477.86	902.73	439.50	1011.50	487.91

बिहार	59334.15	39042.55	69038.52	38052.98	77869.17	43275.65
उड़ीसा	15031.47	22590.93	17455.28	21955.21	21313.04	22019.88
पश्चिम बंगाल	30890.19	20749.92	36439.57	26644.67	43775.54	25227.18
मध्य प्रदेश	31731.11	26888.37	39197.54	28205.89	43510.54	31788.03
उत्तर प्रदेश	115367.30	69399.10	144080.51	77005.49	165326.95	86164.15
गुजरात	6822.68	5415.03	8640.54	6143.78	10594.20	7701.03
महाराष्ट्र	41793.33	12368.42	12274.20	13075.10	13929.51	14612.35
आन्ध्र प्रदेश	31485.71	42351.49	40007.89	42827.72	47297.31	49855.72
कर्नाटक	25989.78	36185.84	29738.08	32354.25	37850.69	38482.44
केरल	8694.82	17974.97	10751.00	19569.00	13813.76	21457.00
तमिलनाडु	5225.68	5627.51	4956.74	6121.00	6346.55	6094.84

विदेशी मुद्रा

4899. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को उदार बनाए जाने के पश्चात् व्यावसायिक अध्ययन, विशेष प्रशिक्षण, सम्मेलन इत्यादि के संबंध में किए जाने वाले विदेश भ्रमण के लिए और अधिक अमरीकी डालर ले जाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के डालर की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या प्राधिकृत डीलरों को किसी भी देश के नागरिक, अनिवासी भारतीयों, फर्मों तथा निगमों के नाम से बैंक खाता खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार/अध्ययन यात्रा/सम्मेलन/विशिष्ट प्रशिक्षण के उद्देश्य से विदेश यात्रा के लिए प्राधिकृत डीलरों को 5000 अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति दे दी गई है। यदि मांगी गई विदेशी मुद्रा इस राशि से अधिक हो तो प्राधिकृत डीलर अधिकतम (i) अध्ययन यात्रा के लिए 30 दिन तक के लिए 300 अमरीकी डालर प्रतिदिन, (ii) विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए 30 दिन तक के लिए 200 अमरीकी डालर प्रतिदिन, तथा (iii) सम्मेलन के लिए, सम्मेलन की वास्तविक अवधि के साथ दो दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए 300 अमरीकी डालर प्रतिदिन तक की विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बाईपास

4900. श्री पीटर जी० मरबनिआंग : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 13 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2897 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 तक के लिए शिलांग बाईपास रोड के लिए अब तक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह परियोजना इस समय किस चरण में है;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(घ) निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) भूमि प्राप्त करने के बाद ही बाईपास के निर्माण पर विचार किया जाएगा। इसलिए अभी यह नहीं बताया जा सकता कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा और उस पर कुल कितनी लागत आएगी।

[हिन्दी]

सोडा ऐश का आयात

4901. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश के आयात को खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत इसके कुल आयात के पूर्व प्रौद्योगिकी विकास निदेशालय के पास दर्ज करना आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी विकास निदेशालय के पास दर्ज आयात, इसके मूल्य तथा जिन देशों से आयात किया गया उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आयात-निर्यात नीति, 1992-97 की घोषणा होने के बाद सोडा ऐश का आयात करने से पहले तकनीकी विकास महानिदेशालय में उसका पंजीकरण करना अपेक्षित नहीं होता है ।

(ख) तथा (ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय में इस तरह का पंजीकरण करने की आवश्यकता पिछली आयात-निर्यात नीति के तहत होती थी । किन्तु, तकनीकी विकास महानिदेशालय के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सोडा ऐश के आयात के बारे में कोई संविदा उस कार्यालय में पंजीकृत नहीं हुई ।

उत्तर प्रदेश में कृषकों को सहायता

4902. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में उथले नलकूपों को गहरा करने/बोरिंग करने के लिए लघु और सीमांत कृषकों को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गयी;

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता देने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी उत्तर प्रदेश में मार्च, 1990 और मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि क्रमशः 706 करोड़ और 708 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा ऋण आवेदन सीधे आवेदकों से या राज्य द्वारा प्रायोजित कुछ एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और तदनुसार मंजूर किये जाते हैं। जानबूझकर की गई उपेक्षाओं, अनुदेशों का अनुपालन न करने, सूचित किये गये किसी भी प्रकार के कपटपूर्ण लेनदेनों इत्यादि के लिये निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई की जाती है। बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोपों के लिए कारंवाई की गई है या कारंवाई करने का विचार किया जा रहा हो।

तम्बाकू उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क

4903. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर लगाया गया उत्पाद शुल्क 1978 से समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शुल्क उत्तर प्रदेश के अनेक कृषकों से अभी भी वसूल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, तैयार न किए गए तंबाकू पर उत्पाद शुल्क को पहली मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया गया था।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते। तथापि, तैयार न किए गए तंबाकू के संबंध में 1979 से पहले की अवधि के संबंध में तंबाकू उत्पादकों की ओर राजस्व की बकाया राशियां हैं। प्रधान समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कानपुर से कहा गया है कि वह गुणागुण के आधार पर बट्टेखाते डालने के लिए ऐसे सभी मामलों की जांच करें।

[अनुवाद]

सड़क बाण्ड

4904. श्री रामकृष्ण कोंताला :
डा० विश्वनाथम् केनिथी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से संसाधनों को जुटाने हेतु सड़क बाण्ड जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए बाण्ड जारी करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों की वर्तमान योजना केवल उन उपक्रमों तक सीमित है जो पूर्णतः अथवा अंशतः केन्द्र सरकार से स्वामित्व में हैं। राज्यस्तरीय उपक्रमों को 'सेबी' द्वारा ऋण-पत्रों के संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किए गए उधारों को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वित्त पोषण की वार्षिक योजनाओं की मानक अपेक्षाओं से शासित किया जाता है।

सामान सम्बन्धी नियमों में संशोधन

4905. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों तथा पर्यटकों के हित में सामान संबंधी नियमों में हाल ही में कई संशोधन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विदेशों में काम करने वाले भारतीयों तथा पर्यटकों के लाभ के लिए सरकार ने हाल ही में असबाब नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं :

देश में आने वाले यात्रियों द्वारा असबाब के रूप में आयातित किसी मद पर सीमा शुल्क की प्रभावी दर को मूल्यानुसार 255% की पूर्ववर्ती दर से घटाकर मूल्यानुसार 150% कर दिया गया है। तथापि, टेलीविजन सेटों पर उपयुक्त दर पर उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

कोई व्यक्ति जो छह महीने से अधिक समय से विदेश में अपने व्यवसाय में लगा हुआ था, उसे अब 15,000 रुपए तक के मूल्य के ऐसे संवाह्य उपकरणों, यन्त्रों तथा औजारों का निःशुल्क आयात करने का अधिकार दिया गया है जिनकी उसके व्यवसाय में आमतौर पर आवश्यकता पड़ती हो। तथापि, यह छूट काष्ठकारों, नलसाजों, वेल्डरों, राज-मिस्त्रियों जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली मदों पर ही लागू होगी और इस उपबन्ध के अन्तर्गत आम उपयोग की मदों की छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत में निवास अन्तरण करने वाले व्यक्तियों अथवा एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहने के बाद, अपने काम की समाप्ति पर, भारत में वापस लौटकर आने वाले व्यक्तियों को मूल्यानुसार 25% सीमा शुल्क की रियायती दर पर फैक्स मशीन आयात करने की अनुमति होगी।

असबाब नियमावली, 1978 के नियम 4 के अनुसार, विदेश में एक वर्ष से अधिक समय तक ठहरने के बाद अपने काम की समाप्ति पर भारत में लौटकर आने वाले व्यक्ति, कतिपय शर्तों

के साथ कुल मिलाकर 30,000 रुपए के मूल्य तक के व्यक्तिगत सामान और घरेलू सामान का शुल्क मुक्त(14 उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर जिन मूल्यानुसार 25% शुल्क लगता है) आयात कर सकते हैं बशर्ते कि उनके विदेश में ठहरने की अवधि 365 दिन से कम न हो और उन्होंने उक्त अवधि के दौरान 45 दिन से अधिक अवधि के लिए भारत की अल्पावधिक यात्रा न की हो। ऐसे व्यक्ति अब इस रियायत के लिए पात्र होंगे यदि वे भारत में अपने आगमन की तारीख से तुरन्त पहले वाले 2 वर्षों में कम से कम 365 दिन विदेश में ठहरे हों, चाहे उन्होंने उक्त 2 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की कितनी ही बार यात्रा क्यों न की हो।

भारत में निवास स्थान अन्तरण करने वाला कोई व्यक्ति इस शर्त के अधीन मूल्यानुसार 25% की रियायती दर पर 14 उपभोक्ता वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की एक-एक इकाई का आयात करने के लिए पात्र है कि परिवार का केवल एक ही सदस्य इस रियायत को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। सरकार ने अब शर्त में इस सीमा तक ढील दे दी है कि परिवार के एक से अधिक सदस्य द्वारा इस रियायत का तब तक लाभ उठाया जा सकता है जब तक प्रति परिवार 14 उपभोक्ता वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की केवल एक ही इकाई का आयात किया जाता हो।

सरकार ने पूर्ववर्ती इस प्रतिबन्ध को भी हटा दिया है कि असबाब के रूप में आयातित माल को न तो बेचा जाएगा अथवा न किसी दुकान में प्रदर्शित किया जाएगा अथवा न ही उपहार के रूप में अथवा अन्यथा दिया जायेगा।

पर्यटक असबाब नियमावली, 1978 के अनुसार, कोई पर्यटक इस शर्त पर कुछेक वस्तुओं का आयात करने के लिए पात्र है (जैसे कि कैमरे, सी० डी० प्लेयर्स, म्यूजिक सिस्टम आदि) जिसको उसे भारत में ठहरने की अवधि के दौरान आवश्यकता हो, कि उस वस्तु को छह महीने के अन्दर पुनः निर्यात कर दिया जाएगा। छह महीने की इस अवधि को समाहर्ता अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर है कि कितनी अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। कभी-कभी यह देखने में आया है कि पर्यटकों (अनिवासी भारतीयों तथा अन्यों) को उस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब वे छह महीने से अधिक समय तक ठहरने के बाद भारत छोड़ रहे होते हैं और जब उन्होंने समाहर्ता अथवा बोर्ड को समय बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया हो। सरकार ने अब हवाई अड्डे पर ही सहायक समाहर्ता को छह महीने तक की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रत्यायोजित कर दी है ताकि यात्रा करने वाले पर्यटकों को कोई कठिनाई न हो।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

4906. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने तथा इसको भारत तथा विदेशी फर्मों के लिए खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कार्यविधि तैयार करने हेतु कोई समिति नियुक्त की गई है या नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) उपर्युक्त विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से बीमा उद्योग में सुधार करने की दृष्टि से एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति नियुक्त की जा रही है जो अपनी सिफारिशें छह महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देगी।

[हिन्दी]

बन्धुआ मजदूर

4907. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री रवि राय :
श्री सैयद शाहबुद्दीन :
प्रो० राम कापसे :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सुदर्शन राम चौधरी :
श्री सुखेन्दु खान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत में बन्धुआ मजदूर के संबंध में किए गए सर्वेक्षण के बारे में पता है, जैसा कि 8 मार्च, 1993 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बंधुआ मजदूर के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व श्रम रिपोर्ट, 1993 जिसमें एशियाई देशों से संबंधित बंधित श्रमिकों संबंधी सर्वेक्षण शामिल हैं, अभी जारी की जानी है, इसलिए रिपोर्ट के ब्यौरों की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंक

4908. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों में कितनी राशि जमा की गई और इनके द्वारा कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) क्या ऋण राशि का वितरण लक्ष्य के अनुसार किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस राशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अबरार अहमद) : (क) 30-9-1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या 5245 थी।

(ख) मार्च, 1990, मार्च, 1991 और मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियां और बकाया अग्रिम नीचे दिए गए अनुसार थे :

(करोड़ रुपए)

	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992
जमा राशियां	16260	18442	20290
बकाया अग्रिम	7528	8356	8948

(ग) से (ङ) बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए अथवा ऋण-जमा अनुपात के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि वे उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाये। स्थिति की जिला समन्वय समिति की बैठकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में आवधिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता निर्धारित करने सम्बन्धी प्रणाली

4909. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता निर्धारित करने और दिए गए ऋण पर कड़ी नजर व नियन्त्रण रखने के लिए मूल्यांकन पद्धति को सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे बैंकों का ब्योरा क्या है जिन्होंने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ऋण मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और ऋणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने वाले तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों पर लगातार जोर देता रहा है। बैंकों के आवधिक निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक प्रधान कार्यालयों, नियंत्रक कार्यालयों और

शाखाओं में मंजूर विभिन्न प्रकार के अग्रिमों की उपर्युक्त जांच करता है और ऋण मूल्यांकन में पाई गई कमियों के बारे में अपनी जांच रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख करता है। ये रिपोर्टें उपचारात्मक कार्रवाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को भेजी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन निष्कर्षों पर बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है और इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ कार्य योजना के दौरान भी चर्चा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रस्तावों के पूर्ण और उचित मूल्यांकन के लिए बैंकों पर हर मंच से जोर देता है।

[अनुवाद]

विदेशों में चाय बोर्ड के कार्यालय

4910. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मास्को सहित विदेशों में अनेक शहरों में चाय बोर्ड के कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) चाय बोर्ड के विदेशों में स्थित वर्तमान कार्यालयों के अतिरिक्त सरकार ने मास्को में चाय बोर्ड का एक नया कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है ताकि इस क्षेत्र में भारतीय चाय के निर्यात का संवर्धन हो सके।

मैले-कुचैले और कटे-फटे करेंसी नोट

4911. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मैले-कुचैले और कटे-फटे करेंसी नोटों को बदलने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बैंकों का इन नियमों के अनुसार कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमावली, 1975 के अन्तर्गत करेंसी नोट चेस्ट रखने वाली सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को आम जनता से सभी प्रकार के सड़े और कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए सभी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं करेंसी चेस्ट नहीं रखती, उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत उन्हें भी सड़े और मामूली कटे-फटे नोटों को बदलने के सीमित अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त नियमों के अनुसार कार्य न करने वाले बैंकों के संबंध में सभी शिकायतों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों के साथ तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की

जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त हिदायतों को सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन के भी समय-समय पर बार-बार ध्यान में लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा इस प्रकार की शक्तियों का पूरी तरह उपयोग किया गया हो।

बैंकों में रिक्त पद

4912. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में चेयरमैन/चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के शीर्षस्थ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक बैंक में ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या इन रिक्तियों का बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) ये पद कब तक भर दिए जाएंगे;

(ङ) क्या इस बात का प्रस्ताव है कि जब कभी भी बैंक में चेयरमैन/चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के पद खाली होंगे तो इनकी नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का एक पैनल बनाया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) दिनांक 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार छ. राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद खाली हैं जिनका ब्योरा निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	बैंक का नाम	जिस तारीख से पद खाली है
1.	सिंडिकेट बैंक	5-11-1991
2.	इलाहाबाद बैंक	25-6-1992
3.	आंध्रा बैंक	01-7-1992
4.	यूको बैंक	8-7-1992
5.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	26-11-1992
6.	बैंक आफ बड़ौदा	01-3-1993

सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ङ) और (च) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में सरकार को सिफारिश करने के प्रयोजन से, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक नियुक्ति बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड की समय-समय पर बैठकें बुलायी जाती हैं और समय-समय पर खाली होने वाली पदों को भरने के लिए सिफारिश की जाती है। नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है और अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात नियुक्तियां की जाती हैं।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई चांदी

4913. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग ने गत चार महीनों के दौरान किन-किन स्थानों से और कितनी मात्रा में चांदी पकड़ी;

(ख) पकड़ी गई चांदी का मूल्य कितना है;

(ग) क्या भारत-पाक-नेपाल सीमा पर ये गतिविधियां बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) देश के बड़े हवाई अड्डों पर कितनी चांदी पकड़ी गई और उसका मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनाएं

4914. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने कितनी योजनाएं शुरू कीं और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के अन्तर्गत अलग-अलग वर्ष-वार कितना धन एकत्रित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में यू० टी० आई० द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार एकत्रित किए गए धन का ब्यौरा क्या है और इसके बदले में कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या यू० टी० आई० का विचार अगले वर्ष कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुमानतः कितना धन एकत्रित किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके संगठनात्मक नेटवर्क की और विस्तार करने, सुदृढ़ करने एवं इसके प्रशासनिक तथा संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करने का है ताकि एकत्रित किये गये धन का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रखा जाएगा ।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सुरक्षोपाय

4915. **श्री रवि राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 मार्च, 1993 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अधिकतर निर्माण फर्में अपने श्रमिकों के लिए निर्धारित सुरक्षात्मक उपायों का उल्लंघन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो ने निर्माण कर्मकारों के लिये सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में लगभग 100 मानक तैयार किए हैं। इन मानकों का अनुपालन करना ठेकेदारों के लिये बाध्यकारी है। तथापि, ठेकेदारों द्वारा इन मानकों का उल्लंघन करने से स्वास्थ्यगत जोखिम उत्पन्न होते हैं और कर्मकारों के बीच दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। निर्माण उद्योग के साथ जुड़ी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समस्याओं की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्माण उद्योग के कर्मकारों के लिए एक नये विधान के अधिनियमन पर विचार करने, निर्माण उद्योग के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और दुर्घटना रोकने के लिए सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना का प्रसार करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

नियुक्तियों में पूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट

4916. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों के लिये की जाने वाली नियुक्तियों में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में समूह "क" और "ख" पदों पर सीधी भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है। समूह "क" और "ख" के अन्य पदों तथा "समूह "ग" और "घ" के लिए आरक्षित एवं अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में, सेना में की गई सेवा की अवधि तथा तीन वर्ष की और अवधि की छूट दी जाती है।

अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए आयु सीमा में, केन्द्रीय सरकार के नियमों के ही अनुसार छूट दी हुई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं

4917. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी : वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं, राज्य-वार, किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं; और

(ग) शेष शाखाएं कब तक खुलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान उसने किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया है।

समूह बीमा योजना

4918 **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 तक समूह बीमा योजना से जीवन बीमा निगम को कितनी धनराशि की आय हुई;

(ख) मार्च, 1992 के बाद जीवन बीमा निगम ने कौन-सी नई योजनाएं आरंभ की हैं;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम को नई पालिसियों के माध्यम से अच्छा कारोबार मिल रहा है; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें जीवन बीमा निगम ने गरीब लोगों की बेहतरी के लिए धन का निवेश किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, समूह योजनाओं के तहत कुल निधि 3801.90 करोड़ रुपए थी।

(ख) 1-4-92 से 30-9-92 तक की अवधि में, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी पेंशन और समूह योजनाओं के तहत 1760 नई योजनाएं आरंभ की जिनके अन्तर्गत 926.91 करोड़ रुपए की कुल बीमाकृत राशि के प्रति 4.93 लाख व्यक्ति शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना के तहत 10.41 लाख बीड़ी-कामगारों को शामिल करते हुए एक समूह बीमा योजना को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्धन लोगों सहित आम लोगों के लिए पेय जल, जल-निकास, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम विभिन्न समाजोन्मुखी योजनाओं में निवेश करता है जैसे नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, राज्य सरकारों, शीर्ष आवासीय सहकारी समितियों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य परिवहन क्षेत्र, व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों आदि को ऋण देना।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क संबंधी रियायतों का उल्लंघन

4919. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान भारतीयों को उपलब्ध सीमा शुल्क संबंधी रियायतों का उल्लंघन करने के आरोप में विदेशों से लौट रहे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) इन व्यक्तियों से कितनी धनराशि की वस्तुएं बरामद और जब्त की गयीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सक्रिय सेवा की घोषणा

4920. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके 9 जुलाई, 1982 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में सेवा अथवा कर्तव्य को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सक्रिय सेवा घोषित किया गया था तथा संघ राज्यक्षेत्र में श्रमिक संघों की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी;

(ख) क्या उक्त अधिसूचना, जो प्रारम्भ में पांच वर्षों के लिए थी, का बाद में नवीकरण किया गया तथा यह अब भी वैध है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस मसले को लेकर इस संघ राज्यक्षेत्र के नौसैनिक सिविल कर्मचारियों तथा कामगारों में भारी असंतोष है क्योंकि इससे संविधान में दी गई अधिकारों की गारंटी की मनाही होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत नौसेना सिविलियन कर्मचारियों में व्यापक रूप से कोई असंतोष नहीं है। अधिसूचना मौलिक अधिकारों से किसी को भी वंचित नहीं करती है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) के अंतर्गत अधिकारों के संबंध में कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाती है। द्वीपसमूह की अति संवेदनशील स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। कर्मचारियों को अपनी शिकायतें संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र कल्याण समितियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की पूरी छूट है।

तम्बाकू कम्पनियों द्वारा उत्पाद-शुल्क की चोरी

4921. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद-शुल्क की चोरी करने के कारण प्रमुख तम्बाकू कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन तम्बाकू कंपनियों ने कम्पनी-वार, कितने उत्पाद-शुल्क की चोरी की तथा उन पर कितना आर्थिक दंड लगाया गया/वसूल किया गया; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा दायर किए गए मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4922. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा में उक्त बैंकों ने राष्ट्रीय औसत निवेश की तुलना में प्रति व्यक्ति कितना निवेश किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सातवीं पचवर्षीय योजना अवधि के साथ-साथ समाप्त 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए 372 केन्द्र आवंटित किए थे।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा उड़ीसा में 249 रुपए के राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति निवेश 287 रुपए था।

मध्य प्रदेश में परियोजनाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

4923. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और विशेष रूप से सिवनी, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में विभिन्न परियोजनाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(ख) आठवीं योजना-अवधि के दौरान, कितनी धन-राशि का पूंजी निवेश करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सिवनी, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश में जीवन बीमा निगम का निवेश निम्नानुसार है—

		(करोड़ रुपए)
परियोजना	1990-91	1991-92
(क) जल आपूर्ति योजनाएं		
(1) जबलपुर	0.50	—
(2) सिवनी (सिओनी)	—	0.20
(3) नरसिंहपुर	—	—
(ख) राज्य सरकार सामाजिक आवासीय योजनाएं	5.49	5.83
(ग) राज्य बिजली बोर्ड	24.52	28.20
(घ) जल आपूर्ति और मल-जल निकास योजनाएं	4.06	6.73
(ङ) शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति	8.00	—

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों के विकास जीवन बीमा निगम की निधि का अंशदान लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगा।

[अनुवाद]

होटलों/मोटलों और सिनेमा थिएटरों के निर्माण हेतु ऋण

4924. श्री पी० पी० कालिया पेरूमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक/होटलों, मोटलों और सिनेमा थिएटरों के निर्माण हेतु लोगों को ऋण देते हैं; और

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष प्रयोजनार्थ कितनी ऋण-राशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋण संस्थाएं हैं जो होटलों/मोटलों और सिनेमा थिएटरों के निर्माण सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के बदले ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा समेकन प्रणाली से होटलों, मोटलों और सिनेमा थिएटरों के निर्माण के लिए दिए गए ऋणों से संबंधित पृथक सूचना प्राप्त नहीं होती है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजना के लिए धनराशि

4925. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने संबंधी योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा को कोई धनराशि मंजूर करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है तथा इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार (एस इ इ यू वाई) देने की योजना के कार्यान्वयन से प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध उद्योग मंत्रालय में विकासायुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय ने सूचित किया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बद्ध बैंकों के माध्यम से अलग-अलग हिताधिकारियों को मंजूर किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी जारी की जाती है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को एकमुश्त सब्सिडी की राशि प्राधिकृत की थी। राज्यवार सब्सिडी मंजूर नहीं की जाती है। अब तक शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के तहत उड़ीसा सहित सम्पूर्ण देश के सब्सिडी संबंधी दावों के निपटान हेतु वर्ष 1992-93 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 40 करोड़ रुपए की राशि प्राधिकृत की गई है।

स्वर्ण बाण्ड योजना

4926. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण बाण्ड योजना के अन्तर्गत कम से कम 500 ग्राम सोना जमा करने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनसाधारण के लिए सोना जमा करने की न्यूनतम सीमा 10 ग्राम करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस न्यूनतम सीमा (500 ग्राम) का निर्धारण सरकारी टकसालों में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस योजना की प्रगति होने पर इस सीमा की समीक्षा की जानी है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आवास हेतु वित्त

4927. **श्री हरिन पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम दिल्ली में आवासीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस प्रयोजनार्थ कितना ऋण दिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिल्ली में निम्न आय समूह, मध्य आय समूह, उच्च आय समूह तथा समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति को ऋणों के रूप में 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असम में राष्ट्रीयकृत बैंक

4928. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1992 की स्थिति के अनुसार असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं थीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन बैंकों द्वारा कितनी धनराशि जमा की गई तथा कितना ऋण वितरित किया;

(ग) क्या वितरित किए गए ऋण की धनराशि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऋण की राशि को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जून, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 808 शाखाएं थीं ।

(ख) मार्च, 1990, मार्च, 1991 और मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां और बकाया अग्रिमों को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपए)

	मार्च, 1990	मार्च, 1991	मार्च, 1992
जमा राशियां	1720	2022	2234
बकाया अग्रिम	929	1018	1078

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा ऋण देने का न तो कोई राज्यवार लक्ष्य है और न ही उन्हें कोई निर्धारित ऋण-जमा अनुपात बनाए रखना होता है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे उत्पादक और पता लगाए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि के लिए लगातार प्रयत्न करें । जिला समन्वय समिति की बैठक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की आवधिक बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

[हिन्दी]

करों की बकाया राशि

4929. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई रुग्ण उद्योगों पर केन्द्रीय करों की बकाया धनराशि को माफ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों की संपत्ति की कुर्की करके धनराशि वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लाख का निर्यात

4930. श्री बीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितनी मात्रा में लाख का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए चमड़े की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :

मात्रा : एम टी
मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1989-90	6200	10.66
1990-91	6692	9.57
1991-92	5734	11.33

[हिन्दी]

बैंक ऋण अदायगी

4931. श्री लाल बाबू राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 20 लाख रुपए तथा इससे अधिक धनराशि का ऋण लिया है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों ने ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि, मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों से संबधित खातों की कुल संख्या 636.64 लाख थी (अद्यतन उपलब्ध) और तदनुरूप अवधि के लिए सरकारी क्षेत्रों के सभी बैंकों के उन खातों की संख्या, जहां ऋणों की राशि अतिदेय हो गई है, 166.08 लाख थी।

(ग) उधारकर्त्ताओं से देयराशियों की वसूली एक सामान्य बैंकिंग गतिविधि है और सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कोई अनुदेश नहीं जारी करता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिदेय राशियों को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के वसूली कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :

1. बैंकों से कहा गया है कि वे बैंकों के दुर्लभ संसाधनों को एक ओर जरूरतमंदों और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में पुर्ननिवेश करने में सहायता करने तथा दूसरी ओर ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए अर्थक्षम वसूली प्रणाली स्थापित करें।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया है कि वे बड़े अग्रिमों की मानीटरिंग करने पर स्वयं ध्यान दें।

3. अग्रिमों की कारगर मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अलग-अलग अग्रिमों के स्वास्थ्य को बताने के लिए विस्तृत और एक समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना।

4. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना।

5. जब यह पाया जाता है कि अग्रिम अवरुद्ध हो गए हैं तो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

श्रमिकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

4933. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में रहने वाले श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गहरी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) ने विश्व श्रम रिपोर्ट, 1992 में भारत में बाल श्रम की कामकाजी परिस्थितियों का जिक्र किया है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, जो

कतिपय जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है और इसमें अधिसूचित प्रतिष्ठानों में बालकों की कामकाजी परिस्थितियों के विनियमन का प्रावधान है, अधिनियम के माध्यम से बालकों को शोषण से कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कठोर शास्तियों का प्रावधान है। कतिपय अन्य कानूनों में भी निषेधात्मक और नियामक उपबंध विद्यमान है। कानून को कड़ाई से लागू करने के अतिरिक्त, सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनायी है। इस नीति में बाल श्रम श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों और एक परियोजना आधारित कारवाई योजना पर ध्यान देते हुए एक विधायी कारवाई योजना की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, कामकाजी बालकों के कल्याण के लिए कार्योन्मुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी सगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रमजीवी बालकों के कल्याण के लिए अं० श्र० सं० की सहायता से दो परियोजनाएं, अर्थात् आई० पी० ई० सी० (अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम) तथा सी० एल० ए० एस० पी० (बाल श्रम कारवाई एवं सहायता कार्यक्रम) भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जीवन बीमा निगम की शाखाएं

4934. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं इस समय हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की कितनी नई शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क), जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं — 40

शहरी क्षेत्रों में शाखाएं — 11

(ग) नए शाखा कार्यालयों का खोला जाना एक वार्षिक प्रक्रिया है तथा नए कारोबार की अधिप्राप्ति की संभावना तथा सेवा प्रदान किए जाने वाले मौजूदा पालिसी धारकों की संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का संकेत दे पाना सम्भव नहीं है। वर्ष 1993-94 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा उड़ीसा में खोली जाने वाली नई शाखाओं के लिए क्षेत्रों का निर्णय वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लिया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतदान के अधिकार

4935. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा और मतदान करने की शक्तियां कम होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिनका वास्तविक और तुलनात्मक दोनों रूप से 1 अप्रैल, 1993 की स्थितिनुसार कोटा अधिक है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा हाल ही के वर्षों में आई इस कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) आठवीं समीक्षा के दौरान जो मार्च 1983 में पूरी हुई थी; भारत का कोटा 17175 लाख एस० डी० आर० से बढ़कर 22077 लाख एस० डी० आर० हो गया था। लेकिन कुल निधियों के कोटे में हमारे हिस्से मे मामूली-सी गिरावट आई थी जब यह 2.814 प्रतिशत से घटकर 2.458 प्रतिशत रह गया था और हमारी मतदान शक्ति 2.695 प्रतिशत से घटकर 2.385 प्रतिशत रह गई थी। नौवीं समीक्षा के दौरान जो नवम्बर, 1992 में पूरी हुई थी, भारत का कोटा 22077 लाख एस० डी० आर० से बढ़कर 30555 लाख एस० डी० आर० हो गया था। कोष के कुल कोटे में हमारे हिस्से में मामूली-सी गिरावट आई और यह 2.45 प्रतिशत घटकर 2.26 प्रतिशत रह गया और मतदान शक्ति 2.38 प्रतिशत से घटकर 2.22 प्रतिशत रह गई।

यद्यपि इन समीक्षाओं के दौरान कोष के कुल कोटे में हमारे हिस्से में और हमारी मतदान शक्ति में भी मामूली-सी गिरावट आई है, तथापि हमारा कोटा 22077 लाख एस० डी० आर० से बढ़कर 30550 लाख एस० डी० आर० हो गया है जिससे कोष के वित्तीय संसाधनों में हमारी प्राप्ति ज्यादा हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निम्नलिखित देशों का कोटा भारत से ज्यादा है :

संयुक्त राज्य अमेरिका

जापान

जर्मनी

यूनाइटेड किंगडम

फ्रांस

इटली

कनाडा

साऊदी अरब

चीन

नीदरलैंड्स

बेल्जियम

अत्यधिक संकेद्रित उत्पाद समूहों की रिपोर्ट

4936. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री 26 फरवरी, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 696 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अत्यधिक संकेद्रित उत्पाद समूहों में सम्मिलित सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये रिपोर्टें सरकार को कब प्रस्तुत की गईं;

(ग) क्या ये रिपोर्टें निर्यात संवर्धन परिषदों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन और अन्य संस्थाओं को उपलब्ध करायी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 34 अत्यधिक महत्व वाले उत्पादों से सम्बन्धित समूहों के समुच्चय में संबंधित व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि तथा कुछ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। उद्योग के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि को प्रत्येक समूह का अध्यक्ष बनाया गया था।

(ख) वर्ष 1992 के शुरू में विभिन्न समूहों द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। तत्पश्चात इन रिपोर्टों को "अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पाद समूहों के निर्यात में वृद्धि के लिए कार्यनीति कार्रवाई के लिए कार्य सूची" शीर्षक से एक ही रिपोर्ट में संश्लिष्ट किया गया जो जुलाई, 1992 में सरकार प्रस्तुत की गई थी।

(ग) और (घ) जिन समूहों ने ये रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं उनमें वे प्रतिनिधि थे जो स्वयं विभिन्न निर्यात और उद्योग संगठनों के सदस्य हैं। सरकार को केवल थोड़ी-सी प्रतियां ही उपलब्ध कराई गई हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पुल का निर्माण

4937. श्री ललित उरांव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर में मागेनदेही घाट पर दो लेन वाले सड़क पुल के संबंध में बिहार सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है, और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) बिहार सरकार से अगस्त, 1989 में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वित्त पोषण के माध्यम से 2.20 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर समस्तीपुर-दरभंगा सड़क पर मागरदेही घाट में बुरही-गंडक नदी पर एक पुल को बदलने की आवश्यकता परियोजित की थी। केन्द्रीय हिस्से को 2.19 करोड़ रु० तक सीमित करते हुए, उक्त स्कीम के तहत यह परियोजना जनवरी, 1992 में अनुमोदित कर दी गई थी। इस स्थिति के बावजूद सच यही है कि प्रश्नगत पुल निर्माण के बाद राज्य सड़क नेटवर्क पर पड़ेगा इसलिए इसके निष्पादन का संबंध अनिवार्यत: बिहार सरकार से है।

रियायत के कारण अतिरिक्त संसाधन

4938. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनाये गए माध्यमों से कुल कितनी धनराशि अर्जित की; और

(ख) करों में वृद्धि, डाक और तार शुल्क में वृद्धि, रेल भाड़े और माल भाड़े में वृद्धि के माध्यम से अर्जित आय में प्रत्येक राज्य और केन्द्र सरकार के हिस्सों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1991-92 के बजट में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों में उस वर्ष निम्नानुसार 3224 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था—

		(करोड़ रुपए)
(i) करो में वृद्धि		2617
(ii) निम्नलिखित में संशोधन		
डाक टेरिफ		23
दूर-संचार टेरिफ		..
रेलवे भाड़ा और किराया		584
	जोड़	3224

(ख) डाक, दूर-संचार और रेलवे की दरों में संशोधन से हुई प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा नहीं होता है। आयकर और संघ उत्पाद शुल्क के अधीन करों और शुल्कों में वृद्धि के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के बजट में राज्यों का यथानुमानित हिस्सा इस प्रकार था—

निम्नलिखित में राज्यों का हिस्सा		(करोड़ रुपए)
—आयकर		97
—संघ उत्पाद शुल्क		515
	जोड़	612

[अनुवाद]

केरल में परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम की सहायता

4939. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने केरल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1992-93 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी और 1993-94 के दौरान कितनी सहायता देने का विचार किया है, और

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान केरल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है—

(करोड़ रुपए)

योजना	आबंटन	भुगतान
I. आयोजना क्षेत्र		
सामाजिक आवासीय योजनाएं	20.00	20.00
राज्य बिजली बोर्ड	11.00	11.00
जल आपूर्ति और मल-जल निकास योजनायें	10.00	10.00
राज्य सड़क परिवहन निगम	3.00	—
शीर्ष सहकारी आवास वित्त	15.00	15.00
II. योजना आबंटन के अतिरिक्त	**1992-93 के दौरान किया गया निवेश**	
राज्य सरकार ऋण	47.50	
राज्य वित्तीय निगम बांड	1.50	
राज्य बिजली बोर्ड बांड	2.70	
राज्य भूमि विकास बैंक	3.09	

1993-94 के दौरान वित्तीय सहायता जीवन बीमा निगम के निवेश बजट को अंतिम रूप दिये जाने तथा जून-जुलाई, 1993 में योजना आयोग द्वारा योजना संसाधनों के राज्यवार आबंटन के बाद ही निश्चित की जा सकती है ।

सीमा शुल्क गृह स्थित खुदरा बिक्री दुकान

4940. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमा शुल्क गृह स्थित खुदरा बिक्री दुकान में जनता को बेचने के लिए जब्त सामान सामान्यतः अव्यवस्थित/कम होता है अथवा दुकान अधिकतर बंद रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनता को अनावश्यक असुविधा से बचाने हेतु जनता की आम सूचना के लिए समाचारपत्रों के माध्यम से दुकानों के बन्द होने की घोषणा करने और साड़ियां, कपड़ों और घड़ियों जैसी दैनिक आवश्यकता की जब्त की गई तत्काल बिक जाने वाली वस्तुओं के अधिकांश भाग को केवल जनता की बिक्री के लिए नियत करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जब्त किये गये सामान को केन्द्रीय भंडार को अपने शेयर धारकों को बेचने के लिए नहीं दिया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) शीघ्रता से आय प्राप्त करने और भंडारण स्थान का अनुकूलतम उपयोग करने हेतु जब्तशुदा उपभोक्ता माल को सामान्यतया राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघों और पंजीकृत सहकारी समितियों आदि को थोक आधार पर बेचा जाता है ताकि इसे आगे सुपर बाजारों और सहकारी भंडारों, आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जा सके। उपभोक्ता माल के एक छोटे हिस्से को दिल्ली और अन्य स्थानों पर स्थित सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से भी बेचा जाता है।

दिल्ली सीमा शुल्क गृह में स्थित खुदरा दुकान प्रत्येक महीने प्रथम और अन्तिम कार्य दिवस को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 2 बजे तक जनता के लिए खुली होती है। सुरक्षा कारणों से यह 19-3-93 से 31-3-93 तक अस्थायी तौर पर बन्द रही है। इस दुकान को स्थायी रूप से बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है :

स्वर्ण पर ऋण लेने में वृद्धि

4941. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों से अपने स्वर्ण पर ऋण लेने में वृद्धि करने का है;

(ख) 1993-94 में कितना वाणिज्यिक विदेशी ऋण लेने की संभावना है;

(ग) विदेशी बाण्ड बाजार के लिए सरकार ने क्या तंत्र तैयार किया है; और

(घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए भारतीय विकास बांडों पर वहां क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं। सरकार की, विदेशों से अपने स्वर्ण पर ऋण लेने की कोई तत्काल योजना नहीं है। तथापि, विदेशों से स्वर्ण पर ऋण जुटाने के प्रश्न का मूल्यांकन विद्यमान बाजार परिस्थितियों के आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान संभावित विदेशी वाणिज्यिक उधारों के बारे में कोई अर्थपूर्ण अनुमान लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि यह समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में विद्यमान परिस्थितियों और भारतीय कंपनियों की वाणिज्यिक उधारों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(ग) सरकार ने विदेशी बांड बाजार के लिए कोई विशिष्ट तंत्र तैयार नहीं किया है। भारतीय कम्पनियों, निधियों के लिए अपनी आवश्यकता के आधार पर और विद्यमान बाजार परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए विदेशी बांड बाजार में सरकार की अनुमति से पहुंच रख सकती हैं।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने भारत विकास बांड जारी करके 1,306,922,500 अमरीकी डालर और 179,797,250 पौंड स्टर्लिंग की राशि जुटायी है।

अनिवासी भारतीयों के लिए इक्विटी इश्यू प्रस्ताव

4942. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कम्पनियां अनिवासी भारतीयों को इक्विटी इश्यू प्रस्ताव करने की अपनी योजनाओं को रद्द कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) अनिवासी भारतीयों को इक्विटी इश्यू की पेशकश करने की अपनी योजनाओं को रद्द करने वाली कम्पनियों के ब्यौरे की 'सेबी' को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मछलियों का निर्यात

4943. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछलियों के निर्यात में 1990 की तुलना में 1992 के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण द्वारा 1992 के दौरान शुरू की गयी/संवर्धित की गई नयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग तथा रत्नगिरि जिलों में मछली-पालन के लिए उपलब्ध भूमि की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इन दो जिलों में उपलब्ध उपयुक्त भूमि का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर हैं;

(ङ) समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त जिलों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने मछली पालन और प्रसंस्करण हेतु 31 दिसम्बर, 1992 तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण द्वारा मछुआरों की सहकारी समितियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात निष्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1991-92	191820	1375.89
1990-91	139419	893.37

(ख) एम्पीडा ने उद्यमों की इक्विटी पूंजी में अंशदान करके वर्ष 1992 में 3 नई परियोजनाओं का संवर्धन किया। एक परियोजना गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और 2 परियोजनाएं निर्यात हेतु मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन के बारे में थी।

एम्पीडा ने मछली पालन क्षेत्र में विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाएं लागू करने के अलावा वर्ष 1992 में 29 नए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किए। एम्पीडा के प्रतिनिधि-मण्डलों ने 15वें सायल इन्टरनैशनल फूड प्रॉडक्ट्स एक्जिबिशन, पेरिस और इन्टरनैशनल श्रिम्प कान्फ्रेंस, हांगकांग में भी भाग लिया।

(ग) से (घ) एम्पीडा के अलीबाग स्थित कार्यालय श्रिम्प पालन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य जिलों के साथ-साथ सिंधुदुर्ग और रत्नगिरि जिलों में स्थानों का सर्वेक्षण करता है। रत्नगिरि जिले में श्रिम्प पालन हेतु अब तक लगभग 1700 हेक्टेयर के खारे पानी वाले क्षेत्र को उपयुक्त पाया गया है। इसी प्रकार सिंधुदुर्ग जिले में 1300 हेक्टेयर के खारे पानी वाले क्षेत्र को उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त पाया गया है। सर्वेक्षण जारी है।

(ङ) एम्पीडा की योजनाएं जिला/राज्य स्तर तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वे अखिल भारतीय आधार पर चलाई जाती हैं। एम्पीडा द्वारा समुद्री खाद्य उद्योग के विकास हेतु अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जाती हैं :—

1. इक्विटी सहभागिता योजना

इसके तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने/प्रोसेसिंग/मछली पालन के क्षेत्र में निर्यात अभिमुख परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। कम्पनी की कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 11% भाग तक का अंशदान एम्पीडा द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत एम्पीडा ने आज तक 16 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है जिनमें से 7 परियोजनाएं मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण, 8 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाएं और 1 परियोजना उच्च ऊर्जा वाले मछली पालन के चारे के विनिर्माण हेतु है। इसके अतिरिक्त, एम्पीडा की तकनीकी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान सहायता हेतु 7 झींगा पालन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

2. विविधीकृत मत्स्यकी कार्यों हेतु सहायता

(क) लघु मशीनीकृत नौकाओं के लिए सहायता

20 मीटर से कम ओ ए एल वाली मछली पकड़ने की मौजूदा नौकाओं को 50-100 मीटर गहराई में विविधीकृत संसाधनों की दृष्टि से कई दिन तक समुद्र में रहकर मछली पकड़ने के कार्य के अनुकूल बनाने के लिए उनमें संशोधन करने हेतु सहायता दी जाती है। मत्स्य पकड़ उपस्करों, गियरों आदि में संशोधन की लागत और खरीद मूल्य का 50% भाग एम्पीडा द्वारा उपदान के रूप में दिया जाता है। यह राशि अधिकतम 1.5 लाख प्रति पोत तक ही दी जाती है। वर्ष 1992-93 के दौरान जनवरी, 1993 तथा 3 पोतों को यह सहायता दी गई।

(ख) ओ ए एल 20 मीटर और उससे अधिक के मत्स्य पकड़ पोतों के लिए सहायता

1. गैर-श्रिम्प संसाधनों वाले विविधीकृत मत्स्य पकड़ कार्यों के गहरे समुद्र में मछली

पकड़ने के मौजूदा पोतों में फेरबदल/संशोधन करने के लिए पोत का संशोधन करने में आई लागत का 30% भाग एम्पीडा द्वारा उपदान के रूप में दिया जाता है। इसकी अधिकतम कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति जलयान है। इस योजना के अंतर्गत जनवरी, 1993 तक 9 पोतों के लिए सहायता दी गई है।

2. मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन के लिए जहाज पर ब्लास्ट फ्रीजर लगाने हेतु ब्लास्ट फ्रीजर लगाने की लागत का 30% भाग, एम्पीडा द्वारा उपदान के रूप में दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए प्रति जलयान है।

3. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोतों में खपत होने वाले हाई स्पीड डीजल आयल की लागत के भाग का पुनर्भुगतान

निर्यात से जुड़ी इस योजना के अन्तर्गत एम्पीडा द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उन पोतों में खपत होने वाले हाई स्पीड डीजल की लागत के एक भाग का भुगतान किया जाता है जो पकड़ी गई मछलियों आदि (चार्टर्ड पोतों के अलावा) का कम से कम 25% भाग का निर्यात करते हों। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मछली पकड़-क्षेत्र से होने वाले निर्यात को और अधिक प्रतियोगी बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता निम्नलिखित तीनों के संबंध में न्यूनतम है—

1. हाई स्पीड डीजल की वास्तविक खपत को 1600 रु० प्रति किलोमीटर बढ़ाना

2. हाईस्पीड डीजल की अनुमानित खपत को 1600 रु० प्रति किलोमीटर बढ़ाना

3. निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 10% वर्ष 1992 से (दिनांक 31-12-1992 तक) 18 कम्पनियों के 46 पोतों को 73.51 लाख रु० का पुनर्भुगतान किया गया है। एम्पीडा की श्रिम्प पालन संवर्धन योजनाओं का क्रियान्वयन महाराष्ट्र के सभी तटवर्ती जिलों में किया जाता है। केन्द्रों द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों का सारांश नीचे दिया गया है।

ब्यौरे	उपलब्धि
विस्तृत सर्वेक्षण	1,729.7926 हेक्टेयर
सूक्ष्म सर्वेक्षण	322.30 हेक्टेयर
जारी की गई संभाव्यता रिपोर्ट	12, जो 151.696 हेक्टेयर से संबंधित है।
एम्पीडा की तकनीक सहायता से मछली पालन के अधीन लाया गया नया क्षेत्र	18.79 हेक्टेयर
एम्पीडा की उपदान सहायता से विकसित नया क्षेत्र	15.57 हेक्टेयर
इस अवधि के दौरान प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन	67.97 मी० टन

(च) एम्पीडा की संवर्धनात्मक योजनाओं के तहत मछुआरा सहकारी समितियां भी कवर होती हैं और ये समितियां भी उक्त योजनाओं के अधीन दी जाने वाली सहायता का लाभ उठाने की पात्र हैं।

[हिन्दी]

होटल उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

4944. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल उद्योग पर व्यय कर लगाने के बाद विदेशी मुद्रा की आय में कितने प्रतिशत कमी या बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नकारात्मक सूची में सम्मिलित वस्तुओं की तस्करी

4945. **श्री छेदी पासवान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकारात्मक सूची में सम्मिलित वस्तुओं का आयात किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सूची में सम्मिलित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इनमें से कुछ वस्तुओं की देश में तस्करी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अवैध रूप से इन वस्तुओं का आयात करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आयात की निषेधात्मक सूची में निषिद्ध मदें, सरणीकृत मदें और प्रतिबंधित मदें शामिल हैं। निषिद्ध मदों के आयात की अनुमति नहीं है। सरणीकृत मदों के आयात की अनुमति केवल नामोदिष्ट अभिकरणों को ही है। किन्तु, प्रतिबंधित मदों के आयात की अनुमति किसी व्यक्ति को किसी लाइसेंस पर गुणावगुण के आधार पर अथवा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार दी जा सकती है।

(ख) आयात की निषेधात्मक सूची में शामिल मदों के ब्यौरे आयात-निर्यात नीति 1992-97 (संशोधित सस्करण-मार्च, 1993) में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद-में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां। इनमें से कुछ मदों की देश में तस्करी हो रही है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मेघालय में सरकारी क्षेत्र के बैंक

4946. **श्री पीटर जी० मरबनियांग :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को मेघालय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन बैंकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, कितनी-कितनी धनराशियां जमा की गयीं और कितनी-कितनी धनराशियां वितरित की गयीं;

(ग) क्या वितरित की गयी ऋण राशि लक्ष्यों के अनुरूप थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऋण की धनराशि में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सितम्बर, 1992 के अंत तक की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) मेघालय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 121 शाखायें थी। शाखाओं का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मार्च, 1990, 1991 और 1992 की स्थिति के अनुसार मेघालय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां और बकाया अग्रिम नीचे दिये गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च, 1990	मार्च, 1991	मार्च, 1992
जमा राशियां	253.50	353.45	356.61
बकाया अग्रिम	60.53	66.12	70.17

(ग) और (घ) ऋण देने के लिए अथवा ऋण जमा अनुपात का कोई राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य नहीं रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे उत्पादक और अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु निरंतर उपाय करें। इससे संबंधित स्थिति की जिला समन्वय समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की आवधिक बैठकों में समीक्षा की जाती है।

विवरण

सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार मेघालय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार शाखाएं

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	83
इलाहाबाद बैंक	1
बैंक आफ बड़ौदा	2

1	2
बैंक आफ इण्डिया	11
केनरा बैंक	1
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	4
इण्डियन बैंक	2
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1
पंजाब नेशनल बैंक	5
सिंडीकेट बैंक	1
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	3
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	11
यूको बैंक	4
विजया बैंक	2
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग :	121

बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार

4947. श्री शरत चन्द्र पटनायक :
श्री बोला बुल्ली रामय्या :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अधिमानी व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ उत्पादों पर शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां । बांग्लादेश सरकार अपने निर्यात से हितबद्ध की कतिपय मदों पर टैरिफ कम करने का सुझाव देती रही है । बांग्लादेश को सूचित किया गया है कि चूंकि सार्क देशों (एस ए पी टी ए) के बीच अधिमानी व्यापार व्यवस्था पर विचार-विमर्श चल रहा है इसलिए केवल एस ए पी टी ए के ढांचे के भीतर ही अधिमानी टैरिफ के लिए ऐसे अनुरोधों पर विचार करना उपयुक्त होगा ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम की सहायता

4948. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1992-93 के दौरान सहायता प्रदान की गई तथा योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि दी गयी; और

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित किए जाने का विचार है और उन्हें कितनी सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान समाजोन्मुखी योजनाओं के तहत जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र में किए गए और किए जाने हेतु प्रस्तावित निवेश निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु० में)

योजना का नाम	आवंटन	संवितरण
योजना		
राज्य सरकार सामाजिक आवास योजना हेतु	4 66	—
राज्य बिजली बोर्ड	25.56	25.56
जल आपूर्ति और मलजल निकास योजनाएं	42.28	6 20
राज्य सड़क परिवहन निगम	6.19	6.19
गैर-योजना		
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवास-वित्त निगम लि०	16.00	16.00
जल-आपूर्ति और मलजल निकासी योजना	—	10.25
सहकारी औद्योगिक एस्टेट	—	2.60

इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निवेश किए गए हैं :

राज्य सरकार ऋण	26.00
राज्य वित्तीय निगम बंधपत्र	5.00
राज्य बिजली बोर्ड बंधपत्र	18.00
राज्य भूमि विकास बैंक	4.68

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक मण्डल

4949. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक मंडल का पुनर्गठन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह पुनर्गठन कब किया गया और इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय निदेशक मण्डल निरंतर बना रहने वाला बोर्ड है और इसमें होने वाली रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल में अन्य निदेशकों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा नामित 10 गैर-सरकारी निदेशक भी होंगे। इन निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है और उसके पश्चात् वे तब तक निदेशक बने रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी निदेशक नामित नहीं कर दिये जाते हैं। अभी 8 गैर-सरकारी निदेशक हैं जिन्हें वर्ष 1983-86 के दौरान नियुक्त किया गया था। यद्यपि उनका 4 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार अपने उत्तराधिकारी निदेशकों की नियुक्ति लम्बित होने के कारण वे अभी भी कार्य कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल के पुनर्गठन के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

4950. श्री एन० जे० राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये किस-किस तिथि से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक एककों की बिक्री

4951. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ औद्योगिक एककों की बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ इस तरह के निर्देश भी हैं जिनमें इन एककों की बिक्री से अर्जित धनराशि को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पास रखने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

सूखे की स्थिति के कारण निर्यात में कमी

4952. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
　　श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे की स्थिति के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन पण्यों के निर्यात में कमी आयी है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी मुद्रा की अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) आगामी वर्षों में स्थिति को फिर से ठीक करने और नुकसान की भरपाई करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) वर्ष 1989-90 से कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	(करोड़ रु०)
1989-90	2610.29
1990-91	2819.38
1991-92	4373.53
1992-93 (अप्रैल-नवंबर)	3177.15

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता)

(ग) सरकार कृषिजन्य निर्यात को उच्च प्राथमिकता देती है और उसने इस संबंध में एक कार्य नीति पहले ही तैयार कर ली है। कार्य नीति के अनुसार कृषि क्षेत्र से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन और किसानों को अधिकाधिक आय दिलाने के कार्य को इस प्रकार किया जाएगा कि उससे हमारी खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बागवानी-उत्पादन और प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दिशा में आठवीं योजना में पहले ही पर्याप्त आबंटन कर दिया गया है।

विनिमय-दर समायोजनों, एकीकृत विनिमय-दर आरंभ करने, सीमा शुल्कों मे कमी करने, अपेक्षतया अधिक आसान शर्तों पर निर्यात हेतु ऋण की सुलभ उपलब्धता और एक्जिम नीति में संशोधन तथा क्रियाविधियों के सरलीकरण से आज देश में ऐसा वातावरण बन गया है जो निर्यात बढ़ाने में सहायक है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बिक्री कर की चोरी

4953. **डा० महावीपक सिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बिक्री कर विभाग के केन्द्रीय उड़न दस्ते द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में गत वर्ष मारे गये छापों में बिक्री कर चोरी के कितने मामले पकड़े गये; और

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम पर बिक्री कर की बकाया राशि अनुमानतः कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य का विषय होने के कारण, बिक्री कर राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है, वसूल किया जाता है और रखा जाता है, केवल उनको ही चूककर्त्ताओं और अपवंचकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार, बिक्री कर अपवंचन के लिए संदेहास्पद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर राज्यों की एजेंसियों द्वारा मारे गये छापों के संबंध में और बकाया राशि आदि के संबंध में कोई सूचना एकत्र नहीं करती है और न ही रखती है।

[अनुवाद]

युद्ध-सामग्री अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, पुणे में विस्फोट

4954. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में युद्ध-सामग्री अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, पुणे मे हुए विस्फोटों के कारणों का पता लगाने हेतु नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने समिति की जांच अवधि बढ़ा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच रिपोर्ट से यह मालूम हुआ है कि ऐसी प्रयोगात्मक चांदमारी के लिए विहित सुरक्षा पूर्वोपाय पूरी तरह से बरते गए थे और दुर्घटना का संभाव्य कारण डेटोनेटर का समय से पहले ही कार्य शुरू कर देना था। इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष स्वीकार कर लिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क दुर्घटनाएं

4955. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राणघाती सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्यवार कितनी दुर्घटनाएं घटीं और प्रति 1000 वाहनों पर कुल कितने भारी और हल्के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए; और

(ग) प्रत्येक एक हजार वाहनों के पीछे कितनी प्राणघाती दुर्घटनाएं हुई और प्रत्येक एक हजार दुर्घटनाओं के पीछे कितने लोग मरे ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1989					
		दुर्घटनाएं	भारी वाहनों की संख्या	हल्के वाहनों की संख्या	प्रति हजार वाहनों पर दुर्घटनाएं	प्रति हजार वाहनों पर मृत्यु	प्रति हजार दुर्घटनाओं पर मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13423	134800	948955	12.39	4.11	332.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	239	770	1757	94.58	23.35	246.86
3.	आसाम	1956	89846	142009	8.44	3.86	457.57
4.	बिहार	9552	182965	733151	10.43	2.38	228.64
5.	गोवा	1813	18634	86611	17.23	1.61	93.22
6.	गुजरात	23823	248957	1355427	14.85	2.19	147.29
7.	हरियाणा	5358	138697	221586	14.87	5.05	339.49
8.	हिमाचल प्रदेश	1060	16980	33822	20.87	9.23	442.45
9.	जम्मू और कश्मीर	3615	25075	71920	37.27	5.06	135.82
10.	कर्नाटक	20902	156340	990633	18.22	3.19	174.86
11.	केरल	16762	90873	432470	32.03	3.32	103.63
12.	मध्य प्रदेश	20265	195686	878963	18.86	2.52	133.68
13.	महाराष्ट्र	59045	270142	2018438	25.80	2.53	97.98

14.	मणिपुर	430	5356	31104	11.79	3.54	300.00
15.	मेघालय	646	9997	17043	23.89	3.62	151.70
16.	मिजोरम	98	2351	10811	7.45	2.89	387.76
17.	नागालैंड	263	16120	31578	5.51	0.88	159.70
18.	उड़ीसा	5737	54207	271878	17.59	3.59	204.11
19.	पंजाब	1622	307900	770466	1.50	0.76	504.93
20.	राजस्थान	9593	144517	568357	13.46	4.24	315.13
21.	सिक्किम	105	*15182	—	6.92	2.50	361.90
22.	तमिलनाडु	32962	160999	987885	28.69	5.48	191.10
23.	त्रिपुरा	449	5471	10496	28.12	8.52	302.90
24.	उत्तर प्रदेश	16063	334388	1137120	10.92	4.83	442.69
25.	पश्चिम बंगाल	15846	152305	623996	20.41	2.70	132.15
	संघ शासित क्षेत्र						
26.	अंडमान निकोबार	124	1443	5250	18.53	2.24	120.97
27.	चंडीगढ़	277	7206	207159	1.29	0.35	274.37
28.	दादर नगर हवेली	61	910	3662	13.34	2.19	163.93
29.	दमन एवं दीव	66	493	3673	15.84	2.16	136.36

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	7192	99869	1365723	4.91	1.08	220.11
31.	लक्षद्वीप	5	...	नगण्य	...	...	...
32.	पांडिचेरी	663	4586	65315	9.48	1.17	123.68
	अखिल भारत *इसके वाहन सहित	270015	2878377	14041946	15.96	3.00	187.81

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1990					
		दुर्घटनाएं	भारी वाहनों की संख्या	हल्के वाहनों की संख्या	प्रति हजार वाहनों पर दुर्घटनाएं	प्रति हजार वाहनों पर मृत्यु	प्रति हजार दुर्घटनाओं पर मृत्यु
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16042	157686	1100543	12.75	4.14	324.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	233	1163	3113	54.49	22.68	416.31
3.	आसाम	1762	94425	161979	6.87	3.53	513.05
4.	बिहार	9357	249081	729149	9.57	2.20	229.88
5.	गोवा	2205	20261	98257	18.60	1.47	78.91
6.	गुजरात	25495	265818	1574526	13.85	2.02	145.99
7.	हरियाणा	5096	198736	284154	10.55	4.08	386.38
8.	हिमाचल प्रदेश	1123	18699	40830	18.86	7.81	414.07
9.	जम्मू और कश्मीर	2326	27219	82883	21.13	3.37	159.50
10.	कर्नाटक	21992	164980	1134925	16.92	3.00	177.38
11.	केरल	20247	86142	494912	34.85	3.09	88.56
12.	मध्य प्रदेश	23492	216292	1055817	18.47	2.20	118.89
13.	महाराष्ट्र	56982	287735	2210485	22.81	2.17	95.24
14.	मणिपुर	472	5789	36672	11.12	2.50	224.58

1	2	9	10	11	12	13	14
15.	मेघालय	540	10550	18512	18.58	4.58	246.30
16.	मिजोरम	80	2511	12010	5.51	2.62	475.00
17.	नागालैंड	237	18840	37613	4.20	1.13	270.04
18.	उड़ीसा	6069	56600	315109	16.33	3.21	196.57
19.	पंजाब	1621	326495	874000	1.35	0.94	698.95
20.	राजस्थान	10456	162809	620556	13.35	4.42	331,39
21.	सिक्किम	115	*18512	—	6.21	1.40	226.09
22.	तमिलनाडु	34634	167575	1243846	24.54	4.72	192.38
23.	त्रिपुरा	408	5959	12899	21.64	5.99	276.96
24.	उत्तर प्रदेश	16318	342822	1326028	9.78	4.58	468.13
25.	पश्चिम बंगाल	16375	199758	634790	19.62	3.12	158.78
	संघ शासित क्षेत्र						
26.	अंडमान निकोबार	144	1548	6732	17.39	2.05	118.06
27.	चंडीगढ़	250	7719	226605	1.07	0.34	320.00
28.	दादर नगर हवेली	79	999	4337	14.81	3.37	227.85
29.	दमन एवं दीव	91	601	5566	14.76	2.59	175.82

30.	दिल्ली	7697	110622	1526987	4.70	1.02	216.97
31.	लक्षद्वीप	2	23	230	7.91	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	662	4795	69922	8.86	1.42	160.12
	अखिल भारत	282602	3232764	15943997	14.74	2.82	191.29

*हल्के वाहन सहित

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1991 (अनंतिम)					
		दुर्घटनाएं	भारी वाहनों की संख्या	हल्के वाहनों की संख्या	प्रति हजार वाहनों पर दुर्घटनाएं	प्रति हजार वाहनों पर मृत्यु	प्रति हजार दुर्घटनाओं पर मृत्यु
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	17633	183183	1277609	12.07	3 83	317.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	213	1456	4374	36.54	14.24	389.67
3.	आसाम	1899	104432	179120	6.70	3.06	356.56
4.	बिहार	9776	265944	778611	9.36	2.21	235 68
5.	गोवा	2418	17948	113533	18.39	1.35	73.20
6.	गुजरात	27140	289522	1762869	13.22	1.94	146.61
7.	हरियाणा	4867	282083	250883	9.13	3 59	393.67
8.	हिमाचल प्रदेश	1269	19248	47855	18.91	6.17	326.24
9.	जम्मू और कश्मीर	2451	30907	94073	19.61	3.14	159.93
10.	कर्नाटक	22438	179127	1253716	15.66	2.78	177.33
11.	केरल	23985	90642	557100	37.03	2.78	75.17
12.	मध्य प्रदेश	26406	237735	1222627	18.08	2.33	128.68

13.	महाराष्ट्र	58378	307531	2395824	21.59	2.28	105.52
14.	मणिपुर	393	6167	40521	8.42	2.38	282.44
15.	मेघालय	550	11130	20490	17.39	4.08	234.55
16.	मिजोरम	87	2802	12969	5.52	1.84	333.33
17.	नागालैंड	111	21237	43200	1.72	0.89	513.51
18.	उड़ीसा	6177	59878	364182	14.57	3.14	215.31
19.	पंजाब	1581	351263	978219	1.19	0.86	721.70
20.	राजस्थान	11046	179596	718435	12.30	4.16	338.22
21.	सिक्किम	137	*22572	—	6.07	1.51	248.18
22.	तमिलनाडु	32522	168861	1369882	21.14	4.16	196.97
23.	त्रिपुरा	371	6286	14758	17.63	4.51	256.06
24.	उत्तर प्रदेश	16864	394751	1503174	8.89	4.11	462.88
25.	पश्चिम बंगाल	16041	214782	682383	17.88	2.85	159.53
	संघ शासित क्षेत्र						
26.	अंडमान निकोबार	86	1599	7595	9.35	0.54	58.14
27.	चंडीगढ़	277	7986	250467	1.07	0.28	259.93
28.	दादर नागर हवेली	50	1074	4790	8.53	1.88	220.00

1	2	15	16	17	18	19	20
29.	दमन एवं द्वीप	67	687	6923	8.80	0.92	104.48
30.	दिल्ली	8065	120686	1692281	4.45	1.00	225.67
31.	लक्षद्वीप	0	52	371	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	724	5127	74738	9.07	1.34	147.79
	अखिल भारत *हलके वाहन सहित	94022	3486294	17823572	13.80	2.65	192.25

उपग्रह पत्तन

4956. श्री राम कृष्ण कौंताला : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशाखापत्तन इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशाखापत्तनम क्षेत्र में गंगावराम उपग्रह पत्तन स्थापित का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बांड जारी करना

4957. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों और म्युचुअल फंडों से कुछ सरकारी विभागों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए बांडों की खरीद में उदारता पूरक अंशदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ये बांड जारी किए हैं और ये बांड कब जारी किए गए थे तथा इनसे अब तक कितनी धनराशि एकत्रित हुई है; और

(ग) इन बांडों के द्वारा विभागवार कितनी धनराशि जुटाई जाएगी और अब तक एकत्रित की गई धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा-पटल पर रखा जाएगा।

उत्पाद और अन्य शुल्कों में कटौती का मूल्यों पर प्रभाव

4958. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद और अन्य शुल्कों में की गई कटौती का वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया है;

(ख) क्या दूरदराज के क्षेत्रों में उपभोक्ता को शुल्कों में की गई इस कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) 1993-94 के लिए केन्द्रीय बजट में उत्पाद तथा अन्य शुल्कों में कटौती कुछ वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में प्रतिबिम्बित हुई है जबकि अन्य वस्तुओं के इसके तब प्रतिबिम्बित होने की संभावना है जब टैरिफ कटौती के बाद वस्तु जारी होने के बाद बाजार में पहुंचती है। तथापि, कीमतों में गिरावट का आयाम कच्ची सामग्री, मजदूरी, परिवर्तन लागत उपरि व्यय और प्रशासनिक लागत, परिवहन लागत तथा बिक्री लागत आदि जैसी लागत संघटकों के व्यवहार के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न होगा।

दूसरा वेतन बोर्ड

4959. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अक्तूबर, 1992 में दूसरे वेतन संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा; और

(घ) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित करने की बात कर रहे हैं। समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस अवस्था में कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

स्टाक एक्सचेंजों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सिफारिश

4960. श्री विजय एन० पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई० एफ० सी०) ने देश के सभी स्टाक एक्सचेंजों को एक करते हुए एक एकीकृत स्टाक एक्सचेंज की तथा भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड की स्वतन्त्रता को मजबूत करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही तथा स्टाक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्य सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारतीय पूंजी बाजारों के सर्वेक्षण के आधार पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है। इस मसौदा रिपोर्ट में एक समेकित राष्ट्रीय स्टाक बाजार प्रणाली की संकल्पना और 'सेबी' को सशक्त बनाने की सिफारिश की है। इस अवधारणा में क्षेत्रीय एक्सचेंजों, राष्ट्रीय एक्सचेंज और "ओवर द काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया" के साथ राष्ट्रीय स्टाक बाजार परिषद की संकल्पना का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय स्टाक बाजार प्रणाली में बृहद, लघु और क्षेत्रीय कंपनियों और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सिफारिश की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भी सिफारिश की है कि "सेबी" के वरिष्ठ प्रबन्ध को मजबूत किया जाये और जहां तक संभव हो, "सेबी" प्रतिभूतियों के निर्गम और व्यापार के लिए एकमात्र विनियामक हो।

सरकार पूंजी बाजार के विकास के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करते समय हमारे अनुभव, अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मसौदा रिपोर्ट सहित सम्बद्ध विषय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों को ध्यान में रखती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा की गयी सभी सिफारिशों को पूंजी बाजार सुधारों से संबंधित विभिन्न मामलों का निर्धारण करने में ध्यान में रखा जाता है।

(ग) आधुनिक दूर संचार सुविधाओं सहित आदर्श एक्सचेंज के रूप में नए स्टाक एक्सचेंज की स्थापना का निर्णय लेने और सम्पूर्ण देश के निवेशकों के लिए पहुंच की व्यवस्था करने हेतु वित्त मंत्री द्वारा संसद में 8 जुलाई, 1992 को केन्द्रीय न्यासी (सेन्ट्रल डिपोजिटरी) सहित राष्ट्रीय समाशोधन एवं निपटान प्रणाली और स्टाक एक्सचेंजों में निवल कार्यप्रणाली की घोषणा की गयी थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 1992-93 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की थी कि "सेबी" की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसे अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। वित्त मंत्री के वर्ष 1993-94 के बजट भाषण में इस बात को दोहराया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निरीक्षण रिपोर्ट

4961. **श्री रवि राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्टाक एक्सचेंज ने "सेबी" की निरीक्षण रिपोर्ट की टिप्पणियों, आरोपों और सिफारिशों की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने 10 मार्च, 1993 को एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उसने भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के निरीक्षण प्रतिवेदन के बारे में अपनी स्थिति बतायी थी।

(ख) प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि 'सेबी' द्वारा एक्सचेंज के बारे में निरीक्षण प्रतिवेदन में अन्तर्निहित अधिकांश टिप्पणियां और आरोप निराधार हैं, सन्दर्भ से परे हैं और बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है। प्रेस रिलीज में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवेदन में अन्तर्निहित सामग्री बिन्दुओं पर निरीक्षण दल द्वारा एक्सचेंज के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया था। तथापि, प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रतिवेदन में जो रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं, उन पर समुचित ध्यान दिया जाएगा और एक्सचेंज द्वारा अविलम्ब उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने सरकार को सूचित किया है कि चूंकि "द टाइम्स आफ इंडिया" ने 10 मार्च, 1993 को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के निरीक्षण प्रतिवेदन (सेबी) में निष्कर्षों से सम्बद्ध एक रिपोर्ट छापी थी, जो एक्सचेंज को 9 मार्च, 1993 को सायं देर से प्राप्त हुई थी, इसलिए एक्सचेंज को प्रेस रिलीज जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया था कि "सेबी" के निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित मुख्य मदों के बिन्दुवार उत्तर तैयार किए गए हैं और एक्सचेंज के शासी निकाय की बैठक के समय प्रस्तुत कर दिए गए थे।

सरकार ने "सेबी" से अनुरोध किया है कि एक्सचेंज की कार्यप्रणाली की विसंगतियों और त्रुटियों में सुधार करने के लिए, जैसा कि निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख है, एक समयबद्ध कार्यक्रम निरूपण हेतु बम्बई स्टाक एक्सचेंज के शासी निकाय के साथ मिलकर काम करें।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण

4963. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण नियन्त्रण अपीलीय न्यायाधिकरण की कोई शाखा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मसालों का उत्पादन और निर्यात

4964. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्यवार और विशेषकर केरल में मसालों में कितना उत्पादन हुआ, कितना निर्यात किया गया तथा इससे कितनी देशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) मसालों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत और केरल में मसालों के उत्पादन के ब्योरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गये हैं। मसालों के निर्यात तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मसालों का निर्यात	
	मात्रा (एम॰टी॰)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
1989-90	102170	165.62
1990-91	109636	134.97
1991-92	130567	147.95

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता)

निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकार ने मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए हैं, वे हैं :

(1) गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत बनाना;

(2) मूल्य वर्धित मामलों का निर्यात संवर्धन;

(3) मौजूदा बाजारों में बाजार-आधार को सुदृढ़ बनाना और नए बाजारों का पता लगाना;

(4) विदेशी बाजारों में अलग-अलग निर्यातकों द्वारा विशिष्ट ब्रांडों के संवर्धन के लिए सहायता देना;

(5) उपभोक्ता पैकों में मसालों की भारतीयता और गुणवत्ता के चिन्ह के रूप में लोगों को लोकप्रिय बनाना;

(6) बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधिमंडल भेजना, चुनिंदा खाद्य मेलों में भाग लेना;

(7) विदेश में भारतीय पाक प्रणाली का संवर्धन;

(8) बाजार-जानकारी का एकत्रीकरण और इसका निर्यातकों में समय पर प्रसार करना, ताकि निर्यात के लिए उपर्युक्त कार्यनीति अपनाई जा सके।

विवरण

(क) भारत में मसालों का उत्पादन

(टनों में उत्पादन)

मसाले	1988-89	1989 90	1990-90
1	2	3	4
काली मिर्च (ए)	44160	55190	48980
(बी)	45000	65000	55000
इलाइची (छोटी)	4250	3100	4750
इलायची (बड़ी)	3970	3260	4400
मिर्च	680400	801500	691000
अदरक	152120	156120	148520
हल्दी	390400	459500	347800
धनिया	181100	149600	211500
जीरा	114440	46870	71800
सौंफ	16470	20710	150[illegible]0
मेथी	37430	38810	33700
लहसुन	313600	332700	3[illegible]6300
जायफल	उपलब्ध नहीं	5540	5920

1	2	3	4
तेजपात (2)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	13330
इमली (3)	उपलब्ध नहीं	71630	उपलब्ध नहीं
रैपसीड एवं सरसों	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5152100

(1) केरल से सम्बन्धित, (2) मेघालय से सम्बन्धित

(3) केरल एवं तमिलनाडु से सम्बन्धित

(ख) केरल में मसालों का उत्पादन

उत्पादन एम० टी० में

मसाले	1988-89	1989-90	1990-91*
काली मिर्च	43240	54140	47920
छोटी इलायची	2820	1900	3450
मिर्च	700	700	700
अदरक	45440	44890	44500
हल्दी	5900	5800	5900
इमली	उपलब्ध नहीं	35340	उपलब्ध नहीं
जायफल	उपलब्ध नहीं	5540	उपलब्ध नहीं

* अनन्तिम

: मसाला बोर्ड/आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली/राज्यों के कृषि विभाग।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए मकान

4965. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या श्रम मंत्री 27 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 846 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीड़ी श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश में 1241 मकान अब तक कहां-कहां बनाए गए हैं और ऐसे कितने मकान निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या इन मकानों का निर्माण मध्य प्रदेश में "कलंगी" में भी किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्मित मकान श्रमिकों को आवंटित कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :

(क) **बनाए गए मकान**

(i) रायपुर	48
(ii) सागर	152
(iii) मंगोली	250
(iv) दमोह	300
(v) जबलपुर	153
(vi) उरला (दुर्ग)	100
(vii) बेगमगंज	238
(viii) बारसेओनी	100
कुल	1341

निर्माणाधीन मकान

बेगमगंज	12

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि कतंगी में मकान बनाने के लिए मध्य प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड द्वारा चयनित भूमि शहर से काफी दूर थी और संतोषजनक जल आपूर्ति भी सुनिश्चित नहीं थी। अतः मध्य प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड ने राज्य सरकार से एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थल का चयन करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने अभी तक भूमि का चयन नहीं किया है।

(घ) से (च) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी को वसूल किया जाना

4966. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूल की जा रही चुंगी की दर बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने स्थायी पुलों पर पिछले वर्षों के दौरान वसूल की गई राज्यावार चुंगी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों पर वसूली गई चुंगी की राशि	
		1990-91	1991-92
		(रुपये)	
1.	महाराष्ट्र	1,36,78,427.00	2,26,11,468.00
2.	मध्य प्रदेश	2,32,17,640.50	3,93,19,486.00
3.	आंध्र प्रदेश	1,46,37,929.10	1,31,03,927.25
4.	केरल	1,26,24,737.75	1,21,50,049.00
5.	तमिलनाडु	42,76,161.00	52,77,787.00
6.	कर्नाटक	1,19,63,311.00	2,85,05,885.10
7.	बिहार	91,43,840.00	83,33,292.00
8.	मणिपुर	2,45,522.00	4,77,659.00
9.	आसाम	6,800.00	1,01,369.50
10.	पंजाब	36,34,046.75	40,75,957.50
11.	गोवा	22,57,751.00	12,47,369.00
12.	राजस्थान	1,69,72,274.50	1,66,33,152.80
13.	गुजरात	4,64,62,253.25	2,87,56,217.50
14.	उत्तर प्रदेश	3,42,50,627.07	4,39,45,996.90
15.	उड़ीसा	1,11,27,546.75	1,21,60,618.00

महाराष्ट्र को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

4967. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के टैक्सी मालिकों को सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) राज्य के टैक्सी मालिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

पालाक्काड में कर्मचारी भविष्य निधि का उपक्षेत्रीय कार्यालय

4968. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पालाक्काड में कर्मचारी भविष्य निधि का नया उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस क्षेत्र के लिए की गयी विद्यमान व्यवस्था फिलहाल पर्याप्त समझी गयी है ।

लघु बचत योजनाएं

4969. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु बचत योजनाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीय बचत योजनाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में दिसम्बर, 1992 तक उड़ीसा से, संस्था-वार, कितनी-कितनी धनराशि जमा की गयी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान अधिकतम धनराशि जमा करने वाले पांच शीर्षस्थ जिलों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा, संस्था-वार, कितनी धनराशि जमा की गयी; और

(ग) उनमें से प्रत्येक वित्तीय संस्था ने उड़ीसा सरकार को कितना-कितना धन दिया है और किन-किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) उड़ीसा में डाकघरों में अल्प बचतों के निवल संग्रह इस प्रकार हैं—

	(करोड़ रुपए)
1989-90	182.50
1990-91	262.58
1991-92	132.00
1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक)	68.39

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4970. श्री ललित उरांव : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री 27 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5048 के अनुसूची-एक उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में स्वीकृत 20 प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनका कार्य पूरा हो गया है, जिनका कार्य अधूरा पड़ा है और जिन पर अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं पर परियोजना-वार खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रश्न के उत्तर के संबंध में अनुसूची-दो और तीन में उल्लिखित सातवें और दसवें प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अनुमोदित 20 प्रस्तावों में से 5 प्रस्तावों पर कार्य पूरा कर लिया गया है, 12 कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा शेष 3 कार्य अभी शुरू किए जाने हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन कार्यों के लिए 298.67 लाख रु० की राशि आबंटित की गई है।

(ग) बिहार राज्य से संशोधन/स्पष्टीकरण इत्यादि के पश्चात् दो प्रस्तावों के लिए प्राक्कलन वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर पुल

4972. श्री थाइल जॉन अंजलोस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलेप्पी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर थोटापल्ली में पैदल पुल का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या इस पुल पर कार्य की गति अत्यंत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आशा है यह पैदल पुल मई, 1993 के अंत तक पूरा हो जाएगा । इस कार्य की अनुमानित लागत 13.69 लाख रु० होगी ।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लिए ऋण

4974. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितना ऋण दिया गया;

(ख) इसमें से कितने ऋण की वसूली हुई और कितना ऋण अभी भी बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने इन ऋणों की वसूली के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) स्वरोजगार कार्य शुरू कर गरीबी की रेखा पार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों के चुने हुए परिवारों की सहायता करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है । कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों के कम-से-कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए और सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता की

कम-से-कम 50 प्रतिशत सहायता इन श्रेणियों को दी जानी चाहिए। 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश में क्रमश: 736.34 करोड़ रुपए, 719.54 करोड़ रुपए और 694.18 करोड़ रुपए की राशि के ऋण प्रदान किए गए थे।

(ख) जून, 1990, 1991 और 1992 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वसूली कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली
1990	1069	330
1991	1272	528
1992	1439	457

(ग) और (घ) उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली का एक सामान्य बैंकिंग क्रिया है और सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं करते हैं।

डी० टी० सी० को घाटा

4975. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्राइवेट बसें चलने के कारण दिल्ली परिवहन निगम (डी० टी० सी०) को पहले से अधिक घाटा होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की कार्य प्रणाली में सुधार करने के प्रयोजन से सरकार, इसके कार्य निष्पादन पर लगातार निगरानी रखती रही है। बेहतर रख-रखाव पद्धति द्वारा ईंधन की बचत और टायर की आयु में वृद्धि, खराबियों की संख्या में कमी तथा खर्च में किफायत जैसे कुछ उपाय किए गए हैं। राजस्व की चोरी को रोकना एक अन्य उपाय है जिसे दिल्ली परिवहन निगम प्रभावी जांच के माध्यम से करती है। दिल्ली परिवहन निगम के राजस्व में वृद्धि करने के लिए स्क्रैप का शीघ्र निपटान मार्गों का यौक्तिकीकरण जैसे अन्य उपाय किए जा रहे हैं।

सरकार, दिल्ली परिवहन निगम की पुनर्स्थापना के लिए एक व्यापक पैकेज पर भी विचार कर रही है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4976. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्त हुए हैं तथा "गोल्डन हैंडशेक स्कीम" के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा वितरित की गई; और

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कितने आवेदन स्वीकृति के लिए अनिर्णित पड़े हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) मई, 1991 में इस स्कीम के लागू होने के बाद इसके तहत स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या तथा सरकार द्वारा जारी की गई राशि नीचे दर्शाई गई है—

वर्ष	जारी की गई राशि	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के तहत सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या
1990-91	3 करोड़ रु०	—
1991-92	8 करोड़ रु०	671
1992-93	10 करोड़ रु०	459 (फरवरी, 93 के अन्त तक)

(ग) 27-3-93 की स्थिति के अनुसार 90 आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है तथा वे तैयार हैं। 110 और कर्मचारियों के आवेदन पत्र कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

सेना इंजीनियरिंग सेवा में मजदूर संघ की गतिविधियां

4977. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 सितम्बर, 1977 के एस० आर० ओ० सं० 17 द्वारा एक अधिसूचना जारी करके अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की सेना इंजीनियरिंग सेवा में मजदूर संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संविधान में प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों का वंचन नहीं है;

(ग) क्या सरकार को इस मुद्दे पर कर्मचारियों और कामगारों के बीच असंतोष की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। लगाया गया प्रतिबन्ध युक्तिसंगत है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तैनात सेना इंजीनियरिंग सेवा के सिविलियन कर्मचारी अपनी शिकायतों को कल्याण समितियों और मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के माध्यम से भी प्रकाश में ला सकते हैं।

(ग) असंतोष के लिए कोई वैधानिक कारण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जापान से ऋण

4978. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने यह संकेत दिया है कि भारत को दिए जाने वाले इसके ऋण में 1993-94 के दौरान वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह राशि 1992-93 के दौरान दी गई राशि की तुलना में कितनी अधिक होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) यद्यपि विचार-विमर्श आरम्भ हो चुके है, फिर भी जापान सरकार का केवल 1993-94 के लिए भारत को इसके वार्षिक ऋण के संबंध में निर्णय जून, 1993 में प्राप्त होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के रिक्त पद

4979. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री 5 मार्च, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 166 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) रिक्त पदों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रिक्त पदों का समयान्तराल-वार अर्थात् छः माह, एक वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक समय के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है जिनमें गैर-सरकारी निदेशकों को प्रतिनिधित्व हेतु नियुक्त किया जाता है;

(ङ) वर्ष 1992 के दौरान कितने रिक्त पदों को भरा गया; और

(च) वर्तमान रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (च) 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की 86 रिक्तियां थीं। इन रिक्तियों का बैंक-वार तथा श्रेणी-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से अधिकांश रिक्तियां जनवरी, 1985 से हुई हैं। वर्ष 1992 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में सरकार ने किसी गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। तथापि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार ने आवश्यक कारंवाई शुरू कर दी है।

विवरण

1-1-1993 को स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की वर्ग-वार स्थिति

क्रम सं०	बैंक का नाम	वर्ग					कुल रिक्तियों की संख्या
		जमाकर्ता	किसान	कारीगर	कामगार	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	—	—	1	1	2	4
2.	आन्ध्रा बैंक	—	—	1	1	2	4
3.	बैंक आफ इंडिया	—	1	1	1	1	4
4.	बैंक आफ बड़ोदा	—	—	—	1	2	3
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	1	1	2	4
6.	केनरा बैंक	—	1	1	1	1	4
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	1	1	1	1	5
8.	देना बैंक	1	1	1	1	1	5
9.	कारपोरेशन बैंक	—	—	—	1	2	3
10.	इंडियन बैंक	1	1	—	1	2	5
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	—	—	1	2	4
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	—	—	1	1	3	5
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1	—	—	1	1	3

14.	पंजाब नैशनल बैंक	—	1	—	1	2	4
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	—	1	1	1	3	6
16.	सिंडिकेट बैंक	—	—	1	1	3	5
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	—	—	1	1	3
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	—	1	1	1	4	7
19.	यूको बैंक	—	1	—	1	1	3
20.	विजया बैंक	—	—	1	1	3	5
						कुल योग	86

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

4980. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग तथा व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर कोरिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) जी हां। हालांकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है लेकिन दोनों देशों के विश्व व्यापार का अब भी यह नगण्य प्रतिशत है।

(ग) उठाये गए कदमों में शामिल हैं : विभिन्न मंचों तथा संयुक्त व्यापार परिषद की बैठकों में पारस्परिक विचार-विमर्श, शिष्ट मण्डलों का आदान-प्रदान, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, आदि।

(घ) तथा (ङ) जी हां। सरकार ने उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार करार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार की आवधिक समीक्षा का प्रावधान भी है।

निर्यात के लिए समुद्री मछलियों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण

4981. **श्री सुधीर सावंत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न किस्मों की समुद्री मछलियों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए, जिनका निर्यात किया जा सकता है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मेरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी) द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी किस्म-वार ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में मछलियों का उत्पादन का किस्मवार ब्योरा क्या है;

(घ) वर्ष 1992-93 में महाराष्ट्र में मछलियों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी द्वारा क्या कदम उठाए गए तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई;

(ङ) क्या विदेशों में इलास मांबरांवा, कैट फिश, सार्डीन, रिबन फिश, थोथोलिथस, एसपी, पाम्फ्रेट्स मेकर्स, लैक्टेरियस तथा कट्ल फिश की भारी मांग है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) वर्ष 1992-93 में महाराष्ट्र और केरल की सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राजसहायता का परियोजना-वार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) वर्ष 1992-93 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी द्वारा किन-किन संयुक्त उद्यमों को वित्त प्रदान किया गया तथा सहायता प्रदान की गई ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) एम्पीडा की पहल पर महाराष्ट्र तट से लगे हुए इलाके में समुद्री उत्पादों की संभावित उपज का पता लगाने के लिए निर्यात की संभावना के बारे में सर्वेक्षण किया गया। 0.461 मिलियन टनेज की संभावित उपज होने का अनुमान है।

महाराष्ट्र तट से लगे हुए इलाके में, फीन मछलियों तथा शेल मछलियों की निम्नांकित वाणिज्यिक प्रजातियां पायी जाती हैं :

1. बाम्बे डक, 2. कुलपीड्स, 3. रिबन फीश, 4. कारांगीड्स, 5. मैकेरेल, 6. इल, 7. कैट फीश, 8. सिल्वर बार, 9. पेनीड प्राउन, 10. नान-पेनीड प्राउन, 11. ट्यूनीज तथा 12. घोमा।

(ग) 1992 के दौरान महाराष्ट्र में प्रजातिवार उत्पादन इस प्रकार था :

	(टनेज)
क्लूपीड्स-एंकोवीज	20560
बाम्बे डक	51018
रिबन फीश	29881
मैकेरेल	12679
क्रोकर	20328
सिल्वर बेलीज	10020
प्रोम्फ्रेट्स	10555
पेनीड प्रान	46629
नान-पेनीड प्रान	66948
सेफालोपोड्स	15251
अन्य	99253
कुल	383122

केन्चर फिशरीज उत्पादन के अतिरिक्त महाराष्ट्र मत्स्य पालन के द्वारा भी झींगे की स्थित निर्यात योग्य उप जातियों का उत्पादन करता है। 1992-93 के दौरान मत्स्य पालन के द्वारा अनुमानित उत्पादन 1000 टनेज है।

(घ) केवल महाराष्ट्र में मत्स्य उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए एम्पीडा के पास कोई पृथक योजना नहीं है। एम्पीडा की सभी योजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं। समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एम्पीडा कई योजनाएं चलाता है।

1. अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर हाई स्पीड डीजल आयल उपलब्ध कराने के लिए निर्यात से जुड़ी आर्थिक सहायता योजना।
2. यंत्रीकृत मछली-पकड़ जलयानों द्वारा विविधीकृत मत्स्य पकड़ने के लिए सहायता।
3. हैचरियों एवं फार्मों की स्थापना एवं विकास
4. प्रमुख लैंडिंग केन्द्रों पर अंडज बैंकों की स्थापना और बीज तथा चारे के लिए आर्थिक सहायता योजना।
5. समुद्री खाद्य उद्योग का आधुनिकीकरण।
6. क्वालिटी उन्नयन योजनाएं।
7. बाजार संवर्धन योजनाएं, और
8. एम्पीडा मूल्यवर्धित उत्पादों, मत्स्य पालन और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगी कंपनियों को 11% इक्विटी लेकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ङ) और (च) एम्पीडा के अनुसार विदेशी बाजार में ह्लास मांबरांचा की मांग न के बराबर है। कैट फिश की यू० एस० ए० में अच्छी मांग है। पाम्फ्रेट्स की मध्यपूर्व, जापान और यूरोप में अच्छी मांग है, रिबनफिस की हांगकांग में अच्छी मांग है और रिबनफिश का इस समय हांगकांग, जापान को और थोड़ी मात्रा में यू० एस० ए० तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। मैकिरल, सारडाइन जैसी मदों की मध्यपूर्व में अच्छी मांग है लेकिन यह अल्प मूल्य वाली मछलियां हैं जिनका स्थानीय लोग उपयोग करते हैं और इनका निर्यात बहुत अच्छी मात्रा में नहीं किया जाता है। सिफालोपाड्स की जापान और यूरोपीय देशों में अच्छी मांग है।

(6) सरकार समुद्री खाद्य उद्योग के विकास के लिए एम्पीडा के माध्यम से कई आर्थिक सहायता योजनाएं कार्यान्वित करती है। एम्पीडा ने वर्ष 1992-93 में केरल और महाराष्ट्र के लाभग्राहियों के लिए निम्नलिखित आर्थिक सहायता की राशि वितरित की है।

आर्थिक सहायता योजना	केरल		महाराष्ट्र	
	लाभग्राहियों की संख्या	राशि लाख रु०	लाभग्राहियों की संख्या	राशि लाख रु०
1. आई० क्यू० एफ०	6	68.55	2	9.65
2. प्लेट फ्रीजर	3	2.88	—	—
3. जन० सेट	4	1.60	—	—
4. कोल्ड स्टोरेज	1	0.58	—	—

(ज) वर्ष 1992-93 के दौरान एम्पीडा ने निम्नलिखित 2 कंपनियों को, कंपनियों की इक्विटी पूंजी में सहायता देकर, संयुक्त उद्यम सहयोग में सहायता दी है इनका ब्यौरा निम्नलिखित है—

नाम	परियोजना का योग (लाख रुपए)	कंपनी की इक्विटी पूंजी में एम्पीडा का योगदान (लाख रुपए)
1. बे० लाइनर्स लि०, हैदराबाद	1235	27.00
2. ओसीन बाउण्टी लिमि०, अकूर	206	4.4

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में जब्त किया गया सोना

4982. श्री छेदी पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पिछले दो वर्षों के दौरान सोना जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने-कितने मूल्य का सोना जब्त किया गया;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा इस सोने को जमा कराते समय बरती गई कुछ अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आयी थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता

4983. श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और आठवीं योजना अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों/पुलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आठवीं योजना और वर्ष 1992-93 के दौरान अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने की कार्यवाही चल रही है। इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या तथा राज्य-वार आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित निधियों के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

किसानों को क्रेडिट कार्ड सुविधा

4984. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नामत: तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक ने अपने उधारकर्ताओं को फसल ऋण का संवितरण करने के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड सुविधा सुविधा शुरू की है। कृषि क्रेडिट कार्ड सुविधा का उद्देश्य सामान्यतया वापसी अदायगी के अच्छे रिकार्ड रखने वाले किसानों को बिना किसी देरी के उत्पादन ऋण देना है। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा को अपने परिचालन के क्षेत्रों में लघु और सीमांकित किसानों की आवश्यकताओं (उत्पादन ऋण सहित) को पूरा करना पड़ता है। तमिलनाडु में कुछ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों किसानों के लिए "ग्रीन कार्ड" शुरू किया है। ये कार्ड केवल उन किसानों को जारी किये जाते हैं जो ऋणों की वापसी अदायगी शीघ्र करते रहे हैं। इन कार्डों का नवीकरण प्रत्येक वर्ष के आधार पर किया जाता है। कुछ मामलों में कार्ड धारकों को तुरंत वित्तीय सहायता दी जाती है और तत्पश्चात मंजूर किए गये फसल ऋण से उसे समायोजित कर दिया जाता है।

नाबार्ड ने सूचित किया है कि अधिकांश राज्यों में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अपने सदस्यों पर सहकारी बाजार से वस्तु घटक लेने के लिए जोर देती हैं ताकि अन्य बाजारों से उर्वरक और दूसरी निवेश वस्तुओं की खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग का कोई उपाय नहीं रह जाए। चूककर्ताओं की बढ़ती संख्या भी क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने की सीमित गुंजाइश का कारण है क्योंकि क्रेडिट कार्डों को जारी करने का मानदण्ड किसानों की वापसी अदायगी का पिछला रिकार्ड है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 को चौड़ा करना

4985. **श्री ललित उरांव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 10 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 557 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 के 80.38 कि० मी० लम्बे भाग को दो लेन वाला बनाने के संबंध में अब तक क्या किया गया; और

(ख) इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक दोहरी लेन वाला बना दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर 80.38 कि० मी० में से 11.9 कि०मी० में 2 लेन बना दी गई है। शेष लम्बाई में कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(ख) यह निधियों की उपलब्धता, यातायात की आवश्यकता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

सहकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

4986. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लेने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि आयकर से मुक्त होती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिये गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ प्राधिकरण इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को किए जाने वाले इस भुगतान की 20 से 50 प्रतिशत राशि रोक लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुग्रह राशि को कर के लिए न रोका जाए, क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 10 (10 सी) में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी अथवा अन्य कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के समय उक्त कम्पनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की किसी योजना अथवा योजनाओं के अधीन प्राप्त की गई कोई राशि कर से छूट प्राप्त है बशर्ते कि उस योजना को विहित मार्ग-निर्देशों के अनुसार तथा उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करते हुए तैयार किया गया हो।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं के अधीन सेवा-निवृत्त होने वाले सांविधिक प्राधिकरणों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी इस अधिनियम की धारा 10 (10सी) के मौजूदा उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। लेकिन, वित्त विधेयक, 1993 की मंशा धारा 10 (10 सी) के अधीन आयकर से छूट के कार्यक्षेत्र को केन्द्र के, राज्य के अथवा किसी प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण के अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भी लागू करना है। अदायगी विहित मार्ग-निर्देशों के अनुरूप किसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अनुसरण में की गई होनी चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी के मामले में यह अदायगी 5 लाख रुपये की सीमा तक होनी चाहिए। कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से इन उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। अतः सांविधिक प्राधिकरणों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के जिन कर्मचारियों ने विहित

मार्ग-निर्देशों के अनुरूप किसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अधीन दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को अथवा इस तारीख के पश्चात् कोई राशि प्राप्त की है, ऐसे कर्मचारी वित्त विधेयक को अधिनियम का रूप दिए जाने के पश्चात् छूट का दावा करने के पात्र होंगे।

पच्चीस पैसे के सिक्के को पुन: गलाया जाना

4987. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री ताराचंद खण्डेलवाल :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
डा० अमृतलाल कालिदास :
श्री मोहन रावले :
श्री विजय नवल पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पच्चीस पैसे के एक सिक्के के निर्माण पर (धातु, श्रम और अन्य अनुषंगी लागत सहित) कितनी धनराशि खर्च हो रही है;

(ख) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग सात करोड़ रुपए के 25 पैसे के सिक्कों की पूरी खेप पुनः लगाई है;

(ग) इन सिक्कों को पुन: गलाने हेतु मुम्बई टकसाल तक पहुंचाने के लिए अनुमानत: कितना खर्च हुआ; और

(घ) भविष्य में इन सिक्कों और इससे कम कीमत के सिक्कों की ढलाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 25 पैसे के कुपरो-निकल सिक्के की अप्रैल, 1991 तक इसके उत्पादन के समय औसत लागत लगभग 50 पैसे थी और अब विनिर्मित किए जा रहे 25 पैसे के स्टेनलैस स्टील सिक्के की औसत उत्पादन लागत लगभग 30 पैसे है।

(ख) चूंकि 25 पैसे के कुपरो-निकल सिक्के का असली मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अप्रैल, 1991 में गलाने के लिए सरकारी टकसालों के पास जमा कराने के वास्ते विभिन्न बैंकों के पास पड़े कुपरो निकल के 25 पैसे के सिक्कों को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया था। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 4.17 करोड़ रुपए मूल्य के 25 पैसे की 1667.40 लाख अदद सिक्कों को पुनः गलाने के लिए सरकारी टकसालों के पास भेजा है।

(ग) इन सिक्कों की बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद टकसालों को ढुलाई पर अनुमानत: 11.11 लाख रुपए व्यय हुआ है।

(घ) धातु की बढ़ी हुई लागत के कारण 25 पैसे के सिक्के की विनिर्माण लागत इसके अंकित मूल्य से अधिक है। अत: सरकार ने 25 पैसे के सिक्के केवल फैरेटिक स्टेनलैस स्टील में विनिर्मित करने का निर्णय लिया है और 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के एल्यूमीनियम मैग्नीशियम और फैरेटिक स्टेनलैस स्टील में ढाले जाएंगे।

अधिक उत्पादों के आयात-निर्यात हेतु निर्धारित मानदंड

4988. **श्री के० देवराजन :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उत्पादों के निर्यात हेतु आयात-निर्यात मानदंडों का निर्धारण विदेश व्यापार महानिदेशक के सक्रिय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात हेतु चुने गए अन्य उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी फर्मों से ऐसे उत्पादों के आयात आदेश प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) निवेश-उत्पादन संबंधी मानदंडों का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक 2200 से० मी० ज्यादा मानदंडों का मानकीकरण किया गया है तथा समय-समय पर उन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कराया गया है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। तथापि, मानकीकृत मानदंडों से विशिष्ट निर्यातकों को शुल्क मुक्त निवेशों का आयात करने तथा अपने उत्पादों का शीघ्र निर्यात करने में सहायता मिलती है।

म्यानमार के साथ व्यापार

4989. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-म्यानमार सीमा पर अनेक वर्षों से व्यापार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह व्यापार अवैध है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे वैध बनाने का कोई प्रस्ताव है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) प्रचलित प्रथा के अनुसार, भारत-म्यानमार सीमा के दोनों तरफ रहने वाले निवासियों को स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का आदान-प्रदान करने की अनुमति है। प्रारम्भ में मणिपुर में मोरेह तथा मिजोरम में चम्पई होकर स्थल मार्ग से व्यापार की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से, भारत सरकार

तथा म्यानमार की सरकार के बीच सीमा व्यापार व्यवस्था पर चर्चा चल रही है जिसमें सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के चल रहे विनिमय को भी स्वीकार किया जाएगा। यह उत्तर-पूर्व के संबंधित राज्यों की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा।

अधिमानी, व्यापार समझौतों से अलग होना

4990. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के "अधिमानी व्यापार समझौते", जो विकासशील देशों के बीच व्यापार वार्ता सम्बन्धी समझौता है, से अलग होने के निर्णय से थर्मोप्लास्टिक सामग्री की भारी पैमाने पर जमाखोरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) व्यापार वार्ताओं से सम्बन्धित समझौता (गाट समझौता) से अलग होने के सरकार के निर्णय के बारे में गाट सचिवालय को 29 सितम्बर, 1992 को सूचित कर दिया गया था। अलग हो जाने का यह निर्णय समझौते के अन्तर्गत निर्धारित की गई छह महीने की अनिवार्य सूचना अवधि के बाद 29 मार्च, 1993 को प्रभावी हुआ। प्लास्टिक की सामग्री के आयात पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोरिया गणराज्य, ब्राजील और मैक्सिको से अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान किए गए थर्मोप्लास्टिक सामग्री के आयात के आंकड़ों से यह पता नहीं चलता है कि गाट समझौते से अलग होने की सूचना के परिणामस्वरूप थर्मोप्लास्टिक सामग्री के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है।

शेयर बाजार में विदेशी निवेश

4991. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों और अनिवासी भारतीय निवेशकों ने पूंजी बाजार में निवेश के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उदारीकरण उपायों के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) क्या देश में विद्यमान परिस्थितियों के कारण पूंजी बाजार में विदेशी निवेश संस्थाओं के निवेश को आकृष्ट करने की आशा है जैसा कि 11 मार्च, 1993 में इंडियन एक्सप्रेस में छपा है; और

(ग) यदि हां, तो पूंजी बाजार में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकार द्वारा किए गए उदारीकरण उपायों के संबंध में विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेशकों में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है जैसाकि उनसे प्राप्त निवेश प्रस्तावों की राशि जिसे 1990-92 के दौरान स्वीकृति किया गया से स्पष्ट होता है। यह निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

	अनिवासी भारतीय	विदेशी निवेशक
(i) 1990	5.24	123.08
(ii) 1991	19.70	514.42
(iii) 1992	439.13	3448.41

(ख) और (ग) अर्थव्यवस्था में सुधार करने के सरकार के प्रयासों के प्रति विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। 20-3-1993 की स्थिति के अनुसार 18 विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में निवेश करने के उद्देश्य से सेबी के पास अपना पंजीकरण करवाया। चूंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रयास अभी आरम्भिक स्थितियों में हैं, इसलिए निवेश के परिमाण की पूर्व घोषणा करना विशेषकर अल्पावधि में, अभी जल्दबाजी होगी। सरकार विदेशी निवेश के लिए अनुकूल निवेश वातावरण की पेशकश को निरन्तर बनाए हुए है।

पूर्व सोवियत संघ को निर्यात करने के लिए निर्यातकों को भुगतान

4992. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बैंक फॉर फॉरेन इकोनामिक रिलेशंस ऑफ रशिया" के निर्यातकों को भुगतान हेतु सूचना (एडवाइस) प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उन निर्यातकों की देय भुगतान राशि अपने पास रख रहा है जिन्होंने भूतपूर्व सोवियत संघ को अपना सामान निर्यात किया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार निर्यातकों को देय राशि को अपने पास रखे रहने की अवधि के लिए इस पर ब्याज देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व सोवियत संघ के बैंक फार फारेन इकोनामिक अफेयर्स से द्विपक्षीय व्यापार करार/व्यापार संलेख, जो भी लागू हो और भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक फार फोरेन इकोनामिक अफेयर्स के बीच तत्संबंधी प्रक्रियात्मक करारों के आधार पर निर्यातकों के भुगतान के लिए समय-समय पर सूचना प्राप्त होती है।

(ग) तथा (घ) सोवियत संघ के विघटन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक आफ फारेन इकोनामिक अफेयर्स के भारत में खातों के आस्थगित संचालन कार्य को सभालने के लिए बाध्य था। इसके फलस्वरूप निर्यातकों को भुगतान की अदायगी दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 को बन्द कर दी गयी थी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक (1) दिनांक 31-12-1991 तक लदान किये गए माल (2) भूतपूर्व सोवियत संघ में बैंकों द्वारा पहले से ही

खोले गए साख पत्रों के आधार पर दिनांक 31-12-1991 के बाद, परन्तु 31-3-1992 के बाद नहीं, लदान किए गए माल जिसकी सूचना दिनांक 31-12-1991 तक भारतीय निर्यातकों को दे दी गयी हो और (3) भारतीय परियोजना निर्यातकों को दिनांक 31-12-1991 तक किए गए भुगतान, जो नियोजकों द्वारा भुगतान के लिए विधिवत प्रमाणित हों, के सम्बन्ध में किए गए प्रतिपूर्ति दावों को निपटाएगा। जो दावे इन मानदंडों के तहत नहीं आते थे, उनका अभी तक निपटान नहीं किया गया है। तथापि जनवरी, 1993 में रूसी फेडरेशन के अध्यक्ष के दौरे के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि जिन भारतीय निर्यातकों ने दिनांक 31-12-1992 तक रूस को वास्तव में माल भेजा था परन्तु जिन्होंने न तो भूतपूर्व सोवियत संघ को और न ही वर्ष 1992 में रूस को दिए गए तकनीकी ऋणों के तहत भुगतान प्राप्त नहीं किया है उन्हें भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा दिए गए राज्य-ऋणों से भारत द्वारा पुनर्भुगतान किया जा सकता है।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुख एककों के लिए पृथक श्रम नीति

4993. प्रो० जी० देवराय नायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (फिक्की) ने सरकार से निर्यातक संवर्धन क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए पृथक श्रम नीति तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विदेशी निवेशकों को आकृष्ट करने के लिए श्रम नीति में किस तरह का परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) "दी इकोनोमिक टाइम्स" में 24-1-1993 को प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष ने कलकत्ता में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार से निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए एक पृथक श्रम नीति तैयार करने का अनुरोध किया है।

निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के लिए कोई पृथक श्रम नीति फिलहाल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

किसानों को ऋण

4994. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के और व्यावसायिक बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में किसानों को राज्यवार कितना कृषि-ऋण दिया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना ऋण वसूल किया गया;

(ग) क्या सरकार के उक्त बैंकों को किसानों को ऋण वितरण में वृद्धि करने के लिए निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जून, 1989, जून, 1990 और जून 1991 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋणों की राज्य-वार राशि और तदनुरूप अवधि में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली को क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दर्शाया गया है ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋणों 18% कृषि क्षेत्र को (सम्बद्ध कार्यों सहित) प्रत्यक्ष वित्त के रूप में उपलब्ध कराना होता है ।

विवरण-I

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जून 1989	जून 1990	जून 1919
1	2	3	4
हरियाणा	13785	12089	23857
हिमाचल प्रदेश	1070	1314	1837
जम्मू व कश्मीर	652	482	848
पंजाब	25509	22274	28953
राजस्थान	12193	12880	16049
चण्डीगढ़	2106	1357	2118
दिल्ली	1880	656	982
असम	2517	2051	1546
मणिपुर	113	121	92
मेघालय	161	252	194
नागालैंड	433	341	288
त्रिपुरा	389	241	154
अरुणाचल प्रदेश	95	60	27

1	2	3	4
मिजोरम	79	25	12
सिक्किम	105	103	41
बिहार	13219	13755	13158
उड़ीसा	10236	13277	11490
पश्चिम बंगाल	10971	14410	15162
अंडमान और निकोबार	48	47	33
मध्य प्रदेश	21014	25723	35291
उत्तर प्रदेश	32051	42345	48703
गुजरात	19667	20203	24733
महाराष्ट्र	61518	43273	42966
दमन और दीव	2	14	7
गोवा	1587	764	768
दादरा और नगर हवेली	52	38	38
आन्ध्र प्रदेश	68379	67003	73710
कर्नाटक	31814	31784	31319
केरल	31948	37153	35272
तमिलनाडु	60225	66696	78359
पाण्डिचेरी	1201	1218	1235
लक्षद्वीप	14	11	11
अखिल भारत	424064	431962	489354

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग की वसूलियों की प्रतिशतता		
	जून 1989	जून 1990	जून 1991
1	2	3	4
हरियाणा	55.3	48.7	58.1

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	43.2	38.3	48.9
जम्मू और कश्मीर	40 4	42.6	33.2
पंजाब	69.4	64.8	63.6
राजस्थान	44.1	37.6	49.6
चण्डीगढ़	70.1	24.8	45.0
दिल्ली	35.7	31.6	42.6
असम	39.1	24.1	45.1
मणिपुर	22.4	9.4	40.4
मेघालय	39.1	18.2	584.
नागालैंड	45.8	19.8	52.9
त्रिपुरा	27.2	16.5	54.9
अरुणाचल प्रदेश	58.6	56.2	66.9
मिजोरम	37.4	20.9	42.4
सिक्किम	59.9	35.1	84.8
बिहार	47.8	42.5	59.7
उड़ीसा	54.3	37.0	57.0
पश्चिम बंगाल	50 0	40.7	62.9
अंडमान और निकोबार	33.0	17.1	53.2
मध्य प्रदेश	57.5	42.5	51.2
उत्तर प्रदेश	57.9	47.9	60.9
गुजरात	58.5	48.0	59.1
महाराष्ट्र	52 0	44.1	53.9
दमन एवं दीव	23.3	45.3	53.2
गोवा	56.1	48.3	45.2
दादर एवं नगर हवेली	55.8	59.5	48.5
आन्ध्र प्रदेश	59.5	48.2	56.0
कर्नाटक	47.3	42.9	50.7

1	2	3	4
केरल	65.9	58.4	64.2
तमिलनाडु	66.3	61.6	68.6
पांडिचेरी	62.0	51.9	60.1
लक्षद्वीप	59.3	55.8	62.7
अखिल भारत	57.3	48.8	58.0

"जीरो बेस बजट"

4995. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में "जीरो बेस बजट" सिस्टम अपनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस सिस्टम में कुछ कमियां पाई गई थीं; और क्या इस सिस्टम को समाप्त करने हेतु कोई निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों में इस योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) वर्ष 1986 में भारत सरकार ने वर्ष 1987-88 के बजट से केन्द्रीय सरकार के विभागों में शून्य आधारित (जीरो बेस) बजट दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया था। केन्द्रीय सरकार के विभागों में शून्य आधारित (जीरो बेस) बजट के कार्यान्वयन में कठिनाइयों की समीक्षा 1987 में की गई थी जिससे यह पता चला कि केन्द्रीय सरकार के विभागों में शून्य आधारित (जीरो बेस) बजट प्रणाली को, इसके मूल रूप में लागू करना अधिक सफल नहीं था। तदनुसार, मूल तकनीकी रूप में शून्य आधारित (जीरो बेस) बजट पर भारत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। तथापि, दुर्लभ संसाधनों के कुशलतापूर्वक आबंटन के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को प्राथमिकता देने के महत्व को मान्यता देना जारी रखा जाता है।

उड़ीसा के गंजाम जिले में पुलों के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक से ऋण

4996. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा के गंजाम जिले में कुछ पुलों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं, ताकि इनका पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। गंजाम जिले में राज्य सड़कों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त 6 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक उड़ीसा सरकार को 12.9 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है।

(ग) संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार मुख्यत: केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। 6 पुलों का पुनर्निर्माण एक राज्य परियोजना है इसलिए इसके लिए उड़ीसा सरकार जिम्मेदार है।

कर अपवंचन

4997. श्री छीतू भाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ शीर्ष औद्योगिक घराने उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार जान-बूझकर विभिन्न सरकारी करों का अपवंचन कर रहे हैं जिससे राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयकर, सीमा और उत्पाद शुल्क कानूनों के अंतर्गत देश में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार निर्धारित शीर्षस्थ बीस औद्योगिक घरानों में से प्रत्येक के विरुद्ध कितने मामले निर्णय के लिए अथवा अन्य प्रकार से लम्बित पड़े हैं;

(ग) प्रत्येक मामला कितनी-कितनी राशि का है;

(घ) प्रत्येक मामले में निर्णय देने वाले अधिकारी द्वारा करवंचन की पुष्टि की गई राशि का ब्योरा क्या है; और

(ङ) विवादग्रस्त राशि जिनमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है, प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

म्यानमार के साथ सीमा व्यापार

4998. डॉ० कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मणिपुर सरकार से राज्य के दो शहरों से म्यानमार के साथ सीमा व्यापार करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) इस मंत्रालय को नवम्बर, 1992

में जो तत्कालीन वाणिज्य राज्य मंत्री को सम्बोधित मणिपुर के मुख्य मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें म्यांमार के साथ सीमा व्यापार शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) मणिपुर के मुख्य मंत्री ने संकेत दिया है कि चिन्दविन नदी के तट तक म्यांमार का पश्चिमी क्षेत्र भारत में विनिर्मित मदों के लिए प्राकृतिक बाजार है। इसलिए म्यांमार के लिए स्थल मार्ग खोलने से ऐसे निर्यातों को लाभ पहुंचेगा। मणिपुर राज्य को न केवल अधिक व्यापार का लाभ मिलेगा अपितु म्यांमार से आयात किए जाने वाले कृषिजन्य और वन्य उत्पादों के संसाधन के लिए नए औद्योगिक उद्यमों की स्थापना से भी लाभान्वित होने की संभावना है।

(ग) भारत सरकार तथा म्यांमार सरकार दोनों देशों के बीच प्रारम्भ में मणिपुर में मोरेह तथा मिज़ोरम में चम्पई के माध्यम से सीमा व्यापार संबंधी करार की रूपात्मकताओं पर विचार-विमर्श चल रहा है।

केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहकारी कताई मिलों को सहायता

4999. **डा० वसंत पवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन सहकारी कताई मिलों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई डी बी आई, आई एफ सी आई, और आई सी आई सी आई के माध्यम से दीर्घावधि के ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या वित्तीय संस्थान सहकारी कताई मिलों के लिए दीर्घावधि के ऋण मंजूर करने में बहुत अधिक समय लगा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) दिसम्बर, 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार अन्य संस्थाओं के साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से नई इकाइयां स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 104 सहकारी कताई मिलों की सहायता की थी। इस अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

संस्था का नाम	स्वीकृत	संवितरित
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	340.6	253.2
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	123.4	107.0
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	89.7	76.1
योग :	553.7	436.3

(ख) यदि आवेदन पत्र में पूरी अपेक्षित सूचना हो और परियोजना अर्थक्षम हो तथा सहायता की स्वीकृति के लिए वह संस्थागत मानदंड पूरा करता हो तो वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए वित्तीय संस्थायें सामान्यतया आवेदन पत्र की तारीख से 2-3 महीने से अधिक का समय नहीं लेती हैं।

(ग) और (घ) ये सवाल ही पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

सिले-सिलाय वस्त्रों का आयात

5000. **श्री राजवीर सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सिले-सिलाये वस्त्रों का कितना आयात किया गया तथा उनके आयात पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ख) सिले-सिलाये वस्त्रों का आयात किन देशों से किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में सिले-सिलाए परिधानों के आयात को वाणिज्यिक उद्देश्य से प्रतिबंध जारी रखा गया है।

फिर भी, वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सिले-सिलाये परिधानों के व्यापक वर्गीकरण में शामिल दस्तानों, मिटन और मिट्स तथा वस्त्र अनुषंगियों के आयात से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	मदों का विवरण	मात्रा की इकाई	1990-91		1991-92		प्रमुख देशों के नाम जहां से आयात किया गया
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1.	रबड़ या प्लास्टिक से कवर किए गए या परतदार और इंप्रेगनेटिड दस्ताने	मूल्य	570	0.59	—	—	जर्मन संघीय गणराज्य
2.	अन्य वस्त्र फाइबर के ग्लब्स मिटेन्स और मिट्स	मूल्य	—	—	20	0.08	जापान
3.	बुनी हुई या क्रोशिया की हुई अन्य वस्त्र अनुषंगी	कि०ग्रा०	17941	20.22	3154	6.49	जर्मन संघीय गणराज्य, सिंगापुर, चीनी ताईपेई, हांगकांग, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और फिलीपीन्स
4.	बुने हुए या क्रोशिया किए हुए वस्त्र के भाग	कि०ग्रा०	41270	67.78	33051	64.65	चीनी ताइपेई, जर्मन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, इटली, जापान, फिलीपीन्स, सिंगापुर, फ्रांस, यू०के०, यू० एस० ए० और इंडोनेशिया ।

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े खण्ड 2 (आयात)

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की स्थिति

5001. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विघटित सोवियत रूस के नए स्वतंत्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपनी डायरेक्टरशिप के अधीन लाने का कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की मतदान संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) अगस्त, 1992 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक दल ने कुछ सी आई एस देशों (पूर्ववर्ती सोवियत संघ के गणराज्य) का दौरा किया था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित करने की संभावना पर बातचीत की थी।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी भी सदस्य की मतदान शक्ति उसके कोटे से संबद्ध होती है। नौवें कोटे की पुनरीक्षा जो नवम्बर, 1992 में प्रभावी हुई थी, के बाद भारत की मतदान शक्ति में मामूली-सी गिरावट आई है जो 2.38 प्रतिशत से घटकर 2.22 प्रतिशत रह गई है। लेकिन, हमारा कोटा 22077 लाख एस० डी० आर० से बढ़कर 30555 लाख एस० डी० आर० हो जाने से कोष के संसाधनों के संबंध में हमारी प्राप्ति ज्यादा हो गई है।

भारत में जर्मन पूंजी निवेश

5002. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के निवेशकों ने केन्द्रीय सरकार से देश में उनके पूंजीनिवेश का संरक्षण करने हेतु एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है;

(ख) क्या जर्मनी ने भारत में उनके पूंजीनिवेश का संरक्षण करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श द्विपक्षीय समझौता उपलब्ध कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आदर्श द्विपक्षीय समझौते में भारत में जर्मनी निवेश एवं जर्मनी में भारतीय निवेश के संरक्षण की व्यवस्था है।

(घ) भारत सरकार ने ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया है कि क्या इस प्रकार के द्विपक्षीय करार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वी रेलवे में स्टेशन

5003. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर रेलवे स्टेशनों पर रेल टिकटों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्टेशनों पर क्या-क्या विकास कार्य किये गये ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पिछले 3 वर्षों में आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से कुल प्राप्त राशि (लगभग) नीचे दी गयी है :

	प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपयों में)		
स्टेशनों के नाम	1989-90	1990-91	1991-92
आसनसोल	6.15	7.54	8.46
रानीगंज	1.61	1.85	2.18
दुर्गापुर	4.01	4.64	5.24

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किए गए थे :

कार्य का नाम	लागत (लाख रु० में)
1	2
आसनसोल	
1. इलेक्ट्रानिक गाड़ी संसूचक बोर्ड की व्यवस्था	7.42
2. प्लेटफार्म नं० 2 पर पाइप लाइन बिछाना	2.45
3. यात्री आरक्षण का कंप्यूटरीकरण	14.20
4. प्लेटफार्म नं० 1 और 2 पर प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	41.04
5. प्लेटफार्म नं० 3, 4 और 5 पर पाइप लाइन बिछाना	6.97
जोड़ :	72.08

1	2
रानीगंज	
साइकिल स्टैंड की व्यवस्था	8.20
दुर्गापुर	
1. परिचलन क्षेत्र और बिजली व्यवस्था में सुधार	4.95
2. मोसिक बैंचों की व्यवस्था	3.70
3. वातानुकूल विश्राम कक्ष और एक डारमेटरी की व्यवस्था	5.07
4. प्रतीक्षालय की व्यवस्था	3.70
5. अल्पाहार कक्ष का आधुनिकीकरण	3.72
6. पानी की सप्लाई में सुधार	15.00
जोड़ :	36.14

[हिन्दी]

ई० एम० यू० के सवारी डिब्बे

5004. **श्री एम० के० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० यू० रेलगाड़ियों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) उनमें से कितने सवारी डिब्बे गुजरात को दिये जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुजरात में कोई ई० एम० यू० गाड़ी सेवाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

आयल पाम की खेती के लिए सहायता

5005. **श्री ऑस्कर फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान आयल पाम की खेती तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उक्त सहायता-राशि से कितना लाभ प्राप्त हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार ने अभिज्ञात राज्यों में आयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत-सी योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आयल पाम बीज बगीचे, आयल पाम नर्सरियों, क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिये आयल पाम पौद का वितरण और आयल पाम रोपण में खेती की लागत के तौर पर आयल पाम उत्पादकों को सहायता शामिल हैं। ये योजनाएं भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच 75 : 25 के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। 1992-93 के दौरान भारत सरकार के अंश के तौर पर राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई निधियों निम्न-लिखित हैं :

	राज्य		रुपये लाख में
1.	आंध्र प्रदेश		338.68
2.	कर्नाटक		235.55
3.	गुजरात		44.35
4.	तमिलनाडु		108.45
5.	आसाम		15.00
6.	उड़ीसा		8.10
7.	त्रिपुरा		5.40
8.	गोवा		24 47
		कुल	780.00

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से मिलकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 1988-89 से प्रत्येक राज्य में लगभग 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में आयल पाम निदर्शन परि-योजना शुरू की है। 1992-93 के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है :

राज्य		रुपये लाख में
आन्ध्र प्रदेश		40.54
कर्नाटक		35.18
महाराष्ट्र		99.19
	कुल	174.91

(ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित आयल पाम निदर्शन परियोजना विभिन्न सस्य जलवायवीय क्षेत्रों में सिंचित दशाओं के तहत आयल पाम की खेती की व्यवहार्यता स्थापित की

है और आठवीं योजना के दौरान आयल पाम के लिये क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिये ये योजनायें केन्द्र बिन्दु बन गई हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिये दी गई निधियों से आठवीं योजना के दौरान क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिये अपेक्षित आयल पाम बीज बगीचों, नर्सरियों आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के सृजन में सहायता मिली है। आयल पाम की फसल तैयार होने की अवधि लगभग चार साल है। अतः क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के परिणाम आठवीं योजना के अंत तक ही आने की आशा है।

[हिन्दी]

दिल्ली और भोपाल के बीच रेल दुर्घटनाएं

5006. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में दिल्ली और भोपाल के बीच कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं से रेलवे को कितनी वित्तीय हानि हुई, कितने व्यक्तियों की मौत हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(घ) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 10 (दस)।

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :

(1) रेल कर्मचारियों की गलती	7
(2) यांत्रिक उपस्कर की खराबी	2
(3) आकस्मिक	1
जोड़	10

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की कुल लागत 1,31,31,200 रुपये है। इन दुर्घटनाओं में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 2 व्यक्ति घायल हुए।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जिनमें रेलपथ, पुल, चल स्टाक, जैसी गतायु परिसम्पत्तियों को हटाना और उनका पुनःस्थापन करने के अलावा मानवीय तत्व की सहायता के लिए नये तकनीकी उपकरण लगाना, आदि शामिल हैं। सिगनल और दूर-संचार गियरों, माल डिब्बों, रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के अनुरक्षण डिपुओं तथा कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता का गहन निरीक्षण भी किया जाता है। परिचालनिक और अन्य नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों यथा ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनके कार्य-निष्पादन पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा, पटरियों की दरारों का पता लगाने के लिए पटरियों और धुरों की पराश्रव्य जांच करने सहित रेलपथ का निरीक्षण और सवारी डिब्बों, माल डिब्बों तथा रेल इंजनों की जांच तेज कर दी गई है। समपारों के पहुंच-मार्गों पर सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों की सुविधा के लिए दृश्यता में सुधार

के अलावा सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। यात्री गाड़ियों में यात्रियों या रेल कर्मचारियों को ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाना मना है। समपारों पर सावधानी बरतने के संबंध में और ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री ले जाने के विरुद्ध जनता को शिक्षित करने के लिए प्रचार माध्यमों से शैक्षणिक अभियान भी चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पैलेस ऑन व्हील

5007. श्री समत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन पर चलने वाली पैलेस ऑन व्हील को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन में कितनी लागत आयेगी;

(ग) छोटी लाइन पर चलने वाली इस ट्रेन को सुसज्जित करने में कितना व्यय हुआ; और

(घ) इस परियोजना को प्रभावी रूप से लाभप्रद बनाने के लिए कौन-कौन सी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क), (ख) और (घ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) 793.35 लाख रुपये।

पाठ्य-पुस्तकों में सिक्खों के गुरुओं के सम्बन्ध में अपमानजनक टिप्पणियां

5008. श्री भोगेन्द्र झा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत टैक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित 'मध्यकालीन भारत' के कुछ अंशों पर सिक्ख कमेटी की आपत्ति के सम्बन्ध में 'द हिंदुस्तान टाइम्स' (पटना संस्करण) में 6 मार्च, 1993 को प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना बिहार सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खेलों के लिए धनाबंटन

5009. श्री गुलाम मुहम्मद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों पर प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	धनराशि
1990-91	48.10
1991-92	63.54
1992-93	59.21 (1992-93 के लिए संशोधित अनुमान)

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के वर्ष दौरान खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए 62.56 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

हटिया-चंडीगढ़ और हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ियों को फिर से चालू करना

5010. श्री राम देव राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान रद्द की गई हटिया-चंडीगढ़ एक्सप्रेस और हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ियों को फिर से चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों को कब तक पुनः चालू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 8101/8102 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस के साथ मिलकर चलने वाली हटिया-चण्डीगढ़-कालका लिंक एक्सप्रेस को परिचालनिक कारणों से 2-10-91 से स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। खाड़ी युद्ध के दौरान रद्द की गई हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस को बहुत ही कम लोकप्रियता के कारण पुनः नहीं चलाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय आयोग

5011. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को के कार्यक्रमों को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने में भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने क्या योगदान दिया;

(ख) महत्वहीन प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के कार्यक्रमों के लिए प्रभावपूर्ण बौद्धिक सामग्री दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को की परामर्शी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में इसके कार्यक्रम निर्धारित करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह यूनेस्को के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विशेष रूप से बैठकों, कार्यशालाओं, अध्ययनों तथा परियोजनाओं में इसके कार्य-कलापों में भाग लेकर योगदान देता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सदस्य राज्यों द्वारा यूनेस्को के कार्यक्रमों में भारत के बौद्धिक योगदान को पूरी तरह पहचाना गया है। इसकी स्थापना के समय से ही भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का एक चयनित सदस्य रहा है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में स्थापित 21वीं शती के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन आयोग और यूनेस्को के अस्थायी चिन्तन मंच का भारत ने प्रतिनिधित्व किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र

5012. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार बरेली में एक राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना करने के उद्देश्य को इंगित करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में गिरावट

5013. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के उन जिलों का कोई सर्वेक्षण कराया है जहां महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ग) साक्षरता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रमुख नीति है। जिला साक्षरता समिति द्वारा कार्य योजना तैयार करने और सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए प्रारम्भिक कदम उठाने के पश्चात् ही सम्पूर्ण साक्षरता अभियान संस्वीकृत किए जाते हैं तथा राज्य सरकार अपनी सहायता प्रदान करती है तथा कार्यक्रम की एक तिहाई लागत को वहन करती है।

[अनुवाद]

मुम्बई में महिलाओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष

5014 **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर मुम्बई (महाराष्ट्र) में ऐसे शहरी और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर महिलाओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष अभी उपलब्ध नहीं किये गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मुम्बई में ऐसे सभी रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यह सुविधा कब तक दी जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) लंबी दूरी के गाड़ी टर्मिनलों यथा दादर, बम्बई सेन्ट्रल, बम्बई वी० टी० और बांद्रा स्टेशनों पर महिलाओं के लिए प्रतीक्षा कक्षों की व्यवस्था की गई है। नीति विषयक मामले के रूप में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष की सुविधा प्रदान नहीं की जाती।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में छिद्रन बेधन योजना

5015. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में छिद्रन बेधन योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में यह योजना किन-किन जिलों में आरम्भ की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किए गए काम का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम

5016. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना लागू की जा चुकी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों/केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) महोदय, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना-II

(लाख रुपये में)

राज्य/राज्य कृषि विश्वविद्यालय का नाम भा० कृ० अ० प० संस्थान	जारी किया गया कोष			प्रस्तावित बजट आंकलन 93-94
	90-91	91-92	92-93	
1	2	3	4	5
1. हरियाणा				
एच० ए० यू० हिसार	52 24	58.57	94.30	10.28
2. आंध्र प्रदेश				
ए० पी० ए० यू०, हैदराबाद	212.11	354.89	232.58	2.02
3. गुजरात				
जी० ए० यू०, अहमदाबाद	50.93	72.49	66.53	18.79
4. कर्नाटक				
यू० ए० एस०, बंगलौर	130.18	105.41	154.07	25.00
यू० ए० एस०, धारवाड़	19.52	86.25	23.07	15.82
5. पंजाब				
पी० ए० यू०, लुधियाना	71.78	65.49	115.62	54.28

1	2	3	4	5
6. तमिलनाडु				
टी० एन० ए० यू०, कोयम्बटूर	184.91	179.49	296.77	9.79
7. उड़ीसा				
ओ० यू० ए० टी०, भुवनेश्वर	76.93	126.52	88.28	35.67
8. हिमाचल प्रदेश				
एच० पी० के० वी० वी०, पालमपुर	121·72	43.04	64.42	—
डी० वाई० एस० पी० यू० एण्ड टी०, सोलन	65.95	85.15	116.89	2.85
9. उत्तर प्रदेश				
सी० एस० यू० ए० टी०, कानपुर	22.28	67.19	42.94	17.00
जी० बी० पी० यू० टी०, पंतनगर	49.08	37.27	78.36	32.28
एन० डी० यू० ए० टी०, फैजाबाद	100.48	20.47	117.64	62.00
10. महाराष्ट्र				
एम० पी० के० वी०, राहुरी	172·86	52.61	102.92	15.84
पी० के० वी०, अकोला	54.08	85.29	90.70	36.15
एम० ए० यू०, परभनी,	11.72	46·81	31.98	13.81
के० के० वी०, दपोली	15.60	20.49	39·33	8.61
11. मध्य प्रदेश				
जे० एन० के० वी० वी० जबलपुर	155.25	257.39	179.48	47.52
आई० जी० के० वी०, वी०, रायपुर	54.44	29.63	25.06	29.10

1	2	3	4	5
12. केरल				
के० ए० यू०, त्रिचूर	96.32	43.08	75.90	—
13. राजस्थान				
आर० ए० यू०, बीकानेर	266.08	125.67	156.38	64.71
14. असम				
ए० ए० यू०, जोरहाट	57.87	102.85	87.89	—
15. बिहार				
आर० ए० यू०, रांची	49.91	77.20	48.38	10.91
बी० ए० यू०	47.24	45.92	17.95	3.17
16. पश्चिम बंगाल				
बी० सी० के० वी० वी०, कल्यानी	65 75	212.63	114.61	91.78
17. जम्मू एवं कश्मीर				
एस० ई० के० यू० टी०, शालिमार, श्रीनगर	34.81	189.30	168.21	175.27
18. भा० कृ० अ० परिषद के संस्थान				
वाटर टेक्नोलाजी, आई० ए० आर० आई०	—	—	—	10
एन० बी० एस० एस० एल० यू० पी०, नागपुर	74.87	—	—	140.62
सी० आई० ए० ई०, भोपाल	—	28.54	—	2.37
सी० आई० एच० एन० पी०, लखनऊ	—	—	16.22	9.55
सी० आई० आर० बी० हिसार	—	11.77	10.60	5.69
आई० जी० एफ० आर० आई०, झांसी	—	15.09	1.74	3.81

1	2	3	4	5
एन० ए० ए० आर० एम० पर कम्प्यूटर	—	—	8.55	—
आई० ए० एस० आर० आई०	—	—	42.30	—
एन० डी० आर० आई०	—	—	180.19	—
आई० वी० आर० आई०	—	—	229.25	—
सी० आई० एफ० ए०, भुवनेश्वर	—	—	51.05	—
सी० आई० बी० ए०, मद्रास	—	—	33.45	—
आई० ए० आर० आई०, दिल्ली	—	—	465.85	—
आई० आई० एच० आर०, बंगलौर	—	—	53.20	—
आई० पी० एम०, फरीदाबाद	—	—	21.70	—
बी० सी० सी०, बंगलौर	—	—	20.76	—
डी० आर० आर०, हैदराबाद	—	—	98.20	—
एन० आर० सी० जी०, जूनागढ़	—	—	32.00	—
सी० आई० सी० आर०, नागपुर	—	—	53.20	—
सी० पी० सी० आर० आई०, कासरगोड	—	—	27.75	—
एन० आर० सी०, काजू, पुट्टूर	—	—	21.40	—
सी० आई० आई० डी० एस०, हैदराबाद	—	—	86.01	—
पी० डी० डब्ल्यू०, करनाल	—	—	24.00	—
बी० एच० यू०, वाराणसी	—	—	6.90	—

1	2	3	4	5
हमदर्द यूनिवर्सिटी, दिल्ली	—	—	17.07	—
टी० ई० आर० आई०, दिल्ली	—	—	31.50	—
	2314.91	2655.50	4363.15	954 69 +2485.46*
				3440.15

टिप्पणी :

*वर्ष 1993-94 के लिए प्रस्तावित 2485.46 लाख रुपए की राशि विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं भा० कृ० अ० परिषद के संस्थानों को आवंटित की जानी है। (उपरोक्त धनराशि में से 500.00 लाख रुपए विविध खर्च के लिए रु० 150.00 लाख रु० रा० कृ० विश्व० एवं भा० कृ० अ० प० के संस्थानों के वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए 435.00 लाख रुपये वाहनों के लिए, 1400.46 लाख रु० मूल अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए नियत किए गए हैं)।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक

†5017. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के श्रेणी-वार कितने स्वीकृत पद थे;

(ख) उक्त तिथि को श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े थे;

(ग) 6 महीने, 6 महीने से एक वर्ष की अवधि तथा एक वर्ष से अधिक तक रिक्त पड़े पदों का ब्योरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) इन पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कालींसिंध में टैंकर रेलगाड़ी की टक्कर

5018. **श्री अन्ना जोशी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मार्च, 1993 को रेलवे में कालीसिंघ में टैंकर गाड़ी की मालगाड़ी से टक्कर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितनी जानें गयीं तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 20-3-1993 को पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल के उज्जैन-भोपाल खंड पर कालीसिंध स्टेशन की लाइन सं० 2 पर एक डीजल लाइट इंजन खड़ा था। तेल की टंकी माल डिब्बों को ले जा रही डाउन झांसी मालगाड़ी के ड्राइवर ने खतरे के होम सिगनल की अनदेखी की और गाड़ी स्टेशन पर खड़े इंजन से जा टकराई। ये पुन: उस अप मालगाड़ी (जो कोयला ले जा रही थी) से टकरा गये जो कालीसिंध स्टेशन की लाइन सं० 3 पर प्रवेश कर रही थी।

उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप डाउन झांसी मालगाड़ी के 33 टंकी माल डिब्बे सहित गाड़ी इंजन, लाइट इंजन और कोयले से लदे 10 बी ओ एक्स "एन" माल डिब्बे पटरी से उतर गए। 33 लदे टंकी माल डिब्बों सहित बिजली गाड़ी इंजन और कोयले से लदे 10 बी ओ एक्स "एन" माल डिब्बों में आग लग गई और परिणामस्वरूप शिरोपरि उपस्कर, रेलपथ और सिगनल गियर क्षतिग्रस्त हो गए।

डाउन झांसी मालगाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। रेल सम्पत्ति को लगभग 2.71 करोड़ रुपये की क्षति हुई।

(घ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की संयुक्त जांच चल रही है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

"पूर्वी हिमालय में पाए गए ऑर्किडों का संरक्षण"

5019. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी हिमालय में पाये गए ऑर्किडों की प्रजातियों का ब्योरा क्या है;

(ख) ऑर्किडों की ऐसी प्रजातियों का ब्योरा क्या है जो विलुप्त हुए जा रहे हैं;

(ग) इनके संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार को सिक्किम की राज्य सरकार से पूर्वी हिमालय के रोडोडेन्ड्रनों तथा ऑर्किडों के संरक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार, पूर्वी हिमालय में ऑर्किडों की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 8 प्रजातियां संकटापन्न समझी जाती हैं। इन प्रजातियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के अनुसार संकटापन्न प्रजातियों के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन, जिसमें 1991 में किये गये संशोधन के पश्चात्, कुछ संकटापन्न ऑर्किड प्रजातियों को शामिल कर लिया गया है और जिसमें उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

(3) पूर्वी क्षेत्र में सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विस्तार, जिसे 1980 में 3 राष्ट्रीय उद्यानों और 15 अभयारण्यों से बढ़ाकर 1993 में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 34 अभयारण्य कर दिया गया है।

(4) यरकौड, शिलांग-बारापानी और हावड़ा में राष्ट्रीय ऑर्किडेरिया/भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के परीक्षण उद्यानों में ऑर्किडों के संरक्षण और संवर्धन हेतु ऊतक वृद्धि और अन्य संवर्धन तकनीकें अपनाना।

(5) अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वन विभागों ने आर्किडों पर अनुसंधान और उनके संवर्धन के लिए क्रमश: टीपी-भालुकपोंग और टोंगडा (कालिमपोंग के निकट) में ऑर्किडेरिया स्थापित किए हैं। ऑर्किडों के संरक्षण के लिए सिक्किम वन विभाग के देवराली और सारम्सा में दो ऑर्किड अभयारण्य हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। पूर्वी हिमालय के रोडोडेन्ड्रोनों और ऑर्किडों के संरक्षण के उद्देश्यों से सिक्किम राज्य सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और वर्ष 1992-93 में इस प्रयोजन के लिए 12.80 लाख रुपये की राशि दी गई है।

विवरण

पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले ऑर्किडों की संकटापन्न प्रजातियों की सूची

1. एनोक्टोचिलस टेट्रापटरस
2. सिम्बीडियम वाइटे
3. डिडीशिया कॉनिंघामी
4. पेफियोपेडिलम फेरिएनम
5. पेफियोपेडिलम वार्डी
6. रेमनथेरा इम्शूटीयाना
7. जूक्सीन पलचरा
8. डेंड्रोबियम ओरटिएकम

[हिन्दी]

ह्वेनसांग का स्मारक

5020. श्री राम विलास पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की सरकार ने नालंदा, बिहार में ह्वेनसांग के स्मारक का निर्माण करने के लिए धन उपलब्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो स्मारक का अब तक निर्माण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) चीन से प्राप्त धनराशि के उपयोग का ब्योरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक निर्मित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, हजारीबाग

*5021. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, हजारीबाग की बंजर भूमि के उपयोग हेतु सरकार क्या कदम उठाएगी;

(ख) 1984 से 1992 तक वित्तपोषण करने वाली विभिन्न एजेंसियों ने इस स्टेशन पर कितना खर्च किया है;

(ग) उक्त स्टेशन की गतिविधियों से कितने गांवों और किसानों को लाभ मिलता है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्टेशन के कार्यकरण को सुदृढ़ और कारगर बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, चावल पर आधारित कृषि पद्धति पर अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय बारानी ऊंची-भूमि चावल अनुसंधान केन्द्र, हजारीबाग की बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। इस भूमि में नई फसलों के उगाने की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करना है।

(ख) करीब 1.88 करोड़ रु०।

(ग) इन केन्द्रों से 17 गांवों और 380 कृषक परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस केन्द्र में उपलब्ध अनुसंधान की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना है।

उड़ीसा में शिवलिंग

5022. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी के मुहाने पर सबसे बड़े शिवलिंग, भगवान भुवनेश्वर के विद्यमान होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे राष्ट्रीय और संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) इसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टी का निर्माण

5023. **श्री राम बदन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हवाई पट्टी के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हवाई पट्टी के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) चमोली जिले में हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी प्रशिक्षण बोर्ड

5024. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इंजीनियरिंग स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में कितने प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड कार्यरत हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है; और

(ग) कितने अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और इसके क्या कारण थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास स्थित, चार प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड हैं जो स्नातकों/डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का नियमन तथा नियन्त्रण करते हैं।

(ख) और (ग) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर में वर्ष 1991-92 के दौरान 9522 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया और वर्ष के दौरान सभी अभ्यर्थियों को प्रायोजित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

मद्रास से तिरूवन्नामलाई तक एक्सप्रेस गाड़ी

5025. **श्री एम० कृष्ण स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश जिला मुख्यालय अपने-अपने राज्य की राजधानियों के साथ एक्सप्रेस गाड़ियों से जुड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में मद्रास सिटी तथा तिरूवन्नामलाई के बीच इस सुविधा को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानियों से जोड़ने की रेलों की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, बड़ी संख्या में ऐसे जिले हैं जो तेज रफ्तार की गाड़ियों द्वारा राज्य की राजधानियों से जुड़े हुए हैं।

(ख) विल्लुपुरम के रास्ते मद्रास और तिरूवन्नामलाई के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि रेल मार्ग लंबा, धीमी गति वाला और सीधी बस सेवाओं की अपेक्षा महंगा है।

दूध तथा दुग्ध उत्पादन संबंधी आदेश

5026. **श्री मदन लाल खुराना** :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी आदेश को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गर्मी के महीनों में दूध की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के उपबंधों के तहत नियंत्रक ने 1-1-1993 को दिल्ली (दूध और दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1993 को जारी किया था,

जिसमें सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण, स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, डेरी वाइटनर, शिशु दुग्ध आहार और ठोस दूध (मीठा और मीठा रहित) बनाने के लिए दूध का उपयोग करने और दिल्ली से बाहर दूध ले जाने की मनाही की गई थी। यह आदेश 1-2-1993 से लागू होना बंद हो गया है। अतः इस आदेश को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में खुदाई में प्राप्त शिवलिंग

5027. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण में केसरिया के निकट नहर की खुदाई करते समय एक "शिवलिंग" प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने उक्त शिवलिंग के समय का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) इस शिवलिंग की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस शिवलिंग को 10वीं-11वीं शताब्दी ईसवी सन् का निर्धारित किया जा सकता है। इसे स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित केसरिया स्थित एक आधुनिक मंदिर में पहले ही स्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर के उपयोग पर सेमीनार

5028. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 और 19 मार्च, 1993 को दिल्ली में एजूकेशनल टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट अकादमी द्वारा कम्प्यूटर के उपयोग पर कोई राष्ट्रीय सेमीनार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

अवन्तिका एक्सप्रेस

5029. **श्री राम प्रसाद सिंह** :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर तथा बम्बई के बीच चलने वाली अवन्तिका एक्सप्रेस की समय सारिणी में परिवर्तन करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1993 की अगली समय सारणी में 2962 इंदौर-बांद्रा अवन्तिका एक्सप्रेस की समय-अनुसूची संशोधित की जा रही है जो 20.50 बजे इंदौर से चलेगी और 11.15 बजे बांद्रा पहुंचेगी।

[अनुवाद]

पुरूलिया-कोटसिला रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5030. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटसिला से पुरूलिया तक छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन का उद्घाटन कब तक कर दिया जायेगा;

(ग) क्या इस लाइन पर पुरूलिया और रांची के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) अभी तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

(ग) जी हां।

(घ) 463/464 खड़गपुर-आद्रा पैसेंजर को पुरूलिया-कोटशिला-रांची के रास्ते हटिया तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विश्व पर्यावरण सुविधा में भारतीय उद्योग की भागीदारी

5031. **श्री विजय कृष्ण हांडिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में मौसम परिवर्तन तथा जैव-वैविध्य के जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये उसके संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ ने ऐसे सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया है, जहां भारतीय उद्योग विश्व पर्यावरण सुविधा में भागीदार हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके लिए प्राथमिकताएं निधारित की गई हैं; और

(ग) विश्व पर्यावरण सुविधा अथवा किसी अन्य कोष से वित्तपोषित इन उद्योगों की प्रगति की निगरानी करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से ग्रीन हाउस गैसों और ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन के प्रशमन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस संबंध में विश्व पर्यावरण सुविधा के मुख्य उद्देश्यों के अन्तर्गत आने वाली उपयुक्त परियोजनाओं का पता लगाने के लिए कन्डीडेट प्रौद्योगिकियों का एक सर्वेक्षण भी आयोजित किया गया था।

(ग) इनमें से किसी भी परियोजना को विश्व पर्यावरण सुविधा के जरिए निधियन के लिए इस मंत्रालय को अधिकारिक तौर पर नहीं भेजा गया है। अत: इस अवस्था में सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की प्रगति निगरानी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गुना-इटावा रेल लाइन का मार्ग बदलना

5032. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-शिवपुरी-ग्वालियर-भिंड-इटावा रेल लाइन के ग्वालियर-भिंड सेक्शन का सम्पर्क मलानपुर औद्योगिक क्षेत्र से स्थापित करने की दृष्टि से इस खण्ड में किये गये विस्तार कार्य पर पुनर्विचार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित मार्ग परिवर्तन पर कितना अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 55 लाख रुपये।

(ग) प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है ?

मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन

5033. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में निजी और सहकारी क्षेत्र की चीनी की मिलों द्वारा चीनी का कुल कितना उत्पादन किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : विगत तीन चीनी वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किया गया क्षेत्रवार चीनी का उत्पादन निम्नानुसार है—

(आंकड़े टन में)

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर)	क्षेत्र			कुल
	निजी	सहकारी	सहकारी	
1989-90	33643	10824	27126	71593
1990-91	37853	16476	49085	103414
1991-92	50191	22727	54857	127775

[अनुवाद]

उड़ीसा को विज्ञान के उपकरण

5034. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उड़ीसा के जमा दो व्यावसायिक कालेजों को विज्ञान के उपकरण तथा अन्य सहायता नहीं दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य में पिछले वर्षों, विशेष रूप से 1989 और 1990 में खोले गये जमा दो व्यावसायिक कालेज धनराशि की कमी के कारण समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्कूलों में जमा दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1991-92 तक 181 स्कूलों में 724 व्यावसायिक वर्गों को मंजूरी दी गई थी।

उड़ीसा सरकार को इस कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित अनुदान दिए गए थे जिनमें उपकरणों की खरीदारी, कार्यशिविरों के निर्माण, शिक्षकों के वेतन और खर्चों की अन्य मदों की राशियां शामिल थीं :

वर्ष	दिए गए अनुदान	संस्वीकृत व्यावसायिक वर्गों की संख्या	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4
1987-88	156.19	124	31

1	2	3	4
1988-89	600 00	600	150
1989-90	83.72	—	—
1990-91	510.40	—	—

राज्य सरकार ने 14 संस्वीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित उपकरणों के मामले के निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार समितियों ने उसके बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।

वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार से 3.00 करोड़ रु० की राशि का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु कोई निधि प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि संस्वीकृत निधियों के उपयोग और उड़ीसा राज्य सरकार की वास्तविक उपलब्धियों में कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक नहीं थी। केन्द्रीय सरकार कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार से विशेष प्रयास करने का अनुरोध करती रही है।

दिल्ली में उर्दू विद्यालय

5035. **श्री ताराचंद खंडेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1993 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "उर्दू स्कूल टर्न मोन्युमेन्ट्स ऑफ नेगलेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली के शहरी क्षेत्र में स्थित उर्दू विद्यालयों के कामकाज की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) इस मामले की जांच के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन विद्यालयों में सरकार का क्या सुधार लाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी स्कूलों सहित उर्दू माध्यम वाले स्कूलों में बोर्ड परीक्षा 1992 का परीक्षा-परिणाम संतोषजनक नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने स्कूलों में घटिया परीक्षा-परिणाम की जांच करने तथा सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने जनवरी, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने उर्दू माध्यम के स्कूलों पर विशेष ध्यान देते हुए, स्कूलों से सभी रिक्तियां भरने की सिफारिश की है। दिल्ली प्रशासन ने, अन्य विभिन्न उपाय शुरू किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(I) वातावरण समुन्नयन के लिए अनुदान जारी करना;

(II) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और

(III) स्कूलों का आकस्मिक तथा वार्षिक निरीक्षण करना ।

पठार क्षेत्र विकास परियोजना

5036. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री बी० देवराजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित पठार क्षेत्र विकास परियोजना आदिवासी समुदाय के लाभार्थ लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का विस्तृत ब्योरा क्या है और इसके लिए विश्व बैंक ने कितनी सहायता दी है;

(ग) उन आदिवासी बहुल जिलों के नाम क्या है जिनमें यह परियोजना लागू की जा रही है; और

(घ) अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां । यह परियोजना बिहार में कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) परियोजना के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) बिहार में रांची, लोहरदागा, गुम्ला, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुम्का, गोड्डा और साहेबगंज जिले ।

(घ) यह परियोजना 16-3-1993 से ही लागू की गई है ।

विवरण

लागू होने की तिथि	:	16-3-1993
कुल लागत		3895 मिलियन रुपए
आई० डी० ए० ऋण**		117 मिलियन अमरीकी डॉलर
परियोजना अवधि	:	1992-93 से 1996-97 तक

परियोजना घटक तथा लागत (मिलियन रुपए)

क्रम सं०	परियोजना घटक	लागत
1	2	3
1.	कृषि	204.671
2.	पीने का पानी	422.055

1	2	3
3.	लघु सिंचाई	1302.135
4.	ग्रामीण सड़कें	1910.220
5.	परियोजना का कार्यान्वयन	56.136
		3895.327

*जैसाकि स्टॉफ मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाया गया है ।

**विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ।

गोदावरी की घाटी में वन संसाधन

5037- **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी की घाटी में घटते वन संसाधनों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसका क्या निष्कर्ष है;

(ग) इस घाटी में वन संसाधनों के घटने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन आवरण की लगातार निगरानी करता है और प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् वन स्थिति रिपोर्ट (स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट) प्रकाशित करता है ।

(ख) वन स्थिति (स्टेट आफ फारेस्ट) रिपोर्ट, 1991 के अनुसार गोदावरी घाटी वाले पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी तथा खम्माम जिलों में वन आवरण का ब्यौरा निम्नलिखित है—

क्र० सं०	जिला	सघन वन आवरण (वर्ग कि० मी०)	खुला वन क्षेत्र (वर्ग कि०मी०)	कच्छ वन आवरण (वर्ग कि० मी०)	कुल वन (वर्ग कि० मी०)
1.	पूर्वी गोदावरी	2719	645	237	3601
2.	पश्चिम गोदावरी	617	226	—	843
3.	खम्माम	5136	2146	—	7282

(ग) राज्य सरकार ने गोदावरी घाटी में वन संसाधनों में कमी होने की सूचना नहीं दी है ।

(घ) देश में वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) वनेतर प्रयोजनों हेतु वन भूमि को उपयोग में लाने को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया;

(2) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें;

(5) भोगाधिकार आधार पर वनों की सुरक्षा में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा को उद्योग से जोड़ना

5038. कुमारी विमला वर्मा :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से उद्योग और कृषि को शिक्षा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए क्या अन्य वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०), 1986 और कारंवाई योजना (पी० ओ० ए०), 8992 में शिक्षा के व्यावसायीकरण के एक अंग के रूप में शिक्षा का उद्योग और कृषि के साथ संबधों पर काफी बल दिया गया है। कारंवाई योजना में इन संबंधों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सहयोग से पहले ही कुछ आवश्यकता पर आधारित और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को विकसित किया है/ कारंवाई योजना में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि कृषि विश्वविद्यालय, उनके क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और उपकेन्द्र तथा अन्य आधारभूत ढांचे भी पाठ्यक्रम को तैयार करने में शामिल हो सकते हैं और निकट के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में व्यावसायिक शिक्षा निदेशक शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार (एस० ई० यू० वाई०) योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधाओं के लिए जिला उद्योग केन्द्रों से सम्पर्क करें। उन्हें ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी० आर० डी० ए०) के परियोजना निदेशक के साथ सम्पर्क रखना चाहिए। इस (ट्राईसेम) कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के व्यक्तियों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, ताकि उन्हें स्व-रोजगार के लिए स्वयं को समर्थ बनाया जा सके।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम

5039. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अहिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने अहिन्दी भाषी राज्यों के कुछ विश्वविद्यालयों में कार्यात्मक हिन्दी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 20.50 लाख रु०; कार्यात्मक हिन्दी (अनुवाद) में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 82.55 लाख रु०, और पत्रकारिता में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 54.80 लाख रु० का आवंटन अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपर्युक्त आवंटनों में और अधिक वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे

5040. श्री के० मुरलीधरन :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना के निर्माण पर कितनी लागत आएगी तथा इस पर राज्य-वार आने वाली अनुमानित लागत और लम्बाई कितनी है और इस परियोजना के विभिन्न सेक्शनों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा रखी गयी है;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत सभी तीनों राज्यों से लाइन बिछाने/सुरंग तथा पुल बनाने, स्टेशनों और अन्य भवनों का निर्माण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और अगले तीन वर्षों के लिए इस परियोजना के कार्य को चरणबद्ध रूप से करने की क्या योजना बनाई गई है;

(ग) क्या परियोजना के अधिकारियों को विभिन्न संबद्ध राज्यों में कार्य करने के संबंध में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो खासतौर पर गोआ में इस लाइन के निर्माण में तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) गोआ में इस परियोजना के कार्य निष्पादन में मानक मापदंडों के अनुसार वित्तीय और वास्तविक दोनों रूपों में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) (i) लागत　:　1991-92 के मूल्यों के आधार पर 1400 करोड़ रुपये

लम्बाई　:　760 कि० मी०

राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	लम्बाई (कि० मी० में)
1.	महाराष्ट्र	723.55	382
2.	गोवा	220.93	105
3.	कर्नाटक	441.08	273

(ii) समय सीमा

कर्नाटक राज्य में मंगलोर-उडुपी खंड (68 कि० मी०) 20-3-93 से यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है।

महाराष्ट्र में रोहा-वीर खंड (47 कि० मी०) का कार्य पूरा हो गया है और इसे अप्रैल, 1993 के अंत तक यात्री यातायात के लिए खोल दिए जाने का प्रस्ताव है।

वीर-उडुपी (645 कि० मी०) के शेष खंड को 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) परियोजना की प्रगति

क्रम सं०	राज्य	लाइनें बिछाना	सुरंग	पुल	स्टेशन और अन्य इमारतें
1.	महाराष्ट्र	15%	30%	45%	20%
2.	गोवा	—	10%	25%	5%
3.	कर्नाटक	24%	20%	50%	25%

परियोजना की समग्र भारित प्रगति लगभग 45% है।

वीर से उडुपी तक की पूरी लाइन पर कार्यक्रम के अनुसार पूरे जोर-शोर से काम चल रहा है और इसे 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) जी नहीं।

(घ) (i) गोवा क्षेत्र में काम की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	विवरण	प्रतिशत प्रगति
1.	भूमि का अधिग्रहण	100%
2.	मिट्टी संबंधी काम	30%
3.	छोटे पुल	21%
4.	सुरंग	10%
5.	बड़े पुल	20%
6.	समग्र प्रगति (भारित)	25%
	(ii) वित्तीय प्रगति	64 करोड़ रुपये
		29%

खाद्य तेल की भंडारण सीमा

5041. डा० परशुराम गंगवार : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोक और परचून दुकानदारों के लिए खाद्य तेल व तिलहन की वर्तमान भंडारण सीमा कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सीमा को बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए खाद्य तेल तथा तिलहनों की मौजूदा सीमाएं इस प्रकार हैं—

शहरों का वर्ग		निम्नांकित के मामले में स्टाक सीमाएं क्विंटलों में	
		थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता
अन्य तिलहन,	वर्ग क	3000	200
जिसमें छिलकेदार	वर्ग ख	2000	150
मूंगफली शामिल है।	अन्य क्षेत्र	1000	100
खाद्य तेल, जिसमें	वर्ग क	1200	40
हाइड्रोजनीकृत	वर्ग ख	800	24
वनस्पति तेल शामिल है।	अन्य क्षेत्र	500	16

(ख) व (ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

उर्दू माध्यम वाले स्कूल

5042. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और उर्दू माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थान-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) ये स्कूल कब तक खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास देश में उर्दू माध्यम के स्कूल खोलने की स्कीम नहीं है। स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य/संघशासित प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। राज्य/संघशासित क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उर्दू माध्यम वाले स्कूलों सहित स्कूल खोलते हैं।

राजस्थान में भू-क्षरण

5043. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में बढ़ते हुए भू-क्षरण को रोकने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भूमि कटाव को रोकने हेतु धनराशि खर्च की गई है तथा उन पर, वर्ष-वार, कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा इस प्रकार खर्च की गई धनराशि के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना को समाप्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और यह योजना किन-किन स्थानों से समाप्त की गयी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य के चम्बल, माही, दान्तीवाड़ा और साहिबी जल-ग्रहण क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबन्ध नाम की दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित की जा रही है।

उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन पर हुआ वर्ष-वार खर्च और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है—

(खर्च लाख रुपये में और वास्तविक क्षेत्र हैक्टे० में)

वर्ष	नदी घाटी परियोजना		बाढ़ प्रवण नदी	
	खर्च	वास्तविक क्षेत्र	खर्च	वास्तविक क्षेत्र
7वीं योजना तक	1699.53	234200	1634.21	69950
1990-91	274.48	9170	364.87	11750
1991-92	473.98	19980	635.85	22650
कुल	2447.99	263350	2634.95	104350

ये योजनायें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहेंगी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर में उपरिपुल

5044. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर पैलेस के निकट रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है:

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कुल कितनी है तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। बहरहाल, एक निचले सड़क पुल का निर्माण प्रगति पर है।

(ख) रेलवे का हिस्सा-1991 में पूरा हो गया। राज्य सरकार का हिस्सा 35%।

(ग) प्रत्याशित लागत : 1.05 करोड़ रुपये। अब तक रेलवे द्वारा किया किया गया खर्च खर्च लगभग 58.94 लाख रुपये।

(घ) भूमि के अधिग्रहण और राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों संबंधी निर्माण कार्य के निष्पादन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चलती फिरती उचित दर की दुकानें

5045. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के लिए सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य में चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए 30 मोबाइल वैनें खरीदने हेतु सहायता मांगी गई है। राज्य सरकार द्वारा कुल 135 लाख रुपए की सहायता मांगी गई है। उनके प्रस्ताव पर चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1993-94 में विचार किया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के कालेजों का आधुनिकीकरण

5046. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर (साउथ कैम्पस) को अलग विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दक्षिणी परिसर में स्थित कालेजों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए अथवा निकट भविष्य में दक्षिणी परिसर में स्थित कालेजों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के विकास और अनुरक्षण के लिए अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आबंटित किए जाते हैं। ये मानदण्ड विश्वविद्यालय के उत्तर परिसर के साथ-साथ दक्षिण परिसर के कालेजों के लिए समान हैं। अतः दक्षिण परिसर के कालेज, अनुदानों के आबंटन के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों के समान समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र

5047. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार कुछ राज्यों में नये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	प्रायोजना का नाम	स्थान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. ताड़ से संबंधित ए० आई० सी० आर० पी० (अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना)	अभी फैसला किया जाना है।
	2. केन्द्रीय खाराजल जलजीव जन्तु पालन संस्थान	गोपालपुरम (जिला नैल्लोर)
असम	1. ए० आई० सी० आर० पी०— कृषि मौसम विज्ञान	जोरहाट
	2. ए० आई० सी० आर० पी०— मृदा जांच का फसल पर प्रभाव	जोरहाट
	3. ए० आई० सी० आर० पी०— अम्लीय मिट्टियां	जोरहाट
	4. ए० आई० सी० आर० पी— दीर्घ अवधि के उर्वरक परीक्षण	जोरहाट
	5. ए० आई० सी० आर० पी—कृषि औजार एवं मशीन	जोरहाट
	6. ए० आई० सी० आर० पी०— कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की जरूरत	जोरहाट
बिहार	1. ए० आई० सी० आर० पी०— कृषि मौसम विज्ञान	पटना
	2. ए० आई० सी० आर० पी०— कुएं एवं पम्प	पूसा
	3. ए० आई० सी० आर० पी०— भूमिगत जल उपयोग को अनुकूलतम बनाना	पूसा
	4. ए० आई० सी० आर० पी०— अम्लीय मिट्टी	पटना

1	2	3
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—दीर्घ अवधि के उर्वरक परीक्षण	पटना
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—मसाले	ढोली
	7. ए० आई० सी० आर० पी०—आलू	ढोली
	8. ए० आई० सी० आर० पी०—बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	पूसा
हरियाणा	1. ए० आई० सी० आर० पी०—लवण प्रभावित मिट्टी का प्रबन्ध	हिसार
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—दीर्घ अवधि के उर्वरक परीक्षण	हिसार
	3. एस आई० सी० आर० पी०—मसाले	हिसार
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—औषधीय एवं शोभाकारी पौधे	हिसार
	5. केन्द्रीय अन्त: स्थानीय प्रग्रहण मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान—क्षेत्रीय केन्द्र	करनाल
	6. केन्द्रीय मीठा जल अन्तु पालन संस्थान—आर० सी०	करनाल
हिमाचल प्रदेश	1. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	पालमपुर
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—सूक्ष्मजैविक विघटन	पालमपुर
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि वानिकी	पालमपुर
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—अम्लीय मिट्टी	पालमपुर
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा भौतिक दशा	पालमपुर
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि में प्लास्टिक	पालमपुर
जम्मू एवं कश्मीर	1. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	रख ध्यानसर
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा जांच फसल प्रतिक्रिया	श्रीनगर

1	2	3
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—लम्बी अवधि के उर्वरक परीक्षण	श्रीनगर
कर्नाटक	1. ए० आई० सी० आर० पी०—खरपतवार नियन्त्रण	धारवाड़
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि वानिकी	बंगलौर
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—लम्बी अवधि के उर्वरक परीक्षण	धारवाड़
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—आलू	धारवाड़
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—आलू	मस्सान
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—सब्जी	धारवाड़
	7. ए० आई० सी० आर० पी०—फार्म उपकरण	रायचूर
केरल	1. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	त्रिचूर
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—अम्लीय मृदा	त्रिचूर
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा भौतिक दशा	वेल्लायनी
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—लम्बी अवधि के उर्वरक परीक्षण	त्रिचूर
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि में ऊर्जा मांग	वेल्लानिकारा
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा जांच प्रतिक्रिया	वेल्लानिकारा
	7. केन्द्रीय अन्तः स्थलीय पोषग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	अल्लापुझा
	8. राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	कोचीन
गुजरात	1. ए० आई० सी० आर० पी०—लम्बी अवधि उर्वरक परीक्षण	जूनागढ़
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा भौतिक दशा	गु० कृ० वि०वि०

1	2	3
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—कंदवर्गीय फसल	नवासारी
	4. एन० आर० सी०—चिकित्सा तथा सुगंधीय पौधे	आनन्द
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा जांच फसल प्रतिक्रिया	बनासकांठा
महाराष्ट्र	1. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	डपोली
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	अकोला
	3. —वही—	परभणी
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—लंबी अवधि के उर्वरक परीक्षण	डपोली
	5. —वही—	अकोला
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—सूक्ष्म तथा गौण पोषक	अभी निर्णय लिया जाना है।
	7. ए० आई० सी० आर० पी०—खरपतवार नियन्त्रण	डपोली
	8. ए० आई० सी० आर० पी०—औषध तथा सुगंधीय पौधे	अकोला
	9. एन० आर० सी०—अंगूर	पुणे
	10. एन० आर० सी०—प्याज तथा लहसुन	नासिक
	11. ए० आई० सी० आर० पी०—फार्म उपकरण तथा मशीनरी	अकोला
	12. ए० आई० सी० आर० पी०—ऊर्जा मांग	राहुरी
	13. —वही—	परभनी
	14. केन्द्रीय मीठा जल जलजंतु संस्थान	नागपुर
मध्य प्रदेश	1. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	रायपुर
	2. —वही—	बिलासपुर

1	2	3
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—खरपतवार नियन्त्रण	रायपुर
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—सूक्ष्म जैविक विघटन	इन्दौर
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि वानिकी	रायपुर
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—अम्लीय मृदा	रायपुर
	7. ए० आई० सी० आर० पी०—लम्बी अवधि के उर्वरक परीक्षण	रायपुर
	8. ए० आई० सी० आर० पी०—काजू	अभी फैसला किया जाना है।
	9. ए० आई० सी० आर० पी० —सब्जी की फसलें	रायपुर
	10. ए० आई० सी० आर० पी०—मानव अभि-यांत्रिकी	भोपाल
	11. एन० आर० सी०—नीरसता को कम करना	अभी फैसला किया जाना है।
	12. केन्द्रीय मीठा जल जंतु संस्थान	भोपाल
उड़ीसा	1. सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई० का क्षेत्रीय केन्द्र	चिपलिमा
	2. भा० प० अ० सं०, क्षेत्रीय केन्द्र	भुवनेश्वर
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	भुवनेश्वर
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—अम्लीय मृदा	—वही—
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया	—वही—
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—मृदा भौतिक दशा	—वही—
	7. ए० आई० सी० आर० पी०—सूक्ष्म तथा गौण पोषक तत्व	अभी निर्णय लिया जाना है।
	8. ए० आई० सी० आर० पी०—पुष्प विज्ञान	भुवनेश्वर

1	2	3
	9. ए० आई० सी० आर० पी०—पुनर्नवीकृत ऊर्जा स्रोत	भुवनेश्वर
	10. एन० आर० सी० मूंगफली	पुरी
	11. एस आई० सी० आर० पी० —कृषि क्षेत्र में ऊर्जा मांग	भुवनेश्वर
	12. ए० आई० सी० आर० पी०—मानव अभियांत्रिकी रक्षा सुरक्षा	—वही—
	13. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि में महिलाओं की नीरसता को दूर करना	अभी निर्णय होना है।
	14. सी० ए० आर० आई० केन्द्र	चौघर
पंजाब	1. सी० ए० आर० आई०	अबोहर
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—मानवीय इंजीनियरिंग और कृषि में सुरक्षा	लुधियाना
मेघालय	1. ए० आई० सी० आर० पी०—दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग	शिलांग
राजस्थान	1. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि मौसम विज्ञान	अरजिया
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—खरपतवार नियंत्रण	बीकानेर
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—मिट्टी परीक्षण फसल प्रतिक्रिया	बीकानेर
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग	दुर्गापुर
	5. एन० आर० सी० अश्व	बीकानेर
	6. ए० आई० सी० आर० पी०—बागवानी फसलों की तुड़ाई के बाद की प्रौद्योगिकी	जोबनेर
	7. ए० आई० सी० आर० पी०—खुम्बी	जोबनेर
	8. ए० आर० सी० तारामीरा सरसों	भरतपुर
सिक्किम	1. एन० आर० सी० आर्चिड	अभी निर्णय होना है।
तमिलनाडु	1. ए० आई० सी० आर० पी०—लवण प्रभावित मिट्टियों का सुधार	कोयम्बटूर

1	2	3
	2. ए० आई० सी० आर० पी०—कृषि वानिकी	कट्टुपक्कम
	3. ए० आई० सी० आर० पी०—ताड़	अभी निर्णय होना है।
	4. एन० आर० सी०—केला	पोडावूर
	5. ए० आई० सी० आर० पी०—मानवीय इन्जीनियरिंग	कोयम्बटूर
	6. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	मद्रास
उत्तर प्रदेश	1. एग्रोमेट	कानपुर
	2. दीर्घकालिक उर्वरक परीक्षण	फैजाबाद
	3. सूक्ष्म और गौण पोषक तत्व	अभी निर्णय होना है।
	4. ए० आई० सी० आर० पी०—खुम्बी	—वही—
	5. कृषि उपकरण	एन० डी० यू० ए० टी०, फैजाबाद
	6. —वही—	इलाहाबाद
	7. ए० मत्स्य आ० सं० ब्यूरो	हलद्वानी
	8. एन० आर० सी०, शीतल जल मात्स्यिकी	1. उत्तर पश्चिम हिमालय 2. उत्तर पूर्वी हिमालय 3. गढ़वाल 4. दक्षिण क्षेत्र

[हिन्दी]

मकसी में पुल

5048. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शाहजहांपुर (मध्य प्रदेश) जिले में मकसी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। मकसी में समपार सं० 51 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य 1987-88 का एक अनुमोदित कार्य है।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1991 से राज्य सरकार से सामान्य विन्यास नक्शे के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

धान क्रय केन्द्र

5049. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के धान क्रय केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के अधीन धान की वसूली करने के लिए 966 क्रय केन्द्र चलाए हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें क्रय केन्द्रों की राज्यवार संख्या दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 में धान की वसूली का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। खरीफ विपणन मौसम, 1993-94 में चलाए जाने वाले वसूली केन्द्रों की संख्या के बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	1992-93 (अनन्तिम)		
		भारतीय खाद्य निगम	राज्य सरकार/ एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	378	363	741
2.	हरियाणा	186	49	155
3.	उत्तर प्रदेश	60	1180	1240
4.	दिल्ली	3	—	3
5.	राजस्थान	12	—	12
6.	आंध्र प्रदेश	161	—	161
7.	मध्य प्रदेश	—	2473	2473

1	2	3	4	5
8.	पश्चिम बंगाल	185	—	185
9.	पांडिचेरी	2	—	2
10.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	2
11.	बिहार	13	—	13
12.	उड़ीसा	35	25	60
13.	हिमाचल प्रदेश	9	—	9
14.	महाराष्ट्र	—	233	233
	जोड़	966	4323	5289

रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

5050. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत गोरखपुर तथा गोंडा लूप लाइनों के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां हमेशा विलम्ब से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) गोरखपुर-गोंडा लूप लाइन पर गाड़ियों के समय-पालन का औसत 85% रहा है जो मुख्यतः शरारती तत्वों की गतिविधियों के कारण हैं जिसमें इस खंड पर खतरे को जंजीर का खींचा जाना और उपस्कर की खराबी शामिल है।

(ग) उन सभी कमियों को दूर करने के हर प्रयास किए जा रहे हैं जिन पर रेलों का नियन्त्रण है।

[अनुवाद]

उच्च अश्व शक्ति के रेल इंजनों को शुरू करना

5051. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के मुख्य मार्गों पर उच्च अश्व शक्ति के रेल इंजन चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रौद्योगिक-आर्थिक अध्ययन कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) रेलों और योजना आयोग द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया है और यह प्रमाणित हो चुका है कि उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजन की जरूरत है । भारतीय रेलों के वाल्तेरु-किरांदुल खंड पर 18 उच्च शक्ति वाले थाइरिस्टर रेल इंजन काम कर रहे हैं । 3-फेज प्रौद्योगिकी युक्त उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजन चलाने से संबंधित एक मामला विचाराधीन है । अधिक परिचालनिक गति पर भारी माल गाड़ियों के संचलन के लिए आधुनिक ईंधन किफायती उच्च शक्ति वाले डीजल रेल इंजनों का मूल्यांकन भी किया गया है । और इन्हें चलाने से संबंधित मामले की समीक्षा की जा रही है ।

[हिन्दी]

नैतिक शिक्षा कार्य

5052. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी स्कूलों और कालेजों में नैतिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) नैतिक शिक्षा कतिपय मौलिक मूल्यों को मन में बिठाये जाने पर बल देने वाली एक समग्र संकल्पना है । अनिवार्य नैतिक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इन अनिवार्य मूल्यों का संज्ञान स्कूल के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम और क्रियाकलापों में व्याप्त हो । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्क्रम-एक ढांचा में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में समझा गया है । स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार दिशा निर्देशों और पाठ्यक्रमों में मूल्यपरक शिक्षा के विभिन्न घटकों को जोड़ने का प्रयास किया गया है ।

विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को पुन: संरचना के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी पाठ्यक्रमों का प्रावधान है । अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बुनियादी पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा के विकास के अध्ययन की व्यवस्था है ।

रेलवे के ठेके

5053. श्री छेदी पासवान :
श्री महेश कनोडिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान प्रत्येक जोन में रेल खान-पान सेवा और बुक स्टाल के कितने ठेके दिए गए; और

(ख) उनमें से कितने ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और बेरोजगार स्नातकों को दिए गए ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खुंभी की खेती सम्बन्धी केन्द्रीय योजना

5054. **डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री ओस्कार फर्नान्डीज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें आठवीं पंचवर्षीय योजना में खुंभी की खेती संबंधी केन्द्रीय योजना के लागू किए जाने की संभावना है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे राज्यों के लिए राज्यवार निर्धारित की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी स्पॉन उत्पादक प्रयोगशालाएं तथा पास्चुरीकृत कूड़ा खाद एककों की स्थापना की जाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान खुंभी की खेती के लिए नियत राज्यवार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र०सं० राज्य	स्पॉन उत्पादन प्रयोगशालाओं की संख्या	पास्चुरीकृत कम्पोस्ट एकक	कुल सहायता (लाख रु० में)
1 2	3	4	5
1. आसाम	1	1	32.50
2. अरुणाचल प्रदेश	1	1	32.50
3. बिहार	2	2	69.00
4. चंडीगढ़	1	1	32.50
5. दिल्ली	1	1	32.50
6. गोवा	1	1	32.50

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	2	2	69.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1	1	32 50
9.	केरल	1	1	32.50
10.	महाराष्ट्र	2	1	41.00
11.	मेघालय	1	1	32.50
12.	मणिपुर	1	1	32.50
13.	मध्य प्रदेश	2	2	65.00
14.	नागालैंड	1	1	32.50
15.	पंजाब	2	2	69.00
16.	राजस्थान	2	2	65.00
17.	तमिलनाडु	2	2	69.00
18.	त्रिपुरा	1	1	32.50
19.	उत्तर प्रदेश	2	2	69.00
20.	पश्चिम बंगाल	2	2	65.00
21.	हिमाचल प्रदेश	—	2	44.00
	कुल	29	30	982.50

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

5055. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि 1993-94 के केन्द्रीय बजट में करों/शुल्कों में की गई कमी की घोषणा के फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस निदेश को जारी करने के बाद, इन वस्तुओं के मूल्यों में यदि कोई कमी आई है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने दुकानदारों से जोर देकर कहा है कि वे 1993-94 के केन्द्रीय बजट में उत्पादन शुल्कों में घोषित की गई कमी के परिणामस्वरूप अपनी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को कम करें। तथापि, अनुचित व्यापार पद्धतियां अपनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि शामिल हैं, कानूनी/नियामक उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1993-94 के केन्द्रीय बजट में विभिन्न कच्ची सामग्री निवेश मदों के उत्पाद शुल्कों में घोषित की गई कमी के परिणामस्वरूप कुछ विनिर्माताओं ने विभिन्न माध्यमों के जरिए सूचित किया है कि वे शुल्कों में हुई कमी के लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए अपने उत्पादों के मूल्य कम कर रहे हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1993-94 के केन्द्रीय बजट में करों/शुल्कों में घोषित कमी के उत्तर में उद्योग द्वारा कीमतों में की गई कटौतियां दर्शाई गई हैं।

विवरण

बजट पर उद्योग की प्रतिक्रिया

—उद्योग द्वारा कीमतों में की गई कमी

उद्योग	मदें	उत्पादन शुल्क में कटौती
1	2	3
वोल्टाज लि०	रूप एयर कंडीशनर्स/	
	स्प्लिट एयर कंडीशनर्स	
	1.0 मी० टन	5,800 रु०
	1.2 तथा 1.5 मी० टन	4,800 रु०
	2.0 तथा 3.0 मी० टन	3,250 रु०
	रेफ्रिजरेटर्स	
	165 लिटर	525 रु०
	300 लिटर डबलडोर } 310 लिटर सिंगलडोर }	1,525 रु०
हिंदुस्तान लीवर लि०		
मद	केन्द्रीय बजट 1993-94 से पूर्व की कीमत	उत्पादन शुल्क में कटौती के बाद की कीमत
नहाने के साबुन		
*लेसेंसी 150 ग्राम	14.50 रु०	13.50 रु०

1	2	3
*लिरिल 75 ग्राम	7.75 रु०	7.25 रु०
*लक्स अन्तर्राष्ट्रीय 75 ग्राम	7.00 रु०	6.50 रु०
*पियर्स 50 ग्राम	8.50 रु०	8.00 रु०
*पियर्स 75 ग्राम	12.75 रु०	12.00 रु०
शैंपू		
*क्लिनिक प्लस 50 मि० ली०	13.25 रु०	10.25 रु०
*क्लिनिक प्लस 80 मि० ली०	27.50 रु०	21.25 रु०
*क्लिनिक प्लस 160 मि० ली०	48.25 रु०	42.50 रु०
*क्लिनिक प्लस 300 मि० ली०	83.00 रु०	73.00 रु०
*क्लिनिक स्पेशल 60 मि०ली०	27.00 रु०	21.00 रु०
*क्लिनिक स्पेशल 160 मि०ली०	61.50 रु०	54.50 रु०
*क्लिनिक एक्टिव 60 मि० ली०	27.00 रु०	23.50 रु०
*क्लिनिक एक्टिव 160 मि०ली०	65.50 रु०	57.50 रु०
*क्लिनिक एक्टिव 300 मि० ली०	103.00 रु०	89.00 रु०
*सनसिल्क 50 मि० ली०	20.50 रु०	18.00 रु०
*सनसिल्क 100 मि० ली०	35.75 रु०	31.00 रु०
*सनसिल्क 200 मि० ली०	66.00 रु०	59.00 रु०
*सनसिल्क 300 मि० ली०	90.00 रु०	79.00 रु०
वैयक्तिक उत्पाद स्किन निर्मितियां		
*फेयर एंड लवली 25 ग्राम	19.50 रु०	17.50 रु०
*फेयर एंड लवली 50 ग्राम	35.00 रु०	27.00 रु०
*फेयर एंड लवली 80 ग्राम	48.00 रु०	43.00 रु०
*फेयर एंड लवली विटर स्पेशल क्रीम 25 ग्राम	21.00 रु०	16.25 रु०
*फेयर एंड लवली विटर स्पेशल क्रीम 50 ग्राम	37.00 रु०	28.50 रु०

1	2	3
*फेयर एंड लवली लोशन 50 मि० ली०	29.00 रु०	22.50 रु०
*फेयर एंड लवली लोशन 100 मि० ली०	51.00 रु०	39.50 रु०
*फेयर एंड लवली विंटर स्पेशल लोशन 50 मि० ली०	36.00 रु०	28.00 रु०
*फेयर एंड लवली विंटर स्पेशल लोशन 100 मि० ली०	64.00 रु०	49.50 रु०
*लिरिल टैलकम पाउडर 50 ग्राम	13.00 रु०	11.00 रु०
*लिरिल टैलकम पाउडर 100 ग्राम	20.75 रु०	18.00 रु०
*लिरिल टैलकम पाउडर 400 ग्राम	52.50 रु०	45.00 रु०

वाहन

मारुति लि०

मॉडल	बजट पूर्व	बजट पश्चात	कटौती (रु०)
1	2	3	4
कार स्टैंडर्ड	1,74,550	1,58,043	16,507
कार ए सी	2,04,630	1,85,236	19,396
ओमनी स्टैंडर्ड	1,61,930	1,46,753	15,177
जिप्सी सॉफ्ट टॉप	2,67,498	2,42,211	25,387
मारुति-1000 ए सी	3,07,[illegible]60	3,50,699	36,661
हिन्दुस्तान मोटर्स एम्बैसडर		2,56,000	15,000
कॉन्टैस्सा		3,46,000	[illegible]7,000
टैल्को/अशोक लीलैंड ट्रकों के विभिन्न मॉडल	3.60 लाख	4.02 लाख	25-27,00
प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लि०			

1	2	3	4
प्रीमियर पद्मिनी स्टैंडर्ड		1,57,117	15,800
प्रीमियर पद्मिनी डीलक्स		1,78,882	17,961
प्रीमियर पद्मिनी डीलक्स ए० सी०		2,17,031	22,945
प्रीमियर पद्मिनी 137 डीजल कार		2,07,639	21,499
प्रीमियर 118 एन० ई०		2,34,702	23,901
प्रीमियर 118 एन० ई० ए० सी०		2,70,631	27,750
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि०			
जीपों के विभिन्न मॉडल			12-22,000
ट्रैक्टर्स			9-12,000
कमांडर जीप		1,84,444	12,400
कमांडर हाई टॉप	2,22,700	2,08,620	14,080
अन्य मॉडल एम एम 540		2,18,339	22,650
सी जे 500 डी आई		2,14,135	22,200
आरमाडा		2,33,546	15,760
ट्रैक्टर 35 एच पी		1,68,436	8-10,000
45 एच पी		2,08,759	10-12,500
रंगीन टी० वी०			
पिक्चर ट्यूब 20 इंच/21 इंच			250 तथा 200
पिक्चर ट्यूब 14 इंच			200
20 इंच/21 इंच पिक्चर ट्यूब	3,900	3,650	
14 इंच पिक्चर ट्यूब	2,700	2,500	
टाटा चाय लि०			

उत्तर भारत के वास्ते पोलिबेग्स चाय 1.25 रु० प्रति कि० ग्रा०

दक्षिण भारत के वास्ते पोलिबेग्स चाय 0.90 रु० प्रति कि० ग्रा०

बंगलोर डिवीजन द्वारा पैक की गई पोलिबैग्स 0.75 रु० प्रति कि० ग्रा० सस्ती होगी।

बुक बॉड इण्डिया लि०

विभिन्न ब्रांड व पैक 1 से 2 रु० प्रति कि० ग्रा० कम किए गए हैं।

रिलायंस/इंडस्ट्रीज

मद	बजट पूर्व कीमतें	सीमा-शुल्क कटौती के बाद की कीमत
पी टी ए	32,500 रु० प्रति मी० टन	29,500 रु० प्रति मी० टन
आई पी सी एल		
डी एम टी	30,000 रु० प्रति मी० टन	28,000 रु० प्रति मी० टन

आई पी सी एल : पोलिमर्स की कीमतें 2-3 रु० प्रति कि० ग्रा० कम की गई हैं।

नौसिल : पी वी सी शू कम्पाउंड की कीमतें 1,500 रुपए प्रति मी० टन कम की गई हैं।

पी आई एल :

	बजट पश्चात कीमत
एच डी पी ई रैफिया	41 रु०
यू एच एम डब्ल्यू फिल्म	45 रु०
पाइप ग्रेड (ब्लैक कम्पाउंड)	51 रु०
ई वी ए	60-70 रु० प्रति कि० ग्रा०, विनायल एसिटेट की मात्रा के हिसाब से
अशोक लीलैंड लि०	उत्पादन शुल्क में कमी
मॉडल के हिसाब से चेसिस के दाम	26,240 रु० से 33,277 रु०

	शुद्ध वजन	अधिकतम प्रस्तावित उपभोक्ता मूल्य (सभी करों सहित) रु० प्रति यूनिट	
		बजट पूर्व	बजट पश्चात्
1	2	3	4
गोदरेज			
साबुन :			
*सिंथॉल लाल	75 ग्राम	7.50	7.00

1	2	3	4
*सिथॉल नींबू	75 ग्राम	7.75	7.25
*सिथॉल कॉलोन	75 ग्राम	7.75	7.25
*सिथॉल संदल	75 ग्राम	7.50	7.00
*सिथॉल रेग्यूलर	100 ग्राम	9.90	9.25
*मार्उनिंग ग्लोरी	75 ग्राम	8.00	7.50
*मार्वेल	75 ग्राम	7.15	6.70
*एवित	75 ग्राम	9.75	9.15
सेविंग सोप्स '			
*सेविंग राउंड साधारण	50 ग्राम	7.00	6.55
*सेविंग राउंड पालि	50 ग्राम	10.00	9.40
टॉयलटरीज :			
*सेविंग क्रीम	70 ग्राम	24.50	18.85
*सेविंग क्रीम	20 ग्राम	10.50	9.00
*सिथोल टेलकम पावडर	400 ग्राम	51.50	45.00
*सिथोल तेलकम पावडर	100 ग्राम	20.45	17.75
*लिक्विड हेयर डाइ	40 मि० ली०	49.00	42.00
*लिक्विड हेयर डाइ	20 मि० ली०	32.00	28.00
*पावडर हेयर डाइ	10 ग्राम	32.00	29.00
*वर्व हेयर कलर	40 मि० ली०	55.00	49.00
*वर्व हेयर कलर	20 मि० ली०	39.50	35.00
रेफरीजरेटर (क्लासिक)	185 लिटर	उत्पादन शुल्क में 525 रु० की कमी	

फिलिप्स :

स्टिरियो रेडियो कम टेपरिकार्डरों के विभिन्न माडलों की कीमतें 100-500 रु० तक कम की गई।

पंजाब ट्रैक्टर्स लि० :

मॉडल स्वराज 736 एफ ई	उत्पाद शुल्क में 9.350 रु० से
मॉडल स्वराज 85	11,600 रु० की कमी

1	2	3	4
हिंदुस्तान मशीन टूल्स :			
ट्रैक्टर मॉडल 3511		1,56,136 रु०	1,46,899 रु०
ट्रैक्टर मॉडल 4511		1,85,886 रु०	1,74,855 रु०
ट्रैक्टर मॉडल 5911		2,29,917 रु०	2,16,265 रु०

बजाज आटो लि०	उत्पाद शुल्क में कमी (रुपए)
टू ह्वीलर्स :	
*बजाज सुपर	153 रु०
*बजाज चेतक	160 रु०
*बजाज एम-80	78 रु०
*बजाज सन्नी	58 रु०
*कावासाकी 4 एस	271 रु०
*कावासाकी आर टी जैड	256 रु०
थ्री ह्वीलर्स :	
*फ्रंट इंजन आटो रिक्शा	1895 रु०
*रीयर इंजन आटो रिक्शा	2028 रु०
*पिक-अप वैन	2218 रु०
*डिलीवरी वैन	2530 रु०
*आटो ट्रेलर	3197 रु०

ऐस्कॉटर्स :

विभिन्न मॉडलों के ट्रैक्टरों की कीमतें, 9000 रु० से 13000 रु० तक कम की गईं।

पॉण्ड्स

वित्त विधेयक, 1993-94 में उत्पादन शुल्क की दरों में की गई कटौती के परिणामस्वरूप, पॉण्ड्स (इंडिया) लि० को अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है। संशोधित दरें निम्नवत हैं :

उत्पाद	अधिकतम प्रस्तावित उपभोक्ता मूल्य (करों सहित) बजट पूर्व (रु० यूनिट)	बजट पश्चात् (रु० यूनिट)	उत्पाद	अधिकतम प्रस्तावित उपभोक्ता मूल्य (करों सहित) बजट पूर्व (रु० यूनिट)	बजट पश्चात् (रु० यूनिट)
1	2	3	4	5	6
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० 20 ग्राम	7.25	5.75	पॉण्ड्स मोइस— चेराइजिंग लोशन 80 मि० ली०	30.00	23.60
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० 50 ग्राम	12.85	11.20	पॉण्ड्स मोइस— चेराइजिंग लोशन 120 मि० ली०	39.00	30.70
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० 100 ग्राम	20.45	17.90			
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० 180 ग्राम	33.50	29.25	वैसलीन इन्टेसिव केयर लोशन 50 मि० ली०	19.00	15.00
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० 300 ग्राम	43.40	38.10	वैसलीन इन्टेसिव केयर लोशन 100 मि० ली०	33.50	26.30
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० 400 ग्राम	51.50	45.25	वैसलीन इन्टेसिव केयर लोशन 200 मि० ली०	55.00	43.20
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टेल्क० मैजिक 100 ग्राम	23.50	20.40	पॉण्ड्स शैम्पू 50 मि० ली०	20.50	17.70

1	2	3	4	5	6
पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर टैल्क० मैजिक 400 ग्राम	59.00	5[illegible].70	पॉण्ड्स शैम्पू 100 मि० ली०	35.50	30 20
पॉण्ड्स वैनिशिंग क्रीम 25 ग्राम	12.75	10.10	पॉण्ड्स शैम्पू 200 मि० ली०	62.50	54.10
पॉण्ड्स वैनिशिंग क्रीम 50 ग्राम	21.50	16.90	पॉण्ड्स शैम्पू 500 मि० ली०	120.00	99.90
पॉण्ड्स वैनिशिंग क्रीम 80 ग्राम	29.50	23.20	पॉण्ड्स ड्रीमफ्लावर सोप 75 ग्राम	8.50	8.00
पॉण्ड्स कोल्ड क्रीम 25 ग्राम	16.50	13.00	पॉण्ड्स कोल्ड क्रीम सोप 75 ग्राम	9.50	9.00
पॉण्ड्स कोल्ड क्रीम 50 ग्राम	27.75	21.90			
पॉण्ड्स कोल्ड क्रीम 70 ग्राम	35.50	27.90			
पॉण्ड्स कोल्ड क्रीम 100 ग्राम	47.25	37.20			
पॉण्ड्स कोल्ड क्रीम 140 ग्राम	63.75	50.10			

1. कम्पनी द्वारा स्टॉकिस्टों तथा स्टॉकिस्टों द्वारा व्यापारियों को भेजे जाने वाले माल के बीजक इसी समय से घटी दरों पर भेजे जाएंगे।

2. उपर्युक्त कीमतें (बजट पश्चात) करों सहित अधिकतम प्रस्तावित उपभोक्ता मूल्य हैं। दुकानदार अधिकतम उपभोक्ता मूल्य से कम पर बेचने को स्वतंत्र हैं।

पॉण्ड्स (इंडिया) लिमिटेड
26 कमाण्डर-इन-चीफ रोड,
मद्रास—600105.

लखानी

द फुटवीयर पीपुल

कीमतों में कमी

लखानी को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि "उत्पाद शुल्क" में कमी के कारण, "स्टेट्स" तथा लकस्टार जूतों की कीमतें कम कर दी गई हैं। यह लाभ हमारे सम्मानित ग्राहकों को दिया जा रहा है।

लखानी स्टेट्स फैशन शूज

शिक्षा के संबंध में नीतिपत्र

5056. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक शिक्षा के संबंध में कोई नीति पत्र तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति पत्र के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा से लेकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारत सरकार को शिक्षा पर विश्व बैंक द्वारा कोई नीति-पत्र तैयार करने की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

किसानों को कृषि उपकरण

5057. **डा० रमेश चन्द तोमर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को उचित मूल्यों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनके तहत अभिज्ञात कृषकों को उन्नत कृषि उपकरणों एवं मशीनों के लिए सबसिडी प्रदान की गई। इन योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र की कृषि मशीनरीकरण प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई जिसमें 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30,000 रुपए की सबसिडी उन कृषकों को दी गई जिनके पास वर्ष भर सिंचित रहने वाली 6 से 8 एकड़ की जोत थी अथवा इसके बराबर सबसिडी 18 पी० टी० ओ० अश्व शक्ति से कम ट्रैक्टर के लिए दी गई थी।

(2) इसके अतिरिक्त, तिलहन दलहन, गेहूं, चावल, मक्का तथा कदन्न एवं कपास से संबंधित फसल उत्पादन कार्यक्रमों में विनिर्दिष्ट कृषि उपकरण घटक शामिल था, जिनमें अभिज्ञात कृषकों को सबसिडी प्रदान की गई।

टिकट रद्द किए जाने के संबंध में नियम

5058. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल टिकट रद्द किए जाने और किराये की राशि की वापसी के संबंध में नियमों में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1-2-93 से रेल यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराए की वापसी) नियम, 1990 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

1. आरक्षित, आर ए सी और प्रतीक्षा सूची टिकटों पर धन की वापसी स्टेशन पर निम्नलिखित समय सीमा तक स्वीकार्य होगी :

   (क) गाड़ी के वस्तुतः छूटने के तीन घंटे बाद—200 कि० मी० तक के गंतव्य स्टेशन की टिकटों पर।

   (ख) गाड़ी के वस्तुतः छूटने के 6 घंटे बाद—200 कि० मी० से अधिक परन्तु 500 कि० मी० तक के गंतव्य स्टेशन की टिकटों पर।

   (ग) गाड़ी के वस्तुतः छूटने के 12 घंटे बाद—500 कि० मी० से अधिक के गंतव्य स्टेशन की टिकटों पर।

2. 21.00 बजे से 6.00 बजे के बीच छूटने वाली रात की गाड़ियों के लिए, आरक्षित/आर ए सी/प्रतीक्षा सूची टिकटों पर देय धन की वापसी ऊपर पैरा 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, स्टेशन पर या आरक्षण कार्यालय के खुलने के बाद पहले दो घंटे के भीतर, जो भी बाद में हो, स्वीकार्य होगी।

3. (क) गाड़ी छूटने के नियत समय से एक दिन से अधिक पहले (यात्रा के दिन को छोड़कर) रद्दकरण के लिए प्रस्तुत आरक्षित टिकटों पर मौजूदा समान दर पर रद्दकरण प्रभार वसूल किए जाते रहेंगे।

   (ख) गाड़ी छूटने के नियत समय से एक दिन पहले (यात्रा के दिन को छोड़कर) और गाड़ी छूटने के नियत समय से चार घंटे पहले तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आरक्षित टिकटों पर 25 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार वसूल किया जाएगा, और

   (ग) गाड़ी छूटने के नियत समय से पहले चार घंटे के भीतर और विभिन्न दूरियों के टिकटों के लिए ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित समय-सीमा तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत टिकटों पर 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार वसूल किया जाएगा।

4. उन टिकटों के मामले में, जिन पर यात्रा किसी अन्य स्टेशन से प्रारंभ होती है, (जैसे वापसी यात्रा या आगे की यात्रा की टिकटें), धन की वापसी टिकट जारी करने वाले स्टेशन पर स्वीकार्य होगी, बशर्ते टिकट उस स्टेशन पर गाड़ी छूटने के नियत समय से पहले सौंप दी जाती है, जहां से टिकट विधिमान्य है।

5. गुम हो गए/कटे-फटे/आरक्षित टिकटों के बदले में दूसरा (डुप्लीकेट) टिकट जारी करने के प्रभार निम्नानुसार लगाए जाएंगे :

(क) 500 कि० मी० तक यात्राओं की टिकटों के मामले में कुल किराये का 25 प्रतिशत ।

(ख) 500 कि० मी० से अधिक की यात्राओं की टिकटों के मामले में, कुल किराये का 10 प्रतिशत, लेकिन 500 कि० मी० के आरक्षित टिकट के लिए कुल प्रभारों का कम से कम 25 प्रतिशत ।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, आदि जैसी गाड़ियों की टिकटों के लिए, जिनमें "प्वाइंट से प्वाइंट" आधार पर अलग किराया संरचना लागू है, दूरी का विचार किए बिना कुल किराये का 25 प्रतिशत ।

6. आरक्षित टिकटों पर यात्रा के पूर्व नियतन की अनुमति तभी होगी जब टिकट आरक्षण कार्यालय के कार्य घंटों के दौरान और जिस गाड़ी में आरक्षण अपेक्षित है, उसके छूटने के नियत समय से छः घंटे पहले तक प्रस्तुत किया जाए ।

7. उसी गाड़ी में आरक्षित टिकटों पर निचले दर्जे से ऊंचे दर्जे में या सीट से शायिका के आरक्षण में परिवर्तन तभी स्वीकार्य होगा जब ऐसे परिवर्तन के लिए अनुरोध :

(क) या तो आरक्षण कार्यालय के कार्य के घंटों के दौरान और गाड़ी छूटने के नियत समय से छः घंटे पहले तक किया गया हो, या

(ख) गाड़ी में यात्रा के दौरान ।

[अनुवाद]

केरल में रेल परियोजनाएं

5059. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को किन तारीखों को आरंभ किया जाना था तथा इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी;

(घ) इन परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत तथा संशोधित लागत अलग-अलग कितनी है; और

(ङ) विलंब के क्या कारण हैं तथा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) संविदात्मक समस्याओं के कारण, जिनकी वजह से काम के कुछ भाग के लिए फिर से टेंडर दिया जाना अपेक्षित था । त्रिचूर-गुरुवायूर नई लाइन परियोजना के काम को पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है । वर्ष 1987-88 में इस परियोजना को 17.46 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था । कार्य की संशोधित लागत 25.40 करोड़ रुपये है । इस काम को पूरा करने के लिए मूल रूप से 29-2-1992 का लक्ष्य रखा गया था । बहरहाल, लाइन पूरी हो गई है और 31-3-1993 को यातायात के लिए खोल दी गयी है ।

तकनीकी शिक्षा केन्द्र

5060. श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक तकनीकी शिक्षा केन्द्र और विज्ञान की उच्चतर शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये संस्थाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी; और

(घ) इन संस्थाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

यमुना पार क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

5061. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में दी गई कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उस क्षेत्र की आबादी की तुलना में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक कुल कितने कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त आरक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं । दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में खोले गए दो कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र उस क्षेत्र की जनसंख्या के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ।

[अनुवाद]

"मनास वन्य जीव अभयारण्य"

5062. डा० सी० सिलवेरा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में मनास वन्य जीव अभयारण्य गत कई वर्षों से पर्यटकों के लिए बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अभयारण्य में पर्यटकों के आगमन को पुन: शुरू करने के लिए कुछ उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सुरक्षा उपाय कड़े करने के लिए स्थानीय पुलिस और वन कर्मचारियों के साथ ताल-मेल करके सशस्त्र कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में स्वैच्छिक शिक्षक

5063. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान कतिपय स्वैच्छिक शिक्षकों की एक ऐसे नियत वेतन पर नियुक्ति की गयी है जो नियमित शिक्षकों के वेतन का लगभग एक तिहाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वैच्छिक शिक्षकों के बीच व्यापक असंतोष के कारण पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन स्वैच्छिक शिक्षकों को पर्याप्त वेतनमान देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इटावा और आगरा के बीच रेल दुर्घटनाएं

5064. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान इटावा और आगरा जंक्शन के बीच कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं तथा इसमें कितने लोगों की जानें गई तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ; और

(ग) भविष्य में ऐसी रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1991-92 के दौरान इटावा और आगरा जंक्शन के बीच कोई परिणामी गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

गुजरात और नांदेड के लिए माल डिब्बे

5065. श्री एस० एन० वेकारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष माल डिब्बों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल मांग कितनी थी;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की मांग के अनुसार कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये;

(ग) गुजरात मे राजकोट तथा महाराष्ट्र में नांदेड में अपेक्षित माल डिब्बे उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप हजारों क्विंटल खाद्यान्न तथा अन्य सामान प्लेट-फार्मों पर पड़ा है; और

(घ) सरकार का तदनुसार भविष्य में इनकी मांग को पूरा करने के लिए तथा ठोस कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राज्य और संघ शासित प्रदेश-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान माल डिब्बों की मांग और आपूर्ति का रेलवे-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :

राजस्व उपार्जक माल यातायात के लदान के लिए माल डिब्बों की मांग और आपूर्ति

(चौपहियों में)

रेलवे	1989-90		1990-91		1991-92	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	1418515	1410909	1488352	1479200	1504695	1497119
पूर्व	2736982	2736045	2738763	2735008	2851433	2848673
उत्तर						
बड़ी लाइन	985719	984443	1037198	1036869	1061473	1059551
मीटर लाइन	205548	200150	218179	213500	246299	238686
पूर्वोत्तर						
बड़ी लाइन	37898	37782	33811	33775	29023	29005
मीटर लाइन	196263	193169	201586	200306	206025	205958
पूर्वोत्तर सीमा						
बड़ी लाइन	160263	145020	161140	153110	182865	178717
मीटर लाइन	171029	168432	183854	182044	190934	189605
दक्षिण						
बड़ी लाइन	629424	629424	691366	691179	712026	711836

1	2	3	4	5	6	7
मीटर लाइन	243345	243345	245388	245375	270376	269256
दक्षिण मध्य						
बड़ी लाइन	193414	191426	1252456	1246850	1344546	1342765
मीटर लाइन	222897	221777	207852	202470	224696	220672
दक्षिण पूर्व	4662612	4657420	4807545	4798783	5279565	5272279
पश्चिमी						
बड़ी लाइन	874721	866176	908026	891062	935803	900105
मीटर लाइन	497643	489320	473232	457037	489215	460330

(ग) और (घ) राजकोट में व्यापार लेखे में खाद्यान्नों को छोड़कर पूरे यातायात की निकासी कर दी गई है। फरवरी और मार्च, 1993 के दौरान व्यापार लेखे में खाद्यान्नों के लदान पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि गुजरात सरकार ने रेलों से खाद्यान्नों के गुजरात से अन्य राज्यों में संचलन के लिए माल डिब्बे सप्लाई न करने का अनुरोध किया था। अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। नांदेड में खाद्यान्नों, दालों आदि के लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई संतोषजनक रही थी, हालांकि व्यस्त अवधि में इस मांग को पूरा करने में समय लगता है।

उड़ीसा में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

5066. श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत उड़ीसा में किन-किन रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ख) 1993-94 के दौरान किन-किन स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत जाजपुर क्योंझर रोड स्टेशन के सौन्दर्यकरण, वहां पर जल-आपूर्ति, कुर्सियों, बेंचों को लगाने तथा अन्य यात्री सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यात्रियों में लूट की घटनाएं

5067. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रत्येक जोन में लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में पिछले छह महीनों के दौरान लूट की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) लूट गयी चीजों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पिछले छह महीनों (सितम्बर, 1992 से फरवरी, 1993) की सूचना नीचे दी गई है :

रेलवे	माल गाड़ियां		यात्री गाड़ियां	
	घटनाओं की सं०	लूटे गए सामान का मूल्य (रुपयों में)	घटनाओं की सं०	लूटे गए सामान का मूल्य (रुपयों में)
मध्य	—	—	19	2,92,977
पूर्व	—	—	31	6,56,666
उत्तर	—	—	3	14,861
पूर्वोत्तर	—	—	12	2,50,870
पूर्वोत्तर सीमा	—	—	9	3,08,171
दक्षिण	—	—	2	17,000
दक्षिण मध्य	—	—	3	1,920
दक्षिण पूर्व	1	23,86,787	10	4,91,783
पश्चिम	—	—	3	11,007
जोड़	1	23,86,786	92	20,45,255

(ग) राजकीय रेलवे पुलिस, जो संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, द्वारा लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

रेलवे सुरक्षा बल बहुमूल्य परेषण ले जाने वाली माल गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है और इस पर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के साथ मिलकर छापे मारने, रेलपथ की गहन गश्त करने, भेद्य स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करने, अपराध आसूचना कर्मचारियों द्वारा एकत्र की गई आसूचना के आधार पर चुराई गई रेल सम्पत्ति के प्रापकों के ठिकानों पर अचानक छापे मारने और अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिए भेद्य स्थलों पर घात लगाकर जांच करने जैसे निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के जनजाति क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण

5068. **श्री राम नाईक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जनजाति क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति वितरण करने की प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने की जिम्मेदारी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मापदण्ड निर्धारित करना, राज्य में उनकी हकदारी का पैमाना नियत करना शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में, प्रति परिवार प्रति माह 20 कि० ग्रा० की दर से खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय किया है, चाहे परिवार के सदस्यों की संख्या कुछ भी हो। राज्य सरकार ने गणना के मामले में आदिवासियों, जिनमें अधिकांश अशिक्षित हैं, के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों का संरक्षण

5069. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1993 के "दैनिक जागरण" में "पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पतियों का संरक्षण जरूरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को गोविन्द वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमीनार की कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो इस सेमीनार में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या सिफारिशें की गई;

(घ) पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय सुगंधयुक्त (ऐरामैटिक) जड़ी-बूटियों का रोपण करने को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाएंगे; और

(ङ) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में औषधीय सुगंधयुक्त जड़ी-बूटियों के लिए कोई प्रसंस्करण संयंत्र लगाने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने "दैनिक जागरण" में छपे समाचार को देखा है। जी० बी० पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय/सुगन्धयुक्त जड़ी-बूटियां उगाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) ऊतक संवर्धन के जरिए कुछ संकटापन्न औषधीय पौधों की वृद्धि करने के लिए प्रोटोकोल विकसित करना;

(2) उन क्षेत्रों में, जहां औषधीय पौधे पाए जाते हैं, संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना;

(3) औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू करना; और

(4) खतरे में पड़ी और संकटापन्न प्रजातियों का सर्वेक्षण और उनसे संबंधित आंकड़ों का संग्रहण तथा उनके संवर्धन के लिए अनुसंधान अध्ययन करना ।

(ङ) इस क्षेत्र में प्रसंस्करण संयत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट

5070. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण के स्तर के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्तमान स्थिति में, विशेषतया दूरस्थ शिक्षा में सुधार लाने तथा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी विद्यार्थियों को पठन-सामग्री उपलब्ध कराने हेतु श्रव्य-दृश्य मीडिया का उपयोग करने के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार नीपा के दो संकाय सदस्यों द्वारा उनकी वैयक्तिक क्षमता में तैयार किए गए एक लेख पर आधारित "फाइनांशल क्राइसिस डिट्स हायर एजुकेशन" शीर्षक से एक समाचार दिनांक 13 मार्च, 1993 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था । यह लेख विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कतिपय पहलुओं से संबंधित है और इसमें कर्मचारियों के विकास के लिए सुदूर शिक्षा पद्धति को अपनाने का मामला तैयार किया गया है ।

(ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सुदूर शिक्षा पद्धति के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सुदूर शिक्षा परिषद गठित की है । सुदूर शिक्षा परिषद को शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक शिक्षुओं को शिक्षण-अध्ययन सामग्री के प्रसार के लिए श्रव्य-दृश्य जन-संचार माध्यमों सहित सुदूर शिक्षा पद्धति के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद

5071. **श्री रामदेव राम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और उनकी स्वीकृति लागत क्या है तथा उनके शुरू होने तथा चालू रहने की अवधि में प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारी संख्या के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के लिए स्वीकृत की जाने वाली नयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) नई परियोजनाओं का अनुमोदन वित्त पोषक एजेंसियों द्वारा यथा निर्धारित व्यवहार्यता और धनराशियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

[हिन्दी]

जिला केन्द्रों को केन्द्रीय अनुदान

5072. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाने में लगे जिला केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंग्रेजी के लिए जिला केन्द्रों के वास्ते केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई—

वर्ष	(रुपए लाखों में)
1990-91	30.44
1991-92	35.00
1992-93	40.00

इस मंत्रालय में संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए जिला केन्द्रों की कोई योजना नहीं है ।

[अनुवाद]

परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग

5073. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं तथा साक्षात्कार अंग्रेजी तथा हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में होते हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे भर्ती बोर्ड मुम्बई (महाराष्ट्र) द्वारा त्रिभाषा फार्मूले को न अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) रेलवे भर्ती बोर्ड, मुम्बई (महाराष्ट्र) भर्ती के लिए परीक्षा तथा साक्षात्कार क्षेत्रीय भाषा में कब तक करने लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार, रेल भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में उम्मीदवारों को हिंदी अथवा अंग्रेजी का उपयोग करने का विकल्प दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रोजेक्ट फिल्मों के लिए केरल को अनुदान

5074. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक शिक्षा और संचार के माध्यम के रूप में प्रोजेक्ट फिल्मों के लिए केरल में विश्वविद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को केरल के किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आयोग को श्रव्य-दृश्य केन्द्र स्थापित करने के लिए कालीकट, कोचीन तथा केरल विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसके लिए एक समिति संभवतया इन विश्वविद्यालयों का दौरा करेगी।

रमन विज्ञान केन्द्र

5075. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नागपुर में रमन विज्ञान केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस केन्द्र को किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे जनता के लिए कब खोल दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में नागपुर स्थित रमन विज्ञान केन्द्र का उद्घाटन किया जा चुका है और मार्च, 1992 में उसको जनता के लिए खोल दिया गया है। इस पर कुल 250 लाख रु० की लागत आयी है।

महानगरों में वायु प्रदूषण संबंधी प्रारूप नोट

5076. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :
श्री यशवन्त राव पाटील :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में परिवहन क्षेत्र के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में कोई प्रारूप नोट तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। महानगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत परिवहन क्षेत्र में गैस का प्रयोग, पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक जोन घोषित करना, भीड़-भाड़ को कम करना इत्यादि शामिल होगा।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

5077. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं—

(i) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्रों, खेल छात्रावासों और अपनाए गए विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रतिभा का चयन करना। ये प्रतियोगिताएं ताल्लुका स्तर से आरम्भ की जाती है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लड़कों और लड़कियों को प्रतियोगिता के काफी अवसर मिलते हैं।

(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाई गई विशेष क्षेत्र खेल योजना का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों, जो किसी विशेष खेल विद्या के लिए आनुवांशिक कौशल प्रदर्शित करते हैं, से प्रतिभा का चयन करना है।

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(iv) पुरस्कार राशि के जरिए विद्यालयों में खेल-कूद के संवर्धन की योजना के अन्तर्गत भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ द्वारा आयोजित जिला अन्तर-विद्यालय टूर्नामेंट जीतने वाले माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 10,000 रु० का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(v) कुछ चुनिंदा खेल विद्याओं में ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

(vi) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय को ग्रामीण विद्यालयों को खेल मैदानों के निर्माण और गैर-उपभोज्य उपस्कर खरीदने हेतु अनुदान की योजना के अन्तर्गत अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध होती है।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी विभाग की सामान्य प्रोत्साहन योजनाओं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को विशेष नकद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अन्तर्गत प्रोत्साहन पाने के पात्र भी हैं।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

5078. श्री एम० कृष्ण स्वामी :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री रामसिंह कस्वां :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने के लिए राज्यवार कितनी सिफारिशें मिली हैं;

(ख) राज्यवार कितने आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ग) शेष सिफारिशों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(घ) किन-किन स्थानों पर चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्यवार लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकारों से 22-3-1993 तक प्राप्त सिफारिशों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	राज्य	नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त सिफारिशों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	88
2.	महाराष्ट्र	167
3.	आन्ध्र प्रदेश	28
4.	पंजाब	2
5.	उड़ीसा	1
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	तमिलनाडु	3

1	2	3
8.	गुजरात	2
9.	हरियाणा	6
10.	बिहार	4
11.	कर्नाटक	5
12.	अरुणाचल प्रदेश	1
		309

(ख) से (घ) चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए 8-11-1991 को लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश राज्य में मै० नर्मदा शुगर लि० को खलबुजुर्ग तहसील कसारवाड, जिला खरगोन में 2500 टी०सी०डी० की नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। अब लंबित आवेदन-पत्रों पर उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

इंजीनियरिंग कालेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सीटें

5079. **श्री के० एच मुनियप्पा :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के शैक्षिक संस्थाओं विशेषतः इन्जीनियरिंग कालेजों में उनके बच्चों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध प्रतिवेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 10(ण) के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंजीनियरी कालेजों में दाखिले सिर्फ योग्यता के द्वारा—या तो प्रवेश परीक्षा के जरिए अथवा अर्हक परीक्षा में अर्हक अंकों के आधार पर किए जाने चाहिए। संविधान में किये गये प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों के अलावा, अन्य किसी श्रेणी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद-परभनी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5080. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालना होते हुए औरंगाबाद से परभनी तक गेज परिवर्तन परियोजना को वर्ष 1993-94 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संबंध में 1993-94 के लिए तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) औरंगाबाद-जालना खंड (64 कि० मी०) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जालना-परभनी खंड (114.7 कि० मी०) का कार्य प्रगति पर है। जालना-परभनी खंड के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 66.16 करोड़ रुपए है। 1993-94 के लिए किए गए आबंटन की राशि 55 करोड़ रुपये है।

(ग) मार्च, 1994 तक।

[हिन्दी]

नारखेड़ स्टेशन पर गाड़ियों का रुकना

5081. **श्री तेजसिंह राव भोंसले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के नारखेड़ स्टेशन 6031/6032/2695/2696 और 7481/7482/8232 डाउन गाड़ियों को रोकने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 6031/6032 जम्मू तवी-मद्रास एक्सप्रेस, 2615/2616 जी० टी० एक्सप्रेस, 7481/7482 वाराणसी-तिरुपति एक्सप्रेस और 8238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस गाड़ियों को नरखेड़ में ठहराव देने के लिए प्राप्त हुई मांगों की जांच की गई है परन्तु वाणिज्यिक दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

दिल्ली में विश्वविद्यालयों को अनुदान

5082. **श्री नीतीश कुमार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों के लिए 1993-94 हेतु नियत की गई धनराशि के आवंटन में बढ़ोत्तरी करने के लिए बुद्धिजीवियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग

को ऐसे वर्गों से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुल पतियोंकी बैठक के दौरान, यह मत व्यक्त किया गया था कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 1993-94 के आबंटन को बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन विश्वविद्यालयों के आवश्यक शैक्षिक कार्यकलापों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योजनागत और योजनेत्तर को आवंटनों को 1993-94 में बढ़ाया गया है।

मध्य प्रदेश को उर्वरकों की आपूर्ति

5083. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चालू खरीफ और रबी के मौसम के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में उर्वरकों का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य को उर्वरकों की आपूर्ति में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मध्य प्रदेश के लिए रबी 1992-93 मौसम (अक्तूबर, 1992 से मार्च, 1993 तक) के लिए आवंटित किये गए और खरीफ 1993 मौसम के लिए (1 अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993 तक) प्रस्तावित उर्वरकों के आवंटन का विवरण इस प्रकार है :—

उत्पाद	आवंटन (000 मीटरी टन)	
	रबी 1992-93	खरीफ, 1993 (प्रस्तावित)
यूरिया	464.20	522.50
अमोनियम सल्फेट	11.00	8.75

पोटाश और फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर अगस्त, 1992 से नियन्त्रण हटा दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार और उर्वरक उद्योग के परामर्श से राज्य सरकारों को उर्वरकों का आबंटन किया जाता है। मध्य प्रदेश के मामले में यूरिया और अमोनियम सल्फेट की समस्त आकलिक आवश्यकता आवंटित कर दी गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मात्स्यिकी विकास

5084. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मात्स्यिकी विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य को कितनी सहायता दी गई और निधि का वास्तव में कितना उपयोग किया गया;

(ग) 1993-94 में इस राज्य में मात्स्यिकी विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित कर रही हैं जिनके अन्तर्गत राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं :—

1. ताजे जल में मछली पालन
2. एकीकृत खारा जल मत्स्य पालन विकास
3. पारम्परिक नौकाओं का यन्त्रीकरण
4. माध्यमिक नौकाओं की शुरूआत
5. प्लाईवुड की नौकाओं की शुरूआत
6. हाई स्पीड डीजल आयल पर उत्पादन कर की प्रतिपूर्ति
7. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी
8. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम लागू करने के लिए सहायता
9. कृत्रिम शैल भित्ती और समुद्री संवर्धन के द्वारा संसाधनों में अभिवृद्धि
10. मत्स्य विपणन को सुदृढ़ करने के लिए सहायता
11. सामूहिक दुर्घटना बीमा
12. आदर्श गांवों की स्थापना
13. मछुआरों के लिए बचत और राहत योजना

योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और राज्यों से मिले अनुरोध के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है :—

(रुपए लाख में)

मद	निर्मुक्त की गई धनराशि
1	2
1. ताजे जल में मछली पालन	22.00

1	2
2. एकीकृत खारा जल मत्स्यन पालन विकास	73.12
3. पत्तन और अवतरण केन्द्र	12.71
4. हाई स्पीड डीजल आयल पर उत्पादन कर की प्रतिपूर्ति	10.00
5. यन्त्रीकरण	25.00
6. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	1.20
7. आदर्श मछुआरा गांवों का विकास	50.00

(ग) 1992-93 के दौरान 8,016 हैक्टे० तालाब क्षेत्र को गहन मत्स्य संवर्धन के अंतर्गत लाया गया है और औसत उत्पादकता 1700 किग्रा०/हैक्टे० के स्तर तक बढ़ गया है। 500 पारम्परिक नौकाओं के यन्त्रीकरण को मंजूरी दे दी गई है। 16 आदर्श मछुआरा गांवों के विकास के लिए मंजूरी सूचित कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त आदर्श श्रिम्प फार्म का काम पूरा कर लिया गया है और श्रिम्प हैचरी निर्माणाधीन है।

दिल्ली दुग्ध योजना की सप्लाई में कथित अनियमितताएं

5085. **श्री जी० देवराय नायक :**
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा किसी जाली दुग्ध उत्पादक-संघ को एक करोड़ रुपये का कथित अनधिकृत भुगतान किये जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा किए गए धन के कथित दुरुपयोग की जांच करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) जी, नहीं। फिर भी, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्थानीय सहकारी समितियों और राज्य डेरी संघों को पूर्व प्रभावी तिथि से कुछ भुगतान किये गये थे। संबंधित दस्तावेजों की आडिट द्वारा जांच की गई थी। आडिट ने पूर्व प्रभावी तिथि से किये गये भुगतानों तथा इसके प्राधिकरण के बारे में कुछ मुद्दे उठाये हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।

पाम के पेड़

5086. **श्री के० वी० आर० चौधरी :**

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल पाम की फसल उगाने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पाम ऑयल के आयात को कम करने हेतु इसके पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 11 राज्यों में लगभग 7.96 लाख हैक्टेयर की कुल क्षेत्र को ऑयल पाम की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है, जिसमें से आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम की खेती के लिए कुल 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान भी गई है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान लगभग 80,000 हैक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम कार्यवाही शुरू करने के लिए अभिज्ञात किए गए राज्यों में कई योजना स्कीमों की शुरूआत की गई है। इनमें ऑयल पाम बगीचे, ऑयल पाम नर्सरियां, ऑयल पाम के पौधों का वितरण, ऑयल पाम रोपण के लिए ऑयल पाम उत्पादकों को सहायता, प्रमुख निदर्शन, निदर्शन परियोजनाएं और निदर्शन प्रसंस्करण एकक, बीज अंकुरण मशीनें और एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

दक्षिण एक्सप्रेस का रख-रखाव

5087. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एक्सप्रेस (नई दिल्ली से विशाखापत्तनम) में यात्री सुविधाओं और खान-पान सेवाओं का स्तर निर्धारित मानदंड से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस ट्रेन के समय से आने-जाने की निगरानी करने और इसकी गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) दक्षिण एक्सप्रेस में मौजूदा मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं में सुधार और उनका उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक खान-पान सेवाओं का संबंध है, यात्रियों की आवश्यकताएं मार्गवर्ती स्थैतिक यूनिटों द्वारा संतोषजनक ढंग से पूरी की जाती है।

(ग) से (ङ) इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि गाड़ियों के समयपालन पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाये और ऐसा किया जा रहा है। रेलपथ की स्थिति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल गाड़ी की गति बढ़ाना संभव नहीं है।

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति

5088. **श्री राजेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्दू को बढ़ावा देने के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष निधि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में कितने उर्दू शिक्षक हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के लिए, 1993-94 से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान, इस योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 80 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रबी और खरीफ की फसलों का उत्पादन

5089. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) चालू वित्तीय वर्ष में रबी और खरीफ की फसलों के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ मौजूदा कृषि वर्ष अर्थात् 1992-93 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान खाद्यान्नों और प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लक्ष्यों और उनकी संभावित उपलब्धि को दर्शाने वाले विवरण-I और II में संलग्न हैं।

विवरण-I

खाद्यान्न उत्पादन के अखिल भारत अनुमान

22-2-1993 की स्थिति के अनुसार
(मिलियन मीटरी टन में)

फसल		1989-90	1990-91	1991-92 अंतिम	1991-92 लक्ष्य	1992-93 संभावित
1		2	3	4	5	6
चावल	खरीफ	65.88	66.32	64.82	68.75	63.0
	रबी/ग्रीष्म	7.69	7.97	8.84	8.50	8.5
	कुल	73.57	74.29	73.66	77.25	71.5
गेहूं		49.85	55.14	55.09	57.00	56.0
ज्वार	खरीफ	9.23	8.33	5.91	9.00	8.8
	रबी	3.67	3.35	2.45	4.00	3.5
	कुल	12.90	11.68	8.36	13.00	12.3
बाजरा		6.65	6.89	4.64	6.50	7.2
मक्का		9.65	8.96	7.98	9.50	9.9
रागी		2.77	2.34	2.68	2.50	2.7
छोटे कदन्न		1.30	1.19	0.95	1.00	1.1
जौ		1.49	1.64	1.65	1.75	1.5
मोटे अनाज	खरीफ	29.60	27.71	22.16	28.50	29.7
	रबी	5.16	4.99	4.10	5.75	5.0
	कुल	34.76	32.70	26.26	34.25	34.7
कुल अनाज	खरीफ	95.48	94.03	86.88	97.25	92.7
	रबी	62.70	68.10	68.03	71.25	69.5
	कुल	158.18	162.13	155.01	168.50	162.2
तुर		2.75	2.41	2.19	3.00	3.0
अन्य खरीफ दलहन		2.76	3.00	2.25	3.00	3.0
चना		4.22	5.36	4.16	5.20	5.2

1		2	3	4	5	6
अन्य रबी दलहन		3.13	3.49	3.45	3.30	3.3
कुल दलहन	खरीफ	5.51	5.41	4.44	6.00	6.0
	रबी	7.35	8.85	7.61	8.50	8.5
	कुल	12.86	14.26	12.05	14.50	14.5
कुल खाद्यान्न	खरीफ	100.99	99.44	91.42	103.25	98.7
	रबी	70.05	76 95	75.64	79.75	78.0
	कुल	171.04	176.39	167.06	183.00	176.7

विवरण-II

वाणिज्यिक फसल उत्पादन के अखिल भारत अनुमान

22-2-1993 की स्थिति के अनुसार

(लाख मीटरी टन)

फसल		1989-90	1990-91	1991-92		1992-93
				अंतिम	लक्ष्य	संभावित
1		2	3	4	5	6
मूंगफली	खरीफ	61.0	51.2	48.5	58.0	56.0
	रबी	20.0	23.9	22.2	22.0	22 0
	कुल	81.1	75.1	70.7	80.0	78.0
अरण्ड		5.2	7.2	5.8	6.0	6.9
तिल		7.4	8 4	6.7	7.0	6.9
रामतिल		1.9	1.9	1.6	2.0	1.9
तोरिया और सरसों		41.2	52.3	58.4	56.0	58.0
अलसी		3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
कुसुम		4.9	3.2	2.0	4.0	4.0
सूरजमुखी	खरीफ	2.7	3.3	3.8	3.0	3.8
	रबी	3.6	5.4	8.3	5.0	8.0
	कुल	6.3	8.7	11.8	8.0	11.8

1		2	3	4	5	6
सोयाबीन		18.0	26.0	22.8	24.0	29.0
कुल नौ तिलहन	खरीफ	96.2	98.0	89.2	100.0	105.0
	रबी	73.0	88.1	95.6	90.0	95.0
	कुल	169.2	186.1	182.8	190.0	200.0
कपास*		114.2	98.4	98.4	120.0	117.2
पटसन**		70.7	79.2	88.5	77.8	65.2
मेस्ता*		12.2	13.1	13.3	14.2	11.0
पटसन और मेस्ता**		82.9	92.3	101.8	92.0	76.2
गन्ना (ईख)		2255.7	2410.5	2492.6	2430.0	2300.0
आलू						
प्याज						
नारियल*						
तम्बाकू						

*···प्रत्येक 170 किलोग्राम की लाख गांठें

**···प्रत्येक 180 किलोग्राम की लाख गांठें

× ···गिरी (नट्स) सौ मिलियन

[अनुवाद]

झींगा मछली परियोजनायें

5090. डा० परशुराम गंगवार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफेद झींगा मछलियों तथा पेनेंस मोनोडान का उत्पादन करने हुतु एक पूर्णतः समेकित झींगी मछली पालन परियोजना की स्थापना करने के लिए नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का संवर्द्धन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उद्योग विकास विभाग ने शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी योजना के तहत हिमित झींगा मछलियों (फ्रोजन प्रान्स) का उत्पादन करने के लिए मैसर्स नागार्जुन एक्वा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद को अनुमति पत्र जारी किया है। मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स और कैमीकल्स लिमिटेड इस परियोजना के सहसंवर्धकों में से एक है। 3065 लाख रुपए की कुल लागत से आंध्र प्रदेश के नैलोर जिले में इस परियोजना को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

चल खाद्य और पोषण विस्तार एकक

5091. श्री पीटर जी० मरबनियांग :

श्री प्रवीन डेका :

श्री अनादि चरण दास :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे सचल खाद्य और पोषण विस्तार एककों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और एककों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित सामुदायिक खाद्य और पोषाहार विस्तार यूनिट कार्य कर रहे हैं :

राज्य/संघ शासित प्रदेश	यूनिटों का स्थान
1	2
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना, रांची
गोआ	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद, वलसाड़
हरियाणा	हिसार, फरीदाबाद
हिमाचल प्रदेश	मण्डी, शिमला
जम्मू और कश्मीर	जम्मू
कर्नाटक	बंगलौर, मंगलौर
केरल	एरनाकुलम, तिरुअनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर, रायपुर
महाराष्ट्र	बम्बई, नागपुर, पुणे

1	2
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय	शिलांग
उड़ीसा	भुवनेश्वर
पंजाब	लुधियाना
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	मद्रास, मदुरै
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
दिल्ली	गुलाबीबाग, किदवई नगर, मायापुरी
दादर और नगर हवेली	सिलवासा
पांडिचेरी	पांडिचेरी
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों को अन्तर्ग्रस्त करके पोषाहार शिक्षा तथा विस्तार का और प्रसार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

"बाघों का शिकार"

5092. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिकारियों द्वारा पिछले वर्ष के दौरान मारे गए बाघों की संख्या, बाघ अभयारण्य-वार कितनी है;

(ख) उस अवधि के दौरान स्वाभाविक मौत मरने वाले बाघों की संख्या कितनी थी;

(ग) प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम पर 1992-93 के दौरान, बाघ अभयारण्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने चोरी छिपे शिकार करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) किसी भी राज्य सरकार ने बाघों की संख्या में कमी होने की सूचना नहीं है। तथापि उन्हें सलाह दी गई है कि वे चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ा दें और चौकसी कड़ी कर दें।

विवरण

1992-93 के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत बाघ रिजर्व-वार निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

	बाघ रिजर्वों का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	कार्बेट	29.245
2.	पलामू	55.696
3.	सिमलीपाल	45.693
4.	कान्हा	61.301
5.	मानस	38.836
6.	सरिस्का	45.700
7.	रणथम्भौर	46.779
8.	बांदीपुर	24.397
9.	सुन्दरवन	30.615
10.	मेलघाट	44.147
11.	पेरियार	48.862
12.	इन्द्रावती	20.871
13.	नामदफा	27.274
14.	दुधवा	28.485
15.	नागार्जुनसागर	20.076

1	2	3
16.	बुक्सा	37.525
17.	कालाकड-मंडनथुराई	29.630
18.	पेंच	6.920
		642.052

[अनुवाद]

मदुरै-मनियाछी रेल लाइन का परिवर्तन

5093. श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै-मनियाछी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसे पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य 30-3-93 को पूरा कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मदुरै-मणियाच्चि (127.25 कि० मी०) मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की अनुमानित लागत 72.78 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मत्स्य-पालन का विकास

5094. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में मत्स्य-उद्योग के विकास के लिए मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ इस अवधि के दौरान, राज्य-वार, केन्द्र द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई; और

(ग) अब तक हुई प्रगति का, योजना-वार, ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं :

1. ताजे जल में मत्स्य पालन
2. अन्तर्देशीय मात्स्यकी सांख्यिकी
3. मत्स्य विपणन को मजबूत बनाने के लिए सहायता
4. सामूहिक दुर्घटना बीमा
5. आदर्श गांवों की स्थापना
6. बचत और राहत योजनायें

इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और राज्यों से मिले अनुरोध के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है :

मद	निर्मुक्त की गई धनराशि (रुपए लाख में)
1. ताजे जल में मछली पालन	35.00
2. अन्तर्देशीय मात्स्यकी सांख्यिकी	1.96
3. सामूहिक दुर्घटना बीमा	2.00

(ग) इस वर्ष के दौरान 4157 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र को गहन मत्स्यन संवर्धन के तहत लाया गया है और औसत उत्पादकता 1055 कि० ग्रा०/हेक्टेयर तक बढ़ा दी थी। लगभग 37,000 मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत लाया गया है।

इंदौर-मऊ रेल लाइन का परिवर्तन

5095. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन प्रतिनिधियों ने बार-बार सरकार का ध्यान इंदौर-मऊ रेल लाइन के आमान परिवर्तन की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) सरकार द्वारा प्रीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र को (मऊ के साथ) बड़ी रेल लाइन से जोड़ने के बारे में कब तक निर्णय लेने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा

5096. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को जन आंदोलन बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल नीति के कार्यान्वयन के लिए कारवाई कार्यक्रम, जो अगस्त, 1992 में संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया था, में खेल और शारीरिक शिक्षा को जन आन्दोलन बनाने के बारे में सरकार की नीति का ब्योरा दिया गया है । हालांकि यह नीति कार्यान्वयन के लिए काफी समय लेगी क्योंकि अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों और अन्यों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता होगी । नीति का मुख्य बल निम्नलिखित क्षेत्रों में होगा :

(क) विद्यालयों और कालेजों में अनिवार्य कार्यकलाप के रूप में खेल-कूद आरम्भ करना;

(ख) खेलों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में मीडिया कवरेज में सुधार करना;

(ग) निजी और सार्वजनिक निकायों द्वारा खेलों में निवेश को प्रोत्साहित करना;

(घ) खेल सामग्री को सरल और सस्ती उपलब्धता को सुनिश्चित करना;

(ङ) अपेक्षित अवस्थापना का सृजन करना; और

(च) खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन शुरू करना ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए स्कूल खोलना

5097. श्री स्वामी सुरेशानन्द : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश विशेषत: आगरा मण्डल मे नए स्कूल और विश्वविद्यालय खोलने खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी नहीं, । भारत सरकार के पास राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है । भारत सरकार के पास उत्तर प्रदेश में, विशेषकर आगरा मण्डल में नए विश्वविद्यालयों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

"वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट"

5098. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित विश्व 1993 रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के नीति-निर्धारण संबंधी विभिन्न पर्यावरणीय एवं विकासात्मक मुद्दों से संबंधित हैं ।

(ग) सरकार ने वर्ल्ड वाच इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित "स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस टूवार्ड्स ए एस्टेनेबल सोसायटी" को देख लिया है ।

गुजरात को विश्व बैंक से सहायता

5099. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाने के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गुजरात के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : पिछले तीन वर्षों से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "सभी के लिए शिक्षा" का भारत में कोई कार्यक्रम नहीं है ।

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

5100. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाला मिट्टी का तेल बड़ी मात्रा में एजेंटों/खुदरा विक्रेताओं द्वारा काले बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या जांच/निगरानी करती है कि इस प्रकार की हेराफेरी न हो;

(घ) इस प्रकार की हेरा फेरी के लिए उकसाने और इसमें सहायता करने में कितने कर्मचारी लिप्त पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उनमें से प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1-1-92 से 28-2-93 की अवधि के दौरान एजेंटों/खुदरा विक्रेताओं द्वारा मिट्टी के तेल को अन्यत्र भेजने तथा बिना लाइसेंस के मिट्टी के तेल का स्टाक रखने से संबंधित 20 मामलों का पता चला है। इन सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।

(ग) अनधिकृत माध्यमों के जरिए मिट्टी के तेल को अन्यत्र भेजे जाने से रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा एजेंटों तथा खुदरा विक्रेताओं को प्राप्त होने वाली आपूर्तियों की नियमित रूप से जांच की जाती है। उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल के वितरण की निरन्तर परिवीक्षा की जाती है। जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। एक जमाखोरी विरोधी सेल भी कार्य कर रहा है। प्राप्त शिकायतें/सूचना के आधार पर जांच की जाती है।

(घ) व (ङ) गत छः महीनों के दौरान खाद्य और आपूर्ति विभाग की सतर्कता शाखा में सात शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक शिकायत प्रमाणित नहीं हो सकी। पांच से संबंधित जांच विभिन्न चरणों में है और एक मामले में आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

एशियाई खेलों के लिए विशेष कोष

5101. **श्री आर्ज फर्नान्डीज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संघ ने सरकार से 1994 के हिरोशिमा एशियाड के लिए टीमों को प्रशिक्षण देने और उन्हें तैयार करने के लिए एक विशेष एशियाई खेल कोष की स्थापना करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संघ ने सरकार से बिना सीमा शुल्क लगाये 10 करोड़ रुपये का खेल-कूद का साज-सामान आयात करने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन (आई० ओ० ए०) तथा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग (डी० वाई० ए० एस०) दोनों ने ही एशियाई खेल, 1994 के लिए एशियाई खेल दल की तैयारी के लिए लगभग 20.00 करोड़

रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है। उपस्करों के आयात के लिए किसी विशेष राशि का सुझाव नहीं दिया गया है, तथापि 20 00 करोड़ रुपये के परिकलन में आयातित उपस्करों की आवश्यकता का भी प्रावधान है।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

शिक्षु अधिनियम, 1961

5102. **श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 का विस्तार करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) ऐसे छात्रों के पक्ष में अधिनियम को लागू करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 को वर्ष 1986 में संशोधित किया गया था ताकि 10+2 व्यावसायिक छात्रों के प्रशिक्षण को इसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक कुल 60 विषय क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं।

केरल में मत्स्य-पालन का विकास

5103. **श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में मत्स्य-पालन के विकास के लिए मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना-वार कितनी सहायता-राशि दी गई; और

(ग) अब तक हुई प्रगति का योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एवं (ख) भारत सरकार मात्स्यिकी विकास हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनके तहत राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं :

(1) ताजा पानी एक्वाकल्चर

(2) एकीकृत खारा पानी मत्स्य फार्म विकास

(3) पारंपरिक नौकाओं का मोटरीकरण

(4) मध्यम नौकाओं की शुरूआत

(5) प्लाईवुड नौकाओं की शुरूआत

(6) हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

(7) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी

(8) समुद्री मत्स्ययन विनियमन अधिनियम के प्रवर्तन के लिए सहायता

(9) कृत्रिम रीफों तथा मेरीकल्चर के माध्यम से संसाधनों में अभिवृद्धि

(10) मत्स्य विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता

(11) सामूहिक दुर्घटना बीमा

(12) आदर्श ग्रामों की स्थापना

(13) मछुआरों के लिए बचत तथा राहत

केन्द्रीय सहायता राज्यों से अनुरोध किए जाने तथा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। चालू वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की गई है :

मद	जारी राशि (लाख रुपए)
(1) ताजा पानी एक्वाकल्चर	14.00
(2) बंदरगाह तथा अवतरण केन्द्र	239.24
(3) हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति	1.75
(4) मोटरीकरण	25.00
(5) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	0.88
(6) मछुआरा कल्याण सामूहिक दुर्घटना बीमा	8.74
बचत तथा राहत	288.40
(7) जाल बनाने वाले संयंत्र	900.00

(ग) 1992-93 के दौरान, 2,950 हैक्टेयर तालाब क्षेत्र को गहन मत्स्य पालन के तहत लाया गया है और 1280 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक औसत उत्पादकता बढ़ा दी गई है। 500 पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। लगभग 1,66,700 मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत लाया गया है तथा 1 लाख मछुआरों को बचत तथा राहत का लाभ दिलाया गया। 5 मत्स्य बंदरगाहों तथा 6 अवतरण केन्द्रों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

मांट्रियल प्रोटोकोल फंड संबंधी सम्मेलन

5104. डा० सी० सिलवेरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में मांट्रियल प्रोटीकोल फंड के संबंध में कोई पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) उन निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 28-29 जनवरी, 1993 को भारतीय उद्योग के लिए मांट्रियल प्रोटीकोल पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं तथा संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग को ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्पादन तथा इनके प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने की बढ़ती हुई लागत को वहन करने और ओजोन के अनुकूल पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग शुरू करने के संबंध में मांट्रियल प्रोटोकोल तथा इस प्रोटोकोल के बहुपक्षीय कोष के उपबंधों की जानकारी देना था। भारत के संबंध में प्रोटोकोल के उद्देश्यों का पालन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य नीति तैयार करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय ने एक कृत्यक बल गठित किया है। संबंधित उद्योगों के परामर्श से कन्ट्री कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस देश के प्रत्येक बड़े सेक्टर से संबंधित उन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण तैयार किया जायेगा जिन्हें ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग में बहुपक्षीय कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

[हिन्दी]

किसानों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

5105. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि प्रौद्योगिकीविदों ने मिट्टी के तेल से चलाया जाने वाला हल्के वजन का सुवाह्य पम्पसेट विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पम्पसेटों को रखने वाले किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किरोसन तेल द्वारा चलाए जाने वाले किसी हल्के वजन के सुवाह्य पम्पिंग सेट का विकास नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाएं

5106. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के कौन-कौन से जिले विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष फसलों, सम्पत्ति और पशुधन को हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य द्वारा कितनी आर्थिक सहायता मांगी गई और वास्तव में कितनी सहायता दी गई;

(घ) क्या किसी केन्द्रीय दल ने सूखा/बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने और राहत उपायों की सिफारिश करने हेतु राज्य का दौरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गायों की नई नस्ल तैयार करना

5107. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) ने मेरठ में सेना के फार्म के सहयोग से गायों की नई नस्ल तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नई प्रौद्योगिकी को निकट भविष्य में देश के कृषि वैज्ञानिकों को हस्तांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय नीम सम्मेलन

5108. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में 24-28 फरवरी, 1993 के दौरान आयोजित "अन्तर्राष्ट्रीय नीम सम्मेलन" में हुए विचार-विचार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) उक्त सम्मेलन में की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, विश्व नीम कांग्रेस में स्थिर (टिकाऊ) कृषि, विशेष रूप से कीट-नियंत्रण, जन और पशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में नीम तथा उसी तरह के पौधों की क्षमता पर वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया।

(ख) कीट-नियंत्रण के लिए नीम तथा पर्यावरण की दृष्टि से अन्य सुरक्षित विधियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के कार्य को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नीम के विभिन्न उपयोगों पर किए जाने वाले अनुसंधान को विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1968 के कीटनाशी पंजीकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित पंजीकरण समिति ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है ताकि किसानों के लिए कीट-नियंत्रण-हेतु नीम के उत्पादों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

गेहूं का आयात

5109. श्री मोहन रावले :
श्री एच० डी० देवगौड़ा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से आयातित गेहूं को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पत्तनों पर ही रोक लिया गया है और परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) 15 जलपोतों द्वारा की गई 4 20 लाख मीटरी टन अमरीकी गेहूं की निकासी में से, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई में 14-1-1993 को एम० वी० "विटेस्सा" द्वारा लाए गए 55,000 मीट्री टन के परेषण की निर्मुक्ति को बन्दरगाह स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अपने इस संदेह के कारण रोक लिया गया था कि

उसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन अनुमेय सीमा के अधिक विजातीय तत्व थे। तथापि, विस्तृत नमूने लेने और उनका केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे में विशेषण करने पर, परेषण को मानव उपभोग के लिए पूर्णतया उपयुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप पाया गया था। इसकी गुणवत्ता के बारे में पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के बाद, बन्दरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस परेषण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी करने हेतु निर्मुक्त कर दिया गया था।

[हिन्दी]

वन भूमि पर अतिक्रमण

5110. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से तराई क्षेत्र में दिसम्बर, 1992 तक कितनी हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और कितनी हैक्टेयर वन भूमि को नियमित किया गया है;

(ख) क्या अतिक्रमण किये गए वन क्षेत्र के नियमतीकरण के संबंध में उक्त तारीख तक कोई नीति संबंधी निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने भविष्य में वन भूमि पर और अतिक्रमण न होने देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को क्या निर्देश जारी किये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अवैध कब्जों वाले क्षेत्र के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा रखी जाती है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे को निममित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वन भूमि पर अवैध कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत एक अपराध है तथा सभी राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे वन भूमि पर अवैध कब्जे न होने दें।

खेल प्रतिभाओं के लिए योजना

5111. **श्री तेजसिंह राव भोंसले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का उत्पादन

5112. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान कपास के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ख) कपास की फसल को "बाल रोग" तथा अन्य प्रमुख रोगों, जिनसे हाल ही में तमिलनाडु में कपास की फसल प्रभावित हुई है, से बचाने के लिए प्रमुख पौधा संरक्षण योजना का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कृषि मन्त्रालय ने 1993-94 के लिए कपास उत्पादन का लक्ष्य 11.5 मिलियन गांठें प्रस्तावित किया है।

(ख) भारत सरकार तमिलनाडु सहित महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना गहन कपास विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत अन्य विकासात्मक गतिविधियों के साथ-साथ कीटों एवं रोगों से कपास की फसल को बचाने के लिए कृषकों को पौध संरक्षण रसायन एवं उपकरण प्रदान करने के वित्तीय सहायता का प्रावधान है। वर्ष 1992-93 के दौरान तमिलनाडु में रोगों का प्रकोप कम रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश की चीनी मिलों को चीनी विकास कोष से सहायता

5113. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
डा० राम कृष्ण कुसमरिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी विकास कोष से आंध्र प्रदेश की चीनी मिलों को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश की चीनी मिलों ने इस धन का पूरा उपयोग किया है; और

(घ) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें आने वाले वर्षों में उक्त कोष से विकसित करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन चीनी उपक्रमों के नाम दिए गए हैं जिन्हें चीनी विकास निधि से गन्ने का विकास करने तथा प्लांट और मशीनों का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं और जिन्हें 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान धनराशि दी गई है।

(घ) आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित चीनी उपक्रमों के बारे में चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं—

गन्ना विकास :

क्रम संख्या	मिल का नाम
(1)	मै० दि निजामाबाद को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, सारंगपुर, जिला निजामाबाद, आंध्र प्रदेश-503186
आधुनीकीकरण/पुनर्स्थापन :	
(2)	मै० श्री सर्वराय शुगर्स लि०, डा० चेल्लूर, जिला ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश-533261

विवरण

क्रम सं०	मिल का नाम	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)	मंजूरी की तारीख	वितरित की गई राशि (लाख रुपयों में)
गन्ना विकास				
1.	मै० नागार्जुन कोआप० शुगर्ज लि०, गुरजाला, जिला गंटूर	44.93	18-04-91	—
2.	मै० श्री वाणी शुगर्ज एण्ड इंडस्ट्रीज चित्तूर जिला	270.45	22-03-93	—
आधुनिकीकरण				
3.	मै० जयपुर शुगर कम्पनी लि०, चगाल्लू, जिला गंटूर	330.00	28-10-91	330.00
4.	मै० के० सी० पी० लि०, यूनिट लक्ष्मीनगर, जिला कृष्णा	860.00	10-10-91	860.00
5.	मै० निजाम शुगर कं० लि०, मेटपल्ली, जिला करीमनगर	500 00	11-4-91	500.00
6.	मै० निजाम शुगर कं० लि०, मधुनगर	500.00	11-4-91	500.00
7.	मै० निजाम शुगर फैक्ट्री लि० बोबिली, सीतानगर	690.76	14-9-92	345.38

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण

5114. **श्री जी० देवराय नायक :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहरों मे वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदूषण के वास्तविक स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को नियंन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) कानपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजन डाई आक्साइड के स्तर निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं। कानपुर के आवासीय क्षेत्रों में निलम्बित धूल-कणों के स्तर औद्योगिक उत्सर्जनों और प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियों के कारण निर्धारित मानकों से अधिक हैं।

अशोधित मलजल और औद्योगिक बहिस्रावों के उत्सर्जन द्वारा हुए जल प्रदूषण के कारण कानपुर और अन्य शहरों में सतही जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कम हो गई है।

सभी शहरों के आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों तथा शान्त क्षेत्रों में परिवेशी शोर स्तरों का औसत दिन के समय तथा रात के समय भी निर्धारित मानकों से अधिक है। आवासीय, वाणिज्यिक तथा शांत क्षेत्रों में वाहनों द्वारा होने वाला शोर, शोर का मुख्य स्रोत पाया गया।

(घ) उत्तर प्रदेश के शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता एवं परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया।

(3) उद्योगों के स्थान-निर्धारण तथा संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

(4) उद्योगों से कहा गया है कि बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए वे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें।

(5) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने, प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(6) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सांझे बहिस्राव शोधन संयन्त्रों की स्थापना के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की है ।

(7) प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योग श्रेणियों में उत्सर्जन नियन्त्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है ।

10+2 योजना को लागू करना

5115. श्री राजेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2 योजना सभी राज्यों द्वारा लागू कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए निर्धारित/अपनाये गए मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सभी राज्यों ने 10+2 शैक्षिक पद्धति को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है/स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों का मामला है, जो कि अपने क्षेत्राधिकार में स्कूल प्रणाली से संबद्ध शैक्षिक स्वरूप तथा अन्य शैक्षिक/प्रशासनिक मामलों के बारे में निर्णय लेती है । ऐसे मामलों में भारत सरकार की भूमिका केवल सिफारिश करने तक की होती है और यह उन्हें प्रेरित करके स्कूल शिक्षा ढांचे में एकरूपता लाने के प्रयास कर रही है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है ।

नोएडा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

5116. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री रोशन लाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले तथा खतरनाक पदार्थों से सम्बन्धित उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किये गए हैं और इनके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इन उद्योगों को इन क्षेत्रों से हटाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश, नोएडा में प्रदूषण की संभावना वाली 82 लघु इकाइयां हैं। इस क्षेत्र में अभी तक बड़ी दुर्घटना के खतरे वाले किसी अवस्थापना का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) इन 82 इकाइयों में से 18 ने बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए तथा 4 इकाइयों के लिए बहिस्राव शोधन सुविधाओं का निर्माण शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने शोधन सुविधाएं स्थापित न करने वाली इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। तीन इकाइयों नामतः मैसर्स संदीप पेपर मिल्स, मैसर्स ग्रेवाल पेपर मिल्स एवं मैसर्स सिंघल पेपर मिल्स के विरुद्ध कानूनी कारंवाई शुरू की गई है। इन यूनिटों को शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि ये अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में हैं और इनसे निर्धारित मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेघालय में भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारागार निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता

5117. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन गोदामों को भंडारण क्षमता अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इन गोदामों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक गोदाम बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास मेघालय में कुल 21300 मीटरी टन की क्षमता के कुल 6 गोदाम (दोनों अपने और किराये के) थे। फिलहाल यह क्षमता मंक्रो स्तरीय आधार पर पर्याप्त समझी जाती है। तथापि, क्षेत्रीय असंतुलनों, आदि को दूर करने की दृष्टि से 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निगम की शिलांग में 5000 मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने की योजना है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम मेघालय में कोई भाण्डागार नहीं चला रहा है।

शिक्षा के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

5118. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत में निम्न स्तर के लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1993-94 तथा आगामी दो वर्षों में केन्द्रीय आबंटन की धनराशि बढ़ाने और विश्व बैंक से सहायता पाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति और विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पश्चात् से शैक्षिक अवसरों में समानता को राष्ट्रीय कार्यसूची में उच्च स्थान दिया गया है। सम्भवतः विश्व बैंक की हाल की किसी रिपोर्ट में शैक्षिक अवसरों में समानता की ओर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

(ख) कई वर्षों से ही शिक्षा के लिए आबंटन बढ़ाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1993 94 के लिए शिक्षा के वास्ते केन्द्रीय योजना परिव्यय 1310 करोड़ रु० का है जो कि वर्ष 1992-93 के परिव्यय से 37.6 प्रतिशत अधिक है।

हाल ही में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का, विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है। जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम के लिए बाह्य संसाधनों से सहायता ली जा सकती है जिसका उल्लेख बजट भाषण में भी किया गया था।

[हिन्दी]

झांसी में प्रतीक्षा कक्ष

5119. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की अधिक भीड़भाड़ के दृष्टिगत वहां पर अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्षों और प्लेटफार्मों इत्यादि का निर्माण करने और टिकटों की बुकिंग हेतु कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) झांसी स्टेशन की पश्चिमी दिशा 3.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दो प्लेटफार्म लाइनों सहित 540 मीटर लम्बे एक नए द्वीप प्लेटफार्म के निर्माण का प्रस्ताव है, अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्षों के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि झांसी स्टेशन पर उपलब्ध प्रतीक्षा कक्ष यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। धन की तंगी के कारण 1993-94 के दौरान झांसी स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संरक्षण नीति और नीतिगत वक्तव्य

5120. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण और विकास पर कोई राष्ट्रीय संरक्षण नीति तैयार की है और नीतिगत वक्तव्य दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह नीतिगत वक्तव्य किस तिथि को दिया गया; और

(ग) इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों तथा जानकार व्यक्तियों से व्यापक परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रीय संरक्षण कार्य नीति तथा पर्यावरण एवं विकास संबंधी नीति-विवरण को अंतिम रूप देकर 2 जून, 1992 को उनकी घोषणा की गई थी। कार्य नीति तथा नीति विवरण में विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है और विकास के मुख्य क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुकूलता लाने के लिए अपेक्षित विशिष्ट कार्य बिन्दुओं को सूचित किया गया है।

(ग) की गई अनुवर्ती कार्रई में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

—इस प्रलेख को क्रमशः 21 और 22 जुलाई, 1992 को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखा गया था।

—इसे दिनांक 23 जुलाई, 1992 के का० आ० संख्या 145. जे-18038/1/90-आई० ए० 3 (सी० एस०) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग (1)-खण्ड (1) में एक संकल्प के रूप में प्रकाशित किया गया है।

—इसे उपयुक्त कार्रवाई विशेषकर कार्यनीति एवं नीति विवरण के अनुरूप नीतियों एवं कार्यक्रमों के पुनः अनुकूलन के लिए संबंधित केन्द्रीय विभागों/मंत्रालयों को परिचालित किया गया है। प्रत्येक संबंधित विभाग/मंत्रालय से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके पास भेज दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

मोरिशस और गुजरात में विज्ञान केन्द्र को तकनीकी सहायता

5121. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोरिशस में स्थापित किये जाने वाले विज्ञान केन्द्र के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मोरिशस में ऐसे कुल कितने विज्ञान केन्द्र हैं जिनके लिए सरकार द्वारा यह सहायता दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात में भी विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त सहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) मोरिशस सरकार के अनुरोध पर तीन सदस्यों के एक दल ने

मोरिशस का दौरा किया और मोरिशस में विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में मोरिशस सरकार को परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ख) से (घ) धरमपुर, गुजरात में एक विज्ञान केंद्र पहले से ही कार्यरत है । गुजरात में अन्य केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न

5122. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण किया गया;

(ख) तदनुरूप दैनिक लाभभोगियों की औसत संख्या कितनी है;

(ग) कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से दैनिक लाभभोगियों की औसत संख्या कितनी है; और

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से दैनिक लाभभोगियों की औसत संख्या कितनी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए 1991-92 में चावल की लगभग 98 लाख मी० टन मात्रा तथा गेहूं की 85 लाख मी० टन मात्रा उठाई गई थी ।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को हकदारी के पैमाने, मानदण्डों तथा वितरण की आवधिकता से संबंधित निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं । इसलिए प्रतिदिन लाभ-भोगियों की औसत संख्या की सूचना तथा (1) कुल आजादी और (2) गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के प्रतिशत के रूप में दैनिक लाभभोगियों की औसत संख्या संबंधी आंकड़े केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सुपर बाजार

5123. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सुपर बाजार की कितनी शाखाएं इस समय कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या वर्तमान शाखाएं सामान्य लोगों को वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सुपर बाजार की और शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सहकारिता राज्य का विषय है। सहकारी समितियां खोलना, पंजीकृत करना तथा उनकी सभी गतिविधियां, जिनमें सुपर बाजारों की स्थापना करना शामिल है, संबंधित राज्य सहकारी समितियां अधिनियम तथा उनके तहत बनाए गए नियमों से शासित होती हैं। इन समितियों पर संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा निगरानी रखी जाती है। मांगी गई सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है और उसे राज्य सरकार से मंगाया गया है।

[अनुवाद]

कृषि के विकास के लिए विशेष योजना

5124. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राज्यों विशेषकर उड़ीसा और बिहार में कृषि के विकास के लिए कुछ विशेष योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) उड़ीसा में कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित फसल उन्मुखी कार्यक्रम उड़ीसा में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और ऐसा समझा गया है कि वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होंगे।

महाराष्ट्र में मुमरी बांध हेतु वन विभाग की स्वीकृति

5125. **श्री राम नाईक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुद्देशीय मुमरी बांध की नहर के लिए कितनी वन भूमि की आवश्यकता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो यह परियोजना उनके मंत्रालय में कब से लम्बित है और विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) महाराष्ट्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का उत्पादन

5126. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितनी चीनी का उत्पाद हुआ;

(ख) 1993-94 के दौरान चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय कोटे के लिए लेवी की चीनी में राज्यों का कितना योगदान है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर)	चीनी उत्पादन (लाख टन)
1991-92	8.49 (अनंतिम)
1992-93 (28-2-1993 तक)	3.65 (अनंतिम)

(ख) सरकार ने देश में चीनी के उत्पादन स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) जनवरी, 1993 से 30 अप्रैल, 1993 तक की अवधि के दौरान चीनी फैक्ट्रियां, 1991-92 मौसम की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में किए गए उत्पादन पर 60 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे की तुलना में 80 प्रतिशत खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी ।

(2) जो चीनी फैक्ट्रियां देर तक पेराई अर्थात् 1 मई, 1993 से 31 जुलाई, 1993 तक की अवधि के दौरान चीनी उत्पादन करेंगी, वे 60 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे की तुलना में 72 प्रतिशत खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी ।

(3) 1992-93 के चालू मौसम के लिए गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत (एस० एम० पी०) बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 31 रुपये क्विटल कर दी गई हैं तथा रिकवरी में उक्त स्तर से अधिक होने वाली प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम की भी व्यवस्था की गई है । 1993-94 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत की 32.50 रुपये प्रति क्विटल की अग्रिम घोषणा कर दी गई है ।

(4) लेवी तथा खुली बिक्री चीनी के पिछले 45 : 55 के अनुपात को बदलकर 1992-93 मौसम के लिए 40 : 60 कर दिया गया है ।

(5) 1992-93 मौसम के लिए 31 रुपये प्रति क्विटल की बढ़ी हुई सांविधिक न्यूनतम न्यूनतम कीमत के अनुसार लेवी चीनी की क्षेत्रवार एक्स फैक्ट्री कीमत अधिसूचित कर दी गई है ।

(6) नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना में समुचित संशोधन कर दिया गया है।

(5) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत लेवी चीनी का वितरण, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाता है तथा इस प्रकार से राज्य सरकारों को फैक्ट्रियों से लेवी चीनी प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक मास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों के मासिक लेवी चीनी कोटे के अनुसार फैक्ट्रियों से लेवी चीनी आवंटित की जाती है।

रेलवे में पेट्रोल की चोरी

5127. **श्री मोहन रावले :** क्या रेल मंत्री रेलवे में पेट्रोल की कथित चोरी के बारे में 5 मई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9012 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल की चोरी का मामला सी० बी० आई० के पास कब भेजा गया था;

(ख) क्या सी० बी० आई० की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस बीच रेलवे ने भारतीय तेल निगम द्वारा दायर किये गये दावे का निपटारा कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 24-12-91 को।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी किये जाने पर निर्भर करता है।

(ङ) से (च) भारतीय तेल निगम ने दावों के 78 मामले दायर किये थे। दावों के इन मामलों की इस प्रकार है :

(i) दावों के 13 मामले रद्द कर दिए गए थे क्योंकि परेषण स्पष्ट रशीद के अंतर्गत सौंपे गये थे।

(ii) चालीस दावे अस्वीकार कर दिए गए थे क्योंकि रिसाव का कोई निशान नहीं था।

(iii) एक मामले में, लोको फोरमैन, डीजल, भोपाल को टकी माल डिब्बा बुक किया गया था।

(iv) आठ मामले निपटा दिये गये किंतु रेलवे देयताओं के संबंध में समायोजन करने के लिए भुगतान रोक दिया गया था।

(v) एक मामले में बुकिंग का ब्योरा अधूरा होने के कारण दावा दर्ज नहीं किया गया।

(vi) बारह मामलों में डुप्लीकेट प्रविष्टियां थीं।

(vii) तीन मामलों की जांच की जा रही है।

गढ़वाल क्षेत्र में पनधारा विकास कार्यक्रम

5128. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पनधारा विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च हो रही है;

(ग) क्या इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोई समालोचनात्मक समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। 1983-84 में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश हिमालयी पनधारा प्रबन्ध परियोजना शुरू की गई थी।

(ख) गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी और चमोली जिलों के नयार पनधारा क्षेत्र में और कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के पनार उप-पनधारा क्षेत्र में हिमालयी पनधारा प्रबन्ध परियोजना कार्यान्वित की गई थी। यह परियोजना 30 सितम्बर, 1992 को बन्द कर दी गई थी। हिमालयी पनधारा प्रबन्ध परियोजना के तहत व्यय का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	व्यय
1983-84	124.0
1984-85	110.0
1985-86	298.0
1986-87	777.0
1987-88	738.0
1988-89	1069.0
1989-90	1361.0
1990-91	1230.0
1991-92	1560.0
1992-93	784.0
कुल	8051.0

अथवा 80.51 करोड़ रुपए।

(ग) और (घ) जी नहीं। अभी तक परियोजना के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। विश्व बैंक के क्षेत्र पर्यवेक्षण मिशन द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की गई थी।

उपनगरीय क्षेत्र में "डीजल मल्टीपल यूनिट्स"

5129. **श्री शरत चंद्र पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपनगरीय क्षेत्रों में विद्युतीकृत लाइनों के उपयोग के लिए डीजल मल्टीपल यूनिट्स (डी० एम० यू०) चलाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जुलाई, 1990 से सियालदह-बारासात-हसनाबाद खंड पर (सियालदह और बारासात के बीच विद्युतीकृत) पुश-पुल टाइप डी० एम० यू० गाड़ियां चलाई गई हैं और जुलाई, 1993 से विरार-दहानु रोड खंड पर भी चलाए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल के डिपुओं पर छापे

5130. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गए;

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के वितरण में चोरबाजारी जैसे कदाचारों और अन्य अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उसी प्रकार के संगत कानूनों के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी के तेल सहित आवश्यक वस्तुओं में कदाचारों की रोकथाम के लिए गत वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्यवाही किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है :

	1990	1991	1992
मारे गए छापों की संख्या	4224	3903	4368
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	84	68	58
अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	225	204	112

केन्द्रीय सरकार द्वारा मिट्टी के तेल से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

तूफान एक्सप्रेस की दुर्घटना

5131. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 फरवरी, 1993 को तुगलकाबाद क्षेत्र में तूफान एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या निकले;

(ङ) इसमें कितने व्यक्ति मारे गए और कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(च) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के तुगलकाबाद-ओखला खंड पर 27-2-1993 को डाउन पी ओ एल मालगाड़ी बाड स्टेशन से भटिंडा को जा रही थी लेकिन खतरे का सिगनल होने के कारण यह गाड़ी रूटिंग सिगनल से पहले रोक दी गई। तुगलकाबाद-ओखला खंड के रास्ते 3007 डाउन उद्यान-आभा एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली को जा रही थी। 3007 डाउन उद्यान-आभा एक्सप्रेस गाड़ी के ड्राइवर द्वारा मध्यवर्ती स्टार्टर सिगनल का उल्लंघन किए जाने से यह गाड़ी खड़ी डाउन पी ओ एल माल गाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराई। इसके फलस्वरूप :

(1) 3007 डाउन उद्यान-आभा एक्सप्रेस का गाड़ी का इंजन और गाड़ी के इंजन के साथ का 1 एल आर सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।

(2) डाउन पी ओ एल माल गाड़ी के सबसे पीछे के 6 माल डिब्बे पटरी से उतर गए और उलट गए।

(ग) और (घ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई थी। जांच समिति का निष्कर्ष यह है कि 3007 डाउन उद्यान-आभा एक्सप्रेस गाड़ी के ड्राइवर द्वारा मध्यवर्ती स्टार्टर सिगनल का उल्लंघन किए जाने से यह गाड़ी खड़ी डाउन पी ओ एल माल गाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराई। इस दुर्घटना के लिए उद्यान-आभा एक्सप्रेस गाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया गया है।

(ङ) इस दुर्घटना के फलस्वरूप 2 रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो गई तथा 8 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(च) कर्मचारियों की गलती से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरण लगाना।

(2) नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों यथा ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि के कार्य-निष्पादन पर नजर रखना ।

(3) रनिंग, परिचालनिक और अनुरक्षण कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(4) रेलपथ, दूर संचार गियरों और सवारी डिब्बों, माल डिब्बों तथा रेल इंजनों के अनुरक्षण डिपुओं का गहन निरीक्षण करना ।

(5) कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना ।

(6) गतायु परिसम्पत्तियों विशेषकर रेलपथ, पुल और चल स्टाक के नवीकरण तथा पुनः स्थापन पर बराबर बल देना ।

तिनसुकिया में अस्पताल

5132. **श्री उद्धब बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया, असम में वर्तमान चिकित्सा एकक को 30 बिस्तर के अस्पताल में बदलने संबंधी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) ठेकेदार, जिसे शुरू में यह कार्य सौंपा गया था, इसका निष्पादन करने में असफल रहा ।

(ग) जनवरी, 1993 में यह कार्य अब पुनः शुरू किया गया है और अगस्त, 1993 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है ।

मानव विज्ञान विभाग में नियुक्तियां

5133. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में लेक्चरारों के पदों का गत तीन वर्षों से (2-9-89, 3-4-91 तथा 2-3-92) विज्ञापन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन विज्ञापनों के जवाब में प्रत्येक वर्ष कितने-कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया;

(ग) सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में प्रवक्ता के पदों के लिए तीन बार अर्थात वर्ष 1989, 1991 तथा 1992 में विज्ञापन दिया गया था । इन विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में वर्ष 1989 तथा 1991 में 113

उम्मीदवारों को एक साथ ले लिया गया था और वर्ष 1992 में 55 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, चूंकि यह मामला न्यायाधीन होने के कारण इन पदों पर भर्ती को रोक दिया गया है।

डेरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान

5134. डा० आर० मल्लू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा डेरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या विभिन्न प्रयोग किए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के नए प्रयोगों पर राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान और अन्य डेरी विकास अभिकरणों के बीच कोई समन्वय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसी प्रौद्योगिकी प्रचार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने पिछले दो वर्षों में निम्न के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं—पनीर बनाने की प्रक्रिया को तेज करना, चपटा पनीर तैयार करना और पनीर जल (मट्ठे) का उत्पादन करना, सामान्य प्रापरिपक्व (अविकसित) और लेक्टोज न्यूनता वाले शिशुओं के लिए शिशु-आहार फार्मूले तैयार करना, लम्बे समय तक रहने वाली काफी तैयार करना, सुगन्धित दुग्ध पेय तैयार करना, भैंस के दूध से केसीन हाइड्रोलाइसेट तैयार करना, लस्सी का चूर्ण तैयार करना, चाय का सम्पूर्ण चूर्ण तैयार करना, लम्बे समय तक टिकाऊ डिब्बे में बन्द पनीर तैयार करना, रसगुल्ला मिक्स पाउडर तैयार करना और तुरन्त बनाये जाने वाला कुल्फी मिक्स पाउडर तैयार करना।

(ख) हां।

(ग) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान नियमित रूप से डेरी उद्योग के व्यवसायियों, उद्यमियों और अन्य संगठनों के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। निष्कर्षों के परिणामों को विभिन्न वैज्ञानिक पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। निष्कर्षों को डेरी मेलों, प्रदर्शनियों और निजी संपर्कों के द्वारा प्रसारित किया जाता है।

(घ) प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को और अधिक बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा परामर्शदात्री सेवा को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में बाढ़/ओलावृष्टि

5135. श्री परसराम भारद्वाज :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़/ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितनी फसल, सम्पत्ति तथा पशुधन की अनुमानतः हानि हुई;

(ग) राज्य ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की और उसे वास्तव में कितनी सहायता दी गई;

(घ) क्या किसी केन्द्रीय दल ने स्थिति की समीक्षा करने और राहत उपायों की सिफारिश करने हेतु राज्य का दौरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल ही में हुई ओलावृष्टि से 28 जिले प्रभावित हुए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार इस विपदा से 193 पशुओं की हानि के अलावा लगभग 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 54.00 करोड़ रुपए अनुमानित मूल्य की फसल को क्षति पहुंची है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि देने का अनुरोध किया है। राहत व्यय के लिए वित्तीय मदद देने की वर्तमान योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत छापे

5136. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (विशेष उपबंध, 1981) के अन्तर्गत राज्यवार कितने छापे मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया; और

(ग) इन छापों में कितनी कीमत का माल जब्त किया गया ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1990 (1-1-1990 से 31-12-1990) के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल की कीमत (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	9948	1593	21	5	238.34
2.	असम	1956	7	42	—	0.28
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	—	—	—	—
4.	बिहार	506	334	303	—	107.38
5.	गुजरात	5461	45	71	11	186.15
6.	गोवा	43	2	1	—	0.88
7.	हरियाणा	127	122	19	—	3.97
8.	हिमाचल प्रदेश	2508	—	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	22	21	5	—	0.72
10.	कर्नाटक	3433	646	374	1	22.05
11.	केरल	582	—	—	—	0.09
12.	मध्य प्रदेश	4224	84	225	19	41.22
13.	महाराष्ट्र	502	815	327	118	180.79
14.	मणिपुर	15	16	—	—	—
15.	मेघालय	332	—	—	—	—
16.	मिजोरम	87	5	6	—	0.05
17.	नागालैंड		शून्य			
18.	उड़ीसा	7078	15	142	1	17.98
19.	पंजाब	13902	—	—	—	1.47

1	2	3	4	5	6	7
20.	राजस्थान	1798	46	155	208	10.53
21.	सिक्किम	3	7	—	—	—
22.	तमिलनाडु	5479	109	616	98	120.99
23.	त्रिपुरा	369	10	13	16	0.27
24.	उत्तर प्रदेश	67052	1130	1879	98	1087.51
25.	पश्चिम बंगाल	1598	829	416	7	65.18
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5694	22	161	—	—
27.	चंडीगढ़	11	—	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली			शून्य		
29.	दिल्ली	595	40	33	9	0.38
30.	दमन व दीव	51	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप			शून्य		
32	पांडिचेरी	610	86	58	12	0.97
	योग	134002	5984	4866	603	2087.2

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1991 (1-1-1991 से 31-12-1991) के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कारंवाई

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल की कीमत (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11221	1081	10	5	242.13
2.	असम	3147	4	21	3	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	18	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	276	95	138	—	169.11
5.	गुजरात	6977	34	118	3	351.10
6.	गोवा	45	5	5	—	2.08
7.	हरियाणा	754	94	36	—	0.56
8.	हिमाचल प्रदेश	28645	2	8	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	103	123	32	1	1.00
10.	कर्नाटक	4584	599	46	2	7.43
11.	केरल	14357	—	15	—	4.14
12.	मध्य प्रदेश	3903	68	204	7	53.47
13.	महाराष्ट्र	18296	877	500	53	125.30
14.	मणिपुर	73	4	—	—	—
15.	मेघालय	413	—	1	—	—
16.	मिजोरम	322	5	—	—	0.57
17.	नागालैंड			शून्य		
18.	उड़ीसा	2624	25	136	5	39.44
19.	पंजाब	27661	22	36	—	7.79
20.	राजस्थान	1117	10	166	40	27.31
21.	सिक्किम	11	11	—	—	—
22.	तमिलनाडु	12172	443	3197	136	199.21
23.	त्रिपुरा	218	22	10	—	0.07
24.	उत्तर प्रदेश	19579	762	1234	—	920.22
25.	पश्चिम बंगाल	2656	1218	638	—	405.92
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4100	1	56	—	—
27.	चंडीगढ़	78	3	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	4	7	—	—	15.29

1	2	3	4	5	6	7
29.	दिल्ली	2075	173	106	17	3·73
30.	दमन व दीव	39	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप			शून्य		
32.	पांडिचेरी	581	66	22	19	0.19
	योग	166049	5754	6735	291	2576.06

विवरण-III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1992 (1-1-1992) के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल की कीमत (लाख रु० में)	निम्न तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10726	1065	12	23	245.60	दिसम्बर
2.	असम	899	—	—	—	0.98	दिसम्बर
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	8	—	—	—	नवम्बर
4.	बिहार	456	95	152	2	73.71	अक्तूबर
5.	गुजरात	7226	27	123	—	349.82	दिसम्बर
6.	गोवा	166	12	12	—	1.52	दिसम्बर
7.	हरियाणा	605	70	15	—	2.92	दिसम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	18899	5	11	9	0.24	दिसम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	81	82	11	2	—	दिसम्बर
10.	कर्नाटक	2951	261	63	29	24.80	अक्तूबर
11.	केरल	14104	8	7	1	19·32	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	2462	30	103	50	54.56	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	9691	805	256	16	67.06	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	55	20	6	—	0.01	दिसम्बर
15.	मेघालय	63	—	—	—	—	दिसम्बर
16.	मिजोरम	333	—	—	—	0.01	दिसम्बर
17.	नागालैंड			शून्य			नवम्बर
18.	उड़ीसा	1527	59	170	5	11.37	दिसम्बर
19.	पंजाब	27289	8	9	6	1.76	दिसम्बर
20.	राजस्थान	1730	44	204	58	56.98	दिसम्बर
21.	सिक्किम	1	5	—	—	—	दिसम्बर
22.	तमिलनाडु	10842	357	3166	41	218.92	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	52	13	13	1	8.32	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	19269	657	993	—	308.42	दिसम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	2118	1133	573	10	379.80	अक्तूबर
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह			शून्य			नवम्बर
27.	चण्डीगढ़	137	2	—	—	—	दिसम्बर
28.	दादरा व नगर हवेली			शून्य			दिसम्बर
29.	दिल्ली	1929	111	49	70	3.10	दिसम्बर
30.	दमन व द्वीव	15	—	—	—	—	मई
31.	लक्षद्वीप			शून्य			दिसम्बर
32.	पांडिचेरी	49	73	17	17	0.66	दिसम्बर
	योग	133680	4950	5965	334	2029.86	

विवरण में 26-2-1993 तक प्राप्त सूचना दिखाई गई है।

दिल्ली में उपनगरीय रेल सेवा

5137. श्री सूर्यनारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के सहयोग से दिल्ली में उपनगरीय रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों द्वारा धन जमा किया जाना

5138. डा० लाल बहादुर रावल :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों, दिल्ली के पंजीयक ने सहकारी समितियों को अपना धन सहकारी बैंकों में जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो समितियों का ब्यौरा क्या है और गत छः महीनों के दौरान उनके द्वारा सहकारी बैंकों में कुल कितना धन जमा कराया गया;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इन बैंकों द्वारा जारी कुछ संघों के धनादेश को इन बैंकों ने स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो संघो के पंजीयक ने उन संघों के हितों की रक्षा के लिए जिन्होंने पंजीयक के निर्देशानुसार इन बैंकों में अपना पैसा जमा कराया, इन सहकारी बैंकों के प्रबन्ध के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीयक से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों पर राज सहायता

5139. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री 10 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान योजना का कुल परिव्यय क्या है;

(ख) इस रियायत के कारण डी० ए० पी० तथा एम० ओ० पी० विक्रय मूल्य में औसतन कितने प्रतिशत की कमी होगी;

(ग) क्या रियायती खरीद की मात्रा के लिए कोई सीमा निर्धारित की गई थी; और

(घ) क्या रियायत सभी किसानों को उपलब्ध थी या उनकी आर्थिक स्थिति अथवा जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार उपलब्ध थी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 340 करोड़ रुपए।

(ख) रियायत दिए जाने के कारण डी० ए० पी० और एम० ओ० पी० के बिक्री मूल्यों में कमी की प्रतिशतता इस प्रकार है :

डी० ए० पी०—13 से 15 प्रतिशत } लगभग
एस० ओ० पी०—16 से 22 प्रतिशत }

(ग) और (घ) इस योजना के तहत पिछले रबी मौसम की उसी अवधि के दौरान राज्य सरकारों को फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों की उनकी खपत के आधार पर निधियां आबंटित की गई थीं। यह रियायत आर्थिक स्थिति या जोतों के आकार को ध्यान में रखे बिना सभी किसानों को उपलब्ध थी।

[अनुवाद]

मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिकों के नाम दर्ज होना

5140. **श्री मोहन रावले :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक अवैध विदेशी अप्रवासियों ने मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज करा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न स्थानों विशेषतः दिल्ली के संदर्भ में जहां से इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जायेंगे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मतदाता सूची से बंगलादेशियों के नाम काटना

5141. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम भारी संख्या में काटे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारी संख्या में भारतीय नागरिकों के मताधिकार से वंचित रखने के ऐसे प्रयासों की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में किसी भी वैध भारतीय नागरिक को मताधिकार से वंचित न रखा जाए, क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नामों को हटाए जाने के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सिक्किम से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

5142. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम का भारतीय संघ में विलय होने के पश्चात् इस राज्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा के कितने अधिकारी नामनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान सिक्किम से कितने अधिकारियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा में सीधी अर्हता प्राप्त की; और

(ग) इनमें से कितने अधिकारी क्रमश: नेपाली, भोटिया और लेप्चा समुदायों से सम्बद्ध है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) संबंधित मंत्रालयों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

देहात के घरों में शौचालय

5143. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहात में लोगों को अपने घरों में शौचालय के निर्माण करने में सहायता देने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) देश में शौचालय निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1992-93 तथा 1993-94 के बजट में सरकार ने राज्यवार क्या प्रावधान किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें विवरण-1 में दी गई हैं ।

(ख) 1992-93 और 1993-94 के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु राज्यवार किया गया बजट प्रावधान विवरण-2 में दर्शाया गया है ।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की मुख्य बातें

(क) गरीबी की रेखा से ऊपर बसर कर रहे लोगों के लिए सरकारी निधि में से कोई सबसिडी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

(ख) लाभार्थियों का योगदान तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाने वाली शेष लागत निम्नलिखित अनुसार होगी :

मद	केन्द्र सरकार का अंश	राज्य सरकार का अंश	गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का योगदान	पंचायत/लाभार्थी का योगदान
गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए पारिवारिक शौचालयों का निर्माण	40%	40%	20%	—
शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना	40%	40%	20%	—
विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए ग्राम काम्पलैक्स	35%	35%	—	30%
नालियां तथा अन्य स्वच्छता सुविधायें जो जवाहर रोजगार योजना की निधियों से नहीं जुटाई जा सकती हैं	25%	25%	—	50%

केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से मैचिंग विधान/खर्च की शर्त के आधार पर मुहैया कराई जाती है।

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों का अंशदान इकाई लागत का 20 प्रतिशत होगा जो नगद अथवा श्रम के रूप में होगा।

(घ) लाभार्थियों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कम से कम 50 प्रतिशत निधियां गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, जहां पर सामान्य जनसंख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 20 प्रतिशत से अधिक परिवार हैं, के लिए स्वच्छ शौचालय मुहैया करवाने पर खर्च की जाएगी। अन्य मामलों में जहां पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सामान्य जनसख्या के 20 प्रतिशत से कम है, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के प्रतिशत के बराबर ही निधियां इस्तेमाल की जानी चाहिएं।

(ङ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल वार्षिक आबंटन/रिलीजों में से राज्य क्षेत्र निम्नलिखित तरीके के अनुसार निधियां खर्च कर सकता है :

(1) अलग-अलग घरेलू शौचालयों के निर्माण तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता देते हुए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले

परिवारों के शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के लिए 72 प्रतिशत तक।

(2) महिलाओं के लिए ग्राम काम्लेक्स हेतु 10 प्रतिशत तक।

(3) नालियों तथा अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए 5 प्रतिशत तक।

(4) स्वास्थ्य, शिक्षा जनजागरूकता तथा मांग-सृजन और राजगीरों के प्रशिक्षण के लिए 10 प्रतिशत तक राशि यदि यह ट्राईसेम के अन्तर्गत वहन नहीं की जा सकती है।

(5) प्रशासनिक लागत को वार्षिक प्रावधान के 3 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए आबंटन

(लाख रुपए में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	105.030	157.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.835	4.25
3.	आसम	38.250	57.47
4.	बिहार	186.630	279.79
5.	गोवा	1.290	1.94
6.	गुजरात	47.370	71.01
7.	हरियाणा	16.935	25.52
8.	हिमाचल प्रदेश	17.460	26.28
9.	जम्मू और कश्मीर	23.115	34.65
10.	कर्नाटक	85.155	127.78
11.	केरल	64.755	92.20
12.	मध्य प्रदेश	122.850	184.16
13.	महाराष्ट्र	134.490	201.80
14.	मणिपुर	4.965	7.47
15.	मेघालय	5.355	8.03
16.	मिजोरम	1.485	2.16

1	2	3	4
17.	नागालैंड	3.720	6.58
18.	उड़ीसा	73.620	110.54
19.	पंजाब	17.235	25.96
20.	राजस्थान	63.225	94.86
21.	सिक्किम	1.395	2.09
22.	तमिलनाडु	111.120	166.82
23.	त्रिपुरा	7.515	11.30
24.	उत्तर प्रदेश	261.090	39'.43
25.	पश्चिम बंगाल	100.965	151.29
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.255.	0.40
27.	दमन व दीव	0.090	0.11
28.	लक्षद्वीप	0.015	0.02
29.	पांडिचेरी	0.420	0.61
30.	दिल्ली	1.080	1.62
31.	चंडीगढ़	0.075	0.11
32.	दादर व नगर हवेली	0.180	0.27
	योग	1500.00	2250 00

1. जहां अंशदान 5 लाख रुपए से कम होगा, वहां 5 लाख रुपए की न्यूनतम राशि मुहैया कराई जाएगी ताकि इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से कुछ प्रगति दिखाई दे सके।

2. इसके अतिरिक्त कार्यक्रम को स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत कार्यान्वयन के लिए लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को सहायता देने के लिए 1992-93 में 6 करोड़ रुपए और 1993-94 में 7.50 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार की पेयजल समस्या हेतु योजनाएं

5144. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य को जलापूर्ति के लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह योजना कब शुरू की जायेगी;

(ग) इन योजनाओं पर कितना धन खर्च होगा; और

(घ) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के गंदी बस्ती क्षेत्रों में जल निकासी की सुविधाएं

5145. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शहरी गंदी बस्ती क्षेत्रों में वर्षा के पानी की निकासी की सुविधा के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई तथा दी गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्य में यह सुविधा कहां-कहां पर उपलब्ध कराई गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई आई यू एस) नामक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सैक्टर में स्लम सुधार हेतु एक योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत शहरी स्लमों में कम लागत की जलापूर्ति, मलजल निकास, सामुदायिक स्नानघर और शौचालय, लेनों को चौड़ा करना व खडंजे बिछाना और पथ प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। ई आई यू एस स्कीम के अन्तर्गत स्लमं सुधार परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य योजना प्रावधानों में से प्रारम्भ की जानी अपेक्षित है। इस स्कीम के अंतर्गत समय-समय पर चुने गए शहरों और क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरों के लिए भारतीय भाषाएं

5146. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक इस प्रकार के कम्प्यूटर विकसित किए गए हैं जिनकी स्क्रिप्ट में भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बहुभाषी 'की बोर्ड' भी विकसित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और

(ख) जी, हां। कम्प्यूटरों पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग संबंधित लिपियों में करने के लिए इस समय हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों ही समाधान उपलब्ध हैं। एड-ऑन-कार्ड के रूप में "ग्राफिक्स पर आधारित बुद्धिपरक लिपि प्रौद्योगिकी (जिस्ट)" के माध्यम से हार्डवेयर समाधान उपलब्ध हैं। विभिन्न विनिर्माताओं के कई साफ्टवेयर समाधान भी उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के साथ मिलकर भारतीय लिपियों के लिए मानक कुंजी पटल के ढांचे तथा कोड तैयार किए हैं। संबंधित भाषाओं के स्टीकर लगाकर इस कुंजी पटल का इस्तेमाल आंकड़ा प्रविष्टि की सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां

5148. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कौन-सी नई औषधियां बनाने हेतु कम्पनीवार स्वीकृति की गई;

(ख) इन औषधियों में से प्रत्येक औषधि के लिए स्वीकृत कीमतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय कितने औद्योगिक लाइसेंस लम्बित हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) नई औषध नीति के ब्यौरे जिसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, स्वीकृतियां दी गई हैं, संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) ये गैर-अनुसूचीबद्ध औषधें हैं।

(ग) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार विवरण में दी गई नई औषधों के निर्माण के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक लाइसेंस इस विभाग के पास लंबित नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	वर्ष	औषध का नाम	कम्पनी का नाम
1	2	3	4
1.	1990	लोफेप्रामिन	मे० इ० मर्क, बम्बई।
2.	1990	हेलोपीरिडल डेकोनोएट	मे० एथनोर, बम्बई।
3.	1990	आफलोक्सासिन	मे० हैक्स्ट, बम्बई।
4.	1990	डीनोप्र सिटोन (पीजीई 2)	मे० एस्ट्रा-आईडीएल, बंगलौर।
5.	1990	डायजीनन (वेट)	मे० सीबा-गायगी, बम्बई।
6.	1990	एमीएडरोन एचसीएल	मे० रेकीट एंड कोलमान।
7.	1990	सीफ्यूरोक्सीम एक्सेटिल	मे० ग्लैक्सो, बम्बई।

1	2	3	4
8.	1990	प्राजोसिन	मे० फाइजर, बम्बई ।
9.	1990	एल-कारनीटिन	मे० निकोलास, बम्बई ।
10.	1990	आइसोफ्लूरेन	मे० एबट, बम्बई ।
11.	1990	ओपरोमाइड (यूनाइनेविस्ट)	मे० जर्मन रेमिडीज, बम्बई ।
12.	1990	लोक्सापिन	मे० सिनामिड, बम्बई ।
13.	1990	मोमेटासोन फ्यूरोएट	मे० फुलफोर्ड, बम्बई ।
14.	1990	आर्थोक्लोन स्टेरिल (ओकेटी 3)	मे० एथनोर, बम्बई ।
15.	1990	फ्लूनारीजिन एचसीएल	मे० एथनोर, बम्बई ।
16.	1991	बूटालेक्स	मे० आई० सी० आई०, मद्रास ।
17.	1991	पेफलोक्सासिन मिसाइलेट	मे० रोहन पोलंक, बम्बई ।
18.	1991	फेलोडिपाइन	मे० एस्ट्रा-आईडीएल, बंगलौर ।
19.	1991	पेरिनडोप्रिल	मे० सर्डिया, बम्बई ।
20.	1991	मूपीरोसिन	मे० जर्मन रेमिडीज, बम्बई ।
21.	1991	नीलूटामाइड	मे० रूसल, बम्बई ।
22.	1991	रोक्साटिडिन एसीटेट एचसीएल	मे० हैक्स्ट, बम्बई ।
23.	1992	क्लोमीप्रामाइन	मे० सीबा-गायगी, बम्बई ।
24.	1992	बीसोप्रोलोल फयूमेरेट	मे० ई० मर्क, बम्बई ।
25.	1992	एमनाक्रीन इंजेक्शन	मे० पार्क-डेविस, बम्बई ।
26.	1992	रोक्सी थ्रोमाइसिन	मे० रूसल, बम्बई ।
27.	1992	गेडोपेन्टेटिक एसिड	मे० जर्मन रेमिडीज, बम्बई ।
28.	1992	ओरल पोलियो वेक्सीन	मे० पेस्चर मेरी अक्स, दिल्ली ।
29.	1992	सीफासिट्रिल सोडियम	मे० सीबा-गायगी, बम्बई ।
30.	1992	डेक्सफेनफ्लूरामाइन एचसीएल	मे० सर्डिया, बम्बई ।
31.	1992	नालाक्सोन	मे० बूट्स, बम्बई ।
32.	1992	सीसाप्राइड	मे० एथनोर, बम्बई ।

हीलियम गैस का आयात

5149. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान राकेट प्रौद्योगिकी और नाभिकीय रियेक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल कितने मूल्य की हीलियम गैस आयात की गई;

(ख) क्या सरकार ने हीलियम गैस के आयात के भार को कम करने के लिए देश में किसी भी स्थान पर इसके क्षेत्रों की खोज करने की संभावना का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के शहरों में नागरिक सुविधाएं

5150. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार तथा आवास और शहरी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए कौन-कौन-सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि रखी गई और कितना व्यय किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) छोटे और मध्यम दर्जे के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना, जो 1979-80 से चल रही है, के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 44 शहरों में योजनाएं मंजूर की गई हैं तथा 31-3-93 तक 1364.82 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। 31-3-92 तक आई० डी० एस० एम० टी० योजना के अन्तर्गत शामिल किये गए शहरों में केन्द्रीय सहायता के पात्र घटक निम्नलिखित हैं—

(i) रिहायशी क्षेत्र विकास

(ii) बाजार और मंडियां

(iii) यातायात और परिवहन

(iv) औद्योगिक क्षेत्र विकास

(v) नगर पालिका बूचड़खाना

(vi) कम लागत की सफाई

आई० डी० एस० एम० टी० योजना के संशोधित दिशा निर्देशों में, जो 1992-93 के पश्चात् शामिल किये गये शहरों पर लागू होते हैं, बजटीय सहायता के अतिरिक्त हुडको/अन्य वित्तीय संस्थानों से सहायता का प्रावधान किया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों में क्रमशः केन्द्रीय सहायता के माध्यम से तथा हुडको/अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सहायता के मध्यम से वित्त पोषित किये जाने वाले पृथक-पृथक घटकों का भी प्रावधान किया गया है। 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश के उन शहरों अर्थात सागर, टिक्कमगढ़, मंदसौर को आई० डी० एस० एम० टी० योजना के अन्तर्गत शामिल किया है तथा मार्च, 1993 में 60.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। उपर्युक्त 3 शहरों के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु अनुमोदित घटकों में बाजारों और मंडियों, यातायात

और परिवहन के अन्तर्गत आने वाली योजनाएं शामिल हैं। उपर्युक्त तीन शहरों में, हुडको के मध्यम से वित्त हेतु प्रस्तावित घटकों का मूल्यांकन और स्वीकृति हुडको द्वारा की जायेगी।

यमुना-पार क्षेत्र में वाणिज्यिक कम्प्लेक्स

5151. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में अब तक पूरे कर लिये गये तथा अभी तक अधूरे पड़े वाणिज्यिक कम्प्लेक्सों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उन वाणिज्यिक कम्प्लेक्सों की संख्या कितनी है जो पूरे होने के बाद भी आबंटन हेतु लंबित हैं और उनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कम्प्लेक्सों का शीघ्र आबंटन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रामकृष्ण पुरम में अनधिकृत झुग्गियां

5152. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम के सैक्टर-VII में स्प्रिंगडेल स्कूल के पास, धोला कुआं, दक्षिणी मोती बाग तथा नयी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में अनधिकृत झुग्गियों का निर्माण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो नयी दिल्ली क्षेत्र में ऐसी कितनी झुग्गियों का निर्माण हुआ है;

(ग) क्या उनमें रहने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड भी जारी किये गये हैं;

(घ) इन झुग्गीवासियों के लिए बिजली, पानी तथा सार्वजनिक शौचालय भी सुलभ कराये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने अब तक कितना व्यय किया है; और

(च) सरकार ने इन झुग्गियों को इन क्षेत्रों से हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण

5153. **श्री रामदेव राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार प्रयोजनों के लिए छोड़े गये इन्सेट-1-ग उपग्रह कितनी अवधि तक कार्य करता रहेगा;

(ख) संचार तंत्र की अनवरतता बनाए रखने के लिये अन्य उपग्रह कब तक प्रक्षेपित किये जाएंगे और उन उपग्रहों के नाम क्या हैं;

(ग) अब तक प्रक्षेपित ऐसे प्रत्येक उपग्रह पर कितनी लागत आयी थी;

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान अन्य उपग्रहों के प्रक्षेपण पर कितनी लागत आएगी; और

(ङ) आठवीं योजना के दौरान किन-किन देशों से इन उपग्रहों में से प्रत्येक उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) इन्सैट-1 सी, जिसका निर्माण संयुक्त राज्य अमरीका की फोर्ड एयरोस्पेस कार्पोरेशन द्वारा किया गया था, को जुलाई, 1988 में छोड़ा गया था। इसके प्रमोचन के तुरन्त बाद हुई एक प्रमुख पॉवर विसंगति के कारण उपग्रह को इसकी लगभग 50 प्रतिशत क्षमता से सोलह महीनों के लिए परिचालित किया गया। सोलह महीनों के प्रचालन के बाद उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया, क्योंकि इसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था।

(ख) इन्सैट-1 सी की क्षति के समय पर सेवाओं को इन्सैट-1 बी उपग्रह द्वारा जारी रखा गया। इन्सैट-1 डी को जून, 1990 में तथा पूरी तरह स्वदेशी रूप में निर्मित इन्सैट-2 ए को जुलाई, 1992 में छोड़ा गया था। इन दोनों उपग्रहों ने न केवल सेवाओं की निरन्तरता को बनाये रखा, अपितु कुल सेवा क्षमता में भी व्यापक वृद्धि हुई, क्योंकि विशेष रूप में स्वदेशी रूप में निर्मित उपग्रहों की इन्सैट-2 शृंखला के प्रत्येक उपग्रह में इन्सैट-1 उपग्रहों की तुलना में काफी अधिक क्षमता है।

(ग) इन्सैट शृंखला के प्रमोचित उपग्रहों में प्रत्येक की लागत का ब्योरा निम्न प्रकार है—

इन्सैट-1 ए और 1 बी	65.9 मिलियन अमरीकी डालर
इन्सैट-1 सी	61.9 मिलियन अमरीकी डालर
इन्सैट-1 डी	62.1 मिलियन अमरीकी डालर
इन्सैट-2 ए	78 00 करोड़ रुपये (अनुमानित)

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान प्रमोचित किये जाने वाले इन्सैट शृंखला के उपग्रहों में से प्रत्येक की लागत का ब्योरा निम्न प्रकार है—

इन्सैट-2 बी	78 00 करोड़ रुपये (अनुमानित)
इन्सैट-2 सी और 2 डी (दोनों की)	190.00 करोड़ रुपये (अनुमानित)

(ङ) इन्सैट-2 बी को कौरू, फ्रेंच गियाना से जून, 1993 में छोड़ा जायेगा। इन्सैट-2 सी और 2 डी के लिए प्रमोचन सेवाओं के लिये अभी निर्णय लिया जाना है।

[अनुवाद]

भवन निर्माण में रबड़ की लकड़ी का प्रयोग

1554. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के राज्य सरकारों से सरकारी भवनों के निर्माण में रबड़ की लकड़ी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सरकारी भवन निर्माण में परम्परागत लकड़ी के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से रबड़ की लकड़ी के प्रयोग की उपयुक्तता का अध्ययन करना होगा।

सरकारी आवास का आवंटन

5155. **श्री जीवन शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री 11 दिसंबर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 3312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सम्बद्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिनांक 08-09-1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "सरकारी मकानों के आबंटन में कदाचार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार प्रमुख रूप से आबंटन में विलम्ब तथा सरकारी मकानों के अवैध कब्जे, 62 महीनों तक क्वार्टर खाली रहने और बिना बारी के आबंटनों से सम्बन्धित था।

इन मुद्दों के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :

(i) समाचार में उल्लेख किया गया था कि 1617 मकान भिन्न अवधियों से खाली पड़े थे। वास्तव में ये 617 मकान थे—टाइप-I में 19, टाइप-II में 323 तथा टाइप-III में 275, इनमें से अधिकांश क्वार्टर एम० बी० रोड, लोदी रोड कॉम्प्लैक्स, डी० आई० जैड० एरिया में थे और उनका कुर्सी क्षेत्र छोटा था। चूंकि ये क्वार्टर शहरी क्षेत्र में स्थित थे और आकार में छोटे थे, इसलिए सरकारी कर्मचारियों ने इन क्वार्टरों को तुरन्त स्वीकार नहीं किया तथा अन्ततोगत्वा स्वीकार किये जाने से पूर्व अन्य कर्मचारियों को अनेक बार इनकी पेशकश करनी पड़ी। केवल दो मामले ऐसे हैं जिनमें 62 महीने के विलम्ब का उल्लेख किया गया है। वास्तव में इन्हें अगस्त, 1983 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक घोषित किया गया था तथा इन्हें अक्तूबर, 1988 में ही कब्जे के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था। इस प्रकार इन दो मामलों में भी कोई विलम्ब नहीं हुआ था।

(ii) समाचार पत्र में उल्लेख किया गया था कि 1987 से 1989 के दौरान 4292 क्वार्टरों पर अवैध कब्जा था। इस अवधि के दौरान 2553 क्वार्टर खाली करवाये गये तथा 31-03-1989 की स्थिति के अनुसार 1739 क्वार्टरों पर अवैध कब्जा था। तब से इन क्वार्टरों को भी खाली करवा लिया गया है, जिसके फलस्वरूप अनधिकृत कब्जे के मामलों की संख्या 235 रह गई है। इनमें से अनेक क्वार्टर पूर्व

आबंटियों द्वारा जिला न्यायालयों में दायर किये गये मुकद्दमों के कारण खाली नहीं करवाये जा सके ।

(iii) बिना बारी के आबंटनों की संख्या कम करने के लिए, बिना बारी और बारी के आबंटनों में 1 : 4 का अनुपात रखने के प्रयास किये गये हैं ।

सेवा मामलों सम्बन्धी मुकदमे

5156. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या प्रधान मंत्री 29 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या सेवा मामलों संबंधी मुकदमों जिन पर फिजूल गैर-योजनागत खर्च होता है, की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनकी संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां । सरकारी मुकदमों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अपीलें केवल उन मामलों में फाइल की जाएं जिनमें विधि के विषय या साधारण महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का प्रामाणिक निर्णय अपेक्षित हो ।

औषधियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन

5157. **श्री राम नाईक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औषधियों के आविष्कार शोध व गुणवत्ता प्रौद्योगिकी में सुधार करने और इनका निर्माण करने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन प्रोत्साहनों में और अधिक वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) औषधों के आविष्कार, अनुसंधान और गुणवत्ता संबंधी प्रौद्योगिकी के उन्नयन और निर्माण के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :

(1) कीमत नियंत्रण के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों की उत्पादन लागत निर्धारित करते समय अनुसंधान एवं विकास पर किए गए कार्य को ध्यान में रखा जाता है ।

(2) अनुसंधान एवं विकास प्रयासों द्वारा प्राप्त किसी प्रपुंज औषध की कीमत में कमी का 50 प्रतिशत अपने पास रखने की कंपनी को अनुमति दी जाती है ।

(3) अगर कोई कंपनी मूलावस्था से अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों द्वारा या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के जरिए किसी प्रपुंज औषध के लिए कोई प्रक्रिया विकसित करती है और अगर ऐसी प्रक्रिया विद्यमान प्रक्रियाओं से पर्याप्त रूप से भिन्न है और इसके परिणामस्वरूप लागत प्रभावी उत्पादन होता है तो वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उसको कीमत नियंत्रण से छूट उपलब्ध होती है ।

(4) नए औषधों से संबंधित स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे एककों के लिए उच्चतर लाभदेयता की अधिकतम सीमा।

(5) जैसा उद्योग के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के मामले में होता है, भेषण क्षेत्र को भी प्रोत्साहन और समर्थक उपाय जैसे आयकर में राहत, संवर्धित मूल्यह्रास भत्ता, आयात सुविधा, आदि प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) विद्यमान प्रोत्साहनों के अतिरिक्त औषध नीति की पुनरीक्षा के भाग के रूप में अनेक अन्य सुझावों की जांच की जा रही, जैसा 12-8-1992 को सदन के पटल पर रखे गए पृष्ठभूमि नोट में कहा गया है।

[हिन्दी]

महानगरों का सुधार

5158. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने महानगरों की दशा सुधारने हेतु राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान महानगरों में आधारिक संरचना के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की गई :

(करोड़ रुपये में)

	1991-92	1992-93
मुम्बई (महाराष्ट्र)	—	20.00*
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	21.00	20.00
मद्रास (तमिलनाडु)	—	15.00
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	—	15.00

*फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता के समय आबंटन में 50 करोड़ रुपए की और राशि बिना निश्चित किए ही मुम्बई की समस्याओं के लिए महाराष्ट्र को दी गई थी।

(ख) और (ग) 1992-93 के दौरान अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार

5159. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्यवार कितने कार्य दिवस उपलब्ध कराये गये; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने लोगों को वास्तव में रोजगार दिया गया ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में रोजगार का आधार स्वरोजगार अथवा उजरती रोजगार होने के कारण, कुल रोजगार के कार्य घंटों अथवा कार्य दिवसों की गणना करना संभव नहीं है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उपलब्ध कराये गये रोजगार को कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर मोटे तौर पर पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराया गया रोजगार इस प्रकार है :

(लाख व्यक्ति)

वर्ष	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
(1) 1989-90	14.12	32.14	46.26
(2) 1990-91	14.15	34.42	48.57
(3) 1991-92	14.20	35.96	50.16

[अनुवाद]

केरल में कस्बों व शहरों का विकास करना

5160. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल में विदेशी सहायता से कुछ कस्बों व शहरों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं। चूंकि शहरी विकास राज्य विषय होने के नाते प्रस्ताव, राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा सम्भावित विदेशी सहायता के विचारार्थ केन्द्र सरकार को भेजे जाते हैं।

केरल सरकार द्वारा तिरूअनंतपुरम, कोची, कोझीकोड शहरों के लिए परियोजना रूप-रेखा, जिसमें सड़क और जल-आपूर्ति और मल निर्यास घटक शामिल हैं, अभी प्रारम्भिक चरण में हैं। परियोजना का अन्तिम स्वरूप कार्यक्षेत्र तथा आकार का निर्धारण, तकनीकी साध्यता, संसाधन मंजूरी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, दाता एजेंसी से वायदानुसार धन की उपलब्धि आदि औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद ही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त कोची नगर के लिए ओ०डी० ए० सहायता से भौतिक अवस्थापनाओं, स्वास्थ्य परिचय और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के व्यवधान सहित 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक स्लम सुधार परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

5161. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में मार्च, 1993 तक कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन उपक्रमों को कितना लाभ/कितनी हानि हुई और उनमें से प्रत्येक में इस समय कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) महाराष्ट्र की ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसमें केन्द्र सरकार निवेश करने पर विचार कर रही है और ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केवल 31 मार्च, 1992 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 20 उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित थे। इनकी सूची 26 फरवरी, 1993 को संसद में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1991-92 के खंड-1 की विवरणी पृष्ठ संख्या 214 पर दी गई है। महाराष्ट्र में पंजीकृत कार्यालय वाले उद्यमों सहित प्रत्येक उद्यम में 31 मार्च, 1992 तक सामान्य शेयर पूंजी तथा ऋण के रूप में किए गए पूंजीनिवेश का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-1 की विवरणी-पृष्ठ संख्या 92 से 101 पर विवरण संख्या 16 में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र में पंजीकृत कार्यालय वाले उद्यमों सहित प्रत्येक उद्यम के विगत पांच वर्ष के निवल लाभ/हानि का तथा उन उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण क्रमशः लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खंड-1 की विवरणी पृष्ठ संख्या 43 से 50 तक विवरण सं० 7 "क" एवं 7 "ख" में तथा विवरणी पृष्ठ सं० 189 से 194 तक विवरण सं० 2 में दिया गया है।

(ग) 31-3-1992 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अधीन 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उन्हें प्रारंभ किए जाने की मूल एवं प्रत्याशित अवधि का उल्लेख लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खंड-1 की पृष्ठ संख्या 51 से 56 पर दिया गया है।

डी०डी०ए० फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण

5162. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शहरी विकास मंत्री 17 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं० 3217 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ और सहायक अभियन्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के डी०डी०ए० के जिन फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण किए जाने की रिपोर्ट की है, उनकी क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत डी०डी०ए० के उन फ्लैटों के आबंटियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अपने-अपने क्षेत्रों में डी०डी०ए० के फ्लैटों में होने वाले अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्ध क्षेत्रवार क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कैमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स परियोजनाओं का बंद होना

5163. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से राष्ट्रीय कैमीकल्स एंड फर्टीलाइजर्स द्वारा महाराष्ट्र के आठ चयनित जिलों में लागू की गई परियोजनाओं को स्थगित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि से जुड़े सभी वर्गों के व्यक्तियों ने यह मांग की है कि उक्त जिलों में इन परियोजनाओं की परीक्षण अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लि० (आर सी एफ) महाराष्ट्र के आठ जिलों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से उर्वरकों के प्रयोग तथा कृषि के अन्य वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । सरकार ने इस परियोजना को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है । तथापि, ई०ई० सी० परियोजना को जुलाई, 1993 के बाद बढ़ाने के लिए अब तक सहमत नहीं हुई है । जुलाई, 1993 के पश्चात परियोजना को जारी रखना ई ई सी द्वारा परियोजना के विस्तार पर निर्भर करता है ।

औषध कम्पनियां

5165. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन दस शीर्षस्थ औषध (फार्मास्यूटीकल) कम्पनियों के नाम क्या हैं जो फार्मूलों का विपणन कर रही है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी के दस शीर्षस्थ उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1987 की घोषणा से पहले और इसके बाद इन उत्पादों के क्या मूल्य निर्धारित किए गए हैं और इन कम्पनियों ने समय-समय पर इनके क्या मूल्य दिये हैं;

(घ) क्या इन कम्पनियों ने अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में डी० पी० सी० ओ० के प्रावधानों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) देश में सूत्र-योगों की बिक्री करने वाले दस प्रमुख भेषज कम्पनियां हैं : (1) ग्लैक्सो, (2) रेनबैक्सी, (3) केडिला

(4) सिपला, (5) लुपिन, (6) अलेम्बिक, (7) फाइजर, (8) हेक्स्ट, (9) बूट्स और (10) अम्बा लाल साराभाई ।

(ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है ।

(ग) इस जानकारी को एकत्रित और संकलित करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(घ) और (ङ) किसी कंपनी द्वारा सरकार द्वारा नियत मूल्य की तुलना में सूत्रयोग को अधिक मूल्य पर बेचने या डी पी सी ओ, 1987 के उल्लघन का मामला जब भी सरकार की जानकारी में आता है, स्पष्टीकरण/आवश्यक कार्रवाई के लिए कम्पनी या राज्य औषध नियंत्रण के पास मामला उठाया जाता है ।

(च) डी पी सी ओ, 1987 के विभिन्न उपबन्धों को यथासंभव लागू किया जा रहा है । इसके अलावा राज्य सरकारों से भी डी पी सी ओ, 1987 को लागू करने के लिए अपने तंत्र को तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अधिकतम बिकने वाले सूत्रयोगों का नाम
1.	ग्लेक्सो	(1) बैटनासोल, (2) बैटनोवेट, (3) जिनेटिल, (4) निसिल, (5) ओस्टो केलसियम, (6) कोबाडेक्स, (7) बेकाडेक्स, (8) गिरिटीन, (9) हिलोसिन, (10) लिवोजिन।
2.	एलम्बिक	(1) एलथ्रोसिन, (2) एफपीपी, (3) बिसट्रोपिन, (4) ग्लाइ-कोडिन, (5) बीएसपी, (6) जीट एक्सपेक्टोरैन्ट, (7) बैमिपेन, (8) मारकोफिरौल, (9) एलीस्फैन, (10) इफौरैक्स।
3.	फाइजर	(1) टेरामाइसिन, (2) बेकासुल, (3) कोरेक्स, (4) प्रोटि-नेक्स, (5) कोम्बेट्रिन, (6) नेबास्युन, (7) डेल्टाकोरिथ्ट्रयल, (8) मेरेक्स, (9) डुमास्युल्स, (10) डाएडिन बोल्यूसेस।
4.	बूट्स	(1) ब्रूफेन, (2) डिनेन, (3) इन्सुलिन, (4) क्रीमेफिन, (5) स्ट्रेपसिल, (6) कोलडेरिन, (7) बरनोल, (8) बेटोनिन, (9) प्रोथीडेन, (10) फिनटेन।

पुराने रोहतक रोड पर वाणिज्यिक परिसर का वास्तविक स्वामित्व

5166. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या शहरी विकास मंत्री** 10 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 2983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगम द्वारा 26 अगस्त, 1984 को उक्त भूखंड नीमाली के पश्चात् उस पर से अप्राधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने भूखंड का वास्तविक स्वामित्व बोली लगाने वालों को देने के लिए अब तक उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार बोली लगाने वालों का इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक भूखंड देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो बोली लगाने वालों को उनके निवेश के लिए मुआवजा देने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान के लिए योजनाएं

5167. **श्री भेरू लाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं हैं और केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने समय-समय पर धन के उपयोग और काम की प्रगति की निगरानी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1992-93 के दौरान राजस्थान राज्य को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता के केन्द्रीय अंश के रूप में 13642.58 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी, इसमें से दस लाख कुओं की योजना और इन्दिरा आवास योजना नामक उप-योजनाओं पर खर्च के लिए निर्धारित राशि क्रमश: 2303.34 लाख रुपए और 785.79 लाख रुपए है।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक राज्य में जिलों को निधियों के आवंटन को तय करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को 60% तरजीह

दी जाती है। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान के आदिवासी जिलों को आवंटित राज्य अंश सहित कुल निधियां नीचे दर्शाई गई हैं:--

	आवंटित राशि (लाख रुपए में)
1. बांसवाड़ा	972.49
2. डूंगरपुर	810.14
3. सिरोही	377.47
4. चित्तौड़	637.51
5. उदयपुर	1001.89

(घ) जवाहर रोजगार योजना की राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत निरन्तर निगरानी की जाती है। राज्य सरकारों को कार्यक्रम के मात्रा तथा गुणवत्ता संबंधी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए राज्य/जिला/खण्ड स्तर पर प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारी के लिए एक निरीक्षण अनुसूची तैयार करनी होती है। भारत सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करती है। भारत सरकार के अधिकारी फील्ड दौरे भी करते हैं और फील्ड स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नमूना जांच भी करते हैं।

केरल में जलापूर्ति और सफाई परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

5168. **श्री राम कापसे** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जलापूर्ति और सफाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दी जाने वाली विश्व बैंक सहायता बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विश्व बैंक सहायता जारी रखने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गंदी बस्तियों का विकास

5169. **श्री काशीराम राणा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य की सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, जामनगर तथा भावनगर की गंदी बस्तियों के विकास हेतु संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु सहायता लेने के लिए किन-किन देशों से चर्चा की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) ओ० डी० ए० (यू० के०) से वित्तीय सहायता लेने के लिए इस मंत्रालय को अब तक गुजरात सरकार से बड़ोदा शहर के स्लम नेटवर्किंग के संबंध में केवल एक प्रस्ताव नामत: बड़ौदा 2000 प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता के लिए इस प्रस्ताव को यू० के० सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व ब्रिटिश उच्चायोग के फील्ड मेनेजमेंट कार्यालय को उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव, यदि कोई हो, के लिए भेज दिया गया है ।

[अनुवाद]

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास खाली न किया जाना

5170. प्रो० प्रेम धूमल :
श्री हरिन पाठक :
श्री राम नाईक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद भी आवंटित मकानों को खाली नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मकानों को खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उन सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद भी उनके आवंटन को नियमित कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित भूतपूर्व सांसदों के पास साधारण पूल वास का अवैध कब्जा है :—

1. श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली, 76, लोदी एस्टेट ।

2. पंडित रवि शंकर, 95, लोदी एस्टेट ।

3. प्रो० सी० पी० ठाकुर, बी-6, बी० के० एस० मार्ग ।

4. स्वर्गीय दरबारा सिंह का परिवार, 9, कृष्णा मेनन मार्ग ।

उपर्युक्त सभी मामलों में आवंटन रद्द किया गया है तथा परिसर खाली कराने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है ।

(घ) निम्नलिखित दो मामलों में आवंटन नियमित कर दिया गया है :—

1. श्री के० सी० पंत—दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष होने के नाते ।

2. श्री एच० के० एल० भगत—सुरक्षा कारणों से ।

श्री वी० पी० साठे के बदल वाले आवास को भी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष होने के नाते नियमित किया जा रहा है ।

शीरे का निर्यात

5171. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुगर मिल्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से शीरे का निर्यात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उत्तर प्रदेश और गुजरात में चीनी कारखानों के पास निर्यात के लिए कितना शीरा उपलब्ध है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने सहकारी क्षेत्र में शराब बनाने वाले एकक शुरू करने के लिए लाइसेंस देने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) शुगर मिल एसोसिएशन से हाल ही में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) वर्तमान अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर, 1992—नवम्बर, 1993) में उत्तर प्रदेश या गुजरात से निर्यात के लिए उपलब्ध शीरे की किसी मात्रा का पता नहीं लगाया गया है ।

(घ) और (ङ) गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए कोई भी आवेदन रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए कार्य करने वाले कर्मचारी

5172. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास मन्त्रालय के बड़ी संख्या में अधिकारियों ने नीति बनाने के स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी तथा सलाहकार के रूप में कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी इस समय मन्त्रालय में कार्यरत हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी नहीं । इस मन्त्रालय में इस समय कार्यरत निदेशक स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी ने एक वर्ष से अधिक समय तक "एस्केप," संयुक्त राष्ट्र में कार्य किया है ।

तदर्थ नियुक्तियां

5173. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितंबर, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "गवर्नमेंट परपेचुरिंग एड होसिज्म इन अपोइंटमेंट" नामक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के विभागों में तदर्थ आधार पर नियुक्ति देने का नियम सालों से लागू है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी कार्यालयों में तदर्थ आधार पर नियुक्ति देना तत्काल समाप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अलवा) : (क) जी, हां ।

(ख) मामलों के संबंध से तथ्य निम्न प्रकार हैं :

I. यद्यपि यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन निदेशक स्तर के पदों के चयन में अवश्य कुछ समय लगता है तथा लोक उद्यम चयन बोर्ड के पास साक्षात्कार होता है पर यह कहना सही नहीं है कि बहुत अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लम्बे समय तक बिना अध्यक्षों के रहते हैं । आई० टी० डी० सी० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० पी० एल०, हिन्दुस्तान उर्वरक. भारतीय उर्वरक निगम, आयल इंडिया लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की तैनातियां कर दी गई हैं । एस० बी० आई० के अध्यक्ष की भी तैनाती कर दी गई हैं । नेशनल हाउसिंग बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, गैस आथरिटी आफ इंडिया, एम० टी० सी० (यू० पी०) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के पद पर चयन करने के लिए सरकार विचार कर रही है ।

II. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री एस० के० कपूर, अपर महानिदेशक दूरदर्शन की पदोन्नति के आधार पर महानिदेशक आकाशवाणी के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की गई थी । एक समय तो यह महसूस किया गया कि उनके दूरदर्शन के इस माध्यम के दीर्घकालीन अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूरदर्शन महानिदेशक नियुक्त किया जाना बेहतर होगा । तथापि सरकार ने उन्हें महानिदेशक आकाशवाणी के पद पर तैनात करने का निर्णय किया और तदनुसार उन्हें आकाशवाणी में तैनात किया गया था ।

III. यह कहना सही नहीं है कि बड़ी संख्या में सचिव स्तर के पद खाली हैं । सचिव स्तर के कुछ पदों को समाप्त करने/युक्तियुक्त बनाने के लिए पता लगाया गया था, और इस प्रकार औद्योगिक विकास विभाग के सचिव तथा लोक उद्यम विभाग के सचिव के पदों को मिला दिया गया है । इसी तरह, लघु उद्योग ग्रामीण तथा कृषि उद्योग के सचिव के पद को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव के पद के साथ मिला दिया गया है ?

IV. राजस्व विभाग में निदेशक (प्रवर्तन) के पद को पहले ही भर दिया गया है ।

(ग) यह सही नहीं है कि उपर्युक्त पदों पर चयन में तदर्थवाद है। उच्चतर स्तर की नियुक्तियों में चयन के लिए एक अत्यन्त सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा नियुक्तियां, तदनुसार की जाती हैं। बहुत-से ज्ञात तथा अज्ञात कारणों सहित रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा भरसक प्रयासों के बावजूद, कुछ पद किसी भी समय खाली रह ही जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में मध्य वैतरणा और कालू परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

5174. **श्री राम नाईक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र की मध्य वैतरणा और कालू परियोजनाएं और बृहन मुंबई नगर निगम के लिए अत्यधिक वर्षा के पानी की निकासी की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी० पी० एच० ई० ई० ओ०) ने मध्य वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना को कतिपय टिप्पणियों के अध्यधीन तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है। कालू को, इस परियोजना के लिए जल आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों में से एक स्रोत के रूप में माना गया था। किन्तु राज्य सरकार ने अन्ततः मध्य वैतरणा में जल स्रोत के दोहन का फैसला कर लिया है।

इस मंत्रालय ने, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त बम्बई शहरी विकास परियोजना के अन्तर्गत बृहत्तर बम्बई नगर निगम द्वारा बरसाती पानी की निकासी के उपस्कर की खरीद के प्रस्ताव का सिद्धांततः अनुमोदन ने दिया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने की योजना

5175. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने और उससे उनका उत्पादन और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सरकारी क्षेत्र अत्यधिक विविधतापूर्ण हैं। इसमें व्यापार करने वाले उद्यमों के साथ-साथ उत्पादन करने वाले उद्यम भी शामिल हैं। अधिसंख्य सरकारी उद्यम अपने आपमें अनोखे हैं। बहरहाल, सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली के जरिए इन उद्यमों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना भर दी है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक सरकारी उद्यम को 1 से 5

तक के अंकों वाले पैमाने पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। अंक "1" उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु है तथा अंक 5 खराब कार्य-निष्पादन हेतु। "उत्कृष्ण" श्रेणी के कार्य-निष्पादन वाले उद्यमों को प्रधान मंत्री का समझौता ज्ञापन पुरस्कार दिया जाता है। इससे सरकारी उद्यमों में अन्य उद्यमों की तुलना में अच्छी श्रेणी प्राप्त करने का उत्साह पैदा हुआ है। परिणामतः वे अपने सम्बद्ध लक्ष्यों तथा समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

समझौता ज्ञापन प्रणाली के जरिए असमान उद्यमों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार ने समान उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता भी दी है ताकि वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

[अनुवाद]

ट्रक के टायरों के मूल्य

5176. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या मोटर ट्रक के टायरों के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित मूल्य से काफी अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ट्रक टायरों के मूल्य को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने आटोमोटिव टायरों की लागत और मूल्य पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।

भूमिहीन किसानों को फालतू भूमि का वितरण

5177. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में भूमिहीन किसानों को वितरित की गई फालतू भूमि का ब्योरा क्या है और इनसे कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में भूमिहीन किसानों के फालतू भूमि के वितरण में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के भूमिहीन किसानों में वितरण हेतु फालतू भूमि का अधिग्रहण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राज्यों द्वारा सूचित आंकड़े विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) व (ग) चूंकि भूमि राज्य का विषय है अतः अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भूमि के वितरण की प्रगति अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

(घ) भारत सरकार ने अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण को तेज करने के उद्देश्य से समय-समय पर सरकारी स्तर, राजस्व मंत्रियों के स्तर और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया है। 14 मार्च, 1992 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में भूमिहीन गरीबों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण को तेज करने की सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। सिफारिशों का सारांश विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वितरित किया गया क्षेत्र (संचयी)			लाभार्थियों की संख्या (संचयी)		
		1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	412768	418952	504148	352278	358619	418610
2.	असम	400256	428228	456552	370014	375280	397916
3.	बिहार	253636	266736	274322	293470	307545	319209
4.	गुजरात	107925	125463	132358	24536	27998	28917
5.	हरियाणा	112884	113047	113124	37915	37984	38019
6.	हिमाचल प्रदेश	3340	3340	3340	4400	4400	4400
7.	जम्मू व कश्मीर	450000	450000	450000	450000	450000	450000
8.	कर्नाटक	114177	114277	114657	28798	29180	29950
9.	केरल	62207	62601	63509	131790	133899	139618
10.	मध्य प्रदेश	168874	172428	181565	64125	65376	69626
11.	महाराष्ट्र	524645	524645	525907	132325	132325	132804

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	1685	1685	1682	411	411	1258
13.	उड़ीसा	146087	146056	148061	123583	124105	123236
14.	पंजाब	101226	101355	101862	26107	26167	26491
15.	राजस्थान	420316	432445	438786	74214	75056	75673
16.	तमिलनाडु	135897	139620	145972	110840	114961	119912
17.	त्रिपुरा	1598	1598	1599	1424	1424	1424
18.	उत्तर प्रदेश	355605	358206	363167	301473	306162	313087
19.	पश्चिम बंगाल	869198	899184	928512	1828274	1891045	2026433
20.	दादर व नगर हवेली	5667	5862	5862	2663	2768	2768
21.	दिल्ली	312	312	394	654	654	654
22.	पांडिचेरी	960	1018	1022	1174	1351	1359
	योग :	4649263	4767058	4956396	4300468	4366710	4724363

विवरण-II

वितरण हेतु भूमि के अधिग्रहण से संबंधित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का सारांश :

1. राजस्व न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी 75% भूमि को ऐसी मुकदमेबाजी से मुक्त कराया जाए ताकि इसे वितरण के लिए उपलब्ध कराया जा सके। भूमि का ऐसा वितरण 30 सितम्बर, 1992 तक पूरा हो जाना चाहिए।

2. अधिकतम भूमि सीमा संबंधी मामलों और ऐसे अन्य राजस्व तथा भूमि सुधार संबंधी मामलों, जैसा भी प्रत्येक राज्य द्वारा निर्णय लिया जाए, की सुनवाई के लिए अनुच्छेद 323 (ख) के अंतर्गत न्यायाधिकरण गठित किए जाने चाहिए।

3. धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की अधिकतम सीमा प्रावधानों से सामान्य छूट नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को पहले दी गई ऐसी रियायतों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या पहले दी गई रियायतों को समाप्त कर दिया जाए ?

4. बालिग पुत्रों को अलग इकाई मानने के बारे में राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थिति की समीक्षा करें।

5. ऐसे क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक सिंचाई के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अतिरिक्त क्षेत्र लाए गए हैं, भूमि जोतों की समीक्षा की जानी चाहिए।

6. बेनामी और फर्जी लेनदेनों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

7. ऐसे मामलों, जहां अधिकतम सीमा कानूनों का उल्लंघन किया गया है, का पता लगाने हेतु आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए राज्यों को अनुदान

5178. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री बी० देवराजन :

श्री पवनलाल भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भूमिहीन मजदूरों और अनुसूचित जातियों को गत तीन वर्षों के दौरान फालतू भूमि का आबंटन किया गया था, उनके लिए विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया;

(ख) राज्य सरकारों ने इन अनुदानों को किस प्रकार से उपयोग किया; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों, भूदान/सरकारी बंजर भूमि के

अनुसूचित जाति/जनजाति के आबंटितियों और उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों जिनकी हस्तांतरित भूमि को वापिस दिला दिया गया है, को वित्तीय सहायता देने के लिए 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को अनुदान के रूप में क्रमश: 769.41 लाख रुपए, 505.12 लाख रुपए और 201 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। गत तीन वर्षों के दौरान रिलीज किए गए अनुदानों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) राज्य/संघशासित क्षेत्र सूचित करते रहे हैं कि वे आबंटितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुदानों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आबंटिती, आबंटित भूमि पर खेती कर सकें। यह सहायता साधारण भूमि विकास, दो फसल मौसमों के लिए निवेशों तथा तत्काल खपत आवश्यकताओं जैसे प्रयोजनों के लिए दी जा रही है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1.	आन्ध्र प्रदेश	207.00	81.53	47.26
2.	असम	—	—	22.50
3.	बिहार	349.72	36.92	—
4.	गुजरात	—	40.00	15.00
5.	कर्नाटक	18.00	19.68	20.00
6.	केरल	15.00	15.00	15.00
7.	मध्य प्रदेश	15.00	80.00	10.00
8.	महाराष्ट्र	51.99	42.17	26.40
9.	उड़ीसा	22.51	24.00	16.23
10.	राजस्थान	7.29	10.00	15.00
11.	तमिलनाडु	32.00	17.00	12.00
12.	त्रिपुरा	0.54	0.26	1.00
13.	उत्तर प्रदेश	35.00	122.37	—
14.	पश्चिम बंगाल	15.00	15.00	—
15.	दादर एवं नगर हवेली	0.25	0.25	0.25
16.	पांडिचेरी	0.11	0.94	0.36
	योग:	769.41	505.12	201.00

[हिन्दी]

इफको द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

5179. श्री राजेश कुमार :
　　श्री तेज नारायण सिंह :
　　श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों में उर्वरकों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान इफको के पास उर्वरकों का कुछ ऐसा भण्डार मौजूद था जो बेचा नहीं गया;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस भण्डार को बेचने और बाजार में प्रतिस्पर्धा में स्थान पाने के लिए इफको ने क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इफको द्वारा अपने संयन्त्रों में उत्पादन किये गये उर्वरकों की कुल मात्रा तथा इन वर्षों में प्रत्येक के अंत में भण्डार निम्नानुसार थे--

वर्ष	उत्पादित मात्रा (लाख टनों में)		वर्षान्त में बाकी बचा भण्डार (लाख टन में)	
	यूरिया	डीएपी/एनपीके	यूरिया	डीएपी/एनपीके
1990-91	18.47	6.89	3.57	0.55
1991-92	17.88	10.05	1.61	1.36
1992-93	17.85	9.02	1.80 (अनुमानित)	2.43

(ग) और (घ) 1990-91 के दौरान यूरिया का स्टाक प्रतिकूल मानसून के कारण पिछले वर्षों में कम बिक्री की वजह से भण्डार बेचने के कारण अधिक था। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में एन० पी० के०/डी० ए० पी० का भण्डार सामान्यत: जनवरी के बाद कम बिक्री अवधि के कारण अधिक होता है। तथापि 1992-93 के अन्त में बिक्री में गिरावट तथा फास्फेटिक उर्वरकों के अनियंत्रण के कारण मूल्यों में तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण भंडार सामान्य से अधिक रहा।

इफको सहकारी समितियों और संस्थागत अभिकरणों, जिसके जरिये इफको के सम्पूर्ण उत्पादन को सरणीबद्ध किया जाता है, के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक बिक्री को प्रोत्साहित कर रही है और सभी उर्वरकों के उपयुक्त और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषक शिक्षा प्रदान कर रही है।

भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनियाँ

5180. श्रीमती सरोज दुबे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार यंत्र निगम लिमिटेड की सभी सहायक कम्पनियां लाभ अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक सहायक कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अर्जित लाभ का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मैसर्स भारत यन्त्र निगम लिमिटेड (बी० वाई० एन० एल०) की 6 सहायक कम्पनियों में से 3 सहायक कम्पनियां—मैसर्स भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बी० एच० पी० वी०), ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी० एण्ड आर०) और तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी० एस० पी० एल०) लाभ अर्जित कर रही हैं। अन्य तीन सहायक कम्पनियां—भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (बी० पी० सी० एल०), रिचर्डसन एन्ड क्रूडास लिमिटेड (आर० एंड सी०) और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टी० एस० एल०) घाटा उठाने वाली कम्पनियां हैं। गत तीन वर्षों के दौरान भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के लाभ/हानि के ब्योरे निम्न प्रकार हैं—

कर पूर्व निवल लाभ

(करोड़ रु० में)

	1989-90	1990-91	1991-92
बी० एच० पी० वी०	2.50	3.04	1.56
बी० एण्ड आर०	0.72	0.79	1.39
टी० एस० पी० एल०	0.21	0.47	0.79

(करोड़ रु० में)

निवल हानि

बी० पी० सी० एल०	9.19	2.59	8.59
आर० एण्ड सी०	7.76	8.64	15.65
टी० एस० एल०	4.42	3.61	13.12

(ग) बी० पी० सी० एल०, आर० एंड सी० और टी० एस० एल० मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से घाटा उठा रही हैं—

(1) पुराने और अप्रचलित संयंत्र और सुविधाएं;

(2) न्यून मूल्य वर्द्धन/न्यून प्रौद्योगिकी उत्पाद;

(3) आधुनिकीकरण और नवीकरण हेतु अपर्याप्त निवेश और

(4) भारी ब्याज भार और ग्राहकों से, विशेष रूप से राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों से भारी बकाया ।

आरक्षित पद

5181. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिसम्बर, 1992 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणीवार कितने रिक्त पद आरक्षित थे और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

जवाहर रोजगार योजना

5182. **श्री शिव शरण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रिलीज की गई राज्यवार निधियां विवरण-I में दर्शायी गई हैं ।

(ख) 1992-93 के दौरान राज्यवार सृजित रोजगार विवरण-II में दर्शाया गया है ।

विवरण-I

1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रिलीज की गई राज्यवार निधियां

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	रिलीज की गई निधियां (लाख रुपये में)		
		केन्द्र	राज्य	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17166.84	4291.71	21458.55

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	131.34	32.84	164.18
3.	असम	4955.31	1238.83	6194.14
4.	बिहार	37352.50	9338.13	46690.63
5.	गोआ	324.90	81.23	406.13
6.	गुजरात	8195.83	2048.96	10244.79
7.	हरियाणा	1836.47	459.12	2295.59
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.11	276.78	1383.89
9.	जम्मू व कश्मीर	1711.70	427.93	2139.63
10.	कर्नाटक	11399.80	2849.95	14249.75
11.	केरल	6159.44	1539 86	7699.30
12.	मध्य प्रदेश	26309.75	6577.44	32887.19
13.	महाराष्ट्र	20039.83	5009.96	25049.79
14.	मणिपुर	516.10	129.03	645.13
15.	मेघालय	368.88	92.22	461.10
16.	मिजोरम	195.55	48.89	244.44
17.	नागालैंड	502.21	125.55	627.76
18.	उड़ीसा	13405.24	3351.31	16756.55
19.	पंजाब	1361 75	340.44	1702.19
20.	राजस्थान	13653.57	3413.39	17066.96
21.	सिक्किम	285.53	71.40	356.98
22.	तमिलनाडु	17048.35	4262.09	21310.44
23.	त्रिपुरा	535.69	133.92	669.61
24.	उत्तर प्रदेश	47109.99	11777.50	58887.49
25.	पश्चिम बंगाल	20379.06	5094.77	25470.83
26.	अंडमान व निको० द्वीप समूह	62.58	0.00	62.58
27.	दादरा व नगर हवेली	91.02	0.00	91.02
28.	दमन व द्वीव	20.28	0.00	20.28

1	2	3	4	5
29	लक्षद्वीप	60 08	0.00	60.08
30.	पांडिचेरी	232.91	0.00	232.91
	योग :	252519.66	63013.20	315532.86

विवरण-II

1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार सृजित रोजगार

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)	सूचना की अवधि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	411.09	जनवरी, 92
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.31	जनवरी, 92
3.	असम	66.52	फरवरी, 92
4.	बिहार	679.25	जनवरी, 92
5.	गोआ	7.25	फरवरी, 92
6.	गुजरात	167.61	फरवरी, 92
7.	हरियाणा	16.21	फरवरी, 92
8.	हिमाचल प्रदेश	17.35	फरवरी, 92
9.	जम्मू व कश्मीर	15.45	जनवरी, 92
10.	कर्नाटक	288.98	फरवरी, 92
11.	केरल	97.57	फरवरी, 92
12.	मध्य प्रदेश	454.76	जनवरी, 92
13.	महाराष्ट्र	511.32	फरवरी, 92
14.	मणिपुर	5.23	फरवरी, 92
15.	मेघालय	6.67	फरवरी, 92
16.	मिजोरम	4.73	फरवरी, 92
17.	नागालैंड	13.47	फरवरी, 92

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	189.70	जनवरी, 92
19.	पंजाब	27.07	फरवरी, 92
20.	राजस्थान	236.81	फरवरी, 92
21.	सिक्किम	8.70	फरवरी, 92
22.	तमिलनाडु	615.05	फरवरी, 92
23.	त्रिपुरा	12.94	फरवरी, 92
24.	उत्तर प्रदेश	1157.04	फरवरी, 92
25.	पश्चिम बंगाल	313.61	फरवरी, 92
26.	अंडमान व निको० द्वीप समूह	1.43	फरवरी, 92
27.	दादरा व नगर हवेली	1.51	फरवरी, 92
28.	दमन व द्वीव	0.10	फरवरी, 92
29.	लक्षद्वीप	2.12	फरवरी, 92
30.	पांडिचेरी	3.23	फरवरी, 92
	योग :	5336.08	

कलाकारों को डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन

5183. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभावन कलाकारों को डी० डी० ए० फ्लैटों के आवंटन हेतु कोटा निर्धारित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने कलाकारों को डी० डी० ए० फ्लैट आवंटित किए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि खेल, कला, संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों के लिए चतुर्थ और पंचम एस० एफ० एस० पंजीकरण स्कीमों के अन्तर्गत फ्लैटों के नियतन/आबंटन में 2% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए आबंटनों की संख्या के बाबत कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत डी० डी० ए० फ्लैट

5184. डा० लाल बहादुर रावल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के लिए कितने पंजीकृत लोगों को अब तक डी० डी० ए० ने फ्लैट आवंटित कर दिए हैं;

(ख) अप्रैल, 1993 तक कितने लोगों को फ्लैटों का कब्जा दे दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन लोगों से इन फ्लैटों की कितनी कीमत ली जाएगी;

(घ) क्या डी० डी० ए० ने इन फ्लैटों की कीमत में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अम्बेडकर आवास योजना की एल० आई० जी० श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत 10,000 व्यक्तियों में से अभी तक 444 व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गये हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मांग तथा आबंटन पत्र की औपचारिकताएं पूरी करने वाले व्यक्तियों को फ्लैटों का कब्जा दिया जाता है। अभी तक 11 व्यक्तियों ने औपचारिकताएं पूरी की हैं और शीघ्र ही फ्लैटों का कब्जा ले रहे हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुर्सी क्षेत्र/तल तथा योजना के घनत्व पर निर्भर करते हुए इस समय फ्लैटों की लागत 2.25 लाख से 3.33 लाख रु० तक भिन्न-भिन्न है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की लागत का निर्धारण, फ्लैट पूर्ण हो जाने पर वास्तविक व्यय और प्रत्याशित देयताओं के अनुसार लाभ-हानि रहित आधार पर किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रासायनिक उर्वरकों में मिलावट

5185. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका (अर्थात गेस्तम कापर एण्ड साउथ वेयर) से पिछले दो वर्षों के दौरान खरीदे गए रासायनिक उर्वरक जहरीले तथा मिलावटी थे;

(ख) क्या इनसे पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में जहां इनका प्रयोग किया गया था, फसलें प्रभावित हुईं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) सरकार के लेखे में, गत दो वर्षों के दौरान अमरीका की मै० गैस्टन कॉपर एण्ड साउथ वायर से कोई भी रासायनिक उर्वरक नहीं खरीदा गया।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को घाटा

5186. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को भारी घाटा हो रहा है तथा इसके उत्पादन क्षमता में भी गिरावट आयी;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ;

(ग) इस घाटे और उत्पादन क्षमता में आई गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(घ) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को अर्थक्षम बनाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के रुग्ण कारखानों का ब्योरा क्या है; और

(च) इन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सी० सी० आई० ने वर्ष 1989-90, 1990-91 के लिए घाटा दर्शाया है और वर्ष 1991-92 के लिए लाभ दर्शाया है। गत 3 वर्षों के लिए सी० सी० आई० के उत्पादन आंकड़े दिए गए हैं :

	सीमेंट उत्पादन (लाख एम० टी० में)
1989-90	27.66
1990-91	28.60
1991-92	31.61

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सी० सी० आई० को होने वाले घाटे/लाभ नीचे दिए गए हैं :

	लाभ/(घाटा) (करोड़ रुपए में)
1989-90	(62.88)
1990-91	(29.33)
1991-92	(2.10)

(ग) घाटे के मुख्य कारणों में बिजली, वैगन और कोयले की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता, आप्टीमल क्षमता उपयोग की कमी और अधिक ऊपरी खर्चा है।

(घ) 1. सी० सी० आई० ने पूरे वर्ष में अग्रिम रूप से निवारक और नियोजित अनुरक्षण अनुसूची तैयार करने की प्रक्रिया को अपनाया है।

2. सी० सी० आई० ने आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन की इक्विटी में उनसे बिजली प्राप्त करने हेतु भाग लिया है।

3. निष्पादन का मानीटरी के लिए एक 3 टायर बिजली मानीटरी और नियन्त्रण प्रक्रिया प्रचलित है।

4. एककों के महाप्रबन्धकों के साथ आवधिक गम्भीर पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जाती हैं। कंपनी ने प्रेषण और वितरण में सुधार के लिए महाराष्ट्र में सीमेंट थोक प्रबन्ध परियोजना में भी भाग लिया है।

5. सी० सी० आई० ने विपणन लागत और इष्टतम युक्तिकरण के नियन्त्रण के लिए मूल्य निर्धारण, प्रेषण और वितरण के सम्बन्ध में एक उपयुक्त विपणन नीति की युक्ति निकाली है।

(ङ) और (च) कुछ एकक घाटा उठा रहे हैं। प्रत्येक एकक के घाटे के कारणों के विश्लेषण के प्रयास किए जा रहे हैं जिनके आधार पर ही उचित उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी लोगों की प्रति व्यक्ति आय

5187. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी लोगों के प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कितनी-कितनी वृद्धि हुई;

(ग) ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार के विचाराधीन कौन-कौन-सी योजनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पादन के अनुमान वर्ष दर वर्ष के आधार पर नहीं लगाये जाते है। जनसंख्या की गणना के जरिए एकत्रित आंकड़े से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में श्रमजीवी बल के असंयुक्त अनुमानों को संकलित करने के बाद ये अनुमान दस वर्षों में एक बार तैयार किए जाते हैं। 1980-81 में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद के अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1242 रु० तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2887 रु० है।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए 22467.21 करोड़ रु० तथा सिचाई, बाढ़ नियन्त्रण और कमान क्षेत्र विकास के लिए 32525.29 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान है। इसके अलावा ग्रामीण गरीब लोगों की आय में सुधार करने के लिए कई स्कीमों को "ग्रामीण विकास" शीर्ष के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए आठवीं योजना में 34425.36 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान है। ग्रामीण ग्रामीण विकास कार्यक्रम में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) शामिल हैं। उसी समय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं। इन निवेशों से ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

गुजरात में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाएं

5188. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कितनी विद्युत उत्पादक परियोजनाएं हैं तथा इनसे कितनी मात्रा में विद्युत पैदा की जा रही है;

(ख) क्या गुजरात में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के कोई नए क्षेत्र उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात राज्य में पवन फार्म, सौर प्रकाशवोल्टीय, और बायोमास गैसीफायर प्रौद्योगिकियों पर आधारित 16 485 मेगावाट की समग्र क्षमता की 14 अपारम्परिक ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। पवन फार्म परियोजनाओं से लगभग 60 मिलियन यूनिट विद्युत पैदा की जा चुकी है और ग्रिड को दी गई है। सौर प्रकाशवोल्टीय और बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 14.22 लाख यूनिट विद्युत पैदा होने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) जी हां। पवन, सौर, प्रकाशवोल्टीय, बायोमास गैसीफायर और लघु जल विद्युत के अलावा गुजरात के कच्छ में लहर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के एक नए क्षेत्र के रूप में पता लगाया गया है। लहर ऊर्जा के मितव्ययी उपयोग के लिए अनुसंधान/अध्ययन किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में कथित अनियमितताएं

5189. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इसके लिये सरकार ने कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों, जिनमें सड़कों का निर्माण भी शामिल है, की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है। बुनियादी स्तर पर पंचायतों तथा खंड स्तरीय कर्मचारियों को योजना की आयोजना बनाने, कार्यान्वयन तथा निगरानी करने में शामिल किया जाता है। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें आवधिक रिपोर्टों तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फील्ड दौरों के जरिये कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का शासी निकाय, जिनमें अन्य लोगों के साथ-साथ स्थानीय विधायकों तथा सांसदों को शामिल किया जाता है, भी अपनी आवधिक बैठकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्यस्तरीय समन्वय समिति गठित की जाती है। केन्द्र स्तर पर मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में कारगर ढंग से सुधार लाने के उद्देश्य से आवधिक प्रगति रिपोर्टों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले फील्ड दौरों की मार्फत कार्यक्रम की लगातार निगरानी और समीक्षा करने की एक प्रणाली तैयार की है। भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने और इसके कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु उपाय करने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन भी शुरू कराया है।

[अनुवाद]

चावरा, केरल स्थित इण्डियन रेअर अर्थ्स का विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम

5190. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चावरा स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स ने विस्तार/आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) अयेरामथेंगू परियोजना के प्रमुख कार्य क्या हैं और इसे कब शुरू किया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स के चवारा यूनिट में उत्पादित किए जाने वाले इल्मेनाइट की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 660 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना हाथ में ली गई है।

(ग) मूल्यवान उत्पादों के लिए उससे संबद्ध उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने और इल्मेनाइट, स्टाइल आदि जैसे खनिजों की मांग में होने वाली संभावित वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से अयेरामथेंगू में नींदाकरा-कयामकुलम तटीय क्षेत्र में खनिज निक्षेपों के दोहन के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स और केरल सरकार द्वारा अनुमानतः 125 करोड़ रुपए की लागत से जिसमें

विदेशी मुद्रा का अंश 35 करोड़ रुपए होगा, संयुक्त रूप से एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना स्थापित करने से पहले किए जाने वाले कार्य जैसे कि, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करना, प्रक्रम-चित्र तैयार करना और मूलभूत अभियांत्रिकी तैयार करना आदि कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना को चालू करने में लगने वाला समय विभिन्न अभिकरणों से अनुमति प्राप्त होने पर और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अल्कोहल चालित वाहन

5191. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्कोहल चालित वाहनों का प्रयोग शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1988-89 के दौरान डीजल मेथनॉल प्रणाली की दोहरी ईंधन प्रचालन विधि से दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) की 10 बसें कुल 6.43 लाख कि० मी० चलाई गईं, जिससे 12-14 प्रतिशत डीजल का प्रतिस्थापन करने में सफलता मिली। 1990-91 के दौरान पुनः दिल्ली परिवहन निगम की 25 बसें डीजल इथनॉल के प्रचालन की दोहरी ईंधन विधि से कुल 16.03 लाख कि० मी० चलाई गईं, जिससे अनुकूल परिस्थितियों में डीजल का 14 प्रतिशत प्रतिस्थापन हुआ। इन दोनों परियोजनाओं में दृश्य धूम्र उत्सर्जन में 33 प्रतिशत ह्रास लाने में सफलता मिली है। अन्य प्राचल जैसे इंजन जीर्णन तथा निक्षेप तेल अपकर्ष आदि प्रचालन की डीजल विधि से तुलनीय हैं। एनहाइड्रस इथनॉल मिश्रित पैट्रोल (90-10 वी०/वी०) से पैट्रोल कारों को चलाने की एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत फरवरी, 1993 से दिल्ली प्रशासन की 26 कारें उनके माल रोड स्थित पैट्रोल फिलिंग स्टेशन से चल रही हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु धनराशि

5192. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण करने के लिए राज्य को वर्ष 1992 के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि इस कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1992-93 के दौरान 96 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 1992-93 के दौरान एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी रिलीज की गई थी।

कुटीर तथा खादी और ग्रामोद्योग के अन्तर्गत योजनायें

5193. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए सरकार का पंचायत स्तर पर स्व-रोजगार हेतु कुटीर, खादी तथा ग्रामोद्योग उद्योगों और अन्य रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के अन्तर्गत कोई योजना शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित व अशिक्षित युवकों को रोजगार तथा प्रशिक्षण दिलाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न प्रकार की योजना चलाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने डी० आर० डी० ए० तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर बिहार के सहरसा तथा सोपुल और उड़ीसा के कालाहांडी जिले में विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत खादी कताई के माध्यम से रोजगार दिलाये जाते हैं। देश के अनेक जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान इसी प्रकार के और भी अनेक विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किये जाने की आशा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सुलभ शौचालय

5194. **श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने सुलभ शौचालय हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने और सुलभ शौचालय बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1985-86 से 1992-93 (अगस्त, 1992 तक) के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 12019 स्वच्छ शौचालयों तथा केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 7003 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की सूचना दी है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए जाने वाले स्वच्छ शौचालयों की संख्या के बारे में निर्णय वार्षिक योजना परिव्यय पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर लिया जाएगा। वर्ष 1992-93 में 5578 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत खर्च की जाने वाली अनुमानित प्रस्तावित राशि 21.55 करोड़ रुपए है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

5195. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई राशि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) किसी भी राज्य ने जवाहर रोजगार योजना के लिए रिलीज की गई निधियों का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशों में शुरू की गई परियोजनाएं

5196. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विदेशों में बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों ने किस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटरों की आवश्यकता

5197. **श्री वी० देवराजन :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्प्यूटरों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता है;

(ख) देश में निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किस प्रकार के कम्प्यूटरों का निर्माण किया जाता है;

(ग) किस प्रकार के कम्प्यूटरों का आयात किया जा रहा है और किन-किन देशों से इनका आयात किया जा रहा है;

(घ) ये कम्प्यूटर किस लिपि में हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश से ही सुपर कम्प्यूटर का निर्माण करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कम्प्यूटरों की अनुमानित आवश्यकता नीचे दिए अनुसार है :

कम्प्यूटर	संख्या
सुपर कम्प्यूटर	24
बड़े कम्प्यूटर	750
मिनी कम्प्यूटर	9,300
माइक्रो कम्प्यूटर	16,35,000

(ख) देश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में विनिर्माण किए जा रहे कम्प्यूटरों में माइक्रो कम्प्यूटर, ग्राफिक वर्कस्टेशन, मिनी कम्प्यूटर से लेकर बड़ी कम्प्यूटर प्रणालियां शामिल हैं।

(ग) और (घ) आयात किए जा रहे कम्प्यूटरों में अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यों एवं अन्य विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए प्रक्रिया नियंत्रक, हाइ एण्ड ग्राफिक्स वर्कस्टेशन, बड़े कम्प्यूटर सर्वर, फाइल सर्वर तथा मिनी सुपर प्रणालियां शामिल हैं। ये मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी आदि से आयात किए जाते हैं। इन कम्प्यूटरों की लिपि अंग्रेजी है। किन्तु जहां तक वैयक्तिक कम्प्यूटर रेंज की प्रणालियों का संबंध है, सभी भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेश से ही विकसित हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर समाधान इस समय उपलब्ध है।

(ङ) उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत स्वायत्त संस्था देश में सुपर कम्प्यूटर की क्षमता वाले समानांतर संसाधन कम्प्यूटर के विकास का कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने

5198. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सीमेंट कारखानों में स्थापित उत्पादन क्षमता की तुलना में कम उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मध्य प्रदेश के प्रत्येक सीमेंट कारखाने की स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें कितना-कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) सरकार ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में बड़े आकार की 13 एककों में से

12 एककों का उत्पादन 1992-93 (फरवरी, 1993 तक) के लिए उनकी अधिष्ठापित क्षमता से कम रहा। उद्योग द्वारा मांग में कमी तथा अवसंरचनात्मक अड़चनों के कारण उत्पादन हानि इसके कारण बताए गए हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सीमेंट उद्योग लाइसेंसमुक्त है। फिर भी सरकार कोयला तथा सीमेंट की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की आपूर्ति सहित बुनियादी सहायता देकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सीमेंट उद्योग की सभी सहायता कर रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी क्षेत्र में बड़े आकार के सीमेंट संयत्रों का ब्यौरा

(लाख टन में)

क्र० सं० एकक का नाम	अधिष्ठापित क्षमता 1990-91	1991-92	1992-93 (अप्रैल-फरवरी)	उत्पादन 1990-91	1991-92	1992-93 (अप्रैल-फरवरी)
1 2	3	4	5	6	7	8
निजी क्षेत्र						
1. बिरला विकास/सतना सीमेंट	15.50	15.50	14.21	13.81	13.12	11.21
2. जय पी रेवा	10.00	20.00	18.33	8.80	13.26	18.14
3. मैहर सीमेंट	8.00	10.00	9.17	7.70	8.23	7.42
4. ए सी सी कैमूर	7.82	7.82	7.17	7.90	7.22	6.38
5. डायमंड सीमेंट	5.25	5.25	4.81	5.04	5.73	4.70
6. एसी सी-जामूल	13.80	15.80	14.48	13.39	13.33	10.08
7. सेंचुरी सीमेंट	8.00	8.00	7.33	7.02	7.89	7.30
8. मोदी सीमेंट	12.00	12.00	13.75	10.90	12.19	11.01
9. रेमंड सीमेंट	12.00	12.00	11.00	14.14	13.30	13.59
10. विक्रम सीमेंट	10.00	20.00	18.33	10.91	14.92	17.40
योग निजी क्षेत्र	102.37	126.37	118.58	99.61	110.19	107.23

1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र							
1.	सीमेंट कारपो० ऑफ इंडिया (सी सी आई) मांधर	3.80	3.80	3.48	2.94	2.67	2.24
2.	सीसी आई-अकालतारा	4.00	4.00	3.67	2.69	3.61	2.20
3.	सीसीआई, नीमच*	4.00	4.00	3.67	4.17	3.38	1.16
	योग सरकारी क्षेत्र	11.80	11.80	10.82	9.80	9.66	5.60
	कुल योग	114.17	138.37	129.40	109.41	119.85	112.83

*इसके अतिरिक्त, सी० सी० आई० नीमच के पास 10 लाख मी० टन खंगर क्षमता है।

[अनुवाद]

भवन निर्माताओं और दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा

5199. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माताओं और दुकानदारों ने सत्यनिकेतन, नानकपुरा, मोचीगांव और दक्षिण मोतीबाग, नई दिल्ली में सड़कों, पैदलपथों, दुकानों के बरामदों पर अवैध कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित समय में अवैध कब्जा हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि रोड पटरियों और फुटपाथों आदि पर अतिक्रमण के बारे में उन्होंने कोई सर्वेक्षण विशेष नहीं कराया है। तथापि, दुकानदारों और निर्माताओं द्वारा अपनी दुकानों के सामने सामग्रियों को डालकर सड़क पटरियों, फुटपाथों आदि पर अतिक्रमण किए जाने का पता चलते ही, नगर निगम द्वारा उसे हटा दिया जाता है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गत 6 महीनों के दौरान उसने अपने क्षेत्र में 6 छापे मारे और सड़क पटरियों, फुटपाथों आदि में से 51 अतिक्रमण हटाए। उसने स्थानीय स्टाफ को अतिक्रमणों का जैसे ही पता चले/रिपोर्ट मिले उसे हटाने के निर्देश भी दिए हैं। सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण के अन्तर्गत नानकपुरा मार्किट में दुकानदारों द्वारा बरामदों में अतिक्रमण के कुछ मामलों की सूचना मिली है। सम्पदा निदेशालय द्वारा इन दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

प्रौद्योगिकी पार्क

5200. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने हेतु निर्धारित शर्तें क्या हैं; और

(ख) देश में इस समय ऐसे ऐसे पार्कों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों अथवा निजी क्षेत्र द्वारा देश में किसी भी स्थान पर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। मुख्य शर्त यह है कि ये निर्यातोन्मुखी होंगे तथा उत्पाद शुल्क की सीमा के अन्तर्गत कार्य करेंगे। इन योजनाओं के अंतर्गत स्थापित प्रौद्योगिकी पार्कों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

देश में स्थापित इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के ब्यौरे

	राज्य	प्रौद्योगिकी पार्कों की संख्या
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद)	3
2.	कर्नाटक (बंगलोर)	4
3.	राजस्थान (भिवाड़ी)	1
4.	महाराष्ट्र (बम्बई, पुणे, ठाणे)	7
5.	उत्तर प्रदेश (नोएडा, गाजियाबाद)	5
6.	तमिलनाडु (मद्रास, सेलम)	5
7.	हरियाणा (गुड़गांव)	7
8.	केरल (त्रिवेन्द्रम)	2

	1	2
9.	गुजरात (गांधी नगर)	1
10.	पंजाब (चण्डीगढ़)	1
11.	मध्य प्रदेश (भोपाल, इंदौर)	2
12.	दिल्ली (ओखला, वजीरपुर)	3
13.	पांडिचेरी (वृंदावन)	1
	योग	42

देश में स्थापित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के ब्योरे

	राज्य/स्थान	एसटीपी योजना के अन्तर्गत अनुमोदित इकाइयां	
		एसटीपी परिसर	निजी एसटीपी
1.	महाराष्ट्र (पुणे)	18	05
2.	कर्नाटक (बंगलौर)	32	31
3.	उड़ीसा (भुवनेश्वर)	24	—
4.	गुजरात (गांधीनगर)	16	02
5.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद)	25	08
6.	उत्तर प्रदेश (नोएडा)	16	22
7.	केरल (तिरुवनन्तपुरम)	24	02
8.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	10	01
	योग	165	72

आन्ध्र प्रदेश में ताड़ी निकालने वाले व्यक्तियों के लिए आवास योजनाएं

5201. श्री धर्मभिक्षम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने आन्ध्र प्रदेश टोडी टेपर्स फाइनेंस कारपोरेशन से ताड़ी निकालने वाले व्यक्तियों के लिए आवास योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना धनावंटन किया गया है और इससे कितने गांव लाभान्वित होंगे ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में विदेशियों के नाम

†5202. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर नई मतदाता सूचियों में विदेशियों के नाम शामिल होने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) शून्य ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सावित्री नगर में अवैध निर्माण

5203. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 11 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3213 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिनियम की धारा 416/417 के अंतर्गत सावित्री नगर में दिल्ली नगर निगम द्वारा पता लगाए गए 10 अवैध निर्माणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचना इस प्रकार दी है :

इस क्षेत्र में, 10 अवैध निर्माणों को गिराने के लिए दर्ज किया गया है । इनमें से चार औद्योगिक कार्यकलाप नामत: सिलाई, स्टील जाली, कढ़ाई/सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं । 6 और अवैध निर्माणों, जिनमे कोई औद्योगिक कार्यकलाप नहीं किया जा रहा है,

को दिल्ली नगर निगम ने डी एम सी अधिनियम, 1957 की धारा 416/417 के अंतर्गत दर्ज किया है। इन अनधिकृत निर्माणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

औद्योगिक कार्यकलाप वाले अवैध निर्माण

क्र० सं०	पता	व्यापार की प्रकृति	क्या एम पी एल/क्षेत्रीय प्र० पत्र धारक है	अभ्युक्ति
1.	209/1	सिलाई	नहीं	पहले सिलाई कार्य बिजली द्वारा किया जा रहा था जिस पर अभियोग चलाया गया था।
2.	टी-220	स्टील	एम सी एल/	एम सी एल/पंजीकरण
3.	ए-235	जाली	क्षेत्रीय प्रमाण-पत्र धारक है	प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के लिए कारंवाई की जा रही है।
4.	सी-235	कसीदाकारी/सिले-सिलाये वस्त्र	नहीं	दो बार अभियोग चलाया गया।

गैर-औद्योगिक कार्यकलाप वाले अवैध निर्माण

क्र० सं०	यू/सी बुकिंग सं०	सावित्री नगर में सम्पत्ति संख्या	नाम
1.	15/यू सी/80 दिनांक 11-1-80	एच-190	एस० जंग बहादुर
2.	16/यू सी/89 दि० 11-1-89	टी-220	नत्थू खान
3.	246/यू सी/89 दि० 28-8-89	14	एस० एल० महाजन
4.	281/सी० सी/89 20-10-89	टी-220	ओ/बिल्डर
5.	325/यू सी/90 दि० 8-10-90	145	श्री सीता राम
6.	408/यू सी/90 दि० 3-12-90	208-ए/6 सी	श्री वीरेन्द्र कपूर

आवासों में अधिक समय तक रहना

5204. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सरकारी क्वाटरों में अधिक समय तक रहने के कितने-कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों से किराये की कितनी-कितनी राशि वसूल की जानी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दोनों श्रेणियों में अलग-अलग कितनी राशि माफ की गयी;

(घ) इस संबंध में कितने मुकदमे दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"साइरस" में सुरक्षा के मानदण्ड

5205. **श्री सनत कुमार मंडल** :
डा० आर० मल्लू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "साइरस" रिसर्च रिएक्टर में सुरक्षा मानदण्डों के उल्लंघन के कारण कर्मियों को अनुचित विकिरण का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि दिनांक 14-20 मार्च, 1993 के "सन्डे आब्जर्वर" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। "साइरस" अनुसंधान रिएक्टर में सुरक्षा मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कार्मिकों के अनुचित विकिरण का सामना करने की कोई घटना हुई है, जैसा कि तारीख 14-20 मार्च, 1993 के सन्डे आब्जर्वर में प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

मेघालय के उद्योग विहीन जिलों में उद्योग लगाना

5206. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ औद्योगिक घरानों से मेघालय के उद्योग विहीन जिलों में स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां । केवल एक प्रस्ताव, जो मेघालय के "उद्योग विहीन जिलों" में ईस्ट कार्गो हिल्स में एक पोर्टेबल एल्कोहल उद्योग लगाने के लिए है, विचाराधीन है ।

सरकार द्वारा आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के सभी कदम उठाये जा रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से मिली धनराशि का उपयोग

5207. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त निधि के उपयोग के लिए कोई योजना/आयोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन निधियों का उपयोग बजट घाटे को कम करने के लिए भी किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार संसाधन जुटाने के लिए, तथा जनता की सहभागिता को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए और अधिकाधिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता का 20 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र के सांझा कोषों और निवेश संस्थानों के साथ कामगारों को भी बेचे जाने का प्रस्ताव किया जाना था । वर्ष 1992-93 के बजट भाषण के दौरान पुनः यह घोषणा की गई थी कि विकास हेतु गैर-स्फीतिकारी संसाधन जुटाने के लिए और इसके साथ राष्ट्रीय नवीकरण कोष में 1000 करोड़ रुपये का योगदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री को जारी रखा जाएगा ।

[हिन्दी]

जल शोधन संयंत्र

5208. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थापित जल शोधन संयंत्र की क्षमता का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जल शोधन संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करने और जलाशयों के विस्तार के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने बताया है कि दिल्ली में जल शोधन संयंत्रों की स्थापित क्षमता इस समय 410 मिलियन गैलन प्रतिदिन है ।

(ख) से (घ) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने जानकारी दी है कि हैदरपुर में द्वितीय 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल शोधन संयंत्र का चरण-1 (50 मिलियन गैलन प्रतिदिन) 28-2-1993 को पूरा हो गया है और सम्पूर्ण संयंत्र जून, 1993 तक चालू हो जाने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने नांगलोई में जल शोधन संयंत्र (40 मिलियन गैलन प्रतिदिन) के निर्माण का कार्य हाल ही में अवार्ड किया है तथा बवाना में 20 एम जी डी जल शोधन संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। आठ जलाशयों का निर्माण हो चुका है और चार पूरे/चालू होने वाले हैं। इन जलाशयों के अलावा तीन और जलाशयों, (i) हैदरपुर जल शोधन संयंत्र, (ii) भागीरथी जल शोधन संयंत्र, (iii) वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का निर्माण चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में गोदाम

5209. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में गोदामों के निर्माण के लिए किसी योजना/प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बीच गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (च) फिलहाल, ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, फार्म स्तर पर वैज्ञानिक ढंग से भंडारण सुविधायें मुहैया करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम स्थापित करने की एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना 1979-80 से कार्यान्वित की जा रही थी। इस योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 520 गोदामों के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार 520 गोदामों में से 425 गोदामों का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। शेष गोदाम, निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

सैनिकों के लिए कंबल

5210. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सैनिकों के लिये कितने कंबलों का निर्माण किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की मार्फत रक्षा और अन्य सरकारी विभागों को ऐसे कितने कंबलों की सप्लाई की गयी;

(ग) क्या आयोग ने इन संगठनों को खादी के कंबलों के स्थान पर मिल के बने कंबलों की सप्लाई की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जाच करायी गयी है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

केरल में ईंट निर्माण परियोजना

5211. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हुडको की सहायता से शुरू की जा रही ईंट निर्माण परियोजना पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या हुडको का विचार राज्य में ऐसे और एकक शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हुडको ने 1986 में 1.50 लाख रुपये की मियादी कर्ज सहायता सहित 3.86 लाख रुपये की परियोजना लागत पर है, मैसर्स चम्बेकाशिरी बिल्डिर्स द्वारा कालीकट में ईंट बनाने की इकाई की स्थापना के लिये एक योजना स्वीकृत की थी। यह इकाई 1988 में पूर्ण हो गई थी और इससे उत्पादन हो रहा है।

(ग) और (घ) हुडको स्वयं कोई भवन निर्माण सामग्री उत्पादन इकाई की स्थापना नहीं करता है। तथापि राज्य सरकार और अर्द्धसरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा उन निजी उद्यमों, जिन्हें उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र पाया जाता है, को हुडको मियादी कर्ज तथा साम्य (इक्विटी) सहायता देता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विकास केन्द्र

5212. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अब तक स्थापित किये गये विकास केन्द्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक विकास केन्द्र के लिये कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इन विकास केन्द्रों को स्थापित करने और इनके निकट उद्योगों को आकर्षित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य को 6 विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं, जिनके नाम हैं—बोरई, चैनपुरा, घिरोंगी खेड़ा, सतलापुर और सिलतारा। इन केन्द्रों को 14.50 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार को 5 विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं जिनके नाम हैं—अकोला, चन्द्रपुर, धूले रत्नागिरि और नांदेड़ तथा इन अनुमोदित विकास केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 8.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन उर्वरक संयंत्र

5213. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड ने विभिन्न राज्यों में कितने उर्वक संयंत्र स्थापित किए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उर्वरक संयत्रों द्वारा उर्वरकों का जितना उत्पादन किया गया; और

(ग) लाभ अर्जित कर रहे उर्वरक संयंत्रों का ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्योरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन एफ एल) चार उर्वरक संयत्रों का संचालन करती है जो पंजाब में नांगल और भटिंडा में एक-एक, हरियाणा पानीपत में एक तथा मध्य प्रदेश में विजयपुर में एक है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एन एफ एल के चार संयंत्रों के उत्पादन निष्पादन के ब्योरे नीचे दिये गये हैं—

(उत्पादन लाख टन-नाइट्रोजन)

संयंत्र	1990-91	1991-92	1992-93 (अनंतिम)
1. पानीपत	2.17	2.14	2.00
2. भटिण्डा	1.86	2.49	2.25
3. नांगल	2.24	2.27	2.50
4. विजयपुर	3.90	4.10	3.90

(ग) चार संयंत्रों में से तीन संयंत्र निम्न ब्योरों के अनुसार लाभ कमा रहे हैं—

(रु० करोड़ों में)

संयंत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1. पानीपत	7.44	2.15	लेखों को अंतिम
2. भटिण्डा	3.54	13.57	रूप नहीं दिया
3. विजयपुर	36.07	80.55	गया ।

इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया की दूर संचार प्रणाली

5214. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया ने ई-10 बी एक्सचेंज और अन्य दूर-संचार पद्धतियों का निर्माण किया है/निर्माण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को इन उपक्रमों की सप्लाई के लिए कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन उपकरणों का निर्माण करने वाली इस प्रौद्योगिकी का अन्तरण देश में दूरसंचार उपकरणों के अन्य निर्माताओं को करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड न तो ई-10 बी एक्सचेंज का निर्माण करती है और न ही निर्माण करने का कोई इरादा है। तथापि, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र, जो ई-10 बी एक्सचेंज सिस्टम के समीप काम करते हैं, सप्लाई करता है। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड दूर-संचार से संबंधित कुछ उत्पादों का भी निर्माण करता है जैसे कि स्टोर और फार्वर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम, एस पी सी टैलेक्स सिस्टम, आटोमैटिक मैसेज एकाउंटिंग सिस्टम, स्टोर्ड प्रोग्राम टैलेक्स एक्सचेंज सिस्टम आदि।

(ग) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 45,500 लाइनों वाले स्टोर्ड प्रोग्राम टैलेक्स एक्सचेंज के क्रयादेश प्राप्त होने के अलावा दूरसंचार से संबंधित उत्पादों के कुल मिलाकर लगभग 113 क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

(घ) फिलहाल, उपर्युक्त सिस्टमों का निर्माण करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का अन्तरण देश के अन्य निर्माताओं को करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योगों में युवकों के लिए रोजगार की योजना

5215. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए खादी और ग्रामोद्योगों में युवाशक्ति को लगाने की और उसमें उन्हें रोजगार देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आयोग का एक मूलभूत उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के कमजोर वर्गों के लिए गैर-फार्म रोजगार सृजित करना है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, बिहार के सहरसा जिले में और उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पायलट आधार पर एक विशेष रोजगार सृजन स्कीम शुरू की गयी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को देश के 50 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए जिन जिलों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार हैं—

क्रम सं०	राज्य	जिला
1.	असम	मारगांव
2.	आन्ध्र प्रदेश	अदिलाबाद
3.	बिहार	सहरसा
4.	गुजरात	बनासकांठा
5.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा
6.	केरल	अल्लेप्पी
7.	मध्य प्रदेश	सरगूजा
8.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
9.	उड़ीसा	कालाहांडी
10.	राजस्थान	दौसा
11.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
12.	उत्तर प्रदेश	मउनाथ भंजन (मऊ)
13.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम

[अनुवाद]

लम्बित अमरीकी प्रस्ताव

5216. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े अमरीकी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वे प्रस्ताव कुल कितनी धनराशि के हैं;

(ख) ये प्रस्ताव सरकार के पास कब से लम्बित हैं;

(ग) उन्हें अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अमेरिकी कंपनियों द्वारा परिकल्पित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश वाले जिन प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं—

वर्ष	विदेशी पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों की संख्या	विदेशी पूंजी निवेश की कुल राशि (रुपये मिलियन में)
1991	53	1858.5
1992	154	12315.0
1993 (फरवरी तक)	14	14775.0

प्रस्ताव प्राप्त करना और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्ताव सामान्यतया 45 दिन के भीतर निपटा दिये जाते हैं बशर्ते कि उन पर किसी नीतिगत निर्णय के लिए विचार न किया जा रहा हो।

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र

5217. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निजी और सरकारी क्षेत्र में कितने उर्वरक संयंत्र हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संयंत्र की क्षमता कितनी है और ये संयंत्र कहां-कहां हैं;

(ग) इन संयंत्रों ने वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू किया; और

(घ) इन संयंत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) राजस्थान में स्थापित उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरे उनके स्थान, क्षमता, वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भण का महीना और इन संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

क्र० सं०	स्थान सहित उर्वरक मंयंत्रों का नाम	वार्षिक क्षमता और उत्पाद (000 मी० टन)	वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने का महीना	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1.	मै० श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, कोटा	330.0 (यूरिया)	फरवरी, 1969	1380
2.	मै० भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, अलवर	66.0 (एसएसपी)	मार्च, 1980	यद्यपि एस एस पी संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सही संख्या की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, तथापि मध्यम आकार के एस एस पी संयंत्रों में, जिनकी क्षमता 66,000 टन प्रतिवर्ष है, लगभग 400 कर्मचारी होते हैं।
3.	मै० हिन्दुस्तान कोपर लि०, खेतरी	187.0 (एसएसपी)	अक्तूबर, 1976	
4.	मै० मधुवन कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, उदयपुर	40.0 (एसएसपी)	जनवरी, 1977	
5.	मै० फास्फेट्स इंडिया लि०, उदयपुर	44.0 (एसएसपी)	फरवरी, 1984	
6.	मै० शूरवी कलर कैमिकल्स लि०, उदयपुर	45.0 (एसएसपी)	अप्रैल, 1983	
7.	मै० उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, उदयपुर	66.0 (एसएसपी)	अक्तूबर, 1983	
8.	मै० सूरजगढ़ कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, सूरजगढ़	15.0 (एसएसपी)	जनवरी, 1991	
9.	मै० लिबर्टी पैस्टीसाइड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, उदयपुर	40.0 (एसएसपी)	फरवरी, 1977	
10.	मै० चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, गडेपन	742.0 (यूरिया)	कार्यान्वयनाधीन	लगभग 840 (जब उत्पादन हो रहा हो)।

केप्रोलेक्टम का आयात

5218. **श्री अन्ना जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित केप्रोलेक्टम की बहुतायत में उपलब्धता होने के कारण फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन द्वारा केप्रोलेक्टम के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है/सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) कम मूल्यों पर आयातित केप्रोलेक्टम की मुक्त उपलब्धता से फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) द्वारा उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि फैक्ट समेत इससे घरेलू उत्पादकों की अपने उत्पादों का विपणन करने की योग्यता पर प्रभाव पड़ा है। फैक्ट ने इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है। घरेलू उत्पादकों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए 1993-94 के लिए बजट प्रस्तावों में आधारभूत कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में कमी तथा आयातित केप्रोलेक्टम पर सीमा शुल्क में वृद्धि की घोषणा की गयी है।

परती भूमि का सुधार करने हेतु आबंटित धनराशि

5219. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परती भूमि का सुधार करने हेतु विदेशी संस्थाओं/दूसरे देशों से प्राप्त तथा सरकार द्वारा आबंटित की गई धनराशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस धनराशि का बेहतर उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में (सब-वे) भूमिगत मार्ग

5220. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने (सब-वे) भूमिगत मार्ग बनाए गए;

(ख) इन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1993 में कितने (सब-वे) भूमिगत मार्ग बनाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रति व्यक्ति आय

5221. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में भारी कमी आई है जबकि 1991-92 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कमी आई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार 1991-92 में प्रति व्यक्ति आय वास्तविक रूप में 2,174 रु० थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 2,199 रु० थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति के लिए मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) 1990-91 (1980-81 मूल्यों पर) में मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) और राष्ट्रीय आय (निवल राष्ट्रीय उत्पाद) की संवृद्धि दर 5.2% थी। इसकी तुलना में 1991-92 में (1980-81 मूल्यों पर) सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की संवृद्धि दरें क्रमश: 1.2% और 0.9 प्रतिशत थीं, जोकि लगभग 2 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि से बहुत कम है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय (1980-81 मूल्यों पर) 1990-91 में 2199 रुपए से घटकर 1991-92 में 2174 रुपए रह गई। पिछले वर्ष से 2.8 प्रतिशत तक कृषि उत्पादन में कमी हो जाने के कारण सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि पर मुख्यतः प्रभाव पड़ा। औद्योगिक उत्पादन में भी 0.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

(घ) सरकार की संवृद्धि उन्मुख नीतियां, निवेश प्रोत्साहन और आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कार्यक्रम आने वाले वर्षों में संवृद्धि की संभावनाओं में सुधार लाएंगे।

विश्व बैंक/अन्तरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता से जलापूर्ति योजनाएं

5222. श्री चाइल्ड जॉन अंतलोव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से प्रत्येक राज्य में लिए कोई जलापूर्ति परियोजना/योजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर कितना धन खर्च किया गया है और कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की कुल लागत कितनी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	संशोधित परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	सहायता की राशि (अमरीकी डालरों में)	पूरी होने की तिथि	31-3-92 तक संचयी व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	तमिलनाडु जल सप्लाई एवं स्वच्छता परियोजना	321.86	90.60	30-6-93	190.24
2.	केरल जल सप्लाई एवं स्वच्छता परियोजना	127.88	30.11	31-3-93	86.78
3.	बम्बई की तीसरी जल तथा स्वच्छता परियोजना	800.00	185.00	30-6-94	367.36
4.	मद्रास जल सप्लाई एवं स्वच्छता परियोजना	205.00	69.00	31-12-95	97.908
5.	हैदराबाद जल सप्लाई एवं स्वच्छता परियोजना	257.06	89.90	31-3-98	77.34
6.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल सप्लाई एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	319.58	123.70	31-12-96	0.64

विदेशी सहयोग

5223. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक तथा विलासिता की वस्तुओं के निर्माण के लिए कुछ विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों (अर्थात् 24 जुलाई, 1991 को सदन के सभा पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुबंध-3 में दर्ज उद्योग) और अन्य उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का अनुमोदन कर दिया है। इन अनुमोदनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	विदेशी पूंजी निवेश अनुमोदनों की संख्या	परिकल्पित विदेशी पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)
1991	289	534.11
1992	692	3887.54

80 प्रतिशत से अधिक अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में हैं।

विनिवेश का तीसरा दौर

5224. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के तीसरे दौर के विनिवेश से विनिवेश लक्ष्य में भारी अन्तर आया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों के शेयरों को बिक्री के लिए रखा गया और लक्ष्य के प्रति प्राप्त बोलियों का कुल मूल्य क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के शेयर के मूल्य बाजार में गिर गए और उनके शेयर मूल्य में गिरावट के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी उद्यमों के शेयरों की बिक्री के जरिए वर्ष 1992-93 के दौरान 3500 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया। दिसम्बर, 1992 तक सरकार ने 1865.78 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सरकार ने मार्च, 1993 में शेयरों की बिक्री का तीसरा चरण संपन्न किया और इसमें 15 सरकारी उद्यमों के 53.87 करोड़ शेयरों को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। सरकार को 12 सरकारी उद्यमों के 45.01 करोड़ शेयरों के लिए 942.76 करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां प्राप्त हुई। सरकार द्वारा निर्धारित संदर्भ मूल्य के आधार पर 9 सरकारी उद्यमों के 1.01 करोड़ शेयरों के लिए 46.73 करोड़ रुपए मूल्य की बोली स्वीकृत की गई।

(ग) शेयर बाजार में सरकारी उद्यमों के शेयरों छुटपुट सौदेबाजी के आधार पर शेयरों की कीमतों की गति, जो क्रेताओं के बोध पर निर्भर करती है, का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं।

भूमि सुधार के लिए उड़ीसा को सहायता

5225. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमि सुधार के लिए उड़ीसा को विशेष सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री कर्नल राम सिंह): (क) से (ग) भूमि सुधार के लिए उड़ीसा को विशेष सहायता देने हेतु किसी विशिष्ट योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का 1993-94 से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, जैसे समन्वित बंजर भूमि विकास योजना, प्रौद्योगिकी विकास एवं विस्तार, निवेश प्रोत्साहन योजना, समग्र देश में बायोमास विशेष रूप से ईंधन की लकड़ी और चारे के उत्पादन पर बल देते हुए बंजर भूमि के सुधार के लिए केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान।

सिक्किम में चर्म शोधनशालाओं की स्थापना

5226. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिक्किम में कुछ चर्मशोधन शालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सिक्किम राज्य में चर्मशोधन की शालाओं की स्थापना करने के लिए सिक्किम सरकार अथवा किसी उद्यमी/कम्पनी/फर्म से कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

टेलीविजन सेटों का निर्यात

5227. **श्री एम० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीविजन उत्पादकों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को टेलीविजनों के निर्यात के नियमों का उल्लंघन किया है जैसाकि यूरोपीय समुदाय दल ने आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) यूरोपीय समुदाय (ई सी) तथा ग्रेट ब्रिटेन (यूके) के कस्टम ने भारत से निर्यात किए जा रहे रंगीन टी०वी० सेटों के मामले में प्राथमिकता की सामान्य प्रणाली (जी० एस० पी०) के विनियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के बारे में सन्देह प्रकट किया था। भारत में रंगीन टी० वी० के विनिर्माण की सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने पश्चात ईसी तथा यूके सीमा शुल्क दल इस आरम्भिक निष्कर्ष पर पहुचा कि चूंकि आयातित रंगीन पिक्चर ट्यूब उत्पत्ति नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती थी, अतः विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्रियों की मात्रा टी० वी० के कार-

खानागत मूल्य के 40% से अधिक थी। इस आधार पर विनिर्माताओं को जारी किए गए जी० एस० पी० प्रमाण-पत्र वापस ले लिए गए हैं।

(ग) यूरोपीय समुदाय के देशों को रंगीन टी० वी० सेटों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं :

(I) रंगीन पिक्चर ट्यूब विनिर्माताओं को सलाह दी गई है कि उत्पत्ति नियमों का पालन करने के लिए वे स्वदेशी संघटक-पुर्जे का इस्तेमाल करें।

(II) रंगीन टी० वी० विनिर्माताओं को नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन न हो सके।

मेघालयों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5229. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थान-वार नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ/उठाए गए घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम नामशः उत्तर पूर्वीय हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और उत्तर पूर्वीय विद्युत निगम लिमिटेड मेघालय में कार्यरत हैं। इन दोनों के पंजीकृत कार्यालय शिलांग में स्थित है।

(ख) 31-3-1992 तक इनमें से प्रत्येक उपक्रम में किए गए निवेश की कुल राशि इस प्रकार है :

(लाख रु० में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी	ऋण	कुल
उत्तर पूर्वीय हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	137	381	518
उत्तर पूर्वीय विद्युत निगम लि०	33840	22115	55955

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन में से प्रत्येक उद्यम द्वारा उठाए गए निवल लाभ/हानि का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	(रुपए लाखों में) लाभ/हानि		
	1991-92	1990-91	1989-90
उत्तर पूर्वीय हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	(—) 15	(—) 73	(—) 17
उत्तर पूर्वीय विद्युत निगम लि०	1358	998	421

केरल में न्यायालयों के लिए भवन

5230. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में न्यायालयों के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुमानित लागत 1,729.5 लाख रुपए है।

(ग) सरकार, न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार कर रही है, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित होगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संकट

5231. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 31-3-1992 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच ऐसे उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में स्थित थे। इनमें से एक उद्यम नामशः ने टे का (म० प्र०) लि० निरन्तर घाटा उठाता रहा है और इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रुग्णता की परिभाषा के तहत रुग्ण घोषित किया जा चुका है और नवीकरण पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जा चुका है।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा नए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

5232. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खादी ग्रामोद्योग में अनुसंधान कार्य को अद्यतन बनाने के लिए नए केन्द्रों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां स्थित होंगे; और

(ग) इन केन्द्रों के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि वे इन्हीं मदों का उत्पादन करने वाले गैर सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि पर आधारित खादी और ग्रामोद्योग

5233. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कृषि पर आधारित खादी और ग्रामोद्योगों पर पुन: बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, आठवीं योजना अवधि के दौरान इसका वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा, इसकी वास्तविक और वित्तीय स्थिति क्या होगी तथा आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य/संघ क्षेत्र-वार इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना के दौरान अनुदान, राज-सहायता और ऋण के रूप में राज्य-वार अलग-अलग कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है और इनका वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बजट में 900 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटन का हिसाब लगा रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश में चुनिंदा जिलों के लिए के० वी० आई० के माध्यम से एक विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम में लगभग 1.40 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की परिकल्पना है और इस प्रयोजन के लिए 15 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

नेप्था का आयात

5234. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेप्था का आयात करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नेप्था के आयात से क्या लाभ होंगे; और

(घ) नेप्था की इस समय अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमत क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) नेप्था के आयात को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं० 91 (एन-26)/92-93 दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 के अन्तर्गत असरणीबद्ध कर दिया गया है। अत: उपभोक्ता अपनी जरूरतों के अनुसार नेप्था का आयात करने के लिए स्वतन्त्र है।

(घ) उर्वरक के अलावा उपभोक्ताओं को संभरण के लिए उत्पाद शुल्क और अन्य स्थानीय करों को छोड़कर नैफ्था की घरेलू कीमत 6075.69 रु० प्रति मी० टन है । नैफ्था की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर घटबढ़ होती है । सामान्य रेंज लगभग 180-190 अमरीकी डालर प्रति मी० टन बतायी जाती है ।

अमरीकी डी० ए० पी० उर्वरक का आयात

5235. **श्री राम नाईक :**

श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार में अमरीकी डी० ए० पी० उर्वरक के उदार आयात का स्वदेशी उर्वरक उद्योग के अस्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो देश में उत्पादित डी० ए० पी० और फास्फेटिक उर्वरकों के बड़े भंडारों से उर्वरक सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उर्वरक संयंत्रों को बंद न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्वदेशी उद्योग को बचाने के लिए डी० ए० पी० उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) किसानों को प्रतियोगी मूल्यों पर डी० ए० पी० उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए डी० ए० पी० के आयात को 17-9-1992 से असरणीबद्ध कर दिया गया है । स्वदेशी उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि आयातित डी० ए० पी० की उत्पादन लागत की तुलना में उसकी निम्न कीमतों से डी० ए० पी० उत्पादक एककों को उनके स्वदेशी उत्पादों को बेचने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) डी० ए० पी० तथा एम० ओ० पी० की बिक्री पर रु० 1000 प्रति टन की रियायत तथा उसमें काम्पलैक्स उर्वरक की बिक्री पर उनके फास्फेटिक तथा पोटासिक तत्व वाले स्वदेशी तथा आयातित दोनों उत्पादों के सम्बन्ध में अनुपातिक रियायत भारत सरकार द्वारा 31-3-1993 तक उपलब्ध करायी गयी थी ।

(ग) स्वदेशी डी० ए० पी० तथा आयातित फास्फोरिक एसिड पर आधारित काम्पलैक्स उर्वरकों की लागत कम करने के विचार से आयातित फास्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क दिनांक 27-8-1992 से समाप्त कर दिया गया है । डी० ए० पी० तथा काम्पलैक्स के उत्पादन के लिए उर्वरक के कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों का आयात भी दिनांक 16-9-92 से सरकारी विनिमय दर पर मंजूर किया गया । तथापि, 1993-94 के बजट प्रस्तावों में एकीकृत विनिमय दर की घोषणा से कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों का आयात रुपये की तुलना में अधिक महंगा हो गया है । उर्वरक उद्योग ने स्वदेशी डी० ए० पी० संयंत्रों को बंद होने से बचाने के लिए तथा उन्हें आयातित डी ए पी से प्रतियोगिता करने में सक्षम बनाने के लिए एक राहत पैकेज की मांग की है । सरकार ने समुचित राहत प्रदान करने के विचार से उद्योग के प्रतिवेदन को ध्यान में रख लिया है ।

(घ) डी० ए० पी० के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

असम में खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनायें

5236. **श्री प्रबीन डेका :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं और केन्द्र सरकार द्वारा 1990-91 और 1991-92 के दौरान असम में खादी ग्रामोद्योग के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को दिए गये अनुदानों का ब्योरा क्या है:

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान अनुदान/ऋण बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) असम राज्य में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

पार्कों की चारदीवारी का निर्माण

5237. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी पार्क की चारदीवारी के निर्माण हेतु कोई मानक निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) पार्कों की उन चारदीवारों का ब्योरा क्या है जिनका निर्माण गत 12 महीनों में किया गया है;

(घ) क्या ये चारदीवारें निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में गत 12 महीनों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित 21 पार्कों की चहरदीवारी का निर्माण किया गया था—

(i) इंद्रपुरी	1
(ii) कस्तूरबा नगर	5
(iii) त्यागराज नगर	1
(iv) नेताजी नगर	1
(v) सेक्टर-I, आर के पुरम	1
(vi) सेक्टर-II, आर के पुरम	1

(vii) सेक्टर-IV, आर के पुरम	1
(viii) सेक्टर-V, आर के पुरम	1
(ix) सेक्टर-VII, आर के पुरम	1
(x) सेक्टर-VIII, आर के पुरम	2
(xi) सेक्टर-IX, आर के पुरम	1
(xii) सेक्टर-XII, आर के पुरम	1
(xiii) मोती बाग	1
(Xiv) नानक पुरा	1
(Xv) एलबर्ट ए स्क्वायर पोकेट (सी) सेक्टर-II, डी० आई० जेड० एरिया	2
	21

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोला जाना

5238. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन से केरल में और अधिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०(फैक्ट)को कुछ और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं आरंभ करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए सरकार के सुझाव के उत्तर में कम्पनी ने सूचित किया है कि केरल में 30,000 मृदा नमूनों का प्रति वर्ष विश्लेषण करने की उनकी क्षमता की तुलना में, 1992-93 में फैक्ट के माध्यम से केरल में किसानों से मृदा विश्लेषण की मांग केवल 17486 नमूनों की थी। फैक्ट के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता तथा राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा इस सेवा के अच्छे विस्तार को ध्यान में रखते हुए फैक्ट ने महसूस किया कि कम्पनी द्वारा राज्य में अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु/मध्यम/बड़े उद्योग

5239. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने लघु, मध्यम तथा बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इन उद्योगों को रियायत दरों पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 182462 लघु एकक (अनन्तिम) पंजीकृत थे।

उपर्युक्त को छोड़कर मध्य प्रदेश में निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किये गए हैं और आशय पत्र स्वीकृत किए गए हैं—

वर्ष	दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	स्वीकृत आशय पत्र
1990	—	47
1991	267	46
1992	309	28

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर या अन्यथा बिजली की आपूर्ति अलग-अलग राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड का विषय है।

[अनुवाद]

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

5240. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्रों के लिए "ग्रुप रिटेन्शन प्राइसिंग सिस्टम" लागू करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। गैस पर आधारित नाइट्रोजनी उर्वरक संयंत्रों के लिए सामूहिक प्रतिधारण मूल्य के मामले पर 1-4-1991 से आरम्भ होने वाली नई मूल्य निर्धारण अवधि के लिए प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना के लिए नीतिगत मानदण्डों के सम्बन्ध में प्रस्तावों सहित विचार किया जा रहा है।

यूरिया का आयात

5241. **श्री रामनाथ सोमकर शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों (यूरिया) का 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान कई गुणा अधिक आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1992-93 के दौरान कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया तथा 1993-94 के दौरान उसका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा;

(घ) उस पर कितनी लागत आयी और उसका आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ङ) क्या आयात कम से कम करने तथा यूरिया का उत्पादन/निर्माण अपने ही देश में करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग तथा स्वदेशी उपलब्धि के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए यूरिया आयात किया जाता है । 1993-94 के दौरान आयात की जाने वाली यूरिया की मात्रा कई पहलुओं पर निर्भर करेगी, जैसे कि वर्षा, स्वदेशी उत्पादन, गत वर्ष से आगे लाए गए भण्डार तथा मांग तथा फास्फेटिक उर्वरक वाले अन्य नाइट्रोजन का आयात जैसे कि डी० ए० पी० जिनको स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति दी गई है । आयात की लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करेगी जो समय-समय पर भिन्न होती है । तथापि, 1992-93 के दौरान (फरवरी, 1993 तक), 725.63 करोड़ रुपए के मूल्य (सी एण्ड एफ आधार पर) का 17.68 लाख टन यूरिया सी आई एस, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, आबूधाबी, जर्मनी, हालैंड आदि सहित कई देशों से आयात किया गया था ।

(ङ) और (च) गैस पर आधारित तीन नई अमोनिया यूरिया परियोजनाएं बबराला (उ० प्र०), शाहजहांपुर (उ० प्र०) तथा गडेपान (राजस्थान) में प्रत्येक स्थान पर एक-एक इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं । नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, विजयपुर (म० प्र०) तथा आंवला (उ० प्र०) के गैस पर आधारित संयंत्रों की वर्तमान क्षमता को दुगुना करने की योजना है । कृष्णा-गोदावरी बेसिन (आन्ध्र प्रदेश) में मध्यम आकार के अमोनिया-यूरिया संयंत्र के लिए गैस की उपलब्धि भी इंगित की गई है ।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर केन्द्र

5242. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में और अधिक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना व्यय होगा; और

(घ) गुजरात में पहले से ही चालू कम्प्यूटर केन्द्रों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां चल रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :

प्रस्तावित स्थल	स्थापित किया जाने वाला कम्प्यूटर
(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), योजना आयोग द्वारा	
उच्च न्यायालय, अहमदाबाद	सुपर मिनी कम्प्यूटर
(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के तकनीकी सहयोग से	
1. राजस्व विभाग, सी बी ई सी द्वारा	
केन्द्र उत्पाद तथा सीमा शुल्क कलक्ट्रेट, इलाहाबाद	सुपरी मिनी कम्प्यूटर
अहमदाबाद में 7 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभागों में 7 कम्प्यूटर केन्द्र	प्रत्येक प्रभाग में मिनी कम्प्यूटर
आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर तथा जामनगर में स्थित प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग में कम्प्यूटर केन्द्र	प्रत्येक प्रभाग में मिनी कम्प्यूटर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलैक्टरेट राजकोट	सुपर मिनी कम्प्यूटर
2. पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा	
अहमदाबाद	पर्सनल कम्प्यूटर
राजकोट	पर्सनल कम्प्यूटर
(ग) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा	
गांधी नगर स्थित राज्य पुलिस के लिए कम्प्यूटर केन्द्र	मेनफ्रेम/सुपर मिनी कम्प्यूटर
गुजरात के जिला मुख्यालय में राज्य पुलिस के लिए कम्प्यूटर केन्द्र	प्रत्येक स्थान पर मिनी/माइक्रो कम्प्यूटर

(ग) उपर्युक्त केन्द्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत आधार संरचना पर 3.15 करोड़ रु० का व्यय अनुमानित किया गया है।

(घ) केन्द्र सरकारी विभागों, राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करने के अपने उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र गुजरात में पहले ही निम्नानुसार कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर चुका है :

स्थान	स्थापित कम्प्यूटर
गुजरात कम्प्यूटर केन्द्र, गांधी नगर	सुपर मिनी कम्प्यूटर
एन आई सी—गुजरात राज्य केन्द्र, गांधी नगर	चार मिनी कम्प्यूटर
गुजरात के 19 जिला मुख्यालयों में 19 जिला सूचना विज्ञान केन्द्र	प्रत्येक जिले में मिनी कम्प्यूटर
बिक्री कर आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद	मिनी कम्प्यूटर
कृषि-जलवायु संबंधी क्षेत्रीय आयोजना इकाई, अहमदाबाद	मिनी कम्प्यूटर
वित्त विभाग, गुजरात सरकार, गांधी नगर	मिनी कम्प्यूटर

राजस्व विभाग, सी बी ई सी द्वारा एन आई सी के तकनीकी सहयोग से निम्नलिखित कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किए हैं :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलैक्टरेट, वडोदरा	सुपर मिनी कंप्यूटर
वडोदरा में 5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभागों में 5 कंप्यूटर केन्द्र	प्रत्येक प्रभाग में मिनी कंप्यूटर
सूरत में 3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभागों में 3 कंप्यूटर केन्द्र	प्रत्येक भाग में मिनी कंप्यूटर
वालसाड में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग	प्रत्येक प्रभाग में मिनी कम्प्यूटर

[अनुवाद]

बी यू टी पी-II परियोजना

5243. **श्री अन्ना जोशी :**

श्री राम कापसे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बी यू टी पी-II की परियोजना रूपरेखा जून, 1990 में उस पर सहमति देने तथा उसे विश्व बैंक को अग्रेषित करने के लिए प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) बम्बई मेट्रोपोलिटन रीजन डवलपमेंट अथारिटी ने द्वितीय बम्बई शहरी परिवहन परियोजना (बी यू टी पी-II) की पुनः प्रतिपादित परियोजना रूपरेखा दिसम्बर, 1991 में प्रस्तुत की। परियोजना रिपोर्ट की. जांच विश्व बैंक, महाराष्ट्र राज्य सरकार, वित्त, रेलवे आदि मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के परामर्श से की गई है। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने बताया

है कि वे वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं बशर्ते प्रस्तावित बी यू टी पी-II में शामिल सब अर्बन रेलवे के व्यय की पूर्ति में ही उपलब्ध संसाधनों से की जाए।

फरवरी, 1993 में हुई एक बैठक में राज्य सरकार से रेलवे स्टेशनों पर आसमानी एवं धरातली क्षेत्र के वाणिज्यिक दोहन के संशोधनों का प्रयोग करते हुए बी यू टी पी-II में शामिल रेलवे परियोजनाओं की सम्पूर्ण लागत की पूर्ति करने हेतु आयोजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

विकास दर

5244 **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय आय कितनी थी;

(ख) इस संबंध में गत दो वर्षों के तुलनात्मक वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) 1990-91 के लिए विकास दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या इसे प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए विकास दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे कब प्राप्त किया जायेगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1990-91 में राष्ट्रीय आय (वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद) 413943 करोड़ रुपये थी।

(ख) 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय आय (वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद) क्रमशः 310100 करोड़ रुपये तथा 354526 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) किसी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए विकास दर लक्ष्यों को औसत वार्षिक आधार पर सूचित किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से नियत नहीं किया जाता है। 1990-91 वर्ष न तो सातवीं योजना अथवा आठवीं योजना का कोई हिस्सा था। वर्तमान वर्ष (1993-94) आठवीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है जिसके लिए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के लिए औसत वार्षिक विकास लक्ष्य 5.6 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

खोखों/दुकानों का अनधिकृत निर्माण

5245. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास कुछ अनधिकृत खोखों तथा दुकानों का निर्माण कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अनधिकृत निर्माण को हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जामा मस्जिद इलाके में कुछ व्यक्तियों ने कई अस्थायी अतिक्रमण किए हैं। इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए वर्तमान रुख कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का है।

[अनुवाद]

मेघालय में यूरेनियम का खनन और प्रसंस्करण

5246. श्री पीटर जी० मरबनिआंग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय के किन-किन क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडार मिले हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में यूरेनियम के खनन और प्रसंस्करण को व्यापारिक आधार पर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) किन-किन ऐच्छिक संगठनों ने मेघालय में यूरेनियम के खनन और प्रसंस्करण का विरोध किया है;

(घ) उनकी मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का मेघालय के खासी हिल्स (पूर्व और पश्चिम) तथा जैंतिया हिल्स जिलों को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) मेघालय में पश्चिमी खासी पहाड़ियों में यूरेनियम के निक्षेपों की खोज की गई है।

(ख) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, डोमियासियात के यूरेनियम निक्षेपों से संबंधित एक रिपोर्ट के आधार पर परामर्शदाताओं की सहायता से एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करा रहा है। प्रक्रिया की परिचालनीयता प्रमाणित करने के लिए डोमियासियात में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

(ग) खासी-जैंतिया पर्यावरण संरक्षा परिषद ने मेघालय में यूरेनियम के खनन और संसाधन के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई हैं।

(घ) विभाग ने मेघालय में एक सम्पूर्ण खनन और पेषण कार्य करने का निर्णय अभी नहीं लिया है। जब एक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा तब, पर्यावरण के बारे में योजना बनाने और उसके परिरक्षण के लिए यथोचित उपाय किए जाएंगे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उद्योग शुरू करना

5247. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने गुजरात में नए उद्योग शुरू करने में रुचि दिखाई है और इस संबंध में कुछ समझौते भी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में ये समझौते किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में सामान्यतया उनकी परियोजना के स्थापना स्थल का उल्लेख नहीं किया जाता इसलिए विदेशी सहयोग परियोजना की स्थापना के स्थल संबंधी विशिष्ट ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय बचत

5248. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के उपलब्ध संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय बचत की दर क्या होगी और सम्पूर्ण नौवें दशक में बचत की दर क्या रही और कितनी बचत हुई; और

(ग) क्या आठवीं योजना बचत की दर में वृद्धि होने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों का अनुमान 1991-92 के मूल्यों पर 7,98,000 करोड़ रु० है। इसमें से 7,43,000 करोड़ रु० घरेलू बचत है तथा 55,000 करोड़ रु० विदेशी संसाधनों से है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, घरेलू बचत की दर छठी योजना (1980-85) में सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 19.65 प्रतिशत तथा सातवीं योजना (1985-90) में सकल घरेलू उत्पाद का 20.37 प्रतिशत था तथा आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 21.6 प्रतिशत तक सुधार होने का अनुमान है।

सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध

5249. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी परियोजनाओं में निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किस वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा;

(ग) क्या इस सामग्री के उपलब्धता की पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या लकड़ी की तुलना में इन सामग्रियों के मूल्य पर विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 1-4-1993 के बाद निर्माण किए जाने वाली इमारतों में टिम्बर का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित लकड़ी विकल्प पहले से ही विकसित किए जा चुके हैं तथा बाजार में उपलब्ध हैं :

1. रोल्ड इस्पात, इस्पात चद्दर, अल्यूमिनियम एक्सट्रूजन और प्लास्टिक निर्मित दरवाजे और खिड़की और चौखटें ।
2. इस्पात, अल्युमिनियम, प्लास्टिक चद्दर, आर सी सी, फेरों सीमेंट और पार्टिकल बोर्ड सैल्स से निर्मित दरवाजे और खिड़की शटर ।
3. प्लास्टिक/पी वी सी/जिप्सम विभाजक और नकली छत ।
4. नकली छत के लिए एल्युमिनियम के रोल्ड और एक्सट्रूजन का उपयोग ।
5. भवनों में सेंटरिंग और शटरिंग के लिए इस्पात ।
6. कार्यालय के लिए स्टील फर्नीचर ।

(घ) और (ङ) ऐसे तुलनात्मक लागत विश्लेषण के ब्यौरे पर्याप्त अनुभव प्राप्त होने के पश्चात् ही व्यावहारिक परीक्षणों के आधार पर उपलब्ध होंगे । तथापि, अनुमान है कि लकड़ी की लागत से विकल्प सामग्री की लागत प्रयोग के आधार पर तुलनात्मक रूप से अधिक कम हो सकती है ।

(च) और (छ) राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, राज्य स्तरीय एजेंसियों और राज्य निर्माण विभागों को लकड़ी की विकल्प सामग्री के प्रयोग करने तथा ऐसी सामग्री के उपयोग की सलाह दी गई है जिसमें विस्तृत निर्माण आकलन तैयार करते समय टिम्बर रहित उपयुक्त विकल्पों का प्रावधान हो ।

सफाई सुविधाओं के लिए कापार्ट की योजनायें

5250. श्री एम० कृष्णास्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापार्ट की ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की सुविधाओं के निर्माण और रख-रखाव के लिए वित्त पोषण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जी हां, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है । ऐसे निर्मित शौचालयों का रख-रखाव स्वयं लाभार्थियों द्वारा ही किया जाना होता है । गत तीन

वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
1989-90	123	1.85
1990-91	—	—
1991-92	325	8.24

हिमालय के समेकित विकास पर राष्ट्रीय नीति

5251. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय के समेकित विकास पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग ने एकीकृत विकास के लिए हिमालय पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उसके सदस्य (विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण) की अध्यक्षता में मार्च, 1992 में एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया है। इस समूह में प्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल हैं जो संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विशेषज्ञ समूह की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट को जुलाई-अगस्त, 1993 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक अलग जी० बी० पन्त हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान गठित किया गया है। इस संस्थान ने हिमालय के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है। विशेषज्ञ समूह द्वारा नीतियों और अपेक्षित उपायों का एकीकृत फ्रेम वर्क तैयार किए जाने के बाद आगामी कारंवाई आरंभ की जाएगी/कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड

5252. **श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बोर्ड की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव सरकार से विचाराधीन है ।

तिरुवन्तपुरम में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

5253. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री 29 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में तिरुवन्तपुरम में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : तिरुवन्तपुरम, केरल स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस० टी० पी) ने अब तक 24 सॉफ्टवेयर इकाइयों को परिसर के अन्दर कार्य करने के लिए अनुमोदित किया है, जिनमें से 9 इकाइयां कार्य कर रही हैं । एस० टी० पी०, तिरुवन्तपुरम ने वर्ष 1992-93 के दौरान 43 लाख रुपए मूल्य के सॉफ्टवेयर का निर्यात किया है ।

गंदी बस्तियों में सुधार

5254. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गंदी बस्तियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन गंदी बस्तियों का चयन किया गया; और

(ग) भविष्य में मध्य प्रदेश की इन गंदी बस्तियों के सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) शहरी विकास मन्त्रालय के निदेश से मध्य प्रदेश के स्लमों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) "शहरी विकास" राज्य का विषय है और स्लमों का सुधार सामान्यतः शहरी स्लम बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य सेक्टर की योजना के अंतर्गत किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत शहरी स्लम बस्तियों में कम लागत की जलापूर्ति, नालियां, सीवरेज, सामुदायिक स्नानघर तथा शौचालयों, लेनों को चौड़स चौड़ा करना तथा खड़ंजे बिछाना और पथ प्रकाश जैसी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं । राज्य में 1991-92 के दौरान शहरी स्लम बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अंतर्गत 9 ',000 स्लम निवासियों को लाभान्वित किया गया था ।

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना की केंद्र द्वारा परिवर्तित योजना के अंतर्गत शहरी स्लम बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार की योजना के संयोजन से चयनित कस्बों की स्लम बस्तियों में मां और बच्चों शिशु का स्वास्थ्य; अनौपचारिकता शिक्षा तथा जरूरतमंदों को सहायता से संबंधित सामाजिक सेवाएं मुहैया की जाती हैं । शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा मध्य प्रदेश के दस कस्बों में यथा संलग्न विवरण कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 1992-93 के दौरान शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा योजना हेतु मध्य प्रदेश सरकार को 82.75 लाख

रुपए का नियतन किया गया था तथा 1993-94 के लिए राज्य हेतु 119.60 लाख रुपए का अनन्तिम नियतन तय किया गया है।

इसके अतिरिक्त ओ० डी० ए० के तत्वाधान में यू० के० की सहायता से इंदौर में हैबीटाट सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में 34.45 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर इंदौर के तय किए गए 183 स्लमों में पर्यावरणीय सुधार पर विचार किया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा योजना के अंतर्गत चुने गए कस्बों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. भोपाल
2. बेरासिया
3. जबलपुर
4. कटनी
5. रायगढ़
6. खरसिया
7. राजनंदगांव
8. मंदसौर
9. खंडवा
10. बुरेनपुर

केन्द्रीय निवेश राज-सहायता हेतु दावे

5255. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय निवेश राज-सहायता हेतु केरल सरकार के कितने दावे जो अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं, मिले हैं;

(ख) इन दावों के लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन दावों को अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना को वापस लेने पर केन्द्र

सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे गैर-निर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 30-9-1989 तक और निर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 31-12-1989 तक एककों को राजसहायता वितरित करें बशर्ते कि राज्य स्तर की समितियों/जिला स्तर की समितियों द्वारा 30-9-1988 को या उससे पहले अर्थात् योजना की वैध अवधि के अन्दर परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया हो। केरल सरकार के प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे कोई दावे लम्बित नहीं हैं जो उपर्युक्त पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार

5256. श्री रामदेव राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी जिला मुख्यालयों, विशेष रूप से वेस्ट इनक्लेव, पीतमपुरा में केन्द्रीय भंडार खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वेस्ट इनक्लेव, पीतमपुरा में सरकारी कर्मचारी आवासों के दस काम्प्लेक्सों में केन्द्रीय भंडार सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी केन्द्रीय भंडार खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय भंडार की शाखाएं विपणन सुविधाओं, नए भंडारों की आर्थिक लाभप्रदता और एक रुपये प्रति माह के नाममात्र किराये पर उपयुक्त तथा पर्याप्त आवास की उपलब्धता जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकांशतः ऐसे क्षेत्रों में खोली जाती है जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का बाहुल्य हो। केन्द्रीय भंडार का पीतमपुरा, दिल्ली में पहले ही एक भंडार चल रहा है। दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र में एक नया भंडार खोलने की योजना भी बनाई गई है। आवास की दिक्कत के कारण निकट भविष्य में दिल्ली में कोई नया भंडार खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय भंडार ने फरीदाबाद (हरियाणा) तथा मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) में एक-एक भंडार खोलने की योजना बनाई है।

सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निधि बढ़ाना

5257. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के बजट में सरकारी उद्यम विभाग को राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिये 1000 करोड़ रुपये और केन्द्र के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सहायता हेतु 2500 करोड़ रुपये एकत्र करने का कार्य दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोजनार्थ कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ग) अपेक्षित राशि एकत्र करने में हुई विफलता के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जैसा कि वर्ष 1992-93 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सामान्य शेयरों की बिक्री के जरिए विकास के लिये 2500 करोड़ रुपये के गैर-स्फीतिकारी संसाधन जुटाने तथा राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए 1000 करोड़ रुपये के संसाधनों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से 1912.51 करोड़ रुपये जुटा लिये हैं। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के लिए बोलीदाताओं द्वारा लगाया गया मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित संदर्भ मूल्य से कम था, इसलिए सभी प्रस्तावित शेयर बेचे नहीं गये थे।

[अनुवाद]

दिल्ली में भड़काऊ पर्चों का वितरण

5258. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिन्दी में उत्तेजक और भड़काऊ पर्चे बांटे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन पर्चों के स्रोत का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस संबंध में चलाए गए मुकदमों और अब तक की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस तरह के पर्चों के भंडार को जब्त करने तथा उन्हें नष्ट करने के लिए कोई छापे मारे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1992 और 1993 (15-2-1993 तक) के दौरान भड़काऊ पर्चों को परिचालित किए जाने के 11 मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) से (ङ) 11 में से 5 मामलों में, दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तीन मामलों में, दिल्ली प्रशासन का विचार था कि पर्चे कार्रवाई किए जाने/आपत्ति किए जाने योग्य नहीं थे। दो मामलों में दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और शेष बचे एक मामले में "प्रिन्ट-लाइन" के न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर आर्थिक नीति का प्रभाव

5259. श्री रामदेव राम : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या नई आर्थिक नीति के लागू किए जाने से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पूरे होने वाले हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई आर्थिक नीति का उद्देश्य त्वरित आर्थिक विकास तथा अधिक दक्षता है चूंकि देश में दीर्घावधि में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को इस त्वरित विकास से लाभ होने की आशा है। इसके अलावा, मौजूदा आरक्षण नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन का सरकार इरादा भी नहीं रखती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना की व्यापक कार्यानीतियां सरकार द्वारा अपनाई गई हैं। आदिवासी उप योजना की कार्यनीति छठी पंचवर्षीय योजना से अस्तित्व में आई। विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना की परिकल्पना क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के सामान्य क्षेत्रों से लाभों तथा परिव्ययों के प्रवाह को कम-से-कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में वास्तविक तथा वित्तीय, दोनों ही दृष्टियों से, सारणीबद्ध करने के लिए की गई है। 21 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार है, अनुसूचित जातियों के लिए अपनी-अपनी विशेष संघटक योजनाएं, प्रतिपादित तथा क्रियान्वित कर रहे हैं। इसकी तुलना में आदिवासी उप योजना 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजना विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्पूरित की जाती हैं ताकि क्रांतिक अन्तरों को भरने के लिए लक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आर्थिक विकास की दिशा में उच्चतर निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। अनेक मंत्रालय/विभाग भी अपनी विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना प्रतिपादित कर रहे हैं।

विशेष संघटक योजना/आदिवासी उप योजना के अलावा, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजार्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है, भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास के लिए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1. सतत योजनाएं

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (केंद्र प्रायोजित)

2. विदेश में अध्ययन हेतु छात्रों को सरकारी छात्रवृत्तियां (गैर योजना-केंद्रीय)
3. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (केंद्र प्रायोजित)
4. पुस्तक बैंक (केंद्र प्रायोजित)
5. लड़कियों के होस्टल (केंद्र प्रायोजित)
6. लड़कों के होस्टल (केंद्र प्रायोजित)
7. कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं (परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण (केंद्र प्रायोजित)
8. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (केंद्रीय)
9. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाना (केंद्रीय प्रायोजित)
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास (केंद्रीय)
11. (क) अनुसूचित जाति विकास निगम (केंद्र प्रायोजित)
    (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (केंद्रीय)
12. अनुसंधान और प्रशिक्षण (केंद्रीय)
13 भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ (केंद्रीय)
14. ट्राइफेड को मूल्य समर्थन (केंद्रीय)
15. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना (केंद्र प्रायोजित)
16. ट्राइफेड में निवेश (केंद्रीय)
17. आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों और मूल वन तेलों का विकास (केंद्रीय)
18. विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता (केंद्रीय)
19. आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता (केंद्रीय)

II. नई योजनाएं (सभी केंद्रीय योजनाएं)

1. अति निम्न साक्षरता स्तर की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम
2. आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर
3. आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण
4. लघु वन उत्पाद संबंधी राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायतानुदान।

सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के प्रति गहरी चिंता रखती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती

है तथा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन तथा नियुक्ति की गई निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ सतत् बातचीत की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि विशेष संघटक योजना के अंतर्गत स्कीमों के लिए परिव्ययों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा अन्य योजनाओं को निधियों के अपवर्तन को नियंत्रित करने की दृष्टि से पृथक-पृथक बजट शीर्ष/लेखा उप शीर्ष खोलें। कुछ राज्यों ने अपने बजटों में अलग शीर्ष/लेखा उप शीर्ष पहले ही खोल दिए हैं।

[अनुवाद]

एशिया वाच की रिपोर्ट

5260. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया वाच और मानवाधिकारों के कार्यरत बोस्टन के डाक्टरों द्वारा "दि क्रेकडाउन इन कश्मीर, टॉर्चर आफ डिटेनीज एंड एसाल्ट ऑन दि मेडिकल कम्युनिटी" शीर्षक के अन्तर्गत जारी जम्मू और कश्मीर संबंधी रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) एशिया वाच द्वारा इस रिपोर्ट में शुरू किए गए दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) रिपोर्ट पर सरकार की टिप्पणियां तुरन्त हीं विदेशों में स्थित हमारे मिशनों को उपलब्ध कराई गई जिससे कि वे प्रेस विज्ञप्तियों तथा अन्य चैनलों के माध्यम से सही-सही वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत कर सकें, आरोपों का खण्डन कर सकें और रिपोर्ट के आधार पर निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार का विरोध कर सकें।

स्तनपान को बढ़ावा

5261. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कुछ वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में शिशु आहारों के विपणन को नियमित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संहिता बनाने के पक्ष में मत दिया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने स्तनपान को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्रीय संहिता अपनायी है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त (क) और (ख) से संबंधित ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई विधान बना लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दोनों संहिताएं शिशु दुग्ध के स्थानापन्न जैसे उत्पादों के विपणन और इसके प्रयोग पर लागू होती हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) स्तनपान को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम शिशु दुग्ध के स्थानापन्न, दूध की बोतलों और शिशु आहार के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करता है।

उल्फा के आत्मघाती दस्ते

5262. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के युनाइटिड लिबरेशन फ्रन्ट (उल्फा) ने शीर्ष नेताओं की हत्या करने के लिए वर्ष 1900 के अन्त से 1991 के आरम्भ के बीच 30 आत्मघाती दस्ते बनाए थे जैसा कि 29 दिसम्बर, 1992 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खतरे से निबटने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के दस्तों की मौजूदगी, उनकी गतिविधियां और योजनाएं तथा इन्हें समाप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्। ऐसी रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ख) और (ग) राजनैतिक नेताओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए और आत्मघाती दस्तों के सदस्यों को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई थी।

(घ) आत्मघाती दस्तों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट का उत्पादन

5263. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट का उत्पादन कहां-कहां होता है;

(ख) क्या राज्य में ग्रेनाइट पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत जनसंख्या परियोजना

5264. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों के निवासियों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्थिति को सुधारने हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना को स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कार्य किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ख) ये प्रश्न नहीं उठते।

कोककारी कोयले का आयात

5265. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने संयंत्रों में प्रयोग के लिए कोककारी कोयले का आस्ट्रेलिया से आयात करने के लिए एक दीर्घावधि की संविदा की है;

(ख) क्या कोककारी कोयले का आयात विश्व बैंक की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत और विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। तथापि जुलाई, 1991 से 4 वर्ष की अवधि (जो एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है) के लिए वैध एक दीर्घकालिक त्रिपक्षीय करार स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड तथा मैसर्स बी० एच० पी० आस्ट्रेलिया एवं उसकी सहायक कंपनी बी० एच० पी० काउन्टर ट्रेड लिमिटेड, सिंगापुर के बीच विद्यमान है। इस करार में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी द्वारा बी० एच० पी० को 3 लाख टन लौह अयस्क पैलेट वार्षिक रूप से एक सुनिश्चित मात्रा में और 1.5 लाख टन पैलेट वार्षिक रूप से वैकल्पिक मात्रा में निर्यात करने का प्रावधान है। यह मैसर्स बी० एच० पी० से "सेल" द्वारा 40 प्रतिशत परस्पर व्यापार आधार पर कोककर कोयले के आयात से सन्निहित है।

(ख) और (ग) जी, हां। "सेल" ने विश्व बैंक वित्त पोषण योजना और उसके मार्गदर्शन के तहत 1992 से दो चक्रों जो 751.3 लाख अमरीकी डालर मूल्य (लागत बीमा तथा भाड़ा) के 11.5 लाख टन और 926.3 लाख अमरीकी डालर मूल्य (लागत बीमा तथा भाड़ा) के 15 लाख टन के हैं, में कोककर कोयले के आयात के संबंध में करार किया है। 1049.5 लाख अमरीकी डालर मूल्य (लागत, बीमा तथा भाड़ा) के 17.2 लाख टन कोककर कोयले की अतिरिक्त मात्रा के आयात के संबंध में औपचारिक करार अभी किया जाना है।

दिल्ली की यातायात स्थिति में सुधार

5266. **डा० आर० मल्लू** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने विज्ञापनों के माध्यम से दिल्ली की यातायात स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में जनता से सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने सुझाव प्राप्त हुए;

(ग) इन सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या प्राप्त हुए सुझावों को देखते हुए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि में विज्ञापनों पर कितना खर्च आया है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली में यातायात की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से जनता से प्रस्ताव/सुझाव आमंत्रित नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) 1990 से 28 फरवरी, 1993 तक के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विज्ञापनों पर 19,75,330 रु० खर्च किए गए।

सफाई कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग

5267. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सफाई कर्मचारियों के संबंध में एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार में लोहा और इस्पात संयंत्र

5268. **श्री छेदी पासवान** :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लोहा और इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नए लोहे तथा इस्पात कारखाने स्थापित करने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में "लोहा और इस्पात" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की जरूरतों से भी मुक्त कर दिया गया है। अतएव 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की सीमा के 25 कि० मी० के भीतर के स्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बाजार में कच्चे तेल का मूल्य

5269. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह हमारे देश के लिए कहां तक लाभकारी होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1992 से फरवरी, 1993 तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत में गिरावट आने की प्रवृत्ति रही है। कीमत में किसी प्रकार की गिरावट का आना देश के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

[हिन्दी]

बिहार में खनन कार्यों पर प्रतिबंध

5270. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खनन कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन खनन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन पर राज्य में खनन कार्य करने पर प्रतिबन्ध है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिहार में खनन कार्यकलापों पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो ने सूचना दी है कि निम्नलिखित दो खानों पर बिहार के वन-विभाग ने वन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में खनन कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था—

क्र० सं०	खान/गांव/जिले का नाम	मालिक का नाम	अस्थायी रूप से रोक दिया गया/छोड़ दिया गया
1.	रतन फायरक्ले खान, गांव—जोरहाट और बसाडीह डाकखाना—चारची जिला—हजारीबाग (बिहार)	श्री विजय कुमार जैन	24-6-1992 से अस्थायी रूप से रोक दिया गया ।
2.	बिहार आयरन ओर खान, गांव—मेरलगारा डाकखाना—बाराजमदा जिला—पश्चिम सिंहभूम (बिहार)	श्री निर्मल कुमार प्रदीप कुमार	25-11-1992 से छोड़ दिया गया ।

[अनुवाद]

राज्यों को रायल्टी

5271. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान तेल उत्पादक राज्यों को दी गई रॉयल्टी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ईश्वरन समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन राज्यों को तेल पर दी जाने वाली रॉयल्टी की दर बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि के दौरान राज्यों को कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर दी गई रॉयल्टी की राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपये)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93 (अनंतिम)
गुजरात	407.07	196.33	475.35
असम	264.37	205.11	382.19
तमिलनाडु	12.53	9.11	24.75
आन्ध्र प्रदेश	1.06	2.69	8.57
अरुणाचल प्रदेश	0.76	3.00	3.66
त्रिपुरा	0.41	0.43	0.70

(ख) से (घ) ईश्वरन समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने तथा राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के बाद दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रॉयल्टी की दर 481 रु० प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है।

तमिलनाडु में कोयला भंडार

5272. **श्री आर० जीवरत्नम : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोयले के भंडारों की खोज के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस राज्य में उक्त अवधि के दौरान कोयले की कितनी मात्रा की खोज की गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण, देश में कोयला के संसाधनों का निर्धारण करने हेतु क्षेत्रीय अन्वेषण निरन्तर आधार पर करता है। अभी तक दिनांक 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा कोयला के भंडार होने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

अर्धसैनिक बलों में पदोन्नति की समान नीति

5273. **प्रो० प्रेम धूमल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ०, सी०आई०एस०एफ० तथा अन्य अर्धसैनिक बलों में इंस्पेक्टरों तथा सब-इंस्पेक्टरों को पदोन्नति की समान नीति है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बलों में पदोन्नति की समान नीति बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल, के० रि० पु० बल, के० ओ० सु० बल और अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए कोई समान प्रोन्नति नीति, इन बलों की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को तथा इन रैंकों के कर्मिकों द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित ड्यूटियों की भिन्न-भिन्न प्रकृति को देखते हुए, निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिलाओं में धूम्रपान

5274. **श्री बारे लाल जाटव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्रपान की आदी महिलाओं में अनेक रोग हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो महिलाओं में धूम्रमान की लत छुड़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) धूम्रपान की आदी महिलाओं में पुरुषों की भांति तम्बाकू से होने वाली कैंसर तथा हृदय-पेशीय जैसी बीमारियों के अलावा

मासिक-धर्म में अनियमितता, गर्भपात, मृत बच्चे को जन्म देने आदि जैसी बीमारियां पैदा होती हैं।

(ख) भारत सरकार ने सिगरेट के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देने के अतिरिक्त तम्बाकू के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध जैसे अनेक उपाय शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बटालियन

5275. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या गृह मंत्री भारतीय रिजर्व पुलिस के बारे में 9 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 361 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य भारतीय रिजर्व बटालियन के गठन पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) ऐसी बटालियनों के गठन के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) निम्नलिखित राज्य भारत रिजर्व बटालियनों के गठन के लिए सहमत हो गए हैं और उन्होंने पुष्ट प्रस्ताव भेज दिए हैं—

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) असम

(3) हिमाचल प्रदेश

(4) मिजोरम

(5) मणिपुर

(6) पंजाब

(7) राजस्थान

(8) सिक्किम

(ख) इन राज्यों में भारत रिजर्व बटालियनों के गठन की स्वीकृति शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

उरन में गैस टर्मिनल

5276. डा० वसंत पवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरन में नए तटीय टर्मिनल को गैस की सप्लाई हेतु अपतटीय आधारभूत संरचना में संशोधन करने के लिए कोई योजना बनायी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाम्बे हाई साउथ बेसिन गैस के लिए गैस टर्मिनल की स्थापना करने के स्थल के रूप में उरन का चयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पश्चिमी समुद्री तट पर किसी उपयुक्त उतराई स्थल से दक्षिणी भारत में गैस पाइप लाइन बिछाने की अवधारणा को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

इस्सो पेट्रोल पम्पों को इंडियन आयल कारपोरेशन के पेट्रोल पम्पों में बदलना

5277. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने इस्सो डीलरों से उनके प्रारम्भिक वर्षों के दौरान यह कहा था कि वे अपने पेट्रोल पम्पों को इंडियन आयल कारपोरेशन के पेट्रोल पम्पों में बदल दें; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा और पंजाब के ऐसे कितने मामले इंडियन आयल कारपोरेशन के पास अभी भी लम्बित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कोई नहीं।

मूल्य निर्धारण फार्मूला

5278. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण करने के फार्मूले में संशोधन किया है अथवा उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राकृतिक गैस के बंटवारे के लिए विभिन्न राज्यों की क्या मांग है और उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) प्राकृतिक गैस की कीमतों में दिनांक 1-1-1992 को अंतिम बार संशोधन किया गया था और संशोधन का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राकृतिक गैस का आबंटन और उसकी आपूर्ति राज्यवार आधार पर नहीं की जाती है। यद्यपि राज्य सरकारें अपने राज्यों में स्थित यूनिटों के लिए गैस के आबंटन के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन देती हैं तथापि, डाउनस्ट्रीम यूनिटों को सर्वोत्तम किफ़ायती इस्तेमाल के आधार पर तथा विद्युत एवं उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन किया जाता है।

एड्स पर नियंत्रण

5279. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व स्तर पर और इससे निचले स्तर पर एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यार्थियों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। "यूनिवर्सिटी टॉक एड्स" नामक एक योजना अनुमोदित की गई है जिसमें देश के विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय-पूर्व स्तर के सभी छात्रों को शामिल किया जाएगा। यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एड्स/एच आई वी के बारे में जागरूकता पैदा करने में विशिष्ट कार्य करने वाले छात्रों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोगी

5280. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने कुष्ठ निवारण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों को कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या ये केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन केन्द्रों पर रोगियों को निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित केन्द्र हैं—

(i) कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें/संशोधित नियंत्रण यूनिटें	122
(ii) शहरी कुष्ठ केन्द्र	60
(iii) एस० ई० टी० केन्द्र	1023
(iv) जिला कुष्ठ यूनिटें	17
(v) अस्थायी अस्पतालीकरण वार्ड	17
(vi) नमूना सर्वेक्षण-सह-मूल्यांकन यूनिट	1

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को 175.00 लाख रुपये की नकद और 110.00 लाख रुपये की माल के रूप में सहायता दी गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में वाहनों की चोरी

5281. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में वाहनों की चोरी में लिप्त कई गिरोहों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) अपराधियों द्वारा दिए गए सुरागों के आधार पर कितने वाहनों को बरामद किया गया है; और

(ङ) सरकार ने राज्य में वाहनों की चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, उसका पता लगाना तथा अपराध की रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। राज्यों में पता लगाए गए वाहन चोरी करने वाले गिरोहों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा बरामद किए वाहनों की संख्या के संबंध में आंकड़े, केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ङ) वाहनों की चोरी की रोकथाम करने के लिए आवश्यक उपाय करना मध्य प्रदेश राज्य सरकार का काम है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नर्सिंग स्टॉफ की मांगें

5282. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री पी० सी० थामस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नर्सिंग स्टाफ सेवा शर्तों संबंधी अपनी मांगों के लिए आन्दोलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो नर्सिंग स्टॉफ की प्रमुख मांगें क्या हैं;

(ग) क्या नर्सिंग स्टॉफ के साथ अनेक बैठकों के बावजूद मुद्दे सुलझ नहीं पाये हैं;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन सी मांगें अभी स्वीकार नहीं की गई हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नर्सिंग कर्मचारी अन्य बातों के साथ-साथ संवर्ग समीक्षा के कार्यान्वयन, आवास की व्यवस्था आदि से संबंधित मसले उठाते रहे हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि रोगियों को उचित परिचर्या सुविधाएं मिलती रहें, नर्सिंग कर्मचारियों की प्रोन्नति के उद्देश्य से उनके प्रतिनिधियों के साथ पहले ही विचार-विमर्श कर लिया गया है।

वाराणसी में रैली

5283. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री सुधीर गिरि :
श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने वाराणसी में 2 फरवरी, 1993 को एक साम्प्रदायिकता-विरोधी रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी जिसका आयोजन अनेक राजनैतिक दलों द्वारा किया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पूर्व संसद सदस्य श्री प्रभु नारायण सिंह ने दिनांक 16-1-1993 को बनिया बाग, वाराणसी में साम्प्रदायिकता के खिलाफ दिनांक 2 फरवरी, 1993 को 13 राजनैतिक दलों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा एक रैली आयोजित करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह और श्री चंद्र शेखर, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु तथा बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव आदि रैली को सम्बोधित करने वाले थे। राज्य सरकार ने महसूस किया कि उस समय वाराणसी शहर की साम्प्रदायिक स्थिति अस्थिर थी और रैली आयोजित किए जाने के अनुकूल नहीं थी तथा तदनुसार अनुमति प्रदान नहीं की गई।

उत्तर प्रदेश में कुमाऊं में शरणार्थियों का पुनर्वास

5284. **डा० रमेश चन्द तोमर :**
श्री बलराज पासी :
श्री राजवीर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल के कितने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में पुनर्वास प्रदान किया गया है;

(ख) उन्हें कौन-कौन-सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके पुनर्वास पर सरकार द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन शरणार्थियों को शिक्षा एवं रोजगार देने के लिए कोई विशेष उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) उनकी नागरिकता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 3052 प्रवासी परिवारों को उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में बसाया गया था।

(ख) और (ग) 2955 प्रवासी परिवारों को कृषि क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया, तथा 97 परिवारों को लघु व्यापार/कारोबार क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया। 1952 से मार्च, 1993 तक इन परिवारों के पुनर्वास पर 84.62 लाख रुपए (पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए 1.57 लाख रुपये सहित) खर्च किए गए।

(घ) और (ङ) इन प्रवासी परिवारों की शिक्षा का स्तर भारत के अन्य नागरिकों के स्तर के समान है तथा इस प्रकार से इन परिवारों के लिए कोई विशेष शैक्षणिक अथवा रोजगार कार्यक्रम नहीं है।

(च) इन परिवारों में से 236 ने अब तक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है।

भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी

5285. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा सुरक्षा बल के कुछ कर्मी भारत बंगलादेश सीमा पर तस्करी और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पकड़े गए ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने मामले निपटा लिए गए हैं और कितने मामले विचाराधीन हैं;

(घ) ऐसे मामलों में सीमा सुरक्षा बल के कितने कर्मी शामिल हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) भारत-बंगलादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख)	वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या
	1991	33
	1992	45

(ग) और (घ) 45 मामलों में सजा दी गई, जबकि 20 मामलों में जांच अभी प्रगति पर है। 13 मामले बन्द किए गए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

(ङ) सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने, गश्त को गहन करने और उसमें बढ़ोतरी करने, निगरानी बुर्जों का निर्माण करने, नाईट विजन डिवाईसों का प्रयोग करना, सीमा सड़कों का निर्माण करना और संवेदनशील क्षेत्रों में तारों की बाड़ लगाने, सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाने जैसे अनेक उपाय किए गए।

[हिन्दी]

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

5286. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में हिन्दी भाषा में हिन्दी में कितना प्रतिशत कार्य किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन मे हिन्दी में कार्य की समीक्षा करने हेतु गृह मन्त्रालय की राजभाषा समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में समिति ने क्या टिप्पणियां की हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर पत्राचार के प्रयोजनार्थ पिछले एक वर्ष से हिन्दी का प्रयोग निम्न प्रकार से हो रहा है :

1. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर भेजने के लिए—66 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक।

2. मूल रूप से किए गये पत्राचार के लिए— 19 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक।

सचिवालय तथा जिला प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत जो सामान्य रूप से अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करते हैं हैं, निम्न प्रकार से है :

(1)	सचिवालय स्तर पर—	43 प्रतिशत
(2)	जिला प्रशासन—	40 प्रतिशत

शत-प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देना, हिन्दी कार्यशालायें आयोजित करना, देवनागरी टाइप-राइटरों की व्यवस्था करना इत्यादि।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन में हिन्दी के कार्य की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में अलग से कोई राजभाषा समिति गठित नहीं की गई है, तथापि दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है जिसकी अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन के लगभग सभी विभागों में, संबंधित विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की बैठकों में संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

जोड़ों का रोग

5287. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल में जोड़ों के रोगों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके उपचार हेतु देश में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इसके उपचार हेतु आवश्यक औषधियां देश में उचित मूल्य पर मिलती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इन विकारों के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है। वास्तविक वृद्धि सूचित नहीं की गई है। सभी प्रमुख अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) पार्किंसेजिज्म और अन्य जोड़ों के विकारों के लिए आमतौर पर अपेक्षित औषधें देश में उपलब्ध हैं। प्राचीन औषधें नई औषधों के मुकाबले अधिक सस्ती हैं।

उत्तर प्रदेश में पूजास्थलों का ध्वस्त किया जाना

5288. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1992 में विशेषकर अयोध्या में कितने पूजा स्थलों को गिराया गया/क्षति पहुंचायी गयी; और

(ख) सरकार द्वारा उनका पुनः निर्माण किए जाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार में विदेशी मिशनरियों के विरुद्ध निष्कासन आदेश

5289. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कार्यरत कुछ विदेशी मिशनरियों के विरुद्ध हाल ही में निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध मुख्य आरोप क्या हैं;

(घ) क्या राज्य में कुछ और सन्देहास्पद मिशनरियों के विरुद्ध निष्कासन आदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ङ) राज्य सरकारों/विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारियों को उन विदेशी राष्ट्रिकों के खिलाफ निष्कासन आदेश जारी करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जो विदेशी नागरिक अधिनियम आदि के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं अथवा जो किसी प्रतिकूल कार्रवाई के कारण ध्यान में आते हैं। इस बारे में डाटा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते ।

मंत्रियों के लिए आचार संहिता

5290. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसे पहली बार कब तैयार किया गया था और वितरित किया गया था;

(ग) क्या उक्त संहिता में समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मंत्रियों के लिए आचार संहिता केन्द्र सरकार द्वारा 1964 में तैयार की गयी थी और 29 अक्तूबर, 1964 को सभी केन्द्रीय मंत्रियों को परिचालित की गयी थी ।

(ग) जी हां, श्रीमान । संशोधित आचार संहिता को 18-3-1992 को सभी केन्द्रीय मंत्रियों को परिचालित किया गया था ।

(घ) संशोधित आचार संहिता में परिवर्तन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित हैं :

1. मंत्रियों की पत्नियों/पतियों और उनके आश्रितों द्वारा विदेशी सरकार या विदेशी संगठनों में रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबंध ।

2. विदेशों की यात्रा के दौरान या भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध ।

3. किसी भी संगठन से पुरस्कार स्वीकार करना; और

4. किसी विदेशी न्यास अथवा संगठन की सदस्यता स्वीकार करने सहित विदेशी मिशनों द्वारा भारत में या विदेशों में आयोजित समारोहों में भाग लेना।

चण्डीगढ़ में भर्ती

5291. **श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

(ख) चण्डीगढ़ में हरियाणा और पंजाब से भर्ती हुए इन अधिकारियों का वर्तमान अनुपात कितना है; और

(ग) गत दो वर्षों में प्रति वर्ष इन दो राज्यों के कितने अधिकारियों की चण्डीगढ़ में भर्ती की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) समय-समय पर तैयार किए गए भर्ती नियमों के अनुसार चण्डीगढ़ प्रशासन में भर्ती की जाती है।

(ख) चण्डीगढ़ में हरियाणा और पंजाब से कोई अधिकारी भर्ती नहीं किया गया है तथापि, हरियाणा और पंजाब राज्यों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर संघ शासित प्रशासन में लिया जाता है। हरियाणा और पंजाब राज्यों से लिए गए वर्तमान अधिकारियों का अनुपात क्रमशः 34.6 और 65.4 है।

(ग) हरियाणा राज्य से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या वर्ष 1991-92 के लिए 9 हैं और वर्ष 1992-93 के लिए 16 है, जबकि पंजाब के मामले में वर्ष 1991-92 के लिए यह संख्या 23 और 1992-93 के लिए यह संख्या 35 है।

शिप ब्रेकिंग यार्ड

5292. **श्री हरिन पाठक : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड विश्व में सर्वाधिक बड़े शिप ब्रेकिंग यार्डों मे से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस यार्ड के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) अलांग में समुद्रतट के साथ तथा गुजरात के समुद्री तट के अन्य भागों पर कितने जहाज खड़े हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड के पास इस समय 80 प्लाट हैं। जहाज तोड़ने के टन-भार की दृष्टि से इस समय अलांग विश्व में सबसे बड़ा है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से सीधे कोई सहायता नहीं मांगी है। तथापि, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित फेरस स्क्रैप समिति को गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने समिति द्वारा संचालित विकास निधि से अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए सहायता हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। उक्त समिति प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(ङ) गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने सूचित किया है कि अलांग में 54 पोत भंजनाधीन हैं जबकि एक पोत को किनारे चढ़ाया जाना है। जामनगर के समीप सूचना में किनारे के लिए 2 पोत प्रतीक्षारत हैं जबकि पिपावाव में भंजन के लिए दो और पोत पड़े हुए हैं।

जम्मू और कश्मीर में समानान्तर न्याय प्रणाली

5293. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में कुछ आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही समानान्तर न्याय प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कई अवसरों पर, कुछ आतंकवादियों ने छोटे स्थानीय मामले हल किए हैं लेकिन सामान्य न्यायालयों के कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप सूचित नहीं किया गया है।

उग्रवाद को रोकने के प्रयास किए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है।

संगठनों/संस्थाओं द्वारा धन का दुर्विनियोग

5294. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीपालय एजूकेशन सोसायटी, दिल्ली द्वारा करोड़ों रुपयों के धन का दुर्विनियोग किया जाना और धर्मपरिवर्तन व अन्य असामाजिक गतिविधियों में इसके शामिल होने की बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) ऐसी अनियमित गतिविधियों में संलिप्त पाये गये अन्य संगठनों/शिक्षण संस्थाओं के नाम क्या हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जहां तक विदेशी अभिदाय की प्राप्ति-प्रयोग का संबंध है, अभी तक ऐसी कोई बात ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जिन एसोसिएशनों/व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है, उनके नाम क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिये गये हैं।

विवरण-I

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम की धारा 10(क) के अन्तर्गत जिन एसोसिएशनों/व्यक्तियों के विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उनकी सूची

1. रूरल एक्शन इन डिवेलपमेंट, कुडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश।
2. जमईतुल-हिकाया, जयपुर, राजस्थान।
3. बेरका क्रिस्चियन मिशन, तिरूची, तमिलनाडु।
4. सिलोअम क्रिस्चियन एण्ड मिशन (प्रा०) लिमिटेड, तिरूची, तमिलनाडु।
5. श्री आर० इमलानाथन, सिलोअम क्रिस्चियन एण्ड मिशन (प्रा०) लिमिटेड, तिरूची तमिलनाडु।
6. श्रीमती हेलन रेलेका, सेलोम क्रिस्चियन एण्ड मिशन (प्रा०) लिमिटेड, तिरूची, तमिलनाडु।
7. एक्शन फोर पीपुल्स पार्टीसिपेश्शन एण्ड इन्वायरमेंट केयर, ए-62, अशोका मेरिन ड्राईव, अरनाकुलम, कोचीन, केरल।
8. सोशल एक्शन मूवमेंट ऑफ इदूकी पलियामाला, इदूकी, केरल।
9. भोपाल टेक्नीकल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, भोपाल, मध्य प्रदेश।
10. हाई रेंज इन्टेग्रेटिड डिवेलपमेंट सोसायटी फार द सोशल एमेनटी ए०पी० VIII, 124 मूगीकट बिल्डिग एनेक्सी, इदूकी, केरल।
11. सोसायटी फार एक्शन विथ दी पूअर, हाउस नम्बर 126, वार्ड नम्बर v, मंगलथ, पन्निविजा, पत्थनमिथिता, केरल।
12. बाबा जगतार सिंह कार सेवा आरगेनाईजेशन, तरन तारन, जिला अमृतसर, पंजाब।
13. श्री कृष्बर्दन बिहारी लाल हिंगवाला, 17, कोरेगांव, पूना, महाराष्ट्र।
14. सुरेन्द्र मोहन सिंह, डी-1, कोरेगांव पार्क, पूना, महाराष्ट्र।
15. श्री नारायण दास, केयर ऑफ श्री आर० के० अग्रवाल, पार्क एण्ड यती अपार्टमेंट, बूंद—गार्डन रोड, पूना, महाराष्ट्र।
16. श्री लाल प्रसाद सिंह, 99/2, यरवदा, पूना, महाराष्ट्र।
17. हेमलता दास बोसियर्स, 33, कोरेगांव पार्क, पूना, महाराष्ट्र।
18. श्री जसपाल सिंह, 32 कोरेगांव पार्क, पूना, महाराष्ट्र।

19. श्री अशोक कुमार भासकर, सी/2 स्पोर्टेज लक्सरी डेकन कालेज रोड यरवदा पूना, महाराष्ट्र।
20. श्री विश्वबन्धु शुक्ला, 352/9, बोट क्लब रोड, पूना, महाराष्ट्र।
21. देवेन्द्र सिह केवाल, 17, कोरेगांव पार्क, पूना, महाराष्ट्र।
22. मुकेश कुमार बरदे, सत्यम फ्लैट नम्बर 405-बी सिम्पोली रोड, बोरीवली (वेस्ट) बम्बई-92, महाराष्ट्र।
23. नरेन्द्र कुमार गुलाब चन्द्र जैन, कोरेगांव पार्क, पूना, महाराष्ट्र।
24. इस्लामिया कालेज, कुतली यदी, कालीकट, केरल।
25. कम्यूनिटी सर्विस सोसाइटी, 52-डी० एम० न्यू कालोनी, तुतीकोरन, तमिलनाडु।
26. सोसाइटी फार पीपुल एक्शन फार डिवेलप्मेंट, चेनचूपेट, तेनाली, गुंटूर, आ० प्र०।
27. कोंकणी प्रोजेक्ट आवाज, दत्ता प्रसाद बिल्डिंग मार्ग, एम० सी० रोड, पणजी, गोआ।
28. विकास प्रसाद, गांधीनगर, कोरापुट, उड़ीसा।
29. चिल्ड्रन्स डिवेलप्मेंट कम्यूनिटीस इण्डिया, 134, बनर्जी रोड, कलकत्ता, पं० बं०।

विवरण-II

जिन एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 6(1) उपबन्धों और धारा 10(ख) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से पहले अनुमति लेनी अपेक्षित है, उनकी सूची

1. क्रिश्चियन इन्सटीट्यूट फार दी स्टडी आफ रिलिजियन एण्ड सोसायटी, पी० ओ० बाक्स नम्बर 4603, मिल्लर रोड, बंगलौर, कर्नाटक।
2. शान्ती निकेतन सोशल सर्विस सेन्टर, पालारेड्डी, कुडप्पा (जिला), आन्ध्र प्रदेश।
3. क्रिश्चियन सोशल वेल्फेयर एसोसिएशन, कालासापेड कुडप्पा (जिला) आन्ध्र प्रदेश।
4. लिब्रिरेशन मूवमेंट फार वोमेन, मंगल पुरम (वाया) केवार, एस० आरकोट (जिला) तमिलनाडु।
5. पीपुल मल्टीपरपज डिवेलप्मेंट सोसाइटी, फ्रेटरनेटी सेन्टर, मंगल पुरम (वाया) एस० आरकोट (जिला), तमिलनाडु।
6. नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइन्ड, एम० पी० स्टेट ब्रांच, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
7. ग्रामोदया चेतना मंडल, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश।
8. डिवेलपमेंट प्रोग्राम फार इनलैंड फिशरमेन कम्यूनिटी, कुन्दरा, क्वीलन, केरल।
9. विलेज वेलफेयर सोसाइटी, पंचराउल जिला हावड़ा, पश्चिमी बंगाल।

10. कोर्लापग सोसाइटी, एलूर, त्रिचूर जिला, केरल ।
11. केथोलिक चर्च, बेंगटोल, पी० ओ० बेंगटोल, जिला कोकराझार, आसाम ।
12. इण्डियन इवेंजिलिकल चर्च आफ क्राइस्ट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
13. सोसाइटी फार डेवेलपिंग ग्रामदान्स, गोविन्दपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ।
14. कम्प्रीहेन्सीव रूरल आपरेशन सर्विस सोसाइटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
15. रायलसीमा डेवेलपमेंट ट्रस्ट, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश ।
16. दारूस्सलम अरेबिक कालेज कमेटी, कोझीकोड, केरल ।
17. दारूल ऊलूम, देवबन्द जिला सहारनपुर ।
18. सोनाताला मिलन संघ, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल ।
19. जैकमेन मेमोरियल हस्पताल, बिलासपुर, मध्य प्रदेश ।
20. चेपल आफ अवर लेडी लोरडिस, गोआ ।
21. इंडियन सोशल इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली ।
22. पीपुल्स एजूकेशन फार दी नेगलेक्टिड, नार्थ आरकोट, तमिलनाडु ।
23. इस्माएलिट सालवेशन एसोसिएशन, वेलूर, तमिलनाडु ।
24. फेडरेशन फार इन्टेग्रेटिड रूरल एजूकेशन, एन० आर्कोट, तमिलनाडु ।
25. रीच आउट, बंगलौर, कर्नाटक ।
26. श्री रामकृष्ण समिति, सम्बलपुर जिला, उड़ीसा ।
27. रजनीश धाम, कमकरीया, अहमदाबाद, गुजरात ।
28. केथोलिक चर्च, सेनापति, मणिपुर ।
29. बचनवासी श्री अक्सर पुरुषोत्तम संस्था, अहमदाबाद, गुजरात ।
30. सिंधी यूथ एसोसिएशन, सिंधी हास्पीटल रोड, सम्पन ग्राम नगर, बंगलौर, कर्नाटक ।
31. डायोसिस आफ भोपाल, चर्च आफ नार्थ इण्डिया, इन्दौर, मध्य प्रदेश ।
32. ओपन आर्म्स, ए० सी० टी० कालेज, लोअर टैंक रोड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
33. नेशनल एपोस्टलीक चर्च एजूकेशन सोसाइटी, कूकाडेलेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र ।
34. न्यू एपोस्टलिक चर्च आफ इंडिया, वनजारी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र ।
35. जागृति विहार रांची, बिहार ।
36. कर्नाटक वेल्फेयर सोसाइटी, वासावी धर्मशाला रोड, चीकबालपुर, कोलार जिला, कर्नाटक ।
37. डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन्स आर्क, बेरीस कोटेज, बिहाइन्ड टीन फैक्टरी, बी-नारायणपुरा, बंगलौर, कर्नाटक ।

विवरण-III

उन एसोसिएशनों की सूची जिन पर विदेशी अभिदाय की राशि की अदायगी करने, देने, हस्तांतरित करने या अन्यथा किसी भी रूप में इसका लेन देन करने पर प्रतिबन्ध है

क्रम सं०	एसोसिएशन का नाम
1.	दीन-ए-तालीमी काऊंसील, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2.	डालटनगंज कैथोलिक डाइसिस, डालटनगंज, पलामू, बिहार ।
3.	बाबा जगतार सिंह आफ कार सेवा ओरगेनाइजेशन ऑफ तरनतारन, पंजाब ।
4.	अंजूमन नूसरूत-ऊल-इस्लाम, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर ।
5.	कोंकणी प्रोजेक्ट आवाज, डेलटा प्रसाद बिल्डिंग, पणजी, गोआ ।
6.	भारत सुसमाचार समिति, देहरादून, उत्तर प्रदेश ।
7.	चर्च आन दी राक मिनिस्ट्रीस, पूना, महाराष्ट्र ।
8.	कोलपिंग सोसाइटी नेशनल सेन्टर, एलूर, केरल ।
9.	ई० के० इस्माइल, केरल ।

केरल में तांबा संयंत्र

5295. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल में इडायार में अमरीकी कम्पनी माउंटेन स्टेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से एक तांबा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण को घाटा

5297. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को सिंगापुर की एक कम्पनी के साथ व्यापार में घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान विभिन्न इस्पात उत्पादों का निर्यात करने के लिए "सेल" ने सिंगापुर स्थित 7 फर्मों के

साथ करार किया है। "सेल" ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान "सेल" द्वारा किए गए अन्य करारों की तुलना में इन करारों से संबंधित वसूली प्रतिकूल नहीं है।

[अनुवाद]

कोच्चि में जहाज तोड़ने का एकक

5298. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचिच में जहाज तोड़ने का एकक (शिप ब्रेकिंग यूनिट) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) केरल राज्य में कोच्चि में पोत भंजन यूनिट की स्थापना करने से संबंधित किसी प्रस्ताव के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

आयोडीन युक्त नमक पर राज सहायता

5299. **श्री एस० एन० बेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में नमक निर्माताओं को आयोडीनयुक्त नमक पर राज सहायता की कितनी बकाया राशि दी जानी है; और

(ख) इस दावे के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) नमक आयुक्त, जयपुर ने सूचित किया था कि 1992-93 के दौरान गुजरात रीजन में आयोडीनकृत नमक के विनिर्माताओं के बकाया पड़े आर्थिक सहायता के दावे लगभग 449.42 रुपये के थे।

(ख) इस मंत्रालय ने सभी बकाया पड़े आर्थिक सहायता के दावों का निपटान करने के लिए नमक आयुक्त को 1992-93 के दौरान 572.72 लाख रुपये की रकम का भुगतान किया था।

जहाज तोड़ने संबंधी उद्योग को जापानी सहायता

5300. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार जहाज तोड़ने संबंधी उद्योग को सहायता उपलब्ध कराने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) देश में पोत भंजन क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिए जापान के पोत मालिकों तथा पोत निर्माताओं की संयुक्त समिति के एक शिष्टमंडल ने नवम्बर, 1992 में भारत का दौरा किया था। भारत में पोत भंजन उद्योग में सहायता करने के लिए अभी तक जापान की सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सीलाइट कन्सेंट्रेट का समर्थन मूल्य

5301. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड (एच० जी० एम० एल०) द्वारा उत्पादित सीलाइट कन्सेंट्रेट के लिए समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिसका मूल्य गत तीन वर्षों के दौरान 1,50,000 से गिरकर 60,000 रुपए हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में जाली पासपोर्ट जारी करने वाला गिरोह

5302. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जाली पासपोर्ट जारी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के कुछ अधिकारियों की मिली-भगत से अपना धंधा चला रहा था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उनको दंड दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1-10-1992 से 25-3-1993 तक की अवधि के दौरान ऐसे किसी गिरोह का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय जनसंख्या

5303. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनजातीय जनसंख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (1991) में कुल जनसंख्या तथा अनु० जनजाति की जनसंख्या दर्शाने वाला विवरण

कुल संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
	भारत	846,302,688*	67,758,380**
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	66,508,008	4,199,481
2.	अरुणाचल प्रदेश	864,558	550,351
3.	असम	22,414,322	2,874,441
4.	बिहार	86,374,465	6,616,914
5.	गोवा	1,169,793	376
6.	गुजरात	41,309,582	6,161,775
7.	हरियाणा	16,463,648	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	218;349
9.	जम्मू और कश्मीर	7,718,700*	उ० नं०
10.	कर्नाटक	44,977,201	1,915,691
11.	केरल	29,098,518	320,967
12.	मध्य प्रदेश	66,181,170	15,399,034
13.	महाराष्ट्र	78,937,187	7,318,281
14.	मणिपुर	1,837,149	632,173
15.	मेघालय	1,774,778	1,517,927
16.	मिजोरम	689,756	653,565
17.	नागालैंड	1,209,546	1,060,822
18.	उड़ीसा	31,659,736	7,032,214
19.	पंजाब	20,281,969	—

1	2	3	4
20.	राजस्थान	44,005,990	5,474,881
21.	सिक्किम	406,457	90,901
22.	तमिलनाडु	55,858,964	574,194
23.	त्रिपुरा	2,757,205	853,345
24.	उत्तर प्रदेश	139,112,287	287,901
25.	पश्चिम बंगाल	68,077,965	3,808,760
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	280,661	26,770
2.	चंडीगढ़	642,015	—
3.	दादर और नगर हवेली	138,477	109,380
4.	दमन और द्वीव	101,586	11,724
5.	दिल्ली	9,420,644	—
6.	लक्षद्वीप	51,707	48,163
7.	पांडिचेरी	807,785	—

* 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी और इसलिए जम्मू तथा कश्मीर के लिए प्रक्षिप्त जनसंख्या दर्शायी गई है।

** जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

"—" सूचित करता है कि उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई अनुसूचित जन-जाति अधिसूचित नहीं किया गया है।

उ० न० उपलब्ध नहीं को दर्शाता है।

उद्योग भवन में आग लगने की घटना

5304. श्री राम विलास पासवान :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री विलास मुत्तेमवार :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उद्योग भवन में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/अथवा किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने सूचित किया है कि उद्योग भवन की चौथी व पांचवीं मंजिल में 4 मार्च, 1993 को लगी आग के कारण कार्यालय का रिकार्ड, फर्नीचर, बिजली की फिटिंग, फाल्स सीलिंग, इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गए थे। नुकसान का आंकलन अभी किया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक विभागीय जांच समिति के आदेश दिए गए थे जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि एक रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि आग बिजली की खराबी के कारण नहीं लगी थी।

(ङ) दिल्ली अग्नि शमन सेवा समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी करती आ रही है कि गगन चुम्बी इमारतों के मालिकों द्वारा दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के उपबंधों और वर्ष, 1987 में उनके अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार 12 अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चीनी मिट्टी उद्योग को कोयले की आपूर्ति

5305. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिट्टी उद्योगों को कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या इन उद्योगों को कम वजन तथा ऐसी गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) मृत्तिका उद्योगों को कोयले का प्रेषण कोल इंडिया लि० द्वारा "ग्लास, पाटरी तथा रिफ्रैक्टरीज" की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को प्रेषण किए गए कोयले का ब्यौरा निम्न है :

(हजार टन में)
(अनंतिम आंकड़े)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार
1990-91	115.97	218.6
1991-92	200.09	298.7
1992-93 (अप्रैल-फरवरी)	146.06	253.00

(ख) से (घ) सभी विशिष्ट सत्यापित किए जाने योग्य शिकायतों को उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों को संदर्भित किया जा रहा है। कोयले के प्रेषण की गुणवत्ता के सत्यापन के लिए कोयला नियन्त्रण संगठन को सुदृढ़ किया गया है। कोयला कंपनियों का यह मत है कि वे लदान स्थल पर कोयले की सही गुणवत्ता तथा मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं तथा वे कोयले के मार्ग के दौरान किसी भी तरह की कमी होने के संबंध में उत्तरदायी नहीं हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतर

5306. **श्री फूलचन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों में अन्तर होने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण-स्थल पर कीमतें पूरे देश में एक समान हैं। परन्तु, स्थानीय करों/शुल्कों की लेवी तथा बिक्री स्थल तक परिवहन के प्रभारों के आधार पर इन उत्पादों की खुदरा कीमतें अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग हैं।

बिहार में खनिज

5307. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में निकाले जा रहे लौह अयस्क, कोयले तथा अन्य खनिजों का वार्षिक मूल्य कितना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : केन्द्र सरकार बिहार अथवा देश के किसी अन्य भाग में कोई खनिज नहीं निकालती है। तथापि, बिहार में वर्ष 1991-92 में केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा निकाले गए लौह अयस्क, कोयले और अन्य खनिजों का मूल्य नीचे दिया गया है :

खनिज	मूल्य (अनंतिम) (करोड़ रु० में)
लौह अयस्क	64.08
कोयला	2150.16
अन्य	102.23
कुल	2316.47

नौगढ़ स्टेशन के नाम में परिवर्तन

5308. **श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नौगढ़ स्टेशन का नाम बदल कर सिद्धार्थ नगर रखने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परिवर्तन के लिए सहमत होना सम्भव नहीं है ।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

5309. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग में अधिकारियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) इसी तारीख को भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे;

(ग) क्या संवर्ग संख्या का निर्धारित अनुपात ऐसी प्रतिनियुक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में होने वाले किसी असन्तुलन को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 28-2-1993 को भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की राज्य-वार प्राधिकृत संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस तारीख को 450 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) सेन्ट्रल डेपूटेशन रिजर्व का अधिकतम प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकारियों को केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्ति के लिए स्वयं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें ।

विवरण

28-2-1993 को भा० पु० सेवा अधिकारियों की राज्य-वार प्राधिकृत संवर्ग संख्या का विवरण

संवर्ग	प्राधिकृत संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	194

1	2
ए० जी० एम० ए०	170
असम-मेघालय	144
बिहार	253
गुजरात	141
हरियाणा	116
हिमाचल प्रदेश	77
जम्मू और कश्मीर	99
कर्नाटक	138
केरल	126
मध्य प्रदेश	293
महाराष्ट्र	216
मणिपुर-त्रिपुरा	111
नागालैंड	45
उड़ीसा	131
पंजाब	142
राजस्थान	155
सिक्किम	27
तमिलनाडु	180
उत्तर प्रदेश	396
पश्चिम बंगाल	268
जोड़	3422

बिहार में कोयला खानों को बन्द करना

5310. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कुछ कोयला खानों को तत्काल बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्रमिकों तथा अन्य खान कार्मिकों को पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० में किसी खान को बन्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु कुछ खानों में विभिन्न कारणों जैसे— भण्डारों के समाप्त होने, प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों, असुरक्षित परिस्थितियों, जैसे आग लगने, जल-प्लावन तथा अन्य प्रौद्योगिकीय समस्याओं के कारण खनन कार्य बन्द कर दिया गया है।

(ग) ऐसे बन्द किए गए खनन कार्यों से रोजगार का विद्यमान स्तर प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि श्रमिकों तथा मशीनों को दूसरी कोलियरियों में नियोजित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रसोई गैस की एजेंसियां

5311. **श्री बी० राजा रवि वर्मा** :

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में जून, 1991 से जनवरी, 1993 के दौरान रसोई गैस की कितनी एजेंसियां आबंटित की गयीं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को कितनी-कितनी एजेंसियां आबंटित की गयीं; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान जनसंख्या के आधार पर रसोई गैस की और अधिक एजेंसियां खोलने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इस अवधि के दौरान तमिलनाडु में एल० पी० जी० की सात एजेंसियों आबंटित की गई।

(ख) अनुसूचित जाति को एक।

(ग) पिछली योजनाओं से बची एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा जिन जिला मुख्यालयों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें नहीं हैं, उनके अतिरिक्त, तमिलनाडु के लिए वर्ष 1993-94 की विपणन योजना में एल० पी० जी० की 34 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं।

दवाओं की कमी

5312. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में कई दवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस डिपो में सभी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मूल्य करार/दर संविदाधारी आपूर्तिकर्ताओं की सफलता के कारण कुछ मदों की अस्थायी कमी सूचित की गई है। ऐसे मामलों में वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना

5313. श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1988 से 1993 के दौरान 1508 खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1993 तक राज्यवार कितने खुदरा विक्रय केन्द्र खोले गए;

(ग) क्या खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) वर्ष 1988-93 की विपणन योजना, जिसमें 1508 खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल हैं, सरकार द्वारा जुलाई, 1992 में स्वीकृत की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 1993 तक इस योजना के प्रति कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं खोला जा सका क्योंकि तेल चयन बोर्डों का गठन जनवरी, 1993 में हुआ और उन्होंने हाल ही में अपना काम शुरू किया है।

आयल सलेक्शन बोर्ड का पुनर्गठन

5314. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री जी० माडे गौडा :
श्री ललित उरांव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल सलेक्शन बोर्ड का पुनर्गठन करने हेतु राज्य सरकारों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठित आयल सलेक्शन बोर्ड अपना कार्य कब से शुरू करेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सत्रह तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है। इनमें से अधिकांश बोर्डों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। शेष बोर्ड शीघ्र ही काम करना शुरू कर देंगे।

पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

5315. श्री तेज नारायण सिंह :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस की एजेंसियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान उनकी संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे और इन्हें कब तक खोल दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दिनांक 1-10-1992 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 15153 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4074 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत थीं।

(ख) से (ङ) सरकार ने पूरे देश में 1508 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 575 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना संबंधी "विपणन योजनाएं" हाल ही में स्वीकृत की हैं। डीलरों के चयन के लिए "तेल चयन बोर्डों" का गठन किया गया है ताकि वे शीघ्रातिशीघ्र प्रचालन कार्य शुरू कर सकें।

[अनुवाद]

जांच एजेंसी

5316. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विभाजित करने तथा एक नई जांच एजेंसी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 10वीं लोक सभा की आंकलन समिति की 13वीं रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक पृथक राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी गठित करने की सिफारिश की गयी थी। आंकलन समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय पुलिस एजेन्सी को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अपराधों पर ध्यान देना चाहिए जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के संयंत्रों में अग्निकांड

5317. **श्री पी० पी० कालिया पेरुमल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के ब्रिक्वेटिंग तथा कर्बोनाइजेशन संयंत्र तथा ताप विद्युत केन्द्र-II में अग्निकांड हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) दिनांक 16-6-1992 को आम हड़ताल के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र (बी० एंड सी०) में एक दुर्घटना हुई जिसमें 14 कामगारों को चोट लगी जिसमें से दो कामगारों की मृत्यु हो गई।

बंकरबे की इकाई-7 में तापीय विद्युत गृह II में दिनांक 18-2-1993 को 32 मीटर के स्तर पर आग लगने की दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप 4 बंकर और इससे संबंधित लिग्नाइट फीडिंग कन्वेयर पद्धति, जिसमें कन्वेयर बेल्ट, केबल, आइडलर और बिजली के उपकरण शामिल हैं, क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा शटल कन्वेयर और मुख्य मोटरें जल गई थीं। किसी भी व्यक्ति की न तो मृत्यु हुई और न ही किसी को चोट आई।

(ग) बी० एंड सी० संयंत्र में दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप उत्पादन में ह्रास के कारण 7.50 करोड़ रु० की राशि के लाभ का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने की लागत 61 लाख रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

तापीय विद्युत गृह-II में दुर्घटना के संबंध में, चूंकि इकाई-7 को अभी चालू किया जाना है, अतः क्षतिग्रस्त सुविधाओं/उपकरणों को बदलने की लागत अस्थायी रूप में 6 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) से (च) बी० एंड सी० संयंत्र में दुर्घटना की जांच की गई थी, जिसमें ने० लि० का० से बाहर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी की या प्रबंधन की जिम्मेदारी में विफलता होने के संबंध में कोई बात नहीं मिली है। हालांकि रिपोर्ट में बेहतर सुरक्षा उपाय किए जाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अनुवर्ती पद्धति उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश की गई है।

तापीय विद्युत गृह-II में हुई अग्नि दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

कच्चे लोहे का उत्पादन

5318. श्री पाण्डुरंग पुंडलिक फुंडकर : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे और लौह कतरनों पर आयात शुल्क में नई रियायतों से घरेलू कच्चे लोहे का निर्माण करने वाले उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कच्चे लोहे के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कच्चे लोहे और लोह स्क्रेप के आयात और उत्पाद शुल्क में किए गए हाल के परिवर्तनों से हालांकि स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे लोहे के मूल्य की तुलना में आयातित उत्पादों के मूल्य में कमी होगी, परन्तु इससे कच्चे लोहे के घरेलू उत्पादन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्ते उत्पादन लागत को नियंत्रण में रखा जाए।

(ग) सरकार ने कच्चे लोहे के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कच्चे लोहे के उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोहे और इस्पात को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है। ऐसे उद्योगों को 51% तक साम्य में विदेशी निवेश की स्वत: मंजूरी की सुविधा है, बशर्ते विदेशी साम्य में पूंजीगत माल के आयात की लागत शामिल हो। लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मेडिकल/डेंटल कालेज

5319. श्री लाल बाबू राय :
श्री काशी राम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों के नाम क्या हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) सरकार ने इन कालेजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) देश में गैर मान्यता प्राप्त कार्य कर रहे मेडिकल तथा डेंटल कालेजों के नाम क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने इन गैर-मान्यता प्राप्त कालेजों के बारे में जनता को सूचित किया है और छात्रों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे कालेजों में दाखिला न लें।

विवरण-I

देश में कार्य कर रहे, भारतीय चिकित्सा परिषद से गैर-मान्यता प्राप्त, मेडिकल कालेजों के नाम

1. पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद।
2. कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार।
3. मेडिकल कालेज, चंडीगढ़।

4. प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड़, जिला खैरा ।
5. झेलम वैली कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज, श्रीनगर ।
6. आदिचुन्चुनागिरि मेडिकल कालेज, बेल्लूर ।
7. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, टुमकुर ।
8. अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर ।
9. मेडिकल कालेज, नान्देड़ ।
10. महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, औरंगाबाद ।
11. महाराष्ट्र इन्सटिट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज एंड रिसर्च, लाटूर ।
12. जे० एन० मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा ।
13. एन० के० पी० साल्वे आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर ।
14. महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, न्यू बाम्बे ।
15. पदमश्री डा० डी० वाई पाटिल मेडिकल कालेज, न्यू बाम्बे ।
16. तेराना मेडिकल कालेज, कोपरखैरेन्स, न्यू बाम्बे ।
17. के० जे० सोमिय्या मेडिकल कालेज, विद्याविहार, बाम्बे ।
18. श्री भाउसाहेब हीरा राजकीय मेडिकल कालेज, धुले ।
19. एन डी एम वी पी एस समाज मेडिकल कालेज, शिवाजी नगर, नासिक ।
20. जवाहरलाल फाउन्डेशन अन्नासाहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कालेज, धुले ।
21. भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कालेज, कटराज, धानकवाड़ी, पुणे ।
22. श्री वसन्तराव नाइक राजकीय मेडिकल कालेज, यवतमाल ।
23. मेडिकल कालेज, कोटा ।
24. डा० डी वाई पाटिल मेडिकल कालेज, कोल्हापुर ।
25. मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सलेम ।
26. द इन्सटिट्यूट आफ रोड ट्रान्सपोर्ट पूर्वनाम पेरुन्थुरई मेडिकल कालेज, पेरुन्थुरई ।

विवरण-II

देश में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की मान्यता के बिना चलाए जा रहे दंत चिकित्सा कालेजों के नाम

1. जे० के० के० नटराजाह दंत चिकित्सा कालेज, कोमारपलायम (तमिलनाडु) ।

2. एस जे एम दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल
चित्रदुर्ग (कर्नाटक)

3. एच के ई सोसाइटी'ज डेन्टल कालेज,
गुलबर्ग (कर्नाटक)

4. राजास डेन्टल कालेज
वड़कंगुयम (तमिलनाडु)

5. राजास डेन्टल कालेज;
मद्रास

6. सबीदा दंत चिकित्सा कालेज,
मद्रास।

7. सरजुग दंत चिकित्सा कालेज,
दरभंगा (बिहार)

8. भारती विद्यापीठ दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल,
पुणे।

9. श्री बालाजी दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल, मद्रास।

10. मीनाक्षी अम्मल दंत चिकित्सा कालेज,
उथिरमेपुर (चांगई, अन्ना जिला, तमिलनाडु)

11. डेन्टल विंग
सिद्धार्थ मेडिकल कालेज,
विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

12. प्रवर ग्रामीण दन्त चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
लोनी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)

13. उत्तरी बंगाल दंत चिकित्सा कालेज,
उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेज और अस्पताल परिसर,
सुश्रुतनगर,
सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

14. पांडिचेरी दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल,
पांडिचेरी

15. विदर्भ युवा कल्याण सोसाइटी दंत चिकित्सा कालेज,
अमरावती (महाराष्ट्र)

16. महात्मा गांधी विद्या मन्दिर दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल,
नासिक (महाराष्ट्र)

17. क्रिश्चियन दंत चिकित्सा कालेज,
लुधियाना (पंजाब)

18. के वी जी दंत चिकित्सा कालेज,
सुल्लिया (कर्नाटक)

19. वसंतदादा पाटिल दंत चिकित्सा कालेज,
सांगली (महाराष्ट्र)

20. जमनालाल गोएंका दंत चिकित्सा कालेज,
अकोला (महाराष्ट्र)

21. दंत चिकित्सा कालेज,
प्रमुख स्वामी मेडिकल कालेज, करमसाद,
जिला खेड़ा (गुजरात)

22. थाई मुगम्बीगाई दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल,
मद्रास ।

23. पांडिचेरी दंत चिकित्सा कालेज
डा० अलेग्जेन्डर शैक्षिक न्यास द्वारा संचालित,
पांडिचेरी ।

24. एम पी शाह मेडिकल कालेज,
जामनगर ।

25. श्री एस निजलिंगप्पा दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
हासन (कर्नाटक)

26. एस ई एस सोसाइटी दंत चिकित्सा कालेज,
बीदर (कर्नाटक)

27. पी जी दंत चिकित्सा और उपचर्या कालेज न्यास,
बंगलूर ।

28. श्री वेंकटेश्वर दंत चिकित्सा कालेज और अस्पताल,
बंगलूर ।

29. श्री सिद्धार्थ दंत चिकित्सा कालेज,
टुमकुर (कर्नाटक)

30. के जी एफ दंत चिकित्सा विज्ञान कालेज
कोलार गोल्ड फील्ड्स (कर्नाटक)

31. इस्लामिक एकेडिमी आफ एजुकेशन,
मंगलोर ।

32. बंगलूर दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
बंगलूर ।

33. दयानंद सागर दंत चिकित्सा विज्ञान कालेज,
बंगलूर ।

34. आर वी दन्त चिकित्सा कालेज,
बंगलूर ।

35. बाबू जगजीवन राम दन्त चिकित्सा कालेज,
बंगलूर ।

36. छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्थान दंत चिकित्सा कालेज,
औरंगाबाद ।

37. श्रीमती राधाबाई मेघे मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट्स डेन्टल कालेज,
वर्धा (महाराष्ट्र)

38. एम एस रमैयाह दन्त चिकित्सा कालेज,
बंगलूर ।

39. अल अमीन दंत चिकित्सा कालेज,
बीजापुर (कर्नाटक)

40. रिफाह्-उल-मुस्लिमीन शिक्षण न्यास दंत चिकित्सा कालेज,
मैसूर ।

41. शरावती शिक्षण न्यास दंत चिकित्सा कालेज,
शिमोगा (कर्नाटक)

42. श्री कृष्णदेवराय शिक्षण न्यास,
बंगलूर ।

43. के एल ई सोसाइटी दन्त चिकित्सा कालेज,
बंगलूर ।

44. कालेज आफ फीजिशियन एंड सर्जन आफ दिल्ली,
नई दिल्ली ।

45. अरुमेवाई वेदु एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट डेंटल कालेज,
मद्रास ।

46. इन्दिरा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन डेंटल कालेज,
धुले (महाराष्ट्र)

47. अशोका इंस्ट्टीयूट आफ डेंटल साइंसेज,
रांची (बिहार)

48. बुद्धिष्ट मिशन डेंटल कालेज एंड हास्पिटल,
पटना ।

49. डा० एस० एम० नकवी इमाम डेंटल कोलेज एंड हास्पिटल,
दरभंगा ।

50. बुद्धा कोलेज आफ डेंटल साइंसेज,
पटना ।

51. बी० आर० अम्बेडकर कालेज एंड हास्पिटल,
पटना ।

52. दरभंगा डेंटल कालेज,
दरभंगा (बिहार)

53. महात्मा एजुकेशन सोसाइटिज डेंटल कालेज,
खमम (आंध्र प्रदेश)

54. हिमाचल डेंटल कालेज,
सुन्दर नगर, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश)

55. डा० श्यामला रेड्डी डेंटल कालेज,
बंगलौर ।

56. श्रीमती मल्लाभाई बिलायाल मैमोरियल
चैरिटेबल डेंटल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर,
शोलापुर (महाराष्ट्र)

57. राष्ट्रीय शिक्षा समिति ट्रस्ट,
बंगलौर ।

58. आक्सफोर्ड डेंटल कालेज,
बंगलौर ।

59. गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज एण्ड
फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड हास्पिटल,
पटना ।

60. शाज एजुकेशनल सोसाइटी,
हैदराबाद ।

61. बाबू जगजीवन राम डेंटल कालेज इन हरियाणा
बाई सोसाइटी आफ फीजिशियन एण्ड सर्जन आफ इंडिया,
नई दिल्ली ।

62. बी० आर० एस० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,
(डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल)
पंचकुला (हरियाणा)

63. हैदराबाद विद्या डेवलपमेंट ट्रस्ट,
बीदर (कर्नाटक)

64. इंस्टिट्यूट आफ डेंटल एण्ड फार्मास्यूटिकल साइंसेज,
दरभंगा।

65. सेवन हिल्स एजुकेशनल सोसाइटीज डेंटल कालेज,
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

66. बोमीदला ब्रदर्स कालेज आफ डेंटल साइंसेज,
गंटूर (आंध्र प्रदेश)

67. श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी डेंटल कालेज,
कुरनूल (आंध्र प्रदेश)

68. कालेज आफ डेंटल साइंसेज,
देवनगीर (कर्नाटक)

69. रामाराव आदिक एजुकेशनल सोसाइटी डेंटल कालेज,
न्यू बम्बई (महाराष्ट्र)

70. श्री देवराज उर्स एजुकेशनल ट्रस्ट,
कोल्लार (कर्नाटक)

71. ग्रामीण गुलबर्गा डेंटल कालेज,
गुलबर्गा।

72. ग्रामीण इंस्टिट्यूट आफ डेंटल और नर्सिंग साइंसेज,
गया (बिहार)

73. सुब्बालक्ष्मी लक्ष्मीपति फाउंडेशन,
मदुरई (तमिलनाडु)

74. एंगलो-ओरियंटल डेंटल कालेज और अस्पताल,
पटना (बिहार)

75. बिरसा मैमोरियल इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एण्ड एलाइड साइन्सेज,
हजारीबाग (बिहार)

76. भगवान बुद्ध मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग कालेज,
पटना।

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार सीमा पर तस्करी

5320. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-म्यांमार सीमा पर 1990, 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान अब तक तस्करी के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) जब्त किए गए निषिद्ध माल का ब्यौरा क्या है और अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) भारत-म्यांमार सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पता लगाए गए तस्करी के मामलों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

1990	467
1991	570
1992	579
1993 (31 मार्च तक)	115

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :

1990	553
1991	674
1992	687
1993 (31 मार्च तक)	89

(ग) भारत म्यांमार सीमा पर हैरोइन, अफीम और गांजा नामक निषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं। जब्त किए गए निषिद्ध सामान की ठीक-ठीक अनुमानित लागत बताना संभव नहीं है।

(घ) प्रवर्तन एजेंसियां तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क हैं। ऐसी तस्करी का पता लगाने तथा इसका निवारण करने के लिए सभी सम्बद्ध एजेंसियों में गहन समन्वय रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड श्रेणी के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

5321. **श्री ललित उरांव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 10 दिसम्बर, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में तेल चयन बोर्ड श्रेणी और स्वविवेकाधिकार के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : इस अवधि के दौरान पूरे देश में दी गई पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नलिखित है :

	तेल चयन बोर्डों के माध्यम से		स्वविवेकाधिकार के अधीन आबंटन	
	आर० ओ०	एल० पी० जी०	आर० ओ०	एल० पी० जी०
1989-90	269	80	38	40
1990-91	208	51	27	28
1991-92	07	06	79	61
	484	137	144	129

दिल्ली में अवैध हथियारों के कारखाने

5322. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छह महीनों के दौरान बरामद किए गए अवैध हथियारों के निर्माण में लिप्त कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन कारखानों में निर्मित हथियारों का ब्योरा क्या है और कितनी मात्रा में हथियारों को जब्त किया गया है;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) दिल्ली में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 1-9-1992 से 28-2-1993 तक की पिछली छः महीनों की अवधि के दौरान दिल्ली में अवैध शस्त्रों का निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री का पता चला है ।

(ख) चार पूरी तरह तैयार देसी पिस्तौलें, सात बैरलों, छः बाडी प्लेटों, दो ट्रिगरों, दो ट्रिगर गार्डों, सोलह स्प्रिंग तथा आग्नेयास्त्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले विविध औजारों सहित 7 बिना जोड़े हुए आग्नेयास्त्र बरामद किए गए ।

(ग) पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(घ) अवैध शस्त्रों का निर्माण और उनकी तस्करी की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में इस संबंध में एस० एच० ओ०/डिवीजन अधिकारियों/बीट कांस्टेबलों द्वारा आपराधिक आसूचना एकत्र करना; क्षेत्र के ज्ञात अपराधियों/बुरे आचरण वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना; गश्त को बढ़ाना; तथा अवैध शस्त्रों के कार्यों में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के अड्डों पर छापे मारना, शामिल है ।

महाराष्ट्र में नए कोयला क्षेत्रों का विकास

5323. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में नए कोयला क्षेत्रों के एकीकृत विकास हेतु तथा राज्य में जलमार्गों, शहरीकरण तथा कोयले पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकलांगों हेतु आरक्षण

5324. श्री सुधीर गिरि : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान वर्ग "ग" और "घ" के पदों पर कितने विकलांग लोगों को नियुक्त किया गया;

(ख) क्या विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण से संबंधित प्रावधान के अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु कोई तन्त्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान, केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" तथा "घ" पदों में रोजगार दिए गए विकलांगों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	समूह "ग"	समूह "घ"
1990	657	441
1991	192	78
1992	217	78

(ख) और (ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का अनुपालन सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विस्तृत अर्ध वार्षिक रिपोर्ट मंगवाकर सुनिश्चित किया जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पीछे से चली आ रही रिक्तियों के आधार पर, मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों में दृष्टिबाधितार्थ तथा श्रवण विकलांगों के लिए पीछे से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए 1987, 1988 तथा 1990 के दौरान विशेष भर्ती अभियान शुरू किए गए थे।

गले का कैंसर

5325. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री वी० देवराजन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के गले का कैंसर होना एक आम बात है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की गंदी बस्ती क्षेत्रों से गत दो वर्षों के दौरान गले के कैंसर के कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ग) इस रोग के प्रभावी उपचार के लिए ऐसे मामलों का शीघ्र पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है यद्यपि यह देखा गया है कि आमतौर पर ग्रीवा कैंसर समाज के कमजोर वर्गों में अधिक है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन लोगों को ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने और ऐसे कैंसर का शुरू में पता लगाने और उपचार की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में "लिंक वीमिन स्कीम"

5326. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में "लिंक वीमिन स्कीम" 1992-93 हेतु अब तक क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के दौरान 10 जिलों में 2300 लिंक वीमन का चयन किया जाना था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एड्स के मामले

5327. श्री बी० माडे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक एड्स के कुल कितने मामले पंजीकृत किए गए और इनमें से कितने मामले कर्नाटक में पंजीकृत किए गए; और

(ख) देश में एड्स की रोकथाम के लिए 1992-93 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश में 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार एड्स के पूर्ण रूप से विकसित जिन 308 रोगियों की सूचना मिली है उनमें से कर्नाटक का कोई रोगी नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93 के दौरान भुगतान की गई रकमों का राज्यवार ब्योरा

क्रम संख्या	राज्य	रकम (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	67.640
2.	गोवा	24.655
3.	हरियाणा	29.230
4.	कर्नाटक	63.065
5.	महाराष्ट्र	90.665
6.	सिक्किम	16.405
7.	तमिलनाडु	84.915
8,	पश्चिम बंगाल	57.640
9.	लक्षद्वीप	5.000
10.	मणिपुर	23.530
11.	नागालैंड	28.705
12.	मिजोरम	19.380
13.	राजस्थान	41.365
14.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17.080
15.	उत्तर प्रदेश	72.990
16.	अरुणाचल प्रदेश	20.630
17.	पांडिचेरी	19.155
18.	त्रिपुरा	21.460
19.	दिल्ली	27.425
20.	असम	31.825
21.	गुजरात	56.415

1	2	3
22.	दमन व द्वीव	5.000
23.	हिमाचल प्रदेश	74.750
24.	बिहार	42.750
25.	उड़ीसा	46.775
26.	मध्य प्रदेश	50.550
27.	पंजाब	21.000
28.	दादरा व नगर हवेली	11.000
29.	चंडीगढ़	14.250
30.	केरल	37.775
	योग	1133.035

पेट्रोल बंक खोलना

5328. श्री ई० अहमद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार के अधीन इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम तथा ऐसी अन्य एजेंसियों द्वारा राज्य-वार कितने पेट्रोल बंक चलाए जा रहे हैं;

(ख) राज्यों में पेट्रोल तथा डीजल की खपत तथा आपूर्ति का अनुपात क्या है; और

(ग) नए पेट्रोल स्टेशन खोलने संबंधी सरकार की नई नीति क्या है और जून, 1991 से से लेकर अब तक कितने नए पेट्रोल बंक खोले गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दिनांक 10-2-1292 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 15153 खुदरा बिक्री केन्द्र थे। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्थान, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, मौसम आदि जैसे विभिन्न घटकों के आधार पर पेट्रोल तथा डीजल की खपत का अनुपात अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है।

(ग) तेल उद्योग की मात्रा-दूरी के मानदंडों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं। उक्त अवधि के दौरान 138 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए गए।

विवरण

दिनांक 1-10-1992 की स्थिति के अनुसार राज्यवार खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें

1	2
आन्ध्र प्रदेश	1195
अरुणाचल प्रदेश	26
असम	324
बिहार	918
गोआ	65
गुजरात	967
हरियाणा	492
हिमाचल प्रदेश	77
जम्मू और कश्मीर	115
कर्नाटक	925
केरल	700
मध्य प्रदेश	870
महाराष्ट्र	1531
मणिपुर	28
मेघालय	49
मिजोरम	13
नागालैंड	26
उड़ीसा	331
पंजाब	945
राजस्थान	896
सिक्किम	10
तमिलनाडु	1409
त्रिपुरा	29

1	2
उत्तर प्रदेश	1910
पश्चिम बंगाल	1006
अंडमान और निकोबार	3
चंडीगढ़	21
दादर और नगर हवेली	3
दिल्ली	241
दमन और दीव	4
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	27
योग	15153

दिल्ली में नर्सिंग होम

5329. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक पंजीकृत/अपंजीकृत नर्सिंग होम दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन नर्सिंग होमों के कार्यकरण की कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या इस अधिनियम में संशोधन करके इसमें कुछ नियम सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि इन नर्सिंग होमों के कार्यकरण को सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) गत तीन वर्षों में अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण कितने नर्सिंग होमों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि 150 से ज्यादा नर्सिंग होमों में प्रमुख परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है जबकि अन्य में हल्के ढांचागत परिवर्तनों की जरूरत है जैसा कि नर्सिंग होम ऐक्ट के अंतर्गत अपेक्षित है। जो नर्सिंग होम पंजीयन के लिए उपयुक्त नहीं हैं उनसे सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए कहा गया है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, चूक करने वाले नर्सिंग होमों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जुर्माना उगाही में वृद्धि करने का विचार है। इन नियमों का संशोधन मई, 1992 में किया गया था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नर्सिंग होम ऐक्ट के उपबंधों का पालन न करने पर चार नर्सिंग होमों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ।

असम में नकली रसोई गैस सिलेन्डरों का प्रयोग

5330. श्री प्रबीन डेका : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में प्रयोग किए जाने वाले रसोई गैस सिलेण्डर घटिया किस्म के हैं, जिसके कारण आग लगने की अनेक गंभीर घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में राज्य में कितने नकली गैस सिलेण्डर जब्त किये गये; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन लि० के अनुसार ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है । तथापि, हाल ही असम की राज्य सरकार ने 100 सिलिण्डर जब्त किए हैं जिन्हें एक ट्रक में अप्राधिकृत रूप से ले जाया जा रहा था । जांच पूरी होने के बाद ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे असली सिलिंडर हैं या नहीं ।

(ग) तेल कम्पनी के क्षेत्र-अधिकारी इस प्रणाली में एल०पी०जी० के नकली सिलिण्डरों के परिचालन पर निगरानी रखते हैं । संदेहास्पद परिसरों में छापे मारे जाते हैं । जब कभी भी तेल विपणन कंपनियों को ऐसे सिलिण्डरों का पता चलता है, उन्हें तत्काल नष्ट कर दिया जाता है । जब ऐसे सिलिण्डरों का पता एल०पी०जी० एजेंसियों/ट्रांसपोर्टरों के यहां मिलता है, तो उन्हें सावधानी/चेतावनी पत्र जारी किए जाते हैं और 1500 रुपए प्रति नकली सिलिण्डर दंड लगाया जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश की खनन योजनाएं

5331. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो के पास स्वीकृति हेतु लम्बित आन्ध्र प्रदेश सरकार की खनन योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार की कोई खनन योजना भारतीय खान ब्यूरो, हैदराबाद से पास निपटान के लिए बकाया नहीं है । तथापि, दूसरे खान मालिकों द्वारा प्रस्तुत 21 खनन योजनाएं 31-3-1993 को 90 दिनों से कम अवधि के लिए बकाया थीं । भारतीय खान ब्यूरो हमेशा ऐसी खनन योजनाओं को शीघ्र निपटाने के प्रयास करता है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बेरोजगार विकलांग

5332. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में, पंजीकृत बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस अवधि में ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या तथा जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पंजीकृत	स्थापन
1990	4750	339
1991	2748	293
1992 (जनवरी से जून)	1360	127

[अनुवाद]

बंगलादेश से घुसपैठ

5333. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर बंगलादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से कंटीले तार लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह घुसपैठ को रोकने का कारगर तरीका सिद्ध हुआ है;

(ग) क्या कोई अकेला घुसपैठिया अथवा दो तीन घुसपैठिये छोटे समूह इस अवरोध को हटा सकते हैं;

(घ) क्या हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कंटीले तारों के अवरोध को हटाने की घटनाएं देखी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ) कंटीले तारों के अवरोध को हटाए जाने की कोई घटना अब तक जानकारी में नहीं आई है ।

राजस्थान में खनिजों पर आधारित उद्योग

5334. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान खनिज प्रधान राज्य है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में कितने खनिज उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इस राज्य में खनिजों पर आधारित उद्योग बहुत कम हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में खनिजों के दोहन के लिए खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिज एस्बेस्टस, बालक्ले, बेराइट, बेन्टोनाइट, कैल्साइट, तांबा अयस्क, डोलोमाइट, फेलसपार, फ्लूरोस्पार, अपघर्षी और रत्न गारनेट, ग्रेनाइट, जिप्सम, काओलिन, सीसा और जस्ता अयस्क, चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, फास्फोराइट, पायरोफराइट, क्वार्टज, सिलिका सैंड, स्टीटाइट, वोलास्टोनाइट और वोलफ्रेमाइट हैं।

(ग) से (ङ) राजस्थान के खनिज स्रोतों का अनेक निजी उद्यमों और पांच सरकारी क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड हिन्दुस्तान, जिंक लि०, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, पायराइट फास्फेट एवं कैमिकल लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लि० और राजस्थान राज्य मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विदोहन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य में विभिन्न मिनी और टिनी सीमेंट संयंत्रों सहित नौ सीमेंट संयंत्र पहले ही कार्य कर रहे हैं। पाली, जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों के कुछ भागों में चूना-पत्थर के भंडारों से इस राज्य में कुछ और सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

इस्पात का आयात

5335. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न प्रकार का इस्पात आयात करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान "इंगाट" और "सेलेबेल" इस्पात के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस्पात का आयात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है और विभिन्न प्रकार के इस्पात के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, मार्च, 1992 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान इस्पात का औसतन वार्षिक आयात लगभग 14.5 लाख टन है।

(ख) इस्पात के प्रमुख उत्पादक अर्थात इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) सहित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर०आई०एन०एल०) द्वारा 1993-94 के दौरान लगभग 154 लाख टन पिण्ड (अपरिष्कृत) इस्पात और लगभग 131 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन करने की संभावना है।

गन्दे व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

5336. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गन्दे व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितने छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई; और

(ख) छात्रवृत्ति देने के लिए पहचान करने हेतु क्या मानदण्ड है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता एवं दिए गए पुरस्कारों की संख्या की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) इसकी योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति उन भारतीय नागरिकों के बच्चों को ग्राह्य है, जो अपने धर्म की परवाह न करते हुए शुष्क शौचालयों की सफाई तथा अन्य अस्वच्छ व्यवसायों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

विवरण-I

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान नियुक्त की गई केन्द्र सहायता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	77,01,500	20,51,500
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	13,00,000	13,00,000	—
4.	बिहार	1,76,750	20,16,350	5,97,811
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	25,47,250	14,37,600
7.	हरियाणा	20,750	12,91,830	4[illegible],53,880
8.	हि० प्र०	—	—	7,63,125
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	99,750	1,00,000	5,56,550
11.	केरल	—	11,38,750	4,58,200
12.	म० प्र०	1,05,000	98,73,770	207,92,930
13.	महाराष्ट्र	77,000	14,72,000	5,43,100

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	2,02,500	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	1,30,500	5,32,358
19	पंजाब	—	20,27,000	105,13,136
20.	राजस्थान	1,45,000	35,69,200	68,23,700
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	3,68,000	5,16,000	19,94,075
23.	त्रिपुरा	—	9,41,600	12,55,360
24.	उ० प्र०	—	49,78,750	78,53,075
25.	प० बंगाल	5,250	3,73,000	1,43,600
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1,75,000
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दमन और दीव	—	—	—
29.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	25,28,000
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—
	कुल :	22,97,500	400,00,000	638,67,000

विवरण-II

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना, 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान लाभग्राहियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2160	—	(अनुमानित)

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	3085	2413
4.	बिहार	526	3175	7300
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	5539	4178	8066
7.	हरियाणा	234	160	13800
8.	हि० प्र०	—	—	1990
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	388	313	959
11.	केरल	—	3350	—
12.	मध्य प्रदेश	554	31200	33950
13.	महाराष्ट्र	388	890	2290
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	20	180
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	70	394	1356
19.	पंजाब	1515	2099	21947
20.	राजस्थान	1475	2450	18600
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1361	2014	5490
23.	त्रिपुरा	33	2826	2957
24.	उत्तर प्रदेश	—	14613	18752
25.	प० बंगाल	19	1081	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दमन और दीव	—	—	—
29.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	3522

1	2	3	4	5
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—
	कुल :	14262	90,952	143572

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का खनन

5337. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में ग्रेनाइट का खनन किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान इसमें से कितनी मात्रा में ग्रेनाइट का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने ग्रेनाइट के अवैध खनन तथा इससे होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान ग्रेनाइट के उत्पादन और निर्यात के प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	उत्पादन	निर्यात (मि० टन में)
1988-89	16,86,000	5,43,200
1989-90	13,63,000	5,44,000
1990-91	15,89,000	7,32,600

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। खनन कार्यों से होने वाला प्रदूषण इस बात पर निर्भर करता है कि ये कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से किए जाते हैं अथवा नहीं। इसे सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों और नियमों में निहित हैं।

कनाट प्लेस में यातायात प्रबन्ध

5338. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली के व्यापारियों ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस क्षेत्र के लिए किये गए यातायात प्रबन्ध का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई है; और

(ग) सरकार इन शिकायतों के समाधान के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान कनाट प्लेस क्षेत्र में यातायात परिचालन के संबंध में कनाट प्लेस के व्यापारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई एक नई यातायात प्रणाली जून, 1991 में प्रायोगिक आधार पर यातायात पुलिस द्वारा न० दि० न० पा० के सहयोग से कनाट प्लेस में अंगीकृत की गई थी। नए यातायात परिचालन का विशिष्ट उद्देश्य था कि उस यातायात को जो कनाट प्लेस के लिए नहीं हो, केवल कनाट प्लेस से होकर गुजरता हो, हतोत्साहित किया जाए, ऐसा, "इनर सर्किल" में उनके पहुंचने को कुछ कठिन बनाकर किया गया।

पहले की परिचालन प्रणाली के अनुकरण में भीतरी बीच के सर्किल के अंतर्गत आने वाले परिसर को पूर्णत: भीड़ मुक्त कर दिया गया। व्यापारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद एक समिति का गठन किया गया जिसने महसूस किया कि यातायात को कुछ समय के लिए अबाधित रूप से मध्य सर्किल में चलने दिया जाए, केवल ब्लाक ए और बी तथा ब्लाक डी और ई के बीच दो स्थानों को छोड़कर, जहां पर कि मध्य सर्किल पर "रेडियल्स" के यातायात का टकराव अन्दर आने वाले यातायात के साथ होता है, वहां पर "चेनलाइजरों" को कार्य करते रहने दिया जाए। इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा अन्य तीन चौराहों पर शुरू किए गए चैनलाइजरों को हटा दिया गया। इस प्रणाली का किसी भी ओर से विरोध नहीं किया गया।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में नागरिक कार्य कार्यक्रम

5339. श्री सुधीर सावंत :
　　श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा नागरिक कार्य कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए नागरिक कारंवाई कार्यक्रमों में चिकित्सा

शिविरों का संगठन, स्कूल एवं अन्य भवनों की मरम्मत एवं निर्माण के स्थानीय कार्यों को करने में सहायता, सड़कों, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थितियों तथा जलापूर्ति में सुधार, दूर-दराज के क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए राशन का प्रावधान, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता आदि शामिल हैं। इन उपायों की लोगों द्वारा प्रशंसा की गई है और इनसे सुरक्षा बलों को उनकी सदिच्छा प्राप्त करने में भी मदद मिली है।

आयुर्वेद अकादमी

5340. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद अकादमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना पहले ही कर दी है जो राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद की एक अकादमी है। यह विद्यापीठ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1988 में दिल्ली में पंजीकृत किया गया था।

[हिन्दी]

भिलाई इस्पात संयंत्र के आस-पास के क्षेत्र का विकास

5341. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष भिलाई इस्पात संयंत्र के आस-पास के क्षेत्र का विकास करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस संयंत्र ने उक्त अवधि में इस धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार परिधीय विकास के लिए आवंटित धनराशि तथा इस आवंटन से वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि में दौरान खर्च की गयी धन-राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपये)

वर्ष	आवंटित धनराशि	खर्च की गयी धनराशि
1990-91	14.94	10.31
1991-92	25.00	16.44
1992-93	25.00	23.80 (अनंतिम)

[अनुवाद]

गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सार्वजनिक-आर्थिक और कल्याणकारी उपाय

5342. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज से प्रभावित गुजरात राज्य के मेहसाणा और बड़ोदा जिलों में किए गए सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी उपायों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इन क्षेत्रों के लिए कोई विकास योजना शुरू की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करना और इनके भंडारों का दोहन करना है। तदनुसार गुजरात के मेहसाणा तथा बड़ोदा जिलों में उनका मुख्य कार्य हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण और उत्पादन करना है। जिन क्षेत्रों में वे कार्य करते हैं वहां वे आवश्यकतानुसार सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेल-कूद को संरक्षण देने, सड़कों, जल-आपूर्ति, शैक्षिक सुविधाओं जैसी नागरिक सुविधाओं में सुधार करने आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक कल्याण संबंधी कतिपय कार्य करते हैं और यह कार्य उन्होंने मेहसाणा तथा बड़ोदा जिलों में भी किया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों को भत्ता

5343. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला का खनन

5344. श्री भोलानाथ मजपति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की सुकिन्दा घाटी में गहरी जमीन में से क्रोम को निकालने हेतु एक समुचित व कम लागत वाली खनन तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिवर्ष दस लाख टन क्रोम का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सुकिन्दा घाटी से क्रोम अयस्क का इस समय अनुमानित उत्पादन लगभग 9 लाख टन है। सुकिन्दा घाटी से गहरे स्तर से क्रोम अयस्क के खनन के लिए उपयुक्त और लागत प्रभावी खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रश्न मांग में वृद्धि होने और इस प्रकार के प्रचालनों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता की संभावनाओं से उठेगा।

रक्त बैंक

5345. **श्री एम० कृष्णस्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र में 81 रक्त बैंक हैं। जहां 1989-92 के दौरान भारत सरकार ने 20 रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, वहां शेष 61 रक्त बैंकों को आठवीं योजना अवधि के दौरान आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। इन रक्त बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रति बैंक निम्नलिखित सहायता देने का उल्लेख किया गया है :—

	अनावर्ती (एक बारगी) लाख रुपए	आवर्ती (प्रतिवर्ष) लाख रुपये
7 बड़े रक्त बैंक	3.19	2.42
54 जिला स्तरीय रक्त बैंक	1.25	1.67

[हिन्दी]

विदर्भ में टंगस्टन के भंडार

5346. **श्री तेजसिंह राव भोंसले** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने टंगस्टन के भंडारों का पता लगाने के लिए विदर्भ में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में खोबना, कुही, अगरगांव, भावोनरी और रनबोरी क्षेत्रों में टंगस्टन अयस्क भंडारों के मूल्यांकन के लिए पूर्वेक्षण-क्षेत्रीय गवेषण किया और 0.04 से 0.27% टंगस्टन के अलग-अलग ग्रेड वाले कुल 19.98 मिलियन टन भंडार का अनुमान लगाया है।

[अनुवाद]

गैस प्रसंस्करण क्षमता

5347. **डा० परशुराम गंगवार :**
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में गैस प्रसंस्करण क्षमता कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा निकट भविष्य में गैस प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि देश में गैस संसाधन की क्षमता कुल मिलाकर वर्तमान उठान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथापि, भविष्य में अनुमानित प्राकृतिक गैस की अधिक उपलब्धता का रख-रखाव करने की दृष्टि से इस क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि जिन उपभोक्ताओं को इस गैस की वचनबद्धता की जा चुकी है, उन्हें आपूर्ति की जा सके।

[हिन्दी]

कार्डियोफोन

5348. **श्री यशवंतराव पाटील :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्डियोफोन द्वारा उपचार की सुविधा किस-किस सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार भविष्य में यह सुविधा महत्वपूर्ण अस्पतालों में उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में कार्डियोफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पोत पर सवार चालकों तथा अधिकारियों के बीच विवाद

5349. डा० राजागोपालन श्रीधरण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1993 को मद्रास से शुरू हुई समुद्री यात्रा के दौरान एम० वी० नैनकोरी जलपोत पर सवार चालकों तथा कुछ अधिकारियों के बीच कोई विवाद हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जलपोत के मास्टर ने चालक दल के एक सदस्य को यात्रियों के लिए आरक्षित स्थान में पाया और उसे वह क्षेत्र छोड़कर जाने को कहा। इस बात पर चालक दल के कई सदस्य उत्तेजित हो गए तथा पोतनीस (पर्सर) को कथित रूप से धक्का दिया और उसके साथ धक्कम-धक्की हो गई।

(ग) शिपिंग मास्टर, पोर्ट ब्लेयर ने जांच की। तथापि, जांच-पड़ताल का काम पी० ओ० एम० एम० डी०, मद्रास को सौंपने का निर्णय लिया गया, जो कि एक सांविधिक प्राधिकरण है तथा महानिदेशक, शिपिंग के अधीन है।

(घ) जांच की रिपोर्ट महानिदेशक, शिपिंग, से अंडमान और निकोबार प्रशासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) महानिदेशक, शिपिंग, से जांच की रिपोर्ट आने तक, कामचलाऊ व्यवस्था स्वरूप, पी० ओ० एम० एम० डी० मद्रास और यूनियन के बीच हुई बैठक में चालक दल के चार सदस्यों को रोक देने और दो सदस्यों को सेवा मुक्त कर दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नकली गैस सिलिंडरों का उपयोग

5350. श्री राम बदन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली गैस सिलिंडरों का उपयोग किये जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 6 माह के दौरान ऐसे कितने सिलिंडर पकड़े गए; और

(ग) सरकार द्वारा इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में एल० पी० जी० के नकली सिलिंडर जब्त किए जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) इस प्रणाली के अंतर्गत तेल कंपनी के क्षेत्र-अधिकारी एल० पी० जी० के नकली सिलिंडरों के परिचालन पर निगरानी रखते हैं । संदेहास्पद परिसरों में छापे मारे जाते हैं । जब कभी भी तेल विपणन कंपनियों को ऐसे सिलिंडरों का पता चलता है, उन्हें तत्काल नष्ट कर दिया जाता है । जब ऐसे सिलिंडरों का पता एल० पी० जी० एजेंसियों/ट्रांस्पोर्टरों के यहां चलता है तो उन्हें सावधानी/चेतावनी पत्र जारी किए जाते हैं और 1500 रुपए प्रति नकली सिलिंडर दंड लगाया जाता है ।

कैप्सूल मिश्रित ताड़ी

5351. **श्री गोविंद चंद्र मुण्डा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नशीले कैप्सूलों से मिश्रित ताड़ी बनाने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(घ) इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दिल्ली में ऐसी ताड़ी के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) मद्य निषेध राज्य का विषय है और केन्द्रीय दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए ऐसे सभी मामले आते हैं ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशि

5352. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र को केन्द्र द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित सम्पूर्ण धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष धनराशि जारी करने लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्रीलंका से स्वदेश वापसी

5353. श्री डी० पंडियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान श्रीलंका से कितनी तमिल भाषी परिवार स्वदेश लौटे हैं;

(ख) इनमें से कितने परिवारों का अब तक पुनर्वास कर दिया गया है; और

(ग) श्रीलंका से तमिल परिवारों की स्वदेश वापसी को कब तक स्वीकार करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1992 के दौरान श्रीलंका से 43 प्रत्यावर्तित परिवार भारत में पहुंचे ।

(ख) वर्ष 1992 के दौरान सभी 43 प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई गई ।

(ग) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में धातुओं और खनिजों के भंडार

5354. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में धातुओं और खनिजों के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक धातु और खनिज की अनुमानतः कितनी मात्रा में खोज की गई है; और

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण व गवेषण के फलस्वरूप, निम्नलिखित खनिज संसाधनों/भंडारों की पुष्टि की गई है :

(1) छतरपुर और सागर जिलों के लोहानी क्षेत्र में 92 मि० टन निम्न सिलिका डोलोमाइट ।

(2) बेतुल जिले के खेरली बाजार क्षेत्र में 6.48 प्रतिशत जस्ता युक्त 0.85 मि० टन जस्ता अयस्क ।

(3) इटवा में 27.91 कैरेट/100 टन, हीरा अंश युक्त 0.45 मि० टन हीरा युक्त कंकड़पुंज और पन्ना हीरा पट्टी में हातुरपुर "ए" ब्लाक में 23.08 कैरेट/100 टन हीरा अंश युक्त 0.27 मि० टन हीरा युक्त कंकड़पुंज ।

(4) पांडरी-पानी क्षेत्र (जिला रायगढ़) में 1.3 ग्राम/टन स्वर्ण युक्त 0.4 मि० टन स्वर्ण अयस्क ।

(5) पिंडरी क्षेत्र (जिला सतना) में 4.90 प्रतिशत के 2 ओ डी युक्त 1206 मि० टन गुलूकोनाइट चूना पत्थर ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खनिजों के गवेषण पर लगभग 5.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं ।

[अनुवाद]

रोगी-चिकित्सक अनुपात

5355. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी-चिकित्सक अनुपात क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक चिकित्सकों को कौन से नये प्रोत्साहन देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) देश का डाक्टर जनसंख्या अनुपात कुल मिलाकर 1 : 2312 सूचित किया गया है । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं ।

बस्तर क्षेत्र में ऐस्बेस्टॉस के भंडार

5356. श्री चन्नूलाल चन्द्राकर : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में ऐस्बेस्टॉस के भंडार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां अनुमानतः कितना ऐस्बेस्टॉस पाया गया है;

(ग) बस्तर की खानों से ऐस्बेस्टॉस के खनन के लिए लाइसेंस हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस उद्देश्य हेतु लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है; और

(ङ) इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मध्य प्रदेश का खनन व भू-विज्ञान निदेशालय पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे मंजूर करने के प्रयोजन के लिए लाइसेंसिंग अथारिटी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में जठरांत्र शोथ की बीमारी

5357. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़ी संख्या में लोग प्रदूषित जल, वायु और विद्यमान सूखे की स्थिति के कारण जठरांत्र शोथ बीमारी (गैस्ट्रो एनट्राइटिस) से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्ति जठरांत्र शोथ बीमारी से पीड़ित हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जठरांत्र शोथ बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उड़ीसा को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) उड़ीसा में हर वर्ष संदूषित पानी के कारण जठरांत्र शोथ के अनेक मामले अवश्य ही हो जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिसम्बर, 1992 तक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को सूचित किए गए रोगियों की संख्या 40,164 है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से कोरापुट के जनजातीय जिले में ऐसे रोगों के नियंत्रण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इस प्रस्ताव को उपयुक्त रूप से पुनः तैयार करें।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में नर्सिंग स्कूल का दर्जा बढ़ाना

5358. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नर्सिंग स्कूल का दर्जा कालेज के स्तर तक बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) जी हां। इस वर्ष लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नर्सिंग स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे नर्सिंग कालेज बना दिया गया है। जुलाई 1993 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र से 25 विद्यार्थियों के प्रथम बैच को प्रवेश दिया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार की तेल परियोजनाएं/योजनाएं

5359. **श्री छेदी पासवान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की उन विभिन्न तेल परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) उन्हें मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) बिहार राज्य के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के दो परियोजना प्रस्ताव हैं, यथा :

(1) हल्दिया बंदरगाह से बरौनी तक नई क्रूड पाइप लाइन बिछाना; और

(2) बरौनी रिफाइनरी में "कैटेलिटिक रिफार्मर" की स्थापना करना।

ये प्रस्ताव संसाधन के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

सोने की खोज

5360. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने केरल में नीलाम्बुर की मरूदा पहाड़ियों में सोने का पता लगाने के लिए कोई खोज करायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एस० ई० सी० एल०) इस समय केरल के नीलाम्बर जिले के मरूदा प्रखंड में स्वर्ण के लिए गवेषण कार्य कर रहा है। इस कार्य के पूरा होने के बाद परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश

5361. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनन क्षेत्र में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) हालांकि कुछ विदेशी खनन कंपनियों ने भारत में खनिजों के गवेषण और खनन में अपनी रुचि दिखाई है, किन्तु फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दंत चिकित्सकों का स्थानान्तरण

5362. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दंत चिकित्सकों के स्थानान्तरण के बारे में 8 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2325 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भाग-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे दंत चिकित्सकों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरित किया जा रहा है;	(क) जी हां।
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने दंत चिकित्सक स्थानांतरित किए गए हैं; (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पांच वर्ष से अधिक समय से एक अस्पताल में कार्य कर रहे दंत-चिकित्सकों को स्थानांतरण करने का है; और (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?	(ख) से (घ) दो दंत चिकित्सकों के स्थानांतरण आदेश 5 अगस्त, 1992 को जारी किए गए थे। उनमें से एक अधिकारी के बीमारी के आधार पर अनुरोध को देखते हुए आदेशों का कार्यान्वयन स्थगित रखा गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में वस्तु सूची नियंत्रण

5363. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कम्प्यूटरीकरण के बावजूद वस्तु सूची नियंत्रण रखने, अचल मदों की खरीद, फालतू मदों के निपटान और भण्डार के अधिक खरीद के संबंध में गम्भीर त्रुटियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन त्रुटियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में इन्वेन्टरी नियंत्रक पर वर्ष 1991 की अपनी रिपोर्ट (संख्या 18 संघीय सरकार-वाणिज्यिक) में ऐसी चूकों का उल्लेख किया है।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने संबंधित क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों को अनुदेश जारी किया है कि गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई की जाए।

सांप्रदायिक दंगों संबंधी आयोग

5364. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने के लिए न्यायमूर्ति रघुवर दयाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों को इनके अनुपालन हेतु आदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेश के अनुरूप कार्य किया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) रांची-हटिया में हुए दंगों के बारे में आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों संबंधी ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को उपयुक्त कारंवाई के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया है।

(ग) गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा सिफारिशों की जांच की गई और उपयुक्त कारंवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए।

विवरण

आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

(i) राज्य में जब कभी कोई ऐसा आंदोलन हो जिससे सांप्रदायिक मनमुटाव तथा गड़बड़ी होने की सम्भावना हो तो राज्य सरकार को न केवल जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को सावधान रहने के लिए सचेत करना चाहिए अपितु उस मामले को

हल करने के लिए, जिससे आन्दोलन हो रहा हो, स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार में सम्मिलित मंत्रियों को भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त नहीं करने चाहिएं।

(ii) जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों की विभिन्न केन्द्रों में नियुक्तियां स्थानों के महत्व तथा अधिकारियों के तुलनात्मक अनुभव के अनुसार की जानी चाहिए।

(iii) सम्प्रदायों के बीच संभावित वैमनस्य, घृणा इत्यादि उत्पन्न करने के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को, जिन्हें एक बार न्यायालय को सौंप दिया गया है, राजनैतिक कारणों से वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

(iv) राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय पुलिस में वृद्धि से सेना को बुलाये जाने की सभावना कम हो सकेगी।

(v) जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को आपात कालीन योजना से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए जिसका यदा-कदा पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए।

(vi) आपातकालीन योजना को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के नियंत्रणाधीन पर्याप्त मजिस्ट्रेट तथा रिजर्व पुलिस होनी चाहिए।

(vii) किसी उपद्रवों की केवल संभावना होने पर भी गुण्डों को गिरफ्तार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

(viii) किसी साम्प्रदायिक उपद्रव की केवल संभावना होने पर भी निरोधात्मक कार्रवाई के सभी उपाय किए जाने चाहिएं।

(ix) झगड़े वाले क्षेत्रों में स्थायी टुकड़ियों को भी ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए और उनका ऐसा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने में वे वास्तव में योग्य सिद्ध हो सकें।

(x) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेशों तथा कर्फ्यू लागू करने के लिए सदा उचित प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

(xi) पुलिस दलों को वाकी-टाकी सैट दिए जाने चाहिएं ताकि उन स्थानों से, जहां झगड़ा हुआ है, सूचना नियंत्रण-कक्ष को भेजी जा सके।

[हिन्दी]

सजायाफ्ता लोगों के अंतरण/सामाजिक पुनर्वास पर भारत और स्पेन के बीच समझौता

5365. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सजायाफ्ता लोगों के अंतरण/सामाजिक पुनर्वास पर भारत और स्पेन के बीच हाल ही में की गई संधि/समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) इसे लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत और स्पेन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, अभी हाल ही में फरवरी, 1993 में स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के दौरान, सजा प्राप्त व्यक्तियों के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते का एक सहमत प्रारूप हस्ताक्षरित किया गया था। गृह मंत्रालय के परामर्श से विदेश मंत्रालय द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

संघ-राज्य क्षेत्रों में लाटरी की टिकटों की बिक्री

5366. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संघ-राज्य क्षेत्रों में लाटरी की टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। संघ शासित क्षेत्रों में लाटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी स्कूलों द्वारा संपत्ति कर का भुगतान

5367. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई निजी स्कूल नियमित रूप से संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्कूलों से संपत्ति कर की वसूली हेतु सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्राइवेट स्कूलों पर सम्पत्ति कर लगाया जा रहा है। तथापि स्कूल, सामान्य कर की अदायगी से छूट प्राप्त करने के लिए आग्रह करते रहे। सफदरजंग इनक्लेव एज्यूकेशन सोसायटी बनाम दिल्ली नगर निगम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा छूट देने के मामले में अपना निर्णय दे दिया है और छूट देने संबंधी सभी मामलों का निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार किया जा रहा है।

बच्चों की मृत्यु

5368. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 दिसम्बर, 1992 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में "25 लाख किड्स डाई ऑफ डिजीजिज एवरी वीक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) यूनीसेफ की वर्ष 1993 की स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1991 में विकासशील देशों में पांच वर्ष से कम आयु के 2.5 लाख बच्चे प्रति सप्ताह मरे।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ टीकाकरण, मुखीय पुनर्जलपूरण चिकित्सा, रक्ताल्पता और विटामिन "ए" की कमी के लिए निदान, निमोनिया का उपचार, स्तनपान और जन्म अन्तराल में वृद्धि करने तथा प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर परिचर्या एवं आपातकालीन प्रासूतिक परिचर्या के माध्यम से शिशु और बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल कम्पनी लिमिटेड में दवाइयों की खरीद

5369. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पताल और औषधालय अपनी जरूरत की केवल 10 प्रतिशत दवाइयां इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल कम्पनी लि० से खरीदते हैं और शेष दवाइयों की खरीद गैर-सरकारी औषध निर्माताओं से की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो दवाइयों की पूरी जरूरत के लिए आई०डी०पी०एल० एककों से दवाएं न खरीदने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) औषधियों की आपूर्ति सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार पंजीकृत सप्लायरों से प्रतियोगिता के आधार पर खरीद की जाती है बशर्ते वे मानक गुणवत्ता के अनुसार हों। खरीद करने में इंडियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि उनके प्रस्ताव प्रतियोगी हों।

[हिन्दी]

गुजरात में सूरत और बड़ोदा में गैस की सप्लाई

5370. **श्री छोटूभाई गामीत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान, वर्षवार सूरत और बड़ौदा में घरेलू तथा औद्योगिक खपत के लिए कितनी मात्रा में गैस की सप्लाई की गई;

(ख) क्या उन शहरों में आवश्यकता से कम मात्रा में गैस की सप्लाई की गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बड़ोदा में वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए आपूर्त की गई गैस की मात्रा औसतन क्रमशः 0.81, 1.08 और 1.21 एम एम एस सी एम डी

थी। सूरत में वर्ष 1991-92 और 1992-93 में यह क्रमशः 0.06 और 0.16 एम एम एस सी एम डी थी।

(ख) उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार की गई वचनबद्धताओं के अन्तर्गत गैस आपूर्ति की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला मजदूरों के लिए वेतन बोर्ड/समिति

5371. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर संघ ने देश में कोयला मजदूरों के लिए एक वेतन बोर्ड/समिति की स्थापना करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) कोयला मजदूरों की केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित अन्य प्रमुख मांगें क्या हैं; और

(ङ) इन मांगों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ ने "कोयला कामगारों के लिए मजदूरी बोर्ड/समिति" की स्थापना किए जाने की मांग नहीं की है। किन्तु, उन्होंने मौखिक रूप में यह उल्लेख किया है कि कोयला उद्योग के लिए 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय समिति के गठन को अंतिम रूप दिया जाए क्योंकि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-4, 30 जून, 1991 को समाप्त हो गया है।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों के सम्बन्ध में समझौता किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत मार्गनिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत की गई कोयला कामगारों की अन्य महत्वपूर्ण मांगों तथा उनका निपटारा किए जाने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं—

(i) दिनांक 1-1-1989 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) पर 2 रुपए प्रति प्वाइंट (1960 सीरिज) की दर से महंगाई-भत्ते का भुगतान;

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया है कि वे दिनांक 1-1-1989 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 800 प्वाइंट से आगे वृद्धि हो जाने पर 2 रुपए प्रति प्वाइंट की दर से महंगाई-भत्ते के भुगतान को विनियमित करें।

(ii) पेंशन योजना को शुरू किया जाना।

इस योजना को तैयार किए जाने के लिए एक समिति, जिसमें अधिकारी तथा श्रमिक दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन किया गया है।

बाबा साहेब की जन्मशती

5372. श्री एम० के० राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्मशती मनाने के लिए गुजरात के विभिन्न संगठनों को स्वीकृत किए गए अनुदान का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अनुदान के समुचित उपयोग के बारे में कोई जांच करायी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) गुजरात की किसी स्वैच्छिक संस्था को बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों से कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अतिसार रोधी औषधि पर प्रतिबन्ध

5373. श्री राम टहल चौधरी :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दी जाने वाली अतिसार रोधी औषधि पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से इन सभी औषधियों के निरन्तर विपणन के संबंध में पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। ऐसी एक समीक्षा की गई है और यह सिफारिश की गई है कि कुछ औषधें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। इन सिफारिशों पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।

मुम्बई तथा कलकत्ता में बम विस्फोट

5374. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री देवी बक्श सिंह :
श्री राम बदन :

डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री हरिन पाठक :
श्री रवि राय :
श्री मोहन रावले :
श्री अन्ना जोशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई और कलकत्ता में हाल ही में हुए बम विस्फोटों में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये विस्फोट कहां-कहां पर हुए और इनके परिणामस्वरूप सम्पत्ति का कुल कितना नुकसान हुआ;

(घ) इन घटनाओं के सम्बन्ध में पहचाने गए तथा गिरफ्तार किए गए दोषी व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ङ) कितने दोषी व्यक्तियों के देश छोड़ भाग जाने का अनुमान है;

(च) दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(छ) इन घटनाओं की जांच कर रही एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ज) इनके निष्कर्ष क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ज) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ज) 12 मार्च, 1993 को बम्बई में 11 स्थानों पर लगातार बम विस्फोट हुए, जिसके परिणामस्वरूप 260 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 1500 से अधिक व्यक्ति घायल हुए, विस्फोट निम्नलिखित स्थानों पर हुए : (1) स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग, (2) नरसी नाथ स्ट्रीट, मस्जिद बन्दर, (3) सेना भवन के सामने पेट्रोल पंप, (4) पासपोर्ट कार्यालय के समीप, वर्ली, (5) एयर इण्डिया बिल्डिंग, नारीमन प्वाइंट, (6) सेंचुरी बाजार के नजदीक, वर्ली, (7) प्लाजा सिनेमा कम्पाउंड, (8) जावेरी बाजार, (9) सन्तूर होटल, शांताक्रुज, (10) सीराक होटल, बांद्रा, (11) सन्तूर होटल जुहू। राज्य सरकार ने विस्फोट के कारण हुए सम्पत्ति के सही-सही नुकसान का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बंबई पुलिस ने इस संबंध में 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जांच कार्य के हित में तथा जनहित में इस समय इस मामले में वांछित व्यक्तियों के नाम बताना वांछनीय नहीं होगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इन विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपए, स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को 25,000 रु० और आंशिक रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था सरकारी तथा म्युनिसिपल अस्पतालों में की गई है। उन घायल व्यक्तियों को भी 5,000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी,

जो 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 98.00 लाख रुपए वितरित किए गए हैं और इनमें घायल हुए व्यक्तियों को 19.50 लाख रुपये वितरित किए गए। बम्बई पुलिस को इन घटनाओं की जांच करने में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी देना जनहित तथा जांच कार्य के हित में उचित नहीं समझा जाता है।

कलकत्ता विस्फोट

16 मार्च, 1993 को लगभग मध्य रात्रि में कलकत्ता की बहू बाजार स्ट्रीट के 266 और 267 के दुकान व रिहायशी परिसर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक तीन मंजिली और एक दो मंजिली इमारत ढह गई जिसके परिणामस्वरूप 67 व्यक्तियों की मृत्यु हुए और 92 व्यक्ति घायल हो गए, साथ के चार मकानों को क्षति पहुंची। राज्य सरकार ने इस विस्फोटों के कारण सम्पत्ति के सही-सही नुकसान का मूल्यांकन नहीं किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने इस बारे में अपनी ओर से एक मामला आरम्भ किया और बहुत वरिष्ठ अधिकारियों की देख-रेख में जांच कार्य शुरू किया। मोहम्मद रशीद खान और अब्दुल अजीज नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने तत्काल उपाय के रूप में, जो लोग मारे गए, उनके निकटतम संबंधी को 20,000 रु० की अनुग्रह राशि मंजूर करने का निर्णय लिया है। मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री के सहायता कोष से भी मंजूर की गई है। अन्य घायल व्यक्तियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से सहायता भी प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार ने इस घटना में बेघर हुए लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

जमुनिया में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र

5375. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला के जमुनिया (बरेला) में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसधान परिषद ने सूचित किया है कि मलेरिया, फाइलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को प्रदर्शित करने हेतु बरेला में एक अस्थायी क्षेत्रीय एकक स्थापित किया गया। इस परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के बाद एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने का परिषद का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

मस्तिष्क ज्वर

5376. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों के निवासी प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर से मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितने आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्र के निवासियों की मृत्यु मस्तिष्क ज्वर से हुई;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज जल

5377. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज जल के निर्माताओं को कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या गत एक वर्ष में दूषित खनिज जल की बिक्री के कई मामलों की रिपोर्ट की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मामलों में कानूनों की जांच की गई है; और

(ङ) दोषी निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत खनिज जल के निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार हाल ही में खनिज जल के तीन नमूने प्रदूषित पाए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार इन मामलों में कारंवाई शुरू कर दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश में चकमा तथा हजोंग प्रवासी

5378. **श्री चित्त बसु** :

श्री अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में इस समय कितने चकमा तथा हजोंग प्रवासी रहते हैं;

(ख) इन प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार देने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति है;

(ग) अब तक ऐसे कितने प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं;

(घ) क्या चकमा तथा हजोंग छात्रों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 15,000 चकमा और हजोंग प्रवासी 1964 में अरुणाचल प्रदेश में बसे थे। राज्य सरकार के अनुसार इस समय उनकी संख्या 30,000 से अधिक है।

(ख) भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को, जो 25-3-1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से भारत में आये थे, नागरिकता प्रदान करने पर विचार किया जाता है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उनके मामलों की सिफारिश की जाती हो।

(ग) अरुणाचल प्रदेश में किसी चकमा और हजोंग प्रवासी को अभी तक भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हजोंग छात्र मुफ्त स्कूली सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे

5379. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिसम्बर, 1992 में पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों और तथाकथित दिल्ली पुलिस के अत्याचारों की जांच कराई है;

(ख) इस संबंध में कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है;

(ग) क्या जांच कार्य सी० बी० आई० को सौंपा गया है;

(घ) क्या व्यापक हिंसा में अथवा पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है जैसी कि घोषणा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने दावे निपटाए गए और कितने लंबित हैं;

(च) इन दंगों में कुल कितने व्यक्ति घायल हुए;

(छ) इन दंगों में अनुमानतः कुल कितनी कीमत की चल और अचल सम्पत्ति नष्ट हुए तथा कुल कितनी अनुग्रह राशि दी गई;

(ज) इससे कितने व्यापार उद्यमी प्रभावित हुए और अब तक रियायती शर्तों पर कितना ऋण दिया गया है; और

(झ) कितने धार्मिक स्थल नष्ट किए गए अथवा कितने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया तथा अब तक ऐसे कितने स्थलों का पुनर्निर्माण कराया गया है अथवा उनकी मरम्मत की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) 27.

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 2 लाख रुपए की दर से अनुग्रह राहत स्वीकृत की गई है ।

(ङ) उपायुक्त के कार्यालय ने पहले ही 12 मामलों में भुगतान कर दिया है । कोई दावा लंबित नहीं है ।

(च) 107.

(छ) चल एवं अचल संपत्ति के नुकसान की ठीक-ठीक मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती । अब तक 41,05,267 रुपए की कुल राशि, चल और अचल संपत्ति के नुकसान के में दी गई ।

(ज) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऋण की स्वीकृति के लिए 48 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो भारतीय स्टेट बैंक को अग्रेषित कर दिए गए हैं ।

(झ) 4 मन्दिर और एक मस्जिद आंशिक रूप से नष्ट कर दिए गए थे जिनकी मरम्मत कर दी गई है ।

राजस्थान में खनिज भंडार

5380. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में राजस्थान में कोई खनिज संबंधी सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के उन क्षेत्रों का ब्योरा क्या है जहां यह सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) पाए गए विभिन्न खनिज भंडारों का ब्योरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, बांसवाड़ा, पाली, गंगानगर, नागौर, बीकानेर और चुरू जिले के कुछ भागों में खनिज सर्वेक्षण किया है ।

(ग) हाल के वर्षों में राजस्थान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण और गवेषण के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित खनिज स्रोतों/भंडारों की पुष्टि की गई है—

1. उदयपुर जिले के उत्तरी सिन्देसर रिज (दक्षिण) प्रखंड में 25.51 मि० टन सीसा जस्ता अयस्क और सिन्देसर क्षेत्र में 2 मि० टन सीसा-जस्ता अयस्क ।
2. अजमेर जिले के सावर-बाजटा क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत सीसा अंश वाला (औसत ग्रेड) 2.27 मि० टन सीसा अयस्क ।
3. अजमेर जिले के कयार क्षेत्र में 4.5 मि० टन सीसा-जस्ता अयस्क (12 प्रतिशत जस्ता और 1.2 प्रतिशत सीसा) (औसत अंश) ।
4. चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला क्षेत्र में 2.94 मि० टन निम्न ग्रेड (0.75 प्रतिशत तांबा) तांबा अयस्क ।
5. जयपुर जिले के बडेरे-सखुन क्षेत्र में 0.4 प्रतिशत तांबा अंश वाला 1.34 मि० टन तांबा अयस्क ।
6. रुद्रपुर जिले के ईसरवास और कालीपल प्रखंडों में 0.5 प्रतिशत तांबा अंश वाला 3 मि० टन तांबा अयस्क ।
7. उदयपुर जिले में 14.49 प्रतिशत पी$_2$ ओ$_5$ अंश वाला 3.5 मि० टन फास्फोराइट अयस्क ।
8. राजस्थान के नागौर-गंगानगर बेसिन में सतीपुरा सब-बेसिन में 5.15 प्रतिशत के$_2$ ओ अंश वाला 175.95 मि० टन पोटाश अयस्क और भरूसर सब-बेसिन में 4.66 प्रतिशत के$_2$ ओ अंश वाला 150.85 मि० टन अयस्क ।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस की एजेंसियां

5381. श्री ललित उरांव :
श्री राम देव राम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 3 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1805 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन बीस स्थानों के नाम क्या हैं जहां तेल चयन बोर्ड का गठन न होने के कारण रसोई गैस एजेंसियों का चयन लंबित पड़ा है; और

(ख) वर्ष 1991 और 1992 तक बिहार में मंत्रालय स्तर पर आबंटित की गई रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) बिहार

	बेरमों	बक्सर
विक्रमगंज	डाल्टनगंज	धनबाद
गया	जमशेदपुर (3)	मुंगेर
मोतिहारी	पटना (3)	रांची (2)
शेखपुरा	शेरघाटी	सरायकेला

(ख) निम्नांकित स्थानों पर 7 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई थीं--

बंतीया	छपरा	गया
हजारीबाग	कटिहार	पटना (2)

[अनुवाद]

रोमानिया द्वारा तेल की खोज कार्य में सहायता

5382. श्री बो० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोमानिया ने तेल की खोज के कार्यक्रम में भारत की सहायता करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रोमानिया सरकार से इस संबंध में बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रोमानिया को तेल की खोज का कार्य किन शर्तों पर देने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भारत के तेल अन्वेषण कार्यक्रम में रोमानिया की सरकार अथवा रोमानिया की कम्पनियों ने कोई विशेष रुचि नहीं दर्शायी है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टरों का आवंटन

5383. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को, श्रेणीवार कितने आवासीय क्वार्टरों का आबंटन किया गया;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान कितने क्वार्टरों का बिना पारी के आबंटन किया गया;

(ग) आबंटन हेतु पंजीकृत कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) उन नियमित कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन कब तक किया जायेगा जिन्होंने सेवा के 12 वर्ष पूरे कर लिये हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु डी० डी० ए० से फ्लैट लेने का कोई विचार है अथवा निगम का स्वयं ही क्वार्टरों का निर्माण कराने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1992-93 के दौरान अपने कर्मचारियों को आवंटित किए गए आवासीय मकानों के निम्नलिखित ब्यौरे सूचित किए हैं—

	श्रेणी					
	I	II	III	IV	व	V
वर्ष 1992-93 के दौरान आवंटित दिल्ली नगर निगम के आवास	66	36	54		13	
बारी से पहले आवंटित (1-4-1992 के बाद)	7	3	8		1	
बारी से पहले आवंटित (1-4-1992 से पहले)	12	27	6		शून्य	
आवंटन के लिए पंजीकृत कर्मचारी	2800	1166	576		234	

(घ) भारी मांग और समिति आवास की उपलब्धता के कारण, दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि यह बताना संभव नहीं है कि किस निश्चित तारीख तक पंजीकृत कर्मचारियों को आवास का आवंटन किया जाएगा।

(ङ) और (छ) दिल्ली नगर निगम ने आगे बताया है कि उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रायपुर में हीरे का भंडार

5384. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर में हीरे के भंडार का पता लगाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) इस समय मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में हीरे के लिए सर्वेक्षण और गवेषण कर रहा है। इसने अब तक पायलीखंड और बाहरीडीह क्षेत्रों में दो हीरा-युक्त किम्बरलाइट बाडियों का पता लगाया है। अब तक इन बाडियों में क्षीण चट्टानों की छनाई से लगभग एक से दस सेन्ट (वजन) के चार हीरे प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

हुल्दिया में इस्पात संयंत्र

5385. श्री मनोरंजन भक्त : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनी के सहयोग से हुल्दिया (पश्चिम बंगाल) में इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) विदेशी कंपनी के सहयोग से हुल्दिया में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स बिरला टेक्निकल सर्विसेज, हुल्दिया में निजी क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहा है। प्रथम चरण में इस संयंत्र द्वारा 4 लाख टन प्रतिवर्ष कच्चे का उत्पादन करने की परिकल्पना की गयी है, जबकि दूसरे चरण में इस संयंत्र का 10 लाख टन प्रतिवर्ष इस्पात उत्पादों का उत्पादन करने के लिए विस्तार करने का प्रस्ताव है। परियोजना पर 3600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है: मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि० को विस्तृत तकनीकी-आर्थिक शक्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

5386. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड त्रिवेन्द्रम के विस्तार प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी में हाल ही में आग लगी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) आग से अनुमानतः कितनी क्षति हुई;

(च) कंपनी की अक्कुलम परियोजना में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। परियोजनाओं में एक ब्लड बैग प्रोजेक्ट और एक हाइड्रोसिफेलस शन्ट प्राजेक्ट शामिल हैं जिन्हें अक्कुलम, केरल में क्रमशः 884.80 लाख रुपये और 66.08 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया जाना है। मुखसेव्य गोलियों और सेंटक्रोमन के निर्माण हेतु दो परियोजनाएं कनगला, कर्नाटक में स्थापित की जानी हैं। दोनों परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय क्रमशः 89.87 और 595 लाख रुपये अनुमानित हैं।

(ग) से (ङ) दिनांक 16-2-1993 को पेरूरकडा में निरोध कारखाने में आग को अग्निशमन और हिन्दुस्तान लेटेक्स के कर्मचारियों की सहायता से तीन घंटों में बुझाया गया। इसमें बेगार लेटेक्स के जल जाने से केवल 2400 रु० की हानि का अनुमान है।

(च) और (छ) कॉपर-टी 200 बी (अंत: गर्भाशय पद्धति) के निर्माण हेतु कंपनी की अक्कुलम परियोजना ने प्रायोगिक उत्पादन कार्य पूरा कर लिया है तथा वाणिज्यिक उत्पादन के तीन महीनों के भीतर शुरू हो जाने की संभावना है।

अन्धेपन से निपटने हेतु राष्ट्रीय संगठन

5387. **श्री सुधीर गिरि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार देश में अन्धेपन को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संगठन द्वारा प्रतिवर्ष कितने अन्धे व्यक्तियों का उपचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के एक कार्यक्रम विंग द्वारा चलाया जाता है जिसे चरणबद्ध रूप में सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) देश में 25 लाख मोतियाबिन्द के आपरेशन करने के लिए वर्ष 1991-92 में 9 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 1993-94 में 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग उन्मूलन

5388. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री तेजसिंहराव भोंसले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने बच्चे कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बच्चों के शिक्षण व पुनर्वास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार कुष्ठ के रोगियों की संख्या 14.60 लाख है जिनमें से अनुमान है कि 15 प्रतिशत (2.20 लाख) रोगी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य शिक्षा तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्यकलापों में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चों सहित सभी रोगियों को कवर किया जा सके। इस कार्यक्रम में रोग का आरम्भिक अवस्था में पता लगाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, स्कूल सर्वेक्षण, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा, रोगी परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता जिसमें विरूपता परिचर्या सहित रोगियों का शारीरिक पुनर्वास, अल्सर परिचर्या, पुनर्निर्माण सर्जरी, आदि शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में बुनियादी तेल शोधक कारखाना

5389. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में बुनियादी तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थल का चयन किया गया है; और

(ग) इस कारखाने के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने मध्य भारत में 8वीं/9वीं योजना में संयुक्त उद्यम में एक 6 एम एम टी पी ए की क्षमता की तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है। मैसर्स बी पी सी एल ने इस उद्देश्य के लिए मैसर्स ओमान आयल कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। रिफाइनरी के अन्तिम स्थान के विषय में संयुक्त उद्यम के भागीदारों द्वारा निर्णय लिया जाना है।

[अनुवाद]

सम्पत्तियों के कर योग्य मूल्य

5390. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने उत्तरी दिल्ली के सम्पत्ति धारकों को बिना किसी कारणों का उल्लेख किए ही सभी सम्पत्तियों के कर योग्य मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो संपत्तियों के कर योग्य मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आवासीय कल्याण संघों ने प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कर योग्य मूल्यों में संशोधन तथा नोटिसों का जारी किया जाना एक वार्षिक प्रक्रिया है और जहां भी किसी सम्पत्ति की पुनरीक्षा की जरूरत होती है तो ऐसे परिवर्तनों का प्रस्ताव करते हुए नोटिस जारी किए जाते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आगे सूचित किया है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में वर्ष 1988 में संशोधन के बाद, मानक किराए की गणना के लिए प्रतिशत को, पहले के 8.25 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत पर निश्चित कर दिया गया है। इससे कर

योग्य मूल्यों में संशोधन की आवश्यकता हुई और 1990-91 तथा 1991-92 में पुनरीक्षण के लिए नोटिस जारी किए गए। ये संशोधन, सम्पूर्ण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की सम्पत्तियों के कर योग्य मूल्यों में किए जाने प्रस्तावित थे। उत्तरी दिल्ली में नोटिस जारी किए जाने के लिए अलग से कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे।

2. दिल्ली नगर निगम ने आगे सूचित किया है कि कुछ "आवासीय कल्याण समितियों" ने अनुरोध किया है कि मानक किराया 5.25 प्रतिशत पर बना रहना चाहिए। तथापि, दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन के बाद मानक किराया 8.25 प्रतिशत पर न रख करके 10 प्रतिशत पर रखा जा रहा है और कर योग्य मूल्य उसी प्रकार से निश्चित किए जा रहे हैं।

रक्त परीक्षण यंत्र

5392. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों तथा सरकारी अस्पतालों में रक्त, मल, मूत्र आदि से संबंधित परीक्षण परिष्कृत यंत्रों पर चयन के आधार पर किये जाते हैं तथा ये यंत्र अधिक संख्या में उपलब्ध न होने के कारण जांच करने के लिए परम्परागत प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में मानव रक्त लेना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना तथा सरकारी अस्पतालों के वर्तमान परीक्षण केन्द्रों को परिष्कृत रक्त परीक्षण यंत्र सुलभ कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पारम्परिक प्रक्रिया और परिष्कृत मशीनों के प्रयोग के माध्यम से परीक्षण के लिए अपेक्षित रक्त की मात्रा के बीच अन्तर नगण्य है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार विकृति विज्ञान संबंधी परीक्षण करने के लिए पारम्परिक के साथ-साथ स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सात औषधालयों में प्रयोगशाला सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

कोयले को फिर से काम में लाने की प्रौद्योगिकी

5393. **श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड कोयले के छोटे-छोटे टुकड़ों को फिर से काम में लाने की प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए एक विदेशी कंपनी से सहायता पाने की याचना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी हां, कोल (इण्डिया) लिमिटेड ने इन प्रकार के कोयले के खनन में वृद्धि हेतु विशिष्ट उच्च किस्म के कोयले के परिष्करण तंत्र को उपयोग में लाने हेतु आस्ट्रेलिया से सहायता मांगी है। भारत कोकिंग कोल

लिमिटेड की भूनिधि वाशरी के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस प्रस्ताव को अमल में लाने का निर्णय तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में धातुओं/खनिजों का दोहन

5394. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान खनिजों और धातुओं का दोहन करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान पायी गई धातुओं और खनिजों की अनुमानित मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके समुचित दोहन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने (1) देहरादून जिले की टोंस घाटी क्षेत्र, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के गलपाकेत-किमखेत क्षेत्र; टेहरी, पौड़ी जिलों और अल्मोड़ा जिले के कुछ भागों में आधार धातुओं (तांबा-सीसा-जस्ता) (2) नैनीताल, गोरखपुर, गोंडा, महाराजगंज, सोनभद्र और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में स्वर्ण (3) हमीरपुर जिले में टिन-टंगस्टन, और (4) देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में सिलिकासैंड के लिए पूर्वेक्षण/गवेषण का संचालन किया है।

टेहरी-पौड़ी जिलों में सीसा-जस्ता और हमीरपुर जिले में टिन-टंगस्टन के लिए किए गए पूर्वेक्षण कार्य से उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले हैं। दूसरे क्षेत्रों में अन्वेषण पूरा होने के बाद परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(ग) क्रमबद्ध गवेषण, आंकड़ों का पर्याप्त मूल्यांकन करने के बाद किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम द्वारा धन का भुगतान न किया जाना

5395. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के ठेकेदार उन्हें बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के विरोध में हाल ही में हड़ताल पर रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ठेकेदारों को समय पर भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें उनकी बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निगम के ठेकेदारों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित मांगें सम्मिलित हैं :—

(i) धरोहर राशि की वापसी।

(ii) गैर-योजना बिलों का भुगतान।

(iii) इनसिस्टमेंट श्रेणियों का उन्नयन, इत्यादि।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम का प्रयास 1993-94 के दौरान शेष बिलों का निपटान करने का है।

सीमा पर कंटीली बाड़ लगाना

5396. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री द्वारकानाथ दास :
श्री अन्ना जोशी :
श्री हरिन पाठक :
श्री राम नाईक :
श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ-साथ कंटीली बाड़ लगाने तथा सड़क बनाने सम्बन्धी पूरे किए गए कार्य तथा अधूरे पड़े कार्य का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में हुई प्रगति का क्षेत्रवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों हेतु इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) इन कार्यों की अनुमानित लागत कितनी है तथा इन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है; और

(च) ये कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क)

सैक्टर	जनवरी, 1993 तक पूरी की गई		अभी पूरी की जानी है	
	बाड़ (कि० मी० में)	सड़क (कि० मी० में)	बाड़ (कि० मी० में)	सड़क (कि० मी० में)
भारत-पाक सीमा				
पंजाब	433.922	6	18.500	—
राजस्थान	332.725	—	—	150.00
भारत-बंगलादेश सीमा				
असम	54.45	84.14	103.550	107.860
मेघालय	49.13	113.14	181.870	94.860
पश्चिम बंगाल	—	16.21	507.000	1600.790
त्रिपुरा	—	47.42	—	466.580
मिजोरम	—	2.69	—	97.310

(ख)

	1990-91		1991-92	
	बाड़	सड़क	बाड़	सड़क
भारत-पाक सीमा				
पंजाब	—	—	236.621	—
राजस्थान	—	—	144.070	0
भारत-बंगलादेश सीमा				
असम	0.49	55.16	13.37	16.21
मेघालय	—	21.93	—	49.03
पश्चिम बंगाल	—	28.00	—	57.50
त्रिपुरा	—	9.85	—	14.58
मिजोरम	—	—	—	—

(ग)

	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
	बाड़	सड़क	बाड़	सड़क (करोड़ रुपए में)	बाड़	सड़क	बाड़	सड़क
भारत-पाक सीमा	207.156	—	18.50	—	—	150	—	—
भारत-बंगलादेश सीमा	91.915	383.69	170	660	292	720	252	813

(घ)

	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	किया गया व्यय
भारत-पाक सीमा	141.62	128.87
भारत-बंगलादेश सीमा	831.18	146.56

(ङ)

	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)			
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
भारत-पाक सीमा	44.80	40.25	36.26	39.75
भारत-बंगलादेश सीमा	32.14	48.29	91.27	201.11

(च)

भारत-पाक सीमा—31-3-1995

भारत-बंगलादेश सीमा—31-3-1996

कश्मीरी शरणार्थियों की सम्पत्ति

5397. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कश्मीरी शरणार्थियों की सम्पत्ति के मूल्य का कोई आकलन किया है, जो वे आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी में छोड़कर आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस संबंध में कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य में प्रवासियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रवासियों द्वारा घाटी में छोड़ी गई सम्पत्ति की एक सूची तैयार करें।

(ग) कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा आतंकवादियों पर दबाव डालने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति को कम से कम खतरा हो।

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों का विस्तार और आधुनिकीकरण

5398. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्धसैनिक बलों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस बढ़े हुए बजट में अर्धसैनिक बलों को क्या सुविधाएं दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान इन बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अर्धसैनिक बलों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गयी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

	(रु० करोड़ों में)
1991-92 (वास्तविक व्यय)	1895.15
1992-93 (संशोधित आंकलन)	2151.69
1993-94 (बजट आंकलन)	2313.97

(ग) से (ङ) अर्धसैनिक बलों के लिए बजट अनुदान में बढ़ोत्तरी, मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण बलों की तैनातगी में वृद्धि और बलों का विस्तार किए जाने के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए की गयी है। आधुनिकीकरण या विस्तार से संबंधित किसी विशेष योजना के लिए कोई विशिष्ट अतिरिक्त अनुदान नहीं है। लेकिन अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण और विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में प्रस्तावों पर सरकार द्वारा मैरिट के आधार पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

कलिंग आइरन वर्क्स का विस्तार

5399. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्योंझर जिला, उड़ीसा में कलिंग आइरन वर्क्स, बरबील का विस्तार करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० ने कच्चे लोहे की 1 लाख टन की विद्यमान क्षमता के अतिरिक्त कच्चे लोहे की 40 हजार टन की और वार्षिक क्षमता के लिए 1989-90 से कुल 24.47 करोड़ रुपये के निवेश से चौथी भट्ठी तथा चौथी विद्युत इकाई (4 मेगावाट) को शामिल करते हुए कलिंगा आयरन वर्क्स, बरबील के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना शुरू की है । 15 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश से चौथी भट्ठी का कार्यान्वयन पूरा हो गया है और सितम्बर, 1991 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया है । लगभग 9.47 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश से चौथी विद्युत इकाई का कार्यान्वयन चल रहा है । विद्युत संयंत्र के मार्च, 1994 तक चालू कर लिए जाने की आशा है । 24.47 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की तुलना में इस विस्तार योजना पर अब तक 16.16 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हो चुकी है ।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों में नशे की लत

5400. श्री **तेजसिंह राव भोसले** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में कालेज के विद्यार्थी नशे की लत के शिकार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कालेज और स्कूल छात्रों के बीच नशीली दवाओं के व्यसनियों की संख्या मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, हाल ही के वर्षों में देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या काफी गम्भीर प्रतीत हुई है ।

(ख) सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से निर्व्यसनी लोगों को परामर्श उपचार तथा पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने लिए एक स्वैच्छिक सेवा केन्द्र, निर्व्यसन परामर्श तथा उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र स्थापित किए हैं । नशीली दवा व्यसन के दुष्प्रभाव के विरुद्ध जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है ।

दिल्ली प्रशासन के अधीन अस्पताल

5401. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत प्रत्येक अस्पताल में कितनी शाखायें हैं;

(ख) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान इन अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसे उन्नत बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और उनको आधुनिक बनाने के लिए हर वर्ष संसाधनों की समग्र उपलब्धता में से ही एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में विशिष्टीकृत रोग-नैदानिक और चिकित्सीय उपकरण प्राप्त करना, एनेस्थीसिया देने की परिष्कृत सुविधाएं जुटाना, आपरेशन थियेटरों, प्रयोगशालाओं और गहन परिचर्या संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाना शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या
1.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर नई दिल्ली	430
2.	गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली	350
3	मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	604
4.	लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली	1345
5.	जेल अस्पताल, तिहाड़, दिल्ली	84
6.	डा० एन० सी० जोशी स्मारक अस्पताल, करोलबाग, दिल्ली	30
7.	सिविल अस्पताल, राजपुर मार्ग, दिल्ली	40
8.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	748
9.	गुरु नानक नेत्र केन्द्र, नई दिल्ली	150
10.	निर्धन गृह अस्पताल, किंग्सवे कैंप, दिल्ली	60
11.	कस्तूरबा निकेतन गृह लाजपतनगर, नई दिल्ली	20
12.	संजय गांधी स्मृति अस्पताल, मंगोलपुरी, दिल्ली	50

[अनुवाद]

एड्स का मुकाबला करने में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना

5407. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार्य स्थलों पर विशेष रूप से वर्कशॉप स्तर पर एड्स के खतरे के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना तमिलनाडु में सफल रही है; और

(घ) किन-किन राज्यों में सरकारों द्वारा यह अभियान शुरू करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस संबंध में एक प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में आरक्षित पद

5403. **श्री राम विलास पासवान** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पहले से रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित रिक्त पद निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	समूह		
	"क"	"ख"	"ग"
अनुसूचित जाति	119	16	295
अनुसूचित जनजाति	104	27	223

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का प्रेस और स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। जिन मामलों में अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, उन मामलों में आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए मानदण्डों में छूट दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में भूमि अधिग्रहण

5404. **डा० राजगोपालन श्रीधरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किस दर से मुआवजा-राशि का भुगतान किया गया ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रैली के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियां

5405. श्री राम बदन : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1993 को बोट क्लब पर प्रस्तावित रैली को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार और ज्यादतियों के कोई मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाये गये पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली में, जनता/संसद सदस्यों के साथ बर्ताव में किसी पुलिस अधिकारी को दुर्व्यवहार अथवा जरूरत से अधिक बल प्रयोग का दोषी नहीं पाया गया है। पुलिस ने आत्मसंयम, अपेक्षित सूझबूझ और शिष्टाचार का व्यवहार किया और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लोगों के अवैध रूप से एकत्र होने से निपटते समय कम से कम आवश्यक बल का प्रयोग किया। गोली चलाए जाने अथवा मृत्यु अथवा बल प्रयोग के कारण घायल हो जाने के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो जाने का कोई मामला नहीं हुआ।

[अनुवाद]

भूरंज में तेल के लिए प्रयोग के तौर पर खुदाई

5406. प्रो० प्रेम धूमल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिमाचल प्रदेश के भूरंज तहसील में तेल निकालने के लिए प्रयोगार्थ खुदाई की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) हाल में भूरंज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 20 कि०मी० पर एक अन्वेषणात्मक कूप का 4968 मीटर की गहराई तक बेधन किया गया था, परन्तु कोई हाईड्रोकार्बन नहीं पाए गए थे।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट की शिकायतें

5407. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल और डीजल में मिलावट के संबंध में वर्ष 1992 के दौरान तथा 1993 में फरवरी तक कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदाचारों की रोकथाम हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1992 के दौरान और फरवरी 1993 तक संघ शासित दिल्ली में पेट्रोल और डीजल में मिलावट की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं—

(ख) विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	खुदरा बिक्री केन्द्रों के नाम	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स राजकुमार सर्विस स्टेशन, आई आई टी क्रासिंग के निकट, नई दिल्ली ।	आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ।
2.	मैसर्स शंकर आटोमोबाईल्स, भाईवीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली ।	एक पुलिस केस दर्ज किया गया है ।
3.	मैसर्स गंगा आटो एड्स, कापस हैड़ा, दिल्ली ।	आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

(i) तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण;

(ii) पेट्रोल एवं डीजल नियंत्रण आदेश, 1990 के अन्तर्गत घनत्व जांच।

(iii) चुने हुए स्थानों पर मिट्टी के तेल में फरफरल मिलाना ।

(iv) चल प्रयोगशालाओं द्वारा आकस्मिक निरीक्षण और

(v) राज्याधिकारियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण ।

[अनुवाद]

भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

5408. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उस पर कितना खर्च हुआ ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई विस्तृत अनुमोदित कार्यक्रम नहीं है । तथापि, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, संयंत्र की स्थिति सुदृढ़ बनाये रखने, उत्पादकता में सुधार करने तथा 40 लाख टन उत्पादन स्तर

कायम रखने को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न परिवर्द्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन योजनाएं कार्यान्वित की जाती रही हैं।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार 1992-93 (फरवरी, 1993 तक) के दौरान उपर्युक्त योजनाओं पर 104.63 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले का आयात

5409. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले के आयात हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत तापीय विद्युत गृहों द्वारा कोयले का आयात किए जाने के लिए किसी तरह की अनुमति/लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु विद्यमान दरों पर आयात शुल्क की अदायगी करनी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

एड्स के प्रति जागरूकता अभियान

5410. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान एड्स के प्रति जागरूकता अभियान में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जागरूकता अभियान के प्रभाव का आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) संसद सदस्यों, प्रचार माध्यमों, फिल्मों, चिकित्सा व्यवसाय और सामाजिक संगठनों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय एड्स समिति गठित की गई है जो जागरूकता पैदा करने और एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार करने में सहायता कर रही है। इन प्रयासों के प्रभाव को इतनी जल्दी आंका नहीं जा सकता।

हाई स्पीड डीजल आयल की खपत

5411. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई स्पीड डीजल आयल की खपत पूर्वानुमानित सीमा से बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो खपत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नवीनतम अनुमान के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान एच एस डी की खपत में बढ़त पूर्वानुमान की तुलना में बहुत ही मामूली है ।

(ख) एच एस डी के उपयोग में बचत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये जाते हैं :

(i) ईंधन कुशल इंजनों, वाहनों एवं पुर्जों के विकास और प्रयोग को प्रोत्साहन देना ।

(ii) अच्छे प्रचालन एवं रख-रखाव अभ्यासों द्वारा मौजूदा इंजनों और वाहनों की ईंधन कुशलता में सुधार, उन्नत देख-रेख, टर्बो चार्जरों की रिट्रोफिटिंग तथा उपकरणों का एड आन, और अन्य प्रकार का काम चलाऊ प्रबंधन ।

(iii) आटोमोटिव वाहनों की ईंधन क्षमता के मानदंड/मानक स्थापित करना ।

(iv) अनेक धुरी वाले वाहनों, रेडियल टायरों, बसों और ट्रकों के भार में कमी लाने और उनके एरोडायनेमिक प्रोफाइलिंग को प्रोत्साहित करना ।

सबके लिए स्वास्थ्य

5412. **श्री राजेश कुमार** :

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे और अब तक वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा; और

(ग) वर्ष 2000 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखे गए प्रमुख लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना शामिल है । स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे की उपलब्धि इस प्रकार है :

स्वास्थ्य सेवाए	1985-90 के लिए कुल लक्ष्य	1985-90 की उपलब्धि	30-9-1992 को कार्य कर रहे कुल केन्द्र
उप-केन्द्र	51237	45169	130782
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11992	9806	20847
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1442	1062	2060

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है।

रोग नियंत्रण के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

संकेतक	लक्ष्य 1990	उपलब्धि का मौजूदा स्तर
(i) पता लगाए गए कुष्ठ रोगियों में से रोग पर नियंत्रण पाए गए रोगियों का प्रतिशत	60 प्रतिशत	74.86 प्रतिशत (1991-92)
(ii) पता लगाए गए क्षय रोग के रोगियों में से रोग पर नियंत्रण पाए गए रोगियों का प्रतिशत	75 प्रतिशत	75 प्रतिशत (1991-94)
(iii) दृष्टिहीनता की घटनाएं	0.7 प्रतिशत	1.49 प्रतिशत (1986-89)
(iv) वार्षिक परजीवी घटनाएं (राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम)	1.90 प्रतिशत	2.29 प्रतिशत (1990) अनंतिम

(ख) और (ग) कोई विशिष्ट समस्या सामने नहीं आई है। सन् 2000 ईसवी के लिए रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्धियों की लगातार समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

पैरासीटामोल सीरप

5413. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों द्वारा पैरासीटामोल सीरप का लिया जाना गुर्दों के लिए हानिकारक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। चिकित्सीय खुराकों में इस औषध को देने से ऐसे किसी हानिकारक प्रभाव की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप में व्यक्तियों की गिरफ्तारी

5414. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश में पिछले तीन महीनों के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1992, जनवरी, 1993 और फरवरी, 1993 माह के दौरान उत्तर प्रदेश में 12,948 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कानून के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार कारंवाई कर रही है ।

[अनुवाद]

औषधियों की बिक्री

5415. श्री श्री० देवराय नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपयोग की समाप्त तिथि वाली अनेक औषधियां बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 1992 के दौरान ऐसे 47 मामले सरकार के ध्यान में आए हैं । संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंसों को रद्द करके और निलंबित करके तथा अभियोग इत्यादि चलाकर उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

नर्सिंग स्कूल

5416. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्कूल आफ नर्सिंग को इस बीच गुरु तेग बहादुर अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से सम्बद्ध किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक स्कूल में प्रतिवर्ष कितनी नर्स छात्राओं को प्रवेश देने का विचार है; और

(घ) क्या ये स्कूल चालू शैक्षिक वर्ष से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल से सम्बद्ध नर्सिंग स्कूल शुरू करने का निर्णय किया गया है । प्रस्तावित स्कूलों में से प्रत्येक की दाखिले की क्षमता प्रतिवर्ष 50 छात्र होगी । यह उल्लेख किया गया है कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल स्थित नर्सिंग स्कूल चालू वर्ष से कार्य करना शुरू कर देगा ।

जहां तक गुरु तेग बहादुर अस्पताल का संबंध है, निर्माण कार्य स्थानीय निकायों से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद शुरू करना होगा।

केरल में धातु तथा खनिजों के भंडार

5417. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केरल में धातु तथा खनिजों के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इनकी समुचित खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा अब तक किए सर्वेक्षण और गवेषण के परिणामस्वरूप, मालपुरम जिले के कपिल क्षेत्र के पांच जोनों में 0.89 ग्राम/टन से 4.58 ग्राम/टन और और मन्नड क्षेत्र के तीन जोनों में 0.59 ग्राम/टन तथा पालघाट जिले के अट्टापदी घाटी में 14.05 से 45.60 तक पी० पी० एम० स्वर्ण अंश का पता चला है। कन्नूर जिले मदायी क्षेत्र में 5 मि० टन लिग्नाइट के भंडार का अनुमान भी लगाया गया है।

केरल सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय ने तिरुवनंतपुरम जिले में 10.7 मि० टन चीनी मिट्टी अलपुजा जिले मे 1.1 मि० टन सिलिका सैंड और कन्नूर जिले में 1000 टन स्टीटाइट होने का अनुमान लगाया है।

(ग) खनिजों का क्रमबद्ध गवेषण, आंकड़ों का पर्याप्त मूल्यांकन करने के बाद किया जाता है।

तेल का आयात

5418. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए तेल के आयात, दोनों कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में सरकारी अनुमान क्या है और आयात खर्च के अनुमान सहित निकट भविष्य में प्रति बैरल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्य निर्धारित करने संबंधी अनुमान क्या है; और

(ख) उक्त अनुमानों का पेट्रोलियम के लागू किए गए मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए आयात मूल्य क्रूड एवं उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और आयात के समय रुपए की विनिमय दर पर निर्भर करेगा।

(ख) उपरकथित का 1993-94 की शासित कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार

5419. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) यह समझा जाता है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, प्रशासन ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्रियों के दौरों पर व्यय

5420. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**
श्री मोहन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में मंत्रियों के दौरे पर खर्च के लिए कितना बजट संबंधी परिव्यय था;

(ख) क्या यह परिव्यय निर्धारित परिव्यय से अधिक हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रियों के दौरों पर खर्च में मितव्ययिता बरतने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए मंत्रियों के यात्रा व्यय का बजट अनुमान 5.5 करोड़ रुपए था तथा संशोधित अनुमान में 35.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था।

(ख) 35.00 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से अधिक व्यय नहीं किया गया है।

(ग) से (च) यात्राओं पर खर्चों को कम करने के लिए गृह मंत्री ने फरवरी, 1992 में सभी केन्द्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मंत्रियों के विदेशी दौरों के दौरान प्रथम दर्जे की वायुयान यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में दिए गए सुझाव को सूचित करते हुए पत्र लिखा था। तथापि, मंत्रियों द्वारा दौरे तभी ही दिए जाते हैं जब वे लोक हितों को देखते हुए अनिवार्य होते हैं।

कश्मीरी शरणार्थी

5421. **श्री चार्ल्स फर्नान्डीज :**
श्री चित्त बसु :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली, जम्मू और अन्य स्थानों में कश्मीरी शरणार्थियों के शिविरों के रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किये गए खर्च का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कश्मीरी घाटी में एक अलग जोन बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) शिविरों के रख-रखाव पर तथा प्रवासियों के अन्य सुविधाओं के प्रावधान पर आने वाला व्यय का वहन संबद्ध राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, जम्मू तथा कश्मीर राज्य की कठिन वित्तीय हालत को देखते हुए, प्रवासियों के लिए किए गए उपायों सहित सुरक्षा संबंधी मामलों में उनके द्वारा किए व्यय के बदले केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें पिछले तीन वर्षों में 264.31 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) से (घ) प्रवासियों के राज्य में अंततः वापसी की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उनके लिए एक अलग जोन की स्थापना का मुद्दा समय-समय पर विचार-विमर्श के लिए आया है। तथापि, इस बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

लोहा और इस्पात का उत्पादन

5422. श्री छीतूभाई गामीत :
श्री महेश कनोडिया :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कच्चा लोहा, स्पंज लोहा तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) "लोहा और इस्पात" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे कतिपय प्रतिबन्धित स्थान-स्थितियों को छोड़कर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनिवार्यता से भी छूट दे दी गई है। "लोहा और इस्पात" को विदेशी पूंजीनिवेश के उद्देश्य के लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। लोहा और इस्पात के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण को भी अधिकांश रूप से समाप्त कर दिया गया है।

आशा है कि इन उपायों से कच्चा लोहा, स्पंज लोहा तथा लोहा उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता के सृजन में प्रोत्साहन मिलेगा जिससे देश में गुजरात सहित इन मदों का उत्पादन अधिक होगा।

[अनुवाद]

क्रोमाइट खानों को पट्टे पर देना

5423. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुकिन्दा घाटी स्थित क्रोमाइट के खानों का "टिस्को" का 20 वर्षीय पट्टा जनवरी, 1993 में समाप्त हो गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से सुकिन्दा घाटी में क्रोमाइट खानों के लिए "टिस्को" के खनन पट्टे का नवीकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा सरकार ने कालारंगिता, कालियापानी आदि गांवों के 1261.476 हैक्टेयर क्षेत्र में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० के पक्ष में 10 वर्ष की अवधि के लिए क्रोमाइट के खनन पट्टे के दूसरे नवीकरण की सिफारिश की है।

(घ) इस मुद्दे पर विचार करने हेतु संबंधित संगठनों से आगे संगत विवरण मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस के नए कनेक्शन

5424. **श्री ललित उरांव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 19 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 4533 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1992 तक 16080, 1150, 1300 तथा 1150 व्यक्तियों, जिनके नाम क्रमशः उत्तर बिहार के रांची, गुमला, लोहरदगा तथा डाल्टनगंज (पलामू) में प्रतीक्षा सूची में है, म से कितने व्यक्तियों को रसोई गैस के नए कनेक्शन जारी किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : प्रतीक्षा सूची से रखे गए लोगों को एल० पी० जी० कनेक्शन देना एक अनवरत प्रक्रिया है। 31 दिसम्बर, 1992 तक दिए गए नए कनेक्शनों की संख्या निम्नवत है :

रांची	2632	अस्थायी
गुमला	528	,, ,,
लोहरदगा	386	,, ,,
डाल्टेनगंज (पलामू)	355	,, ,,

[अनुवाद]

चिकित्सीय शिक्षा तथा उपचार केन्द्र

5425. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों ने हमारे देश में चिकित्सीय शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों की एक श्रृंखला बनाने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्यमियों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अप्रवासी भारतीयों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा-क्षेत्र में उपचार केन्द्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए मंजूरी मांगी गई है। इन प्रस्तावों में देश के विभिन्न भागों में ऐसे उद्यम स्थापित करने का विचार है।

हालांकि सरकार देश में उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में निवेश के लिए मंजूरी प्रदान कर रही है, परन्तु देश के प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत अलग-अलग प्रस्तावों का निपटान किया जाता है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलेण्डरों के वितरण पर राज सहायता

5426. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस के प्रत्येक सिलेण्डर पर केन्द्र सरकार कितनी राजसहायता देती है;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को भी गैस के वितरण के लिए राजसहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) घरेलू प्रयोग के लिए 14 2 कि० ग्रा० के एल० पी० जी० सिलेण्डर पर दी जाने वाली राजकीय सहायता लगभग 68 रु० है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की ढुलाई

5427. **श्री सूरज भानु सोलंकी** :
श्री भवानी लाल वर्मा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य सरकार से कोयले की ढुलाई के लिए सड़कों को चौड़ा करने और पक्का करने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) सड़कों को सुदृढ़ तथा उन्हें चौड़ा करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से मई, 1982 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य की सड़कों के निर्माण का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है और यह कि राज्य सरकार अपने अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से निधि जुटाने के अलावा, सम्बद्ध राज्य अपने यहां उत्पादित कोयले पर रायल्टी तथा अन्य कर लगातार काफी राजस्व एकत्रित कर लेते हैं, अत: उन्हें कोयला घाटी क्षेत्रों में स्थित सड़कों सहित अन्य सड़कों के निर्माण के लिए यहां स्वयं ही निधि जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र

5428. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए ठेके देने में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) आर्डर देने के दौरान और आर्डर देने को अन्तिम रूप देने के बाद सेल और सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रथमदृष्ट्या इन अभ्यावेदनों में ठेका देने में किसी गम्भीर अनियमितता के होने का पता नहीं लगा।

बरौनी में पैराफिन वैक्स यूनिट

5429. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम बरौनी में स्लैक वैक्स से अपने स्वयं का पैराफिन वैक्स यूनिट स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्लैक वैक्स को किन-किन स्थानों से प्राप्त किया जाएगा;

(ग) क्या बरौनी में स्लैक वैक्स की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच का कोई तरीका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने प्रोसेसिंग इकाइयों को दी गई स्लैक वैक्स आपूर्तियों संबंधी अपनी वचनबद्धता को कायम रखा है और यह 36000 टन प्रतिवर्ष की है। वे बरौनी में

ब्लैक वैक्स उत्पादन इकाई की मरम्मत करके एक पैराफिन वैक्स संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। रिफाइनरी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद विनिर्देशों के अनुरूप हैं उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखती है।

गुजरात में गैस की सप्लाई

5430. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस समय गुजरात की विभिन्न परियोजनाओं को सप्लाई की जा रही इस प्राकृतिक गैस की प्रतिशतता क्या है;

(ग) गुजरात सरकार की प्राकृतिक गैस की मांग कितनी है; और

(घ) सरकार गुजरात में प्राकृतिक गैस की मांग को किस प्रकार पूरा करेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 31-12-92 को पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से गैस की आपूर्ति लगभग 28.6 एम० एम० एस० सी० एम० डी० की थी जिसमें से लगभग 6.9 एम० एम० एस० सी० एम० डी० (24%) की आपूर्ति गुजरात से विविध परियोजनाओं को की गई थी।

(ग) और (घ) समय-समय पर मांगें प्राप्त हुई हैं। गैस की उपलब्धता और पहले ही की गई वचनबद्धता पर विचार करते हुए वर्तमान गैस का कोई अन्य आबंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों के दौरान हिंसा

5431. श्री राम बदन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत लोक सभा चुनावों के दौरान मारे गए और घायल हुए लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डबल बॉटल कनेक्शन देना

5432. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डबल बॉटल कनेक्शन जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) वर्ष 199? के दौरान राज्य-वार कितने आवेदकों को डबल बॉटल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उत्पाद की उपलब्धता और एल० पी० जी० आपूर्तियों में बकाया को देखते हुए एक नियोजित तरीके से एल० पी० जी० उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर दिया जाता है ।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए 10 लाख डबल बॉटल कनेक्शनों का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

[अनुवाद]

लोहे पर से नियंत्रण हटाना

5433. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे पर से सब प्रकार के नियंत्रण हटा लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसका उपभोक्ता बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) "लोहा और इस्पात उद्योग" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची मे निकाल दिया गया है तथा स्थान संबंधी कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है । लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण तथा वितरण का नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया है । तथापि, रक्षा, रेलवे, इंजीनियरी माल के निर्यातकों, लघु उद्योग क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सप्लाई के लिए वितरण में प्राथमिकता दी जाती रहेगी । लोहे और इस्पात की सभी मदों के आयात करने की भी अनुमति है ।

(ख) और (ग) आशा है कि इन उपायों से निजी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सृजित करने में प्रोत्साहन मिलेगा और लोहा तथा इस्पात उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगा और इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा ।

तेल का अपव्यय

5434. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न तेल परियोजनाओं में तेल का अपव्यय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) तेल ने इस अपव्यय में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) और (ख) तेल परियोजनाओं के अन्तर्गत रिसाव, छलकाव, वाष्पीकरण आदि के रूप में तेल की कुछ बर्बादी हो सकती है।

(ग) ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए किए गए उपायों में उन्नत घरेलू देख-भाल प्रणाली को अपनाना, प्रचालनगत एवं रखरखाव अभ्यास करना, सुधार एवं उन्नयन की अपेक्षा रखने वाले क्षेत्रों को पहचानने के लिए ऊर्जा आडिट/पहचान संबंधी विश्लेषण करना, तथा उन्नत प्रौद्योगिकी/रेट्रोफिटिंग आदि को अपनाना शामिल है।

कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी में लोह अयस्क का संचयन

5435. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी में विदेशी क्रेताओं की मन्द मांग के कारण लोह अयस्क का भारी संचयन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय कम्पनी के पास लोह अयस्क कितनी मात्रा में मौजूद है; और

(घ) नये बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) 1-4-93 की स्थिति के अनुसार कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के० आई० ओ० सी० एल०) के पोत लदान योग्य लोह अयस्क सान्द्रण और पैलेट्स की स्थिति निम्नानुसार है :

लोह अयस्क सान्द्रण	—	2.15 लाख टन
लोह अयस्क पैलेट्स	—	1.5 लाख टन

कम्पनी के प्रचालन के आकार को देखते हुए स्टाक के ये स्तर अधिक नहीं हैं। पोत लदान अनुसूची को पूरा करने और पोतों को रोके रखने से बचने के लिए इन स्तरों पर स्टाक का अनुरक्षण आवश्यक है।

(घ) नए बाजारों का विकास कम्पनी की सतत प्रक्रिया है। चीन और ताइवान जैसे देशों में नए बाजारों का पता लगाने में कम्पनी ने 1992-93 के दौरान काफी प्रगति की है।

दंगा पीड़ित क्षेत्र

5436. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही से चार राष्ट्रीय महिला संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल ने भोपाल, अहमदाबाद और सूरत के दंगा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य मांगें की गई हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी० चव्हाण) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान् । प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ सिफारिशें की गयी हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

[हिन्दी]

रसोई गैस के लिए बोटलिंग संयंत्रों का उत्पादन

5437. **श्री छीतूभाई गामीत :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस के बोटलिंग संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संयंत्रों में इनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) बोटलिंग क्षमता का नियोजित लक्ष्यों के आधार पर उपयोग किया जाता है जो एल पी जी की उपलब्धता, मांग में सामयिक बदलाव, प्रचालनगत कठिनाइयों एवं आर्थिक बाजार के साथ संबंध पर विचार करते हुए निर्धारित किए जाते हैं ।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में अनुषंगी उद्योग लगाने का कार्यक्रम

5438. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में अनुषंगी उद्योग लगाने का कार्यक्रम मानक मापदंड के अनुरूप हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सहायक अनुषंगी उद्योगों के विकास का सहायक कंपनी-वार ब्योरा क्या है;

(घ) ऐसे एककों के पूर्ण विकास हेतु अनुषंगीकरण की प्रगति की समालोचनात्मक समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) ऐसे एककों को और अधिक उत्पादनशील और लाभप्रद बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (च) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वास्थ्य सुविधाएं

5439. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी व्यापक स्वास्थ्य योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्हें सुधारने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे कितना पूंजी निवेश किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों, जिला अस्पतालों और तृतीय स्तर के रेफरल केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही हैं। कभी-कभार पाई जाने वाली विसंगतियों को छोड़कर, जो कुछ स्थानों पर हो जाती हैं, इस आधारभूत ढांचे के जरिए सेवाएं प्रदान करने से पर्याप्त रूप में जनता की जरूरतें पूरी हुई हैं। केन्द्र सरकार भी प्रमुख रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती आ रही है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) में विकास के लिए निर्धारित किए गए मुख्य बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण, रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति विकास, जैव चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी को बढ़ावा देना शामिल है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण जिसमें शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्य कार्यक्रम एक जुड़वा फलक है, पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिस पर स्वास्थ्य नीति संबंधी पहलें आधारित हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आबंटन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित) क्रमशः 7575.92 करोड़ रुपये और 6500 करोड़ रुपये है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में क्रयादेशों की कमी

5440. **श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में प्लेटों के क्रयादेशों की कमी पड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल मोटे आकार (10 मि० मी० से अधिक) की प्लेटों का विनिर्माण करती है। मिल की उत्पादन क्षमता की तुलना में इस प्रकार की प्लेटों की देश में मांग कम है।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल के प्रोडक्ट-मिक्स का पुनः अनुस्थापन कर रही है। वे 1993-94 के दौरान 2.75 लाख टन की स्वदेशी

बिक्री योजना के अतिरिक्त 2.6 लाख टन प्लेटों के निर्यात की योजना बना रहे हैं। यह दो पारियों में कार्य करके उत्पादन को बनाये रखने के लिए स्वीकार्य होगा।

[हिन्दी]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरें

5441. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरें किस तिथि को संशोधित की गई थीं;

(ख) इस संशोधन के समय तथा इस समय मूल्य सूचकांक का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष शिक्षा सत्र के आरम्भ में विद्यमान मूल्य सूचकांक के अनुरूप छात्रवृत्तियों की दरों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों से संबंधित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अतिरिक्त अनुसरण भत्ता की दरें 1-7-1989 से संशोधित कर दी गई थीं।

(ख) भारत में ठोस मूल्यों का सूचकांक (1981-87 आधार) सभी वस्तुओं के बारे में 1-7-1989 को 162.09 तथा 13-3-1993 को 232.6 (अनन्तिम है)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को संविदा देना

5442. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1993 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस में" "ह्युन्डाई इंटेसिफाइज काउन्टर कैम्पेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ह्युन्डाई हैवी इन्डस्ट्रीज (एच एच आई) की निविदा सबसे कम होने के बावजूद जनवरी में से 150 मिलियन संविदा लेने में हार गई और देवे को वाटर इन्जेक्शन परियोजना सौंपने के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के निर्णय को उलटवाने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले को किस प्रकार निपटाने का है और दाइवू को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की संविदा दिए जाने से उत्पन्न विवाद को किस प्रकार समाप्त करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मैसर्स एच एच आई से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर उचित कार्यवाही की गई है ।

दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतें

5443. **श्री आर्स्कर फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में दुर्घटनाओं के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या की तुलना में इस प्रकार के मामलों के वार्षिक प्रतिशत में अधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 1990 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्षों से देश में दुर्घटना से होने वाली मौतों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है । 1980-1990 के दशक के दौरान यह वृद्धि 4.2% की वार्षिक मिश्रित दर से हुई; 1990 में पिछले वर्ष से 3.2% अधिक वृद्धि हुई । देश में जनसंख्या की वृद्धि दर से यह दर अधिक है । साथ ही, मात्रा में वृद्धि (प्रति लाख जनसंख्या पर आपात) इस दशक के दौरान 2.0% वार्षिक थी और 1990 में पिछले वर्ष से 1.4% अधिक थी ।

(घ) "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के कारणों की जांच करना और उसके बाद निवारात्मक उपाय करना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का काम है ।

[हिन्दी]

गुजरात की तेल परियोजनाएं

5444. **श्री छीतू भाई गामीत** :
श्री काशी राम राणा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गुजरात राज्य के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के दो परियोजना प्रस्ताव हैं, यथा—

(i) कांडला में एल पी जी आयात सुविधाओं को स्थापित करना, और

(ii) कोयाली रिफाइनरी का 3 एम एम टी पी ए तक विस्तार।

यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संसाधन की विविध अवस्थाओं में है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

5445 **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों तथा रसोई गैस के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वस्तु-वार, कितनी बार वृद्धि की गयी; और

(ख) इसका विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान विविध पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 15-10-90, 25-7-91 और 16-9-92 को संशोधित की गई थी।

(ख) मांग पर कोई विशिष्ट प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है।

"सेल" (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

5446. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने इस्पात संयंत्रों के प्रौद्योगिकीय निष्पादन सूचकों में सुधार करने, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नए उत्पादों का विकास करने आदि के लिए सन् 2005 तक के लिए एक परिदृश्य अनुसंधान और विकास योजना बनाई है।

अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. प्रक्रिया इष्टतमीकरण द्वारा उत्पादकता और उत्पादन में सुधार।
2. विभिन्न स्तरों और अपशिष्ट ताप के प्रभावी उपयोग द्वारा भी विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी।
3. उपभोक्ताओं की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की गुणता में सुधार करना तथा नए मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास।
4. वाणिज्यिक स्तर के संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आवश्यक आत्म-विश्वास प्राप्त करने हेतु भावी प्रौद्योगिकीयों के लिए नमूना संयंत्र अध्ययन।

लोहा और इस्पात के मूल क्षेत्र के अतिरिक्त, दूसरे अन्य गौण क्षेत्रों, जिनका उद्योग की समग्र प्रतिस्पर्द्धा पर प्रभाव पड़ता है, पर भी बल दिया जा रहा है। इस प्रकार के क्षेत्रों में कोयला रसायन और उपोत्पाद, ट्राइबोलोजी, प्रदूषण नियंत्रण और समग्र गुणता प्रक्रिया शामिल हैं।

जनजातीय उपयोजना

5447. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्र द्वारा धनराशि आबंटित किए जाने के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा वर्ष 1993-94 के लिए कितनी निर्धारित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता सामान्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में उनके बाहुल्य पर समुचित विचार करने के बाद आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आबंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से 1992-93 के दौरान आबंटित राशि का विवरण संलग्न है।

विशेष केन्द्रीय सहायता में से विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1993-94 के लिए आबंटन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

आदिवासी उप योजना कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1992-93 में निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	कुल (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1529.34
2.	असम	1077.61
3.	बिहार	3175.25
4.	गुजरात	1855.84
5.	हिमाचल प्रदेश	403.39
6.	जम्मू और कश्मीर	296.14

1	2	3
7.	कर्नाटक	327.42
8.	केरल	207.23
9.	मध्य प्रदेश	6785.01
10.	महाराष्ट्र	1815.21
11.	मणिपुर	383.41
12.	उड़ीसा	3378.03
13.	राजस्थान	1679.46
14.	सिक्किम	60.93
15.	तमिलनाडु	270.72
16.	त्रिपुरा	414.94
17.	उत्तर प्रदेश	58.40
18.	पश्चिम बंगाल	1171.67
	संघ राज्य क्षेत्र	
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	86.13
20.	दमन और दीव	23.87
		25000.00

श्रीलंका से वापिस आए तमिलों को रोजगार

5448. **श्री डी० पंडियन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रीपैट्रियेटस कोपरेटिव फाइनेंस तथा विकास बैंक द्वारा श्रीलंका से वापिस आए तमिलों को रोजगार देने के लिए विभिन्न संस्थाओं तथा मिलों को स्वीकृत किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की सहायता से विभिन्न कंपनियों में श्रीलंका से वापिस आए कितने तमिलों को अब तक रोजगार दिया गया है;

(ग) कितनी कंपनियों को रुग्ण घोषित किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप वापिस आए कितने व्यक्तियों की छटनी की गई;

(घ) क्या बैंक ने वाणिज्यक बैंक की तरह काम करना आरम्भ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) श्रीलंका से आए शरणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस और विकास बैंक लिमिटेड द्वारा

किसी संस्थान अथवा किसी मिल को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई ऋण जारी नहीं किया गया है, क्योंकि 1984 से कोई आयोजित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है।

(ख) आज तक 249 औद्योगिक इकाइयों में, जिन्हें बैंक द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है, 4546 प्रत्यावर्तियों को रोजगार दिया गया है।

(ग) बताया गया है कि 249 इकाइयों में से, 79 इकाइयां या तो बीमार हैं अथवा बन्द हो गई हैं। जिन 4546 प्रत्यावर्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था, उनमें से 1470 कर्मचारी उन इकाइयों में कार्यरत नहीं रहे, जिनमें उन्हें बैंक द्वारा प्रवर्तित किया गया था। इनमें वे प्रत्यावर्ती भी शामिल हैं जो स्वयं रोजगार छोड़कर चले गए अथवा बैंक या रोजगार दाता को सूचित किए बिना चले गये।

(घ) बैंक एक व्यवसायिक बैंक की भांति कार्य नहीं कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निगम के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

5449. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1991 की जनगणना के आधार पर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 दिनांक 24-11-1992 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक पर पिछले सत्र में विचार नहीं किया जा सका। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 की धारा 3 के अनुसार दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद निगम का पहला चुनाव, 1991 की जनगणना में प्रकाशित दिल्ली की जनसंख्या के अस्थायी आंकड़ों के आधार पर होगा।

लाख उत्पादकों को प्रोत्साहन

5450. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से चमड़े (शलक लाख) के निर्यात मूल्य का 2 प्रतिशत भाग लाख उत्पादकों की सहायता के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ के पास जमा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) निर्यातों के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.5% भाग लाख उत्पादकों की सहायता के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के पास निर्यातकों द्वारा जमा किया जाता है। यह व्यवस्था 1-1-1992 से लागू की गई थी।

(ख) 1-1-1992 से 31-3-1992 तक 3.54 लाख रुपये एकत्र किए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 (फरवरी, 1993 तक) के दौरान पंजीकरण शुल्क के रूप में 21.61 लाख रुपए एकत्र किए गए थे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों तथा जिलों के विकास हेतु धनराशि

5451. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों और जिलों के विकास के लिए अलग से कोई धनराशि दी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त प्रयोजनार्थ कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस धनराशि और सम्बद्ध कार्य का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य आदिवासी उप-योजना के रूप में प्रदान की जाती है। यह सहायता मुख्यत: परिवारोन्मुखी आय सृजक योजनाओं तथा अवसंरचनात्मक विकास के लिए दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान राज्यों को दी गई वर्षवार सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण I से XI में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। कुल मिलाकर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आदिवासी विकास विभागों ने राज्य, जिला, समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा प्रखंड स्तरों पर मानीटरिंग तथा मूल्यांकन तंत्र की स्थापना की है। इसके अलावा, यह मंत्रालय विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण भी करता है।

विवरण-I

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में आबंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,345.09	1,529.34	1,529.34
2.	असम	950.25	1,077.61	1,077.61
3.	बिहार	2,931.72	3,211.19	3,175.25
4.	गुजरात	1,649.80	1,870.90	1,855.04

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	374.97	421.71	403.39
6.	जम्मू और कश्मीर	200.00	245.98	296.14
7.	कर्नाटक	165.65	253.24	327.42
8.	केरल	275.00	133.27	207.23
9.	मध्य प्रदेश	6,237.28	6,835.01	6,785 01
10.	महाराष्ट्र	1,609.49	1,825.21	1,815.21
11.	मणिपुर	342.49	388.40	383.41
12.	उड़ीसा	2,950.12	3,298.65	3,378.03
13.	राजस्थान	1,583.98	1,679.23	1,679.46
14.	सिक्किम	45.66	60.93	60.93
15.	तमिलनाडु	248.48	281.77	270.72
16.	त्रिपुरा	341.37	430.35	414.94
17.	उत्तर प्रदेश	88.848	58.40	58.40
18.	पश्चिम बंगाल	1,105.92	1,271.66	1,171.67
19.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	90.00	99.00	86.13
20.	दमन और द्वीव	10.00	11.00	23.87
	कुल योग	22,546.118	24,982.85	25,000.00

विवरण-II

1990-91, 19991-92 और 1992-92 के दौरान अनुमोदित सीटों सहित अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91			1991-92			1992-93		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.309	3	300	31.305	4	400	—	—	—
2.	अ० प्रदेश	17.125	10	200	—	—	—	—	—	—
3.	असम	15.00	30	240	16.00	18	155	16.38	25	162
4.	बिहार	17.13	4	200	68.82	5	350	—	—	—
5.	गुजरात	11.66	5	156	30.13	4	260	18.21	04	197
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	कर्नाटक	—	—	—	6.125	1	50	—	—	—
8.	केरल	17.98	4	210	1.00	—	—	21.42	03	150
9.	मध्य प्रदेश	63.875	20	1000	—	—	—	83.06	08	392
10.	महाराष्ट्र	4.67	—	—	32.50	13	780	—	—	—
11.	मणिपुर	—	—	—	7.82	3	102	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मेघालय	5.00	5	125	—	—	—	—	—	—
13.	मिजोरम	—	—	—	6.125	1	50	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	10.00	—	—	37.427	7	210	35.58	10	300
16.	राजस्थान	17·12	2	200	36.75	3	300	24.50	02	200
17.	सिक्किम	12.841	5	150	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	4.102	1	200	12.25	2	100	6.125	1	50
19.	त्रिपुरा	3.127	1	20	4.96	2	40	8.00	3	150
20.	उत्तर प्रदेश	2.971	—	48	—	—	—	6.125	1	50
21.	पश्चिम बंगाल	18.00	6	390	14.03	3	240	30.59	5	290
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.525	—	—	—	—	—	—	—	—
23	दादर और नगर हवेली	29·203	1	100	0.48	—	—	—	—	—
24.	दमन और द्वीव	3.833	1	30	—	—	—	—	—	—
25.	लक्षद्वीप थाईलैंड द्वीप समूह	11.44	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल राशि	308.911	99	3469	305.287	66	3037	250.00	62	1941

विवरण-III

1990-91, 1991-92 और 1992-92 के दौरान अनुमोदित सीटों सहित अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई केंद्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91			1991-92			1992-93		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	33.215	5	520	49.00	4	400	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	28.175	10	230	—	—	—
3.	असम	15.00	30	240	16.00	20	160	16.00	32	202
4.	बिहार	43.34	12	600	—	—	—	—	—	—
5.	गुजरात	19.162	3	300	17.16	4	140	23.00	07	447
6.	कर्नाटक	6.422	1	75	—	—	—	—	—	—
7.	केरल	10.275	3	120	23.58	5	210	15.87	03	140
8.	मध्य प्रदेश	28.744	7	450	35.00	10	600	63.74	10	520
9.	महाराष्ट्र	—	—	—	39.75	13	2060	—	—	—
10.	मणिपुर	6.00	4	370	1.37	*	*	—	—	—
11.	मेघालय	—	6	150	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मिजोरम	—	—	—	6.125	1	50	—	—	—
13.	उड़ीसा	10.00	5	118	10.98	2	60	30.00	12	360
14.	राजस्थान	17.12	2	200	—	—	—	10.11	03	150
15.	सिक्किम	17.125	7	200	—	—	—	—	—	—
16.	तमिलनाडु	8.562	1	100	7.58	1	75	06.74	01	55
17.	त्रिपुरा	6.00	2	110	15.00	*	*	18.38	03	150
18.	उत्तर प्रदेश	8.158	3	144	—	—	—	15.16	03	150
19.	पश्चिम बंगाल	14.69	3	230	14.94	3	240	24.26	03	240
20.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4.281	1	25	—	—	—	—	—	—
21.	दादर व नगर हवेली	5.728	1	100	11.41	*	*	43.74	02	100
22.	लक्षद्वीप	—	—	—	22.25	1	50	—	—	—
	कुल योग :	281.95	96	4084	298.12	83	4235	267.00	79	2514

* पिछले वर्षों के छात्रावासों की पूर्णता के लिए भुगतान किया गया अधिशेष ।

विवरण-IV

वर्ष 1990-91, 1991-92 और '992-92 के दौरान आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजना के अन्तर्गत आश्रम विद्यालयों के लिए निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1990-91			1991-92			1992-93		
		विद्यालयों की संख्या			विद्यालयों की संख्या			विद्यालयों की संख्या		
		राशि	नए	विद्यमान	राशि	नए	विद्यमान	राशि	नए	विद्यमान
1.	आंध्र प्रदेश	30.00	5	—	—	—	—	35.00	6	
2.	गुजरात	15.30	20	—	—	—	—	25.00	25	
3.	कर्नाटक	23.06	2	—	—	—	—	—	—	
4.	केरल	17.48	3	—	38.38	3	—	39.73	03	
5.	महाराष्ट्र	—	—	—	190.00	38	—	—	—	
6.	उड़ीसा	16.65	4	—	20.00	2	—	42.00	04	
7.	सिक्किम	36.52	3	—	—	—	—	—	—	
8.	तमिलनाडु	20.41	8	—	—	—	—	24.69	07	
9.	त्रिपुरा	7.00	3	1	8.00	1	—	10.00	01	
10.	उत्तर प्रदेश	33.50	:	—	—	—	—	23.50	02	
	कुल योग	200.00	49	1	256.38	44	—	200.00	48	

विवरण-V

1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1.	आंध्र प्रदेश	50.67	—	69.74
2.	असम	10.56	—	109.196
3.	बिहार	29.47	43.302	288.644
4.	गुजरात	124.72	32.25	122.61
5.	हिमाचल प्रदेश	1.12	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर	5.944	—	0.092
7.	कर्नाटक	13.14	40.5655	57.984
8.	केरल	40.54	8.51	10.550
9.	मध्य प्रदेश	15.00	338.8795	53.81
10.	महाराष्ट्र	23.32	60.742	30.997
11.	मणिपुर	3.27	21.08	34.59
12.	मेघालय	4.52	—	34.032
13.	मिजोरम	13.84	—	62.148
14.	नागालैंड	74.32	102.37	120.00
15.	उड़ीसा	63.366	27.38	11.06
16.	राजस्थान	65.10	78.796	108.35
17.	सिक्किम	0.29	0.65	—
18.	तमिलनाडु	12.33	—	—
19.	त्रिपुरा	0.82	4.475	0.939
20.	उत्तर प्रदेश	31.32	—	—
21.	प० बंगाल	26.36	—	—
	कुल योग	610.00	759.00	1114.74

विवरण-VI

वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान तिलहनों, तेल वृक्षों और वन मूल की योजना के अन्तर्गत विमुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	1990-91	1991-92	19992-93
1.	आंध्र प्रदेश	26.75	50.00	33.48
2.	बिहार	28.50	—	17.39
3.	मध्य प्रदेश	24.00	26.20	26.52
4.	उड़ीसा	35.00	40.80	33.04
5.	पश्चिम बंगाल	35.75	33.00	39.57
		150.00	150.00	150.00

विवरण-VII

1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र प्रयोजित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.50	5.00	4.81
2.	असम	14.84	16.05	10.70
3.	बिहार	1.44	9.05	9.82
4.	गुजरात	1.47	2.25	2.20
5.	हिमाचल प्रदेश	—	0.22	0.31
6.	कर्नाटक	—	—	—
7.	केरल	10.00	12.00	8.00
8.	मध्य प्रदेश	13.80	13.20	28.27
9.	महाराष्ट्र	4.34	5.80	11.87
10.	मणिपुर	9.34	10.00	6.60

1	2	3	4	5
11.	मेघालय	—	—	—
12.	नागालैंड	—	—	—
13.	उड़ीसा	2.08	3.60	3.21
14.	राजस्थान	1.15	5.24	4.58
15.	तमिलनाडु	25.04	11.54	9.44
16.	त्रिपुरा	—	0.14	0.69
17.	उत्तर प्रदेश	10.00	5.22	3.46
18.	पश्चिम बंगाल	—	5.48	1.04
	कुल	105.00	105.00	105.00

विवरण-VIII

वर्ष 1992-93 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संबंधी नई योजना के अंतर्गत निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1992-93 के दौरान रिलीज की गई राशि	संस्थानों की संख्या
	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान		
1.	तमिलनाडु	14.78	1 संस्थान
2.	पश्चिम बंगाल	29.56	2 संस्थान
3.	गुजरात	26.10	3 संस्थान
4.	मिजोरम	14.78	1 संस्थान
5.	आंध्र प्रदेश	14.78	1 संस्थान
		100.00	7 संस्थान

विवरण-IX

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान कोचिंग तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यवार आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.00	23.68	16.98
2.	असम	2.00	0.57	00.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
4.	बिहार	3.20	7.50	2.00
5.	गोआ	—	0.82	—
6.	गुजरात	7.03	4.38	3.05
7.	जम्मू व कश्मीर	—	2.00	0.50
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1.29	0.50
9.	हरियाणा	—	3.24	1.00
10.	कर्नाटक	3.29	2.07	2.92
11.	केरल	0.19	1.46	11.62
12.	मध्य प्रदेश	—	20.69	3.08
13.	महाराष्ट्र	3.80	1.00	3.00
14.	मणिपुर	—	—	1.00
15.	मेघालय	0.96	0.25	0.25
16.	मिजोरम	—	—	0.50
17.	उड़ीसा	—	0.58	0.15
18.	पंजाब	3.01	1.74	1.50
19.	राजस्थान	—	15.27	2.38
20.	तमिलनाडु	—	4.00	16.12

1	2	3	4	5
21.	त्रिपुरा	2.17	2.96	2.00
22.	उत्तर प्रदेश	—	9.01	0.90
23.	पश्चिम बंगाल	0.69	0.63	3.00
24.	पांडिचेरी	—	—	0.50
25.	दिल्ली	—	1.07	3.00
	कुल	38.06	104.21	72.98

विवरण-X

1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंकों की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.36	9.68	2.00
2.	असम	1.30	0.38	30.00
3.	बिहार	—	7.50	2.00
4.	गुजरात	0.22	1.52	0.30
5.	हरियाणा	1.33	1.40	1.93
6.	हिमाचल प्रदेश	—	0.45	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	2.62	4.49	5.13
9.	केरल	3.00	5.91	—
10.	मध्य प्रदेश	4.00	1.32	24.37
11.	महाराष्ट्र	—	2.00	—
12.	मणिपुर	—	1.00	2.00

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	1.00	1.00	0.37
16.	पंजाब	1.98	0.60	0.10
17.	राजस्थान	1.00	1.00	2.50
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	11.68	9.60	1.50
20.	त्रिपुरा	—	0.30	0.99
21.	उत्तर प्रदेश	—	2.00	11.49
22.	पश्चिम बंगाल	0.80	0.28	0.50
23.	चण्डीगढ़	—	0.30	1.50
24.	गोवा	0.10	0 05	0.32
25.	पांडिचेरी	1.83	0.60	0.60
26.	अंडमान व निको० द्वीप समूह	—	0.15	—
27.	दिल्ली	—	—	4.26
	कुल :	40.22	51.41	66.42

विवरण-XI

1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त की गई सहायता अनुदान की सीटों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91		1991-92		1992-93	
		स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	5,07,082	1	3,01,460	4	2,96,082
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	25,80,981	4	33,41,202	5	57,86,836
3.	असम	4	24,70,399	4	27,06,468	4	20,75,447
4.	बिहार	4	10,63,296	4	10,80,278	4	23,29,509
5.	गुजरात	1	2,13,552	1	47,998	2	2,77,170
6.	कर्नाटक	—	—	1	14,576	2	10,39,365
7.	केरल	3	13,44,450	4	15,11,933	5	18,56,596
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1,96,400	1	98,200	2	7,88,815
9.	महाराष्ट्र	4	14,35,244	3	17,74,457	4	35,48,316
10.	मणिपुर	2	4,32,585	7	21,56,564	5	18,64,710
11.	मेघालय	2	25,61,621	2	31.26,929	2	34,52,200

12.	नागालैंड	1	94,129	1	1,30,925	1	2,08,620
13.	दिल्ली	6	52,62,025	6	47,59,984	5	44,38,540
14.	उड़ीसा	3	1,54,788	5	4,28,705	10	22,81,562
15.	राजस्थान	1	7,55,187	2	9,44,974	2	10,91,341
16.	तमिलनाडु	1	3,51,338	1	3,62,968	1	9,10,833
17.	त्रिपुरा	1	—	—	—	1	7,18,835
18.	उत्तर प्रदेश	1	1,54,368	1	1,22,278	1	1,93,713
19.	प० बंगाल	5	9,82,842	7	20,47,726	9	23,37,930
		44	2,05,60,287	55	2,49,57,625	69	3,54,96,420

[अनुवाद]

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

5452. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 मार्च, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था;

(ख) इस पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) इस योजनावधि के दौरान किस-किस मद में कितनी-कितनी उपलब्धि हुई; और

(घ) इस वर्ष के दौरान सिर पर मैल ढोने के कार्य में लगे कितने व्यक्तियों और उनके आश्रितों को इस कार्य से हटाकर अन्य लाभकारी कार्यों से लगाया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आबंटन राशि 41.44 करोड़ रुपये थी।

(ख) 41.44 करोड़ रुपये का समग्र प्रावधान राज्य सरकारों को निर्मुक्त कर दिया गया था।

(ग) 1980-81 से 1990-91 तक राज्य द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार योजना के अधीन परिमाणात्मक उपलब्धियां निम्नानुसार है :

(1)	परिवर्तित शुष्क शौचालयों की संख्या	9,63,118
(2)	मुक्त/पुनर्वासित सफाई कर्मचारियों की संख्या	14,529
(3)	पूरे किए गए कस्बों की संख्या	40
(4)	यह कार्यक्रम जारी है।	

(घ) 10 सितम्बर, 1991 को योजना आयोग की निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 1991-92 के अंत में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी। 1992-93 के दौरान 65,140 सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास का लक्ष्य था। आगामी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

औरैया गैस क्रेकर परियोजना

5453. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औरैया गैस क्रेकर परियोजना (उत्तर प्रदेश) हेतु धनराशि प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि दी जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

यात्रा न करने की सलाह

5454. **श्री राम नाईक :**
श्री मोहन रावले :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका और जापान ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने संबंधी सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका और जापान द्वारा जारी की गई सलाह की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विदेशी पर्यटकों की संख्या पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1992 में हुई अयोध्या की घटनाओं के बाद संयुक्त राज्य अमरीका और जापान, दोनों के द्वारा भारत के कतिपय भागों की यात्रा करने के विरुद्ध यात्रा-परामर्श जारी किए गए थे । जापानी सरकार ने बाद में यात्रा-परामर्श वापस ले लिया था और संयुक्त राज्य की सरकार ने उसे कम प्रतिबंधात्मक बना कर मात्र सलाह ही रहने दिया था । बम्बई में बम फटने के तुरन्त बाद अमरीकी सरकार ने अपने नागरिकों को दिल्ली आने की यात्रा योजनाएं स्थगित करने की फिर सलाह दी थी । यह सलाह अब वापस ले ली गई है ।

ऐसी सलाह और अन्य प्रतिकूल प्रचार का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से विदेशी बाजारों में आश्वस्त अभियान चलाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

केरल में बांधों का निर्माण

5455. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में नदियों पर नियन्त्रण बांधों (चैक डैमों) का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई राशि स्वीकृत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) मृदा कटाव रोकने के लिए नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में गुल्लियों, नालों आदि पर सामान्यतया चैक बांधों का निर्माण किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने नदी पर घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कुन्डाह जल-ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण उपायों के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान केरल सरकार को 1.60 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र राज्यों में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थी

5456. श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतन्त्र राज्यों में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतन्त्र राज्यों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है—

देश	भारतीय छात्रों की संख्या
रूस	2000 (लगभग)
उक्रेन	573
उजबेकिस्तान	481
आर्मेनिया	153
बेलारूस	140
जार्जिया	104
किर्गीस्तान	80
अजरबेजान	72
लात्विया	62
ताजिकिस्तान	57 (लगभग सभी निकाल दिए गए हैं)
कजाकिस्तान	45
मोल्दोवा	6
एस्तोनिया	1
लिथुआनिया	शून्य
तुर्कमेनिस्तान	शून्य

[अनुवाद]

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विकास

5457. श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्रियाकलापों के विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार को इस संबंध में कोई आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर मौजूदा धावन-पथ के दक्षिण-पश्चिम की ओर टर्मिनल भवन के लिए 140 एकड़ भूमि और धावनपथ के विस्तार के लिए 110 एकड़ भूमि का पता लगाया जा रहा है। इस भूमि के अर्जन के लिए प्राधिकरण ने केरल राज्य सरकार से संपर्क किया है।

अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर की वसूली

5458. श्री सुखेन्दु खां : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक हवाई टैक्सी संचालक की हवाई टैक्सी से वित्तीय वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

(ख) प्रत्येक हवाई टैक्सी संचालक द्वारा अंतर्देशीय विमान यात्रा कर की कितनी धनराशि वसूल की गई और सरकार के पास जमा की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5459. श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से मिले प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ख) मंजूर किए गए प्रस्तावों की अनुमानित लागत कितनी है तथा ये किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अंगूरों की "महाग्रेप्स फसलोत्तर प्रसंस्करण परियोजना" के लिए महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे को वर्ष 1991-92 में 57.1 लाख रुपये और 1992-93 में 50.0 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है।

महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से प्राप्त सीरा स्रोतों से पेय अल्कोहल के 11 और बीयर के 15 प्रस्तावों के मामले में आशय पत्र मंजूर किए गए हैं जिनके लिए पूंजी निवेश कुल 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

नेपाली नागरिकों द्वारा भारतीय भू-भाग का अतिक्रमण

5460. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों द्वारा बिहार में हजारों एकड़ भारतीय भू-भाग के अतिक्रमण के संबंध में नेपाल के साथ हुई बातचीत में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को उस देश के नेताओं के समक्ष उठाया है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) हमने इस मसले पर नेपाल सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा की है जिसमें संयुक्त तकनीकी स्तरीय भारत-नेपाल सीमा समिति भी शामिल है। इस पर और आगे चर्चा सीमा समिति की सितम्बर/अक्तूबर, 1993 में होने वाली आगामी बैठक में की जाएगी।

मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

5461. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने 1993 के दौरान विश्व मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा और कब आयोजित किया जाएगा;

(ग) क्या भारत इस सम्मेलन की अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन समिति का सदस्य है;

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन की कार्यसूची क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च) संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन वियना में 14 से 25 जून, 1993 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राज्यों के साथ इस सम्मेलन की तैयारी समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस सम्मेलन की कार्यसूची का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 47/122 के जरिये किया गया था जो संलग्न विवरण है। इस सम्मेलन के लिए कोई राष्ट्रीय तैयारी समिति नहीं बनाई गई है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 47/122 के साथ संलग्न मानवाधिकारों से सम्बद्ध विश्व सम्मेलन के लिए अनन्तिम कार्यसूची

1. सम्मेलन का उद्घाटन।

2. अध्यक्ष का निर्वाचन।

3. प्रक्रिया नियमों का अंगीकरण।

4. सम्मेलन के अन्य अधिकारियों का निर्वाचन।

5. प्रत्यय-पत्र समिति की नियुक्ति।

6. समितियों और कार्यकारी दलों की स्थापना।

7. कार्यसूची का अंगीकरण।

8. विश्व के देशज लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष का स्मरणोत्सव।

9. मानव अधिकारों से सम्बद्ध सार्वभौमिक घोषणा के अंगीकरण के बाद से मानवाधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति और इस क्षेत्र में प्रगति की बाधाओं का पता लगाना और तरीकों का पता लगाना जिसके द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता हो, सामान्य वाद-विवाद।

10. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों, अन्तर संबंध और विभाज्यता को ध्यान में रखते हुए विकास, लोकतंत्र और सभी मानवाधिकारों के सार्वभौमिक उपयोग के बीच सम्बन्ध पर विचार।

11. महिलाओं और पुरुषों, इनमें सुभेद्य ग्रुपों से सम्बन्धित व्यक्ति शामिल हैं, के सभी मानवाधिकारों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए सम-सामयिक प्रवृत्तियों और नई चुनौतियों पर विचार।

12. निम्नलिखित के लिए सिफारिश :

(क) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के अनुरूप मानवाधिकारों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करना;

(ख) मानवाधिकारों से संबद्ध मसलों पर विचार करते समय सार्वभौमिकता, तटस्थता और गैर-चयनात्मकता का सुनिश्चय करना;

(ग) संयुक्त राष्ट्र प्रतिक्रियाओं और क्रियाविधियों को और कारगर बनाना;

(घ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाना।

13. सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेज और रिपोर्ट स्वीकार करना।

विद्युत प्रदाय संस्थान पर बदरपुर ताप बिजलीघर की बकाया राशि

5462. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) पर 1 अप्रैल, 1993 को बदरपुर ताप बिजलीघर की कितनी राशि देय है;

(ख) डेसू द्वारा बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को नियमित रूप से देय राशि का भुगतान न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसकी बकाया राशि के नियमित भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) फरवरी, 1993 तक सप्लाई की गई विद्युत के लिए 1-4-1993 की स्थिति के अनुसार डेसू ने बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (बी० टी० पी० एस०) को लगभग 2479 करोड़ रुपये का भुगतान करना था जिसमें विलम्ब से भुगतान किए जाने से संबंधित अधिभार की राशि भी शामिल थी। डेसू विशेष रूप से बी० टी० पी० एस० से खरीदी गई बिजली का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि विद्युत लागतों तथा अन्य प्रचालन सम्बन्धी खर्चों, ओवरलोड तथा अत्यधिक वितरण सम्बन्धी घाटों आदि के कारण वह राजस्व की भारी कमी का सामना कर रहा है। दिल्ली प्रशासन/डेसू को सलाह दी गई है कि वह देय राशियों की अदायगी किए जाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाने हेतु उपयुक्त उपाय करे।

ठंडे पेय की कीमत

5463. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1993-94 के बजट में ठंडे पेय पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ठंडे पेय निर्माताओं ने इस घोषणा के बाद दरों में ब्रांडवार कितनी कमी की है; और

(ग) दिल्ली में बेचे जा रहे ठंडे पेय के विभिन्न ब्रांडों की कीमत घटवाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) यद्यपि 1993-94 के बजट प्रस्तावों में मृदु वातित पेयों के मामले में उत्पाद-शुल्क में कोई कमी नहीं की गई है परन्तु कार्बनीकृत फल पेयों के मामले में इसे पूर्णतया हटा दिया गया है।

दिल्ली दूरदर्शन पर फीचर फिल्मों का प्रसारण

5464. **श्री मोहन रावले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन ने प्रतिवर्ष कितनी अंग्रेजी फीचर फिल्मों का प्रसारण किया;

(ख) क्या सरकार का विचार अंग्रेजी फीचर फिल्मों की संख्या में कमी करके प्रादेशिक भाषा की फीचर फिल्मों के प्रसारण में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन ने 1990-92 की अवधि के दौरान अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की 90 फिल्में (अंग्रेजी में डब की गई अथवा अंग्रेजी उप-शीर्षकों सहित) टेलीकास्ट कीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी तथा क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों के वर्तमान स्लाटों को पर्याप्त समझा गया है।

खाद्य प्रसंस्करण सुविधा

5465. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में कुल खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की तुलना में देश में कितने प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में अधिक क्षमता वाले खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) इसके बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है अतः विश्व की कुल सुविधा की तुलना में देश में उपलब्ध खाद्य-प्रसंस्करण सुविधा का प्रतिशत नहीं बताया जा सकता।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहायता देने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना या विस्तार के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों, संयुक्त सेक्टर आदि को सहायता, किसानों के साथ पिछड़े संपर्कों को विकसित करना, विपणन सहायता, सुअर मांस, पाल्ट्री और दूसरे मांस की प्रसंस्करण सुविधायें, टूना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण की सुविधायें, गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण, कोल्ड-चेनों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान एवं विकास और कुछ सेक्टरों में जनशक्ति का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

अखबारी कागज का कोटा

5466. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ई० एन० एस० ने सरकार को अखबारी कागज के कोटे के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) आई० ई० एन० एस० अखबारी कागज सहित विभिन्न विषयों पर सरकार को ज्ञापन देता रहा है।

(ख) ऐसे विषयों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया देश में स्वतंत्र प्रेस के विकास तथा वृद्धि के लिए उसकी वचनबद्धता द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ अखबारी कागज आयात तथा आवंटन के उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत 1992-93 से की जा चुकी है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का प्रसारण-क्षेत्र

5467. कुमारी विमला वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या द्वारा तथा कितने क्षेत्र में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते हैं;

(ख) क्या अब भी अधिकांश दूरस्थ, ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्र दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र से बाहर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन सेवा इस समय देश की अनुमानित 82.9% जनसंख्या और 63.5 प्रतिशत क्षेत्र को उपलब्ध है, इनमें किनारे के वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां टी० वी० रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने अपेक्षित हैं।

(ख) और (ग) दूरदर्शन विस्तार योजनाएं तैयार करते समय देश के दूरदराज, ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों/प्रदेशों को उचित प्राथमिकता दी जाती है। दूरदराज, ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से संसाधनों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए इस समय 211 टी० वी० ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन/स्थापना किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन

5468. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जीवन शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचार बुलेटिनों के प्रसारण समय में कमी करने से बहुत महत्वपूर्ण समाचारों को प्रसारित न कर सकने की समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि विपक्षी दलों के समाचारों को प्रसारण में स्थान देने के अनुपात में भी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। हालांकि, दिनांक 1-1-1993 से सायंकालीन बुलेटिनों की अवधि को 20 मिनट से घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है, परन्तु प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन की अवधि को 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समाचार बुलेटिनों में समाचारों को शामिल करना उनके समाचारिक महत्व पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

दिल्ली टेलीफोन्स की क्षमता

5469. श्री राम टहल चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली टेलीफोन्स की क्षमता कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) निगम की स्थापना होने के बाद भी दिल्ली टेलीफोन्स की क्षमता कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलादेश से घुसपैठ के संबंध में फिल्म

5470. श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री अनिल बसु :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रवि राय :
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने बंगलादेश से घुसपैठ के संबंध में एक फिल्म का निर्माण करने का कार्य किसी कंपनी को सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने मैसर्ज जैन स्टूडियोज, नई दिल्ली, जो समसामयिक घटनाओं तथा वृत्तचित्रों के लिए दूरदर्शन के साथ एक सूचीबद्ध निर्माता हैं, को 1,50,000,00 रुपए की कुल लागत का "सिविलियन इंफिल्ट्रेशन फ्राम बंगलादेश" पर 30 मिनट की अवधि का एक वृत्तचित्र बनाने का कार्य सौंपा है । 60,000 रुपए की प्रथम किस्त पहले ही जारी कर दी गई है ।

बैलगाड़ी

5471. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 चार्टर योजना के अंतर्गत बैलगाड़ियों (बुल ट्रावलर्ज) को अनुमति देने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

बुल ट्रालिंग समिति की सिफारिशें

1. इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि बुल ट्रालिंग की तकनीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गलत नहीं हो सकती, भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में इस तकनीक के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए ।

2. संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि बुल ट्रालिंग हेतु सावधानीपूर्वक कार्यान्वित की जानी चाहिए, भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में सीमित संख्या में बुल ट्रालर्स जोड़ों को स्वीकृति दी जा सकती है ।

3. बुल ट्रालिंग की आन्तरिक परिचालन सीमा 100 मीटर गहराई तक या तट रेखा से 50 मील होनी चाहिए परन्तु भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप में इसे कम या अधिक किया जा सकता है ।

4. चूंकि हमारे देश में उद्यमियों को पहले ही पर्याप्त क्षेत्र दिया जा चुका है अत: भविष्य में बुल ट्रालिंग के परमिट केवल जलयानों के स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियों को ही दिए जा सकते हैं । परन्तु भारतीय बेड़े की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कम्पनियों को लगभग 4 से 5 वर्षों के क्रमिक चरणों में विदेशी बेड़े लगाने की अनुमति दी जा सकती है । प्रशासन और कार्यान्वियन से संबंधित समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए इसे भारतीय जलयानों के लिए कानून और कार्यान्वियन के लिए फील्ड संगठन को चुनने के साथ संबद्ध किया जा सकता है ।

5. ऐसे जलयानों की संख्या पर कठोर निगरानी रखते हुए क्षेत्रीय जल से आगे के क्षेत्रों में लघु यंत्रीकृत सेक्टर में जोड़ा ट्रालिंग की स्वीकृति के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारतीय बुल ट्रालरों द्वारा पकड़ी गई मछली के विपणन के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा जिसके लिए भारतीय कम्पनियों की एक सहकारिता बनाने पर विचार किया जा सकता है।

7. कम मूल्य की मछलियों के लिए सरकार प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना पर विचार कर सकती है।

8. मात्स्यिकी कम्पनियों के एक संघ द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे प्रसंस्करण संयंत्रों को एक बार में सहायता के रूप में ऐसे यूनिटों के लिए आवश्यक उपस्कर सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जा सकते हैं।

9. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा 100 मीटर से अधिक गहरे संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन और आई० एफ० पी० द्वारा मात्स्यिकी के बाद के और विपणन कार्यों के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण और एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना के बीच एक संयुक्त पायलट परियोजना कार्यान्वित की जा सकती है।

10. मात्स्यिकी में कार्यरत बुल ट्रालरों का कोडबद्ध जाली का आकार 60 मि० मी० से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी जलयान को 50 मि० मी० से कम आकार की जाली वाले कोडबद्ध आवरण की जाली को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

11. मात्स्यिकी संसाधनों के मूल्यांकन और मानीटरिंग के लिए सही आंकड़ों को गलत करने की आवश्यकता को समझते हुए और उचित संसाधन प्रबन्ध उपायों को तैयार करने के लिए समिति ने यह सिफारिशें कीं :-

(क) आंकड़ा संग्रहण, रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए बुल ट्रालरों की यात्राओं में साथ रहने हेतु वैज्ञानिकों का एक पूल बनाना; और

(ख) आई० एम० एस० एक्ट 1958 की धारा 435 के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करना और भारतीय स्वामित्व वाले बुल ट्रालर्स के संचालकों के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों को मात्स्यिकी आंकड़ों की सूचना देना अनिवार्य करना।

12. बुल ट्रालिंग के पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आकलन के लिए अनुसंधान स्कीमों और अध्ययनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

विदेशी एजेंसियों से मनोरंजन कार्यक्रम

5472. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा विदेशी एजेंसियों से मनोरंजन कार्यक्रमों की खरीद के क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों को "प्राइम टाइम" सहित कुल कितना समय दिया गया; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों पर विदेशी मुद्रा सहित कुल कितना धन खर्च हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन अपनी कार्यक्रम अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मनोरंजन कार्यक्रमों

सहित विदेशी कार्यक्रम खरीदता है। इस समय फीचर फिल्मों तथा लघु फिल्मों के लिए अलग प्रसारण घंटों के अतिरिक्त प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत प्रति सप्ताह लगभग 120 मिनट का समय विदेशी मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) दूरदर्शन प्रायोजित कार्यक्रमों के आयात पर कोई व्यय नहीं करता है। तथापि, 1989-92 के दौरान फीचर फिल्मों तथा लघु फिल्मों के आयात पर 1,14,600 अमरीकी डालर खर्च किए गए।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पूल से आवास

5473. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री सोबन राम जांगड़े :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पूल से प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान किये गये हैं जिनके पास पहले से सरकारी आवास हैं;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा आवंटन किए जाने से पहले प्रत्येक उक्त मामले में इन लोगों के सरकारी आवास में नियमित रूप से रहने की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के वैकल्पिक आवास प्रदान करने से पहले इन आवासों में नियमित रूप से रहने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली टेलीफोन में कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को एम० टी० एन० एल० के सामान्य पूल से अग्रता आधार पर वैकल्पिक आबंटित किया जाता है बशर्ते कि उनके पास पहले से ही किसी अन्य पूल से नियमित आधार आवास पर आबंटित सरकारी मकान हो।

(ख) इस आशय की अपेक्षित सूचना कि क्या कर्मचारी को पहले वाले पूल से आवास नियमित आधार पर आबंटित था, इस पूल के नियन्त्रण प्राधिकारी से मालूम की जाती है।

(ग) एम० टी० एन० एल० द्वारा सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के अनुदेशों का पालन किया जाता है। कर्मचारी को पहले वाले पूल से आबंटित मकान सामान्य प्रतीक्षा सूची के अनुसार उसकी बारी आने पर ही आबंटित किया हुआ होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उप-केन्द्र

5474. श्री राम पाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान विद्युत उप-केन्द्रों के निर्माण हेतु विद्युत वित्त निगम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) इनमें से कितने उप-केन्द्र मंजूर किए गए तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि प्रदान की गई; और

(ग) इन उप-केन्द्रों के निर्माण के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उ० प्र० रा० वि० बोर्ड ने वर्ष 1992-93 के दौरान अनपारा से वाराणसी तक 400 के० वी० डी० सी० लाइन का निर्माण किए जाने के लिए वित्त पोषण किये जाने हेतु एक प्रस्ताव विद्युत वित्त निगम (पी० एफ० सी०) को प्रस्तुत किया था। तथापि, पी० एफ० सी० ने परियोजना के लिए कोई भी ऋण जारी नहीं किया क्योंकि उ० प्र० रा० वि० बोर्ड प्रचालनात्मक नीति संबंधी विवरण तथा पी० एफ० सी० ऋण नीति के अनुरूप कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है इसलिए इसे नए ऋण के लिये योग्य नहीं पाया गया है।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त विभाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को विद्युत आपूर्ति

5476. **श्री रामदेव राम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने प्रतिवर्ष कुल कितना विद्युत उत्पादन किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से राज्य विद्युत बोर्ड को कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 वर्षों के दौरान क्रमशः 2974 मिलियन यूनिट, 2586 मिलियन यूनिट तथा 2955 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया।

(ख) अपेक्षित विवरण निम्नवत है :

(सभी आंकड़े मि० यू० में)

बिहार राज्य बिजली बोर्ड को बिजली की सप्लाई करने वाले स्रोत	1990-91	1991-92	1992-93
फरक्का एस० टी० पी० एस०	960.3	1591.9	1764.4
चुखा एच० ई० पी० एस०	415.3	431.3	412.9
सिंगरौली एस० टी० पी० एस०	11.7	2.2	—
अन्ता जी० बी० एस०	326.5	331.4	116.7
औरैया जी० बी० एस०	403.2	544.4	163.2
जोड़ :	2117.0	2901.2	2457.2

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

5477. **श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का 1992-93 के दौरान पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रुप-7 के देशों के साथ वार्ता

5478. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समस्याओं, औद्योगिक देशों के वित्तीय बाजार से विकासशील देशों की ऋण हेतु पहुंचा पर्यावरण और अन्तर्राष्ट्रीय खतरे जैसे पर ग्रुप-7 के विषयों देशों के साथ कोई वार्ता की है अथवा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी हां। जी-15 के समन्वयकर्ता देश के रूप में हमने जर्मनी और जापान की सरकारों में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क किया है जो जी-7 के मामलों को देख रहे हैं। इस समय जी-7 का अध्यक्ष जर्मनी है और जापान यह कार्य प्रभार जुलाई, 1993 में ग्रहण करेगा। इन बातचीतों का स्वरूप अनौपचारिक रहा है और सार्वभौम आर्थिक मसलों तथा विकासशील देशों से जुड़े विकासात्मक मसलों पर जी-7 को जी-15 के संभावित संदेश से सम्बद्ध है। यह डकार में सम्पन्न हुए जी-15 के शिखर-सम्मेलन की विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुरूप औद्योगीकृत देशों और विकासशील देशों के बीच वार्ता के संदर्भ में होगा।

उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण

5479. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, संप्रेषण और वितरण कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पूरे देश में बिजली का उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण करने के लिए निजी उद्यमियों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार एक नीति कार्यान्वित कर रही है।

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु अभिज्ञात/विज्ञापित की गई हैं —

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	रोजा टी० पी० एस०	420
2.	जवाहरपुर टी० पी० एस०	630
3.	जगदीशपुर सी० सी० जी० टी०	210
4.	बबराला सी० सी० जी० टी०	600
5.	शाहजहांपुर सी० सी० जी० टी०	600
6.	अनोला सी० सी० जी० टी०	600

विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना (360 मेगावाट) का क्रियान्वयन करने तथा बृहद् नोएडा क्षेत्र में बिजली का उत्पादन तथा वितरण करने के सम्बन्ध में निजी निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। विभिन्न निवेशों तथा स्वीकृतियों को सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने सम्बन्धी कार्यक्रम का पता लग पाएगा।

जर्मनी के साथ परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में बातचीत

5480. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के चांसलर की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारतीय नेताओं के साथ हुई बातचीत के दौरान प्रमाण अप्रसार संधि का मुद्दा उठा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। चांसलर कोहल ने आशा व्यक्त की थी कि भारत अप्रसार संधि मे शामिल होगा। उन्होंने कहा कि वे अप्रसार संधि पर भारत की स्थिति का सम्मान करते हैं और भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी समझते हैं। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की कि वे अप्रसार संधि के संबंध में भारत की आपत्तियों का निराकरण करने के प्रयास करें।

(ख) भारत और जर्मनी ने निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार के सभी पहलुओं पर द्विपक्षीय बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की है।

जेट विमानों की खरीद

5481. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार का विचार अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विमान खरीदने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ बिहार सरकार को विदेशी मुद्रा देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो जैट विमान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का क्या औचित्य है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 53,36,755 अमरीकी डालर के सी० आई० एफ० मूल्य पर अमरीका के बीच जैट 400-ए विमान का आयात करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया है । यह प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय के विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

श्रीशैलम राइट बैंक कैनाल स्कीम

5482. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीशैलम राइट बैंक कैनाल स्कीम के विश्व बैंक की सहायता से शुरू किये जाने वाले कार्यों से संबंधित स्वीकृत निविदाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है क्योंकि ये निविदाएं अनुमानित दरों से लगभग 100 प्रतिशत से अधिक दर पर स्वीकृत की गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक केन्द्र

5483 **श्री जी० माडे गौड़ा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोगों में परस्पर सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस केन्द्र के कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्र की स्थापना जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में की जाएगी और उम्मीद है कि इससे संस्कृति, सूचना, विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन और खेल-कूद जैसे क्षेत्रों में जनता से जनता के बीच सम्पर्क बढ़ेगा ।

एल० टी० टी० ई० नेताओं का प्रत्यर्पण

5484. **डा० वसन्त पवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एल० टी० टी० ई० नेताओं के श्रीलंका से प्रत्यर्पण के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर उस देश से बात की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) लिट्टे के ऐसे नेताओं, जो श्रीलंका से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, के प्रत्यर्पण के लिए श्रीलंका की सरकार को एक औपचारिक अनुरोध करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंगलैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि की पुष्टि

5485. **श्री चित्त बसु** :
डा० परशुराम गंगवार :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भारत तथा इंगलैंड के बीच प्रत्यर्पण सन्धि की पुष्टि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के मामले में स्थिति यह है कि भारत संधि का अनुसमर्थन कर सकता है परन्तु यह भी आवश्यक है कि संधि का पूर्ण और कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 को संशोधित किया जाए।

अपनी ओर से यू० के० की सरकार को अपनी विधायी समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए अपने संसद के अनुमोदन के लिए परिषद आदेश का आवश्यक मसौदा पेश करना होगा।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

5486. **श्री गोपीनाथ गजपति** :
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या संचार मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिलावार, श्रेणीवार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 में जिला-वार, श्रेणीवार कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान जिला-वार, श्रेणीवार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(घ) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अधिकांश प्रतीक्षा सूची 1993-94 के दौरान निपटाए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि समय पर उपस्कर उपलब्ध हों। तदनुसार विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

विवरण

(क) जिलेवार तथा श्रेणीवार सूची की वर्तमान स्थिति

(31-3-1993 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	जिला	श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची			योग प्रतीक्षा सूची
		ओ० वाई० टी०	एन० ओ० वाई० टी० (एस)	एन० ओ० वाई० टी० (जनरल)	
1.	बालासोर	—	10	662	672
2.	बोलनगीर	—	7	199	206
3.	कटक	—	55	2256	2311
4.	ढेनकनाल	4	—	479	483
5.	गंजाम	—	15	947	962
6.	क्योंझार	2	—	223	225
7.	कोरापुट	1	2	197	200
8.	कालाहांडी	—	—	125	125
9.	मयूरगंज	—	5	427	432
10.	फुलबनी	—	—	81	81
11.	पुरी	46	60	3405	3511
12.	संबलपुर	15	—	527	542
13.	सुन्दरगढ़	1	—	571	572
	योग	69	154	10,099	10,322

(ख) उड़ीसा में 1992-93 के दौरान जिलेवार तथा श्रेणीवार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या :

क्रम सं०	जिला	ओ० वाई० टी०	एन० ओ० वाई० टी० (एस)	एन० ओ० वाई० टी० (जनरल)	योग
1.	बालासोर	11	12	809	832
2.	बोलनगीर	—	5	100	193
3.	कटक	11	35	2632	2678
4.	ढेनकनाल	9	6	1004	1018
5.	गंजाम	4	15	1896	1915
6.	क्योंझार	2	—	518	520
7.	कालाहांडी	—	2	89	91
8.	कोरापुट	2	3	944	949
9.	मयूरभंज	4	8	412	424
10.	फुलबनी	—	—	343	343
11.	पुरी	15	45	3523	3583
12.	संबलपुर	18	29	1911	1958
13.	सुन्दरगढ़	23	7	806	836
	योग	99	166	15,075	15,340

भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र में समाचार प्रभाग

5487. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र के समाचार प्रभाग का पुनर्गठन करने और वहां से प्रसारित होने वाले समाचारों की गुणवत्ता पर बल देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा और विषयवस्तु में समय-समय पर गुणात्मक सुधार लाने का निरन्तर प्रयास रहता है।

[हिन्दी]

क्योंझर, उड़ीसा में जिला टेलीफोन प्रबंधक का कार्यालय

5488. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को क्योंझर, उड़ीसा में जिला टेलीफोन प्रबंधक का कार्यालय खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई आग्रह प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

5489. **श्री पी० सी० थामस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी हां। चरणबद्ध तरीके से सभी पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पर पहले से ही अमल किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजनायें

5490. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल से वर्षवार प्राप्त प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से 1-4-1990 से 31-3-1993 तक कंगसाबती आधुनिकीकरण परियोजना तथा दोलांग जलाशय स्कीम नामक दो बृहद आशोधित सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः जनवरी, 1991 तथा फरवरी, 1993 को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं। इस अवधि के दौरान कोई मध्यम सिंचाई परियोजना प्राप्त हुई थी।

(ख) कंगसाबती आधुनिकीकरण परियोजना का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया और राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अध्यधीन लगभग 311 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जनवरी, 1988 में परामर्शदात्री समिति द्वारा इसे स्वीकार्य पाया गया था। जनवरी, 1991 में राज्य सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए लगभग 2.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के वास्ते 329 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की अशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जांच करने के पश्चात्,

केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी थी। राज्य सरकार को सम्भव अधिकतम बाढ़ और पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से संबंधित टिप्पणियों पर अनुपालना करनी है।

(ग) लगभग 24500 हेक्टेयर क्षेत्र की सिचाई करने के वास्ते 32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आशोधित दोलांग जलाशय स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में हाल में फरवरी, 1993 में प्राप्त हुई है।

कोचीन से एयर इंडिया द्वारा "हब एण्ड स्पोक" आपरेशन

5491. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया का कोचीन से "हब एण्ड स्पोक" आपरेशन आरम्भ करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों के मूल निवास स्थानों में एस० टी० डी० सुविधाएं

5492. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 से 28 फरवरी, 1993 के दौरान संसद सदस्यों के मूल निवास स्थानों में स्थायी पतों पर एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्हें कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा अब तक उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन संसद सदस्यों को यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) चार।

उनमें से प्रत्येक को एस० टी०डी० सुविधा की व्यवस्था के लिए अपेक्षित संचारण माध्यम कीयोजना बना ली गई है तथा 1993-94 के दौरान इन्हें चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) मार्च, 1994।

[हिन्दी]

दिल्ली में डाकघर

5493. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में इस समय कितने डाकघर हैं तथा प्रत्येक डाकघर औसतन कितने लोगों की सेवा कर रहा है;

(ख) क्या नए डाकघर जगह उपलब्ध न होने के कारण नहीं खोले जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक संख्या में डाकघरों को खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय दिल्ली डाक सर्किल में 546 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर औसतन 17,162 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

(ख) और (ग) हालांकि किराए के उपयुक्त भवन का मिलना निःसंदेह एक अड़चन है, तथापि औचित्य के अनुसार नए डाकघर खोले जाते हैं। वर्ष 1992-93 में दिल्ली सर्किल के लिए 9 नए डाकघर मंजूर किए गए और खोले गए।

[अनुवाद]

सांची के बौद्ध स्तूपों का विकास

5494. **श्री बन्नूलाल चन्द्राकर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सांची के बौद्ध स्तूपों का विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान हैं;

(ख) क्या यूनेस्को ने सांची के बौद्ध स्तूपों का समेकित विकास करने के लिए किसी सात वर्षीय योजना को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सांची के स्तूपों के विकास में केन्द्र सरकार/राज्य पर्यटन विभाग की क्या मुख्य भूमिका है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सांची के बौद्ध स्तूप विश्व हैरीटेज सूची में सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सांची में बौद्ध स्मारकों के व्यापक संरक्षण के लिए यूनेस्को के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) केन्द्र और राज्य पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करते हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का रख-रखाव करता है।

[हिन्दी]

झांसी और जालौन में टी० वी० की प्रसारण क्षमता में वृद्धि

5495. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के झांसी और उरई (जालौन) में टी० वी० की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) इस समय झांसी और उरई में कार्यरत अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने का कोई

प्रस्ताव नहीं है। झांसी तथा जालौन जिले के भाग ग्वालियर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, जालौन जिले के भाग कानपुर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से भी कवर किए जाते हैं। झांसी जिले के मऊ रानीपुर में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है। झांसी तथा उरई जिले में टी० वी० कवरेज का और विस्तार भविष्य में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

निजी विमानन कम्पनियां

5496. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी एयरलाइनों का विदेशी एयरलाइनों के सहयोग से घरेलू विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मैसर्स जेट एयरवेज ने विदेशी एयरलाइनों के सहयोग से एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। मामले की जांच की जा रही है।

मैसर्स एम० जी० एक्सप्रेस ने नागर विमानन महानिदेशालय को बताया है कि उनके विमानों का प्रमुख रख-रखाव लुफ्थांसा द्वारा किया जाएगा।

किशाहू बांध परियोजना

5497. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सिंचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए किशाहू बांध परियोजना को फिर से शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) किशाहू बहुप्रयोजनी बांध परियोजना का अन्वेषण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था और तकनीकी जांच के लिए परियोजना रिपोर्ट जून, 1988 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को देखते हुए परियोजना रिपोर्ट में कुछ संशोधनों और उस पर और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होनी है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही परियोजना के ब्यौरे उपलब्ध हो सकेंगे। इस स्तर पर यमुना बेसिन राज्यों के बीच किशाहू बांध भण्डारण से जल के आबंटन की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

पायलेटों की हड़ताल

5498. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1993 के दैनिक समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस" में "आई० ए० पायलट्स इश्यू मैट टू बी सैटल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु आगे क्या कदम उठाए जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विमानचालकों को स्वीकार्य भोजन भत्ते में वृद्धि करने के बारे में दिनांक 21-2-1993 को इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 2-3-1993 को भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ हस्ताक्षरित दूसरे समझौता ज्ञापन के द्वारा उनके दिनांक 24-11-1992 के हड़ताल के नोटिस में उठाए गए चार मामलों में से तीन का निपटान कर दिया गया है। यह सहमति हुई है कि चौथी मांग को अधिनिर्णय के लिए भेज दिया जाए।

दिनांक 1-9-1990 से पांच वर्षों की अवधि के लिए इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन का सम्पूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को 1-9-1990 से अंतरिम राहत भी देने का निर्णय किया है जिसके लिए सम्बन्धित यूनियनों/संघों के साथ अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की बकाया राशि की वसूली

5499. **श्री हरिन पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उन फैक्ट्रियों/उद्योगों की विद्युत आपूर्ति बन्द नहीं की गई है जिन्होंने अपने देय का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रकार के कितने मामलों में पच्चीस हजार रुपये से अधिक विद्युत देय का भुगतान नहीं किया गया; और

(ग) सरकार ने इन देयों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) आमतौर पर, बिजली सम्बन्धी देय राशियों का भुगतान नहीं करने वाले उद्योगों/कारखानों के लिए डेसू द्वारा बिजली की सप्लाई बन्द कर दी जाती है, सिवाय उन मामलों में जहां उपभोक्ता, कोर्ट से स्थगन आदेश ले चुका हो अथवा बिल प्रत्यक्षतः अकारण ही विवादास्पद हो। जिन मामलों में पिछले दो वर्षों के दौरान बिजली से संबंधित देयताएं 25,000 से अधिक शेष हैं उनकी संख्या निम्नवत है :

अवधि	मामलों की संख्या	
तिथि के अनुसार	अधिक सप्लाई प्राप्त करने वाले फैक्ट्री/औद्योगिक उपभोक्ता	लघु औद्योगिक विद्युत उपभोक्ता
31-3-1991	355	1429
31-3-1992	493	1676

बाकी राशियों की वसूली करने के लिए चूककर्ता उपभोक्ताओं को बिजली काटे जाने संबंधी नोटिस जारी करने के अलावा डेसू अदालती मामले भी लड़ रहा है।

चीन से म्यानमार और पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

5500. **श्री बी० देवराजन** :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा म्यानमार और पाकिस्तान को मध्यम दूरी की मिसाइलों और विमानों सहित हथियारों की सप्लाई के बारे में हाल ही में छपे समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन के साथ इस मामले पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने म्यानमार को हथियार बेचे हैं। सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापक रक्षा सहयोग की भी जानकारी है जिसमें चीनी विमानों, प्रक्षेपास्त्रों और अन्य हथियारों की सप्लाई आधुनिकतम शस्त्र प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण शामिल है।

(ग) और (घ) चीन की सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया गया है। चीन की सरकार ने हमारी चिन्ता पर गौर किया है और कहा है कि चीन जिन सिद्धांतों के आधार पर हथियारों का निर्यात करता है उनमें से एक यह है कि ऐसी बिक्री से क्षेत्र में किसी प्रकार की नई समस्या अथवा तनाव नहीं पैदा होना चाहिए।

टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स कनेक्शन

5501. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में कितने नये टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स कनेक्शन किये गये हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने कनेक्शन दिये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1991-92 के दौरान प्रदान किए गए नम्बर इस प्रकार हैं :

टेलीफोन	735410
टेलेक्स	1795

फैक्स मशीन वर्तमान टेलीफोन लाइनों के साथ जुड़ा हुआ प्राइवेट रूप से प्राप्त सहायक उपकरण है। अपनी टेलीफोन लाइन पर फैक्स मशीन लगाने के इच्छुक टेलीफोन उपभोक्ता ऐसा करने के लिए लाइसेंस शुल्क अदा करके अनुमति प्राप्त करते हैं। अतः नए फैक्स कनेक्शन प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) 1992-93 के दौरान प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित नम्बर इस प्रकार हैं :

टेलीफोन	8.5 लाख
टेलेक्स	1902 (नग)

सरकारी क्षेत्र में होटलों की संख्या

5502. श्री बापू हरि चौरे :
श्री हरिन पाठक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थापित तथा कार्यरत होटलों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उनका राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बिहार

होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना

होटल बोधगया अशोक, बोधगया

सेंटार होक्के होटल, राजगीर

दिल्ली संघ राज्य

अशोक होटल, नई दिल्ली

होटल सम्राट, नई दिल्ली

कुतब होटल, नई दिल्ली

कनिष्क होटल, नई दिल्ली

जनपथ होटल, नई दिल्ली

लोधी होटल, नई दिल्ली

रणजीत होटल, नई दिल्ली

अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली

सेंटार होटल, दिल्ली

हिमाचल प्रदेश

होटल मनाली अशोक, मनाली

जम्मू और कश्मीर

होटल जम्मू अशोक, जम्मू

सेंटार लेक व्यू होटल, श्रीनगर

कर्नाटक

होटल अशोक, बंगलौर

ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर

होटल हसन अशोक, हसन

केरल

कोवलम अशोक बीच रिसार्ट, कोवलम

महाराष्ट्र

होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद

सेंटार होटल, बम्बई

सेंटार होटल, जुहू बीच, बम्बई

मध्य प्रदेश

होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो

उड़ीसा

होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर

राजस्थान

लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर

होटल जयपुर अशोक, जयपुर

तमिलनाडु

होटल मदुरै अशोक, मदुरै

टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट, मामल्लापुरम

उत्तर प्रदेश

होटल आगरा होटल, आगरा

होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी

पश्चिम बंगाल

होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता

शारजाह में भारतीयों को कारावास

5503. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शारजाह न्यायालय द्वारा कुछ भारतीयों को एक नाटक के मंचन हेतु दी गई सजा को कम कराने तथा उन्हें स्वदेश वापस लाने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात और शारजाह में अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं और इस निन्दा से सम्बद्ध मामले में शारजाह न्यायालय द्वारा दी गई 6 वर्ष की कैद की सजा पाने वाले 10 भारतीय नागरिकों को कुछ राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप एक व्यक्ति को दोषमुक्त करके छोड़ दिया गया था और एक अन्य व्यक्ति को शुरू में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 14 अक्तूबर, 1992 को दिए गए निर्णय के लिए अभियोग-पत्र और मुलजिम दोनों ने याचिकाएं दायर की हैं। अतः यह मामला अभी न्यायाधीन है ।

एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रियों को टेलीफोन सुविधाएं

5504. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्री विश्व में किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन पर बात कर सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर इंडिया के पास मौजूदा विमान बेड़े में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एयर इंडिया का सेटेलाइट के माध्यम से नये बोइंग 747-400 विमानों में, जो 1993 और 1994 में सेवा में शामिल किये जाएंगे, ऐसी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये जाने का विचार है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड

5505. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या राजस्थान में कोई शाखा खोली गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो राजस्थान में 1993-94 के दौरान इस बोर्ड की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बंगलौर, बंबई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मद्रास और तिरुवनन्तपुरम में एक-एक अर्थात् कुल 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1993-94 के दौरान राजस्थान में उक्त बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अजन्ता और एलोरा की गुफाओं का विकास

5506. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा की गुफाओं की यात्रा पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने विदेशी पर्यटक आये; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अजन्ता और एलोरा के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) संबधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, औरंगाबाद में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 16.95 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई थी और अजन्ता तथा एलोरा पर प्रचार-सामग्री तैयार करने के लिए 2.98 लाख रु० की राशि जारी की गई थी।

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान अजन्ता और एलोरा के संवर्धन के लिए क्रमशः 12.28 लाख रु० और 9.58 लाख रु० की राशि जारी/खर्च की गई।

हाल ही में अजन्ता और एलोरा के संरक्षण और विकास के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) की सहायता से 81.71 करोड़ रु० की कुल लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन के कार्यक्रम

5507. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के पुंछ तथा राजौरी जिलों में दूरदर्शन के नेटवर्क के कार्यक्रम दिखायी देते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) पुंछ जिले के पुंछ में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा सुरनकोट में एक ट्रांसपोजर तथा राजौरी जिले के राजौरी में एक अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर इस समय परिचालन में है। इन जिलों में टी० वी० कवरेज में और विस्तार के लिए राजौरी जिले के थानामंडी में एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर तथा पुंछ जिले के पुंछ तथा सुरनकोट में एक-एक अर्थात् कुल दो अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/स्थापना किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा के भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड

5508. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भद्रक, जिला बालासोर (उड़ीसा) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में प्रतीक्षा सूची की स्थिति दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : उड़ीसा में बालासोर जिले के भद्रक स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में प्रतीक्षा-सूची की स्थिति दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड की संस्थापना करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचारार्थ नहीं है ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

5509. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार कितने इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे सलग्न विवरण मे दिए गए हैं ।

(ख) मार्च, 1994 तक बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

विवरण

1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

क्र० सं०	जिले का नाम	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	2
2.	अकोला	2
3.	अमरावती	0
4.	औरंगाबाद	4
5.	बीड	1
6.	भण्डारा	1
7.	बुलडाणा	2
8.	चन्द्रपुर	3

1	2	3
9.	धुले	1
10.	गढ़चीरोली	3
11.	जलगांव	4
12.	जालना	2
13.	कोल्हापुर	3
14.	लातूर	2
15.	नागपुर	9
16.	नान्देड़	3
17.	नासिक	4
18.	ओस्मानाबाद	2
19.	परभनी	2
20.	पुणे	10
21.	रायगढ़	3
22.	रत्नागिरि	4
23.	सांगली	5
24.	सतारा	5
25.	सिन्धुदुर्ग	3
26.	शोलापुर	2
27.	थाणे	9
28.	वार्धा	2
29.	यावतमाल	2

उपरोक्त के अतिरिक्त, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कम क्षमता वाले 280 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव है, बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो और स्थान उपयुक्त हो।

वाई० बी० चव्हाण पर दूरदर्शन धारावाहिक

5510. **श्री संदीपन भगवान् थोरात :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय श्री यशवन्तराव चव्हाण के जीवन पर दूरदर्शन धारावाहिक दिखाने संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) स्वर्गीय श्री वाई० बी० चव्हाण के जीवन पर 45 मिनट की अवधि के एक वृत्तचित्र का निर्माण कार्य पहले ही एक बाह्य निर्माता को सौंप दिया गया है । फिल्म निर्माणाधीन है ।

[हिन्दी]

टी० वी० चैनलों की संख्या में वृद्धि

5511. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के चैनलों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसके लिए निजी क्षेत्र, विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय अप्रवासियों की सहायता लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारत में टेलीविजन के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इनसैट-1 डी और इनसैट-2 ए के ट्रांसपोंडरों पर उपलब्ध फालतू समय, निम्नलिखित चैनलों को चरणबद्ध ढंग से शामिल करके कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है—

(1) एक मनोरंजन तथा सांस्कृतिक चैनल ।

(2) एक खेल चैनल ।

(3) एक समाचार, समसामयिक घटनाओं तथा व्यापारिक समाचारों का चैनल ।

(ग) और (घ) इन चैनलों पर निजी भारतीय निर्माताओं को विभिन्न फार्मेटों में कार्यक्रम टेलीकास्ट करने के लिए लाइसेंस फीस की विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने पर समय-स्लाट आबंटित करने का प्रस्ताव है ।

बिहार को विद्युत उत्पादन के लिए दिए गए धन का अन्यत्र उपयोग

5512. **श्री ललित उरांव** : क्या विद्युत मंत्री 9 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2082 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना पहले ही एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) अनेकों बार स्मरण कराए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अभी तक अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है । राज्य सरकार से शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन स्टूडियो

5513. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में चार दूरदर्शन स्टूडियो के स्थान-निर्धारण करते समय जबलपुर के उचित दावे की उपेक्षा करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जबलपुर में एक टी०वी० स्टूडियो केन्द्र की स्थापना सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर टी० वी० स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) भोपाल में कार्यशील टी०वी० स्टूडियो केन्द्र के अतिरिक्त, रायपुर में एक कार्यक्रम जनरेशन सुविधा केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई अन्य कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली में पारित प्रस्ताव

5514 डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अयोध्या घटना के बारे में पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली में पारित किये गये प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली में अयोध्या की घटनाओं पर उस देश के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) 24 दिसम्बर, 1992 को पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने एक संकल्प पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अयोध्या की घटनाओं पर खेद व्यक्त किया गया था।

सरकार ने इस बात पर कड़ी आपत्ति की थी कि पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने ऐसे विषय पर विचार किया है जो पूर्णतया: भारत के क्षेत्राधिकार में आता है और जिसके संबंध में पाकिस्तान की कोई वैध आधिकारिता नहीं है। इन आपत्तियों से पाकिस्तान की राजनीतिक स्तर पर तथा राजनयिक माध्यमों से अवगत करा दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के संबंध में जो पूर्णतया अस्वीकार्य और नकारात्मक टिप्पणियां की हैं, उन पर सरकार ने अपनी गंभीर आपत्ति तथा चिन्ता व्यक्त की है।

उड़ीसा में आकाशवाणी प्रसारण क्षेत्र

5515. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मालकानगिरि, देवगढ़, पारालाखेमुंडी जिले तथा फूलबनी जिले के कुछ भाग आकाशवाणी प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत लाए जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य में कुछ आकाशवाणी केन्द्रों में ट्रांसमीटरों की क्षमता कम कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) वर्तमान में देवगढ़, मलकानगिरि तथा दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कुछ हिस्से राज्य में वर्तमान किसी भी मीडियम वेव ट्रांसमीटर द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। तथापि, पारालाखेमुंडी दिन के समय का प्राथमिक ग्रेड कवरेज कटक के 100 कि०वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर से प्राप्त करता है। हालांकि यह इस ट्रांसमीटर के सीमांत क्षेत्र में स्थित है।

(ख) राज्य में रेडियो कवरेज को सुधारने के उद्देश्य से जैपोर और सम्बलपुर में वर्तमान प्रत्येक 20 कि०वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति को 100 कि०वा० तक बढ़ाने के लिए तथा भवानीपटना, राउरकेला और क्योंझर में नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। बेहरामपुर में एक नए रेडियो स्टेशन को पहले ही 1-4-1993 से सेवा के लिए चालू कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एकक

5516. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस अवधि के दौरान राज्य को कितनी राशि की सहायता दी गई/दी जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) स्पाम प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान सतपुड़ा एकीकृत ग्रामीण संस्थान (सिर्डी) को 6 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई है। रायपुर में सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु 0.75 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई थी। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य प्रस्तावों के मामले में कोई विशिष्ट धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है परन्तु प्राप्त होने पर मामले को देखते हुए विचार किया जाता है।

एयर इंडिया का कार्यनिष्पादन

5517. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्री विदेशी विमान सेवाओं से यात्रा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्री किन-किन देशों की विमान सेवाओं से यात्रा करने लगे हैं;

(घ) इसके फलस्वरूप एयर इंडिया को कितना घाटा हुआ है;

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर सामयिक और विकास कार्यक्रमों संबंधी फिल्में

5518. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली सामयिक व विकास कार्यक्रमों संबंधी प्रत्येक फिल्म पर कितना व्यय किया जाता है;

(ख) क्या विभागीय निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों की तुलना में बाहर के निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों पर अधिक लागत आती है; और

(ग) यदि हां, तो विभागीय निर्माताओं को फिल्म निर्माण का काम सौंपने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस प्रकार की सूचना संकलित रूप में नहीं रखी जाती ।

(ख) दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार की कोई लागत की तुलना नहीं की गई ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में हैलीकाप्टर का क्षतिग्रस्त होना

5519. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में कालागढ़ बांध स्थान पर एक हैलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या मामले की अधिकारिक रूप से रिपोर्ट की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हैलीकाप्टर पर अधिकारिक उड़ान पर था;

(ङ) क्या हैलीकाप्टर दिल्ली के मशहूर उद्योगपति का था;

(च) क्या इस हैलीकाप्टर का मलबा जनवरी, 1993 के दौरान गोपनीय ढंग से हटा दिया गया था;

(छ) क्या हैलीकाप्टर को जब्त कर लिया गया है तथा हिरासत में रखा गया है; और

(ज) इस मामले में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) यह हैलीकाप्टर इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली कम था। प्रचालक ने दिनांक 21-12-1992 के लिए शामली से होकर दिल्ली-कोटद्वार-दिल्ली के लिए एक उड़ान योजना दायर की थी जिसका हवाई यातायात नियंत्रक द्वारा अनुमोदन किया गया था।

(च) से (ज) हैलीकाप्टर का मलबा इस समय उत्तर प्रदेश के वन विभाग के संरक्षण में है। वायुयान नियम 1937 के नियम 71 के अधीन नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है।

गुवाहाटी दूरदर्शन से घटिया कार्यक्रमों का प्रसारण

5520. **श्री प्रबीन डेका** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान गुवाहाटी दूरदर्शन द्वारा घटिया कार्यक्रमों के प्रसारण के संबध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुवाहाटी दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी द्वारा टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों के बारे में सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया एक समान नहीं है। दूरदर्शन द्वारा सभी दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की कोई विशिष्ट सूची नहीं रखी जाती है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्राप्त की गई दर्शकों की शिकायतों अथवा सुझावों पर सेवा को बेहतर बनाने के लिए विधिवत् विचार किया जाता है।

"एम्पलायमेंट न्यूज" का प्रकाशन

5521. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एम्पलायमेंट न्यूज" (रोजगार समाचार) किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है;

(ख) इसे मराठी में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) 'एम्पलायमेंट न्यूज' को मराठी में प्रकाशित करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस समय एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार तीन भाषाओं नामत: अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) प्रकाशन की उच्च लागत तथा अल्प कुल खरीद के कारण यह अनुभव किया गया है कि रोजगार समाचार के भाषायी संस्करण आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। इन्हीं कारणों से विगत में कुछ भाषायी संस्करणों को बीच में बन्द कर दिया गया। अत: एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को मराठी में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5522. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में खाद्य उद्योग की स्थापना के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के लिए उपलब्ध कराई गई योजना सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आंध्र प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के लिए उपलब्ध कराई गई योजना सहायता

वर्ष	प्रस्ताव एवं संगठन	उपलब्ध कराई गई सहायता
1	2	3
1991-92	आंध्र प्रदेश मांस एवं पाल्ट्री विकास कार्पोरेशन लि०, हैदराबाद, राज्य में एक पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए।	76.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में और 41.5 लाख रुपए का ऋण।

1	2	3
1991-92	बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, खुम्बी की खेती एवं प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधा विकास हेतु।	2.047 लाख रुपए की अनुदान सहायता।
—वही—	बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, खुम्बी की प्रयोगशाला और प्रसंस्करण एककों के लिए	32.25 लाख रुपए की अनुदान सहायता।
1992-93	मैसर्स गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक शहद प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए।	17.10 लाख रुपए की अनुदान सहायता।
—वही—	मैसर्स गिरिजन कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, विभाग को आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक खुम्बी उत्पादन के विकास के लिए।	25.76 लाख रुपए की अनुदान सहायता।
—वही—	आंध्र प्रदेश मात्स्यिकी कार्पोरेशन, मात्स्यिकी में कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए।	39.5 लाख रुपए की अनुदान सहायता।
—वही—	दो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट्स स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त प्रस्ताव।	आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को दो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए भारत सरकार की इक्विटी सहायता के रूप में 104 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

केरल में टेलीफोन के अधिक राशि के बिल

5523. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान अत्यधिक राशि के टेलीफोन बिल आने के संबंध में कुल कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) में केरल के टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त अधिक राशि के टेलीफोन बिलों की शिकायतों की कुल संख्या 36,634 है।

(ख) मौजूदा विभागीय अनुदेशों के अनुसार, अधिक राशि के बिल की शिकायत की प्रत्येक पहलू की दृष्टि से पूरी जांच की जाती है तथा जहां भी न्यायोचित होता है उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है।

पट्टे पर ली गई दूरसंचार लाइन सेवा

5524. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टे पर ली गई दूरसंचार लाइन सेवा के शुल्क में अत्यधिक वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न पट्टाकारों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। शुल्क दरों का संशोधन पट्टे पर ली गई लाइनों की दरों में अत्यधिक वृद्धि नहीं, बल्कि उनका युक्तिकरण है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि यह शुल्क दरों का युक्तिकरण है, अतः आशा है कि संशोधन से प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व नगण्य होगा।

विमान सुरक्षा के मानदंड

5525. श्री सुखेन्दु खान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और निजी विमान टैक्सी चालकों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किए जाने के कितने मामलों का पता लगाया;

(ख) सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अनुसूचित विमान टैक्सी चालकों के लाइसेंस को रद्द किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत समय में, हवाई सुरक्षा के उल्लंघन की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं एयर टैक्सी प्रचालकों से संबंधित हैं।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय सभी प्रचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन किए जाने पर निगरानी रखता है। ध्यान में आई कमियों सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रचालकों

के ध्यान में लाई जाती हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, परमिट स्थगन, उड़न योग्यता प्रमाणपत्र का रद्द करना आदि जैसे उपाय भी किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स इण्डिया इन्टरनेशनल एयरवेज के एयर टैक्सी प्रचालक परमिट को, दुर्घटना की रिपोर्ट तुरन्त न करने के लिए, अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया था। कान्टीनेंटल एविएशन के एफ-27 विमान वी० टी० आर० ओ० वाई० के संबंध में उड़न योग्यता और पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया था क्योंकि गलत सूचना भेजी गई थी।

पर्यटन हेतु प्रचार

5526. श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में पर्यटक सर्किटों और गन्तव्य-स्थानों के विकास हेतु कितना वित्तीय नियतन किया गया है;

(ख) क्या भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टेलीविजन वृत्तचित्रों सहित कोई प्रचार सामग्री तैयार की गई है अथवा की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार के टेलीविजन वृत्तचित्रों को तैयार करने हेतु कुछ प्रस्ताव अथवा परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी समीक्षा में क्या प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने पर्यटक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को वित्तीय सहायता के रूप में 203.18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने महाराष्ट्र में पर्यटक गंतव्य-स्थलों पर निम्नलिखित प्रचार सामग्री तैयार की है—

(1) पश्चिम भारत के पर्वतीय स्थानों पर ब्रोशर

(2) बम्बई पर फोल्डर

(3) अजन्ता एलोरा पर फोल्डर

(4) बम्बई पर फिल्म

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में इलेक्ट्रानिक समाचार संकलन केन्द्र

5527. श्री एन० जे० राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में दूरदर्शन के कितने इलेक्ट्रानिक समाचार संकलन केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस समय केवल दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद ही गुजराती समाचार संकलित एवं तैयार कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुजरात में समाचार संकलन केन्द्रों का और विस्तार भविष्य में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य पानी का बंटवारा

5528. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश को समझौते के अनुसार भंडेर नहर से नौ टी० एं० सी० पानी की सप्लाई नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है कि मध्य प्रदेश को पानी का पूरा हिस्सा मिले ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश द्वारा उपयोग किए जाने के लिए भंडेर नहर में निर्मुक्त किए जाने के वास्ते जल की मात्रा के संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के बीच मतभेद है। प्राप्त सूचना के अनुसार इन मतभेदों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को द्विपक्षीय आधार पर उठाने का निर्णय किया है।

गुवाहाटी हवाई अड्डा

5529. श्री उद्धव बर्मन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में गुवाहाटी हवाई अड्डे का विकास करने तथा समुचित व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ग) क्या आठवीं योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। 1993-94 की वार्षिक योजना में गुवाहाटी हवाई अड्डे के विकास के लिए लगभग 9.98 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) टर्मिनल और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और यह अनुमोदित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित बड़ी परियोजनाओं की परिकल्पना की है :—

(1) मेघालय में तूरा पर नये विमान क्षेत्र का निर्माण।

(2) दीमापुर, इम्फाल, अगरतला, गुवाहाटी, सिल्चर, बागडोगरा, डिब्रूगढ़, कमालपुर, लीलाबाड़ी और तेजपुर पर टर्मिनल भवन का निर्माण और विस्तार।

(3) दीमापुर, इम्फाल, अगरतला, सिल्चर, लीलाबाड़ी, पासीघाट पर हवाई अड्डों के धावनपथ का सुदृढ़ीकरण/विस्तार करना और डिब्रूगढ़ में धावनपथ और सहायक पेवमेंटों पर पुनः सतहलेपन।

(4) गुवाहाटी में हवाई अड्डा निगरानी राडार/मोनोपल्स गौण निगरानी राडार का संस्थापन।

(5) सिल्चर पर एक किलोवाट के एक दूरी मापक उपकरण का संस्थापन और अगरतला पर डापलर अति उच्च आवृत्ति सर्व परास का संस्थापन।

(6) बारापानी, दीमापुर गुवाहाटी और सिल्चर पर एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली का संस्थापना।

(7) अगरतला और डपारिजो मे साधारण पहुंच प्रकाश प्रणाली और सूक्ष्म पहुंच पथ संसूचक प्रणाली की व्यवस्था।

टेलीविजन तथा रेडियो का मेट्रो चैनल

5530. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री गुरुदास कामत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1993 के "द हिन्दुस्तान 'टाइम्स" में "रिफ्ट स्प्राइल्स मेट्रो प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के प्रस्तावित मेट्रो चैनल को बनाने तथा उसके संचालन से संबंधित "एयर टाइम कमिटी आफ इण्डिया" की तुलना में सरकार की शक्तियों और कृत्यों के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) मतभेदों का किस प्रकार समाधान करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन/आकाशवाणी के मैट्रो/एफ एम चैनलों पर समय स्लाट आबंटन की स्कीम को क्रियान्वित करने पर एयर टाइम कमेटी आफ इण्डिया के अध्यक्ष से प्राप्त दस्तावेज में शामिल कई मदों पर सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है। मूल मदों पर अध्यक्ष, एयर टाइम कमेटी आफ इण्डिया के साथ समझौता हो जाने के बावजूद भी अध्यक्ष सहित गैर सरकारी सदस्यों ने 29-3-1993 को समिति से अपना इस्तीफा दे दिया।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा

5531. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान स्थित हमारे मिशनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और अप्रैल से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को मिशनवार कितने वीजा जारी किए गए थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन ने पाकिस्तान के राष्ट्रिकों को 1990 में 35,119 वीजा, 1991 में 49,307 वीजा, 1992 में 36,178 वीजा और अप्रैल से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के दौरान 25,847 वीजा जारी किए।

कराची स्थित हमारे प्रधान कोंसलावास ने पाकिस्तान के राष्ट्रिकों को 1990 में 1,19,953 वीजा, 1991 में 1,55,698 वीजा, 1992 में 1,46,365 वीजा और अप्रैल से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में 1,06,460 वीजा जारी किए।

वायुदूत सेवाएं

5532. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत बेड़े में कितने विमान हैं, गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष वायुदूत ने किन-किन रूटों और स्थानों के लिए अपनी सेवाएं शुरू की तथा इसकी संचालन और वित्तीय उपलब्धि क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वायुदूत की सेवाओं का विस्तार करने और इसे सुदृढ़ बनाने हेतु तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत 5 वर्षों के दौरान वायुदूत के बेड़े की नफरी, इसके परिचालनात्मक नेटवर्क पर स्टेशनों की संख्या और वित्तीय कार्य निष्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण-1 के रूप में संलग्न है। गत 5 वर्षों के दौरान वायुदूत द्वारा विमान से जोड़े गए स्टेशनों का विवरण 2, 3, 4, 5 और 6 में दिया गया है।

(ख) विमान क्षमता और अन्य संसाधनों संबंधी कठिनाइयों के कारण इस समय वायुदूत की सेवाओं का विस्तार करना संभव नहीं है। अतः वायुदूत में मौजूदा सेवाओं में सुधार और समेकन पर जोर दिया जाता है।

विवरण-1

वर्ष	विमानों की सं०	स्टेशनों की सं०	कुल लाभ/(हानि) (करोड़ रुपये में)
1988-89	21	98	(25.63)
1989-90	20	105	(35.82)
1990-91	21	48	(37.08)
1991-92	17	48	(30.59)
1992-93	16	36	(22.00) अनतिम

विवरण-2

1988-89—स्टेशनों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. कुडप्पाह
2. हैदराबाद
3. रामागुंडम
4. राजामुन्दरी
5. तिरुपति
6. विजयवाड़ा
7. विशाखापत्तनम

अरुणाचल प्रदेश

8. एलोंग
9. डीपारीजो
10. पासीघाट
11. तेजू
12. जीरो

असम

13. डिब्रूगढ़
14. गुवाहाटी
15. जोरहाट
16. लीलाबाड़ी
17. सिल्चर

बिहार

18. धनबाद
19. गया
20. जमशेदपुर
21. पटना
22. रांची

गुजरात

23. अहमदाबाद
24. भावनगर
25. कांडला
26. केशोड
27. पोरबंदर
28. राजकोट
29. सूरत

गोआ

30. गोवा

हरियाणा

31. हिसार

हिमाचल प्रदेश

32. कुल्लू

33. शिमला

जम्मू एवं कश्मीर

34. जम्मू
35. राजौरी

कर्नाटक

36. बंगलौर
37. बेलेरी
38. मैसूर

केरल

39. कोचीन

मध्य प्रदेश

40. भोपाल
41. बिलासपुर
42. गुना
43. ग्वालियर
44. इंदौर
45. जबलपुर
46. जगदलपुर
47. खजुराहो
48. रायपुर
49. रीवा
50. सतना

महाराष्ट्र

51. औरंगाबाद
52. अकोला
53. बम्बई
54. नागपुर
55. नांदेड
56. पूना
57. रत्नागिरी
58. शोलापुर

मणिपुर

59. इम्फाल

मेघालय

60. शिलांग

मिजोरम

61. एजवाल

नागालैंड

62. दीमापुर

उड़ीसा

63. भुवनेश्वर
64. जयपोर
65. राउरकेला

पंजाब

66. अमृतसर
67. भटिंडा
68. लुधियाना

राजस्थान

69. बीकानेर
70. जयपुर
71. जैसलमेर
72. जोधपुर
73. कोटा

तमिलनाडु

74. कोयम्बतूर
75. मद्रास
76. मदुरै
77. नेवेली
78. तंजावूर

त्रिपुरा

79. अगरतला
80. कमालपुर

81. कैलाशहर

उत्तर प्रदेश

82. आगरा
83. इलाहाबाद
84. देहरादून
85. गोरखपुर
86. कानपुर
87. लखनऊ
88. पंतनगर
89. रायबरेली
90. वाराणसी

पश्चिमी बंगाल

91. बेलूरघाट
92. कलकत्ता
93. कूच-बिहार
94. मालदा

केन्द्रशासित

95. चण्डीगढ़
96. दिल्ली
97. दमन
98. अगत्ती (लक्षद्वीप)

विवरण-3

1989-90—स्टेशनों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. कुडप्पाह
2. हैदराबाद
3. रामागुंडम
4. राजामुंदरी
5. तिरुपति
6. विजयवाड़ा
7. विशाखापत्तनम

अरुणाचल प्रदेश

8. एलोंग
9. दिपारीजो
10. पासीघाट
11. तेजू
12. जैरो

असम

13. डिब्रूगढ़
14. गुवाहाटी
15. जोरहाट
16. लीलाबाड़ी
17. सिल्चर

बिहार

18. धनबाद
19. गया
20. जमशेदपुर
21. पटना
22. रांची

गुजरात

23. अहमदाबाद
24. भावनगर
25. दीसा
26. कांडला
27. केशाड
28. पोरबन्दर
29. राजकोट
30. सूरत

गोआ

31. गोआ

हिमाचल प्रदेश

32. कुल्लू
33. शिमला

जम्मू एवं कश्मीर

34. जम्मू
35. राजौरी

कर्नाटक

36. बंगलौर
37. बेलेरी
38. बेलगांव
39. हुबली
40. मैसूर

केरल

41. कोचीन
42. कालीकट
43. त्रिवेन्द्रम

मध्य प्रदेश

44. भोपाल
45. बिलासपुर
46. गुना
47. इन्दौर
48. जबलपुर
49. जगदलपुर
50. खुजराहो
51. रीवा
52. रायपुर
53. सतना

महाराष्ट्र

54. अकोला
55. औरंगाबाद
56. बम्बई
57. कोल्हापुर
58. नागपुर
59. नासिक
60. नांदेड
61. उस्मानाबाद
62. पूना
63. रत्नागिरी
64. शोलापुर

मणिपुर

65. इम्फाल

मेघालय

66. शिलांग

मिजोरम

67. एजवाल

नागालैंड

68. दीमापुर

उड़ीसा

69. भुवनेश्वर
70. जयपोर
71. राउरकेला

पंजाब

72. अमृतसर
73. भटिंडा
74. लुधियाना

राजस्थान

75. बीकानेर
76. जयपुर
77. जैसलमेर
78. जोधपुर

79. कोटा

तमिलनाडु

80. कोयम्बतूर

81. मद्रास

82. मदुरै

83. नेवेली

84. तंजावूर

85. तिरुचिरापल्ली

त्रिपुरा

86. अगरतला

87. कमालपुर

88. कैलाशहर

उत्तर प्रदेश

89. आगरा

90. इलाहाबाद

91. देहरादून

92. गोरखपुर

93. कानपुर

94. लखनऊ

95. पंतनगर

96. वाराणसी

पश्चिमी बंगाल

97. बेलूरघाट

98. कलकत्ता

99 कूच-बिहार

100. मालदा

केन्द्रशासित

101. चण्डीगढ़

102. दिल्ली

103. दमन

104 पांडिचेरी

105. अगत्ती (लक्षद्वीप)

विवरण-4

1990-91—स्टेशनों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद

2. राजमुन्दरी

3. तिरुपति

4. विजयवाड़ा

असम

5. गुवाहाटी

6. जोरहाट

7 लीलाबाड़ी

8. सिल्चर

बिहार

9. जमशेदपुर

गुजरात

10. अहमदाबाद

11. बड़ौदा

12 भावनगर

13. कांडला

14. केशोद

15. पोरबंदर

16. राजकोट

17 सूरत

गोआ

18. गोवा

हिमाचल प्रदेश

19. गग्गल (धर्मशाला)
20. कुल्लू
21. शिमला

कर्नाटक

22. बंगलौर
23. बेलगाम

केरल

24. कोचीन

महाराष्ट्र

25. औरंगाबाद
26. बम्बई
27. कोल्हापुर
28. नासिक
29. पूना

मेघालय

30. शिलांग

मिजोरम

31. एजवाल

पंजाब

32. लुधियाना

राजस्थान

33. जैसलमेर
34. जोधपुर

तमिलनाडु

35. कोयम्बतूर
36. मद्रास

त्रिपुरा

37. अगरतला
38. कैलाशहर

उत्तर प्रदेश

39. देहरादून
40. कानपुर
41. लखनऊ
42. पंतनगर

पश्चिमी बंगाल

43. कलकत्ता
44. कूच-बिहार

केन्द्रशासित

45. चण्डीगढ़
46. दिल्ली
47. पांडिचेरी
48. अगत्ती (लक्षद्वीप)

विवरण-5

1991-92 —स्टेशनों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद
2. राजामुन्दरी
3. तिरुपति
4. विजयवाड़ा

असम

5. गुवाहाटी
6. जोरहाट
7. लीलावाड़ी
8. सिल्चर

बिहार

9. जमशेदपुर

गुजरात

10. अहमदाबाद

11. बड़ोदा

12. भावनगर

13. कांडला

14. केशोद

15. पोरबंदर

16. राजकोट

17. सूरत

गोवा

18. गोवा

हिमाचल प्रदेश

19. गग्गल (धर्मशाला)

20. कुल्लू

21. शिमला

कर्नाटक

22. बंगलोर

23. बेलगाम

केरल

24. कोचीन

महाराष्ट्र

25. औरंगाबाद

26. बंबई

27. कोल्हापुर

28. नासिक

29. पूना

मेघालय

30. शिलांग

मिजोरम

31. एजवाल

पंजाब

32. लुधियाना

राजस्थान

33. जैसलमेर

34. जोधपुर

35. उदयपुर

तमिलनाडु

36. कोयम्बतूर

37. मद्रास

त्रिपुरा

38. अगरतला

39. कैलाशहर

उत्तर प्रदेश

40. देहरादून

41. कानपुर

42. लखनऊ

पश्चिमी बंगाल

43. कलकत्ता

44. कूच-बिहार

केन्द्रशासित

45. चंडीगढ़

46. दिल्ली

47. पांडिचेरी

48. अगत्ती (लक्ष्यद्वीप)

विवरण-6

1992-93—स्टेशनों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद
2. राजामुन्द्री
3. तिरुपति
4. विजयवाड़ा

बिहार

5. जमशेदपुर

गुजरात

6. कांडला
7. केशोड
8. पोरबंदर
9. राजकोट

हिमाचल प्रदेश

10. गग्गल (धर्मशाला)
11. कुल्लू
12. शिमला

कर्नाटक

13. बेलगाम

केरल

14. कोचीन

महाराष्ट्र

15. बम्बई
16. कोल्हापुर
17. नांदेड*
18. पूना

*अस्थायी तौर पर स्थगित

मेघालय

19. शिलांग*

मिजोरम

20. एजवाल

पंजाब

21. लुधियाना

तमिलनाडु

22. कोयम्बतूर
23. मद्रास
24. मदुरै
25. तूतीकोरीन

त्रिपुरा

26. अगरतला

उत्तर प्रदेश

27. देहरादून
28. लखनऊ*

पश्चिमी बंगाल

29. बागडोगरा
30. कलकत्ता
31. कूचबिहार

केन्द्रशासित

32. चण्डीगढ़
33. दिल्ली
34. द्वीव
35. पांडिचेरी
36. अगत्ती (लक्षद्वीप)

[हिन्दी]

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का स्थानांतरण

5534. श्री यशवन्तराव पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्द्रप्रस्थ बिजली घर दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी नहीं। डेसू द्वारा विद्युत केन्द्र में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

सिंचाई क्षमता के लिए धन

5535. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री 7 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ से बचे हुए शेष क्षेत्र को सिंचाई के प्रयोजन के लिए प्रयोग करने हेतु सुरक्षित रखने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने वित्तीय परिव्यय में कम प्राथमिकता दी है जिसके कारण सिंचाई क्षमता कम बढ़ाई जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु सरकार ने कुल कितनी धनराशि आवंटित की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान किया गया क्षेत्र सिंचाई कार्यों के लिए उपलब्ध है। अब तक 81 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सिंचाई को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है और 15.8 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में, 28,391.80 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए आवंटित की गयी धनराशि निम्नवत है :

(i) 1990-91	3551.55 करोड़ रुपए
(ii) 1991-92	4045.11 करोड़ रुपए
(iii) 1992-93	4215.99 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

5536. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित पर्यावरणीय रक्षा निधि ने कहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में स्वतंत्र रूप से जांच करने वाली समिति ने यह बताया है कि विश्व बैंक तथा भारत की ओर से इस संबंध में अत्यधिक लापरवाही तथा उपेक्षा बरती गई;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सरदार सरोवर परियोजना पर विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई स्वतंत्र पुनरीक्षा के तथ्यों के आधार पर, वाशिंगटन स्थित पर्यावर्णिक रक्षा निधि ने विश्व बैंक के संयुक्त राष्ट्र कार्यकारी निदेशक को 23-10-1992 को पत्र लिखा था जिसमें परियोजना को वित्त देना जारी रखने के बैंक के निर्णय की आलोचना की गयी है तथा परियोजना को बैंक द्वारा वित्त पोषण रद्द करने की मांग की गयी है। स्वतंत्र पुनरीक्षा ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यतः पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीतियों और उनके कार्यान्वयन तथा पर्यावर्णिक मुद्दों से संबंधित अध्ययनों में कमियों पर प्रतिकूल टिप्पणी की है।

भारत सरकार ने बैंक को अपने विस्तृत उत्तर में इन मुद्दों को स्पष्ट किया है। इस उत्तर के आधार पर विश्व बैंक ने 23 अक्तूबर, 1992 को हुई अपनी बैठक में सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना को वित्त देना जारी रखने का निर्णय किया है बशर्ते कि अप्रैल, 1993 में कार्य निष्पादन बेंचमार्कों के रेट पर स्वीकृत कारवाई योजना के अनुसार कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की जाये। तथापि, बाद में भारत सरकार ने बैंक क्रेडिट/ऋण के बकाया हिस्से में से और संवितरण करने की मांग न करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के जाली दस्तखतों पर टेलीफोन कनेक्शन

5537. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के जाली दस्तखतों के आधार पर लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसकी पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

(ग) अभी हाल में ही पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(घ) अब माननीय संसद सदस्यों के पत्रों में उनके हस्ताक्षरों की नमूना जांच की जाती है ताकि संदेहास्पद स्थिति में संबंधित संसद सदस्य को इसकी जानकारी दी जा सके।

[अनुवाद]

कन्नड़ में समाचारों का दूरदर्शन पर प्रसारण

5538. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन से प्रतिदिन सुबह कन्नड़ में समाचार प्रसारित करने की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से कन्नड़ में प्रातःकालीन समाचार टेलीकास्ट करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, प्रसारण समय, संसाधनों तथा जन शक्ति की बाध्यता के कारण इन अनुरोधों को मान लेना संभव नहीं पाया गया है।

गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र

5539. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान गुजरात में नए आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। 1993-94 के दौरान आहुवा में 1 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर तथा एक बहुउद्देशीय स्टूडियो सहित एक नए रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की परिकल्पना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलादेश में भारतीय परिक्षेत्र

5540. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश की भारतीय सीमा में स्थित उनके परिक्षेत्र में प्रवेश के लिए तीन बीघा गलियारा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश की सीमा में स्थित भारतीय परिक्षेत्र में प्रवेश के लिए बंगलादेश ने गलियारे के रूप में किस क्षेत्र को प्रदान किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। जैसाकि भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 के अनुच्छेद-14 में निर्दिष्ट है, तीन बीघा कारीडोर बंगलादेश को स्थायी तौर पट्टे पर दिया गया था। तीन बीघा कारीडोर बंगलादेश के सवारी वाहनों और यात्री वाहनों को भारतीय क्षेत्र में उनके एनक्लेवों, यथा—दाहाग्राम और अंगारपोटा में प्रवेश के लिए 26 जनवरी, 1992 को खोला गया था ।

(ख) भारत और बंगलादेश के बीच किसी ऐसे क्षेत्र के लिए कोई करार नहीं है जिसे बंगलादेश ने भारत को बंगलादेश में भारतीय एनक्लेवों में प्रवेश के लिए कारीडोर के रूप में उपलब्ध कराया हो । तथापि, भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 के अनुच्छेद 12 के अनुसार बंगलादेश में भारतीय एनक्लेव और भारत में बंगलादेश के एनक्लेव अदले-बदले जाएंगे ।

[हिन्दी]

विमान किराये में वृद्धि

5541. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विमान किराये में कितनी बार वृद्धि की गयी; और

(ख) किरायों में प्रत्येक बार की गयी वृद्धि की प्रतिशतता का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा किराये में की गई वृद्धि का विस्तृत ब्योरा क्रमशः विवरण 1, 2 और 3 के रूप में संलग्न है ।

विवरण-I

विभिन्न सैक्टरों पर किरायों में की गई वृद्धि को दिखाने वाला विवरण —एयर इंडिया

प्रभावी तारीख	अमरीकी/ कनाडा (एटलांटिक)	यू० के०	यूरोप	मध्य पूर्व	अफ्रीका	दक्षिण पूर्वी एशिया	जापान/ कोरिया	दक्षिण पूर्वी प्रशांत	अमरीका/ कनाडा (प्रशांत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-4-1990			प्रोत्साहन किरायों पर 10%		बी ओ एम/ एम आर यू 10.1% डी ई एल/ एम आर यू 30.3% वाई जी बी किराये	प्रथम श्रेणी 8% सामान्य इकानॉमी 5% वाई ई एम/सी सी यू/एम एन एल 5% सभी अन्य प्रोत्साहन कि० किराये 10%			
16-4-1990	9.6% और 19% के बीच सभी किराये		सामान्य किराये पर 5%		केनिया और नाइजीरियों को छोड़कर सभी इयाटा किरायों पर 5%				

15-5-1990					दिल्ली से प्रथम श्रेणी पर 5% सी सी यू से प्रथम श्रेणी पर 8% पी ई एक्स किरायों पर 4% को छोड़कर सभी किरायों पर 10%	
1-6-1990		भारत/खाड़ी/ केनिया से त्रि-पक्षीय किरायों पर 8%	भारत/खाड़ी/ केनिया से त्रि-पक्षीय किरायों पर 8%	सभी इयाटा किराये किनिया को 5%		उत्तरी/कनाडा प्रशांत से होकर विश्व भर के किरायों पर 10%
15-6-1990	भारत/यू० के०/ किनिया त्रिपक्षीय किराये पर बंबई से होकर 25%			भारत/यू०के०/ केनिया त्रिपक्षीय किराये पर बंबई से होकर 25%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-7-1990	प्रथम और इकानामी किरायों पर 7% क्लब श्रेणी किरायों पर 11.86%								
15-8-1990			प्रथम और इमानामी किरायों पर 7% और क्लब श्रेणी किरायों पर 11.87% वाई इ और वाई जीवी किरायों पर 15% एम ओ डब्ल्यू को वाई अंड किराये पर 27.54%						

1-10-1990	कनाडा के अलावा सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी सामान्य किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%
15-11-1990					मिस्र के सिवाय सामान्य किरायों पर 10% मिस्र को सामान्य किराये पर 5% मिस्र और ईरान के सिवाय जी आई टी किरायों पर 15% मिस्र और ईरान को जी आई टी किराये पर 8% उमराह पर 10% डी एक्स बी/एस				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					एच जे को वाई ई किरायों पर पर 15% जे इ डी/एम इ सी किराये				
1-12-1990							जापान को सभी किरायों पर 7%		
1-1-1991	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर 7%		सभी किरायों पर 7%	सभी किरायों पर %
1-1-1991					भारत/सिंगा/एम आर यू त्रि-पक्षीय किरायों पर 7%	भारत/सिंगा/एम आर यू त्रि-पक्षीय किरायों पर 7%			
1-1-1991		भारत/यू०के०/केनिया त्रिपक्षीय किरायों पर 7%			भारत/यू०के० केनिया त्रिपक्षीय किरायों पर 7%				

2-4-1991						प्रथम और इकानॉमी किरायों पर 7%+7% सभी प्रोत्सा-हन किरायों पर 15%	
5-4-1991							प्रथम और इकानॉमी विश्व भ्रमण किरायों पर 15%
5-4-1991	प्रथम श्रेणी किराये पर 7%+10% इकानॉमी श्रेणी किरायों पर 10% जी आई टी के सिवाय प्रोत्साहन किराये पर 12% जी	ती सी यू/ एम ए ए के सिवाय सामान्य किराये पर 5% सी सी यू एम ए ए सामान्य किरायों पर 3% प्रोत्सा-हन किरायों	सी सी यू/ एम ए ए के अलावा सामान्य किरायों पर 7% सी सी यू एम ए ए से सामान्य किरायों पर 5% प्रोत्सा-हन किराये	प्रथम और इकानॉमी किराये पर 7%+ 10% उमराह किराये पर 10% जी आई टी और वाई इ 3 एम किरायों पर	प्रथम और इकानॉमी किरायों पर 7%+ 7% वाई इ 3 एम किरायों पर 10% जी आई टी किरायों पर 5% वाई इ 60 किराये		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आई टी किराये पर 15%	पर 7%	पर 89%	15%	से एन बी ओ और वाई ई 35 किराये से एम आर ओ पर 10% जी बी किराये से एम आर यू पर 5%				
6-4-1991		भारत/यू०के०/ केनिया त्रिपक्षीय किराये पर 10%			भारत/यू०के०/ केनिया त्रिपक्षीय किराये पर 10%				
1-6-1991					भारत/एम आर यू/सिगा/ त्रिपक्षीय किराये पर 10%	भारत/ एम आर यू/ सिगा त्रिपक्षीय किराये पर 10%			

1-10-1991					भारत/एम आर यू/सिगा त्रिपक्षीय किराये पर 15%	भारत/एम आर यू/सिगा/ त्रिपक्षीय किराये पर 15%			
1-10·1991	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10%	सभी किराये पर 10%
1-12-1991	कनाडा को छोड़कर प्रोत्सा-हन किरायों को 3%								
27-12-1991		भारत/यू०के०/ केनिया त्रिपक्षीय किरायों पर 2%			भारत/यू० के०/केनिया त्रिपक्षीय किरायों पर 2%				
4-1-1992	कनाडा को प्रोत्साहन किराये पर 3%								
10-4-1992				प्रथम, इकानॉमी और प्रोत्साहन किरायों पर 10%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13-4-1992			सामान्य और प्रोत्साहन किरायों पर 10%						
15-4-1992					प्रथम, इकानॉमी और प्रोत्साहन किराये पर 10% दिल्ली से अफ्रीका को वाई ई 3 एम किरायों को छोड़ कर, दिल्ली से अफ्रीका को वाई ई 3 एम किराये पर 5%				
28-4-1992	कनाडा को छोड़कर प्रथम और इकानॉमी और प्रोत्साहन किराये पर 12%								

1-5-1992	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%	सभी किराये पर 15%
12-5-1992	प्रथम, कनाडा के लिए प्रथम, इकानामी और प्रोत्साहन किराये पर 12%								
1-6-1992							सामान्य और प्रोत्साहन किराये पर 10%	सामान्य और प्रोत्साहन किराये पर 10%	
1-9-1992						सामान्य और प्रोत्साहन किराये पर 10%			
1-10-1992									प्रथम, इका-नॉमी और प्रोत्साहन किराये पर 15%
1-1-1993	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%	सभी किराये पर 8.5%

विवरण -II

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा बढ़ाए गए किराए को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

—11 अप्रैल, 1990

कुल किरायों पर 15.7 प्रतिशत की वृद्धि। बढ़ी हुई राशि को इंधन अधिभार में जोड़ दिया गया है।

—1 जुलाई, 1990

भारत सरकार द्वारा कुल किराये का 15 प्रतिशत तक मूल किराये के 10 आई० ए० टी० टी० तक बढ़ाया गया।

—26 सितम्बर, 1990

खाड़ी निष्क्रमण अधिभार शुरू कुल किराये की 10 प्रतिशत की दर से शुरू किया गया।

—7 अक्तूबर, 1991

खाड़ी निष्क्रमण अधिभार को इंधन अधिभार के साथ मिला दिया गया। कुल किराये को 9 प्रतिशत तक मूल किराये में वृद्धि। कुल किराये में 11 प्रतिशत तक इंधन अधिभार की वृद्धि।

—2 अक्तूबर, 1992

इंधन अधिभार का किराया कुल किराये के 9 प्रतिशत तक वृद्धि।

विवरण-III

वायुदूत द्वारा बढ़ाए गए किराए को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

—अप्रैल, 1990

कूल किराये पर 23-4-90 से 15.7 प्रतिशत की वृद्धि।

—जुलाई, 1990

आई० ए० टी० टी० ने मूल किराये के 10 प्रतिशत से भारत सरकार द्वारा कुल किराये का 15 प्रतिशत तक की वृद्धि।

—सितम्बर, 1990

खाड़ी निष्क्रमण अधिभार कुल किराये की 10 प्रतिशत की दर से शुरू किया गया।

—अक्तूबर, 1991

खाड़ी निष्क्रमण अधिभार को इंधन अधिकार के साथ मिला दिया गया। कुल प्रभार 20 प्रतिशत तक बढ़ा।

—मार्च, 1992

20 मार्च, 1992 से कुल सेक्टरों के संबंध 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि कुल किराये में।

—सितम्बर, 1992

14 सितम्बर, 1992 से उत्तर पूर्वी सेक्टर के संबंध कुल किराये में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आयातित नौकाएं

5542 प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में चलाने के लिए मैक्सिको से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं आयात की गई हैं;

(ख) क्या इन नौकाओं के लिए तत्कालीन नौवहन विकास कोष समिति ने धन उपलब्ध कराया था;

(ग) इनमें से कितनी नौकाएं इस समय बिना उपयोग के पड़ी हैं; और

(घ) इन नौकाओं को पुनः उपयोग में लाने के लिए इनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) भारत में विभिन्न मात्स्यिकी कम्पनियों द्वारा मैक्सिको से कुल 32 जलयान आयात किए गए थे जिनमें वह 18 जलयान भी शामिल हैं जिनके लिए तत्कालीन नौवहन विकास कोष समिति ने सहायता दी थी, इनमें से 11 जलयान विशाखापत्तनम बेस पत्तन से संचालित हो रहे हैं।

(ग) इनमें से 4 जलयान इस समय विसाखापत्तनम में खाली पड़े हैं।

(घ) तत्कालीन नौवहन विकास कोष समिति द्वारा सहायित रुग्ण गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों को राहत देने के लिए अप्रैल, 1991 में एक पुनर्वास स्कीम की घोषणा की गई थी जिसे जून, 1992 में और उदार बना दिया गया था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में "पे फोन"

5543. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में "पे फान" कनेक्शन आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, विकलांगों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को किन-किन स्थानों पर कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) क्या इन टेलीफोन कनेक्शनों के आवटन के संबंध में कोई अनियमितताएं पायी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जाति, विकलांग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों सहित टेलीफोन उन सभी व्यक्तियों को उदारतापूर्वक आबंटन किए जाते हैं जो इसके लिए स्वेच्छा से आवेदन करते हैं। अतः श्रेणी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

5544. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन टेलीफोन एक्सचेंजों से नये टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन रोक दिया गया है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो वे कहां खोले जायेंगे और उनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी; और

(घ) दिल्ली में इन वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और नए एक्सचेंजों को लगाये जाने के बाद टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और पूर्ति की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 1993-94 में एम० टी० एन० एल०, नई दिल्ली द्वारा एक्सचेंज चालू करने संबंधी अनन्तिम कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1993-94 के दौरान दिल्ली टेलीफोन का एक्सचेंज चालू करने संबंधी अनंतिम कार्यक्रम :

		ई-10-बी उपस्कर
1.	शक्ति नगर	20 के
2.	शाहदरा मुख्य	10 के
3.	गोल्डन पार्क आर० एल० यू०	3 के
4.	लक्ष्मीनगर विस्तार	4 के
5.	दिल्ली टी० एल० यू० एस०	4 के
6.	शक्तिनगर विस्तार	5 के
	कुल	46 के

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय मिशन

5545. श्री विजय नवल पाटिल :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन देशों में भारतीय मिशन खोले गए, किन-किन देशों में उनका दर्जा बढ़ाया गया तथा किन-किन देशों में ये मिशन बन्द किए गए;

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसा करने के लिए क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशों में कई भारतीय मिशनों के प्रमुखों को पड़ोसी देशों में स्थित भारतीय मिशनों का कार्यभार सौंपा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो 15 मार्च, 1993 तक देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई देशों में भारतीय मानद वाणिज्य दूत/महावाणिज्य दूत कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो 15 मार्च, 1993 को तत्संबंधी ब्यौरा क्या था;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसे वाणिज्य/महावाणिज्य दूतों को उच्चायुक्त/राजदूत बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) एक जनवरी, 1991 से अब तक निम्नलिखित देशों में भारतीय मिशन खोले गए हैं :

1.	उक्रेन	8-5-92
2.	कजाकस्तान	9-5-92
3.	बेलारूस	14-5-92
4.	इजरायल	15-5-92
5.	रूस :	
(I)	भारत का प्रधान कोंसलावास, ब्लादीवोस्तोक	9-9-92
(II)	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट पीटर्सबर्ग	13-1-93
6.	चीन :	
	भारत का प्रधान कोंसलावास, शंघाई	16-11-92

इसके अतिरिक्त ताशकन्द (उजबेकिस्तान) में स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास का 13-3-92 से दर्जा बढ़ाकर राजदूतावास कर दिया गया।

इस अवधि के दौरान मोगादिशियो में राजदूतावास को 8 जनवरी, 1991, बसरा को कोंसलावास को 15 जनवरी, 1991, अफगानिस्तान में राजदूतावास को 6 फरवरी, 1993 से

अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया और कोलम्बिया में राजदूतावास को मार्च, 1993 से बन्द कर दिया गया। मालावी और जाइरे स्थित मिशनों को भी बन्द किया जाना है।

इन देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के विचार से तेजी से बदलते हुए शीत—युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सन्दर्भ में नए मिशन खोले गए हैं। उनका दर्जा बढ़ाया गया है। जहां तक बन्द किए गए मिशनों का सम्बन्ध है, सोमालिया और अफगानिस्तान में राजदूतावास और बसरा में कौंसलावास कार्यात्मक कारणों से अस्थायी रूप से बन्द कर दिए गए और मालावी कोलम्बिया और जाइरे स्थित मिशन भी मितव्ययिता की वजह से बन्द किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां। विवरण-I संलग्न है।

(ङ) से (ज) जी हां।

इन देशों में राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर की समीक्षा उभर कर सामने आ रही राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य अपेक्षाओं के सन्दर्भ में नियमित रूप से की जाती है। अद्यतन स्थिति दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

क्र० सं०	देश	आवासी भारतीय मिशन से प्रत्यायित
1	2	3
1.	अंगयूला	त्रिनिडाड और टोबागो
2.	अंटीगुआ और बारबूडा	त्रिनिडाड और टोबागो
3.	अर्मेनिया	उक्रेन
4.	अरूबा	वेनेजुएला
5.	अजरबैजान	उजबेकिस्तान
6.	बहामास	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
7.	बारबाडोस	सूरीनाम
8.	बेलीज	मैक्सिको
9.	बेनिन	नाइजीरिया
10.	बोलीविया	पेरू
11.	बुरकीना फासो	घाना
12.	बुरूण्डी	उगान्डा
13.	कैमरून	नाईजीरिया

1	2	3
14.	केप वर्डे	सेनेगल
15.	केमैन द्वीप	जमाइका
16.	चाड	नाइजीरिया
17.	कोलम्बिया	वेनेजुएला
18.	कोमोरोस	मडागास्कर
19.	कांगो	नैरोबी
20.	कोस्टारिका	पनामा
21.	जिबूती	इथोपिया
22.	डोमीनिकन गणराज्य	गयाना
23.	अल सल्वाडोर	मैक्सिको
24.	एस्टोनिया	फिनलैंड
25.	इक्वेटोरियल गिनी	जाइरे
26.	इक्वाडोर	पेरू
27.	गैबोन	अंगोला
28.	गाम्बिया	सेनेगल
29.	जार्जिया	उक्रेन
30.	ग्वाटेमाला	मैक्सिको
31.	ग्रेनेडा	त्रिनिडाड और टोबागो
32.	गिनी	आइवरी कोस्ट
33.	गिनी बिसाऊ	सेनेगल
34.	होली सी	स्विटजरलैंड
35.	आइसलैंड	नार्वे
36.	किर्गीजिस्तान	कजाकस्तान
37.	किरीबाती	न्यूजीलैंड
38.	लात्विया	स्वीडन
39.	लेथोसो	बोत्सवाना

1	2.	3
40.	लाइबेरिया	घाना
41.	लिथुआनिया	पोलैंड
42.	लक्समबर्ग	बेल्जियम
43.	मकाऊ	हांगकांग
44.	माली	सेनेगल
45.	मारीतिनिया	अल्जीरिया
46.	माल्दोवा	रोमानिया
47.	मांटेसेरत	त्रिडिडाड और टोबागो
48.	नीदरलैंड एन्टीलीस	वेनेजुएला
49.	निकारागुआ	पनामा
50.	नाइजर	आइवरी कोस्ट
51.	फिलिस्तीन	तुनीसिया
52.	परागवे	अर्जेन्टीना
53.	रवाण्डा	उगाण्डा
54.	सोल्वाक गणराज्य	चैक गणराज्य
55.	सोलोमन द्वीप	आस्ट्रेलिया
56.	सेंट क्राइस्टोफर और नेविस	त्रिनिडाड और टोबागो
57.	सेंट लूसिया	गयाना
58.	सेंट विन्सेंट एंड दि ग्रेनेडाइन्स	गयाना
59.	साओ टोम एंड प्रिंसिप	अंगोला
60.	स्वाजीलैंड	मोजाम्बिक
61.	सीयरा लिओन	आइवरी कोस्ट
62.	टोगो	घाना
63.	टोंगा	न्यूजीलैंड
64.	तुवालु	न्यूजीलैंड
65.	तुर्कमेनिस्तान	उजबेकिस्तान
66.	टर्क और केकोस द्वीप	जमाइका

1	2	3
67.	वानुआतु	आस्ट्रेलिया
68.	सोल्वीनिया	आस्ट्रिया
69.	वेस्टर्न समोआ	न्यूजीलैंड
70.	उरूग्वे	अर्जेन्टीना

विवरण-II

शहर	देश	शहर	देश
अंतवर्प	बेल्जियम	अस्यूनसियोन	पराग्वे
बार्सिलोना	स्पेन	जिबूती	जिबूती गणराज्य
फ्रीटाउन	सिएरा लिओन	जिनेआ	इटली
घेंट	बेल्जियम		
होनोलुलु	सयुक्त राष्ट्र	ग्वाटेमाला	ग्वाटेमाला
हवाई	अमरीका	इस्तमाबुल	टर्की
इजमीर	टर्की	लीमासोल	साइप्रस
लिवोरनो	इटली	मेलबोर्न	आस्ट्रेलिया
		मांटे विडियो	उरुग्वे
मनरोविया	लाइबीरिया	न्यू ओरलीन्स	संयुक्त राष्ट्र
म्यूनिक	जर्मनी	लुईसीयाना	अमेरिका
डोला	जाम्बिया	आलिवलैंड	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
		ओहायो	
स्टटगार्ट	जर्मनी	टेनेराइफ	स्पेन
क्यूटो	इक्वाडोर	ज्यूरिक	स्विटजरलैंड

तमिलनाडु में नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

5546. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में किन-किन स्थानों पर दस हजार लाइनों के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ख) इन्हें कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तमिलनाडु के निम्नलिखित नगरों में दस हजार लाइनों वाले स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है :

—मद्रास

—कोयम्बटूर

(ख) 1993-94 के दौरान इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के चालू हो जाने की आशा है ।

कर्नाटक में हवाई पट्टियों का विकास

5547. **श्री सी० माडेगौड़ा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से गुलबर्गा/हसन/बेल्लारी में हवाई पट्टियों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इन हवाई पट्टियों का विकास हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) हवाई अड्डों तथा हवाई-पट्टियों का विकास, इन स्थानों से प्रजनित यातायात तथा एयरलाइन प्रचालकों द्वारा इन स्थानों के लिए सेवाएं शुरू करने की उनकी इच्छा पर निर्भर करता है । एयरलाइन प्रचालकों ने इन स्थानों के लिए सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजनाएं नहीं बताई हैं । राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस अवस्था में इन हवाई पट्टियों के उन्नयन की कोई योजना नहीं है ।

एन० एच० पी० सी० की विद्युत परियोजनाएं

5548. **श्री संतोपान भगवान थोरात** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा फिलहाल शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है और ये कब तक पूरी हो जायेंगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : इस समय राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा जो विद्युत परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं इनका ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-I हिमाचल प्रदेश	(3 × 180 मे०वा०)	2290.00	अक्तूबर, 1993

1	2	3	4	5
2.	सलाल जल विद्युत परियोजना, चरण-2 जम्मू व कश्मीर	(3 × 115 मे०वा०)	309.00	पहला यूनिट 31-3-93 को पूरा हो गया है। अन्य दो यूनिटों को मार्च, 1994 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
3.	दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, जम्मू व कश्मीर	(3 × 130 मे०वा०)	2271.00	एन० एच० पी० सी० और फ्रेंच कन्सोर्टियम के बीच हुए टर्न-की ठेके के अनुसार परियोजना को जुलाई, 1994 तक पूरा किया जाना था। तथापि कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं के कारण फ्रेंच कासोर्टियम ने कार्य रोक दिया है और उन्होंने अतिरिक्त लागत एवं समय के लिए अनुरोध किया है जिसकी जांच की जा रही है।
4.	उरी जल विद्युत परियोजना, जम्मू व कश्मीर	(4 × 120 मे०वा०)	2833.00	एन० एच० पी० सी० और स्वीडिश-ब्रिटिश कन्सोर्टियम के बीच हुए टर्न-की ठेके के अनुसार परियोजना को नवम्बर, 1995 तक पूरा किया जाना है।
5.	रंगीत जल विद्युत परियोजना, सिक्किम	(60 मे०वा०)	272.00	सितम्बर, 1996
6.	धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, चरण-I (उत्तर प्रदेश)	(4 × 70 मे०वा०)	855.00	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण एन० एच० पी० सी० अभी तक परियोजना का कार्य आरम्भ नहीं कर पाया है।
7.	कोयलकारा जल विद्युत परियोजना, बिहार	(710 मेगावाट)	1611.00	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण एन० एच० पी० सी० अभी तक परियोजना का कार्य आरम्भ नहीं कर पाया है।

भारत में विदेशी मिशन

5549. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार वो कौन-कौन से देश हैं जिनका हमारे देश में दूतावास/उच्चायोग नहीं हैं लेकिन भारत का वहां रेजीडेंट मिशन है;

(ख) 15 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार किन-किन देशों का भारत में दूतावास/उच्चायोग नहीं है;

(ग) क्या इनमें से किसी भी देश ने भारत में अपना मिशन खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन किया हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु कोई प्रयत्न करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) माल्टा, मालदीव, जमाइका, गयाना, सूरीनाम, उजबेकिस्तान, कजाकस्तान, बेलारूस, बोत्स्वाना, आइवरी-कोस्ट, मेडागास्कर, मालावी, मोजाम्बिक, नामीबिया और सेशल्स ।

(ख) संलग्न विवरणानुसार ।

(ग) और (घ) आर्मेनिया—जिसके अनुरोध की जांच की जा रही है ।

2. नामीबिया—भारत सरकार के करार की जानकारी दे दी गई है ।

(ङ) और (च) भारत सरकार की यह नीति है कि सभी मित्र स्वतंत्र देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत किए जाएं । ऐसा द्विपक्षीय यात्राओं और जहां संभव हो बातचीत का आयोजन करके किया जाता है ।

विवरण

(ख) 15 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार उन देशों की सूची जिनके भारत में कोई राजदूतावास/हाई कमीशन नहीं हैं ।

1. फिजी
2. कुक आइलैण्ड
3. किरीबाती
4. मार्शल आईलैण्ड
5. नौरू
6. न्यू केलेडोनिया
7. पपुआ न्यू गिनी
8. सोलोमन आइलैण्ड
9. टोंगो

10. तुवालू
11. वानुआतु
12. पश्चिमी समोआ
13. मालदीव
14. जमाइका
15. गयाना
16. सूरीनाम
17. एण्टीगुआ और बारबूडा
18. बारबाडोस
19. बेलीज
20. बोलीविया
21. कोलम्बिया
22. कोस्टा रीका
23. कामनवेल्थ ऑफ डोमिनिका
24. डोमिनिकन गणराज्य
25. इक्वाडोर
26. अल सल्वाडोर
27. ग्रेनेडा
28. ग्वाटेमाला
29. हाइती
30. होंडुरास
31. निकरागुआ
32. परागुए
33. सैण्ट क्रिस्टोफर एण्ड नेविस
34. सैण्ट लूसिया
35. सैण्ट विण्सेन्ट एण्ड द ग्रेनेडाइन्स
36. उरुग्वे

37. उजबेकिस्तान
38. कजाकस्तान
39. किर्गीस्तान
40. तुर्कमेनिस्तान
41. ताजिकिस्तान
42. अजरबैजान
43. एस्तोनिया
44. लिथुआनिया
45. लातिया
46. आर्मेनिया
47. जार्जिया
48. मोल्दोवा
49. क्रोशिया
50. बोस्निया हर्जेगोविना
51. स्लोवेनिया
52. अल्बानिया
53. बेलारूस
54. जिबूती
55. मारीतानिया
56. लिश्तेन्सतीन
57. मोनाको
58. सान मारियो
59. लक्समबर्ग
60. आइसलैण्ड
61. जिब्राल्टर
62. माल्टा

63. बेनिन

64. बोत्सवाना

65. बुर्किना फासो

66. बुरून्डी

67. केमरून

68. केप वर्दे आइलैण्ड्स

69. मध्य अफ्रीकी गणराज्य

70. चाड़

71. कोमोरोस

72. कोंगो

73. इक्वेटोरियल गिनी

74. गैबोन

75. गाम्बिया

76. गिनी

77. गिनी बिसाऊ

78. आइवरी कोस्ट

79. लेसोथो

80. लाइबेरिया

81. मैडागास्कर

82. मलावी

83. माली

84. मोजाम्बिक

85. नामीबिया

86. नाइजर

87. रवाण्डा

88. साओ तोमे एण्ड प्रिंसिप

89. सेशल्स

90. सियरा लियोने

91. स्वाजीलैण्ड

92. टोगो।

टिप्पणी :

1. बोस्निया-हर्जेगोविना को छोड़कर, जिसके साथ उस देश में संकटों को ध्यान में रखकर अभी तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं; इनमें से अधिकांश देश पड़ोसी देशों के से किसी एक देश में आवासी भारतीय मिशनों के साथ शामिल हैं।

2. हांगकांग, जहां भारत का एक आवासी मिशन है, का भारत में प्रतिनिधित्व यू० के० मिशन द्वारा किया जाता है।

3. बहरीन का केवल बम्बई में एक प्रधान कौंसल है।

दिल्ली और मुम्बई में टेलीफोन की बकाया देय राशि

5550. **श्री मोहन रावले :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के टेलीफोन प्रयोक्ताओं पर और विशेष रूप से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में, टेलीफोन की बहुत बड़ी देय राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उन टेलीफोन प्रयोक्ताओं का ब्यौरा क्या है जिन पर 31 मार्च, 1992 तक एक लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है तथा प्रत्येक पर बकाया राशि कितनी है;

(ग) जनवरी से दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान उनसे कितनी बकाया राशि वसूल की गई;

(घ) कुल बकाया राशि की वसूली हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) बकाया राशि जमा न कराने वाले प्रयोक्ताओं के विरुद्ध की गई अन्य कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) यूनिटों से सूचना मांगी गई है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा धार्मिक प्रचार

5551. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अयोध्या की घटना के बाद पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे धार्मिक प्रचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रचार के प्रचार का कोई विशेष मामला ज्ञात है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान से बात की है; और

(घ) यदि हां, उसकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) अयोध्या की घटनाओं के बाद पाकिस्तान के नेताओं ने तीक्ष्ण और उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिए थे। पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली और पाकिस्तान सीनेट ने अन्य बातों के साथ-साथ संकल्प पारित किए जिनमें मस्जिद के गिरने पर दुःख व्यक्त किया गया। पाकिस्तान ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के अल्पसंख्यकों का जिक्र भी किया।

(ग) और (घ) सरकार ने पाकिस्तानी नेताओं के पूरी तरह से अस्वीकार्य और नकारात्मक रूप से दुष्प्रेरित उन बयानों पर अपनी गंभीर आपत्ति और चिंता व्यक्त की जिनसे सार्वजनिक राय भड़कती है और हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का मामला बनता है। पाकिस्तान को राजनैतिक और राजनयिक दोनों प्रकार के माध्यम से यह बता दिया गया है कि भारत की घटनाओं पर पाकिस्तान की कोई आधिकारिक स्थिति नहीं बनती और उसकी उत्तेजना पैदा करने वाली कार्रवाई और दुष्प्रचार से स्थिति केवल खराब ही होगी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। पाकिस्तान को शिमला समझौते के प्रावधानों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मौलिक सिद्धान्तों, जिनमें किसी सम्प्रभुता सम्पन्न देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप शामिल है, का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड

5552. **डा० डॉ० वेंकटेश्वर :**
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स लिमिटेड के सामने देश में अपने एककों की स्थापना करने हेतु क्या शर्तें रखी गई हैं;

(ख) क्या कंपनी ने सभी शर्तें पूरी की थीं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार के एक दल ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्यात आंकड़ों का मूल्यांकन किया है;

(ङ) क्या सरकार को निर्यात कारोबार बढ़ाने की योजना के संबंध में कंपनी से कोई आश्वासन मिला है;

(च) क्या सरकार ने इस योजना का अध्ययन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(क) मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड को आलू/खाद्यान्न पदार्थ, प्रसंस्करण एकक, सब्जी उत्पादों के प्रसंस्करण और मृदु पेय सांद्रण के लिए आशय-पत्र/विदेशी सहयोग अनुमोदन (जिसे बाद में मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड के नाम में हस्तांतरित किया गया था) मंजूर किए गए थे। सामान्य शर्तों के अलावा कुछ विशेष शर्तें भी आशय-पत्र/विदेशी सहयोग अनुमोदन में दी गई थी, जो इस प्रकार है :

1. मृदु पेय सांद्रण निर्माण का कारोबार किसी भी वर्ष में उस वर्ष के कम्पनी के कुल कारोबार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2. परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल कारोबार के 50 प्रतिशत का निर्यात करेगी जिसमें से 40 प्रतिशत कम्पनी के अपने निर्मित उत्पादों में से और 10 प्रतिशत दूसरों द्वारा निर्मित चयन-सूची उत्पादों में से किया जाएगा। उपर्युक्त 10 वर्ष की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की आमदनी, खर्च की गई विदेशी मुद्रा के 5 गुने से कम नहीं होगी।

3. मृदु पेय सांद्रण तैयार करने के लिए स्वामित्व वाले घटकों का आयात नहीं किया जाएगा और यथासम्भव देश के अन्दर उपलब्ध कच्चे मालों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। स्वदेश में अप्राप्त किसी कच्चे माल और रसायनों के आयात को समय-समय पर लागू आयात नीति द्वारा विनियमित किया जाएगा और विशेष आयात रियायतों की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

4. घरेलू बिक्रियों के लिए विदेशी ब्रांड नामों की अनुमती नहीं दी जाएगी।

5. परियोजना की निर्यात क्षमता और वास्तविक निर्यात-निष्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे जिसमें मृदु पेयों का निर्यात भी शामिल होगा।

(ख) और (ग) कम्पनी को मंजूर किए गए आशय-पत्र/विदेशी सहयोग अनुमोदन की शर्तों के तथाकथित कुछ उल्लंघनों को सरकार के ध्यान में लाया गया है जिन पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदलना

5553. **श्री चित्त बसु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 13 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कलकत्ता हवाई अड्डे का नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर औपचारिक नामकरण इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाए जाने के बाद ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम के एक मांग के रूप में नये टर्मिनल भवन का निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है। टर्मिनल भवन के मार्च, 1994 में पूरा हो जाने की आशा है।

आंध्र प्रदेश में डार्क एरिया वाले जिले

5554 **श्री धर्म भिक्षम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के उन क्षेत्रों का जिलावार ब्योरा क्या है जिन्हें "नाबार्ड" ने डार्क एरिया के अंतर्गत शामिल किया है;

(ख) क्या इस संबंध में पुनः सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) आंध्र प्रदेश मे नाबार्ड द्वारा डार्क क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों का जिलेवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने 1992-93 के दौरान 28 डार्क तालुकों में से 3 तालुकों अर्थात् अनन्तपुर जिले में धर्मावरम तालुक और चित्तूर जिले में चित्तूर और बंगारूपलेम तालुकों में पुनर्मूल्यांकन जल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं। बोर्ड ने 1993-94 के दौरान 2 और डार्क तालुकों अर्थात् कुडप्पा जिले में कमालपुरम तालुका और नालगोंडा तालुका में पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

नाबार्ड द्वारा आंध्र प्रदेश में डार्क क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र का जिलेवार विस्तृत ब्योरा

क्रम सं०	जिला	डार्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आंकड़े
1	2	3
1.	अनन्तपुर	धर्मावरम
2.	चित्तूर	बंगारूपलेम
		चित्तूर
3.	कुडप्पा	कमालपुरा
4.	करीमनगर	गंगाधारा
		हुसनाबाद
		हुजूराबाद

1	2	3
		सिरसिला
5.	कृष्णा	नूजीवीडू
		विजयवाडा
6.	मेडक	मेडक
		सिद्दीपेट
7.	नालगोंडा	चन्दूर
		नाकरेकल
		नालगोंडा
		यादगिरीगुट्टा
		इन्दुकुरपेट
8.	नेल्लोर	कोवूर
9.	निजामाबाद	भीमगल
		कामारेड्डी
10.	रंगारेड्डी	राजेन्द्र नगर
11.	वारंगल	घानपुर
		जनगांव
		महबूबाबाद
		मारितापेडा
		पारकल
		वर्धनापेटा
		वारंगल
		हनुमानकोंडा (आर०)
	कुल :	28

केरल में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरण

5555. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास और विस्तार के लिए केरल में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्थानीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

क्रम सं०	एक्सचेंज का प्रकार	चालू किए गए एक्सचेंजों की संख्या			कुल
		1990-91	1991-92	1992-93	
1.	ई-10 बी/आर एल यू	2	6	6	14
2.	सी-डॉट डीएसएस मैक्स	—	—	1	1
3.	सी-डॉट एस बी एम	—	4	39	43
4.	एन ई ए एक्स-61 एस	1	—	—	1
5.	आई एल टी	22	26	40	88
6.	पीएएम 200 ईएसएएक्स	15	9	5	29
7.	सी-डॉट 128/256 पीएएक्स	71	113	132	315
8.	एम आई एस टी 64 पोर्ट	11	—	3	14
	कुल	122	157	226	505

(ii) पिछले तीन वर्षों में चालू किए गए डिजिटल टी ए एक्स निम्न हैं :

1990-91	एरनाकुलम
1991-92	त्रिवेन्द्रम, कोट्टायम और कालीकट
1992-93	त्रिचुर, कन्नानोर और पथानमथिट्टा (सी-डॉट)

रख-रखाव संबंधी तालिकाएं तथा जांच के उपाय

5556. **श्री सुखेन्दु खां** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियमित तथा निर्धारित उड़ानें भरने वाले नागरिक विमानों के लिए निर्धारित विभिन्न रख-रखाव संबंधी तालिकाओं तथा जांच के उपायों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या विमान टैक्सी संचालकों को इन रख-रखाव संबंधी तालिकाओं तथा जांच के उपायों का पालन करना पड़ता है;

(ग) क्या विमान टैक्सी संचालकों के पास जांच के इन उपायों पर अमल करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विमान विनिर्माताओं द्वारा सिफारिश की गई निरीक्षण अनुसूचियों और अनुरक्षण-संबंधी योजना दस्तावेजों में निहित सिफारिशों के आधार पर, प्रचालकों द्वारा नेमी अनुरक्षण अनुसूचियों/जांच उपायों के ब्यौरे तैयार किए जाते हैं। इन अनुसूचियों/जांच उपायों में नेमी जांच, विशेष जांच तथा विमानों के लिए अनुरक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं। इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के लिए इस प्रकार निर्धारित अनुसूचियों/जांच उपाय, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्राधिकृत उनके गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। अन्य प्रचालकों के लिए अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा दिया जाता है।

(ख) नागर विमानन महानिदेशाल, अनुरक्षण संबंधी अनुसूचियों/जांचों का अनुमोदन करता है जिनका एअर टैक्सी प्रचालकों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है।

(ग) एअर टैक्सी प्रचालकों के पास ऐसे जांच उपायों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं हैं, जिसके लिए उनके पास नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति प्राप्त होती है।

(घ) इनमें से अधिकतर सुविधाएं दिल्ली, बम्बई आदि जैसे एयर टैक्सी प्रचालकों के बेसों पर स्थित है। तथापि, जिन प्रमुख जांचों के लिए एयर टैक्सी प्रचालकों के पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, विदेशों में अनुमोदित सुविधाओं पर पूरी की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में एस० टी० डी० सर्किट

5557. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में विभिन्न स्थानों के लिए एस० टी० डी० सर्किटों के असंतोषजनक कार्यकरण की जानकारी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में स्पीड पोस्ट सेवाएं

5558. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष आरम्भ की गई थी; और

(ख) अब तक इस योजना को किन-किन जिलों में लागू किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरूआत अगस्त, 1986 में हुई थी।

(ख) अहमदाबाद (गांधीनगर के एक्सटेंशन काउंटर सहित), बड़ोदरा और सूरत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा, गुजरात के निम्नलिखित शहरों में सीमित प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान की गई है :

(i) वलसाड

(ii) मेहसाणा

(iii) पालनपुर

(iv) हिम्मतनगर

(v) जामनगर

(vi) राजकोट

(vii) सुरेन्द्रनगर

(viii) भावनगर

(ix) जूनागढ़

(x) आणंद

(xi) वापी

(xii) अंकलेश्वर

(xiii) गांधीधाम

(xiv) कांडला

(xv) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस संचालन नियमावली में संशोधन

5559. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकों ने हाल ही में संचालन नियमावली में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्य के घंटों को दोगुना कर दिया गया है और उड़ान तथा ड्यूटी की समय सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह संशोधन करने से पहले संबंधित कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

असम में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु सहायता

5560. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाने के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी सहायता की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) असम राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	स्थान एवं क्षमता	दी गई अनुदान राशि
1	2	3	4
1.	बकरी संवर्धन फार्म के साथ भेड़ और बकरी के मीट के प्रसंस्करण संयंत्र असम लाइवस्टाक और पोलट्री कारपोरेशन लिमिटेड गुवाहाटी की परियोजना	गुवाहाटी में प्रति जानवर भेड़ और बकरी के मीट की क्षमता 1500-2000	50 लाख रुपए इक्विटी के रूप में और 40,000 अनुदान की राशि के रूप में तथा 50,000 रिपोर्ट पर
2.	असम लाइवस्टाक और पोलट्री कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा असम पोलट्री प्रसंस्करण, संयंत्र	गुवाहाटी में 4000 पक्षी/दिन क्षमता	62.5 लाख रुपये इक्विटी के रूप में 25.00 लाख ऋण के रूप में और 50,000 विस्तृत रिपोर्ट पर

1	2	3	4
3.	असम लाइवस्टाक और पोलट्री कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सुअर के मांस के प्रसंस्करण का संयंत्र	गुवाहाटी मे 100 सुअर/प्रतिदिन	एक लाख इक्विटी और 50,000 विस्तृत रिपोर्ट के रूप में
1992-93			
1.	सुअर के मांस का नजीरा स्थित संयंत्र की तकनीकी आर्थिक-सम्भावना पर रिपोर्ट तैयार करना		0.75 लाख रुपए
2.	तेजपुर स्थित बकरी एवं भेड़ के मांस के प्रसस्करण संयंत्र पर संभावना रिपोर्ट		0.75 लाख रुपए

असम में वायुदूत सेवाओं को बन्द करना

5561. **श्री प्रबीन डेका** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत ने गुवाहाटी तथा तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के बीच अपनी सेवाएं बन्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन सेवाओं को कब तक पुनः शुरू किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) गुवाहाटी और तेजपुर तथा उत्तरी लखीमपुर के बीच वायुदूत की सेवाएं प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से बन्द कर दी गई थीं। वायुदूत की इन सेवाओं को पुनः शुरू करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

आठवीं योजना में दूरसंचार परियोजनाएं

5562. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार परियोजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विदेशी उपकरण और प्रौद्योगिकी की खरीद पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ग) विश्व बैंक से इस प्रयोजन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी विदेशी सहायता मिलने की संभावना है अथवा वह कितनी सहायता देने पर सहमत हुआ है; और

(घ) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उपकरणों की खरीद अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग ने विभाग द्वारा की गई 40,555 करोड़ रुपए की मांग की तुलना में वित्त के अन्य साधनों जैसे लीजिंग वित्त के जरिए अतिरिक्त संसाधनों की उगाही करने के लिए 23946 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी प्रदान की है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार विभाग का 569 करोड़ रुपए का विदेशी संघटक का प्रस्ताव है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक से 65 करोड़ रुपए की सहायता मिलने की संभावना है।

(घ) जी हां।

ऊर्जा बचत कार्यक्रम

5563. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-यूरोपीय समुदाय सहयोग की ऊर्जा बचत क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम के आरम्भ किए जाने के पश्चात् से क्या उपलब्धि रही है और इसमें कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या भारत-यूरोपीय समुदाय द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक व्यापक ऊर्जा बचत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक क्या उपलब्धि रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ऊर्जा संवर्धन के बारे में भारत-यूरोपीय समुदाय के समझौता ज्ञापन के अधीन ऊर्जा बस परियोजना कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। इस परियोजना के अधीन किए गए ऊर्जा लेखा-परीक्षा अध्ययन कार्य से यह पता लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 1500 लाख रु० की ऊर्जा क्षमता की बचत की जा सकती है। भारत-यूरोपीय समुदाय के ऊर्जा बस कार्यक्रम पर भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1993 तक 107.29 लाख रु० निवेश किए गए हैं। यूरोपीय समुदाय का अंशदान मात्र स्वैच्छिक ही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रीका में हो रही गतिविधियां

5564. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1993 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में हो रही गतिविधियों पर ब्रिटेन के साथ अधिकारिक स्तर पर वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत और यूनाइटिड किंगडम के बीच द्विपक्षीय परामर्श के अंग रूप में मार्च, 1993 में सचिव स्तरीय बातचीत हुई थी । इस बातचीत में दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीका की घटनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था ।

इस विचार-विमर्श के परिणामत: दक्षिण अफ्रीका की अद्यतन घटनाओं पर उपयोगी विचार-विनिमय हुआ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में द्वीप पर्यटन को प्रोत्साहन

5565. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने पर पड़ने वाले "एडूरूपोंडी" और अन्य स्थलों जैसे द्वीप समूहों में पर्यटन की सम्भावना का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस द्वीप में पर्यटन के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अस्पतालों को टेलीफोन

5566. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सभी अस्पतालों को टेलीफोन सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुविधाएं कब तक दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां । अस्पतालों में मांग के अनुसार टेलीफोन प्रदान किए गए हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरों तथा पायलटों का पुन: इंडियन एयरलाइंस में आना

5568. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इंजीनियरों तथा पायलेटों ने निजी एयरलाइंस में जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस से त्याग पत्र दे दिया था, और अब उन्होंने पुनः इंडियन एयरलाइंस में आने के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या सरकार उन्हें वापस ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दो विमानचालकों ने, जिन्होंने 1992 में त्याग पत्र दिया था, इंडियन एयरलाइंस की सेवा में फिर से आने के लिये आवेदन किया है। जिन इंजीनियरों ने इंडियन एयरलाइंस से त्याग-पत्र दिया है, उनसे ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने ऐसे विमानचालकों को नए प्रवेशकों के रूप में लेने का निर्णय किया है। उनमें से किसी ने भी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को उड़ान संबंधी भत्ता

5569. **श्री ओ० माड़े गौडा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों से जुड़े पड़ौसी देशों के नाम क्या हैं;

(ख) इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को उड़ान संबंधी भत्ता इस समय किस दर पर दिया जाता है;

(ग) क्या इन विमान चालकों का उड़ान सम्बन्धी भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों से जिन पड़ौसी देशों को जोड़ा गया है वे हैं : पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, थाईलैंड सिंगापुर और शारजाह।

(ख) ऊपर उल्लिखित देशों को प्रचालन के लिए विमान चालकों को इस समय लागू उड़ान भत्तों की दरें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पड़ौसी देशों के लिए प्रचालन करने के संबंध में भत्तों की मौजूदा दरों में कोई परिवर्तन करने का अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

पड़ोसी देशों को की जाने वाली उड़ानों के लिए दिए जाने वाले भत्तों की राशि

देश	विमान चालक				
	जांच विमान चालक/परीक्षक	कमांडर 500 घंटों के अनुभव वाले	अन्य कमांडर	कैप्टन	फर्स्ट आफिसर
1. पाकिस्तान	805 रु०	815 रु०	690 रु०	6:0 रु०	468 रु०
2. नेपाल	865 रु०	815 रु०	690 रु०	630 रु०	468 रु०
3. श्रीलंका	865 रु०	815 रु०	690 रु०	630 रु०	468 रु०
4. बंगलादेश	865 रु०	815 रु०	690 रु०	630 रु०	468 रु०
5. मालदीव	865 रु०	815 रु०	690 रु०	630 रु०	468 रु०
6. थाईलैंड	1469 भाट	1392 भाट	1200 भाट	1100 भाट	819 भाट
7. सिंगापुर	118 एस० डालर	118 एस० डालर	118 एस० डालर	118 एस० डालर	103.74 एस० डालर
8. शारजाह	314.85 दीनार	314.85 दीनार	314.85 दीनार	314.85 दीनार	276.25 दीनार

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

5570. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन '24वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह" में दिखाई गई फिल्मों में से राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाई जाने वाली फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली दूरदर्शन के नेटवर्क पर सभी फिल्मों का प्रसारण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई फिल्मों में से दूरदर्शन ने पहले ही जनवरी, 1993 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क में निम्नलिखित सात फिल्में टेलीकास्ट कर दी हैं—

1. ऑटम मून
2. आन अर्थ ऐज० इन हैवन
3. अन्ना गोल्डइन—दि लास्ट विच

4. फाइव गर्ल्स एंड ए रोप

5 इंगालो

6. दि लाईट इन दि जंगल

7. दि नन एंड दि बैन्डिट्स

24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई अन्य फिल्मों को टेलीकास्ट करना, निर्माताओं/अधिकारधारकों से टेलीकास्ट के लिए प्रस्तावों की प्रस्तावों की प्राप्ति और चयन समिति के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

विमानों को खड़ा करना

5571. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों की हाल की हड़ताल के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों को खड़ा कर देने के कारण अनुमानतः कितना घाटा हुआ है; और

(ख) वर्तमान विमान बेड़े का हड़ताल के दौरान अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हड़ताल की अवधि के दौरान कम उड़ान घंटों के कारण मूल्यह्रास के वित्तीय प्रभाव का अनुमान 16 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ख) हड़ताल की अवधि के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स ने कर्मीदल की उपलब्धता के आधार पर घटी हुई क्षमता के साथ आकस्मिक समय-सारणी के अनुसार सेवाएं प्रचालित कीं।

टी० यू०-154 विमानों की व्यवहार्यता

5572. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1993 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित उजबेकिस्तान एयरवेज से टी०यू० 154 विमान पट्टे पर लेने संबंधी समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे प्रत्येक अवसर के बाद क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या प्रति घंटा उड़ान के लिए दुर्लभ मुद्रा का भुगतान किया गया था;

(घ) क्या निविदाएं आमंत्रित करने के बाद यह दर निर्धारित की गयी थी;

(ङ) क्या प्रत्येक उड़ान के लिए बीमा सहित सभी आवश्यक सुरक्षा संबंधी एहतियात तथा जांच पड़ताल की गयी थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन विमानों में ईंधन की खपत इसी तरह के अन्य विमानों की तुलना में कितनी होती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स उजबेकिस्तान एयरवेज से पट्टे पर लिए गए एक टी०यू०-154 विमान की 9-1-1993 को दिल्ली हवाई अड्डे पर दुर्घटना के बाद, इन विमानों को प्रचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने दरों के सम्बन्ध में समझौता-वार्ता की थी और उन्हें कर्मीदल सहित पट्टे पर दिए जाने वाले विमानों की अन्य पेशकश की तुलना में प्रतियोगी पाया था।

(ङ) और (च) इंडियन एयरलाइन्स ने थर्ड पार्टी देयताओं के लिए आवश्यक बीमा करवाया था परन्तु पट्टाकर्ता ने विमान का और कर्मीदल का बीमा करवाया था। पट्टे पर लिए गये विमान अपने संबधित देशों में पंजीकृत थे और इनके उड़नयोग्यता प्रमाण-पत्र थे।

(छ) टी०यू०-154 (164 सीटों वाले) विमान की ईंधन खपत लगभग 7.5 किलो-लीटर/घंटा थी जबकि इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में एयरबस ए-320 (168 सीटों वाले) की 3.2 किलोलीटर/घंटा थी और बी-737 (126 सीटों वाले) विमान के मामले में यह 3.7 किलोलीटर/घंटा था।

सिक्किम में टेलीफोन सेवाओं में सुधार

5573. श्रीमती डी०के० भंडारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम विशेषत: गंगटोक में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या-क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या सभी जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष सभी जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) सिक्किम के 15 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 12 एक्सचेंजों पहले ही इलेक्ट्रानिक प्रणाली में बदला जा चुका है। सिक्किम में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संलग्न विवरण के अनुसार गंगटोक सहित विभिन्न एक्सचेंजों के लिए विकास कार्यक्रम चलाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। सिक्किम के सभी 4 जिला मुख्यालयों को एस टी डी सुविधा से जोड़ दिया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज की वर्तमान स्थिति	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1.	गंगटोक आई एल टी-2048	-	सीएमएएक्स-2.5 के			
2.	सिंगटॉम सी० डॉट 256 पोर्ट	—	आईएलटी 512			
3.	रेंजिग सी-डॉट 256 पोर्ट	--	सी० डॉट-512			
4.	नया बाजार सी० डॉट-256 पोर्ट	—	सी० डॉट-512			
5.	सोम्बरिया एसएम 3 (25 लाइन)	एमआई एलटी-64	—	—	सी० डॉट-128	
6.	सोरेंग एमएस 3 (25 लाइन)	-वही-	—	—	सी० डॉट-128	
7.	मंगन सी० डॉट-128 पोर्ट	—	—	सी० डॉट-256		
8.	मेल्ली एमएस 3 (25 लाइन)	एमआई एलटी-64	--	—	—	
9.	नामची सी० डॉट-128 पोर्ट	2 एक्ससी-128	—	—	—	

पवन हंस लिमिटेड द्वारा हेलीकाप्टर की खरीद

5574. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खडूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पवन हंस लिमिटेड द्वारा "बेल" हेलीकाप्टर खरीदने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, इस हेलीकाप्टर के चयन का आधार क्या है;

(ग) अब तक कितने वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की उड़ानें बंद कर दी गई हैं तथा कब से; और

(घ) इससे कितनी हानि हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार ने एक हल्के एकल इंजिन के 5-6 सीट वाले टर्बाइन हेलीकाप्टर की खरीद का अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) पवनहंस लिमिटेड के निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्थापित एक मूल्यांकन समिति ने तीन प्रकार के हेलीकाप्टरों का मूल्यांकन किया था और प्रचालन तथा निष्पादन के संदर्भ में चार्टरकर्ता की आवश्यकता को देखते हुए "बेल 206 एल-4" हेलीकाप्टर की खरीद का अनुमोदन किया था ।

(ग) 9 फरवरी, 1991 से उन्नीस वेस्टलैंड-30 हेलीकाप्टर ग्राउंड किए गए हैं ।

(घ) वेस्टलैंड के ग्राउंड किए जाने के कारण, 31 मार्च, 1993 तक 40.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

गुजरात में अपर्याप्त वर्षा

5575. **श्री एम० के० राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात मे पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण कितने जलाशयो मे जल का स्तर कम हो गया है;

(ख) ये जलाशय किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) इस सबंध में गुजरात को कितनी सहायता दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष के दौरान अच्छा वर्षापात हुआ है और राज्य मे 141 जलाशयों मे से केवल 58 जलाशयों में जल स्तर नीचा है। निम्न जल स्तर वाले जलाशयों का जिलावार वितरण निम्नवत है—

जिले	जलाशयों की संख्या
अहमदाबाद	1
बांसकान्ठा	1
भरौच	2
पंचमहल	8
साबरकान्ठा	7
सूरत	1
बड़ोदरा	2
कच्छ	3
अमरेली	6
भावनगर	10
जामनगर	8
जूनागढ़	6
राजकोट	3
कुल :	58

(ग) और (घ) गुजरात में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए गठित आपदा राहत कोष मे केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से के रूप में वर्ष 1992-93 के दौरान

63.75 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1993-94 के लिए : अप्रैल, 1993 को 15 9375 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों का विस्तार

5576. श्री धर्मभिक्षम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान राजधानी के स्टेशनों को उन्नत करने और आकाशवाणी के अन्य स्टेशनों का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी की ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ राजधानी स्टेशनों पर आकाशवाणी की चालू/प्रस्तावित स्कीमों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/के० शा० प्रदेश	राजधानी	स्कीम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	(क) 10 कि०वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि०वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना।
			(ख) 50 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 2 कि० 100 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना।
			(ग) स्थायी टाइप-4 (आर) स्टूडियो का प्रावधान।
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	(क) 50 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना।
			(ख) 100 कि० वा० मी० वे० ट्रांस० टाईप-1 (आर) स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों की स्थापना।
3.	असम	गुवाहाटी	(क) 50 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 100 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर तक बढ़ाना।
			(ख) राष्ट्रीय चैनल (2 × 3 कि०वा०एफ० एम० ट्रांसमीटर) का विस्तार।

1	2	3	4
			(ग) विज्ञापन चैनल (2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रां० तथा स्टुडियो) का विस्तार।
			(घ) स्टुडियो की पुनर्साजसज्जा।
4.	गोवा	पणजी	(क) टाइप-3 (आर) स्टुडियो का प्रावधान।
			(ख) 5 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 2 × 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर (विविध भारती सेवा) तक बढ़ाना।
5.	गुजरात	अहमदाबाद	(क) 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर (विविध भारती) की स्थापना।
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	(क) 2 × 5 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांस० तक बढ़ाना।
7.	जम्मू तथा कश्मीर	श्रीनगर	(क) 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर तक बढ़ाना।
		जम्मू	(क) 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर (युववाणी) की स्थापना।
8.	केरल	त्रिवेन्द्रम	(क) नए 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की स्थापना।
			(ख) टाइप-4 (आर) स्टुडियो का प्रावधान।
			(ग) 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 2 × 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर (विविध भारती) की स्थापना।
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल	(क) 10 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर तक बढ़ाना।

1	2	3	4
			(ख) 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर तक बढ़ाना ।
10.	महाराष्ट्र	बम्बई	(क) 10 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि० वा० शा० वे० तक बढ़ाना ।
			(ख) स्टुडियो का आधुनिकीकरण तथा पुनर्साजसज्जा ।
			(ग) मल्टी ट्रैप रिकार्डिंग स्टुडियो तथा स्टीरियो ट्रांसमिशन (2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रां०) की स्थापना ।
			(घ) राष्ट्रीय चैनल (2 × 5 कि० वा० एफ० एम०) के लिए नए ट्रांसमीटर की स्थापना ।
11.	मणिपुर	इम्फाल	(क) 1 नये 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की स्थापना ।
12.	मिजोरम	एजवाल	(क) मौजूदा 10 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर को 10 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर से बदलना ।
13.	नागालैंड	कोहिमा	(क) 2 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की स्थापन स्थान पर 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की स्थापना ।
14.	राजस्थान	जयपुर	(क) जयपुर में 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की स्थापना ।
			(ख) टाइप-4 स्टुडियो का प्रावधान ।
15.	सिक्किम	गंगटोक	(क) नए 10 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना ।
			(ख) 20 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर की तथा स्टुडियो टाइप-1 (आर) ।
16.	तमिलनाडु	मद्रास	(क) 2.5 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 20 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना ।

1	2	3	4
			(ख) 10 कि० वा० शा० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना ।
			(ग) मल्टी ट्रैक रिकार्डिंग स्टूडियो तथा स्टीरियो ट्रांसमिशन (2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर) की शुरूआत ।
			(घ) राष्ट्रीय चैनल (2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर) का विस्तार ।
			(ङ) राष्ट्रीय चैनल के लिए स्टूडियो ।
17.	त्रिपुरा	अगरतला	(क) 20 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 2 × 10 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की स्थापना ।
18.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	(क) 10 कि० वा० शा० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि० वा० शा० वेव तक बढ़ाना ।
			(ख) 20 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की स्थापना ।
			(ग) स्टूडियो का आधुनिकीकरण तथा पुनर्साजसज्जा ।
			(घ) 100 कि०वा०मी० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 2 × 100 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना ।
			(ङ) राष्ट्रीय चैनल (2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर) का विस्तार ।
			(च) स्टीरियो ट्रांसमिशन (2 × 5 एफ० एम० ट्रांसमीटर)
	चंडीगढ़	चंडीगढ़	(क) 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर की स्थापना ।
1.	दमन तथा दीव	दमन	(क) दमन में स्थानीय रेडियो स्टेशन (3 कि० वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टर)
2.			
3.			

1	2	3	4
21.	दिल्ली	दिल्ली	(क) 10 कि० वा० शा० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 50 कि० वा० शा० वेव तक बढ़ाना ।
			(ख) दिल्ली में मौजूदा स्टूडियो की पुनर्साज-सज्जा तथा आधुनिकीकरण ।
			(ग) ई० एस० डी०/एन० एस० डी० के लिए स्थायी भवनों का प्रावधान ।
			(घ) 10 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती) की शक्ति को 2 × 10 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना ।
			(ङ) राष्ट्रीय चैनल कवरेज के विस्तार के लिए दिल्ली में 2 × 10 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की स्थापना ।
			(च) स्टीरियो ट्रांसमिशन के लिए दिल्ली में 2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर की स्थापना ।
			(छ) राष्ट्रीय चैनल स्टूडियो ।
22.	लक्षद्वीप तथा द्वीप समूह	मिनीकाय कवारात्ती	(क) 1 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर ।
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	(क) 1 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 2 × 10 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना ।

लेख :

कि० वा०	—किलो वाट	स्था०	—स्थायी
मी० वेव	— मीडियम वेव	स० क०	—स्टाफ क्वार्टर
शा० वेव	—शार्ट वेव	वी० बी०	—विविध भारती
ट्रां०	ट्रांसमीटर	एम० पी० स्टु०	—बहुउद्देशीय

असम में डाकघर और तारघर

5577. श्री उद्धव बर्मन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने डाकघर और तारघर खोले गए हैं;

ट्रांसमीटर ...र) । ...वेव ट्रांसमीटर ...वा० मीडियम ...ढ़ाना ।

(ख) असम में 1993 के दौरान जिलावार कितने डाकघर और तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस कार्य के लिए कितना धन, यदि कोई हो, आबंटित किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाकघर :

असम में अब तक खोले गए डाकघरों की कुल संख्या 3770 है।

तारघर :

असम में खोले गए तारघरों की संख्या 478 है।

(ख) **डाकघर :**

वर्ष 1993-94 के दौरान 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 3 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। लक्ष्य वार्षिक योजना और वित्तीय वर्ष-वार निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का जिला-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तारघर :

असम के निम्नलिखित जिलों में वर्ष 1993 के दौरान 5 तारघर खोलने का प्रस्ताव है :

1.	कोकराझार	1
2.	दारांग	1
3.	नार्थ कछार हिल्स	1
4.	कर्बी-अंगलोंग	2

(ग) **डाकघर :**

इस प्रयोजन के लिए 2.26 लाख रु० रखे गए हैं।

तारघर :

धनराशि का आबंटन, इस प्रयोजन के लिए दूरसंचार को आबंटित समेकित धनराशि में शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	वर्ष 1993-94 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	
		शाखा डाकघर	उप डाकघर
1	2	3	4
1.	बारपेटा	1	—
2.	बोंगईगांव	1	—
3.	कछार	1	—

1	2	3	4
4.	दारांग	1	1
5.	धुब्री	1	—
6.	धेमाजी	1	—
7.	डिब्रुगढ़	1	—
8.	गोलपाड़ा	1	—
9.	गोलाघाट	1	—
10.	हैलाकांडी	1	—
11.	जोरहाट	1	—
12.	कामरूप	2	2
13.	कर्बी अंगलोंग	1	—
14.	कोकराझार	1	—
15.	करीमगंज	1	—
16.	मंरीगांव	1	—
17.	नलबाड़ी	2	—
18.	नौगांव	1	—
19.	एन० सी० हिल्स	1	—
20.	एन० एल० पुर	1	—
21.	शिवसागर	1	—
22.	शोणितपुर	1	—
23.	तिनसुकिया	1	—
	योग	25	3

गंगा के मैदानों में जल-स्तर

5578. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के मैदानों में औसत जल-स्तर, समुद्र तल से नापे जाने पर कितना है;

(ख) क्या इस स्तर में पिछले दस वर्षों के दौरान भारी गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो गिरावट की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या गंगा की घाटी में भू-जल भण्डारों का वैज्ञानिक आधार पर आंकलन किया गया है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में अधिकतम उपयोग का निर्धारण किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) गंगा के मैदान में जल स्तर माध्य समुद्र तल से एक मीटर से लगभग 250 मीटर के बीच है।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-90 के बीच गंगा बेसिनों के स्थानीय पाकेटों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट पाई गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) गंगा बेसिन में सिंचाई के लिए भूजल उपयोग का स्तर लगभग 30.69 प्रतिशत है

साहसिक पर्यटन

5579. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने हिमालय का साहसिक पर्यटन किया;

(ख) वहां इस समय दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनायी गयी हैं;

(ग) हिमालय की पर्वत शृंखलाओं में साहसिक पर्यटन को आकर्षक और पारिस्थितिकीय के अनुकूल बनाने के लिए निजी भागीदारी और विदेशी निवेश हेतु लिए गये/लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक प्राप्त प्रस्तावों/अन्तिम रूप दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हिमालय में रोमांचक यात्रा के लिए आने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों के अनुमान के सगत आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) रोमांचक पर्यटन के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न रोमांचक क्रीड़ा उपकरण खरीदने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है। पर्यटक गृह बनाने, शिविर-स्थलों का विकास करने, कोच खरीदने आदि के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता देकर पर्यटकों को ठहराने की और परिवहन की सुविधाएं भी दी हैं। पर्यटन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना के उद्देश्य हिमालय के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट परिपथों में विकास और सुविधाओं का स्तरोन्नयन करना भी है।

(ग) और (घ) पर्यटन का तेजी से विकास करने के उद्देश्य से स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के गैर-सरकारी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार हिमालय सहित पर्वतीय क्षेत्रों में होटल स्थापित करने पर कर-रियायतें दे रही है। मान्यता प्राप्त होटलों और यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा प्रचालकों, आदि को विभिन्न रोमांचक क्रीड़ा उपकरण खरीदने के लिए सीमा शुल्क रियायतें दी गई हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर भी केन्द्र सरकार हिमालयवर्ती राज्यों सहित राज्य सरकारों को

ट्रैकिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण के लिए रोमांचक खेल उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

5580. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एनरिच" ने आंध्र प्रदेश मे एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक सफल रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य में ऐसा ही एक और एक्सचेंज स्थापित करने की किसी योजना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या निर्णय लिया गया है तथा दूसरा एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) ऊपर भाग 'क' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नही उठता।

चन्द्रपुर गुवाहाटी पारेषण लाइन

5581. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 220 किलोवाट डी० सी० चन्द्रपुर-गुवाहाटी विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण करने हेतु असम सरकार द्वारा भेजी गई योजना स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नही। चन्द्रपुर गुवाहाटी 220 के० वी० डी/सी लाइन जोकि असम की पांचवी पंचवर्षीय योजना पारेषण स्कीमों का एक भाग थी, को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा कुओं की खुदाई

5582. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा खोदे गए कुओं का जिला-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और कुओं की खुदाई कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा मार्च, 1992 तक मध्य प्रदेश में ड्रिल किए गए भेदन छिद्रों के जिलेवार ब्योरे का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ख) बोर्ड ने अनन्तिम रूप से 1993-94 के दौरान राज्य में 50 अन्वेषणात्मक कुओं सहित 117 भेदन छिद्रों की ड्रिलिंग का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मार्च, 1992 तक केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में ड्रिल किए गए भेदन छिद्रों का जिलेवार विवरण

क्र० सं०	जिला	ड्रिल किए गए भेदनछिद्रों की संख्या
1	2	3
1.	भिंड	76
2.	भोपाल	18
3.	बिलासपुर	9
4.	धार	8
5.	दुर्ग	32
6.	होशिंगाबाद	116
7.	इन्दौर	23
8.	जबलपुर	37
9.	झाबुआ	32
10.	खण्डवा (पूर्वी निमार)	50
11.	खारगौन (पश्चिमी निमार)	45
12.	मन्दसौर	10
13.	मुरैना	8

1	2	3
14.	नरसिंहपुर	77
15.	रायपुर	38
16.	रायसेन	37
17.	राजगढ़	69
18.	सागर	12
19.	सरगुजा	28
20.	सिहोर	15
21.	शहडोल	39
22.	सिधी	20
23.	विदिशा	51
	योग	850

इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर एड्स संबंधी कार्यक्रम

5583. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों को एड्स के खतरे के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अपने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न रूपों जैसे फीचर/वार्ताएं/स्पाट्स/क्विकीस/साक्षात्कारों आदि के रूप में एड्स की रोकथाम पर कार्यक्रमों को लगातार प्रसारित/टेलीकास्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मेलों और उत्सवों का मनाया जाना

5584. **श्री जी० माडे गोडा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक को विभिन्न मेलों और उत्सवों को मनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : विभिन्न मेलों और उत्सवों को मनाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार गई वित्तीय सहायता के आंकड़े नीचे दिए गए है—

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	वर्ष	उत्सव का नाम	राशि
1.	1990-91	बीजापुर	7.22
2.	1991-92	दशहरा और हम्पी	8.00
3.	1992.93	कुर्ग	3.32

निजी विमानन कंपनियों का कार्य-निष्पादन

5585. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागर **विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स के पायलटों की हाल की हड़ताल के दौरान एयर टैक्सी आपरेटरों ने लोगों की विमान यातायात मांगों को पूरा करने के लिए कतिपय सुविधाओं की मांग की थी और ये सुविधाएं उन्हें दी गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर टैक्सी सर्विस को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी सफलता मिली है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाई टैक्सी प्रचालकों ने उन मार्गों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई थीं जहां भारी मांग थी।

गुजरात से प्रकाशित समाचार पत्र

5586. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के वडोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों से कौन-कौन-सी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिका प्रकाशित होती हैं तथा उनकी अलग-अलग कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-12-1992 के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत गुजरात के वड़ोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों से प्रकाशित साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं की सूची।

बड़ोदरा-साप्ताहिक

क्र० सं०	नाम	प्रकाशित प्रतियों की संख्या
1	2	3
1.	आर्य सन्देश, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
2.	छोटा उदयपुर टाइम्स, गुजराती	—तथैव—
3.	चित्रा, गुजराती	1864
4.	सिनेमा समाचार, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
5.	धनाकर, गुजराती	—तथैव—
6.	फतेह, गुजराती	—तथैव—
7.	ग्राम सन्तरी, गुजराती	1950
8.	गुजराती दर्पण, गुजराती	2529
9.	इमारत, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
10.	जय घोषणा गुजराती	—तथैव—
11.	लोक भूमि, गुजराती	16,498
12.	लोक युग, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
13.	नवभारत समाचार, गुजराती	—तथैव—
14.	न्याय, गुजराती	—तथैव—
15.	प्रजा सतक, गुजराती	—तथैव—
16.	प्रजा साथी, गुजराती	—तथैव—
17.	प्रेरणा पत्रिका, गुजराती	1920
18.	राज मित्रा, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
19.	साद, गुजराती	—तथैव—
20.	समयाणी कुछ, गुजराती	—तथैव—

1	2	3
21.	स्वाधीन, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
22.	विराट क्रांति, गुजराती	—तथैव—
23.	वटपत्रा वर्तमान, गुजराती	—तथैव—
24.	युद्ध समाचार, गुजराती	—तथैव—
25.	यांत्रिक, गुजराती	—तथैव—
26.	गुजरात सरकार राजपत्र, बहुभाषी	—तथैव—
	बड़ोदरा-पाक्षिक	
1.	कल्चरल इण्डिया, अंग्रेजी	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
2.	आर्य प्रकाश, गुजराती	—तथैव—
3.	मानदत्त सांसे, गुजराती	—तथैव—
4.	भूमि पुत्र, गुजराती	4165
5.	मजूर पत्रिका, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
6.	मतडर, गुजराती	—तथैव—
7.	साब्रवीपरा, गुजराती	—तथैव—
8.	शिक्षण संदेश, गुजराती	—तथैव—
9.	श्री अकशेर पुरुषोत्तम सत्संग पत्रिका, गुजराती	—तथैव—
10.	औद्योगिक वापन्न समाचार, द्विभाषी	—तथैव—
11.	मजदूर समाज, द्विभाषी	—तथैव—
	मासिक	
1.	इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेड जर्नल, अंग्रेजी	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
2.	इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड जर्नल, अंग्रेजी	1000
3.	मेडिसिन एण्ड सर्जरी, अंग्रेजी	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
4.	नेशनल लेबर रिव्यू, अंग्रेजी	—तथैव—
5.	सलेक्शन, अंग्रेजी	—तथैव—
6.	स्टोरी आफ ऐलीमेंट्स, अंग्रेजी	—तथैव—

1	2	3
7.	भारत स्वर, हिन्दी	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
8.	आचार्य श्रीवल्लभ, गुजराती	—तथैव—
9.	बाल मित्र, गुजराती	—तथैव—
10.	धर्म दर्शन, गुजराती	—तथैव—
11.	धर्मज धर्मी, गुजराती	—तथैव—
12.	ज्ञान उद्योग, गुजराती	—तथैव—
13.	गुलाब, गुजराती	—तथैव—
14.	जन आरोग्य, गुजराती	—तथैव—
15.	कृपाल वचन, गुजराती	—तथैव—
16.	किसान ज्योत, गुजराती	—तथैव—
17.	कृषि जीवन, गुजराती	—तथैव—
18.	माध्यमिक बुलेटिन, गुजराती	—तथैव—
19.	मुसाफर मित्र, गुजराती	—तथैव—
20.	नूतन शिक्षा, गुजराती	—तथैव—
21.	पुस्तकालय, गुजराती	—तथैव—
22.	रेशमा, गुजराती	—तथैव—
23.	सम्पर्क, गुजराती	—तथैव—
24.	सुमर्त, गुजराती	—तथैव—
25.	विश्व मानव, गुजराती	—तथैव—
26.	विश्व समयावधि दर्शन, गुजराती	—तथैव—
27.	व्यायाम, गुजराती	—तथैव—
28.	संगीता, सिंधी	—तथैव—
29.	जी० ई० वी० न्यूज, द्विपक्षी	17,988
30.	लघु उद्योग मित्र, द्विभाषी	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
31.	लायन, द्विभाषी	—तथैव—
32.	सीड न्यूज, द्विभाषी	—तथैव—

1	2	3
33.	अनुग्रह, बहुभाषी	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
34.	आत्म ज्योति, बहुभाषी	—तथैव—
35.	डायबीटीज सन्देश, बहुभाषी	—तथैव—
36.	सीड्स रिपोर्ट, बहुभाषी	—तथैव—
37.	बड़ोदरा विकास, बहुभाषी	—तथैव—
	भरूच-साप्ताहिक	
1.	भरूच समाचार, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
2.	भरूच सन्देश, गुजराती	—तथैव—
3.	गुजरात प्रभा, गुजराती	11,870
4.	जन सेवक, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
5.	कोबन्द प्रकाश, गुजराती	—तथैव—
6.	सत्यकाम, गुजराती	1866
7.	उपवन, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
	भरूच-पाक्षिक	
1.	भरूच वर्तमान, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
2.	सी० आई० डी०, गुजराती	—तथैव—
3.	पथ दर्शक, गुजराती	—तथैव—
	भरूच-मासिक	
1.	नर्मदा कृषि परिवार, दिल्ली	5000
2.	बालवाड़ी, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
3.	खातून, गुजराती	—तथैव—
4.	कच्छ विकास, गुजराती	—तथैव—
5.	मार्ग संगिनी, गुजराती	—तथैव—
6.	नर्मदा किसान परिवार पत्र, गुजराती	27000
7.	शिक्षा साथी, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
8.	सर्व समाचार, गुजराती	—तथैव—

1	2	3
	पंच महल-साप्ताहिक	
1.	गुर्जर सन्देश, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
2.	जय पंच महल, गुजराती	—तथैव—
3.	पंच महल रिव्यूस, गुजराती	—तथैव—
4.	उदय, गुजराती	—तथैव—
	पंच महल-पाक्षिक	
	कोई नहीं	
	पंच महल-मासिक	
1.	कर्मयोद्धन, गुजराती	प्रकाशक द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए

असम में बलकाटी ताप संयंत्र

5587. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बलकाटी ताप विद्युत संयंत्र का प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन, लागत और संयंत्र भार क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उक्त विद्युत संयंत्र को लम्बे समय से कोयले की आपूर्ति में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संयंत्र में नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) असम राज्य बिजली बोर्ड (ए० एस० ई० बी०) के सलाकाटी (बोंगोईगांव) ताप विद्युत केन्द्र (4 × 60 मेगावाट) की प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत 1991-92 के लिए 262.07 पैसे प्रति किलोवाट आवर थी। 1992-93 में केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 21.0 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) विद्युत केन्द्र, संयंत्र के घटिया कार्य निष्पादन के कारण मुख्यतः प्रभावित हुआ है जैसा कि यह संयंत्र अपनी स्थापना से ही न्यूनतम वार्षिक औसत संयंत्र भार अनुपात को दर्शाता रहा है जो कि 22.3 प्रतिशत से अधिक कभी भी नहीं रहा है। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान सलाकाटी ताप विद्युत केन्द्र में कोयला लिंकेज, उसको प्राप्त मात्रा, उपभोग तथा उस समय भण्डार में उपलब्ध कोयले की स्थिति निम्नवत है :—

(आंकड़े "000" टन में)

वर्ष	लिकेज	प्राप्त मात्रा	प्रतिशर्त	उपभोग	भंडार में उपलब्ध मात्रा
1990-91	420	228	54	238	6 (4 दिन)
1991-92	510	276	54	248	38 (29 दिन)
1992-93	480	281	59	315	17 (10 दिन)

(घ) ए० एस० ई० बी० के सलाकाटी ताप विद्युत केन्द्र सहित देश में सभी ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले सप्लाई की स्थिति को मन्त्रिमण्डल सचिवालय द्वारा कोयला, रेलवे तथा विद्युत मंत्रालयों के साथ साप्ताहिक आधार पर नियमिम रूप से मानीटरिंग की जाती है तथा जब भी अपेक्षित होता है, कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा वसूल किया गया शुल्क

5588. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण दूरसंचार हेतु कुल परिव्यय कितना उपलब्ध था और इस निधि का वास्तव में राज्यवार और वर्षवार कितना उपयोग किया गया तथा समवर्ती अवधि के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा विदेश संचार निगम हेतु निधियों के नियतन और वास्तविक उपयोग में प्रतिशत वृद्धि से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण दूरसंचार को सशक्त बनाने अथवा उसका आधुनिकीकरण तथा विकास हेतु कार्यक्रम/प्रस्ताव का क्षेत्रवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लि० तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड से वसूल की जाने वाली ग्रामीण लेवी समाप्त कर दी है, जैसा कि 27 मार्च, 1993 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ङ) इससे ग्रामीण दूरसंचार प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि इसके फलस्वरूप ग्रामीण दूरसंचार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, सभी पंचायत ग्रामों और ग्रामीण दूरसंचार विकास के अन्तर्गत आने वाले 1.5 लाख अतिरिक्त गांवों में सफल स्विचन क्षमता की 24.3 लाख लाइनों तथा डी ई एल और टेलीफोनों की 5 लाख लाइनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि विगत के विपरीत, "ग्रामीण लेवी" 1991-92 से करयुक्त नहीं है और इस सीमा तक यह लेवी दूरसंचार सेक्टर के आंतरिक संसाधन के अंग रूप में सामान्य राजकोष में अन्तरित हो जाती है।

(च) दूरसंचार विभाग अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहा है और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है।

शीतागार सुविधाएं

5589. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित फलों और सब्जियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त शीतागार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा है; और

(ग) शीतागार सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) भंडारण एवं भंडारागार संबंधी 8वीं योजना कार्यकारी दल ने यह पाया है कि भावी भंडारण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विद्यमान क्षमता पर्याप्त नहीं है।

आलू, बहु-उद्देश्यों, फल एवं सब्जी आदि के लिए राज्यवार भण्डारण क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है। सहकारी समितियों द्वारा शीत भंडारों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी) वित्तीय सहायता दे रहा है। यह मंत्रालय भी मछली उत्पादों, मांस और पाल्ट्री उत्पादों के लिए शीत भंडारों/कोल्ड चेन की स्थापना और फल एवं सब्जियों के लिए फसलोत्तर प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधाओं हेतु एक स्कीम चला रहा है।

विवरण

31-12-1992 को शीत भण्डारों की वस्तुवार क्षमता (क्षमता घन मीटरों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	आलू		बहु-उद्देशीय		फल एवं सब्जी		योग	
		सं०	क्षमता	सं०	क्षमता	सं०	क्षमता	सं०	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) सी० एस० ओ० 1980 के अधीन									
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	557	19	95789	3	7500	23	103846
2.	असम	2	5049	0	0	0	0	2	5049
3.	बिहार	177	1216546	24	117506	2	2993	203	1337645
4.	गुजरात	59	412616	36	142884	0	0	95	555500
5.	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	2	3195	3	6961	6	18627	11	28783
7.	जम्मू और कश्मीर	6	13201	10	41636	0	0	16	54837
8.	केरल	0	0	1	32	0	0	1	32
9.	कर्नाटक	3	7219	12	22939	4	2861	19	33019
10.	महाराष्ट्र	11	42033	74	202193	5	17053	90	261279
11.	मध्य प्रदेश	62	407731	39	286350	1	2835	102	696916
12.	नागालैंड	0	0	1	2540	0	0	1	3504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	उड़ीसा	34	224568	6	35646	1	1267	41	361481
14.	राजस्थान	7	36474	28	150784	0	8	35	187258
15.	तमिलनाडु	0	0	11	21768	3	281	14	22049
16.	त्रिपुरा	1	2346	2	10798	0	0	3	13044
17.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	1	500	0	0	1	500
18.	चण्डीगढ़ (के० शासित)	5	17375	5	38383	0	0	10	55758
19.	दिल्ली (के० शा०)	3	25561	45	287165	4	13880	52	326606
20.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पांडिचेरी	0	0	0	0	2	81	2	81
(ख) संबंधित राज्य अधिनियम/आदेशों के अधीन									
22.	उत्तर प्रदेश	911	10781476	17	135706	4	10915	932	10928097
23.	पंजाब	284	1533183	2	4054	15	90238	301	1627475
24.	पश्चिम बंगाल	257	6612534	14	62018	9	117225	280	7091777
25.	हरियाणा	80	366585	10	50365	57	253489	147	670429
योग (क) और (ख) :		1905	22008149	360	1716971	116	539245	2381	24264365

पाक-नौसेना में फ्रांस में निर्मित "माइन हंटर"

5590. श्री आर० जीवरत्नम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाक-नौसेना में फ्रांस निर्मित "माइन हंटरों" को शामिल करने संबंधी हाल ही के समाचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों में दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को एक माइन स्वीपर दिया है ।

(ख) पाकिस्तान की वैध रक्षा आवश्यकताओं के अनुपात से अधिक पाकिस्तान को हथियारों की किसी भी बिक्री के संबंध में अपनी चिंता से फ्रांस की सरकार को अवगत करा दिया गया है । सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो और भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है ।

वर्धा स्थित टी० वी० रिले केन्द्र

5591. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा स्थित टी० वी० रिले केन्द्र बहुत कम शक्ति का है जिसके कारण वर्धा जिले के आरवी, अष्ति और करंजा तहसीलों में कार्यक्रम की दृश्यता और श्रव्यता की गुणवत्ता बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लाभार्थ उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा उस भवन की मरम्मत हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर टी० वी० रिले केन्द्र कार्यरत हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) वर्धा में कार्यरत् अल्पशक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से जिले के आरवी, आस्ती और करांजा तहसीलों को बीच की अधिक दूरी के कारण टी० वी० सेवा प्रदान कर पाने की संभावना नहीं थी । तथापि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक उच्चशक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ग) वर्धा में वर्तमान अल्पशक्ति ट्रांसमीटर महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए एक किराये के भवन में कार्य कर रहा है । राज्य के लोक निर्माण विभाग जो कि इस भवन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, ने भवन की मरम्मत कार्य शुरू कर दिए जाने की सूचना दी है ।

देश में रिहायशी आवास को खाली करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र

5592. श्री मदन लाल खुराना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की नीति है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग किसी आवंटी को लाइसेंसधारी को सरकारी आवास खाली होने का प्रमाण पत्र पानी और बिजली बिल को अंतिम तौर पर निपटाए जाने के बाद ही देता है;

(ख) क्या डेसू पानी और बिजली के बिलों के अन्तिम रूप से भुगतान के बिना ही आवास खाली होने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के स्थायी आदेशों के उल्लंघन के क्या कारण हैं;

(घ) डेसू के प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें/अभ्यावेदन मिले हैं;

(ङ) ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस प्रकार की कितनी शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है और कितनी शिकायतें/अभ्यावेदन क बिल पड़े है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सरकारी आवास खाली होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र के० लो० नि० विभाग के इन्क्वायरी आफिस द्वारा, नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, जैसा भी मामला हो, से बिजली/पानी के बिलों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने की रसीद प्राप्त होने के पश्चात जारी किया जाता है। जिन कालोनियों में के० लो० नि० विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है तथा पानी सम्बन्धी प्रभार सम्पदा निदेशालय द्वारा वसूल किया जाता है उनमें किसी प्रकार के क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) तथा (ग) सामान्यतया, डेसू द्वारा क्लियरेंस प्रमाण पत्र उस लाइसेंसधारी को जारी किया जाता है जो अपना बिजली का कनेक्शन कटवा कर अंतिम बिल की अदायगी कर देता है। कुछ मामलों में कम्प्यूटर में समुचित रूप से आंकड़े भरने में होने वाली मशीनी अथवा मानवीय त्रुटियों के कारण अथवा पुराना लाइसेंसधारी द्वारा डेसू से "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्राप्त किए बिना आवास को खाली कर दिए जाने के कारण बकाया राशि को नए लाइसेंसधारी के बिजली के बिल में दर्शाया जा सकता है।

(घ) से (च) पिछले दो वर्षों के दौरान डेसू द्वारा इस सम्बन्ध में 570 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 533 मामलों का डेसू द्वारा पहले ही समाधान कर दिया गया है। 37 मामले अभी भी लम्बित पड़े है और ये मामले उनसे सम्बद्ध हैं जिनमें पहले अधिभोक्ता ने देय राशियों की अदायगी किए बिना ही आवास को खाली कर दिया था। डेसू इन शिकायतों का हर सम्भव समाधान करने का प्रयास कर रहा है।

कटक और भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्रों में अनियमिततायें

5593. **डा० कृपासिंधु भोई** :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटक और भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्रों में हो रही अनियमितताओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर से संबंधित तीन और आकाशवाणी, कटक से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है। नियमों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

इराक और ईरान में कार्यरत भारतीय

5594. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक और ईरान में कार्यरत भारतीयों की देशवार संख्या कितनी है; और

(ख) इन व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इराक में लगभग 885 भारतीय राष्ट्रिक काम कर रहे हैं। ईरान में 300 दीर्घावधि आवासी भारतीय परिवार और 1000-1500 के बीच भारतीय व्यावसायिक लोग भी काम कर रहे हैं।

(ख) भारत सभी मिशनों, जिनमें इराक और ईरान के मिशन भी शमिल हैं, को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि वे भारतीय राष्ट्रिकों और स्थानीय सरकार के साथ नियमित परस्पर कारंवाई करें ताकि भारतीय राष्ट्रिकों की प्रत्येक शिकायत दूर की जा सके।

[अनुवाद]

नेपाल में रहने वाले भारतीय

5595. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में रह रहे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के कुछ मामले सामने आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) नेपाल में रह रहे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के जिन मामलों की भारत सरकार को जानकारी मिलती है उन्हें वह नेपाली प्राधिकारियों के साथ उठाती है। हाल ही में नेपाल में भारतीय श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा तंग किए जाने के मामलों की जानकारी मिली है। इन मामलों को नेपाल की मित्र सरकार की सहायता से सुलझाया जा रहा है।

डेसू के लेखा अधिकारी

5596. **श्री अन्ना जोशी :**

कुमारी विमला वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने डेसू के लेखा विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों पर कोई भारी जुर्माना किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों ने भारी जुर्माने को अत्यंत कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा डेसू के लेखा विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध 1992-93 के दौरान कोई बड़ा जुर्माना किया गया हो।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा पोलैंड से टी-12 टैंकों की खरीद

5597. **श्री बी० देवराजन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में पाकिस्तान द्वारा पोलैंड से टी-72 टैंकों की खरीद के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) अपनी जायज रक्षा जरूरतों से अधिक अत्याधुनिक हथियार तथा उपस्कर प्राप्त करने की दिशा में पाकिस्तान के सतत् प्रयास चिन्ता का कारण हैं। इस सम्बन्ध में हमने अपने विचारों से पोलैंड की सरकार को अवगत करा दिया है।

(ग) सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता हो और भारत की सुरक्षा की हिफाजत के लिए आवश्यक उपाय करती है।

असम की रूपाली सिंचाई परियोजना

5598. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार को बारपेटा जिले में रूपाली मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कोई योजना स्वीकृत हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृत दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) रूपाली मध्यम सिंचाई स्कीम सितम्बर, 1978 की अनुमोदित स्कीम है। इस परियोजना को 5.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वर्ष 1993-94 में पूरा करने का कार्यक्रम है। पूर्ण होने पर यह परियोजना लगभग 4,400 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाक जीवन बीमा योजना

5599. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में डाक जीवन बीमा योजना के विस्तार के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) 1993-94 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) निम्नलिखित उपाय किए गए :

(i) सहायक पोस्ट मास्टर जनरल पीएलआई, सहायक निदेशक पीएलआई, विकास अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं और अभियान चलाए गए।

(ii) होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स के माध्यम से और समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर प्रचार किया गया।

(iii) बीमा कराने वाले सम्भावित व्यक्तियों, प्रोत्साहकों और संबंधित कार्यालयों के के अध्यक्षों को स्मृति-चिन्ह देकर भी प्रचार किया गया।

(iv) ग्राहकों और बीमा कराने वाले सम्भावित व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के प्रयोजन से 15-10-1992 को डाक जीवन बीमा दिवस मनाया गया।

(v) कार्यकुशल "आफ्टर सेल्स सर्विसेज" के लिए सर्किल कार्यालय में डाक जीवन बीमा सेवा काउंटर खोला गया।

(iv) प्रचार पर हुआ खर्च निम्नानुसार था :

1990-91	58,358.00 रु०
1991-92	56,336.00 रु०
1992-93	89,864.85 रु०

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग

5600. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका में भारतीय मूल के कितने लोग हैं;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कितने लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी किए गये थे;

(ग) वर्ष 1992 के दौरान ऐसे कितने पासपोर्टधारियों को वापस भारत भेज दिया गया था;

(घ) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने पासपोर्टधारी श्रीलंका में रह रहे हैं;

(ङ) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार कितने लोगों के आवेदन पत्र भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए श्रीलंका में भारतीय मिशन के पास लम्बित हैं; और

(च) द्विपक्षीय समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को 1992 के अन्त तक किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) 1992 के दौरान कुल 150 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई और उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी किए गए ।

(ग) 1992 के दौरान ऐसे कुल 94 पासपोर्ट धारकों को भारत प्रत्यावर्तित किया गया।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ?

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

5601. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का विभिन्न चरणों में आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय किया गया; और

(ङ) अन्य चरणों का आधुनिकीकरण कब तक पूरा किया जायेगा ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां । राउरकेला इस्पात संयंत्र की समग्र आधुनिकीकरण योजना को दो चरणों अर्थात् चरण-I तथा चरण-II में कार्यान्वित किया जा रहा है । समग्र आधुनिकीकरण योजना की अनुमोदित लागत 3954 करोड़ रुपए (1992 की प्रथम तिमाही की आधार तारीख) जिसमें 7:4 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा है । इसमें चरण-I के लिए 569 करोड़ रुपए की लागत भी शामिल है ।

(ग) और (घ) परियोजना के चरण-I के नवम्बर, 1993 तक पूरा होने की संभावना है ।

31-3-1993 की स्थिति के अनुसार आधुनिकीकरण के चरण-I पर 354 करोड़ रुपए संचयी खर्च हुआ है (आंकड़े अनन्तिम)।

(ङ) आधुनिकीकरण परियोजना के चरण-II को दिसम्बर, 1995 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

असम-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना

5602. **श्री एन० जे० राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को असम-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की सलाखों की सप्लाई में बरती जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

शावेल का आयात

5603. **श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सिंगरौली में उपयोग हेतु जापान से नवम्बर, 1992 में बामर एंड लारी के माध्यम से शावेल का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने दिसम्बर, 1992 में कोल इंडिया लिमिटेड के मार्फत ऐसा ही एक शावेल जापान से मंगाया था; और

(घ) एक ही उपकरण को विभिन्न एजेन्सियों के मार्फत मंगाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० ने नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (ना० को० लि०) के लिए एक शावेल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० को० लि०) के लिए दो अन्य शावेल कोबे स्टील, जापान से क्रमशः नवम्बर और दिसम्बर, 1992 माह में आयात किए थे।

(घ) शावेल इसी निर्माता अर्थात् कोबे स्टील से ही खरीदे गए थे। किंतु, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० ने मैसर्स बालमेर लारी एंड कंपनी लि०, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, को सभी आयातित वस्तुओं के लिए एक सीमा शुल्क तथा निकासी एजेंट के रूप में नियोजित किया था, जिसमें नवम्बर, 1992 में आयातित किए गए शावेल भी शामिल हैं।

चंडीगढ़ स्थित कर्मचारियों का मांग पत्र

5604. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री 25 फरवरी, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक तथा कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पंजाब के वेतनमान लागू करने के लिए दिये गए मांग पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मामले पर क्या निर्णय लिया गया है तथा क्या अधिसूचना जारी की गयी है :

(ग) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान एक बार पहले सेवानिवृत्ति की आयु सीमा घटाये बिना दे दिये गये थे; और

(घ) क्या वर्तमान निर्णय को लागू करने के पीछे यह मंशा थी कि लागू करने के समय सेवारत कर्मचारियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों ने, पंजाब-वेतनमानों की मांग की है, जो तृतीय पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए।

(ख) अधिसूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमान और उनकी सेवा निवृत्ति की आयु, अलग-अलग मुद्दे हैं। संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु, उन पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। क्या पंजाब सिविल सेवा नियमों को अपनाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं, इस प्रश्न पर, केन्द्रीय सिविल सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कुल लाभों की तुलना पंजाब सिविल सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों से करना होगा और न कि किसी अन्य नियमों के आधार पर।

विवरण

संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों आधार पर 1-4-1991 से पंजाब के वेतनमान दिए गए :

(i) कर्मचारियों को न केवल वेतन और भत्तों को अपनाना होगा बल्कि पंजाब सरकार के पेंशन, ग्रेच्युटी, एल० टी० सी० इत्यादि से संबंधित सभी नियमों को मानना होगा।

(ii) ये पूर्व तिथि से लागू नहीं होंगे तथा उन्हें 1-1-1986 से लाभ प्राप्त करने की छूट नहीं होगी।

(iii) पंजाब के वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण वेतन निर्धारण के मानक नियमों और प्रक्रिया से अनुरूप किया जाएगा।

(iv) कर्मचारियों को यह आश्वासन देना होगा कि भविष्य में वेतनमानों में कोई परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी।

अनुलग्नक

(भारत के राजपत्र भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

सं० 14012/2/88-सी एच डी

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी, 1992

अधिसूचना

सं० का० नि० राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारी सेवा-शर्त नियम, 1992 है। (2) ये नियम 1 अप्रैल, 1991 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवाओं में और प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तें : केन्द्रीय सिविल सेवाओं में और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समूह क, ख, ग और घ के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को सेवा-शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, वही होंगी जो पंजाब सिविल सेवा के तत्समान पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तें हैं और वे उन्हीं नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे, जो पश्चातवर्ती प्रवर्ग के व्यक्तियों को तत्समय लागू हैं :

परन्तु प्रशासक चण्डीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को दशा में, जहां तक वे पंजाब सरकार के तत्समान प्रवर्गों के कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर वेतन ले रहे हैं, प्रशासक इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह समय-समय पर उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण करे जिससे कि उन्हें उन वेतनमानों के समकक्ष लाया जा सके, जो पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर तत्समान प्रवर्ग के कर्मचारियों को मंजूर किए जाएं।

3. निरसन और व्यावृत्ति : चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कर्मचारी सेवा शर्त नियम, 1966 और वे आदेश जिनके लिए नियम 2 में उपबंध किया गया है, जहां तक वे ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों को लागू है और इन नियमों के उपबंधों से असंगत है, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु यह कि :

(क) ऐसे निरसन का उक्त नियमों और आदेशों के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के समय उक्त नियमों या आदेशों के अधीन लम्बित कोई कार्यवाही जारी रहेगी और यथासाध्य नियमों के उपबंधों और नियम 2 के अधीन किए गए आदेशों के अनुसार निपटाई जाएगी।

ह०

(प्रकाश चन्द्र)

निदेशक

स्पष्टीकारक ज्ञापन

चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों ने उनको 1-1-1986 से दिए गए केन्द्रीय सरकार/अन्य संघ राज्य क्षेत्र के वेतनमानों के स्थान पर तीसरे वेतनमान आयोग की सिफारिशों पर आधारित पंजाब वेतनमानों की मांग की है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारी सेवा शर्त नियम 1986 के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समूह क, ख, ग और घ के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा किए गए किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए वही होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर तत्समान पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू होती हैं और वे उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो पश्चातवर्ती प्रवर्ग के व्यक्तियों को तत्समय लागू हैं। संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों की मांग पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1991 से पंजाब के वेतनमान दे दिए जाएं और यह भी कि वे पंजाब सरकार के तत्समान कर्मचारियों की सेवा शर्तों द्वारा शासित होने चाहिए। चूंकि पंजाब के वेतनमान 1 अप्रैल, 1991 से अपनाए जाने हैं, अतः यह आवश्यक होगा कि इन नियमों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया जाए। तदनुसार इन नियमों को 1 अप्रैल, 1991 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी कर दिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से उन व्यक्तियों पर, जिनको यह नियम लागू होते हैं, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सं० 14012/2/88/सी एच डी दिनांक 13 जनवरी, 1992 प्रति प्रेषित :

1. प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ़ प्रशासन, 10 प्रतियां।
2. महालेखाकार, चंडीगढ़।
3. वित्त अनुभाग-II, गृह मंत्रालय।

ह०
(वी० ए० पिल्ले)
डैस्क अधिकारी

तेल कम्पनियों की फालतू बाटलिंग क्षमता

5605. श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तेल कम्पनियों के पास फालतू बाटलिंग क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) तेल शोधक कारखानों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग कितनी मात्रा में गैस जला दी जाती है; और

(घ) तेल कम्पनियों की फालतू बाटलिंग क्षमता का उपयोग करने के लिए इस प्राकृतिक गैस का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) बाटलिंग क्षमता का उपयोग आयोजित लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है जिनका

निर्धारण एल० पी० जी० की उपलब्धता, मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव, प्रचालन संबंधी बाधाओं तथा आर्थिक बाजार संयोजनों पर विचार करके किया जाता है।

(ग) और (घ) रिफाइनरियों की आंतरिक ईंधन की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति के लिए ईंधन गैस को सामान्यतया रिफाइनरियों में ईंधन के रूप में जलाया जाता है। रिफाइनरियों में गैस का वहन एक तकनीकी आवश्यकता है और यह कम से कम किया जाता है। आमतौर पर ये गैस स्ट्रीम एल० पी० जी० की बाटलिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

5606. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में तेल बाजार से खरीदे गए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ख) चालू वर्ष के प्रथम 6 माह में देश की आवश्यकता को पूरा करने में ये कहां तक पर्याप्त होंगे;

(ग) क्या इनके मूल्य का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया अथवा रुपये में;

(घ) क्या इस उत्पादों में विभिन्न रूसी गणतन्त्रों से वस्तु-विनिमय के आधार पर प्राप्त उत्पाद सम्मिलित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त भाग (ग) और (घ) के संबध में इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 22.00 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के लगभग 10.475 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया। वर्ष 1992-93 के दौरान वस्तु-विनिमय के आधार पर रूसी गणराज्यों से उत्पादों का कोई आयात नहीं किया गया।

खान के अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग

5607. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खानों के अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग हेतु कोई अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र क्या हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे अपशिष्ट पदार्थ के उप उत्पादों के वाणिज्यीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का खनन

5608. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मैसर्स इस्सर-निप्पोन डेनरो की सहायता से बस्तर जिले में लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है;

(ख) क्या इन कम्पनियों का विचार बस्तर जिले में लौह अयस्क आधारित उद्योग की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो लौह अयस्क का उपयोग किस प्रकार किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्थापित की जाने वाली अपनी गैलेटीकरण परियोजना की लौह अयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड ने बस्तर जिले में बैलाडिला में एक सज्जीकरण संयन्त्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। तथापि, उनके द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है।

(ग) निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के अतिरिक्त बैलाडिला से विशाखापट्टनम इस्पात संयन्त्र और अन्य स्वदेशी उद्योगों को लौह अयस्क की सप्लाई की जा रही है।

[अनुवाद]

दोषपूर्ण पेट्रोल पंप

5609. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में पेट्रोल/डीजल के अनेक खुदरा बिक्री केन्द्र दोषपूर्ण हैं और उपभोक्ताओं को कम पेट्रोल/डीजल दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या दोषपूर्ण पेट्रोल पम्पों पर जुर्माना किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान किन्हीं ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों का पता नहीं चला है जो उपभोक्ताओं को कम पेट्रोल/डीजल देते हों।

(ख) से (घ) इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वितरण इकाइयां सही मात्रा दे रही हैं। डीलरों द्वारा रोज जांच करना अपेक्षित है। राज्य सरकारों के माप एवं तौल विभाग के अधिकारियों, तेल कंपनियों के अधिकारियों और राज्य सरकार एवं तेल कंपनियों के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा भी नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाते हैं।

कम सुपुर्दगी का पता लगने पर कोई जुर्माना नहीं किया जाता हैं परन्तु "विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों" के अधीन कारंवाई की जाती है जिसके अधीन खुदरा बिक्री केन्द्रों की आपूर्ति और बिक्री स्थगित कर दी जाती है जिसे केवल माप एवं तोल विमय द्वारा दुबारा अंशों शोधन करने और दुबारा स्वीकृति दिए जाने के बाद ही शुरू किया जाता है। बार-बार चूक के मामलों में डीलरशिपें निरस्त भी कर दी जाती हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां

5610. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से झांसी तथा ग्वालियर जिलों में, क्रमशः पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी गतिविधियों की कोई सूचना हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है :

(घ) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से झांसी जिले में कुछ नाम दर्ज अपराधियों को बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हिंसा की 319 घटनाएं हुई और 445 व्यक्ति मारे गए। मध्य प्रदेश में इस अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा की घटनाएं सूचित की गई और 2 व्यक्ति मारे गए।

(ग) संबंधित राज्य सरकारें स्थिति से अवगत हैं और स्थिति से निपटने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठा रही हैं।

(घ) और (ङ) कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि मामला राज्य सरकार से संबंधित है।

[अनुवाद]

आंखों की रोशनी चली जाना

5611. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों/डाक्टरों की लापरवाही के कारण रोगियों की आंख की रोशनी चले जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की; और

(ग) दिल्ली के अस्पतालों में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली के कुछ अस्पतालों में उपचार किए गए नेत्र रोगियों के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच करने पर केवल एक शिकायत सही पाई गई जिसके लिए संबंधित डाक्टर को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

उपयुक्त सावधानी बरतने संबंधी सामान्य हिदायतें हैं जिन्हें समय-समय पर दोहराया जाता रहता है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अधिगृहीत भूमि

5612. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल के उत्पादन और खोज तथा अन्य प्रयोजनों के लिए देश में कुल कितनी भूमि का राज्यवार अधिग्रहण किया है;

(ख) क्या प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1993 तक दिये गए मुआवजे का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) अधिग्रहीत भूमि और दिए गए मुआवजों का, राज्यवार आंकड़ा नहीं रखा जाता है। कानून द्वारा निश्चित किया गया मुआवजा प्रत्येक मामले में अदा किया जाता है।

बस्तर जिले में लौह अयस्क के भण्डार

5613. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राजहारा लौह अयस्क भण्डार कितनी अवधि (वर्षों में) में समाप्त हो जायेंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार बस्तर, मध्य प्रदेश का राउघाट और बैलाडिला भण्डारों से लौह अयस्क का खनन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन भण्डारों से लौह अयस्क का खनन करते समय जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अनुसार दिल्ली-राजहरा में उपलब्ध लौह अयस्क भण्डार अगले 15-20 वर्षों में समाप्त हो सकता है।

(ख) आवश्यकता में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने राउघाट को अभिज्ञात किया है। बैलाडिला की तुलना में इसके तकनीकी आर्थिक लाभ के कारण यह मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भिलाई इस्पात को संयंत्र को लौह अयस्क की सप्लाई को जोड़ता है। सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन० एम० डी० सी०) बैलाडिला में लौह अयस्क का खनन करता है।

(ग) इस चरण पर प्रश्न नहीं उठता।

शीतल पेयों में हानिकारक पदार्थ

5614. **डा० आर मल्लू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेयों के अनेक निर्माता शीतल पेयों में "सैक्रीन" और "कैफीन" का प्रयोग करते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान ने शीतल पेयों में हानिकारक पदार्थों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) शीतल पेयों में सैक्रीन और कैफीन निर्धारित सीमा तक मिलाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। हाल ही में सैक्रीन और कैफीन के बारे में कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

कोयले की मांग तथा आपूर्ति

5615. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1992 से मार्च, 1993 की अवधि में गुजरात तथा महाराष्ट्र में उद्योगों को एवं घरेलू प्रयोग हेतु कोयले की अलग-अलग आवश्यकता तथा आपूर्ति कितनी थी; और

(ख) इस संबंध में 1990-91 तथा 1991-92 की संगत अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है। इनका मूल्यांकन सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उद्योग-वार किया जाता है।

उद्योगों को (विद्युत गृहों को छोड़कर) आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा और पिछले 2 वर्षों के दौरान इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से सितम्बर, 1992 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में घरेलू क्षेत्र के संबंध में साफ्ट कोक की मात्रा को दर्शाने वाली उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

(हजार टन में) (आंकड़े अनंतिम)

अवधि	महाराष्ट्र साफ्ट कोक		गुजरात साफ्ट कोक	
	उद्योगों को कोयला (विद्युत क्षेत्र को छोड़कर)	घरेलू क्षेत्र को साफ्ट कोक	उद्योगों को कोयला (विद्युत गृहों को छोड़कर)	घरेलू क्षेत्र को साफ्ट कोक
1	2	3	4	5
अप्रैल, 1990 से सितम्बर, 1990	2748	—	3588	2

1	2	3	4	5
अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991	2540	—	2662	6
अप्रैल, 1992 से दिसम्बर, 1992	2596	1	2204	1

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे

5616. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकार तथा अस्पताल के बीच चिकित्सा बिलों के समायोजन की पुरानी प्रणाली के स्थान पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अन्तरंग उपचार के चिकित्सा बिलों का स्वयं भुगतान करने के लिए एक नई प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस नई योजना के विरुद्ध बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) चिकित्सीय दावों के भुगतान को 1-4-1992 से संबंधित विभागों/मंत्रालयों में विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है ताकि उनका शीघ्र निपटान किया जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए उन्हें चिकित्सीय अग्रिम मंजूर करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मेडिकल दावे

5617. श्री केशरी लाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बिलों की अदायगी संबंधी शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् दिल्ली में महरौली स्थित लाला राम स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एल्लाइड डिसीजेज की काफी बड़ी राशि का विभिन्न मंत्रालयों और विभागो द्वारा भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इस संस्थान को अपने रोगियों को पर्याप्त उपचार देने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार संस्थान के बिलों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए एक प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) संस्थान की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (च) हालांकि, संस्थान के भुगतान बकाया पड़े हुए हैं, फिर भी रोगियों को बिना किसी व्यवधान के उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र भुगतान करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को आदेश जारी किए हैं कि वे लाभार्थियों को निम्नलिखित चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करें :

(I) क्षय रोग के बहिरंग रोगियों के उपचार के लिए 10,000 रुपये अथवा चिकित्सक द्वारा संस्तुत राशि, जो भी कम हो।

(II) बड़े उपचारों के मामलों में, अग्रिम, अनुमानित खर्च का 80 प्रतिशत या संबंधित अस्पताल द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि तक ही सीमित हो।

स्वतन्त्रता सेनानियों का पेंशन प्रकोष्ठ

5618. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन प्रकोष्ठ (सैल) को कम्प्यूटरीकृत करने की सरकार की कोई योजना है जिससे इनका श्रेणीवार रिकार्ड रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने गृह मन्त्रालय के स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग में पेंशन के मामलों के कम्प्यूटरीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंप्यूटरीकरण करने का मुख्य उद्देश्य रद्द करने इत्यादि के कारणों, प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति जैसे अन्य संबंधित ब्योरों के साथ स्वीकृत किए गए और रद्द किए गए मामलों की जिलेवार सूची के बारे में सूचना और प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भोगी गयी विभिन्न प्रकार की यातनाओं के विषय में शीघ्र पुनः प्राप्त करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कोयले की उत्पादन लागत

5619. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी में कोयले की उत्पादन लागत में भारी भिन्नता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार ने प्रतिभूति कोयले की उत्पादकता में सुधार लाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इस संबंध में अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या फालतू पुर्जों अथवा अन्य सामान की कमी के कारण अनेक कीमती मशीनें और उपकरण बेकार पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन मशीनों/उपकरणों को उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी हां। कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनी में भी परस्पर कोयले की उत्पादन लागत में अन्तराल है, चूंकि यह निम्नलिखित पर निर्भर करता है—भूमिगत और ओपनकास्ट खानों की प्रकृति, कार्यचालन की गहराई, सीम संस्तरण, भू-खनन परिस्थितियां, भू-संरक्षण की आवश्यकता, यंत्रीकरण का स्तर, नियोजित, श्रम शक्ति आदि का नियोजन।

(ख) उत्पादकता में वृद्धि किए जाने और कोयले की उत्पादन लागत में कमी करने हेतु उठाए गए मुख्य कदमों में से कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू श्रमिकों के पुनर्नियोजन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए रिक्त पदों के एवज में नए कामगारों के नियोजन पर प्रतिबंध शामिल हैं।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जरिए श्रमशक्ति में कमी।

(3) प्रयोगात्मक आधार पर "आल मैन-आल जाब" की संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है।

(4) पर्याप्त रूप में वर्कशाप स्पोर्ट मुहैया करके उपकरणों के प्रयोग तथा उपलब्धता में सुधार, कलपुर्जों के प्रबन्धन में सुधार और उपकरणों की समय पर व्यवस्था।

(5) उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार किए जाने के लिए भूमिगत खानों पर विशेष बल।

(6) क्रियाकलापों की कार्यक्षमता में सुधार करके कई पद्धतियों में सुधार किया गया है और प्रबंधनीय उपाय संमीकृत किए गए हैं।

उपर्युक्त उपायों को किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आई है।

(ग) कोयला उद्योग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार और लागत की मशीनों और उपकरणों को उपयोग में लाता है। इनका अनुरक्षण कुछ सूचीबद्ध रूप में किया जाता है और इनमें से कुछ आयातित मूल के है। कभी-कभी फालतू कलपुर्जों/उप-कलपुर्जों, जो विशिष्ट प्रकार/बनावट की मशीन के होते हैं, उन्हें स्वदेशी में और/या; विदेशी स्रोतों से विभिन्न कारणों से प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसे अवसरों पर मशीन/उपकरण अप्रयुक्त रहती हैं जब तक कि उनकी मरम्मत न की जाए।

(घ) बेकार पड़े उपकरणों की उपलब्धता में सुधार लाए जाने के लिए कोयला कंपनियों ने पिछले वर्ष से ही पद्धति-बद्ध रूप में पहले ही एक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर दिया है।

कोयला खान क्षेत्रों में माफिया गिरोह की गतिविधियां

5620. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः महीनों में बिहार के धनबाद, झरिया और बिहार के अन्य सीमावर्ती कोयला क्षेत्रों में, विशेषतः कोयले के खनन पर लगी रोक को हटाने के बाद, सक्रिय माफिया गिरोह की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) विद्यमान कोयला खनन नियमों की शर्तों के अंतर्गत उत्खनन किए जाने संबंधी क्रियाकलापों का केवल सरकार/सरकारी कंपनियों/निगमों द्वारा ही किया जाना स्वीकार्य है ।

धनबाद, झरिया और बिहार के अन्य समीपीय कोयला क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य बातों के अलावा, निरन्तर रूप में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

(1) स्थानीय प्रशासन के समन्वय के साथ समाज विरोधी तत्वों पर विरोधात्मक रूप में रोक ।

(2) समाज विरोधी तत्वों के संगठनात्मक क्रियाकलापों को रोकने के लिए विस्तृत रूप में गश्त लगाना, अचानक छापे मारना और व्यवस्थित रूप से छापों का मारा जाना ।

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नियोजन ।

(4) सतर्कता मशीनरी का सुदृढ़ीकरण ।

(5) वायरलेस संचार सुविधा में सुधार ।

(6) कोयला परिवहन का विभागीयकरण ।

(7) कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण ।

(8) सड़कों का सुधार ।

(9) ठेकों को दिए जाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन और इसे सुचारू रूप से किया जाना ।

रानीगंज और झरिया कोल फील्ड

5621. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रानीगंज और झरिया कोल फील्ड का एक बड़ा भाग अन्धाधुन्ध खनन के कारण नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) बर्बादी के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी नहीं । किन्तु सरकार को पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड्स के कुछ क्षेत्रों के धसाव प्रवृत होने के संबंध में तथा

बिहार के झरिया कोलफील्ड्स में आग के विद्यमान होने के बारे में जानकारी है, जो कि मुख्य रूप से कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व उनके अवैज्ञानिक रूप से उत्खनन किए जाने के कारण हैं।

रानीगंज कोलफील्ड्स में धंसाव की समस्याओं से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :

(1) चूंकि पानी से घिरे क्रियाकलाप जहां कि पहुंचना कठिन है, को सुदृढ़ीकृत करने के लिए कोई सिद्ध प्रौद्योगिकी नहीं है, अतः एक नई हाइड्रो न्यूमेटिक स्टोइंग प्रौद्योगिकी का रानीगंज टाउनशिप के पास के क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है।

(2) कोल इंडिया लि० द्वारा एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें असुरक्षित क्षेत्रों की जांच किए जाने के लिए निम्नलिखित के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है—पश्चिम बंगाल सरकार, महानिदेशक खान सुरक्षा, केन्द्रीय खनन अनुसंधान गृह, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि, आदि। इस समिति ने सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है और इसने रानीगंज कोयला क्षेत्रों के कुछ स्थानों को आवास के लिए असुरक्षित घोषित किया है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने प्रत्येक असुरक्षित स्थान के लिए निधियों की उपलब्धता को देखते हुए योजनाओं के निष्पादन किए जाने का कार्य शुरू किया है।

(3) असुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित किए जाने के लिए जिला प्रशासन के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई और सम्पर्क रखा जाता है।

झरिया कोलफील्ड्स में विद्यमान आगों से निपटने के लिए खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान द्वारा तैयार 22 अग्नि परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित पूंजीगत लागत 114.57 करोड़ रुपए है, के कार्यान्वयन के माध्यम से इन आगों को नियंत्रित किए जाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। कम गहराई पर लगी छोटी आगों को नियंत्रित कर पाने के अतिरिक्त इन आगों को पूर्ण रूप से बुझाया जाना संभव नहीं हो पाया है। इस मामले पर हाल ही में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने के लिए विश्व बैंक से विचार-विमर्श किया गया था। विश्व बैंक ने कोलफील्ड्स की आगों से निपटने के लिए कार्यक्रम को विकसित किए जाने हेतु एक निदानात्मक अध्ययन किए जाने के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इसके लिए 12 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के आई० डी० ए० ऋण को अनुमोदन दिया गया है।

जाली पासपोर्ट पर यात्रा

5622 श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कितने भारतीय अथवा विदेशी नागरिक जाली पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए :

(ख) क्या इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जाली पासपोर्ट पर यात्रा करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है और दूसरे क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जाली पारपत्रों पर यात्रा करने वाले या विदेश जाने वाले उन विदेशी और भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या, निम्न प्रकार से है जिन्हें इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया :

वर्ष	गिरफ्तार किए गए विदेशियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए भारतीयों की संख्या
1990	112	419
1991	113	493
1992	114	513
1993 (31-3-1993 तक)	22	98

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इस प्रकार के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) इस प्रकार की कोई विशिष्ट जांच नहीं की गयी लेकिन इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रत्येक मामले में पूछताछ/जांच पड़ताल की गयी।

[हिन्दी]

समाप्त प्रयोगावधि वाली दवाइयां

5623. श्री प्यारे लाल यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका के अस्पतालों/औषधालयों में रोगियों को ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिनकी प्रयोगावधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है या कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका अस्पतालों/औषधालयों में रोगियों को वे औषधें नहीं दी जाती हैं जिनकी इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो जाती है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिलाओं पर अत्याचार

5624. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं की दहेज हत्या, बलात्कार और उन पर अन्य अत्याचारों के मामलों के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

5625. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) इसमें से कितने कोयले की सड़क तथा रेल द्वारा पृथक्-पृथक् रूप से ढुलाई की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों को की गई कोयले की आपूर्ति का कोयला किस्म-वार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में कोयले का कुल उत्पादन 238.23 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान रेल द्वारा 130.67 मि० टन (अनंतिम) में सड़क द्वारा 33.50 मि० टन (अनंतिम) और अन्य परिवहन के साधनों द्वारा 73.02 मि० टन (अनंतिम) कोयले का प्रेषण किया गया था।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान अर्थ-व्यवस्था के कुछ बड़े क्षेत्रों को प्रेषण किए गए कोयले के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

क्षेत्र	प्रेषित किया गया कच्चा कोयला (मि० टन)	टिप्पणी
विद्युत	149.25	मुख्य रूप से ग्रेड "डी"/"ई"/"एफ"/ "जी" और वाशरी मिडलिंग्स
इस्पात	25.50	धुलाई के बाद अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार
लेको	3.22	"ए", "बी" और "सी" ग्रेड
सीमेंट	10.31	"सी" और "डी" ग्रेड
उर्वरक	4.53	"सी" और "डी" ग्रेड
अन्य	43.98	उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार सभी ग्रेड
जोड़	237.19 (अनंतिम)	

नीम हकीम चिकित्सक

5626. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री सुरेशानन्द स्वामी :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों में कई नीम हकीम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर का बोर्ड लगाकर पूर्ण चिकित्सक की तरह प्रेक्टिस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नीम हकीम चिकित्सकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अयोग्य चिकित्सकों द्वारा चिकित्साभ्यास करने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त हुई हैं। इन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 सहित विभिन्न कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना मिली है कि ऐसे अप्राधिकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

असम में एच० आई० वी० पॉजीटिव के मामले

5627. श्री प्रबीन डेका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक एच० आई० वी० पॉजिटिव के कितने मामले का पता लगाया गया है;

(ख) असम के किन-किन अस्पतालों में एड्स की जांच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या असम में विदेशी सहायता से कोई एड्स विरोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान असम को कितनी धनराशि प्रदान की गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) असम में जांचे गए एच० आई० वी० संक्रमण के 6498 नमूनों में से 4 नमूनों को एच० आई० वी० पॉजिटिव पाया गया ;

(ख) असम में दो एच० आई० वी० जांच केन्द्र हैं अर्थात्

(i) गुवाहाटी में, और

(ii) डिब्रूगढ़ में ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय सहायता से चलाए गए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 1992-93 के दौरान असम सरकार को 31.82 लाख रुपये की रकम का भुगतान किया गया है ।

[हिन्दी]

श्रीलंका के शरणार्थी

5628. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल श्रीलंका के कितने शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) इनमें से भारतीय मूल के कितने शरणार्थी हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ लोग स्थायी रूप से भारत में रहने के इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 3 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार 1,13,377 श्रीलंका के शरणार्थी भारत में रह रहे थे तथा जातीय रूप से वे सभी भारतीय मूल के हैं ।

(ग) और (घ) चूंकि शरणार्थी श्रीलंका के नागरिक हैं, अतः उन्हें यथा समय श्रीलंका वापस भेजा जाता है। उनको भारत में स्थायी रूप से बसाने का कोई प्रश्न नहीं है। तथापि, कुछ शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता प्रदान करने और उसके बाद पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। सरकार द्वारा याचिकाओं का विरोध किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खोजे गए तेल कुएं

5629. श्री राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बाम्बे हाई में गैस की खोज के बारे में 16 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोजे गए कुओं के दोहन की वाणिज्यिक लाभप्रदता का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें से महाराष्ट्र को कितनी गैस आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) केवल बी-149 तथा बी-57 संरचनाओं का रेखांकन कार्य पूरा हुआ है।

(ख) और (ग) बी-149 संरचना का वाणिज्यिक दोहन नहीं किया जा रहा है तथापि उरन तथा हाजिरा से की गई वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए बी-57 संरचना से प्राप्त गैस का उपयोग किए जाने की संभावना है।

बेलगाम एल्यूमिनियम संयंत्र

5630. डा० परशराम गंगवार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्नाटक स्थित बेलगाम एल्यू-मिनियम संयंत्र का विस्तार कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नयी प्रौद्योगिकी अपनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) मैसर्स इंडियन एल्यू-मिनियम कम्पनी लिमिटेड से मिली सूचना के अनुसार, कम्पनी ने जनवरी, 1993 में लगभग 20.00 करोड़ रु० की लागत से बेलगाम (कर्नाटक) स्थित अपने एल्यूमिना संयंत्र की क्षमता को 1,80,000 से बढ़ाकर 2,20,000 टन किया है।

[हिन्दी]

नेवेली लिग्नाइट निगम में राजभाषा का प्रयोग

5631. कुमारी विमला वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेवेली लिग्नाइट निगम में राजभाषा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) निगम में हिंदी के लिए कार्य करने हेतु कितने कर्मचारी जुड़े हुए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा आयोजित हिन्दी संबंधी कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) राजभाषा निगम, 1976 को तमिलनाडु राज्य में प्रभावी नहीं किया गया है जहां पर कि नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन स्थित है। किन्तु, पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सरकार और अन्य बाह्य अभिकरणों द्वारा आयोजित हिन्दी की विभिन्न परीक्षाओं को पास करने पर प्रोत्साहन तथा पुरस्कार स्वीकृत किए जाते हैं।

(2) कुछ रिपोर्टों का प्रकाशन जैसे कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, सरकारी उद्यम विभाग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आदि कार्य हिन्दी में किया जाता है।

(3) नेयवेली परिसर में जवाहर उच्चतर माध्यमिक स्कूल और इसी परिसर में दो अन्य स्कूलों में हिन्दी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।

(4) नेयवेली के सभी पते हिन्दी में भी मुद्रित किए जाते हैं।

(ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने० लि० का०) में 5 कर्मचारी हिन्दी के कार्य में कार्यरत हैं।

(ग) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (डी० बी० एच० पी० एस०) ने जुलाई, 1992 और जनवरी, 1993 में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन क्षेत्र मे हिन्दी भाषा पर कार्यशालाएं आयोजित कीं। ने० लि० का० द्वारा सभा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और कर्मचारियों को इसमें भाग लेने के लिए आयोजित किया गया।

रायगढ़ जिले में कोयले की खोज

5632. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश में केलो परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कितने स्थानों पर और किस वर्ष किया गया था;

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इन स्थानों पर खनन कार्य का काम कब से आरम्भ कर दिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) वर्ष 1983-85 में भूगभर्यी एवं खनन निदेशालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा सितम्बर, 1991-जून, 1992 की अवधि के दौराम कैलो परियोजना के तकरीबन 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का

भू-अन्वेषण कार्य किया गया था । इस सर्वेक्षण कार्य से 300 मीटर तक की गहराई में तकरीबन 7.44 मिलियन टन निम्न दर्जे के कोयले के उपलब्ध होने के संबंध में जानकारी मिली है ।

इन कोयला संसाधनों की आर्थिक क्षमता उत्साहवर्धक प्रतीत नहीं होती है । किन्तु, कोयले के उत्खनन की व्यावहार्यता विस्तृत प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन पर निर्भर करती है ।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में सीमा-निर्धारण आयोग

5633. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सीमा निर्धारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के० के० गुप्ता ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चुनाव क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण, जैसा कि 1981 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आयोग द्वारा आदेश दिया गया था, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है;

(ङ) क्या इस प्रकार के अभ्यावेदन दिए गए हैं कि जम्मू क्षेत्र के लिए विधान सभा के स्थान (सीट) जैसा कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, जम्मू क्षेत्र की आबादी और कश्मीर क्षेत्र की आबादी की तुलना में अनुरूप नहीं है; और

(च) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी से लाखों व्यक्तियों के विस्थापन और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस राज्य में अन्य राज्यों के साथ-साथ 1991 में जनगणना नहीं कराई गई थी, इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) 1981 की जनगणना के बाद, जम्मू व कश्मीर की सरकार ने राज्य सीमांकन आयोग का गठन किया । आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विधान सभा की 87 सीटों के सीमांकन करने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा इसके अन्तिम आदेशों को जम्मू व कश्मीर सरकार के राजपत्र में दिनांक 28-9-1992 को प्रकाशित किया गया । आदेश को सदन के पटल पर दिनांक 16-12-1992 को रखा गया था ।

जम्मू व कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 में राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाबन्दी करने की प्रक्रिया और सीमांकन आयोग की शक्तियां निर्धारित हैं । जैसा कि राज्य के कानून में निर्धारित है, सीमांकन आयोग द्वारा 87 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव का प्रारूप अप्रैल, 1989 में प्रकाशित किया गया तथा कानून के उपबंधों के अनुरूप, सार्वजनिक सुनवाइयों सहित, लोगों की आपत्तियों तथा प्रतिवेदनों पर भी विचार किया गया । सितम्बर, 1992 में आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के कार्य का अंतिम आदेश दिया और 28-9-1992 को राज्य राजपत्र में अपना आदेश प्रकाशित किया । विद्यमान

कानूनी उपबंधों के शर्तों के अनुसार, राज्य के राजपत्र में आयोग के आदेश प्रकाशित हो जाने के बाद उसका कानूनी शक्ति प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में विवादास्पद नहीं ठहराया जाएगा।

राज्यों को लोहे तथा इस्पात का आबंटन

5634. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य को लोहे तथा इस्पात के आवटन में सुधार लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 16 जनवरी, 1992 से लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के बाद भी 5 क्षेत्रों अर्थात् रक्षा, रेलवे, इंजीनियरी माल के निर्यातकों, लघु उद्योग क्षेत्रों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है, विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात कच्चे लोहे और इस्पात का आवंटन राज्यों के लघु उद्योग निगमों को करता है। कुछ राज्यों के मामले में कच्चे लोहे का आबंटन लघु उद्योग फाउण्ड्री यूनिट संघों को भी किया जाता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में, विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित शीर्षस्थ (नोडल) प्राधिकरणों को लोहे और इस्पात का आवंटन करता है।

इंजीनियरी माल के निर्यातकों की आवश्यकताओं को विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा जारी निर्मुक्ति आदेशों के तहत मुख्य उत्पादकों द्वारा पूरा किया जाता है। रक्षा और रेलवे की आवश्यकताओं को मुख्य उत्पादकों द्वारा सीधे पूरा किया जाता है।

विभिन्न राज्यों को दिए गए आबंटन के लिए की गई वास्तविक सप्लाई की समीक्षा विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा आवधिक रूप से की जाती है तथा इस बारे में किसी भी समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जाते है।

[हिन्दी]

दिल्ली में लाटरियां

5635. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में चल रही विभिन्न लाटरियों पर नजर रखने के लिये कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने केन्द्र शासित क्षेत्रों में दिनांक 3-4-1985 से प्राइवेट लाटरियों के संचालन को प्रतिबन्धित कर दिया है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली प्रशासन को, राज्य लाटरियों के संचालन के समय, केन्द्र सरकार द्वारा लाटरियों के संचालन तंत्र और प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाने के लिए जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों को लागू करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

डिगबोई तेल शोधक कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना

5636. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिगबोई तेल शोधक कारखाने की आधुनिकीकरण परियोजना में किन-किन एककों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत तथा अब तक जारी की गई है;

(ग) क्या वर्तमान कोकिंग एकक को बदलकर नए डिलेड कोकिंग यूनिट (डी सी यू) तथा सोलवेंट डिवैक्सिंग यूनिट को लगाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने 143.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले डिगबोई रिफाइनरी की आधुनिकीकरण परियोजना के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी जून, 1989 में दी गई थी। इस परियोजना में वर्तमान आसवन इकाइयों को बदलने, वर्तमान एवं विद्युत निर्माण इकाइयों के स्थान पर सह-निर्माण आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र लगाने तथा उपयोगिताओं एवं अपतटीय क्षेत्रों को बढ़ाने का कार्य है। लगभग 68.49 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ग) सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम में कर्मचारियों को बोनस

5637. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड में कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत लाभ न कमाने वाली कम्पनी है। अतः बोनस देय नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में जेल तोड़ने का प्रयास

5638. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसम्बर, 1992 के इन्डियन एक्सप्रेस में जेल ब्रेक बिड एक्सपोजेज केओस्क इन जे एण्ड के प्रिजन्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर की जेलों में कुप्रबन्ध तथा अव्यवस्था की स्थिति व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) . (क) से (ङ) सरकार को संदर्भित समाचार की जानकारी है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में आतंकवादी तथ्यों द्वारा जेल तोड़ने के प्रयास की तथा जेल परिसरों में अमर्यादित गतिविधियों के कुछ मामले जानकारी में आए हैं। 16 दिसम्बर, 1992 को जम्मू केन्द्रीय जेल में, जेल तोड़ने के एक ऐसे ही प्रयास का पता लगाया गया। जेल नियंत्रक, जेल उपनियंत्रक, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों ने जेल का दौरा किया। बैरेक की पूरी चैकिंग की गई और तलाशी ली गई। जेल के कुछ कैदियों ने व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया और हिंसा फैलाई। जेल के कैदियों के अनियन्त्रित व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। टकराव में लगभग 21 कैदी और इतनी ही संख्या में पुलिस/जेल कर्मी घायल हुए। जम्मू के पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में इस बारे में दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए। राज्य पुलिस द्वारा मामलों की आगे जांच की जा रही है। घायल व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए घटना स्थल पर एक चिकित्सा दल भी भेजा गया था।

2. राज्य में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों और उसके परिणामस्वरूप राज्य में तथा सीमा पर की जाने वाली गिरफ्तारियों/नजरबंदी के कारण जेल आवासन पर भारी दबाव के बावजूद जेल प्रबन्धन की सुव्यवस्थितता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जेलों के बारे में नियमित समीक्षाएं की जा रही हैं, इन उपायों में ये भी शामिल हैं—अन्य राज्यों की जेलों में कैदियों के स्थानान्तरण सहित जेल में कैदियों की संख्या में कमी तथा जेलों का पुनर्गठन करके जेलों में भीड़-भाड़ समाप्त करना, जेल परिसर में निगरानी और वार्ड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों की तैनाती तथा जेल परिसरों की सीमा में और उसके बाहर सुरक्षा उपायों एवं जांच प्रबंधों को मजबूत बनाना।

नान्देड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रशिक्षण केन्द्र

5639. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के नान्देड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्रशिक्षण देने की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुदखेड़, जिला नान्देड़ महाराष्ट्र, में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

पेट्रोल में सीसे की मात्रा

5640. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल में सीसे की मात्रा के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इस समय देश में पेट्रोल में सीसे की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) पेट्रोल में सीसे की मात्रा में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) बोर्ड द्वारा पेट्रोल में निर्धारित स्तर तक सीसे की मात्रा लाने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" ने अनुशंसा की है कि विनिर्देशन के अनुसार पेट्रोल में सीसे का सांद्रण अधिकतम 0.15 ग्राम प्रति लीटर तक सीमित होना चाहिए जबकि वर्तमान में यह 0.56 ग्राम प्रति लीटर है। कम सीसा तत्व वाले पेट्रोल की देश के अनेक भागों में पहले ही आपूर्ति की जा रही है। सीसा तत्व को और कम करने के लिए रिफाइनरियों में संयंत्रों और सुविधाओं की स्थापना संबंधी परियोजनाएं कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं।

एड्स का उपचार

5641. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन जड़ी-बूटियों के द्वारा एड्स का उपचार करने में सफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दवा बनाने में काम आने वाली जड़ी-बूटी का नाम पता करने का प्रयास किया है;

(ग) क्या एड्स की दवा बनाने के लिए भारत में इस प्रकार की जड़ी-बूटी पर अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विज्ञान पत्रिकाओं में छप रही रिपोर्टों के अनुसार चीन में बहुत से पादक हैं जिनमें विट्रो तथा विवो में (प्रायोगिक पशुओं में) एड्स-रोधी वायरस सक्रियता होने की सूचना मिली है।

(ख) क्युकर्बिटेसी परिवार के बहुत से पौधों में एड्स-रोधी सक्रियता सूचित की गई है। इनमें से कुछेक आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां हैं जैसे मोमोर्डिका करेंसिया (करेला) : लुफ्फा एक्युटंक्वेला तथा लुफ्फा सिलिन्ड्रिका (तोरी) तथा एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा (कालमेघ)।

(ग) और (घ) एड्स-रोधी सक्रियता के लिए भारतीय औषधीय पादपों (आयुर्वेदिक/यूनानी तथा सिद्ध प्रणालियों तथा लोक औषधों से) की जांच करने के लिए कुछ भारतीय प्रयोगशालाओं में प्रयास किए जा रहे। तथापि, ये सभी प्रारंभिक अवस्थाओं में हैं। जिन भारतीय पादपों पर ध्यान दिया जा रहा है उनमें इम्युनो-मोडुलेटर/एन्टी स्ट्रेस प्लांट औषध जैसे अश्वगंध (विथेनियां सोमिफेरा), तुलसी (ओसिमम संक्टम), शतावरी (असपरागस रेसिमोसस) गिलो (टिनोसपोरा कार्डियोफोलिया), पुनर्नवा (बोरहेविया डिफ्फयुसा) इत्यादि।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय चिकित्सालय प्रसवोत्तर कार्यक्रम

5642. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सालय प्रसवोत्तर कार्यक्रम को बिहार में नार्वे की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (नोराड) की सहायता से लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नार्वेजियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (नोराड) बिहार के 24 जिलों उप जिला अस्पतालों में स्थित 54 प्रसवोत्तर केन्द्रों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन 24 जिलों के नाम इस प्रकार हैं :

1. पटना
2. गोपालगंज
3. रोहतास
4. पलामू
5. साहिबगंज
6. भोजपुर
7. किशनगंज
8. गया
9. रांची
10. पश्चिमी चंपारन
11. पूर्वी चंपारन
12. सहरसा
13. समस्तीपुर
14. मुंगेर
15. लोहारडागा
16. संथाल परगना
17. देवघर
18. हजारीबाग

19. अररिया	22. भागलपुर
20. नालन्दा	23. सिंहभूम
21. गिरिडीह	24. मधुबनी

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

5643. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 25 फरवरी, 1993 को अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटन किस आधार पर किया गया है;

(ख) बिहार में उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त हुए हैं तथा 1991-92 के दौरान उनके निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा 1992-93 के दौरान उनके लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) बिहार सरकार के लिए आवंटन करने का क्या प्रयोजन है और उसकी क्या उपलब्धि रही ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटन कुष्ठ रोगियों की संख्या, स्वीकृत आधारभूत ढांचे तथा पिछले वर्ष के उनके कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार के निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों ने अनुदान प्राप्त किया है :

1. भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर
2. राजेन्द्र सेवाश्रम संघ, मार्बी
3. स्वामी विवेकानन्द सेवा ट्रस्ट, जमशेदपुर
4. सिंहभूम नवजीवन निकेतन
5. बनवासी सेवा केन्द्र, रोहतास
6. संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल देवघर

वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार में स्वैच्छिक संगठनों को 18,13,791 रुपए की राशि रिलीज की गई है। अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) आवंटन का मुख्य उद्देश्य राज्य में कुष्ठ रोग की रोकथाम और नियन्त्रण करना है। वर्ष 1992-93 में उपलब्धि का स्तर इस प्रकार है :

(क) पता लगाए गए नए रोगी	42790
(ख) नए रोगियों का उपचार किया गया	42790
(ग) रोग ठीक हो जाने पर रोगियों को छुट्टी दी गई	68430

दिल्ली अग्निशमन सेवा का कंप्यूटरीकरण

5644. **श्री जीवन शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा का कंप्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली में मौजूदा अग्निशमन केन्द्र वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिल्ली में 1993 के दौरान कितने नए अग्निशमन केन्द्र खोलने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए कुल 3 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है ।

(ग) उपरोक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) 1992-93 के दौरान नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, रोहिणी, बादली औद्योगिक क्षेत्र और बवाना में नए अग्निशमन केन्द्र खोले गए ।

सोडियम और मरकरी लाइट फिटिंग निकालना

5645. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "डेसू" के कुछ अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस से स्ट्रीट लाइटों से सोडियम और मरकरी लाइट फिटिंग निकालने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1-1-1993 से 7-4-1993 तक की अवधि के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर भा० दं० सं० की धारा 379 के अन्तर्गत विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 7 मामले दर्ज किए गए और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

5646. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कुल कितनी एजेंसियां हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश में रसोई गैस सिलिंडरों की इस समय महीना-वार मांग और शर्तों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दिनांक 1-1-1993 को मध्य प्रदेश में एल० पी० जी० एजेंसियों की कुल संख्या 223 थी।

(ख) मध्य प्रदेश में एल० पी० जी० सिलिन्डरों की वर्तमान औसत मासिक मांग और आपूर्ति क्रमश: 8.05 लाख और 8.26 लाख है।

[हिन्दी]

रसोई गैस का आवंटन

5647. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को रसोई गैस का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी के आधार पर रसोई गैस का आवंटन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश समेत राज्यों को एल० पी० जी० की आपूर्ति की जनसंख्या के आधार पर नहीं वरन् एल० पी० जी० क्रेताओं की संख्या तथा प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्टॉक तथा उत्पाद की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और जर्मनी की एस०एम० एस० स्क्लोमान्न-सीमेंग कम्पनी के बीच समझौता

5648. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने गरम पिघले हुए स्टैनलेस स्टील के कॉयूलों का देश में निर्माण करने के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु जर्मनी की एस० एम० एस० स्क्लोमाएन-सीमेंग कम्पनी के साथ एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) 'सेल' ने 13-1-1993 को एम० एम० एस० एक्लोमान्न सीमेंग के साथ विद्यमान विनिमय दर (8-4-1993) पर लगभग 194.00 करोड़ रुपए मूल्य के निम्नलिखित तीन करार किए हैं। इनका ब्योरा निम्नानुसार है :

करार 1 : एस० एम० एस० प्रमुख ठेकेदार है।

करार का कार्य क्षेत्र : हॉट रोलिंग स्टेकल मिल के लिए आयातित संयंत्र और उपस्कर, अतिरिक्त कल-पुर्जो सहित प्रचालन सप्लाई तथा औजारों का निर्माण और उनकी सप्लाई।

करार-2 : एस० एम० एस० प्रमुख ठेकेदार है।

करार का कार्य क्षेत्र : हाट रोलिंग स्टेकल मिल के लिए रूपांकन और इंजीनियरी, प्रशिक्षण, उत्पादन और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी तथा समग्र समन्वय कार्य के लिए विदेश में सेवा उपलब्ध कराना।

करार-3 : जी० एफ० ए० अनलागेन्बू, जर्मनी ठेकेदार है।

करार का कार्य क्षेत्र : भारत में हाट रोलिंग स्टेकल मिल के लिए स्वदेशी उपस्करों का निर्माण, स्थापना, परीक्षण, चालू करना, निष्पादन, गारंटी परीक्षण, प्रशिक्षण और अन्य सेवाओं का पर्यवेक्षण।

[हिन्दी]

गुजरात में गैस वितरण प्रणाली

5649. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के बड़ोदरा, भरोच और पंचमहल क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए गैस सप्लाई करने हेतु कोई गैस वितरण प्रणाली तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब से कार्य करना शुरू कर देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) बड़ोदरा और भरूच-अंकलेश्वर के औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को पहले ही प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है। गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में पाइप द्वारा गैस-आपूर्ति प्रणाली की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बन्द पड़ी सोने की खानों के कर्मचारी

5650. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्र में बन्द पड़ी सोने की खानों के कर्मचारियों का इस बीच पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बन्द पड़ी सोने की खानों के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) चूंकि कोलार गोल्ड फील्ड स्थित किसी स्वर्ण खान से किसी कामगार की छंटनी नहीं की गई है, अतः उनके पुनर्स्थापन का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी की दर

5651. स्वामी सुरेशानन्द : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक कोयला उत्पादक राज्य में लागू की गई कोयले की बढ़ी हुई दरें क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : दिनांक 1-8-1991 से विभिन्न कोयला उत्पादित राज्य पर प्रभावी कोयले के विभिन्न ग्रेडों की रायल्टी की संशोधित दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पादित कोयला---	रु०/टन
(1) ग्रुप I कोयला :	
(क) कोककारी कोयला इस्पात ग्रेड I इस्पात ग्रेड II वाशरी ग्रेड I (ख) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	150.00
(2) ग्रुप 2 कोयला---	
(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड II कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड III (ख) अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड II (ग) गैर कोककारी कोयला ग्रेड क गैर कोककारी कोयला ग्रेड ख (घ) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकला हुआ कोयला	120.00
(3) ग्रुप 3 कोयला :	
(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ग	75.00

(4) ग्रुप 4 कोयला	
(क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड घ (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ङ	45.00
(5) ग्रुप 5 कोयला :	
(क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड च (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड छ	25.00
(6) लिग्नाइट	2.50
(7) ग्रुप 6 कोयला :	
आंध्र प्रदेश राज्य मे उत्पादित कोयला (सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०)	70.00
पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में उत्पादित कोयला :	
(1) ग्रुप I कोयला	
(क) कोककारी कोयला इस्पात ग्रेड I इस्पात ग्रेड II वाशरी ग्रेड I (ख) असम राज्य में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	70.00
(2) ग्रुप 2 कोयला :	
(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड II कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड III (ख) अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड II (ग) गैर कोककारी कोयला ग्रेड क गैर कोककारी कोयला ग्रेड ख (घ) असम राज्य में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकला हुआ कोयला	6.50
(3) ग्रुप 3 कोयला :	
(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड 4 (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ग	5.50
(4) ग्रुप 4 कोयला :	
(क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड घ (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ङ	4.30
(5) ग्रुप 5 कोयला :	
(क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड च (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड छ	2.50

[अनुवाद]

त्रिपुरा राज्य लाटरी

5652. श्रीमती बिभू कुमारी देवी :
श्री उद्धव बर्मन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में त्रिपुरा राज्य लाटरी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) "त्रिपुरा राज्य लाटरी" में अनियमितताओं के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) से (ङ) त्रिपुरा सरकार से वस्तुस्थिति बताने वाली रिपोर्ट मांगी गई है । सामान्यतः, अनियमितताओं की प्रकृति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करना त्रिपुरा सरकार की जिम्मेदारी है ।

बंगलादेश में भारतीय अन्तः क्षेत्र

5653. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांगलादेश क्षेत्र में कितने भारतीय अन्तः क्षत्र हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक अन्तःक्षेत्र की जनगणना पिछली बार कब करायी गई थी;

(ग) उस जनगणना के अनुसार ऐसे प्रत्येक अन्तःक्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी; और

(घ) इन अन्तःक्षेत्रों की वर्तमान जनसंख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बंगलादेश में 130 भारतीय अंतः क्षेत्र हैं, जिनमें से 119 विनिमेय हैं तथा 11 अविनिमेय हैं ।

(ख) से (घ) प्रशासकीय कारणों से इन 119 विनिमेय अंतः क्षेत्रों में वर्ष 1951 के बाद जनगणना कराना संभव नहीं हो सका । तथापि 1951 में इन अंतःक्षेत्रों में कराई गई जनगणना संतोषजनक नहीं थी ।

शेष 11 अविनिमेय अन्तःक्षेत्रों से नियमित रूप से जनगणना की जाती रही है । 1991 की जनगणना के अनुसार, इन अन्तःक्षेत्रों की जनसंख्या, निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	छित का नाम	छित संख्या	जनसंख्या
1.	शकली	62	2297
2.	तदैव	63	
3.	तदैव	68	
4.	बीणागुरी	61	938
5.	तदैव	81	
6.	बंखाटा	39	1963
7.	तदैव	40	
8.	तदैव	43	
9.	नीलग्राम छित	137	अन्त:क्षेत्र में आबादी नहीं है।
10.	मदनकुड़ा छित	155	396
11.	छित सूरागुड़ी	154	अन्त:क्षेत्र में आबादी नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

5654. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने दिल्ली में विशेष रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को छः पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भी ऐसे ही अवसर देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पार स्थानों का हाल में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विज्ञापन किया गया है।

(ग) से (ङ) दिल्ली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की परस्पर आबादी को दृष्टि में रखते हुए, सरकार की नीति के अनुसार दिल्ली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पूर्ण 25 प्रतिशत का आरक्षण केवल अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया है।

कुष्ठरोग उन्मूलन

5655. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से कुष्ठरोग के उन्मूलन के लिए यूरोपीय देशों से कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत द्विपक्षीय सहायता के लिए सीडा (स्वीडन), डेनिका (डेनमार्क) और नोराड (नार्वे) के साथ समझौते किए गए हैं । वे 29 स्थानिकमारी वाले जिलों में बहु-औषध उपचार कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।

भारतीय गैस प्राधिकरण को मार्केटिंग एजेन्ट नियुक्त करना

5656. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बेची जा रही प्राकृतिक गैस के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को मारकेटिंग एजेन्ट नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विपणन क्रियाकलाप संबद्ध परिसम्पत्तियों के साथ गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं, जो वर्ष 1984 में प्राकृतिक गैस के परिवहन, संसाधन और विपणन के प्रयोजन से स्थापित की गई थी ।

ओमान से गैस का आयात

5657. श्री अन्ना जोशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओमान से गैस के आयात हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ओमान से आयात की जाने वाली गैस अन्य देशों से आयातित गैस के मुकाबले सस्ती होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस के आयात की संभावना का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ।

(ग) परियोजना अभी तक वैचारिक स्तर पर है और कीमत जैसे विवरणों का अभी तक आंकलन नहीं किया गया है ।

लघु क्षेत्र को गन्दा मोम की सप्लाई

5658. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी मोमबत्तियों के लिए टाइप-3 की पैराफीन मोम उपयुक्त नहीं है और इस कार्य के लिए पैराफीन मोम टाइप-2 का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो से कभी सलाह ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु क्षेत्र को गन्दे मोम की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने मानक आई० एस० 4654-1974 (जून, 1990 का संशोधन 5) के तहत टाइप-III पैराफिन मोम को भी मोमबत्तियों बनाने के लिए उपयुक्त माना है। टाइप-II पैराफिन मोम को अच्छी किस्म की मोमबत्तियां बनाने के लिए हमेशा ही उपयुक्त माना गया है और घरेलू उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाता है।

(घ) बरौनी रिफाइनरी से प्राप्त स्लैक मोम के अतिरिक्त हल्दिया रिफाइनरी तथा मद्रास रिफाइनरीज लि० से प्राप्त अतिरिक्त स्लैक भी स्लैक मोम के प्राधिकृत संसाधकों को दिया जा रहा है। स्लैक मोम के आयात पर से अब नियंत्रण हटा लिया गया है।

संपत्ति/गृह कर

5659. श्री ओबम शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों तथा उससे अधिक समय से कितने व्यक्तियों ने दिल्ली नगर निगम को संपत्ति/गृह कर नहीं दिया है; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम सम्पत्ति-वार लैजर रखता है। लगाए गए अतिरिक्त 'करों' एवं किए गए भुगतानों को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर रिकार्ड किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर "बकाया" निकाला जाता है। जहां भी "कर" न्यायालयों द्वारा किसी "स्थगनादेश" के अधीन नहीं होते हैं, संपत्ति के मालिकों से करों की अदायगी का अनुरोध किया जाता है और ऐसा करने में असफल रहने पर 20 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाता है। बैंक खाते और किराये भी जब्त किए जाते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों से संपत्ति-कर का भुगतान नहीं किया है।

कश्मीरी प्रवासी

5660. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी प्रवासी भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ प्रवासी, जो गत कई वर्षों से भारत में नहीं रह रहे हैं, अपने नौएडा पते पर अभी भी धन प्राप्त कर रहे हैं जैसाकि 4 फरवरी, 1993 के राष्ट्रीय सहारा में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अधिकांश प्रवासी जम्मू और दिल्ली में ठहरे हुए हैं । जम्मू में, चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये प्रतिमाह की नकद राहत और राशन दिया जा रहा है । दिल्ली में, शिविरों से बाहर रह रहे चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 1000 रु० की राशि और शिविरों में रह रहे, चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रति माह 500 रु० और राशन दिया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार श्री एम० एल० त्रिसाल, श्री ललित कुमार रैना और एम० एल० सफाया, जिनके नामों का उल्लेख संदर्भाधीन रिपोर्ट में किया गया है, को 1992-93 में कोई राहत नहीं दी गयी है ।

[हिन्दी]

भारतीय नागरिकता प्रदान करना

5661. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी;

(ख) क्या नागरिकता प्रदान करने के संबंध में कोई अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नागरिकता अधिनियम, 1955 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत 2350 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी । इस बारे में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आयी है ।

[अनुवाद]

दिल्ली में नई डिस्ट्रिक्ट जेल

5662. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पहले दिल्ली में कुछ नई डिस्ट्रिक्ट जेलें बनाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन जेलों की स्थापना में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन जेलों की तत्काल स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री शंकर राव चव्हाण) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन का शुरू में, मंडोली, शाहदरा में एक नयी जिला जेल स्थापित करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव में बाद में संशोधन किया गया और अब जेल परिसर मंडोली में तीन जेलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। परिसर के 1998 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

तिहाड़ जेल परिसर में दो अतिरिक्त जेलों (जेल सं॰ 5 और 6) का निर्माण करने का प्रस्ताव है। जेल सं० 5 के दिसम्बर, 1994 तक और जेल सं० 6 के मार्च, 1998 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी

5663. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में नियोजित महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों और महिला निरीक्षकों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस में किसी महिला निरीक्षक को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस समय दिल्ली पुलिस में भारतीय पुलिस सेवा की 3 महिला अधिकारी तथा 30 महिला निरीक्षक तैनात हैं तथा उनकी क्षेत्रवार तैनाती निम्न प्रकार है—

महिला भा० पु० से० अधिकारी

1.	लाइसेंसिग	1
2.	सतर्कता	1
3.	मुख्यालय-III	1

महिला निरीक्षक

1.	उत्तरी जिला	1
2.	उत्तर पूर्वी जिला	1
3.	उत्तर पश्चिमी जिला	1
4.	पूर्वी जिला	1
5.	केन्द्रीय जिला	1
6.	पश्चिमी जिला	1
7.	दक्षिणी जिला	1
8.	दक्षिण-पश्चिम जिला	1
9.	नई दिल्ली जिला	1
10.	ट्रैफिक	1
11.	एफ० आर० आर० ओ०	4
12.	विशेष कक्ष/एस० बी०	1
13.	अपराध और रेलवे	2
14.	अपराध (महिला) कक्ष	4
15.	प्रोवीजनिंग और लाइन्स	5
16.	पुलिस नियन्त्रण कक्ष	2
17.	पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	1
18.	सुरक्षा	1

(ख) दिल्ली में इस समय कोई महिला निरीक्षक एस० एच० ओ० के रूप में तैनात नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला खानों का विकास

5664. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कोयला मंत्री यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला खानों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) तापीय विद्युत उत्पा-

दन के लिए गृहीत उपभोग के प्रयोजन के लिए सरकार ने कोयला संभावित क्षेत्रों में कोयला खनन क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति दिए जाने संबंधी निर्णय लिया है।

सरकार द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय को प्रभावी बनाए जाने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित किए जाने हेतु संसद में एक विधेयक पारित किया गया है।

दिल्ली में हत्या के मामले

5665. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के प्रथम तीन महीनों मे प्रत्येक महीने के दौरान दिल्ली से हत्या के कितने मामले हुए;

(ख) हत्या के मामलों में पुलिस के लिए न्यायालय से चालान दायर करने हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों में से कितने मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान दायर नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) पुलिस द्वारा समय पर चालान दायर न किए जाने के कारण कितने कथित हत्यारे जमानत पर रिहा कर दिए गये;

(ङ) दोषी पाये गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) चालान शीघ्र दायर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1993 के पहले तीन महीनों के दौरान, प्रत्येक महीने में सूचित किए गए हत्या के मामलों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :

माह	मामलों की संख्या
जनवरी, 1993	35
फरवरी, 1993	34
मार्च, 1993	45

(ख) 90 दिन।

(ग) कोई नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में चालान दायर करने के बारे में सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश देने वाले निर्देश पहले से ही मौजूद हैं।

दिल्ली में जले व्यक्तियों के उपचार के लिए छोटे यूनिट

5666. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जले व्यक्तियों के उपचार के लिए बनाये गए अधिकांश यूनिट दिल्ली के केन्द्र स्थल में स्थित हैं जो दिल्ली के सीमावर्ती लोगों की पहुंच से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र में जले व्यक्तियों के उपचार के लिए छोटे यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस समय जले व्यक्तियों के उपचार के लिए बनाए गए यूनिट केवल दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) गुरु तेग बहादुर अस्पताल जो पूर्वी दिल्ली मे सेवा कर रहा है, उसमें जले हुए रोगियों के उपचार के लिए बारह पलंग निश्चित किए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर में बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग शुरू करने का भी प्रस्ताव है। रोहिणी में डा० बी० आर० अम्बेडकर अस्पताल के पूरा होने के दूसरे चरण में जले हुए रोगियों की उपचार संबंधी सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षण अस्पतालों में गैर-अध्यापन विशेषज्ञ

5667. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि शिक्षण अस्पतालों में गैर-अध्यापन विशेषज्ञों को नियुक्त न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो यूनिवर्सिटी कॉलिज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में इस समय कितने गैर-अध्ययन विशेषज्ञ कार्यरत हैं; और

(ग) इन्हें दिल्ली के शिक्षणेतर अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सामान्यतया शिक्षण विशेषज्ञों को शिक्षण अस्पतालों में तैनात किया जाता है क्योंकि वे नैदानिक और शैक्षिक दोनों दायित्वों को वहन कर सकते हैं।

(ख) यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में गैर शिक्षण विशेषज्ञ का कोई पद नहीं है। तथापि, इससे सम्बद्ध गुरु तेग बहादुर अस्पताल में गैर शिक्षण विशेषज्ञों के कुछ पद हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई कोयला खानों का विकास

5668. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नई कोयला खानों के विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की है और इसमें मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी हां। नई कोयला परियोजनाओं का विकास कार्य किया जाना एक निरन्तर स्वरूप की प्रक्रिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97 तक) के लगभग 108 नई कोयला खनन परियोजनाओं को विकसित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। इन परियोजनाओं को 8वीं योजना के दौरान 1946 करोड़ रु० (1991-92 की कीमतों पर) पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। इनमें से आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 18 नई, विस्तार/पुनंगठित परियोजनाओं को 433 करोड़ रु० (1991-92 की कीमतों पर) की राशि का पूंजीगत निवेश किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की 18 विनिर्दिष्ट की गई परियोजनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं :

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. तवा भूमिगत
2. मोरी भूमिगत
3. छत्तरपुर II भूमिगत
4. अरधन ओपनकास्ट परियोजना
5. शोभापुर भूमिगत का पुनर्गठन
6. दमुआ ईस्ट फेस-II भूमिगत

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०

7. ब्लाक "बी" ओपनकास्ट परियोजना
8. दुधीचुआ विस्तार ओपनकास्ट परियोजना
9. जयन्त ओ० बी० आर० स्कीम
10. झिंगुरदा ओ० बी० आर० स्कीम

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

11. दुग्दा ओपनकास्ट परियोजना
12. करकटी भूमिगत
13. सेन्दूरपारा भूमिगत
14. शीतलधारा भूमिगत
15. बेहराबन्द भूमिगत
16. दीपिका ओपनकास्ट (विस्तार) परियोजना

17. मनी भूमिगत

18. दोमनारा भूमिगत ब्लाक

मधुमेह नियंत्रण

5669. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में मधुमेह पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मधुमेह के बारे में लोगों को शिक्षित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों के भाग के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और इस मंत्रालय के संस्थान विभिन्न जन संचार माध्यमों द्वारा मधुमेह सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर सूचना देते हैं।

जम्मू और कश्मीर में तलाशी अभियान

5670. **श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा किए गये तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में सोना तथा अन्य वस्तुयें जब्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष जब्त की गई ऐसी वस्तुओं और उनके अनुमानित मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ वस्तुओं का लेखा-जोखा नहीं रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित इनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खान-दुर्घटनाएं

5671. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1992 और दिसम्बर, 1992 के "पर्यवेक्षक" में ई० सी० एल० की बड़ी खरीद जो एक प्रकार का बड़ा बैंक घोटाला है और खान में

सर्वकालिक अभिलेख तथा ई० सी० एल० के अधिकारियों की निष्ठुरता और अनुत्तरदायित्व के कारण खान में दुर्घटनाओं एवं विनाश के बारे में आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन अनियमितताओं की जांच कराई है जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी हां । इस संबंध में दिनांक 14 और 21 नवम्बर, 1992 को एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

(ख) और (ग) दिनांक 8-7-92 से 13-7-92 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० को० लि०) की कालीपहाड़ी और श्रीपुर कोलियरी में हुई 2 दुर्घटनाओं की जांच किए जाने से पता चला है कि इन दोनों दुर्घटनाओं में दो लड़के अवैध रूप से हालेज पुलों के निकट चले गए थे और दुर्भाग्यवश चलती हुई बेल्ट से फंस गए । उपर्युक्त मामले में अवैध रूप से प्रवेश पाने के बारे में सम्बद्ध अधिकारियों की विफलता के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई/कार्रवाई की जा रही है ।

भारतीय महासागर के समुद्र तल में खनिजों का दोहन

5672. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय महासागर के आर्थिक क्षेत्र के समुद्र तल में खनिजों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो दोहन योग्य खनिजों का ब्योरा क्या है तथा ऐसा कितना खनिज उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इन भंडारों के दोहन की कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के समुद्र तल में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित खनिज स्रोतों का पता लगाया गया है :

I बजरी खनिज

(मि० टन भंडार)

	वरकला सेक्टर (केरल तट)	चावरा सेक्टर (केरल तट)	काल्बा देवी सेक्टर (महाराष्ट्र तट)	गोपालपुर मलूद सेक्टर (उड़ीसा तट)	कारीपेटा बावनापुडू-कापसुकुड्डी सेक्टर (आंध्र तट)
1	2	3	4	5	6
इल्मेनाइट	0.95	0.46	3.12	17.28	17.3

1	2	3	4	5	6
रुटाइल	0.068	0.045	—	1.62	(गारनेट और
जिरकान	0.057	0.060	—	(मोनाजाइट सहित)	सिलिमेनाइट सहित)
सिलिमेनाइट	0.31	0.207	—	6.8	—
मेग्नेटाइट	—	—	0.68	—	—

II. कल्केरियस बालू—लक्षद्वीप के खुले समुद्र (आफ शोर) क्षेत्र में 50 प्रतिशत सी० ए० ओ० सहित।

गुजरात और आंध्र प्रदेश के तट से दूर उच्च ग्रेड लाइम मड के निक्षेपों का पता भी लगाया गया है।

(ग) और (घ) भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में खनिज निक्षेपों का विदोहन उनकी तकनीकी आर्थिक साध्यता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा

5673. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा जारी की; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए धनराशि

5674. श्री समत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु धनराशि दी है/देने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष में दौरान तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए मंजूर और संवितरित धनराशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

		(करोड़ रुपए)
	मंजूरी	संवितरण
1990-91	25.93	8.55
1991-92	7.36	15 45
1992-93	1 25	14.12

(ग) यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

[हिन्दी]

असंबद्ध औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान

5675. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम्बद्ध औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थानों/प्राइवेट प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को सरकारी और अर्थ-सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए स्वीकार किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन असम्बद्ध संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगमा) : (क) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र ही केवल सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र हैं । यह राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र सम्बद्ध राज्य सरकार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षणों को उत्तीर्ण करते हैं ।

(ख) सरकार गैर-संबद्ध संस्थानों के कार्य पर कोई नियंत्रण नहीं रखती है ।

[अनुवाद]

औषधि के रूप में अफीम की मांग

5676. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफीम की औषधि के रूप में कितनी मांग है;

(ख) इसके व्यापार से प्रति वर्ष कितने राजस्व की प्राप्ति होती है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष दूसरे देशों को कितनी मात्रा में अफीम का निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार अफीम की खेती के समान मांग की खेती की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान. देश में ओपिएट एल्कलायडों, अफीम केक, पावडर के विनिर्माण और अफीम के पंजीकृत व्यसनियों के लिए राज्य सरकारों को जारी करने के लिए लगभग 107 मीटरी टन अफीम की आवश्यकता थी। अदला-बदली के आधार पर अफीम के बदले कोडीन फॉस्फेट और नार्कोटीन बी० पी० के आयात के लिए 143 मीटरी टन और अफीम की आवश्यकता थी।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अफीम और उससे बने एल्कलायडों की बिक्री से प्राप्त राजस्व की कुल राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रुपयों में)
1989-90	31.22
1990-91	53.02
1991-91	77.39

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गयी अफीम की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निर्यात की गयी कच्ची अफीम की मात्रा
	(मीटरी टनों में)
1989-90	539
1990-91	850
1991-92	617

(घ) और (ङ) स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए भांग-पादप की खेती की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में राज्य सरकारों को शक्ति प्राप्त है।

उत्पाद शुल्क की चोरी

5677. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा पिछले 12 महीनों के दौरान प्रतिमाह, उत्पाद शुल्क की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया है और इन मामलों की उसके पहले के 36 महीनों के दौरान पता चले मामलों की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) इस चोरी में राजस्व की कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और उसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस शुल्क की चोरी में सहायता देने और उसे प्रोत्साहित करने में कितने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी लिप्त पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामले न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) वर्ष 1992-93 में 628.32 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया था जबकि वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में क्रमश: 472.99 करोड़ रुपए, 471.61 करोड़ रुपए और 562.64 करोड़ रुपए की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया था। इन राशियों की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

महीना	मामलों की संख्या			
	1992-93	1989-90	1990-91	1991-92
अप्रैल	336	325	357	411
मई	350	388	423	341
जून	451	379	371	348
जुलाई	288	417	363	422
अगस्त	445	589	405	433
सितम्बर	456	538	437	423
अक्तूबर	339	415	306	414
नवम्बर	396	328	387	355
दिसम्बर	278	450	382	608
जनवरी	539	465	458	709
फरवरी	641	552	503	607
मार्च	227*	547	533	568

*पाद टिप्पणी :—मार्च, 1993 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

5678. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) द्वारा अपने श्रमिकों को दिए गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) योजना के संबंध में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की विभिन्न मिलों में राज्यवार क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत एन टी सी की विभिन्न मिलों के कितने श्रमिक अभी तक लाभान्वित हुए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत एन टी सी के कामगारों को निम्नोक्त लाभों की पेशकश की गई है :—

(1) पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1½ माह वेतन (वेतन+डी ए/वी डी ए और आई आर कहीं-कहीं स्वीकार्य हो) के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान या सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय सेवा के शेष महीनों में गुणांक के बराबर मासिक परिलब्धियां इनमें से जो भी कम हो।

(2) उपदान अधिनियम या उपदान योजना यदि कोई हो, के अनुसार उपदान का भुगतान।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कर्मचारी की भविष्य निधि खाते से बकाया राशि का भुगतान; और

(4) मिल/संबंधित कार्यालय के नियमों के अनुसार जमा अर्जित अवकाश/विशेष अवकाश के समतुल्य नकदी का भुगतान।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले एन टी सी के कर्मचारियों के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	सहायक कम्पनी का नाम	(अनन्तिम आंकड़े)
1	2	3
1.	एन टी सी (ए पी के के एम) लि०	
	आंध्र प्रदेश	793
	कर्नाटक	604
	केरल	—
	माहे	38
	कुल	1435

1	2	3
2.	एन टी सी (डी पी आर) लि०	
	दिल्ली	329
	पंजाब	192
	राजस्थान	714
	कुल	1735
3.	एन टी सी (जी यू जे) लि०	
	गुजरात	5365
	कुल	5365
4.	एन टी सी (एम एन); एन टी सी (एस एम)	
	महाराष्ट्र	6880
	कुल	6880
5.	एन टी सी (एम पी) लि०	
	मध्य प्रदेश	3685
	कुल	3685
6.	एन टी सी (टी एन पी) लि०	
	तमिलनाडु	83
	पांडिचेरी	43
	कुल	126
7.	एन टी सी (यू पी) लि०	
	उत्तर प्रदेश	4185
	कुल	4185

1	2	3
8.	एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि०	
	पश्चिम बंगाल	1828
	असम	48
	बिहार	311
	उड़ीसा	9
	कुल	2196
	कुल योग	25107

[हिन्दी]

किसानों को ऋण देने के लिए मार्ग निर्देश

5679. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को छोटे किसानों को ऋण देने में उदार नीति का पालन करने हेतु मार्ग-निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश के सभी किसानों को कृषि और इससे संबद्ध कार्यों को स्वयं करने या इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई किसी योजना के माध्यम से करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों का निरंतरता के आधार पर वित्त पोषण करना ऋणदात्री संस्थाओं के सामान्य ऋण परिचालनों का एक भाग है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋण का 18% तक कृषि को प्रत्यक्ष वित्त (संबद्ध कार्यों सहित) के रूप में देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों के अनुसरण में यह निर्धारित किया गया है कि 25,000 रुपए तक के सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अंदर-अंदर और 25,000 रुपए से अधिक के सभी ऋण आवेदन पत्रों को 8-9 सप्ताह के अंदर-अंदर निपटा दिया जाना चाहिए।

किसानों को और विशेष रूप से छोटे और सीमांतिक किसानों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं :

1. 25,000 रुपए तक के ऋणों पर ब्याज को 12.0% वार्षिक की कम दर पर रखा गया है।
2. 2 लाख रुपए तक के सावधि ऋणों को रियायती दर पर प्रदान किया जाता है।

3. छोटे और सीमांतिक किसानों द्वारा प्राप्त किए गए फसल ऋणों के मामले में ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

4. फसल खराब हो जाने पर देय राशि को 3-5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए और किसानों को नए ऋण दिए जाने चाहिए ।

5. 10,000 रुपए तक के ऋणों के लिए तीसरी पार्टी की गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

6. कृषि क्षेत्र में वर्तमान देय राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए ।

7. ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सकें ।

[अनुवाद]

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए बीमा

5680. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चुने हुए क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उन सभी व्यक्तियों का बीमा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के कार्यकारी निदेशकों की बैठक

5681. **श्री बी० देवराजन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के कार्यकारी निदेशकों की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यपालकों की 19-20 मार्च, 1993 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गयी थी ।

(ख) और (ग) बैठक की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

नौवहन उद्योग

5682. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नौवहन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नयी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश के नौवहन उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय नौवहन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है :
   (i) क्रूड टैंकरों और ओ एस बी एस को छोड़कर निजी जहाज मालिक कंपनियों द्वारा सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।
   (ii) भारत में अथवा विदेश में किसी कंपनी को आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिए जहाजों की बिक्री।
   (iii) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद और
   (iv) प्रतिस्थापना टन भार के लिए खरीद।
2. नौवहन कंपनियों को अपने जहाजों की बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रखने और नई खरीद के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
3. विदेशी नौवहन कंपनियों को भारतीय जहाज टाइम चार्टर आउट करने की स्वतंत्रता।
4. बेयरबोट चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति द्वारा जलयान की खरीद।
5. जहाजों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक एलोकेशन स्कीम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और अब भारतीय रिजर्व बैंक किसी मूल्य सीमा के बगैर आयातित पूंजीगत माल के लिए जहाज मरम्मत/ड्राई डाकिंग तथा हिस्से पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करता है।
6. उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के भाड़ा-प्रभारों का भुगतान अब अन्य जिन्सों की तरह परिवर्तनीय मुद्रा में करने की अनुमति है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5683. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अंत तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है,

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	राज्यों द्वारा यथा परियोजित 8वीं योजना में विकास/सुधार के प्रस्तावों के ब्यौरे (करोड़ रु०)	वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए संस्वीकृतियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3064.20	8.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.65	—
3.	आसाम	605.50	14.53
4.	बिहार	625.00	12.03
5.	चंडीगढ़	—	—
6.	दिल्ली	—	1.03
7.	गोवा	163.67	0.48
8.	गुजरात	1213.09	16.82
9.	हरियाणा	486.18	7.53
10.	हिमाचल प्रदेश	206.32	6.10
11.	जम्मू और कश्मीर	—	1.83
12.	कर्नाटक	429.70	5.35
13.	केरल	606.83	92.58
14.	मध्य प्रदेश	646.00	117.00
15.	महाराष्ट्र	557.00	16.40
16.	मणिपुर	61.60	0.68
17.	मेघालय	151.61	8.94
18.	नागालैंड	40.75	0.48
19.	उड़ीसा	451.40	6.28
20.	पांडिचेरी	7.93	0.03

1	2	3	4
21.	पंजाब	572.66	10.01
22.	राजस्थान	675.50	29.42
23.	तमिलनाडु	1120.50	8.94
24.	उत्तर प्रदेश	734.94	122.72
25.	पश्चिम बंगाल	908.61	3.36
	जोड़	13349.64	490.67

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

5684. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति क्या थी;

(ख) 31 दिसम्बर, 1992 को निगम के बेड़े में कुल कितनी बसें थीं और इनमें से कितनी बसें ऐसी थीं जिनकी मरम्मत हो रही थी अथवा जो सड़कों पर नहीं चल रही थीं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने बसों के बेड़े में सुधार करने और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की समस्याएं

5685. श्री एम० बी० वी० एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सुधारों हेतु नीतियां तैयार करते समय लघु उद्योगों की समस्याओं को ध्यान में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान विशेष रूप से उत्पाद रोजगार की वृद्धि और निर्यातों के अनुसार काफी अधिक है । लघु क्षेत्र के संबंध में आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य इसकी वृद्धि और निर्यात संभाव्यताओं पर सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को विनिर्विनियमित करना और अधिकारी तन्त्र से मुक्त करना है ।

सेवा उप-क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और रोजगार सृजन करने की इसकी मान्य संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए इसे समर्थन देने की आवश्यकता है । इसलिए, 5 लाख रुपए तक की निर्धारित परिसम्पत्तियों में निवेश के साथ उद्योग से संबंधित सभी सेवाओं और व्यापार-उद्यम (भूमि और भवनों को छोड़कर), चाहे उनकी कोई भी अवस्थिति हो, उन्हें लघु क्षेत्र का उद्योग माना जाएगा । अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों ही ऋणों के सम्बन्ध में अपर्याप्त पहुंच, लघु क्षेत्र के सामने हमेशा आने वाली समस्या थी । लघु क्षेत्र के उद्योगों के व्यवहार्य प्रचालन के लिए मानकीय आधार पर पर्याप्त ऋण प्रवाह और इसकी सुपुर्दगी की गुणवत्ता दोनों ही को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं । इस क्षेत्र की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक फैक्टरिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा जिनसे देरी से हुए भुगतान संबंधी उनकी समस्याओं में लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिलेगी । 23 सितम्बर, 1992 को एक अध्यादेश की उद्घोषणा की गई थी जिससे लघु क्षेत्र और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज की अदायगी करना अनिवार्य कर दिया गया । इसकी जनवरी 1993 में फिर उद्घोषणा की गई है ।

इस क्षेत्र की ऋण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय किए गए हैं । राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम के अधीन परियोजनाओं की पात्रता सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करके दुगुना कर दिया गया है । एकल स्थान पर ऋण देने की स्कीम (सिंगल विंडो लोन स्कीम) का भी विस्तार किया गया है जिससे 10 लाख रुपए तक के कार्यचालन पूंजी मार्जिन सहित 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को इसमें शामिल किया जा सके ।

पूंजी बाजार में पहुंच की व्यवस्था करने और आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए, लघु क्षेत्र उद्योग में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा इक्विटी सहभागिता की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो कुल शेयर धारिता के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की अवस्थिति करने और कृषि तथा उद्योग के बीच मजबूत संयोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता सहित लघु उद्योग क्षेत्र के लिए समन्वित आधार पर संरचनात्मक विकास (प्रौद्योगिकीय सहायता सेवाओं सहित) संबंधी एक नयी स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा ।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

5686. श्री राजवीर सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अभियन्ताओं, डाक्टरों, शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकांश बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की शैक्षणिक श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार थी :

श्रेणी	संख्या हजारों में
(क) डाक्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)	37.7
(ख) अभियन्ता (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)	95.6
(ग) अन्य शिक्षित (मैट्रिक एवं ऊपर)	20979.5
(घ) अन्य (मैट्रिक के नीचे एवं निरक्षर)	13525.0

(ख) 1990, 1991 और 1992 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या क्रमशः 2.55 लाख, 2.53 लाख और 2.39 लाख थी।

(ग) एवं (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भौगोलिक तथा फसलवार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि और आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को डो० टी० सी० की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा

5687. कुमारी विमला वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को दिल्ली परिवहन निगम (डी० टी० सी०) की अन्तर्राज्यीय बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें अपने पति/पत्नी के साथ यात्रा करने की सुविधा है जैसा कि रेल यात्रा के मामलों में तथा अन्य राज्यों में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) दि०प० नि० की अन्तर्राज्यीय सेवा सहित सभी सेवाओं में एसे सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है जो दिल्ली में रह रहे हैं और स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई निःशुल्क यात्रा की यह सुविधा राष्ट्र की उनके प्रति कृतज्ञता की सूचक है। तथापि वित्तीय अभावों के कारण यह सुविधा स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों/पतियों को प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

असम में पुलों का निर्माण

5688. **श्री प्रबीन डेका** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्ष 1992-93 के दौरान निर्मित किए जाने वाले पुलों की संख्या क्या है और यह कहां-कहां पर निर्मित किये जाने थे;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) पूरी कर ली गयी तथा अधूरी पड़ी परियोजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा अधूरी परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1992-93 में असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-31, 31-ख, 36, 37, 44, 51, 52, 53 और 54 पर 46 पुल संबंधी कार्य निर्माणाधीन थे।

(ख) इन पुल संबंधी कार्यों के लिए 153.98 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी और अब तक 98.61 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) पुल संबंधी 46 कार्यों में से 11 पुल 1992-93 में पूरे किए जा चुके हैं। शेष 35 पुल प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें अगले तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

बिहार में पटसन उद्योग का विस्तार

5689. मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पटसन उद्योग का विकास और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार देश के विभिन्न भागों में विविधीकृत पटसन आधारित उत्पादों का निर्माण शुरू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने ऐसे उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय, राजकोषीय तथा विपणन सहायता प्रदान करना, उपभोक्ता की अभिरुचियों के अनुकूल नई श्रृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करने के लिए अनुसंधान व विकास के क्रियाकलापों के लिए निधि जुटाना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार अथवा जिला-वार आधार पर निधियां उद्दिष्ट नहीं की जातीं।

[अनुवाद]

कानूनी ढांचे की स्थापना

5690. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश पूंजी निवेशकों ने विभिन्न व्यापारिक, वित्तीय, औद्योगिक नीतिगत परिवर्तन हेतु कानूनी ढांचे की स्थापना करने पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 30 सितम्बर और 1 अक्तूबर, 1992 को सम्पन्न भारत-जापान व्यापार वार्ता के दौरान जापानी पक्ष की ओर से यह प्रश्न विशेष रूप से उठाया गया था कि आर्थिक उदारीकरण से सम्बद्ध 'फेरा' के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाए। उन्हें सूचित किया गया कि उदारीकृत विदेशी निवेश व्यवस्था को कानूनी स्वीकृति प्राप्त है क्योंकि इसे 'फेरा' को सीमा के अन्तर्गत ही किया गया है तभी से 'फेरा' (संशोधन) 1993 को भी पारित किया गया है जिसमें ये उदारीकरण उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक अपराधों के लिए न्यायालय

5691. श्री रामदेव राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधों के लिए प्रस्तावित न्यायालयों की इस बीच स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक न्यायालय में, राज्य-वार, लंबित मामलों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग(क), (ख) और (ग) से संबंधित सूचना अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों से एकत्रित करनी होती है, जिसे वह क्रमश: अपने अधीनस्थ कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करते हैं। अत: सूचना नियत तारीख को सदन पटल पर रखना संभव है। सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेशगी पर कर में रियायत

5692. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मापदंड को पूरा करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कर में पेशगी पर रियायत देने की संभावना पर विचार करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक तक निर्णय ले लिए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) (ए) (ए) के अन्तर्गत उन बैंकों को छोड़कर, जिन्हें धारा 36(1)(viiiए) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है तथा जिन्हें भारत से बाहर निगमित किया गया है, सभी अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित बैंकों को उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों के दो प्रतिशत तक डूबन्त तथा शंकापद ऋणों के लिए प्रावधान करने का अधिकार प्राप्त है और उसकी कुल आय का हिसाब लगाते समय यह राशि कटौती के लिए पात्र है। इन बैंकों द्वारा प्रावधान की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वित्त विधेयक 1993 के खंड(10) का आशय ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों के संबंध में इस सीमा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत तक करने का है। यह प्रस्तावित संशोधन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से प्रभावी होगा। कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न के इन भागों के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा

5693 **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान जमा राशि गत वर्ष की संगत अवधि की जमा राशि की तुलना में अधिक है जबकि इन बैंकों द्वारा दी गई ऋण की राशि पिछले वर्ष दी गई ऋण की राशि की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन बैंकों ने इस अवधि के दौरान लघु/मध्यम तथा बड़े उद्योगों को ऋण देने कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन लक्ष्यों को इस बीच प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) मार्च, 1991, 1992 और सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण बढ़ोतरी का रूप दर्शाते हैं जैसाकि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है :

(करोड़ रु०)

	जमा राशियां	ऋण
मार्च, 1991	8753	4448
मार्च, 1992	10269	4716
सितम्बर, 1992	10759	4964

(ग) से (ङ) ऋण संवितरणों या विहित ऋण-जमा अनुपात को बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, अखिल भारत आधार पर समग्र रूप से बैंक के लिए ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 60% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना होता है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसरण में उन्हें अपने कुल ऋण का कम से कम 18% प्रत्यक्ष कृषि वित्त के लिए देना होता है। छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, जून, 1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल अग्रिम और प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, लघु उद्योगों और सेवा के लिए दी गई बकाया राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

की स्थिति के अनुसार	कुल अग्रिम	प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम	कृषि को अग्रिम	लघु उद्योग	सेवा
जून, 1992	8807	3475	1650	1350	475

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5694. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे पिछड़े, पर्वतीय और उद्योग रहित क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक ऋण दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गयी/कितना ऋण वितरित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को दें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 18% कमजोर वर्गों को दें। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि अखिल भारत आधार पर वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में 60% का अलग-अलग ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करें। यद्यपि इस अनुपात को अलग से शाखा-वार, जिले-वार या क्षेत्र-वार प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, फिर भी, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण संवितरण के बारे में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय असमानता दूर हो और विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पाद और पता लगाए गए अर्थक्षम प्रस्तावों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जमा की गई राशियां/संवितरित ऋण के संबंध में क्षेत्र-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर भी, मार्च, 1990, 1991 और 1992 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और नैनीताल नामक विभिन्न पहाड़ी जिलों में सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां और बकाया ऋण नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपए)

जिले	जमा राशियां			ऋण बकाया राशि		
	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992
1. अल्मोड़ा	11243	12506	13583	2655	3018	3250
2. चमोली	4151	5001	5738	672	919	1000
3. गढ़वाल	12781	14985	16630	2086	2554	2591
4. पिथौरागढ़	5750	6487	8163	1566	1825	2346
5. टिहरी गढ़वाल	6702	10237	8986	1294	2443	1467
6. उत्तर काशी	1839	2116	6119	581	699	710
7. नैनीताल	36168	37830	42075	18598	21760	24469

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों द्वारा बैंकों को देय राशि का भुगतान

5695. श्री रामकृष्ण कोनताला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चालीस हजार रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों का पता लगाया है जिन्होंने बैंकों की देय राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन इकाइयों की बकाया राशियों को कम करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक की स्थिति के अनुसार 2,21,472 रुग्ण एकक थे, जिनके पास 2792.04 करोड़ रुपए के बकाया बैंक ऋण थे। मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक की स्थिति के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पता लगाए गए संभावित रूप से अर्थक्षम एककों को पुनरुद्धार पैकेज मंजूर किए जाते हैं और अलग-अलग मामलों के आधार पर उन्हें पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है।

विवरण

मार्च, 1991 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की राज्य-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या
1	2
असम	4892
मेघालय	66
मिजोरम	—
बिहार	5171
अरुणाचल प्रदेश	10
पश्चिम बंगाल	30748
नागालैंड	47
मणिपुर	2278
उड़ीसा	7443

1	2
सिक्किम	75
त्रिपुरा	605
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22
उत्तर प्रदेश	27477
दिल्ली	4364
पंजाब	5288
हरियाणा	2720
चंडीगढ़	305
जम्मू एवं कश्मीर	720
हिमाचल प्रदेश	848
राजस्थान	12196
गुजरात	6240
महाराष्ट्र	20332
दमन एवं दियु	70
गोवा	1148
दादर एवं नगर हवेली	7
मध्य प्रदेश	17146
आन्ध्र प्रदेश	29488
कर्नाटक	12858
लक्षद्वीप	—
तमिलनाडु	10757
केरल	17973
पांडिचेरी	179
कुल	221472

भेषजों की निर्यात उपलब्धियां

5696. श्री नन्दी येल्लैया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान थोक औषधों और भेषजों के निर्यात हेतु प्रति वर्ष क्या लक्ष्य रखे गए थे और इसकी कितनी प्राप्ति हुई;

(ख) क्या अब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) औषधों और भेषजों का निर्यात कर रही 10 शीर्षस्थ कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ङ) इनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादवार कितनी मात्रा में दस शीर्ष उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(च) उपरोक्त भाग "ख" को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधियों तथा भेषजों के निर्यात के लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नानुसार रहे हैं :

(मिलियन रु० में)
अनुमानित

1989-90		1990-91	
लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात
7,250	6,647	10,500	7,848
1991-92		अप्रैल, 1992—फरवरी, 1993	
लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात
11,426	12,811	16,997	12,079

(ख) जी हां।

(ग) संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :

(i) आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तनों/भूतपूर्व सोवियत संघ के पुनर्गठन के कारण, हाल में पिछले दो वर्षों के दौरान रूसी निर्यात में गिरावट आई है;

(ii) चीन, ताइवान इत्यादि से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा;

(iii) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जी एस पी लाभों को वापस लेना;

(iv) संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों में पंजीकरण संबंधी कठोर औपचारिकताएं।

(ग) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है;

(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात किए गए चोटी के 12 को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) पिछले अनेक महीनों के दौरान किए गए उदारीकरण उपाय, अवमूल्यन तथा एकीकृत-मुद्रा दर की घोषणा से औषधि तथा भेषज सहित सभी निर्यातों को बढ़ावा मिला है।

विवरण-I

चोटी की दस कम्पनियां और उनका निर्यात

(मिलियन रु० में)

		1989-90	1990-91	1991-92
1.	मै० टारेन्ट एक्सपोर्ट्स लि०	714.32	402.77	1,636.02
2.	मै० रैनबक्सी लेबोरेटरीज लि०	369.36	420.14	863.35
3.	मै० तमिलनाडु डाढा फार्मा लि०	17.02	25.30	382.23
4.	मै० आर्मर कैमिकल्स लि०	137.83	237.26	264.58
5.	मै० लैक्मे लि०	38.38	108.03	249.18
6.	मै० सिरिस लि०	46.08	37.61	228.19
7.	मै० जी० एम्फे लैब	142.22	147.82	226.73
8.	मेनका एंड अलायड प्रोडक्ट्स लि०	70.47	102.13	220.78
9.	मै० मैक्स इंडिया लि०	26.52	59.22	219.62
10.	मै० हेक्सट इंडिया लिमिटेड	363.43	473.30	215.27

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में निर्यातित चोटी के उत्पाद दर्शाने वाला विवरण-पत्र

मिलियन रु० में (अनुमानित)

क्र० सं०	मदें	1989-90	1990-91	1991-92	प्रमुख खरीददार
1	2	3	4	5	6
1.	सल्फामेथोक्साजोल	341.2	272.4	536.1	यू० एस० ए०, पश्चिम यूरोप और एशियाई देश
2.	मेन्थोल	133.5	120.9	242.1	यू एस ए, पश्चिम यूरोप एशियन और लैटिन अमरीकी देश
3.	ट्राइमेथोप्रीम	80.4	155.6	192.8	यू एस ए, पूर्वी यूरोप, पश्चिम यूरोप और एशियाई देश
4.	ब्रूप्रोफेन	116.8	149.8	190.0	सोवियत संघ, पश्चिम यूरोप तथा एशियाई देश
5.	एनाल्जीन	—	37.5	171.1	प० यूरोप और एशियाई देश
6.	एमोक्सीलीन और इसका नमक	73.5	126.0	170.1	पश्चिम यूरोप और एशियाई देश
7.	पैरासीटामोल	13.1	56.3	122.9	यू एस ए, पश्चिम यूरोप और एशियाई देश

8.	क्लोरामफनीकोल और इसका नमक	21.4	64.0	105.9	पश्चिम यूरोप और एशियाई देश
9.	एल-सीस्ट्रीन	1.5	75.8	88.2	पश्चिम यूरोप और जापान
10.	रानीटाईडीन	2.7	60.8	87.2	पश्चिम यूरोप और एशियाई देश
11.	इरीथ्रोमाइसीन स्टीस्ट	58.3	46.5	76.7	—वही—

सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी लिमिटेड

5697. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी लिमिटेड को आज तक कुल कितना संचित घाटा हुआ है तथा इन पर कितना ऋण बकाया है और इसकी ब्याज देयता कितनी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस रुग्ण उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० की संचित हानि और भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति की बकाया ऋण और ब्याज देयता निम्नलिखित है—

		(करोड़ रुपए)
(i)	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 31-3-1992 की स्थिति को कुल संचित हानि	163.06
(ii)	भूतपूर्व एस० डी० एफ० सी० (अब भारत सरकार) को 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार बकाया मूल ऋण राशि	119.63
(iii)	भूतपूर्व एस० डी० एफ० सी० (अब भारत सरकार) को 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण	57.31

(ख) मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० के प्रबंधक के अधिग्रहण के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। परन्तु इन बोलियों द्वारा अभी तक मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के प्रबन्धन को किसी ने अपने हाथ में नहीं लिया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया था कि सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० का विलय भारतीय नौवहन निगम (एस० सी० आई०) में कर दिया जाए। तथापि, सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० के प्रबन्धन के अधिग्रहण के बारे में जारी सार्वजनिक नोटिस पर एस० सी० आई० ने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

[हिन्दी]

नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाएं नियमित किया जाना

5698. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री काशी राम राणा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों/विभागों में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए निर्धारित अवधि कितनी है;

(ख) क्या सभी मंत्रालय/विभाग उक्त नियमों का पालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए निम्नलिखित मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं—

(क) रेलवे	2 वर्ष
(ख) डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और रक्षा विभाग	1 वर्ष
(ग) अन्य सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय	6 माह

सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे इन मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

[अनुवाद]

वस्तुओं की तस्करी

5699. **श्री याइमा सिंह युमनाम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यानमार के निकट मणिपुर में मोरेह के रास्ते लाखों रुपये के मूल्य की वस्तुओं की देश में तथा देश से बाहर नियमित रूप से तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार नियमन को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। सरकार को भारत-बर्मा सीमा पर होने वाली माल की तस्करी के बारे में जानकारी है। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों से मणिपुर में मोरेह से की जा रही किसी ऐसी तस्करी का पता नहीं चलता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने म्यानमार की सरकार को एक सीमावर्ती व्यापार करार के मसौदे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच भूमि व्यापार के लिए प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप दिया जाएगा और इसके साथ-साथ सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित माल की अदला-बदली की अनुमति भी दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिशा-निर्देश

5700. **श्री प्रफुल पटेल** :
श्री सुधीर गिरि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा अग्रिम भुगतान तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति के मामले में भारी अनियमितताएं बरती जाने की बात आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जैसा कि 7 जनवरी, 1993 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर इन बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करे, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए कतिपय अग्रिमों की संवीक्षा की थी और यह पाया कि बैंक द्वारा विभिन्न ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता विवेकपूर्ण बैंकिंग के निर्धारित मानदण्डों की अवहेलना करते हुए प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे खातों की विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट बैंक को अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने और बैंक द्वारा प्रस्ताविक कार्रवाई से भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने के लिए भेजी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों की अनुपालना न करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1) (ख) के अन्तर्गत एक नोटिस जारी किया था। बैंक ने अब भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार कार्रवाई की है।

सितम्बर, 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ इंडिया को चार्टर्ड लेखाकारों की एक विशेष फर्म द्वारा विशेष प्रबंधन संबंधी लेखा-परीक्षा करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद, विलम्ब को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1992 में बैंक आफ इंडिया को इसकी सलाह की अवहेलना करने के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तदुपरान्त, बैंक आफ इंडिया ने उन कारणों को स्पष्ट किया जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सिफारिश की गई फर्म को लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य सौंपा नहीं जा सका और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंक के प्रबंधन लेखा-परीक्षा के कार्य को लेखा-परीक्षकों की एक अन्य फर्म को सौंप दिया गया था।

जहां तक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन करते हैं, बैंकों को इस बारे में कोई स्व-निर्णय का अधिकार नहीं है। अतः इस संबंध में बैंकों की ओर से अनियमितताओं का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। शाखाओं के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई फर्मों के पैनल में से की जाती है। इस संबंध में बैंकों की ओर से अनियमितता की कोई शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद बैंक द्वारा लिए जाने वाला ब्याज

5701. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाई जा रही ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और यदि हां, तो बैंक-वार वर्तमान ब्याज दर कितनी है;

(ख) क्या कृषि, उद्योगों, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों में दिये गये ऋणों पर लगने वाली ब्याज दर अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग हैं और इसमें ऋण राशि के आधार पर इसमें वृद्धि/कमी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इलाहाबाद बैंक की शाखाओं द्वारा विभिन्न उद्योगों पर कितना ब्याज और कितनी अतिरिक्त राशि ली जा रही है;

(घ) क्या यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ली जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण दरों के ढांचे का निर्धारण अनेक घटकों जैसे अर्थ-व्यवस्था और इसके उप-क्षेत्रों की विकास दर, मुद्रास्फीति की दर, मुद्रा प्रसार की गति, बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने की लागत, बैंकों की लाभप्रदता आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर ऋण दर ढांचे की पुनरीक्षा करता है। इलाहाबाद बैंक सहित समस्त बैंकों को समय-समय पर इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न मार्ग-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण दर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के विचार से दिनांक 22-9-1990 से क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष और प्रयोजन विशेष से संबंधित ब्याज दरों को वापस ले लिया है और एकल मानदण्ड अर्थात् ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए ऋण के आकार को ही नियत किया गया है। बहरहाल, लघु उद्योग, कृषि और दो वाहनों वाले परिवहन परिचालक 25,000 रुपये से अधिक के सावधिक ऋणों पर रियायती ब्याज दर पाते हैं। ब्याज की वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं :

ऋण सीमा का आकार	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)
1. 25,000 रु० तक और उसके समेत	12.0
2. 25,000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	16.5
3. 2 लाख रु० से अधिक	17.0 (न्यूनतम)

कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों वाले परिवहन परिचालकों के लिए सावधिक ऋण निम्नानुसार हैं :

25,000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	15.0
2 लाख रुपये से अधिक	15.0 (न्यूनतम)

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों का लाभ

5702. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का शुद्ध मुनाफा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध मुनाफे से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारत में स्थित विदेशी बैंकों के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन और लाभप्रदता की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि विदेशी बैंकों की शाखायें महा-नगरों और पत्तन शहरों में स्थित हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित समूचे देश में फैली हुई हैं। बैंकों की वित्तीय स्थिति का मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है और समेकन का दौर शुरू किया गया है। बैंकों से कहा गया है कि अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

पेशेवरों के लिए हर्जाना नीति पर प्रीमियम

5703. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमा कंपनियों ने पेशेवरों के लिए हर्जाना नीति पर प्रीमियम में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

5704. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री आर्क फर्नान्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार मांग-पूर्ति की स्थिति से उत्पन्न वर्तमान बाजार दरों पर अपने सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिकी डॉलर भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय मुद्रा बनी रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) एक मार्च, 1993 से प्रभावी एकीकृत विनिमय दर व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले सभी लेन-देन उसकी अपनी विनिमय दर पर किए जाते हैं जो प्रचलित बाजार दर पर आधारित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर का आंकलन प्रचलित बाजार दर के संदर्भ में उस बाजार दर के आस-पास 5 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर किया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी विनिमय दर अमेरिकी डालर के रूप में व्यक्त करता है। यह अपनी विनिमय दर पर स्पाट अमेरिकी डालर की खरीद करता है और साधारणतः अन्य किसी मुद्रा की स्पाट या फारवर्ड खरीद नहीं करता। केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानुमोदित प्रयोजनों के लिए यह स्पाट अमेरिकी डालर का विक्रय अपनी विनिमय दर पर करता है। इस अर्थ में अमेरिकी डालर मध्यस्थ मुद्रा है।

भारतीय कपास निगम

5705. **श्री एम० आर० जनार्दनन कादम्बूर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम को वर्ष 1992-93 के दौरान कितना लाभ हुआ है;

(ख) इस लाभ का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा;

(ग) क्या इसका उपयोग कपास उत्पादकों के कल्याण के लिए किये जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए निगम के लाभ को अनंतिम रूप से 15 करोड़ रु० आंका गया है।

(ख) निगम वर्ष 1992-93 के दौरान होने वाले सम्भावित लाभ का उपयोग अपनी कार्यशील पूंजी को बढ़ाने और कपास उपजकर्ताओं के कल्याणार्थ पहले से ही कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए करेगा।

(ग) और (घ) निगम, कपास उपजकर्ताओं के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है :

(1) **क्वालिटी बीजों का उत्पादन और वितरण**

निगम ने कर्नाटक और गुजरात राज्य में कपास उपजकर्ताओं के लाभार्थ अनुदानकीय रूप

से विशुद्ध कपास बीज के उत्पादन और वितरण के लिये योजनाएं पहले से ही क्रियान्वयन कर ली हैं।

(2) कीटहर और कीटनाशी ओषधियों का वितरण

निगम ने प्रायोगिक तौर पर पंजाब और हरियाणा में कीटनाशी और कीटहर औषधियों के वितरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की है।

(3) फसल निगरानी सर्वेक्षण

राज्य अभिकरणों के सहयोग से निगम ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में सघन फसल निगरानी सर्वेक्षण की शुरूआत की है।

पर्यावरण की दृष्टि से चाय को अनुकूल फसल के रूप में मान्यता देना

5706. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को चाय बोर्ड से चाय को "पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल फसल" के रूप में मान्यता देने का कोई आग्रह प्राप्त हुआ है ताकि इसके विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि प्राप्त की जाये और इसके वृक्षों के पुन: रोपण की वर्तमान मद गति को तेज किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अब तक इस पर क्या कारंवाई की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि चाय उगाने वाले परंपरागत क्षेत्रों में चाय की खेती का विस्तार करने के लिए बहुत थोड़ी भूमि उपलब्ध है अत: चाय बोर्ड ने सुझाव दिया है कि चाय रोपण की अनुमति विद्यमान चाय बागानों के स्वीकृत क्षेत्र के भीतर निम्न कोटि की वन भूमि तथा उनके आस-पास की भूमि में दी जा सकती है।

(ग) इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया क्योंकि चाय आदि जैसी बागान फसलें, जिनका वाणिज्यिक लाभ है, उन्हें वन से इतर भूमि पर भी लगाया जा सकता है। इस तरह वातावरण संबंधी सामान्य स्थिरता सुनिश्चित होगी और पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा।

भूमिहीन कृषक मजदूर

5707. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय "भूमिहीन कृषक" मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनकी अवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूर की दशा सुधारने के लिए कई कदम

उठाए हैं। इनमें नान-फार्म कार्यों में विविधीकरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुधार, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० का०), जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार अवसरों की वृद्धि और अद्यतन कल्याण कानूनों जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका-श्रम (आर० एण्ड ए०) अधिनियम, 1970, अन्तर्राज्यीय महिला उत्प्रवास अधिनियम, समान वेतन अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम आदि का बेहतर कार्यान्वयन शामिल हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित राज्य	बेतिहर मजदूरों की संख्या (1991 की जनगणना के अनुसार)
1	2	3
1.	भारत	74,649,217
2.	आन्ध्र प्रदेश	11,573,566
3.	असम	911,388
4.	बिहार	9,544,444
5.	गुजरात	3,242,069
6.	हरियाणा	895,957
7.	हिमाचल प्रदेश	60,886
8.	जम्मू और कश्मीर	—
9.	कर्नाटक	4,957,496
10.	मध्य प्रदेश	5,863,961
11.	केरल	2,103,395
12.	महाराष्ट्र	8,311,402
13.	मणिपुर	63,350
14.	मेघालय	95,895
15.	नागालैंड	23,889
16.	उड़ीसा	2,973,455
17.	पंजाब	1,406,953
18.	राजस्थान	1,404,387

1	2	3
19.	सिक्किम	13,280
20.	तमिलनाडु	7,846,190
21.	त्रिपुरा	186,671
22.	उत्तर प्रदेश	7,952,047
23.	पश्चिम बंगाल	5,037,075
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,867
25.	अरुणाचल प्रदेश	19,074
26.	चण्डीगढ़	1,564
27.	दादरा और नागर हवेली	6,424
28.	दिल्ली	25,524
29.	गोआ	35,162
30.	दमण और दीव	174
31.	लक्षद्वीप	—
32.	मिजोरम	10,835
33.	पांडिचेरी	76,837

नोट : 1991 की जनगणना के अनुसार खेतिहर मजदूर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो दूसरे की जमीन पर धन, वस्तु या हिस्से पर मजदूरी करता है। खेती में उसे कोई जोखिम न हो और जिस भूमि पर वह काम करता है उस पर उसकी लीज संबंधी कोई अधिकार या ठेका न हो।

विकलांगों को ऋण

5708. श्री सुधीर गिरि : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों से विकलांग व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में वर्तमान नियमों को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार, शहरी माइक्रो उद्यमियों की योजना, विभेदी ब्याज दर योजना आदि जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक विकलांग व्यक्तियों सहित सभी पात्र व्यक्तियों को ऋण

प्रदान करते हैं। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बैंक विगत में विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, पहिए वाली कुर्सियां आदि खरीदने के लिए प्रत्येक उधार कर्ता को 2,500 रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता देते रहे बशर्ते कि ऐसी सहायता उत्पादक कार्यों और स्व-रोजगार के कार्यों के लिए अग्रिमों के साथ दी गई हो तथा विभेदी ब्याज दर योजना की अन्य सभी आवश्यकतायें पूरी की गई हों। बैंकों को योजना के अंतर्गत अलग-अलग हिताधिकारियों के लिए निर्धारित की गई 6,500 रुपए की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत उपर्युक्त सहायता मंजूर करनी थी। और रियायत देने के एक उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श करके अप्रैल, 1991 में बैंकों से कहा था कि 2,500 रुपए की ऋण सहायता की सीमा की तुलना में वे विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, उपकरण और उपस्कर (विशेष रूप से विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन करने और नेत्रहीनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ब्रेल टाइपराइटर खरीदने के वास्ते) प्राप्त करने के लिए वास्तविक कीमत से अधिक लेकिन अधिक से अधिक 5,000 रु० तक सहायता दे सकते हैं। यह सहायता विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत पात्र 6,500 रुपए उत्पाद ऋण सीमा से अलग है।

म्यानमार की यात्रा पर गया भारतीय व्यापार शिष्टमंडल

5709. **श्री शरद दिघे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों का कोई भारतीय व्यापार शिष्टमंडल 10 मार्च, 1993 को म्यानमार की यात्रा पर गया था;

(ख) यदि हां, तो उस देश के साथ व्यापार पुन: शुरू करने के संबंध में शिष्टमंडल द्वारा क्या प्रगति की गयी;

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में म्यानमार के साथ व्यापार घाटा कितना रहा; और

(घ) इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि म्यानमार के साथ व्यापार हो रहा है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान म्यानमार के साथ व्यापार घाटा 47 मिलि० अमरीकी डालर और 1992-92 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 80 मिलि० अमरीकी डालर था।

(घ) अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है जिनमें एक दूसरे के देश में व्यापार मेलों में अधिक से अधिक भाग लेकर द्विपक्षीय व्यापार का विविधीकरण और विस्तार करना, व्यापार शिष्टमंडलों के अधिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना, दोनों देशों के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार को सुविधाजनक बनाना, प्रति-व्यापार के लिए क्षेत्रों का पता लगाना, आदि शामिल हैं।

तस्करों की गिरफ्तारी

5710. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करों और स्वापक औषधों के व्यापार में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गत एक वर्ष में राज्यवार कितने छापे मारे गए; और

(ख) इन छापों में कितने मूल्य का माल जब्त किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंक

5711. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान राज्य में उपर्युक्त बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो जिलावार वे कहां-कहां पर खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) पश्चिम बंगाल में दिनांक 30-9-1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) वर्तमान शाखा लाइसेंसिग नीति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने का विवेकाधिकार है जिसके लिए बैंक को संबंधित राज्य सरकार के संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से अपने आवेदन भेजने होते हैं। जहां तक अर्द्धशहरी केन्द्रों का सवाल है, किसी राज्य के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन शहरों में शाखाएं खोलने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्थान आबंटित कर दिये हैं जो इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यकारी समूह द्वारा पहचान की गई सूची के आधार पर और बैंकों द्वारा संकेतित वरीयता क्रम के आधार पर भी है, बशर्ते कि उन्होंने संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों और विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों को प्राप्त कर लिया है।

विवरण

30 सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जिलेवार शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	जिले	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	बांकुरा	95

1	2	3
2.	बर्धमान	287
3.	बीरभूमि	108
4.	कलकत्ता	821
5.	दार्जिलिंग	69
6.	हावड़ा	164
7.	हुगली	207
8.	जलपाईगुड़ी	93
9.	कूचबिहार	63
10.	मालदा	86
11.	मिदनापुर	393
12.	मुर्शिदाबाद	154
13.	नदिया	114
14.	उत्तर परगना	286
15.	पुरुलिया	82
16.	दक्षिण परगना	167
17.	पश्चिम दीनापुर	82
	योग	3271

[अनुवाद]

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950

5712. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी

हां। केन्द्र सरकार ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने तथा इसमें संशोधनों का सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसमें कुछ चुनिंदा राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रमुख कार्यकारी और परिवहन सचिव तथा वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और विधि तथा न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और उसे राज्य सरकारों में उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है। वे मुख्य संशोधन जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गई हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस स्तर पर सड़क परिवहन निगम, अधिनियम, 1950 में संशोधन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

(क) राज्य सड़क परिवहन नियमों के निदेशक बोर्डों का गठन अधिक व्यापक होना चाहिए और इनमें व्यवसायियों तथा यात्रियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाने चाहिए।

(ख) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी जानी चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए अनेक सिफारिशें की गई हैं।

(ग) जहां कोई निगम धारा 23(3) के अंतर्गत अपनी पूंजी एकत्र करे तो बोर्ड में शेयर-धारकों के प्रतिनिधियों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। तथापि ऐसे मामले में 17 निदेशकों की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। संदर्भ [धारा 5(3)]।

(घ) निदेशकों की सक्रिय भागीदारी और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, यदि वह निदेशक बोर्ड की 3 क्रमिक बैठकों अथवा 9 महीने को निरन्तर अवधि के लिए बोर्ड की सभी बैठकों, इनमें जो भी अवधि लम्बी हो, में अनुपस्थित रहता है, वह नामित/निदेशक नहीं रहेगा। [धारा 6(2)]।

(ङ) बोर्ड की दो बैठकों के बीच की अवधि चार महीने से अधिक नहीं होगी। [धारा 11(1)]।

(च) बोर्ड ऐसी शक्तियां तथा ड्यूटियां जिन्हें वह उचित समझे संकल्प में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन निदेशकों की समितियों अथवा प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकता है। [धारा 12(1) (ख)]

(छ) धारा 19 की उप-धारा (3) में एक नया खंड (V) जोड़ा जाए कि धारा 19(3) के उपबंध अन्य राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को दी गई सेवाओं के मामले में लागू नहीं होंगे।

(ज) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए धारा 20 को समाप्त कर दिया जाए।

(झ) निगम व्यवसाय के सिद्धांतों पर ऐसे तरीके से कार्य करेगा कि निवेशित पूंजी पर न्यूनतम 3 प्रतिशत लाभ की दर सुनिश्चित की जा सके।

(ञ) पूंजी एकत्र करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं समझा जाता है। अतः धारा 23(2क) में से "केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से" शब्दों को हटा दिया जाए।

(ट) धारा 34 में संशोधन किया जाना है ताकि निगम को इसके कार्यकरण में और अधिक स्वायत्तता दी जा सके।

(ठ) इस आशय का प्रावधान करने के लिए धारा 32 का संशोधन किया जाए कि यदि कोई निगम निवल अधिशेष का पूर्वानुमान करता है तो अगले वित्त वर्ष का बजट राज्य सरकार को केवल सूचनार्थ भेजा जाएगा जबकि यदि निवल घाटे अथवा न लाभ, न घाटे का पूर्वानुमान किया जाए तो राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

[अनुवाद]

राजा मिल्स का विलय

5713. **श्री जो० माडे गौडा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स (राजा मिल्स) का मिनर्वा मिल्स बंगलौर के साथ विलय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या विलय किए गए एकक में सभी कर्मचारियों को खपाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विलय के पश्चात् मिनर्वा मिल्स का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(छ) मैसूर स्पिनिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिल्स की जमीन की बिक्री से अनुमानतः कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल अत्यधिक घाटा उठाने वाली मिल है जिसका 31-3-1992 की स्थिति अनुसार संचित घाटा 38.89 करोड़ रु० है। जनवरी, 1990 में मिल में भीषण आग लग गई जिसकी वजह से स्पिनिंग प्रेपरेटरी तथा रिंग फ्रेम्स नष्ट हो गए। चूंकि मिल का पुनरुद्धार करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि इस एकक को मिनर्वा मिल्स के साथ मिला दिया जाए जिसमें कि स्पिनिंग प्रेपरेटरी में कुछ फालतू क्षमता है।

(ग) तथा (घ) 31-12-1992 की स्थिति अनुसार मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स में 1091 कर्मचारी (जिनमें कामगार भी शामिल हैं) थे। इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को

पुनर्निर्माण/विलयन के फलस्वरूप समा लिया जा सकता है। फालतू कर्मचारी, यदि कोई होंगे, तो उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ की पेशकश की जाएगी।

(ङ) जी हां।

(च) आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली निगम योजना के अनुसार परिणामी एकक अर्थात् मिनर्वा मिल्स का आधुनिकीकरण करने के लिए 12.50 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है।

(छ) मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल की भूमि का प्रचलित मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रुग्ण लघु उद्योगों को अर्थक्षम बनाना

5714. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में लघु क्षेत्र के कितने रुग्ण एककों की पहचान की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन एककों के लिए कितनी ऋण राशि/अनुमान स्वीकृत किया गया; और

(ग) अगले वर्ष में कितने एककों को अर्थक्षम बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनरुज्जीवन के आंकड़ों का संकलन नहीं करते हैं। तथापि मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण का 230.94 करोड़ रु० 27,477 रुग्ण लघु एककों के पास बकाया था। इनमें से 326 एककों की पहचान संभाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के रूप में की गई थी जिनके पास 33.78 करोड़ रुपये का बकाया बैंक ऋण है और इनमें से 249 को पोषण के अन्तर्गत रखा गया है जिनके पास 27.98 करोड़ रुपए बकाया बैंक ऋण हैं।

(ग) एकक की तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता के आधार पर एककों के पुनरुज्जीवन पर विचार किया जाता है जिसे अलग-अलग मामलों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश

5715. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में केरल में किया गया पूंजीनिवेश कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं को केरल में अधिक धनराशि का निवेश करने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई राज्य-वार सहायता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा केरल को 1989-90 के दौरान 231.80 करोड़ रु० की सहायता प्रदान की गई थी जबकि 1990-91 में 283.10 करोड़ रुपए की सहायता दी गई । 1991-92 में इसमें और वृद्धि होकर यह 356.20 करोड़ रुपए हो गई । अखिल भारतीय कुल सहायता की तुलना में केरल की सहायता का हिस्सा 1.7 प्रतिशत पर ही बना रहा ।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०	राज्य	मंजूरियां			संवितरण		
		1989-90	1991-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	952.2	1544.9	1450.4	665.3	950.9	1454.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.4	3.9	0.5	0.9	1.4	1.4
3.	असम	210.8	69.1	120.3	59.3	71.8	116.1
4.	बिहार	370.6	199.9	470.1	207.3	116.0	317.3
5.	गोवा	120.8	88.5	128.6	77.7	83.4	107.5
6.	गुजरात	1555.1	2538.9	2556.4	934.6	1413.5	1650.4
7.	हरियाणा	539.2	346.7	474.5	280.7	316.9	339.3
8.	हिमाचल प्रदेश	155.6	822.8	347.2	92.7	75.3	130.3
9.	जम्मू व कश्मीर	53.2	54.8	38.4	44.7	39.8	35.2

10.	कर्नाटक	540.8	908.4	1174.1	413.8	559.4	678.0
11.	केरल	231.8	283.1	356.2	178.7	200.5	263.8
12.	मध्य प्रदेश	625.4	1191.2	983.7	437.0	634.0	683.4
13.	महाराष्ट्र	3596.0	4151.6	5643.0	1785.5	2245.0	3728.7
14.	मणिपुर	12.2	2.6	3.1	8.8	4.8	4.4
15.	मेघालय	9.4	5.4	7.8	11.4	7.7	4.9
16.	मिजोरम	4.0	4.5	1.7	4.0	4.0	1.8
17.	नागालैंड	3.0	3.3	6.2	4.3	3.6	2.6
18.	उड़ीसा	378.0	302.6	263.1	175.8	293.7	313.3
19.	पंजाब	365.5	439.6	457.0	364.5	357.4	339.0
20.	राजस्थान	578.0	776.5	781.7	302.6	429.3	547.4
21.	सिक्किम	8.0	1.2	2.8	2.5	3.6	4.5
22.	तमिलनाडु	1251.1	1389.5	1912.6	877.0	981.0	1178.4
23.	त्रिपुरा	11.5	1.3	2.6	3.7	2.3	2.0
24.	उत्तर प्रदेश	1075.1	1358.3	1350.2	716.8	908.7	1068.9
25.	पश्चिम बंगाल	587.1	664.9	2026.7	461.0	443.2	479.7
26.	संघराज्य क्षेत्र	291.0	398.4	944.3	100.1	209.3	785.2
	(क) अंडमान व निकोबार	0.2	0.7	0.1	0.2	0.4	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ख) दिल्ली	202.2	240.8	827.7	126.5	132.0	666.1
	(ग) दादरा व नागर हवेली	35.6	31.9	20.1	21.0	22.1	20.9
	(घ) चण्डीगढ़	16.2	13.8	10.6	10.4	7.9	11.1
	(ङ) लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
	(च) पांडिचेरी	33.2	96.7	64.4	18.8	43.3	79.4

*आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, एस० आई० डी० बी० आई०, आई० आर० बी० आई, आर० सी० टी० सी०, डी० डी० आई० सी० आई०, एस० सी० आई० सी० आई०, टी० एफ० सी० आई, एल० आई० सी०, यू० टी० आई० शामिल हैं।

@आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा रूस को मंजूर की गई 6 करोड़ रुपए की सहायता सहित।

@आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा मलेशिया को मंजूर की गई 1.7 करोड़ रुपए की सहायता सहित।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सड़कों को चौड़ा करना

5716. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि की चौड़ाई 25 मीटर मान कर शहरों के बीच से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1991 के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा था; और

(ख) केन्द्र सरकार का इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम कब से शुरू करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापट्टनम शिपयार्ड लिमिटेड

5717. **डा० विश्वनाथम कनिथी** :
श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम शिपयार्ड लिमिटेड नये पोतों के आर्डरों में कमी आने के कारण संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो शिपयार्ड ने जितने आर्डर बुक किए हैं उनकी यूनिट वार नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) शिपयार्ड की पूंजीगत स्थिति क्या है; और

(घ) शिपयार्ड के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० की नवीनतम आर्डर बुक स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

(i) 27,000 डी डब्ल्यू टी का एक बल्क कैरियर।

(ii) 42,750 डी डब्ल्यू टी के दो बल्क कैरियर।

(iii) एक आफ शोर पेट्रोल वैसल।

(iv) वैल प्लेट फार्मों के पांच डैक।

(ग) 31-3-93 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 70.00 करोड़ रु० है और चुकता पूंजी 69.88 करोड़ रु० है।

(घ) शिपयार्ड के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू कर दी गई है और 31-3-93 तक 1273 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं।

2. जहाज मरम्मत जैसे राजस्व अर्जनकारी कार्यों पर अधिक ध्यान देने का निर्णय किया गया है ताकि उपलब्ध अन्त: संरचना का उपयोग किया जा सके जिससे अधिक और शीघ्र राजस्व प्राप्तियां होती हैं। जहाज मरम्मत का कारोबार 1991-92 में 10 करोड़ रु० से बढ़कर 1992-93 में 18 करोड़ रु० हो गया है और इसे 3 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से 60 करोड़ रु० तक लाने का प्रस्ताव है।

3. प्रशासनिक खर्च और समग्र लागत को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. विभागों की आवश्यकतानुसार जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने तथा कर्मचारियों को पुन: तैनात करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

5. कर्मचारियों की नैतिकता में वृद्धि करने के लिए लम्बे समय से लम्बित वेतन संशोधन को कार्यान्वित कर दिया गया है।

6. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय जहाज मालिकों, पत्तनों और भारतीय नौसेना से आर्डर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

होमगार्डों को मुफ्त यात्रा सुविधा

5718. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन होमगार्ड कर्मियों को अपनी सरकारी ड्यूटी पालन करने के दौरान सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब भी होम गार्ड्स को ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए बुलायी जाता है, उन्हें विनिर्दिष्ट यात्रा-भत्ता दिया जाता है।

[अनुवाद]

नौवहन कम्पनियां

5719. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1993 के दैनिक समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस"

में "एस० सी० आई० सी० आई० टू हैव स्टेक इन शिपिंग फर्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी ने विभिन्न कंपनियों के साथ हुए अपने ऋण संबंधी समझौतों को संबंधित कम्पनी की इक्विटी में बदलने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी (एस० सी० आई० सी० आई०) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 (3) (ख) के अन्तर्गत अधिसूचित सार्वजनिक और वित्तीय संस्था है और इसने नौवहन कंपनियों को रुपये ऋण मंजूर किये हैं जो परिवर्तनीय हैं । यह विकल्प एस० सी० आई० सी० आई० को रुपया ऋण को उधारकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने का पात्र बनता है बशर्ते कि यह इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार हो । यह दूसरी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार है । विभिन्न रुपया ऋण करारों के अन्तर्गत उपलब्ध संविदा (कंट्रेक्चुअल) अधिकारों के अनुसार एस० सी० आई० सी० आई० ने बातचीत के बाद तय परिवर्तन की कुछ शर्तों के आधार पर रुपया ऋण के भाग को संबद्ध नौवहन कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने के अपने विकल्प का प्रयोग किया है ।

रतन टाटा पुस्तकालय को दान

5720. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स के रतन टाटा पुस्तकालय को पांच करोड़ रुपए और स्कूल में अर्थशास्त्र विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए तीन करोड़ रुपए का दान सीधे आर्थिक मामलों के विभाग से दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य विश्वविद्यालयों को सीधे ऐसे अनुदानों की स्वीकृति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अबरार अहमद) : (क) तथा (ख) जी हां, आर्थिक कार्य विभाग ने 1993-94 के बजट अनुमान में रतन टाटा पुस्तकालय को 5 करोड़ रुपए तथा अर्थशास्त्र विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए 3 करोड़ रुपए दान देने का प्रावधान किया है । रतन टाटा पुस्तकालय और अर्थशास्त्र विकास केन्द्र को दी जाने वाली राशियों के बारे में विस्तृत पद्धति शिक्षा विभाग से परामर्श करके निश्चित

की जाएगी। आर्थिक कार्य विभाग पहले भी वृहद आर्थिक नीति के विकास के संबंध में सम्बद्ध आर्थिक अनुसंधान में लगे संगठनों को धनराशि प्रदान करता रहा है।

(ग) जिस समय भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय बैंकिंग सतर्कता आयोग

5721. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग के लिए एक केन्द्रीय बैंकिंग सतर्कता आयोग की स्थापना करने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

कर्नाटक में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

5722. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का ब्योरा क्या है और उनमें से कितनी मिलों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण मिलों में से किसी मिल को श्रमिकों की सहकारी समितियों को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन मिलों को श्रमिकों की सहकारी समितियों को सौंपने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये हैं और क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) कर्नाटक में स्थित एन० टी० सी० के नियन्त्रणाधीन वस्त्र मिलों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. मिनर्वा मिल्स, बंगलौर
2. मैसूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बंगलौर
3. एम एस के मिल्स, गुलबर्गा
4. श्री येल्लम्मा काटन मिल्स, देवनगीर

वर्ष 1992-93 के दौरान इन सभी मिलों ने घाटे उठाये।

(ख) से (घ) सरकार एन० टी० सी० मिलों के सहकारीकरण के किसी भी अर्थक्षम प्रस्ताव

का समर्थन करने को इच्छुक है बशर्ते कि उसके प्रति सभी सम्बन्धित पक्षकारों की सहमति निहित हो। तथापि, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कंटेनर सेवा के संबंध में भारत-सोवियत समझौता

5723. **श्री पी० सी० नारायणन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप भारतीय नौवहन निगम को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर कंटेनर सेवा के संदर्भ में भारत-सोवियत सेवा समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सोवियत संघ के विघटन के समय भारतीय नौवहन निगम के क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए कंटेनरों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सोवियत संघ के विघटन का भारतीय नौवहन निगम की भारत-सोवियत व्यापार सेवाओं के वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) भारत और सोवियत संघ के बीच कन्टेनरीकृत कार्गो ढोने के बारे में भारतीय नौवहन लाइनों तथा तत्कालीन सोवियत संघ की ब्लेक सी शिपिंग कम्पनी के बीच हुआ समझौता सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गया।

(ग) सोवियत संघ के विघटन के समय भारतीय नौवहन निगम का कोई कन्टेनर गुम अथवा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

गुजरात में अप्पेरल ट्रेनिंग और डिजाइन केन्द्र

5724. **श्री काशीराम राणा : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थित 'अप्पेरल ट्रेनिंग और डिजाइन' केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) अप्पेरल निर्यात संवर्धन परिषद ने गुजरात में किसी भी अप्पेरल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र की स्थापना नहीं की है।

(ख) से (घ) सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल मेन्युफेक्चरिंग ट्रेनिंग सेन्टर

5725. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में कुछ टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) ये सेन्टर कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकृत कार्य प्रणाली

5726 श्री सी० श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं में शुरू की गई कम्प्यूटरीकृत कार्य प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) क्या बैंकों में कम्प्यूटरीकृत कार्य प्रणाली शुरू करने के कारण कोई वित्तीय बचत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) दिल्ली स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनकी कुछ शाखाओं में ए० एल० पी० एम० लगाये गए हैं और वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) कम्प्यूटरीकृत कार्य प्रणाली के कारण वित्तीय बचत का पता लगाने के लिए अभी तक कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, ऐसी शाखाओं में आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था और ग्राहक सेवा के कार्य में गुणात्मक सुधार हुए हैं।

[हिन्दी]

श्रमिकों को दिया जाने वाला उपदान

5727 श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपदान की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायकों के वेतनमान

5728 डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों में 1 जनवरी, 1986 से सहायकों का वेतनमान रुपए 1400-2600 से पुनरीक्षित करके रुपए 1640-2900 कर दिया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के मुख्यालय कार्यालय में सहायकों का वेतनमान रुपए 1400-2300 से पुनरीक्षित करके रुपए 1640-2900 नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्यरत सहायकों का वेतनमान मंत्रालयों के सहायकों के वेतनमान के बराबर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण एककों को बैंक ऋण

5729. श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में निजी क्षेत्र के लघु उद्योगों से इतर कितने रुग्ण एककों की अब तक पहचान की है;

(ख) पिछले वर्ष सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों की तुलना में लघु उद्योगों में बैंकों की फंसी पड़ी ऋण राशि का प्रतिशत कितना है;

(ग) लघु उद्योगों से इतर एककों की रुग्णता के प्रमुख कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस परिस्थिति का किस प्रकार समाधान करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में 4690.45 करोड़ रुपए के बकाया बैंक ऋण सहित 1342 गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण इकाइयों के प्रति कुल बकाया बैंक ऋण का क्रमशः 91.8% और 91.9% बैठता है। सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयां थीं जो गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण इकाइयों के प्रति बकाया बैंक ऋण के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध और अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता के मुख्य कारण प्रबंधन की कमियां, मांग में

गिरावट और अन्य कारण हैं। पहले में दोषपूर्ण तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन, दोषपूर्ण कार्यान्वयन और उत्पादन, श्रम, विपणन, वित्त और प्रशासन के क्षेत्रों में प्रबंधन की कमियां शामिल हैं। अन्य कारणों में बिजली की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, वित्तीय कठिनाइयां, सरकार नीति में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1992 को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों की गुजरात में जमा धनराशि

5730. **श्री एम० के० राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में अनिवासी भारतीयों की कितनी धनराशि जमा है; और

(ख) गुजरात के किस बैंक में अनिवासी भारतीयों की अधिकतम धनराशि जमा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गांजा की खेती

5731. **श्री पी० सी० थामस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में गांजा की खेती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी क्षेत्रों की यह खेती अवैध रूप से की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषधि प्रयोजनार्थ ऐसी खेती को अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में प्रति वर्ष गांजा का कितना उत्पादन होता है और इसकी कीमत कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंदरगाहों से आय

5732. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बंदरगाहों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना आवागमन हुआ है; और

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार ने कुल कितना राजस्व अर्जित किया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान विभिन्न महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कुल यातायात तथा पत्तनों द्वारा अर्जित प्रचालन आय नीचे दी गयी है। तथापि, सरकार के राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

वर्ष	हैंडल किया गया कुल यातायात (मिलियन टन में)	कुल प्रचालन आय (करोड़ रुपए)
1990-91	152.8	1091.80
1991-92	157.9	1196.40
1992-93	166.5 (अनंतिम)	वर्तमान आंकड़े अनुपलब्ध

पान का निर्यात

5733. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पान का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी मात्रा में पान का निर्यात किया गया, इससे देशवार कितनी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पान के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पान के पत्तों के निर्यात के संबंध में निर्यात के देशवार आंकड़े उपलब्ध हैं और संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पान के पत्तों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं किए गए हैं, कृषि क्षेत्र के लिए घोषित प्रोत्साहन तथा एक्जिम नीति, 1992-97 में किए गए परिवर्तनों, विनिमय-दर में अधोमुखी समायोजन, एकीकृत विनिमय दर की शुरूआत और आसान शर्तों पर ऋण की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पान के पत्तों के निर्यात में वृद्धि होगी।

विवरण

मात्रा : किलोग्राम

मूल्य : रु०

देश	1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
बहरीन आई एस	20715	275987	18	165
बोट्सवाना	20	1080		—
कनाडा	8796	227489	9178	311170
कैनरी आई एस	—	—	15020	568941
जिबूटी	—	—	28	2730
फ्रांस	650	15678	879	20394
जर्मन संघीय गणराज्य	1069	51654	1147	70725
केन्या	14198	597477	11691	688300
ओमान	—	—	1800	24187
पाकिस्तान	721310	10648638	846938	13941035
पुर्तगाल	10	400	84	3321
सऊदी अरब	7405	173485	4666	106062
सिंगापुर	38	3400	—	—
श्रीलंका	7111	146176	887	15228
स्वीडन	—	—	12	969
स्विटजरलैंड	451	15563	326	21536
तंजानिया	30	1200	—	—
संयुक्त अरब अमीरात	47027	1211877	105261	3675931
इंग्लैंड	51117	1329353	49795	1354692

1	2	3	4	5
यू० एम० ए०	151	3666	2992	47100
यमन गणराज्य	4361	97800	30	1040
योग :	884459	14800923	1050952	20853526

निर्यातकों को हो रही समस्याएं

5734. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनेक राज्यों में निर्यातकों को हो रही कठिनाइयों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कठिनाइयों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यातकों की मुख्य समस्या यह है कि राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवस्थापना संबंधी सुविधाएं विशेषकर बिजली, पानी, सड़क आदि के क्षेत्र में सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। कच्चे माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन में रुकावटें तथा कुछ राज्यों द्वारा कर लगाये जाने/वापसी नहीं किए जाने को भी निर्यात में बाधा के रूप में उद्धृत किया गया है। यह भी कहा जाता है कि राज्य सरकारें निर्यात कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न तथा प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि वे निर्यातों से अपना सीधा लाभ नहीं देखती हैं। ऐसी कठिनाइयों को कम करने की आवश्यकता के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।

यूरोपीय समुदाय द्वारा जारी आयात संबंधी दिशानिर्देश

5735. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** 12 मार्च, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय द्वारा आयातों के संबंध में जारी किए गये कुछ दिशा निर्देश प्रतिबन्धात्मक हैं;

(ख) क्या ऐसे दिशा-निर्देशों का भारत द्वारा यूरोपीय देशों को निर्यात किए गये कुछ मदों अथवा निर्यात योग्य मदों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यूरोपीय समुदाय द्वारा 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितना आयात और निर्यात किया गया; और

(घ) उक्त भाग (ग) के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय समुदाय को भारतीय निर्यात और यूरोपीय समुदाय से भारत के आयात का हिस्सा कितना-कितना प्रतिशत है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) यूरोपीय समुदाय ने भारत से किए जाने वाले आयातों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ग) और (घ) :

	(मिलि० आई० सी० यू० में)	
	1990	1991
यूरोपीय समुदाय के आयात	1129,055	1199,583
यूरोपीय समुदाय के निर्यात	1081,428	1116,451
यूरोपीय समुदाय में भारत के शेयर की प्रतिशतता		
आयात	0.4	0.39
निर्यात	0.556	0.467

* | 1990—1 ईसीयू = 1.273 अमरीकी डालर
| 1991 = 1 ईसीयू = 1.239 अमरीकी डालर

बाल श्रमिक

5736. श्री प्रवीन डेका : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के विभिन्न होटलों और टी-स्टालों पर काम पर लगे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन बाल श्रमिकों के लिए कोई शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(घ) इन्हें और अधिक उपयोगी बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पृथक-पृथक कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम द्वारा आवास ऋण

5737. श्री रामदेव राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के समक्ष आवास ऋण हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों की वर्तमान संख्या क्या है और इसमें से कितने आवेदकों को निगम ने ऋण मंजूर किये हैं और कितनी धन-राशि के ऋण स्वीकार किए गये हैं;

(ख) ऐसे ऋण स्वीकार करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं; और

(ग) इन मानदण्डों का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम तथा इसकी सहायक कम्पनी जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० द्वारा पात्र आवेदकों को आवास ऋणों का संवितरण किया जा रहा है। इन दो संगठनों के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है—

जीवन बीमा निगम

वर्ष	आवेदकों की संख्या	मंजूर किए गए ऋणों की संख्या	मंजूर किए गए ऋणों की राशि (करोड़ रुपए में)
1989-90	44473	42399	311.30
1990-91	36912	33831	255.72
1991-92	29296	26691	222.14
जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि०			
1989-90	1336	1484	14.08
1990-91	21734	18245	169.43
1991-92	48887	42240	420.02

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसे ऋणों की मंजूरी हेतु अपनाए गए मापदण्ड विवरण-I पर तथा जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० द्वारा अपनाए गए मापदण्ड विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम तथा जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड की आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से तथा जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० अपने बोर्ड के अनुमोदन से बाहरी लेखा-परीक्षकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। जीवन बीमा निगम और जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० के बाहरी लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ आवास ऋणों की लेखा-परीक्षा भी शामिल होती है और ये जीवन बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाती है। जीवन बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट को जीवन बीमा निगम बोर्ड द्वारा, जिसमें केन्द्रीय सरकार का एक नामिती भी होता है, अनुमोदित किया जाता है, और इसे संसद के समक्ष रखा जाता है। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

विवरण-I

आवास ऋण प्रदान करने के मापदण्ड (जीवन बीमा निगम)

1. ऋण किसी मकान के निर्माण/विस्तार अथवा किसी मकान अथवा तैयार फ्लैट अथवा निर्माणाधीन फ्लैट की खरीद हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं।
2. 1 लाख रु० तक के ऋण के लिए संपत्ति मूल्य के 80 प्रतिशत तक का ऋण तथा 1 लाख रु० से अधिक के ऋण के लिए संपत्ति मूल्य के 75 प्रतिशत का ऋण।
3. ऋण-खंड के आधार पर 12.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक की ब्याज-दर।
4. वापसी अदायगी अवधि-अधिकतम 20 वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना के तहत—अधिकतम भुगतान-अवधि 25 वर्ष।
5. न्यूनतम ऋण—25,000 रु०, "अपना घर बनाओ" योजना के तहत—10,000 रु०।
6. अधिकतम ऋण—5 लाख रुपए।
7. ऋण का आवेदक की आय के साथ उपयुक्त सह-सम्बन्ध होना चाहिए।
8. ऋण की प्रतिभूति सम्पत्ति का पहला बंधक (मॉर्टगेज) है। सम्पत्ति का स्वामित्व स्पष्ट और विक्रेय होना चाहिए।
9. फ्लैटों के लिए दो गारंटीकर्ताओं का होना अपेक्षित है।
10. मंजूर किए गए ऋण के बराबर की राशि की (जीवन गृह पॉलिसी के संबंध में 1/3) जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित है।
11. ऋण की वापसी अदायगी का तरीका—समान मासिक किश्तों द्वारा अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मानी जाने वाली बन्दोबस्ती पॉलिसी से प्राप्त आय से जिसमें ब्याज प्रत्येक माह देय होगा अथवा उपर्युक्त दोनों तरीकों के सम्मिलित रूप द्वारा।

विवरण-II

आवास ऋण प्रदान करने के मापदण्ड (जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड)

1. ऋण किसी मकान के निर्माण/विस्तार अथवा किसी मकान अथवा तैयार फ्लैट अथवा निर्माणाधीन फ्लैट की खरीद हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं।
2. 1 लाख रु० तक के ऋण के लिए सम्पत्ति मूल्य के 80 प्रतिशत तक का ऋण तथा 1 लाख रु० से अधिक के ऋण के लिए सम्पत्ति मूल्य के 75 प्रतिशत का ऋण।
3. ऋण-खण्ड के आधार पर 12.5 प्रतिशत से 16.5 प्रतिशत तक की ब्याज-दर।

4. वापसी अदायगी अवधि – अधिकतम 20 वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

5. न्यूनतम ऋण —25,000 रुपए।

6. योजनाओं के प्रकार

(i) गृह प्रकाश और गृह तारा : अधिकतम 5 लाख रु० ।

(ii) गृह लक्ष्मी : 10 लाख रु० तक का ऋण। बीमा वैकल्पिक जनसंख्या के मापदण्ड पर बल ।

(iii) गृह शोभा : यह केवल अनिवासी भारतीयों के लिए है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं।

(iv) गृह ज्योति : केवल समूह बीमा कवच।

7. ऋण का आवेदक की आय के साथ उपयुक्त सह-सम्बन्ध होना चाहिए।

8. ऋण की प्रतिभूति सम्पत्ति का पहला बंधक (मॉर्टगेज) है। सम्पत्ति का स्वामित्व स्पष्ट और विक्रेय होना चाहिए।

9. फ्लैटों के लिए दो गारंटीकर्ताओं का होना अपेक्षित है।

10. मंजूर किए गए ऋण के बराबर की राशि (जीवन गृह पॉलिसी के संबंधों 1/3) की जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित है।

11. ऋण के भुगतान का तरीका—समान मासिक किश्तों द्वारा अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मानी जाने वाली बन्दोबस्ती पॉलिसी से प्राप्त आय से जिसमें ब्याज प्रत्येक माह देय होगा अथवा उपर्युक्त दोनों तरीकों के सम्मिलित रूप द्वारा।

[अनुवाद]

विदेशों द्वारा तिल तथा अन्य बीजों के आयात पर प्रतिबन्ध

5738. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और जापान जो भारत से तिल, खाद्य बीजों और एच० पी० एस० मूंगफली के बड़े आयातक हैं, आयात पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि इन मदों में बड़ी मात्रा में डी० डी० टी० कीटनाशक के अवशेष पाये जाते हैं जो इन देशों में प्रतिबन्धित हैं;

(ख) क्या निर्यातकों को यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी गई है कि प्रतिबन्धित कीटनाशकों के अवशेष वाले खाद्य तिलहनों का निर्यात न किया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अमरीका और जापान को भारत के उपर्युक्त मदों के निर्यात में और कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) हालांकि सरकार को इन देशों में इस तरह के किसी अभियान की कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) सरकार ने तिलहनों के उत्पादन में डीडीटी और बीएचसी जैसी कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(2) राज्य सरकारों और निर्यातकों से कहा गया है कि वे किसानों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाएं।

(3) उन्नत सफाई पद्धतियां और क्वालिटी नियंत्रण पद्धतियां अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे विभिन्न बाजारों में आयातकों से बेहतर सम्पर्क कायम करें।

रुग्ण टैक्सटाइल मिलों को सहकारी संस्थाओं को सौंपना

5739. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण टैक्सटाइल मिलों में से कितनी मिलों ने राज्यवार सहकारी आधार पर पुनः काम करना आरंभ कर दिया है;

(ख) केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार ने इन मिलों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को रुग्ण टैक्सटाइल मिलों को पुनः आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कई प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार किसी भी रुग्ण मिल ने सहकारी आधार पर पुनः कार्य करना शुरू नहीं किया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। केवल राज्य सरकार (संबंधित बैंक) वित्तीय संस्थान वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने कामगार सहकारी समितियों द्वारा मिल को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से इक्विटी अंशदान के रूप में 290 लाख रु० मूल्य की वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत कामगार सहकारी समितियों द्वारा रुग्ण मिलों को चलाने/उनका अधिग्रहण करने के लिए इक्विटी अंशदान प्रदान किया जाता हो।

विदेशी माल का जमा होना

5740. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के घरेलू बाजार में स्वदेशी उत्पादकों के हिस्से और स्थानीय सेवा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बहुतायत और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि उदारीकरण की परिणति भारी मात्रा में विदेशी वस्तुओं, विशेषत: विलासिता सामग्रियों की भरमार न हो और घरेलू औद्योगिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य समग्र औद्योगिक उत्पादन की गति बढ़ाना है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी० एस० ओ०) द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के ताजा आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अप्रैल-नवंबर, 1992 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि दर पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 3.9% अधिक रही।

सरकार माल के क्षेत्र में भारत के बाजार प्रवेश का समेकन और विस्तार करने और सेवाओं के क्षेत्र में बाजार प्रवेश को औपचारिक बनाने के बारे में उरुग्वे दौर में बातचीत कर रही है।

सरकार ने हानिकर डम्पिंग के मामले की जांच करने और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उन मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है जिनमें यह पाया जाता है कि उनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार का शुल्क लगाए जाने से पूर्व सरकार द्वारा नामोद्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त डम्पिंग तथा हानि के बारे में और इन दोनों के बीच अनियमित संयोजन के बारे में निष्कर्ष देना होता है। नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सामान्यतया जांच करना तभी अपेक्षित होगा जब उसे डम्पिंग, क्षति और डम्प किए गए आयात एवं तथाकथित क्षति के बीच अनियमित संयोजन के बारे में प्रभावित घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से कोई लिखित अनुरोध प्राप्त होगा और उनकी पुष्टि में साक्ष्य प्राप्त हों।

उपभोक्ता माल के आयात पर आमतौर पर प्रतिबंध है।

फार्मास्यूटिकलों का निर्यात

5741. श्री मल्ली येल्लैया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों को बल्क औषधों और फार्मास्यूटिकलों के निर्यात की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से अमरीका और अन्य देशों को देश-वार किये गये निर्यात का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि औषध उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में और निर्यात के लिए औषण उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों को औषधों एवं भेषजों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	निर्यात		
	1989-90	1990-91	1991-92
संयुक्त राज्य अमेरिका	218.00	67.40	170.43
अन्य विकसित देश	250.00	241.48	464.81

(ग) जी, हां। मूल रसायन, भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् (केमिक्सल) के अनुसार औषध उद्योग को सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम, टेट्रासाइक्लिन, आक्सीटेट्रासाइक्लिन, एस्पिरिन, एनलिजन और अन्य सभी सल्फा औषधों और एटेनोलोल नामक कुछ बल्क औषधों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीन से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

(घ) औषधों एवं भेषजों को रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्षेत्र में थ्रस्ट मदों के रूप में अभिज्ञात किया गया है और औषधों एवं भेषजों के निर्माता-निर्यातकों के लिए उदारीकृत निर्यात-आयात नीति 1992-97 के तहत रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता सहित कई प्रोत्साहन दिए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में काफी निर्यात वृद्धि प्राप्त हो सके।

सिक्किम और दार्जिलिंग में चाय की खेती

5742. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम और दार्जिलिंग में कुल कितने क्षेत्र पर चाय की खेती होती है;

(ख) इन गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिक्किम और दार्जिलिंग में कुछ अतिरिक्त क्षेत्र पर भी चाय की खेती की गई;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में सिक्किम और दार्जिलिंग में कुछ अतिरिक्त क्षेत्र पर चाय की खेती करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : इस समय दार्जिलिंग और सिक्किम में चाय की खेती के अंतर्गत क्रमश: 20000 हेक्टेयर एवं 171 हेक्टेयर क्षेत्र है ।

(ख) से (घ) हालांकि पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में चाय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र स्थिर बना हुआ है, परंतु दार्जिलिंग में 25 हेक्टेयर की मामूली वृद्धि हुई हैं । क्षेत्र-विहार में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण चाय की खेती के लिए उपयुक्त भूमि की कम उपलब्धता है ।

(ङ) तथा (च) चाय बोर्ड द्वारा तैयार की गई भावी योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सन् 2000 ई० तक चाय की खेती के अंतर्गत 3500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाने का प्रावधान है । तथापि, प्रत्येक चाय उत्पादक क्षेत्र में रोपण विस्तार के लिए उपलब्ध हो सकने वाले क्षेत्र की ठीक-ठीक सीमा की अनिश्चितता के कारण दार्जिलिंग और सिक्किम के लिए अलग-अलग लक्ष्य नहीं रखे गए हैं ।

काल/नोटिस मनी मार्किट

5743. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काल/नोटिस मनी मार्किट के कार्य क्या हैं और यह किस प्रकार कार्य करती है;

(ख) इस बाजार में ऋणदाता ऋणी के रूप में किन-किन संस्थाओं को भाग लेने की अनुमति दी गई है; और

(ग) बैंकों पर इस मार्किट का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) बैंक निधियों की आकस्मिक मांग का भुगतान करने और अपनी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शर्तों अथवा सांविधिक नकदी अनुपात की शर्तों को पूरा करने के लिए या धारित की जाने वाली अपेक्षित तरल परिसंपत्ति में किसी संभावित कमी को पूरा करने के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु मांग मुद्रा बाजार से उधार लेते हैं । चूंकि रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता बैंक को मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है और इससे संबंधित नीतियां रिजर्व बैंक मौद्रिक अवस्थिति से प्रभावित है, इसलिए अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाजार ही उनकी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक और अल्पावधिक निधियों का सबसे महत्वपूर्ण एक मात्र स्रोत है । चूंकि बैंकों को मांग मुद्रा उधारों के आधार पर सी० आर० आर०/एस० एल० आर० रखना होता है इसलिए वास्तविक ब्याज दरों की तुलना में मांग मुद्रा निधियों की प्रभावी कीमत अधिक है । बैंकों के अतिरिक्त कुछ वित्तीय संस्थाओं को भी ऋणदाताओं के रूप में मांग मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है । मांग/नोटिस मनी मार्किट में भाग लेने वालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त संस्थानों की सूची

(क) उधार देने वाले और उधार लेने वाले दोनों के रूप में मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त

1. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

2. सहकारी बैंक

3. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि०

(ख) केवल उधार देने वाले के रूप में मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त

1. भारतीय जीवन बीमा निगम लि०

2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट

3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसके अनुषंगी

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि०

7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

8. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि०

9. एस० बी० आई० म्युचुअल फण्ड

10. केनबैंक म्युचुअल फण्ड

11. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि०

12. राष्ट्रीय आवास बैंक

13. भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लि०

14. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि०

15. भारतीय निर्यात-आयात बैंक

16. एल० आई० सी० म्युचुअल फण्ड

17. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

18. बी० ओ० आई० म्युचुअल फण्ड

19. इंडियन बैंक म्युचुअल फण्ड

20. पी० एन० बी० म्युचुअल फण्ड

21. जी० आई० सी० म्युचुअल फण्ड

तनावग्रस्त क्षेत्रों में बीमा

5744. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा कम्पनियों ने देश के सर्वाधिक नाजुक और तनावग्रस्त क्षेत्रों में सम्पत्ति का बीमा करना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गर्म पेय की मांग

5745. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में गर्म पेय की मांग लगभग स्थिर रही है;

(ख) क्या कोका कोला के प्रवेश से गर्म पेय के घरेलू बाजार पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गर्म पेय को बढ़ावा देने तथा इसका विकास करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जहां तक चाय की घरेलू खपत का सम्बन्ध है यह लगातार बढ़ रही है । काफी की घरेलू मांग में मामूली वृद्धि हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशों और धागों के संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

5746. **श्री छोटूभाई गामीत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा मानव निर्मित सैल्यूलोजिक और गैर-सैल्यूलोजिक रेशों और धागों दोनों के बारे में लागत अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्माता कंपनियों से प्रत्येक मद के अध्ययन के संबंध में प्रासंगिक आंकड़े मांगे गए थे;

(घ) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों ने आंकड़े भेज दिए हैं और कितनी कम्पनियों ने नहीं भेजे हैं;

(ङ) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कंपनियों से पर्याप्त आंकड़े मिल गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में रिपोर्ट को पूरा करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं। गैर-सैल्यूलोजिक मानव निर्मित फाइबर और यार्न की रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) विवरण-पत्र 1 और 2 संलग्न है।

(ङ) और (च) ब्यूरो ने पहले अनेक बार इन उत्पादों का अध्ययन किया है। इन रिपोर्टों में निहित जानकारी को कम्पनियों द्वारा विभिन्न सरकारी अभिकरणों को अलग-अलग संदर्भों में प्रस्तुत की गई सूचना/प्रलेखों के माध्यम से पूरा अद्यतन किया गया है। इस समस्त सूचना का उपयोग करके ब्यूरो ने इन उत्पादों के संबंध में एक उचित विश्वसनीय लागत-कीमत ढांचा विकसित किया है।

विवरण-I

उन एककों की सूची जिन्होंने बी० आई० सी० पी० द्वारा संबोधित प्रश्नावली के सम्बन्ध में उत्तर भेजा है

(क) सैल्यूलोसिक फाइबर (विस्कोस स्टेपल फाइबर)

1. मै० ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि०
2. मै० हरिहर पोलि फाइबर्स (मै० ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि०)

(ख) सैल्यूलोसिक यार्न (विस्कोस फिलामेंट यार्न)

1. मै० साउथ इंडिया विस्कोस लि०
2. मै० सेन्चुरी रेयन्स
3. मै० बड़ोदा रेयन कारपोरेशन लि०
4. मै० इण्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०
5. मै० ट्रावनकोर रेयन्स लि०
6. मै० केशोराम रेयन्स
7. मै० नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०

(ग) गैर-सैल्यूलोसिक फाइबर्स/यार्न्स (पोलिस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिस्टर फिलामेंट यार्न)

1. मै० आई० सी० आई० इंडिया लि०
2. मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०
3. मै० उड़ीसा सिन्थेटिक्स लि०
4. मै० सेन्चुरी एनका लि०

5. मैं० डी० सी० एल० पोलिस्टर लि०

6. मैं० मोदीपान लि०

7. मैं० परसरामपुरिया सिन्थेटिक्स लि०

8. मैं० श्री सिन्थेटिक्स लि०

9. मैं० कैलिको पोलिस्टर फाइबर डिवीजन

10. मैं० पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०

विवरण-II

1. मैं० इण्डियन आरगेनिक कैमिकल्स लि०

2. मैं० अहमदाबाद मैन्यु० एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कं०

3. मैं० स्वदेशी पोलिटेक्स लि०

4. मैं० इण्डिया पोलिफाइबर्स लि०

5. मैं० एल० एम० एल० फाइबर्स लि०

6. मैं० गारवरे नायलोन लि०

7. मैं० रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि०

8. मैं० बड़ोदा रेयन कारपोरेशन लि०

9. मैं० इस्टर इण्डस्ट्रीज लि०

10. मैं० हरियाणा पेट्रोकैमिकल्स लि०

11. मैं० जे० सी० टी० लि०

12. मैं० जिन्दल पोलिस्टर

13. मैं० आर० के० सिल्क मिल्स लि०

14. मैं० रेमाण्ड सिन्थेटिक्स लि०

15. मैं० निलोन लि०

16. मैं० सांघी पोलिस्टर लि०

17. मैं० अलेम्बिक कैमिकल्स वर्क्स एण्ड कं० लि०

रुई बोर्ड का गठन

5747. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बोर्ड के कृत्य क्या हैं; और

(ग) इसका गठन कब तक होगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) कपास सलाहकार बोर्ड का पिछला गठन अप्रैल, 1992 में 2 वर्ष की कार्यावधि के लिए किया गया था। कपास सलाहकार बोर्ड सरकार को कपास के उत्पादन, खपत तथा विपणन से संबंधित मामलों में सलाह देता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां

5748. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई संवर्धनात्मक और विकासात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं अथवा शुरू करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा समर्थित संवर्धनात्मक और विकासात्मक क्रियाकलापों का विवरण निम्नलिखित है—

(i) सितम्बर-अक्तूबर, 1991 के दौरान थाणे जिले में स्थित विक्रमगढ़ में एक ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (इ० डी० पी०) आयोजित करने के लिए भारतीय उद्यमवृत्ति विकास संस्था (ई० डी० आई० आई०) को सहायता दी गयी थी।

(ii) महाराष्ट्र उद्यमवृत्ति विकास केन्द्र का नासिक में महिलाओं के लिए एक उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (इ पी डी) और पुणे में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक इ डी पी का आयोजन करने में सहायता दी गयी थी।

(iii) अगस्त-दिसम्बर, 1991 के दौरान थाणे में स्नातकों में से उनकी बहुविध जिम्मेवारियों में लघु उद्योग के उद्यमियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित औद्योगिक प्रबंधकों का एक संवर्ग बनाने के एक कार्यक्रम को आई डी आई आई और एम सी इ डी द्वारा आयोजित और सिडबी द्वारा प्रायोजित किया गया था।

(iv) जुलाई-अगस्त, 1992 में औरंगाबाद और जलगांव में एम० सी० इ० डी० को लघु उद्योग कार्यालय प्रबंधन में दो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में सहायता दी गयी थी।

(v) महाराष्ट्र में एम सी ई डी को गैर-सरकारी स्वेच्छा संगठनों के लिए प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने मे सहायता दी थी ।

(vi) एम सी ई डी को कोल्हापुर और पुणे में फाउन्ड्री से विद्यमान लघु उद्योग उद्यमियों के लिए कुशलता-सह-प्रौद्योगिकी प्रोन्नत कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहायता दी गयी थी ।

(vii) नागपुर, नासिक और थाणे के लघु उद्योग एककों के लिए आई एस ओ 9000 स्टैंडर्ड्स पर तीन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक और तकनीकी परामर्शी संगठन (एम आई टी सी ओ ए) को सहयोग दिया गया था ।

(viii) एम आई टी सी ओ एन को रसायन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स तथा मेकेनिकल सहित औद्योगिक समूहों से पचास अवस्थितिक न्यूट्रल परियोजना रूपरेखा का सारांश तैयार करने में सहयोग दिया ।

(ix) जिला स्तर पर कार्य करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं का एक पैनल तैयार करने संबंधी एम आई टी सी ओ एन के प्रस्ताव को आवश्यक सहायतार्थ अनुमोदित कर दिया गया ।

(x) मानव पर्यावरण विकास समिति के, थाणे जिले के विराथन, बुदरुक, पालघर तालुक में आर्थिक/सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं के हित में बेकरी उत्पादों के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की गयी ।

(xi) सिडबी के सहयोग से अकोला जिले के रिधोरा ग्राम में खादी और ग्रामोद्योग एककों के लिए ग्रामोद्योग भू-सम्पदा स्थापित की जा रही है ।

(xii) वर्धा जिले में खादी और ग्रामोद्योग परियोजनाओं के विकास के द्वारा एक विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग से विचार-विमर्श जारी है ।

(xiii) प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अर्थक्षम पाए गए रुग्ण लघु उद्योग एककों के शीघ्र पुनर्वास के लिए, सिडबी ने औरंगाबाद और नासिक में पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित किए और लातूर में आयोजित पुनर्वास कार्यक्रम में भाग लिया ।

(xiv) विभिन्न केन्द्रों में आयोजित बैंकर्स की बैठकों में सिडबी के अधिकारी भी भाग लेते हैं और लघु उद्योग उद्यमियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय सहायता प्रदान करते हैं ।

बिहार में प्रत्यक्ष कर और उत्पाद शुल्क संबंधी मामले

5749. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ऐसे अनेक व्यक्ति और कंपनियां हैं जिनकी ओर उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष करों की धनराशि बकाया है और वे न्यायालयों में चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनकी संख्या कितनी थी;

(ग) इस मामले में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मद्रास पत्तन पर कन्टेनर ट्रान्शिपमेंट टर्मिनल

5750. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पत्तन पर कन्टेनर ट्रान्शिपमेंट टर्मिनल के कार्य आरम्भ करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ ली जाने वाली विदेशी सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ग) यह टर्मिनल कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मद्रास पत्तन पर अलग कन्टेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

5751. श्री बी० भाई गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल कितनी-कितनी शाखाएं हैं;

(ख) जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1992 तक राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक कितनी नई शाखाएं खोली गईं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उक्त बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 30-9-1992 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है—

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या	जिले का नाम	शाखाओं की सं०
1. बंगलोर ग्रामीण	69	2. बंगलोर शहरी	535
3. बेलगांव	166	4. बेल्लारी	82
5. बिदार	46	6. बीजापुर	133
7. चिकमंगलूर	80	8. चित्रदुर्गा	82
9. दक्षिण कन्नड़	381	10. धरवाद	171
11. गुलबर्गा	85	12. हसन	99
13. कोडागू	81	14. कोल्लार	102
15. मन्दया	93	16. मैसूर	155
17. रायचूर	73	18. शिमोगा	122
19. तुमकूर	107	20. उत्तर कन्नड़	117

(ख) 1992 के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है—

बैंक का नाम	जोड़	बैंक का नाम	जोड़
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया	8	2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2
3. स्टेट बैंक आफ मैसूर	4	4. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1
5. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1	6. इलाहाबाद बैंक	1
7. बैंक आफ बड़ौदा	1	8. बैंक आफ इंडिया	1
9. केनरा बैंक	4	10. देना बैंक	1
11. पंजाब नेशनल बैंक	2	12. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1

(ग) 1990-95 के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने सेवा क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण केन्द्रों की पहचान करनी होती है। प्रस्तावों को सम्बन्धित राज्य सरकार के संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कर्नाटक राज्य के संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक अर्ध शहरी केन्द्रों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारत स्तर पर अपनी पसंद के अर्द्ध-शहरी केन्द्रों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को विशिष्ट संख्या का

कोटा आबंटित किया है। किसी राज्य/संघ राज्य के लिए कोई विशिष्ट कोटा आबंटित नहीं किया गया है। कर्नाटक में शहरी/महानगरीय केन्द्रों में 56 बैंक रहित कम बैंक सुविधाओं वाले इलाकों का आबंटन कार्य दल की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है। बैंक मार्च, 1995 के अन्त तक शाखाएं खोल सकते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाना

5752. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी वितरित की गई;

(ख) क्या धन का वितरण स्वीकृत धनराशि के अनुसार नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में 17,146 रुग्ण एकक थे जिनका बकाया बैंक ऋण 111.34 करोड़ रुपये था। इनमें से 273 एककों की पहचान संभावित रूप में अर्थक्षम एकक के रूप में की गई थी जिनके पास 21.67 करोड़ रु० का बकाया बैंक ऋण था और 17.65 करोड़ रु० के बकाया बैंक ऋण वाले 198 एककों को पोषण के अन्तर्गत रखा गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में आंकड़े संकलित नहीं करता है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण

5753. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने परिवारों विशेषत: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) 31 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार उनसे ऋण वसूली की स्थिति क्या थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 1990-91 और 1991-92 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से श्रेणीवार वसूलियों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, जून, 1991 और जून, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त दो वर्षों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूली कार्य निम्नानुसार है--

(करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली
1991	1272	526
1992	1439	457

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त अ० जा०/अ० ज० जा० परिवारों की राज्य-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91		1991-92	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	101350	31485	88098	23368
अरुणाचल प्रदेश	—	8423	—	10888
असम	5227	11263	3225	12618
बिहार	131803	67315	104570	60148
गोआ	20	—	39	—
गुजरात	10922	27549	10660	27764
हरियाणा	14551	—	12019	—
हिमाचल प्रदेश	8066	1691	5006	1176
जम्मू व कश्मीर	2255	—	1703	634
कर्नाटक	41276	4249	32278	5012
केरल	27860	2478	24682	2166
मध्य प्रदेश	79597	116367	71316	101297
महाराष्ट्र	57889	37931	53009	37254

1	2	3	4	5
मणिपुर	72	2227	93	2882
मेघालय	3	3131	17	2857
मिजोरम	—	3366	—	2811
नागालैंड	—	4429	—	5442
उड़ीसा	36501	48327	30429	34535
पंजाब	18198	—	14177	—
राजस्थान	40674	27773	43596	25829
सिक्किम	86	402	137	530
तमिलनाडु	88846	3611	79355	3275
त्रिपुरा	1727	4112	2655	44953
उत्तर प्रदेश	272106	3123	253975	3111
पश्चिम बंगाल	82237	13337	72290	11592
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	396	—	305
चंडीगढ़	—	—	—	—
दादरा व नागर हवेली	7	299	1	310
दिल्ली	600	—	128	—
दमन व दीव	13	131	20	77
लक्षद्वीप	—	139	—	124
पाण्डिचेरी	636	—	520	—
जोड़	1022492	423544	915098	380958

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को यातायात के योग्य बनाना

5754. **डा० विश्वनाथ कॅमिथी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की स्थिति यातायात के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव/मरम्मत के लिए कितनी धनराशि दी गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियां राष्ट्रीय राजमार्ग-वार नहीं बल्कि राज्यवार उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु से गुजरता है। इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव/मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराया गया बजट आबंटन इस प्रकार है :

(लाख रुपए)

		1990-91	1991-92	1992-93
1.	आन्ध्र प्रदेश	1328.28	1279.42	1249 44
2.	उड़ीसा	654.73	859.98	738.52
3.	तमिलनाडु	940.80	979.91	1134.69

[हिन्दी]

बौद्ध पथ मार्ग योजना के अंतर्गत जापान से सहायता

5755. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थान साहेर माहेर (श्रावस्ती) को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने तथा पक्का करने के लिए बौद्ध पथ मार्ग योजना के अंतर्गत कोई धनराशि जापान सरकार से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पता लगाए गए बौद्ध सर्किट में चुनिंदा स्थलों पर 220.43 करोड़ रु० की कुल परियोजना लागत पर जिसमें से ओ० ई० सी० एफ० द्वारा 9.244 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार और ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड द्वारा 15 दिसम्बर, 1988 को एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश (श्रावस्ती क्षेत्र सहित) में 57.57 करोड़ रु० की लागत पर राज्यीय सड़कों का विकास शामिल है जिसके लिए संवैधानिक तौर पर उत्तर

प्रदेश की राज्य सरकार संबंधित हैं। ऋण सहायता की स्कीम जनवरी, 1994 तक पूरी होने की संभावना है।

धोखाधड़ी के मामलों सम्बन्धी ब्यूरो

5756. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी के मामलों संबंधी प्रस्तावित ब्यूरो की स्थापना से केन्द्रीय जांच ब्यूरो का, इस पर अधिक कार्य भार होने के कारण, विभाजन हो जायेगा; और

(ख) उक्त ब्यूरो कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तय किए जाने हैं।

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिक

5757. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश बीड़ी श्रमिक तपेदिक रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय स्तर का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है और बीड़ी मजदूरों में टी० बी० के मामलों का पता लगाने के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकों में भर्ती

5758. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दिल्ली में स्थित विभिन्न शाखाओं में लिपिक तथा अन्य गैर-अधिकारी भर्ती के पदों पर भर्ती तीन वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नियुक्ति के लिए लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों का चयन किया है और उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

कारों, फीचर फिल्मों और वीडियो फिल्मों का आयात

5759. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों, फीचर फिल्मों और वीडियो फिल्मों का आयात करने के लिए आयात नीति में कोई संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं। निर्यात और आयात नीति 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) के तहत, पात्र लोगों द्वारा कारों के आयात की अनुमति है, जोकि वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 26-6-1992 की सार्वजनिक सूचना सं० 21-आई टी सी (पी एन)/1992-97 तथा दिनांक 11-12-1992 की सार्वजनिक सूचना सं० 85 (पी एन)/1992-97 में दी गई शर्तों के अधीन है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स आफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा अन्य के द्वारा चलचित्र दर्शी रूपट फिल्मों तथा वीडियो फिल्मों के आयात की अनुमति है, जोकि वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 12-8-1992 की सार्वजनिक सूचना स० 38 (पी एन)/1992-97 में दी गई शर्तों के अधीन है।

इन सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

शीशम तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात

5760. श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीशम की लकड़ी से बनी कलात्मक तथा ऐसी अन्य वस्तुओं का देश से पर्याप्त संख्या में निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का निर्यात संतोषजनक नहीं रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस उद्योग से संबंधित निर्यातकों से इनके निर्यात में हुई कमी के कारणों के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कारंवाई की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी हां, तथापि राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश से नक्काशी सहित शीशम की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1987-88	2.77 (वास्तविक)
1988-89	4.70 (वास्तविक)
1989-90	6.01 (अनंतिम)
1990-91	7.34 (वास्तविक)
1991-92	9.45 (वास्तविक)

(ग) जी नहीं, पिछले पांच वर्षों में शीशम की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

5761. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में औसतन कितनी जनसंख्या के पीछे एक शाखा है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति शाखा जनसंख्या की दृष्टि से अन्तर्राज्यीय असमानता में कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस असमानता को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी है।

31-3-1985 (शाखा लाइसेंसिंग नीति 1980-85 के अन्त तक) और 30 सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, प्रति बैंक कार्यालय राज्य-वार औसत जनसंख्या भी उसमें दी गई है।

(ग) अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय इस औसत जनसंख्या में कमी हुई है ।

(घ) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, बैंकों को अपनी विद्यमान शाखाओं को फिर से अवस्थित करने, अपने विस्तार काउंटर खोलने, नियंत्रक कार्यालय खोलने, कारोबार को फैलाने आदि के लिए और अधिक स्वतंत्रता दी गई है । इसके अलावा, संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों और विवेकपूर्ण लेखा मानकों को निर्धारित तारीख तक पूरा करने वाले बैंकों को अर्द्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर केन्द्रों पर स्वयं ही शाखायें खोलने की स्वतंत्रता दी गई है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्यवार संख्या और प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या

(हजार में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की संख्या 30-9-1992	31-3-85	30-9-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3299	13	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	49	14	9
3.	असम	809	24	16
4.	बिहार	2980	17	14
5.	गोआ	246	4	4
6.	गुजरात	2929	11	10
7.	हरियाणा	975	12	10
8.	हिमाचल प्रदेश	605	8	6
9.	जम्मू व कश्मीर	255	9	8
10.	कर्नाटक	2779	8	9
11.	केरल	1642	9	9
12.	मध्य प्रदेश	2753	15	12
13.	महाराष्ट्र	4501	13	11
14.	मणिपुर	56	25	17

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	121	11	8
16.	मिजोरम	25	12	7
17.	नागालैंड	61	12	11
18.	उड़ीसा	1287	16	12
19.	पंजाब	1930	8	8
20.	राजस्थान	1785	13	11
21.	सिक्किम	33	17	10
22.	तमिलनाडु	3220	12	11
23.	त्रिपुरा	88	20	12
24.	उत्तर प्रदेश	5244	16	13
25.	पश्चिम बंगाल	3271	17	13
26.	अंडमान व निकोबार	26	14	7
27.	चंडीगढ़	108	4	4
28.	दादरा व नागर हवेली	7	17	15
29.	दमन व दीव	10	8	8
30.	दिल्ली	1045	6	5
31.	लक्षद्वीप	8	8	5
32.	पांडिचेरी	59	10	9
	जोड़ :	42206		

असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण

5762. **श्री प्रबीन डेका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा असम में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए यह

आवश्यक है कि वे अपने कुल ऋण का कम से कम 10% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों को दें। इस संबंध में राज्य-वार/उधारकर्ता श्रेणी-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आंकड़ा सूचना प्रणाली से समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर भी, मार्च, 1990 और मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि नीचे दी गई है :

(राशि करोड़ रुपए)

के अन्त तक	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां	
	खाते	राशि
मार्च, 1990	175141	65
मार्च, 1991	192027	102

[हिन्दी]

धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा निर्यात

5763. **श्री रामटहल राम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा पिछले 6 माह के दौरान कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त संगठन के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई समीक्षा कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एम एम टी सी द्वारा पिछले छः महीने (अक्तूबर, 1992-मार्च, 1993) के दौरान 885.3 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात किए गए।

(ख) एम एम टी सी द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष किये गये निर्यात निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1990-91	1324.9
1991-92	1786.5
1992-93 (अनंतिम)	1559.5

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान एम एम टी सी के कुल निर्यातों में पिछले वर्ष में हुए निर्यातों की तुलना में गिरावट आने का कारण यह था कि अनेक मदें जो पहले उसके माध्यम से सरणीबद्ध थीं उनका सरणीयन समाप्त कर दिया गया और इसके अलावा जापान सहित विकसित बाजारों में सामान्यतः तथा इस्पात उद्योग में विशेष रूप से मंदी रही।

(घ) और (ङ) एम एम टी सी के कार्य निष्पादन की समीक्षा पिछली बार 4 नवम्बर, 1992 को उस समय की गई थी जब निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति के कारणों एवं इस प्रवृत्ति के बदलने सम्बन्धी उपायों पर विचार किया गया था।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए मामले

5764. श्री एन० जे० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को गुजरात के कितने मामले सौंपे गए;

(ख) उक्त अवधि में बोर्ड की सहायता से कितने रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चलाया गया;

(ग) कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं; और

(घ) इन मामलों के निपटान में विलंब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने 1990, 1991, 1992 और 1993 (मार्च, 1993 तक) के दौरान 40 मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही 1987 से दर्ज किये गये कुल 121 मामलों में से 42 मामलों के संबंध में पुनरुज्जीवन योजनायें अनुमादित/स्वीकार की गई। 45 मामलों को खारिज किया गया क्योंकि वे या तो रखरखाव करने योग्य नहीं थे या उच्च न्यायालय के पास उन्हें बंद करने की सिफारिश की गई थी और 34 मामलों पर कारंवाई की जा रही है।

(घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास दर्ज किये गये मामलों पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाता है और जांच के विभिन्न स्तरों पर सभी संबंधितों को उपयुक्त अवसर दिया जाता है।

[अनुवाद]

"ट्रांसचार्ट" सेवाएं

5765. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 3 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल भारतीय जहाज मालिकों पर सेवा प्रभार लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी नौवहन कम्पनियों पर भी चार्टरिंग सेवा प्रभार लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विदेशी जहाज मालिक पहले ही "एडरेस कमीशन" के रूप में फ्रेट/हैड फ्रेट और डेमरेज पर 2.5 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं जिसे व्यादेशक सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा रखा जाता है। तथापि, भारतीय जहाज मालिकों को अभी तक ट्रांसचार्ट द्वारा सेवाएं दी जा रही थीं। पहली फरवरी, 1993 से एक प्रतिशत चार्टरिंग सेवा प्रभार लगाकर शुरूआत की गयी है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रुग्ण कपड़ा मिलें

5766. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण कपड़ा मिलों की अद्यतन संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) सरकार की छंटनी नीति तथा मिल श्रमिकों को प्रदान न की जाने वाली सुरक्षा की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि कितनी है और क्या रुग्ण मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों के अधिकार में इस निधि की कुछ धनराशि रखी गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों और इसके द्वारा अधिग्रहीत नहीं किये गये रुग्ण मिलों के श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति के लिए अलग-अलग मानदण्ड हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास 233 मिलें पंजीकृत हैं। इसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार की छंटनी नीति नहीं बनाई है। तथापि, मिलों के स्थायी रूप से आंशिक रूप से बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि की स्थापना की गई है। सरकार ने छंटनी किए गए कामगारों को पुनर्नियोजित करने तथा उन्हें पुन: प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना भी की है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत केरल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए ही वर्ष 1993-94 के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना के अनुसार राज्य सरकार को अभी तक कोई निधि प्रदान नही की गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) क्योंकि एन टी सी की मिलों को सरकार की नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया जाता है, इसलिए इसके मानदण्ड उन मिलों से भिन्न हैं जोकि निजी प्रबन्धकों के अधीन हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1.	बिहार	3
2.	प० बंगाल	14
3.	उड़ीसा	2
4.	उत्तर प्रदेश	27
5.	दिल्ली	1
6.	पंजाब	4
7.	हरियाणा	8
8.	चण्डीगढ़	1
9.	हिमाचल प्रदेश	—
10.	राजस्थान	12
11.	गुजरात	50
12.	महाराष्ट्र	43
13.	मध्य प्रदेश	11
14.	आंध्र प्रदेश	13
15.	कर्नाटक	15
16.	तमिलनाडु	25
17.	केरल	4
	योग :	233

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलें

5767. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को बन्द होने अथवा विलय होने वाली इसकी 34 रुग्ण मिलों को कार्यवाहक पूंजी आवंटित न करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्देश का ब्यौरा क्या है तथा इस निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कौन-कौन-सी मिलें प्रभावित होंगी;

(ग) इसके एकफलस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार होंगे और उनका पुनर्वास कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) केन्द्रीय कोष से उनके पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) प्रभावित श्रमिकों की यूनियनों द्वारा सरकार को भेजे गए प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) संसाधन सम्बन्धी अड़चनों के कारण सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को यह निर्देश दिया था कि वह 34 दीर्घकालिक रुग्ण मिलों को निधियां न प्रदान करें। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को यह स्पष्ट कर दिया है कि 34 दीर्घकालिक रुग्ण मिलों के संबंध में मजदूरियों, वेतन आदि जैसे सांविधिक बकाया राशि को रोकने की आवश्यकता नहीं है। एन टी सी की कुछ मिलों को जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ घाटों की पुनरावर्ती, कम उत्पादकता, उच्च मानव मशीन अनुपात आदि जैसे कारणों से गैर-अर्थक्षम के रूप में अभिज्ञात किया है। एन टी सी की अलग-अलग मिलों को बन्द करने अथवा चलाए रखने का प्रश्न इस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना द्वारा किए जा रहे श्रमिक सुव्यवस्थीकरण की अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा अन्य सम्बद्ध कारकों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

रुई का निर्यात

5768. श्री राम टहल चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री एजेंटों तथा राज्यों द्वारा रुई के निर्यात के बारे में 11 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

आवास ऋण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के केन्द्र

5769. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "ओन योर हाउस" योजना के अन्तर्गत आवास ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु में भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है तथा किन-किन क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम के ऐसे केन्द्र खोले गए हैं अथवा खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रुई का निर्यात

5770. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों को अपनी रुई का निर्यात सीधे करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) कपास का निर्यात भारतीय कपास निगम, सहकारी विपणन परिसंघों तथा निजी व्यापार जैसी विशेषीकृत एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। ये एजेन्सियां मार्किट यार्डों में सीधे ही इसे किसानों से अथवा उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से कपास की खरीद करती हैं ।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

5771. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास का कुल कितनी भूमि पर स्वामित्व है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उसने कुल कितनी भूमि पट्टे पर दी है अथवा बेची है; और

(ख) पत्तन न्यास द्वारा पट्टे पर दी गयी इस भूमि पर पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित वार्षिक राजस्व कितना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वी० पी० टी०) के पास कुल 7473.89 एकड़ भूमि है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों/प्राइवेट संस्थाओं को पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्र और पिछले तीन वर्षों के दौरान उससे अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है :—

वर्ष	भूमि का क्षेत्र (एकड़)	वार्षिक किराया (रुपए)
1990-91	23.59	4,81,557
1991-92	143.10	14,75,313
1992-93	84.86	15,91,485
		35,48,357

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चौड़ा करने के लिए 6.15 एकड़ भूमि 14,28,326 रुपए के भुगतान पर आर एवं बी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यकरण

5772. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा के कार्यकरण की पुनरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सामान्य कार्यों संबंधी उप समिति (जनरल परपज सब कमेटी) ने 1990 में मध्य प्रदेश का दौरा किया और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा की थी। समिति ने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सुविधाओं में कतिपय कमियां जैसे-- विशेषज्ञों की कमी, खराब चिकित्सकीय उपकरण आदि पायी थी। तत्पश्चात्, इस संबंध में उपचारी उपाय करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों की सूचना राज्य सरकार को दी थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कार्य-निष्पादन

5773. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्य-निष्पादन की मंत्री स्तर पर समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गए प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्रों का ब्यौरा गया है;

(ग) कपड़ा मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान के लिए अल्पावधि और लम्बी अवधि की नीति के अनुसार बनाई गई व्यापक कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। एन० टी० सी० की मिलों में सर्वांगीण सुधार नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा 1-2-1993 तथा 29-3-1993 को की गई थी।

(ख) और (ग) सरकार ने एन० टी० सी० की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें श्रमिकों के स्वैच्छिक सुव्यवस्थीकरण, आधुनिकीकरण, मिलों का संयोजन/विलयन आदि शामिल हैं।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान एन० टी० सी० की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 532.78 करोड़ रु० का निवेश करने का प्रस्ताव किया गया है।

सिक्किम में लघु औद्योगिक इकाइयों को सहायता

5774. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की लघु औद्योगिक इकाइयों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ दी गई सहायता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सिक्किम की लघु औद्योगिक इकाइयों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि निम्नलिखित है :

	राशि (लाख रुपये)
1989	66.46
1990	61.46
1991	30.95

भारतीय रिजर्व बैंक प्रदान की गई सहायता का बैंक-वार ब्यौरा संमेकित नहीं करता है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

विदेशी ऋणों व अनुदानों की प्राप्ति

5775. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान कुल कितना विदेशी ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्थागत ऋण कुल कितना मिला;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना वाणिज्यिक ऋण मिला;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना संस्थागत, अन्तर-सरकारी अथवा गैर-सरकारी विदेशी अनुदान मिला;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान 1992-93 में संस्थागत अथवा वाणिज्यिक ऋणों पर देय मूलधन और ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि बाहर गयी; और

(च) 1992-93 के दौरान विदेशी ऋणों व अनुदानों के रूप में वास्तव में कितनी सकल राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) बहुपक्षीय संस्थाओं, द्विपक्षीय दाताओं तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों से वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 18871 करोड़ रुपए के विदेशी ऋण का अंतर्प्रवाह होने का अनुमान है।

(ख) उपरिलिखित (क) में से बहुपक्षीय संस्थाओं से वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 11945 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) उपरिलिखित (क) में से, वर्ष 1992-93 के दौरन कुल 3938 करोड़ रुपए के विदेशी वाणिज्यिक उधारों का अंतर्प्रवाह होने का अनुमान है।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार को सभी स्रोतों से 1056 करोड़ रुपए के विदेशी नकद अनुदान प्राप्त होने का अनुमान है।

(ङ) बहुपक्षीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक स्रोतों को मूल राशि की वापसी अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के रूप में वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 13822 करोड़ रुपए की राशि का बहिर्प्रवाह किए जाने का अनुमान है।

(च) बहुपक्षीय संस्थाओं, द्विपक्षीय दाताओं तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों से मिले विदेशी ऋणों और अनुदानों की वापसी अदायगी तथा ब्याज की अदायगी की राशि को घटा कर, वर्ष 1992-93 के दौरान 2535 करोड़ रुपए की राशि का निवल अंतर्प्रवाह होने का अनुमान है।

ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को "नाबार्ड" सहायता

5776. **श्री प्रवीन डेका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक "नाबार्ड" ने देश में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु पुन: वित्तपोषण सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर कृषि कार्यों सहित लघु, अति लघु, कुटीर ग्रामोद्योग क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए ग्रामीण कारीगरों/उद्यमियों के वित्तपोषण हेतु बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करते हैं। गत तीन वर्षों अर्थात 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (राज्य-वार) के दौरान नाबार्ड द्वारा उपर्युक्त एककों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लघु, अति लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों इत्यादि की स्थापना के लिए नाबार्ड द्वारा दी गई सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.00	4.234	2.585
आंध्र प्रदेश	402-00	342.473	347.104
अरुणाचल प्रदेश	—	2.295	0.150
असम	178.00	161.321	195.214
बिहार	7.00	20.546	11.229
चण्डीगढ़	—	—	0.375
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	5.331
दमन एवं दियु	—	—	3.806
दिल्ली	9.00	11.050	20.951
गोवा	2.00	52.374	44 411
गुजरात	318.00	488.254	958.516
हरियाणा	287.00	510.394	416.487
हिमाचल प्रदेश	49.00	50.957	125 923
जम्मू एवं कश्मीर	148.00	107.429	10.504
कर्नाटक	1076.00	1131.546	1377.290
केरल	1085.00	1311.710	1501.230
महाराष्ट्र	210.00	1427.417	1796.423
मणिपुर	16.00	—	19.550
मेघालय	—	5.189	1.560

1	2	3	4
मिजोरम	—	—	0.710
मध्य प्रदेश	111.000	152.311	117.758
नागालैण्ड	—	—	13.060
उड़ीसा	29.00	55.612	75.355
पांडिचेरी	2.00	6.789	22.455
पंजाब	93.00	143.612	223.173
राजस्थान	642.00	379.650	598.945
सिक्किम	1.00	—	—
तमिलनाडु	547.00	698.152	1236.539
त्रिपुरा	91.00	2.310	0.260
उत्तर प्रदेश	415.00	425.174	472.367
पश्चिम बंगाल	521.00	550.097	827.411
कुल	6254.00	8040.896	10427.171

[हिन्दी]

जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत बुनकरों को रोजगार

5777. **श्री रामदेव राम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत बुनकरों को रोजगार देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार वर्ष 1976 से बेरोजगार और अल्प बेरोजगार हथकरघा बुनकरों को निरन्तर रोजगार दिलवाने और साथ ही समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग को उचित मूल्यों पर कपड़ा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनता कपड़ा योजना कार्यान्वित कर रही है। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार जनता कपड़े की सूती मदों पर 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से और ऊनी मदों पर 13.60 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी देती है। इस योजना का कार्यान्वयन समय-समय पर जारी व्यापक मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक की औद्योगिक वित्त शाखायें

5778 श्री एन० जे० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ राज्यों में औद्योगिक वित्त शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्यमियों की समस्याएं निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य मे एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है; और

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने प्रत्येक राज्य में मझौले और बड़े उद्योगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10 औद्योगिक वित्त शाखाएं खोली हैं :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
3.	मध्य प्रदेश	भोपाल
4.	महाराष्ट्र	बम्बई
5.	महाराष्ट्र	पुणे
6.	कर्नाटक	बंगलौर
7.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
8.	तमिलनाडु	मद्रास
9.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	नई दिल्ली
10.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	चंडीगढ़

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित केन्द्रों पर औद्योगिक वित्त शाखाएं खोलने के लिए इसके पास छः अनुमोदन लम्बित थे :

राज्य	केन्द्र
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
महाराष्ट्र	नागपुर
उड़ीसा	भुवनेश्वर
गुजरात	बड़ौदरा
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

प्रतिभूतियों के सौदे के लिए 'पेपरलेस" प्रणाली तैयार करना

5779. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिभूतियों के सौदे में "पेपरलेस" प्रणाली तैयार करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जैसी कि उन्होंने बम्बई स्टाक एक्सचेंज में बैठक के दौरान घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली के क्या प्रभाव होंगे; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण की पुरानी प्रणाली में सामने आई विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जैसाकि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, स्टाक होल्डिंग, कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, एक निक्षेपागार प्रणाली की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करने के लिए तकनीकी समूह का गठन पहले ही किया जा चुका है :

(i) स्टाम्प अधिनियम, आयकर अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों में विधायी परिवर्तनों की जांच करना;

(ii) एक निक्षेपागार प्रणाली को स्थापित करने संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करना;

(iii) अपेक्षित संस्थागत परिवर्तनों को सुझाना ।

तकनीकी समूह की सिफारिशों के आधार पर प्रतिभूतियों में लेन-देनों के लिए एक कागजरहित (पेपरलेस) प्रणाली को तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए एक समिति की नियुक्ति पर विचार करने का भी निर्णय लिया गया है ।

(ख) इस स्थिति में नई प्रणाली की विशेषताओं की प्रत्याशा करना असामयिक होगा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित तकनीकी समूह का गठन करना, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है ।

रसायनों/औषधियों और भेषजों का निर्यात

5780. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रसायन क्षेत्र में "कैमिकल्स" के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पैदावार निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है तथा आठवीं योजना में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है;

(ख) क्या रुपया-रूबल सम्मूल्यता (विनिमय अनुपात) समाचार के अवरोध के कारण औषधियों और भेषजों के निर्यात पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) आठवीं योजना के दौरान निर्यात करने के लिए अधिक संभावना वाले किन-किन क्षेत्रों तथा मदों को चुना गया है; और

(ङ) सरकार ने औषधियों और भेषजों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केमेक्सिल-मदों का कुल निर्यात अनुबंध में (पन्ने के दूसरी ओर) दिया गया है। सिर्फ 93-94 के लिए केमेक्सिल द्वारा दिए गए अनुमान ही दिए गए हैं। यह सरकार की छानबीन और स्वीकृति के अधीन है। इस अवधि से आगे के अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) भारी आर्थिक परिवर्तन तथा मुद्रा संबंधी समस्याओं के कारण रूस को किए जाने वाले औषधियों तथा भेषजों के निर्यात में गिरावट आई है।

(करोड़ रु० में)

	1991-92	अप्रैल, 92 फरवरी, 93 (अनुमानित)
रूस को दवाओं तथा भेषजों का निर्यात	382.77	28.40

(केमेक्सिल के आंकड़े)

(घ) जहां तक अधिकांश औषधियों का संबंध है, अगले पांच वर्षों के लिए उनका निर्यात नए ई० ई० सी० ग्रुप द्वारा बनायी जा रही नीतियों पर निर्भर करेगा। जब तक वह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक क्षेत्रों का आकलन करना कठिन होगा। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोप दक्षिण-पूर्वी एशिआई बाजार, लेटिन अमरीकी देश और सुदूर-पूर्व मुख्य बाजार हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए ब्राजील, अफ्रीकी देश तथा मध्य-पूर्व के अनेक प्रतिनिधि मंडलों को भी भारतीय औषधि उद्योग की परियोजना बनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

(ङ) पिछले अनेक महीनों के दौरान किए गए उदारीकरण के उपाय अवमूल्यन तथा एकीकृत मुद्रा-दर की घोषणा से बना औषधि तथा भेषज सहित इन निर्यातों को प्रोत्साहन मिला है।

केमेक्सिल निर्यात

(मिलियम रु० में)

मद समूह	1989-90 निर्यात (अनुमानित)	1990-91 निर्यात (अनुमानित)	1991-92 निर्यात (अनुमानित)	लक्ष्य 1993-94 (मिलियम डालर में)
1	2	3	4	5
औषधि भेषज तथा सूक्ष्म रसायन	6647	7848	12811	800.80

1	2	3	4	5
अरण्डी का तेल	1920	1661	1646	75.10
रंग और रंग मध्यवर्ती	5298	5068	8361	519.50
एग्रोकेमिकल्स सहित मूल अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायन	2410	3028	4576	273.10
कान्तिवर्धन तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री	3596	4343	5893	196.60
	144	145	211	11.10
अगरबत्ती	296	200	536	27.90
आवश्यक तेल औषधि-युक्त जड़ी-बूटी	877	1266	1169	57.60
कुल	21188	23559	35203	1961.50

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के विशाखापत्तनम-अनाकपल्ली सेक्शन को चौड़ा करना

5781. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के विशाखापत्तनम-अनाकपल्ली खण्ड को चार लेनों का बनाकर चौड़ा करने सम्बन्धी कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) परियोजना की कुल लागत कितनी है और एशियाई विकास बैंक द्वारा इस योजना हेतु अब तक कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के विशाखापत्तनम-अनाकपल्ली खंड में 2 पैकेज अर्थात पैकेज-I (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के 377 कि० मी० से 395/872 कि० मी० तथा विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड के 0.0 कि० मी० से 2/837 कि० मी० तक) तथा पैकेज-II (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के 398/0 कि० मी० से 377/0 कि० मी० तक तथा अनाकपल्ली बाईपास) शामिल हैं। पैकेज-I के ठेके पर कार्य चल रहा है और फरवरी, 1993 तक 21.73 प्रतिशत प्रगति हुई है। पैकेज-II पर कार्य अभी शुरू होना है जिसके लिए निविदा देने के कार्य पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 644 मिलियन रुपए है और इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा आबंटित ऋण राशि लगभग 20.14 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) पैकेज-I पर कार्य 31-3-1995 तक पूरा किया जाना है। पैकेज-II को पूरा करने के समय के बारे में ठेका देने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

भर्ती एजेंट

5782. **श्रीमती विल कुमारी भंडारी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भर्ती एजेंटों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन एजेंटों के माध्यम से विदेशों में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों से कुछ शुल्क लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये एजेंट विदेशों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ये एजेंट देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किए गये हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विदेशों में रोजगार के लिए जनशक्ति व्यापार संचालित करने के लिए पंजीयन प्रमाण-पत्र, आवेदक की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, श्रमिकों के व्यवसाय-परीक्षण के लिए बनाई गई व्यवस्था, उपलब्ध परिसर की पर्याप्तता आदि जैसी बातों पर विचार करने के पश्चात प्रदान किए जाते हैं। बैंक गारंटी के रूप में 1 लाख रु० से 5 लाख रुपए के बीच की जमानती राशि भी ली जाती है जो कि उसके द्वारा नियोजित होने के लिए प्रस्तावित श्रमिकों की संख्या पर निर्भर होती है।

(ख) तथा (ग) उत्प्रवास नियम, 1983 के अन्तर्गत किसी भर्ती एजेंट द्वारा दी गई सेवा के लिए किसी उत्प्रवासी से वसूल की जाने वाली सेवा प्रभार की राशि 2000 रु० से अधिक नहीं हो सकती।

(घ) और (ङ) संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा रोजगार ठेके की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया उन व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है जो विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। नियोजन संविदा के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर, यदि संबंधित भर्ती एजेंट को उत्तरदायी पाया जाता है तो उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है। विदेशों में फंसे मजदूरों की स्वदेश वापसी के व्यय को भर्ती एजेंटों से ली गयी प्रतिभूति से पूरा किया जाता है।

(च) और (छ) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	भर्ती एजेंटों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	1094

1	2	3
2.	दिल्ली	441
3.	तमिलनाडु	85
4.	पंजाब	66
5.	केरल	60
6.	आंध्र प्रदेश	48
7.	चंडीगढ़	38
8.	उत्तर प्रदेश	28
9.	राजस्थान	18
10.	हरियाणा	12
11.	कर्नाटक	14
12.	गोवा	9
13.	गुजरात	10
14.	पश्चिम बंगाल	7
15.	उड़ीसा	5
16.	जम्मू और कश्मीर	4
17.	बिहार	2
18.	मध्य प्रदेश	1
	कुल	1942

कच्चा माल, पूंजीगत सामान और अन्य वस्तुओं का आयात/निर्यात

5783. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान मानक वर्गीकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पूंजीगत सामान और अन्य वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए क्या लक्ष्य रखे गये थे;

(ख) मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अब तक पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त करने हेतु भावी नीतियां तैयार की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) प्रमुख उत्पाद समूहों के लिए वित्तीय वर्ष के आधार पर केवल मूल्य के रूप में ही निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य तथा अप्रैल-दिसंबर, 1992 तक जिस अद्यतन अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, वास्तविक निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निर्यात में धीमी वृद्धि के कारणों में ये कारण उल्लेखनीय हैं। सी० आई० एस० तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार में तेजी से गिरावट आना, औद्योगिक रूप से विकसित देशों में मंदी तथा विश्व व्यापार में धीमी वृद्धि का होना है। आयात के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) से (छ) निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापार के उदारीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं : निर्यात से जुड़े आयात का प्रावधान, आयात लाइसेंसिंग में कटौती, निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत बनाना, नीति तथा प्रक्रिया को सरल बनाकर प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा निर्यात की नकारात्मक सूची को कम करना। वर्ष 1993-94 के बजट में बाजार निर्धारित एकीकृत विनिमय दर प्रणाली शुरू की गई है तथा कई किस्म के कच्चे माल और पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दर को एक प्रतिशत कम कर दिया गया है तथा बैंकों से लिए जाने वाले निर्यात ऋण के मामले में ब्याज कर को समाप्त कर दिया गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्यात ऋण उनकी कुल अग्रिम राशि का कम से कम 10% होना चाहिए। इसके अलावा 34 मदों को "एक्स्ट्रीम फोकस" क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिसका उद्देश्य निर्यात में प्रतिवर्ष मूल्य अथवा मात्रा के रूप में 30% वृद्धि करना है।

विवरण

निर्यात लक्ष्य तथा निष्पादन 1992-93

प्रमुख निर्यात	करोड़ रुपए		मिलियन अमरीकी डालर	
	निर्यात लक्ष्य 1992-93	निष्पादन अप्रैल-दिसंबर 1992-93	निर्यात लक्ष्य 1992-93	निष्पादन अप्रैल-दिसंबर 1992-93
1	2	3	4	5
योग	57850	37329***	20132	13075***
(i) बागान	1600	956	557	335
(ii) कृषि तथा संबद्ध उत्पाद	5748	3720	2000	1303

1	2	3	4	5
(iii) समुद्री उत्पाद	1767	1250	615	438
(iv) अयस्क तथा खनिज	2700	1376	940	482
(v) चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान	4253	2721	1480	953
(vi) रत्न तथा आभूषण	9300	5748	3236	2013
(vii) खेल का का सामान	86	72	30	25
(viii) रसायन तथा संबद्ध उत्पाद*	6385	3857	2222	1351
(ix) इंजीनियरी सामान	5910	4593	2057	1609
(x) साफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद	1005	482	350	169
(xi) कपास, हस्तशिल्प गलीचों सहित टैक्सटाइल्स**	17796	11024	6193	3861
(xii) पेट्रोलियम उत्पाद	1300	1058	452	370

* परियोजना माल शामिल है ।

** कपास, हस्तशिल्प तथा गलीचे शामिल हैं ।

*** कुछ गैर-वर्गीकृत सामान के निर्यात की वजह से कुल योग में अलग-अलग आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं ।

[हिन्दी]

गुजरात में बैंकों की नयी शाखाएं

5784. श्री एन० जे० राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात में, विशेष रूप से आदिवासी बहुल वाले छोटा उदयपुर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन केन्द्रों को चुना गया है;

(ख) क्या सम्बद्ध बैंकों ने जारी किए गये लाइसेंसों के आधार पर छोटा उदयपुर क्षेत्र में अपनी शाखाएं खोल दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं खोलने के लिए कोई वर्षवार लाइसेंस जारी नहीं किए हैं। बहरहाल, वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने पात्र बैंकों को 54 ग्रामीण केन्द्र आबंटित किए हैं। इनमें से जिला बड़ोदरा में कारजानी खंड को मात्र एक केन्द्र आबंटित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। अर्ध-शहरी केन्द्रों में बैंक शाखाएं खोलने के संबंध में कोई राज्य-वार कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगरी केन्द्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1995 की अवधि के दौरान बैंक रहित/कम बैंकों वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 993 इलाके आबंटित किए हैं। जहां तक आदिवासी प्रधान क्षेत्र छोटा उदयपुर में विद्यमान शाखाओं की संख्या और जारी किया गया लाइसेंस यदि कोई हो, का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किए जाने योग्य प्रतिष्ठान

5785. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **श्रम मंत्री** 12 मार्च, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 तथा 1 अप्रैल, 1993 को इस योजना में शामिल किए जाने योग्य कितने प्रतिष्ठानों की पहचान की गई है;

(ख) इन दो तिथियों पर ऐसे कितने प्रतिष्ठान औपचारिक रूप से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए;

(ग) 1 अप्रैल, 1992 तथा 1 अप्रैल, 1993 को ऐसे कितने प्रतिष्ठान भविष्य निधि का भुगतान करने में असमर्थ थे;

(घ) इन दो तिथियों पर इन पर कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ङ) योजना में शामिल प्रतिष्ठानों से प्रतिवर्ष कितनी अनुमानित धनराशि एकत्रित की जानी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्ण आयात नीति का दुरुपयोग

5786. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण आयात के लिए कानूनी तौर पर जारी की जाने वाली रसीदों का तस्करों द्वारा जब्त किये गये स्वर्ण को छुड़ाने में दुरुपयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो स्वर्ण आयात नीति लागू होने के बाद से सरकार की जानकारी में इस प्रकार के कितने मामले आये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सोने के अभिग्रहण के कुछेक मामलों में कानूनी तौर पर सोने का आयात करने के लिए जारी की जाने वाली शुल्क रसीदों को जब्त किए गए सोने को छुड़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों को इन रसीदों के सम्भाव्य दुरुपयोग के प्रति सतर्क कर दिया गया है । अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर असबाब अधिकारियों को असबाब रसीद में यात्री, उसके पासपोर्ट और पहचान के चिन्ह तथा सोने के नम्बर आदि के बारे में पूरे विवरण देने का निर्देश दिया गया है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल

5787. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों को श्रमिक सहकारिताओं को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मिलवार ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार एन०टी० सी० मिलों के सहकारीकरण के किसी भी अर्थक्षम प्रस्ताव का समर्थन करने की इच्छा है बशर्ते कि उसके प्रति सभी सम्बन्धित पक्षकारों की सहमति निहित हो । तथापि, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विदेशों में संयुक्त उद्यम

5788. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में संयुक्त सहयोग से कुछ औद्योगिक एकक स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एककों का देशवार ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) इन देशों में ऐसे एककों को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छ क्षेत्र में भारतीय मछुआरे

5789. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान की नौ-सुरक्षा एजेन्सी की गतिविधियों के कारण भारतीय मछुआरे प्रभावित हुए हैं जैसा कि दिनांक 3 जनवरी, 1993 के इण्डियन एक्सप्रेस (अहमदाबाद संस्करण) में प्रकाशित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने मछुआरे प्रभावित हुए है; और

(घ) भारतीय मछुआरों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को ऐसी घटनाओं की जानकारी है कि पाकिस्तान के जलयानों ने समय-समय पर, जिसमें हाल ही की अवधि भी शामिल है, भारतीय मछुआरों को गुजरात के तटीय क्षेत्र में परेशान किया है।

(ख) और (ग) सही स्थिति यह है कि समय-समय पर घटने वाली इन घटनाओं में वे मछुआरे होते हैं जो राष्ट्रीय समुद्री सीमा, जिसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के निकट मछली पकड़ते हैं। बताया जाता है कि पिछले 4 माह के दौरान 15 भारतीय मत्स्य नौकाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों ने तंग किया और उनके साथ डांट-डपट की।

(घ) सरकार ने इस मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है। तटीय रक्षक भी हमारे समुद्र की नियमित और सतत् निगरानी कर रहे हैं। मार्च, 1993 से तटीय रक्षकों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जलयानों और विमान के बल के स्तरों में भी वृद्धि की है।

इराक के साथ राजनयिक सम्बन्ध

5790. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इराक के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : इराक के साथ भारत के सामान्य राजनयिक संबंध हैं और बगदाद में हमारे राजदूतावास के प्रमुख राजदूत है, इराक का दिल्ली में एक राजदूतावास है जिसमें इस समय प्रमुख कार्यवाहक राजदूत हैं।

आर्थिक सहयोग संगठन

5791. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशियाई देशों के एक नये क्षेत्रीय समूह ने बाजारों का निर्माण करने, निर्यात बढ़ाने तथा पूंजी निवेशों को आकर्षित करने हेतु पुराने रेशम मार्ग को फिर से खोलने का निर्णय किया है जो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापार मार्ग है;

(ख) क्या इन देशों ने आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धों के लिए इस संगठन मे शामिल होने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) आर्थिक सहयोग संगठन, जिसके ईरान, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाखस्तान, किर्गीजिस्ताम, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, और ताजिकीस्तान सदस्य हैं, की 6 और 7 फरवरी, 1993 को क्वेटा में मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में आर्थिक सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों ने एक कार्य-योजना तैयार की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्त: आर्थिक सहयोग संगठन परिवहन को सुचारू बनाने के लिए सड़क, रेल और वायु नेटवर्क का विस्तार करने और समेकित करने और इस क्षेत्र के भीतर व्यापार करने का एक निर्णय शामिल है जो कि आर्थिक सहयोग का प्रमुख घटक है।

(घ) से (च) सरकार ने इस संगठन के अन्तर्गत क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धों के लिए आर्थिक सहयोग संगठन में शामिल होने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है, हालांकि सरकार आर्थिक सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए ठोस बातचीत कर रही है। सरकार आर्थिक सहयोग संगठन के साथ व्यापारिक सम्पर्कों का प्रस्ताव इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि क्षेत्र के और देशों के साथ सहयोग करने की प्रक्रियाओं पर अभी आर्थिक सहयोग संगठन में ही बातचीत चल रही है।

पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध

5792. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने देश-वार क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं तथा इसमें क्या उपलब्धियां मिली हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (i) **बंगलादेश** : मई, 1992 में बंगलादेश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान अनेक करारों पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके एक महीने बाद तीन बीघा के मसले का, जो दोनों देशों के बीच एक प्रमुख रोड़ा था, संतोषजनक समाधान कर लिया गया, दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राएं जारी रहीं।

(ii) **नेपाल** : प्रधान मंत्री ने 19 से 21 अक्तूबर, 1992 तक नेपाल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उच्च-स्तर पर लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप फरवरी, 1993 से भारत-नेपाल व्यापार एवं पारगमन व्यवस्था को और उदार बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट उपाय करने पर सहमति हुई जिनका उल्लेख प्रधान मंत्री की यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है।

(iii) **भूटान** : भूटान नरेश ने 3 से 7 जनवरी, 1993 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत-भूटान संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में विचारों का आदान-

प्रदान किया गया और भूटान में संकोश पनबिजली परियोजना तैयार करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(iv) चीन : लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने जनवरी, 1993 में चीन की यात्रा की। चीन के साथ सीमा के उचित, न्यायसंगत तथा परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए भारत-चीन सीमा संबंधी संयुक्त कार्यकारी दल की बीजिंग में अक्तूबर, 1992 में बैठक हुई।

(v) श्रीलंका : नई दिल्ली में जनवरी, 1993 में संयुक्त आयोग की पहली बैठक में प्रतिपादित प्रस्तावों पर दोनों पक्षों ने सक्रियतापूर्वक कार्यवाही की।

श्रीलंका के राष्ट्रपति छठे सार्क शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से अक्तूबर, 1992 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। राष्ट्रपति प्रेमदास जनवरी, 1992 में पुनः भारत की यात्रा पर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति की इन दो यात्राओं से दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और अधिक संवर्द्धित करने में सहायता मिली।

(vi) म्यांमार : भारत के दो प्रतिनिधि मण्डलों ने मार्च, 1993 में म्यांमार की यात्रा की, पहला व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का और दूसरे प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश सचिव ने किया। इन दोनों यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। नशीली दवाइयों के नियंत्रण में सहयोग के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर हुए। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में सीमा व्यापार करार तथा सीमा प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे।

(vii) मालदीव : जून, 1990 में प्रधान मंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान मालदीव में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 10.22 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना एच० एम० टी० (अन्तर्राष्ट्रीय) क्रियान्वित करेगा।

भारत सरकार 39 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनवा रही है। मालदीव की सरकार के अनुरोध पर अनेक विशेषज्ञ मालदीव भेजे गए हैं। मालदीव-वासियों को प्रतिवर्ष भारत में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर एक संयुक्त आयोग स्थापित किया गया और जनवरी, 1990 तथा मार्च, 1992 में दो बैठकें हुईं।

(viii) पाकिस्तान : पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव छह बार मिले। इन बैठकों में प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान तोड़-फोड़ तथा आतंकवाद को समर्थन देना बन्द कर दे ताकि सार्थक बातचीत के अनुकूल वातावरण बन सके। मंत्री-स्तर पर भी बैठकें हुईं।

भारत द्वारा आपसी विश्वास बढ़ाने के प्रस्ताव के अनुसरण में दोनों देशों के विदेश-सचिवों के बीच विचार-विमर्श के छह दौर हुए। सैनिक विमानों द्वारा वायु सीमा उल्लंघन को रोकने के संबंध में करार, नाभिकीय संस्थापनों पर हमले को रोकने पर करार के अनुसमर्थन के दस्तावेज तथा राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार के संबंध में आचार-संहिता पर हस्ताक्षर हुए।

रासायनिक अस्त्रों पर पूर्ण निषेध के संबंध में संयुक्त विज्ञप्ति अगस्त, 1992 में जारी की गई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त आयोग के आयोजन तक बैठकें कर सकते हैं। दिसम्बर, 1990 के बाद से भारत और पाकिस्तान सियाचिन पर, सरक्रीक और तुलबुल में सीमांकन के संबंध पर विचार-विमर्श भी पुनः प्रारम्भ हो सकता है।

[हिन्दी]

उद्योगों को सहायता

5793. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 22 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मधुबनी, दरभंगा और ओइनी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कितनी सहायता दी गई/कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस निगम द्वारा इन तीन एककों की वर्तमान अव्यवस्था का अध्ययन कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह अध्ययन कब तक शुरू कराया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) मधुबनी, दरभंगा और ओइनी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वर्ष 1966-67 के दौरान 11.08 लाख रुपये की सहायता दी गई।

(ख) से (घ) इन यूनिटों की वर्तमान स्थिति के बारे में अध्ययन कराने के लिए राज्य सरकार से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

5794. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :
श्री धर्मभिक्षम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्पष्टीकरण इत्यादि हेतु राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) तीन बृहद परियोजनाएं अर्थात जुराला, वम्सधारा चरण II और येलेरू और 1 मध्यम परियोजना अर्थात बुग्गावंका का तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया है और ये कुछ टिप्पणियों जैसे पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं कल्याण मंत्रालय आदि से स्वीकृति प्राप्त करना आदि की अनुपालना के अध्यधीन परामर्श समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गई है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक बृहद परियोजना अर्थात तेलगू गंगा की तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच की गई है, तथापि अन्तर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण परामर्शदात्री समिति द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। एक बृहद परियोजना अर्थात के० सी० नहर का आधुनिकीकरण तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए हाल ही में प्राप्त हुई है।

(ग) 10 बृहद परियोजनाएं अर्थात पोलावरम, पुलिचिन्ताला, श्रीसेलम बायां तट नहर, गलेरू नागरी सुजाला सरावन्थी, भीमा लिफ्ट, गुण्डलाकम्मा, श्री रामसागर चरण II, गोदावरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण, कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण और पेन्नार डेल्टा सिंचाई का आधुनिकीकरण और 11 मध्यम परियोजनाएं अर्थात झंझावती, कोवाडकालवा, पेड्डावागू, बेलमेलावागू, येरावागू, पेडूरू जलाशय, बाहुदा बराज, मोदीकुनटावागू, पालेमवागू, भूपतिपालेम और पेड्डागाड्डा जलाशय स्कीम आठवीं योजना में शामिल न किये जाने, परियोजना की आयोजन में मूल कामयों और केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किये जाने के कारण तथा राज्य संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण राज्य सरकार को लौटा दी गई।

सांस्कृतिक मेले और खाद्य उत्सव

5795. श्री बापू हरि चौरे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने विभिन्न होटलों में आयोजित किए गए सांस्कृतिक मेलों तथा भारत तथा विदेशों में आयोजित विभिन्न खाद्य उत्सवों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा की गयी सहभागिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार के सांस्कृतिक मेलों और खाद्य उत्सवों से प्राप्त लाभों का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मेले/उत्सव से हुए लाभ और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण I और II पर दी गई है।

(ख) और (ग) चूंकि भारत में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करना और विदेशों में भोजन उत्सवों में भाग लेना संवर्धनात्मक कार्य हैं और व्यापार पर इनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत पर्यटन विकास निगम को प्रत्यक्ष रूप में होने वाले लाभ का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण-I

क्रम सं०	एकक का नाम	कार्यक्रम के विवरण
1	2	3
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	1991-92
		1. उड़ीसा भोजन उत्सव
		2. गोआ भोजन उत्सव
		3. सिक्किम भोजन उत्सव
		4. लद्दाख भोजन उत्सव
		5. चीनी भोजन उत्सव
		1992-93
		1. उजबेकिस्तान भोजन उत्सव
		2. सोनल मानसिंह द्वारा भरत नाट्य और ओडिसी नृत्य
		3. प्रह्लाद द्वारा भरत नाट्यम
		4. नलिनी द्वारा कत्थक नृत्य
2.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	1991-92
		1. पिंड दी रौनक
3.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	1991-92
		1. उरल भोजन उत्सव
4.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	1991-92
		1. आनंद शंकर और पार्टी द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन
		1992-93
		1. शरद 1992 उत्सव। ममता शंकर और पार्टी द्वारा कार्यक्रम
		2 शरद उत्सव 1992। ममता शंकर नृत्य मंडली द्वारा कार्यक्रम
5.	होटल अशोक, बंगलोर	1991-92

1	2	3
		1. बैसाखी मेला
		2. स्वप्न सुन्दरी द्वारा कुचीपुडी नृत्य कार्यक्रम
		3. कश्मीरी भोजन उत्सव
		4. नवरात्रि महोत्सव रसगर्भा
		1992-93
		1. बैसाखी मेला
		2. कादुर सफारी

विवरण-II

क्र० सं०	उत्सव का विवरण
	1991-92
1.	भारतीय भोजन उत्सव, बार्सीलोना, स्पेन
2.	भारतीय भोजन उत्सव, दीजोन, फ्रांस
3.	भारतीय भोजन उत्सव, निकोसिया और लिमासोल, साइप्रस
4.	भारतीय भोजन उत्सव, हो-चि-मिन्ह शहर, वियतनाम
	1992-93
1.	भारतीय भोजन उत्सव, क्योरपाइप, मारिशस
2.	भारतीय भोजन उत्सव, निकोसिया, साइप्रस

सूरत में गैस आधारित विद्युत संयंत्र

5796. श्री एन० जे० राठवा : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सहायता देने वाले कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भारत-फ्रांसीसी गैस विद्युत संयंत्र सूरत (गुजरात) में लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट होगी और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और किन-किन राज्यों को इस संयंत्र से विद्युत सप्लाई मिलने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जिन देशों द्वारा भारत को विद्युत क्षेत्र हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है उनमें ये शामिल हैं—यू० के०, जापान, स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, कुवैत, सऊदी अरब, इटली, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तथा पूर्व यू० एस० आर० ।

(ख) और (ग) एन० टी० पी० सी० की क्वास गैस आधारित विद्युत परियोजना (645 मे० वा०) को विश्व बैंक, जापान, फ्रांस तथा बेल्जियम की वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया है । परियोजना के अंतिम यूनिट को मार्च, 1993 में चालू किया गया है ।

(घ) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 1477.36 करोड़ रु० है और परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली को विद्युत सप्लाई की जा रही है ।

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष केन्द्र

5797. श्री छेदी पासवान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के प्रत्येक जिले में इस समय कितने दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और इनकी क्षमता क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्थान तथा क्षमता सहित बिहार के प्रत्येक जिले में इस समय कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्योरा

जिले का नाम		टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम	क्षमता
1		2	3
1. बोकारो	1.	चन्दनकेयारी	88
	2.	चन्द्रपुरा	160
	3.	बालीडीह	400
	4.	बोकारो	2384
	5.	चास	900
	6.	बहादुरपुर	88
	7.	बेरमो	320
	8.	कथारा	200

1		2		3
	9.	गोमिया		240
	10.	पटेरवार		88
	11.	टुपकोडाह्		56
	12.	तैनुघाट		88
	13.	ललपनिया		88
	14.	नावाडीह्		88
			कुल	5188
2. धनबाद	1.	बाघमारा		88
	2.	बलियापुर		88
	3.	गोविन्दपुर		240
	4.	कापढूरा		88
	5.	मुगमो		88
	6.	निरसा		240
	7.	राजगंज		88
	8.	धनबाद		4968
	9.	चिरकुण्डा		768
	10.	कतरासगढ़		600
	11.	लोयाबाद		500
	12.	सिनीडीह		200
	13.	झरिया		3384
	14.	टुण्डी		88
	15.	गोमो		56
	16.	तोपचाची		88
	17.	सिन्दरी		580
			कुल	12152

1		2	3
3. मुजफ्फरपुर	1.	ढोली	160
	2.	कांटी	160
	3.	कुरहानी	88
	4.	माधोपुर	88
	5.	मोतीपुर	160
	6.	मुजफ्फरपुर	8000
	7.	तुरकी	88
	8.	औराई	56
	9.	बोचहा	88
	10.	देवरिया	88
	11.	जैतपुर	88
	12.	करनैल	88
	13.	मीनापुर	88
	14.	नोरमा	88
	15.	केरमा	88
		कुल	9416
4. सीतामढ़ी	1.	बैरगनिया	88
	2.	जनकपुर रोड	96
	3.	परिहार	88
	4.	रिगहा	88
	5.	रूनीसैदपुर	88
	6.	शिवहर	88
	7.	सुरसण्ड	88
	8.	सीतामढ़ी	808
	9.	बेलसण्ड	88
	10.	सोमबरसाराज	88
	11.	सैनपुर	88
		कुल	1696

1	2		3
5. वैशाली	1.	भगवानपुर	88
	2.	बिदुपुर	160
	3.	दसारी	88
	4.	गोरौल	88
	5.	लालगंज	88
	6.	महुन	160
	7.	सराय	160
	8.	वैशाली	88
	9.	हाजीपुर	2000
	10.	जनदाहा	88
	11.	पाटोपुर	88
	12.	सरैया	88
	13.	महनार	88
	14.	छपरा खुर्द	80
	15.	प्रताप टांड	56
		कुल	3408
6. गुमला	1.	गुमला	288
	2.	कोलीबिरा	88
	3.	सिमडेगा	160
	4.	गुरहा	88
		कुल :	624
7. लोहरदग्गा	1.	कुड़	88
	2.	लोहरदग्गा	285
	3.	घघरा	88
		कुल :	461

1	2		3
8. रांची	1.	रांची यूनिट-I	17000
	2.	रांची यूनिट-II	3000
	3.	बुण्डू	80
	4.	इटकी	80
	5.	काके	160
	6.	खूण्टी	160
	7.	मुरी	80
	8.	नागरी	80
	9.	ओरमांझी	80
	10.	टाटी सिलवई	160
	11.	धुरवा	2000
	12.	भण्डूरा	80
	13.	ब्राम्बे	88
	14.	मेसरा	160
	15.	सिसई	88
	16.	मचलुसकीगंज	88
	17.	खेलारी	88
	18.	राय	88
	19.	चानहो	88
	20.	रातु	88
	21.	रोरैयो	160
		कुल :	23896
9. भोजपुर	1.	देहिया	160
	2.	जगदीशपुर	88
	3.	कोइलवर	160
	4.	पीरो	96
	5.	आरा	768
	6.	गजराजगंज	88
	7.	हसनबाजार	88

1	2		3
	8.	रघुनाथपुर	96
	9.	शाहपुर	88
	10.	अखानगो	88
	11.	गरहानी	88
	12.	सनदोश	88
	13.	खुटाबाजार	88
	14.	गिघा	88
	15.	जमालपुर	88
	16.	नारायणपुर	88
		कुल :	2240
10. बक्सर	1.	डुमरांव	240
	2.	बक्सर	768
	3.	चौसा	160
	4.	इटहारी	88
	5.	कोरानसराय	88
	6.	सिमरी	88
	7.	नावानगर	88
	8.	राजपुर	88
	9.	ममहरिया	88
	10.	डुमरी	88
		कुल :	1784
11. नालन्दा	1.	हरनौत	88
	2.	हिलसा	160
	3.	पावापुरी	88
	4.	राजगीर	240
	5.	नालन्दा	56
	6.	बिहारशरीफ	1580

1		2	3
	7.	अस्थावा	88
	8.	चांदी	88
	9.	एकगरसराय	88
	10.	इस्लामपुर	88
	11.	नूरसराय	88
	12.	परवालपुरी	88
	13.	रहुई	88
	14.	सिलाव	88
	15.	गिरिआक	56
	16.	गोनाहा	88
		कुल :	3060
12. पटना	1.	पटना मुख्य	16500
	2.	बख्तियारपुर	88
	3.	बाढ़	264
	4.	निहुंटा	88
	5.	विक्रम	88
	6.	फतुहा	240
	7.	हाथीदह	88
	8.	मसौढ़ी	240
	9.	मोकामा	160
	10.	पुनपुन	88
	11.	सिमरा	88
	12.	वनयावन	56
	13.	दीपनगर	56
	14.	मनेर	88
	15.	पटना सिटी	4000
	16.	वामापुर	2000
	17.	राजेन्द्रनगर	12000

1		2	3
	18.	कंकड़बाग	6000
	19.	पाटलिपुत्र	5000
	20.	अथमलगोला	56
	21.	खुसरूपुर	88
	22.	नगर नौसा	88
	23.	पालीगंज	88
	24.	नौबतपुर	88
	25.	तेलहारा	88
	26.	पटेलनगर	4000
	27.	दयालचक	88
	28.	दुलहिन बाजार	88
	29.	पण्डारख	88
		कुल :	51892
13. औरंगाबाद	1.	मरथौली	88
	2.	दाउदनगर	160
	3.	मदनपुर	160
	4.	नवीनगर	160
	5.	ओबरा	88
	6.	रफीगंज	160
	7.	औरंगाबाद	400
	8.	जमहोरा	88
	9.	दारून	88
	10.	गोह	88
	11.	पोलवान	88
	12.	सिमराबाजार	88
	13.	मदाया	88
	14.	अम्बा	88
		कुल :	1744

1	2		3
14. गया	1.	बेलागंज	88
	2.	बोधगया	160
	3.	गुरारू	88
	4.	शेरघाटी	240
	5.	टेकारी	240
	6.	वजीरगंज	88
	7.	गया	7496
	8.	चकन्द	56
	9.	रानीगंज	56
	10.	खेरकी	88
	11.	खिजरसराय	56
	12.	परैया	88
	13.	बिठोशरीफ	56
		कुल :	6800
15. जहानाबाद	1.	अरवल	160
	2.	काको	88
	3.	जहानाबाद	384
	4.	शंकरपुर इमामगंज	88
	5.	तेहरा	88
		कुल :	808
16. नवादा	1.	हनुआ	88
	2.	पकड़ीबरवान	88
	3.	रजौली	88
	4.	वारसलीगंज	88
	5.	नवादा	608
	6.	हासपुरा	88

1	2		3
	7.	गोविन्दपुर	88
		कुल :	1316
17. भभुआ	1.	भभुआ	160
	2.	कुदरा	88
	3.	मोहनिया	160
	4.	रामगढ़	88
		कुल :	496
18. रोहतास	1.	बन्जारी	160
	2.	विक्रमगंज	160
	3.	दिनारा	88
	4.	सासाराम	768
	5.	डालमियानगर	768
	6.	काछास	160
	7.	नसरीगंज	88
	8.	नोखा	160
	9.	अखोरीगोला	88
	10.	जमुहार	88
	11.	रायपुरचेर	88
	12.	टिल्लउथू	88
	13.	करहगर	88
		कुल :	2792
19. गढ़वा	1.	भवनाथपुर	88
	2.	गढ़वा	384
	3.	नगरऊंटारी	88
	4.	रमना	80
		कुल :	640

1		2	3
20. पलामू	1.	बरवाडीह	88
	2.	चन्दवा	88
	3.	छतरपुर	88
	4.	हैदरनगर	88
	5.	हरिहरगंज	160
	6.	जमला	88
	7.	लटेहर	160
	8.	रेहाला	88
	9.	डाल्टनगंज	1400
	10.	छिपाडोहर	88
	11.	रेल्ला	88
	12.	लेसलीगंज	88
		कुल :	2512
21. बांका	1.	बांका	160
	2.	अमरपुर	200
	3.	बरहट	80
	4.	बौंसी	80
	5.	ढोरिया	80
	6.	कुधारपुर	56
	7.	रजौन	56
	8.	सैदपुर	80
	9.	शंभूगंज	80
		कुल :	872
22. मुंगेर	1.	कजरा	88
	2.	बड़ाहिया	88
	3.	बरियरपुर	88
	4.	लखीसराय	164

1		2	3
	5.	मेहुआ	56
	6.	जमालपुर	384
	7.	मुंगेर	1400
	8.	अमरपुर (धमली)	56
	9.	असरगंज	56
	10.	छबेली खड़गपुर	200
	11.	संग्रामपुर	88
	12.	सूरजगढ़हा	88
	13.	तोरापुर	88
	14.	पाटम	88
		कुल :	3144
23. साहिबगंज	1.	बरहड़वा	88
	2.	साहेबगंज	384
	3.	पाकुड़	384
	4.	बरहैत	88
	5.	हिरणपुर	88
	6.	महेशपुर राज	88
	7.	मिर्जाचौकी	88
	8.	राजमहल	88
	9.	तालझाड़ी	56
	10.	तिनपहाड़	88
	11.	बाकुडीह	56
		कुल :	1496
24. देवघर	1.	जसीडीह	88
	2.	मधुपुर	160
	3.	देवघर	900
	4.	चित्रा	56

1		2	3
	5.	करमाटांड	56
	6.	पालाजोडी	56
	7.	सारठ	56
		कुल :	1312
25. मधुबनी	1.	बासोपट्टी	88
	2.	घनश्यामपुर	25
	3.	बेनीपट्टी	88
	4.	घोघरडीहा	88
	5.	झंझारपुर	384
	6.	कलुआही	88
	7.	खजनगर	88
	8.	सरसोपाही	88
	9.	सकरी	88
	10.	तुलापटगंज	88
	11.	मधुबनी	872
	12.	जयनगर	384
	13.	अरेर	56
	14.	खजौली	88
	15.	खुटौना	88
	16.	लौकहा	88
	17.	नेहरा	80
	18.	मधेपुर	88
	19.	बाबूबरही	56
	20.	बरवारा	88
	21.	पसराहा	88
	22.	तमुरिया	80
	23.	अन्हराठाढ़ी	88
	24.	रहिका	88
		कुल :	3345

1		2	3
26. समस्तीपुर	1.	दलसिंह सराय	160
	2.	पटोरी	88
	3.	पुसा	88
	4.	रोसड़ा	88
	5.	सिंघिया घाट	88
	6.	समस्तीपुर	768
	7.	हसनपुर	88
	8.	ताजपुर	88
	9.	कल्याणपुर	56
	10.	किशनपुर	56
	11.	मंगलगढ़	88
	12.	मोहउद्दीननगर	56
	13.	सरायरंजान	88
	14.	उजियारपुर	88
	15.	बंमो	88
	16.	साहेबपुर कमाल	88
	17.	कपान	88
	18.	छटौना	88
		कुल :	2240
27. बेगूसराय	1.	बरौनी तेल शोध नागर	8
	2.	बिहट	384
	3.	लखमिनिया	160
	4.	मंसूरचक	88
	5.	बरौनी	528
	6.	बछवाड़ा	56
	7.	भगवानपुर	56
	8.	मंझौल	88
	9.	बेगूसराय	1600

1		2	3
	10.	बखरी बाजार	88
	11.	रामखिरी	88
	12.	बमनगामा	88
		कुल :	3600
28. खगड़िया	1.	मुस्कीपुर	160
	2.	खगड़िया	532
	3.	मानसी	56
	4.	परबत्ता	56
	5.	छुटाम	56
	6.	महेशखूंट	56
	7.	मरैया	88
	8.	अलौली	56
		कुल :	1060
29. दरभंगा	1.	रानी	88
	2.	बहेडी	88
	3.	बेनीपुर	88
	4.	कमतौल	88
	5.	रैयाम	56
	6.	दरभंगा	2400
	7.	बिरौल	88
	8.	सिमरा	88
	9.	जाले	88
	10.	सिमरी	88
	11.	सुरहा	88
	12.	हरजापट्टी	88
	13.	मालपट्टी	88
	14.	पुरखोपट्टी	88

1		2	3
	15.	हथुआघाट	88
	16.	लहटा	88
	17.	फुलपरास	88
	18.	पिण्डारूच	80
	19.	कियोही	80
	20.	सोनकी	56
	21.	पतघोष	88
	22.	पघारी	56
		कुल :	4144
30. छपरा	1.	बेनियापुर	88
	2.	दिघवारा	88
	3.	एकमा	160
	4.	गरखा	88
	5.	जलालपुर	88
	6.	मरहौरा	88
	7.	मेसरख	88
	8.	परसा	88
	9.	सोनपुर	160
	10.	छपरा	1400
	11.	नगरा	88
	12.	मयागांव	88
	13.	तरिया	88
	14.	दाउदपुर	88
	15.	भेलडी	88
		कुल :	2776
31. गोपालगंज	1.	गोपालगंज	860
	2.	हथुआ	160

1		2	3
	3.	सोसबुआ	88
	4.	सिक्खलिया	88
	5.	बरोली	88
	6.	बथुवा बाजार	88
	7.	खटिया	88
	8.	नेचुअलाबपुर	88
	9.	थावे	88
	10.	विघवा दुबौली	88
		योग :	1724
32. सिवान	1.	अनदारी	88
	2.	गरहरिया	88
	3.	बसन्तपुर	88
	4.	महाराजगंज	88
	5.	मैरवा	160
	6.	सिवान	900
	7.	दरौंदा	88
	8.	दीनदयालपुर	88
	9.	रघुनाथपुर	88
	10.	जिरादेई	88
	11.	गोरियाकोठी	88
	12.	पनचौखा	88
		योग :	1940
33. पूर्वी चम्पारन	1.	अरेराज	88
	2.	बारावकिया	160
	3.	ढाका	88
	4.	घोरासहान	88
	5.	मेहसी	88
	6.	मोतीहारी	1400

1		2	3
	7.	रामगढ़हुवा	88
	8.	रक्सोल	768
	9.	दामोदरपुर	88
	10.	हुरईडीह	88
	11.	करवा	88
	12.	केसरिया	88
	13.	मधुबन	88
	14.	पकड़ादयाल	88
	15.	आदापुर	88
	16.	सेपा	56
	17.	चौरादानो	88
	18.	सुगोली	88
	19.	तुर्कवलिया	88
	20.	कल्याणपुर	88
		योग :	3784
34. पश्चिमी चम्पारन	1.	बाघा	240
	2.	चनपटिया	88
	3.	लौरिया	88
	4.	नरकटियागंज	240
	5.	रामनगर	240
	6.	बतिया	1000
	7.	भैरोगंज	88
	8.	जोगपट्टा	88
	9.	मैनाटाड	88
	10.	मझोलिया	88
	11.	सिकता	88
	12.	वाल्मीकनगर	88
		योग :	2424

1		2	3
35. दुमका	1.	जामतारा	160
	2.	रनेआहवार	88
	3.	दुमका	660
	4.	हुसडीह	88
	5.	झारमुंडी	88
	6.	काठीकुंड	56
	7.	मिट्टीजाम	56
	8.	महालपहाड़ी	56
	9.	नाला	56
	10.	नोनीहाट	56
	11.	नारायनपुर	56
	12.	सरायहाट	56
		योग :	1500
36. गोड्डा	1.	गोड्डा	384
	2.	कोरका	56
	3.	लालमटिया	88
	4.	भगोया	88
	5.	पारसा	88
	6.	महागामा	88
	7.	पाथरगामा	88
	8.	परईयाहाट	56
		योग :	936
37. जमुई	1.	जमुई	384
	2.	झाझा	88
	3.	शेखपुरा	384
	4.	अलीगंज	56
	5.	बरबीघा	200

1	2		3
	6.	चकई	56
	7.	गिधपुर	56
	8.	रथियामा	88
	9.	खेरिया	56
	10.	लक्ष्मीपुर	56
	11.	मल्लेहपुर	88
	12.	सिकन्दरा	88
	13.	सिमुलतल्ला	56
	14.	सोनी	56
		योग :	1744
38. भागलपुर	1.	पोरपैन्टी	80
	2.	पिठना	80
	3.	पुरैनी	80
	4	शहजादपुर	80
	5.	कहालगांव	424
	6.	सुल्तानगंज	200
	7.	अकबरहागार	56
	8.	साजौर	56
	9.	घोघा	80
	10.	इशीपुर	80
	11.	कटोरिया	56
	12.	मथुरापुर	56
	13.	बनहुला	88
	14.	सहकुंड	56
	15.	मोनोखार	88
	16.	भागलपुर	4000

1	2		3
	17.	जमोरी	88
	18.	दरियापुर	56
	19.	सबौर	160
	20.	खिरीबाम	88
	21.	नौगछिया	384
	22.	झंडापुर	88
	23.	खरिकबाजार	56
	24.	नारायनपुर	88
		योग :	6568
39. अररिया	1.	जोगबनी	160
	2.	ओकीहाट	88
	3.	अररियाकोर्ट	384
	4.	फारबिसगंज	424
	5.	रानीगंज	88
		योग :	1184
40. कटिहार	1.	बरोई	88
	2.	गुरुबाजार	88
	3.	सलमारी	56
	4.	कटिहार	1400
	5.	कोहा	88
	6.	कुरसेला	88
	7.	मनिहारी	88
	8.	सेमापुर	88
	9.	सीमैमो	88
		योग :	2072

1		2	3
41. किशनगंज	1.	ठाकुरगंज	96
	2.	बहादुरगंज	56
	3.	किशनगंज	1000
	4.	विष्णुपुरहार	88
	5.	तुलसिया	88
		योग :	1328
42. पूर्णिया	1.	बैसी	88
	2.	बानमानकी	96
	3.	हरदा	88
	4.	जलालगाड़	88
	5.	कस्बा	88
	6.	पूर्णिया	1576
	7.	पनडीहा	56
	8.	काझा	56
		योग :	2136
43. सहरसा	1.	चम्पाबाजार	88
	2.	सोरबाजार	96
	3.	बंबगांव	96
	4.	करजनबाजार	160
	5.	पंचगछिया	88
	6.	सिमरीबख्तियारपुर	96
	7.	सोनबरसराज	96
	8.	सहरसा	1072
	9.	रंडयान्थपुर	88
	10.	तपसिया	88
	11.	भपटिया	88
	12.	नोहरटा	80

1		2	3
	13.	हरीपुर	80
	14.	भगौली	80
	15.	लालूहाट	56
		योग :	2352
44. मधेपुरा	1.	बिहारीगंज	88
	2.	मुरलीगंज	9
	3.	सिंघवश्वरास्थान	88
	4.	उदाकिशनगंज	88
	5.	मीधोपुरा	384
	6.	त्रिवेणीगंज	96
	7.	ग्वालपाड़ा	88
		योग :	826
45. सुपौल	1.	बालबाजार	80
	2.	बीरपुर	80
	3.	किशनपुर	56
	4.	परकाशगंज	56
	5.	पिपरा	56
	6.	छाटापुर	80
	7.	सुपौल	424
	8.	जियारामराधोपुर	80
	9.	सुखपुर	80
	10	निर्मली	80
		योग :	1072
46. पूर्वी सिंहभूम	1.	बाहरगोड़ा	160
	2.	चाकुलिया	88

1		2	3
	3.	धालभूमगढ़	88
	4.	घटेला	160
	5.	जादूगोरा	160
	6.	महूलिया	88
	7.	मुसाबनी	160
	8.	पटामदा	88
	9.	जमशेदपुर	10812
	10.	परसूडीह	400
	11.	टेल्को	1000
	12.	हल्दीपोखर	88
	13.	केरा	88
	14.	कोदरा	88
		योग :	13476
47. पश्चिमी सिंहभूम	1.	बाराजामदा	160
	2.	चाकोयामा	88
	3.	चांडील	88
	4.	गुआ	88
	5.	जगन्नाथपुर	88
	6.	झिलमानी	88
	7.	मनोहरपुर	88
	8.	मक्तबुच	88
	9.	जोमुंडी	160
	10.	सरायकेला	88
	11.	सिहुनी	88
	12.	चक्करपुर	768
	13.	सोनुआ	88

1	2		3
	14.	चाईबासा	780
	15.	आदित्यपुर	1000
	16.	कारटिन	88
	17.	करियाकेला	88
	18.	मलभंडार	88
	19.	काबागढ़	88
	20.	बरामदा	88
	21.	बिहारोपोंज	88
		योग :	4276
48. हजारीबाग	1.	अतखांगो	80
	2.	राडी	160
	3.	बडकाथा	80
	4.	भूरकुंडा	160
	5.	रिसनूगढ़	160
	6.	चंदवारा	88
	7.	चरही	88
	8.	चोपारान	160
	9.	देमोटांड	88
	10.	घाटोटांड	88
	11.	गोला	88
	12.	इचाक	88
	13.	जैनागार	88
	14.	झुमरा	88
	15.	कोदेरमा	240
	16.	कुजू	160
	17.	पतराहू	160

1		2	3
	18.	राजरोप्पा	80
	19.	झुमरीतलैया	560
	20.	बड़कागांव	80
	21.	हजारीबाग	1580
	22.	रामगढ़	1000
	23.	बहराइचनगर	160
	24.	डोमचाच	88
	25.	डाडू	88
	26.	गिद्दी	88
	27.	मांडू	88
	28.	सतगामा	88
	29.	मकाचो	88
	30.	बादाम	88
		योग :	6148
49. चतरा	1.	चतरा	160
	2.	सिमरिया	88
	3.	केरेदारी	56
	4.	टंडवा	56
		योग :	360
50. गिरिडीह	1.	मधुबन	88
	2.	बागोदार	88
	3.	बेनकाबाद	88
	4.	डुमरीबाजार	160
	5.	निरजागंज	88
	6.	राजधनवार	88

1	2	3
7.	सुरिया	160
8.	सिसरी	88
9.	गिरिडीह	1000
10.	अटका	88
11.	औरा	88
12.	देवरी	88
	योग	2200

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास

5798. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में होटल निर्माण हेतु कोई छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो छूट की प्रतिशतता और उस पर लगाये जाने वाले ब्याज सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय दी जा रही छूट और इस पर अनुवर्ती ब्याज की प्रतिशतता में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सरकार की ब्याज इमदाद स्कीम के अन्तर्गत, विशिष्ट स्थानों पर स्थित एक, दो और तीन सितारा श्रेणी की होटल परियोजना तीन प्रतिशत की ब्याज इमदाद पाने की हकदार हैं। विनिर्दिष्ट परिपथों, गंतव्य स्थलों में होटल परियोजनाएं और हैरिटेज होटल पांच प्रतिशत ब्याज इमदाद पाने की हकदार हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अनुमोदित श्रेणी के होटल भी ब्याज इमदाद स्कीम के अन्तर्गत आते हैं।

"सार्क" देशों को अनुदान सहायता

5799 श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष सरकार द्वारा "सार्क" के सदस्य देशों को दी गई अनुदान सहायता और ऋण का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन वर्षों में सरकार अथवा भारतीय पार्टियों ने इन देशों की आधारभूत संरचना और उद्योगों में प्रतिवर्ष निवेश किया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी अनुमानित कीमत कितनी है;

(घ) उक्त अवधि में इन देशों से भारत को देशवार अनुमानत: कितना अनुदान ऋण मिला है और कितना निवेश हुआ है; और

(ङ) सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने वाली संस्था के रूप में "सार्क" ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (घ) जानकारी नीचे दिए अनुसार है :

भूटान :

क्रम सं०	सहायता (करोड़ रुपयों में)		ऋण (करोड़ रुपयों में)
1.	1989-90	54.70	पिछले तीन वर्षों में भूटान को कोई ऋण नहीं दिया गया है ।
2.	1990-91	58.24	
3.	1991-92	57.82	

(ख) सरकारी निवेश —शून्य
निजी निवेश —मालूम नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शून्य

नेपाल :

क्रम सं०	सहायता (करोड़ रुपयों में)		ऋण (करोड़ रुपयों में)
			भारत और नेपाल के बीच वर्तमान एवजी ऋण करार के अन्तर्गत
1.	1989-90	11.34	5
2.	1990-91	9.35	39
3.	1991-92	13.26	55

(ख) सरकारी निवेश—शून्य
निजी निवेश —मालूम नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शून्य

बंगलादेश :

(क) सहायता अनुदान :

पिछले वर्ष के दौरान जानकारी नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	विषय	राशि
1990-91	----	शून्य
1991-92	चक्रवातों में पीड़ितों के लिए	11.50 करोड़
1992-93	—	शून्य

ऋण : 27-8-91 को हस्ताक्षरित करार के अनुसार बंगलादेश को 30 करोड़ रुपये के सरकार से सरकार को ऋण देने का उल्लेख किया गया था। तथापि, इस उल्लेखित ऋण से अभी तक कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

(ख)	सरकारी निवेश	—	शून्य
	निजी निवेश	—	मालूम नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) बंगलादेश से भारत को कोई अनुदान नहीं मिला है।

श्रीलंका :

(क) इस मंत्रालय के "श्रीलंका को सहायता" कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि खर्च की गई :

	रुपए हजारों में
1990-91	
(I) पुनर्वास	14,682
(II) अन्य कार्यक्रम	34,886
1991-92	
(I) पुनर्वास	11,787
(II) अन्य कार्यक्रम	40,000
1992-93	

आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले तीन वर्षों में श्रीलंका को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ख)	सरकारी निवेश	—	शून्य
	निजी निवेश	—	मालूम नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) श्रीलंका से भारत को कोई अनुदान नहीं मिला है।

मालदीव :

(क) इस मंत्रालय के "मालदीव को सहायता" कार्यक्रम में अन्तर्गत निम्नलिखित राशि खर्च की गई।

	(लाख रुपयों में)
1990-91	345.31
1991-92	985.00
1992-93	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मालदीव को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) सरकारी निवेश	—	शून्य
निजी निवेश	—	मालूम नहीं

(घ) मालदीव से भारत को कोई अनुदान नहीं मिला है।

पाकिस्तान :

(क) शून्य

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शून्य।

(ङ) सातवें शिखर सम्मेलन ने सार्क अधिमान्य व्यापार प्रबन्ध की स्थापना के लिए एक करार के फ्रेमवर्क को अनुमोदित किया है जिसके अन्तर्गत टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों की उत्पाद-दर-उत्पाद कटौती पर बातचीत की जाएगी। सार्क अधिमान व्यापार प्रबंध से इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग के उच्च स्तरों के लिए प्रगति का मार्ग उपलब्ध होने की आशा है।

सार्क ने इनसे पूर्व क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाने तथा उनका विकास करने के लिए 5 मिलियन डालर के एक कोष की स्थापना की थी ताकि क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाया जा सके और उनका व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति तक विकास किया जा सके। शिखर-सम्मेलन के अन्य निर्णय के अनुसार "सार्क" दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना की जरच कर रहा है जिसका उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा।

जल संसाधनों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता

5800. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के जल संसाधनों के सकल प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाने हेतु उनके मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कितनी धनराशि की सहायता मांगी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ये अभी प्रारम्भिक विचार-विमर्श के स्तर पर हैं।

महाराष्ट्र में बिजली की खपत

5801. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में गत दो वर्षों के दौरान बिजली के उत्पादन और खपत का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : पिछले दो वर्षों अर्थात् 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में ऊर्जा की निवल आवश्यकता, उपलब्धता (खपत) तथा कमी को दर्शाने वाली वास्तविक विद्युत सप्लाई सम्बन्धी स्थिति निम्नवत् है :

(सभी आंकड़े निवल मि० यू० में)

	1991-92	1992-93
आवश्यकता	42070	43970
उपलब्धता	46166	41387
कमी	1904	2583
प्रतिशत (%)	4.5	5.09

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश टेलीफोन एक्सचेंज

5802. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली में जिला टेलीफोन एक्सचेंजवार दर्ज की गई खराबी के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलावार-कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विभाग प्रबंध सूचना रिपोर्ट क्षेत्र-वार तथा दूरसंचार जिला अभियन्ताओं के स्तर पर रखता है। माह फरवरी, 1993 के लिए इन यूनिटों की प्रति माह 100 उपभोक्ता के हिसाब से टेलीफोन प्रणाली में दर्ज खराबियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

फरवरी, 1993 के लिए प्रति 100 स्टेशन दोष

क्रम सं०	यूनिट का नाम जिसके अधीन है	दोष प्रति 100 स्टेशन
1	2	3
1.	जी० एम० कानपुर टी० डी०	12.0
2.	जी० एम० लखनऊ टी० डी०	15.3
3.	जी० एम० गाजियाबाद टी० डी०	18.0
4.	टी० डी० एम०, आगरा	24.6
5.	टी० डी० एम०; इलाहाबाद	17.4
6.	टी० डी० एम०, मेरठ	16.7
7.	टी० डी० एम०, वाराणसी	16.9
8.	टी० डी० ई०, आजमगढ़	19.5
9.	,, सहारनपुर	18.91
10.	,, बरेली	17.5
11.	,, झांसी	18.0
12.	,, मथुरा	16.07
13.	,, देहरादून	26.87
14.	,, अल्मोड़ा	15.30
15.	,, मुजफ्फरनगर	9.4
16.	,, सीतापुर	21.4
17.	,, गोंड.	20.9
18.	,, बलिया	16.0
19.	,, सुल्तानपुर	17.0
20.	,, गढ़वाल	17.08
21.	,, नैनीताल	9.8
22.	,, गोरखपुर	11.92

1	2	3
23.	टी० डी० ई० मिर्जापुर	19.6
24.	,, अलीगढ़	20.7
25.	टी० डी० ई०, इटावा	20.03
26.	टी० डी० ई०, फैजाबाद	14.5
27.	,, मुरादाबाद	20.3
28.	,, रामपुर	17.7

विवरण-II

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में इ० टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	18
2.	आगरा	9
3.	अलीगढ़	8
4.	अल्मोड़ा	14
5.	आजमगढ़	3
6.	बाराबंकी	5
7.	बिजनौर	1
8.	बलिया	12
9.	बांदा	5
10.	बरेली	शून्य
11.	बहराइच	5
12.	बुलंदशहर	6
13.	बस्ती	5
14.	बदायूं	शून्य
15.	चम्बोली	11
16.	देहरादून	9
17.	देवरिया	शून्य

1	2	3
18.	एटा	शून्य
19.	फर्रुखाबाद	2
20.	फैजाबाद	10
21.	गोंडा	4
22.	इटावा	1
23.	गोरखपुर	14
24.	गाजियाबाद	10
25.	गाजीपुर	3
26.	हरिद्वार	2
27.	हरदोई	शून्य
28.	हमीरपुर	3
29.	जालान	2
30.	झांसी	3
31.	जौनपुर	3
32.	कानपुर नगर	शून्य
33.	कानपुर ग्रामीण	7
34.	लखीमपुर	7
35.	ललितपुर	2
36.	लखनऊ	9
37.	महराजगंज	5
38.	मऊनाथभंजन	2
39.	मैनपुरी	2
40.	मुरादाबाद	शून्य
41.	मिर्जापुर	1
42.	मेरठ	9
43.	मथुरा	3

1	2	3
44.	मुजफ्फरनगर	5
45.	नैनीताल	12
46.	पौढ़ी	8
47.	पिथौरागढ़	8
48.	पीलीभीत	2
49.	प्रतापगढ़	11
50.	रायबरेली	6
51.	रामपुर	शून्य
52.	सहारनपुर	14
53.	सिद्धार्थनगर	2
54.	शाहजहांनपुर	2
55.	सोनभद्र	2
56.	सीतापुर	2
57.	सुल्तानपुर	15
58.	टिहरी	6
59.	उन्नाव	4
60.	उत्तरकाशी	5
61.	वाराणसी	14
62.	फिरोजाबाद	1

बिहार के दरभंगा, छपरा क्षेत्रों में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को राहत

5803. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री लाल बाबू राय :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा, छपरा और सहरसा क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में गत तीन वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों को सही पाया गया तथा टेलीफोन प्रयोक्ताओं को राहत/मुआवजा दिया गया; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गए हैं?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना संबंधित एकक से मंगाई गई है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम में कर्मचारियों की संख्या

5804. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में वेतनमान-वार एकक/डिवीजन/कार्यकलाप-वार प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या इसके गठन/स्थापना आरम्भ किए जाने के बाद से आज तक अनुमोदित/स्वीकृत और निर्धारित थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे एककों/कार्यस्थलों/स्थापनाओं में जहां ये कार्य अब तक नहीं किए गए हैं, भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने की लक्ष्य तिथि क्या रखी गई है;

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के ऐसे एककों/डिवीजनों/कार्यस्थलों का ब्यौरा क्या है जहां प्रबंधन ने अद्यतन स्थिति के अनुसार किसी खास श्रेणी के स्टाफ की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई है;

(ङ) इनकी सेवाओं का उपयोग पर्यटन विकास निगम में किस प्रकार ली जाएगी; और

(च) तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(घ) से (च) भारत पर्यटन विकास निगम ने कक्ष परिचारिकों, लिपिकों और अन्य विविध पदों की श्रेणियों में कुछ फालतू पद अभिनिर्धारित किए हैं। भारत पर्यटन विकास निगम ने प्रस्ताव किया है कि अतिरिक्त कर्मचारियों का उपयोग आंतरिक समायोजन करके तथा स्टाफ को फिर से तैनात किया जाएगा।

विवरण-1

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	मौजूदा स्वीकृत क्षमता	
		अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3	4
1.	कार्मिक प्रभाग/विधिक कक्ष/चिकित्सा कक्ष	31	58
2.	वित्त एवं लेखा प्रभाग	51	109

1	2	3	4
3.	विपणन और होटल विक्रय प्रभाग	74	28
4.	जन सम्पर्क और निगम संचार प्रभाग	24	72
5.	निशुल्क दुकानें प्रभाग	21	100
6.	अशोक ट्रैवल एन्ड टूअर्स प्रभाग और क्षेत्रीय कार्यालय	34	741
7.	सलाहकार सेवाएं और मानव संसाधन विकास प्रभाग	36	149
8.	सामग्री प्रबंधन और विकास प्रभाग	9	24
9.	सतर्कता और सुरक्षा प्रभाग	15	27
10.	होटल प्रभाग	26	60
11.	इंजीनियरिंग प्रभाग	96	37
	जोड़	417	1402

विवरण-II

क्रम सं०	एकक का नाम	वर्तमान स्वीकृत संख्या	
		कार्यपालक	गैर-कार्यपालक
1	2	3	4
होटल और केटरिंग एकक			
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	106	1605
2.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	41	690
3.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	14	259
4.	लोदी होटल, नई दिल्ली	19	267
5.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	25	491
6.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	42	659
7.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	14	197
8.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	23	424

1	2	3	4
9.	हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली	13	62
10.	होटल एअरपोर्ट अशोक और एअरपोर्ट रेस्तरां, कलकत्ता	43	579
11.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट, कोवलम	34	349
12.	होटल अशोक, बंगलौर	35	451
13.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	8	59
14.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	12	139
15.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	12	118
16.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	8	50
17.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	7	88
18.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसॉर्ट, माम्मलापुरम	3	50
19.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	8	51
20.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	10	99
21.	होटल हसन अशोक, हसन	6	44
22.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	8	55
23.	ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	11	105
24.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	10	83
25.	होटल आगरा अशोक, आगरा	14	103
26.	भरत वन-गृह, भरतपुर	2	38
27.	होटल बोधगया अशोक, बोधगया	7	44
28.	ताज रेस्तरां, आगरा	1	23
29.	कोसी रेस्तरां, कोसी	1	14
30.	एअरपोर्ट रेस्तरां, दिल्ली	12	139
31.	होटल मनाली अशोक, मनाली	4	31
32.	वी आई पी केटरिंग यूनिट, दिल्ली	6	—
33.	संयुक्त उद्यम और प्रबंधित एकक	21	—
	जोड़	380	7376

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

5805. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित कितने तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाएंगे;

(ख) उन विभिन्न चरणों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये संयंत्र इस समय लंबित पड़े हैं;

(ग) निर्धारित समय में इन संयंत्रों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) ये संयंत्र कब तक कार्य करने लगेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) गैस की उपलब्धता में बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य में गैस आधारित विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने के लिए इस समय विचार नहीं किया जा रहा है । मध्य प्रदेश में जिन ताप विद्युत संयंत्रों को अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है इनका ब्यौरा और चालू करने की समय सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

मध्य प्रदेश राज्य में जिन ताप विद्युत परियोजनाओं को अधिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, ऐसी परियोजनाओं समेत निर्माणाधीन/स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की परियोजना प्राधिकारियों तथा मुख्य उपस्कर सप्लाईकर्ताओं के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित एवं सतत रूप से मानीटरिंग की जाती है और यदि किसी प्रकार की समस्याएं जानकारी में आती हैं तो अपने निर्माण कार्य को समय सूची के अनुरूप शीघ्र किए जाने के लिए इनका समाधान करने हेतु कदम उठाए जाते हैं ।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	चालू करने संबंधी निर्धारित कार्यक्रम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
(क) मध्य प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं				
1. बीरसिंहपुर में संजय गांधी ता० वि० परियोजना	2 × 210	723.20	यूनिट-1 3/93 यूनिट-2 12/93	समकालित
2. बीरसिंहपुर में संजय गांधी विस्तार परियोजना	2 × 210	700.58	यूनिट-3 97-98 यूनिट-4 98-99	
3. पेंच ता० वि० केन्द्र	2 × 210	534.75	यूनिट-1 97-98 यूनिट-2 98-99	इन परियोजनाओं को क्रमशः मैसर्स सैन्चुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज तथा मैसर्स मुकन्द लि० द्वारा निजी क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।
4. कोरबा पश्चिम विस्तार	2 × 210	972.57	**	

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकनाधीन नए प्रस्ताव				इन प्रस्तावों के संबंध में के० वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली बोर्ड द्वारा सभी अपेक्षित निवेशों, स्वीकृतियों को सुनिश्चित नहीं किया गया है। योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद ही मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा इन स्कीमों का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकेगा।
1. रायगढ़ ता० वि० परियोजना	2 × 500	2118.61	—	
2. संजय गांधी विस्तार बीरसिंहपुर	1 × 500	623.08	—	
केन्द्रीय क्षेत्र				
(ग) के० वि० प्रा० द्वारा मूल्यांकित परियोजनाएं				के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सरकार द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद ही इस परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकेगा।
1. एन टी पी सी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विन्ध्याचल सु० ता० वि० परियोजना चरण-2	2 × 500	1316.25	**	

**चूंकि मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अभी आर्डर दिये जाने हैं अतः इसे चालू किए जाने संबंधी कार्यक्रम की प्रत्याशी करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राजस्थान में तीर्थ केन्द्र के लिए आवंटन

5806. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस संबंध में राजस्थान के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके अन्तर्गत देश में धार्मिक पर्यटन का संवर्धन किया जा सके।

इंडियन एयरलाइंस की एयरबस का अपहरण

5807. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1993 को दिल्ली और मद्रास के बीच उड़ान भर रही इण्डियन एयरलाइन्स की एयरबस का अपहरण करने के कथित प्रयास की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घटना के उपरान्त हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंध कड़े करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) 27-3-1993 को, इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी-439 का उस समय एक यात्री ने अपहरण कर लिया था जब विमान मद्रास के लिए जाते हुए दिल्ली से हैदराबाद की उड़ान पर था। अपहरणकर्ता ने अपने पास विस्फोटक सामग्री होने का दावा करते हुए विमान को उड़ाने की धमकी दी और मांग की कि विमान को इस्लामाबाद या लाहौर ले जाया जाए। उड़ान कमांडर ने वापस दिल्ली में अवतरण करने का प्रयास किया लेकिन अपहरणकर्ता ने उसे रोका और लाहौर की ओर उड़ान के लिए विवश किया। लाहौर हवाई अड्डे के प्राधिकारियों ने उतरने की अनुमति नहीं दी। विमान अंत में अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। जहां लम्बी बातचीत के बाद अपहरणकर्ता ने आत्मसमर्पण कर दिया और स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अपहरणकर्ता के पास कोई भी अग्नि हथियार या विस्फोटक सामग्री नहीं थी।

(ग) नागर विमानन प्रचालन की सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों को तोड़-फोड़ विरोधी, अपहरण विरोधी और पहुंच नियंत्रण जैसे उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिए सावधान कर दिया गया है।

सिंचाई सुविधाओं की उपयोगिता दर

5808. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता की तुलना में सिंचाई सुविधाओं की उपयोगिता दर कितनी है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान सिंचाई सुविधाओं की उपयोगिता दर कितने प्रतिशत कम हुई है तथा आठवीं योजना के दौरान यह दर कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है;

(ग) सिंचाई सुविधाओं की उपयोगिता दर में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने आठवीं योजना के दौरान सिंचाई सुविधाओं की उपयोगिता दर बढ़ाने के लिए क्या नीति तैयार की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) छठी योजना (1980-85), सातवीं योजना (1985-90), वार्षिक योजना (1991-92) के अन्त तक बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित की गई सिंचाई क्षमता, उसके उपयोग तथा उपयोग का प्रतिशत एवं आठवीं योजना (1992-97) के अन्त तक संभावित उपलब्धियां निम्नवत हैं :

योजना के अन्त तक	सिंचाई क्षमता		सृजन के मुकाबले उपयोग
	सृजित की गई	उपयोग की गई	का प्रतिशत
छठी योजना (1980-85)	27695	23574	85.12
सातवीं योजना (1985-90)	29920	25467	85.12
वार्षिक योजना (1991-92)	30984	26583	85.80
आठवीं योजना (लक्ष्य) (1992-97)	36072	30835	85.48

(ग) यद्यपि सातवीं योजना (1985-90) के दौरान बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के उपयोग की दर में तथा आठवीं योजना के दौरान प्रत्याशित इन सुविधाओं के उपयोग की दर में कोई कमी नहीं आयी है, उपयोग की दर में गिरावट के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं; (i) संसाधनों की कमी के कारण सिंचाई और जल निकास प्रणालियों का खराब अनुरक्षण, (ii) सूक्ष्म स्तरीय जल वितरण प्रणालियों (फील्ड चैनलों) का उपलब्ध न होना, (iii) सूक्ष्म स्तर पर जल का अनुचित वितरण, (iv) बारी-बारी से जल आपूर्ति, वाराबन्दी लागू न होना, (V) जलाशयों में कम जल उपलब्ध होना तथा सिंचाई जल प्रबंध में कृषकों की भागीदारी का अभाव।

(घ) सिंचाई सुविधाओं की उपयोग दर बढ़ाने के वास्ते वर्ष 1974-75 से एक केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम की नीति में सिंचाई जल आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, प्रबन्धकीय दृष्टिकोण (मैनेजमैंट अप्रोच) अपनाना तथा फार्म स्तर तक सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के अलावा कृषक भागीदारी और प्रशिक्षण आदि जैसे सोफ्टवेयर कार्यकलापों में तीव्रता लाना शामिल है। इस नीति के अन्य मुख्य घटक हैं; प्रणाली स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की ओर अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पुरानी सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कार्यक्रमों के पैमाने में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करना, वास्तविक फसल पैटर्न का आवधिक प्रबोधन करने के लिए विशेष-मूल्यांकन अध्ययन करना।

गोवा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5809. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को गोवा से उस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं;

(ग) राज्य को केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार किन-किन प्रोत्साहनों की पेशकश की गयी है; और

(घ) इस पर उद्यमियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) 13-12-1992 तक गोवा के मामले में लगभग 6 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश वाला एक औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 1990-9 में गोवा से बीयर तैयार करने के लिए 4 आवेदनपत्र और पेय एल्कोहल तैयार करने के लिए एक आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था। गहन समुद्री मात्स्यिकी में गोवा में बेस वाली 10 संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए गोवा राज्य सरकार को 12.70 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना या विस्तार, किसानों के साथ पिछड़े संपर्कों को विकसित करने, विपणन सहायता आदि के लिए राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों, संयुक्त सेक्टर आदि को सहायता देना शामिल है।

केन्द्र सरकार ने 1993-94 के बजट प्रस्तावों में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा और कुछ संघशासित क्षेत्रों में नए औद्योगिक उपक्रमों के मामले में 5 वर्ष तक कर से पूरी छूट देने का प्रस्ताव किया है।

कोका कोला तथा पेप्सी फूड्स द्वारा आयात

5810. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला तथा पेप्सी फूड्स को अपने शीतल पेय बनाने के लिए किसी भी वस्तु का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों को इन आयातों के बराबर निर्यात भी करने पड़ते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड को मृदु पेय सान्द्रण तैयार करने के लिए मुख्य संघटकों के आयात की अनुमति नहीं दी गयी है किन्तु मैसर्स जे० एम० आर० पी० कंपनी लिमिटेड के लिए मंजूर विदेशी सहयोग अनुमोदन जिसे बाद में मैसर्स ब्रिटको फूड्स कंपनी प्रा० लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया, के मामले में यह नोट किया गया है कि गैर-एल्कोहालिक पेयों, सुगन्धों और बेसों के निर्माण के लिए स्थानीय रूप से प्राप्त कच्चे माल मे मिलाने के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता (औद्योगिक) लाइसेंस के तहत आवश्यक स्वाद सुगन्धों का कच्चे माल के रूप में आयात करने का कंपनी का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) से (घ) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में मामले में परियोजना द्वारा उत्पादन आरम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि तक प्रतिवर्ष अपने कुल कारोबार का 50% निर्यात किया जाएगा जिसमें से 40 प्रतिशत हिस्सा कंपनी के निजी उत्पादकों और 10 प्रतिशत हिस्सा अन्यों द्वारा तैयार चयन सूची के उत्पादों में से होगा । उपर्युक्त 10 वर्ष की अवधि के दौरान परियोजना से विदेशी मुद्रा की आय विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के 5 गुना से कम नहीं होगी ।

मैसर्स ब्रिटको फूड्स कंपनी प्रा० लिमिटेड के मामले मे यह नोट किया गया है कि कंपनी मृदु पेय सांद्रण के आयात के संबंध में परियोजना के 3:1 निर्यात आयात अनुपात के लिए प्रतिबद्ध है । आशा है कि अनुमोदन की तारीख से 24 महीने बाद के 10 वर्षों की अवधि के उपरांत परियोजना का निर्यात कारोबार 500 करोड़ रुपए का हो जाएगा और नये उत्पादों तथा बाजारों का विकास करके 10 वर्ष की अवधि के उपरान्त परियोजना का सचयी निर्यात 1000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है । लाभांश इत्यादि को खाते में लेने के बाद विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय 5 वर्ष के बाद लगभग 156 करोड़ रुपये और 10 वर्ष के बाद 494 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

सिंचाई प्रबंधन में किसानों की साझेदारी

5811. श्री पी० पी० कालियापेरूमल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसकी जांच की है कि भूतल सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में जापान के भूमि विकास जिलों की विशेषताओं को किस सीमा तक शामिल किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों के सिंचाई संघ की स्थापना करके सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की भागीदारी कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सिंचाई प्रबंध में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का कार्य केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों में शामिल किया गया है। लघु स्तर पर बनाए गए संघों को राज्य सहायता के रूप में राज्यों के माध्यम से पहले दो वर्षों के लिए 100 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा तीसरे वर्ष के लिए 75 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से बराबर अनुपात के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

खाड़ी देशों में भारतीय नर्सें

5812. श्री पी० सी० थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों में देशवार कितनी भारतीय नर्सें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इन देशों की नर्सों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन देशों में कार्यरत भारतीय मिशन इस संबंध में सूचनाएं एकत्र और प्रसारित कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ङ) खाड़ी के विभिन्न देशों में भारतीय नर्सों की संख्या :

बहरीन	लगभग	1100
संयुक्त अरब अमीरात	—	संख्या उपलब्ध नहीं।
कतर	लगभग	425
यमन	लगभग	225, तकनीकी स्टाफ सहित।

इराक	2	
सऊदी अरब	लगभग	6000
कुवैत	लगभग	3,750
ओमान	लगभग	3,750

2. भारत में नर्सों की सामान्य कमी को देखते हुए विदेशों में नर्सों की भर्ती को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है।

3. सम्बद्ध भारतीय मिशन इन देशों में सामान्य रूप से कार्मिकों की भर्ती के बारे में बराबर जानकारी रखता है। विशेष रूप से उपलब्ध अवसरों के ब्यौरे भारत में भावी नियोक्ताओं और भर्ती एजेंटों द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कश्मीर के संबंध में उपग्रह के माध्यम से पाकिस्तान का प्रचार

5813. **श्रीमती सरोज दुबे : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हांगकांग स्थित एक कंपनी से उपग्रह चैनल खरीद कर कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी प्रचार शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को उस देश के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर पट्टे पर लिया था। यह मानना चाहिए कि भारत-विरोधी प्रचार किया गया था क्योंकि पाकिस्तान के अधिकांश टी० वी० कार्यक्रम भारत-विरोधी प्रचार पर केन्द्रित होते हैं।

(ख) पट्टे के ब्यौरे का मामला हांगकांग अस्थानी कंपनी और पाकिस्तान सरकार के बीच का है।

(ग) चूंकि यह मामला हांगकांग अस्थानी निजी कम्पनियों के संघ और अन्य देश से संबद्ध है। इसलिए इस मामले को उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में यांत्रिक गड़बड़ियों का बढ़ना

5814. **श्री शरद दिघे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की किसी उड़ान में जिसमें भारतीय क्रिकेट दल और ब्रिटिश क्रिकेट दल के खिलाड़ी यात्रा कर रहे थे, 2 मार्च, 1993 को पालम विमानपत्तन पर पक्षी से टकराने के कारण हाइड्रालिक प्रणाली अवरुद्ध हो गयी थी;

(ख) क्या विमान सुरक्षित उतर गया था;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस का विमान बी० टी० ई० जी० डी० जी० 2 मार्च, 1993 को आई सी-410 की उड़ान पर था, पालम हवाई अड्डे पर उतरते समय पक्षी से टकरा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जांच से पता चलता है कि पक्षी से टकरा जाने के फलस्वरूप हाईड्रालिक प्रणाली में खराबी आ गई थी।

(ङ) हवाई अड्डों के अन्दर और उसके आसपास वातावरण को सही रखने और पक्षियों के संकट से बचने के लिए निरंतर कार्रवाई की जाती है ताकि पक्षियों के टकराने से बचा जा सके।

कर्नाटक में महोत्सव का आयोजन

5815. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1993 में श्रवणबेलगोला स्थित भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महोत्सव को मनाने हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। बेलूर, हेलबिड और श्रवणबेलगोला में पर्यटक सुविधाएं स्थापित करने, श्रवणबेलगोला में यात्री निवास के लिए तथा प्रचार और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए 55.94 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान, प्रचार और संवर्धन के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

टी० वी० धारावाहिक और वृत्तचित्र

5816. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी निर्माताओं ने कितने टी० वी० धारावाहिक और वृत्तचित्र प्रस्तुत किए;

(ख) इनमें से कितने स्वीकृत किए गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन ने कितने स्वीकृत टी० वी० धारावाहिकों/वृत्तचित्रों का प्रसारण किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) दूरदर्शन निदेशालय और दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा कमीशंड और प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत टी० वी० धारावाहिकों और वृत्तचित्रों के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों की प्राप्ति और उन्हें विभिन्न केन्द्रों से टेलीकास्ट करने संबंधी ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

5817. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रभावित हुई हैं;

(ख) कौन-कौन-सी परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं, वर्ष 1990 से पूर्व इनका कितना काम पूरा किया गया है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभापटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

मेडिकल के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

5818. **श्री गोबिन्द चन्द्र मुंडा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रहने वाले आवेदकों को मेडिकल के आधार पर टेलीफोन आवंटित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड/नियम क्या हैं;

(ख) क्या आवेदकों को सामान्य विशेष श्रेणी में पंजीकरण के बाद अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को समाप्त करने का है;

(घ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) चिकित्सा आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को स्थायी तौर टेलीफोन देने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड/नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, चिकित्सा आधार सहित तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं। अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए साधारण (सामान्य)/विशेष श्रेणी में पंजीकरण पूर्व आवश्यकता नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म प्रभाग का कृषि एकक

5819. **श्री बी० देवराय नायक :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग के कृषि एकक को बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म प्रभाग के कृषि एकक की वित्त-व्यवस्था कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी योजना स्कीमों के भाग के रूप में की जा रही थी। 1989 में उक्त मंत्रालय द्वारा इन स्कीमों की पुनरीक्षा करने पर यह महसूस किया गया कि खुले बाजार में उपलब्ध सुविधा को देखते हुए कृषि सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण हेतु एक पृथक एकक और स्टाफ को बनाए रखने का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है। अतः मौजूदा स्टाफ को पुनः तैनात करके उक्त कृषि एकक को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का निर्णय किया गया था।

(ग) कृषि मंत्रालय अपनी फिल्मों का निर्माण निजी निर्माताओं के जरिए करवाएगा।

तमिलनाडु में नागरकोइल में उच्च शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर

5820. **श्री एन० डेनिस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल में वर्तमान कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर को लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पैसेफिक एशिया ट्रैवल एसोसियेशन कांफ्रेंस का आयोजन

5821. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :

डा० कृपासिंधु भोई :

श्री समत कुमार मंडल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पैसेफिक एशिया ट्रैवल एसोसियेशन कांफ्रेंस एण्ड ट्रैवल मार्ट के कार्यक्रम को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने शिष्टमंडलों के भाग लेने की संभावना है;

(ग) इस कांफ्रेंस के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस कांफ्रेंस के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) पैसेफिक एशिया ट्रैवल एसोसियेशन (पाटा) ट्रैवल मार्ट और मार्केटिंग कांफ्रेंस का आयोजन अब पाटा इंडिया चैप्टर द्वारा पर्यटन विभाग की सहायता से 30 अप्रैल से 3 मई, 1993 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रैवल मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्योग के 600 से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग लेने की सम्भावना है। इस पर होने वाले व्यय को पैसेफिक एशिया ट्रैवल एसोसियेशन और यात्रा उद्योग के सभी घटक बांट लेंगे। भारत सरकार ने मेजबान होने के नाते स्थान तथा संबंधित सुविधाओं की पेशकश की है। इस कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा उद्योग के क्रेता तथा विक्रेता व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। इससे भारत को एक अवसर मिलेगा कि वह स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यवसाय के समक्ष एक प्रमुख आकर्षण के रूप में प्रस्तुत कर सके जिससे अधिकाधिक पर्यटक भारत की यात्रा करने के लिए आकृष्ट हो सकें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत नए कार्यक्रम

5822. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारित करने हेतु नए कार्यक्रमों तथा पुराने कार्यक्रम पुन: प्रसारित करने सम्बन्धी कितने प्रस्तावों का वर्ष 1992 की अंतिम तिमाही और 1993 में अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) केंद्रीय तौर पर इस प्रकार के ब्यौरे संकलित रूप में नहीं रखे जाते हैं।

डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन पत्र

5823. **श्री सत्य देव सिंह :**

श्री रति लाल वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलावार कितने डाकघर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले फार्म बेच रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की बिक्री के लिए प्राधिकृत प्रमुख डाकघरों/उप डाकघरों की सूची। यह विवरण 15-4-93 की स्थिति के अनुसार है

क्रम सं०	सर्किल का नाम	प्रमुख डाकघर	उप डाकघर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	105	151
2.	असम	16	2
3.	बिहार	42	20
4.	दिल्ली	9	41
5.	गुजरात	42	45
6.	हरियाणा	15	21
7.	हिमाचल प्रदेश	17	10
८.	जम्मू और कश्मीर	9	8
9.	कर्नाटक	70	42
10.	केरल	51	237+7
11.	मध्य प्रदेश	52	5
12.	महाराष्ट्र	63	125
13.	उत्तर-पूर्व	9	6

1	2	3	4
14.	उड़ीसा	35	5
15.	पंजाब	22	6
16.	राजस्थान	55	50
17.	तमिलनाडु	93	183
18.	उत्तर प्रदेश	85	7
19.	पश्चिम बंगाल	46	25
20.	सेना डाक सेवा	2	
	केन्द्रीय बोर्ड डाकघर (मुख्यालय) दिल्ली मे		
	केन्द्रीय बोर्ड डाकघर (मुख्यालय) कलकत्ता में		
		838	995

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को भुगतान

5824. डा० चिन्ता मोहन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 1992 के अन्त तक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना था और वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) राज्य बिजली बोर्डों की देय राशि का भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राशि का भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और यह भुगतान कब तक किया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) विगत के तीन वर्ष और दिसम्बर, 1992 के अंत तक प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को आबंटित और वितरित किए गए ऋणों का ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कुछेक राज्य बिजली बोर्डों को भुगतान करने में विलम्ब का कारण सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निगम की बकाया राशियों का भुगतान न किया जाना है। 1992-93 के लिए शेष राशि का आबंटन किया जाना, कार्य की प्रगति और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा मांगी गई राशि पर निर्भर करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा दिसम्बर, 1992 तक किया गया संवितरण (त्रिज विस को छोड़कर)

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93*	
		आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	4557	4576	4970	5266	2596	2821	3400	1165
2.	अरुणाचल प्रदेश	600	757	485	484	400	400	380	
3.	असम	1417	1490	1510	1510	850	600	250	
4.	बिहार	5020	4552	4466	2642	1485	1144	1295	117
5.	गोवा	50	0	0	0	0	0	0	
6.	गुजरात	2767	3369	2840	3824	2256	2254	2400	616
7.	हरियाणा	1758	2286	1905	2134	1561	2176	1440	
8.	हिमाचल प्रदेश	975	976	650	650	370	469	430	120
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1150	729	970	631	460	418	800	179
10.	कर्नाटक	2089	3234	1499	2483	1833	2190	1785	406
11.	केरल	1115	1671	1355	1368	930	1266	630	34
12.	मध्य प्रदेश	9038	11729	10662	16773	7830	12792	6510	126
13.	महाराष्ट्र	4852	6851	5880	7431	4792	4792	3300	1271
14.	मणिपुर	1206	913	1358	1234	930	626	1060	72

15.	मेघालय	900	777	681	482	630	519	475	
16.	मिजोरम	450	379	500	508	700	685	770	158
17.	नागालैण्ड	165	346	240	161	235	158	205	
18.	उड़ीसा	3531	2619	3190	3458	3306	3304	3755	356
19.	पंजाब	2103	2505	2550	2565	1653	1711	1060	508
20.	राजस्थान	3547	4894	2712	3317	2687	4499	5250	1242
21.	सिक्किम	300	300	273	573	265	272	320	174
22.	तमिलनाडु	3022	3919	3435	3528	2737	2737	2450	837
23.	त्रिपुरा	660	634	927	918	562	600	460	
24.	उत्तर प्रदेश	13935	8794	7300	4675	6832	8650	7200	2396
25.	पं० बंगाल	3793	2978	4857	4333	3017	3701	2850	156
26.	अन्य कार्यक्रम	1400	**	1500	**	2000	**	2525	278
	जोड़ :	70400	71278	66715	70908	50937	58784	51000	10211

* दिसम्बर, 1992 तक अस्थायी संवितरण ।

** सम्बन्धित राज्यों में शामिल ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

5825. **श्री मंजय लाल :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1992 तक विश्व बैंक ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की है; और

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में बैंक से कितनी धन राशि प्राप्त करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 1992 तक विश्व बैंक द्वारा 5721·1 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण/क्रेडिट स्वीकृत किया गया है।

(ख) विद्युत क्षेत्र की अनेक परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता की तैयारी/विचार-विमर्श के लिए विभिन्न चरणों में हैं। तथापि सहायता के लिए अन्तिम रूप से जिन परियोजनाओं का निर्धारण किया गया है इनके लिए सहायता की मात्रा और आश्वस्त समयावधि, परियोजना की व्यापक तैयारी, दाता के अधिमान और इसके द्वारा दी गई वचनबद्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

पुणे हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइंस की सेवायें

5826. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान पुणे हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस की सेवायें कितनी बार बाधित हुई हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रभावकारी कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 1-11-1992 से 28-2-1993 की अवधि के दौरान पुणे से 35 उड़ानें विलंबित हो गयी थीं जो कि अधिकांशत: उड़ानों के विलंब से आगमन के कारण हुई थी। इनके अलावा तीन उड़ानें रद्द की गई थीं जिनमें से हरेक परिणामी, वाणिज्यिक और विविध कारणों से रद्द की गईं।

(ग) समयावलियों को युक्तिसंगत बनाकर, वैकल्पिक विमान की व्यवस्था करके, सूक्ष्म निगरानी रखकर और आवश्यक निवारक कार्रवाई करके विलंब के मामलों को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

पर्यटकों का आगमन

5827. **डा० परशुराम गंगवार :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और कलकत्ता में बम विस्फोटों के बाद पर्यटकों के आगमन में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कारण कितनी हानि हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) मार्च, 1992 की तुलना में मार्च, 1993 के दौरान देश में आए पर्यटकों की संख्या में लगभग 6.7% की कमी आई है। तथापि, पर्यटकों के आगमन में कमी होने के कारण होने वाले नुकसान के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

निर्माताओं पर आयकर की बकाया राशि

5828. **श्री यशवंत राव पाटिल** :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा निजी निर्माताओं को भुगतान किये जाने के समय दो प्रतिशत आयकर राशि प्रभारित न कर पाने के कारण उसे करोड़ों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का आयकर की बकाया राशि की वसूली करने तथा भविष्य में भुगतान करते समय दो प्रतिशत राशि प्रभारित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल संसाधन दिवस मनाना

5829. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा "जल संसाधन दिवस" मनाने की तैयारियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है तथा इसके द्वारा क्या लाभ होने की आशा है;

(ग) क्या यह धनराशि कुओं के खोदने, जलाशय बनाने तथा अन्य लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन दिवस, 1993 को मनाने के लिए 4.862 लाख रुपए मंजूर किये गए हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष जल संसाधन दिवस मनाया जाता है :

1. वैज्ञानिक ढंग से जल का संरक्षण एवं प्रबन्ध करने की आवश्यकता के बारे में आम जनता में सजगता लाना।
2. जल संसाधन क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों और इनके मार्ग में आने वाली समस्याओं के बारे में चेतना उत्पन्न करना।
3. जल संसाधन क्षेत्र में विभिन्न कमियों के साथ-साथ इसकी अनेक उपलब्धियों और चालू कार्यक्रमों के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना।
4. जल संसाधनों के विकास और प्रबन्ध में जन साधारण की सहभागिता के लिए उचित वातावरण तैयार करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जल संसाधन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इसके प्रति जन चेतना का सृजन करना है। इसलिए इसमें कुआं खोदना आदि जैसे भौतिक कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि ऐसे कार्य संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत किए जा रहे हैं।

नागपुर, महाराष्ट्र में डाक और तारघर खोलने का लक्ष्य

5830. श्री तेज सिंह राव भोंसले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1992-93 के दौरान नागपुर महाराष्ट्र में डाकघर तथा तारघर खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ख) क्या उपर्युक्त लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) 1993-94 के दौरान कितने डाकघर तथा तारघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाकघर : 1992-93 वर्ष में नागपुर क्षेत्र के लिए एक विभागीय उप डाकघर तथा 18 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

तारघर : 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में तारघरों को खोलने का निर्धारित लक्ष्य "एक" था।

(ख) डाकघर : जी हां।

तारघर : जी नहीं।

(ग) डाकघर : प्रश्न नहीं उठता।

तारघर : कतिपय प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।

(घ) डाकघर : महाराष्ट्र सर्किल में 1993-94 के वार्षिक योजना के दौरान 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 11 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित डाकघरों के स्थानों का अभी तक निश्चय नहीं किया गया है।

तारघर : 1993-94 के दौरान "एक" तारघर खोलने की योजना है।

[अनुवाद]

बोइंग 737 के 200 विमानों के बेड़े में परिवर्तन

5831. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने बोइंग 737 के 200 विमानों के बेड़े में परिवर्तन करने का कार्य शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संघीय विमानन अभिकरण (फैडरल एविएशन एजेंसी) द्वारा निर्धारित मई, 1993 की अंतिम समय सीमा तक परिवर्तनों संबंधी कार्य पूरा नहीं हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) फेडरल एविएशन द्वारा यथा-अपेक्षित संशोधन केवल चार बी-737 विमानों (ई० ए० सीरीज) पर लागू होते हैं, इसके पूरा होने की अन्तिम तिथि अप्रैल, 1994 है। एक विमान के संबंध में संशोधन पहले ही कर लिया गया है और शेष तीन के संबंध में कार्रवाई चल रही है।

उड़ीसा में टेलीफोन का तार जल जाना

5832. कुमारी फ्रिडा तोपनो :
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में राउरकेला के सेक्टर-3 में 15 मार्च, 1993 को टेलीफोन का तार जल गया था;

(ख) क्या यह कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुआ था;

(ग) यदि हां, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इससे कितनी क्षति हुई; और

(च) भविष्य में सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) आग लगने के कारण का पता नहीं लगा है। इस मामले की जांच पड़ताल उड़ीसा सर्किल के सतर्कता कक्ष द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) जांच पड़ताल पूरी होने पर जिम्मेदार पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कारंवाई की जाएगी ।

(ङ) लगभग 2.19 करोड़ रुपए की हानि है ।

(च) स्टोर डिपुओं में अग्नि दुर्घटना घटने के प्रति बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विभागीय अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं । उन्हें अमल में लाने के लिए पुन: बल दिया जा रहा है ।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

5833. **श्री सूरजभान सोलंकी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्याचल, चन्द्रपुर और पेंच तापीय संयत्रों और गैस पर आधारित कवास तथा गंधार विद्युत परियोजनाओं का विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को कितनी विद्युत प्रदान की जाएगी ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) चन्द्रपुर, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की एक राज्य क्षेत्र परियोजना है और इसके यूनिट-7 (500 मे० वा०) को 1996-97 में चालू किए जाने की संभावना है । इसके द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा विन्ध्याचल के विस्तार के संबंध में अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है और पेंच, कवास तथा गंधार परियोजना का विस्तार किए जाने का भी इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

नामरूप ताप विद्युत केन्द्र

5834. **श्री प्रबीन डेका :**
श्री उद्धव बर्मन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नामरूप ताप विद्युत केन्द्र एक्सटेंशन परियोजना (2 × 30 मे०वा०) को प्रौद्योगिकी आर्थिक मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और परियोजना पर निर्माण कार्य के संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नामरूप गैस टर्बाइन केन्द्र (2 × 30 मे० वा०) की प्रतिष्ठापना के मामले में यद्यपि असम राज्य बिजली बोर्ड ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना भी सुनिश्चित की है, परन्तु उनके द्वारा गैस लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, जल की उपलब्धता जैसे आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित नहीं किया गया है और न ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की गई है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी अपेक्षित निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित किए जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम के संबंध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

शिमला, हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र

5835. प्रो० प्रेम धूमल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में विशेषत: रोहाडू में नया दूरसंचार केन्द्र खोलने का है, जिसके लिए जनवरी, 1992 में भू-अर्जन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी और यह कब तक चालू हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नए दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तथापि, रोहाडू में दूरसंचार केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नही है और न ही इस उद्देश्य से जनवरी, 1992 में भूमि ही अधिग्रहित की गई है।

(ख) शिमला जिले के छ: स्थानों अर्थात् शिमला चौरा मैदान, शिमला पूर्व और रामपुर बुशेसर में दूरसंचार केन्द्रों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरसंचार केन्द्र 1993-94 के दौरान खोले जाने की सभावना है।

उत्तर प्रदेश में विमान सुविधाएं

5836. डा० रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे शहरों/जिलों के नाम क्या हैं जिनमें सप्ताह में कम से कम एक दिन के लिए विमान सेवा सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस समय उत्तर प्रदेश में, आगरा, देहरादून, लखनऊ और वाराणसी निम्नलिखित सेवाओं द्वारा विमान मार्ग से जुड़े हुए हैं :

इंडियन एयरलाइंस :

(1) बम्बई-वाराणसी-लखनऊ

(2) दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी

(3) दिल्ली-लखनऊ

(4) दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता

(5) दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर

(6) वाराणसी-काठमांडू

वायुदूत

(1) दिल्ली-देहरादून

उत्तर भारत में पर्यटकों का आगमन

5837. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गौतम बुद्ध पर टी० वी० धारावाहिक

5838. **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को गौतम बुद्ध के जीवन पर टी० वी० धारावाहिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन गौतम बुद्ध के जीवन पर धारावाहिक का प्रसारण कब से शुरू करेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) नई प्रायोजित स्कीम, 1990 के अंतर्गत बुद्ध पर प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों में से "बुद्ध ट्रेल्स" वाले शीर्षक का प्रस्ताव का दूरदर्शन द्वारा चयन किया गया है और उसे प्राथमिकता दी गई है।

(ग) धारावाहिक का प्रसारण निर्माता द्वारा पायलट प्रस्तुत करने और अन्य औपचारिकताओं के पूरे हो जाने पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में विद्युत की खपत

5839. श्री के० प्रधानी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उड़ीसा सरकार ने कितनी विद्युत की मांग की और केन्द्रीय पूल से कितनी विद्युत की सप्लाई की गई ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय पूल (फरक्का एस० टी० पी० एस० तथा भूटान में चुखा एच० ई० पी० एस०) से उड़ीसा द्वारा उसकी हकदारी के अनुरूप वास्तविक रूप में किए गए आहरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(सभी आंकड़े मि० यू में)

	1990-91	1991-92	1992-93
हकदारी	601.6	617.5	644.0
वास्तविक आहरण	134.5	402.5	548.7

इजराइल के साथ राजनयिक संबंध

5840. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजराइल में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दोनों सरकारों द्वारा दोनों देशों में कुछ और राजनयिक मिशन स्थापित करके इजराइल के साथ संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया):(क) इजराइल में अनुमानित 200 भारतीय राष्ट्रिक और भारतीय मूल के लगभग 60,000 व्यक्ति हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

5841. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) इनमें से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या 15 मार्च, 1993 को कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार शेष टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल 1170 एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या 766 है।

(ग) और (घ) 1993-94 के दौरान शेष 13 मैनुअल एक्सचेंजों तथा छोटे आकार के लगभग 250 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हों।

विवरण

31-3-1993 की स्थिति के अनुसार गुजरात सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2	1	2
	जिला—अहमदाबाद		
1.	"39" एक्सचेंज	15.	देवकरनामूवाड़ा
2.	"39" एक्सचेंज	16.	धंधूका
3.	दादरखा	17.	धोलेटा
4.	बगोदरा	18.	धोलका
5.	बहियाल	19.	एलिसब्रिज
6.	बडाबाला	20.	गुण्डी
7.	बारेजा	21.	हलिसा
8.	बावला	22.	झोलापुर
9.	भीमनाथ	23.	जिन्दवा
10.	बोपाल	24.	करकथाल
11.	छावनी (i)	25.	कटोसन रोड
12.	सेंट्रल	26.	कोका
13.	देहगाम	27.	केलिया वासना
14.	देतरोज	28.	कोठ

1	2	1	2
29.	कूहा	49.	आर० एल० पी०-I
30.	लिहोज	50.	आर० एल० पी०-II
31.	मण्डल	51.	आर० एल० पी०-III
32.	मनीपुरा	52.	आर० एल० पी०-4
33.	मिरोली	53.	साबरमती
34.	नदेज	54.	सादरा
35.	नारानपुरा-I	55.	सनद
36.	नारानपुरा-II	56.	वासना
37.	नरोडा	57.	वासना (साटे)
38.	नवागाम	58.	वासना (आर० एल० यू०)
39.	नवरंगपुरा	59.	वटमान
40.	नवरंगपुरा-I	60.	वाटवा
41.	नवरंगपुरा-II	61.	वौटा
42.	नवरंगपुरा-III	62.	विरमगाम
43.	ओधव	63.	विरमगाम (साटे)
44.	ओगनेज	64.	विशालपुर
45.	रायपुरगेट	65.	वासना
46.	रखिलाल	66.	वस्त्रपुर
47.	रामपुरा (ए०एम०)	67.	मेरठा
48.	रानपुर	68.	कजाड

जिला—अमरेली

1.	अमरेली	8.	छलाला
2.	अमरेली (साटे)	9.	चितल
3.	अनिज	10.	दामनगर
4.	अंगोदर	11.	दामनगर (साटे)
5.	बाबापुर	12.	बेदान
6.	बाबरा	13.	धरगानी
7.	बगासरा	14.	धारी

1	2	1	2
15.	दोलासा	31.	मोटा अंबाडिया
16.	डूंगर	32.	मोटा देकालिया
17.	एकलेटा	33.	मोटा समधलिया
18.	घंटवाड	34.	नाना अंकडिया
19.	गोविन्दपुर	35.	राजूला
20.	हुरमादिया	36.	राजूला (साटे)
21.	जफराबाद	37.	रमम्माडा
22.	जलिया	38.	तालमिया
23.	जम्बरवाला	39.	टिम्मी
24.	खम्भा	40.	उंटवाड
25.	खम्भा-साटे	41.	वाडिया
26.	कोडिनार	42.	हलेन
27.	कोडिनार (साटे)	43	विक्टर
28.	कूंकावव	44.	चावड
29.	लाठी	45.	गोपालग्राम
30.	विलियामोटा		

जिला—बनासकांठा

1.	आमदाजी	12.	दादोतर
2.	अम्बाजी	13.	दान्तीसर
3.	अमीरगढ़	14.	छापी
4.	असेडा	15.	त्रिसानी
5.	बायला	16.	दांता
6.	भामर	17.	दांतीवाडा
7.	भावीसाना	18	दीसा
8.	भेमल	19.	दीसा (साटे)
9.	भिटडी	20.	देवधर
10.	भोड्डू	21.	धनेरा
11.	धुटेडी	22.	धिमा

1	2	1	2
23.	गढ़	47.	पिलूडा
24.	घाना	48.	राधनपुर
25.	गोला	49.	राह
26.	हुदाव	50	रामपुरा (सी एन सी)
27.	तोबलगढ़	51.	रमसान
28.	जलोतरा	52.	रामपुर
29.	जेम्पेद	53.	रसना
30.	जीतपुर	54.	समौमोटा
31.	जूनी सेधानी	55.	संतलपुर
32.	कबीरपुरा	56.	सेजालपुर
33.	घनोदर	57.	सिरोही
34.	खीमत	58.	सूईगाम
35.	कूबाला	59.	टाकरवाडा
36.	लखानी	60.	थारा
37.	मण्डल	61.	थारड
38.	मलान	62.	उठा
39.	मेटा	63.	वडावल
40.	मोरिया	64.	वडगाम
41.	मेनवा	65.	वराही
42.	पालनपुर	66.	वासना
43.	पालनपुर (साटे)	67.	विरमपुर
44.	पाटडी	68.	वाव
45.	पंथावाडा	69.	जेरदा
46.	पिलूचा		

जिला—भरूच

1.	अमलेश्वर	5.	भरूच
2.	अमोद	6.	चंचवेल
3.	अंकलेश्वर	7.	चंदेरिया
4.	भालोड	8.	दहेज

1	2	1	2
9.	देडियापाडा	25.	पनोली
10.	डेरोल (भरूच)	26.	पनोलीग्राम
11.	देवला	27.	प्रताप नगर
12.	हंसोट	28.	राजपर्डी
13.	हिंगलोट	29.	राजपिपला
14.	इलाव	30.	सजोद
15.	जम्बूसर	31.	सामनी
16.	जम्त्रान	32.	सरभान (भरूच)
17.	झगादता	33.	सेटम्बा
18.	कवि	34.	शुक्लातीर्थ
19.	केवडिया कालोनी	35.	सिसोदरा
20.	मूटलेर	36.	टंकरिया
21.	नाबीपुर	37.	उमटला
22.	नेतरंग	38.	वागरा
23.	पालेज	39.	वलिया
24.	पनेठा		

जिला—भावनगर

1	2	1	2
1.	अलंग	12.	धोला
2.	अम्बार्डी	13.	दिहोर
3.	भम्भान	14.	गधाडा
4.	भावनगर	15.	गरियाधर
5.	भावनगर (साइट)	16.	घेटी
6.	भीमदाद	17.	गोधकाडा
7.	बोटाड	18.	घोघा
8.	बुढेल	19.	गुण्डनी
9.	चित्र	20.	जेसर
10.	दाठा	21.	जूनासावर
11.	धासा	22.	खोसला

1	2	1	2
23.	कोलिपक	44.	सनोसरा
24.	कूम्भल (महूआ)	45.	सावरकूण्डला
25.	कूम्भल (पालिट)	46.	सिहोर
26.	लाठीदाद	47.	सोंगढ़
27.	मघोडा	48.	तलाजा
28.	महूवा	49.	ताना
29.	मालपाडा	50.	थलिया
30.	मांडवा	51.	टिमाना
31.	मांडवी (भावनगर)	52.	त्रपज
32.	मोटा खंठावाडा	53.	तुर्खा
33.	मणी राजस्थली	54.	उमगढी
34.	निगाला	55.	उमराला
35.	बोघनवदर	56.	वल्लभीपुर
36.	ओलिया	57.	वल्लकूड
37.	ओठा	58.	वांदा
38.	पलिटाना	59.	वेलावडर
39.	पलियाड	60.	विजापाडी
40.	परवाडी	61.	जमराला
41.	पिठलपुर	62.	नारी राजस्थली
42.	रगोला	63.	तिमाना
43.	रोहिशाला		

जिला—गांधीनगर

1	2	1	2
1.	अदालत	4.	ईसानपुर मोटा
2.	दमोडा (गांधीनगर)	5.	रंधेजा
3.	गांधीनगर	6.	सिहोली मोटी

जिला—जामनगर

1	2	1	2
1.	अलियावाडा	4.	बालम्भा
2.	उमरान	5.	बाटवा (जामनगर)
3.	बालाझाडी	6.	भाडथार

1	2	1	2
7.	भंगोर	34.	मीठापुर
8.	भानवाड	35.	मोटा गुण्डा
9.	मटिया	36.	मोटा पंचदेवडा
10.	दबासंग	37.	मोटा वडाला
11.	धाफा	38.	मोती बानूगढ़
12.	ध्रोल	39.	मोबन
13.	द्वारका	40.	नवगाम (जामनगर)
14.	फटका	41.	निकावा
15.	गढ़का	42.	ओखा
16.	हृदियाना	43.	ओखा (साटे)
17.	जाम कल्याणपुर	44.	रन
18.	जाम रावल	45.	सादोदर
19.	जाम जोधपुर	46.	सलाया
20.	जाम खमालिया	47.	समाना
21.	जामनगर (साटे)	48.	सापर
22.	जामनगर (साटे)	49.	सतापर
23.	जामवनथली	50.	सेठवाडला
24.	जीवपाडा	51.	सिडसेर
25.	जोडिया	52.	सिक्का
26.	कलावाड	53.	तरसात
27.	कलालस	54.	वडिनार
28.	खंडोहेडा	55.	वडिपनचसारा
29.	खरेडी	56.	दराड
30.	लालपुर	57.	शिवा
31.	लम्बाबदर	58.	जामदेवलिया
32.	लाटीपुर	59.	रनपुर
33.	मटवा		

1	2	1	2

जिला—जूनागढ़

1.	अडारी	28.	खगेसरी
2.	अवितयाना	29.	खिरासरा
3.	अडवाना	30.	कुटियाना
4.	अजब	31.	लिम्बोडा
5.	अजोठा	32.	लूछाला
6.	अकोलवाडी	33.	माधवपुर
7.	अमरपुरगिर	34.	माधवपुर (गिर)
8.	अरनियाला	35.	मटियारे
9.	बगडू	36.	माजेवाडी
10.	बागोदर	37.	मलिया हटिना
11.	बालगाम	38.	मलिया हटिना (साटे)
12.	बामनसा	39.	महावदर
13.	बंतवा	40.	मंगनाथ पिपल
14.	भलगाम	41.	मंगरोल
15.	भेसन	42.	मंगरोल (साटे)
16.	बिलेश्वर	43.	मेंदर्वी
17.	बिलरवर	44.	महबतूर
18.	चोरवाड	45.	मोटसा
19.	धंधुसर	46.	मोतीमतारी
20.	धोकाडवा	47.	नवबंदर
21.	पटाना	48.	पोरबन्दर
22.	कतिया प्रांचि	49.	रन कठडोरना
23.	गिरगधाडा	50.	रन खिरसारा
24.	जूनागढ़	51.	रन वडाला
25.	कडाछ	52.	रनायाय
26.	केशोद	53.	संखेडा (जूनागढ़)
27.	केशोद (साटे)	54.	सरदारगढ़

1	2	1	2
55.	सरसाल	65.	उना
56.	सांगगिर	66.	उना (साटे)
57.	शाहपुर	67.	वडाल
58.	शर्मा	68.	वंथली
59.	शेरबोच	69.	वेरावल
60.	शिल	70.	विसवाडा
61.	सुजपाडा	71.	विसबदर
62.	तलाला	72.	जपोदाद
63.	टिकर	73.	देवराना
64.	टूकड़ा गोसा		

जिला — खेड़ा

1.	अदास	18.	भदरान
2.	अजरपुरा	19.	भलाडा
3.	अकलाचर	20.	भलेज
4.	अलिना	21.	बोचासन
5.	अलिन्द्रा	22.	बोरसाड
6.	आनन्द	23.	कम्बे
7.	अनारा	24.	कम्बे (साटे)
8.	अंगाडी	25.	चकलासी
9.	अंकलव	26.	छिपाडी
10.	अंकलव (साटे)	27.	चुनेल
11.	अंतिसर	28.	दमाऊ
12.	असामली	29.	दकोर
13.	असोदर	30.	दकोर (साटे)
14.	अतारसुम्बा (खेड़ा)	31.	देमारी
15.	बलासीनोर	32.	देवा
16.	बलासीनोर (साटे)	33.	धरमज
17.	दामगम	34.	धवारन

1	2
35.	गोलाना
36.	गुडेल
37.	हल्दरवास
38.	जानोद
39.	जिचका
40.	कनिशा
41.	कंजरी
42.	कपडवंडा
43.	कठाना
44.	कठलाल
45.	खंठली
46.	खेडा
47.	किखलोड
48.	लंगूठदरा
49.	मिम्बासी
50.	मगोनपुर लाट
51.	महिसा
52.	महुधा
53.	मंटर
54.	मेहलव
55.	मेहमदाबाद
56.	मिठापुर (खेडा)
57.	मोहलेल
58.	मोतीसेर
59.	नादियाड
60.	नादियाद (साटे)
61.	नेका
62.	नापा
63.	नापड
64.	नाड
65.	नारनपुरा लाट
66.	नेस
67.	निर्मली
68.	ओर्ड
69.	पांडवा
70.	पनसोरा
71.	पेटलाद
72.	पेटलाद (साटे)
73.	पिज
74.	राघू
75.	रास
76.	संदेसर
77.	सर्सा
78.	सस्तापुर
79.	सेवलिया
80.	सोजितरा
81.	सोमेश्वर लाट
82.	सुनव
83.	सुन्दरपुरा
84.	तारापुर
85.	थासरा
86.	तोर्णा
87.	उमेटा
88.	उमरेट

1	2	1	2
89.	उंडेल	97.	बसाड
90.	उत्तरगंधा	98.	वासो
91.	बी० बी० नगर	99.	बटादरा
92.	बदाद	100.	वीरपुर (खेड़ा)
93.	बदोड	101.	प्यास बासना
94.	बडताल	102.	बनकबोरी (खेड़ा)
95.	बडथाल	103.	चितरोडा
96.	बनोडा	104.	उडमाम

जिला—कच्छ

1.	अघोई	19.	दुमरा
2.	अदीपुर	20.	फतेहगढ़
3.	अंजर	21.	गढ़सीसा
4.	बालासर	22.	गागोदर
5.	भाचाऊ	23.	गांधीधाम
6.	भारादर	24.	जंगपुर
7.	भाईवादा	25.	घाधूली
8.	भाईमसर (डी)	26.	गोयला
9.	भीमगढ़ (सी)	27.	गुंदाला
10.	भुंज	28.	हाजापुर
11.	भुजपुर	29.	जाखाऊ
12.	बिट्टा	30.	के० माखवी
13.	बिराह मोती	31.	कनूआगारा
14.	दाहीसारा (भुज)	32.	कांडला
15.	दारगाडी	33.	कांडला केएफटीजेड
16.	दयापार	34.	केरा
17.	देसालपुर	35.	खामधारा
18.	दुधाई	36.	खारागोगा

1	2	1	2
37.	खावदा	63.	पत्री (क)
38.	खेदाई	64.	राहपड़
39.	कुतदा (सी)	65.	रामानिया
40.	कुतदा (जे)	66.	रतनाल
41.	कुतदा (आर)	67.	रावापाड़
42.	कोठारा	68.	गाधराट
43.	कुकमा	69.	गमखियाली
44.	लाइजा	70.	सुखपाड़ (बी)
45.	लकादिया	71.	सुखपाड़ (आर)
46.	लेखापुर	72.	सुमरासार
47.	लोदाई	73.	सुथारी
48.	लूनी	74.	सुवाई
49.	मनपाडा	75.	पाफाड़
50.	मनकुवा	76.	टेरा
51.	मातामादम	77.	तराम्भाउ
52.	मोता असामबिया	78.	टूने
53.	मूथाला	79.	उखेदी
54.	मुन्दरा	80.	वावला
55.	नाखटराना	81.	बांधिया
56	नाडिया	82.	वानकी
57.	नाडिया सेट	83.	वायूर
58.	नेत्र	84.	वीथोन
59.	नीरोना	85.	वाडा
60.	पदमपुर	86.	छान्दरोदा
61.	पांधरो (एस एच आर)	87.	वर्समधी
62.	पांधरो (के एल पी टी)	88.	मार्यान-सरोवर

1	2	1	2
	जिला — महसाना		
1.	अगलोड	27.	जिरताकोलवाडा
2.	ममडालियासान	28.	जोजारिया
3.	अमडालिमागान मार	29.	हुरज
4.	अपरापुरा	30.	जगुदान
5.	वालीसाना	31.	जमला (मेह)
6.	बालोल	32.	जनगाल
7.	बालवा (मेह)	33.	जनतराल
8.	विचाराजी	34.	जसपुर
9.	भदरादा	35.	जोलासन
10.	बन्धू	36.	जोतना
11.	भिलवान	37.	जोताना (गेट)
12.	बिलिया	38.	काडा
13.	चोडा	39.	काडी
14.	चानासमा	40.	काहोडा
		41.	काकोषी
16.	चोराडा	42.	कालोल
16	छतराल		
17.	डाबाड	43.	कालोल
18.	डाबावा (मेह)	44.	कल्याणपुर
19.	ढानोरा	45.	कामाना
20.	डासाज	46.	कमलीवाला
21.	डिलमाल	47.	कानसा
22.	धरमपुर (मेह)	48.	कारभाटिया
23.	धनोज	49.	खामबोल
24.	दोवरा	50.	खेरालू
25.	वीरामपुरा	51.	खेबा
26.	जामदरू	52.	खिमाना

1	2
53.	कुकरवाडा
54.	कुनघीर
55.	लाडोल
56.	लोगानाज
57.	लिंच
58.	लोडरा
59.	महोदी
60.	मनगा
61.	मेडा
62.	मेडा अडराज
63.	मेहसाना
64.	मेहसाना साट
65.	मोघरा
66.	मौजपुर
67.	नाना
68.	मन्डसान
69.	नारदीपुर
70.	पाली
71.	पंचौर
72.	पाटान
73.	पाटान साट
74.	पुनासान
75.	रनुज
76.	रनुज सैंट
77.	सामेत्रा
78.	सामी
79.	सानतेज
80.	सारदापुर
81.	सरतयाद
82.	सतलासना
83.	साहुनकेभवर
84.	सिघपुर
85.	सिपार
86.	सुधासना
87.	सुनधिया
88.	सूरज
89.	थोल
90.	तरानगवाद
91.	तनदेव (मेह)
92.	उमता
93.	उनझा
94.	उनथी सैंट
95.	उपेरा
96.	वघवाली
97.	वांधनगर
98.	वालाम
99.	वासलिया
100.	वासोडावाला
101.	वायाड
102.	वीजापुर
103.	विसनगर
104.	वियोडा

1	2	1	2

जिला—पंचमहल

1	2	1	2
1.	अदावरा	28.	लूनवाडा
2.	बाकोर	29.	मालूव
3.	भोर्वा	30.	माल कपुर
4.	डाबरिया	31.	मल्वान
5.	डाबरिया (साटे)	32.	मेहलोल
6.	देवोल	33.	मोरा
7.	धानपुर	34.	मोरवारेना
8.	डिवाडा कालोनी	35.	मूवाडा (आर)
9.	दोहाड	36.	निम्नाखारारिया
10.	फतेहपुरा	37.	पावगढ़
11.	गरबाडा	38.	पिपलोड
12.	घोघमडा	39.	रछार्दा
13.	गोधंरा	40.	रामेसरा
14.	गोधंरा (साटे)	41.	रामतल मूवाडा
15.	गोधिव	42	रंधिकपुर
16.	हलोल	43.	रछिवंत
17.	जन्त्राल	44.	संजेत्री
18.	जेसवाडा	45.	संसोली
19.	झालोड	46.	सतरामपुर
20.	काकनपुर	47.	संतरोड
21.	काटवाडा	48.	शेहेरा
22.	खाखरिया	49.	शिवराजपुर
23.	खानपुर	50.	सुखसार
24.	कोठम्बा	51.	टिम्बारोड
25.	लिमाडिया	52.	वरधारी
26.	लिमडी	53.	वेजलपुर
27.	लिमखेडा	54.	जम्त्राल

1	2	1	2
	जिला—राजकोट		
1.	अजिराजकोट	29.	कमलपुर
2.	अजिराजाकेट साटे	30.	कस्तूरबाग्राम
3.	अण्डनी	31.	खडवनथली
4.	अटकोट	32.	खजुर्डा
5.	बगथाला	33.	खिरसारा
6.	भावला	34.	कोलिठाड
7.	भक्ति नगर	35.	कालकी
8.	भयन्दर	36.	कोटयसंगट
9.	भुनावा	37.	के० आर० राजकोट
10.	चाचापाड	38.	कूवाडावा
11.	चित्रवाड	39.	लजत
12.	दजिसारा	40.	लठ
13.	देर्डी	41.	लोधिका
14.	देवकिगलोल	42.	लूरसर
15.	धांक	43.	महिका
16.	धोरजी	44.	मकनसर
17.	धोरजी (साटे)	45.	मलिया मियाना
18.	गोमता	46.	मोर्बी
19.	गोण्डल	47.	मोर्बी (सिटी)
20.	गोण्डल (साटे)	48.	मोटवा दावदा
21.	जामकण्डोर्ना	49.	मोती मराड
22.	जस्दान	50.	मोविया
23.	जेबी राकोट	51.	नगर पिपलिया
24.	जेतलसर	52.	नवलखी
25.	जेटपाड (एम)	53.	पडधारी
26.	जेतपुर	54.	पनेली मोती
27.	जेतपुर (साटे)	55.	पटनव
28.	कलाना	56.	पिपलीराज

1	2	1	2
57.	राजकोट ई 10 बी	71.	उपलेटा
58.	राजकोट आर एल यू	72.	वडसाडा
59.	रामोद	73.	वजाडी
60.	रतनपाड	74.	वसावड
61.	संथली	75.	ववानिया
62.	सरधार	76.	विंकिया
63.	सर्यादाद	77.	वीरनगर
64.	सातोदाद	78.	वीरपुर (राजकोट)
65.	शिराजगढ़	79.	वंकानेर (राजकोट)
66.	सिद्धवघर	80.	केराली
67.	सुल्तानपुर	81.	खेर्डा
68.	गुपेडी	82.	हिरसारा
69.	तंकाटा	83.	शापर
70.	तिथावा		

जिला—साबरकांठा

1	2	1	2
1.	अगीयोल	13.	चिथोडा
2.	अकरून्द	14.	चितरोडा
3.	अम्बालिया	15.	दधालिया
4.	अम्बालियारा	16.	दांवड
5.	अनियोर	17.	देहगाम्दा
6.	अतरसबा	18.	देमई
7.	बडोली	19.	देवोट्टर
8.	दामना	20.	धनसूरा
9.	बायड	21.	फिन्चोड
10.	भद्रेश्वर	22.	फूवेडा
11.	भिलोडा	23.	गाबत
12.	चन्दनी	24.	गधी

1	2	1	2
25.	गडकान	51.	मोडसा
26.	गम्भोई	52.	मोती ईसरोल
27.	हरसोल	53.	मुदेटी
28.	हिम्मतनगर	54.	मूनट
29.	ईदर	55.	नवपनगर
30.	ईदर (साटे)	56.	पटेल घुण्ढा
31.	ईल्लोल	57.	पोशिना
32.	जादर	58.	प्रन्तिज
33.	जामला (हिम्मतनगर)	59.	पनसारी
34.	कडियादारा	60.	पूरल
35.	कडोली	61.	रायगढ़
36.	कसाना	62.	रामगढ़ी
37.	कावा	63.	रमापीरकाम्पा
38.	खेड	64.	रामपुरा काम्पा
39.	खेडब्रह्मा	65.	रनसान
40.	खेराडी	66.	रूपत
41.	खेरोज	67.	रागपुर
42.	खेरोल	68.	सलाल
43.	खोडियावढवा	69.	सरदोई
44.	लम्बाडिया	70.	सथम्बा
45.	लक्ष्मणपुरमम्मा	71.	संतनगर
46.	लक्ष्मीपुरा	72.	थमलाडो
47.	लिम्भोई	73.	शिनोल
48.	मालपुर	74.	शिवराजपुर काम्पा
49.	मटोडा	75.	तांकातूका
50.	मेघराज	76.	तखतगढ़

1	2	1	2
77.	तालोड़	82.	वडगाम
78.	तरकवाडा	83.	वडाली
79.	तितोई	84.	विजयनगर
80.	उमेदगढ़	85.	विष्णुपुरकम्पा
81.	उंचीढ़नाला		

जिला—सूरत

1.	अनावल	22.	कठोर
2.	अनुमंदा	23.	कवाग
3.	अरेठ	24.	किम
4.	बाजीपुरा	25.	कोसम्बा
5.	बडदोली	26.	एम० एम० मगरोल
6.	बडदोली (साटे)	27.	माधी
7.	भाठा	28.	महूवा
8.	बीघाम	29.	मजूरा (आर एल यू)
9.	बुहाडी	30.	माण्डवी
10.	दोलाका	31.	ओलपाड
11.	दोलवान	32.	पलसाना
12.	डूमस	33.	पंडेसरा
13.	फोर्ट सोनगढ़	34.	कंडेर (सांटे)
14.	गंगाधारा	35.	रण्डेर (सूरत)
15.	गोडावाडी	36.	सचिन
16.	कदोड	37.	सरभान (साटे)
17.	कडोदरा	38.	सायन
18.	कामरेज	39.	शामपुरा
19.	करचेलिया	40.	शिवंत
20.	कटारगाम	41.	सूरत (साटे)
21.	कटारगाम (साटे)	42.	सूरत 63 लेवल

1	2	1	2
43.	सूरत एम के टी ई आर एस यू	52.	उमल्लाडा
44.	सूरत एन ई सी	53.	वालोड
45.	सूरत यूनिट-I	54.	बंकल
46.	सूरत यूनिट-II	55.	बराड
47.	सूरत यूनिट-III	56.	व्यारा
48.	तंडकेश्वर	57.	बंधनेर
49.	उधना	58.	अंबावन
50.	उधना (साटे)	59.	बलकाट
51.	उकई	60.	लिम्बाडा

जिला—सुरेन्द्र नगर

1	2	1	2
1.	बजाना	17.	कामकाबाटी
2.	रामनबोर	18.	खाराघोडा
3.	मालगायडा	19.	खोडी
4.	धरादवा	20.	खोलाडियाड
5.	चोटीला	21.	कोघ
6.	चोडा	22.	लकहटरा
7.	डनबाडा	23.	लिबाडी
8.	डसाडा	24.	लिंबाडी संट
9.	ढाढलपुर	25.	मूलियानगर
10.	ध्रोली	26.	माचक
11.	ध्रारंगधारा	27.	मयूरनगर
12.	ध्रारंगधारा (एस)	28.	मोटाअंकवाला
13.	धन्ना	29.	मूली
14.	धंदुकापुर	30.	नाना अंकवाडिया
15.	हलवाड	31.	नीमकनगर
16.	जूनादेवाला	32.	पाणीसाला

1	2	1	2
33.	पाटरी	43.	सुडामाडा
34.	पोरडा	44.	सुन्दरी
35.	राजसीतापुर	45.	सुरेन्द्रनगर
36.	रानागाडी	46.	सुरेन्द्रनगर (एस)
37.	सारा	47.	थानगढ
38.	सारला	48.	टीकर (रान)
39.	स्याला	49.	वगादिया
40.	सेडला	50.	झिझुवाडा
41.	शियांज	51.	नारानकले
42.	सालोडी		

जिला—बडोदरा

1.	अल्कापुरी	17.	गढबोरियाड
2.	अल्कापुरी ई-10 बी	18.	हुनडोड
3.	भाटपुर	19.	जिबूगडोडा
4.	बाडोली	20.	जारोड
5.	चानड्	21.	काडीपानी
6.	छातरली	22.	कडवार
7.	छोटा उदयपुर	23.	कान्वाडी
8.	चोगांडा	24.	कारवान
9.	सिटी एक्सचेंज (बी आर डी)	25.	कावंत
10.	सिटी एक्स-बार (बी आर डी)	26.	केलनपुर
11.	डबाका	27.	कुसीन्दरा
12.	डभोई	28.	कोठी
13.	देवघर	29.	कुअयाली (बी आर डी)
14.	नोरमार	30.	कुइयाली सेंट
15.	डुंगारवाट	31.	मकरपुरा (बी आर डी)
16.	फतेहगंज (बी आर डी)	32.	मासर रोड

1	2	1	2
33.	मियागम	47.	संडासाल
34.	मोभा रोड	48.	संखेडा (बी आर डी)
35.	मंदेशगी	49.	गावली
36.	नसवाडी	50.	सिनोर
37.	पाडरा	51.	सोखाडा
38.	पनवाड	52.	तनखाला
39.	पावीजेतपुर	53.	थुलावल
40.	पोका	54.	तिलकावाडा
41.	पुनियाद	55.	टुंडव (बी आर डी)
42.	रंगतपुर	56.	वाडव
43.	रंटा	57.	वाजेपुर
44.	रारोड	58.	वाघोडिया
45.	राबाली	59.	जोन
46.	समालिया		

वलसाड—जिला

1.	आट	14.	धोलट
2.	अबतमा	15.	डुंगररी
3.	अछारी	16.	फनसा
4.	अमलसाड	17.	गांदेवी
5.	अतुल	18.	गुडलव
6.	बांगडा	19.	गुरकल-सूपा
7.	भाटबंबूर	20.	खडसूपा
8.	भिलाड	21.	खारेल
9.	बिलीमोरा	22.	खेरगाम
10.	बिलीमोरा (सेंट)	23.	किललापारडी
11.	चिखली	24.	मारोली (बी)
12.	डेगम	25.	मरोली (एस)
13.	धर्मपुर (बी ए एल)	26.	मरवाड

1	2	1	2
27.	नरगोल	38.	सातेम
28.	नवसारी (जे टी)	39.	तिछरा
29.	नवसारी (एम)	40.	उदकाडा
30.	नवसारी (सेंट)	41.	उगात
31.	नोगामा	42.	उमरगांव
32.	वोनजाल	43.	उनाली
33.	परिया	44.	वलसाड
34.	रणकुआ	45.	वलसाड (स्टेर)
35.	रामवेल	46.	वापी
36.	रूमला	47.	वेतमा
37.	सानजान	48.	वाघचीपामोटा

संघ राज्य क्षेत्र

1.	दावरा	6.	नारोली
2.	दमन	7.	सिलवासा
3.	दमन (सेंट)	8.	सिलवासा (सेंट)
4.	दिव	9.	वनाकावारा
5.	खानवेल		

जिला—डांग

1.	महुवा	3.	वाघाई
2.	सापुतरा		

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

5842. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1993-94 में मध्य प्रदेश में नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। गुना में एक स्थानीय रेडियो केन्द्र पहले ही 10-4-1993 से सेवा के लिए चालू कर

दिया गया है। सागर में अन्य स्थानीय रेडियो केन्द्र के 1993-94 के दौरान चालू किए जाने की परिकल्पना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन का रखरखाव

5843 **श्री मदन लाल खुराना : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में टेलीफोनों का सामान्य परीक्षण और रखरखाव सन्तोषजनक नहीं है और टेलीफोन लम्बे समय तक खराब रहते हैं अथवा उन्हें देर से ठीक किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वर्तमान डाइलिंग टेलीफोन उपकरणों के स्थान पर डिजिटल टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा डायल टाइप टेलीफोन उपकरणों में से, जिनमें दिक्कत पेश आ रही है उन्हें उत्तरोत्तर रूप से इलैक्ट्रानिक उपकरणों (पुशबटन टाइप) से बदला जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में यात्री निवास, होटलों का निर्माण

5844. **श्री जी० माडे गौड़ा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में श्रवण बेलागोला, बेलूर और हेलेबीड में यात्री निवास और होटलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी सहायता राशि दी गई है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी राशि देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को होटलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता नहीं देता।

वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय विभाग को श्रवणबेलगोला में यात्री निवास के निर्माण हेतु सिर्फ एक प्रस्ताव मिला है जिसके लिए 39.94 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि में से 20 लाख रुपए राज्य सरकार को अवमुक्त किए गए हैं।

(ग) यात्री निवास के लिए और राशि वर्ष 1993-94 में हुई प्रगति के आधार पर अवमुक्त की जाएगी ।

फीचर फिल्मों के प्रसारणों के लिए दरें

5845. **श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों के प्रसारण के लिए भुगतान की कितनी-कितनी दरें निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या पांच वर्षों की अवधि के भीतर अधिकांश फिल्में दो या तीन बार प्रसारित की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर विभिन्न श्रेणियों की फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के दर ढांचे के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

राष्ट्रीय नेटवर्क पर फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के लिए रायल्टी का दर ढांचा

1. हिन्दी/प्रादेशिक		
(रंगीन)	ए	6,50,000 रु०
	बी+	5,00,000 रु०
	बी	3,50,000 रु०
1. श्याम श्वेत फिल्म होने पर 25 प्रतिशत कटौती		
2. पहला पुन: टेलीकास्ट		ग्रेड का 70 प्रतिशत
3. दूसरा और अनुवर्ती पुन: टेलीकास्ट		ग्रेड का 50 प्रतिशत
2. हिन्दी		
(पुरानी क्लासिक)	ए	4,87,500 रु० (6.5 लाख रुपए का 25 प्रतिशत की कटौती)

	बी	2,62,500 रु० (3.5 लाख रु० का 25 प्रतिशत की कटौती)

(पुरानी क्लासिक श्रेणी में पुनः प्रसारित श्याम श्वेत उपर्युक्त दरों से 25 प्रतिशत कम है)

3. अंग्रेजी फीचर फिल्में (रंगीन)	ए—	2,50,000 रु०
	बी+	2,00,000 रु०
	बी	1,50,000 रु०

(श्याम एवं श्वेत फिल्म होने पर उपर्युक्त दरों में से 25 प्रतिशत की कटौती)

4. देर रात्रि की फिल्में :

हिन्दी/प्रादेशिक फिल्म/फिल्में	ए-1	3,50,000 रु०
(रंगीन)	(श्याम एवं श्वेत)	2,62,500 रु०
अंग्रेजी फीचर फिल्में (रंगीन)	ए-1	1,75,000 रु०
	(श्याम एवं श्वेत)	1,31,250 रु०

5. हिन्दी/प्रादेशिक फीचर फिल्मों का प्रीमियर टेलीकास्ट : 8,00,000 रु०

6. बच्चों की फिल्म

श्रेणी	90 मिनट तक और उससे अधिक	60 मिनट तक
ए	4,00,000 रु०	2,65,000 रु०
बी	3,00,000 रु०	2,00,000 रु०

[हिन्दी]

बेल्जियम शिष्टमंडल की यात्रा

5846. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के ट्रांसमिशन पर विचार-विमर्श करने हेतु बेल्जियम का शिष्टमंडल भारत आया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का क्या ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों का आगमन

5847. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर कितने पर्यटक पहुंचे;

(ख) क्या 1990-91 की तुलना में पर्यटकों की यह संख्या कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1991-92 में उत्तर प्रदेश में आए पर्यटकों की कुल संख्या का अनुमान लगभग 19.18 लाख लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोल्हापुर हवाई अड्डे पर वायुदूत विमान का हवाई पट्टी से उतर जाना

5848. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर हवाई अड्डे पर हाल ही में वायुदूत विमान की हवाई पट्टी से उतर जाने की घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई यात्री घायल हुआ है; और

(घ) इस संबंध में विमानपत्तन प्राधिकारियों ने सावधानी बरतने के क्या उपाय किये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) घटना की जांच की जा रही है।

(ग) चोट लगने की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(घ) अपेक्षित सुधारक या सावधानी बरतने के लिए किए जाने वाले कोई भी उपाय, जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेंगे।

महाराष्ट्र को वायुदूत सेवा से जोड़ना

5849. **श्री दत्ता मेघे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने स्थान वायुदूत सेवा से जुड़े हैं;

(ख) क्या इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वायुदूत इस समय महाराष्ट्र राज्य में बम्बई, कोल्हापुर और पुणे के लिए प्रचालन कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में डाकघर

5850. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान केरल में जिलावार और श्रेणीवार कितने नए डाकघर खोले गए हैं;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान कितने स्थानों पर स्पीड-पोस्ट सेवा शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1993-94 में राज्य में और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो जिलावार और श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केरल में 1992-93 के दौरान वास्तव में खोले गए नए डाकघरों की जिलावार तथा श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1992-93 के दौरान कोई नया स्पीड-पोस्ट केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) जी हां।

(घ) केरल सर्किल में 1993-94 के दौरान 3 विभागीय उप डाकघर तथा 20 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित डाकघर किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे, इनकी अभी पहचान नहीं की गई है।

विवरण

केरल में 1992-93 के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा

क्र० सं०	विभागीय उप डाकघर का नाम	जिला
1.	अरिक्लूर	मालापुरम
2.	रकल्लू	त्रिचूर
3.	कुडाल्लूर	पालघाट
4.	मंगमकुझी	एल्लेपी
5.	पवुपदी	कालीकट
6.	पुतेनपीडिका	त्रिचूर
7.	वन्नाला	एर्णाकुलम

क्रम सं०	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम	जिला
1.	अक्कल	क्विलोन
2.	अरियाप्पदी	कासरगोड
3.	चेरमबातुकावू	पालघाट
4.	कैटचीरा	पालघाट
5.	करिंगद	कालीकट
6.	कूसार:उदुवनचोला	इदुक्की
7.	मेदिरी	कोट्टायम
8.	मुलाकुलातुकावू	त्रिवेन्द्रम
9.	मुलेरीकुडी	इदुक्की
10.	पत्रम	पटनमथिट्टा
11.	पूनमकयाम	कालीकट
12.	पुतादी	इदुक्की
13.	राजमुदी	इदुक्की
14.	सम्बागर	पटनमथिट्टा
15.	वयन्नूर	कन्नानोर

मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के जशपुर नगर में टी० वी० ट्रांसमीटर

5851. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के जशपुर नगर में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार का विचार रायगढ़ स्थित वर्तमान टी० वी० ट्रांसमीटर को हटाकर और ऊंचाई पर लगाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रायगढ़ में स्थित अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के सम्प्रेषण एंटीना को उसी स्थान पर स्थित आकाशवाणी के एफ० एम० टावर पर 30 मीटर की वर्तमान ऊंचाई से 100 मीटर की ऊंचाई तक स्थानान्तरित करने की स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

आदिवासी भाषाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण

5852. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के शिलांग, डिब्रूगढ़, कार्सियांग, सिलिगुड़ी और रांची केन्द्रों से आदिवासी भाषाओं में नियमित समाचार सेवा प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) आकाशवाणी नीचे दिये गए ब्यौरे के अनुसार आदिवासी भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण पहले से ही कर रहा है:—

केन्द्र	भाषा/बोली
आकाशवाणी डिब्रूगढ़	तांग्सा, नाक्टे, खाम्पटी, मिज मिश्मी, तागीन, वांग्चू, इदु, एदी, नोंचो, अपातनी ।
आकाशवाणी शिलांग	मिजो, गारो, जैनतिया, खासी ।

कुर्सियांग और रांची स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से आदिवासी भाषाओं में प्रसारित समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के लिए कोई संचार आदेश नहीं है। आकाशवाणी सिलीगुड़ी मात्र रिले केन्द्र है।

[हिन्दी]

हजारीबाग, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

5853. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिला मुख्यालय में स्थित दूरदर्शन केन्द्र को मार्च, 1993 में चालू करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या दूरदर्शन केन्द्र को चालू करने का 95% कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार शेष कार्य पूरा करने के बाद ही उक्त दूरदर्शन केन्द्र को चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) हजारीबाग में अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए संस्थापना कार्य पूरा होने की अंतिम अवस्था में है।

(ग) और (घ) इस कार्य का पूरा होना ट्रांसमीटर के लिए सम्प्रेषण एंटीना की आपूर्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान संकेत के अनुसार, ट्रांसमीटर के जून, 1993 से चालू करने लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विमानचालक

5854. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विमानचालकों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने विमान चालक प्रशिक्षण पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के और अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में इस समय कार्य कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विमान-चालकों की कुल संख्या नीचे बताये अनुसार है—

एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
अनुसूचित जाति के विमानचालक—12	अनुसूचित जाति के विमानचालक-18
अनुसूचित जनजाति के विमानचालक—शून्य	अनुसूचित जनजाति के विमानचालक—4

(ख) प्रशिक्षण पर चल रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विमानचालकों की कुल संख्या नीचे दिए अनुसार है—

एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
अनुसूचित जाति विमानचालक—शून्य	अनुसूचित जाति विमानचालक—6
अनुसूचित जनजाति विमानचालक—1	अनुसूचित जनजाति विमानचालक—1

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को इस विषय में अनुदेश जारी किए गए हैं कि अकादमी में बिना किसी लागत के इन श्रेणियों के कम से कम पांच व्यक्तियों को उड़ान/विमान-चालक प्रशिक्षण दिया जाए।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश

5855. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1993 के "दि ऑबजर्वर" में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कुल औद्योगिक निवेश में से इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत पूंजी निवेश किया जाता है;

(घ) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इस क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया है तथा यह निवेश देश में कुल औद्योगिक निवेश का कितना प्रतिशत है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष इन उद्योगों में अनुमानतः कितने श्रमिक काम पर लगे थे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ङ) जी, हां। दिनांक 29-2-1993 तक प्रस्तुत किये गये औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों की संख्या 8484 थी जिनमें 2,01,884 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और लगभग 29,15,454 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की कुल क्षमता इनमें निहित थी। इनमें से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिये औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों की संख्या 1993 है जिनमें लगभग 25343 करोड़ रुपए का कुल पूंजी निवेश निहित है और इनसे 3,74,118 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

विद्युत केन्द्रों को कोयले की पूर्ति

5856. श्री अन्नेश पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित कुछ विद्युत केन्द्र गत दो वर्षों से कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विद्युत केन्द्र की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है और पूर्ति में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने विद्युत केन्द्रों को कोयले की पूर्ति करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र एवं गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति संलग्न अनुबंध में दी गई है।

वर्ष 1992-93 के दौरान, साबरमती सहित सिक्का, उकई, वानकबोरी, गांधीनगर स्थित कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों एवं अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कं० द्वारा 18.062 बिलियन यूनिट

विद्युत उत्पादन किया गया है जबकि लक्ष्य 17.650 बिलियन यूनिट का था। इनके द्वारा अपने कोयला भण्डारण की औसत अवधि भी 3 दिन से बढ़ाकर 9 दिन कर दी गई है।

(ग) गुजरात सहित देश के विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में कोयला सप्लाई सम्बन्धी स्थिति की उच्चस्तरीय बैठकों जो आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं, में सतत रूप से समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है, उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र० सं०	ता० वि० केन्द्र का नाम	1991-92				
		लिंकेज	प्राप्ति	प्रतिशतता	उपभोग	भण्डारण (दिवस)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	1050	1457	75%	1417	52(9)
2.	गांधीनगर	2400	1649	69%	1686	4(1)
3.	सिक्का	585	368	63%	361	4(2)
4.	उकई	3720	2597	70%	2682	57(5)
5.	वानकबोरी	5850	3646	62%	3754	24(1)
	जोड़ :	14585	9717	67%	9900	141(3)

(आंकड़े हजार टन में)

क्र० सं०	ता० वि० केन्द्र का नाम	1992-93				
		लिंकेज	प्राप्ति	प्रतिशतता	उपभोग	भण्डारण (दिवस)
1.	अहमदाबाद	1920	1226	64%	1234	42 (8)
2.	गांधीनगर	2820	2326	82%	2356	20 (2)
3.	सिक्का	630	392	62%	386	6 (3)
4.	उकई	3750	3057	82%	3022	74 (7)
5.	वानकबोरी	5625	4522	80%	4287	244(15)
	जोड़ :	14745	11523	78%	11285	386 (9)

गुजरात में पर्यटन विकास हेतु विदेशी सहायता

5857. श्री छीतुभाई गामीत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ क्षेत्रों में विदेशी सहायता से पर्यटन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फैक्स पे-फोन के लिए लाइसेंस

5858. श्री लाल बाबू राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैक्स कार्डलेस टेलीफोन और पे-फोन के कई निर्माताओं को, जिन्होंने अब तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं के क्या नाम हैं और किन उपकरणों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। केवल, कॉर्डलैस टेलीफोनों और पे-फोनों के लिए जिन निर्माताओं को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, उन सभी ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में जलाशयों से गाद निकालना

5859. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाद जमा होने के कारण केरल के जलाशयों की जलधारण क्षमता में कमी आती जा रही है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इन जलाशयों से गाद निकालने के लिए कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जलाशयों में गाद भरना, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एस सी आई सी आई द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों का वित्तपोषण

5860. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व नौवहन विकास कोष समिति तथा शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कितने एककों का वित्तपोषण किया गया;

(ख) इनमें से कितने एककों ने धन का वापस भुगतान नहीं किया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गहरे सागर में मछली पकड़ने वाले उद्योगों के लिए बनाई गई पुनर्वास योजनाओं का विस्तार नौवहन विकास कोष समिति तथा एस सी आई सी द्वारा वित्तपोषित एककों तक किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) पूर्व नौवहन विकास कोष समिति तथा शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्रमशः 85 और 11 गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों का वित्तपोषण किया गया।

(ख) पूर्व नौवहन विकास कोष समिति द्वारा वित्तपोषित 85 यूनिटों में से 73 ने धन का वापस भुगतान नहीं किया। शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि० द्वारा वित्तपोषित 11 यूनिट में से 6 ने भुगतान वापस नहीं किया।

(ग) से (ङ) कम मात्रा में श्रिम्प पकड़ी जाने, ईंधन तेल की कीमत में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में श्रिम्प की कीमत में गिरावट, कर्मचारी आन्दोलन इत्यादि जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण नौवहन विकास कोष समिति द्वारा सहायित मात्स्यिकी कम्पनियों ने रुग्ण यूनिटों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था करने हेतु सरकार को अभ्यावेदन दिया। गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के साथ विधिवत परामर्श करने के बाद गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के पुनर्वास की एक स्कीम की घोषणा अप्रैल, 1991 में की गई जिसे जून, 1992 में और उदार बना दिया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत 42 कम्पनियों के पुनर्वास प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। शिपिंग क्रेडिट एन्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया लि० द्वारा वित्तपोषित मात्स्यिकी यूनिटों के लिए पुनर्वास पैकेज लागू नहीं किया गया है।

दिल्ली में टेलीफोनों की मरम्मत

5861. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने पुशबटन टेलीफोन मरम्मत हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनकी मरम्मत करने अथवा इन्हें बेकार घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि० दिल्ली में मरम्मत के लिए पड़े पुशबटन टेलीफोनों की संख्या 65894 है ।

(ख) और (ग) टेलीफोनों की मरम्मत की जा रही है । पहले खराब पुशबटन टेलीफोनों की मरम्मत अधिकृत कंपनियों के जरिए कराई जा रही थी । हाल ही में उनकी मरम्मत स्थानीय रूप से "इन-हाउस रिपेअर शाप" में करने की व्यवस्था की गई है ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त सुझाव और शिकायतें

5862. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय में सुझाव और शिकायत पेटी रखने का क्या प्रयोजन है; और

(ख) 1992 के दौरान प्रत्येक महीने कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा इसमें से कितने सुझावों पर कार्यवाही नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय में तकनीकी मामलों पर सुझाव प्राप्त करने के वास्ते एक सुझाव पेटी रखी गयी है ।

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

[अनुवाद]

केरल में "कोल्ड चेन स्कीम"

5863. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने 1991-92 के लिए केरल में "कोल्ड चेन स्कीम" आरम्भ करने के लिए कितनी सहायता उपलब्ध कराई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने केरल को 1992-93 के लिए यह सहायता उपलब्ध करायी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस राज्य को कितना धन दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 49.50 लाख रुपए ।

(ख) जी, हां।

(ग) 75.00 लाख रुपये।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर टर्मिनल सुविधाएं

5864. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुछ विमानपत्तनों पर अतिरिक्त उड़ानों के संचालन के लिए वर्तमान टर्मिनल सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य टर्मिनल सुविधायें प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों के क्या नाम हैं;

(ग) प्रत्येक विमानपत्तन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन विमानपत्तनों पर कितनी अतिरिक्त उड़ानों का संचालन किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मौजूदा टर्मिनल के अलावा, अप्रैल, 1992 में बम्बई में एक नया अंतर्देशीय टर्मिनल भवन आरम्भ किया गया था। दिल्ली और कलकत्ता स्थित मौजूदा अंतर्देशीय टर्मिनल का भी पुनः मार्बलिंग कार्य पूरा कर दिया गया है।

(ग) दिल्ली और कलकत्ता स्थित टर्मिनल भवनों के पुनः मार्बलिंग पर लगभग क्रमशः 84 लाख रुपए और 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और बम्बई के नये टर्मिनल भवन पर लगभग 26.6 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(घ) बम्बई में शुरू किए गए नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन पर व्यस्ततम समय में 28,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता है। संचालित की जाने वाली अतिरिक्त उड़ानों की संख्या का ठीक-ठाक अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि यह विमान के प्रकार और प्रचालन के घण्टे पर भी निर्भर करता है।

हुबली में हवाई अड्डा

5865. श्री डी० के० नायकर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर हुबली में राज्य सरकार द्वारा एक हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यहां से कब तक विमानों का परिचालन आरम्भ हो जाएगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उस हवाई अड्डे के और अधिक विकास हेतु राज्य को सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हुबली हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की अनुमति से किया गया था।

(ख) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत इस समय हुबली के लिए अपनी सेवा को पुन: आरम्भ करने में असमर्थ है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुम्बई से नान्देड़ के बीच वायुदूत सेवा

5866. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से नान्देड़ के बीच वायुदूत सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सेवा पुन: आरम्भ करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) विमान की कमी के कारण नान्देड़ के लिए सेवाएं बन्द कर दी गई हैं। नांदेड़ के लिए सेवाओं को पुन: शुरू करना विमान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

5867. श्री सूर्यनारायण यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बिहार, मध्य प्रदेश और पं० बंगाल के पृथक्-पृथक् जिलावार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने ग्रामों का नहीं किया गया है;

(ख) बिहार के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या क्रमश: विवरण I, II और III में दी गई है।

(ख) बिहार में शेष गांवों को 8वीं योजना तथा परवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युतीकृत किया जाएगा जोकि निधियों एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में वर्ष 1992-93 के दौरान (फरवरी, 1993 के अन्त तक) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	1992-93 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण संबंधी लक्ष्य	फरवरी, 1993 तक उपलब्धि
1.	बिहार	365	142
2.	मध्य प्रदेश	650	389
3.	पश्चिम बंगाल	430	387

विवरण-I

31-3-1992 को स्थिति के अनुसार बिहार में विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत किए गए जिलेवार गांव (अनंतिम)

क्रम सं०	जिला	विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	पटना	1392	0
2.	नालंदा	1040	0
3.	गया	2821	0
4.	जहानाबाद	190	680
5.	नवादा	1040	0
6.	औरंगाबाद	1683	66
7.	भोजपुर	1461	338
8.	बक्सर		
9.	रोहतास	2438	565
10	भभुआ		
11.	रांची	1397	640
12.	लोहारदगा	311	43
13.	पलामू	1557	1709
14.	गढ़वा		
15.	हजारीबाग	1628	1686
16.	छत्रा		
17.	गिरिडीह	1288	1567
18.	पूर्वी सिंगभूम	2389	1976
19.	पश्चिम सिंगभूम		

1	2	3	4
20.	धनबाद	868	499
21.	बोकारो		
22.	गुमला	620	772
23.	भागलपुर	1859	655
24.	बांका		
25.	मुंगेर	1748	649
26.	जमूई		
27.	देओघर	1286	1037
28.	दुमका	1263	2444
29.	गोड्डा	700	875
30.	साहेबगंज	989	1421
31.	मुजफ्फरपुर	1381	348
32.	सीतामढ़ी	810	177
33.	वैशाली	1267	132
34.	पूर्वी चम्पारन	1037	246
35.	पश्चिमी चम्पारन	946	417
36.	सारन	1353	217
37.	सिवान	1006	431
38.	गोपालगंज	993	393
39.	दरभंगा	1037	21
40.	मधुबनी	1047	0
41.	समस्तीपुर	1164	0
42.	बेगुसराय	835	0
43.	सहरसा	811	143
44.	सुपौल		
45.	माधोपुरा	377	0
46.	पूर्णिया	1446	1051
47.	किशनगंज		
48.	अरेरिया		

1	2	3	4
49.	कटिहार	739	493
50.	खगरिया	285	0
		87*	
	जोड़	46573	21688

*87 गांवों को मार्च, 1980 तक राज्य आयोजना के तहत विद्युतीकृत किया गया था, राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

नोट : जिन शेष आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है उनकी संख्या अनन्तिम है क्योंकि विद्युतीकृत आबाद गांवों की गणना संबंधी आंकड़ों का अभी मिलान किया जा रहा है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश में 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों का जिलेवार ब्योरा

क्रम सं०	जिला	विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	इन्दौर	639	1
2.	उज्जैन	1098	1
3.	मंदसौर	1575	5
4.	छिंदवाड़ा	1894	19
5.	भिंड	891	
6.	भोपाल	544	
7.	ग्वालियर	751	
8.	देवास	1032	36
9.	सिहोर	1009	3
10.	खांडवा	1091	0
11.	शाहजहांपुर	1065	

1	2	3	4
12.	शिवपुरी	1280	20
13.	नरसिंगपुर	998	31
14.	दतिया	398	2
15.	सीधी	1790	31
16.	टीकमगढ़	880	
17.	मुरैना	1248	45
18.	रतलाम	1044	6
19.	छतरपुर	1074	
20.	होशंगाबाद	1247	176
21.	खरगोन	1681	155
22.	गुना	1978	65
23.	धार	1478	12
24.	दुर्ग	1664	160
25.	सागर	1647	221
26.	बेतुल	1308	18
27.	सिवनी	1425	181
28.	बालाघाट	1134	143
29.	दामोह	1011	182
30.	राजगढ़	1533	133
31.	बिलासपुर	3112	416
32.	रायपुर	3416	437
33.	राजनन्दगांव	2011	275
34.	सतना	1527	237
35.	झबुआ	1216	107
36.	जबलपुर	1960	314
37.	सरगुजा	2015	399
38.	रायसेन	1248	177

1	2	3	4
39.	विदिशा	1299	220
40.	पन्ना	932	15
41.	मंडला	1831	271
42.	रायगढ़	1875	320
43.	रीवा	1857	473
44.	शहडोल	1647	321
45.	बस्तर	2510	976
	जोड़	64863	6489

विवरण-III

31-3-1992 को स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या

क्रम सं०	जिला	3/1992 तक विद्युतीकृत गांव	3/1992 तक अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	बांकुरा	2137	1403
2.	बीरभूम	2213	16
3.	बरदवान	2401	169
4.	कूचबिहार	1118	21
5.	दार्जिलिंग	499	160
6.	हावड़ा	755	—
7.	हुगली	1874	25
8.	जलपाईगुड़ी	725	11
9.	मालदा	1596	19
10.	मुर्शिदाबाद	1779	148

1	2	3	4
11.	मिदनापुर	4717	5751
12.	नादिया	1254	1
13.	चौबीस परगना (उत्तरी)	1482	137
14.	चौबीस परगना (दक्षिणी)	1727	1076
15.	पुरूलिया	1378	1076
16.	पश्चिमी दिनाजपुर	2367	669
	जोड़	28020	10004

वृत्तचित्रों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा सहायता

5868. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्मो के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एन० एफ० डी० सी० ने भाषा-वार कितने वृत्तचित्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई; और

(ग) निगम का विचार 1993-94 के दौरान कितनी फिल्मों को सहायता देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) समस्त भारतीय भाषाओं में मूल्यविपूर्ण एवं सामाजिक तौर पर संबद्ध विषयों पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए निर्माण की कुल लागत का 75 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है, तक ऋण दिए जाते हैं। इन ऋणों पर ऋण खाते में बकाया दिन-प्रति-दिन शेष पर 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना करके साधारण ब्याज लगाया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उसके द्वारा वित्त पोषित समस्त फिल्मों का विश्व में अधिकार नियंत्रक होगा। ऋणों की मंजूरी साधारणतः आवेदक द्वारा दिए जाने वाले पर्याप्त समानांतर ऋणाधार के अंतर्गत दी जाती है। आपवादिक मामलों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के निदेशकों का बोर्ड उन मामलों में ऋणाधार के बिना ही ऋण मंजूर कर सकता है जिनके लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों की बिक्री/वितरण का समन्वय करने का काम होगा और ऐसे मामलों में प्रदत्त सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लाभ का 25 प्रतिशत शेयर वसूलेगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने एक प्रायोजित मराठी वृत्तचित्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम वर्ष 1993-94 के दौरान क्रमशः 100 प्रतिशत वित्त पोषण और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-दूरदर्शन-सह-निर्माण स्कीम के अंतर्गत छः-छः फिल्मों के

अतिरिक्त कम से कम 15 फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, बशर्ते कि पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन प्राप्त हों।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

5869. डा० लाल बहादुर रावल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार और श्रेणी-वार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान जिला-वार और श्रेणी-वार कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गए;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान जिला-वार और श्रेणी-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये जायेंगे; और

(घ) प्रतीक्षा सूची के शेष आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार आयोग को बन्द करना

5870. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पट्टे पर लिये गये विमान

5871. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के पास इस समय चालक दल सहित कितने विदेशी विमान पट्टे पर उपलब्ध हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी विमानों को वापस लौटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स के पास कोई भी विदेशी विमान पट्टे पर नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में डाक और तार सेवाओं पर राजस्व की प्राप्ति और खर्च

587 . **श्री एन० जे० राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान गुजरात में विशेष रूप से बड़ोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों में अलग-अलग टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त सेवाओं में से प्रत्येक पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1991-92 के दौरान गुजरात सर्किल और बड़ोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों में टेलीफोन, डाक एवं तार सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व की रकम निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

	टेलीफोन	डाक	तार
गुजरात सर्किल	35956	5839	1292
बड़ोदरा जिला	3797	686	151
भरूच जिला	906	171	3
पंचमहल जिला	366	156	11

(ख) उपरोक्त सेवाओं पर 1991-92 के दौरान खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है,

(लाख रुपयों में)

	टेलीफोन	डाक	तार
गुजरात सर्किल	9413	8974	592
बड़ोदरा जिला	868	911	88
भरूच जिला	156	236	10
पंचमहल जिला	132	239	6

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों सम्बन्धी घोषणापत्र

587 . **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में अपने पिछले सत्र के दौरान अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक घोषणापत्र पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह घोषणापत्र सदस्य देशों पर इसके कार्यान्वयन हेतु एक विशेष दायित्व सौंपता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) 18·12·1993 को संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र महासभा ने "राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा" नामक संकल्प 47/135 पारित किया। इस घोषणा में राज्यों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के फ्रेमवर्क के भीतर किया जाएगा, जिसमें सम्प्रभुता की समानता, क्षेत्रीय अखण्डता और राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संकल्प कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अल्पसंख्यकों को अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में पहले ही वर्णित था।

मात्स्यिकी के क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से ऋण

5874. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत में मात्स्यिकी के क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से धन राशि देने को कहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में अपना निर्णय बता दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कं० लिमिटेड गहन समुद्र मत्स्यन क्षेत्र के लिये निर्धारित धनराशि को रोके हुए है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु गहन-सागर मत्स्यन क्षेत्र की सहायता करने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(छ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के विचार से सरकार ने मार्च, 1991 में नई समुद्री मात्स्यिकी नीति की घोषणा की। इस नीति के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम, विदेशी मात्स्यिकी जलयानों की पट्टेदारी और परीक्षण मात्स्यिकी स्कीमों के तहत भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान चलाये जाने का कार्यक्रम है। इन स्कीमों की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

नई गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति की मुख्य बातें

(1) विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को पट्टे पर लेना

(क) भारतीय जल में परिचालन के लिए विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को दीर्घकालीन पट्टे पर लेने की अनुमति भारतीय समुद्री जोन नियमावली 1982 की शर्तों के अनुसार दी जायेगी।

(ख) पट्टे पर लिए गए जलयान नये हों तो अच्छा है। फिर भी पुराने जलयानों को भी पट्टे पर लिया जा सकता है बशर्ते उनका कोई कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो।

(ग) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए पट्टे पर लिये गये जलयान के मामलों में मूल्यवर्धन निर्धारित करेगी।

(घ) एक वर्ष के पट्टा किराये के बराबर धनराशि भारत सरकार के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में जमा की जायेगी। बैंक गारंटी को पट्टे की अवधि के अन्त तक वैध होना चाहिए।

(2) परीक्षण मात्स्यिकी

(क) भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में निम्नलिखित प्रकार के मात्स्यिकी कार्यों के लिए ही परीक्षण मात्स्यिकी अनुमति दी जायेगी :

(1) क्षेत्रीय जल से आगे समुद्र में पाये जाने वाले लाबस्टर और श्रिम्प के लिए ट्रालिंग (जोड़ा ट्रालिंग को छोड़कर)

(2) लोंग लाइनिंग।

(3) टूना पर्स सीनिंग।

(4) दूसरे तरीके जैसे स्क्विड जिगिंग, हैंड लाइनिंग आदि।

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 और नियमावली 1982 के अन्तर्गत भाड़े पर लिये गये विदेशी जलयानों पर लागू होने वाले क्षेत्र संबंधी प्रतिबन्ध परीक्षण मात्स्यिकी पर भी लागू होंगे।

(ख) बंगाल क्षेत्र की उत्तरी खाड़ी में श्रिम्प स्रोतों के लिए परीक्षण मात्स्यिकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) परीक्षण मात्स्यिकी करने वाले विदेशी सहयोगकर्ता कंपनी को एक प्रतिष्ठित मात्स्यिकी कंपनी होना चाहिए जिसके पास गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के बेड़े का स्वामित्व और संचालन होना चाहिए।

(घ) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 और भारतीय समुद्री जोन नियमावली 1982 (समय-समय पर यथा संशोधित) और उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत मार्ग निर्देशिकाओं के उपबन्धों द्वारा परीक्षा मात्स्यिकी को नियंत्रित किया जाएगा।

(ङ) परीक्षण मात्स्यिकी के दौरे परिचालन ब्यौरों सहित सभी प्राप्त आंकड़े समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(च) भारतीय और विदेशी कंपनी को किसी स्वीकृत बैंक से प्रति जलयान 2.5 लाख रुपये की बैंक गारंटी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमा करनी होगी जो 18 महीनों के लिए वैध होगी। परीक्षण मात्स्यिकी के लिए शुल्क की धनराशि प्रतिवर्ष प्रति जलयान 1 लाख रुपये होगी।

3. संयुक्त उद्यम

1. निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से विशिष्ट आर्थिक जोन के अन्दर और उससे आगे गहन समुद्री स्रोतों के दोहन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग वाले संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(क) क्षेत्रीय जल से आगे गहन समुद्री लाबस्टर और श्रिम्प के लिए ट्रालिंग (जोड़ा ट्रालिंग को छोड़कर)

(ख) लौंग लाइनिंग।

(ग) टूना पर्स सीनिंग।

(घ) अन्य तरीके जैसे स्किवड जिगिंग, हैंड लाइनिंग आदि (परन्तु बंगाल की उत्तरी खाड़ी में श्रिम्पिग के लिए किसी संयुक्त उद्यम प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा)।

2. (क) संयुक्त उद्यम कंपनियों जलयान प्राप्त करने के अलावा विदेशी पंजीकरण और विदेशी स्वामित्व के साथ जलयान पट्टे पर भी ले सकती है और पट्टे पर लिए ऐसे जलयानों को भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में मछली पकड़ने की अनुमति भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 मर्चेण्ट शिपिंग अधिनियम, 1958, नपेड़ा अधिनियम 1972 के प्रावधानों और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन दी जानी चाहिए।

(ख) मान्य शर्तों के अनुसार अलग-अलग मामले के आधार पर विदेशी कर्मीदल की अनुमति दी जा सकती है। आवेदन के समय विदेशी कर्मीदल को क्रमिक रूप से हटाये जाने की समय-सारणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ग) जलयान प्रचालन के क्षेत्र का विनियमन भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम और भारत सरकार द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों/आदेशों द्वारा किया जायेगा।

(घ) जलयान के प्रचालन के समय से ही प्रत्येक लगातार वर्ष में परियोजना से विदेशी मुद्रा को अनुकूल आय होनी चाहिए। भारत में प्राप्त किये गये ईंधन की लागत को विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की गणना करते समय शामिल किया जायेगा।

टिहरी बांध परियोजना

5875. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए अब तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई है और यह सहायता किन-किन देशों ने दी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : उत्तर प्रदेश में टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स के क्रियान्वयन के लिए नवम्बर, 1986 में यू० एस० एस० आर० के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिनके अन्तर्गत 1050 मिलियन रूबल विदेशी सहायता की व्यवस्था की गई थी। इसमें से 27.408 मिलियन रूबल की सहायता प्राप्त हो चुकी है। यू० एस० एस० आर० के विघटन के बाद यह सहायता उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

महात्मा फुले पर टेलीफिल्म

5876. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महात्मा फुले पर एक टेली-फिल्म का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे दूरदर्शन पर कब तक प्रसारित किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस फिल्म का नाम भी बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन द्वारा कमीशन्ड टेलीफिल्म अप्रैल, 1993 के अंत तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। इस फिल्म के पूरा होने पर जैसे ही यह दूरदर्शन को उपलब्ध करा दी जाती है, इसको टेलीकास्ट करने की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रांची, बिहार में टेलीफोन और डाक व तार सेवाओं का राजस्व तथा व्यय

5877. श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची, बिहार में वर्ष 1992-93 के दौरान टेलीफोन और डाक व तार सेवाओं से अलग-अलग कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ख) उक्त वर्ष के दौरान इन सेवाओं पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) रांची (बिहार) में वर्ष 1992-93 के दौरान टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं के जरिए अलग-अलग अर्जित राजस्व की रकम निम्नलिखित थी---

	(लाख रुपयों में)
टेलीफोन	1141
डाक	183
तार	98

(ख) उक्त वर्ष के दौरान इन सेवाओं पर खर्च की गई रकम अलग-अलग निम्नलिखित थी—

	(लाख रुपयों में)
टेलीफोन	446
डाक	457
तार	49

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सलाहकार समितियां

5878. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर टेलीफोन सलाहकार समितियां बनी हुई हैं;

(ख) किन-किन समितियों का गठन कर दिया गया है तथा किन-किन समितियों का गठन अभी नहीं किया गया है;

(ग) क्या इन समितियों का गठन करते समय स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गठित/विद्यमान टेलीफोन सलाहकार समितियां—

(क) मध्य प्रदेश सर्किल (ख) इन्दौर

(ख) गठित/विद्यमान टेलीफोन सलाहकार समितियों के नाम—

(1) भोपाल (2) जबलपुर

(ग) और (घ) संचार राज्य मंत्री के कार्यालय में विभिन्न स्थानीय संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करते समय ऐसे संबंधित सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

एक्विटी पूंजी

5879. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितनी एक्विटी पूंजी लगी हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मार्च, 1993 तक उनमें से प्रत्येक में कितने कर्मचारी कार्यरत थे, लगी हुई पूंजी पर कितने प्रतिशत आय हुई और लाभ की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल/खान-पान एकक के कमरे का पर्यटन के मौसम में तथा खाली मौसम में 1971-72, 1975-76, 1980-81, 1985-86 और 1990-91 में स्थायी किराये तथा अस्थायी किराये का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार नियोजित इक्विटी पूंजी इस प्रकार है—

	(करोड़ रुपए)
इंडियन एयरलाइन्स	55.03
एयर इंडिया	79.35
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	333.84
भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	61.12
पवनहंस लिमिटेड	50.00
वायुदूत	36.42
भारत पर्यटन विकास निगम	65.02

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का अधिग्रहण

5880. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गयी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 15-4-93 की स्थिति के अनुसार गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान खरीदने के लिए दो आवेदन-पत्र लंबित हैं।

(ख) सीधे आयात या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान खरीदने के लिए 1992-93 में नौ आवेदन-पत्रों को मंजूरी दी गई।

कोका कोला के सम्मिश्र अवयव

5881. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित प्राधिकारी ने कोका कोला के सान्द्रित अवयवों का विश्लेषण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सान्द्रित अवयवों में कोई ऐसे अंश हैं जिन पर भारत में प्रतिबंध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) मैसर्स ब्रिटको फूड्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जे० एम० आर० पी० कम्पनी लिमिटेड के 66% शेयरहोल्डिंग वाली संयुक्त उद्यम कम्पनी है, ने अभी तक देश में अपना उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। मैसर्स जे० एम० आर० पी० कम्पनी लिमिटेड हांगकांग की एक निगमित कम्पनी है जिसमें 60 प्रतिशत इक्विटी शेयर अनिवासी भारतीयों के और 40 प्रतिशत शेयर अमरीकी कोकाकोला कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मैसर्स कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स के हैं।

कोका कोला की निर्यात आय का लक्ष्य

5882. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला ने अपनी परियोजनाओं से निर्यात का भारी लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी ने यह दायित्व पूरे किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) यह नोट किया गया है कि मैसर्स ब्रिटको फूड्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जे० एम० आर० पी० कम्पनी लिमिटेड के 66 प्रतिशत शेयर होल्डिंग वाली एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है, द्वारा अनुमोदन की तारीख से 24 महीने बाद के 10 वर्षों की अवधि के उपरान्त 500 करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार किये जाने की आशा है और नये उत्पादों तथा बाजारों का विकास करके 10 वर्ष की अवधि के बाद परियोजना का सचयी निर्यात 1000 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है, लाभांश इत्यादि को खाते में लेने के बाद विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय 5 वर्ष के बाद लगभग 156 करोड़ रुपये और 10 वर्ष के बाद 494 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) कम्पनी ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

बंगलोर में आई० एस० डी०/एस० टी० डी० बूथ

5884. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में कितने आई० एस० टी०/एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या बंगलौर टेलीफोन ने इन बूथों में इनकमिंग काल सुविधा को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सार्वजनिक टेलीफोन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित उन सभी व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो इसके इच्छुक हों। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित बूथों की जानकारी का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) जी हां।

(ग) विद्यार्थी छात्रावास तथा कर्मी महिला हॉस्टलों को छोड़कर पी० सी० ओ० से आवक काल सुविधा वापिस ले ली गई थी क्योंकि यह बात जानकारी में आई थी कि आवक काल सुविधा-युक्त कुछ एस० टी० डी०— पीसीओ का प्राइवेट टेलीफोन के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है और एस० टी० डी० पी० सी० ओ० में आवक काल सुविधा प्रदान करके जनता को ऐसे पी० सी० ओ० से काल करने की सुविधा देने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में होटलों, मोटलों और यात्री निवासों का निर्माण

5885. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में 1993-94 के दौरान और अधिक होटलों, मोटलों और यात्री निवासों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी सहायता राशि दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार होटलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती। वर्ष 1993-94 के दौरान, मोटलों या यात्री निवासों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

5886. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों को, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिए जाते हैं तथा उनमें से प्रत्येक श्रेणी में व्यक्तियों को कितने प्रतिशत टेलीफोन दिए जाते हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत पूरा कर लिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं— (एक) तत्काल स्कीम के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, (दो) स्वतंत्रता सेनानी स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति।

नए टेलीफोन कनेक्शन रिलीज करते समय ओ० वाई० टी० श्रेणी, विशेष श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत अन्य व्यक्तियों को 40:20:40 के अनुपात में टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए जाते हैं।

उपर्युक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी आवेदक को टेलीफोन कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक संसद सदस्य के लिए नियत 15 टेलीफोनों के कोटे भी आबंटित किए जाते हैं जिसका ब्यौरा माननीय संसद सदस्यों के पास उपलब्ध होता है।

(ख) ओ वाई टी/गैर ओ वाई टी विशेष/गैर ओ वाई टी सामान्य श्रेणियों के बीच 40:20:40 का अनुपात इकट्ठे कनेक्शन प्रदान करते समय अपनाया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रयोक्ताओं के लिए टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

5887. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान टेलीफोन सुविधाओं में सुधार लाने तथा इनके विस्तार के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में पहले तैयार की गई योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं अथवा चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित कर दी जायेंगी;

(ग) पहले तैयार की गयी योजनाओं और उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं; और

(घ) जनता की टेलीफोन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क)

(i) विवरण-I में 1991-92 और 1992-93 के दौरान टेलीफोन सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा दिया गया है।

(ii) 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमश: 7.35 और 9.87 लाख लाइनों तक टेलीफोन कनेक्शन का विस्तार किया गया है।

(ख) जी हां। स्कीमों का कार्यान्वयन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से किया जाता है।

(ग)

वर्ष	डी० ई० एल० लक्ष्य	उपलब्धियां डी० ई० एल०
1991-92	7.0 लाख	7.35 लाख
1992-93	8.5 लाख	9.87 लाख

(घ) दूरसंचार विभाग में उपलब्ध फोरम जहां कि सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त कर कार्रवाई की जाती है का विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण-I

दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

(i) बाहरी संयंत्र तथा उपभोक्ता-फिटिंग (सब्सक्राइबर्स फिटिंग) पुनः संस्थापना ।

(ii) पुराने घिसे-पिटे एक्सचेंज उपस्करों का प्रतिस्थापन ।

(iii) अन्त: एक्सचेंज जंक्शन कार्यकरण हेतु ज्यादा भरोसेमंद तथा दक्ष तकनीकों यथा इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर, पुश बटन टेलीफोन, जैलीयुक्त केबल्स, पी सी एम, आप्टिकल फाइबर एवं माइक्रोवेव प्रणालियों इत्यादि की पुन: स्थापना ।

(iv) बड़ी संख्या में पब्लिक टेलीफोन एवं पी सी ओ प्रदान करके और तार सेवाओं के आधुनिकीकरण से और ग्राहकों की समस्याओं की न्यायपरक एवं कारगर कार्रवाई से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अभिगम्यता का अधिकाधिक प्रसार किया जा रहा है ।

विवरण-II

दूरसंचार विभाग में निम्नलिखित मंच (फोरम) उपलब्ध हैं जहां जन शिकायतें प्राप्त की जाती हैं और उनको दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है—

(क) टेलीफोन शिकायतों तथा दोष नियन्त्रण संगठन के लिए टेलीफोन नं० 198 या 2198.

(ख) अनुरक्षण एवं प्रचालन के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी, जो व्यक्तिगत रूप से कम-से-कम एक घण्टे के लिए शिकायतें प्राप्त/दर्ज करने के लिए कार्यालय में प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं ।

(ग) ग्राहक सेवा केन्द्र ।

(घ) विशिष्ट नोडल प्वाइंटों पर शिकायत कक्ष ।

(ङ) टेलीफोन सलाहकार समितियां ।

(च) सेवा, बिल इत्यादि से सम्बन्धित शिकायतों को मौके पर निपटाने की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार टेलीफोन लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं

(छ) ग्राहकों को अपनी विकासात्मक योजनाओं से आगाह कराने के लिए और प्रयोक्ताओं के साथ बेहतर तालमेल (इंटरएक्शन) रखने हेतु तथा प्रयोक्ताओं एवं दूरसंचार कर्मचारियों आदि के बीच बेहतर समझ और सहयोग की अभिवृद्धि के वास्ते विभिन्न स्तरों पर ओपेन हाउस सेसन आयोजित किए जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

5888. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर 4000 लाइनों वाले इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1993-94 में उत्तर प्रदेश के बरेली में 4000 लाइनों वाले एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। इस एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य 1993-94 की चौथी तिमाही में प्रारम्भ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

कश्मीर घाटी में माइक्रोवेव लिंक को क्षति

5889. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनिहाल स्थित "माइक्रोवेव लिंक स्टेशन" को क्षति पहुंचाये जाने के कारण 12 अक्तूबर, 1992 को कश्मीर घाटी और शेष देश के बीच दूरसंचार संपर्क बाधित हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) क्या दूरसंचार सम्पर्क पुनः चालू कर दिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) इसे पुनः कब चालू कर दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) बनिहाल के निकट बेनकोट में स्थित रिपोटेरों में से एक रिपीटर की इमारत और वहां संस्थापित सभी दूरसंचार उपकरण काफी क्षतिग्रस्त/जल गए थे।

(ग) और (घ) चूंकि रिपीटर की सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा की रही थी— अतः यह आवश्यक समझे जाने पर जांच राज्य सरकार द्वारा की जानी थी। इस बारे में सूचना जम्मू व कश्मीर सरकार से मंगाई गई है।

(ङ) जी, हां। 10-4-93 से लिंक बहाल कर दिया गया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आने वाले पर्यटक

5890. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने पर्यटकों ने इस राज्य की यात्रा की;

(ग) इसके कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(घ) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान कश्मीर आए पर्यटकों की कुल संख्या 6,093 थी।

(ग) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अनुमान राज्य-वार नहीं लगाया जाता है।

(घ) कश्मीर घाटी में पर्यटकों के आगमन में कमी मुख्यत: क्षेत्र की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास की परियोजनाओं के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 152.7 लाख रुपए राशि स्वीकृत की है।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5891. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1991-92 के दौरान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु किसी धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त एक प्रस्ताव के संबंध में अलीगढ़ में एक आधुनिक सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए मैसर्स उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लि० को 63 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। यह प्रस्ताव वर्ष 1991-92 से कार्यान्वित किया जाना था। अलीगढ़ में आधुनिक मांस खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना के लिए इसी संगठन को वर्ष 1991-92 में 9.88 लाख रुपए की सहायता दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

5892. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो जिलावार तथा श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि ऐसा करने का औचित्य और धनराशि उपलब्ध हो, जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में उन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का जिलावार ब्योरा जिनका विभागीय शाखा डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना है

क्रम सं०	जिले का नाम	अतिरिक्त विभागीय डाकघर का नाम
1.	खेड़ी	(1) सांगा
		(2) कबीरगंज
2.	मुरादाबाद	(1) बबवाई
3.	गाजीपुर	(1) देवरिया
		(2) सरसुना
4.	बहराइच	(1) जरवाल (अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर)
5.	बाराबंकी	(1) असांद्रा
		(2) खजूरी
		(3) कोठी
6.	फैजाबाद	(1) दरगाह शरीफ
		(2) रसूलपुर
7.	लखनऊ	(1) खरिका

[अनुवाद]

राजघाट परियोजना चरण-एक का नाम बदलना

5893. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट परियोजना चरण-एक का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इसके जलाशय की वर्तमान जल धारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या राजघाट परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना करने की मांग है; और

(घ) यदि हां, तो यह नाम कब तक बदला जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) राजघाट बांध को पूर्णता के स्तर पर लाया गया है ताकि इसकी

लगभग 227 मिलियन घन मीटर उपयोज्य जल भण्डारण क्षमता को उपलब्ध करवा कर इससे शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें।

(ग) और (घ) राजघाट जलाशय का नाम बदल कर रानी लक्ष्मी बाई सागर रखने के लिए बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 में परिवर्तन करने हेतु विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

सुविख्यात नेताओं पर टी० वी० धारावाहिक/वृत्तचित्र

5895. **श्री सोमजी भाई डामोर :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह तथा अन्य सुविख्यात राजनैतिक नेताओं पर टी० वी० धारावाहिक/वृत्तचित्र बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चलचित्रों की स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में निर्माताओं को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सुविख्यात नेताओं पर टी० वी० धारावाहिक/वृत्तचित्र कब तक प्रसारित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) कमीशन्ड कार्यक्रमों के लिए दिनांक 17 मार्च, 1992 को मार्गनिर्देशों में निर्धारित तरीके से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) कमीशन्ड कार्यक्रमों के प्रस्तावों की जांच मोटे तौर पर नीचे दिए गए मानदण्डों के संदर्भ में की जानी होती है।

(1) दूरदर्शन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कहानी, विषयवस्तु अथवा विषय की प्रासंगिकता।

(2) विषय/कथा का प्रतिपादन।

(3) टेलीकास्ट कोड के अनुसार अनुरूपता।

(4) निर्देशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मीदल आदि की पूर्व उपलब्धियां।

(घ) से (च) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रायपुर को अन्य शहरों के साथ विमान सेवा के साथ जोड़ना

5895. श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 में मध्य प्रदेश के रायपुर शहर को कलकत्ता, भुवनेश्वर और दिल्ली के साथ इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं द्वारा जोड़ने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) रायपुर को कलकत्ता के साथ जोड़ने का अनुरोध 1992 में प्राप्त हुआ था। रायपुर दिल्ली और नागपुर के साथ पहले से ही हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है। रायपुर और कलकत्ता/भुवनेश्वर के बीच इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं जो विमानचालकों की हड़ताल के कारण बन्द हो गई थीं, प्रचालक संबंधी अवरोधों के कारण अभी तक पुनः शुरू नहीं की जा सकी हैं।

[अनुवाद]

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत समाचारपत्र

5896. श्री अन्ना जोशी :
श्री के० प्रधानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास कितने समाचारपत्र पंजीकृत हैं;

(ख) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों को उचित ढंग से किस तरीके से कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखे गए अभिलेखों के अनुसार 31-3-1993 तक 35,595 समाचार पंजीकृत हैं।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 में संशोधन करके समाचारपत्रों के पंजीकरण सहित विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए खोला गया था।

(ग) 2-4-1993 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण के लिए 211 मामले लम्बित थे।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण का उपयोग

5897. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और विदेशों से विद्युत क्षेत्र के लिए कितना विदेशी ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) क्या वह धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अप्रयुक्त ऋण के संबंध में भारत देनदारी का भुगतान करने के लिए बाध्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जनवरी, 1993 तक विद्युत क्षेत्र को प्राप्त ऋणों/क्रेडिटों तथा उसी अवधि तक असमुपयोजित की गई राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(समग्र राशियां मिलियन ऋणदाता मुद्रा में है)

क्रम सं०	स्रोत	मुद्रा	ऋण/क्रेडिट की स्वीकृत राशि	असमुपयोजित राशि
1.	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	5618.325	3267.163
2.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	अमरीकी डालर	990.0	782.554
3.	कनाडा	कनेडियन डालर	194.077	135.284
4.	फ्रांस	फ्रांसीसी फ्रैंक	1943 908	473.305
5.	जापान	येन	299584.5	213851.671
6.	कुवैत	कुवैत दीनार	7.0	5.616
7.	सऊदी निधि	सऊदी रियाल	172.0	110.492
8.	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	1480.0	450.527
9.	स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	4.552	0.005
10.	यू० के०	पाऊण्ड स्टर्लिंग	154.278	7.131
11.	यू० एस० एस० आर० (तत्कालीन)	रूबल	3648.6	2700.791
12.	जर्मनी	डी० एम०	2028.902	574.960

(ग) कम समुपयोजन किए जाने के कारणों में विभिन्न अनुमोदन प्रदानकर्ता प्राधिकारियों से सांविधिक तथा अन्य स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने में विलम्ब होना, उपस्करों की सप्लाई तथा सिविल तथा अन्य कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब होना, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रतिपूरक निधियों का प्रावधान न किया जाना तथा बोली संबंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन किए जाने में समय लगना शामिल है।

(घ) और (ङ) प्रतिबद्ध किन्तु असमुपयोजित राशि के लिए वचनबद्धता प्रभार देय होते हैं। 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ देय राशि 29.1 करोड़ रुपये थी।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

5898. श्री रतिलाल वर्मा :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी है;

(ख) इनमें से कितने एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है और कितने एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में अभी बदला जाना बाकी है तथा इन्हें कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने इन टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार लाने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों (रिमोट लाइन यूनिट सहित) की कुल संख्या 84 है। 31-3-1993 को इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 64 एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया है और शेष 20 एक्सचेंज इलेक्ट्रो मेकेनिक हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 इलेक्ट्रानिक मेकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर तथा संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) एक्सचेंजों का कार्य निष्पादन संतोषजनक है। तथापि, कार्य निष्पादन बनाए रखने और कार्य निष्पादन में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से उनके रख-रखाव के सतत प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

क्रम सं०	एक्सचेंज	कोड	क्षमता (लाइनें)
1	2	3	4
1.	सेना भवन	301	10000
2.	जनपथ-I	31	3000
3.	किदवाई भवन	331/332	20000
4.	जनपथ-IV	34	2500
5.	जनपथ-V	35	2600
6.	राजपथ	38	8900
7.	जोरबाग-I	61/69	12600
8.	जनपथ डी I	371/2/4/5	15000
9.	जोरबाग डी-I	461/3/9	7000
10.	राजपथ आरएलयू आफ जेपीडी	378	1000
11.	सेना भवन आरएलयू-I जेबीडीआई	379	1000
12.	जोरबाग आरएलयू-I जेबीडीआई	462	10000
13.	जोरबाग आरएलयू-II जेबीडीआई	463	3000
14.	लोदी रोड आरएलयू एमपीडी-II	436	4000
15.	किदवाई भवन आरएलयू जेबीडीआई	3724	1000
16.	लाजपत नगर डी-II	222/3	12000
17.	लाजपत नगर डी-I	224/1/0	28000
18.	लाजपत नगर डी-III	241/2	15000
19.	ईदगाह-II	52	10000
20.	ईदगाह-III	73	10000
21.	ईदगाह-IV	777/751/752	30000
22.	दिल्ली गेट डी आई	326/1/8	29000
23.	शाहदरा आरएलयूएल एम डी-I	228	7000

1	2	3	4
24.	शाहदरा आरएलयू एलएनडी-II	229	10000
25.	मयूर विहार आरएलयू एम एनडी-II	225	7000
26.	यमुना विहार आरएलयू एनडी-II	226	6000
27.	ईदगाह आरएलयू केडी डीआई	750	4000
28.	तीस हजारी-II	23	10000
29.	वही-III	251/252	20000
30.	वही-IV	291/2/3	28000
31.	शक्ति नगर डी-I	711/712	20000
32.	वही डी-I	721/2/3	23000
33.	वही-डी-II	724/725	14000
34.	वही—डी-III	714/714	14000
35.	रोहिणी सैक्ट० III आरएलयू एस एन डी आई	726	6000
36.	रोहिणी सैक्ट० III आरएलयू एसएनडी-III	727	9000
37.	रोहिणी सैक्ट० III आरएलयू	7260/717	3000
38.	बादली आरएलयू एसएनडी-III	729	4000
39.	अलीपुर आरएलयू एसएनडी-II	720	2000
40.	नरेला आरएलयू एसएनडी-II	728	2000
41.	केशवपुरम आरएलयू एसएनडी-II	718/9	11000
42.	मुखर्जी नगर आरएलयू एसएनडी-II	725	2000
43.	दिल्ली वि० वि० आरएलयू एसएनडी-III	7257	1000
44.	चाणक्यपुरी-II	60	10000
45.	ओखला-I	63	7000
46.	नेहरू प्लेस-II	641	10000
47.	वही-III	642/3/4	30000
48.	नेहरू प्लेस डी-I	646/645	13000

1	2	3	4
49.	नेहरू प्लेस डी-II	647/8	11000
50.	हौजखास-I	65	8000
51.	वही-II	66	10000
52.	चाणक्यपुरी-I	67	8400
53.	ओखला डी-I	683/4/2	20500
54.	हौजखास आरएलयू-I एनपीडीआई	686	7000
55.	वही आरएलयू-II	685/649	8000
56.	चाणक्यपुरी आरएलयू-I एनपीडीआई	687	6000
57.	वही आरएलयू-II एनपीडी-II	688	7000
58.	छत्तरपुर आरएलयू एनपीडी-II	680	3000
59.	वसंत कुंज आरएलयू एन पीडी-I	689	9000
60.	तेखंड आरएलयू ओखला डीआई	681	4000
61.	ओखला आरएलयू जेवीडी-I	6823	1000
62.	राजोरी गार्डन-II	50	6000
63.	वही-IV	53	10000
64.	वही-III	541	10000
65.	वही डी-I	543/545	19000
66.	करोलबाग-III	571	10000
67.	वही-IV	572/573/4	30000
68.	वही डी-I	578	300
69.	राजोरी गार्डन-I	59	5000
70.	जनकपुरी डी-I	550/5/9	24000
71.	राजोरी गार्डन डी-II	546	9000
72.	नांगलोई आरएलयू और आरजीडी-I	547	4500
73.	आरएलयू और डी-I	5452	1000

1	2	3	4
74.	राजौरी गार्डन प्रशासनिक ब्लोक आरएलयू और जीडी-I/डी-II	544/2	9000
75.	हरिनगर आरएलयू और आरजीडी-I	540	6000
76.	नजफगढ़ रोड आरएलयू जेकेपीडी-I	5562/6/7	3000
77.	करोलबाग आरएलयू-I केबीडी-I	575	5000
78.	वही आरएलयू II केबीडी-I	578	3000
79.	शादीपुर आरएलयू केबीडी-I	570	6000
80.	पालम आरएलयू जेपीडीटीएक्स	3295	1000
81.	दिल्ली केन्ट आरएलयू जेपीडीटीएक्स	329	5000
82.	सम्भालखा आरएलयू जेपीडी-I	5563	1000
83.	पश्चिम विहार आरएलयू जेकेपीडी-I	557/8	13000
84.	जनकपुरी आरएलयू आरजीडी-II	551	2000

[अनुवाद]

गहरे पानी में मात्स्यिकी को फिर से शुरू करना

5899. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, गहरे पानी में मात्स्यिकी को फिर से शुरू किये जाने की आवश्यकता पर कोई अभ्यावेदन और ज्ञापन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उपर्युक्त अभ्यावेदनों में से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने हाल में ही विशाखापट्टनम में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी एककों के गहरे प्रबंधन के साथ उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई बैठक बुलाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) कम मात्रा में श्रिम्प पकड़ी जाने, ईंधन तेल की कीमतों मे वृद्धि, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में श्रिम्प के मूल्य में गिरावट, कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन आदि जैसी अपनी समस्याओं के बारे में मात्स्यिकी उद्योग से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार उद्योग ने रुग्ण गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों के पुनर्वास के लिए सहायता हेतु अनुरोध किया था।

(ग) इन अभ्यावेदनों के आधार पर और गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श के बाद रुग्ण मात्स्यिकी उद्यमों को पुनर्जीवित करने के लिए अप्रैल, 1991 में एक पुनर्वास स्कीम की घोषणा की गई थी जिसे जून, 1992 में फिर से उदार बना दिया गया। उपर्युक्त के अलावा उनके परिचालन कार्यों को अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए विद्यमान गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के संबंध में मात्स्यिकी के विविधीकरण हेतु रुग्ण एककों को सहायता देने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली

5900. प्रो० प्रेम धूमल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में वर्षा तथा हिमपात के कारण पहाड़ी क्षेत्र में टेलीफोन के खंबे उखड़ जाने के कारण टेलीफोन प्रणाली महीनों तक खराब रहती है;

(ख) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से शिमला से ऊपर के क्षेत्र में पूरे साल माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने का है ताकि वहां पूरे साल यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सके; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध रूप में।

भारत का 24वां अन्तरर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

5901. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के 24वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 23वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तुलना में कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी हुई;

(ख) क्या इस समारोह में खर्च अधिक और आमदनी कम हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) संघ सरकार ने जनवरी, 1992 में बंगलौर में आयोजित 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं किए जाने के लिए 90 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी थी। कर्नाटक राज्य

सरकार ने उक्त समारोह के आयोजन के लिए कतिपय आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था पर 80.79 लाख रुपए तथा इस समारोह के अवसर पर स्थायी प्रयोग के लिए परिसंपत्तियां अधिगृहीत करने पर 130.63 लाख रुपये खर्च किये थे। इस समारोह के दौरान टिकटों और समारोह संबंधी प्रकाशनों की बिक्री से 27.39 लाख रुपए की आय हुई। सच सरकार ने जनवरी, 1993 में दिल्ली में 24वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए 106.50 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति दी थी। इस समारोह के टिकटों और समारोह संबंधी प्रकाशनों की बिक्री से 19.89 लाख रुपये की आय हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फैक्स मशीनों का दुरुपयोग

5902. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कालों के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इससे अनुमानत: कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार को फैक्स मशीनों के इसी प्रकार प्रयोग करने वाले गिरोह के बारे में भी जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस सम्बन्ध में दोषियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये; और

(छ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) एस० टी० डी०/आई० एस० डी० सुविधा के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की जांच करने पर पता चला है कि इसका दुरुपयोग टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन मीटर में गड़बड़ करके अथवा उपभोक्ताओं के अहातों में, अथवा टेलीफोन एक्सचेंज बाहर बाह्य संयंत्र में छेड़छाड़ करके किया जा सकता है। कुछ बेईमान व्यक्ति विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से गैर कानूनी रूप से एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कालें करने के लिए टेलीफोन लाइनें टाइबर्ड करते हैं। सी० बी० आई० ने दिल्ली, बम्बई और अहमदाबाद में कुछ मामले दर्ज किए हैं, इस प्रकार के कदाचार में संलिप्त कुछ कर्मचारियों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(ग) महानगरों में प्रति टेलीफोन जिला प्रति माह अनुमानित हानि औसतन 6 लाख रुपए बैठती है।

(घ) और (ङ) फैक्स मशीनों का प्रयोग केवल टेलीफोन लाइनों पर किया जाता है और इससे भी टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग हो सकता है ।

(च) और (छ) जैसा कि आई० एस० डी०/एस० टी० डी० अनाचार के मामले में किया जाता है, शिकायतों की जांच पड़ताल करके और अपराधियों को पकड़ कर कार्रवाई की जाती है ।

उड़ीसा में टेलीफोनों का कार्यकरण

5903. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन के खराब रहने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उनमें से अब तक कितनी शिकायतों को दूर किया गया और कितनी पर अभी कार्यवाही नहीं की गयी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:—

वर्ष	पिछले वर्ष से आगे लाई गई शिकायतों सहित शिकायतों की कुल संख्या	निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	विचाराधीन शिकायतों की कुल संख्या
1990	7243	7127	115
1991	9824	9802	22
1992	11661	11597	64

31.12.1992 की स्थिति के अनुसार कुल 64 शिकायतें विचाराधीन थीं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाक और तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज

5904. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य की जनसंख्या के अनुरूप उनकी संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं तथा 1993-94 के दौरान क्या कदम उठाये जाने विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मध्य प्रदेश में डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा क्रमशः विवरण I II III में दिया गया है ।

(ख) डाकघर : मध्य प्रदेश में एक डाकघर औसतन 5982 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

तारघर : तार सुविधाओं को उपलब्ध कराना मुख्यतः मांग और वित्तीय व्यवहार्यताओं पर निर्भर करता है।

टेलीफोन : एक्सचेंज दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराना जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता। यह मुख्यतः निम्नलिखित पर निर्भर करता है:—

(i) न्यूनतम मांग का रजिस्ट्रेशन।

(ii) वित्तीय व्यवहार्यता।

(iii) निधि और उपस्कर की उपलब्धता।

(ग) डाकघर : गत दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नलिखित है:—

1991-92 —150 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

1992-93 —55 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 7 विभागीय उप डाकघर।

तार घर : वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान खोले गए तारघरों के बारे में सूचना "शून्य" है।

टेलीफोन एक्सचेंज : गत दो वर्षों के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	टेलीफोन एक्सचेंज
1990-91	168
1991-92	308

डाकघर : वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में 35 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 5 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनका औचित्य हो और धनराशि उपलब्ध रहे।

टेलीफोन एक्सचेंज : वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में 81000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

तारघर : वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में स्वतंत्र तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

31-3-93 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यरत डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	इंदौर	173
2.	देवास	169
3.	धार	198
4.	ग्वालियर	191
5.	दतिया	98
6.	मंदसौर	321
7.	होशंगाबाद	246
8.	नरसिंहपुर	182
9.	भिंड	254
10.	मुरैना	256
11.	खंडवा	226
12.	खरगोन	299
13.	गुना	192
14.	शिवपुरी	226
15.	रतलाम	180
16.	झाबुआ	167
17.	उज्जैन	200
18.	शाजापुर	187
19.	रायपुर	585
20.	बिलासपुर	646
21.	जबलपुर	389
22.	जगदलपुर	569
23.	दुर्ग	325

1	2	3
24.	राजनन्दगांव	217
25.	बालाघाट	225
26.	मान्डला	206
27.	सियोनी	191
28.	रायगढ़	419
29.	अम्बापुर	269
30.	रीवा	333
31.	सतना	286
32.	शहडोल	302
33.	सिद्धि	197
34.	बेतूल	217
35.	छिन्दवाड़ा	262
36.	भोपाल	129
37.	रायसेन	202
38.	विदमोह	161
39.	सिहोर	166
40.	राजगढ़	166
41.	सागर	208
42.	दमोह	185
43.	छतरपुर	221
44.	पन्ना	153
45.	टीकमगढ़	180
	कुल	11165

विवरण-II

31-3-1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों और तारघरों की जिलावार सूची

क्र०सं०	जिले का नाम	जनसंख्या लाख में	टेलीफोन एक्सचेंज	तारघर
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	13.62	35	19
2.	बस्तर	22.70	49	9
3.	बेतूल	11.80	34	9
4.	भिंड	12.14	42	5
5.	भोपाल	13.50	20	12
6.	बिलासपुर	37.96	92	16
7.	छतरपुर	11.58	25	14
8.	छिन्दवाड़ा	15.63	55	16
9.	दमोह	8.97	21	6
10.	दतिया	3.97	14	7
11.	देवास	10.32	58	15
12.	धार	13.66	86	12
13.	दुर्ग	23.98	27	9
14.	गुना	13.09	49	8
15.	ग्वालियर	14.14	39	12
16.	होशंगाबाद	12.65	67	20
17.	इंदौर	18.30	52	24
18.	जबलपुर	26.45	59	18
19.	झाबुआ	11.29	31	7
20.	खंडवा	14.32	63	10
21.	खरगोन	20.26	86	8
22.	मांडला	12.91	23	10
23.	मन्दसौर	15.55	101	16
24.	मुरैना	17.07	46	8

1	2	3	4	5
25.	नरसिंहपुर	7.84	39	4
26.	पन्ना	6.84	12	10
27.	रायगढ़	17.24	49	12
28.	रायपुर	39.02	70	13
29.	रायसेन	8.77	39	9
30.	राजगढ़	9.92	32	13
31.	राजनन्दगांव	14.39	26	6
32.	रतलाम	9.71	50	11
33.	रीवा	15.50	25	5
34.	सागर	16.46	54	9
35.	सरगुजा	20.82	26	12
36.	सतना	14.62	27	6
37.	सिहोर	8.40	36	13
38.	सियोनी	9.99	32	8
39.	शहडोल	17.43	29	13
40.	शाजापुर	10.32	63	8
41.	शिवपुरी	11.31	39	3
42.	सिधि	13.71	16	6
43.	टीकमगढ़	9.40	16	3
44.	उज्जैन	13.86	70	18
45.	विदिशा	9.71	28	14
	कुल	661.35	1954	487

विवरण-III

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्योरा

क्र० सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	34

1	2	3
2.	बस्तर	49
3.	बेतूल	34
4.	भिंड	42
5.	भोपाल	20
6.	बिलासपुर	92
7.	छतरपुर	25
8.	छिन्दवाड़ा	55
9.	दमोह	21
10.	दतिया	14
11.	देवास	58
12.	धार	86
13.	दुर्ग	27
14.	गुना	49
15.	ग्वालियर	39
16.	होशंगाबाद	67
17.	इंदौर	52
18.	जबलपुर	59
19.	झाबुआ	31
20.	खंडवा	63
21.	खरगोन	86
22.	मांडला	23
23.	मन्दसौर	101
24.	मुरैना	46
25.	नरसिंहपुर	39
26.	पन्ना	12
27.	रायगढ़	49

1	2	3
28.	रायपुर	70
29.	रायसेन	39
30.	राजगढ़	32
31.	राजनन्दगांव	26
32.	रतलाम	50
33.	रीवा	25
34.	सागर	54
35.	सरगुजा	26
36.	सतना	27
37.	सीहोर	36
38.	सिओनी	32
39.	शहडोल	29
40.	शाजापुर	63
41.	शिवपुरी	39
42.	सिधि	16
43.	टीकमगढ़	16
44.	उज्जैन	70
45.	विदिशा	28
	कुल	1954

[अनुवाद]

विमानों का आयात

5905. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पट्टे पर देश के भीतर विमान चलाने के लिए विमानों का आयात करने पर रोक लगा दी है;

(ख) तो क्या आयात शुल्क में अधिक कटौती की कोई नीति आरंभ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) 1993-94 के बजट में विमानों के आयात पर 28-2-1993 से आयात शुल्क की पूर्ण छूट दे दी गई है ।

बंगला समाचारपत्रों को अखबारी कागज का कोटा

5906. श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक बंगला समाचार पत्र/पत्रिका को अखबारी कागज का कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

पिछले दो वर्षों में बंगला समाचारपत्रों को आवंटित अखबारी कागज की मात्रा

क्र० सं०	समाचार पत्र का नाम	आवंटित मात्रा 1991-92 (मीट्रिक टनों में)	1992-93
1	2	3	4
1.	सुकतारा, मासिक, कलकत्ता	37.04	68.68
2.	नाबा कल्लोल मासिक, कलकत्ता	50.22	104.36
3.	लिपि, दैनिक, कलकत्ता	124.35	126.04
4.	नूतन पैगाम, दैनिक, कलकत्ता	114.20	129.89
5.	कर्मक्षेत्र, मासिक, कलकत्ता	134.12	80.00
6.	पानागर वार्ता, साप्ताहिक, बर्धवारा	7.01	—
7.	पैगाम, दैनिक, कलकत्ता	61.18	64.73
8.	संदेश, मासिक, कलकत्ता	3.05	—
9.	कोलफील्ड टाइम्स, साप्ताहिक, कलकत्ता	47.05	49.78
10.	स्पोर्ट्स एंड गेम्स, साप्ताहिक, कलकत्ता	27.14	21.67
11.	गारेरमठ, साप्ताहिक, कलकत्ता	57.28	45.84
12.	बिप्लवी मध्याह्नो, दैनिक, मिदनापुर	7.79	—
13.	संकल्प, मासिक, कलकत्ता	4.14	—

1	2	3	4
14.	स्वस्तिक, साप्ताहिक, कलकत्ता	40.05	—
15.	खेला-ओ-छागा, साप्ताहिक, कलकत्ता	26.36	45.80
16.	स्टेडियम, साप्ताहिक, कलकत्ता	19.22	—
17.	जस्ती मधु, त्रैमासिक, कलकत्ता	0.21	—
18.	मिजान, साप्ताहिक, कलकत्ता	12.02	—
19.	बिश्वा मानस दर्पण, साप्ताहिक, कलकत्ता	23.59	28.03
20.	देश हितैषी, साप्ताहिक, कलकत्ता	43.70	39.85
21.	सप्ताह, साप्ताहिक, कलकत्ता	24.16	—
22.	सरस कार्टून, मासिक, कलकत्ता	—	2.90
23.	विशेष प्रतिवेदन, साप्ताहिक, कलकत्ता	—	43.79
24.	डिनर साम्बाद, मासिक, कलकत्ता	—	0.42
25.	साम्बर प्रतिदन, मासिक, कलकत्ता	—	53.31
26.	सिने क्लब, पाक्षिक, कलकत्ता	—	10.64
27.	बंगला देश, साप्ताहिक, कलकत्ता	—	26.85
28.	वराईवेटी, त्रैमासिक, बर्धवान	—	0.86
29.	गणदर्पण, मासिक, कलकत्ता	—	1.49
30.	अदल-बदल, मासिक, कलकत्ता	—	1.74
31.	आई मालदा, पाक्षिक, मालदाह्	—	4.73
32.	बोर्नो, परिचय मासिक, कलकत्ता	—	16.06
33.	नूतन खबर, साप्ताहिक, कलकत्ता	—	4.73
34.	बस्यन पत्रिका, साप्ताहिक, कलकत्ता	—	19.25
35.	बांकुरा संस्कृत, पाक्षिक, बांकुरा	—	0.34
36.	नूतन खबर, साप्ताहिक, कलकत्ता	—	34.45
37.	पदमगंगा, मासिक, कलकत्ता	—	0.86
38.	कर्मसंगस्थान, साप्ताहिक, कलकत्ता	—	117.95
39.	अन्तरगत, समाचार, पाक्षिक, कलकत्ता	—	0.75

1	2	3	4
40.	त्रिपुरा दर्पण, दैनिक, अगरतला	43.51	61.24
41.	देशर कथा, दैनिक, अगरतला	28.15	25.92
42.	गणदूत, साप्ताहिक, अगरतला	84.88	82.24
43.	सयानदून, पत्रिका, दैनिक, अगरतला	93.63	8?.51
44.	भावी भारत, दैनिक, अगरतला	33.18	—
45.	गण संवाद पत्रिका, दैनिक, अगरतला	48.13	50 24
46.	मंतावाद, साप्ताहिक, अगरतला	—	0.27
47.	बासुमती, दैनिक, कलकत्ता	145.22	खुला प्रमाणपत्र*
48.	सिने एडवांस, सप्ताहिक, कलकत्ता	86.01	288.01
49.	वर्तमान, दैनिक, कलकत्ता	1894.72	खुला प्रमाणपत्र*
50.	वर्तमान, साप्ताहिक, कलकत्ता	66.40	336.13
51.	दैनिक संवाद, दैनिक, अगरतला	177.74	खुला प्रमाणपत्र*
52.	उत्तरबंग संवाद, दैनिक, सिलीगुड़ी	293.82	—
53.	पश्चिम बंग संवाद, दैनिक, आसनसोल	187.56	—
54.	कालान्तर, दैनिक, कलकत्ता	80.86	159.86
55.	कालान्तर, साप्ताहिक, कलकत्ता	19.75	4.10
56.	जुगसुखा, दैनिक, सिलेहर	67.64	—
57.	अजिर असम, दैनिक, गुवाहाटी	185.56	खुला प्रमाणपत्र*
58.	समय प्रवाह, दैनिक, गुवाहाटी	41.53	145.36
59.	ओवरलैंड, दैनिक, कलकत्ता	346.79	खुला प्रमाणपत्र*
60.	आनन्द बाजार पत्रिका, दैनिक कलकत्ता	9041.58	खुला प्रमाणपत्र*
61.	देश, साप्ताहिक, कलकत्ता	474.82	608.10
62.	आनन्दलोक, पाक्षिक, कलकत्ता	194.28	189.02
63.	आनन्द मेला, पाक्षिक, कलकत्ता	141.03	212.45
64.	सानन्द, पाक्षिक, कलकत्ता	267.47	368.31
65.	आजकल, दैनिक, कलकत्ता	3011.05	खुला प्रमाणपत्र*

1	2	3	4
66.	खेला, साप्ताहिक, कलकत्ता	18.57	54.55
67.	टेलीविजन, मासिक, कलकत्ता	31.18	61.86
68.	संध्या आजकल, दैनिक, कलकत्ता	59.20	221.78
69.	गणशक्ति, दैनिक, कलकत्ता	1159.07	खुला प्रमाणपत्र*
70.	मनोरमा, मासिक, इलाहाबाद	53.00	137.58
71.	आलोकपथ, मासिक, इलाहाबाद	23.25 (पहली तिमाही)	115.78

* वार्षिक हकदारी 200 मीट्रिक टन से अधिक थी। इसलिए खुला प्रमाणपत्र इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि अनुसूचित देशी अखबारी कागज से दो मीट्रिक टन की खरीद पर समाचार पत्र एक मीट्रिक टन आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

विमान चालकों के त्याग-पत्र

5907. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानचालकों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : 101 विमान चालकों में से, जिन्होंने 1992 और 1993 (7-4-1993 तक) के दौरान त्यागपत्र दिया था, 62 विमानचालकों ने अपने त्याग-पत्र के लिये कोई कारण नहीं बताया है, 32 ने वैयक्तिक/घरेलू कारणों से त्याग-पत्र दिया है, 6 ने एयर इंडिया की सेवा में शामिल होने के लिए त्याग-पत्र दिया है और एक विमान चालक ने इंडियन एयरलाइंस की विद्यमान परिस्थितियों के कारण त्याग-पत्र दिया है।

[अनुवाद]

पर्यटकों का आगमन

5908. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में विदेशी पर्यटकों के आने के संबंध में कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) यद्यपि देश में कुल पर्यटक आगमन की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथापि संबंधित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण राज्य-वार ऐसी समीक्षा करना संभव नहीं है।

कोचीन में हवाई अड्डे का निर्माण

5909. श्री राम कापसे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता लिए बिना कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण हेतु उनके मंत्रालय को कोई परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर द्वारा कोचीन में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बनाया गया एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि परियोजना की लागत के लिए वित्त व्यवस्था मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों द्वारा की जायेगी। इस प्रस्ताव पर 6 अप्रैल, 1993 को आयोजित एक बैठक में परिवहन मंत्री और केरल सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी सहायता से प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए कार्यविधियां तैयार करेगी।

गुजरात में समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन

5910. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात से प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाओं में से प्रत्येक के लिए आबंटित किये गये अखबारी कागज का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दैनिक

क्र० सं०	समाचारपत्र का नाम तथा प्रकाशन का स्थान	1990-91 में आबंटित मात्रा (मीट्रिक टन)	1991-92 में आबंटित मात्रा (मीट्रिक टन)	1992-93 में आबंटित मात्रा (मीट्रिक टन)
1	2	3	4	5
1.	नोबत, जामनगर	158.98	106.17	163.69
2.	बड़ोदरा समाचार, बड़ोदरा	98.36	49.52	171.28
3.	वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद	179.42	178.73	182.12
4.	वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद	120.30	143.00	148.70
5.	भूमि, जामनगर	116.54	116.54	—
6.	हिन्दू, अहमदाबाद	124.50	62.66	87.51
7.	गांधीनगर समाचार, गांधी नगर	42.03	—	—
8.	राखेवल, बनासकांठा	29.78	—	—
9.	सौराष्ट्र, भूमि, जूनागढ़	30.00	—	—
10.	पगडण्डा, भावनगर	31.87	—	—
11.	नवनिर्माण, सूरत	—	73.21	—

12.	भारती, राजकोट	39.57	33.27	173.18
13.	युगप्रभाव, बड़ौदा	—	2.17	61.30
14.	अल्पविराम, अहमदाबाद	—	13.39	134.80
15.	जनयुग, सुरेन्द्र नगर	—	—	61.66
16.	चंचल, भुज	—	—	62.86
17.	बिन्दु, अहमदाबाद	—	—	42.07
18.	लोकमान्य समर्थन, मेहसाणा	—	—	17.95
19.	भड़ौच टाइम्स, सूरत	—	—	37.02
20.	बलसाड़ टाइम्स, सूरत	—	—	40.44
21.	न्यू सूरत टाइम्स, सूरत	—	—	52.88
22.	गुजरात समाचार, अहमदाबाद	8385.76	6184.98	खुला प्रमाण पत्र
23.	गुजरात समाचार, सूरत	2280.41	2018.51	खुला प्रमाण पत्र
24.	गुजरात समाचार, बड़ौदा	1767.07	1612.45	खुला प्रमाण पत्र
25.	गुजरात मित्र, तथा गुजरात दर्पण, सूरत	1801.90	2291.37	खुला प्रमाण पत्र
26.	फूलछाब, राजकोट	2509.31	1828.57	खुला प्रमाण पत्र
27.	कच्छमित्र, भुज	307.28	249.35	खुला प्रमाण पत्र
28.	जन्मभूमि, अहमदाबाद	65.78	10.28	प्रकाशन बंद कर दिया गया है

1	2	3	4	5
29.	संभव, अहमदाबाद	94.08	110.16	खुला प्रमाण पत्र
30.	प्रभात, अहमदाबाद	111.88	267.50	खुला प्रमाण पत्र
31.	जयहिन्द, अहमदाबाद	254.94	246.65	खुला प्रमाण पत्र
32.	जयहिन्द, राजकोट	1011.92	1011.92	खुला प्रमाण पत्र
33.	सांझ समाचार, राजकोट	555.83	555.83	खुला प्रमाण पत्र
34.	नूतन सौराष्ट्र, जूनागढ़	आवंटित नहीं किया गया	आवंटित नहीं किया गया	353.64
35.	सौराष्ट्र भूमि, जूनागढ़	आवंटित नहीं किया गया	आवंटित नहीं किया गया	205.29
36.	[illegible], भावनगर	31.87	17.83	खुला प्रमाण पत्र
37.	सौराष्ट्र समाचार, भावनगर	520.00	470.63	खुला प्रमाण पत्र
38.	संदेश, अहमदाबाद	5091.42	4786.41	खुला प्रमाण पत्र
39.	संदेश, बड़ोदरा	2575.21	2992.53	खुला प्रमाण पत्र
40.	संदेश, सूरत	569.83	1007.30	खुला प्रमाण पत्र
41.	संदेश, राजकोट	63.93	167.11	खुला प्रमाण पत्र
42.	लोकसत्ता, जनसत्ता, बड़ोदा	617.80	195.05	खुला प्रमाण पत्र
43.	लोकसत्ता-जनसत्ता, अहमदाबाद	691.91	321.84	खुला प्रमाण पत्र

44.	लोकसत्ता-जनसत्ता, राजकोट	482.47	257.90	खुला प्रमाण पत्र
45.	इंडियन एक्सप्रेस, अहमदाबाद	672.25	489.73	खुला प्रमाण पत्र
46.	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अहमदाबाद	—	—	46.44
47.	टाइम्स ऑफ इण्डिया, अहमदाबाद	1577.71	1470.85	खुला प्रमाण पत्र
48.	टाइम्स ऑफ इण्डिया, अहमदाबाद	1096.09	1271.53	खुला प्रमाण पत्र
49.	इकानॉमिक टाइम्स, अहमदाबाद	67.55	55.73	खुला प्रमाण पत्र
		साप्ताहिक		
1.	हुकरम चन्दन, अहमदाबाद	138.36	126.96	115.20
2.	चंटीचण्ड, नाडियाड	0.57	—	1.31
3.	समय, सुरेन्द्र नगर	6.04	12.08	13.48
4.	साधना, अहमदाबाद	21.96	18.21	18.70
5.	झूलेलाल, अहमदाबाद	1.88	1.12	—
6.	लोकभूमि, बरमाड	16.15	—	—
7.	चरोतर भूमि, आनन्द	37.40	—	—
8.	मातृभूमि, खेड़ा	16.66	—	—
9.	महा गुजरात, पाटन	5.91	8.75	0.87
10.	गुजरात टाइम्स, नाडियाड	51.25	35.53	8.95
11.	सहकार, अहमदाबाद	8.06	7.69	15.07

1	2	3	4	5
12.	गुजरात प्रभा, भड़ौंच	2.79	5.81	—
13.	गुजरात प्रभा, सूरत	2.84	—	—
14.	गुजरात, गांधीनगर	2.57	—	—
15.	बतोलिया, भावनगर	0.59	—	—
16.	सच्चाई, अहमदाबाद	1.23	—	—
17.	श्री विकास, अहमदाबाद	1.55	—	—
18.	सेवा संदेश, पंचमहल	1.78	0.41	—
19.	शेतरंजय टाइम्स, भावनगर	1.13	—	—
20.	वेदवर्तमान, अहमदाबाद	15.08	15.08	10.62
21.	राष्ट्रीय प्रेम, अहमदाबाद	—	1.57	1.85
22.	सर्वोदय, कपड़वंज	1.28	—	—
23.	छोटी जागीर, जूनागढ़	—	—	3.10
24.	छोटी जागीर, अहमदाबाद	—	—	3.03
25.	लिबर्टी कैरियर न्यूज, अहमदाबाद	—	—	4.64
26.	दीपकमल, खंभात	—	—	5.60

27.	समस्या, अहमदाबाद	—	—	1.42
28.	श्री, अहमदाबाद	139.30	पिछले वर्ष 1989-90 में दी गई 103.15 टन की अधिक मात्रा	36.48
29.	चित्र लोक, अहमदाबाद	12.95	20.90	33.97
30.	कच्छ मित्र, भुज	79.53	53.64	46.57
31.	व्यापार उद्योत, अहमदाबाद	48.83	42.14	44.05
32.	फूलवाड़ी, राजकोट	70.77	83.29	76.89
33.	अमृत, राजकोट	79.00	74.72	75.37
34.	स्त्री, अहमदाबाद	247.15	274.63	खुला प्रमाण पत्र
		मासिक		
1.	जलाराम ज्योत, राजकोट	57.18	24.45	47.30
2.	बोहरा समाचार, सूरत	0.90	—	—
3.	सर्वविद्या, राजकोट	7.09	6.13	4.80
4.	श्र महावीर शेवान, जामनगर	0.96	—	—
5.	वर्न मैगजन स्टैंडर्ड-8, अहमदाबाद	1.64	1.42	2.87
6.	माडर्न मैगजीन स्टैंडर्ड-9, अहमदाबाद	1.36	2.52	2.94
7.	—वही—साइन्स, अहमदाबाद	16.89	8.56	10.47
8.	—वही—कामर्स, अहमदाबाद	16.77	8.08	16.61

1	2	3	4	5
9.	निर्माया, अहमदाबाद	0.93	—	0.82
10.	स्वामी नारायण क्लिस, अहमदाबाद	0.35	—	0.67
11.	स्वामी नारायण प्रकाश, अहमदाबाद	12.41	—	7.96
12.	ब्राइट हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड-12 साइंस, द्विमासिक, अहमदाबाद	5.05	4.09	7.29
13.	मैट्रिक मैगजीन, अहमदाबाद	9.87	9.22	12.26
14.	मैट्रिक मैगजीन, अहमदाबाद	11.96	14.77	12.33
15.	ब्रह्म क्षत्रिय हितेच्छु, अहमदाबाद	1.44	1.02	—
16.	मानव, अहमदाबाद	2.87	—	2.12
17.	क्रांति सौरभ, बनासकांठा	1.43	3.39	3.21
18.	तैबा, अहमदाबाद	9.54	—	—
19.	कदयते ज्योति, अहमदाबाद	3.33	1.86	4.13
20.	जनकल्याण, अहमदाबाद	41.26	59.38	46.82
21.	कृषि जीवन, बड़ोदरा	21.77	18.47	49.06
22.	नव चेतन, अहमदाबाद	1.16	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible]	0.84	0.54	2.[illegible]7

24.	हिंसा विरोध, अहमदाबाद	1.52	0.45	2.19
25.	गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अहमदाबाद	15.10	—	7.62
26.	ग्राम स्वराज, अहमदाबाद	1.89	2.00	3.84
27.	एस० टी० कामदार, —वही—	1.00	1.00	0.75
28.	तन्दुरुस्ती, —वही—	0.70	—	—
29.	भगवत अमृतम —वही—	0.54	—	—
30.	कृषि बन्धु —वही—	0.95	—	—
31.	बालवाड़ी —वही—	0.20	—	—
32.	सर्वसाथी —वही—	0.99	—	—
33.	विश्व हिन्दू समाचार, कर्णावती	—	22.33	14.71
34.	लोहाना समाचार, अहमदाबाद	—	1.03	—
35.	पेंशन जगत, बड़ोदरा	—	0.97	—
36.	मुक्तिदूत, अहमदाबाद	—	—	0.21
37.	श्री करेडिया राजपूत बंधु, सुरेन्द्र नगर	—	0.33	—
38.	किस्मत, अहमदाबाद	—	0.34	2.94
39.	लेटेस्ट फैक्ट्स इन० जी० के०, अहमदाबाद	—	—	5.88

1	2	3	4	5
40.	वैष्णव परिवार, मेहसाणा	—	—	5.49
41.	मक्षी, अहमदाबाद	17.34	16.07	15.99
42.	परमार्थ, राजकोट	15.95	12.87	7.81
43.	ज्योतिष दीप, अहमदाबाद	2.85	1.75	खुला प्रमाण पत्र

* वार्षिक हकदारी 200 मीट्रिक टन से अधिक थी। इसलिए खुला प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि अनुसूचित देशी अखबारी कागज मिलों से दो मीट्रिक टन की खरीद पर समाचार पत्र एक मीट्रिक टन का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

गुजरात के गांवों में टेलीफोन और डाकघरों की सुविधाएं

5911. **श्री महेश कनोडिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिनमें टेलीफोन और डाकघरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) कितने ग्राम पंचायतों के डाकघरों में तार सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस सुविधा के विस्तार के लिए क्या योजना बनाई गई है; और

(घ) राज्य के जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा वाले पंचायत ग्रामों की संख्या 5705 और डाकघरों की संख्या 7769 है ! जिलेवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) (i) सभी पंचायत ग्रामों को 31 मार्च, 1995 तक संसाधन उपलब्ध होने पर टेलीफोन सुविधा मुहैया कराए जाने की योजना है।

(ii) डाकघर, संसाधन उपलब्ध होने तथा लक्ष्यों के अंतर्गत, आबादी, आय तथा दूरी संबंधी मानदंडों को मद्देनजर रखकर खोले जाते हैं। डाकघर वार्षिक योजनाओं के माध्यम से उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते है। अतः कोई समय-सीमा नहीं बतलाई जा सकती है।

(ग) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार डाकघरों में तार-सुविधा वाले पंचायत ग्रामों की संख्या 1772 है। तार-सुविधा परियात संबंधी निर्धारित मानदंड पूरा होने पर प्रदान की जाती है।

(घ) द्रुत डाक सेवा व्यवहार्यता तथा परियात क्षमता को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इस संबंध में कोई पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम नहीं है।

गुजरात में द्रुत डाक सुविधाओं वाले जिला मुख्यालय वाले नगरों/कस्बों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

टेलीफोन तथा डाकघर सुविधाओं वाले पंचायत ग्रामों के जिलेवार ब्यौरे

क्रम सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा वाले पंचायत ग्राम	डाकघर सुविधा वाले पंचायत ग्राम
1.	अहमदाबाद (गांधीनगर सहित)	384	473
2.	अमरेली	306	280
3.	बानसकंठा (पालनपुर)	373	430
4.	भावनगर	248	411
5.	भरौंच	336	483
6.	जामनगर	249	321
7.	खेड़ा (नदियाद)	549	550
8.	जूनागढ़	325	473
9.	मेहसाना	633	538
10.	भुज (कच्छ)	290	438
11.	पंचमहल (गोधरा)	243	506
12.	राजकोट	281	426
13.	साबरकंठा (हिम्मतनगर)	435	553
14.	सुरेन्द्र नगर	249	305
15.	सूरत	315	546
16.	बरोदरा	180	560
17.	बलसाड (डैंग सहित)	286	476
18.	संघ राज्य	23	—
	योग :	5705	7769

विवरण-II

गुजरात में द्रुत डाक सुविधाओं वाले जिला मुख्यालय वाले शहरों/कस्बों के ब्योरे

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत

1. अहमदाबाद (गांधीनगर में विस्तार काउन्टर)

2. बड़ोदरा

3. सूरत

(ख) प्वाइंट टू प्वाइंट द्रुत डाक सेवा के अंतर्गत

1. बल्साड

2. मेहसाना

3. सुरेन्द्र नगर

4. पालन पुर

5. भाव नगर

6. जूनागढ़

7. हिम्मतनगर

8. जामनगर

9. राजकोट

[अनुवाद]

गुजरात को अमेरिकी सहायता

5912. श्री काशीराम राणा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अनेक लघु सिंचाई योजनाओं को अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी लघु सिंचाई योजनाएं पूरी हो गई हैं अथवा कार्य प्रगति पर है;

(घ) अमेरिकी सहायता के अन्तर्गत अब तक कितनी सहायता मिली है और राज्य की योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ङ) निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

5913. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एजेंसी) द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू किये गए कार्य का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी (जिसमें उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य शामिल हैं) केन-बेतवा-सम्पर्क (जिसमे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है), पम्बा-अचनकोविल-वैगई सम्पर्क (जिसमें तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र शामिल हैं) तथा पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क (जिसमें गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं) के जल अन्तरण सम्पर्कों के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने बेसिनो/उप बेसिनो तथा व्यपवर्तन स्थलों के 23 जल सन्तुलन अध्ययन, प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य शुरू किए हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने हिमालई घटक (जिसमें उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं) के संबंध में कार्यालय अध्ययन भी शुरू किए हैं।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 4.1 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया है।

जल विद्युत बोर्डों में घाटा

5914. श्री मदन लाल खुराना :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के अन्त तक राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे 2230 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बोर्ड सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को ऐसे घाटों से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वार्षिक योजना 1993-94 संबंधी विचार-विमर्श के सन्दर्भ में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1992-93 के दौरान (संशोधित अनुमान) रा० वि० बोर्डों की कुल वाणिज्यिक हानियां अनन्तिम रूप से 4363.58 करोड़ रुपये आंकी गई हैं जिनमे ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता की गणना नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 (संशोधित अनुमान) के दौरान रा० वि० बोर्डों के अनन्तिम एवं लेखा परीक्षा न किए गए वाणिज्यिक लाभ एवं हानि का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के

रूप में संलग्न है। रा० वि० बोर्डों की हानियों के प्रमुख कारणों में ये शामिल हैं—कृषि संबंधी टैरिफ सहित विद्युत टैरिफ का गैर-वैज्ञानिक स्वरूप होना, राज्य सरकारों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान न किया जाना, ऋण को इक्विटी के रूप में परिवर्तित न किया जाना, पी० एल० एफ० कम होना, पारेषण एवं वितरण हानियां अधिक होना, ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन की खपत अधिक होना आदि।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों को इक्विटी भागीदारी, तर्कसंगत टैरिफ, ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता का नियमित रूप से भुगतान, पी० एल० एफ० में सुधार, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी आदि जैसे उपाय किए जाने की सलाह दी गई है। 8 एवं 9 जनवरी, 1993 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भी रा० वि० बोर्डों के वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था और एक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा० वि० बोर्डों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु किए जाने वाले उपाय निहित थे। इनमें ये शामिल हैं— रा० वि० बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता का समय पर भुगतान करना, आर्थिक सहायता संबंधी राशि का सोपानबद्ध रूप से भुगतान किया जाना, बकाया राशियों में कमी करना, टैरिफ तर्कसंगत बनाया जाना, पी० एल० एफ० में सुधार किया जाना तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना आदि।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य बिजली बोर्ड का नाम		वाणिज्यिक लाभ (+)/हानि (—)	
1		2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	66.05
2.	असम	—	260.04
3.	बिहार	—	321.94
4.	गुजरात	—	691.00
5.	हरियाणा	—	336.35
6.	हिमाचल प्रदेश	—	53.80
7.	कर्नाटक	—	8.55
8.	केरल	—	37.87
9.	मध्य प्रदेश	—	375.10
10.	महाराष्ट्र	—	98.98

1		2	3
11.	मेघालय	—	20.39
12.	उड़ीसा	—	1.32
13.	पंजाब	—	805.70
14.	राजस्थान	—	217.97
15.	तमिलनाडु	—	331.92
16.	उत्तर प्रदेश	—	892.29
17.	प० बंगाल	—	45.92
	जोड़	—	4363.58

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई

5915. डा० लाल बहादुर रावल : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, कितनी बिजली का उत्पादन किया गया; और

(ख) इस राज्य बिजली बोर्ड को उपर्युक्त अवधि के दौरान किन-किन केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से बिजली की सप्लाई की गई और कितनी मात्रा में ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उत्पादित ऊर्जा क्रमशः 19564 मि० यू०, 18186 मि० यू० तथा 18159 मि० यू० थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1990-91, 1991-92 तथा 1992-93) के दौरान उत्तरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से उत्तर प्रदेश के विद्युत के देय हिस्से तथा उसे की गई वास्तविक सप्लाई का ब्योरा निम्नानुसार है—

(आंकड़े मि० यू० में)

केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्र का नाम	1990-91		1991-92		1992-93	
	हकदारी	वास्त०	हकदारी	वास्त०	हकदारी	वास्त०
1	2	3	4	5	6	7
सिंगरोली एस टी पी एस	5100.1	5379.2	5667.4	5025.2	5410.2	5469.5

1	2	3	4	5	6	7
रिहन्द एस टी पी एस	1218.4	1427.5	2241.3	2451.3	2211.0	2307.8
अन्ता जी बी एस	483.6	727.1	632.0	997.0	535.5	779.1
औरेया जी बी एस	728.0	742.1	1395.6	1590.7	1157.0	1335.4
नरोरा ए पी एस	184.3	241.5	179.1	255.1	559.4	510.4
दादरी जी टी तथा एन सी आर टी पी एस दादरी	—	—	—	—	514.2	626.3
ऊंचाहार टी पी एस	—	—	—	—	640.8	1861.4
टनकपुर एच ई पी एस	—	—	—	—	55.3	40.6
जोड़	7715.2	8517.4	10115.4	11119.3	11081.4	12930.5

गुजरात के पर्वतीय क्षेत्रों में माइक्रोवेव प्रणाली

5916. श्री एन० जे० राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछड़े क्षेत्र छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्रों में माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बड़ोदरा तथा छोटा उदयपुर के बीच एक विश्वसनीय आप्टिकल फाइबर के बिल प्रणाली पहले से ही चालू की जा चुकी है। इसके उपरांत 8वीं योजना अवधि के दौरान छोटा उदयपुर तालुक में निम्नलिखित यू० एच० एफ० रेडियो प्रणालियां संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

छोटा उदयपुर—जेड० ओ० जेड० 30 चैनल

छोटा उदयपुर—काडीपानी "

छोटा उदयपुर—कवांत "

छोटा उदयपुर—पानवाड "

छोटा उदयपुर—रंगपुर "

इनके अतिरिक्त छोटा उदयपुर और कवांत में 2/15 एम० ए० आर०आर० प्रणालियां तथा रंगपुर में 4/30 एम० ए० आर० आर० प्रणालियों की भी 1993-94 के दौरान योजना है।

(ख) जी हां, कम क्षमता की रेडियो प्रणालियों का प्रस्ताव है।

(ग) निम्नलिखित 30 चैनल यू० एच० एफ० रेडियो प्रणालियों की योजना है—

1. मांडवी—बाबा
2. हालोल—पावागढ
3. खेडब्रह्मा—विजयनगर
4. नेटरंग—डेडियापाड़
5. जूनागढ़—भीसान
6. डेडियापाड़—सागबारा
7. अंबाजी—दान्टा
8. दान्टा—आलोनरा

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी

5917. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं;

(ख) क्या इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों तथा कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों तथा परेशानियों पर ध्यान देने के लिये पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मिशनवार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) इन कठिनाइयों का समाधान करने में भारतीय दूतावासों/कार्यालयों की क्या भूमिका रही है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की मिशनवार संख्या कितनी-कितनी है जिनमें समाधान के प्रयास असफल हुए, सम्बन्धित पक्षों में से एक पक्ष द्वारा करार भंग किया गया तथा प्रवासी भारतीय करार पूरा होने से पहले ही भारत लौट आये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) स्टाफ की संख्या कुछ कम है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) सम्बद्ध देशों में भारतीय मिशन/केन्द्र भारतीय समुदाय और भारतीय एसोसिएशन के माध्यम से भारतीयों की दशा का पता लगाते हैं। जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित मिशन शिकायत करने वाले की कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियोक्ताओं/मेजबान सरकार के

साथ सम्पर्क करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करता है। समझौता न होने की स्थिति में परेशान भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की जाती है।

(ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सरदार सरोवर परियोजना

5918. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरदार सरोवर बहु-उद्देशीय परियोजना पर हुए खर्चों के अद्यतन आंकड़े क्या है तथा इस परियोजना पर होने वाली सकल अनुमानित खर्च के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या जलाशय निर्माण के प्रथम चरण के फलस्वरूप सरदार सरोवर बांध में पानी भरना आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) जलाशय में प्रथम चरण में पानी जमा करने से कितने गांव और परिवार प्रभावित होंगे; और

(घ) प्रथम चरण की जलमग्नता से अब तक कितने संकटग्रस्त परिवार बाहर चले गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 6406.04 करोड़ रुपए (1986-87 मूल्य स्तर) को अनुमोदित अनुमानित लागत के मुकाबले फरवरी, 1993 के अन्त तक गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना पर 2287.74 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) परियोजना के अनुमोदित कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार स्थाई जलमग्नता के कारण प्रभावित होने वाले गांवों और परिवारों की संख्या वर्षवार निम्न प्रकार है :

वर्ष	गुजरात		महाराष्ट्र		मध्य प्रदेश	
	गांव	परिवार	गांव	परिवार	गांव	परिवार
1993 के मानसून तक	10	3019	5	649	—	—
1994 के मानसून तक	9	1481	10	900	1	45
1995 के मानसून तक	—	—	11	763	16	1432
1996 के मानसून तक	—	—	—	—	13	646
1997 के मानसून तक	—	—	7	152	163	21057
	19	4500	33	2464	193	23180

(घ) प्रत्येक राज्य में दिसम्बर, 1992 तक पुनर्स्थापित परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :

राज्य	पुनर्स्थापित परिवार
गुजरात	3978
मध्य प्रदेश	943
महाराष्ट्र	936

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाक सलाहकार समिति

5919. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मध्य प्रदेश में डाक सलाहकार समिति गठित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इस सम्बन्ध में अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र शान्ति कार्यवाहियों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

5920. श्री राम नाईक :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री बी० देवराजन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र शान्ति कार्यवाहियों में भारत के सैनिकों को किन-किन देशों में भेजा गया है;

(ख) क्या भारत का निकट भविष्य में किसी देश में संयुक्त राष्ट्र शान्ति कार्यवाहियों में भाग लेने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी खर्चों को किस प्रकार पूरा किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में अपना यह मत स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र शान्ति कार्यवाहियां केवल संबंधित देशों की सहमति से ही की जानी चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत इस समय कम्बोडिया, इराक/कुवैत, अंगोला, अल-सल्वाडोर और सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है।

(ख) और (ग) भारत ने मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का फैसला किया है। भारत इन कार्रवाइयों का समर्थन करने के लिए तीन कम्पनियां और कुछ सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए सिद्धान्त: सहमत हो गया है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाइयों के व्यय की पूर्ति संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा देय निर्धारित अंशदानों से की जाती है। सोमालिया में कार्रवाइयों के मौजूदा चरण के लिए विकासशील देशों द्वारा हिस्सा लेने के लिए पैसे की पूर्ति इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित सोमालिया कोष में किए गए स्वैच्छिक अंशदानों से की जा रही है।

(ङ) भारत सरकार ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति की पुन: पुष्टि की है कि संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाइयां सम्बन्धित पक्षों की सहमति के आधार पर ही शुरू की जा सकती है। हाल ही में 47वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में वाद-विवाद के दौरान हमारी स्थिति पुन: व्यक्त की गई थी।

(च) संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाइयों के लिए सहमति के सिद्धान्त को सर्वोपरि मानते हैं।

हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाएं

5921. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशक द्वारा सुरक्षित संचालन के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में मुख्य श्रम आयुक्त की प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष सिफारिशें की गई हैं और उसमें कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों/दिए गए सुझावों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा दिये गए अवार्ड को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और श्रम मंत्रालय की दिनांक 18-3-1993 की असाधारण अधिसूचना संख्या एल-11013/1/92-आई० आर० (विविध) के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तारघर

5922. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में 1993-94 के दौरान नये तारघर खोलने तथा वर्तमान डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ग) उस पर कितना खर्चा आएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) मानमड (नासिक जिला), कोठरूड (पुणे शहर), सोसायटी (पुणे शहर), कुडाल (सिन्धुदुर्ग जिला) और पुसाद (यवतमाल जिला) में पांच नये तारघर 1993-94 के दौरान खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनके लिए जगह प्राप्त हो जाए। इसी अवधि के दौरान संलग्न विवरण में वर्णित 455 तारघरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

(ग) महाराष्ट्र में नये तारघरों को खोलने तथा मौजूदा तारघरों का आधुनिकीकरण करने में होने वाला अनुमानित खर्च क्रमशः 10 लाख रु० तथा 5.72 करोड़ रु० है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	1993-94 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित तारघरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	11
2.	अकोला	14
3.	औरंगाबाद	31
4.	अमरावती	18
5.	भण्डारा	14
6.	बम्बई	1
7.	बुलधाना	6
8.	चन्द्रपुर	12
9.	धुले	13
10.	गारचीरोली	1
11.	जालना	10
12.	जलगांव	36
13.	कोल्हापुर	15
14.	लातूर	19
15.	नागपुर	21

1	2	3
16.	नान्देड	18
17.	नासिक	34
18.	परभनी	12
19.	पुणे	10
20.	रायगढ़	23
21.	रत्नागिरी	22
22.	सांगली	12
23.	सिन्धुदुर्ग	10
24.	शोलापुर	48
25.	थाणे	27
26.	वर्धा	8
27.	यवतमाल	9

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटन परियोजनाएं

5923. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1993 तक स्वीकृत केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस अवधि तक परियोजनावार कितनी-कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृति दी जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और इनके लिए कितनी धनराशि दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए 203.18 लाख रु० की 13 पर्यटन परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं । इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं—

	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1. पुणे में गांधी स्मारक आश्रम में पर्यटक परिसर	25.59
2. महुर, जिला नान्देड में पर्यटक परिसर	26.26
3. निम्नलिखित स्थानों पर मार्गस्थ सुविधाएं :	
(क) वाजिपुर (जिला कोल्हापुर)	5.44
(ख) बालापुर (जिला अकोला)	5.44

4.	नागपुर में आगतुंक स्वागत केन्द्र	20.40
5.	नरसी, जिला परभनी में पर्यटक परिसर	25.40
6.	लोनार, जिला बुल्दाना में पर्यटक परिसर	26.47
7.	शिखार शिगानापु., जिला में पर्यटक परिसर	8.40
8.	राज्य के लिए टैन्टों की खरीद	20 00
9.	रायगढ़ के लिए टैन्टों की खरीद	2.00
10.	होवर क्राफ्ट की खरीद	16.97
11.	वाटर स्कूटरों की खरीद	12.40
12.	गणेश उत्सव	3.41
13.	हाथी उत्सव	5.00
		203.18

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुमानों सहित परियोजना प्रस्ताव अभी भिजवाए जाने हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) का ऋण

5924. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) की शर्तों को मान लिया है और इस सम्बन्ध में किसी अंतिम एकमुश्त समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त समझौते को लागू करने के सम्बन्ध नवीनतम स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) से (ग) विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र को वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जिनमें विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लाभांश की निर्धारित न्यूनतम दर प्राप्त करना, केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों को बकाया देय राशियों को औसतन तीन महीने के बिलों के बराबर कम करना तथा एक युक्तिसंगत टैरिफ ढांचा तैयार करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा इन सुझावों पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों का आगमन

5925. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोई कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खण्डवा जिले में फल और सब्जी आधारित उद्योग

5926. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार को खण्डवा जिले में फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योग हेतु कोई सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जिले में फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों से संबंधित कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फल एवं सब्जियों पर आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है । परन्तु मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में फल और सब्जी आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

[अनुवाद]

बांग्लादेश में भारतीय अंतःक्षेत्र में डाक व तार सुविधाएं

5927. श्री अमर रायप्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश की भूमि पर स्थित ऐसे भारतीय अंतःक्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां 31 दिसम्बर, 1992 को डाक व तार सुविधाएं उपलब्ध थीं;

(ख) क्या 1993-94 के दौरान इनमें से किसी अंतःक्षेत्र में ऐसी सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अंतःक्षेत्रों का ब्यौरा व नाम क्या हैं जहां यह सुविधा दी जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बांग्लादेश की भूमि पर डाक-तार सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का अंतरण

5928. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री 14 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। सूचना एकत्र की गई और 15-2-1993 को आश्वासन की पूर्ति की जा चुकी है। कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संचार मंत्रालय

प्रति की तारीख 15-6-93

तारीख तथा सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	देरी के कारण
1	2	3	4	
श्री अर्जुन सिंह यादव द्वारा 14-12-92 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 3293	**दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का स्थानान्तरण** जिसमे पूछा गया था कि : (क) क्या टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण संबंधी मामलों को 15 दिनों के भीतर भी नहीं निपटाया जाता है; (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; (ग) दिल्ली टेलीफोन के महाप्रबंधक को जनवरी से अक्तूबर, 1992 तक संसद सदस्यों की ओर से इस संबंध में कितने आवेदन पत्र मिले हैं; और (घ) प्रत्येक महाप्रबंधक के कार्यालय	(क) से (घ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख) जहां एक्सचेंज क्षमता और बाहरी नेटवर्क उपलब्ध होते हैं वहां टेलीफोन के शिफ्टिंग (स्थानांतरण) के मामले आमतौर पर 15 दिन के भीतर निपटाए जाते हैं और जहां अतिरिक्त क्षमता अथवा बाहरी नेटवर्क तत्काल उपलब्ध नहीं होते वहां तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने तक टेलीफोन शिफ्टिंग के कार्य में लंबा समय लगता है। तथापि संबंधित उपभोक्ताओं को सूचित करते रहते हैं। (ग) माननीय संसद सदस्यों से समीक्षाधीन अवधि के दौरान टेलीफोन शिफ्टिंग के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 264 है। (घ) प्रत्येक महाप्रबंधक के कार्यालय में विभिन्न समय अवधियों के अंतर्गत निपटाये गये मामलों का ब्यौरा नीचे	

1	2	3	4
	में दो सप्ताह, चार सप्ताह तथा चार सप्ताह से अधिक समय के बाद निपटाए गए मामलों को अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?		दिया गया है :

क्षेत्र	दो सप्ताह के भीतर	दो सप्ताह से अधिक लेकिन चार सप्ताह तक	चार सप्ताह से अधिक	जोड़
केंद्रीय	108	—		108
पूर्व	20	15	—	35
उत्तर	12	5	2	19
दक्षिण	10	2	5	17
पश्चिम	73	2	—	75
				254

(10 मामले दक्षिण क्षेत्र में तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होने के कारण लंबित हैं)

विद्युत पारेषण और वितरण हानि

5929. श्री राम टहल चौधरी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत पारेषण और वितरण हानि को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद इस समय यह हानि तेईस प्रतिशत ही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) यह तथ्य है कि देश में पारेषण तथा वितरण हानियां लगभग 23% है। विभिन्न बिजली विभागों/राज्य बिजली बोर्डों में इन घाटों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं।

विद्युत वितरण के क्षेत्र में विभिन्न यूटिलिटियों द्वारा अपर्याप्त निवेश किए जाने तथा ऊर्जा की चोरी किए जाने के कारण पारेषण तथा वितरण हानियों को अपेक्षित स्तर तक कम नहीं किया जा सका है।

(ग) और (घ) सरकार इस समस्या के बारे में चिन्तित है तथा राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को समय-समय पर प्रणाली सुधार/वितरण स्कीमों को प्राथमिकता दिए जाने तथा ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए प्रभावकारी प्रशासनिक उपाय करने की सलाह दी गई है जिसे एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है।

पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए किए गए अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ भारी घाटों के लिए जिम्मेदार प्रभागीय घटकों का पता लगाए जाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करना, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना तथा पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीमें चलाना शामिल हैं।

विवरण

रा० बि० बोर्डों/बिजली विभागों में प्रतिशत परिणमन, पारेषण एवं वितरण हानियां
(बिजली की चोरी जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित)

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/ बिजली विभाग	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	25.54	25.62	29.35	27.49	27.28
	2. हिमाचल प्रदेश	22.84	22.08	21.36	21.45	18.07
	3. जम्मू व कश्मीर	45.05	41.46	50.04	42.33	48.75
	4. पंजाब	18.86	18.32	17.62	18.97	18.70
	5. राजस्थान	24.39	25.34	25.41	25.92	22.71
	6. उत्तर प्रदेश	26.83	27.41	27.12	26.93	25.26
	7. चंडीगढ़	19.98	21.66	24.10	23.72	17.93
	8. डेसू	23.84	28.08	23.60	23.86	24.35
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	21.54	19.61	22.11	23.71	22.70
	2. मध्य प्रदेश	21.97	22.07	20.68	17.66	18.40

	3. महाराष्ट्र	14.32	15.77	16.37	18.06	18.16
	4. दादर व नगर हवेली	17.74	16.05	11.44	17.69	19.00
	5 गोवा	23.86	25.61	24.23	24.97	18.98
	6. दमन एवं दीव	20.65	21.38	16.56	16.85	15.66
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	20 20	19.35	20.96	22.43	19.31
	2. कर्नाटक	21 99	21.29	21.20	20.11	18.91
	3. केरल	29.77	25.23	20.63	21.67	21.00
	4. तमिलनाडु	18.44	15.66	17.19	18.74	18.21
	5. लक्षद्वीप समूह	14.26	19.16	11.90	18.62	17.44
	6. पांडिचेरी	20.32	20.02	18.55	19.20	16.22
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.64	23.96	24.36	21.09	20.00
	2. उड़ीसा	24.95	27.52	27.72	25.29	24.00
	3. सिक्किम	22.37	21.38	23.36	24.53	22.57
	4. प० बंगाल	23.45	23.23	24.16	21.81	23.84
	5. अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	19.05	15.49	16.19	19.83	21.66
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	24.04	24.98	25.12	24.10	25.00
	2. मणिपुर	33.98	35.71	30.26	28.02	22.00

1	2	3	4	5	6	7
	3. मेघालय	9.57	9.60	11.73	11.80	11.49
	4 नागालैंड	31.31	29.00	21.46	26.08	30.00
	5. त्रिपुरा	29.23	30.57	29.03	29.59	29.00
	6. अरुणाचल प्रदेश	22.59	24.89	22.29	19.99	27.66
	7. मिजोरम	29.08	29.66	32.04	29.63	28.00
	अखिल भारत (यूटिलिटीज)	22.48	22.31	23.28	22.89	22.92

मेघालय के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कम हानियां होने का कारण पड़ौसी राज्यों को ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा में बिक्री किया जाना है।

[अनुवाद]

केरल के लिए यात्रा पैकेज

5930. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने केरल में पर्यटक भ्रमण के लिए कोई पैकेज यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम तमिलनाडु और केरल राज्यों के विभिन्न पर्यटक गंतव्य-स्थलों को शामिल करते हुए 8 दिन तथा 7 रातों की एक एक-मुश्त यात्रा (टुअर पैकेज) का परिचालन करता है। इस एक-मुश्त यात्रा को साउथ इण्डिया बोनान्ज़ा टुअर कहते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम में गैर-योजना व्यय में कटौती

5931. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन को गैर-योजना व्यय में सख्ती से मितव्ययता लागू करने हेतु विशेषतः गत तीन वर्षों के दौरान समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि उसके निर्देशों का भारत पर्यटन विकास निगम में पालन हो, किसी तंत्र/कक्ष की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक यूनिट/डिवीजन में गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1993 तक व्यय में की गई बचत का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन को समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का संबंध मनोरंजन खर्च में किफायत बरतने, टेलीफोन लाइन, यात्रा भत्ता बजट और पेट्रोल की खपत में कमी करने आदि से है।

(ख) सरकार भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर करती है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने टेलीफोन की अपेक्षित लाइनें कम करने के अनुदेश लागू कर दिए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेश यात्राओं पर होने वाले व्यय और मनोरंजन व्यय में भी कटौती की है।

जहां तक पेट्रोल की खपत का संबंध है, पेट्रोल, आदि के मूल्य में वृद्धि होने की बात को ध्यान में रखते हुए, इस मद पर व्यय थोड़ा-सा बढ़ गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में पारेषण के कारण हानि

5932. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को पुरानी पारेषण प्रणाली के कारण भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पुरानी पारेषण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) केवल पुरानी पारेषण प्रणाली के कारण डेसू को अत्यधिक हानियां नहीं हो रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु डेसू द्वारा विभिन्न वोल्टता स्तरों पर पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का विस्तार/इसे सुदृढ़ किया जा रहा है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना द्वारा विस्थापित परिवार

5933. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की बाणसागर सिंचाई परियोजना के कारण कितने परिवारों को हटाया जा रहा है और अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) परियोजना द्वारा जलमग्न किए जाने की संभावना वाले स्थानों पर रह रहे कितने परिवारों को अन्य स्थानों से हटाया गया है और वे स्थान कहां-कहां पर हैं;

(ग) कितने परिवार अभी भी जलमग्न होने की सम्भावना वाले स्थानों पर रह रहे हैं और उन्हें उक्त स्थान से कब तक हटाकर अन्यत्र पुनर्वासित किया जायेगा;

(घ) क्या प्रभावित परिवारों को अन्यत्र न हटाये जाने के कारण जलाशय के निर्माण का कार्य रुक गया है, यद्यपि बांध का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) बाणसागर परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले 23390 परिवारों में से 5279 परिवारों, जिनके 6/92 तक प्रभावित होने की संभावना थी। को जलमग्न क्षेत्र से बाहर बसाया गया है। इसमें से 823 परिवारों को परियोजना द्वारा विकसित

किए गए माडल गांवों में बसाया गया है तथा शेष परिवारों ने इसके लिए स्वयं प्रबन्ध किया है। शेष 18111 परिवारों को 6/98 अर्थात् बांध पूरा होने की निर्धारित तारीख से पूर्व बसाए जाने का कार्यक्रम है। 2960 परिवारों को पुनर्वास अनुदान दे दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली दूरदर्शन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

5934. श्री एम० जे० राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में दिहाड़ी पर काम करने वाले सामान्य सहायकों/लिपिकों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ख) उन्हें कब तक नियमित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 72. इनमें से 2 अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

(ख) दूरदर्शन में सामान्य सहायकों सहित नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने की एक योजना केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सरकार ने पहले ही तैयार कर ली है। योजना के कार्यान्वयन पर इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने रोक लगाया हुआ है। योजना के अनुसार नियमन प्रक्रिया को रोक आदेश हटा लेने के पश्चात् पुनः आरम्भ किया जाएगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और गुजरात के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन और तार सेवायें

5935. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न गांवों में स्थित ऐसे डाकघरों की जिलावार संख्या कितनी है जहां, सार्वजनिक टेलीफोन, तार और बचत बैंक की सुविधा है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में महाराष्ट्र और गुजरात के सभी ग्रामीण डाकघरों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र तथा गुजरात के विभिन्न गांवों में स्थित ऐसे डाकघरों की जिलावार संख्या क्रमश: विवरण I और II में दी गई है जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन, तार तथा बचत बैंक सुविधायें सुलभ हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक टेलीफोन : जी नहीं । सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा सुलभ कराने की अलग से कोई योजना नहीं है । सरकार ने सभी पंचायत-ग्रामों में जिनमें महाराष्ट्र और गुजरात के पंचायत-ग्राम भी शामिल हैं, 31-3-1995 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा सुलभ कराने की योजना बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें । ऐसी टेलीफोन सुविधा स्थापित करने के लिए जिन स्थानों का सुझाव दिया गया है, डाकघर भी उनमें से एक है ।

तार : ये सुविधाएं मांग तथा आवश्यकता के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से सुलभ कराई जाएंगी । तथापि, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तार सुविधा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 195 डाकघरों की पहचान की गई है ।

बचत बैंक : महाराष्ट्र तथा गुजरात के गांवों में सभी डाकघरों में बचत-बैंक सुविधा सुलभ है ।

विवरण-I

महाराष्ट्र के गांवों में ऐसे डाकघरों की जिलावार संख्या जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन, तार तथा बचत बैंक सुविधाएं सुलभ है

क्रम सं०	जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन	तार	बचत बैंक
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	224	39	224
2.	अकोला	109	19	109
3.	अमरावती	127	39	127
4.	औरंगाबाद	101	13	101
5.	बुलढाना	135	141	135
6.	भांद्रा	143	19	143
7.	बीड	118	12	118
8.	चन्द्रपुर	109	108	109
9.	धुले	188	26	188
10.	गढ़चिरोली	65	58	65
11.	जालना	51	3	51
12.	जलगांव	270	175	270
13.	कोल्हापुर	153	38	153
14.	लातूर	92	15	92
15.	नागपुर	49	24	49

1	2	3	4	5
16.	नासिक	161	54	161
17.	नांदेड़	196	88	196
18.	ओस्मानाबाद	98	19	98
19.	पुणे	128	129	128
20.	परभनी	164	83	164
21.	रायगढ़	87	37	87
22.	रत्नागिरि	144	38	144
23.	शोलापुर	159	76	159
24.	सतारा	166	87	166
25.	सांगली	155	77	155
26.	सिंधुदुर्ग	105	100	105
27.	ठाणे	48	6	48
28.	वर्धा	93	96	93
29.	यवतमाल	117	114	117

विवरण-II

गुजरात के गांवों के उन डाकघरों की जिलावार संख्या जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन, तार तथा बचत बैंक की सुविधायें सुलभ हैं

क्रम सं०	जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन	तार	बचत बैंक
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	17	48	421
2.	अमरेली	97	103	305
3.	बनासकांठा	125	35	445
4.	भरूच	116	90	183
5.	भावनगर	98	70	427
6.	डांग	7	3	56
7.	गांधीनगर	10	61	59
8.	जामनगर	88	86	340

1	2	3	4	5
9.	जूनागढ़	149	179	476
10.	खेड़ा	169	170	575
11.	कच्छ	129	75	471
12.	महेसाणा	208	144	533
13.	पंचमहल	118	120	500
14.	राजकोट	120	109	445
15.	साबरकांठा	160	91	545
16.	सूरत	111	109	573
17.	सुरेन्द्रनगर	87	86	309
18.	बड़ोदरा	125	80	571
19.	बलसाड	108	----	514

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों की जाली स्वीकृति

5936. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की जाली स्वीकृतियों की जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात के जिलों में डाक सुविधाएं

5937. श्री एन० जे० राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र की सुविधाएं और दूसरी बचत योजनाएं सभी डाकघरों, विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक डाकघर में उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महोदय, समूचे गुजरात क्षेत्र में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में, राष्ट्रीय बचत-पत्र/किसान विकास-पत्र तथा अन्य बचत-योजनाएं सभी प्रधान डाकघरों तथा अन्य श्रेणी के उन सभी विभागीय डाकघरों में सुलभ है जहां इनकी मांग व औचित्य है। मासिक आय योजना तथा राष्ट्रीय बचत योजना 1992, प्रधान डाकघरों तथा विभागीय उप डाकघरों के माध्यम से चलाई जाती हैं। लोक भविष्य निधि की सुविधा केवल प्रधान डाकघरों में सुलभ है। तथापि किए गए निवेश के संग्रहण तथा भुगतान की सुविधा सभी शाखा डाकघरों में सुलभ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में अमरीकी निवेश

5938. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में पूंजीनिवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक अमरीकी शिष्ट मंडल ने फरवरी, 1993 के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) यद्यपि फरवरी, 1993 में किसी भी ऐसे अमरीकी शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा नहीं किया था परन्तु विद्युत क्षेत्र में निवेश किए जाने संबंधी नए अवसरों का लाभ उठाने के इच्छुक अमेरिका की निजी कंपनियों/समूहों के प्रतिनिधि निवेश की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत का दौरा करते रहे हैं। 30523 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों पर 11112 मेगावाट क्षमता स्थापित किए जाने के लिए 19 अमरीकी कंपनियों (एन० आर० आई० सहित) से अभिप्राय पत्र (इन्टेंडमेंट) प्राप्त हो चुके हैं।

इम्फाल में विमान दुर्घटना

5939. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के निकट 16 अगस्त, 1991 को इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में की गई जांच का प्रतिवेदन नागर विमानन निदेशालय और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं तथा प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट 30-4-92 को प्राप्त हुई थी, इस रिपोर्ट में निष्कर्षों और सिफारिशों पर सरकार के निर्णय सहित, यह रिपोर्ट इन्डेक्स संख्या 363.12465 आर एन-I के तहत संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय डाक्टर

5940. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय डाक्टरों की सेवाओं की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किन मानदंडों का पालन किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) अनेक देश विशेषकर खाड़ी क्षेत्र के देश भारतीय डॉक्टरों की सेवाएं चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि उनकी भर्ती सरकार के माध्यम से हो क्योंकि वे निजी एजेन्सियों की सेवा का प्रयोग करते हैं, तथापि निम्नलिखित देशों से सरकारी तौर पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं—

(1) लीबिया उनका अनुरोध विचाराधीन है।

(2) कम्बोडिया—भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत यह अनुरोध एक ऐसे भारतीय डाक्टर को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया है जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

(3) जाम्बिया—भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 भारतीय डाक्टरों की सेवाओं के लिए अनुरोध किया गया है। इस अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारतीय विशेषज्ञों, जिनमें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विशेषज्ञ भी शामिल हैं, की प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्ड कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए विदेशी कार्यों से सम्बद्ध समेकित अनुदेश में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी सरकारों को उनके अनुरोध पर उनके देशों में सेवा के लिए डाक्टरों की भर्ती में भी मदद की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। 7 अप्रैल को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर गोली चलाई गई। मैंने उस दिन भी सदन में कहा था कि प्रेजीडेंट रूल होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश

में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है और खासकर जो माइनारिटीज के लोग हैं, जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, आज भी वहां ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रीज्यूडिस होकर उनके विरुद्ध काम कर रहा है और 7 अप्रैल को जिस ढंग से वहां घुसकर गोली चलाई गई जिसमें दो लड़के मारे गए और कुछ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, उस समय उसको टाला जा सकता था। दो लड़कों की जब ट्रक से मृत्यु हुई तो स्वाभाविक था कि लड़के उत्तेजना में आते, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि बिना किसी वार्निंग के पुलिस उन पर गोली चलाने का काम करे। जिस ढंग से यह कार्य किया गया है हम इसकी निंदा करते हैं, यह कोई राजनैतिक दल का मामला नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसके ऊपर वक्तव्य दे। वहां के जो एस० पी० हैं या पुलिस और प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, जो भी इसके लिए दोषी हों, उसको सस्पेंड करके गिरफ्तार करें और जो लोग मरे हैं उनको भी मुआवजे की व्यवस्था करें, उनको पांच-पांच लाख रुपए की सहायता दी जाए। हम सरकार से यह मांग करते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, जो सवाल राम विलास जी ने उठाया, मैंने इसके लिए आपको नोटिस दिया था। मैं 11 साल उस यूनिवर्सिटी का तालिब-ए-इल्म रहा। आज तक तो तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस तरह का हादसा नहीं हुआ। जिस तरह से पुलिस अफसर ने लड़के को टॉर्च से मारकर रिवॉल्वर से गोली मारने का काम किया है और आपको मालूम होगा वहां चार लड़के मर चुके हैं, 18 लड़के घायल अवस्था में अब तक अलीगढ़ और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह से बिना वाईस चांसलर की परमीशन के, वाईस चांसलर से मना किया कि आप कैम्पस में दाखिल नहीं हो सकते, वहां की पुलिस ने होस्टल में घुसने का काम किया। आज तक की तारीख में आप देखिए कि वहां पुलिस से कनफ्रंटेशन नहीं के बराबर हुई है। लेकिन जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती है वह लिमिट क्रॉस कर चुकी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सरकार जवाब दे कि आखिर इस तरह का हादसा वहां क्यों हुआ, पुलिस इस तरह से वहां बेचैनी क्यों पैदा कर रही है? आज यूनिवर्सिटी को दो महीने के लिए बंद कर दिया गया है। गृह मंत्री इस पर बयान देंगे। वह बिल्कुल ही रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। आज 14 हजार छात्र अपने घरों को गए हैं। किस तरह से गार्जियन को और लड़कों का नुकसान हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ मांग रखना चाहता हूं। एक तो बिना वाईस-चांसलर की परमीशन के पुलिस कैम्पस में दाखिल न हो। जितने लोग मरे हैं उनमें से सिर्फ दो लोगों को कंपनसेशन देने का काम हुआ है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्रधान मंत्री अपने फंड से जो दो लड़के कुचलकर मरे हैं, उनको कंपनसेशन देने का काम करें। जो लोग घायल हैं उनको कंपनसेशन देने का काम करें। उसके बाद जो अफसर जैसे डी० एम० और एस० एस० पी० इनवॉल्व हैं उनका ट्रांसफर नहीं, बल्कि उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन सरकार ले। जो ट्रैफिक कैम्पस से पास करता है उसको बाय पास से पास करवाया जाए। अध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली खोलने की व्यवस्था की जाए। इसलिए कि अगर उस यूनिवर्सिटी को नहीं खोला गया तो लड़कों के एक साल का नुकसान हो सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब को आप कहें कि वे इस मामले में रेस्पोंड करें, स्टेटमेंट सदन में करें।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : हम भी इसको सपोर्ट करते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, सदन में जवाब दिलवाया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, मैं एक और मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता था लेकिन उससे पहले मैं अलीगढ़ के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ उन शहरों में है जिनमें पिछले उपद्रवों के दौरान भी शांति रही थी और अलीगढ़ के प्रशासन को, वहां के लोगों को इसके लिए बधाइयां मिली थीं। अब वहां एक घटना हो गयी, ट्रक से लड़के मारे गये, इससे उन लड़कों में उत्तेजना आना स्वाभाविक है। उसके बाद जिस प्रकार का पुलिस का आचरण रहा, उसके सम्बन्ध में भी अलग-अलग बातें कही जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, वह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और अलीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। आप गृह मंत्री जी को कहिए कि वे अलीगढ़ की घटना के बारे में सदन में एक वक्तव्य दें और यदि आवश्यक हो तो सदन उस पर संक्षिप्त चर्चा कर सकता है। लड़के अगर मारे गये हैं तो उनके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस ने अगर आवश्यकता से अधिक वहां बल-प्रयोग किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। सारे पहलू अलीगढ़ कांड के सदन के सामने आने जरूरी हैं और यहां एक वक्तव्य हो सकता है।

लेकिन, अध्यक्ष जी, मैं एक और मामला यहां उठाना चाहता था। मैंने काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी थी। (व्यवधान)

ठीक है, उसके बाद, आप मुझे मौका देंगे। (व्यवधान)

अब मुझे इनसे मौका मांगना पड़ रहा है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, 10 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी खुद वहां गए थे और लड़कों को आश्वासन देकर आए थे। वहां से लड़के 14 तारीख को यहां आए थे। डेढ़ हजार लड़कों को गिरफ्तार करके यहां अम्बेडकर स्टेडियम में रखा गया था। उनको वहां दो दिनों तक खाना और पीने के लिए पानी, कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद भी वहां जिस बर्बर ढंग से पुलिस ने रास्ते में उनके साथ व्यवहार किया, वह वास्तव में निन्दनीय है। आज यह मामला केवल अलीगढ़ तक ही सीमित नहीं है, पूरे अलीगढ़ के छात्रों ने आन्दोलन की चेतावनी दी है और विभिन्न छात्र संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि अब यदि सरकार इस पर सावधान नहीं हुई तो पूरा उत्तर प्रदेश छात्र आन्दोलन की चपेट में आ जाएगा। इसलिए यह मंत्री जी को सदन में तत्काल वक्तव्य देना चाहिए और जो लड़के पुलिस की गोली से मारे गए हैं उनको अविलम्ब कम्पेनसेशन दिया जाना चाहिए। जो लड़के घायल हैं, उनकी यथासम्भव सहायता करनी चाहिए और विश्वविद्यालय को तत्काल खोला जाना चाहिए। इसके साथ ही, दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। यही मैं आपके जरिए सरकार से मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या, सरकार जवाब देने की इच्छुक है।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम अवश्य ही इस बारे में एक वक्तव्य देंगे।

———

मुम्बई में हुए बम-विस्फोट के बारे में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, मैंने काम रोको प्रस्ताव की सूचना आपको दी थी लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। हम आपका निर्णय स्वीकार करते हैं। सदन काफी दिनों तक काम नहीं कर सका था इसलिए आज सदन का काम रोकने में हमारी रुचि नहीं है। हमारी रुचि इस बात में है कि 12 मार्च को बम्बई में जो बम विस्फोट हुए थे, उनके बारे में एक अधिकृत वक्तव्य सदन के सामने आना चाहिए। जब हम काम नहीं कर रहे थे तो भारत-विरोधी राष्ट्र-विरोधी काम करने में लगे थे। बाहर से आर० डी० एक्स० बड़े पैमाने पर आ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री पर विश्वास करना हो तो बम्बई में जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं, वे सब विस्फोटक नहीं हैं, उन्हें वहां से कुछ प्रदेशों में भेज दिया गया है और वे कभी भी फूट सकते हैं। उनके सम्बन्ध में सरकार के पास क्या सूचनाएं आयी हैं।

प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि बम-विस्फोट के पीछे किसका हाथ है, किसका दिमाग है, हम उसका पता लगाएंगे। क्या वे सारे हाथ सरकार के हाथ में आ गए हैं? क्या सरकार उस दिमाग तक पहुंच गयी है?

इस मामले में हमारे मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्य काफी भ्रम पैदा कर रहे हैं। पता नहीं यह सरकार किस तरह से काम करती है। एक दिन बाद, गृह मंत्री जी ने दूसरे सदन में कहा था कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है। लेकिन जब आडवाणी जी ने कहा कि सारे संदेह की सूई आई० एस० आई० की ओर जा रही है तो सदन ने उसे पसन्द नहीं किया गया और कहा गया कि आप इतनी जल्दी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। मगर वही बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन कल विदेश मंत्री ने लखनऊ में कुछ और ही कहा। पता नहीं यह लखनऊ का असर था, या...।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वहां के आप नुमाइंदे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, इसीलिए मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। कल विदेश मंत्री जी ने जो कहा उसमें से यह ध्वनि निकलती है कि अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले।... (*व्यवधान*) आप अपना स्पष्टीकरण बाद में दीजिए क्योंकि कई मंत्रियों को अपनी स्थिति साफ करनी है।

श्री राजेश पायलट ने कहा कि पाकिस्तान का हाथ है। श्री शरद पवार भी इसी तरह की बात कहते हैं। अब किसका हाथ है और सरकार किन सबूतों को इकट्ठा करने में सफल हुई है; जांच कहां तक पहुंची है और वे विस्फोटक कहां से आए हैं? खाड़ी के देश से आए हैं? खाड़ी का देश कौन-सा है, दुबई है, पाकिस्तान इसमें कहां तक फंसा है?

क्या यह सच है कि एक पाकिस्तानी बम्बई उपद्रवों के पहले पकड़ा गया था और जिसने अपना बयान दिया है कि हम पहले से तैयारी कर रहे थे। ये सारी बातें हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं। अभी तक तो सदन नहीं था। आज बैठक हो रही है। हमें पूरा वक्तव्य चाहिए। बम्बई के विस्फोटकों के बारे में, आज तक की हुई जांच के बारे में और बाद में इस पर आप इस सदन को चर्चा करने का अवसर भी दे सकते हैं। (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : वास्तव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, ठाणे में पिछले कुछ सप्ताह से एक भी दंगा नहीं हुआ है। अब, दिन-ब-दिन आर० डी० एक्स० की तस्करी करके मुम्ब्रा, ठाणे और बेलाकिक में भेजा जा रहा है। यह रोजमर्रा का मामला है। तस्करों का एक पूरा दल काम कर रहा है। एक वर्ष पहले हमने सरकार को एक नोटिस दिया था कि इस प्रकार की तस्करी चल रही है। श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ने पिछले महीने यहां बताया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने विशेषाधिकार का कोई प्रस्ताव नहीं उठाया क्योंकि मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे पास इसकी सही जानकारी है कि केन्द्रीय नेता, महाराष्ट्र का नेता तथा तस्कर इकट्ठे होकर ये सभी कर रहे हैं।

मैंने एक नोटिस दिया है, कृपया मुझे बोलने दीजिए। राज्य-नेता, कांग्रेस के केन्द्रीय नेता ...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अप्रमाणित और गलत आरोप लोगों पर लगाये जा रहे हैं।

श्री राम कापसे : मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा। वह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में है। आप इसके लिए तैयार रहें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले की जांच बहुत ही नाजुक दौर पर है तथा जांच पड़ताल पूरे उत्साह और बहुत तेजी से की जा रही है। हमारे नियंत्रणाधीन सभी एजेंसियां इसके सहायतार्थ है। (व्यवधान) पूर्वानुमान लगाये जा सकते हैं, आरोप लगाये जा सकते हैं तथा अट कलबाजियां हो सकती हैं। और जब सरकार कोई वक्तव्य देती है, तो यह तथ्यों पर आधारित होगा और जो कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं, हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई भी जानकारी जो हमारे द्वारा रखी गई हो वह समुचित जांच पड़ताल में और अपराधियों को पकड़ने में किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट न डाले। अत: सरकार उचित समय पर जानकारी देगी। लेकिन जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सभा को निश्चित रूप से समुचित जानकारी देंगे और सभा को विश्वास में भी लेना चाहेंगे। लेकिन जिस समय हम वक्तव्य दे सकें, उस स्थिति को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। तब तक मैं सभा से सहयोग देने का अनुरोध करूंगा ताकि हम जांच-पड़ताल को पूरा कर सकें तथा समुचित रूप से अपराधियों को पकड़ सकें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, 12 मार्च को यह दुर्घटना बम्बई में हुई। अगर 15-16-17 तारीख को श्री शुक्ला जी यह वक्तव्य देते जो अभी उन्होंने दिया है, तो सदन निश्चित रूप से कुछ प्रतीक्षा करता। लेकिन आज पांच सप्ताह बाद, जिन पांच सप्ताहों में हमने दुनिया के अखबारों में बहुत भारी चीजें पढ़ी हैं, यहां तक कि हमारी इस भूमि पर आकर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हम पर आरोप लगाया, सारे देश को लांछित किया है कि मेनन तो आपके घर में ही बैठे हैं और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वालों में केवल विपक्ष के प्रतिनिधि नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केन्द्र के मन्त्री, गृह मंत्री सब रहे हैं और उसके पांच सप्ताह बाद सरकार का प्रतिनिधि खड़ा होकर कहे कि हम बयान नहीं देंगे क्योंकि उसके कारण इनवेसटीगेशन्स प्रभावित होंगे।

अध्यक्ष जी, मैं इस बयान से बहुत असन्तुष्ट हूं क्योंकि जितनी चीजें हुई हैं, उनमें बहुत साफ दिखाई देता है कि सरकार की तरफ से भी बहुत शिथिलता का बर्ताव हुआ है, टारडीनैस हुई है। यहां तक कि मेनन के बारे में उसी दिन पता लग गया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद को केवल 23 तारीख को सूचना देने का क्या कारण था और इस्लामबाद को हमने यह अवसर क्यों दिया कि हमको तो आपने जानकारी नहीं दी। मैं नहीं जानता लेकिन इन बातों के बारे में तो तथ्य आने चाहिए कि हमने कब दुबई को कहा, हमने कब इस्लामाबाद को कहा और उन्होंने क्या जवाब दिया ? आज की स्थिति क्या है ? कुछ तथ्य जरूर ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आप अभी भी परस्यू कर रहे हैं और आप हमको विश्वास में न लेना चाहेंगे। लेकिन ब्लेंकिट तौर पर यह कह देना कि उसके इनवेस्टीगेशन्स प्रभावित होंगे जबकि दुनिया भर की खबरें अखबारों में छप रही हैं और आपके बयान छप रहे हैं।

एक मंत्री कहता है कि हमारे पास पक्के सबूत नहीं हैं, दूसरे कहते हैं कि हमारे पास पक्के सबूत हैं। इस स्थिति में मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी की यह जो मांग है, वह एक प्रकार से सदन के सभी सदस्यों की भावना को व्यक्त करती है और सदन को जानकारी में लिया जाना चाहिए। कुछ तथ्यों को जिनके बारे में सरकार समझती है कि···

[अनुवाद]

उन्हें कुछ संकेतों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए उनको बताया नहीं जा सकता, कि वे उकसाने वाली हैं यह बात तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मूल तथ्यों को सभा के सम्मुख रखा जाना चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मुम्बई के बम-कांड के दो पहलू हैं। एक पहलू जो उठाया गया है वह पाकिस्तान का है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन दूसरा पहलू हमारी सुरक्षा और स्थायित्व का है।

प्रतिदिन समाचार पत्रों में यह समाचार आ रहा है कि हथियार और गोलाबारूद से भरे जहाजों को कुछेक तटों पर पकड़ा जा रहा है। यह भी समाचार-पत्रों में आ रहा है कि सीमा-शुल्क अधिकारी भी हथियारों को लाने में संलिप्त हैं, यह भी समाचार पत्रों में आ रहा है कि श्री एम० टी० अरोड़ा, जो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त है, उन्हें इलाहाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया, पहले वह मुम्बई में थे, ये महाशय वहां थे, उन्होंने इन तस्करों से लगभग 180 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उसके लिए उन्हें इलाहाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया। यह कैसे हुआ है, मैं नहीं जानता। लेकिन विस्फोट होने से पहले उसने मुम्बई पुलिस को लिखा कि हथियार और गोलाबारूद बड़ी मात्रा में आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तार में जा रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं महोदय, श्री अरोड़ा को मुम्बई पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में उनकी सहायता करने के लिए बुलाया गया था। वहां जाने से पहले इलाहाबाद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। अत: ये शक्तियां, जो तस्करी और अस्थिरता पैदा करने में लगी हुई हैं तो कितने समय तक आप उन्हें इस तरह मनमानी करने देंगे ? वे हमारे अधिकारियों को भी डरा-धमका रहे हैं। ये सभी बातें सामने आ रही हैं।

अत: अब ऐसी खबरें आ रही हैं, और सरकार ने इसमें विलंब किया है तो फिर इस सभा को हमारी सुरक्षा के लिए अपनी चिन्ता जाहिर करने का प्रत्येक अधिकार है। पाकिस्तान को एक तरफ कर दीजिए, वह एक राजनयिक प्रश्न है, इससे हमें किसी अन्य तरीके से निबटना होगा। क्या हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता को इन लोगों से सुरक्षित रखा जाएगा? क्या सरकार ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया है। यह प्रेस में आ रहे समाचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, यह यही दर्शाता है कि सरकार ने इस पर लापरवाही बरती है। कुछ भी नहीं हो रहा है और अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें बना रहे हैं।

अत: मैं मांग करता हूं कि सरकार को इन हथियार और गोलाबारूद के मामलों तथा मुम्बई के बम-विस्फोट के जो कुछ हुआ, उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इससे देश को खतरा है, यह देश की स्थिरता के लिए एक खतरा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं पूर्णत: आडवाणी जी की राय से सहमत हूं। बहुत दिनों के बाद पूरी सहमति का अवसर आज मिला है। इस सवाल पर उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, वे पूरी तरह उचित हैं। सरकार के मंत्री बाहर बयान दें और सदन में बयान दें ··· (व्यवधान) ··· आप यहां भी चूड़ी नहीं पहनती हैं और बाहर भी नहीं पहनती हैं। सदन के बाहर बयान दें और अन्दर बयान न दें यह बात समझ में नहीं आती। एक मंत्री बयान दें कि पाकिस्तान का हाथ है, दूसरा गृह मंत्री घुमा-फिरा कर कहे कि अभी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पाकिस्तान का प्रवक्ता यह कहे कि हमको 23 तारीख को मेमन भाइयों के बारे में रिपोर्ट दी गई और सरकार इस पर भी चुप रही। अगर सही खबर दी गई तो क्यों नहीं दी गई? क्या इसमें भी कोई जांच में अड़चन आने की दिक्कत है? इन दस सवालों से न केवल देश की विश्वसनीयता खत्म होती है बल्कि लोगों के मन में शंका यह पैदा होती है कि सरकार इतने गम्भीर मामले में भी सतर्क है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, हर सवाल के ऊपर ऐसी दुविधाजनक बात अगर भारत सरकार की ओर से कही जाए तो आज की विषम परिस्थिति में गम्भीरता और बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि कुछ बुनियादी सवालों पर जिनको आडवाणी जी ने यहां उठाया है, सरकार को अपनी राय सदन के सामने रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी रूल पढ़ा नहीं है, रूल इजाजत देता है या नहीं, लेकिन बड़े विनम्र शब्दों में कहूंगा कि आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करने की। वह सदन में सरकार को कभी-कभी कोई सही रास्ता दिखाने का काम करे।

श्री राम राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मैं चन्द्रशेखर जी, अटल जी और आडवाणी जी के सवालों से सहमत होकर एक चीज कहता हूं। क्या यह सरकार की कोलेक्टिव जिम्मेदारी है या नहीं। 3-4 मंत्रियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के बयान आने से सबके मन में संदेह पैदा होता है। राजेश पायलट जी और पी० एम० सईद दोनों केन्द्र में मंत्री हैं और स्टेट होम मिनिस्टर है। दोनों के यह बयान है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और जो डिफेंस मिनिस्टर थे और अब मुख्यमंत्री हैं शरद पवार जी, उन्होंने भी सूरज कुंड के सम्मेलन में पाकिस्तान का नाम लिया था। अभी दिनेश सिंह जी इस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे। अखबार में आया है कि मेमन भाइयों को लेकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की सम्भावना थी। हिन्दुस्तान का अमरीका में जो अम्बेसिडर हैं, उसने इसमें मध्यस्थता कर युद्ध को टाला। यह चीज हमने अखबारों में से पढ़ी है

लेकिन सरकार इस पर खामोश बैठी है । ऐसा लगता है कि सरकार ने कोलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी को भुला दिया है और हरेक मन्त्री आजाद है । देश की सिक्योरिटी के बारे में जिसके मन में जो आता है, वह बयान दे देता है । इस बात का प्रमाण है या नहीं, मैं नहीं जानता । आज हाउस उठने से पहले सरकार को आदेश दीजिए कि वह इस पर बयान दे जिससे देश के लोगों को तसल्ली हो । इसमें कोई बात इधर-उधर नहीं होनी चाहिए :

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें देश की सुरक्षा का और साथ ही साथ नागरिकों की सुरक्षा का भी सवाल है । मैं मुम्बई शहर का होने के कारण आपका ध्यान इस ओर खींचता हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस विषय पर पूर्ण चर्चा का रूप न ले ले ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महाराष्ट्र की विधान सभा में इस विषय पर बड़े पैमाने पर चर्चा हो सकी । जो चर्चा महाराष्ट्र में हो सकती है, वह यहां नहीं हो सकती है, यह कोई तर्क नहीं है । इसके साथ ही एक नया विषय और इसमें जोड़ा जा रहा है । स्मगलर्स, पाकिस्तान के साथ सिने क्षेत्र का नाम भी जोड़ा जा रहा है । एक इस प्रकार का नाम आ रहा है जिसकी पिक्चर्स के बारे में महाराष्ट्र में बायकाट करने का काम शुरू हो गया है । क्षेत्रीय पिक्चर का बायकाट हो रहा है ...(व्यवधान)... मैं नाम नहीं ले रहा हूं । इसलिए नहीं ले रहा हूं कि सरकार खुलासा करे । मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार का लोगों का इसके साथ सम्बन्ध है । मैं कलकत्ता से आया हूं । कलकत्ता में भी इसी प्रकार की चर्चा चल रही है । कलकत्ता में जो कुछ हो गया है, वह भी गम्भीर है । इसलिए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए और पहले वक्तव्य आना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) महोदय, जांच-पड़ताल सच्चाई को सामने लाने के लिए की जाती है और इसे इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उससे यह धारणा बनेगी कि कार्य सही दिशा में चल रहा है । लेकिन जांच-पड़ताल इस समय जिस प्रकार से चल रही है उससे अधिक भ्रांति फैल रही है और लोगों में बहुत-सी गलत धारणाओं के आधार उत्पन्न कर रही है । अतः हम जांच के उद्देश्य कोई नुकसान पहुंचाये बगैर यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण मामले के बारे में सच्चाई तक पहुंचने में हम कहां तक सफल हुए हैं और कौन से कदम उठाये जा रहे हैं और इसके अलावा क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इसका केवल हमारे देश पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है । हमारी एजेंसियां इससे काफी मदद कर सकती हैं । हमें अपनी गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल रखना ही होगा, हमें अन्य देशों से अंत संपर्क रखना ही है । फिर इस बारे में हम क्या कर रहे हैं ? सच्चाई को छुपाये बगैर सरकार को हमें स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहिए कि उन्हें इस बारे में क्या सफलता मिलने जा रही है । अलग-अलग प्रकार के वक्तव्य लोगों के दिमाग में निश्चित रूप से भ्रांति उत्पन्न करेंगे और यही लगता है कि इस मामले में अंतिम सत्य उजागर नहीं होगा । और अगर यह धारणा लोगों के दिमागों में घर कर जाती है तो यह बहुत नुकसानदेह होगा और इस देश के दुश्मनों द्वारा इसका फायदा उठाया जायेगा । अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार को आज इस सभा में हमें स्पष्ट रूप से बताना

चाहिए कि जांच-पड़ताल में कितनी प्रगति हुई है, और जिन देशों से तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उन्होंने समर्थन मांगा है, उनसे उन्हें किस प्रकार तथा सहयोग मिल रहा है। हमारे शत्रुओं ने हमारे देश को जो गंभीर नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए।

मैं, आज इस सभा में सरकार से एक वक्तव्य चाहता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, बम्बई का मामला जैसा गंभीर है, कलकत्ता का मामला भी वैसा ही गम्भीर है। एक सौ के ऊपर आदमी कलकत्ता में भी बम एक्सप्लोजन में मर गये हैं। उसके बाद हम लोगों ने सी० बी० आई० इन्क्वायरी और इण्टरपोल के कदम उठाने के लिए डिमाण्ड की थी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। राजेश पायलट जी ने एक दिन विजिट किया है, उस दिन उन्होंने स्टेटमेण्ट दिया है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मैं होम मिनिस्टर से जानना चाहती हूं कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई इन्वेस्टीगेशन किया है? ...(व्यवधान)... आप मुझे बोलने दीजिए। होम मिनिस्टर एक दिन जाकर बिना इन्वेस्टीगेशन किये अगर स्टेटमेंट दें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है तो आदमी के मन में एक शंका होती है, जो पूरा मामला अभी सप्रैस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसी सी० पी० एम० पार्टी के लीडर्स ...(व्यवधान)...सर, जो सच है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, अगर मेरी बात सही नहीं है तो कोई भी मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है।

[हिन्दी]

यह सीरियस मामला है।...(व्यवधान)...चिल्लाओ मत, आपका चीफ मिनिस्टर भी इन्कलाब है।...(व्यवधान)...मैं उधर नहीं जाऊंगी। मैं इधर रहकर ही आप लोगों के साथ फाइट करूंगी। मैं उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आप लोगों से फाइट करने के लिए हूं।

यह दुःख की बात है, यह बहुत गम्भीर बात है कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। बम एक्सप्लोजन में जो 100 से ज्यादा आदमी मर गये हैं, उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक एक आदमी को अरेस्ट किया है और उसको जेल में राजा के हाल में रख दिया है, उसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इसमें सी० बी० आई० इन्क्वायरी होनी चाहिए और इण्टरपोल की तरफ से जांच होनी चाहिए और जो भी आदमी इसमें इन्वोल्व है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं तो पूरे देश में स्मगलर लोग पोलीटीशियंस के साथ मिलकर हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके लिए जो भी पार्टी का आदमी हो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाही करने के लिए इस सदन में आवाज उठाती हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई के बम-विस्फोट पर सरकार से वक्तव्य की मांग का बहुत अधिक समर्थन करता हूं। मेरे विचार में केवल यही उचित है कि सरकार जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए इस सभा को विश्वास में ले। विशेषकर समाचार पत्रों में आ रहे कुछ विरोधाभासी विवरणों के संदर्भ में कुछ इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाना चाहिये। हो सकता है उसमें वास्तविक रूप से शायद विरोधाभास नहीं हो। लेकिन जो कुछ भी समाचार पत्रों में आता है, उससे यही धारणा उत्पन्न होती है कि उसमें दो या तीन भिन्न-भिन्न मत हैं।

इसके अलावा, मैं कलकत्ता में बड़े पैमाने पर उस बम-विस्फोट पर भी वक्तव्य देने का पुरजोर अनुरोध करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी सम्मिलित है। कलकत्ता विस्फोट की घटना के संबंध से लगता है, इस विशेष जांच-पड़ताल में कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अपने युवा साथी द्वारा की गई मांग कि इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करायी जाए, का समर्थन करता हूं क्योंकि हमें संदेह है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न शामिल है और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में लगती है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर हुआ बम-विस्फोट पुलिस मुख्यालयों से सिर्फ 200 गज की दूरी पर हुआ।

मेरे विचार में यह एक गंभीर मामला है और वक्तव्य में कलकत्ता में हुए विस्फोट को भी शामिल किया जाना चाहिए।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गंभीर विषय जिसके बारे में सारा राष्ट्र चिन्तित है उस पर इस तरह से चर्चा की जा रही है। माननीय सदस्य श्री वाजपेयी जी ने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। उस पर बोलते हुए मैं कम से कम इतनी उम्मीद करता हूं कि माननीय श्री वाजपेयी जी राज्य सरकारों को बधाई तो देंगे ही, विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार को जिसने इतने अच्छे ढंग से जांच करवाई है। ... (व्यवधान) ...कृपया एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि यह इतना नाजुक मुद्दा है कि इस सरकार को यह जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए और वह उचित समय पर पूरी जानकारी इस सभा में प्रस्तुत करे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कि बम विस्फोट हुआ था, 24 घण्टे के अन्दर फिर काम शुरू कर सकता था। न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब इसी तरह की घटना हुई थी तो वहां पर 15 दिन तक काम नहीं हो पाया था।

हमारे राजनीतिक मतभेद कुछ भी हों, हमें यह बात माननी चाहिए कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे लोगों के दिमाग में विश्वास की भावना जगी है, क्या हमें राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन नहीं करना चाहिए ?

श्री राम नाईक और श्री राम कापसे ने कहा कि आर० डी० एक्स० और अन्य विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं। यह बात सही है, यह किसी व्यक्ति की निजी सूचना नहीं है, सरकार और सभी सरकारी एजेंसियां सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं, हम यह सब समाचारों, पत्रों में पढ़ रहे हैं, पूरा पुलिस तंत्र और पूरी जांच एजेंसियां अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय . कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पी० सी० चाक्को : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

राष्ट्रहित में एक बहुत ही उपयोगी जांच की जा रही है और यह जांच केवल एक विशेष घटना के बारे में नहीं की जा रही है बल्कि सभी बातों की जांच की जा रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सभी जानकारी एकत्र करने के बाद सभा को सूचित कर दिया जाएगा ।

प्रधान मंत्री जी ने भी इस मुद्दे को "सार्क" स्तर पर उठाया है । पाकिस्तान से पूरी जानकारी देने का अनुरोध किया गया था । इससे इस बात का पता चलता है कि सरकार इस बात को कितनी गंभीरता से ले रही है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि क्या हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं ।

श्री पी० सी० चाक्को : आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ जिम्मेदारी सदस्य ऐसी धारणा उत्पन्न कर रहे हैं कि इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण में कुछ विरोधाभास है । यह बात सही नहीं है । श्री चन्द्रशेखर जी ने भी यह बात कही है । मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में सरकार की ओर से कोई विरोधाभास नहीं पाता हूं । कोई विरोधाभासी वक्तव्य नहीं दिया गया है ।

महोदय, यदि आप विस्तार में जाएं तो आप यह देख सकते हैं कि अनेक मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य इसके अनुरूप थे ।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : यह बात मंत्री महोदय को स्पष्ट करने दीजिए, आप इसको स्पष्ट मत कीजिए ।···(व्यवधान)···

श्री पी० सी० चाक्को : अत: इसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सभी विरोधी दलों के नेता थोड़ा और धैर्य रखें । यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम अपनी राजनीतिक लाभ उठाने की सोच सकते हैं ।

हमें और धैर्य रखना होगा । हमें सरकार के साथ सहयोग करना होगा ।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं । यह सभा इस जांच को जारी रखने और पूरे तथ्य सभा में रखने की अनुमति दे सकती है ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, जो कुछ यहां कहा गया है, यह चिन्ता महज इस सदन की नहीं है, बल्कि सारे देश की चिन्ता है । इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर आर० डी० एक्स० और एक्सप्लोजिव्स का यहां स्मगल हो जाना और सरकार को इस बात का पता न चलना, यह इस बात की के लिए चिन्ता व्यक्त करता है कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था के लिए इस देश में विस्फोटक स्थिति पैदा करने के लिए कुछ भी हो सकता है । सरकार को उसका पता ही न चले, यह सिलसिला अभी भी जारी है और यह सिर्फ बम्बई में ही नहीं है । आज अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, आर० डी० एक्स० कहीं मेरठ में मिल

रही है, कहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में मिल रहा है और इसके बाद भी संसदीय मंत्री जी यह कहें कि नहीं, जब पूरी इन्क्वायरी हो जाएगी, सिर्फ इस चिन्ता को कौन दूर करेगा। गृह मंत्री जी आ करके कम से कम यह बयान दें कि अब सब सक्षम कदम उठाए गए हैं ताकि इस तरह की घटनाएं और नहीं हो पाएगी इसके लिए क्या कदम उठाए गये है।

मान्यवर, अखबारों में अभी कल-परसों पढ़ा गया कि तीन जहाज हथियारों से लदे हुए बम्बई में आए। वह कब दुबई से चले, किस पथ पर आ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, क्या उस पर कदम उठाए जा रहे हैं यह सारी की सारी चीजें अखबार में आ रही हैं। हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं हम अभी यहां बयान नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान ने अधिकृत रूप से बयान दिया है भारत सरकार ने मेमन ब्रदर्स को पकड़ने के लिए जो कुछ सूचना हमारे पास दिया वह पर्याप्त नहीं है और हम उसके आधार पर उसका पता नहीं लगा सकते इसमें भी भारत सरकार असफल रही है। श्रीमन् मैं कब लखनऊ में था हमारे विदेश मंत्री के बयान से इतनी गहरी चिन्ता हुई। (व्यवधान) श्रीमन्, यह जरूरी है कि विदेश मंत्री उसके ऊपर बयान दें। (व्यवधान) राजेश पायलट जी का बयान आया है, सारे टी० वी०, रेडियो में, कि पाकिस्तान का हाथ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे एक नियमित वाद-विवाद नहीं बनाना चाहिए।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा हूं कि सरकार के इस तरह के तरीके से।...

[अनुवाद]

और सरकार तथा इसके मंत्रियों के आचरण के कारण ही देश में लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सुरक्षा को खतरा है और यही मुख्य मुद्दा है।

[हिन्दी]

इसलिए मेरी डिमाण्ड है कि आप उनको कहें कि एक बयान तो गृह मंत्री जी अभी दें और फिर बाद में दें। (व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, एक सीमित मुद्दे पर जो कि माननीय वाजपेयी जी ने उठाया था कि मैंने लखनऊ में कोई बयान दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ में कुछ प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि आपने मेमन परिवार के बारे में जिस तरह से पाकिस्तान से कहा है बाकी मुद्दे जो उठ रहे हैं और जिसके बारे में महाराष्ट्र के मंत्री ने बयान दिया है उसको पाकिस्तान से अभी क्यों नहीं उठाया है तो मैंने कहा कि मेमन परिवार के बारे में जो सूचना हमको इनवेस्टीगेशन आथोरिटी ने दी थी और जिसके आधार पर पाकिस्तान से उसको उठाने को कहा था वह हमने किया, बाकी मुद्दों पर अभी उन्होंने हमारे पास पूरी मुकम्मल सामान नहीं भेजा है जिसके कि आधार पर उसको पाकिस्तान से उठाने के लिए उन्होंने हमसे कहा है।

अभी जो इनवेस्टीगेशन आथोरिटी है वह एक बहुत ढंग से इस पर चल रहे हैं और उसमें जब तक वे हमसे कुछ कहने को न कहें तब तक हम अपने आप उसको नहीं कह सकते। इसलिए मेरा कोई बयान नहीं है कि पाकिस्तान उसमें शामिल है या नहीं शामिल है। यह तो जब हमारे पास विदेश मंत्रालय में आएगा तभी हम उसके बारे में कह सकते हैं। (व्यवधान) राजेश पायलट हैं, जो इनवेस्टीगेटिंग आथोरिटी है, जो मंत्री हैं वे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जब वे हमारे पास न भेजें। (व्यवधान) वाजपेयी जी विदेश मंत्री रह चुके हैं आप मेरी बात तो सुनिए। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : माननीय विदेश मंत्री जी सीनियर व्यक्ति हैं। (व्यवधान) उन्होंने कहा कि राजेश पायलट जी कुछ भी कह सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं ऐसा नहीं, है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : माननीय वाजपेयी जी विदेश मंत्रालय चला चुके हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी दूसरी सरकार से कोई बात कहते हैं तो वे किसी आधार पर, जो हमको पता है उसी पर कह सकते हैं। जब उसका आधार हमारे पास विदेश मंत्रालय में नहीं आया है तो हम उस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं यही एक सीमित बात मुझसे पूछी गई थी उसका मैंने जवाब दिया।

क्या उसकी सच्चाई है और पाकिस्तान उसमें कितना शामिल है यह इन्वेस्टीगेटिंग अथारिटी और होम मिनिस्ट्री कर सकती है। हमको जो कहा उसके खिलाफ मैंने कोई बयान नहीं दिया है और न ही मेरे देने का सवाल ही उठता है। हम उसमें कोई जांच नहीं कर रहे हैं और जो जांच कर रहे हैं वही उसके बारे में कह सकते हैं। जब हमको कुछ बताएंगे तब हम कुछ बता सकेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक नाजुक मुद्दा है। मंत्री जी कहते हैं कि यह एक नाजुक मुद्दा है। उसके बाद सभी मंत्री पूरे देश में जाते हैं और गृह मंत्रालय की स्थिति को जाने बगैर अपने मंत्रालय की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे देते हैं। यह कैसे हो सकता है। कम-से-कम इस मामले पर तो समन्वयकारी गतिविधियां होनी चाहिए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस माननीय सदन में सरकार की ओर से एक प्राधिकृत वक्तव्य दिया जाएगा। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने ठीक ही कहा है कि इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ है और हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यदि कोई भी वक्तव्य प्रामाणिक रूप से दिया जाए तो अपराधी इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे क्योंकि इस मामले की अभी जांच चल रही है। सच्चाई निश्चित रूप से सामने आयेगी, हम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी सरकारी एजेंसियां इस कार्य में जुटी हुई हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाने और अपराधियों को गिरफ्तार करने में प्रगति हो रही है।

पाकिस्तान का वक्तव्य स्वाभाविक रूप से विश्वास करने योग्य नहीं है और न ही इसको कोई महत्व भी दिया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्य पाकिस्तान के वक्तव्य

को उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ठीक जानकारी नहीं दी गई है अतः वह कुछ नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के इरादे जगजाहिर है। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम इस विषय में उचित समय पर निश्चित रूप से एक व्यापक वक्तव्य देंगे। हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : आप तारीख बताइए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस माननीय सदन से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं। हम सदन को पूरी तरह से विश्वास में लेना चाहते हैं और जो प्रगति हो रही है उसे बताना चाहते हैं।

हमारे माननीय सदस्य जहां-तहां दिये जा रहे वक्तव्यों के बारे में उत्तेजित हो रहे हैं। उनकी चिन्ता को भली-भांति समझा जा सकता है। इस संबंध में सरकार की ओर से उचित समय पर उपयुक्त और प्रामाणिक वक्तव्य सदन में दिया जाएगा और मैं आपसे तथा सभा से इसके लिए प्रतीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपसे और इस सभा से निवेदन करता हूं कि वास्तव में सत्ता पक्ष की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा विदेश मंत्री द्वारा इस तरह से दिए गए स्पष्टीकरणों के बाद हमारी चिन्ता और बढ़ गई है। अब विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि चल रही जांच-पड़ताल के संबंध में उन्हें अभी तक कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है।

श्री दिनेश सिंह : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि हमें इस संबंध में जांच कर रहे अधिकारियों की ओर से इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह : वास्तव में हमारी चिन्ता इससे और बढ़ गई है कि यदि जांच कर रही एजेंसियों ने अभी तक प्राधिकृत रूप से इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाने के लिए विदेश मंत्रालय से औपचारिक रूप से अनुरोध नहीं किया है, उसी देश के उसी सरकार के अन्य मंत्री सीधे-साधे आरोप कैसे लगा रहे हैं, भूतपूर्व रक्षा मंत्री जो अब एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं और जो इस जांच कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर ऐसा आरोप कैसे लगाया है। विदेश मंत्री फिर भी कह रहे हैं कि उन्हें जांच कर रहे अधिकारियों की ओर से इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाने का अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इससे हमारी चिन्ता बढ़ रही है।

मैं उसके स्थान पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात को लेता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कुछ कहना है हमें उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। परन्तु सरकार को इस बात खण्डन करना चाहिए कि उसे औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था। सरकार को यह बात कहनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान यह बात कह रहा है और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यह बात कह रहे हैं; अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री औपचारिक रूप से कह रहे हैं "कि इस बात को गंभीरता से मत लीजिए।" सरकार को यह बात कहने में क्या दिक्कत है कि

"नहीं हम अमुख तारीख को कहेंगे ?" आप उस बात से सहमत नहीं होंगे जो मैंने कही है। मैं केवल अपनी चिन्ता व्यक्त कर सकता हूं क्योंकि मैं चिन्तित हूं मैं केवल एक पहलू पर जोर देना चाहता हूं जो श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कलकत्ता में उजागर किया था और जिस बात को यहां पर फिर कहा गया है। कुछ भी हो यह मुद्दा देश और इसके नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

अतः घटना के पांच सप्ताह बाद भी उचित समय कहना, जबकि पूरी जांच के बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है, वक्तव्य देने से कतराने वाली बात है और स्थिति को और भ्रांतिपूर्ण बनाने वाली बात है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप एक तारीख निश्चित करें जिस दिन सरकार इस संबंध में प्रामाणिक वक्तव्य देगी।...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, कल अमृतसर में पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें मेरे सहयोगी श्री आर० एल० भाटिया और श्रीमती सुखबंस कौर भी थीं। हर जगह इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसीज ने सरकार को यह सूचना दी है कि जितनी भी खोजबीन चल रही है, इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रही हैं। कल अमृतसर में हमने यही कहा कि बम ब्लास्ट जो मुम्बई में हुआ है, उसका इशारा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है...(व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना : यह जो आप कह रहे हैं, विदेश मंत्री को पता है या नहीं ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, पार्लियामेंटरी मिनिस्टर श्री शुक्ला जी ने कहा है कि गवर्नमेंट की ओर से अथंटिकेटिव स्टेटमेंट आये। मैं भी इसके पक्ष में हूं। मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट कोई चीज छुपाना नहीं चाहती है। जो हो रहा है, वह सदन के सामने रखना चाहती है। जैसाकि पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने कहा कि एप्रोपरिएट टाईम पर पूरी जानकारी सदन में देंगे...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, बिना शेड्यूल के यह मामला उठा। हमारे दो सहयोगियों श्री वाजपेयी जी, श्री जसवन्त सिंह ने इस पर एडजर्नमेंट मोशन दिया है। उसका कारण यह है कि हम इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हम मानते हैं—यह कह देना कि 5 सप्ताह के बाद कि एप्रोपरिएट समय पर सरकार बयान देगी, सरकार जानकारी देगी—यह उचित नहीं है। वहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रतिदिन ब्रीफिंग करते रहे जिस पर यहां पर आपत्ति उठायी गयी और गृह मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से डांट दिया लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने देश की सेवा की। यदि प्रतिदिन प्रेस को ब्रीफिंग किया जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि पांच सप्ताह बाद आफिशियली सरकार को सदन में क्या बताना है ? यह क्यों नहीं कह सकते ? उनसे सब लोगों ने कहा है। अगर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि हमारी आगे की इन्वेस्टिगेटिंग में बाधा पड़ेगी, आप मत कहिये लेकिन बाकी तथ्य तो दीजिए। हमको आज तक यह पता नहीं है कि अधिकृत रूप से इंटरपोल को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है या नहीं ? हो सकता है कि किया गया हो। जब तक यहां बयान नहीं आयेगा, हम क्या कहें ? सिवाय इसके कि अखबार पढ़कर उसमें नतीजा निकालेंगे। अध्यक्ष जी, इसके पहले कि आप अपना निर्णय दें, मैं एप्रोपरिएट समय की बात नहीं समझ सकता। यह सदन

इस समय इस सप्ताह में यह बयान चाहेंगी और जल्दी से जल्दी चाहेंगी··· (व्यवधान) एप्रोपरिएट समय अभी है क्योंकि चिन्ता बहुत बढ़ रही है और अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहूं कि कलकत्ता को भी भूलना नहीं चाहिए। कलकत्ता में विस्फोट में इतने लोग नहीं मरे और वहां कम मरे हैं लेकिन इससे कलकत्ता की गंभीरता को कम नहीं मानना चाहिए क्योंकि हम लोगों की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है और वह है—क्रिमिनलाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इस प्रकार के माफिया गैंग्स हैं जिनका राजनीतिज्ञों से संबंध है, यह मूल समस्या है। (व्यवधान) इसलिए कलकत्ता और मुम्बई के विस्फोटों पर जल्दी से जल्दी सरकार बयान दे, यह मेरा आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, मैं वास्तव में ही असमंजस में हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री, विदेश मंत्री तथा श्री राजेश पायलट के वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार सभा में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए समुचित समय लेगी। विदेश मंत्री जी कहते हैं कि कि जांचकर्त्ता एजेंसी होने के नाते गृह मंत्रालय को कुछ पता चला है···

अध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्यों पर टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, जो कि आंतरिक सुरक्षा का कार्य भी देख रहे हैं तथा जांच प्रभारी भी हैं, एक ही बात कहते हैं कि वह अपने विचार जनता में व्यक्त करते हैं, संसद में नहीं। वह ऐसा कहते हैं। लेकिन यह मामला विदेश मंत्रालय को भी नहीं सौंपा गया था। वह कहते हैं कि जांचकर्ता एजेंसियों ने संकेत किया है कि पाकिस्तान इसके लिए उत्तरदायी है। अतः, यह धारणा मात्र पूरे देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में भी फैली हुई है कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन विदेश मंत्री जी कहते हैं कि "ठीक है, हम यह व्यक्त करने में समुचित समय लेंगे। हम निश्चित रूप से यह देखेंगे कि इसके अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम क्या होंगे तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।" अगले ही क्षण, गृह मंत्री महोदय इसका यह कहते हुए खण्डन कर रहे हैं कि इसके अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम कुछ नहीं है तथा पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि मैं एकदम महसूस करता हूं कि मंत्री परिषद में भी आपसी तालमेल होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी सभा में आएं तथा संसद-सदस्यों के आमने-सामने भारत सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है, के बारे में अपने विचार प्रकट करें। इस मामले में, जहां तक जांच का संबंध है, वास्तव में वर्तमान स्थिति क्या है, वह भी सभा में आकर बताएं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्यगण निश्चित रूप से यह जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने विचार सदन में अभिव्यक्त कर दिये हैं। सरकार की ओर से, यह कहा गया है कि वक्तव्य दिया जाएगा। वह वक्तव्य कब तक दिया जा सकता है, मूल प्रश्न यह है। हम सभी इस मामले में जांच एवं उसकी उपयोगिता के बारे में व्याप्त जटिलताओं एवं अड़चनों को समझते हैं। लेकिन, मैं यह समझता हूं कि सरकार सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगी तथा यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य देगी।

दूसरे, अगर इस वक्तव्य को देने में सरकार को कुछ समय लगने वाला है, अगर वह विभिन्न दलों के नेताओं को विश्वास में ले सकती है, अगर वह यह सोचती है कि वक्तव्य दिया जा सकता है, तो मेरे विचार से सरकार के लिए कम-से-कम विभिन्न दलों के नेताओं को विश्वास

में लेना तथा उनके ध्यान में यह ला देना बेहतर होगा कि इस बारे में क्या गतिविधियां चल रही हैं तथा क्या किया जा रहा है। वस्तुत: मैं कार्य मंत्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा करूंगा कि इस पर कैसे चर्चा होनी चाहिए तथा फिर हम यह निर्णय लेना चाहेंगे कि चर्चा कैसे की जानी चाहिए। लेकिन हमारे लिए चिन्ता का विषय एवं हमारी मंशा यह देखने की होगी कि हम सभी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन अथवा सदन के बाहर अर्थात् समिति में—कार्य मंत्रणा समिति में—अथवा कहीं भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मामले में न्यायोचित कार्रवाई हो तथा जांच-कार्य में भी बाधा न आये, संयुक्त रूप से विचार करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत महत्व के सवाल को उठाना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यू० पी० एस० सी० के सामने भारतीय भाषाओं के लिए बरसों से नौजवान लोग हड़ताल, सत्याग्रह कर रहे थे। सरकार ने अचानक धारा 144 का इस्तेमाल करके उन नौजवानों को जेल के अंदर बंद कर दिया।

12.54 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संसद ने दो बार संकल्प पारित किए हैं कि भारतीय भाषाओं के साथ न्याय हो। उपाध्यक्ष जी, अंतर्संसदीय सम्मेलन चल रहा था जब हमारे उपसभापति जी, अध्यक्ष सभा के अंदर बैठे तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उस अंतर्संसदीय सम्मेलन में भी भारतीय भाषाओं का जिस तरह से दुनिया की सब भाषाएं स्थापित थीं, लेकिन हिन्दुस्तान की जमीन पर करोड़ों लोगों की भाषाओं का जिस तरह से अपमान होता रहा। उस अन्तर-संसदीय सम्मेलन में अकेले हिन्दी भाषा का कहीं जिक्र नहीं था. बाकी सब चीजें थीं। वैसे ही दक्षेस सम्मेलन में, जिसमें 5-6 कन्ट्रीज के लोग बैठे थे, अपनी भाषा अपनी बोली में एक आदमी भी बोलने को तैयार नहीं था। यह अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा का जिस तरह मुट्ठीभर लोग, गुलामी की तरह से, हिन्दुस्तानी भाषाओं का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ नौजवान जो यू पी एस सी के सामने हड़ताल कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब आपने धारा 144 वहां लगायी तो वे उससे पहले से वहां सत्याग्रह कर रहे थे, इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को जेल में भिजवाने का काम किया। इतना ही नहीं, जहां वे लोग बैठे थे. यू पी एस सी के सामने आपने गड्ढा खुदवाने का काम किया, खंदक खोदने का काम किया ताकि ये फिर से वहां न बैठ सकें।

आपने इस संसद में दो बार संकल्प पारित किया है, मैं जानना चाहता हूं कि वे नौजवान कौन-सा गुनाह कर रहे थे जिसके कारण आपने उनकी मांग को, उनकी बात को सुनने से इंकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का इस तरह से अपमान करने का काम न करे। जो नौजवान वहां सत्याग्रह पर बैठे थे, उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया। वे तो धारा 144 लगाने से पहले से वहां बैठे थे। वैसे ही बोट क्लब के आसपास, यह करोड़ों लोगों का देश है, कई तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने आते हैं। वे नौजवान जिस सवाल को लेकर वहां सत्याग्रह कर रहे थे, वह कोई नया सवाल नहीं था बल्कि हिन्दुस्तान के मान-सम्मान, उसकी संस्कृति, उसकी

तहजीब को बचाने के लिए ही वे आन्दोलन कर रहे थे लेकिन आपने उन नौजवानों को जेल में डालकर उनके साथ जो सलूक किया है, उससे आपने सारे राष्ट्र का अपमान किया है।

इस संसद में दो-दो बार आपने संकल्प और प्रस्ताव पारित किये हैं और उन संकल्पों में निहित भावना को मजबूत करने के लिए ही वे नौजवान सत्याग्रह कर रहे थे, जिन्हें आपने जेल में डालने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया आज ही, तत्काल सफाई देने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या आज हिन्दुस्तान इन अंग्रेजियत पसंद मुट्ठी भर लोगों का एक तरह से गुलाम हो गया है। इनका साम्राज्य और तमाम विस्तार हिन्दुस्तान की संस्कृति, लोक-संस्कृति, लोक-भाषा और अन्य भाषा-भाषी लोगों को अपमानित करने का काम कर रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार को तत्काल सफाई देनी चाहिए। उन नौजवानों की जो मांग है, उनको पूरा करने के लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शरद यादव जी ने जो मामला सदन में उठाया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। स्वतन्त्रता के बाद हम सबको यह आशा थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा लेकिन स्वतंत्रता मिलने के इतने सालों बाद भी वह नहीं हो पा रहा है। यह अत्यन्त दुख का विषय है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं, उनमें भी हमारे लोगों को हिन्दी में बोलने में आज शर्म आ रही है। इस देश की जो राष्ट्रभाषा है, उसका अपमान हो रहा है। नवीं लोक सभा में एक नवयुवक गैलरी से हाऊस में कूदा था, उसने भी यही मांग की थी कि भारतीय भाषाओं को पूर्ण सम्मान दिया जाए; राष्ट्र भाषा को उचित स्थान प्रदान किया जाए। लेकिन यह अत्यन्त खेद का विषय है कि बार-बार सदन में प्रस्ताव पास करने के बावजूद कि भारतीय भाषाओं को पूर्ण सम्मान दिया जाएगा, उनको उचित स्थान दिया जाएगा, अभी तक भारतीय भाषाओं का बहिष्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है।

यू पी एस सी के बाहर जो लोग इसी बात को लेकर आन्दोलन कर रहे थे उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, भारतीय भाषाओं का सम्मान करने की वे मांग कर रहे थे, कोई पग उठाने के स्थान पर, उनको जेल में ठूंसा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भारतीय भाषाओं को पूर्ण सम्मान देने की दिशा में वह कदम उठाये और हिन्दी समर्थक लोगों पर जो इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, वह तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको अविलम्ब रिहा किया जाए, यही मांग करते हुए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, शरद जी ने सदन में जो मामला उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आजादी प्राप्त हुए 45 साल हो गये हैं और यह सवाल भारत आजाद है या भारत गुलाम है, इससे जुड़ा हुआ है। जब कोई देश आजाद होता है तो उस देश की एक अपनी भाषा होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जहां से कलेक्टर पैदा होते हैं, जहां से एस० पी० पैदा होते हैं, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० या दूसरे अधिकारी पैदा होते हैं, यह मामला उससे जुड़ा है। यह हिन्दी का मामला नहीं है। वे यह डिमांड नहीं कर रहे हैं

01 00 म० प०

कि सिर्फ हिन्दी को लागू करो, बल्कि उनकी डिमांड है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं हमें उनमें परीक्षा देने की आजादी हो और इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अंग्रेजी

भाषा हमारे यहां डेढ़ सौ साल से चल रही है तथा हमारी अपनी भाषाएं और हमारा देश हजारों साल से हैं, लेकिन हजारों साल के देश की इतनी पुरानी भाषाएं डेढ़ सौ साल पुरानी भाषा ने खत्म कर दी और यह डेढ़ सौ साल की भाषा हटाए नहीं हट रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में यह साफ तौर से कहा गया था कि 15 साल के बाद देश की भाषा राष्ट्र की भाषा का स्थान ले लेगी और जो अंग्रेजी भाषा है, यह यहां से चली जाएगी अर्थात् सरकारी कामकाज की भाषा नहीं रहेगी। इसके लिए बहुत से कानून बने, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, आफीशियल लैंग्वेज ऐक्ट बना, लेकिन आज भी नौजवानों को महज इसीलिए गिरफ्तार किया जाता है और यातनाएं दी जाती हैं कि वे अपनी भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि शुक्ला जी को इससे ज्यादा और शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत तब तक आजाद नहीं होगा जब तक विदेशी भाषा से मुक्त नहीं होते हैं। कोई भी देश जिसकी अपनी भाषा नहीं होती, वह आजाद नहीं हो सकता है। हम आज इस सदन के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार इसी तरह का रवैय्या अपनाएगी और जो भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं, उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। आंदोलनकारियों को मारा-पीटा जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर जुल्म ढाए जाएंगे, तो यह बहुत बुरा होगा। हम आज इस सरकार को इस सदन में चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार यदि कुछ मुट्ठीभर नौकरशाहों के बहकावे में आकर इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई करेगी तो देश में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आज मांग करता हूं कि जितने भी छात्र गिरफ्तार किए गए हैं, उनको छोड़ने का काम करें और यू० पी० एस० सी० और भारत सरकार की जो अन्य परीक्षाएं हैं वे सब परीक्षाएं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से किए जाने के प्रस्ताव जो इस सदन ने बहुत पहले पास कर रखा है, उस पर अविलम्ब अमल करवाया जाए, हम यही मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय भाषा संगठन के स्वयं सेवकों ने यू० पी० एस० सी० के सामने 5 साल से धरना जारी रखा था और इन 5 सालों के अंदर कई दफा सारी भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए भूख हड़ताल भी की थी और एक बार तो 40 दिन तक भूख हड़ताल की थी और उस वक्त कई सांसदों ने इनकी बात का समर्थन किया था। (व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए आपको नोटिस दिया है और आपके कुर्सी पर होते हुए यह क्या हो रहा है। एक मैम्बर को तीन-तीन बार बोलने का समय मिल जाता है और हमें एक बार भी बोलने का समय नहीं दिया जाता है। इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

1.04 म० प०

[तत्पश्चात श्री छेदी पासवान और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, आपको बोलने का एक अवसर दिया जाएगा। आप सभा भवन से बाहर क्यों जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बहुत सारे सदस्यों ने और हमने कई दफा इस हाउस के अंदर इस सवाल को उठाया था। भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने के प्रश्न के ऊपर हमने साठ के दशक में दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि भारतीय भाषाओं में यू० पी० एस० सी० और अन्य रूप से केन्द्रीय परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को समान मान्यता दी जाएगी और परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन वह प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हुआ और जो लोग इस धरने पर बैठे थे, वे भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया है उससे हमारा सिर झुक गया है। सरकार को उसके समाने जवाबदारी करनी होगी। उन्होंने क्या अपराध किया था? वे शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे थे, जायज मांग उठा रहे थे। उनको थाने में ले जाकर बन्द करके उन पर अत्याचार किया गया है। उनके साथ जो अपमान किया गया है, सरकार को संसद में आकर उसकी जवाबदारी करनी चाहिए। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि संसद के दोनों कक्षों ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि यू० पी० एस० सी० की परीक्षा में भारतीय भाषाओं को लागू किया जाएगा, उनको अभी तक अमल क्यों नहीं किया है?

आज सारा हाउस एक साथ मिलकर इसकी निन्दा करता है। जो लोग धरने पर बैठे थे उनको फिर वापिस उधर बैठाने का काम करें जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : डी०ए०पी० उर्वरक का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों ने गत 31 तारीख से अपना उत्पादन करना बंद कर दिया है। हमारे कामगारों का रोजगार खतरे में है। हमारी आत्मनिर्भरता भी खतरे में है। सरकार को एक सुस्पष्ट नीति के साथ सामने आना चाहिए, ताकि डी०ए०पी० का उत्पादन करने वाली इकाइयां कार्यरत हो जायें तथा हम आत्मनिर्भर बने रहें। पिछले बारह दिनों से दैनिक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भूखे मर रहे हैं। सरकार ने कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने भारत में स्थित डी०ए० पी० उर्वरक उत्पादक इकाइयों को बंद कर दिया है। विदेशी उर्वरक आ रहा है और इससे हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जायेगी। अत: भारत सरकार को इन डी०ए०पी० कारखानों को चालू रखने तथा हमारी घरेलू उर्वरक इकाइयों तथा मजदूरों की सुरक्षा हेतु भी तत्काल कदम उठाने चाहिए। ये उर्वरक इकाइयां सारे देश में बंद पड़ी हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने सूचना दी हुई है (व्यवधान)... जब पहली बार त्रिपुरा चुनाव स्थगित किए गए थे, उस समय आठ व्यक्ति मारे गये थे। इसी वजह से सरकार ने उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था ...(व्यवधान)... कृपया मुझे यह मुद्दा उठाने दें तथा फिर आप बोलिये। यह बोल सकते हैं। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, आपको बोलने का अधिकार है; लेकिन अब मुझे बोलने दें। वहां आठ व्यक्ति मारे गए थे और यही वजह थी कि चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिये तथा सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह यह मुद्दा कैसे उठा सकती है? यह तो राज्य के अधिकारक्षेत्र का विषय है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप मेरे अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यह मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार है।

श्री बसुदेव आचार्य : अब त्रिपुरा में कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है। वह इस मुद्दे को कैसे उठा सकती है?

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे यह मुद्दा उठाने का पूरा हक है। मुझे रोकने वाले वह कौन होते हैं? वह अध्यक्ष नहीं है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शून्य-काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह एक गैर-अनुसूचित कार्यक्रम है। अब हम उनके विचार सुन लें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या बात है? वे लोग यह मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वह यह मुद्दा कैसे उठा सकती है? वह यह मुद्दा नहीं उठा सकतीं। त्रिपुरा में कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है। आप उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : इस मुद्दे को सभा में उठाया जा सकता है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : अब, लोग त्रिपुरा को छोड़ रहे हैं। (व्यवधान) लोग अन्य स्थानों पर चले गये हैं। (व्यवधान) मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस मुद्दे के बारे में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित हरेक सदस्य जानता है—मुझे विदित नहीं है कि आपने इस मुद्दे को उठाने की कैसे अनुमति दी है—कि त्रिपुरा में अब लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार है। मैं त्रिपुरा की जनता को कांग्रेस-सरकार को अनौपचारिक रूप से उखाड़ फेंकने के लिए बधाई देता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोल रहे थे, तो वे आपकी बात सुन रहे थे। अब आपको उन्हें सुनना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जनता ने बड़े सुस्पष्ट तरीके से कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनादेश दिया है तथा कांग्रेस दल तथा इसके सहयोगी-दलों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। उन्होंने कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों को अनौपचारिक रूप से पराजित किया है। उन्होंने माफिया प्रशासन के खिलाफ अपना मत दिया है। (व्यवधान)

मुझे कोई संदेह नहीं है कि त्रिपुरा की नई सरकार जिसे कि त्रिपुरा के सर्वाधिक नागरिकों का समर्थन प्राप्त है, सभी आवश्यक कदम उठायेगी। इस नई सरकार ने घटित हुई कुछेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर अपनी चिन्ता पहले ही अभिव्यक्त की है। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां लोक-सभा में यह मुद्दा उठाने की क्यों कोशिशें की जा रही हैं। उस सरकार तथा उस दल का जिससे कि माननीय सदस्यगण सबद्ध है, त्रिपुरा और इस देश में सभी को विदित है। अतः, उन्हें मौन बैठे रहना चाहिए था। आपको कानून एवं व्यवस्था पुनः बहाल करने में नये प्रशासन की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए थी। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप चाहें, तो मैं आपको सूची दिखा सकती हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, लोकतांत्रिक-प्रणाली में एक निर्वाचन में, एक दल जीतेगा, जबकि अन्य दल हार जायेंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो दल जीत रहा है, हिंसा फैलाने लगेगा तथा अपने राजनैतिक विरोधियों को एक अत्यन्त नृशंस तरीके से मार देगा। यह तो कोई तरीका नहीं है। यहां तक कि जब त्रिपुरा राज्य में मार्क्सवादियों की सरकार सत्ता में आई थी, तो कोई एतराज नहीं था क्योंकि जनता की इच्छा ही व्याप्त रहती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल, जिस ढंग से वे गांवों और पर्वतीय इलाकों में हिंसा उत्पन्न कर आदिवासी लोगों को मार रहे हैं तथा महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, के बारे में है। यहां तक कि अनुसूचित जाति के लोगों को भी मार दिया जाता है। इस सारे मामले के बारे में हम चिन्तित हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र इतने अधिक उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। किसी अन्य राज्य में यदि लोगों को इसी तरीके से मार दिया जाता है, तो मैं उसका भी उसी तरीके से विरोध एवं खंडन करूंगा।

प्रश्न यह है कि मार्क्सवादी दल बार-बार इसे तभी उठाता है जब अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था के संबंध में कुछ न कुछ हो जाता है और उन्होंने माननीय गृह मंत्री से वक्तव्य की भी मांग की है।

मेरा माननीय गृह मंत्री से आग्रह है कि वह वक्तव्य दें। कुल 17 लोग मारे गये हैं। यह बात अंदाज नहीं की जा सकती है। मेरा अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्री को अध्यक्ष पीठ वक्तव्य देने के लिए निर्देश दें और वह यह भी सुनिश्चित करें कि राजनैतिक विरोधियों के जीवन और सम्पत्तियों की रक्षा हो सके। यही मेरा आग्रह है।

कृपया कुछ निर्देश दें। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० एम० सईद यहां बैठे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। सत्रह लोग मारे गये हैं। (व्यवधान) विपक्षी दलों को भी जीने का अधिकार है। उनकी रक्षा की जानी चाहिए। कोई भी सभ्य सरकार अल्पसंख्यकों एवं राजनैतिक विरोधियों को पूरा संरक्षण प्रदान करेगी। अत: मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, जोकि यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध करूंगा कि वह इस सभा को आश्वासन दें कि वह राज्य सरकार से सम्पर्क करेंगे और यहां एक वक्तव्य देंगे ताकि राजनैतिक विरोधियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सभी अन्य लोगों की सुरक्षा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे दोहराना अनावश्यक है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

शरद यादव जी ने भारतीय भाषाओं के समर्थन में जो कहा है, उसके समर्थन में जो लोग अनशन कर रहे थे, उनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की मैं निन्दा करना चाहता हूं और उनकी मांगों का पूरा समर्थन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैंने जो नोटिस दिया है, उसकी एक कापी मैंने सम्बन्धित मिनिस्टर को पहले भेज दी है। यह जो हवाई जहाज का अपहरण हुआ था, उसका अपहरकर्ता हरी सिंह जो आज तिहाड़ जेल में है, उसने 8 अप्रैल को जज के सामने जो लिखित बयान दिया है, उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। उसमें लिखा है कि प्रार्थी पिछले एक दशक से दिल्ली के एक केन्द्रीय मंत्री से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है और उसके विषय में कई ऐसे महत्वपूर्ण रहस्यों को जानता है, जिनके कारण उनका राजनैतिक भविष्य और मंत्री पद दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए मेरी यह आशंका निर्मूल नहीं है कि व्यापिक हिरासत में भेजे जाने पर असामाजिक तत्वों और भाड़े के हत्यारों द्वारा मेरी हत्या की जा सकती है। उसका यह बयान मजिस्ट्रेट आर० के० शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के सामने है और आज उसकी जान खतरे में है। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, मेरे पास यह टेप है। अगर आप कहें तो मैं टेप सुनाने को तैयार हूं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में टेप दिखाने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जिससे यह सिद्ध होता है कि इस मंत्री महोदय का पैसे के लेन-देन के अन्दर इसके साथ काफी सम्बन्ध था इसलिए मुद्दा यह** है कि आज देश के अन्दर अपराधियों का राजनेताओं के साथ जो गठजोड़ हो रहा है, (व्यवधान) चाहे वह मध्य प्रदेश के हमारे मिनिस्टर साहब का है**।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी पहली बात तो यह कि आप उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं जो यहां नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम हटा लिये गये हैं। दूसरे, यदि आप किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहते हैं, तो आपको नोटिस देना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने लिखकर दिया है। यह बहुत भयंकर मामला है, इसके बारे में बयान आना चाहिए, क्योंकि वह कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है···(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति यहां सदन में नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगाये जायें।

श्री मदन लाल खुराना : यह मैंने तीन दिन पहले मंत्री महोदय को लिखकर भेज दिया है। अन्डर दि रूल्स तीन दिन पहले मैंने मंत्री महोदय को लिखकर भेज दिया है कि आपके बारे में यह विषय है, इसको मैं उठा रहा हूं। मैंने लिखकर दे दिया है,**

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

मैंने उनको लिखकर दे दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मामला बहुत गंभीर है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं अतः उन्हें उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में, जो माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके बारे में राज्य सरकार से मैं रिपोर्ट मंगाऊंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : किस बात पर वह राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, आज सदन के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट मसले को मैं रखना चाहता हूं।...

उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े ही दिनों पहले नरोरा के अन्दर जो न्युक्लियर प्लांट है, उसके अन्दर आग लगने की रिपोर्ट हम लोगों को अखबारों के जरिए मिली है। वहां पर रियेक्टर कोई बहुत दूर नहीं था। अगर रियेक्टर तक आग पहुंच जाती, तो शायद आज हम दिल्ली में बैठे हुए नहीं होते। यह पार्लियामेंट कहीं और चल रही होती। यह बहुत गम्भीर मामला है और यह हमने अखबार के अन्दर देखा। अगर यह सेबोटाज हुआ है, तो मैं सरकार से चाहता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दे, ताकि यह चीज क्लीयर हो सके। हम यह भी जानना चाहते हैं, न्युक्लियर प्लांट के अन्दर आग कैसे लगी? उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जिससे रियेक्टर बच सकें, वह क्यों नहीं लिया गया? मैं यह कहना चाहता हूं, अगर रियेक्टर तक आग पहुंच जाती, तो यह जो दो सौ किलोमीटर रेडियस का इलाका है, वहां लाखों की तादाद में लोग मर गए होते। मैं इस बारे में सरकार से वक्तव्य चाहता हूं, जिससे स्थिति क्लीयर हो, सेबोटाज है या टैरेरिस्टों ने तो इसको नहीं किया या फिर वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कमी की वजह से जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था, वह नहीं लिया गया। जिसकी वजह से भी यह हुआ है, सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। बहुत गम्भीर मामला है, सरकार को कह दीजिए कि वह बाद में सदन में इस चीज को रख दे। यह बहुत सीरियस मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, आपने नियम 332 से संबंधित मुद्दे को उठाने के लिए नियम 16 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विषय में माननीय अध्यक्ष से बात करें और उनसे इस मामले पर चर्चा करें। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और माननीय अध्यक्ष भी इस विषय पर आपसे चर्चा करने के इच्छुक हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने सलाह दी है···

उपाध्यक्ष महोदय : यह सलाह नहीं है, यह तो अनुरोध है। इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए यह अच्छा होगा कि आप इस पर अध्यक्ष महोदय से चर्चा करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपका ध्यान केवल इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ तीन सप्ताह पहले हमने यह नियम संशोधित किया था। अब विभागों से संबंधित समितियां कार्य करेंगी। नियम 331(छ) में इस बात का प्रावधान है कि दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद, सदन एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित हो जायेंगे और इस अवधि के दौरान समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करेंगी। यही सब प्रावधान इस नियम के संशोधित भाग में किये गये हैं।

हमें विभिन्न समितियों के सभापतियों से नोटिस मिल रहे हैं कि हम बजट पर सामान्य चर्चा किए बगैर और मध्यावकाश के बगैर ही अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि अध्यक्ष महोदय पीठासीन होते। यह स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं अध्यक्ष पीठ का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं। अब चूंकि मैंने यह मामला उठाया है, अतः मैं अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा और वही फिर स्थिति स्पष्ट करेंगे। एक विकल्प यह है कि अध्यक्ष महोदय इस नियम को स्थगित कर दें ताकि ये दोनों चीजें एक साथ न चलें। हमारा सभा के प्रति यह फर्ज बनता है कि इन तीन सप्ताह के अन्दर हम इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इन्हीं बातों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे (विजयवाडा) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको अवसर देना चाहता हूं। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं।

हाल ही में आंध्र प्रदेश में दो विधानसभा क्षेत्रों में मध्यावधि चुनाव हुए हैं। दुर्भाग्य से चुनावों के बाद, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ** ने एक धन्यवाद प्रस्ताव बैठक में कतिपय विचार व्यक्त किये थे, जो कि इस देश के लोकतन्त्रीय कार्यकरण के विपरीत थे। उन्होंने चुनाव आयुक्त को ** चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने तथा निष्पक्ष चुनाव कराने संबंधी बन्दोबस्त करने के लिए उठाये गये कुछ कदमों के संबंध में दोषी ठहराया है।

महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री यह कहें कि उन्होंने चुनाव आयुक्त के विरुद्ध चुनाव लड़ा था न कि श्रीमती रेणुका चौधरी के विरुद्ध।

उपाध्यक्ष महोदय : राव जी आप माननीय मुख्य मंत्री के साथ-साथ···के नाम नहीं ले सकते हैं।

(व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप वास्तव में इस विषय पर न्याय पाने के इच्छुक हैं तो इस विषय को नियमों के सुसंगत उपलब्ध के अन्तर्गत पेश करें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : निश्चित रूप से।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में आप इस मामले को नहीं उठा सकते हैं। यदि आप न्याय चाहते हैं और यदि आप समझते हैं कि कुछ अन्याय होगा, तो आप अब सरकार से उत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उन्होंने पान्याम सीमेंट के उस प्रबन्ध मण्डल को धमकी दी है, जिन्होंने तेलगू देशम पार्टी से सहानुभूति रखने वालों को अपने विश्राम गृहों में आश्रय दिया है। उन्होंने उन्हें धमकी दी है कि इसके कठोर परिणाम होंगे। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने क्षेत्रीय भावनायें भड़कायी हैं। जो कि कांग्रेस (आई) दल की भांति बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। आपको संविधान के लोकतांत्रिक उपबंधों को संरक्षण देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले दस मिनट में आपमें से ज्यादातर लोग भाग ले सकेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न केवल इतना है कि पाकिस्तान के राजनेता श्री गौहर अयूब खान भारत में आए और उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस करके प्रेस में यह कहा कि इण्डिया वड डिसइंटीग्रेट और उन्होंने यह कहा कि भारत के अन्दर केवल भारत का एक-एक टुकड़ा हो जाएगा और भारत नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा और उन्होंने यहां पर प्रेस में दिल्ली के अन्दर यह कहा कि यदि पाकिस्तान के अन्दर कश्मीर को नहीं जाने दिया गया तो शेख अब्दुल्ला को निकाल करके उनकी हड्डियों को मिलिटेंटस तोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सर्वनाश कराने के अन्दर बहुत कम समय रह गया है। इस प्रकार के भारत विरोधी, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की अखंडता के विरुद्ध दिल्ली के अन्दर आ करके पाक नेता स्टेटमेंट दें और हमारे विदेश मंत्री, गृह मंत्री कोई कार्यवाही न करें।

महोदय, यहां पर अभी जो भाषा के बारे में, हमारी जिस भाषा के लिए सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ गया, जिसके लिए मैथली शरण गुप्त ने कहा :—

"जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है।"

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा :—

"निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल"

फिर भी हिन्दी व प्रादेशिक भाषाओं को समर्थन करने वालों को जेल में डाला जाता है व पाकिस्तान के राजनेता को भारत विरोधी भाषा पर छूट दी जाती है। (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री उनके खिलाफ कार्यवाही करें। धन्यवाद।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : आप इतने जनरस हैं, इतने मेगनेनीमस है कि हमारे सदस्यों को आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। हमारे लिए दुख की बात है कि उड़ीसा जो हिन्दुस्तान का एक छोटा-सा प्रांत है, जहां पर कि चार करोड़ लोग रहते हैं वहीं पर 52 से 56 परसेंट लोग बैकवर्ड क्लास के हैं लेकिन बहुत दुख की बात है कि जोकि उधर उड़ीसा के मुख्य मंत्री हैं वे बैकवर्ड क्लास के हैं। (व्यवधान) दुख की बात यह है कि अभी तक हिन्दुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग होता है उसमें स्पीकर रूलिंग नहीं होती।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय का निर्णय राज्यों और संघ पर भी अनिवार्य रूप से लागू है।

[हिन्दी]

अभी तक बीजू पटनायक सरकार ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरेक स्टेट में बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठ चुका है और उधर वे लागू कर दिए हैं, लेकिन बीजू पटनायक ने अभी तक बैकवर्ड क्लास का कमीशन का गठन नहीं किया है उनका रिकोमेंडेशन भी कि लिस्ट आफ बैकवर्ड क्लास में कौन-कौन-सा कास्ट आएगा, अभी तक लिस्ट नहीं दिया है।

[अनुवाद]

क्या माननीय गृह मंत्री राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पिछड़े वर्गों के नाम केन्द्र सरकार को देने के संबंध में निदेश देंगे और साथ ही राज्य सरकारों को यह भी निदेश देंगे कि वे संविधान के इस अनुच्छेद और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर गौर करने से पहले इस सूची को कार्यान्वित करेंगे जो कि पहले से ही मंडल आयोग की रिपोर्ट में जोड़ी गयी है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि जिन्हें बोलने का अवसर मिल जाये, वे एक या दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लें ताकि ज्यादा वक्ता बोल पायें। परन्तु दुर्भाग्य से वे अपने ही भाइयों को बोलने के अधिकार से वंचित रख रहे हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : क्या श्री श्रीकान्त जेना मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मेरा इस विषय के बारे में बहुत ही स्पष्ट विचार है। डा० भोई इस बारे में मण्डल आयोग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और इस संबंध में उड़ीसा सरकार का रवैया भी उन्हें मालूम है। इसलिए मैं इस संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात है। वह आपके साथ हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से राजभाषा हिन्दी और हिन्दुस्तानी भाषाओं के प्रति उपेक्षा का सरकारी बर्ताव चल रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी भाषाओं को ठीक प्रकार से यथोचित स्थान शीघ्राति-शीघ्र मिलना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से रेलवे के अन्दर रेलों में जो एक्सप्रेस,

क्लास की उसको सुपर-फास्ट क्लास का दर्जा दे दिया गया है। एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपर फास्ट कह कर जनता के पैसे को लूट रही है और बाकी जो सामान्य यात्री हैं उन यात्रियों को रेल गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही है, जन-सामान्य इसके कारण बहुत परेशान है। जो एम एस टी पास होल्डर्स हैं उनको अब ऐसी गाड़ियों में सफर करना प्रतिबंधित नहीं है। मैं आपके माध्यम से रतलाम से इन्दौर और इन्दौर उज्जैन से भोपाल तक आवागमन के लिए एम एस टी पास होल्डर्स के लिए और देश भर में ऐसे पास होल्डर्स के लिए अतिरिक्त कोच लगाने की मांग करता हूं जिससे उनकी रोजी-रोटी और व्यवसाय प्रभावित न हो, इस प्रकार की सुविधा सरकार को उन्हें देनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, तीन अप्रैल को मैं त्रिपुरा चुनाव में था और दो अप्रैल को मैं त्रिपुरा गया था। मैं बेलवनिया विधान सभा क्षेत्र मे था। पार्टी का आदेश हुआ कि किसी भी एम० पी० को बूथ पर नहीं जाना है। पार्टी के आदेश के मुताबिक मैं बेलवनिया के किसी भी बूथ पर नहीं गया। दो तारीख की रात में मैं जिस घर मे था तो उस घर के किवाड़ों को रात भर गुण्डों द्वारा पीटा गया और घर के चारों तरफ बमबारी हुई। पूरे बेलवनिया विधान सभा क्षेत्र में और बकाया कस्बों में रात को दस-बीस बम ही नहीं फेंके गये बल्कि सुबह सात बजे से लेकर रात के दस बजे तक तीन तारीख को जिसमें लोगों को वोट देने जाना था तो उस समय भी बमबारी हुई और सेन्टर से जो आबजरवर श्री बी० र० मिश्रा जोकि उड़ीसा के रहने वाले हैं तो उनको मैंने और श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य जी ने लिखकर दिया और स्वयं कहा भी कि जाकर देखें कि चुनाव के दौरान किस-किस बूथ पर बमबारी हो रही है या जो लोग वोट देने जाते थे उनके घर में घुसकर बम फेंका गया। तमाम बातों को कहने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कन्ट्रोल नहीं किया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत कम वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए और जो इल्लीगल तरीके से चुनाव जीता है उस पर विचार करना चाहिए ...(व्यवधान)... वहां पर जो बमबारी हुई है उसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री से मांगी जाए। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी (कैसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में सुनियोजित ढंग से एक वर्ग विशेष समुदाय द्वारा भारी मात्रा में अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद का आयात नेपाल सीमा से किया जा रहा है। इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को भारत में सीमा-सुरक्षा में लगे कस्टम विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस बड़ी-बड़ी धनराशि लेकर जीप, कार और ट्रकों से लदे शस्त्रों का प्रवेश करा रहे है। ...(व्यवधान)... नेपाल राज्य का एक सभासद जो अल्पसंख्यक समुदाय का है वह इस प्रकार के शस्त्रों को भारत में भेजने की योजना का मुखिया बताया जा रहा है। विगत दिनों उ० प्र० के बहराइच जनपद की नेपाल सीमा पर जीप-कार में लदकर शस्त्र आ रहे थे। जीप तो भारत में प्रवेश कर लापता हो गई किन्तु एक मारुति कार जिसे पकड़े जाने की सूचना मिल जाने के कारण वापस नेपाल राज्य में भाग रही थी नेपाल पुलिस द्वारा पकड़ी गई जिसमें हथियार बरामद हुए हैं। मैं भारत सरकार को चेतावनी देते हुए बताना चाहूंगा कि कुछ विदेशी ताकतें सुनियोजित ढंग से एक वर्ग विशेष को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति करते हुए उन्हें हथियार चलाने हेतु शिक्षित दीक्षित कर भारत को खंडित करने और अस्थिरता फैलाने की योजना को क्रियान्वित करने में लगा है। यह राष्ट्र के लिए गंभीर विषय है। सरकार को तुरंत इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए और इस विषय में माननीय गृह मंत्री या प्रधान मंत्री जी को सदन में ध्यान देना चाहिए। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार से उत्तर तो नहीं आ सकता है, अगर उत्तर चाहते हैं तो नोटिस देना पड़ता है।

[अनुवाद]

शून्य काल में आप तब तक सरकार से किसी उत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि सरकार स्वतः ही उत्तर न दे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी, आप चुपचाप बैठिये···

[अनुवाद]

यदि आप सरकार में होते, तो क्या आप उत्तर देते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पीछे से त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट देना है···

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चाहते हैं कि सरकार, राज्य सरकार से जानकारी हासिल करे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वह राज्य सरकार से जानकारी हासिल करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पीछे से एक आदमी बोल रहा है, उस समय 2-3 आदमी खड़े होकर बोलना शुरू कर दें तो क्या होता है ? आप स्वयं ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक ब्रिगेडियर और मेजर की बहादुरी की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने देश के नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा योग्य कार्य किया है। दिनांक 10-4-1993 के शाम 4 बजे लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर दिल्ली आ रहे आई० सी०-436 विमान का कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया था। पिछले कुछ महीनों से विमान अपहरण की घटनायें इतनी लगातार बढ़ गयी हैं कि विमान में यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा करने के बारे में सोचना पड़ता है लेकिन सेना के पूर्व अधिकारियों-ब्रिगेडियर कपिल मोहन और मेजर एम० के० बक्शी ने जिस बहादुरी और वीरता का परिचय दिया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वे गाजियाबाद के निवासी हैं। उनको इस सदन को भी बधाई देनी चाहिए। सेना के उन दो पूर्व अधिकारियों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए विमान अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा और उनको पकड़ लिया। इस प्रकार एक अनहोनी को टाल दिया लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने ऐसे बहादुर लोगों को सम्मानित नहीं किया जिससे लोगों को—खासकर नौजवानों को प्रेरणा मिलती और भविष्य में ऐसी आकस्मिक घटनाओं से निपटने में बहादुरी का परिचय देते।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे बहादुर पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का पहली बार साहसिक काम किया, एक बेमिसाल कार्य किया, सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिये। धन्यवाद।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। इन दोनों राज्यों में किसानों पर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है तथा उनको आर्थिक दुर्व्यवस्था में खड़ा किया जा रहा है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यह विचारणीय प्रश्न है। किसानों के हितों का प्रश्न है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग आवश्यक है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : दैविक प्रकोप— शीत लहर, ओलावृष्टि— से किसानों की फसलें नष्ट हो गयी हैं। यद्यपि प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि किसानों की ऋण वसूली स्थगित कर दी जाये लेकिन उसके बावजूद जबरन वसूली की जा रही है, उनको कृषि-उपकरण ले जाये जा रहे हैं तथा उनको अपमानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिये, वह नहीं किया जा रहा है। गेहूं का बाजार भाव समर्थन मूल्य से नीचे जा रहा है, उसी प्रकार चना का समर्थन मूल्य है, उससे कम दाम पर बिक रहा है। इस तरह दोनों तरफ से किसान बरबाद हो रहा है, परेशान है। मेरा अनुरोध है कि किसानों को संरक्षण दिया जाये, उनसे वसूली रोकी जाये और समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना आदि खरीद कर समुचित प्रबंध किया जाये। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, यह तथ्य सही है कि सरकारी एजेंसियां परचेजिंग नहीं कर रही हैं। किसान बरबाद हो रहा है। सरकारी एजेंसियां आगे नहीं आ रही हैं। इसलिए उनको निर्देश करें और कृषि मंत्री को बुलाकर कहें कि खाद के मूल्य में जो छूट हो रही है, उससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को बचायें। नहीं तो अगली बार गेहूं की उपज बिलकुल समाप्त हो जायेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। कृपया, मुझे क्षमा करें···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक आदमी दो-दो मिनट में ही समाप्त करने के लिए कहता है।

[अनुवाद]

क्या हम 2 बजे तक बैठेंगे? आपको अगली बार अवसर मिलेगा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।···

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगली बार आपको अवसर मिलेगा। कल आपको मौका मिलेगा। किसी भी शून्यकाल को कम महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए, आज आप मुझे क्षमा करें। कल आपको जरूर अवसर मिलेगा।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे···

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। यह अनुचित टिप्पणी है। प्रत्येक राजनैतिक दल को बोलने का अवसर मिला है। यह गलत बात है। मुझे इसके लिए खेद है।

1.41 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की विस्तृत अनुदान मांगें खण्ड-II आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-I) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3807/93]

(2) गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल के संघ राज्य क्षेत्रों) की वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० 3808/93]

संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा त्रिपुरा राज्य के संबंध में 10 अप्रैल, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 10 अप्रैल, 1993 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 370(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 मार्च, 1993 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3818/93]

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की विस्तृत अनुदान मांगें

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3809/93]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 3810/93]

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : महोदय, मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से वर्ष 1993-94 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3811/93]

जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से वर्ष 1993-94 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3812/93]

विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगें, आदि

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3813/93]

(2) (एक) हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 15 दिसम्बर, 1992 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड शिमला के वर्ष 1991-92 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3814/93]

(3) हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 15 दिसम्बर, 1992 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला के वर्ष 1992-93 के वार्षिक वित्तीय विवरण 1991-92 (वास्तविक) 1992-93 (बजट/संशोधित अनुमानों सहित) और 1993-94 (बजट अनुमानों) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला के वर्ष 1993-94 के वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखने के उद्देश्यों और कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला के वार्षिक वित्तीय विवरण का सार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3815/93]

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1993-94 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3816/93]

भारतीय डाक घर (दूसरा संशोधन) नियम, 1993

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 जो 5 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 259(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3817/93]

1.42 म० प०

व्यापार चिन्ह विधेयक*

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि व्यापार चिन्हों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण करने और कपटपूर्ण चिन्हों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापार चिन्हों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण करने और कपटपूर्ण चिन्हों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं व्यापार चिन्ह विधेयक पुरःस्थापित करने के विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : ट्रेड मार्क्स बिल के अंदर सारे देश में इस समय प्रयास किया जा रहा है कि डंकेल प्रस्तावों को लागू किया जाए। डंकेल प्रस्तावों पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। यह मेरा बेसिक ऑब्जेक्शन है। इस पर पहले पॉलिसी तय की जाए और उसके बाद प्रस्ताव किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायाधीश महोदय, विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। आपने पुरःस्थापन पर किसी आपत्ति के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

———

1.43 म० प०

हस्त सफाईकर्ताओं का नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण (प्रतिषेध विधेयक)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्रीमती शीला कौल की ओर से मैं

*दिनांक 19-4-93 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव करता हूं कि हस्त-सफाईकर्ताओं का नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण या बनाए रखना प्रतिषिद्ध करने और जल-सील शौचालयों के सन्निर्माण और अनुरक्षण को विनियमित करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हस्त-सफाईकर्ताओं का नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण या बनाए रखना प्रतिषिद्ध करने और जल-सील शौचालयों के सन्निर्माण और अनुरक्षण को विनियमित करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुकुल वासनिक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.45 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.53 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.53 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री दिनेश सिंह एक वक्तव्य देंगे।

2.54 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार की बर्खास्तगी

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : निस्संदेह माननीय सदस्य पाकिस्तान के उन बदलते हुए राजनीतिक हालात को जानते होंगे जो हाल ही के सप्ताहों में वहां बने हैं। 18 अप्रैल, 1993 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री गुलाम इसहाक खान ने प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की सरकार को बरखास्त कर दिया है, वहां की राष्ट्रीय असेम्बली भंग कर दी है तथा कामचलाऊ प्रधान मंत्री श्री बलख शेर मजारी के नेतृत्व में एक कामचलाऊ सरकार बना दी है। जिन अन्य दो मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के श्री फारूक लेघारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के श्री हमीद नासिर चट्ठा हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के कार्यालय से ऐसे सामान्य संकेत होते हैं कि जुलाई के मध्य के आसपास यानी कोई कई महीने के अन्तराल के बाद वहां चुनाव

करवाए जाएंगे। वहां के सेना अध्यक्ष की टिप्पणी के अनुसार सशस्त्र सेना पर सोचना यह है कि 18 अप्रैल से पाकिस्तान के राष्ट्रपति के निर्णयों से जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका समाधान अन्ततः यह तो न्यायालय को करना चाहिए या पाकिस्तान के लोगों को।

पाकिस्तान की घटनाएं बुनियादी तौर पर उसके अपनी आन्तरिक घटनाएं हैं। लेकिन इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे इस महत्वपूर्ण पड़ोसी देश इन घटनाओं का हम पर असर पड़ता है, सामान्य रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से भी। इसलिए हम पाकिस्तान की स्थिति के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। लोकतांत्रिक होने के नाते हम पाकिस्तान में भी लोकतंत्र को फलता-फूलता देखना चाहते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए, जहां चुनी हुई सरकारों को अपनी जड़ें जमाने से तथा अपनी नीतियों को बरकरार रखने से बराबर रोका जाता रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में अनिश्चितता के दौर से इन्कार नहीं किया जा सकता। सरकार भावी घटनाओं पर निकट से निगाह रखेगी।

तथापि उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो हमारे प्रति उनकी नीतियां विवेकपूर्ण तथा सघणित दृष्टिकोण से संचालित होगा क्योंकि पाकिस्तान के प्रति हमारी नीतियों का हमेशा यह ध्येय रहा है कि उसके साथ हमारे अच्छे पड़ोसी के से संबंध हों।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

श्री उत्तमराव पाटिल : अनुपस्थित। डा० के० एस० भोई।

2.55 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गोपालपुर से रायपुर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : उड़ीसा और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली अन्तर्राज्यीय सड़क जो गोपालपुर से रायपुर तक बरास्ता बोलंगीर पदमापुर तथा खरियाट को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना लम्बे अरसे से विचाराधीन है। यह सड़क उड़ीसा के लगभग आधे दर्जन जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। दक्षिणी तथा पश्चिमी उड़ीसा के लोग रायपुर, बिलासपुर, नागपुर तथा मुम्बई जाने के लिए इस सीधे रास्ते को लेते हैं। आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा के कुछ लोग भी इस सड़क का इस्तेमाल मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जाने के लिए करते हैं। एक तरफ यह सड़क, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश तथा दूसरी तरफ मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच पुल का काम करती है।

इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव एक दशक पहले से था, जब भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस ने अपना सम्मेलन आयोजित किया था। हालांकि, केन्द्रीय सरकार ने इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का वायदा किया था, किंतु वित्तीय कमियों का तर्क देकर वह इस योजना को पूरा नहीं कर रही है। चूंकि केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों के विकास की ओर ध्यान दे रही है, इस परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया

जाना चाहिए । जैसा कि यह सड़क पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरती है, राज्य सरकार एवं लोगों की इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए तथा गोपालपुर से रायपुर तक की सड़क को बिना किसी देरी के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिए ।

(दो) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के कृष्णा खंड पर अति शीघ्र कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महाराष्ट्र में कराड तथा सांगली के बीच कृष्णा नदी का हिस्सा अत्यंत प्रदूषित है । इस नदी में चीनी मिलों का दूषित जल तथा शहर के गंदे पानी की निकासी भी की जाती है । जनसंख्या बढ़ने से समस्या और भी जटिल हो गई है । जनवरी और फरवरी, 1993 के दौरान कराड शहर में काफी संख्या में लोग पीलिया तथा अन्य पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से पीड़ित हुए थे । इस महामारी से लगभग बीस लोगों की जानें गई थीं तथा 2,000 से अधिक लोगों को इन्फेक्शन होने से, वे लोग अभी भी बीमारियों का सामना कर रहे हैं । महामारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है ।

कृष्णा नदी का यह भाग राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में शामिल है किंतु इस योजना को अभी कार्यरूप नहीं दिया गया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि गंगा कार्य योजना, चरण I, चरण II, यमुना योजना तथा गोमती योजना पर होने वाले समूचे खर्च को तीन उत्तरी राज्यों में ही खर्च किया गया है; जबकि अन्य सभी राज्य अपनी नदियों के प्रदूषित जल तथा पीने के पानी के स्रोतों के प्रदूषित होने का लगातार सामना कर रहे हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां उत्पन्न आपात स्थिति के कारण राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के कृष्णा नदी खंड हेतु कोई औपचारिकता की प्रतीक्षा किये बिना कार्यवाही शुरू कर दी जाए ताकि किसी बड़ी महामारी से हो सकने वाली जीवन हानि की आशंका को समाप्त किया जा सके ।

3.00 म० प०

(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के सर्वांगीण विकास के लिए उस क्षेत्र में यातायात सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : मैं सरकार का ध्यान पूर्वी भारत के दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहती हूं । शहरों में स्थित उद्योग तथा ग्रामों में स्थित उद्योगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में जमीन आसमान का अन्तर है । पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों की संख्या अधिक है तथा वहां खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, पिछले कुछ वर्षों से वहां तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है । कुछ बड़े सरकारी उपक्रमों को छोड़कर जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई, बोकारो स्टील प्लांट तथा बहुत से छोटे तथा बड़े निजी उपक्रम इस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं । लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में इस क्षेत्र को अन्य सुविधाएं नहीं दी गई हैं । राउरकेला तथा टाटानगर जैसे शहरों को विमान सेवा की सुविधा से वंचित रखा गया है । इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा के कारण परिवहन सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । बुनेई उपखंड में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है, गोपालपुर में एशिया के सबसे अधिक कोयला भंडार हैं तथा पूर्णपानी डोलोमाइट पत्थर के भंडार के लिए सुविख्यात है । ये सभी उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में हैं । यहां सड़क सुविधाएं बहुत बदतर हालत में हैं । इन

क्षेत्रों में टेलीफोन व्यवस्था भी नहीं हैं। इन क्षेत्रों को खुले बाजार का लाभ नहीं मिला है क्योंकि यहां परिवहन संबंधी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र नये उद्योगों को लगाने के लिए प्राइवेट उद्यमियों को आकर्षित नहीं कर सका है।

अतः मैं, केन्द्र सरकार से उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के समग्र विकास के लिए वहां परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उपाय करने का अनुरोध करती हूं।

(चार) मुम्बई में हुए बम विस्फोटों के शिकार लोगों के निर्दोष और असहाय आश्रितों को शीघ्र राहत सुनिश्चित करने की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (उत्तर मुम्बई) : मुम्बई में 12 मार्च को हुए अनेक बम विस्फोटों के दौरान अनेक निर्दोष नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह बम विस्फोट इतने भयानक थे कि बहुत व्यक्तियों को न केवल अपनी जान से हाथ धोना पड़ा बल्कि उनके शव भी नहीं मिले। शव क्षत-विक्षत हो जाने और बुरी तरह से जल जाने या झुलस जाने के कारण अधिकांश शवों की शिनाख्त भी नहीं हो सकी। इसके अलावा कुछ शरीर तो शायद आग की तीव्रता के कारण गायब ही हो गए।

उनके आश्रित और परिवार जन उनकी मृत्यु का सबूत देने या मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं जिसके अभाव में आश्रित मृत व्यक्ति की पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड की राशि या अन्य सम्पत्ति अथवा जीवन बीमा अथवा सरकार द्वारा घोषित मुआवजे के लिए दावा नहीं कर सकते। इस स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्फोट के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को और अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह अत्यन्त आवश्यक है कि समुचित प्रक्रिया निर्धारित की जाये।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विशेष स्थिति का तत्काल अध्ययन करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी करें तथा बम विस्फोट के शिकार व्यक्तियों के निर्दोष और असहाय आश्रितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत प्रदान किए जाने संबंधी प्रक्रिया सुनिश्चित करवाएं।

(पांच) प्रसिद्ध गणितज्ञ डा० वशिष्ठ नारायण सिंह का सरकारी खर्च पर इलाज कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलाय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० विशिष्ट नारायण सिंह को जो गणित के भारत के जाने-माने विद्वान हैं और जिन्हें भारत से आर्यभट्ट का उत्तराधिकारी कहा गया है, इनके बारे में मान्यता थी कि उन्होंने गणित के क्षेत्र में रामानुजम के बाद भारत का नाम सारे विश्व में फैलाया। किन्हीं कारणों से डा० विशिष्ट का दिमाग गड़बड़ हुआ और अगस्त, 1989 से वह गायब हो गए थे लेकिन अभी बिहार के छपरा नगर में भीखमंगे की हालत में उनकी पहचान हो सकी। अभी भी आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार के लोग उनकी चिकित्सा कराने में असमर्थ है। बिहार सरकार ने यह घोषणा अवश्य की है कि डा० विशिष्ट की मनोचिकित्सा का

सम्पूर्ण खर्च बिहार सरकार वहन करेगी लेकिन डा० सिंह केवल बिहार के नहीं सम्पूर्ण भारत के गौरव हैं। उन्होंने भारत के सम्मान को संपूर्ण विश्व में ऊंचा किया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उनकी संपूर्ण चिकित्सा का भार भारत सरकार अपने ऊपर ले और यदि आवश्यक हो तो विदेश में भी भेजकर उनकी संपूर्ण चिकित्सा राष्ट्रीय कोष से हो।

[अनुवाद]

(छ:) नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो उत्तरी बंगाल तथा सिक्किम के 6 जिलों के अवर स्नातक महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, इस समय निधियों की भारी कमी के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही है। स्वयं यूनिवर्सिटी तथा अन्य व्यक्ति जो शैक्षिक अनुसंधान करना चाहते हैं, धन की कमी के कारण कर नहीं पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आवश्यक पत्रिकाओं के वार्षिक शुल्क का भुगतान कर उनका नवीकरण नहीं कर सकी है। नई और उपयोगी पुस्तकों के न आने के कारण शिक्षक समुदाय अपने शिक्षण के दायित्व के प्रति न्याय करने में असमर्थ हैं। उच्च शिक्षा का स्तर भी बनाये रखा नहीं जा सकता। अतः विश्वविद्यालय के इस पुस्तकालय तथा नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस विश्वविद्यालय को अपेक्षित धनराशि प्रदान करने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करें।

(सात) 25 फरवरी, 1993 को सार्वजनिक यातायात उपलब्ध न होने के कारण जो सरकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच सके उन्हें विशेष आकस्मिक छुट्टी दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (थाणे) : महोदय, 25 फरवरी से पहले यह घोषणा की गई थी कि सभी व्यक्ति अपने-अपने परिचय पत्र दिखाकर अपने कार्यालय पहुंच सकते हैं। इस दिन 25 फरवरी, 1993 को परिवहन के सभी साधन खासतौर से यमुनापार के इलाकों में नहीं चल रहे थे। अतः उस इलाके में रहने वाले कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय नहीं पहुंच सके।

इसी प्रकार दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी भी कार्यालय नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें पहचान पत्र दिखाये जाने के बावजूद लगाई गई बाधाओं को लांघकर आगे नहीं जाने दिया गया। जैसा कि समाचार पत्रों ने आरोप लगाया है, यह सरकार द्वारा किया गया 'बन्द' था। भारतीय मजदूर संघ ने उस दिन के लिए विशेष अवकाश की मांग की है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन सभी कर्मचारियों को विशेष अवकाश प्रदान किया जाए जो 25 फरवरी, 1993 को कार्यालय से अनुपस्थित रहे हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जिसमें लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल हैं।

———

3.07 म० प०

सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को पुलिस उपाधीक्षक/केन्द्रीय जांच ब्यूरो। एस० आई० सी०-IV नई दिल्ली से दिनांक 17 अप्रैल, 1993 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"मुझे आपको सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निर्देश देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है कि श्री मोरेश्वर सावे, संसद सदस्य को 6-12-1992 को उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में अयोध्या में रामजन्मभूमि के विवादास्पद ढांचे को गिराने के संबंध में जिसकी मामला संख्या 8 (एस)/92/एस० आई० यू०-V/एस० आई० सी० II, नई दिल्ली के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397/332/337/338/295/297/153-क तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 अन्तर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाये।

तदनुसार श्री मोरेश्वर सावे, संसद सदस्य को 17-4-1993 को शाम 6.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस समय सम्राट होटल चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो/एस० आई०सी०-IV, कार्यालय/अथति गृह में रखा गया है।"

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : गिरफ्तारियां तो ठीक हैं। लेकिन, सांसदों को बिना सूचित किए उनके घरों की तलाशी की जा रही है। यह कैसी कानूनी व्यवस्था है अथवा क्या है? औचित्य यह है कि उन्हें सूचित किया जाये। सरकार किस ढंग से कार्य कर रही है, सांसदों के घरों में जब वे घर पर नहीं हैं छापे मारे गये उन्हें बुलाया जा सकता था तथा तलाशी ली जा सकती थी। एक सभ्य सरकार की तरह कुछ किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम कापसे (थाणे) : यह जंगल का कानून है, और कुछ नहीं है। यदि आज यह श्री मोरेश्वर सावे के साथ हो रही है, तो कल किसी अन्य के साथ भी हो जायेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक अन्य घोषणा भी है

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बात पर आ रहा हूं। मुझे टेबल आफिस में दिखलाया गया था, नियम 377 की स्वीकृत सूची में मेरा नाम सातवें स्थान पर है। यहां नहीं पुकारा गया। कहीं गड़बड़ी हुई है, पुछवा लीजिए—यही मेरा कहना है। अभी मौका दें, तो दे दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

———

3.09 म० प०

[अनुवाद]

लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को आंध्र प्रदेश के करनूल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री के० विजय भास्कर रेड्डी से लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने के बारे में कल एक पत्र प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय ने श्री के० विजय भास्कर रेड्डी का त्यागपत्र 18 अप्रैल, 1993 से स्वीकार कर लिया है।

श्री राम नाइक (मुम्बई-उत्तर) हमारे मुख्य मंत्री, शरद पवार को क्या हुआ ? क्या वह इस सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अगर श्री विजय भास्कर रेड्डी त्यागपत्र देते हैं तो श्री शरद पवार क्यों नहीं देते ? श्री मुकुल वासनिक जी आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपको बताना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं।

3.10 म० प०

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 12 पर विचार करेगी। श्री अजित पांजा विधेयक प्रस्तुत* करें।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, राज्य सभा द्वारा यथापारित और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, हाल ही में अनुमोदित आठवीं योजना में 30,538 मेगावाट की वृद्धि का अनुमान है। इसमें से 17,680 मेगावाट राज्य क्षेत्र में है जिसमें 2,810 मेगावाट की निजी क्षेत्र की क्षमता शामिल है जिसके लिए कोई सरकारी परिव्यय नहीं दिया गया है। तथापि, यह अनुमान है कि उपरोक्त अनुमान के अतिरिक्त योजना विधि में निजी क्षेत्र में 3,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। अतः आठवीं योजना में विद्युत विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु विशेष बल दिया गया है।

तर्कसंगत सिद्धांत के रूप में सरकार ने संक्षिप्त प्रयोग के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की सहकारिता के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार की आवश्यकता इस्पात संयंत्रों और अन्य औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को साफ कोककर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

कोयला धावनशालाओं की स्थापना करने की अनुमति देने के बारे में महसूस की गई थी। माननीय सदस्यों को मालूम है कि सरकार उम्दा किस्म के कोयले की आपूर्ति की ओर पर्याप्त ध्यान देती है। हमने हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों को मजबूत किया है तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की है। गैर-कोककर कोयले के परिष्करण से विद्युत गृह अधिक दक्षता से कार्य कर सकेंगे और रेलवे का भार कम होगा।

अब विधेयक में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, 1976 में यथा संशोधित, की धारा 3 की उपधारा 3 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि विद्युत उत्पादन, खान अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य स्थान से प्राप्त कोयले की धुलाई में लगी हुई कम्पनी को कोयला-खनन कार्य के लिए अनुमति दी जा सके। यह उसके कम्पनी के अतिरिक्त होगा जो लौह और इस्पात के उत्पादन में लगी हुई है तथा जो पहले ही संविधि के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस संशोधन के द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा अन्य उद्योगों को उनके रक्षित उपयोग के लिए कोयला प्राप्त हो सकेगा। निजी क्षेत्र में कोयला धावनशालाओं की स्थापना करना भी आसान हो जायेगा। जैसाकि नियमों में प्रावधान किया गया है, खनन पट्टे, पर्यावरण संबंधी मंजूरी, सुरक्षा तथा कल्याणकारी साधनों इत्यादि के अनुमोदन के संबंध में सभी नियंत्रण पहले की भांति लागू होते रहेंगे। निजी क्षेत्र की पार्टियों को खनन-पट्टे, पर्यावरण संबंधी मंजूरी, आधार भूत सुविधाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए तथा खान खोलने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। कोयला-नियंत्रक को कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम के अंतर्गत और अधिक शक्तियां प्रदान की जायेंगी ताकि खनिज संसाधनों का सुरक्षित तथा वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त पर्यवेक्षण किया जाये।

इस प्रकार से प्रस्तावित संशोधन हमारे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में निजी क्षेत्र को समर्थ बनायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा में विधेयक पर विचार किये जाने की सराहना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए कुल दो घंटे का समय दिया गया है। कांग्रेस को 52 मिनट, भाजपा को 25 मिनट, जनता दल को 12 मिनट, सी० पी० एम० को 7 मिनट और सी० पी० आई० पार्टी को 3 मिनट अन्नाद्रमुक को दो मिनट, तेलुगुदेशम को एक मिनट, तथा ए० एम० एम० को एक मिनट दिया गया है।

हमें दो नाम भाजपा से मिले हैं, 3 नाम कांग्रेस से, एक जनता दल से और एक सी०पी०एम० से। अब हमें अपने आपको आबंटित समय तक सीमित रखना होगा। हर बार किसी न किसी प्रकार से हम समय बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। यह सभा की कार्यवाही की प्रगति में रुकावट बनता है। अतः मेरा अनुरोध है कि हरेक राजनीतिक पार्टी आबंटित समय तक सीमित रहे।

अब श्रीमती रीता वर्मा चर्चा का आरंभ करेंगी।

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अब हम जानते हैं कि विद्युत उत्पादन करने वाली निजी इकाइयों और इस्पात संयंत्रों को अपनी कोयले की जरूरतें पूरा करने के लिए रक्षित कोयला खानें विकसित करने की अनुमति होगी तथा इस्पात संयंत्रों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को साफ कोयले की आपूर्ति करने के लिए निजी कोयला धावनशालायें खोली जा सकेंगी। कोयला वास्तव में हमारे देश की खनिज संपदा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य से किया गया था कि इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण और स्वामित्व राज्य के पास होना चाहिए ताकि इसे आम-हित के लिए बेहतर तरीके से वितरित किया जा सके। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो सरकार हर समय नेहरू जी के आदर्शों की बातें करती रहती हैं लेकिन व्यवहार में वे बिल्कुल उसके विपरीत जा रहे हैं। यह देखकर मुझे एक कहावत याद आती है "कहो कुछ और करो कुछ"।

माननीय कोयला मंत्री निःसंदेह बहुत ही निपुण और चतुर हैं। वह दोनों ही पक्षों को बहुत खुश रख सकते हैं। उद्देश्यों के विवरण में जो कारण दिए गए हैं, वे हैं—"संसाधन संकट।" लेकिन, महोदय, ईमानदारी से बताइये क्या केवल यही एक कारण है? क्या आपने राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र में अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण किया है? सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस पहलू का विश्लेषण किया है। मैं इसमें से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

> "मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के मुख्य कारण हैं; भूमि अधिग्रहण, उपकरण की आपूर्ति में विलंब, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, विपरीत भू-खनन परिस्थितियां, 'टर्न की' क्षेत्रों में बुरा कार्यनिष्पादन इत्यादि।"

मेरे क्षेत्र मे में भी कोल इंडिया लिमिटेड की दो दोषी इकाइयां अर्थात बी० सी० एल० और ई० सी० एल० हैं। पिछले वर्ष बी० सी० सी० एल० को 380 करोड़ रुपए तथा ई० सी० एल० को 326 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ। अन्यथा कोल इंडिया लि० को 867 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होता। इन दोनो कंपनियों के बुरे कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं? उनके अनुसार बी०सी०सी०एल० में प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादों की क्षमता का उपयोग केवल 32 प्रतिशत है तथा डोजर्स और शावल्स की क्षमता का उपयोग 36 और 22 प्रतिशत है। और इसके बावजूद उन्होंने लाखों रुपये की विभिन्न मशीनें खरीदी हैं। उन पर जो ब्याज दिया गया, वह घाटे के प्रमुख कारणों में से एक है। पुटकी-बलिहारी परियोजना में 13 करोड़ रुपये की मशीनें खरीदी गई थीं लेकिन वे 13 टन कोयले का उत्पादन करने में भी समर्थ नहीं हो सकी। यह अनेकों में से एक उदाहरण है। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकती हूं लेकिन इन सब बातों की गहराई में जाने का वक्त नहीं है।

3.18 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मैं जिस बात पर जोर देने का प्रयास कर रही हूं वह यह है कि ये मशीनें अधिकतर विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से खरीदी गई थीं। मैं इस बदलती हुई परिस्थितियों से बहुत परेशान हूं जब हरेक बात बहुराष्ट्रिकों तथा विश्व बैंक के संकेतों के अनुसार हो रही हैं। उनके

द्वारा जो सहायता दी जाती है उसमें शर्तें भी लगी हुई हैं। वास्तव में, मंत्री महोदय ने कोयला परामर्शदात्री समितियों में काफी कुछ स्वीकार किया है कि विदेशी सहयोगियों की अपनी शर्तें हैं, जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्या हम उसी जाल की ओर दुबारा नहीं बढ़ रहे हैं? हम बहुराष्ट्रिकों को अपना काम कराने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस बात की गारंटी कहां है कि ये बहुराष्ट्रिक हम पर नई शर्तें नहीं लादेंगे? जब इन बहुराष्ट्रिकों को तेल क्षेत्र में खोज कार्य के लिए बुलाया गया था तो वे वितरण के अधिकार भी साथ में चाहते थे। इसकी गारंटी कहां है कि वे ये विशेषाधिकार दुबारा नहीं चाहेंगे? वे मांग कर सकते हैं कि कोयला उनकी मर्जी के मुताबिक बांटा जाए तथा उन्हें इसके मूल्य निर्धारित करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

और फिर एक और अन्य प्रश्न है। अगर विदेशी प्रौद्योगिकी पर हमें इतना अधिक निर्भर रहना पड़ता है तो हमारा अपना सी० एम० पी० टी० आई० क्या कर रहा है? उन पर जो धनराशि खर्च की जा रही है, उसके मुकाबले उनकी सफलता कितनी है? वास्तव में कोल इंडिया लि० की इन सभी दोषी कंपनियों और विशेष तौर पर बी० सी० सी० एल० तथा ई० सी० एल० में बड़े पैमाने पर आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सुधार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए।

यदि ये कम्पनियां अपने कार्य निष्पादन में सुधार करती हैं या ये कोई नया काम शुरू करती हैं तो संसाधनों की कमी नहीं होगी और निजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऐसी हालत में निजीकरण के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु यह सभी बुराइयों का समाधान नहीं है। ऐसा कौन-सा व्यापारी होगा जो इस तरह के प्रस्ताव के बावजूद भी नुकसान उठाना चाहेगा? यदि आप अपने अच्छे-अच्छे प्रस्ताव उन्हें देते हैं तो कोल इण्डिया को काम करना और मुश्किल हो जाएगा।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैं कोयला खानों में काम कर रहे श्रमिक बल के भविष्य उनके हितों, उनकी मजदूरी के बारे में बहुत चिन्तित हूं, उनकी मजदूरी संरक्षित रहनी चाहिए। उनके कार्य करने की दशाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे इस बात का डर है कि ये नई परियोजनाएं रोजगारोन्मुखी नहीं होंगी। वे मजदूरों के कल्याण या नजदीकी गांवों के विकास की चिन्ता नहीं करेंगे। वास्तव में मेरे लोगों को इस बात की आशंका है कि राष्ट्रीयकरण से पहले की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। इस वक्त भी उन्हें कोयला खान मालिकों के एजेंटों ने सूचित किया था। यह बात फिर नहीं होनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस समय के घटनाओं की पुनरावृत्ति न होगी।

मेरा सुझाव है कि निजीकरण के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाये और माननीय मत्री को उस समिति से परामर्श करने के बाद निर्णय लेना चाहिए। समिति को एक निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट): सभापति महोदय, मैं कोल या राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के मौजूदा संशोधन का समर्थन करता हूं। कुछ अति आवश्यक परिस्थितियों में यह संशोधन आवश्यक है। पहली बात यह है कि पूरे देश को भयावह ऊर्जा संकट ने घेर लिया है। दूसरी बात यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड और नवेली लिग्नाइट

कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला और लिग्नाइट उत्पादन करने वाले प्रमुख उपक्रम हैं, उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद भी संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं जिससे वे अल्प समय में अपनी परियोजना में अत्यधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस्पात जैसे आधारभूत उद्योग जो कि सभी उद्योगों की जननी है उन्हें धुला हुआ कोयला कम मात्रा में मिल रहा है जिससे इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोयला उर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है। तथापि, हाल ही तक देश का कोयला उत्पादन विशेष महत्व तक विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं था और साथ ही यह निरन्तर और औचित्यपूर्ण अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन को बनाए रखने की स्थिति में भी नहीं था।

परन्तु इसी दौरान कोयला उत्पादन के घटनाचक्र में नाटकीय रूप से परिवर्तन आया है। कोल इंडिया ने अपने इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन किया है और इसका कोयला उत्पादन 204.14 मिलियन टन रहा है। यह 1991 में 189.65 मिलियन टन कोयला उत्पादन की तुलना में 7.65 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। खानों से 198.20 मिलियन टन कोयले की ढुलाई की गई जो 194.13 मिलियन टन लक्ष्य की तुलना में 4.07 मिलियन टन अधिक है। इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं की गई। वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में आम स्थिरता के बावजूद भी यह 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर का द्योतक है। परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन केवल उत्पादन के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ा हुआ उत्पादन किस तरह से राष्ट्र के हितों की पूर्ति कर कर सकता है।

तथापि यह तर्क दिया जा सकता है और जैसा कि कुछ लोगों ने दिया भी है, कि निजीकरण की आवश्यकता क्या है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में खपत 1985-86 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 के दौरान 6.5 प्रतिशत तक बढ़ गया है और इसमें 2000-2001 के दौरान 7.2 प्रतिशत और वृद्धि होने की संभावना है।

ऊर्जा क्षेत्र को की गई आपूर्ति के संबंध में आगे यह कहा जा सकता है कि कोल इंडिया लिमिटेड वर्ष 1990-91 में 108.6 मिलियन टन की तुलना में 122.8 मिलियन टन कोयला पहले ही भेज चुका है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 115 मिलियन टन कोयले की मांग की तुलना में 123 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की मांग आपूर्ति कर चुका है। इस प्रकार उसने आपूर्ति में 13 प्रतिशत की अपवादस्वरूप वृद्धि दर दर्ज की है। परन्तु इसके बावजूद भी हमें संसाधनों की कमी को ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 1,400 करोड़ रुपए के बकाया सहित ग्राहकों पर बकाया देय और योजना आयोग से केवल ,000 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन सहित यह क्षमता इस स्थिति में नहीं है कि इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाए इसलिए ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं जो कि समय की मांग है। अतः निजी क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादक इकाइयों को कोयला सपर्क प्रदान करने के प्रश्न पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। यह आवश्यक है।

निजी क्षेत्र में प्रस्तावित बिजली घर अपने उपयोग के लिए नई कोयला और लिग्नाइट खानों को उन्हें देने का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। इसी तरह से हम इस्पात उत्पादन में भी धुले हुए कोयले के अभाव के कारण कमी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं: इस्पात संयत्रों और

बिजली घरों को धुले हुए कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में धोवनशालाएं स्थापित करना सुनियोजित तरीका हो सकता है। निजीकरण के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि निजीकरण से कुछ लोगों को संतुष्टि मिलती है तो हमें निजीकरण को अनिवार्य करना चाहिए। आदेश के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। यह नेहरूवादी आदर्शों के विरुद्ध नहीं है। यह नेहरूवादी ढांचे के अन्तर्गत है जिसके अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ रह सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय स्वभाविक रूप से यह कहेंगे कि भारत सरकार का कोल ईस्टर्न कोलफील्ड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जैसी इकाइयों का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है और इसका एक मात्र आधार यह होगा कि ये कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। परन्तु अनछुई कोयला खानों को निजी हाथों में सौंपना एक भिन्न बात है। पावर ग्रेड कोयला अछूती खानों में है, अतः यह परम आवश्यक है कि इन खानों का दोहन समय पर किया जाए।

हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश में विद्युत उत्पादन और वितरण में निजी कंपनियों की भागीदारी कोई नई बात नहीं है। वे लगभग एक शताब्दी से भारतीय विद्युत क्षेत्र का अंग बनी हुई है। यह निजीकरण की मौजूदा नीति एकदम उभर कर सामने नहीं आयी है। इसका अपना इतिहास है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निजी कंपनियों का अंश कुल स्थापित क्षमता का केवल 4 1 प्रतिशत है। आज की स्थिति के अनुसार कुल 69,000 मेगावाट में से उनकी क्षमता 2,862 मेगावाट है फिर भी कोई भी उनकी भागीदारी को सीमित पैमाने पर दूर नहीं करना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन से निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित हो जाएगी। इस संशोधन से निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी। कोयला मंत्रालय के संबंध में चर्चा करते हुए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक पृथक कम्पनी बनाई जाए। देश में सर्वाधिक कोयले के भण्डार इसी क्षेत्र में हैं जो कि अधिकांशतः मेघालय, नागालैंड और असम में विकेंद्रित है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र को इन क्षेत्रों पर ध्यान देने और इनका पता लगाने के लिए नितान्त क्षेत्राधिकार प्राप्त होने की आवश्यकता है।

दूसरी बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वह यह है कि कोयला क्षेत्रों के आस-पास धंसान की समस्या है। यह स्थलाकृतिक अस्थिरता अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गई है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का रानीगंज शहर धंसान का सबसे बुरा मामला है। भारत में कोयला खनन का इतिहास 150 वर्ष से भी अधिक पुराना है और कोयला खनन की प्रथाओं ने एक अलभ्य कार्यकरण की परंपरा छोड़ी है और खानें आमतौर पर या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पानी में डूबी रहती हैं। कोयला खनन क्षेत्रों में जनसंख्या और औद्योगिक विकास के दबाव से ऊपरी संपत्तियां अलभ्य और अज्ञात भूमिगत कार्यरत खानों पर बनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप ढहने की घटनाएं हुई और इसी वजह से धंसान और भूमिगत आगजनी घटनाएं हुई। मौजूदा उपाय केवल अल्पविकसित और अपर्याप्त हैं। केवल रेत भरने से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए वैज्ञानिक और उचित उपायों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में से लोगों को हटाना केवल वहां से भाग जाना है। भाग जाने से बात नहीं बनेगी। दृढ़ निश्चय से समस्या का सामना करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसी टिप्पणी के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और यह भी आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भी

इन दो बातों पर विचार करेंगे यद्यपि ये वस्तुतः इस विधेयक से संबंधित नहीं है अर्थात् उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक पृथक कम्पनी बनाने और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों के धसान की समस्याएं। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि प्रस्तावित संशोधन से खुले हुए कोयले का उत्पादन बढ़ाने को अपेक्षित महत्व और बल मिलेगा जो कोयला उद्योग, ऊर्जा उद्योग और इस्पात उद्योग को खुशहाल और विकसित होने में सहायता कर रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह 1973 के कोयला अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। यदि लोक सभा द्वारा यह संशोधन पारित किया जाता है तो 1973 से पहले निजी प्रबंधन के अधीन कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और यह संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया गया है। अतः यह विधेयक स्थिति को बदल देगा। महोदय, यह वर्ष कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का 20वां वर्ष है। महोदय, वर्ष 1973 में तत्कालीन कोयला मंत्री श्री कुमारमंगलम द्वारा जब कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब उन्होंने कहा :

> "हमारे देश में कोयला वास्तव में खनिज सम्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। पूर्ण अबंध-नीति के समय सबसे अधिक प्रमुखता लाभ को दिया जाता था। सुरक्षित पद्धतियों केवल किताबों में ही थीं और राष्ट्रीय हित को पूरी तरह से भुला दिया गया था। यह कानून इसलिए पारित किया गया है ताकि ऐसी संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्य में ही निहित हो और इसका वितरण इस प्रकार से हो जिससे सभी के हितों की अच्छी तरह से रक्षा हो सके।"

जब 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और अधिनियम की प्रस्तावना में भी यह जोड़ा गया था, कि एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह जन हित में वांछनीय है कि केन्द्र को कोयला खानों के विकास संबंधी विनियम को निर्धारित सीमा तक अपने हाथ में लेना चाहिए, जैसा कि धारा 30 के उपखण्ड 3 और 4 में व्यवस्था की गई है ताकि इस प्रकार के संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्यों के पास रहे तथा इसका वितरण इस प्रकार हो जिससे सभी के हितों की अच्छी तरह से रक्षा हो सके।

अतः अधिनियम की प्रस्तावना में संशोधन किए बगैर मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को कैसे प्रस्तुत कर सकेंगे? विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर डी जी एम एस रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कोयले की खानें निजी स्वामियों के सुपुर्द करते समय सुरक्षा उपाय लिए गए हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले भी डी जी एम एस वहां पर उपस्थित थे। ये सभी विनियमन भी उस समय थे। इन सबके होने के बावजूद वहां पर वैज्ञानिक तरीके से खनन नहीं होता था और निजी स्वामियों द्वारा कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं लिए गए थे। आप जानते ही होंगे कि झरिया कोयला क्षेत्र में 1983 में जो आग लगी थी, वह अभी भी बरकरार है। निजी स्वामियों का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक लाभ अर्जित करना था और वे कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान नहीं रखते थे।

मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का एक कारण यह बताया है कि वह उन्नत दर्जे का कोयला चाहते हैं। हमारे पास कोयले की प्रचुर निधि है। हमारे देश में हमारे पास 4039 मिलियन टन बढ़िया किस्म का कोकिंग कोल तथा 18234 मिलियन टन मध्यम दर्जे का

कोकिंग कोल उपलब्ध है। मध्यम दर्जे के कोकिंग कोल की तकरीबन 40 प्रतिशत मात्रा निम्न बाष्पशील श्रेणी का कोयला है, जो कि व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त रहता है।

हमारे देश में लगभग 62 कोयला धोवनशालाएं हैं तथा उनकी लगभग 70 से 80 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाता है। इन धोवनशालाओं द्वारा धोए गए कोयले में राख की मात्रा 20 से 21 प्रतिशत के लगभग है। हम 7 मिलियन टन कोकिंग कोल का आयात कर रहे हैं। इस वर्ष हम आस्ट्रेलिया से अपने इस्पात संयंत्रों के लिए 7 मिलियन-टन कोकिंग कोल का आयात करेंगे। आई० एस० सी० ओ० की एक धोवनशाला चासनाला में है। चासनाला धोवनशाला में धोए गए कोयले में 17 प्रतिशत के बराबर राख की मात्रा होती है। हमारे पास उपलब्ध 60 धोवनशालाओं में से अधिकतर साठ के दशक में बनाई गई थीं तथा इस प्रकार उन धोवनशालाओं में प्रयुक्त की जा रही मशीनरी एवं प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है। उनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ धोवनशालाएं अब आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शामिल कर दी गई हैं। अतः इन धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण करके, हम अपनी उत्पादन-क्षमता, उत्पादन एवं कोयले की गुणवत्ता सुधारने में सफल होंगे।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० आर० आई०) ने एक प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारी धोवनशालाएं उस गुणवत्ता वाले कोयले, जोकि हम आस्ट्रेलिया से आयात कर रहे हैं, का उत्पादन कर सकती हैं और इस प्रकार हम दुर्लभ विदेशी मुद्रा बचा पाएंगे। चार धोवनशालाएं ऐसी हैं, जोकि पहले हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लिमिटेड, अर्थात् अब स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की निजी धोवनशालाएं थीं। वे हैं पाथेरडिह, सुदामा, दहोजडिह धोवनशालाएं। ये धोवनशालाएं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की हैं। ये धोवनशालाएं 1983 से पूर्व अर्थात् स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया की नीजि धोवनशालाएं थीं। लेकिन इन्हें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ समायोजित कर दिया गया था। हमें इसका कारण पता नहीं है। हमें विदित नहीं है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ समायोजन के बाद धोये हुए कोयले की गुणवत्ता बढ़ी है अथवा नहीं और राख की मात्रा घटी है अथवा नहीं। लेकिन हमने देखा यह है कि 1983 के पश्चात, कोयले की गुणवत्ता बदतर हुई है तथा इन धोवनशालाओं की उत्पादन-क्षमता का उपयोग भी घटा है। अतः सेल यानि भूतपूर्व हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लिमिटेड के अविर्भाव से ही, यह मांग चली आ रही है कि इन धोवनशालाओं को सेल के साथ पुनः समायोजित किया जाए।

महोदय, एक समिति गठित की गई थी। जब यह प्रश्न पूछा गया था, तो भूतपूर्व कोयला मंत्री जी ने कहा था कि एक समिति गठित की गई थी जिसे कि 31 मार्च तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। प्रतिवेदन कोयला मंत्रालय को भेजा गया था। हम जानना चाहते हैं कि कोयला मंत्री जी ने इस प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई की है अथवा नहीं। उनके पूर्ववर्ती मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ समायोजन के पश्चात, गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता के उपयोग दोनों ही की स्थिति बिगड़ी है। हमारे देश में इस कार्य में जो विशेषज्ञ लगे हुए थे, उनमें से अनेक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आयात कैसे कम किया जाए तथा हम अपनी दुर्लभ विदेशी मुद्रा बचाने में कैसे सफल होंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि इन धोवनशालाओं को सेल में पुनः समायोजित कर देने तथा निजी कोयला धोवनशालाएं बना देने से बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का कम राख की मात्रा सहित उत्पादन करने में सेल की रुचि होगी।

आप विधेयक की धारा-2 का अवलोकन कीजिए। यह कहा गया है, "ऐसे अन्य अंतिम उपयोग, जिन्हें कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से उल्लेख करती है।" अब, वह कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन हेतु आपको धनराशि की जरूरत है। धनराशि की दिक्कत है। निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी तथा ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करेंगी। इसके लिए कोयले की आवश्यकता बढ़ जाएगी।

06.47 म० प०

कोयले का उत्पादन बढ़ाना होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 311 मिलियन टन कोयले का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष, कोल इण्डिया 214 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर सकी थी। लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, धनराशि की जरूरत है, लेकिन बजटीय-सहायता 100 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है।

मंत्री जी ने कहा है कि बेहतर किस्म के कोयले, कोयले के लाभार्थ, कोयले की निर्बाध ढुलाई तथा इसकी हर चीज की बेहतरी के लिए, वे कुछ कोयला खदानों को निजी क्षेत्र को सौंप रहे हैं। उन्होंने अनेक बार कहा है कि कोल इण्डिया का निजीकरण नहीं किया जाएगा। यह क्या बात है?

टाटा के पास पहले ही कुछ निजी खदानें हैं; टाटा को खदाने रखने की अनुमति दी गई है, टाटा के पास पहले ही कोयला-धोवनशालाएं हैं। जब कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो केवल टाटा को ही अनुमति दी गई थी; किसी भी अन्य प्राइवेट पार्टी को निजी कोयला खदानें रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अतः, निजी कम्पनियों को अनुमति देने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निजी खदाने रखने के नाम पर, अब सरकार 1973 में गुप्त ढंग से किए गए राष्ट्रीयकरण को समाप्त कर रही है।

हम जानते हैं कि भूमि प्राप्त करने में कठिनाइयां हैं, फिर यांत्रिकृत मशीनें हैं। अगर आप हैवी अर्थ मूवर्स मशीनों की उपयोगिता का अवलोकन करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा। इनकी औसत उपयोगिता 60 से 65 प्रतिशत तक है। इन मशीनों की टूट-फूट/खराबी 19% होती है। कोल इण्डिया ने अपनी उत्पादकता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? ओ० एम० एम० नामक गतिविधि, जोकि विकासशील देशों के बीच न्यूनतम है, में सुधार हेतु कोल इण्डिया ने क्या कदम उठाए हैं? चीन में भूमिगत खदानों की संख्या सर्वाधिक है। वहां 80 प्रतिशत भूमिगत खदानें हैं तथा 80 प्रतिशत भूमिगत खदानें होने के नाते, चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है; चीन ने पिछले वर्ष 1000 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जबकि हम 214 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर सके थे। हमारे पास कोयले के विपुल भण्डार हैं। यदि उन भण्डारों का दोहन किया जाता है, तो हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यहां तक कि समुचित-दोहन कार्य नहीं हुआ है।

मेरे राज्य में, रानीगंज कोलफील्ड हमारे देश का सबसे प्राचीन कोलफील्ड है। समूचा रानीगंज शहर खतरे में है। रानीगंज शहर के समूचे कोयला-पट्टी क्षेत्र के निजी खदान कार्य होने के कारण, स्थानांतरित करने की जरूरत है। एक बार वहां निजी खदान-कार्य होता है, तो फिर खतरा है क्योंकि ये कोई सुरक्षा-उपाय नहीं अपनाते, उनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यदि इन कोयला खदानों को, जिन्हें कि 1973 में राष्ट्रीयकृत किया गया था, निजी प्रबंधन को सौंप दी जाती हैं तो फिर वे भी यही तरीका अपनाएंगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि किन्हीं सुरक्षा उपायों अथवा सामाजिक-दायित्वों को अपनाना।

भूमिगत खदान-कार्य से, हम बेहतर किस्म का कोयला प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, हमारे देश में इसकी स्थिति क्या है? भूमिगत खदान-कार्य का उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है। 1988-89 में ई० सी० एल० का उत्पादन 16 40 मिलियन टन था तथा अब यह घटकर 11.72 मिलियन टन रह गया है। 1988-89 में कोल इंडिया का कुल उत्पादन 61.28 मिलियन टन था और 1991-92 में यह घटकर 45.84 मिलियन टन पर आ गया था।

मंत्री महोदय, हमें जानकारी दें कि भूमिगत खदान-कार्य के उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा नहीं क्योंकि बेहतर किस्म के कोयले के लिए हमे भूमिगत खदान-कार्य करना चाहिए तथा यह कार्य श्रम-सघन भी है।

हम उत्तर-पूर्वी राज्यों की मांग का समर्थन करते हैं। वास्तव में, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने कोल इंडिया पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध है, यद्यपि इस क्षेत्र के कोयले में 40-45 प्रतिशत चांदी की मात्रा होती है। फिर इस कोयले को, अगर इसे बंगलादेश में से लाया जा सकता है, हमारे कारखानों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। यदि इस कोयले को बंगलादेश में से लाया जा सकता है, तो इससे ढुलाई की लागत कम होगी।

मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु एक अलग कम्पनी होनी चाहिए। यद्यपि यह एक छोटी कम्पनी हो सकती है, फिर भी यह कोल इण्डिया के सीधे नियंत्रण में होगी। उत्तर-पूर्वी राज्यों में —जो कोयला-खदानें हैं, वहां का उत्पादन बढ़ाने के लिए —एक अलग सहायक कम्पनी की आवश्यकता है। हमारे यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोल इण्डिया की एक धोवनशाला होना चाहिए ताकि वहां से निकाले गए कोयले को साफ किया जा सके, उसमें सिलवर और राख की मात्रा को कम किया जा सके और हमारे इस्पात उद्योग द्वारा उस कोयले का उपयोग किया जा सके जिससे कोयला आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

सत्तर लाख टन कोयले को आयात करने का एक समझौता हुआ था। वर्ष 1980-81 में यह दस लाख टन था। भारत, आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता था और वह आयातित मात्रा बढ़कर सत्तर लाख टन हो गई। परन्तु, हमारे इस्पात उत्पादन को वर्ष 1980-81 से अब तक उतना नहीं बढ़ाया गया है।

इस सन्दर्भ में हमारे देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का होना आवश्यक है क्योंकि हमारे पास अपना देशी कोयला है और हमने कोयले के अतिरिक्त भण्डारों का उपयोग नहीं किया है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि हमारे देश में हमारे पास वह प्रौद्योगिकी क्यों नहीं हो सकती। मात्र 19 प्रतिशत राख की मात्रा से, यदि हम अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित कर सकते हैं तो हमको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और हमें अपने इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल के आयात पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।

आज हमारे देश में डी० ए० पी० के मामले में क्या हो रहा है? आयात पर हमारी निर्भरता के कारण हमारे अधिकांश संयंत्र बन्द कर दिए गए। हम विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहते हैं। यह राष्ट्रीयकरण की भावना के विरुद्ध है। वर्ष 1973 में जो कुछ किया गया था, सरकार इस संशोधन द्वारा उस पर रोक लगाने का प्रयत्न कर रही है। वर्ष 1973 में कोयले के खानों के राष्ट्रीयकरण का मामला उठाया गया था।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास न भेजकर प्रवर समिति के पास भेजें, क्योंकि राज्य सभा ने पहले ही इस विधेयक को पारित कर दिया है। जिस दिन विपक्ष ने अयोध्या के मामले पर राज्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, उसी दिन यह विधेयक पारित कर दिया गया। अतः मेरा यह सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। उसके बाद सभी संसद सदस्य इस पर चर्चा करेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अतः मेरा यह सुझाव है कि इस विधेयक को आज पारित न किया जाए। यदि यह विधेयक पारित किया जाता है, तो यह कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की भावना के विरुद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973 में संशोधन करने के लिए जो सदन प्रस्तुत किया गया है, यह संविधान के प्रिएम्बल के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्रों को कोयला खान सौंपना, यह कितना राष्ट्रीय हित में होगा, यह विचारणीय विषय है। निजी कंपनियों को देना या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करना, यह कितना मजदूरों के हित में होगा, यह मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मजदूरों के हित के विरुद्ध होगा। मजदूरों के हितों पर ही नहीं, बल्कि जो उनके प्रजातान्त्रिक अधिकार हैं, जो लोकतान्त्रिक अधिकार उनको मिले हुए हैं, उन पर भी खतरा हो जाएगा। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जहां तक इस बिल के एम्स एंड आब्जेक्ट्स का सवाल है, इसमें कहा गया है कि अच्छे किस्म के कोयले के लिए निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह उद्देश्य और हेतु के बिल्कुल विपरीत है। उद्देश्य और हेतु केवल लिटरेचर में है, साहित्य में है, व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। सबसे बढ़िया कोयला झरिया, धनबाद और पश्चिम बंगाल में मिलता है। जहां तक धावनशालाओं के आधुनिकीकरण करने का सवाल है, उसमें तकनीक लगाने के बदले, जो आज राष्ट्रीयकरण को नकार रहे हैं और कहते हैं कि हम निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, इससे ज्यादा जरूरत तो इसके आधुनिकीकरण करने की है। यदि आधुनिकीकरण किया जाए, तो आज भी अच्छा कोयला निकल सकता है। बेहतर कोयला निकल सकता है। इसके निजी क्षेत्रों को सौंपने की जरूरत नहीं है।

बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में भी इन्होंने जिक्र किया है कि तीन हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए इन्होंने कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसीलिए हम यह बिल ला रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बिहार का सवाल है, राष्ट्रीयकरण की जो भावना है, उसको खत्म करने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कोयला बिहार से जाने ही नहीं देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप कोयला निजी क्षेत्रों में डाल रहे हैं, एम्स एंड आब्जेक्ट्स बता रहे हैं, हम कोयले को बिहार से बाहर जाने ही नहीं देंगे। कोयले की रॉयल्टी तो खत्म हो गई, उच्चतम न्यायालय से। अब जो रॉयल्टी है, वह रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। रॉयल्टी बढ़ाई नहीं जा रही है। आज बिहार की सबसे बड़ी खनिज सम्पदा कोयला है और खास करके झरिया जहां से माननीय सदस्य आते हैं, धनबाद वगैरह

बिहार का, वहां पर प्रचुर मात्रा में यह सम्पदा है। वहां कोयले के काफी बड़े भंडार हैं, लेकिन इसमें कोई तकनीक नहीं लगाना चाहते हैं, उसको माइनाइज करके, तकनीक का इस्तेमाल करके उस कोयले को बेहतर बनाने में सरकार की सोच नहीं है। उस दृष्टि पर और दिशा पर सरकार नहीं सोच रही है। केन्द्रीय सरकार हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा देकर देश को आर्थिक रूप से गुलामी की ओर ढकेल रही है और गिरवी रखा जा रहा

4.00 म० प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

है। हमारी जो आत्मनिर्भरता है, हमारा जो स्वावलम्बन है, हमारे देश की जो परम्परा है उसको यह खत्म करना चाहते हैं और कहते हैं कि यह बिजली का उत्पादन अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म का कोयला है। इसलिए मेरा स्पष्ट यह कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने का यही जरिया नहीं था बल्कि जानबूझकर सरकार ने इस बिल को लाने का काम किया है। इस सरकार की मानसिकता स्पष्ट हो गई है यह सरकार उत्पादन के नाम पर, बिजली उत्पादन बढ़ाने के नाम पर इस बिल को लाई है। यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, यह एक छोटा-सा एक पृष्ठ वाला विधेयक है। यह सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत छोटे विधेयकों में से एक विधेयक है। साधारणतः हमारे पास ऐसे विधेयक होते हैं, जो कि कई पृष्ठों के होते हैं। हालांकि, यह एक छोटा-सा एक पृष्ठ वाला विधेयक है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्तुतः इस विधेयक के दूरगामी परिणाम होंगे। इस विधेयक के बारे में कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। मैंने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निस्सन्देह, इस संबंध में मेरी कुछ आपत्तियां भी हैं।

मैं उस ओर के माननीय मित्र श्री वसुदेव आचार्य, श्रीमती रीता वर्मा, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आदि का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या उनके मुख्य मन्त्री ज्योति बाबू, लालू बाबू अथवा बीजू बाबू—उद्योगपतियों और बहु-राष्ट्रीयों को अपने-अपने राज्य में आने और विद्युत क्षेत्र में निवेश करने का आमंत्रण नहीं दे रहे हैं? ज्योति बाबू से यह प्रश्न किया जायेगा कि क्या वह निजी क्षेत्र में विद्युत संयत्र लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं है और कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों अथवा कुछ विदेशी इसमें हाथ डे रहे हैं और क्या वे उनके प्रश्नों का सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं?

वस्तुतः पिछले सप्ताह मुझे उड़ीसा के मुख्य मंत्री का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने खुद को इस बात का श्रेय देते हुए यह कहा कि उड़ीसा के कोयला क्षेत्र में, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, विद्युत क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में निवेश जुटाने में वह सफल रहे हैं। यह दोहरा मानदंड क्यों? जब वह चाहते हैं कि निजी क्षेत्र निवेश करें, निजी क्षेत्र में विद्युत संयत्रों के आने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है फिर वे खुले आम ऐसा क्यों नहीं कहते? जब वे लोग, जो विद्युत संयत्र स्थापित करने जा रहे हैं, उन्होंने धारक कोयला खनन की शर्त रखी, तो सरकार के पास इसका क्या विकल्प है? इस विधेयक में यही बाध्यता है।

हम विद्युत क्षेत्र में और अधिक विकास हुए बिना नहीं रह सकते हैं। हमें और अधिक विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास करना होगा। जैसाकि आप जानते ही हैं देश की प्रगति और आर्थिक विकास के लिए विद्युत प्रमुख साधन है।

महोदय, इस सदन में सबको पता है कि हमारे देश में बिजली की कितनी कमी है। ऐसा मुश्किल से कोई राज्य होगा जो बिजली की कमी से ग्रस्त नहीं है। सम्पूर्ण देश के कुल कोयला भण्डार का एक तिहाई हिस्सा हमारे उड़ीसा राज्य के पास है, परन्तु हमारे यहां लगभग 33 प्रतिशत बिजली की कटौती होती है और शीतकाल के समय ही बिजली की कटौती होती है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। अतः जब हमारे पास धन नहीं है और हम विद्युत के क्षेत्र में निवेश के लिए निधियों को जुटा नहीं पाते हैं तब हमारे पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं सरकार को सतर्क कर देना चाहता हूं कि कुछ मामलों में सावधान रहें। मैं कुछ हद तक यह स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीयकरण को समाप्त किया जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र को कुछ रियायतें दी जा रही हैं। इस्पात क्षेत्र में, राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा अन्य इस्पात संयंत्रों की अपनी धारक कोयला खानें हैं और टाटा के पास भी अपनी धारक खानें हैं। कुछ लोग जिनके पास अपनी धारक कोयला खानें हैं, वे भी इन खानों को कोल इंडिया लिमिटेड को सौंपने के लिए उत्सुक हैं। यह भी एक गम्भीर स्थिति है। निश्चित रूप से कहूं तो यह हमारी उदारीकरण नीति का एक भाग है।

महोदय, सब जानते हैं कि अब हम उदारीकरण नीति को कार्यान्वित कर रहे हैं और 15 महीनों के बाद इसका लाभ भी मिलने लगा है। इस वर्ष का बजट इसका उदाहरण है। सब लोग यह भी जानते हैं कि यदि हम उदारीकृत आर्थिक नीति को नहीं अपनाते, तो न जाने क्या हुआ होता। बीस वर्ष पहले 1973 में जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं, तब उनके अनुरोध से हमारे देश में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम था और जाहिर है उस समय सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया था। मैं फिर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबल समर्थक हूं। परन्तु जब हमारे चारों ओर तेजी से परिवर्तन हो रहा है तो स्पष्ट है विद्युत के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता और इसलिए हम यह कदम उठा रहे हैं।

तब इस कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या उद्देश्य था ? नियमित, उचित और वैज्ञानिक खनन हेतु कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ था। निजी उद्योगपति, जो कि कोयला खनन के काम में लगे हुए थे, वे अचानक खनन का कार्य छोड़ने लगे। इस तरह से काफी क्षति हुई है। अब भी यह खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे कैसे रोका जाए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे पास कोयले के बड़े भण्डार हैं। परन्तु किसी समय यह भण्डार खत्म हो जाएगा। यह भण्डार अनन्त नहीं है। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखना होगा।

दूसरे, कोयला क्षेत्रों मे मजदूरों का बहुत शोषण होता था। सुरक्षा मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता था। खानों में मजदूरों का शोषण होता था और प्राकृतिक विपदाएं भी थीं। यहां तक कि हमारी सरकारी एजेन्सियों से भी हमको कुछ शिकायत है क्योंकि उनका काम भी कभी-कभी सन्तोषजनक नहीं रहता है तो निजी एजेन्सियों के विषय में क्या कहें। निजी उद्योगपति अपने निजी लाभ पर अधिक ध्यान देते हैं और इसलिए, सरकार का उत्तरदायित्व कई गुणा बढ़ गया है।

इस नये प्रावधान के कारण कोयला खान के राष्ट्रीयकरण के पीछे जो उद्देश्य है, वह पूरी तरह असफल नहीं हुआ। कुछ हद तक यह विपरीत दिशा में जा रहा है। परन्तु परिस्थिति की मजबूरी के कारण हमें यह कार्य करना है चूंकि हमने उदारीकरण को अपनाया है और हम यह कर रहे हैं तथा यहां पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके मुख्यमन्त्री स्वागत कर रहे हैं। अतः परिस्थिति को देखते हुए रक्षोपाय की जानी चाहिए। अतः आवश्यक मानदण्डों को उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि कोयला मजदूरों को कष्ट न हो और उनका शोषण न हो। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण की स्थिति और नहीं बिगड़े।

आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 30,538 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का एक कार्यक्रम है। इसमें से 20,156 मेगावाट बिजली, कोयला और लिग्नाइट पर आधारित तापीय विद्युत होगी। इसके लिए लगभग 31 करोड़ 10 लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी। आठवीं योजना में 29 करोड़ 80 लाख टन कोयले के उत्पादन का प्रावधान है। इसलिए एक करोड़ तीस लाख टन कोयले की कमी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला उद्योग को 19,375 करोड़ रुपयों की जरूरत है। इसके मुकाबले उन्हें 11,320 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें 8,000 करोड़ रुपयों की कमी है। अतः इस कमी की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। गत दो दशकों में, वर्ष 1973 से, 3,000 करोड़ रुपयों की संचित हानि के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला उद्योग के संबंध में कुछ अच्छी बातें सामने आई हैं कि पिछले दो वर्षों में इस उद्योग ने पासा पल्टा है। गत वर्ष, इस उद्योग ने 1000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उत्पादन तथा उत्पादकता में प्रचुर मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है और यह काफी अच्छी बात है। उत्पादकता में भी कुछ सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी उत्पादन में उत्पादकता में तथा अन्य क्षेत्रों में, मितव्ययिता में, खनन में तथा इन सभी क्षेत्रों में अधिक कुशलता लाने के लिए और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

राष्ट्रीयकरण के समय, उन्हें शत-प्रतिशत बजटीय समर्थन मिलता था जिसे 1985 में घटाकर 95 प्रतिशत कर दिया गया और वर्तमान में यह 19 प्रतिशत रह गया है। उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है जबकि वे काम कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही कोल इंडिया को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और मैं उनके उत्पादन की गति में तेजी की कामना करता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य द्वि-पक्षीय है। यह विधेयक विद्युत उत्पादन तथा धोवनशाला क्षेत्रों में रक्षित खनन का प्रावधान करता है। हमारे देश में कोयला प्रचुर मात्रा में है। फिर भी हम विदेशों से काफी मात्रा में कोयले का आयात कर रहे हैं और तमिलनाडु सरकार भी कोयले का आयात करने पर विचार कर रही है। इस पर चर्चा की गई है। हमें अपने देश में आत्म-निर्भर होना है। हमें इस क्षेत्र में भी आत्म-निर्भरता हासिल करनी है ताकि हमें कोयले का आयात न करना पड़े। हमें अपने कोयले की किस्म को सुधारना है। हम किस प्रकार ऐसा कर सकते हैं? एक नई प्रकार की उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा विभिन्न कोयला क्षेत्रों में धोवनशालाएं खुलवाकर और वहां पर कोयले की धुलाई कराके हम कोयले के किस्म में कुछ सुधार कर सकते हैं और उस सीमा तक कोयले का आयात भी कम किया जा सकता है।

अतः यह एक उचित कदम है। हमारे पास धोवनशालाओं के लिए धन नहीं है। कोयले में 40 प्रतिशत या 45 प्रतिशत राख होती है। अतः परिवहन पर बोझ कम हो जायेगा। हमें जितने रेल के डिब्बों की आवश्यकता है वे उतने नहीं दे पा रहे हैं। वह बोझ भी कम हो जायेगा।

यह विधेयक काफी अच्छा है किन्तु इसमें कुछ खामियां होने का भी अन्देशा है । सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए ।

जिन लोगों को अपनी भूमि का परित्याग करने के लिए कहा जाता है उन्हें काफी कष्ट होता है । कोयला खान में नई परियोजनाएं बन रही हैं तथा नए संयंत्रों की स्थापना की जा रही है । देश के सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास में उनका योगदान है और उन्हें स्वयं बलिदान देना पड़ रहा है । हमे यह सुनिश्चित करना है कि उनकी स्थिति और खराब न हो । हम जो भी करेंगे, वह उनकी भूमि की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता । हाल ही में, मेरे चुनाव क्षेत्र तालचेर में कई ग्रामीण व्यक्तियों ने एक स्थिति उत्पन्न की थी और अनन्सा तथा कालिगा खानों में कई दिन तक काम नहीं हुआ था । इससे काफी नुकसान हुआ था । वे नौकरी इत्यादि की मांग करते हैं । उचित पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए । जो भी व्यवस्था है उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है । इन क्षेत्रों म पर्यावरण संबंधी खतरे भी हैं । कई लोगों को तपेदिक है । पूरे कोयला पट्टी में न केवल उड़ीसा मे अपितु सम्पूर्ण देश में पेय जल की कमी है । जहां भी कोयला है, वहां पानी नहीं है । आपको कोयला पट्टी में इन सभी लोगों को पेय जल उपलब्ध कराना होगा चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे पाइप व्यवस्था द्वारा नदियों से, दूर-दराज के स्थानों से भी क्यों न लाना पड़े । हम जगह-जगह ट्यूबवेल भी लगाने पड़ेंगे । हमें ट्यूबवेल खुदवाकर पानी उपलब्ध करवाना है और सीमान्त विकास करके इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है । यही वे लोग हैं जो अपनी भूमि का परित्याग कर रहे हैं और हम उन्हीं की मेहनत पर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं । उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी उपेक्षा की जा रही है । वास्तव में, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । अब मैं कोयले के श्रेणीकरण के बारे में बात करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में उड़ीसा के साथ अन्याय हुआ है । वहां पर पावर-ग्रेड कोयला उपलब्ध है । कोयले के श्रेणीकरण के साथ-साथ कोयले पर राजशुल्क में भी संशोधन होना चाहिए । उड़ीसा सरकार तथा कुछ अन्य सरकारों की अपनी ही कहानी है । यह सही है, कि एक कल्याण निधि है जिसका पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा तथा अन्य किसी स्थान पर भी दुरुपयोग किया जा रहा है । समय की कमी है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इसकी ओर पुन: ध्यान दें । ग्रेड निर्धारण तथा राजशुल्क निर्धारण के प्रश्न पर आप इस पर पुन: ध्यान दें । यह एक विरोधात्मक स्थिति है । विडंबना यह है कि जो राज्य कोयला निक्षेपों की दृष्टि से धनी हैं वे अति पिछड़े हुए क्षेत्र हैं । बिहार, उड़ीसा, बंगाल का एक भाग तथा मध्य प्रदेश पिछड़े राज्य हैं । बंगाल मे स्थिति अवश्य भिन्न है । ये कोयला क्षेत्र अत्यधिक पिछड़े हुए तथा अविकसित हैं तथा यहां के निवासी बहुत उपेक्षित हैं । अत: इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु इन पर पूरा ध्यान देना होगा । राजशुल्क के रूप मे केन्द्र से राज्य को जितना भी धन दिया जाता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा राज्य के कोयला क्षेत्रों के पेयजल, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण कार्यक्षेत्रों के लिए अलग रख दिया जाना चाहिए ।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था, देश के कुल कोयला भण्डार का एक-तिहाई हिस्सा उड़ीसा मे है । यहां पर भी एक विडंबना यह है कि अभी कुछ समय पहले तक इसकी अपनी पृथक कोयला कम्पनी भी नहीं थी । पिछले ही वर्ष, उड़ीसा को सी० आई० एल० की नियन्त्रित एक कंपनी मिली है । इसके सामने स्टाफ, डाक तथा अन्य कई आरम्भिक समस्याएं आ रही हैं । अत: मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले की जांच विशेष रूप से करें ।

मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। तालचेर में एक पृथक कोयला प्रभाग होना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही, यह अच्छी आदत नहीं है। आपको पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिए। आपने 25 मिनट ले लिए हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पर विधेयक में व्याप्त कमियों की ओर जिनके बारे में शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, सही तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बाद में किसी को सरकार की आलोचना करने का अवसर न मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, कोयला खान राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में आचार्य जी, यादव जी और पाणिग्रही जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस बिल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने की बात कही जा रही है। चूंकि हमारे क्षेत्र में भी बहुत-सी कोयला खानें हैं और आज तक वहां के लोगों के साथ जो बर्ताव होता रहा है, इसलिए संदेह स्वाभाविक है कि वहां जो मजदूर काम करते हैं और खासकर जो आदिवासी परिवार के हैं, विस्थापित परिवार के लोग हैं, उनके लिए विस्थापित होने के बाद पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती और न उनको नौकरी वगैरह की सुविधा दी जाती है।

अभी मंत्री जी रांची गये थे और इन्होंने खिलारी और पिपरवार आदि क्षेत्रों का खुद दौरा किया है। उस क्षेत्र में जो राय वगैरह कोयला क्षेत्र हैं, वहां दो-तीन वर्षों से पानी की भारी किल्लत है। बार-बार मैंने अपने स्तर से विभाग के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है, कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में भी इस बात को रखा, लेकिन खेद है कि अभी तक वहां के लोगों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है।

उस क्षेत्र में बिहार को कोयले से जो रॉयल्टी मिलती है, जहां-जहां कोयला खानें हैं, जिसको हम वनांचल या झारखण्ड के नाम से भी जानते हैं, उस क्षेत्र में कोयले से जो रॉयल्टी मिलती है, उस पैसे को दूसरी जगह खर्च किया जाता है, वह पैसा उस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं मिलता है। उस पैसे से न वहां के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और न उस पैसे का उपयोग उस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए किया जाता है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो या उड़ीसा हो, जहां भी रॉयल्टी मिलती है, मेरी मांग है कि उस पैसे का उपयोग उसी क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए मगर आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

मंत्री जी खिलारी गये होंगे और वहां के लोगों ने इनसे मिलकर अपनी समस्याएं बतायी होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां एक ओवर-ब्रिज बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है, जिसके न रहने के कारण गाड़ियां 6-6, 7-7 या 8-8 घण्टे तक खड़ी रहती हैं। इससे कोयले की ढुलाई में भी समय की बर्बादी होती है और साथ-साथ आम जनता को भी परेशानी होती है। जिस सड़क से मंत्री जी गए होंगे, खिलारी-पिपरवार सड़क के संबंध में मैंने विगत बैठक में भी एक

सुझाव दिया था कि राय से सीधे एक रास्ता ठाकुरगांव होकर रांची जाता है, जिससे 25-30 किलोमीटर की बचत हो सकती है और खासकर आपके विभाग को उससे बहुत फायदा होगा, उस रास्ते की तरफ मैंने आपका समय-समय पर ध्यान आकृष्ट कराया है परन्तु पता नहीं वह काम कब होगा। इस बात को आपके सभी पदाधिकारी भी जानते हैं।

बिजली की कमी की वजह से भी अनेक कोयला खानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और बिजली की बराबर कमी से उनका काम अक्सर बंद हो जाता है। इस संबंध में भी मैंने सुझाव दिया था और सर्वे भी हुआ है। इनके एरिया में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन यानी एन टी पी सी की एक योजना कई वर्ष पूर्व बनायी गयी थी, कोल फील्ड में सफी नदी कनाड़ीराय, प्रखण्ड भुड़मुड़ में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसका सर्वे वर्ष 1988-89 में हो चुका है और वहां कर्मचारियों की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। उस योजना के बन जाने से करीब 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे न केवल पूरी कोयला खानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सकेगी बल्कि पूरे छोटा नागपुर एरिया और बिहार को भी बिजली मिलेगी। इस योजना को शीघ्र पूरा करने में किसी तरह की उलझन नहीं है। पब्लिक का पूर्ण सहयोग है, जमीन का भी कोई झंझट नहीं है, सरकार की जमीन है। इसलिए अगर उस योजना को शीघ्र पूरा कर दिया जाता है तो पूरे कोयला क्षेत्र को, कोलफील्ड को बराबर बिजली मिलेगी और उसके साथ-साथ छोटा नागपुर और बिहार को भी बिजली मिलेगी। मेरी मांग है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और शीघ्र उस योजना को पूरा कराने की व्यवस्था करें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस योजना को जल्दी से पूरा कराने के लिए तत्परता से पग उठाए।

इसके साथ-साथ भुड़मुंडा ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल भीतर से खोखला हो गया है, जिसके ऊपर गांव और शहर है और अन्दर कोयला खदानें हैं। यदि उसकी सुरक्षा की अभी से व्यवस्था नहीं की गयी तो कभी भी वह ध्वस्त हो सकता है और संभव है कि पूरा शहर उस खदान के अंदर चला जाए। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना वहां हो सकती है। इसलिए उस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि अभी से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि भीतर से वह पूरी तरह खोखला हो गया है, पूरा शहर कभी उसके नीचे न चला जाए, इसलिए अभी से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जहां तक कोयले की बात है, कोयला ठीक ढंग से मिले, सही मिले, इसकी ओर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। बराबर यह शिकायत मिली है कि आप पत्थर मिला करके उत्पादन बढ़ाते हैं और सुनने में आया है कि जो लोग कोयले की खरीद और बिक्री करते हैं, उनको कोयला, पत्थर मिलाकर दिया जाता है। यह लोगों की आम शिकायत है और विभाग से कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ा है। जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, इटा-भाटा के उद्योग धंधे हैं, या दूसरे उद्योग धंधे हैं, उन सबको कोयला नहीं मिलता है जिससे उन लोगों को परेशानी पड़ रही है। इसलिए हमारी मांग है कि उनको भी कोयला मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और ठीक ढंग से कोयला मिले और सही कोयला मिले।

सभापति महोदय, हम अखबारों में पढ़ते हैं और कई लोगों से सुना है कि इस कार्य में बहुत गड़बड़ हो रही है। यह भी सुना है कि नाजायज ढंग से कोयला निकाला जाता है और बिचौलियों से मिलकर कोयला बाहर भेजा जाता है। इससे न तो विभाग को फायदा होता है और न सरकार को फायदा होता है। इस प्रकार से जो कोयला बिचौलियों और माफिया के लोगों से मिलकर बाहर

भेजा जाता है जिसमें पुलिस के और विभाग के लोग भी मिले होते हैं, इस गलत काम को तुरन्त रोकने की जरूरत है।

सभापति महोदय, वहां पर 40-50 और 100 साल पहले क्वार्टर बने हैं, उनकी मरम्मत नहीं की गई है। वहां न नालियां हैं, न वहां सड़कें हैं और न वहां पीने के पानी की व्यवस्था है जिससे मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है और यह व्यवस्था वहां किया जाना बहुत जरूरी है। वहां पर स्कूलों और अस्पतालों की तथा रहने के लिए और मकानों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इस प्रकार का इंतजाम तुरन्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन सभी क्षेत्रों में देख-रेख करने की जरूरत है और इनमें सुधार करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ आम जनता को आप जो कोयला देते हैं और आप वह कोयला 18, 20, 22 या 24 रुपए मन देते हैं जबकि उसका बाजार भाव 50-60 रुपए मन होता है। इस प्रकार से दोनों रेट में काफी अन्तर होता है। यह सोचने की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी आप एक निश्चित दर करें कि आप किस रेट पर कोयला देंगे और जो बीच वाले लोग हैं, जो ले जाने वाले लोग हैं, उनको कितना मुनाफा देंगे, इस पर विचार करें और आम जनता को जो खाना पकाने के काम के लिए कोयला दिया जाता है और जो छोटे-मोटे उद्योग-धंधों को चलाने के काम में कोयला दिया जाता है, उनको किस रेट पर मिलना चाहिए, इन सब बातों पर आप विचार करें और इस भारी अन्तर को दूर करें क्योंकि इससे विभाग के साथ-साथ सब लोगों की बदनामी होती है और लोग परेशान होते हैं। इसलिए इस कालाबाजारी को रोकने की जरूरत है।

सभापति महोदय, यह जो अंधाधुंध, मनमाने ढंग से कोयले का काम चल रहा है इसको रोकना चाहिए। इसके अलावा मैं पर्यावरण के बारे में कहना चाहता हूं कि पर्यावरण पर आजकल काफी खर्च होता है। हमने पिछली बार भी संसदीय सलाहकार समिति की मीटिंग में कहा था कि आप जितना पैसा देते हैं, उसका लेखा-जोखा बराबर लेते रहें कि पर्यावरण के नाम पर हमने कितना खर्च किया है और कितने पेड़-पौधे लगाए और कितने बचे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और सिर्फ यह लिख दिया जाता है कि पर्यावरण पर इतना खर्च हो गया। जबकि होता यह है कि जितना पर्यावरण के ऊपर खर्च करना बताया जाता है, उसके मुताबिक फील्ड में देखा जाए, तो उतना काम नहीं होता है, उतने पेड़-पौधे नहीं लगाए जाते हैं सिर्फ कागज पर दिखा दिए जाते हैं कि इतने पेड़-पौधे लगाए। यदि 100 पेड़ लगे कागज में दिखाए गए हैं, तो फील्ड में 50 पेड़ भी लगे नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसका आपको लेखा-जोखा लेना चाहिए कि हमने कितना खर्च इस मद में किया है और इसका कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर भी इस विभाग द्वारा काफी पैसा खर्च किया जाता है और बहुत-सा काम होता भी है और हो भी रहा है, यह अच्छी बात है। मगर साथ-साथ मैं यह कहना भी चाहता हूं कि विकास के नाम पर खर्च किए गए पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसलिए इसको भी देखने की और इस पर विचार करने की जरूरत है।

जो पैसा आप विकास के नाम पर साल में खर्च करते हैं या इस मद में देते हैं, वह काम होता है या नहीं होता है, या हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी लेने की भी जरूरत है। मुझे पता है कि विकास के नाम पर पैसा दिया जाता है लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही रहता है,

सारा पैसा इधर से उधर बंदरबांट किया जाता है। इसको रोकने की जरूरत है। जो पैसा देते हैं वह सही तरीके से खर्च हो, इसे देखने की जरूरत है।

मैं उन बातों को फिर दोहराना चाहता हू कि लोगों को आवागमन की सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे हिंदगिरी के बगल में जंगल से घिरे हुए क्षेत्र हैं। वहां के लोग शहर कैसे जाएं, उनके बच्चे कैसे पढ़ें, इनको इसकी चिन्ता नहीं है। लोग बिल्कुल टापू में रहते हैं, हालांकि सुविधा है, बगल में रांची है। जो लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, खून-पसीना एक करते हैं, ये उनकी सुविधा के लिए नहीं सोचते हैं। मैंने इस संबंध में पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि 10-15 किलोमीटर का जो जंगल-झाड़ का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, जहां गाड़ी नहीं चल सकती है, उसे देखने की जरूरत है। रास्ते को मिलाने की जरूरत है ताकि लोग पत्रातू जैसे शहर में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां बुलाया जा रहा है, इससे सबके मन में शंका बनी हुई है। कोई भी कम्पनी आए लेकिन वह उस क्षेत्र के लोगों के हित में काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की है। समय बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित कोयला खान संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मेरे विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। लोगों के हृदयों में कतिपय शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। माननीय मन्त्री से मेरा पहला निवेदन यही है कि वे इन सभी शंकाओं का समाधान करें।

हमने 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था और अब इस विधेयक से हम बहुमुखी अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम निजी कम्पनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों को कोयले के क्षेत्र में आने का अवसर दे रहे हैं। कोयला, विद्युत तथा इस्पात ऐसे आधारभूत ढांचे सम्बन्धी क्षेत्र हैं जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यदि हम इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को आने का निमन्त्रण दे रहे हैं तो हमे बहुत सावधान रहना होगा। सरकार को अवश्य सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह अवश्य हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग तथा आने वाले दिनों में हमारे कर्मचारियों को जरूर प्रभावित करेगा। कोयला हमारी प्राकृतिक सम्पदा है। हम निजी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दे रहे हैं। कम बजट प्रावधान के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड, नायवेली लिग्नाईट कारपोरेशन को जिस वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है मुझे उसकी जानकारी है। इसी के कारण, ये समस्याएं उठ रही हैं। यह हमारी विद्युत-उत्पादन को भी अवश्यमेव प्रभावित कर रहा है। विद्युत के बिना, हम काम नहीं कर सकते। देश में कोई नया उद्योग लगाने में मुख्य समस्या विद्युत की कमी है। विद्युत के बिना औद्योगिकरण सम्भव नहीं है। अतः अधिक ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार ने निजी कम्पनियों को विद्युत उत्पादन की अनुमति दे दी है। इसके लिए कोयला उपलब्ध करा दिया जाता है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र एकक कोयला

उपलब्ध नहीं करा सकते । इसीलिए निजी बहुर्राष्ट्रीय तथा अन्य विदेशी कम्पनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति देने की आवश्यकता पड़ी ।

जब 1973 में राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था तो उत्पादन मे वृद्धि होने की आशा थी । आशा थी कि मूल्यों मे गिरावट आयेगी । किन्तु दुर्भाग्य से हमारी आशाएं पूरी नहीं हो पाईं । अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति मजदूर कोयले का उत्पादन न्यूनतम है । कोयला उत्पादन के क्षेत्र मे हमें आत्म-निर्भरता के लिए प्रयत्न करना होगा । यह आत्म-निर्भरता हम कैसे पाएंगे ? चीन जैसे देशों में, भूमिगत खनन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । जहां भी सम्भव हो हमें भी भूमिगत खनन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

दोनों पक्षों के हमारे कुछ मित्रों ने आत्म-निर्भरता पाने के लिए कतिपय उपायों का उल्लेख किया है । हाल ही में, कोयले की कमी के कारण, तमिलनाडु सरकार को आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करने का निवेदन किया गया था । कोयले की कमी के कारण हमारी बड़ी तापीय परियोजनाओं को हानि हो रही थी । हम इस समस्या से कैसे निबटें ? यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है । इस विधेयक से लोगों के दिलों मे संशय उत्पन्न हो रहा है । शर्तें कौन-सी हैं ? निजी कंपनियों - विदेशी कंपनियों— को इस क्षेत्र मे आने की अनुमति देते समय हमने उनके समक्ष कौन-कौन-सी प्रमुख शर्तें रखी है ? मजदूरों के भविष्य का क्या होगा ? मजदूरों की सुरक्षा का क्या होगा ? इन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है । इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देते समय सरकार को कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नो का उत्तर देना होगा ।

सरकार का नियन्त्रण क्या होगा ? जब निजी कंपनियों को इस क्षेत्र म कार्य करने की अनुमति दी जायेगी तो उसमें सरकार की ओर से कुछ नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए । मैं एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं । दूसरी पक्ष के कुछ वक्ताओं ने इस क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति का उल्लेख किया है । मेरे विचार में, सरकार इस पहलू पर अवश्य ध्यान देगी । सरकार की ओर से कुछ उपाय किए भी गए हैं किन्तु उन्हें पूरा नहीं किया गया है । अतः, इस क्षेत्र मे मजदूरों को काफी कष्ट सहने पड़ रहे हैं । सरकार से मेरी अपील है कि वे कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष आने वाली समस्याओं का निवारण करें ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इस संबंध में लोगों की शंकाओं का निवारण करें तथा कामगारों के हितों की ओर ध्यान दें ताकि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो तथा राष्ट्र भविष्य मे इस चुनौती का सामना कर सके ।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं । एक जमाना था, जबकि देश के तमाम कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया । लोगों को यह समझ थी कि तमाम कोल माइन्स का नेशनलाइजेशन करने से देश में उत्पादन बढ़ेगा और देश का विकास होगा । जो माइन्स से मजदूरों का शोषण हो रहा है, वह शोषण भी समाप्त होगा । मैं समझता हूं कि वह कांग्रेस का ही जमाना था, जिन्होंने इस नियम और कानून को बनाया और नेशनलाइजेशन किया । उनकी समझ यह थी कि इससे देश का विकास होगा और विनाश नहीं होगा । लेकिन न मालूम आज कौन-सी दुनिया आ गई है, समझ यह बन रही है कि अगर कोल माइन्स नेशनलाइजेशन नियम रहेगा, तो इससे देश का विनाश होगा, विकास नहीं होगा । मेरे

जैसे आदमी की समझ यह है कि इस तरह की समझ बनना ठीक नहीं है। इस तरह की समझ बनने से देश का विकास होने वाला नहीं है। अगर यह नियम पास हो गया तो आज जो मजदूर कोयला खदानों में काम करते हैं, जो सरकार के नौकर कहे जाते हैं, कल से किसी प्राइवेट कंपनी के नौकर कहे जायेंगे। मैं समझता हूं कि उनको जो वेज मिलती है, उस वेज में भी उनका शोषण होगा और उनको उचित वेज नहीं मिलेगी। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम मजदूरों का शोषण नहीं होने देंगे। मिनिमम वेज एक्ट का जो नियम है, उसको लागू करायेंगे और मजदूरों की मजदूरी दिलायेंगे। मैं समझता हूं कि अगर पब्लिक सेक्टर से हटा कर प्राइवेट सेक्टर में इसे लाया जा रहा है, तो इससे शोषण और बढ़ेगा। जहां-जहां प्राइवेट सेक्टर है, वहां-वहां तमाम मजदूरों का शोषण हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो शोषण हो रहा है, उसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

जहां तक सरकार का कहना है, वह कहती है कि इससे उत्पादन और बढ़ेगा। अभी भी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीयकरण के नियम के मुताबिक भी कोयले का उत्पादन देश में बढ़ा है, घटा नहीं है। जैसा कि सरकार का आंकड़ा है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह और बढ़ने वाली है। अगर आपको यह समझ में आता है कि मशीनें खराब हो गई हैं, तो आप उन्हें बना सकते हैं। अगर यह बात समझ में आती है कि औजार, जिनसे वे काम करते हैं, वे पुराने किस्म के हो गए हैं, तो उनकी जगह पर आप नए लगा सकते हैं। पहले हमारे देश में खेती हल से होती थी, पहले बैलों से होती थी, अब खेती होती है, ट्रैक्टरों से। आप को कौन रोकता है। दुनिया विकास कर रही है, आपको भी आगे चलना है, पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि समाजवादी सिद्धान्त पीछे नहीं जा रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो पहले का राष्ट्रीयकरण है, उसको रहने दो। यह काला कानून देश में लादने की जरूरत नहीं है। अगर देश में इस काले कानून को लादा जाएगा, पहले एक जमाना था कि मजदूर शोषण को बर्दाश्त करता था, तो आज का मजदूर इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार का मजदूर काम करने के लिए दिल्ली आता है और शोषण बर्दाश्त कर लेता है। जो उसको मजदूरी मिलनी होती है, वह नहीं मिलती है, तो भी यहां आकर काम करता है। इसलिए बिहार आज सबसे पीछे है। जो सरकार केन्द्र में बनी, उस सरकार ने भी बिहार के बारे में कभी भी ख्याल नहीं किया। जो रॉयलटी बिहार के लोगों को मिलनी चाहिए, वह कोयले की रॉयलटी नहीं मिल रही है। इसके चलते बिहार की हालत आज खराब है। बिहार में कोयला सबसे ज्यादा है। जितना कोयले का उत्पादन बिहार में होता है, उतना कोयले का उत्पादन किसी भी राज्य में नहीं होता है। इसके बावजूद भी कोयले का उचित मूल्य और उचित रॉयलटी नहीं मिल रही है, जिसके चलते बिहार आज पीछे है। ठीक ही एक साथी ने बात उठाई कि अगर आपको घाटा समझ में आता है, तो कानून को कड़ा कर दीजिए। 18 रु० मन कोयला धनबाद और झरिया में मिलता है। वही कोयला दूसरी जगह पर 50 रुपए के हिसाब से जाता है और कभी-कभी तो यह 80 रुपए मन भी मिलता है। सरकार के खजाने में जाता है 18 रुपए और उसी कोयले को पब्लिक में पचास के हिसाब से बेचा जाता है। सरकारी खजाने में यदि यह 50 रुपए जमा होता, तो बात समझ में आती कि हमारी कमाई सरकार के खजाने में जा रही है। लेकिन हमारी कमाई सरकार के खजाने में जाती है। कहा यह जाता है कि माफिया के लोगों के खजाने में जाती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उचित मूल्य पर कोयले को ले और उचित मूल्य पर कोयले को दे। माफिया लोगों को बाजार में न रहने दे। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें

आज भी कोयला खदानों में करना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि कोयला खदानों में नई तकनीक का प्रयोग करे, जिससे और अधिक उत्पादन हो। वहां जो मजदूर रहते हैं, उनके रहने के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करे। दवा का इतजाम करें, पानी का इतजाम करें और उनका जो शोषण होता है उनको उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी इतजाम करें जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। जहां तक कई एक जगहों का सवाल है अभी नीचे से कोयला निकाल लिया गया है और वह जगह धंसने वाली है मैं नहीं जानता हूं कि सरकार को इस बात की फिक्र है कि नहीं है लेकिन कई जगहों पर इस प्रकार की बातें हो चुकी हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो मैं समझता हूं कि बिहार, उड़ीसा, म० प्र०, बंगाल जैसे कई स्थान बर्बाद होने वाले हैं। अगर बर्बादी होगी तो कितने अरबों की क्षति होगी इसका कोई लेखा-जोखा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए उनके बसाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाए जिससे कि वे बर्बाद न हों और साथ ही साथ मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोयले का उत्पादन बहुत बढ़ने ही वाला है और नेशनलाइजेशन से ही बढ़ना है तो फिर इसमें प्राइवेट कम्पनियों को आने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। इस नेशनलाइजेशन से हमारी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो रही है लेकिन जब आपकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो कैसे आपका बिजली का उत्पादन बढ़ने वाला है। कोयले की धुलाई की मशीन, आधुनिक मशीनों का उपयोग करने से जब इसमें विकास ही होने वाली है तो फिर इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : सभापति महोदय, यह राष्ट्रीयकरण संशोधन का जो प्रस्ताव आया है मैं उसका घनघोर विरोध करता हूं उसका कारण है कि नाम तो यह राष्ट्रीयकरण का दिया गया है लेकिन मूल रूप से यह सरकारीकरण है। यह सवाल पैदा होता है कि राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण में अंतर क्या है। राष्ट्रीयकरण के अन्दर जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वह राष्ट्र के हित के लिए होती हैं लेकिन सरकारीकरण के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वे केवल सरकार के और किसी सरकारी व्यक्ति के लाभ के लिए होती है। इसलिए मैं इस संशोधन को और इस प्रक्रिया को सरकारी संशोधन प्रस्ताव ही कह सकता हूं यह सरकारी हित के लिए प्रस्ताव है इसलिए मैं इसका घनघोर विरोध करता हूं।

महोदय, अभी हमारे एक मित्र रमेश जी ने कहा कि चूंकि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कोल इंडिया में उत्पादन नहीं हो पा रहा था पूरी तरह विधुत उत्पादन के लिए, इसलिए यह संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस की गई तो मैं कहना चाहता हूं और मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब कोल इंडिया में उत्पादन नहीं हो रहा है इसलिए इसको लाने की आवश्यकता महसूस हुई तो कैसे कोल इंडिया अपना लाभ देश में प्रदर्शित कर पाई है कि कोल इंडिया ने लाभ कमाया यह प्रदर्शन कैसे हुआ। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि कोल इंडिया उत्पादन नहीं कर रही है और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि कोल इंडिया का लाभ हो रहा है यह दोनों ही विपरीत सवाल हैं। इसकी तरफ ध्यान देना होगा कि एक झूठा सवाल कोल इंडिया का खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तान के सामने उसका प्रदर्शन किया जा रहा है कि कोल इंडिया लाभ कमा रही है और दूसरी तरफ यह दिया जा रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है इसलिए यह दोनों सवाल विपरीत तरह के हैं। इसलिए सरकार को इसमें ध्यान देना होगा और राष्ट्रीयकरण संशोधन

प्रस्ताव जो लाया गया है इसमें मेरी बड़ी चिन्ता है और मैं हर सवालों पर यह सरकार के कारनामों से चिन्ता व्यक्त करता आ रहा हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समावेश हिन्दुस्तान के हर क्षेत्र में होता जा रहा है। आज भी मैंने प्रश्न-काल में चिन्ता व्यक्त की थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आधिपत्य के सवाल पर, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया और मैं समझता हूं कि जब भी यह सलाहकार समिति हम लोगों की बैठती है मैं हमेशा यह चिन्ता व्यक्त करता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा हर क्षेत्र में, हमारे हर व्यापारिक क्षेत्र को उस पर अधिपत्य जमाकर देश के औद्योगिक विकास को अपने कब्जे में करके देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि सरकार में प्रधान मंत्री से लेकर कोयला मंत्री, विद्युत मंत्री तक, किसी का ध्यान इस ओर इसलिए नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकंजे में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, इनके परिवार के लोग, इसके संबंधी लोग इसमें फंसे हुए हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देकर हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं इस राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को सरकारीकरण का प्रस्ताव कहता हूं। यह सरकार के कुछ विशेष व्यक्तियों के लाभ का प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, जब कोयला कंपनियों का इंदिरा जी के समय में राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय इसको बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम बताया गया था क्योंकि उस समय कोयला कंपनियां निजी हाथों में थी और मजदूरों का शोषण होता था। मैं निजीकरण के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद उस समय कोयला कम कीमत पर उपलब्ध था और सरकारीकरण के बाद कोयले के दाम बढ़ते गए, इसलिए मैं इसको सरकारीकरण कहता हूं। दाम इसलिए बढ़ते गए क्योंकि वहां पर अफसरशाही बढ़ती गई, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। पहले कोयला खदान के मालिक मजदूरों का शोषण करते थे, ग्रामीण मजदूरों का शोषण करते थे और कमाई करते थे, आज मंत्री लोग कमाई कर रहे हैं, कोयला कंपनी के अफसर लोग कमाई कर रहे हैं, सरकार के लोग कमाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको राष्ट्रीयकरण के बजाए सरकारीकरण कहता हूं। अगर यही सिलसिला चलता रहा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का और विदेशी कंपनियों का समावेश हर क्षेत्र में होता रहा तो एक दिन इनका पूरी तरह से आधिपत्य हो जाएगा।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : क्या इस प्रकार के आधारहीन आरोप लगाने की सदन में अनुमति दी जा सकती है ?

सभापति महोदय : यह एक आम बात है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं, प्रामाणिकता के आधार पर कह रहा हूं, जिस तरह से कुछ लोग सदन को गुमराह करते हैं, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, उसका प्रमाण प्रस्तुत करूंगा।

सभापति महोदय, आज जिस तरह से हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का आधिपत्य हो रहा है, उसकी वजह से मजदूरों में असन्तोष है। विदेशी कंपनियों की शर्त पर विदेशों से बड़ी-बड़ी मशीनें मंगाई जा रही हैं, जिनके द्वारा यहां पर उत्पादन किया जाएगा। हिन्दुस्तान में कभी भी

बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता, यह नहीं होना चाहिए, यहां पर उपलब्ध श्रम-शक्ति का उपयोग होना चाहिए। हिन्दुस्तान के उद्योग रोजगारपरक होने चाहिए, उत्पादन-परक नहीं होने चाहिए। जब यहां पर रोजगारपरक उद्योग लगेंगे तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा, बेकारी दूर होगी, मजदूरों का असन्तोष दूर होगा और मजदूरों का शोषण नहीं होगा। मगर मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार कभी भी रोजगारपरक उद्योग नहीं लाएगी, क्योंकि उसके विदेशी कंपनियों से एग्रीमेंट हैं और इस तरह से अपने लोगों को विदेशी कंपनियों में ऊंचे ओहदों पर रखा जा सकता है।

सभापति महोदय, आज विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए हिन्दुस्तान में आमंत्रित किया जा रहा है, इसी तरह से एक समय में ईस्ट-इंडिया कम्पनी भी यहां पर व्यापार करने आई थी, उस समय भी लोगों ने कहा था कि गोरी चमड़ी वाले यहां पर व्यापार करेंगे, लेकिन 150 वर्ष तक उन लोगों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाकर रखा। इसी तरह से आज भी विदेशी कंपनियां हिन्दुस्तान के हर क्षेत्र में, यहां तक कि ग्रामोद्योग क्षेत्र में आ रही हैं, उनका समावेश हो रहा है; इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे।

5.00 म० प०

कोयला और विद्युत क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का समावेश हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। अफसरशाही और मंत्रियों के दोषारोपण पर आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आपको जानकारी है कि कोल इंडिया के अफसर हवाई जहाज से उड़कर दिल्ली आते हैं और बिना भेंट किए ही कलकत्ता चले जाते हैं। आपको जानकारी है कि मंत्री महोदय के प्रोग्राम बनते हैं तो वहां पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। आपको जानकारी है कि पांच सौ रुपए खर्चे के प्रोग्राम बनते हैं और 1500 रुपए खर्च होते हैं, उसकी कहीं जांच होती है।...(व्यवधान) कोयले का दाम हमेशा बढ़ता जा रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि कोयला ऐसी वस्तु होती है जब इसका दाम बढ़ेगा तो हिन्दुस्तान में सभी लोगों की आवश्यकता की सभी चीजों का दाम बढ़ेगा। हमारे मित्र रमेश जी कांग्रेस के हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि नौजवानों में इस तरह की बात होती है जो बातें सरकार में नहीं होती हैं। पहले कांग्रेस में युवा तर्क हुआ करते थे और मैं मुकुल जी से अपेक्षा करता था। लेकिन सरकार में जाने के बाद उनकी तेजी कम हो गई है। सरकार के मंत्रालय में रहने के बाद उसको चुनौती दें तो यह नौजवानों का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार का यह निर्णय राष्ट्र के हित में नहीं है और राष्ट्र के लोगों को गुलाम बनाने का निर्णय है। मैं कोयले के दाम के विषय में बताना चाहता था। कोयले का दाम इसलिए बढ़ता है कि अफसरों और सरकार के खर्च बढ़ जाते हैं और उत्पादन का खर्च इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कोयले के दाम बढ़ जाते हैं। कोयले का दाम निश्चित करने से पहले उसकी लागत निश्चित करनी चाहिए। किसी भी वस्तु का दाम निश्चित करने से पहले उसकी लागत निश्चित होनी चाहिए। कोयले के उत्पादन में उसकी लागत क्या होती है। मैं नहीं समझता कि सरकार उसकी लागत का अध्ययन करती है और जब कोयले का दाम बढ़ता है तो हिन्दुस्तान में महंगाई बढ़ जाती है। मंत्री जी ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए और विद्युत क्षेत्र म उत्पादन बढ़ाने के लिए हम इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि विदेशी कम्पनियां आकर निजी कम्पनियों से कैसे विद्युत क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा लेंगे या विदेशी कंपनियों का भार हिन्दुस्तान के लोगों पर लादा जाएगा। ...(व्यवधान) एक मित्र ने कहा कि विदेशों से कोयला मंगाया जाएगा। मैं नहीं समझता कि गुण-

वत्ता के आधार पर कोयला यहां पर उपलब्ध नहीं है इसलिए उड़ीसा या और जगह से कोयला मंगाया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोयला इतना उपलब्ध है कि यहां पर हर क्वालिटी का कोयला होता है और विदेशों से इसलिए मंगाया जाता है क्योंकि वहां पर सरकारीकरण का प्रभाव पड़ता है और सरकार के लोग लाभान्वित होते हैं। विदेशों से कोयला ही नहीं बल्कि गेहूं, खाद और दूसरी चीजें भी मंगायी जाती हैं। मेरा आग्रह है कि हिन्दुस्तान को गुलामी से बचाने के लिए ऐसे प्रस्ताव हिन्दुस्तान की इस संसद में नहीं आने चाहिए, मैं इसका घनघोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिस पर विचार करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री अजित कुमार पांजा ने रखा है।

जब कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने वर्ष 1973 में रखा था तो कुछ मुद्दे उठाये गए थे। मुझे उन बातों तथा उन मुद्दों को दोहराना है जिनके आधार पर राष्ट्रीयकरण हुआ तथा इस विशेष विधेयक में संशोधन करने के लिए वर्तमान सरकार को किन बातों ने प्रेरित किया। इसके कारण स्वाभाविक तौर पर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के मन में कुछ शंका है।

मैंने माननीय मंत्री भूतपूर्व कोयला मंत्री का राज्य सभा में दिया गया उत्तर पढ़ा है जो कि संतोषजनक नहीं है।

श्री कुमारमंगलम ने जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"वस्तुत: कोयला हमारे देश की एक महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा है। इस पूर्ण अबन्धनीति के युग में, लाभ मुख्य मुद्दा है, कुछ सुरक्षित तरीके यहां-वहां दिखाई दे रहे थे तथा राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह भुला दिया गया था।

यह विधान निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐसे संसाधनों पर स्वामित्व तथा नियन्त्रण राज्य के पास रहे तथा इसका वितरण इस तरीके से हो जिससे सामान्य व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके।"

यहां राज्य से तात्पर्य केवल राज्य सरकार से है अथवा संघ सरकार भी इसमें सम्मिलित है, यह स्पष्ट करना होगा। संलग्न ज्ञापन तथा संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि—

"कोयला खानें (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, धारा 3, उप-धारा (3), खंड (क) में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जाये :

"(3) में लगी कम्पनी —

(1) लोहे तथा इस्पात के उत्पादन..."

इस प्रकार उस समय राष्ट्रीयकरण से पहले जहां कोयले का उत्पादन होता था, इसका उपयोग लोहे और इस्पात के उत्पादन तथा बिजली पैदा करने के लिए किया जाता था। खानों से निकाले गये कोयले की धुलाई भी कम्पनियों द्वारा की जाती थी। कोयला धोवनशालाओं की बात अलग

है तथा हम राख का तथा नॉन-कोकिंग कोयले, धातु कर्मीय कोयले तथा अधातु कर्मीय कोयले का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। धातुकर्मीय कोयले का प्रयोग धमन भट्टियों वाले इस्पात संयंत्रों में होता है। अधातुकर्मीय कोयले का प्रयोग सीमेंट उद्योग, कोयले पर आधारित उद्योगों तथा बिजली उत्पाद के लिए किया जाता है।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय को स्वयं वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। अब जबकि कोल इंडिया 204 से 210 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है तो स्थिति क्या है? इसमें से 75 प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षेत्र को चला जाता है। अन्य कोकिंग कोल तथा धातु-कर्मीय कोयला इस्पात क्षेत्र को जा रहा है तथा बाकी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य उपयोगों में लाया जाता है। कोयले पर आधारित अन्य उद्योग ताप नियन्त्रण आदि के लिए कम कार्बन की मात्रा वाले कोयले का प्रयोग करते हैं, कैमीकल उद्योग में भी इसका उपयोग होता है जैसा कि कोठागड्डा में किया जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का कोयला अलग-अलग तौर पर प्रयोग में लाया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जिम्मे कौन-कौन से उद्देश्यों की पूर्ति दी गई है? लोगों के मन में सबसे अधिक इस बात ने घर किया हुआ कि हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र मे जो विद्युत संयंत्र चल रहे हैं, उन्हें आवश्यक मात्रा में आपूर्ति नहीं हो रही है। उन्हें कुल कितना कोयला मिल रहा है? इस विशेष संशोधन के पश्चात् क्या सभी इस्पात संयंत्रों को कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला मिलेगा। यह पहले ही समाचार-पत्रों में आ चुका है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा सी० सी० ई० एल० भारी घाटे में चल रहे हैं तथा कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी यह आशंका बनी हुई है कि कोयला खानें भारी घाटे में चल रही हैं। सी० आई० एल० के अन्तर्गत सात सहायक कम्पनियां बनाई गई हैं तथा सभी का अपना-अपना आर्थिक दृष्टिकोण है। वे अपने हिसाब म आय-कर तथा अन्य करों की अदायगी कर रही हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं कि क्या ई० सी० एल० तथा ई० सी० सी० एल० की यह सहायक कम्पनियां ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं या नहीं तथा जो पैसा वे कमा रही हैं, उसे पुनः उत्पादन पर लगाया जा रहा है या नहीं। अथवा अनेक बातों के अभाव में वे भारी घाटे में चल रही हैं। राष्ट्रीयकरण की योजना में स्वर्गीय कुमारमंगलम जी के दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

ये त्रुटियां हैं। क्या कोल इंडिया लिमिटेड की इन त्रुटियों का विशेषज्ञों की किसी समिति ने अध्ययन किया है? क्या विशेषज्ञों की समिति ने इसकी जांच की है कि पिछले दो या तीन सालों में कोल इंडिया ने लाखों रुपए का घाटा क्यों उठाया है?

गुणों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अत्यन्त कड़ाई से निपटा जा सकता है, तथा तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों को केवल गुणों को ही मुख्य आधार मानना चाहिए क्योंकि सामान्यतः इंजीनियरिंग तथा मैडीसन जैसे तकनीकी अध्ययनों में प्रबुद्ध पुरुष या महिलायें ही जाती हैं। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि तकनीकी व्यक्ति देश के लिए स्थायी परिसम्पत्तियां पैदा कर सकते हैं तथा चिकित्सक मानवीय जीवनों को क्या कर सकते हैं। इसलिए, क्या माननीय मंत्री महोदय इस पहलू पर विचार करने के बाद इस विधेयक को लाये हैं?

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी सहायता शत-प्रतिशत से घटा कर 90 प्रतिशत हो गई है। दूसरी बात यह है कि 1800 करोड़ रुपया इसका उपयोग करने वालों की ओर बकाया है। मैं इस बकाया राशि का विवरण जानना चाहता हूं। जिनकी ओर यह राशि

बताया है, क्या वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं या निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं? इन बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

तीसरा प्रश्न कोयला धोवनशालाओं से संबंधित है। मेरे मित्र श्री आचार्य ने धोवनशालाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इन तीन बातों के अतिरिक्त, अनेक मित्रों ने कई मुद्दे उठाये हैं, जिन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वे सदस्य जो कि सदन में शोर मचाते रहते हैं, सामान्यतः वे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से हैं। 600 बिलियन टन खनन योग्य कोयले का भण्डार इन तीन राज्यों में विद्यमान है जोकि देश के सबसे गरीब राज्य हैं। सामान्यतः ये उपभोक्ता अपने-अपने राज्यों में ही निवेश करेंगे। इन राज्यों के लोगों को इस बात की शिकायत थी कि वे कोयले, इस्पात तथा हर चीज का उत्पादन कर रहे हैं; परन्तु इनका लाभ विकसित राज्यों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के विद्युत संयंत्रों के निजी क्षेत्र में होने से अधिकतम लाभ पहुंचेगा।

वे लोग खानों से दूर स्थित विद्युत संयंत्र में निवेश कभी नहीं करेंगे। धोवनशालाएं भी उस विशेष क्षेत्र में ही स्थापित की जाएंगी।

यह विधेयक अवश्य पारित होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या विधेयक पारित होने के पश्चात वह हमारे मित्रों के मन में जो संदेह है, उस पर विचार करेंगे, जैसे कि कोल इण्डिया लिमिटेड में कुछ अनुषंगी इकाइयां हैं जो निजी क्षेत्र की तरह कार्यरत हैं और जो अपने विभागीय कर्मचारियों के द्वारा खनन का कार्य नहीं करवा रहे हैं बल्कि इसके लिए ठेकेदारों की सहायता ले रहे हैं। यदि इन खानों में भी ठेकेदार काम करने लगेंगे तो निश्चित है, मजदूरों को कम मजदूरी मिलेगी। यदि ओ० एन० एम० अधिक हो भी तो ठेकेदार कुछ ओपन कास्ट खानों का विदोहन कर रहे हैं, जो कि घातक है। यदि निजी क्षेत्र का भी यही हाल रहेगा तो यह और भी घातक होगा और उन लोगों को कोई लाभ नहीं होगा जो पिछड़े हुए राज्यों में रहते हैं।

अन्त में श्री चेन्नीत्तला ने एक उपयुक्त प्रश्न किया है। हालांकि वहां पर खान सुरक्षा महानिदेशक मौजूद हैं, फिर भी वह हमारे राज्य में स्थित भूतल खनन का उचित ध्यान नहीं रख रहे हैं। भूतल खानों में कार्यरत कोल इंडिया के सभी कर्मचारियों को यह भय है कि उनको खान सुरक्षा महा-निदेशक की ओर से सुरक्षा नहीं मिलेगी। श्री कुमारमंगलम जी ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि जिस उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किया गया है, अर्थात अवैध खनन को रोकना, वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। यदि निजी क्षेत्र के लोग यह काम अपने हाथों में लेंगे तो ऐसी दुर्घटना फिर से घट सकती है। अतः इन बातों पर विचार करना जरूरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हम उस प्रकार के भूतल खनन को क्यों नहीं अपना रहे हैं जोकि अधिकांशतः आस्ट्रेलिया और चीन में प्रचलित है। हम कम से कम 70 से 80 प्रतिशत स्थान, ओपन कास्ट खनन के लिए क्यों रख रहे हैं जोकि भविष्य में हमारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होगा? चूंकि पुनः निवेश हेतु और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, हम ओपन कास्ट खनन की ओर उन्मुख हो गये हैं और खान सुरक्षा महा-निदेशक इन खानों का ध्यान नहीं रख रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह किसी समय ओपन कास्ट खनन क्षेत्र, मुख्यतः महानदी कोयला क्षेत्र का दौरा करें। इसके लिए एक परिधीय विकास निधि है और कोयला नियंत्रक के पास जो निधियां हैं उनमें बहुत अधिक धनराशि उपलब्ध है। उन कम्पनियों का विकेन्द्रीकरण क्यों न किया जाए जो अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं ताकि उनकी भी स्थिति छोटी इकाइयों की तरह हो? अन्यथा उस क्षेत्र में घोर विपत्ति आएगी। यह स्थिति पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में विद्यमान है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें।

अन्ततः मैं इस सभा के सभी सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन करें।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : सभापति जी, समय देने के लिये आपका धन्यवाद। इस सदन में जो बिल लाया गया है, वैसे तो वह एक छोटा-सा बिल है, लेकिन उसके माध्यम से जिस प्रकार की असहाय स्थिति देश में जगह-जगह पर दिखाने की कोशिश की गयी है और हर मंत्रालय में जिस तरह की एक होड़ चल रही है कि हम अपने हवाई जहाज नहीं चला सकते, उनके लिए बाहर से आदमी लाओ, हम अपनी पावर जैनरेट नहीं कर सकते, उसके लिए बाहर से आदमी बुलाओ, हम अपनी माइन्स को नहीं चला सकते, उसके लिए बाहर से व्यक्तियों को आमन्त्रित करो, हम अपना कोयला नहीं निकाल सकते, उसके लिए बाहर से लोगों को बुलाओ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस राष्ट्र की कृतृत्व शक्ति इतनी क्षीण हो गयी है, हमारे राष्ट्र की युवा पीढ़ी इतनी अक्षम सिद्ध हो चुकी है, क्या वह इतनी निष्क्रिय हो गयी है और क्या हमारी युवा पीढ़ी की कृतित्व शक्ति में इस शासन का बिल्कुल विश्वास नहीं है अथवा बाहर से हमने जो कर्जा लिया है, यह उसकी एक कन्डीशन है कि आप अपने दरवाजे हमारे लिए खोल दो और आप अपने घर में बैठ जाओ या हमारी गुलामी का काम करो।

सरकार इस सदन में जो बिल लायी है, मैं समझ सकता था अगर ऐसी ही शिथिलता हम भारत के लोगों के लिए प्रदान करते, हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए वह एक चैलेंज होता कि सरकार नहीं चला सकती, हम इसे चलायेंगे। अगर वे भी नहीं चला सकते तो बाहर से किसी की मदद ली जा सकती थी लेकिन ऐसा न करते हुए, हमारे लोगों के हाथ से रोजगार छीनकर, उनका इनीशियेटिव, हर क्षेत्र में आगे जाने का जो उनका हौसला है, उसको मारने वाला और आखिर में इस देश को फिर से गुलामी में धकेलने वाला यह बिल है, इसको लाने के पीछे जो प्रवृत्ति है, वह इसी प्रकार की है, इसलिये हम इस बिल का विरोध करना चाहते हैं।

मुझे आनन्द होता, जैसा इस बिल में नीचे लिखा हुआ है—कम्पनी एंगेज्ड इन—वह प्रियोरिटी इण्डियन कम्पनी को दी गयी होती, किसी इण्डीजीनस कम्पनी को दी गयी होती, किसी इंडीवीज्युअल को दी गयी होती। यदि यह प्रियोरिटी किसी व्यक्ति या कम्पनी को दी गयी होती तो समझ में आ सकता था कि वह एक चैलेंज है, जिसे हमें स्वीकार करना है। हमारी नई पीढ़ी उस चैलेंज को स्वीकार करती। लेकिन ऐसा न करते हुए, इस देश को फिर से गुलामी के रास्ते पर ले जाने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

सभापति जी, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने आई एम एफ का लोन लिया है, और जैसी कन्डीशन्स आज हमारे ऊपर लगायी गयी हैं, वैसी ही कन्डीशन्स उन देशों पर भी लगाई

गयी थीं, लेकिन आज उनमें से एक देश की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उनके हवाई जहाज, कारखाने, मिल आदि सब आई एम एफ वाले चला रहे हैं और वे सारे देश गुलाम हो गये हैं। इसलिए यह बिल हमारे लिए खतरे की घंटी है और मैं ऐसे बिल का अपने सहयोगियों के साथ विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बिल को वापस ले लें।

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, माननीय सदस्यों ने कई मुद्दों को उठाया है। श्री बसुदेव आचार्य द्वारा एक यह मूल बात रखी गई थी कि उनके विचार से प्रस्तावित संशोधन एवं प्रस्तावना के बीच असमानता है। मैं सबसे पहले उस संदेह को दूर करने की कोशिश करूंगा।

अधिनियम में उद्देश्य के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री बसुदेव आचार्य ने एक बात कही थी कि जब तक प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक मुख्य उपधारा-3 में संशोधन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि श्री बसुदेव आचार्य जी ने अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान से नहीं पढ़ा है।

अधिनिमम के उद्देश्य से यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ, कुछ ऐसे अधिनियमों की आवश्यकता है, ताकि अधिनियम के आशय और उद्देश्य को कार्यरूप दिया जा सके।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि यह राष्ट्रीयकरण का 20वां वर्ष है। मुझे इस समय स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की याद आती है क्योंकि इस अधिनियम को लाने में उनका बहुत योगदान रहा और उन्होंने खान में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को सहारा दिया था। वर्ष 1973 में इनके नेतृत्व में ही यह अधिनियम प्रस्तुत हुआ था और इसीलिए उस समय उनके महान विचारों को प्रस्तावना में स्थान दिया गया था। मैं उद्धृत करता हूं :

> "यह अधिनियम अनुसूची में उल्लिखित कोयला खानों के संबंध में स्वामित्व के अधिकार और हितों के अभिग्रहण और अंतरण के लिए है जिससे कि ऐसी कोयला खानों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण किया जा सके और यह देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला संसाधनों का यथोचित, समन्वित तथा वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित कर सके, जिससे कि ऐसे संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्य में निहित हो और इसका वितरण इस तरह से हो जिससे आम हितों से संबंधित मामलों या आनुषंगिक मामलों का समाधान हो सके।"

देश की बढ़ती हुई आवश्यकता वह सार है जिसके आधार पर यह प्रस्तावना बनायी गयी थी··· चूंकि यह राज्य के अधीन है इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसी बात नहीं है। हालांकि ऐसे संसाधन राज्य के अधीन है, धारा (3) में कुछ आकस्मिक घटनाओं के लिए प्रावधान है जोकि भविष्य में घट सकती हैं।

अब अनुसूची में उल्लिखित कोयला खानों के संबंध में स्वामित्व संबंधी अधिकार व हितों को अंतरित समझा जाएगा और सभी बाधाओं से मुक्त यह अधिकार अब पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के पास होगा और अधिनियम के अनुसार :

(1) "केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, प्रबंधित और नियंत्रित निगम के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं;

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे उपबंध (ग) में उल्लिखित उप-पट्टा ऐसी किसी सरकारी कम्पनी अथवा निगम द्वारा प्रदान किया गया है; और

(3) लोहे एवं इस्पात के उत्पादन में जुटी कोई कम्पनी।"

अत: यद्यपि प्रस्तावना एवं धारा (3) में राज्य के संबंध में ऐसे कारण दिये गये हैं, जिनके मुताबिक भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति के अनुकूल केन्द्रीय सरकार को कार्य करते रहने के लिए संविधान निर्माताओं ने यह विचार किया था कि एक प्रावधान दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाए। यह सर्वविदित बात है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी नामक एक निजी उद्यम को यह काम पहले ही सौंपा गया और यह उद्यम खनन कार्य में संलग्न है। अत: यह बात नहीं है कि किसी निजी क्षेत्र के उद्यमी को ऐसा कोई भी काम सौंपने पर पूरा प्रतिबंध है। 1 मई, 1973 को, जब अधिनियम निर्माताओं ने इस अधिनियम को बनाया था, जिसमें इन्दिरा जी भी शामिल थीं, तब उन्होंने ध्यान में देश की बढ़ती हुई प्रगति का ध्यान भी रखा था।

अब 20 वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान सरकार को यह ज्ञात हो गया है कि हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है और बिजली की मांग बढ़ती ही जा रही है। और यह शिकायतें भी हैं कि अच्छे किस्म वाले कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है; और एक शिकायत मूलभूत सुविधाओं संबंधी कठिनाइयों के बारे में है तथा यही नहीं कोयले को दूर-दूर तक भेजना पड़ता है। अब, वर्ष 1993 में मूल अधिनियम के लागू होने के 20 वर्षों के पश्चात देश को आगे ले जाने और प्रस्तावना के मुताबिक आगे बढ़ाने का मुकाम आ गया है। यह केवल लोहा और इस्पात के संबंध में ही नहीं अपितु कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में भी है क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि विद्युत अथवा ऊर्जा की तरह इस देश में उत्पादित 70 प्रतिशत ऊर्जा, कोयले से प्राप्त होती है। इस मामले को देखते हुए उपधारा (3), उप-खंड (3) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित संशोधन निम्न है :

"लोहा और इस्पात उत्पादन कर रही कम्पनी, जो पहले से ही विद्यमान है, को फिर से धारा 3(1) में शामिल किया गया है। विद्युत उत्पादन, खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई अथवा अन्य इसी तरह के उपयोग जैसा भी केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।"

अत: ऊपर सबसे पहले जो बात कही गई थी उसमें कोई सार नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा था कि "आप धोवनशाला के संबंध में कुछ क्यों नहीं करते?" यह दूसरा क्षेत्र है जिसके बारे में हम समिति की इस रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं कि जो धोवन-शालाएं एस० ए० आई० एल० के पास थीं, क्या उनको वापस दे दिया जाएगा। इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। यदि समिति सिफारिश करती है और यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि उन्हें एस० ए० आई० एल० को वापस भेज देना जरूरी है तो हम तदनुसार निर्णय लेंगे। परन्तु उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

जैसा कि मैंने कहा है अब ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है यह प्रस्तावना के अनुरूप है। जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, इससे यह प्रकट होता है कि आठवीं योजना में 30,538

मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। ऐसी परियोजना है। आठवीं योजना में 30,538 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की संभावना है जिसमें से लगभग 20,156 मेगावाट बिजली उत्पादन तापीय क्षेत्र द्वारा अर्थात् कोयला और लिग्नाइट सी० आइ० एल० तथा लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा किया जाना है। 20,156 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले की मांग 311 मिलियन टन होगी। अतः स्वाभाविकता 13 मिलियन टन कोयले की कमी है। हम इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? प्रस्तावना के अनुरूप हमें देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर विचार करना होगा। अब 13 मिलियन टन कोयले की कमी है। ऐसी स्थिति में और 13 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने के लिए, मुझे और अधिक धन की आवश्यकता होगी और हमें वैज्ञानिक खनन को अपनाने की आवश्यकता है। अच्छे किस्म के कोयले के खनन के लिए केवल धन का ही नहीं अपितु समुचित अवधि की भी आवश्यकता होती है। विकासशील देश में बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है। आठवीं योजना के दौरान योजना आवंटन 19,374 करोड़ रुपये की प्रत्याशित मांग की तुलना में 11,320 करोड़ रुपये किया जा रहा है। अतः 8,000 करोड़ रुपयों के लगभग संसाधन की कमी होगी। जहां तक कोयला उत्पादन का संबंध है, यह कमी 13 मिलियन टन की है और संसाधन की कमी 8,000 करोड़ रुपयों की है। अतः दोनों ओर की कमी से देश की प्रगति नहीं हो पायेगी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। 1 मई, 1993 को भी संसद के दोनों सदनों के ध्यान में यह बात थी, जिन्होंने अधिनियम पारित किया था, कि संसाधनों की कमी होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब लोहा और इस्पात तथा कम महत्वपूर्ण वाले क्षेत्रों को ही नहीं अपितु कुछ मूल क्षेत्रों को, निवेश करने हेतु निजी क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता हो सकती है। सरकार इन दो विकल्पों में अर्थात 13 मिलियन टन कोयले की कमी तथा 8,000 करोड़ रुपयों के संसाधन की कमी के संबंध में क्या करने वाली है? हमारे माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण व्यावहारिक है और निर्णय सभी संबद्ध विभागों से आवश्यक जानकारी हासिल करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम में यथा प्रस्तावित संशोधन किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। भारत सरकार से 11,320 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता लेना आवश्यक है। मैं यह कैसे कर दूं? मैंने पैसे के लिए कहा। मुझे कहा गया "नहीं। आप 20 वर्ष से एक कंपनी चला रहे हैं। आप हमेशा यह नहीं कह सकते कि आपने अभी कार्य शुरू किया है और उसमें संरक्षण की आवश्यकता है। कोई बजटीय सहायता देना संभव नहीं है। अतः, आप स्वयं अपना कार्य कीजिए।" स्थिति क्या है? 1985 में जो 90% बजटीय सहायता दी जाती थी वह इस वर्ष कम होकर 19% हो गई है। कृपया इस स्थिति पर विचार कीजिए। यदि बजटीय सहायता 90% से कम होकर 19% हो जाती है तो 8,000 करोड़ रुपये का अंतर रहता है और अंत में 13 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन कम हो जाएगा। हम संसाधन जुटाने हैं। लेकिन कहां से? अनेक लोग हैं जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। हमें सुरक्षा देनी है और हम ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं। जो सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं वे अपने मन से शंका निकाल दें। इनके विरोध में यह कहा गया है कि यदि यह दिया जाता है तो कोयले की गुणवत्ता का क्या होगा?

दूसरे यदि ऐसा किया जाता है तो आपके पास क्या गारंटी है कि निजी स्वामित्व के अंतर्गत खनन कार्य ठीक प्रकार से चलता रहेगा और वे मजदूरों अथवा प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार शोषण नहीं करेंगे जिस प्रकार से राष्ट्रीयकरण से पहले किया जाता था?

तीसरे, मजदूरों का क्या होगा ? मैं सभा को इन सभी मुद्दों के बारे में आश्वासन देता हूं कि सरकार ने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : भूमि पर भी।

श्री अजित पांजा : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। सभी को सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीयकरण से पहले सभी को लाइसेंस दिए जाते थे और कोई भी शोषण कर सकता था। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे रायल्टी कभी देते थे कभी नहीं। निजी व्यक्ति जो ऊर्जा उत्पादन एकक स्थापित करना चाहते हैं उन्हें खनन का अधिकार देने से पहले सुरक्षा के लिए दस कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले निजी व्यक्तियों को कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए कोयले का उपयोग करने, अथवा उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन अथवा वॉशरी अथवा अन्य कोई उद्देश्य होगा जिसका निर्णय सरकार करेगी।

दूसरे, चूंकि अच्छे किस्म के कोयले की आपूर्ति की आवश्यकता है और हमारे पास उसके लिए धन नहीं है अतः हमारा प्रस्ताव है कि धोवनशालाएं स्थापित करने के लिए निजी निवेश की अनुमति दी जाए।

तीसरे, यदि कच्चा कोयला धोया जाता है और उसे ही भेजा जाता है तो रेलवे पर भी दबाव कम हो जाएगा।

चौथी बात यह है कि विद्यमान विद्युत संयंत्रों का निजी खानों पर निर्भर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में संदेह व्यक्त किए हैं। विद्यमान विद्युत संयंत्रों की कोयले की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए अपना निजी क्षेत्र है। विद्यमान विद्युत संयंत्रों अथवा राज्य उपक्रम विद्युत संयंत्र का निजी खानों पर निर्भर करने का प्रश्न ही नहीं है।

यदि श्री बसुदेव आचार्य एक विद्युत गृह स्थापित करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। भूसर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वह किसी भी खान को निजी खान के रूप में चुन सकते हैं। वे अपनी खान के कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन के अलावा और किसी उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते हैं। यह एक सुरक्षा संबंधी कदम है। लेकिन उस खान का क्या होगा और कौन-से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा ? ये कदम निम्न हैं :

1. सी० एम० पी० डी० आई० एल० द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त इलाकों की पहचान की जाएगी (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र सिंह : अभी मंत्री जी ने कहा कि विद्युत उत्पादन के लिए जितनी मात्रा में कोयला लगेगा, उतना ही वह दिया जायेगा लेकिन क्या गारंटी है कि अधिक उत्पादन करने पर ब्लैकमार्किटिंग नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, मुझे व्यक्तिगत तौर पर कालाबाजारी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो वह उसकी सूची मुझे दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोल इंडिया से जो कोयला जाता है, वह विद्युत परियोजना के लिए तो जाता ही है, बिजली का प्रोडक्शन भी होता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में भी जाता है।

सभापति महोदय : उन्होंने एश्योरैंस दिया है, उनकी नोटिस में लायेंगे तो वे एक्शन लेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : सुरक्षा का पांचवा कदम यह है कि सी० एम० पी० डी० आई० एल० द्वारा उपयुक्त ब्लाकों का पता लगाते समय खनन की स्थिति तथा खनन की आर्थिक सभावना, जैसा कि श्रीमती रीता वर्मा ने बताया है, को ध्यान में रखा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चुने हुए ब्लॉकों में पूरा खनन किया जाएगा। यह खनन कार्य के वैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करेगा।

छठा सुरक्षा संबंधी कदम यह है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए खनिज रियायत नियमों के अधीन कोयला मंत्रालय की खनन संबंधी समिति द्वारा एक खनन योजना को स्वीकृति दी जाएगी जैसा कि श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने बताया है। खनन योजना की स्वीकृति के बाद ही संचालक पट्टे अथवा उप-पट्टे के लिए संपर्क करेगा।

सातवां कदम यह है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस और खनन पट्टे की स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप ही कोई व्यक्ति खनन कार्य करेगा।

आठवां कदम यह है कि खनन योजना की जांच के समय ही कोयला खनन के संरक्षण पहलू को ध्यान में रखा जाएगा और कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन कोयला नियंत्रक को दी गई शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करते हुए इसे ध्यान में रखा जायेगा

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा।

नौवां सुरक्षा संबंधी कदम यह है कि वन संबंधी स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। संचालक को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत यह स्वीकृति लेनी होगी।

दसवां कदम है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति और विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी और खनन कार्य प्रारंभ करने से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय से इसकी स्वीकृति लेनी होगी।

खान सुरक्षा महानिदेशक को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी कि निजी खानों में पूर्ण सुरक्षित तरीके से खनन कार्य हो क्योंकि यह खानें विद्युत उत्पादन के लिए दी जा रही हैं। अत: मुझे विश्वास है कि विद्युत उत्पादन के लिए दी गई निजी खानों के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आशंकाएं सही साबित नहीं होंगी।

सदस्यों द्वारा जल आपूर्ति, पानी की कम आपूर्ति विद्यालयों, महाविद्यालयों, सड़कों, भवनों आदि के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, हमें नये सिरे से उनकी

जांच करनी है। लंबे समय से इससे संबंधित विधियों पर संसद तथा जिन राज्यों में कोयला होता है वहां पूर्ण विचार किया गया है। कुछ राज्यों द्वारा उप-कर भी लिया जाता है। कुछ राज्य रायल्टी लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार उपकर और रायल्टी दोनों लेती है। बिहार सरकार रायल्टी ले रही है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारें रायल्टी ले रही है ... (व्यवधान) 1973 के अधिनियम की सभी बातें स्पष्ट हैं। मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण देना चाहता हूं। 1973 का अधिनियम प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम, 1973 बनाने के लिए लाया गया था। जैसा कि श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने कहा है कि इसका उद्देश्य है कि भूमि प्रयोक्ताओं की रक्षा की जाए। आप भूमि ले रहे हैं। केन्द्र सरकार ने यह क्षेत्र अधिग्रहीत कर लिया है। राज्य सरकार और जनता वहां है। अधिकांशतः यह जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र है। एक प्रश्न पूछा गया है : क्या आप सामाजिक उद्देश्य की ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं? इन बातों पर ध्यान देने के लिए 1973 में उपकर अधिनियम बनाया गया था। 1976 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर फिर से विचार किया और विधान सभा ने अन्य अधिनियम पारित कर दिया। इसे ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम कहा जाता है। इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को अनुमानतः 27 करोड़ रुपये प्रति माह अर्थात् 320 करोड़ रुपये वार्षिक उपकर प्राप्त हो रहा है। शुद्धि के अध्यधीन मुझे अभी लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। जब इन दोनों अधिनियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 6 के अंतर्गत पुरुलिया, वीरभूम आदि कोयला क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण रोजगार, विकास कार्यों अर्थात् सड़क और जल आपूर्ति पर यह राशि व्यय की जाए और अभी तक मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह हमें बताएंगे कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को देय उपकर की पूरी राशि राज्य सरकार को दे दी गई है।

श्री अजित पांजा : जी हां महोदय, यह दे दी गई है। कोयले की बिक्री का मूल्य अभी भी बकाया है। अभी भी बड़ी राशि बकाया है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यह देनी होगी क्योंकि यह उपकर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि "आप पश्चिम बंगाल के विद्युत गृहों को 28 करोड़ रुपये प्रति माह का कोयला बेचते हैं और हमारा उपकर 27 करोड़ रुपये है। अतः आपका केवल एक करोड़ रुपया बकाया है और वह हम तदनुसार दे देंगे। आप इसे समायोजित कर लें।" मैंने कहा "ठीक है। यह लेखाओं का समायोजन है।" यदि पश्चिम बंगाल सरकार अनुभव करती है कि 1973 और 1976 का अधिनियम उपयुक्त नहीं है तो वे इस नियम से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हें इस संबंध में शक्ति प्राप्त है। लेकिन जब तक यह नियम रहेगा यह एक प्रतिबंध है क्योंकि यह धारा 6 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट विश्वास बन चुका है और धारा 6 में यह प्रावधान है कि यह राशि एक समिति के पास रहेगी और जिलाध्यक्ष, स्थानीय संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य इसके सदस्य होंगे। उड़ीसा में महानदी तलचर क्षेत्र में एक नई कंपनी आ रही है और यह ठीक से कार्य कर रही है। हमें गर्व है कि हमारे राष्ट्रीयकरण के 20 वर्षों में हमारे मजदूरों ने उत्कृष्ट कार्य किया। मैं आपकी ओर से तथा अन्य सदस्यों की ओर से कोल इंडिया के खनिकों को बधाई देता हूं क्योंकि गत वर्ष 210 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य था और उन्होंने 211 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया। जब यह कार्य मुझे दिया गया था तो मैंने पाया था कि उत्पादन में 3.2% की कमी है। मैं सभी यूनियन नेताओं, कोयला खानों के क्षेत्रों के माननीय सदस्यों, लोक सभा और राज्य सभा के

माननीय सदस्यों, संयुक्त परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का आवाहन करता हूं। मैं उन सबके सहयोग के लिए आभारी हूं। इसलिए तीन माह के भीतर न केवल कमी पूरी कर दी गई, लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया बल्कि हमारे मजदूरों ने एक मिलियन मीट्रिक टन अधिक उत्पादन किया। अतः उन्हें बधाई अवश्य दी जाए। माननीय सदस्य कृपया इसकी विस्तार से जांच करें। मेरा यह कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नियम पारित किया है। उपकर की राशि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने के स्थान पर अन्य मदों पर व्यय की जा रही है, रोजगार सृजित करने, जल आपूर्ति करने और विकास का दायित्व राज्य सरकार के साथ-साथ कोल इंडिया लिमिटेड का भी है। जहां तक बिहार का संबंध है, 38.5 करोड़ रुपये प्रति माह की रायल्टी है।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : क्या मंत्री महोदय इस सदन को सूचित करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही प्राइमरी शिक्षा के लिए बजट का अधिकतम धन खर्च किया जा रहा है ? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसे प्राइमरी स्तर तक महिलाओं को शिक्षा देने के लिए भारत में प्रथम स्थान पाने के लिए पुरस्कार दिया गया है, तथा इस प्रयोजन के लिए यह राज्य धनराशि खर्च कर रहा है। यदि जितना धन खर्च किया गया था उसका उल्लेख किया जाये तो इसकी तुलना की जा सकती है तथा अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में खर्च किए गए धन से यह बहुत अधिक है। मुझे आंकड़े उद्धृत करने दीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : वह विषय से हट गए हैं।

उपकर तथा रायलटी से एकत्र किए गए धन को राज्य सरकारें अपने सम्बन्धित कोयला क्षेत्रों पर खर्च नहीं कर रही हैं। अतः केन्द्र सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, मुझे आंकड़े उद्धृत करने दीजिए कि कितना धन खर्च किया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई लेखा कोयला वाले जिलों में कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए। कृपया शान्त रहिए।

श्री अजित पांजा : महोदय, माननीय सदस्य को महसूस करना चाहिए कि जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं वह पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में है। मैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन कभी-कभी सच्चाई उन्हें ठेस पहुंचाती है। मैं उन्हे ठेस नहीं पहुचाना चाहता। मुद्दा यह है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सदन को गुमराह नहीं किया है जैसा श्री आचार्य टिप्पणी कर रहे हैं मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं यह कह रहा हू। कि न केवल वर्तमान सरकार द्वारा पहले चाहे कोई भी सरकार रही हो किसी ने भी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। यह अधिनियम 1976 में पारित हुआ था जब श्री सिद्धार्थ शंकर राय वहां थे। उस समय कांग्रेस सरकार थी। अधिनियम में 1976 में पारित हुआ था तथा मैं उस अधिनियम में शामिल था। मैं वहां 1976 में था। मुद्दा यह है कि चाहे कोई भी सरकार थी, उन्होंने कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए धन खर्च नहीं किया तथा उसके लिए हमें उनपर आरोप नहीं लगाने चाहिए बल्कि समाधान ढूढना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप कैसे कह सकते हैं कि यह धन कोयला क्षेत्रों में खर्च नहीं किया गया है ?

श्री अजित पांजा : मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि इस अधिनियम के अनुच्छेद 6 के अधीन संबंधित जिले के जिला मैजिस्ट्रेट के अधीक्षण के अधीन एक सांविधिक निधि एकत्र की जानी होती है, जहां उपकर से एकत्र समूचे धन को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वह इस अपने पास रखेंगे तथा उस धन में राज्य सरकार को भी अंशदान करना चाहिए तथा यह धन कोयला क्षेत्रों में बांटा जाएगा जहां से कोयला एकत्र किया जा रहा होता है, एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते श्री आचार्य को कृपया इस पर ध्यान देना चाहिए। आप स्वयं भी कोयला क्षेत्र से हो। परसों मैं उनके निर्वाचन-क्षेत्र में गया था तथा एक नई भूमिगत कोयला खान का उद्‌घाटन किया था। मैंने छोटी लड़कियां जिनके बाल सूखे तथा आंखें करुणामयी थी जिनके पास पहनने को पूरे वस्त्र नहीं थे, को देखा था। श्री आचार्य जी वहां धन खर्च नहीं किया गया, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। मैं श्री आचार्य को बता सकता हूं कि पुरुलिया से प्रति माह उपकर के रूप में 84 लाख रुपये एकत्र किये जाते रहे हैं लेकिन उसे पुनः पुरुलिया पर खर्च नहीं किया जाता। आप कृपया इस बात की जांच कीजिए। यह प्रश्न नहीं है कि आप इसे आम बजट में रखते हैं तथा फिर इसे समूचे बंगाल में खर्च करते हैं। यह उद्देश्य नहीं है। यदि आप महसूस करते हैं कि यह अधिनियम जरूरी नहीं है तो इस में संशोधन कीजिए, और इसे आम धन राशि में रखिये। लेकिन जहां तक अधिनियम तथा इस अधिनियम की धारा का सम्बन्ध है जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया है और आप उस अधिनियम के आधार पर उपकर एकत्र कर रहे हैं, आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस अधिनियम के नाम पर उपकर एकत्र करके वितरित करने की जिम्मेवारी हमारी नही है। मैं यह मुद्दा क्यों उठा रहा हूं ? ये सब बातें जरूरी है कुछ सदस्यों ने इस बारे में बात की हैं कि उस क्षेत्र को पुलों से जोड़ना जरूरी है। इतना बड़ा क्षेत्र जहां से कोयला आ रहा है वहां ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है अर्थात वहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन क्षेत्रों से कोयला आता है। माननीय सदस्य कृपया इस बात पर गौर करें। जिसमें बताया गया है कि 25-30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है और कृपया आप यह भी देखिए कि उपकर वहां पहुंचता है तथा इस्तेमाल किया जाता है।

डा० कृपासिंधु भोई : 1971 में खान और खनिज (विनियमन) अधिनियम के तहत लगाये गये खनन उपकर के विरोध में लोग उच्चतम न्यायालय गये थे। मंत्री जी के अपने विचारानुसार यह केन्द्र सरकार के पास निहित है; राज्य सरकार खनिज पर जो राष्ट्र की सम्पत्ति है पर उपकर कैसे लगा सकती है ? उस आधार पर 1971 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी खनिज उपकर रद्द घोषित कर दिये गए थे। कोई इसे लगा नहीं सकता था। राज्य सरकार को इसका कोई अधिकार नही है। फिर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ऐसे कैसे कर सकती है जबकि किसी अन्य राज्य को ऐसा करने का अधिकार नही है ? हाल ही में महानदी कोल फील्ड क्षेत्र में उड़ीसा राज्य सरकार ने एक अन्य ग्राउंड रेन्ट लगाया है जो मेरे अनुसार गैर-कानूनी है मंत्री जी इसे स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने 35,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 120 करोड़ रुपए का ग्राउंड रेन्ट लगाया है।

श्री अजित पांजा : यह मुद्दा बहुत उचित है, उपकर अधिनियम उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को इस आधार पर स्थगन आदेश

मिला था कि इसे इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को अन्य राज्यों से अलग रखा गया था। इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं उन्हें स्थगन आदेश इसलिए मिला है कि यह अधिनियम अन्य राज्यों के उपकर अधिनियमों से अलग है। उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्थायी रूप से मान लिया है ... (व्यवधान) ... मैं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के निर्णय पर विलम्ब नहीं कर रहा हूं। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मैं उड़ीसा राज्य से निर्वाचित हूं। उड़ीसा, बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से अधिकतम मात्रा में कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, यह लगभग 90 प्रतिशत से अधिक है तथा इसे पूरे देश में भेजा जाता है। यह बात ठीक है कि उपकर जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाया गया है उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है, इसीलिए वे उपकर एकत्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए तर्क को अन्य राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ने कहा था, इस तरह मत कीजिए। हम निश्चय ही रायल्टी बढ़ायेंगे जबकि रायल्टी नहीं बढ़ाई गई है। बिहार और उड़ीसा के दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ पिछले छः महीनों से बातचीत हो रही है। वे हर रोज कोयला मंत्री से इसे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं अन्यथा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के लिए दोहरे व्यवहार को प्रोत्साहन दे रही है। रायल्टी नहीं बढ़ाई जा रही है और वस्तुतः राज्य सरकारों को धन की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि वह दोनों राज्य सरकारों द्वारा रायल्टी बढ़ाने की मांग को कब पूरा करेंगे ?

श्री अजित पांजा : निश्चय ही। प्रथम मुद्दा उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश के बारे में उठाया गया था। इस मामले में अन्तिम निर्णय के लिए जुलाई में सुनवाई होनी है।

जहां तक उड़ीसा से संबंधित माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए मुद्दे का संबंध है, यह सच है कि उड़ीसा के माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे साथ बातचीत की थी। कोयले की कतिपय किस्में हैं जिसमें उड़ीसा को कम रायल्टी मिल रही है। हमारी प्रारम्भिक जांच के अनुसार यह कम है। लेकिन मुद्दा यह है कि अब एम० एम० (आर० एण्ड डी०) अधिनियम जिसे इस सदन द्वारा पारित किया गया है, इस अधिनियम के तहत इसे बढ़ाया जा रहा है। हम तीन सालों में एक बार रायल्टी निर्धारित कर सकते हैं। अन्तिम रायल्टी 1 अगस्त, 1991 को निर्धारित की गई थी। हम तीन वर्ष पूरे होने का इन्तजार कर रहे हैं। हम खाली नहीं बैठे हैं, इस बीच हम पूरा अध्ययन भी कर रहे है। मैंने इसे माननीय मुख्य मंत्री को भी स्पष्ट किया था, किसी ने इस स्तर पर इस अधिनियम के प्रावधानों को बदलने के लिए नहीं कहा है। लेकिन उस समय इस संसद ने सोचा था कि हर वर्ष रायल्टी बदलना उचित नहीं होगा।

श्री श्रीकांत जेना : आप स्वीकार कीजिए कि गलत किया गया है। आप इसे अधिनियम के उपबन्ध के कारण ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इस अधिनियम के उपबंध में परिवर्तन क्यों नहीं करते।

श्री अजित पांजा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गलत किया गया है और मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। कृपया मुझसे जबरदस्ती मत कहलवाएं। मैं कह रहा हूं कि वे घटिया किस्म के कोयले के लिए अधिक रायल्टी देने के लिए कह रहे हैं। हमने कहा था कि एम० एम० (आर० एण्ड डी०) अधिनियम को ध्यान में रखते हुए तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गए हैं। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं, जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सवाल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन कर रहे हैं -नागालैंड, असम तथा अन्य स्थानों में बहुत अच्छी किस्म का कोयला होने के कारण उसके लिए एक अलग से कम्पनी बनाई जानी चाहिए। इस समय हमने देखा है कि अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन जिसमें राख बहुत कम होती है, एक मिलियन टन है। हमारा मानक है कि जब तक यह उत्पादन कम से कम 20 मिलियन टन नहीं हो जाता है तब तक हम एक नई सहायक कम्पनी नहीं खोलते हैं। अन्यथा यह व्यवहार्य नहीं होगा। एक नई सहायक कम्पनी बनाने के लिए बुनियादी खर्च इतने अधिक हो जायेंगे कि लागत और लाभ का अनुपात व्यवहार्य नहीं होगा। लेकिन हम खाली नहीं बैठे हैं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र अच्छे कोयले का उत्पादन कर रहा है। इससे हमें कई तरह से सहायता मिलेगी जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यातायात, विद्युत उत्पादन आदि। इसलिए हमने वहां पर एक क्षेत्र बना लिया है और एक निर्देशक भी नियुक्ति कर दी है। उन्हें अधिक शक्तियां प्रत्योजित की गई हैं। हम उन्हें दी गई अधिक शक्तियों के प्रभाव का भी अध्ययन कर रहे हैं।

यदि परिणाम अच्छे निकलते हैं और सब ठीक चलता है तो भविष्य में यदि अधिक उत्पादन होता है तो स्टील उद्योग में श्री सन्तोष मोहन देव द्वारा अच्छी किस्म का कोयला इस्तेमाल किया जायेगा। असम कोल को ध्यान में रखते हुए कोयले का आयात कम करना पड़ेगा, भविष्य में इस पर भी विचार किया जा सकता है।

अत:, विगत वर्ष, वहां पर एक पृथक कम्पनी की स्थापना की गई थी।

रानीगंज तथा अन्य क्षेत्रों के धंसाव के संबंध में, 1950 में अवैज्ञानिक रूप से वहां किए जा रहे अनियमित खनन कार्य के कारण वर्दमान जिले के 45 क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। विभिन्न कदम उठाए गए हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई प्रमाणित प्रौद्योगिकी नहीं है। पिछले स्वामियों द्वारा इस बात का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है कि उन्होंने अनियमित ढंग से और भूमिगत खनन कार्य किया है। उनमें से अधिकतर पानी के नीचे है। अत: कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने हाइड्रो-न्यूमेटिक स्ट्रेन नामक एक नई प्रौद्योगिकी का विकास किया है। वहां पर तथा रानीगंज क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए इस प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरे, क्षेत्रों का पता लगाने तथा असुरक्षित खानों की पहचान करने के लिए एक उच्च निगरानी समिति का गठन किया गया है।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे?

श्री अजित पांजा : ज्यादा से ज्यादा दो या तीन मिनट।

सभापति महोदय : क्या हम सभा का समय तब तक के लिए बढ़ा दें जब तक कि विधेयक पारित न हो जाये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

सभापति महोदय : जब तक विधेयक पारित नहीं हो जाता, सभा के समय को बढ़ाया जाता है।

श्री अजित पांजा : हमने भी 5 करोड़ रुपये अलग रख दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ मेरी बात हुई थी तथा उनकी स्थानीय समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किसके अधिकार में होगा। कुछ आरम्भिक तैयारियां की गई हैं। जितना सम्भव हो सके उतने धंसाव को रोकने के लिए हमने 5 करोड़ रुपए की राशि अलग रख दी है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द किया जाएगा।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे अपनी आपत्तियों को वापस ले लें और ये संशोधन पारित करने दें। इन परिस्थितियों में प्रस्तावना को देखते हुए यह आवश्यक है। देश की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए तुलनात्मक रूप से यह देखने के लिए कि दोनों कैसा कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करना आवश्यक है। आज विश्वभर में यही आधुनिक विचार चल रहा है और भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने एक मुद्दा उठाया था।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय के जवाब के पश्चात् इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जब निजी उद्योगपति तथा सरकार कोयला खानों इत्यादि का संचालन करेंगे तो प्रतिपूर्ति का क्या होगा...? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ये आपको बाद में समझा देंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस बारे में क्या किया जाएगा ? माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में आश्वासन दें।

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही, कृपया बैठ जाएं।

प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरम्भ करेंगे।

6.00 म० प०

विधेयक के खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं खंड 2 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड-1—संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1992" के स्थान पर

"1993" प्रतिस्थापित किया जाये । (2)

(श्री अजित पांजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"43वां" के स्थान पर

"44वां" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

(श्री अजित पांजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अजित पांजा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम इसका विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, इन सम्पूर्ण कोयला खानों को निजी कंपनियों को सौंप देने की योजना है। यह उड़ीसा, बिहार तथा अन्य राज्यों को उनका देय हिस्सा न देने का जान-बूझकर किया गया प्रयास है। अतः महोदय, हम विरोध में सदन से वाकआउट कर रहे हैं। (व्यवधान)

6.03 म० प०

इस समय, श्री श्रीकांत जेना और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

सभापति महोदय : मैं विधेयक को पुनः सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 अप्रैल, 1993/30 चैत्र, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53

पी० एस० एस०—48/20/30/93 (एस०)
250

©1993 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित ।